1960

Vol. I Nos. 29-38 : 10

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha Debates

30th March, 1960

Vol. 1 No 29

OFFICIAL REPORT

Chief Reporter
Punjab Vidhan Sabha
Chandigarh

CONTENTS

Wednesday, the 30th March, 1960.

CHANDIGARH:
Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab
1960

Price Rs. 5.10 nP.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

RRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 29, DATED THE 30TH MARCH, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
Garhdiwala	Garbdiwala	(29)3	16
ਕਿਵੇਂ	ਕਿਣੇ	(29)5	18
ਏਕਤ੍ਰ	ਏਖਤ੍ਰ	(29)24	5th from below
Separate	Seperate	(29)42	13
General	Genral	(29)44	6
propriety	properiety	(29)50	2nd from below
Amendment	Amemdment	(29)57	Heading
ਸਰਦਾਰ	ਸਰਦਰਾ	(29)57	5
comprehensive	comperehensive	(29)57	12
clause	cluse	(29)57	13
ਬੰਥ	ਬੰਧ	(29)58	1
ਬਲਦੇਵ	ਬਲਦੇਬ	(29)59	10
ਗਈ	ਗਸੀ	(29)59	22
ਤਰੀਕੇ	ਤਰੀਰੇ	(29)59	3rd from below
ਛਾਪਣੀ	ਛਾਮਣੀ	(29)61	4
ਨੁਕਸਾਨ	ਨੁਕਸਾਮ	(29)61	11
genuine	geniune	(29)61	20
ਗੱਲ	ਦਲ	(29)61	5th from below
consumers	cousumer	(29)62	6th from below
ਬਣਦੀ	ਦਣਦੀ	(29)62	2nd from below
ਨੂੰ	ਉੁਸ	(29)63	8
Constitution	Cgnstitution	(29)81	2
Public	P blic	(29)83	28
चाहिये	जाहिये	(29)89	4th from below
करते हैं	करत ह	(29)101	9th from below
एहतराम	एहताम	(29)103	18
repealed	replealed	(29)105	3rd from below

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਹੈ

ਨਹੀ
su
ਸੀ
ਬਾਰੇ

ਮੈਨੂੰ
ਕਰਾਂ

ਗਿਆ

" ਦੇ ਤਬ

Original with:
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by:
Panjab Digital Library

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 30th March, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, at* 11.00 *a.m., of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 5298.*

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲ-ਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹ baseless ਸੀ file ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ enquiry ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਇਕ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ enquiry file ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਕ supplementary ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ramp ਦੀ construction ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ case ਦੋਬਾਰਾ reopen ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰਾਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਲਿਖ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਇਬ ਤਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ orders ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ cancel ਕੀਤੇ ਗਏ ?

Mr. Speaker : This is not relevant.

**Note.*—Starred Question No. 5298 along with its reply appears in the Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. I—No. 28, dated 25th March, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 5470.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ prosecution ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ ?

Mr. Speaker: It is not relevant.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ enquiry ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ?

उद्योग मंत्री: इस के लिये नोटिस दें।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

WARM UNIFORMS FOR CLASS IV EMPLOYEES

***5131. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to provide warm uniforms to all its Class IV employees ; if so, the details of the proposal and the time by which such uniforms are expected to be provided ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : Yes. It is proposed to provide short buttoned up coats and trousers with *pagris* or caps (as the case may be). The matter is under consideration. If the proposal is sanctioned then the departments will have to provide the above uniform to its Class IV employees. It is not possible to indicate the time by which all Class IV employees will be provided with new uniforms.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह proposal कब तक under consideration रहेगी ?

उपमन्त्री : यह जवाब में है ।

ELECTIONS TO MUNICIPAL COMMITTEES

***5361. Shri Mangal Sein** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the names of persons elected to Municipalities in the State elections which were held in October, 1959, have been notified in the Gazette ; if not, the reasons therefor ;

(b) the names of Municipalities to which elections were held ?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) : (a) Yes, except for Palwal Municipal Committee, the publication of which was stayed by the High Court, as a result of a Civil Writ.

(b) A list is placed on the Table of the House.

**Note*.—Starred Question No. 5470 along with its reply appears in the Punjab Vidhan Sabha Debate Vol. I, No 28, dated 25th March, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Names of Municipal Committees to which elections were held in the 2nd Batch

Name of District		Serial No.	Name of Municipal Committee
Amritsar	..	1	Ram Dass
Jullundur	..	2	Jullundur
		3	Alawalpur
		4	Nakodar
		5	Phillaur
		6	Rahon
Gurdaspur	..	7	Sujanpur
		8	Siri Hargobindpur
		9	Fatehgarh Churian
		10	Dhariwal
		11	Dera Baga Nanak
Hoshiarpur	..	12	Dasuya
		13	Garbdiwala
		14	Sham Chaurasi
		15	Anandpur
		16	Una
		17	Hariana
Ferozepore	..	18	Ferozepore
		19	Zira
		20	Dharmkot
		21	Talwandi Bhai
		22	Guru Har Sahai
Kangra	..	23	Nurpur
		24	Dharamsala
		25	Kangra
		26	Palampur
		27	Nagrota Bhagwan (No nominations were received)
		28	Sultanpur Kulu
Ambala	..	29	Buria
		30	Chhachhrauli
		31	Ambala City
		32	Rupar
		33	Nalagarh
Karnal	..	34	Kaithal
		35	Radaur
		36	Ladwa
		37	Pundri
		38	Shahbad
		39	Pehowa
Rohtak	..	..	..
Gurgaon	..	40	Palwal
		41	Farrukh Nagar
		42	Pataudi
		43	Nuh
		44	Bawal
Hissar	..	45	Sirsa
		46	Loharu

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Name of District		Serial No.	Name of Municipal Committee
Bhatinda	..	47	Maur
		48	Mansa
		49	Guniana
		50	Raman
Patiala	..	51	Samana
		52	Gobindgarh
Kapurthala	..	53	Phagwara
Sangrur	..	54	Sangrur
		55	Sunam
		56	Narwana
		57	Tappa
		58	Banala

ELECTIONS OF MUNICIPAL COMMITTEES

*5362. **Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether any of the Municipal elections held during the month of October, 1959, have been set aside by the High Court ; if so, which ones and the reasons therefor ?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) : Yes. Of Kaithal Municipal Committee. On account of impugned electoral roll being defective. Details are not, however, available as a copy of the judgment has not yet been made available to us.

उपमन्त्री : यह जवाब में है ।

श्री मंगल सैन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिन defects की वजह से High Court ने petition accept की और कैथल की elections को void करार दिया वह पहले वज़ीर साहिब को बता दिये गये थे ?

उपमन्त्री : जी नहीं ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, यह गलत कह रहे हैं । (हंसी) यह बात ठीक हो सकती है कि मैं अपनी बात भली प्रकार न कह पाया हूंगा मगर पंडित मोहन लाल जी ने मुझे personally यह बताया ।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसे सवाल कर लीजिए कि क्या श्री मंगल सैन M.L.A. वज़ीर साहिब के पास गये थे ? (हंसी) [He may enquire whether Shri Mangal Sein, M.L.A., met the Minister in this behalf]

(Laughter)

श्री मंगल सैन : नहीं जी यह बात नहीं । आप इन ही से पूछ लीजिये । इन्होंने Press को Statement दी है........

उद्योग मंत्री : यह गैर ज़िम्मेदारी की बात हैं ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष: Irrelevant चीज़ नहीं आनी चाहिए। (Nothing irrelevant should be asked through supplementaries)

AREA DECLARED SURPLUS BY LAND COMMISSION

***5165. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the area of land which has been declared surplus as a result of decisions given by the Land Commission in Patiala Division and the manner in which this land is intended to be utilized ?

Giani Kartar Singh : *Part First.*—The claims for exemption from the ceiling have not been admitted by the Pepsu Land Commission in respect of 570.56 standard acres of land so far.

Part Second.—The surplus area to the said extent, when declared finally, will be utilized like the other area declared surplus under the provisions of the Pepsu Tenancy and Agricultural Lands Act, 1955, and the rules framed thereunder, i.e., for resettlement of ejectable tenants and agricultural workers, etc.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ surplus ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ relevant ਹੈ ?

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि 1956 के बाद ऐसी surplus ज़मीन कितनी बेच दी गई है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦੀ ਇਥੇ ਕੀ relevancy ਹੈ।

श्री अध्यक्ष : मेरी इत्तलाह के मुताबिक तो आप गिरफ्तार हो चुके हैं। मगर आप तो House में बैठे हैं। (हंसी) क्या आप bail पर आए हैं? (According to my information Maulvi Abdul Ghani Dar had been arrested. But here he is occupying his seat. (*Laughter*) Has he come on Bail) (*Interruptions*)

आवाज़ : किस दफा में ?

श्री अध्यक्ष : यह इन से ही पूछ लें। जब मैम्बर हाज़िर हों तो मैं House को क्या इत्तलाह दूं। (हंसी) (This may be enquired from the hon. Member himself. What information can I give about his arrest when he is present in the House.) (*Laughter*)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब यही बतायेंगे कि क्या कुछ ऐसा area खत्म कर दिया गया है, अगर वह पूरी information नहीं दे सकते ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਇਸ question ਨਾਲ ਕੀ ਤਅਲੁਕ ਹੈ (*Interruption*)

मौलवी अब्दुल गनी डार : जनाब तीन लाख एकड़ ज़मीन.......

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या किसी Revenue Authority ने surplus area declare करने की conditions को बदलने के लिये कोई चिट्ठी लिखी ?

Mr. Speaker : This is not relevant.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : जिन terms के मुताबिक यह ज़मीन निकालनी थी क्या उन को change करने के लिये चिट्ठी लिखी गई ?

श्री अध्यक्ष : क्या आप ने सवाल देखा है ? (Has the hon. Member seen the main question.)

SETTLING OF AGRICULTURAL WORKERS ON LAND IN THE STATE

***5166. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that a sum of rupees two lakhs was proposed to be spent on the scheme for settlement of agricultural workers on land in the State, during the year 1959-60 ; if so, whether the scheme has been executed ; if not, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : *Part First.*—There was no separate scheme for resettlement of landless agricultural workers exclusively during the year 1959-60.

Part Second.—Question does not arise.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 2 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਦ ਕੋਈ separate ਸਕੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦਸਾਂ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਕੋਈ ਵਖਰੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ?

TAKING OVER MIDDLE AND HIGH SCHOOLS BY GOVERNMENT IN KANGRA

***5553. Shri Ram Chandra, Comrade :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether any managements of privately managed Middle and High Schools in Kangra applied to Government to take over the control of these schools during the years 1958-59 and 1959-60; if so, the details thereof ;

(b) the grounds on which the said applications have been made ;

(c) the action, if any, taken by the Government in the matter ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) A list of such schools is laid on the Table of the House.

(b) The inability of the managements to run the institutions.

(c) The matter is under consideration of the Government.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

List of Schools
1958-59

1. S.D. High School, Molag.
2. S.D. High School, Khera (High Classes only).
3. D.A.V. High School, Bawara.
4. D.A.V. High School, Sulah.
5. B.P. High School, Mair.
6. S.D. High School, Jawala Mukhi.
7. S.D. High School, Ladori.
8. M.G.M.S.D. High School, Nagrota Surian.
9. Gram Panchayat High School, Kotla.
10. Z.S.D. High School, Krishan Nagar.
11. M.S.L.S.D. High School, Bharari.
12. S.D.Z. High School, Shahpur.
13. M.S.C.S.D. High School, SuJanpur Tira.
14. S.A.S. High School, Garli.
15. D.A.V. Middle School, Hatli.

1959-60

1. Panchayat High School, Kotla.
2. Z.S.D. High School, Shahpur.
3. D.A.V. High School, Bawarna.
4. S.D. High School, Khera.
5. S.D. High School, Kakkar.
6. S.D. High School, Bharari.
7. B.P. High School. Mair.
8. M.G.M.S.D. High School, Nagrota Surian.
9. Z.A.V. High School, Sullah.
10. R.H.S.D. High School, Haripur.
11. S.D. High School, Krishan Nagar.
12. H.A.V. High School, Dheera.
13. S.D. High School, Ladori.
14. S.D. High School, Sujanpur Tira.

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि privately-managed schools take over करने के लिये रकम मखसूस की गई थी।

उपमन्त्री : की हुई थी।

श्री राम चन्द्र कामरेड : तो फिर कौन से schools लिये गये हैं ?

उपमन्त्री : अभी फैसला करना बाकी है।

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या मैं जान सकता हूं कि कल साल का आखरी दिन है तो क्या आज या कल में फैसला कर लिया जाएगा ?

EXTENSION OF STATE INSURANCE SCHEME TO EMPLOYEES OF TEA INDUSTRY OF KANGRA DISTRICT

***5436. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to extend the State Insurance Scheme to the employees of Tea Industry in Kangra District ; if so, when ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : No.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Rup Singh Phul : Whether the Government intend applying the State Insurance Scheme to all the Labourers in the State ; if so, by what date ?

मंत्री : वैसे तो सारे मजदूर ही हैं । लेकिन State Insurance Scheme को तमाम मजदूरों पर लागू नहीं किया जा सकता । थोड़ा थोड़ा करके लागू होगी ।

श्री रूप सिंह फूल : क्या इस insurance की scheme को कांगड़ा tea industry के employees पर लागू करने के लिये examine किया जा रहा है ।

मंत्री : अभी proposal नहीं है । इस से पहले जो urgent proposals हैं उन के ऊपर ग़ौर करेंगे और बाद में Kangra Tea Industry के employees की proposal ग़ौर में आ सकती है ।

DISTRICT DEVELOPMENT OFFICERS AND THEIR TRAINING IN DEVELOPMENT WORK

***5533. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the names of District Development Officers working in the State at present ;

(b) the names of those District Development Officers in the State at present who have undergone the training course in Development work at Nilokheri or at the Mussoorie Institute or at any other Training Centre in the State, together with the period of training spent by each and the name of the Training Centre, where such training was received, separately, in each case ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) A list showing their names is laid on tne Table.

(b) None. Every Extra Assistant Commissioner, however, receives fifteen days training in development work.

List of the District Development Officers

Sarvshri Mehar Singh Grewal, P.C.S., Dhanpat Rai, P.C.S., Jagdish Chander Nagpal, P.C.S., Gian Singh Chambial, P.C.S., Siri Chand Dhosiwal, P.C.S., Shanti Swarup Mittal, P.C.S., Sant Singh Minhas, P.C.S., Piare Lal, P.C.S., Jitendra Pal, P.C.S.; Hari Chand, P.C.S., Kuldip S ingh Minhas, P.C.S., Balwant Rai Kakkar, P.C.S., Hari Chand Arora, P.C.S., Hardyal Singh Chhatwal, P.C.S., Rajesh Chand Aggarwal, P.C.S., and Dhani Ram, P.C.S.

SELECTION OF NON-OFFICIALS FOR TRAINING IN COMMUNITY DEVELOPMENT WORK

***5534. Sardar Rajinder Singh:** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) whether any non-officials were sent by Government for trainineg in development work to the Nilokheri Training Centre or the

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Musso-rie institute during 1957-58, 1958-59 and 1959-60; if so, their names and the name of the place where they were sent for training;

(b) the criterion kept in view for the selection of persons referred to in part (a) above;

(c) the number of seats allotted for non-officials from Punjab by the Government of India at each institute referred to in part (a) above, during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-60 and the number of seats which were filled by Government during each of these years?

Sardar Gurbanta Singh: A statement is laid on the table of the House.

(a) The following non-officials were deputed by Punjab Government for training :—

(1) The Orientation Training Centre, Nilokheri—

(i) Year 1957-58 .. Nil

(ii) Year 1958-59 .. Nil

(iii) Year 1959-60 .. 7 persons, named below.

Shri Ajinder Singh Busalla, Sarpanch of Village Tikhana, District Karnal.

Shri Sucha Singh, B.A., B.T., Sarpanch of Village Laroya, District Jullundur.

Shri Raj Singh, Sarpanch of Village Kiloi, District Rohtak.

Shri Jagir Singh Dard, M.L.A., of District Ludhiana.

Shri Siri Chand, Member of Block Development Committee, Palwal.

Shri Harsa Singh of Village Kasel, Vice-Chairman, Block Development Committee, Tarn Taran.

Shri Prehlad Singh, Member of Block Development Committee, Rajpura.

(2) Central Institute of Study and Research in Community Development Mussoorie—

(i) Year 1957-58 .. Nil

(ii) Year 1958-59 .. One person

Shri Kartar Singh Diwana, M.L.A.

(iii) Year 1959-60 .. Nil

(b) The persons taking interest in development programme.

(c) The Government of India did not allot any seat to Punjab State for training of non-officials at Orientation Training Centre, Nilokheri, during the year 1957-58 and 1958-59. In the year 1959-60 , 13 seats were allotted and seven were utilised. At Mussoorie Institute no seat was allotted in the year 1957-58. One seat was allotted in the year 1958-59 and it was utilised. In the year 1959-60 two seats were allotted and none was utilised.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ non-official ਮਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ।

Sardar Rajinder Singh: Sir, it has been stated in the reply that one Legislator was sent to the Mussoorie Institute for training during the last financial year. My question is why no body has been sent to the Mussoorie Institute this year (1959-60)?

ਮੰਤ੍ਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਸੂਰੀ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

Sardar Rajinder Singh: Sir, it has been stated that two seats were allotted to the Punjab Government for non-officials at Mussoorie Institute. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, why no person was sent to the Mussoorie Institute during the year 1959-60 when one person (Sardar Kartar Singh Diwana) was sent last year?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਾਸਤੇ seat ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ contact ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ Deputy Commissioners ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ contact ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । Interested ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ contact ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਨ contact ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने कहा है कि Deputy Commissioner interested persons को बुलाता है तो क्या कोई enquiry की गई कि उस ने नहीं बुलाया ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਰਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी कमिश्नर से यह पूछ लिया गया है कि उसने ज़िले के सब M.L.A.s. को बुलाया था ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ training ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ interested ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ; M.L.A.s. ਨੂੰ contact ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

REPORT OF STATE EVALUATION COMMITTEE ON COMMUNITY DEVELOPMENT

***5550. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the date when the report of the State Evaluation Committee on Community Development was received by Government;

(b) whether the said report is being laid before the House; if so, when, if not, the reasons therefor?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister):

(a) 16th February, 1960.

(b) It will be placed before the House after it has been examined by Government.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਸਾਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ examine ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਛਾਪ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਨੂੰ examine ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ?

ਡਾ. ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ loophole ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਫਾਇਲਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ?

REWARI FEEDER

***5413. Shri Mangal Sein:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state the extent to which work on the Rewari Feeder has been done and the time by which the work is expected to be completed?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister):

There is no channel named as Rewari Feeder. There is however one scheme named Rewari Lift Irrigation Scheme, on which work is in progress in West Jumna Canal, West Circle. The total expenditure incurred up to end of January ,1960 is Rs. 1.75 lacs. The work is expected to be completed by 1962-63.

श्री मंगल सैन : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि जो scheme पहले Rewari Lift Irrigation Scheme के नाम से थी क्या उस में कुछ change कर दी गई है ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : जो पहले scheme बनी थी उस से बड़ा थोड़ा एरिया irrigate होना था। इस के ज़रिये से 78 हज़ार झज्जर तहसील का, 8 हज़ार दादरी का और 5 हज़ार गुड़गांव का इलाका सैराब होना था। इस में रिवाड़ी का कोई इलाका सैराब होने वाला तो नहीं है। मगर इस का नाम रिवाड़ी irrigation scheme था। इस 91 हज़ार के area के मुकाबले में अब 1.75 लाख का area सैराब होगा। जिस में पहले से 17 हज़ार एकड़ और गुड़गांव का होगा, 7 हज़ार एकड़ झज्जर का 8 हज़ार एकड़ दादरी का और 36 हज़ार एकड़ रिवाड़ी का होगा।

श्री मंगल सैन : जो target पहले साल का बनाया गया था क्या वह construction पूरी कर ली गई है ?

मंत्री : इस के ऊपर काम चल रहा है, जैसा मैं ने अर्ज़ किया कोई 1¾ लाख के करीब इस पर काम हो चुका है। लेकिन अब यह scheme revise हो गई है।

श्री अध्यक्ष : आप revised scheme के मुताल्लिक पूछ रहे हैं या पहली के बारे में ? (Is the hon. Member enquiring about the previous scheme or the revised one.)

श्री मंगल सैन : मैं पहली scheme के मुताल्लिक पूछ रहा हूं।

मंत्री : इस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वह तो तबदील हो गई है।

चौधरी सुमेर सिंह : क्या Government इस बात को बतायेगी कि आया अब तो कोई तबदीली नहीं कर रही ?

मंत्री : इस के मुताल्लिक कोई वायदा नहीं किया जा सकता।

SHORTAGE OF ELECTRICITY IN THE STATE

***5167. Pandit Ram Krishan Bharolian:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government are aware of the fact that there has been a shortage of electricity in the State during the winter months of 1959-60; if so, the extent of shortage and the reasons thereof;

(b) whether it is further aware of the fact that due to the said shortage industrial concerns in the State have suffered in their production; if so, whether Government intend giving them any compensation for their losses and the manner in which it is intended to be given to them?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) Yes. There has been shortage to the extent of 30 per cent due to absence of winter rains and insufficient water shortage in the Bhakra Dam Reservoir on account of early release for undertaking repairs to the Hoist Chamber and Right Diversion Tunnel.

(b) (i) Yes.

(ii) The shortage of power is due to the reasons beyond control. The question of giving any compensation does not arise.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ shortage ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਨਾ ਅਤੇ Hoist Chamber ਦਾ ਟੁਟਣਾ । ਮੈਂ ਪੁਛਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ shortage ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਕੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

सिचाई तथा बिजली मंत्री : भाखड़ा के reservoir में आयंदा से ज्यादा storage की जायेगी । इस के इलावा, thermal plants और Diesal Oil Engines का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जायेगा । कोटला और गंगूवाल में भी बिजली ज्यादा पैदा किये जाने का इंतज़ाम किया गया है ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੇ ਕਿ Hoist Chamber ਦੇ ਟੁਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ।

श्री अध्यक्ष : यह Hoist Chamber के नुकसान की बात यहां पर कैसे पैदा हुई है । इस का यहां पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । (How has the question of damage to the Hoist Chamber arisen ? This question does not arise here.)

WAR RECONSTRUCTION FUND

***5438. Shri Rup Singh Phul :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the amount of War Reconstruction Fund with the State Government as on 1st April, 1950 and 1st April, 1959, separately, together with the details of expenditure incurred therefrom during the period between these dates;

(b) the amount of the balance of the said fund as at present ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) No amount of the Post-War Services Reconstruction Fund remains with the State Government. It is a trust fund, administered by a Committee of Administration, constituted under the Trust Scheme, in accordance with the provisions of the Charitable Endowments Act, 1890. Necessary information in respect of this fund is as under:—

Amount on 1st Aptil, 1950. Rs. 1,56,12,977-0-9.
Amount on 1st April, 1959. Rs. 1,39,98,635.09 nP.

As for the details of expenditure incurred during the period 1st April, 1950 to 31st March, 1959, a statement is laid on the table of the House.

(b) Amount on 1st March, 1960. Rs. 1,45,02,555.61 nP.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF EXPENDITURE INCURRED FROM THE PUNJAB POST-WAR SERVICES RECONSTRUCTION FUND FROM 1950-51 TO 31ST MARCH, 1959

Year		Pay etc., of the establishment including Contingencies i.e., charges on stationery, printing and postage			Stipends						Medical and Public Health Schemes (i.e., treatment of beneficiaries suffering from T.B. subsidy to Child Welfare Centres, Medical comforts e.g., extra diet etc., drugs and maintenance of two dispensaries		
					Educational i.e., for School and College student			Technical and Vocational under the scheme started by the Government of India for adult civilians					
1		2			3			4			5		
		Rs	A.	P.	Rs	A.	P.	Rs	A.	P.	Rs	A.	P.
1950-51	..	30,408	12	0	2,40,447	12	3	1,13,366	6	0	13,662	12	3
1951-52	..	30,918	9	10	2,29,475	1	6	1 63,825	6	6	10,636	6	3
1952-53	..	27,850	3	10	2,72,457	14	0	1,43,113	4	0	22,257	6	0
1953-54	..	27,411	11	6	2,70,102	5	1	39,961	11	6	18,656	15	6
1954-55	..	28,032	12	3	2,52,337	8	9	39,900	0	0	9,501	10	11
1955-56	..	28,971	5	9	2,60,610	8	3	31,966	9	9	11,963	7	0
1956-57	..	31,796	6	3	2,60,031	7	3	24,419	4	0	22,981	4	3
1957-58	..	32,776	5	6	2,66,095	11	0	27,056	8	0	15,319	4	3
1958-59	..	32,607	0	6	3,71,110	0	9	26,105	14	3	19,790	15	0
Total	..	2,70,773	3	5	24,22,668	4	10	7,09,715	0	0	1,44,670	1	5

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Year	Rest Houses including maintenance charges	Annual re-union of ex-service-men	Sewing machines for widows of beneficiaries wives and dis-abled ex-service-men who know sewing	Libraries in Rest Houses for ex-servicemen
1	6	7	8	9
	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.
1950-51 ..	35,789 6 3	4,000 0 0	26,204 2 0	815 12 0
1951-52 ..	57,576 12 6	3,107 12 0	35,828 0 0	520 10 0
1952-53 ..	66,341 5 3	3,732 9 0	37,034 15 6	1,556 14 9
1953-54 ..	79,379 3 3	1,327 5 6	31,540 10 11	2,053 9 0
1954-55 ..	28,771 9 3	..	30,939 12 0	606 12 0
1955-56 ..	33,119 12 6	2,657 7 0	31,504 6 0	565 0 0
1956-57 ..	1,30,100 9 0	2,636 0 0	34,813 0 3	..
1957-58 ..	18,212 5 0	3,600 4 6	43,349 9 0	..
1958-59 ..	1,16,600 3 0	2,326 9 0	34,630 2 0	..
Total ..	5,65,891 2 0	2,30,387 15 0	3,05,844 10 5	6,188 9 9

Year	Benches for military pen-sioners in post offices	Grant-in-aid to the Armed Forces School, Ambala Cantt	Interest-free loans to M.T. Co-operative Society, Jullundur	Interest-free loans to Co-operative Societies in Fauji villages for the provisions of certain amenities e.g., repair of houses, tractors tube-wells boring, sinking, repair-ing of wells
1	10	11	12	13
	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.
1950-51 ..	625 0 0	2,500 0 0	..	*82,235 11 6
1951-52 ..	3,666 10 0	4,000 0 0	..	..
1952-53 ..	70 0 0	5,000 0 0	..	..
1953-54 —	—	5,000 0 0	..	—
1954-55 ..	..	..	..	..
1955-56 ..	..	..	..	..
1956-57 ..	..	..	..	..
1957-58 ..	..	..	..	..
1958-59 ..	..	..	**98,000 0 0	..
Total ..	4,261 10 0	16,500 0 0	98,000 0 0	82,235, 11 6

*Rs 2 lacs were advanced out of which Rs 1,17,764-4-6 have been repaid by the societies

**Rs 1 lac was advanced out of which Rs 2,000 have been received.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Year		Maintenance charges for disabled Punjabi Trainees in Q.M.T. School, Poona	Donation to St. Dunston After Care Organisation for War Blind ex-Servicemen Dehradun	*Contribution towards resettlement of Punjabi Ex-Servicemen on lands in* U. P.	Bhopal	Karnal
1		14	15	16	17	18
		Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.
1950-51	..	95 6 0	..	..	..	..
1951-52	..	3,177 3 0	10,000 0 0	50,016 0 6	..	..
1952-53	..	7,253 2 0	..	39,500 13 0	46,000 13 0	2,40,503 5 6
1953-54	..	4,031 10 0	..	..	..	9,500 8 0
1954-55	..	4,419 1 0	..	..	..	..
1955-56	..	5,095 13 0	..	1,12,000 8 0	..	..
1956-57	..	3,575 2 0	..	..	..	..
1957-58	..	3,818 1 6	..	..	..	..
1958-59	..	4,951 14 0	..	24,000 0 0	..	..
Total	..	36,417 4 6	10,000 0 0	2,25,517 5 6	46,000 13 0	2,50,003 13 6

Year		Distribution of tinned milk to the expectant nursing wives and babies in arms of ex-servicemen	Purchase of equipment for and maintenance of Health Centres in the rural areas	Contribution towards the District T.B. Clinics in Punjab for affording facilities treatment and diet etc., of ex-servicemen	Contribution towards Welfare Workers Schemes
1		19	20	21	22
		Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.
1950-51	..	..	..	..	..
1951-52	..	..	..	..	..
1952-53	..	2,250 6 6	..	3,000 0 0	..
1953-54	..	2,400 8 0	6,000 8 0	..	..
1954-55	..	..	6,132 0 0	2,750 8 0	21,866 4 0
1955-56	..	..	7,159 8 0	11,501 0 0	3,645 0 0
1956-57	..	3,750 0 0	8,804 6 6	..	..
1957-58	..	..	13,394 13 3	6,002 10 2	..
1958-59	..	..	19,424 5 0	6,500 0 0	..
Total	..	8,400 14 6	60,915 8 9	29,754 2 2	25,511 4 0

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Year	Contribution towards maintenance of Hostel run by Dogra Regimental Centre, Meerut	Loan to ex-Servicemen United Co-operative Society, Rohtak	T.A. to members of the Committee of Administration of the Fund, Clubs in the heavily recruited areas	Contribution towards the development of roads in Kangra District	Miscellaneous
1	23	24	25	26	27
	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.	Rs A. P.
1950-51	..	..	1,625 12 0	..	..
1951-52	..	..	12,564 6 0	..	..
1952-53	..	..	1,125 2 9	..	..
1953-54	..	..	367 1 0	..	..
1954-55	2,000 0 0	..	280 9 0	1,17,225 0 0	..
1955-56	..	..	269 0 9	..	..
1956-57	4,000 0 0	..	..	33,506 10 0	11,346 8 0
1957-58	2,000 10 0	32,000 0 0	387 12 3	..	3,892 4 2
1958-59	2,000 10 0	93,000 0 0	128 0 6	..	..
Total	10,001 4 0	**1,25,000 0 0	16,747 12 3	1,50,731 10 0	15,238 12 2

**Rs 1,25,000 have been advanced recently.

Shri Rup Singh 'Phul': Sir, may I know the reason why a small amount has been allocated to District Kangra which is a dominating recruiting area in the entire State?

उप मन्त्री : Assessment करने के बाद जितना भी किसी का हक बनता है रकम खर्च करते हैं।

श्री रूप सिंह फूल : क्या Government की कोई ऐसी proposal है, जिस के ज़रिये किसी dominating recruiting area में ज्यादा खर्च किये जाने की उम्मीद हो? जैसे कि ज़िला कांगड़ा है।

श्री अध्यक्ष : आप इस में ज़िला कांगड़ा कैसे ले आये? (How has the hon. Member brought in the Kangra District?)

श्री रूप सिंह फूल : जनाब यह इस statement के आखिर में दिया हुआ है। इस में लिखा हुआ है contribution towards the development of roads.....

Mr. Speaker : This question does not arise.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री रूप सिंह फूल : क्या इन funds में से dominating recruiting areas में ज्यादा खर्च किया जायेगा या कि नहीं ? मैं यह पूछना चाहता हूं ।

उप मन्त्री : इस के लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि हमारी कोई specific proposal नहीं है । जहां मुनासिब ख्याल किया जाता है खर्च किया जाता है ।

श्री रूप सिंह फूल : यह proposals जो बनाई जाती हैं आया यह कोई कमेटी बनाती है । यह ज़िले वार होती हैं या इस का कोई और procedure है ?

उप मन्त्री : इस के लिये हमें जनाब, separate notice चाहिए ।

MALARIA CONTROL PROGRAMME

*5134. **Shri Ram Piara:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the time when D.D.T. spray operations are started in the State under the Malaria Control Programme or Malaria Eradication Programme and the period for which the D.D.T. spraying remains effective;

(b) the areas in the State covered by the Malaria Control Programme from the years 1951-52 to date, yearwise, and the extent to which malaria has been eradicated in these areas as well as in the areas which are not covered by the said programme, separately?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister): Necessary reply is laid on the table of the House.

(a) The D. D. T. spray operations are started in the State under the Malaria Eradication Programme every year from 1st May in 11 Endemic units and from 15th June in the 7 Hypo-endemic units. The D.D.T., spraying remains effective for about 10 weeks when applied with standard doses in Punjab.

(b) The Malaria Control Programme in Punjab was started from June, 1953, and prior to that intensive spray operations were not carried out. The areas covered year-wise are as under :—

Year		
1951-52	..	Districtwise areas covered. Riverain tracts and waterlogged areas in districts of Gurgaon, Karnal, Patiala and Kapurthala.
1952-53	..	
1953-54	..	Karnal, Rohtak, Gurgaon, Gurdaspur, Amritsar, Ferozepore, Hissar, Patiala, Kapurthala and Sangrur.
1954-55	..	Karnal, Rohtak, Gurgaon, Gurdaspur, Amritsar, Ferozepore, Hissar, Patiala, Kapurthala and Sangrur, Ambala, Jullundur, Ludhiana, Hoshiarpur and Kangra.
1955-56	..	Ditto
1956-57	..	Ditto
1957-58	..	Ditto
1958-59	..	Ditto
1959-60	..	Gurgaon, Karnal, Ambala, Jullundur, Ferozepore, Amritsar, Kangra, Patiala, Hissar, Hoshiarpur, Rohtak, Sangrur, Bhatinda, Kapurthala, Ludhiana, Gurdaspur and Mohindergarh.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

The extent to which Malaria has decreased in the areas under control is evident from the below noted data :—

Year	Malaria cases recorded in various hospitals and dispensaries	Child spleen rate	Child parasite rate	Infant parasite rate
1953-54 ..	6,11,966	6.1%	1.1%	2.00%
1958-59 ..	2,06,980	1.0%	0.0%	0.0%

This all shows that there has been remarkable decrease in the incidence of malaria since the inception of these schemes of Malaria Control/Eradication. With the inception of Malaria Eradication Programme from 1st April, 1958 the entire State of Punjab with the exception of Simla District and those areas which are situated at or above 6,000 ft. sea level, have been included for spray operations under this programme. Thus there remains no area of consequence from Malaria Eradication point of view uncovered.

COMPLAINTS AGAINST DOCTORS AND OTHER OFFICIALS IN CIVIL HOSPITAL, ROHTAK

***5415. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state whether he has recently received any complaints against some of the doctors and other officials posted in the Civil Hospital, Rohtak, if so, the action taken thereon ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : During the last year a few complaints were received by Government against the behaviour of the Civil Assistant Surgeon (Gazetted), incharge of the Civil Hospital, Rohtak. The Assistant Surgeon was transferred and placed under suspension. The matter is under investigation.

PROVINCIALISATION OF STAFF OF CONTRACTORS OF TREASURIES

***5439. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to provincialise the staff of the Contractors of Treasuries and Sub-Treasuries in the State, if so, when ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : The Council of Ministers in their meeting held on 4th February, 1960, have decided to abolish Contracting Treasuries system in Ambala and Jullundur Divisions, so that a uniform system as in Patiala Division (where the Treasurers and Assistant Treasurers are Government servants) is made applicable to the entire State of Punjab. Steps are being taken to implement this decision. Certain enquiries are being made from the existing employees of the Contracting Treasurers staff, with respect to their date of birth, educational qualifications, etc., and the question of taking over such staff as is found suitable would be decided then.

श्री रूप सिंह फूल : मुकम्मल तौर पर provincialisation करने पर और कितना वक्त लग जायेगा ?

मंत्री : हम इसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं । जूंही इत्तलाह आयेगी इसे उसी वक्त कर दिया जायेगा ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री रूप सिंह फूल : क्या सन् 1960 में यह इत्तला मुकम्मल आ जाएगी और यह फैसला हो जाएगा ?

Minister : As soon as possible.

GEOLOGICAL SURVEY MADE IN THE HILLS OF KANGRA DISTRICT

***5558. Chaudhri Hari Ram** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether Dr. A.C. Bhattacharya, a specialist was appointed by Government to carry out a geological survey in the hills of Kangra District ; if so, whether any report has been submitted by him to Government ;

(b) whether in his report the said expert has made any mention about the existence of porcelain and Kaolin deposits in Kotla and Shahpur areas of Dhala Dher hills ;

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative, the quantities in which the said deposits have been found to exist ;

(d) whether Government in the Industries Department have examined the question of the exploitation of the said minerals ; if so, the decision, if any taken ?

Shri Mohan Lal : (a) Dr. Bhattacharya was appointed by Government to carry out a general Industrial survey of the Kangra District, and not a geological survey. A report was submitted by him, dealing generally with the industrial possibilities of this District.

(b) & (c) A reference to these deposits was made by him and without giving any quantitative estimate of these deposits.

(d) No decision has yet been taken regarding the commercial exploitation of these minerals.

Chaudhri Hari Ram : Sir, may I know whether the Government intends to make a further investigation on the Report of Dr. Bhattacharya ?

Minister : The Government is arranging for a geological survey as far as possible within its own resources and means in the near future .

Shri Rup Singh 'Phul' : Will the survey cover the entire District or the selected areas of the District ?

Minister : Wherever preliminary reports or *prima-facie* investigation is needed, that will be done. But it will not cover the whole of the District simultaneously. It will have to be done progressively.

Shri Rup Singh 'Phul' : Sir, may I know whether the Government has called any such reports ? What is the source of information of the Government ?

Mr. Speaker : The question under consideration is the Report of Dr. Bhattacharya.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Rup Singh 'Phul' : Sir, I want to know the basis at the disposal of the Government on which Dr. Bhattacharya will work and investigate into different areas.

Minister : Sir, I have not been able to follow the question.

Mr. Speaker : He wants to know the data on which Dr. Bhattacharya will work.

Minister : So far the Punjab State has had no Geological Department of its own and, therefore, all investigation had been done through the Government of India's Geological Department. Now we have got certain preliminary reports as a result of investigation done through the Government of India's agency. The State Government has recently taken a decision to create its own Department and, therefore, whatever reports we have through the Geological Department of the Government of India, they will now be further looked into through our own Department.

STATE FOOD ADVISORY COMMITTEE

***5440. Shri Rup Singh 'Phul' :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the date when the State Food Advisory Committee in the State was set up together with the names of its members ;

(b) whether the Committee referred to above has so far submitted any report to Government for the improvement of the Food situation in the State ; if so, the details thereof ?

Shri Banarsi Dass Gupta (Deputy Minister) : (a) 1st February, 1960.

1. S. Darbara Singh, M.L.A.
2. Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A.
3. Shri Krishan Lal, M.L.C.
4. S. Achhar Singh Chhina, M.L.A.
5. Comrade Muni Lal, M.L.A.
6. S. Kartar Singh Diwana, M.L.A.
7. S. Harchand Singh, M.L.A.
8. Shri Ram Dhan, M.L.C.
9. The President, Northern India Roller Flour Mills, Association.
10. Shri Roshan Lal, M.L.A.
11. S. Iqbal Singh, M.P.

(b) No.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री रूप सिंह फूल : जनाब, इस के मुत्ताल्लिक यह फरमाया गया कि इस Committee ने food situation को दूर करने के लिये यह सिफारिश नहीं की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर इस Committee के बनाने का फायदा क्या है ?

उद्योग मंत्री : यह Committee इस लिए नहीं बनाई गई कि वह report करे और कोई सिफारिश करे। वह इस लिये बनाई गई है कि जो food situation के मुताल्लिक current problem पैदा होती है उसको discuss करके Government को advise करे। यह Advisory Committee है ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਇਸ Committee ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ, ਹੋਈ ਹੈ ।

IMPROVEMENT TRUSTS

***5416. Shri Mangal Sein** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of the places in the State where Improvement Trusts were set up during the year 1959 ;

(b) the names of the Chairman and of the members of each of the said trusts ;

(c) the qualifications generally kept in view in appointing a Chairman ;

(d) whether the Chairman of each of the said trusts possesses the prescribed qualifications ?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) : A Statement is laid on the Table of the House.

(a) Ludhiana, Karnal ,Panipat, Rohtak and Bhiwani.

(b) *Ludhiana Improvement Trust*—

(i) Chairman. .S. Joginder Singh, B.Sc., LL.B.

(ii) *Elected Members*

(1) Shri Bhagwant Singh, B.Sc.
(2) Shri Machhi Ram.
(3) Shri Dina Nath Sagar, M.L.C.

(iii) *Nominated Members*

(1) Additional General Assistant, Ludhiana
(2) Shri Harbhagwan Moudgil, M.L.A.
(3) Shri Lal Singh Bhatia.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Karnal Improvement Trust.—

(i) Chairman..Deputy Commissioner, Karnal.
(ii) *Elected Members*
(1) Shri Khushab Rai.
(2) vacant

(iii) *Nominated Members*
(1) The Executive Engineer, P.W.D. (B. & R.) Karnal.
(2) S. Jagjit Singh Mann.
(3) Shri Jogi Dass, Advocate, Karnal.

Panipat Improvement Trust —

(i) Chairman..S.D.O. (Civil), Panipat.
(ii) *Elected Members*

(1) Shri Madan Mohan Mahajan.
(2) Shri Om Parkash Shingla.
(3) Shri Sunder Dass Rawal.

(iii) *Nominated Members —*

(1) The Executive Engineer, P.W.D. (B. & R.)
(2) Shri Jawala Parshad.
(3) Sodhi Rabinder Singh.

Rohtak Improvement Trust—

(i) Chairman..Shri A.C. Sehgal.
(ii) Members

(1) Shri Chand Ram, M.L.C.
(2) Shri Chander Bhan Gupta.
(3) Shri Maru Singh, Advocate.
(4) Administrator, M.C. Rohtak.
(5) Shri Sahib Dyal Jain.
(6) The Executive Engineer, P.W.D. B & R Rohtak.

Bhiwani Improvement Trust
(i) Chairman..Shri A.C. Sehgal

(1) Shri Banarsi Dass Gupta.
(2) Shri R.D. Saxena.
(3) Shri Narain Dass
(4) Shri P.D. Mukharia
(5) Sub Divisional Officer, P.W.D., Bhiwani.
(6) Shri P.D. Girdhar, Eye Specialist.

(c) & (d) No qualifications are prescribed under the Punjab Town Improvement Trust Act, 1922, and the rules made thereunder. But the Government generally take into consideration the experience of the persons to be nominated in the various fields of public activities.

श्री मंगल सैन : इस Statement में यह कहा गया है कि Improvement Trust के Chairmen तजुर्बेकार बनाए लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं पूछना चाहता हूं कि रोहतक Improvement Trust के चेयरमैन की योग्यता के बारे में क्यों नहीं बताया गया ?

उप मन्त्री : वह M. A. है।

श्री मंगल सैन : क्या उस Chairman के खिलाफ कोई शिकायत सरकार को मिली है ?

उप मंत्री : नहीं मिली।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

TOTAL AREA OF LAND IN PUNJABI REGION

***5536. Sardar Rajinder Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of the land in the Punjabi Region of the State;

(b) the total area of the land in the Punjabi Region which is water-logged and the anti-waterlogging measures being adopted by the Government in the said Region?

Giani Kartar Singh: (a) 1,27,46,375 acres.
(b) (i) 1,23,332 acres.

(ii) The following measures are being adopted by Government to combat the menace of waterlogging:—

(1) Construction of flood control works along rivers.
(2) Construction of drains.
(3) Lining of major irrigation Channels.
(4) Installing agriculture tube-wells or anti-waterlogging shallow tube-wells.
(5) Seepage-cum-Pumping Stations.
(6) Thur reclamation measures.

A considerable headway has already been made in respect of flood control and drainage schemes. As regards other anti-waterlogging schemes, work is proposed to be taken up in some selected areas. Anti-waterlogging pilot schemes for the areas near Amritsar, Sangrur, Sunam, Fazilka and Zira have been prepared and work on these schemes would be taken up during the year 1960-61. Master Plan both for flood control and anti-waterlogging schemes has already been prepared and is under the consideration of Government.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ tube-wells ਚਲਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ tube-well ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1,23,332 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਮਜ਼ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਾ 20, 30 ਲੱਖ ਏਖੜ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ ; ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਾਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ basis ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਿਥੇ 4 ਆਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਸੇਮ ਜਾਂ waterlogging ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਤਨਾਂ ਇਲਾਕਾ ਸੇਮ ਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ notice ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ Patiala Division ਦੇ ਵਿਚ ਸੇਮ ਔਰ ਬੂਰ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

SPECIAL PILOT PROJECT FOR AGRICULTURAL PRODUCTION

***5168. Pandit Ram Krishan Bharolian:** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a special pilot project sponsored by the Central Government is proposed to be executed in district Ludhiana during the III Plan period for doubling agricultural production; if so, the details of the said Project and estimated expenditure to be incurred thereon?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): *Part I.* The scheme is under the consideration of Government of India in consultation with State Governments.

Part II. Does not arise.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ Deputy Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤਕ final ਹੋ ਜਾਏਗੀ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ Government of India ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ finalize ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?

SEED FARMS

***5472. Sardar Atma Singh:** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the total number of seed farms, districtwise, set up so far, the total area of each ,and the amount spent for the purchase of each;

(b) the total quantiy of seed produced from each farm during 1958-59 and the current year?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a) & (b) Reply is placed on the Table of the House.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

ANNEXURE I

List of seed farms in terms of 25 acres each purchased by the Department of Agriculture, Punjab up to the 31st December, 1959

Serial No.	District	Tehsil	Village	No. of farms in terms of farms of 25 acres each	Total area of the farm in acres	Total price paid in rupees
1	2	3	4	5	6	7
1	Ambala ..	Jagadhri ..	Chhachhrauli	1	25	Government land
		Kharar ..	Fatehpur ..	2	39.5	31,633
		Naraingarh..	Nabipur ..	1	25	20,000
		Ambala ..	Nazirpur ..	1	26.64	19,978
		Rupar ..	Sarhind ..	1	25.81	38,715
		Nalagarh ..	Manjholi ..	1	26.5	21,140
			Total ..	7		
2	Hoshiarpur..	Hoshiarpur..	Chhauni ..	1	25	25,000
			Khanaura Khanaura ..	2	47 14	47,010 14,000
			Gangian ..	2	50	50
			Bhunga ..	1	25	Government land
			Total	6		
3	Ludhiana ..	Samrala ..	Mutton ..	1	26.64	39,966
			Papraudi-Mutton ..	1	20.25	30,375
		Jagraon ..	Bhamipura	1	19.76	26,194
		Ludhiana ..	Sohian ..	1	25	25,000
			Gopalpur-Rangian ..	1	20.21	30,075
			Total ..	5		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	District	Tehsil	Village	No. of farms in terms of farms of 25 acres each	Total area of the farm in acres	Total price paid in rupees
1	2	3	4	5	6	7
4	Patiala ..	Sirhind ..	Naraingarh..	16	400	3,66,814
			Bassi Pathana	1	25.44	36,000
			Barra ..	1	23.04	33,180
		Patiala ..	Tarain ..	2	50	50,000
			Sanaur ..	1	Not available	Government land
		Nabha ..	Dhingi ..	1	19.25	19,240
		Rajpura ..	Shambu ..	2	49	Government land
			Total ..	24		
5	Karnal ..	Karnal ..	Sheikhupura-Manchuri	1	25	24,655
			Shamgarh	4	100	1,00,000
		Kaithal ..	Chika (Guhla)	1	25	Payment yet to be made
			Kabulpur-Khera ..	1	24.76	27,349
		Thanesar ..	Ramnagar ..	1	25	20,215
			Total ..	8		
6	Rohtak ..	Rohtak ..	Nayabas ..	1	33.27	25,000
			Kharkhauda	1	26.37	25,000
		Sonepat ..	Gujran ..	1	24.77	37,162
		Jhajjar ..	Bir Sunarwala	1	26.01	Government land
			Total ..	4		
7	Gurdaspur ..	Batala ..	Dakhla ..	2	34.24	34,143
			Bahadarpur		14.01	14,008
			Talwandi Lal Singh ..	1	25	25,000
			Kishankot ..	1	23.56	23,568
			Ghanian ke Bangar ..	1	24.66	34,662
			Hayatnagar	1	25.58	25,000
			Total ..	6		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	District	Tehsil	Village	No. of farms in terms of farms of 25 acres each	Total area of the farm in acres	Total price paid in rupees
1	2	3	4	5	6	7
8	Sangrur ..	Sangrur ..	Kheri ..	2	50	50,000
			Sohian ..	1	26	26,000
		Jind ..	Kishanpura	1	25	25,750
		Malerkotla	Bugra ..	1	24	23,789
			Rampur Bhin-dran ..	1	25	24,000
		Narwana	Amritsar ..	1	25	22,005
		Barnala ..	Karamgarh	1	25	25,000
			Total ..	8		
9	Mohindergarh	Mohindergarh	Mohindergarh	1	14	Government land
			Nanwan ..	1	25	8,000
		Dadri ..	Kohlawas ..	1	41.76	41,278
		Narnaul ..	Gokalpur ..	1	25	21,250
			Total ..	4		
10	Jullundur ..	Jullundur ..	Lesriwala ..	1	24.14	23,995
			Kartarpur ..	2	49.31	48,340
			Jallowal ..	1	24.76	37,051
		Phillaur ..	Bir Phillaur ..	1	22.37	33,225
			Uppal Jagir ..	1	24.95	37,426
		Nakodar ..	Mehatpur ..	2	60.06	60,060
			Total ..	8		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	District	Tehsil	Village	No. of farms in terms of farms of 25 acres each	Total area of the farm in acres	Total price paid in rupees
1	2	3	4	5	6	7
11	Gurgaon ..	Rewari ..	Rampura ..	1	25	25,000
			Tehna ..	1	25	24,875
		Sub-tehsil Bawal	Dulehra Kalan	1	25	25,000
		Ballabgarh ..	Sarurpur ..	1	25	Government land
			Bhupani ..	1	22.25	22,550
		Nuh ..	Nuh ..	1	25.44	20,350
		Ferozepur ..	Ferozepur }	1	41 Bighas 5 Biswas	Government land
		Jhirka ..	Jhirka }			
		Palwal ..	Seoli ..	1	25.8	17,660
			Total ..	8		
12	Bhatinda ..	Faridkot ..	Deviwala ..	2	50.01	50,106
		Bhatinda ..	Talwandi Sabo	1	25.67	25,677
			Ruldusingh-wala ..	1	25.45	25,388
			Harnamsingh-wala ..	1	25	24,375
		Mansa ..	Chakan ..	1	23.26	25,586
			Total ..	6		
13	Ferozepur ..	Moga ..	Bagapurana	1	24.41	24,413
			Daroli Bhai	1	25	24,313
			Bir Charik (Mandiran-wala) ..	2	50	50,006
		Muktsar ..	Badal ..	1	25	25,000
			Abul Khurana	1	25	25,000
		Fazilka ..	Salem Shah	1	23.38	21,037
			Gobindgarh	1	25.01	25,125
			Total ..	8		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	District	Tehsil	Village	No. of farms in terms of farms of 25 acres each	Total area of the farm in acres	Total price paid in rupees
1	2	3	4	5	6	7
14	Amritsar ..	Amritsar ..	Mananwala Khurd ...	3	75	66,268
			Meharbanpura	1	25	25,000
		Tarn Taran	Khabhe Dagran ..	1	21	21,000
			Fatehabad ..	1	25	25,000
		Patti ..	Bahmniwala ..	1	25	25,000
			Kullah	2	50	50,000
		Ajnala ..	Ajnala ..	1	25	25,000
			Dial Bharang	2	50	45,900
			Total ..	12		
15	Kapurthala ..	Kapurthala ..	Kapurthala .. Mansurwala	1	23.55	35,325
			Noorpur-Dona	1	25	22,500
		Phagwara ..	Hajipur ..	1	23.74	35,616
			Total ..	3		
16	Hissar ..	Hissar ..	Government Livestock Farm, Hissar	4	100	Government land
		Hansi ..	Hansi ..	3	87.59	61,311
			Total ..	7		
17	Kangra ..	Noorpur ..	Jachh ..	4	98.2	65,241
			Total ..	4		
			GRAND TOTAL	128		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ANNEXURE II

Serial No.	Name of Farm	Total quantity of seed produced in maunds during 1958-59		
1	2	3		
1	Hybrid Maize Seed Farm, Naraingarh District Patiala.	Kharif, 1958:	Hybrid Maize	375.00
			Guara	40.00
			Cotton	73.40
			Jantar	34.00
		Rabi, 1958-59	Wheat	838.00
			Gram	1030.00
			Raya	47.50
2	Seed Farm, Jachh (Nurpur) District Kangra	Kharif, 1958:	Paddy	550.00
		Rabi, 1958-59:	Wheat	150.00
3	Seed Farm, Tehna, District Gurgaon	Rabi, 1958-59:	Barley	43.50
			Sarson	16.95
			Toria	24.00
4	Seed Farm, Sarurpur, District Gurgaon	Rabi, 1958-59	Gram	45.10
5	Seed Farm, Dulehra Kalan, District Gurgaon	Kharif, 1958	Bajra	18.45
			Jowar	1.49
		Rabi, 1958-59	Sarson	10.78
			Barley	35.55
			Gram	99.62
6	Seed Farm, Rampura, District Gurgaon	Kharif, 1958—Crops failed due to rains.		
		Rabi, 1958-59	Sarson	26.87
			Gram	58.85
7	Seed Farm, Bhopani, District Gurgaon	Possession of the farm taken towards the end of the year 1958-59.		
8	Seed Farm, Nuh, District Gurgaon	Possession of the farm taken towards the end of the year 1958-59		
9	Seed Farm, Seoli, District Gurgaon.	Purchased during 1959-60.		
10	Seed Farm, Ferozepur Jhirka District Gurgaon	Went into seed production during 1959-60.		
11	Seed Farm, Nabipur, District Ambala	Kharif, 1958:	Paddy	26.35
			Bajra T 55	9.37
		Rabi, 1958-59	Gram	26.50
			Wheat	45.60
12	Seed Farm, Fatehpur, District Ambala	Kharif, 1958	Paddy	124.75
		Rabi, 1958-59	Gram	192.00
			Wheat	62.00
13	Seed Farm, Sarhana, District Ambala	The land was purchased towards the close of the year 1958-59.		
14	Seed Farm, Nasimpur, District Ambala	The farm was purchased on 20th December, 1958, and was given on cash rent during Rabi, 1958-59.		
15	Seed Farm, Chhachhrauli, District Ambala	Kharif, 1958	Sugarcane	Crops sold standing for 1460.00
		Rabi, 1958-59	Wheat	105.26

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Name of Farm	Total quantity of seed produced in maunds during 1958-59		
1	2	3		
16	Seed Farm, Deviwala, District Bhatinda	Kharif, 1958	Gram	18.32
			Cotton	75.32
			Bajra	36.20
		Rabi, 1958-59	Wheat	335.00
			Gram	97.00
			Barley	14.30
17	Seed Farm, Ruldu Singhwala, District Bhatinda	The land was purchased towards the close of the year 1958-59.		
18	Seed Farm, Talwandi Sabo, District Bhatinda	The land was purchased towards the close of the year 1958-59.		
19	Seed Farm, Harnam Singh wala, District Bhatinda	The land was purchased towards the close of the year 1958-59.		
20	Seed Farm, Chakan, District, Bhatinda	Purchased during 1959-60.		
21	Seed Farm, Noorpur Dona, District Kapurthala	Rabi, 1958-59	Wheat	40.00
			Wheat+Gram	6.00
22	Seed Farm, Kapurthala, District Kapurthala	Rabi, 1958-59	Peas	13.05
			Wheat+Gram	37.50
23	Seed Farm, Hajipur, District Kapurthala	Purchased during 1959-60.		
24	Seed Farm, Chhauni, District Hoshiarpur	Kharif, 1958	..	..
		Rabi, 1958-59	Wheat	244.00
25	Seed Farm, Khanaura, District Hoshiarpur	Kharif, 1958	Maize	126.3
		Rabi, 1958-59	Wheat	714.00
26	Seed Farm, Gangian, District Hoshiarpur	Kharif, 1958	Maize	26.82
		Rabi, 1958-59	Wheat	289.00
27	Seed Farm, Bhunga, District Hoshiarpur	To go into seed production from Kharif, 1960		
28	Seed Farm, Kartarpur, District Jullundur	Kharif, 1958	Cotton	4.57
			Groundnut	7.70
		Rabi, 1958-59	Wheat	80.00
29	Seed Farm, Lesriwala ,District Jullundur	Kharif, 1958	Cotton	9.55
			Maize	8.40
		Rabi, 1958-59	Wheat	136.50
			Gram	5.69
30	Seed Farm, Mehtapur, District Jullundur	Kharif, 1958	Maize	16.70
			Paddy	23.25
		Rabi, 1958-59	Wheat	514.20
			Gram	55.20
31	Seed Farm, Jallowal, District Jullundur	The land was purchased towards the close of the year 1958-59.		
32	Seed Farm, Bir Phillaur District Jullundur	The land was purchased towards the close of the year 1958-59.		
33	Seed Farm, Uppal Jagir, District Jullundur.	Purchased during 1959-60.		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Farm	Total quantity of seed produced in maunds during 1958-59		
1	2	3		
34	Seed Farm, Kishankot, District Gurdaspur	Kharif, 1958	Paddy	96.60
			Maize Local	9.45
			Hybrid Maize	8.70
			Mash	9.75
			Cotton	4.38
		Rabi, 1958-59	Wheat	90.00
			Wheat + Gram	20.00
			Massar	25.20
			Gram	6.00
35	Seed Farm, Ghanian-ke-Bangar, District Gurdaspur.	Kharif, 1958	Maize Hybrid	6.00
			Paddy Basmati	49.25
			Jhona	48.13
		Rabi, 1958-59	Wheat	100.00
			Wheat + Gram	15.00
36	Seed Farm, Talwani Lal Singh, District Gurdaspur	Kharif, 1958	Paddy	138.10
		Rabi, 1958-59	Wheat	252.00
37	Seed Farm, Dakhla, District Gurdaspur	Kharif, 1958	Cotton	18.55
			Maize Hybrid	66.70
			Paddy	13.20
		Rabi, 1958-59	Wheat	360.00
38	Seed Farm, Bahadarpur, district Gurdaspur	Kharif, 1958	Maize	13.65
			Cotton Desi	3.15
		Rabi, 1958-59	Wheat	60.00
39	Seed Farm, Bahmniwala, district Amritsar	Kharif, 1958	Paddy	20.37
		Rabi, 1958-59	Wheat	318.00
40	Seed Farm, Kullah, district Amritsar	Kharif, 1958	Paddy	43.30
			Toria	42.63
			Cotton	18.64
			Maize	9.00
		Rabi, 1958-59	Wheat	366.06
41	Seed Farm, Fatehabad, district Amritsar	Kharif, 1958	Paddy	22.88
			Maize	4.16
		Rabi, 1958-59	Cotton	8.61
			Wheat	248.00
42	Seed Farm, Khabbe Dogran, district Amritsar	Kharif, 1958	Paddy	36.00
		Rabi, 1958-59	Wheat	285.00
43	Seed Farm, Meharbanpura, district Amritsar	Kharif, 1958	Paddy	8.97
		Rabi, 1958-59	Wheat	341.00
44	Seed Farm, Dial Bharang, district Amritsar	Kharif, 1958	Paddy	711.94
		Rabi, 1958-59	Wheat	238.92
45	Seed Farm, Ajnala, district Amritsar	Kharif, 1958	Toria	15.75
		Rabi, 1958-59	Wheat	186.16
46	Seed Farm, Mananwala Khurd, district Amritsar	Possession of land has not yet been taken due to litigation with former tenants.		
47	Seed Farm, Papraudi, district Ludhiana	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Name of Farm	Total quantity of seed produced in maunds during 1958-59		
1	2	3		
48	Seed Farm, Mutton, district Ludhiana	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
49	Seed Farm, Bhamnipur district Ludhiana	The land was purchased towards the close of the year 1958-59.		
50	Seed Farm, Gopalpur Rangian, district Ludhiana	Purchased during 1959-60		
51	Seed Farm, Hansi, district Hissar	Kharif, 1958	Bajra T. 55	61.05
		Rabi, 1958-59	Gram P.B. 7	250.31
			Wheat	487.42
52	Seed Farm, Hissar, district Hissar	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
53	Seed Farm, Shamgarh, district Karnal	Kharif, 1958	Cotton	143.58
			Bajra	14.18
		Rabi, 1958-59	Wheat	1440.54
			Gram	161.32
54	Seed Farm, Ramnagar, district, Karnal	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
55	Seed Farm, Sheikhupura-Manchuri district Karnal	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
56	Seed Farm, Kabulpur Khera, district Karnal	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
57	Seed Farm, Chika, district Karnal	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
58	Seed Farm, Dhingi, district Patiala	Kharif, 1958	Cotton	9.15
			Maize	51.6
		Rabi, 1958-59	Wheat	148.0
59	Seed Farm, Shambu, district Patiala	Kharif, 1958	Maize	96.00
			Guara	56.00
		Rabi, 1958-59	Wheat	156.50
			Gram	39.25
60	Seed Farm, Tarain, district Patiala	Rabi, 1958-59	Wheat	51.0
61	Seed Farm, Manjholi, district Ambala	Kharif, 1958	Maize	2.72
			Groundnut	6.86
		Rabi, 1958-59	Gram	4.95
			Wheat+Gram	86.40
62	Seed Farm, Barra, district Patiala	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
63	Seed Farm, Bassi Pathanan, district Patiala	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
64	Seed Farm, Sanaur district Patiala	To go into production from Kharif, 1960		
65	Seed Farm, Kheri district Sangrur	Kharif, 1958	Bajra	6.07
		Rabi, 1958-59	Wheat	443.75
			Gram	36.00
66	Seed Farm, Sohian, district Sangrur	Kharif, 1958	Bajra	14.56
		Rabi, 1958-59	Wheat, Gram & Barley	83.95
67	Seed Farm, Rampura Bhindran, district Sangrur	Rabi, 1958-59	Wheat	285.0
68	Seed Farm, Kishanpura, district Sangrur	Kharif, 1958	Bajra	10.73
		Rabi, 1958-59	Gram	115.50
			Wheat	39.19

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Farm	Total quantity of seed produced in maunds during 1958-59		
1	2	3		
69	Seed Farm, Sohian, district Ludhiana	Rabi, 1958-59	Wheat	180.00
70	Seed Farm, Karamgarh, district Sangrur	Kharif, 1958	Bajra	6.90
			Paddy	8.75
		Rabi, 1958-59	Wheat	230.12
71	Seed Farm, Bugra, district Sangrur	Rabi, 1958-59	Wheat	157.50
			Gram	36.00
72	Seed Farm, Amritsar, district Sangrur	Kharif, 1958	Bajra	13.00
		Rabi, 1958-59	Sarson	15.82
			Barley	4.50
			Wheat	21.37
			Gram+Wheat	108.98
73	Seed Farm, Bir Sunawala, district Rohtak	Kharif, 1958	Bajra	93.18
		Rabi, 1958-59	Gram	279.37
			Barley	147.00
			Wheat	181.25
74	Seed Farm, Nayabas, district Rohtak	Kharif, 1958	Bajra	114.00
		Rabi, 1958-59	Wheat	74.90
			Gram	87.47
75	Seed Farm, Kharkhauda, district Rohtak	Kharif, 1958	Bajra	8.87
			Cotton	7.90
			Wheat	111.77
			Gram	66.72
			Massar	3.11
76	Seed Farm, Panchi Gujran, district Rohtak	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
77	Seed Farm, Mohindergarh, district Mohindergarh	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
78	Seed Farm, Nanwan, district Mohindergarh	The land was purchased towards the close of the year 1958-59		
79	Seed Farm Kohlawas	Purchased during 1959-60		
80	Seed Farm Gokalpur, district Mohindergarh	Purchased during 1959-60		
81	Seed Farm, Hayatnagar, district Gurdaspur	Purchased during 1959-60		
82	Seed Farm, Bir Charik (Mandiran-wala) district Ferozepur.	Purchased during 1959-60		
83	Seed Farm, Baghapurana, district, Ferozepur	Purchased during 1959-60		
84	Seed Farm, Daroli Bhai, district Ferozepore	Purchased during 1959-60		
85	Seed Farm Badal, district Feroze-pore	Purchased during 1959-60		
86	Seed Farm Salem Shah, district Ferozepore	Purchased during 1959-60		
87	Seed Farm, Abul Khurana, district Ferozepore	Purchased during 1959-60		
88	Seed Farm, Gobindgarh, district Ferozepore	Purchased during 1959-60		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

ANNEXURE III

Serial No.	*Name of Farm*	*Total quantity of seed produced in maunds during* 1959-60 (*Kharif*, 1959)	
1	Seed Farm, Sarhana, district Ambala	Maize ..	120
		Chari fodder sold standing.	
2	Seed Farm, Nasirpur, district Ambala	Maize ..	54
		Jantar ..	17.25
		Kharif fodder sold standing.	
3	Seed Farm, Fatehpur, district Ambala	Maize ..	57
		Paddy ..	66
		Kharif fodder sold standing	
4	Seed Farm, Chhachrauli, district Ambala	Maize ..	10.50
		Paddy ..	10.50
		Jantar ..	9.75
		Sugarcane sold standing.	
		Kharif fodder sold standing.	
5	Seed Farm, Manjoli, district Ambala	Maize ..	30.00
		Paddy ..	28.50
		Groundnuts ..	7.50
6	Seed Farm, Nabipur, district Ambala	Maize ..	17.10
		Paddy ..	36.00
		Groundnuts ..	16.08
7	Seed Farm, Papraudi, district Ludhiana	Hybrid Maize ..	21.06
		Chari fodder sold standing.	..
		Jantar ..	30.00
8	Seed Farm, Mutton, district Ludhiana	Hydbrid Maize ..	70.35
		Local Maize ..	6.00
9	Seed Farm, Bhamipura, district Ludhiana	Nil	
		The farm is being displayed	
10	Seed Farm, Gopalpur-Rangian, district Ludhiana ..	Purchased recently in 1959-60	
11	Seed Farm, Hissar, district Hissar ..	Bajra ..	130.62
		Hybrid Maize ..	40.00
12	Seed Farm, Hansi, district Hissar ..	Paddy ..	62.50
		Cotton ..	156.00
		Bajra ..	19.00
		Maize ..	83.40
		Jantar ..	6.15
13	Seed Farm, Tarain, district Patiala ..	Cotton ..	90.00
		Rice ..	120.00
14	Seed Farm, Shambhu, district Patiala	Maize ..	150.00
		Guara ..	6.00
		Groundnut ..	36.00
		Mash ..	3.00
		Cotton ..	1.50
		Kharif fodder sold standing.	
15	Seed Farm, Dhingi, district Patiala ..	Maize ..	66.00
		Cotton ..	2.25
		Kharif fodder sold standing.	
16	Seed Farm, Barra, district Patiala ..	Cotton ..	30.00
		Kharif fodder sold standing.	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Farm	Total quantity of Seed produced in maunds during 1959-60. (Kharif, 1959)	
17	Seed Farm, Bassi Pathanan, district Patiala ..	Cotton ..	36.00
		Maize ..	24.00
		Rice ..	15.00
18	Seed Farm, Sanaur, district Patiala	To go into seed production from Kharif, 1960	
19	Seed Farm, Talwandi Sabo, district Bhatinda ..	Bajra ..	117.50
		Jantar ..	7.50
20	Seed Farm, Ruldu Singhwala, district Bhatinda ..	Bajra ..	51.75
		Jantar ..	4.50
21	Seed Farm, Harnam Singhwala, district Bhatinda ..	Bajra ..	22.50
		Jantar ..	19.57
22	Seed Farm, Deviwala, district Bhatinda	Cotton ..	29.72
		Jantar ..	27.00
23	Seed Farm, Chakan, district Bhatinda	Bajra ..	52.50
24	Seed Farm, Kapurthala, district Kapurthala ..	Groundnut ..	4.04
		Maize ..	44.78
25	Seed Farm, Hajipur, district Kapurthala	Paddy ..	61.67
26	Seed Farm, Noorpur-Dona, district Kapurthala ..	Groundnut ..	28.50
		Maize ..	9.00
27	Seed Farm, Panchi Gujran, district Rohtak ..	Cotton ..	22.65
		Maize ..	58.57
28	Seed Farm, Nayabas, district Rohtak	Bajra ..	24.85
		Jowar ..	6.75
		Guara ..	8.92
29	Seed Farm, Kharkhauda, district Rohtak ..	Bajra ..	31.00
		Sugarcane sold standing.	
30	Seed Farm, Bir Sunarwala, district Rohtak ..	Millets ..	50.07
31	Seed Farm, Fatehabad, district Amritsar ..	Jantar ..	22.12
		Sugarcane ..	750.00
32	Seed Farm, Ajnala, district Amritsar	Cotton ..	19.50
		Dhaincha ..	2.32
		Sugarcane crop sold standing.	
33	Seed Farm, Dial Bharang, district Amritsar ..	Paddy ..	672.06
34	Seed Farm, Meharbanpura, district Amritsar ..	Paddy ..	84.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Name of Farm	Total quantity of Seed produced in maunds during 1959-60 (*Kharif*, 1959)	
35	Seed Farm, Khabbe Dogran, district Amritsar	Paddy	186.00
		Maize ..	15.75
36	Seed Farm, Kullah, district Amritsar	Paddy ..	51.37
		Cotton ..	33.72
37	Seed Farm, Bahmniwala, district Amritsar ..	Paddy ..	34.75
		Cotton ..	13.57
		Kharif fodder sold standing.	
38	Seed Farm, Mananwala, district Amritsar	Possession not yet taken. Matter is under litigation.	
39	Seed Farm, Kartarpur, district Jullundur ..	Groundnut ..	24.37
40	Seed Farm, Mehatpur, district Jullundur	Rice ..	14.32
		Paddy ..	98.62
		Hybrid Maize ..	68.17
41	Seed Farm, Lesriwala, district Jullundur	Bajra ..	7.27
		Dhaincha ..	4.57
42	Seed Farm, Bir Phillaur, district Jullundur	Local Maize ..	24.09
		Jantar ..	9.32
43	Seed Farm, Jallowal, district Jullundur	Maize ..	72.67
44	Seed Farm, Uppal Jagir, district Jullundur	Purchased recently during 1959-60	
45	Seed Farm, Dakhla, district Gurdaspur	Cotton ..	21.09
		Paddy ..	91.50
		Hydbrid Maize ..	76.50
		Local Maize ..	4.50
46	Seed Farm, Babadarpur, district Gurdaspur	Hybrid Maize ..	7.12
47	Seed Farm, Talwandi Lal Singh, district Gurdaspur	Sugarcane—Yield not available	
		Fodder—Yield not available	
48	Seed Farm, Ghanian-ke-Bangar, district Gurdaspur	Paddy ..	40.05
		Basmati ..	96.52
		Sugarcane—Yield not availale	
49	Seed Farm, Kishankot district Gurdaspur	Paddy ..	46.12
		Cotton ..	12.00
		Hybrid Maize ..	22.35
		Mash ..	16.20
50	Seed Farm, Hayatnagar district Gurdaspur	Kharif fodders enstimated at Rs	76.00
51	Seed Farm, Karamgarh, district Sangrur	Paddy ..	5.62
52	Seed Farm, Kheri, district Sangrur ..	Hybrid Maize ..	33.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Farm	Total quantity of Seed produced in maunds during 1959-60 (*Kharif*, 1959)	
53	Seed Farm, Sohian, district Sangrur ..	Bajra ..	3.00
54	Seed Farm, Bugra, district Sangrur ..	Crop destroyed by heavy rains	
55	Seed Farm, Sohian, district Ludhiana	Jantar ..	1.17
56	Seed Farm, Amritsar, district Sangrur	Maize ..	11.47
57	Seed Farm, Rampur Bhindran, district Sangrur	Groundnut ..	60.00
		Jantar ..	5.25
58	Seed Farm, Kishanpura, district Sangrur	Cotton ..	10.50
59	Seed Farm, Naraingarh, district Patiala	Hybrid Maize ..	300.00
60	Seed Farm, Jacbb, district Kangra ..	Paddy ..	509.07
61	Seed Farm, Khanaura, district Hoshiarpur	Maize ..	211.07
62	Seed Farm, Chhauni, district Hoshiarpur	No Kharif Crops sown except Guara for Green Manuring	
63	Seed Farm, Gangian, district Hoshiarpur	Maize ..	72.03
64	Seed Farm, Bhunga, district Hoshiarpur	To go into seed production from Kharif 1960	
65	Seed Farm, Nuh, district Gurgaon ..	Information is not available	
66	Seed Farm, Sarurpur, district Gurgaon	Bajra ..	8.63
		Jowar ..	2.85
67	Seed Farm, Bhupani, district Gurgaon	Bajra ..	6.00
68	Seed Farm, Rampura, district Gurgaon	Jowar ..	Not available
		Bajra ..	18.37
69	Seed Farm, Tehna, district Gurgaon	Bajra ..	66.00
		Jowar ..	0.15
70	Seed Farm, Dulehra Kalan, district Gurgaon	Bajra	48.00
		Groundnut ..	6.37
71	Seed Farm, Ferozepur Jhirka, district Gurgaon	Bajra ..	8.81
		Guara ..	13.08
72	Seed Farm, Seoli, district Gurgaon ..	Purchased recently during 1959-60	
73	Seed Farm, Nanwan, district Mohindergarh	Bajra ..	53.25
		Guara ..	4.08
		Groundnut ..	3.03
		Mung ..	2.62 (In addition with bajra crop)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Name of Farm	Total quantity of Seed produced in maunds during 1959-60 (Kharif, 1959)	
74	Seed Farm, Mohindergarh, district Mohindergarh	Bajra ..	17.78
		Guara ..	1.02
		Groundnut ..	4.50
75	Seed Farm, Kohlawas, district Mohindergarh	Purchased recently during 1959-60	
76	Seed Farm, Gokalpur, district Mohindergarh	Purchased recently during 1959-60	
77	Seed Farm, Ram Nagar, district Karnal	Information not available so far.	
78	Seed Farm, Sheikhupura Manchuri, district Karnal		
79	Seed Farm, Shamgarh District Karnal		
80	Seed Farm, Chirka, district Karnal		
81	Seed Farm, Kabulpur Khera, district Karnal		
82	Seed Farm, Bagapurana, district Ferozepur		
83	Seed Farm, Daroli Bhai, district Ferozepur		
84	Seed Farm, Bir Charik Mandiranwala district Ferozepur		
85	Seed Farm, Badal, district Ferozepur		
86	Seed Farm, Salem Shah, district Ferozepur		
87	Seed Farm, Gobindgarh, district Ferozepur		
88	Seed Farm, Abul Khuran, district Ferozepur		

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : Deputy ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ information ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ 90% ਐਸੇ farm ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25 ਜਾਂ 20 ਮਣ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 25, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਘਟ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਉਪ-ਮੰਤ੍ਰੀ : Hon. Member ਜਿਸ particular farm ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ notice ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ Government ਨੂੰ better seed ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : No. 46 ਦੇ ਅਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ litigation ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ Government ਨੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਲਈ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ litigation ਪਹਿਲੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ Government ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ separate notice ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ Deputy Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ payment ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਸੀ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦਾ notice ਦਿਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ Government ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ seed farms ਦੇ ਵਿਚ ਘਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

उप मंत्री : यह opinion की बात है कि किसी seed farm में कम या ज्यादा पैदावार है। लेकिन आए साल जितनी पैदावार होती है उस की checking होती है और अगर कहीं पैदावार कम मालूम हो तो उस को बढ़ाने के लिए measures adopt किए जाते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ Government ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ enquiry ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ Government ਦੀਆਂ seed-farms ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ average ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

उप मंत्री : यह तो suggestion है। इस का जवाब मैं क्या दूं।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि उन seed farms में सरकार खुद काश्त करवाती है या वह बटाई पर दे रखी हैं ?

Mr Speaker : This question does not arise.

श्री राम प्यारा : क्या Deputy वज़ीर साहिब बतायेंगे कि इन seed farms में जितनी average पैदावार होनी चाहिए उतनी हो रही है ?

उप मन्त्री : आए साल जितनी पैदावार होती है उस की supervision होती है। उस के लिये हम ने staff रखा हुआ है। वह यह देखते हैं कि जितना seed पैदा होना चाहिए था उतना पैदा हुआ है या नहीं। अगर कम पैदा हुआ हो तो उस को पूरा करने के लिये इकदामात उठाए जाते हैं।

श्री राम प्यारा : क्या Government ने कोई yardstick मुकर्रर किया हुआ है जिस से यह देखा जा सकता है कि seed जितना पैदा होना चाहिए था उतना हुआ है या नहीं ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उप मन्त्री : कोई खास criterion तो नहीं है, वैसे ही देख लिया जाता है और अगर production कम हो तो उस को पूरा करने की कोशिश की जाती है।

Shri Prabodh Chandra : What steps have been taken by the Government to improve production in the Seed Farms ?

Mr. Speaker : This has already been replied.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ list ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸਦੇ annexure II, Serial No. 14, seed farm, Nasirpur, district Ambala ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ the seed farm was purchased on 20th December, 1958 and was given on cash rent during Rabi, 1958-59, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ purpose ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਖੁਦ seed ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਗੇ lease ਤੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ?

Mr Speaker : This is a specific question. Please give a seperate notice for it.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਗੇ lease ਤੇ ਜਾਂ ਬਟਾਈ ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਜੋ seed farms ਲਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ Government of India ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ farms ਲਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ seed ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਟਾਈ ਤੇ lease ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी वज़ीर साहिब बताएंगे कितने seed farms ऐसे हैं जिनमें आपने production improve करने की कोशिश की है ?

उप मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि सभी farms में कोशिश की जाती है कि production maximum हो और seed pure पैदा हो।

REPRESENTATION FOR IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATION OF MINIMUM WAGES COMMITTEE

***5132. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether he and the Labour Department recently received copies of any resolutions/requests from the Punjab, Himachal, Jammu and Kashmir Motor Transport Workers Federation to the effect that the recommendations of the Minimum Wages Committee be implemented ; if so, the number of such resolutions/requests received and the action taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : No such resolution from the Punjab, Himachal, Jammu and Kashmir Motor Transport Workers Federation was received in this Department. However, Punjab Government has already revised and notified the minimum rates of wages in respect of employment in Public Motor Transport, in the Government Gazette, dated the 1st February, 1960. A copy of the notification is laid on the Table of the House.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(Extract from *Punjab Government Gazette*, dated 12th February, 1960)

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENTS

NOTIFICATION

The 1st February, 1960

No. 470-3Lab-II-60/2754.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act XI of 1948), the Governor of Punjab, after considering the advice of the Committee appointed under clause (a) of sub-section (I) of the said section, is pleased to revise and fix the following minimum rates of wages in respect of the employment in Public Motor Transport in the Punjab State as originally fixed,—*vide* erstwhile Punjab Government notification No. 1927-LP-52/1145, dated the 14th March, 1952, and erstwhile Pepsu Government notification No. 80, dated the 23rd December, 1954, respectively :—

Serial No.	Categories of employees	All inclusive minimum wage rates per month
1	2	3
	Section A—General Staff	
		Rs
1	Head Clerk ..	175.00
2	Head Accountant ..	175.00
3	Head Cashier ..	175.00
4	Chief Checker or General Checker ..	125.00
5	General Checker-cum-Purchase Officer ..	125.00
6	Stenographer ..	125.00
7	Assistant Accountant ..	125.00
8	Accounts Clerk-cum-Cashier ..	125.00
9	Cashier ..	125.00
10	Cashier-cum-Clerk ..	125.00
11	Correspondence Clerk ..	125.00
12	Out Agency Clerk ..	100.00
13	Court Clerk ..	125.00
14	Checking Inspector ..	125.00
15	Lorry Inspector or Traffic Inspector ..	125.00
16	Adda Inspector ..	125.00
17	Typist ..	100.00
18	Steno-typist ..	100.00
19	Accounts Clerk ..	100.00
20	Record Keeper ..	100.00
21	Day Book Clerk ..	100.00
22	General Routine Clerk (Junior Clerk) ..	100.00
23	Purchase Clerk ..	100.00
24	Out Door Duty Clerk ..	100.00
25	Assistant Clerk ..	100.00
26	Assistant Cashier ..	100.00
27	Despatcher ..	100.00
28	Enquiry and Complaint Clerk ..	100.00
29	Goods Clerk and Loading Clerk ..	100.00
30	Workshop Clerk ..	100.00
31	Coal Clerk ..	100.00
32	Petrol Clerk ..	100.00
33	Voucher Clerk ..	100.00
34	Checker or T.T.E. ..	100.00
35	Line Inspector ..	100.00
36	Assistant Booking Incharge ..	100.00
37	Goods Delivery Clerk ..	100.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

Serial No.	Categories of employees		All inclusive minimum wage rates per month
1	2		3
	Section A—Genral Staff—concld.		
38	Booking Clerk	..	100.00
39	Way Bill Examiner (Clerk)	..	100.00
40	Sub-out Agency Clerk	..	100.00
41	Peon	..	60.00
42	Hawker	..	60.00
43	Road Mazdoor	..	60.00
44	Mail Picker on road	..	60.00
45	Mail Conductor	..	60.00
46	Mail Mazdoor	..	60.00
47	Mail Peon-cum-Chowkidar	..	60.00
48	Chowkidar or Watchman	..	60.00
49	Mazdoor	..	60.00
50	Sweeper or Sweepress (Other than part-time)	..	60.00
51	Waterman or Bhisthi	..	60.00
52	Punkha Puller	..	60.00
	Section B—Workshop Staff		
1	Head Mistry	..	175.00
2	Head Mechanic	..	175.00
3	Head Blacksmith	..	175.00
4	Head Carpenter	..	175.00
5	Head Electrician	..	175.00
6	Mistry	..	100.00
7	Mechanic	..	125.00
8	Fitter	..	125.00
9	Blacksmith or Ironsmith	..	120.00
10	Welder	..	125.00
11	Carpenter	..	125.00
12	Electrician	..	125.00
13	Painter	..	125.00
14	Borer	..	125.00
15	Turner	..	125.00
16	Remetalling Man	..	125.00
17	Assistant Mistry	..	75.00
18	Assistant Fitter	..	75.00
19	Assistant Blacksmith	..	75.00
20	Assistant Carpenter	..	75.00
21	Assistant Electrician	..	75.00
22	Tyreman	..	115.00
23	Boy Mistry	..	60.00
24	Apprentice Fitter	..	65.00
25	Boy Fitter	..	60.00
26	Hammer Man	..	65.00
27	Apprentice Electrician	..	65.00
28	Coal Man	..	60.00
29	Boy Painter	..	60.00
30	Airman	..	60.00
31	Assistant Painter	..	65.00
32	Cleaner Workshop	..	60.00
33	Lorry Washer	..	60.00
	Section C—Running Staff		
1	Drivers (other than private car drivers) but including Motor car Drivers	..	130.00
2	Conductors	..	100.00
3	Cleaners	..	70 .0

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

These minimum rates of wages hereby notified shall come into force on the expiry of three months from the date of publication of this notification in the official gazette.

HARDEV SINGH CHHINA,
Secretary to Government, Punjab,
Labour and Employment Departments.

REGISTRATION OF CINEMAS IN AMRITSAR CITY WITH SHOPS INSPECTOR

*5551. **Shri Balram Dass Tandon :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the names of Cinemas in Amritsar City, registered with the Shops Inspector under the Punjab Trade Employees Act and the registration number allotted to each ;

(b) whether there is any Cinema in the said city which has not so far been registered ; if so, its name and the reasons why it has not been registered ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) There was no provision under the Punjab Trade Employees Act, 1940, requiring any shop/establishment to be registered with the Shop Inspectors. The said Act stands repealed. The following cinema houses were, however, registered under the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958,—*vide* No. noted against each :—

1.	City Light	..	4726
2.	Regent Talkies	..	4264
3.	Adarsh Theatres	..	3986
4.	Ashok Cinema	..	3729
5.	Parkash Theatres	..	7120
6.	Amrit Talkies	..	3782
7.	New Rialto Cinema	..	7130
8.	Chitra Talkies	..	3818
9.	Krishna Theatres	..	4529
10.	Nishat Talkies	..	1674
11.	Liberty Cinema	..	4407

(b) No.

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि प्रकाश सिनेमा कब register हुआ है ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

COMMUNITY DEVELOPMENT AND N.E.S. BLOCKS IN THE STATE

*5535. **Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the total number of Community Development and N.E.S blocks in the State at present ;

(b) the number of Blocks referred to in part (a) above which were without any of the undernoted categories of staff as on 15th February, 1960 : Accountants, Clerks, Overseers, Medical Officers, Compounders, Lady Health Visitors, Sanitary Inspectors, Midwives, Lady Social Education Organisers, Gram Savikas, Extension Officers (Industries) and Extension Officers (Veterinary) ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : A statement furnishing the requisite information is laid on the Table of the House.

(a) One hundred and fifty-three. Out of which, fourteen are pre-extension blocks.

(b) *Category of staff* *No. of blocks understaffed*

1		2
1. Accountants	..	13
2. Clerks	..	6
3. Overseers	..	17
4. Medical Officers	..	21
5. Compounders	..	42
6. Lady Health Visitors	..	62
7. Sanitary Inspectors	..	53
8. Midwives	..	72
9. Lady Social Education Organisers	..	45
10. Gram Sevikas	..	44
11. Extension Officers (Independent)	..	63
12. Extension Officers (Veterinary)	..	153

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ।

उपमन्त्री : अब clerks तो सभी लगाए जा चुके हैं। Accountants और Overseers वगैरह के बारे में D.Cs को powers दी हुई हैं कि जब तक बोर्ड से आदमी available न हो तो तीन महीने के लिये इन को appoint कर लें लेकिन वह appoint न कर सके क्योंकि जिन qualifications के आदमियों की ज़रूरत थी वह नहीं मिल सके। फिर अभी तक 76 Extension Officers (Industries) training complete करके आए हैं, उन को appoint कर दिया है और 58 के करीब training ले रहे हैं। जिस वक्त वह training complete करके आ जायेंगे तो उन को भी appoint कर दिया जाएगा। Extension Officers (Veterinary) अभी तक नहीं मिल

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

सके हैं और Veterinary Assistant Surgeons जो इलाके में होते हैं वह इस काम की निगरानी करते हैं। जहां तक L.S.E.O. की बात है दो तीन महीने की अगर appointment करनी हो तो नहीं आती हैं और न ही इतनी बोर्ड के पास आती हैं इस लिये appointment नहीं हो सकी है।

COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCKS WITHOUT BLOCK DEVELOPMENT OFFICERS

***5537. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Community Development be pleased to state whether it is a fact that as many as thirty-three Development Blocks in the State remained without Block Development Officers for a considerable period during the year 1959-60 ; if so, the reasons therefor ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : No Block remained without a Block Development Officer, during the year 1959-60, but charge of thirty-three blocks was held by the Block Development Officers of the adjoining blocks. The reason was that persons recommended by the Punjab Public Service Commission were not available for these posts.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ blocks ਵਿਚ B.D.O.s ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ steps ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

उप-मंत्री : इस वक्त सारे लग चुके हैं।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

GRANTS FOR PROPAGATION OF HINDI AND PUNJABI IN THE STATE

2464. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the names of persons and organisations whose applications are pending with the Government for the payment of grant for the propagation of Hindi and Punjabi in the State, together with the amount of grant applied for in each case ?

(b) the period within which the disbursement is likely to be made together with the total amount of grant earmarked for the purpose during the current financial year ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) No case of grant-in-aid for the current year is pending.

(b) An amount of Rs 27,000 was provided in the Plan Budget of the Language Department and another amount of Rs 7,500 existed in the budget of the Education Department for the year 1959-60. The grants have since been sanctioned and the recipients have been duly informed to receive their respective grants before the close of the current financial year after executing the prescribed bond.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

REMISSION OF LOANS FOR SETTING UP DAIRY FARMS

2465. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether any loans advanced to individuals/Co-operative Societies for setting up dairy farms in the State, after 1952, have been remitted; if so, the names of such individuals/Co-operative Societies together with the amounts remitted so far in each case and the reasons for the same ?

Shri Mohan Lal : *Part I.*—No.

Part II.—Question does not arise.

RECOMMENDATIONS OF THE RESOURCES AND RETRENCHMENT COMMITTEE

2466. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Resources and Retrenchment Committee have made any recommendations for effecting savings in the Public Relations Department ; if so, the details thereof ;

(b) the action, if any, so far taken by Government to implement the said recommendations ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) Yes. The recommendations made by the Resources and Retrenchment Committee are still under the consideration of Government. A copy of the report of the Committee will be laid on the Table of the House, when action in respect of their recommendations has been taken.

BAD CHARACTERS

2468. Shri Nihal Singh, : Will the Chief Minister be pleased to state the number of bad characters registered under section 110, Criminal Procedure Code, in each district of the State at present ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the requisite information is enclosed.

STATEMENT

District		No. of B.Cs. (bound down) under section 110, Cr. P. C., in each district of the State
1. Hissar	..	10
2. Rohtak	..	21
3. Gurgaon	..	6
4. Karnal	..	34
5. Ambala	..	8
6. Simla	..	..
7. Kangra	..	11
8. Hoshiarpur	..	6
9. Jullundur	..	12
10. Ludhiana	..	14
11. Ferozepur	..	66
12. Amritsar	..	142
13. Gurdaspur	..	8
14. Patiala	..	20
15. Sangrur	..	22
16. Bhatinda	..	33
17. Narnaul	..	..
18. Kapurthala	..	3

Note.—The figures are upto 1st March, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

QUANTITY OF RICE, BAJRA, ETC. PRODUCED DURING 1959-60

2469. Maulvi Abdul Ghani Dar, : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the total quantity of rice, bajra, maize, sugarcane, cotton and oil-seeds, in maunds, produced in the State, district-wise during the year 1959-60 ?

Sardar Gian Singh Rarewala : A statement containing the requisite information is enclosed.

STATEMENT SHOWING THE PRODUCTION DURING 1959-60

District		Rice '000' tons	Bajra '000' tons	Maize '000' tons	Sugar-cane '000' tons (Gur)	Cotton '000' bales of 392 lbs	Ground nut '000' tons	Seasamum (in Cwts)
Hissar	..	17	83	5	30	59	..	7,640
Rohtak	..	3	28	5	1,45	27	..	..
Gurgaon	..	..	42	3	22	1	..	..
Karnal	..	84	24	43	1,16	28	..	4,260
Ambala	..	34	5	63	85	7	61	2,200
Simla	..	1	..	7	..	..	..	..
Kangra	..	45	..	1,42	2	..	..	15,800
Hoshiarpur	..	29	2	96	50	5	3	7,360
Jullundur	..	5	2	52	63	19	41	440
Ludhiana	..	1	1	61	30	39	2,50	..
Ferozepur	..	41	17	41	12	2,58	..	1,440
Amritsar	..	48	6	40	45	37	..	35,300
Gurdaspur	..	41	2	35	48	6	..	31,980
Kapurthala	..	17	..	15	22	4	24	220
Bhatinda	..	..	23	9	6	1,49	..	440
Mohindergarh	..	..	43	..	..	..	..	140
Patiala	..	29	2	31	48	45	1,51	2,200
Sangrur	..	11	15	51	54	1,11	63	4,920
State	..	4,06	2,95	6,99	7,78	7,95	5,93	114,340

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CASES REGISTERED IN THE STATE DURING 1959-60

2470. Maulvi Abdul Ghani Dar : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases registered with the Police in the State, during the year 1959-60 (up to 29th February, 1960) ;

(b) the number of cases relating to smuggling, canal cuts, illicit liquor, abduction and kidnapping , separately, out of the total number of cases mentioned in part (a) above ?

Sardar Partap Singh Kairon : A statement containing the requisite information is enclosed.

STATEMENT

(a)	(b)	
The total No. of cases registered with the Police in the State during the year 1959-60, (up to 29th February, 1960)	The No. of cases relating to smuggling, canal cuts, illicit liquor, abduction and kidnapping, separately, out of the total number of cases mentioned in part (a) above	
38,096 ..	Smuggling ..	525
	Canal cutting ..	168
	Illicit liquor ..	10,091
	Abduction ..	183
	Kidnapping ..	204

ENQUIRIES AGAINST OFFICERS/OFFICIALS OF THE REHABILITATION DEPARTMENT

2471. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any enquiries against Officers and officials of the Rehabilitation Department at Jullundur, about irregular allotments of land in their names are pending; if so, the names of such officers/officials and the time since when these enquiries have been pending ;

(b) whether any of the Officers/Officials mentioned in part (a) above have been confirmed or are being confirmed during the pendency of the said enquiry; if so, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : (a) No. However, an inquiry is being made into the allotment secured in suburban belt by the father of one of the Officers posted at Jullundur, on the basis of complaint filed against this Officer. The inquiry is pending for the last about two years owing to non-availability of suburban map of Pakpattan town and the adjoining villages. This map has (after lot of correspondence , telephonic reminders and personal contact) now been received and the properiety of the allotment is being examined in the light of Government instructions ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(b) This Officer is being confirmed as an Assistant with effect from the 1st of September, 1956, and as a Superintendent from 9th February, 1960, as on earlier enquiries into similar other allegations against this Officer based on anonymous/pseudonymous complaints indicated that there was no truth in those allegations.

AMOUNT PAID AS FEE FOR HARIJAN STUDENTS

2472. Shri Balram Dass Tandon : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the amount paid by Government to the Government and privately-managed recognised High Schools and Higher Secondary Schools, in the State, by way of fees for the Harijan Students during the last three years ;

(b) the dates when the said payments were due and the dates when these were actually made together with the reasons for delayed payments, if any ?

Shri Amar Nath Vidyalankar :

(a)

Year		*Amount paid*
1956-57	..	Rs 11,32,975 (at full rate)
1957-58	..	Rs 22,36,205 (at full rate, including payment of arrears of fee claims for the year 1956-57)
1958-59	..	Rs 15,64,855 (at half rate)

(b) No dates for the payment of grants were fixed. These were, however, paid in quarterly instalments during the years 1956-57 and 1957-58. The grants due to such schools for the year 1958-59, could not, however, be paid quarterwise and were released in the months of February-March, 1959, as the decision to reimburse tuition fees at half-rate instead of full rate was arrived at on the 29th January, 1959.

ADJOURNMENT MOTION

12-00 noon

श्री अध्यक्ष : Adjournment Motions के मुताल्लिक मैं ने procedure बदल दिया है। सिर्फ वही Adjournment Motions हाउस में आयंगी जो admit होंगी। (I have changed the procedure in respect of Adjournment Motions and only those Adjornment Motions will be mentioned in the House which are held to be in order.)

श्री बलराम दास टंडन : इस का मतलब यह है कि आप ने वह adjournment motion, जिस का मैंने नोटिस दिया था, reject कर दी है।

श्री अध्यक्ष : हां, मैं ने out of order declare कर दी है। इस के बड़े strong reasons हैं। आप मेरे कमरे में आकर पूछ लें। (Yes, I have declared it out of order and there are strong reasons for doing this. The hon. Member may enquire about them in my Chamber.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PRESENTATION OF THE TENTH REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Sardar Gurbachan Singh Bajwa (Member, Public Accounts Committee) : I beg to present the Tenth Report of the Public Accounts Committee on the—

(i) Appropriation Accounts of the Punjab Government for the year 1956-57 (1st April, 1956 to 31st October, 1956) and the Audit Report thereon ;

(ii) Appropriation Accounts of the Punjab Government for the year 1956-57 (1st November, 1956 to 31st March, 1957) and the Audit Report, 1958 ; and

(iii) Appropriation Accounts of the Punjab Government for the year 1957-58 and the Audit Report, 1959.

PRESENTATION OF THE FIFTH REPORT OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

Sardar Atma Singh (Member, Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Fifth Report of the Committee on Government Assurances (1959-60).

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE ESTIMATES COMMITTEE ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1959-60

Shri Harbhagwan Maudgil (Chairman, Estimates Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Estimates Committee on the Budget Estimates for 1959-60.

Mr. Speaker : Now the Secretary will make an announcement.

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Secretary : Under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the Punjab Appropriation (No. 5) Bill, 1960, passed by the Vidhan Sabha on the 23rd March, 1960, and transmitted to the Punjab Legislative Council on the 24th March, 1960, has been agreed to by the said Council without any recommendation on the 28th March, 1960.

NOMINATION OF THREE M. L. Cs FOR ASSOCIATION WITH THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE FOR THE YEAR 1960-61

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

This House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of this House for the year 1960-61 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Motion moved—

This House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of this House for the year 1960-61 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

Mr. Speaker : Question is—

This House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of this House for the year 1960-61 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

The motion was carried

BILLS

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to introduce the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Sardar Bhupinder Singh Mann : On a point of Order, Sir. I quite appreciate your anxiety to oblige the Government but I think it is going too far. The Government should not dodge the House. When the Assembly adjourned last, the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill was being discussed and, therefore , discussion on that Bill should have been resumed today. But some other Bill has been brought before the House. The Government wants that this Bill should be taken into consideration at once and, also, that after the consideration motion has been carried, the Bill should be passed.

Mr. Speaker : I quite follow your objection. This Bill has been given priority over the other Bill because the first Bill is a financial Bill and the financial year is coming to an end. If it is not passed well in time, there may be loss of revenue to Government and, also, loss of concessions to the Public.

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : जनाबे वाला, इस बिल को पास करने की ज़रूरत इस लिये हुई कि एक तो Supreme Court ने फैसला किया था कि a 'Contract' is not 'Sale' and hence is not leviable to sales tax. इस लिये इसे इस Act में से मुस्तसना करने की ज़रूरत थी। दूसरे हाई कोर्ट ने writ पर फैसला किया है कि purchase and sales tax cannot simultaneously be levied on 'unginned' or 'ginned' cotton because both remain the same commodity. इस लिये ज़रूरत हुई कि इस तरमीम को लाएं जो इस बिल के ज़रिए की गई है। इस के अलावा थोड़ी सी और सहूलतें देने की बात थी और कुछ अख्तियार लेने की बात थी। उन सब को इस बिल के अन्दर पेश किया गया है। मैं ने एक वायदा किया था

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]
कि तीन चार चीज़ों पर से purchase tax उड़ा दूंगा, उन्हें भी इस बिल के अन्दर provide करना था । इस लिये यह बिल पेश किया । टैक्स वसूल करने का काम अप्रैल से शुरू होना था इस लिये कुछ दिन की देर हो जायगी क्योंकि कौंसिल से पास होने में और assent मिलने में देर हो जायगी लेकिन इस बिल में provision की गई है कि कौन कौन सी चीज़ अप्रैल से लागू की गई समझी जायगी । एक पर तो यह ऐक्ट 1959 से लागू किया गया है और retrospective effect दिया है । जो माल हिन्दुस्तान से बाहर जाता है उस पर न purchase tax लगेगा न sales tax, इस लिये उसे भी बिल में लाने की ज़रूरत थी । इन चीजों को provide करने और इन को legal करने के लिये हाउस के सामने इस बिल को पेश किया गया । मैं आप से दरखास्त करूंगा कि इस मोशन को पास कर के इस की consideration करें ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : स्पीकर साहब, यह जो अमैंडमेंट हाउस के सामने पेश की गई है और इसे जितनी जल्दी हाउस के सामने लाने की कोशिश की गई है मैं इस का विरोध करता हूं । जहां पर इस के स्वागत करने का सवाल है वहां यह भी है कि इस के अन्दर जो amendments की गई हैं वह बहुत far reaching results पैदा करेंगी । पहली बात यह है कि जल्दी से बिल को पास करवाना एक ग़लत तरीका है । जब से यह हाउस constitute हुआ है यह amendment हर session में आती है । इस लिये अगले सेशन में फिर amendment करनी पड़ेगी । एक दफा एक बिल पास हो जाता है उस के बाद कुछ कठिनाइयां मालूम होती हैं, deputation मिलते हैं कि यह tax ग़लत लगा है तो उसे amend कर दिया जाता है । क्या यह हाउस इतना competent नहीं है कि एक ही दफा मुकम्मल कानून पास हो ? इन्होंने ऐसा बिल पास कर दिया है कि इस स्टेट का माल बाहर export नहीं हो सकता ।

स्पीकर साहिब, यह purchase tax iron और coal पर लगेगा । इस का नतीजा यह होगा कि हमारी स्टेट की industry suffer करेगी । हमारी स्टेट में जो engineering works हैं जो अपनी चीज़ें बाहर की स्टेटों में भेजते हैं उन की कीमतें बढ़ जाएंगी । आज हमारी सरकार कुछ चीज़ों पर से purchase tax हटा रही है । क्या हमारी पंजाब सरकार और पंजाब की विधान सभा यह बिल बनाते वक्त सोच नहीं सकती कि इस बिल से हमारी industry के ऊपर क्या असर पड़ेगा और इस से हमारे व्यापार पर आइंदा के लिये क्या फायदा और क्या नुकसान होगा ? छः महीने के बाद कुछ और विचार करेंगे कि इस से हमारी export खत्म हो गई है इस लिये इस में और amendment होनी चाहिए । स्पीकर साहिब, यह जो amending Bill आ रहा है इस की copy हमें परसों डाक द्वारा मिली

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

है। एक दिन में इस बिल की सारी intricacies और implications को study करना, और parent Act को पढ़ कर यह देखना कि इस में कौन कौन सी amendments होनी चाहियें, बड़ा मुश्किल काम है। हमें इस सारी चीज़ को study करने का बहुत थोड़ा वक्त मिला है। इस तरह से अगर हम यह बिल पास कर दें तो इस ऐक्ट से कोई इन्साफ नहीं होगा। मन्त्री महोदय ने बताया है कि हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है कि unginned or ginned cotton पर purchase और sales tax एक साथ नहीं लगेगा। पहले जो whole seller या retail seller माल खरीदता था उस पर 7½ per cent profit लगा कर और 4 per cent incidental charges लगा कर sales tax लगता था। अब इस में कुछ सहूलियात दी गई हैं। अब इस बिल में penalty का provision कर दिया गया है। अगर sales tax एक हज़ार रुपया assess किया गया है और dealer यह रकम अदा नहीं करता तो उस पर 1½ गुणा penalty लगाई जा सकती है और उस से इस तरह 2,500 रुपया वसूल किया जा सकता है। मन्त्री महोदय ने यह provision इस बिल में रख दिया है क्योंकि हाई कोर्ट में यह तबदीली हो गई थी उस को मद्देनज़र रखते हुए यह बिल लाया गया है। स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा हाउस को बताना चाहता हूं कि इस में और भी बहुत सी amendments हैं। पहले Assessing Authority को अधिकार था कि वह किसी दुकान के अंदर जा कर हिसाब की किताबें और register अपने कब्ज़े में ले सकती थी। लेकिन इस amendment के मुताबिक वह अधिकार किसी भी आदमी को दिया जा सकता है चाहे वह Inspector से निचले दर्जे का अफसर क्यों न हो। वह किसी भी दुकान में जा कर register और दूसरे काग़ज़ात को अपनी तहवील में ले सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह की amendment का बड़ा दुरुपयोग होगा। इस टैक्स की वसूली में इतनी rigour हो जायेगी कि inspector किसी दुकान में दाखिल हो कर register और दूसरे documents अपने कब्ज़े में ले कर seal कर सकता है। इतना ही नहीं इस amendment से कई और complications पैदा हो जाएंगी। वित्त मंत्री ने यह बताया था कि हम एक चीज़ के ऊपर एक दफा ही केवल टैक्स लगायेंगे यानी single point sales tax करेंगे। लेकिन जो amending Bill आया है उस में वह चीज़ नहीं लाई जा रही। जहां cotton पर टैक्स है वहां cotton seeds पर भी टैक्स लगाया जायेगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि oil pressing plants को काफी नुकसान पहुंचेगा। मन्त्री महोदय को जो deputation मिला उन्होंने बताया कि छोटा कोल्हू लगा हो और अगर बिनौले खरीदे जाएं तो टैक्स लगता है। Cotton में से बिनौले निकलते हैं, उस पर भी टैक्स लगता है। इस लिये बिनौलों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये क्योंकि यह छोटी industry है। इस amending Bill से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा और शिकायत वैसी की वैसी बनी रहेगी। मन्त्री महोदय को उन्होंने बताया कि cotton के ऊपर और oil seeds के ऊपर purchase tax भी लगा हुआ है और उस से काफी revenue होने वाला है। सरकार को cotton seeds पर sales tax लगाने से ज़्यादा

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

revenue नहीं हो सकता लेकिन छोटी industries को काफी कठिनाइयां पेश आएंगी। स्पीकर साहिब, इन हालात में मैं अर्ज़ करूंगा कि हमें यह बिल hurriedly नहीं पास करना चाहिये बल्कि इस को study करने के लिये मुनासिब वक्त मिलना चाहिये ताकि ऐसा न हो कि हमें छः महीने के बाद एक और नया amending Bill लाने की ज़रूरत पड़े।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਟੁਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ Library ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ implications ਕੀ ਹਨ। ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ legislation ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਛਡ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, data ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੰਜ ਸਮਝਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਕਲ ਕਾਨੂੰਨ individuals ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ Law ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਫਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਉਹ Legal Remembrancer ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਏ ਨਾ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ study ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹਾਊਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 'ਕਹਿਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਘਰ ਜਾਨੇ ਦਰਵੇਸ਼' ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ confusion ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਹ ਹੀ conventions follow ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Cabinet ਵਿਚ ਸੀ । (The same coventions are being followed which were in vogue when the hon. Member was in the Cabinet.)

ਸਰਦਰਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੈੜਾ ਰਿਵਾਜ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਨੂੰ follow ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਸਾਲ confusion ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦਾ far reaching effect ਹੈ ਤੇ State Tax ਤੇ purchase tax ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਕ ਹੀ comperehensive Bill ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ cluse ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ point ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ time ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਇਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । (The hon. Member's point was that he did not get sufficient time to study this Bill but he has started making a lengthy speech.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ; ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ study ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ conventions ਔਰ precedents ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ oppose ਕਰਦੇ ਹੋ । (The hon. Member is opposing those very conventions and precedents which are being followed.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ; ਏਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ convention ਕਦੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਭੈੜੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ । (ਘੰਟੀ) ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ । ਏਸ ਬਿਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ (ਘੰਟੀ) ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी बालू राम बंध (आनन्दपुर): स्पीकर साहिब, General Sales Tax Act में इतनी amendments हो चुकी है कि इस का पता हो नहीं चलता। डाक्टर साहिब ने अभी कहा है कि इस से business को relief मिलता है और अपनी मर्जी के साथ यह चीज जोड़ी है। यह Bill परसों मिला और परसों से ही इसे समझने और सोचने की कोशिश की। और यह पाया कि जब से यह Act बना है उस वक्त से इस में इतनी amendments हो चुकी हैं कि एक साधारण वाकफियत वाला आदमी तो क्या समझेगा, बड़े-बड़े वकील भी नहीं समझ सकते। कई वकीलों से राय ली भी गई; पर पता है नहीं लगता कि इस से लोगों को relief मिलता है या उल्टा उन को नुकसान होता है। पिछले दिनों जब यह Bill आया था तो आप को दीवाना साहिब ने चिट्ठी लिखी थी, और आप ने उसके मुताबिक मान लिया था, कि जो sales purchase tax लगा है यह double लग चुका है। और यह भी मान लिया था कि जो declared crops हैं उन पर tax नहीं लग सकता। मैं ने आप को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन Bill आ चुका था, उस को postpone नहीं करना था, इस लिये उस में कोई amendment मन्जूर नहीं की गई। आज Bill इस शकल में आया है। मुझ से पहले जिन भाइयों ने विचार बताए हैं मैं उन का समर्थन करता हूं। इस Bill से यह नहीं समझा जा सकता कि आया इस से लोगों को relief मिलता है या उन पर liability पड़ती है। जिन के ऊपर इस का असर पड़ेगा उन को कुछ पता ही नहीं। इस लिये मैं समझता हूं कि इस Bill के लिये वक्त देना चाहिए। Cotton के बारे में मैं समझता हुं कि जब तक Cotton की definition में कुछ सुधार नहीं किया जाता उस वक्त तक इस में relief मिलना मुश्किल है। Cotton-whether ginned or unginned or unmanufactured इस में तो वही बात बनी रहती है। इस वक्त जो Bill आया है, जहां तक मैं समझता हूं, इस के नतीजा के तौर पर कपास की purchase पर tax लगता है। Cotton पर sales tax छोड़ने की कोशिश है। जब Cotton बिनोलों से अलहदा होगी उस पर फिर sales या purchase tax लगगा। अगर कोई manufacturer खरीदेगा तो उसको sales और purchase tax देना पड़ता है। जो unginned cotton है जब उस पर टैक्स लगाया जाता है तो cotton seed पर भी tax लग जाता है जो नहीं लगना चाहिए। इस पर फिर से विचार होना चाहिए। Unginned cotton agricultural produce है। उस पर purchase tax लगाया गया है। पिछले दो साल का उसका arrear पड़ा है, जिसका कि कई करोड़ रुपया बनता है। वह cotton किसानों के घर से निकल कर factory वालों के घर गई है। इस tax को गवर्नमैंट किसी तरीके से वसूल नहीं कर सकी। High Court ने पीछे फैसला दिया है, जिस के मुताबिक सुधार करने के लिये यह amending Bill लाया जा रहा है। इस amendment से यह मतलब पूरा हल नहीं हो रहा। इस पर विचार करने के लिये अभी कुछ वक्त और मिलना चाहिए ताकि इस Bill को पूरी तरह से समझा जा सके। मैं समझता हूं कि इस Bill से unginned cotton पर tax लगता है। इस से जमींदारों को नुकसान होगा। लोगों की तरफ से शोर मचाय

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

गया । इस से cotton खरीदने वालों को कोई relief नहीं मिलता, और ज़मीदारों को भी कोई relief नहीं मिलता । इस Bill का अभी बिचार करने के लिये रखना चाहिए, यह जल्दी की बात नहीं । यह न हो कि बाद में appeals हों, लोगों पर liability बढ़े । इस लिये इस Bill पर सोचने के लिये अभी कुछ वक्त और मिलना चाहिये ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਜਨਰਲ'): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ । ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਬ ਪਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੀਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਅਜ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ Original Act ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ । ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਉਸ ਵਿਚ amendments ਨਹੀਂ ਸਨ । ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 1954 ਵਿਚ ਛਪਿਆ code ਦਿਤਾ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ clause by clause tally ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ amendments ਨਹੀਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੁਖਤਲਿਫ਼ ਸਾਲਾਂ ਦਿਆਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ amendments ਦਿਤੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ amendments ਨਹੀਂ ਸਨ । ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ up-to-date- ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ । Punjab General Seles Tax Act 1948 ਵਿਚ ਬਣੀਆ । ਉਸ ਵਿਚ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ comprehensive ਬਿਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 1948 ਵਿਚ ਜੋ ਐਕਟ ਸੀ ਅਤੇ amendments ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਸੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ contradictory ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ comprehensive ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬਿਲ ਤੇ ਅਸੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ follow ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ amendment ਕਿਵੇਂ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋ amendments ਆਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਪੜੇ ਤੋਂ sales tax ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਪੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸੀ । ਉਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ Excise Department ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਕ circular ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਕ notification ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰੀਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦਾ deputation ਮਿਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ circular

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। Assessing authorities ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ refund ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ extra amounts ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ refund ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ assessing authority ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ notification ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ notification ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ; ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਕਰੋ। ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। Assessing authority ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ line ਵਿਚ deal ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ notification ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਗਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ alert ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Bill ਦੀ Clause 5 ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ Section 9 of the Principal Act shall be omitted. ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ Act ਬਣਿਆ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ Act enforce ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ list ਬਣੇਗੀ।

"9. The Commissioner shall, as soon as may be after the commencement of this Act publish in the official gazette—

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ amendment ਕੀਤੀ ਗਈ—

for the words 'the official gazette' the words 'such manner as he deems fit' shall be substituted—

A list of the names and addresses of registered dealers together with a description of the goods covered by their certificates of registration, and thereafter shall in like manner from time to time publish—

(a) such particulars of any dealer who is subsequently registered or whose registration is cancelled, as soon as may be after such registration or cancellation, and

(b) annually a consolidaled list of modifications of the first list published under this section and copies of such lists and subsequent amendments, if any shall be available in the office of the assessing authority for public information and sale at such price as may be fixed by Government".

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, department ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ list ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ Registered dealers ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕ list ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕੌਣ registered dealer ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ registered dealer ਨਹੀਂ ਹੈ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ list ਛਾਪ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "Commissioner shall publish......" ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ Commissioner ਦੀ discretion ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਨਾ ਛਾਪੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ Act ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛਾਪਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ Act ਬਣੇ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, 1948 ਵਿਚ Act ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 1960 ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਉਸ list ਵਿਚ amendments ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, additions ਅਤੇ cancellations ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਛਾਪ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ list ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ Act ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ registered dealer ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ registered ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਦੇਉ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ registered ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। list ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ dealer ਕਿਸੇ ਵਿਪਾਰੀ ਕੋਲ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਅਦਾਇਗੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ dealer ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ dealers registered ਕਰ ਲਏ, list ਛਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ geniune registration ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਗੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਵਚਾ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾਇਆ, ਮਾਲ dispose of ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ firm ਤੋੜ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ Inspectors ਨੇ enquiry ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ enquiry ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ genuine firm ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ register ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ licence ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। Checking ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਦ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ register ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਉਹ firm ਤੋੜ ਦਿਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਉ। ਜ਼ਿਹੜਾ section 9 ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਖਾਤਿਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ Government List ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਵਿਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿ ਫਲਾਣਾਂ dealer registered ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ registered ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ registered ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ lists ਛਪੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਉਪਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਭੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨੇਰ ਦੀ ਏਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਕਾਨੂਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰ ਇਸ ਉਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ penalty ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਕਾਨੂਨ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ clause ਨੂੰ delete ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

trade ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ industry ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ border ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੱਡੀ industry ਐਥੇ establish ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ risk ਉਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ agriculture State ਨੂੰ industrial State ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ part play ਕੀਤਾ । ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਐਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ Sales Tax ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਆਨੇ ਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਟੈਕਸ multi Stage ਟੈਕਸ ਸੀ । ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ agree ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ single stage ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 3-2-0 ਮੰਨ ਗਏ । ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 3-2-0 ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਹਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਪਹਿਲੇ 12 ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਣ 120 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਵਕਤ Unionist Government ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਜ ਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ intervention ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ! ਵਿਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1948 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਲਾਖ ਰੁਪਿਆ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਲਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 40 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਕਈ stages ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ stage ਉਪਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ tax multi-stage ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੁਕਦਮੇ ਹੋਣ; appeals ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ litigation ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਇਆ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ । ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ industry develop ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇਹ litigation ਵਿਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ public ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਂਨ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ cousnmers affect ਹੁੰਦੇ ਹਨ, Traders ਅਤੇ Industrialists ਉਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ tax ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ । ਇਹ ਅਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ 1953 ਤੋਂ ਬਲਕਿ 1950 ਤੋਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ negotiations ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ tax ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ purchases basis ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਜਾ ਕੇ 1954 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਮਗਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਝਗੜੇ ਵਿਚ intervene ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਇਸ assurance ਤੇ ਖੁਲੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਉਸ ਲਾਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ purchase basis ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ argument ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ tax ਨੂੰ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ department ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ tax ਦੀ collection ਉਸ ਦੇ proportionate ਨਹੀਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਚਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,75,00,000 ਰੁਪਿਆ Sales Tax ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਵਪਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ official record ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦੀਆਂ copies ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ commitment ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1,75,00,000 ਰੁਪਿਆ Sales Tax ਰਾਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ 1,75,00,000 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 5,50,00,000 ਰੁਪਿਆ Sales Tax ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ amount ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ? ਉਹ department ਦੀ vigilance ਔਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ railway stations ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਗਾਂਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ viligance ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ tax ਦੀ realisation ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ tax ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ tax ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਉਹ purchase basis ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ tax ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ sale ਦਾ tax ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ tax ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ਵਪਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ vouchers ਉਪਰ 4 per cent incidental charges ਔਰ $7\frac{1}{2}$ per cent profit work out ਕਰਕੇ ਜਿਤਨਾ tax ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲ ਦੀ sale ਦੇ ਬਾਦ tax ਦੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ stage ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ department ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ inspectors ਔਰ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਿਅਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਹੂਲਿਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਹੂਲਿਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ arbitrary assessment ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨਵੇਂ system ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਰੋਅਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਗੇ ਤਾਂ Sales Tex ਦਾ final ਹਿਸਾਬ department ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ I am not satisfied. ਤੁਹਾਡੇ accounts ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸੌ, ਚਾਰ ਸੌ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ tax ਦੇ ਐਂਵੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ! ਇਸ ਨਾਲ traders ਦੀ ਬੜੀ ਖਜੱਲ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ illegal tax ਦੀ imposition ਸੀ ਔਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ penality ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਸਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ inspectors ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ department ਦੇ ਹਥੋਂ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ experiment ਨੂੰ fail ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਵਜੂਦ department ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ revert ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ department ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ apply ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ licenses ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ opt ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੂੰ exercise ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ cases ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ option ਲੈ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ refuse ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ instance ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ discrimination ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ basis ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਿਆ ਨੇ opt ਕੀਤਾ ਆਖਿਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ opt ਕਰਨਾ ਸੀ ? ਵਡੇ ਵਡੇ manufacturers-ਨੇ ਤਾਂ opt ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, wholesalers ਨੇ ਤਾਂ opt ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ tax ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲ ਧਕੇਲ ਦਿਤਾ registration number ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ note ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ natural ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ categories ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ opt ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। Retailers ਨੇ opt ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ opt ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ enforce ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਣਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ purchase tax ਦੇ basis ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ negotiations ਦੇ ਬਆਦ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ Unionist Government ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 10,00,000 ਰੁਪਿਆ ਇਸ tax ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਉਸੇ tax ਦੀ realisation ਹੁਣ 5,50,00,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ tax ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ trader ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ resin ਔਰ ਤਾਰਪੀਨ ਦੀ industry ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ categories ਹਨ। ਇਹ ਟੁਟਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ industries establish ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਡਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ facilities ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ full-fledged industries ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਅੰਡਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਲੈਂਦੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡੇ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਬਚੇਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ precedents ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ Sales Tax Act ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ consult ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਇਤਨੀ substantial ਤਰਮੀਮ Act ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ full-fledged ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਬਲਕਿ Principal Act ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ library ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਲਈ ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ amendments ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸਾਂ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ Council ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ Council meet ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ library ਵਿਚੋਂ Principal Act ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਲਈ ਅਸਾਂ amendments ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ council ਪਾਸ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਗਾ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Minister for Finance : Sir, I have a request to make and it is this. If the hon. Members desire to go into the details of every clause, they may be allowed to do so. In that case, I may not have to give the same reply over and over again. Chaudhri Balbir Singh has criticised certain provisions of the Bill.

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहिबान ने इस बिल की provisions के बारे में जो कहना हो वह एक बार ही कह लें। अगर वे बार बार फिर कहेंगे तो इस का मतलब यह होगा कि मिनिस्टर साहिब को भी बार बार जवाब देना पड़ेगा। (The hon. Members may say all that they want to say about the provisions of this Bill at this stage only. If they repeat their arguments again and again, this means that the Minister would also have to give reply every time.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जब एक चीज़ बार बार आयेगी तो उस बारे में बार बार अर्ज़ करनी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष : तब बार बार कर लीजिये। (Then let them speak at its different stages.)

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, इस बिल की Statement of Objects and Reasons के पढ़ने से पता चलता है—

"————that the purchase and sales tax cannot simultaneously be levied on 'unginned' or 'ginned' cotton because both remain the same commodity".

स्पीकर साहिब, यहां पर जो बात cotton के बारे में कही गई है, मेरे नुक्तानिगाह से sugar की भी ऐन यही हालत है। जिस तरह से ginned और unginned cotton में इस tax के लिये कोई फर्क नहीं है इसी तरह से sugar और sugar products में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिये। जब Government of India ने इस पर से Sales Tax उड़ा दिया था तो कुछ अर्सा के बाद पंजाब गवर्नमैंट ने भी इसे इस tax से exempt कर दिया। उस वक्त इस गवर्नमैंट ने इस बारे order तो कर दिया था लेकिन rules के बनने-बनाने में काफी वक्त लग गया। इस लिये इस बारे में dealers और गवर्नमैंट के इस department में misunderstanding पैदा हो गई थी। मैं नहीं कह सकता कि कहां तक इस बारे में गवर्नमैंट justified है और कहां तक dealers justified हैं। हां confusion जरूर है। यह ठीक है कि गवर्नमेंट के इस तरह करने से consumers को relief जरूर मिलेगा और dealers को भी relief मिलेगा। लेकिन यह तो पता नहीं कि dealers को कितना फायदा होगा या नहीं होगा, हां इस से अलबत्ता गवर्नमेंट के transport के महकमा को तो ज़रूर फायदा हो जायेगा क्योंकि उन dealers को इस के लिये बार बार चंडीगढ़ आना पड़ता रहा है। क्योंकि cotton वाले High Court में चले गये थे इसलिये उन की बात तो इस बिल में आ गई है। इसी तरह से यहां Professions Tax में भी एक amendment लानी पड़ी थी और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उस की वजह भी यही थी कि वह case भी High Court में चला गया था जिस का असली कारण यह था कि Professions Tax के बिल को भी हम ने बहुत जल्दी में पास किया था।

श्री अध्यक्ष : आप ने sugar के बारे में कोई amendment भी दी हुई है या वैसे ही बोल रहे हैं ? (Has the hon. Member given notice of any amendment in regard to sugar or is he discussing this by the way?)

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मैं तो इस बिल को पढ़ ही नहीं सका ।

श्री अध्यक्ष : तो इस का क्या फायदा ? Amendment के बगैर गवर्नमेंट कैसे कोई चीज़ मानेगी? (Then what is the use of this discussion? How can the Government agree to a proposal without an amendment for it?)

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मेरे हल्का में विनोबा भावे जी कल और परसों के लिये आये हुए थे इस लिये मैं इस बिल को पढ़ ही नहीं सका था। मैं ने यह बिल अभी यहां आ कर लिया है और इसे पढ़ा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो चीज जल्दी जल्दी में हम करेंगे. . . . . .

श्री अध्यक्ष : (वित्त मंत्री को सम्बोधन करते हुए) डाक्टर साहिब, आप यही चाहते हैं कि यह बिल इसी Session में Council से भी पास हो जाये । (*Addressing the Minister for Finance*) (Does the hon. Minister want that this Bill may be passed during this very session by the Legislative Council also.)

वित्त मंत्री : इसे पहले हम पास करेंगे और बाद में Council पास करेगी।

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, इसीलिये मैं कह रहा हूं कि Council तो सोमवार को बैठेगी और यह बिल शुक्रवार को पास किया जा सकता है और सोमवार को यह Council में जा सकता है। यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि डाक्टर साहिब बिलों के पास कराने में बड़ी जल्दी करते हैं। इसी वजह से जब Professions Tax का case High Court में गया तब उस में भी amendment लानी पड़ी थी। मैं डाक्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि अब भी यह मेरी बात सुनें और इस में जल्दी न करें।

वित्त मंत्री : मैं ने सब कुछ सुना हुआ है।

श्री राम प्यारा : जल्दी में कोई काम ठीक नहीं होता। जैसे पिछले बिल में एक clause में कुछ लिखना भूल गये थे जिस की वजह से आज तक कई cases pending पड़े हुए हैं। अब अर्ज़ यही है . . . .

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : (वित्त मंत्री से) आप इन की तमाम बातें सुन लिया करें। जायज़ और नाजायज़ भी सुन लिया करें। (*Addressing the hon. Minister for Finance*) (He may please hear the hon. Member all what he says, both relevant and irrelevant things.)

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, Professions Tax के बारे में मैं इस लिये अर्ज़ कर रहा था क्योंकि जो चीज़ High Court और Supreme Court में चली जाती है उस के लिये यहां जल्दी से amendment लाई जाती है।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ amendment ਤਾਂ ਦਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਇਥੇ ਕਹਿ ਲਏ? (Let the hon. Member show me the amendment on which he is saying all these things. At every step he tries to pick up a quarrel. Does this mean that if an hon. Member comes prepared then it becomes his duty to say here whatever he likes?)

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मेरी तो request है। अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं कुछ इस बारे में कहूंगा। मैं तो यही अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में बहुत जल्दी न की जाये। इस बिल के बारे में यहां यह कहा गया है कि यह बिल dealers को relief देने के लिये है। यह बड़ी खुशी की बात है कि यह जो relief है यह इस में with retrospective effect देना कर दिया गया है। लेकिन relief देने के लिये कोई इस किस्म की बात नहीं होती।

इस बिल का सफा २ जो है उस में penalty के बारे में जो clause है उस की आखरी लाईन में लिखा हुआ है—

"..and where no tax is payable a sum not exceeding one hundred rupees."

तो जिस dealers के tax की assessment हो जाती है और वह अदा नहीं करता अगर उस पर penalty लगती है तो इस चीज़ की तो समझ आ सकती है लेकिन एक dealer जिस पर Sales Tax लगना ही नहीं था उस के लिये यह सौ रुपये जुर्माने की provision करने की बात समझ नहीं आ सकी। अगर इस तरह के आदमी को सौ रुपये के जुर्माने का डर होगा तो वह यह बेहतर समझेगा कि 100 रुपये जुर्माना देने की बजाये वह 25 रुपये inspector को ही दे दे और अपनी खलासी करा ले। इसलिये जिन पर tax की assessment हो चुकी हो और वह उन्होंने न दिया हो तो उन पर तो penalty लगानी मुनासिब बात है लेकिन जिन पर tax लगना ही नहीं उन के लिये department की duty है कि अगर उन पर tax नहीं लगना तो उन्हें यह माफ कर दें। अगर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

किसी दुकानदार पर जिस पर कि tax नहीं लगना, उसे इस तरह से penalty लगा दी गई तो वह penalty देने की बजाये आसानी से कह सकता है कि वह 25 रुपये किसी inspector को दे कर क्यों न अपनी खलासी ही करा ले।

इसी तरह से, स्पीकर साहिब, tax का जो amount अभी अदा नहीं किया गया होगा उस के बारे में इस बिल में लिखा हुआ है—

"The amount of any tax and penalty imposed under this Act, which remains unpaid after the due date, shall be recoverable as arrears of land revenue."

स्पीकर साहिब, मैं मिनिस्टर साहिब से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बारे में तमाम dealers के लिये एक ही policy होनी चाहिये। लेकिन होता यह है कि जिन की इस department में approach होती है वे कह देते हैं कि यह हमारी purchases हैं और इन का यह हमारा Sales Tax है और बाकी के लिये कह देते हैं कि हमारे accounts clear नहीं है। उस का tax बाद में देंगे। लेकिन जिन dealers की approach नहीं है या जो असर वाले नहीं हैं उन्हें यह tax मुकम्मल तौर पर जमा कराना पड़ता है और अगर उन के arrears रह जायें तो वह उन से बतौर land revenue के वसूल किये जायेंगे चाहे उन के accounts मुकम्मल हों या न हों उन्हें पूरा tax अदा करना ही पड़ेगा। लेकिन जो तकड़े आदमी हैं और जिन के ज़िम्मे Sales Tax है वह काफी अर्सा तक taxes की payment को evade करते रहते हैं। यह अगर रियायत हो तो सब के लिये होनी चाहिए। होता यह है कि कुछ को ऐक्सटैंशन मिलती है और कुछ को नहीं मिलती। ऐक्सटैंशन वाले फायदा उठाते हैं। जहां तक सेल्ज़ टैक्स का ताल्लुक है गवर्नमैंट ठीक कर रही है कि इस को परचेज़ टैक्स के साथ मिला रही है क्योंकि पहले confusion होता था और कई इस से फायदा उठा लेते थे। इस तरह से पालिसी एक हो जायगी। मगर रेलवे वालों का यह रिवाज है कि वह बिल्टी तब छोड़ते हैं जब वह सेल्ज़ टैक्स के लिये माल को दर्ज कर लेते हैं। इस के उल्ट जो माल मोटर ट्रांस्पोर्ट वगैरह से आता है उस के लिये ऐसा कोई इन्तज़ाम नहीं है और पता नहीं कि आगे को सरकार करेगी भी या नहीं। नतीजा यह होता है कि माल तो A का आया, B ने छुड़ाया, C ने अपनी दुकान में रखा और D ने बेचा। मगर जो ईमानदार दुकानदार होता है उस को सेल्ज़ टैक्स भी देना पड़ता है और महसूल भी देना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि जिस का माल इंदराज नहीं किया गया होता वह दूसरे से सस्ता बेचता है जिस की वजह से दूसरे को भी temptation होती है कि या तो वह बेईमानी करे या शिकायत करे। इसलिये ट्रांस्पोर्ट के ज़रिये जो माल आता है उस के लिये भी ऐसा ही इंतज़ाम होना चाहिए।

1 p.m.

यह जो आठवीं क्लाज़ है मैं इस पर फिर आना चाहता हूं। जो defaulter है उस पर बेशक assessment सख्ती से की जाए, जुर्माना लिया जाए या और भी सज़ा दी जाए। मगर जो Assessing Authority केसिज़ को छे छे महीने और साल साल भर अपने पास रख लेती है, irregularity करती है और temptation

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम प्यारा]
का मूजब बनती है उस की भी पड़ताल होनी चाहिए। यह कई दफा देखने में आता है कि महकमा के जो आदमी बड़ी थोड़ी २ तन्खाह लेते हैं उन का standard काफी ज़्यादा तन्खाह लेने वालों के बराबर होता है। अगर इस बारे मिसालें पेश करने की ज़रूरत पड़ी तो वह भी ला के पेश कर दूंगा। अगर dealer defaulter है तो उस को जुर्माना हो या जो और सज़ा मुनासिब समझें, दें, मगर जो Assessing Authority है अगर वह defaulter है तो उस को भी कुछ न कुछ सज़ा होनी चाहिए। आप किसी पार्टी पर उस के सेल्ज़ टैक्स से डेढ़ या दो गुना सेल्ज़ टैक्स सज़ा के तौर पर लगा देते हैं। अब वह अपील कर के exemption ले लेता है क्योंकि वह अपना point justify कर देता है. . . .

श्री अध्यक्ष : mike से ज़रा पीछे हट कर बोलें। (Please keep the mike a little away from your mouth.)

श्री राम प्यारा : तो Assessing Authority पर कोई जुर्माना नहीं होता। इस तरह यह बात होती है कि जिस ईमानदार दुकानदार ने रिश्वत देने से इनकार किया उस को सज़ा हुई, उस को अपील करनी पड़ी और खर्च उठाना पड़ा और परेशानी उठानी पड़ी मगर जिस अथारिटी ने नाजायज़ जुर्माना किया था उस को कोई सज़ा नहीं होती। इस लिये मैं चाहता हूं कि उस इन्स्पैक्टर की भी जांच-पड़ताल होनी चाहिए अगर यह हो जाए तो confusion और पेचीदगियां कम हो जाएं।

आखीर में मैं यह फिर कहना चाहता हूं कि यह बिल काफी जल्दी में लाया जा रहा है। पहले भी जब इस तरह से हुआ है तो हाई कोर्ट में कई लोगों ने रिलीफ पाया है। फिर बीच में सिर्फ एक ही तो दिन है। इस दौरान में तैयारी भी हो जायगी और कुछ amendments भी आ जायंगी। हो सकता है कि इस में कोई नए points भी आएं। इसी तरह से मैं डाक्टर साहिब से अपील करूंगा कि वह sugar dealers के बारे में भी यही बात करें। वह सरकार के पीछे २ फिरते रहे हैं और उन्होंने representations भी किये हैं। उन को सरकार ने कुछ अर्सा से exempt कर दिया है मगर रूल्ज़ बनाने में बड़ी देर लगा दी है। इस की वजह से कई सोचते हैं कि इतना बोझ हम पर मुफ्त में पड़ा और कई कहते हैं कि नहीं सरकार की तो नीयत ही यह थी कि आर्डर कर दिये जायें और उन की implementation देर से की जाए। जिस तरह अब यह किया गया है कि काटन पर डबल टैक्स नहीं लगाया जायगा इसी तरह से शूगर डीलर्ज़ से भी डबल टैक्स नहीं लेना चाहिए। इस में आयंदा के लिये तो आर्डर हो गए हैं कि नहीं लेंगे मगर पिछला confusion अभी पड़ा हुआ है। हम यह नहीं चाहते कि सरकार को किसी तरह से घाटा पड़े। मैं तो यह कहता हूं कि जिन को कुछ रिलीफ का हक हो उन को रिलीफ मले। जो डिफालटर हों उन को सज़ा हो फिर चाहे वह कोई दुकानदार हो या Assessing Authority।

श्री बलराम दास टंडन : मैं ने सिर्फ इतनी दरखास्त करनी है कि यह बड़ी अजीब बात है कि इस को इस तरीके से पेश किया गया है कि we will not be doing justice to the people in the State. हम इस को study नहीं कर पाए।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

वित्त मंत्री : मुझे इन के बोलने पर एतराज नहीं मगर यह repeat न करें।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहिब, यह कह रहे हैं कि हमें कल का दिन दे दिया जाये। कल तो खैर non-official day है। यह चाहते हैं कि इस को पढ़ने और amendments देने का मौका देवें। (*Addressing the Minister for Finance*) Doctor Sahib, these hon.. Members want that they may be given a chance to study this Bill tomorrow. But tomorrow non-official business is to be transacted. Anyhow, they want a day to read it and get an opportunity to table amendments to this Bill.)

वित्त मंत्री : जो कुछ इन्होंने फरमाया है उस का मैं जवाब दे लूं उस के बाद जैसा हुक्म आप करेंगे वह मैं मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा जी। (विघ्न) यह तो compromise हो गया है। (All right. So this is a compromise.)

एक आवाज : क्या बिल की पहली ही स्टेज रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : नहीं बिल की पहली स्टेज जारी नहीं रहेगी। (No, the Bill will not remain in its first stage of consideration.)

वित्त मंत्री : स्पीकर साहिब.....

मौलवी अब्दुल गनी डार : स्पीकर साहिब, आप की ताकत बेपनाह है।

श्री अध्यक्ष : मैं ने डाक्टर साहिब को call कर लिया है। (I have already called upon the Finance Minister to give a reply to the debate.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : आप की ताकत बेपनाह है, पहली स्टेज ही रहने दें।

श्री अध्यक्ष : इस तरह बीच में बातें करने से क्या फायदा है। (What is the use of interrupting like that ?)

मौलवी अब्दुल गनी डार : क्या हमें अर्ज़ करने का भी हक नहीं है ? आप कह दें कि चले जाओ तो चले जाएंगे। मैं protest करता हूं। आप हमारी अर्ज़ सुनते नहीं। आप की जो ताकत है वह आप हमारे लिये इस्तेमाल करें आप गवर्नमैंट के लिये क्यों करते हैं....

श्री अध्यक्ष : आप सुनिए तो सही।... (Please listen)

मौलवी अब्दुल गनी डार : मैं strongly protest करता हूं। (विघ्न) मैं बड़े ज़ोर से protest करता हूं—

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। आप कैसी बातें करते हैं ? क्या मज़ाक बना रखा है ? (Why does the hon. Member make interruption ? What is he talking about ? He is making a mockery of the House.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : आप को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसी बातें नहीं बरदाश्त करूंगा, आप बाहर चले जाइए। (I will not tolerate such things. He should withdraw from the House.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मौलवी अब्दुल गनी डार : चला जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : आप हाउस से withdraw कर जाएं। आप misbehave कर रहे हैं। (He should withdraw from the House. He is misbehaving.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : आप misbehave कर रहे हैं।

Mr. Speaker : Please get out at once.

(*At this stage Maulvi Abdul Ghani Dar withdrew from the Chamber.*)

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : स्पीकर साहिब, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे हाउस में एक epidemic आ गई है और यह बड़ी खतरनाक epidemic है जिस का मुज़ाहरा अब रोज़ यहां दिखाई देने लगा है। किसी मैम्बर का आप की रूलिंग क खिलाफ खड़े हो कर कहना कि मैं इस के खिलाफ प्रोटैस्ट करता हूं और बाहर जाता हूं इस से बड़ी हाउस के लिये बदनामी की चीज़ नहीं हो सकती। क्योंकि Speaker is not a party man और फिर आप जैसा स्पीकर जो हरेक को पूरा latitude देता है, इजाज़त देता है। आप की रूलिंग के खिलाफ इस तरीके से कहना कि मैं प्रोटैस्ट करता हूं और बाहर जाता हूं यह मैं समझता हूं कि हाउस के लिये बड़ा insulting है और हाउस को कोई step लेना चाहिए जिस से आयंदा ऐसी चीज़ न हो सके।

जनाबे वाला, बाजवा साहिब की तरफ से एतराज़ किया गया कि यह बिल जल्दी में लाया गया है। जैसा कि उन्होंने फरमाया है मुझे भी फख्र हासिल है उन के साथ काम करने का। 1949 में मैं ने उन के साथ काम किया है और कानून इस से भी ज्यादा जल्दी हाउस में पेश होते रहे और पास होते रहे। वह मेरे साथ थे या मैं उन के साथ था। आज मैं हैरान हूं उन में यह तबदीली देख कर कि वह कहें कि जल्दी में बिल क्यों पास होते हैं ?

बाकी भाईयों ने भी एतराज़ किया कि उन्हें बिल को पढ़ने का मौका नहीं मिला लेकिन हैरानी इस बात की है कि वह बिल की clauses को quote करते रहे। डाक्टर बलदेव प्रकाश ने भी कुछ बातें बिल के सम्बन्ध में कहीं बावजूद यह कहने के कि हमें इस बिल को पढ़ने का मौका नहीं मिला। फिर उन्होंने फरमाया कि मैं ने कहा था कि इस से export को नुकसान हुआ है लेकिन जनाबे वाला मैं ने कभी नहीं कहा कि export को नुकसान हुआ है। मैं ने कहा था कि हमारे constitution के मुताबिक जो चीज़ हमारे देश में पैदा होती है और देश से बाहर जाती है उस पर Sales Tax या Purchase Tax हम ने नहीं लेना। इसी लिये हम इस बिल को पास हो जाने के बाद 20th April, 1959 से लागू कर रहे हैं इस को retrospective effect दे रहे हैं जो tax भी April 1960 तक assessment के बाद लेने थे उस के बारे में हम ने एलान किया था कि यह tax हम नहीं लेंगे। मैं ने यह नहीं कहा कि export को नुकसान होता है। जो tax लेते थे वह ले नहीं सकते थे इस लिये इसे वापिस करना चाहते हैं।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी बलबीर सिंह साहिब ने इस पर बड़े ज़ोर से एतराज किया है । मैं ने इन की बातें सुनी और एक सबक हासिल कर लिया है और वह यह सबक सीखा है कि जो बाहर मेरे से बातें करते हैं, deputation लेकर आते हैं और Government की transport को फायदा पहुंचाते हैं और Government of India को फायदा पहुंचाते हैं सरकार के नाम तारें भेज कर, बहस करते हैं और फिर फैसला करते हैं लेकिन इस सब के बावजूद यहां पर जब आते हैं तो गलत ब्यानी करते हैं। इस तरीके से ही इन्होंने फरमाया है। पहले हम purchase system में Purchase Tax लेते थे सन् 1950 में-जब मैं incharge था तो मैं ने offer किया था कि हम purchase system को मंज़ूर करते हैं। लेकिन अगर इस पर Sales Tax दिया गया तो फिर बदलेगा नहीं वह देता रहेगा लेकिन व्यापारियों ने यह बात न मानी। मैं हट गया। फिर इन्होंने माना और purchase basis पर Sales Tax वसूल करते रहे। इस में incidental charges शामिल नहीं था। 1957 में मैं दोबारा Cabinet में आया और मुझे फिर से यह महकमा मिला तो Government पास कर चुकी थी कि purchase system को उड़ा दिया जाए हमें नुकसान होता है । Government ने माना था कि अगर गवर्नमेंट को नुकसान हुआ तो इसे उड़ा देंगे। मैं ने इस के बारे में Cabinet से अर्ज़ किया कि मैं इसे कुछ कदरे बदा कर सरकार को फायदा पहुंचाने का यतन करूंगा। इसी के अनुसार सन 1958 में बिल लाया गया था इस में incidental charges पर purchase system पर Sales Tax लेने की तजवीज़ हाउस को की गई थी। चौधरी साहिब ने उस वक्त इस की मुखालफित की थी कि यह नहीं होना चाहिए। व्यापारियों ने यह टैक्स देना मंज़ूर कर लिया लेकिन यह कहा कि वसूल करने का method simple कर दिया जाए । इस को मान कर बिल पास हुआ था ।

जनाबे वाला, मैं एक अर्ज़ करूं कि कुल 1400 आदमी ऐसे हैं जिन्हें purchase system में Sales Tax देना पड़ता है । 4800 registered dealers हैं और इन में से सिर्फ 1400 इस ज़द में आते थे जिस से सरकार को नुक्सान पहुंचता है। हमारे साथी श्री राम प्यारा ने बता दिया है कि सरकार को कैसे नुकसान पहुंचता है। उन्होंने बताया कि Railway पर माल लाने के लिये हमारा आदमी बिल्टी देखने वाला मौजुद होता है लेकिन transport पर हमारी यह facility नहीं है। इस के न होने से व्यापारी tax का evasion करते हैं। Purchase system के अन्दर वह माल transport के ज़रिए मंगवा लेते हैं और tax अदा नहीं करते। इस तरह से साबित हो गया है कि evasion बहुत होता है। इस से सरकार को बहुत नुकसान होता था। इस लिये हम ने यह फैसला किया है कि हम इसे आगे जारी नहीं रहने देंगे। इस के बारे में जो staff था उसे हटा दिया, इस system को आगे के लिये बदल दिया गया। लेकिन इस पर भी यह जानते हुए कि व्यापारी क्या चाहते हैं चौधरी बलबीर सिंह ने एतराज़ किया और बहस की। सोए को तो कोई जगाए लेकिन जागे को जगाया नहीं जा सकता। एतराज़ महिज़ एतराज़ के लिये कर देना मुनासिब नहीं।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]
इस तरह तो वह करते ही रहे हैं और इन का काम करने का तरीका ही वही है। फिर इन्होंने फरमाया था कि मैं ने कहा था कि 10 लाख नहीं मिलता हम 40 लाख लेंगे। यह उन्होंने गलतब्यानी की है इस तरह की बातें करना इन की आदत सी बन गई है।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ personal remarks ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker This is not a point of order. The hon. Member himself indulges so often in such personal references during his speech. He should have patience to hear. He can clarify his position at a later stage if need be.

वित्त मंत्री : जनाबेवाला, अगर मैं ने कोई unparliamentary लफज़ कहें हों तो आप मुझे हुक्म दें मैं उन्हें withdraw करने को तैयार हूं। मेरा ऐसा ख्याल है कि मैं ने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं जब यह कहता हूं कि वह बहस करते हैं और यह उन की आदत बन गई है इस तरह कहने की तो इस में मैं ने कौनसी गलती कर दी और कौनसी unparliamentary बात कह दी।

इन्होंने फरमाया कि 1948 में Act बना था और उस वक्त मैं ने कहा था कि 10 लाख Sales Tax है। चार आने के हिसाब से multiple stage पर लगा कर 40 लाख लेना चाहूंगा इस में सदाक्त नहीं। क्योंकि कोई भी Minister यह नहीं admit कर सकता कि मैं इतना ही पैसा tax के रूप में लेना चाहता हूं। (*Interruptions*).

I would seek your protection, Sir. जनाबेवाला, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि Sales Tax purchase system पर लगे। व्योपारियों की meeting हुई और उन्होंने कहा कि जैसे Bengal में है उसी तरह से Sales Tax लिया जाए हमने अपने officers को Bengal भेजा और फिर 4 आने की बजाए इन व्योपारियों के कहने के मुताबिक Bengal system के अनुसार 3 रुपये दो आने Sales Tax किया गया। तय इनकी मर्ज़ी से किया गया था। उस वक्त उन्होंने हमें इस मसला पर बुलाया, जिस में जो चीज़ें तय होने वाली थीं वह तय कर ली गईं और जो छोड़ने वाली थी वह छोड़ दी गईं। इस के लिये एक कमेटी बनी हुई थी जिस में यह फैसला हो गया था। इन में बहुत सारी बातें ऐसी थीं जिन पर अभी फैसला होना बाकी था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि elections आ रही हैं इन पर election के बाद गौर करेंगे। मगर यह elections मेरे लिये नहीं आईं क्योंकि मैं तो हट गया था। चुनांचे वह चीज़ें जिन पर अभी फैसला होना था वहीं पर खत्म हो गईं। फिर जब बहस चली तो जो कुछ उस वक्त की हकूमत ने चाहा उस पर ही फैसला हुआ। उस वक्त यह चीज़ भी मानी गई कि वही importer registered होगा जो 5,000 से ज्यादा का माल मंगवायेगा, मगर हम यह चाहते थे कि importer वह भी register किया जाये जो एक पैसे का माल भी मंगवाये।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

इस के इलावा Members साहिबान ने purchase system के मुताल्लिक भी अर्ज़ किया। इस के मुताल्लिक मैं अर्ज़ कर दूं कि यह बात भी मान ली गई थी कि Government पहले इस चीज़ को पहले तजरुबा के तौर पर जारी करे अगर इस तरीका से कोई नुकसान होगा तो इसे तबदील कर दिया जायेगा। इस को लगातार 2 साल का trial दिया गया, लेकिन आज हम देखते हैं कि इस में नुकसान है इसलिये इस में तबदीली कर रहे हैं।

इस के इलावा एक बात उन्होंने Sales Tax के मुताल्लिक भी कही। 14-12-58 के बाद हम ने यह फैसला किया था कि हम Sales Tax हटा के Purchase Tax लगायेंगे। यह भी तय हुआ था कि जो माल व्यापारियों के पास पहली अप्रैल को हो वह उस की list दे दें। उस के बाद इस मुआमला पर कुछ और समझौते की बात चल पड़ी। उस वक्त कामरेड राम प्यारा जी मेरे पास एक list लेकर आये और कहा कि आप व्योपारियों पर tax लगाना चाहते हैं? मैं ने कहा यह tax व्योपारियों पर नहीं लगेगा। मैं ने कहा कि आप हमें माल की list दे दें जितना हम ने Sales Tax के मुताबिक फैसला किया है उतना tax हमें मिल जायेगा और यह व्योपारियों से हरगिज़ वसूल नहीं होगा। मगर उस वक्त चौधरी बलबीर सिंह भी आये और उन्होंने कहा कि हुशियार पुर के व्योपारी चाहते हैं कि यह tax लगे मगर Sales Tax न लगे। मगर यह इस लिये चाहते थे क्योंकि वह कोई हिसाब check नहीं करवाना चाहते थे। अगर इन का हिसाब किताब check होता तो बहुत सारी गलतियों का इमकान था, जिस की वजह से इन्हें बहुत नुकसान होता था। उस वक्त यह शिकायत करते थे कि Sales Tax ना लगे और मैं ने भी कहा था कि नहीं लगेगा, मगर अभी इस के मुतालिक फैसला होना बाकी है जब फैसला हो जायेगा तो उस के मुताबिक अमल किया जायेगा। मगर आज जब फैसला हो गया है तो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन वह तो बहस करते हैं क्योंकि उन्होंने तो करनी ही है।

कामरेड राम प्यारा ने एक बात और sugar dealers के मुताल्लिक भी कही थी कि उन के deputation पर deputation आते थे मगर मैं नहीं मिला क्योंकि मेरा अपना view यह है कि बजाये इस के कोई deputation आये वह memorandum भेज दें। मगर वह खुद रेबड़ी, बताशों वालों को लेकर आये। मैं ने कहा कि आप जो कुछ कहना चाहते हैं इसे writing में दे दे हम उस को examine कर लेंगे। मगर वह कहने लगे कि हम ने एक बात पूछनी है मैं ने फिर कहा कि इस से आप को फायदा नहीं होगा, और Government का भी नुकसान होगा आप memorandum दें हम उस का आप को जवाब देंगे, वरना हम कुछ कहेंगे आप public करेंगे कि Government ऐसा कहती है इस का कोई फायदा नहीं है।

एक चीज़ और उन्होंने cotton पर tax की फरमाई है। मगर यह कह ज़रूर देते हैं वहां तक यहां तक यह कहना चाहते हैं। वह इस से आगे नहीं पढ़ पाये हैं। अपने काम की चीज़ को वह फौरन भांप लेते हैं। Cotton purchase पर जब

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]
tax लग जाता है तो उस के बाद इस के seed पर या ginned रूई पर tax लगने का सवाल पैदा नहीं होता । अगर cotton-seed निकलता है और वह Purchase Tax कपास पर दे चुका है तो उस पर कोई tax नहीं लगेगा क्योंकि उस पर तो पहले मिल चुका है। इस तरह से cotton-seed के तेल पर भी tax लगने का सवाल पैदा नहीं होता। यह बात उन्हें देख लेनी चाहिये थी कि जब हम कपास purchase करते हैं उस वक्त tax अदा करते हैं, वह उन को देना ही पड़ेगा। ठीक है इस के मुताल्लिक High Court में writ हुआ लेकिन High Court को Judiciary का काम करने का हक नहीं है। अभी मैं नहीं कह सकता कि इस के क्या results हों मगर जो मुझे इत्तलाह मिली है मैं उस के मुताबिक कह सकता हूं कि जो grower माल बेचता है उस पर जो purchase tax है वह खुद वसूल नहीं कर सकते, मगर इस तरह से जितना पैसा वसूल किया गया. वह इन्होंने High Court में writ हो जाने के बाद अपनी जेबों में डाल लिया है लेकिन जहां तक मेरे में ताकत है मैं यह कोशिश करूंगा कि यह पैसा इन की जेबों में न रखने दिया जाये (तालियां) अगर वह नाजायज़ तौर पर लिया गया है वह grower को वापस करे अगर Government को High Court से कह दिया गया कि यह tax न लो तो हम नहीं लेंगे मगर यह पैसा इन के पास नहीं रह सकता। High Court यह कहता है कि हम Purchase Tax और Sales Tax दोनों नहीं लगा सकते मगर एक tax तो लेने का हमें हक है और एक ही हम लेना चाहते हैं। लेकिन इस बात का हमें बड़ा ही दुख हुआ जब penalty clause पर डाक्टर बलदेव प्रकाश ने फरमाया कि अगर seizure of books होगी तो यह एक तरह dealers को penalize करना होगा । Sales Tax भी single point पर charge होगा। मगर इस clause को आप ने गौर से देखा होता तो यह किस तरह कहते। Sales Tax के हिसाब से सारी नुकताचीनी हुई है purchase problems पर नहीं । अगर Sales Tax profit पर लगे तो जिस हिसाब से profit आता है यह उस का कोई 1% बनता है । मगर दूसरी चीज जो यह कही गई कि Sales Tax भी देना पड़ेगा और Purchase Tax भी देना पड़ेगा और यह tax उन लोगों से लिया जा रहा है जो forward position में नहीं हैं।

एक बात चौधरी बलबीर सिंह साहब ने फरमाई । उन्होंने कहा कि जो आदमी असैसर है अगर उस के पार्ट पर असैस करते वक्त कोई लैप्स हो तो उस पर जुर्माना होना चाहिए, ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए । (विघ्न)

एक आवाज (चौधरी बलबीर सिंह ने नहीं फरमाया.......)

वित्त मंत्री : माफ कीजिए, कामरेड राम प्यारा ने कहा था। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि असैसर से लैप्स नहीं होती। साल के बाद देखा जाता है कि सारा रुपया उन्होंने जमा करवाया कि नहीं। और लोगों की किताबों को देखा जाता है उस के मुताबिक हिसाब किया

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

जाता है अगर कहीं यह शक होता है कि किताबें दूसरी हैं तो उस के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। और असैस होने के बाद उन को कहा जाता है कि वह एक खास टाइम के अन्दर रुपया जमा करा दें। अगर कोई आदमी यह कहता है कि उस के ऊपर रुपया ज्यादा असैस किया गया है तो E. T. C. को और D.T.C. को अख्तियार है कि उन की अपील सुनी जाए। कई भाई हमारे पास आते हैं कि आप लिख दीजिए कि इतना रुपया ज्यादा है, मेरी ताकत नहीं देने की तो मैं उन्हें कहता हूं कि मेरा कोई अख्तियार नहीं है। E. T. C. के पास जाइए। तो मैं उस में कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास लोग आकर कहते हैं कि फलां क्लर्क को या फलां अफसर को बदल दो और यह भी शिकायतें आती हैं कि Assessment Department, Excise Department पैसे खाता है लेकिन जब हम action लेने के लिये तैयार होते हैं और सबूत मांगते हैं तो वही शिकायत करने वाले यह कहते हैं कि नहीं जनाब, मुझे फलां सख्श से कोई तकलीफ नहीं है, हमारे साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई। मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं कि वह यह समझें कि Excise Department में भी जो अफसर होता है वह हम में से ही एक है लेकिन मैं उन लोगों के लिये, उस सोसाइटी को क्या करें कि जो एक ईमानदार आदमी को temptation दे कर बेईमान बनाना चाहते हैं। इसका इलाज किसके पास है? इसका तो सिर्फ सोसाइटी के पास ही है। इस लिये जनाबे वाला जो ऐतराज़ मेरे दोस्तों ने किये उन से ऐसा मालूम पड़ता है कि सिवाए बाजवा साहब को छोड़ कर और किसी ने इसे पढ़ा ही नहीं है। इसलिये अगर आप पहली अप्रैल को take up करना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

OBSERVATIONS BY THE SPEAKER REG. THE BEHAVIOUR OF A MEMBER, ETC.

श्री अध्यक्ष : Treasury Benches और आपोज़ीशन की तरफ से कुछ आनरेबल मैम्बरों ने यह objection उठाया था कि इस बिल के लिये बहुत कम नोटिस दिया गया। इस लिए वे अमैण्डमैण्ट्स नहीं ला सके और न ही इसे पढ़ सके। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के डाक्टर साहब ने agree कर लिया है कि (first reading के बाद second और third readings को परसों तक postpone कर दिया जाए। जो लोग इन पर बोलना चाहते हैं उन को मौका मिल जाएगा और वे amendments के नोटिस वगैरह भी दे सकेंगे।

एक अफसोसनाक बात जो यहां हुई वह यह कि मौलवी साहब बावजूद मेरे कहने के बोलना ज़रूर चाहते थे, इस लिये मुझे उन्हें हाउस से बाहर जाने के लिये कहना पड़ा। कुछ लाड़ले दोस्त ऐसी बातों को इस spirit में ले जाते हैं जैसा कि उन्होंने किया। यह ठीक नहीं है। मैं यह बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अगर कोई हाउस

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री अध्यक्ष]

की dignity और decorum नहीं रखता तो मैं उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन का रवैया to say the least बहुत ही dis-respectful था। और अगर आप इजाज़त दें तो जब तक वह अपने लफ्ज़ वापिस नहीं लेते और regretshow नहीं करते तब तक उन्हें हाउस में आने की इजाजत नहीं दूंगा ।

(Some of the hon. Members from the Treasury Benches as well as from the Opposition had raised this objection that they had been given a very short notice for this Bill. And that is why they could neither study it thoroughly nor could table any amendments. In view of this, Doctor Sahib (the Minister for Finance) has agreed that after the first reading is over, the second and the third readings may be postponed till day after tomorrow. Those who want to speak at these stages will get an opportunity. They can give notices of amendments also by that time.)

A short while ago a deplorable incident took place in the House. Maulvi Abdul Ghani Dar persisted in interrupting the House in spite of my warnings. I had, therefore, to ask him to withdraw from the House. Some friends behave like pampered persons and take things in a spirit as he did. This is not proper. However, I want to make it very clear that if an hon. Member fails to maintain the decorum and the dignity of the House, I can not tolerate him under any circumstances. His behaviour, to say the least, was most disrespectful towards the Chair. And if the House permits, I will not allow him to attend the House till he withdraws his words and expresses regret for that.)

कई आवाजें : इजाज़त है ।

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : I would request you, Sir, not to let the remarks remain on the record.

Shri Prabodh Chandra : Sir, with your permission I want to submit that I have consulted the hon. Member. If you permit, he may offer the regret now, in the House.

श्री अध्यक्ष : आज तो वह हाउस में नहीं आ सकते, कल देखा जाएगा ।
Today he cannot be allowed to attend the House. It will be seen tomorrow.)

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, may I suggest that these words should be expunged from the official record?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : अगर वह खुद आ कर अपने लफ्ज़ वापस लें और regret show करें तो सोचा जा सकता है । (If the hon. Member (Maulvi Abdul Ghani) himself comes here, withdraws his words and expresses regret for it, then this can be considered.)

राजा रघुवीर सिंह : जनाब अगर वह आज ही आकर regret show करें तो?

श्री अध्यक्ष : आज नहीं आ सकते, कल देखेंगे । (He cannot be allowed to attend today. We shall see tomorrow.)

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, अगर मौलवी साहिब, आज की proceedings में आकर regret show कर दें और आप उन के लफ्ज़ों को आज की proceedings में से expunge करा दें तो अच्छा रहेगा क्योंकि अगर कल आकर उन्होंने अपने लफ्ज़ वापस लिए तो आज की proceedings में तो उन के लफ्ज़ लिखे रह जायेंगे । इस लिये आज ही वह आकर withdraw करे तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : यह कल भी हो सकता है । आज वह हाउस में दाखिल नहीं हो सकते । (This can be done tomorrow even. He can not be permitted to attend the House today.)

THE PUNJAB GOOD CONDUCT PRISONERS (TEMPORARY RELEASE) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir I beg to move—

> That the amendment made by the Punjab Legislative Council in the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill which was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 24th February, 1960, be taken into consideration.

स्पीकर साहब, पंजाब लैजिस्लेटिव कौंसिल ने यह एक verbal amendment की है......

सरदार गुरबचन सिंह बाजवा : Verbal amendment ?

उद्योग मंत्री : Language में, that is what it means क्लाज़ के explanation में

> 'for the words "for which the prisoner was liable" the words "awarded to the prisoner" be substituted.'

Discussion के दौरान में वहां पर एक मैम्बर साहिब की तरफ से ऐतराज़ उठाया गया था । यह जो explanation के अलफाज़ "for which the prisoner was liable" के मानी कुछ साफ नहीं हैं, मश्कूक हैं । उन का यह कहना था कि इन का यह मतलब निकल सकता था कि punishment for which he was liable जो कि ताज़ीरात हिन्द में दिया गया है उस हद तक उसे सज़ा मिल सकती है । इस लिये उन्होंने यह अमैण्डमैंट दी । चुनांचे हम ने Law Department से consult किया । तो मालूम हुआ कि यह clear करने वाली बात है इस लिये मैं समझता हूं कि यह जो अमैंडमैंट Council की तरफ से आई है उस को यह हाउस मंजूर करे ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Motion moved—

That the amendment made by the Punjab Legislative Council in the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill which was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 24th February, 1960, be taken into consideration.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, even now, in the copies of the Bill as supplied to us, the words are "for which the prisoner was liable" which means that the Bill has not been amended by the Legislative Council.

Minister for Industries : Sir, the hon. Member should read the chit attached with the Bill. The amendment made by the Legislative Council is detailed on that chit.

Mr. Speaker : Question is—

'That the amendment made by the Punjab Legislative Council in the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill which was passed by the Punjab Legislative Assembly on the 24th February, 1960, be taken into consideration.

The motion was carried

Mr. Speaker : I would like to draw the attention of the hon. Minister (for Industries) to line 2 of this explanation. It is written 'was liable for the offence of which he was convicted'. I am of the opinion that instead of the word 'of' occurring before the word 'which' the word 'for' might be more appropriate.

उद्योग मंत्री : यह grammatical mistake है इसे आप ठीक कर लें।

CLAUSE 9 (AS AMENDED)

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 9, as amended by the Council, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Industries : Sir, I beg to move—

That the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill, as amended by the Council, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill, as amended by the Council, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill, as amended by the Council be passed.

The motion was carried.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

RESOLUTION UNDER CLAUSE (5) OF ARTICLE 320 OF THE CONSTITUTION

Shri Prabodh Chandra (Gurdaspur, General) : Sir, I beg to move—

That the order of the Governor relating to the additions made to Schedule 'A' of the Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955, namely :—

'26. All posts in all departments with initial salary of Rs. 160 per mensem and above, created or to be created for the Lahaul and Spiti area :

Provided a resident of that area is appointed thereto.

28. Staff Officer in the Civil (Home) Defence Department.'

be repealed.

जनाब, स्पीकर साहिब, शायद इस House में हर बार अलहदा किस्म के Bill आते हैं और कई पुराने Bills की amendments भी होती है । लेकिन हर Session में जो common factor रहा है वह यह है कि हमारी Government कुछ आसामियां Public Service Commission के purview से निकाल कर उन को fill करने का अख्तियार अपने हाथ में लेती रही है ताकि जिन को वह चाहे रख ले । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो Public Service Commission हैं वह हमारे country के Constitution की एक मद के तहत बने हुए हैं और Government को कामयाबी, efficiency और ईमानदारी के साथ चलाने के लिये Public Service Commission की sanctity को कायम रखना निहायत ज़रूरी है ।

चंद दिन हुए हमारी Parliament में Union Public Service Commission और Public Service Commissions का ज़िक्र करते हुए यह कहा गया कि अगर administration को चारपाई समझा जाये तो Union Public Service Commission और Public Service Commission उस का बहुत ज़रूरी पावा है । जैसे एक पावा टूट जाने से या कम होने से चारपाई खड़ी नहीं रह सकती इसी तरह Public Service Commission को अगर कमज़ोर कर दिया जाए तो Administration की हालत भी तीन पावों वाली चारपाई जैसी हो जाती है । मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी Government ने हर बार उन आसामियों को जो कि Public Service Commission के ज़रिए पुर की जानी चाहिये थीं उन को अपने दायरा अख्तियार में लेती रही है । मुझे इस बात का ज्यादा गिला न होता अगर उन posts पर जो Public Service Commission के purview से निकाली गई, काबिल आदमियों को लगाया जाता । सवालों के जवाबों से पता चलता है कि Public Service Commission ने एक किस्म की आसामियों पर जिन आदमियों को लगाया वह बहुत highly qualified हैं लेकिन उन्हीं आसामियों पर Government ने Public Service Commission के purview से निकालने के बाद जिन आदमियों को लगाया है उन में कई matriculate भी नहीं हैं । उन को Government ने political considerations पर ही रखा है । काबलियत और qualifications का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया । पिछले दिनों यहां पर एक सवाल के जवाब में बताया गया कि फलां फलां Municipal Committees के Executive Officer रखे गए हैं । जो Executive Officers Public Service Commission ने

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री प्रबोध चन्द्र]
select किए थे वह M.A., LL B. और B.A., LL.B. हैं लेकिन जो Executive Officer हमारी पंजाब सरकार ने रखे थे उन की qualification matric से ज़्यादा नहीं थी । इसी तरह Government ने जो Block Development Officers रखे हैं उन की qualifications को देखा जाए तो पता लगता है कि सरकार ने काबलियत के मयार को सामने नहीं रखा । जनाब मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले तीन चार साल की जो Public Service Commission की अपनी report है उस में उन्हों ने यह ज़ोश से कहा है कि खुदा के वास्ते यह जो हमारी report है इसे public के representatives के सामने रखा जाये ताकि उन्हें मालूम हो कि Government किस तरह कर रही है । स्पीकर साहिब, कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि Public Service Commission के Government के खिलाफ prejudices हैं । वह भी यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि Government उन के purview से आसामियां निकाल कर Constitution की उल्लंघना कर रही है । मेरे पास 1958-59 की Public Service Commisson की report है । उस में उन्हों ने लिखा है--

> "This was, therefore, not at all a fit case for resorting to the provisions of the proviso to Article 320 (3) of the Constitution which enables Government to curtail the functions of the Commission."

आगे चल कर वह इसी report में कहते हैं कि ग़लत सहारे का सहारा लेकर गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है । Government Public Service Commission के purview से जो आसामियां निकालती है वह political considerations को सामने रख कर ऐसा करती है । गवर्नमैंट एक आदमी को पहले चुन लेती है और फैसला कर लेती है कि फलां आदमी को इस post पर लगाना है उस के बाद कोई न कोई बहाना डाल कर वह आसामी Public Service Commission के purview से निकाल ली जाती है । यह यकीन जो Public Service Commission को दिया गया था कि कोई आसामी उन के purview से निकालने से पहले इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जिन वजूहात की बिना पर कोई आसामी बाहर निकाली जाती है उन की इत्तलाह उन को दी जाएगी कि इस वजह से ऐसा किया है । मगर वह कहते हैं कि हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमैंट की जितनी भी moral या constitutional commitments इस बारे में हैं उन सब को बालाएताक रख कर कई cases में गवर्नमेंट ने अपनी मनमानी की है । जनाब यह जो लाहौल और स्पित्ती की नौकरियां हैं यह तो उन बातों की एक मामूली सी कड़ी है जो गवर्नमैंट करती रही है । इस सैशन में वक्त की तंगी की वजह से नौकरियों की सारी list और सारा schedule जो गवर्नमैंट ने अपने दायरा अख्तियार में ले लिया है उस का नोटिस नहीं ले सका और सिर्फ इन दो आसामियों के बारे में नोटिस देने का वक्त रह गया था लेकिन जनाब इसी सैशन नें एक नहीं दो नहीं बीसियों नौकरियां गवर्नमैंट ने Public Service Commission के दायरा अख्तियार से बाहर निकाल ली हैं । तो मैं अपनी गवर्नमैंट से अर्ज़ करूँगा कि महज़

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

brute majority के बलबोते पर या discipline का डंडा हमारे सिरों पर रख कर अपनी मनमर्ज़ी न करो क्योंकि यह एक ग़लत तरीका है और रिवाज है जो कि गवर्नमैंट हमारे सामने रख रही है। फिर जनाब यहां यह होता है कि जब किसी मिनिस्टर की portfolios बदल जाती हैं तो जो नौकरियां उस के महकमों की Public Service Commission के purview से निकाली होती हैं वह वापस कर दी जाती हैं। अगर Community Projects का महकमा किसी दूसरे वज़ीर के पास आ जाता है तो साथ ही यह फैसला हो जाता है कि अब यह जो B.D.O. की आसामियां हैं यह अब Publi. Service Commission के purview में रखी जाएँगी। यही नहीं फिर यह भी होता है कि जब एक मिनिस्टर Community Development का महकमा छोड़ने लगता है तो 25 फीसदी नौकरियों का जो हक उसे हाउस की तरफ से दिया गया है कि अपनी मर्ज़ी से भर सकता है उस को नज़र अंदाज़ कर के in anticipation कह देते हैं कि हम 30 या 35 फीसदी नौकरियां जिन का उन को हक नहीं था उन को भी गवर्नमैंट भर लेती है ताकि आने वाला जो वज़ीर है उस को अख्तियार न रहे। यह ग़लत रिवाज है और मैं समझता हूँ कि इस तरह इन जमहूरियत की बुनियादों को खोखला करने की कोशिश की जा रही है। अगर यही तरीका रहा तो मैं समझता हूँ कि अवाम का विश्वास नहीं रहेगा। फिर जिन को खुद रखते हैं उन के लिये qualifications का कोई मियार नहीं है। यही कहा जाता है कि फलां को हम ने रख लिया है क्योंकि he or she has a great bias for social service. जिस के पास कोई qualification न हो उस आसामी के लिए कोई डिगरी न हो तो कह दिया जाता है कि social service बहुत की है। जनाब, यह social service की term और qualification इतनी wide है कि किसी भी मयार के आदमी को रखा जा सकता है। इस लिये मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ यह अर्ज़ करूँगा कि जो services Public Service Commission के puriew से निकाली गई हैं उन को वापस कर दिया जाये और आयंदा के लिये गवर्नमैंट यह फैसला करे कि अपने कुछ चेहतों को नौ-नौकरियां provide करने के लिए Public Service Commission के दायरा अख्तियार को कम नहीं किया जायेगा। इन अल्फाज़ के साथ मैं अपना resolution move करता हूँ और मांग करता हूँ कि जो नौकरियां निकली हैं वह P.blic Service Commission को वापस दे दी जाएँ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the order of the Governor relating to the additions made to Schedule 'A' of the Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations 1955, namely :—

'26. All posts in all departments with initial salary of Rs 160 per mensem and above created or to be created for the Lahaul and Spiti area :

Provided a resident of that area is appointed thereto.

28. Staff Officer in the Civil (Home) Defence Department.'

be repealed.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री जगत नारायण चौपड़ा (जालंधर शहर, दक्षिण-पश्चिम) : स्पीकर साहिब, पंजाब गवर्नमैंट का यह एक तरीका ही हो गया है कि खास खास services Public Service Commission के purview से आए दिन निकाल ली जाती हैं। (*At this stage Shri Lal Chand, a member of the Panel of Chairmen occupied the chair.*) चेयरमैन साहिब, आप ने States Reorganisation Commission की रिपोर्ट को पढ़ा होगा। उस में उन्हों ने एक बड़ी अहम बात recommend की हुई है। उन्हों ने वहां section 791 सफा 214 पर लिखा है :

> 791. So far as promotions or disciplinary and other matters connected with services are concerned, no conceivable safeguards can ensure justice should those in power choose to fill important posts on grounds other than those of administrative purity, efficiency and fairness. It is desirable, however, to constitute State Public Service Commissions in such a manner as to ensure that these bodies are not affected by particularist trends. This objective can be achieved to some extent by constituting, so far as possible, one Public Service Commission for more than one State. Under the Constitution, appointments to Public Service Commission serving more than one State are made by the President. We recommend that the principle be extended even to Public Service Commissions serving only single States. This arrangement, we are sure, will give these bodies a higher stature and more independence.

चेयरमैन साहिब, अगर आप इस के मफहूम को देखें तो इस का मतलब यह है कि Public Service Commission इस ढंग से बनना चाहिये कि उस की nomination President साहिब करें क्योंकि अगर सूबा का चीफ मिनिस्टर करे तो कुदरती तौर पर यह हो सकता है कि वह अपने ही खास आदमियों को उस में nominate करेगा। इसी लिये इस चीज़ की रोक थाम के लिये यह provision रखा था। लेकिन इस सूबा का यह हाल है कि यहां खुद ही अपने आदमियों को इस बाडी पर nominate किया हुआ है। वही मैम्बरान जो अपनी रिपोर्ट भेजते हैं उस में कहते हैं कि पंजाब गवर्नमैंट ने यह असामियां जो हमारे purview से निकाली हैं वह हमारी मर्ज़ी के बगैर निकाली हैं। फिर पिछले साल की जो रिपोर्ट थी उस में जहां तक था कि हाऊस के मेम्बरान से अपील की गई थी कि वह इस मामला को take up करें।

वित्त मंत्री जिस रिपोर्ट का आप यह हवाला दे रहे हैं उस में से कोई पैरा आप quote कर सकते हैं जिस में कहा गया हो कि हमारी मर्ज़ी के खिलाफ हुआ है ?

श्री जगत नारायण चौपड़ा : वह कहते हैं कि हर appointment Public Service Commission की मारफत होनी चाहिए और हर promotion उनकी मारफत होनी चाहिए। Public Service Commission वह होना चाहिए जिसे President nominate करे।

मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि Reorganisation Commission ने ऊंचा

2.00 p.m.

standard रखा था लेकिन हमारी स्टेट की पोज़ीशन यह है कि हमारी स्टेट खुद ही पब्लिक सर्विस कमीशन के मैम्बरान को नामज़द करती है और वही यह रिपोर्ट देते हैं कि स्टेट गवर्नमैंट ज़्यादती कर रही है कि उन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ posts उन के purview से निकाल रही है। हमारी गवर्नमैंट यह कहती है कि B. D. Os. की

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

25 प्रतिशत या 40 प्रति शत posts इस लिये निकाली हैं क्योंकि हम ने national service को मद्देनज़र रखना होता है लेकिन Evaluation Committee की रिपोर्ट हमारे सामने है । उन्हों ने लिखा है कि 15 सेंटर हम ने देखे जिन में से चार अच्छे थे बाकी 11 का काम खराब था । मैं कहता हूँ कि अगर स्टेट का फायदा हो तो बेशक purview से निकाले मगर दूसरी तरफ अगर काम भी खराब हो तो उस सूरत में भी ऐसा कदम उठाने की कोई justification नही है । ये कहते हैं कि इस लिये purview से निकालते हैं क्योंकि national mind और rural outlook होना चाहिये लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि ऐसे आदमी को B. D. O. लगाया जाता है जिस पर तारें या रेलें तोड़ने का मुकद्दमा चल रहा था और वह भी बृटिश राज में नहीं मौजूदा राज में मुकद्दमा चल रहा था । एक और B. D. O. जालन्धर के एक सिनेमा में चला गया और कहने लगा कि हम चार आदमी सिनेमा देखना चाहते हैं पास बना दो । सिनेमा वालों ने पूछा आप कौन हैं । वह कहने लगा आप नहीं जानते मैं B. D. O. हूँ । नतीजा यह हुआ कि गाली गलोच हुआ और उसे बाहर निकाला गया।

सामूहिक विकास मंत्री : अगर सच्ची बात है तो मुझे लिख कर दे दो ।

श्री जगत नारायण चौपड़ा : अखबार में छपी है । आप उस का नोटिस ले लें ।

इसी तरह से Additional Advocate-General की पोस्ट को जिस के लिए ज्यादा से ज्यादा काबिल आदमी मिल सकते हैं पब्लिक सर्विस कमिशन के purview से बाहर निकाल लिया गया । पब्लिक सर्विस कमिशन वालों ने कहा है कि अगर इस तरह से 9 पोस्टों को निकालना है तो हमारा क्या काम है । इस लिये मैं चाहता हूँ कि यह resolution पास करना चाहिये । Reorganisation Commission वालों ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमिशन को इतनी अहमियत मिले कि President इस के मेम्बरान को nominate करे ताकि administration से इनसाफ हो । आज यह हालत है कि पब्लिक सर्विस कमीशन posts advertise करता है, लोग टिकटें लगा कर अर्ज़ियां देते हैं लेकिन बाद में पंजाब गवर्नमैंट की तरफ से चिट्ठी चली जाती है कि इस को purview से निकाल दिया है । लोग M. L. As. से सर्टिफिकेट तसदीक करवाते हैं दफ्तरों में भटकते फिरते हैं लेकिन बाद में पब्लिक सर्विस कमीशन को आर्डर पहुँच जाता है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि दो तीन महीने के लिये खुद बखुद appointment कर लेते हैं उस के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को पूछते ही नहीं । इस पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने खास एतराज़ किया है । मैं समझता हूँ कि यह चीज़ चीफ मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टरों को फायदा पहुँचाने के लिये की गई है । इन अलफाज़ों के साथ मैं इस resolution की ताईद करता हूँ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ services Public Service Commission ਦੇ purview ਤੋਂ ਕਢਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਇਕੋ ਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗਲ ਹੋਵੇ ਕਿ Constitution ਦੇ ਮਤਾਹਿਤ Public Service Commission discrimination ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ post ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ apply ਕਰ ਸਕਣ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ discrimination Public Service Commission ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, Public Service Commission ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ standard ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਦਮੀ Public Service Commission ਪਾਸੋਂ reject ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। Secretaries-in-charge ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇਸ post ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਿਚ interested ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Public Service Commission ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ candidate ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ telephone ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਕ candidate ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ merit ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਡੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ services ਦਾ standard ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਬਿਦਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ posts Public Service Commission ਦੇ purview ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ secretariate ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਕਢਦੇ ਹਨ। ਵਡੀ ਤੋਂ ਵਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਲਭਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ ਔਰ Public Service Commission ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ body ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ merit ਤੇ ਆਦਮੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੂ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪੁਛੇ ਬਗੈਰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, क्या बाजवा साहिब को अख्तियार है कि वह चीफ मिनिस्टर साहिब के अख्तियारात को challenge करें ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : I have not named anybody. ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਬੜੇ ਮਹਿਦੂਦ ਹਨ । ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜੁਰਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ action ਲੈ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ action ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ । ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ reports ਵਿਚ ਹੀ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਅਫਸਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਉ । ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ posts ਹਨ ਇਹ Public Service Commission ਜਾਂ Subordinate Services Selection Board ਦੇ purview ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ bodies ਦਾ ਇਹਤਮਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : चेयरमैन साहिब, यह resolution जो श्री प्रबोध चंद्र ने पेश किया है मैं उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । हमें आज इस बात को देखना है कि Public Service Commission जिस बात को ध्यान में रख कर बनाया गया है आया वह function अच्छी तरह से सरंजाम कर रहा है या नहीं । Public Service Commission को Constitution के अंदर जगह दी गई है । हमारे Constitution में दो तीन बातें ऐसी महत्वपूर्ण रखी गई हैं जिन्हें कि बाहर के देशों ने बड़ी आदर की दृष्टि से देखा है । जहां गवर्नमेंट को काफी powers दी गई हैं, वहां इस के साथ साथ High Court और Supreme Court के Judges की appointment में सरकार की कोई power नहीं । Auditor-General जो है उसे भी एक खास जगह दी गई है ताकि वह आज़ादी के साथ गवर्नमैंट की गलती जनता के सामने पेश करे । Public Service Commission को एक खास दर्जा इस लिये दिया गया है क्योंकि इस मुल्क के अंदर हम Democracy चलाना चाहते हैं । वह Democracy इस आधार पर नहीं चलाई जा सकती कि जनता की वोटों से जनता के नुमायंदे चुने जाएँ और वे असैम्बली या पार्लियामैण्ट में जा कर हकूमत को चलाएँ । यूनियन गवर्नमैंट या स्टेट

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री बलराम दास टंडन]

गवर्नमैंट के इस तरह बन जाने से Democracy नहीं चल सकती । मैं समझता हूँ कि जब तक हकूमत का ढांचा ठीक तरह से कायम नहीं किया जाता उस वक्त तक सही मायनों में Democracy नहीं चल सकती । यह Services का ढांचा है जिस के आधार पर हमारी हकूमत ने चलना है । जिस के आधार पर लोगों को इनसाफ मिलना है । इसी आधार पर एक व्यक्ति को जो देश के लिये पवित्रता कायम करता है उसे आदर और मान का स्थान प्राप्त हो सकता है । Cabinet के आधार पर, असैम्बली के आधार पर या पार्लियामैण्ट के आधार पर यह Democracy चलने वाली नहीं और न ही पब्लिक के चुने हुए नुमायंदों से यह Democracy चलेगी, यह तो हकीकत में उन लोगों ने चलानी है जो हकूमत का सारा काम करते हैं और मिनिस्टरों को policy matters पर guide करते हैं । अगर services इस तरीके से बना दी जाएँ कि एक बरसरे इक्तदार पार्टी अपने व्यक्ति महत्वपूर्ण जगहों पर appoint कर दे ताकि वे उन की इच्छाओं के मुताबिक काम करें और अगली हकूमत आ कर उन्हें बाहर निकाल दे । इस बात को कोई पसंद नहीं करेगा । और ऐसी बात Democracy के लिये भी नुकसान देह होगी । हकूमत बदल सकती है और पांच साल के दौरान में किसी वक्त भी Legislature इसे vote out कर सकता है । इन हालात में जो माननीय मैम्बर इस वक्त Treasury Benches पर विराजमान हैं वह Opposition की बैंचिज़ पर बैठ जाएँगे और जो Opposition में बैठे हुए हैं वे हकूमत चलाने वाले होंगे । इस लिये ऐसे लोग जो एक पार्टी की इच्छाओं के मुताबिक चलने वाले हैं वे दूसरी पार्टी के कामों पर मीन-मेख करेंगे । अगर इस किस्म के अफसर key posts पर बैठ जाएँ तो हकूमत का काम तसल्लीबखश तरीके से नहीं चल सकता । That democracy will become a farce. इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए Public Service Commission को कायम किया गया है ताकि जो गवर्नमैंट पांच साल के लिये आलमे वजूद में आती है लह अपने पार्टी के आदमी services में भरती न कर सके । और महत्वपूर्ण posts हकूमत को चलाने वाली posts पर, एक पार्टी के आदमियों का कब्ज़ा न हो जाए । इन posts पर वह आदमी नियुक्त किये जाएँ जो काबिल और ईमानदार हों, जो हकूमत को सही lines पर चला सकें । लेकिन आज यह गवर्नमैंट उसी Constitution के खिलाफ़ जा रही है जिस की वफादारी का हलफ़ इन्हों ने हकूमत की बाग डोर संभालते वक्त उठाया था । चेयरमैन साहिब, मैं गवर्नमैंट से पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्हों ने यह हलफ नहीं उठाया था कि हम हिन्दुस्तान की Constitution के वफादार रहेंगे । क्या यह इस बात के पाबंद नहीं कि ऐसा कोई Legislative measure पास न हो जो Constitution के विरुद्ध हो । (घंटी की आवाज़) चेयरमैन साहिब, मुझे एक दो मिनट और दें क्योंकि मैं कुछ और ज़रूरी बातें गवर्नमैंट के नोटिस में लाना चाहता हूँ । तो सवाल यह है कि आया हम इस Constitution के loyal हैं । Constitution के loyal होते हुए हकूमत इस बात में interference करती है और Public Service Commission को जो अख्तियारात दिये हैं उन को छीनने के लिये कानून बनाने की

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

कोशिश की जाती है ; उन को छीनने के लिये executive force apply करने की कोशिश की जाती है । और अगर ऐसी हालत रही तो मुझे डर है कि एक दिन ऐसा न आ जाए कि पंजाब में Public Service Commission को कहा जाये कि तुम अपना बिस्तर-बोरिया गोल करो । यह हकूमत इतनी competent है कि जो काम तुम से लेना चाहती है वह खुद कर सकती है । यह बात B. D. O.s तक महदूद नहीं कि Block Development Officers लगाए जाएँ । उनके purview को जुदा रखने की कोशिश करें । अगर ऐसा न किया तो पंजाब के लोग यह महसूस करेंगे कि पंजाब की हकूमत Constitution को मिटा कर एक अलग काम कर रही है । यह कितनी अजीब बात है । यहां पर Honorary Sub-Registrars लगाए जाते हैं । उन के लिये qualifications मुकर्रर हैं । उन को साढ़े चार सौ रुपया माहवार तनखाह मिलती है । पहले तो हकूमत ने कहा कि हम उन को हटा कर अंग्रेजों के वक्त के नियम लागू करना चाहते हैं ; लेकिन हुआ क्या ? उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि 10 % के हिसाब से जितनी फीस बनती है वह दी जाएगी । जब दो साल में एक आदमी का 15,000 रुपया बना तो हकूमत ने कहा कि हम उस हुकम को बदलते हैं । हम साढ़े चार सौ रुपये माहवार देंगे । सरकार Vigilance Committee बनाती है कि corruption न हो । सरकार खुद corruption को शुरू करना चाहती है । अगर माता ही बच्चे को मारना चाहती है तो कोई नहीं बचा सकता । जो बाड़ खेत की रक्षा के लिये लगाई गई है अगर वही खेत को खाना शुरू कर दे तो कौन बचाएगा (घंटी) । मैं दो मिनट में इस बात को खत्म कर के बैठ जाऊंगा ।

श्री चेयरमैन : आप wind up करें । (The hon. Member may please wind up his speech.)

श्री बलराम दास टंडन : मैं wind up कर के बैठ जाऊंगा । अमृतसर में पहले एक आदमी काम करता था और काम अच्छी तरह चलता था । वह B. A., LL.B. था और उस का 10 साल का तजरुबा था । उस को 225 रुपये माहवार तनखाह देते थे । उस की जगह चार व्यक्ति लगाए गए—एक matric pass, दूसरा matric fail, तीसरा चौथी जमात पास और चौथा चौथी जमात fail । उन को साढ़े चार सौ रुपया माहवार तनखाह दे दी । अगर इस आधार पर यह काम चलना है या इस ढांचे को खड़ा करना है तो हमें सोचना होगा कि क्या करना चाहिये । अमृतसर में Improvement Trust के लिये 1,500 रुपया सरकार ने रखा कि इतनी तनखाह वाला आदमी वहां रखा जायेगा । इस Improvement Trust में किस को लगाया जाता है ? जो 22 साल का वकालत करने वाला है, जो मुकद्दमे की बाबत ही जानता है । Sanitation के point of view से इस लिहाज़ से कि सड़कें कैसे बनेंगी, वहां engineer लगाना चाहिये था । जो ये qualifications fulfil करता उसे Public Service Commission की तरफ से लगाया जाता । सरकार ने कहा कि हम इस post को Public Service Commission के purview से निकालना चाहते हैं । 1,500 रुपया माहवार देने के लिये सरकार उस post को

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री बलराम दास टंडन]
Public Service Commission के purview से निकाल देती है। अगर अमृतसर के Improvement Trust को Mandal Congress Committee का दफ्तर कहा जाए तो कोई मुबालगा नहीं। अगर हमें public के नुमायंदा के तौर पर वहां लाया जाता है तो उस मंडल के लोगों को रात को information होगी कि यहां पर यह बात होने वाली है, कल को आप भी वहां पहुँच जाएँ। (घंटी) एक मिनट और।

Mr. Chairman : No ; please resume your seat.

राजा रघुबीर सिंह (कुल्लू 'जनरल') : चेयरमैन महोदय, Budget की General Discussion के दौरान और Governor's Address पर बहस के मौका पर यह खुला इलज़ाम लगाया गया कि सरकारी मुलाज़मों को हमेशा दबाया जाता है। आज यह बात इस House में आई है, majority यह बात कहती है कि हकूमत सरकारी मुलाज़मों पर रौब डालती है। आज लाला जगत नारायण जी ने यह फरमाया कि Public Service Commission एक separate body है, इसके members की appointment President को तरफ से होनी चाहिये—यह Reorganization of States Commission की report है—ताकि पंजाब की Ministry का उस पर असर न हो। यह बात कही गई कि सरकार ऐसे आदमियों को नौकर रखना चाहती है जिन को patronage देना चाहती है। अगर सरकार मुलाज़मों पर रौब डालती है, अपने आदमियों को patronage दे सकती है तो फिर यह posts Public Service Commission के purview से निकालने की क्या ज़रूरत है ? यह certain posts के लिए है, सब posts के लिए नहीं। चेयरमैन महोदय, मैं यह समझता हूँ कि backward area और backward classes के लिए qualifications relax करनी चाहिएं। किसी सरकारी काम को चलाने के लिये बड़ी २ degrees का होना लिख दें, या वह foreign travelled हो या बहुत सारी ज़बानों को जानने वाला हो; यह नहीं चाहिये, बल्कि मुकामी तौर पर जिसे knowledge हो उस की ज़रूरत होती है। ऐसे आदमियों की ज़रूरत होती है जिन को मुकामी हालात की वाकफियत हो। चेयरमैन महोदय, श्री प्रबोध चंद्र जी इस चीज़ को यहां लाए हैं कि लाहौल और स्पिती में जो appointments होनी हैं, जो मुलाज़म रखने हैं वे भी उसी bottleneck से गुज़रें— qualification वगैरह २ और पुराना तजरबा हो, development का काम हो या कोई co-operative society का काम हो, accountant का इम्तहान पास किया हो या P.W.D. में कोई ऐसा आदमी रखना हो तो वह highly trained हो, foreign trained हो, expert हो। लाहौल और स्पिती में foreign trained और highly qualified आदमी ग़लती कर सकते हैं। चेयरमैन महोदय, मैं आप के notice में लाना चाहता हूँ कि वहां एक लाख रुपया लगा कर P.A.P. के लिए building बनाई गई। मुकामी लोग यह कहते रहे कि यहां यह building न बनाई जाए। (घंटी) मैं एक मिसाल दे रहा हूं।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री चेयरमैन : Defence के मुतअल्लिक कहने की ज़रूरत नहीं। इन services के मुतअल्लिक जो resolution में mentioned हैं कहना चाहें तो कहें। (The hon. Member need not refer to anything relating to the Defence. He may if he desires say about the services mentioned in the Resolution).

राजा रघुबीर सिंह : मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि वह headquarters की building ऐसी जगह बनाई जहां नहीं बनानी चाहिए थी। खुशकिस्मती से P.A.P. का staff वहां नहीं आया। मुकामी लोग कहते रहे कि इस जगह यह building न बनाओ इस का यहां बनाना ठीक नहीं; लेकिन वह बना दी। जो Road Inspector मुकामी तौर पर लाहौल का रहने वाला था उस ने भी कहा। वह Executive Engineer या S.D.O. की गलती थी। Backward area में खास तौर पर यह महसूस किया जाता है कि पंजाब सरकार उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रही। चेयरमैन महोदय, आप के द्वारा मैं सरकार के notice में लाना चाहता हूँ कि कांगड़ा और कुल्लू में इस वक्त यह position है कि कुल्लू का कोई बड़ा officer नहीं; वह Forest Department में Deputy Ranger तक पहुंचता है। उस की वजह यह है कि जब posts advertise होती हैं तो वहां उस वक्त information पहुँचती है जब दरखास्त भेजने की तारीख गुज़र जाती है। दरखास्त के साथ भेजने के लिये सनदें वगैरह इकट्ठी करनी पड़ती हैं। इस के लिए University के पास आना पड़ता है या लिखना पड़ता है। तो फिर वक्त नहीं रह जाता कि वे अपनी दरखास्त वक्त पर भेज सकें। सरकार की खिदमत के लिये वे नुमायंदगी हासिल नहीं कर सकते। जहां तक backward और tribal areas के लिए employment का सवाल है मैं तो यह देख रहा हूँ; चेयरमैन महोदय, Public Relations Department वालों ने एक P.R.O. मुकर्रर करना था। उस में एक specific condition थी कि वह आदमी कुल्लू dialect-knowing होना चाहिए। बदकिस्मती की बात है कि Public Service Commission में कुल्लू का कोई आदमी नहीं आया और कांगड़े का भी कोई आदमी interview के लिये न आया तो उन्होंने एक आदमी और ही चुन लिया और उस के बारे में verdict दे दिया कि यह कुल्लू की भाषा जानता है। वह P.R.O. कुल्लू में काम कर रहा है लेकिन वह कुल्लू की भाषा में lecture नहीं दे सकता। वह आदमी Kulu dialect-knowing होना चाहिये। यह ऐसी post है जिस में लोगों के contact में आना पड़ता है और अगर यह अफसर लोगों की भाषा में उन को न समझा सकें तो लोगों को दिक्कत होती है। इस लिए यह जो resolution पेश हुआ है, मैं इस को जहां तक backward areas, tribal areas और backward classes का ताल्लुक है, oppose करता हूँ। हां, अगर इस resolution के mover और उन के अनुयायी यह महसूस करते हैं कि सरकार इस चीज़ का misuse करती है तो उस रास्ते को बंद करने की कोशिश करें जिस रास्ते से misuse हो रहा है। लेकिन यह नहीं होना चाहिये कि वे backward areas के लोगों का future ही बंद कर दें, और उन के लिये

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[राजा रघुवीर सिंह]
employment का दरवाज़ा ही बंद कर दें । मैं इस resolution के हक में नहीं हूँ ।

श्री बलराम दास टंडन : जनाब चेयरमैन साहिब, मैं ने Rules को देखा है Resolution का Chapter 18 है, उस में दिया हुआ है कि एक मेम्बर 15 मिनट तक लगातार बोल सकता है । लेकिन मुझे आप ने बोलने की इजाज़त नहीं दी ।

श्री चेयरमैन : मेरा ख्याल है कि स्पीकर साहिब ने तकरीरों का वक्त 10 मिनट मुकर्रर कर दिया था लेकिन मैं ने आप को 10 की बजाए बारह मिनट allow कर दिये हैं । (I think the hon. Speaker has already decided to limit the speeches up to 10 minutes. But I have allowed the hon. Member to speak for about 12 minutes).

श्री बलराम दास टंडन : जनाब, इस के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ था । स्पीकर साहिब ने कोई announcement इस के बारे में नहीं की । अगर कोई फैसला हुआ हो तो उस को हम मानने के लिये तैयार हैं ।

श्री चेयरमैन : इस resolution के लिये 2 घण्टे वक्त मुकर्रर किया गया है और बहुत सारे hon. members debate में हिस्सा लेना चाहते हैं इस लिये हर एक के लिये 10 मिनट काफी हैं । मेरा विचार है कि concensus of opinion भी यही है । (Only two hours' time has been allotted for the discussion of this resolution and large number of Members want to participate in the debate. Therefore ten minutes are enough for each hon. Member. I think this is also the concensus of opinion.)

(*When Chaudhri Sunder Singh was called to speak there was a thumping of tables in the house.*)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ): ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ thumping ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : On a point of order, Sir. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ cheer ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ Parliamentary way ਹੈ ?

Mr. Chairman : It is not a "Shararat".

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ resolution ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ Minister ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਜੇ Subordinate Services Selection Board ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ । 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਤੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ Public Service Commission ਦੇ purview ਵਿਚ ਸਨ । ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਢਿਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ । ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ । ਜਿਥੇ ਮੇਰਾ ਦਾਅ ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ । ਮੈਂ proposal ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ Board ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ Member ਹਰੀਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ through ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ third division ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ Annual Report on the working of the Punjab Public Service Commission from 1st April, 1958 to 31st March. 1959 ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ interview ਹੋਈ ਤਾਂ more of the candidates was found to be suitable. Public Relations Department ਵਿਚ Scheduled Castes ਲਈ post reserve ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ suitable candidate ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਅਗੇ 33 posts ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ "unsuitable ਅਤੇ ineligible" ਸਨ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ ਰਖਿਅ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਰਖ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ Commission ਦੇ purview ਵਿਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਢ ਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ qualifications ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਘਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਖ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ suitable ਹਰੀਜਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ policy ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ economic condition ਨੂੰ improve ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ Commission ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰਖੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਮੁਖਾਲਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਨੌਕਰੀਆਂ Commission ਦੇ purview ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ । ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਤਾਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਰਲ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਇਕ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਹੀ ਰਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ discuss ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ benches ਤੋਂ ਅਤੇ Opposition ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ posts Public Service Commission ਦੇ purview ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, Commission ਦੀ powers ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, constitution ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Constitution ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ? ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕਫ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੜਕਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਗੁਟਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Constitution ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ Constitution ਦੇ provision ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਕਫੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ Constitution ਨੂੰ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਔਰ Constitution ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ Constitution ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਸ eventuality ਨੂੰ foresee ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ Public Service Commission ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ provision ਨੂੰ ignore ਕਰਕੇ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ services ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ qualified ਹੋਣ ਔਰ ਰੌ-ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ appointment ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ administration ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ—ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਵੋ ਕਿ administration ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਅਜ ਕਲ public ਦੀ opinion ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ruling party ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕਿ corruption, mal-administration ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਦਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ services ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ degree ਤੇ ਆਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ? ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ services ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ democracy ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ resolutions ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੈਰ ਮਕਦੱਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

services ਵਿਚ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਦੋ B. D. O.s ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ nepotism ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ B.D.O. ਔਰ ਇਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ House ਵਿਚ ਰਖੀ । ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਵਾਕਫ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ B.D.O. ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਫੇਰ ਜਦ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ public meeting ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ B.D.O. ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲੜਕਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ । ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ public meeting ਵਿਚ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ— ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ Constituency ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ? ਕੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ judge ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ public ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਧਨੇ ਹਾਂ— ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ । ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ services ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ? ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ? ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ! ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ executive ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ undemocratic ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ultimate master public ਹੀ ਹੈ—ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਵੇਗੀ । ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

श्री राम चन्द्र कामरेड (नूरपुर) : जनाब चेयरमैन साहिब, किसी भी मुल्क में जम्हूरियत के इस्तहकाम के लिये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी होता है । सब से पहली बात तो यह है कि administration पाक दामन हो । दूसरे यह कि Executive को Judiciary से अलग किया जाये ताकि executive मन मानी न कर सके और अगर किसी कदम पर वह ऐसी गलती कर जाये तो Judiciary उस के खिलाफ फैसला दे सके । मतलब यह कि Judiciary Executive से बिल्कुल अलग हो और Judiciary की independence कायम रहे । लेकिन चेयरमैन साहिब, पंजाब में कुछ देर से तजरुबा यह बताता है कि यहां Executive मन मानी कर रही है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम चन्द कामरेड]

तीसरा तरीका यह है कि मुलाज़मतों में भरती एक ज्याज़द पब्लिक सर्विस कमिश्न करे ताकि सरकारी मुलाज़म गैर-तरफदारी और ज्याज़ाती से फर्ज़ अदा करें। असूल यह है कि Ministers may come, Ministers may go but the services remain for ever, इस वास्ते administration को मिनिस्ट्री के दबाव से अलग कर दिया जाए। उस को अलग करने का तरीका यह है कि Public Service Commission बनाई जाए उसी की मार्फत मुलाज़मतों में भरती की जाए ताकि प्रजा को भी मालूम हो और खुद मुलाज़मतों को भी मालूम हो कि वह किसी एक शख्स के मातहत नहीं हैं। किसी एक शख्स की सेवा या मातहती कर के या स्वार्थ पूरा करने के लिये भरती नहीं हुए बल्कि public की तरफ खास फरायज़ अदा करने के लिये उन की तकुर्ररियां हुई हैं और उन्हें खास set असूलों और set कायदों के अन्दर ही चलना है। लेकिन चेयरमैन साहिब, आप देखते ही हैं कि यके बाद दीगरे हर रोज़ सरकार की तरफ से ऐसे फरमान आते हैं कि फलां मुलाज़मतों को Public Service Commission के दायरा-ए-अख्तियार से निकाला जा रहा है, फलां posts को उस के purview से निकाला जा रहा है। आज भी मेरे पास इसी चीज़ को support करने के लिए कागज़ात के दस बारह पलंदे पड़े हुए हैं। किन २ posts को इस तरह निकाला गया है वह मैं आप को बताता हूँ। वह हैं

"All posts in the Food and Supplies Department when filled by the appointment of ex-employees of the Civil Supplies Department, Punjab

One Accounts Officers,
One Assistant Director,
One Statistical Officer,
One Administrative Officer,
Four District Food and Supplies Controllers
} in the Food and Supplies Department, Punjab.

Editor (Urdu) in the Public Relations Department, Punjab.

Youth Welfare Officer for Girls in the Education Department.

Additional Advocate-General, Punjab.

All posts in all departments with initial salary of Rs 160 per mensem and above, created or to be created for the Lahaul and Spiti area.

Supervisor for the Cafetaria in the New Secretariate Building.

Staff Officer in the Civil (Home) Defence Department."

इस तरह, जनाब चेयरमैन साहब, मैं अर्ज़ करता हूँ कि कोशिश यह हो रही है कि पंजाब में जम्हूरियत का गला काट कर वहां पर महाराजा प्रताप सिंह का राज कायम किया जाए। इस बात को यहां पर रायज करने की कोशिश की जा रही है कि मुलाज़मतें भी यही समझें कि हम यहां पर एक ही शख्स यानी महाराजा प्रताप सिंह की तफैल से ही काम कर रहे हैं, असेम्बली तो वाहद अंगूठा लगाने के लिये ही है—होगा वही जो महाराज साहिब

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चाहेंग । जब हालात यहां तक पहुँच चुके हैं तो कोई भी शख्स यह आशा नहीं रखता कि वह उन Magistrates से, जो कि सीधे executive के मातहत हैं, इन्साफ हासल कर सके । हर तरफ प्रताप सिंह कैरों का हुक्म चल रहा है । Public Service Commission की independence और पवित्रता खत्म की जा रही है । कभी B.D.Os. की आसामियों को उस के दायरा-ए -अख्तियार से निकाला जा रहा है तो कभी Public Relations Department के Supervisors को कभी कुल्लू के नाम पर आसामियों को उन से छीना जा रहा है और कभी लाहौल और स्पिती के नाम पर । हर आदमी सरदार साहिब की तरफ आंखें लगाए बैठा है कि चूंकि हम ने उनकी खिदमत की हुई है इस लिये जब कभी Public Service Commission के दायरा-ए-अख्तियार से आसामियां निकलेंगी तो हमारे देवता हमें वरदान देंगे । इस का नतीजा यह हुआ है कि सूबे की सूरतें हालात बहुत नाजुक सूरत अख्तियार कर चुके हैं, गवर्नमैंट की हालत निहायत रद्दी और नाकस हो चुकी है । जब असेम्बली का इजलास होता है तो चेम्बर के बाहर सेंकड़ों आदमियों का मेला लगा रहता है । वह क्यों आते हैं ? वह जानन हैं कि चीफ मिनिस्टर से ही सारा काम हो सकता है क्योंकि इखतयार उन्हीं के हाथ में है । इस लिये, मैं, समझता हूँ कि जो पहली चोट चीफ मिनिस्टर साहिब ने जम्हूरियत को लगाई है वह यह कि Executive और Judiciary को इक्ट्ठा रखा हुआ है । दूसरी बड़ी चोट जो उन्हों ने लगाई है वह Public Service Commission के दायरे को तंग कर के लगाई है । इस लिये, मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो आदमी आप की हां में हां करते हैं वे बड़े खुशामदी हैं । यह ठीक है कि वे सच मुच आप के मित्र भी हैं । लेकिन public के साथ उन का बड़ा बेइनसाफी का सलूक है । और मैं तो कहता हूँ कि यह चीज़ Constitution के खिलाफ हो रही है । अब मैं B.D.O.s की तर्कुररी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ । मैं इस बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि B.D.O.s की तकुर्री Public Service Commission के दायरे से निकालनी नहीं चाहिये थी । इन्हों ने किया यह है कि B.D.O.s की तकुर्ररी जो है वह आधी Public Service Commission के हाथ रहे और आधी निकाल ली जाये । इस कारवाई से जाहिर है कि कमीशन के लिये यह नौकरियां करना असम्भव है । उस में भरती करने की योग्यता है । फिर इन नौकरियों को कमिशन के अधिकार में निकालने से साफ ज़ाहिर होता है कि इस मामले में इन की नीयत साफ नहीं है । इस तरह से आधी नौकरियां Public Service Commission के अख्तियार से निकाल लेना मैं समझता हूँ this is illegal and unconstitutional. केवल आधी नौकरियों का निकाल लेना यह ज़ाहिर करता है कि इस में कुछ favouritism का question है और कुछ nepotism का question है, और यह नहीं होना चाहिये। इस तरह से नौकरियां देने का सिलसिला जो महाराजा प्रताप सिंह ने शुरू किया हुआ है इस का नतीजा यह निकला है कि बहुत से B.D.O.s गलत काम कर रहे हैं और जिस की वजह से उन पर कई जगहों पर मुकद्दमे चल रहे हैं । इसी तरह से हरिजन Welfare Department की नौकरियां हैं । जिस तरीके

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम चन्द्र कामरेड]
से वह पुर की गई हैं और जो आदमी वहां लगाए गए हैं उस के नतीजे के तौर पर आज Harijan Welfare Department के कई अफसरों के खिलाफ गबन के मुकद्दमे चल रहे हैं ।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ ਤਾਂ Public Service Commission ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ।

श्री राम चन्द्र कामरेड : सरदार गुरबंता सिंह जी फरमाते हैं कि वह नौकरियां Public Service Commission के दायरे से नहीं ली गईं । तो मैं उन से पूछता हूँ कि अगर वे Public Service Commission के ज़रिये पुर की गई हैं तो एक नन्द सिंह किस तरह से भरती हो गया जो कि बिल्कुल अन पढ़ है । उस को किस ने लगाया है ? क्या उस को Public Service Commission ने लगाया है ? यह आप ने ही लगाया है । मैं कहता हूँ कि यह गलत चीज़ है कि जो आप कह देते हैं कि आप दरखास्त दे दें हम मुकर्रर कर देंगे ।

चेयरमैन साहिब, मैं आप से यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरीका से यह चीज़ें की जा रही हैं इस का मतलब सिवाय इस के और कुछ नहीं है कि यहां जमहूरियत का गला घोंट दिया जाये और आज जो यहां M.L.As. बैठे हुए हैं हम भी अपने फर्ज़ की कोताही कर रहे हैं । इस वासते यह जो लोगों के constitutional rights पर हमला किया जा रहा है और इन्साफ की राह में रुकावट डाली जा रही है, इस के लिये हमें चीफ मिनिस्टर साहिब से यह कहना चाहिये कि इन बातों में हम उन के साथ इत्तेफाक नहीं रखते । इस लिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि श्री प्रबोध चंद्र जी ने जो resolution पेश किया है यह बड़ा अहमियत का resolution है । मुख्य मंत्री जी का तरीका personal लोगों को oblige करने का है वह Democratic Rule के स्थान Personal Rule कायम कर रहे हैं । मैं France की एक मिसाल आप को देता हूँ । France में जो Nepoleon III था वह पहले वहां जमहूरियत का President बना और जमहूरियत का President बनने के बाद उस ने State की सारी services में अपने आदमी ले लिये । अगर services में सारे आदमी अपने ले लिये जाएं तो वह उस की सारी बातें मानेगी ही । जब यह किसी लड़के के बारे में कह देंगे कि यह लड़का बड़ा होनहार है और बड़ा लायक है चाहे वह कुछ भी न तो service में उसे ले लिया जायेगा । तो मैं Nepoleon III की बात सुना रहा था । आप को यह तो पता ही है कि इसी तरह से Nepoleon III ने services में तमाम अपने आदमी ले कर जमहूरियत का President होने की बाजाये Nepoleon Emperor बन गया था । इस लिये, मैं, अर्ज करता हूँ कि यह चीज़ें ज्यादा अर्सा तक नहीं रह सकतीं और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

यह चीजें पंजाब में भी ज्यादा अर्सा तक कायम नहीं रह सकेंगी । इस बारे में यह ठीक कहा गया है—

करीब है यार रोजे महशर का ।
छिपेगा पुश्तों का खून क्योंकर ।
जो चुप रहेगी ज़बान,
खंजर लहू पुकारे गा आस्तीन का ।।

मुख्य मंत्री जिस तरह से services में अपने आदमी ले कर यहां corruption फैला रहे हैं लोग इस पर खुश नहीं हैं । बेशक वे इस वक्त चुप हैं लेकिन पांच साल बाद उन्हों ने अपना फतवा देना है । इस लिये इन चीज़ों को ज़रूर बदला जाये और हमें होश्यार होना चाहिये क्योंकि यहां पर रोज़ जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश हो रही है । यह जो Public Service Commission के दायरा से रोज़ posts निकाली जाती हैं तो योमे महशर पर आप को इस का जबाब देना पड़ेगा । इस लिये तमाम मेम्बर साहिबान का फर्ज़ है कि वह चीफ मिनिस्टर से कहें कि हम उन की इन बातों से इत्तफाक नहीं रखते । इतना कह कर 'स्पीकर साहिब, यह resolution जो श्री प्रबोद्ध चंद्र जी ने पेश किया है, मैं इस की ताईद करता हूँ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ੀਆਰਪੁਰ, 'ਜਨਰਲ') ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, Contitutions ਨੇ Public Service Commission ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ services ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹ impartial ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ । ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ । ਫਰਾਂਸ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਲੀ ਤੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈ । ਉਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ daily ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਨ । ਉਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਉਥੇ ਉਸ ਮਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ services ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉਥੇ ਦੀਆਂ services ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ services ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ Public Service Commission ਦੀ ਜਿਹੜੀ report ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਫਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ :—

"Government proposed the exclusion of these posts from the purview of the Commission and asked for their comments. The main argument advanced by Government was that candidates for these posts have necessarily to be prominent public speakers who are able to speak fluently, have suffered for the cause of the country and who can control rural publicity. The Commission expressed their inability to agree to the proposal as they thought that there was no reason to presume that they would not be able to make proper selection keeping in view the special needs of the post."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ backward areas ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Public Service Commission ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ simple ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ minimum qualifications ਰਖ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦੇਣ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਹੌਲ ਔਰ ਸਪਿਤੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ qualifications ਦੇ ਆਦਮੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ qualifications ਦੇ ਆਦਮੀ Public Service Commission ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ services demoralize ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ posts ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Public Service Commission ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿਚੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ reasons ਹਨ। ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਗ਼ੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ reasons ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੁਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ services demoralise ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ Constitution ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕ ਕੇ ਅਸਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ disservice ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Public Service Commission ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ posts ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ qualifications ਰਖੀਆਂ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ scheduled castes ਤੇ backward areas ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ qualifications ਵਿਚ ਢਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

3 p.m.

ਇੰਨੀ qualification ਘਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ area ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਕਿ Public Service Commission ਉਸੇ qualification ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ select ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ pet ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ services ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤਦ ਤਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਫਲਾਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ sweet will ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ time ਦਿਤਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : जनाब चेयरमैन साहिब, मैं ने constitutional pandits के sermons की ओर democracy के नाम पर बोलने वालों की sermons को बहुत गौर से सुना है। एक बर्जुग साथी यह कह गये कि Reorganisation Committee की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमिशन की appointment President को करनी चाहिये। यह मैं कह सकता हूँ कि उन की राए Parliament को भेज दी जायगी ताकि अगर वह चाहें तो इन की राय के मुताबिक वह Constitution को amend कर सकें। इस

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

वक्त जिस कानून के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमिशन बनता है, वह यह है :–

"In the case of the Union Commission or a Joint Commission, the President and in the case of a State Commission, the Governor of the State may by regulations..................."

इस लिये जो Constitution में दर्ज है उसी के मुताबिक हम काम करते हैं । गवर्नर ने यह appoint करनी है । प्रैज़िडैंट साहिब से हम यह उम्मीद नहीं करते । कुछ कायदे और कानूनों के मुताबिक यह कमिशन नोमीनेट हुआ और गवर्नर साहिब ने किया । कुछ रूल्ज़ बनाए जिन की बिना पर पहले ही कुछ चीज़ें इन के purview से निकाली गईं । इन चीज़ों के बारे में इस कमिशन से consult करने की ज़रूरत नहीं है । यह बात Constitution में नहीं है कि जो यह कमिशन कहे वह सरकार को मानना ही होता है । Emergency या political reasons की वजह से हम उन को consult भी न करें । यह अख्तियार सरकार को Constitution के मुताबिक है । अब मैं यह अर्ज़ करता हूँ कि कोई पोस्ट कमिशन के purview से निकलती कैसे है । जब किसी पोस्ट के बारे में यह महसूस किया जाता है कि यह उन से ले ली जाये तो इस का फैसला केबनिट करती है न कि कोई अकेला वज़ीर । फिर कैबिनट कमिशन को लिखती है कि हम यह पोस्ट आप के परवियू से निकालना चाहते हैं । उस से यह मुत्तफिक हों या न हों । अगर वह न माने तो सरकार गवर्नर से ऐपरोच करती है कि इस पोस्ट का कमिशन के परव्यू (purview) से निकालना public interest में ज़रूरी है तब इस का फैसला होता है । यहां जो बातें की गईं वह इस तरह से की गईं जैसे कि पब्लिक सर्विस कमिशन के पास कोई काम ही न हो और सारी पोस्ट्स उन के purview से निकाल ली गई हों । अगर आप रिपोर्ट को पढ़ें तो आप देखेंगे कि इम्तिहान और इन्टरवियू के बाद उन्होंने 187 recomendations कीं और उन में से कोई भी ऐसी नहीं है जो मानी न गई हो । अगर कोई recommendation ऐसी वैसी मालूम हो तो उन को दोबारा लिखा जाता है कि यह बात ऐसी है आप की क्या राये है । अब जो पोस्ट्स उन के परवियू में नहीं हैं और Constitution हमें उन्हें एप्वांयट करने की इजाज़त देता है उन के मुताल्लिक मैं क्या कहूँ । इस में हम किस असूल के खिलाफ काम करते ह । कहा गया है कि Honorary Sub-Registrars मुकर्रर कर लिए, कहा गया कि Chairmen, Improvement Trusts निकाल लिये । जनाब वाला, कुछ लोकल बाडीज़ की पोस्ट्स गवर्नमैंट ने खुद कमिशन के सुपुर्द कीं । Improvement Trusts के Chairmen select नहीं होते वह तो इन Trust के साथ ही नोमिनेट होते हैं । Honorary Sub-Registrars की पोस्ट्स ऐसी permanent नहीं हैं कि जिस को परव्यू से निकालना पड़े । यह तो उन के purview में है ही नहीं । यह जो रैज़ोल्यूशन है यह सिर्फ दो पोस्ट्स के मुतअल्लिक है । मैं उन्हीं का ज़िक्र करूँगा बाकी का नहीं करूँगा । फिर यह कहा कि टाइम नहीं था। मगर यह रैज़ोल्यूशन तो बहुत दिनों से आया हुआ है । और यह रिपोर्ट बहुत मुद्दत

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

पहले पेश हुई थी । उन्हीं ने सिर्फ इन दो ही आइटम्ज़ को यह समझ कर चुना कि इन में इन का केस बहुत मज़बूत होगा । जनाबेवाला, इन में से पहली item तो यह है :

"All posts in all departments with initial salary of Rs 160 per mensem and above, created or to be created for the Lahaul and Spiti area.

Provided a resident of that area is appointed thereto."

कन्स्टीट्यूशन के मुताबिक बैकवर्ड और Scheduled Castes के लिए reservation हो सकती है किसी इलाके के लिये reservation नहीं हो सकती । अगर कोई रिज़र्वेशन करनी हो तो हिंद सरकार के पास रिक्मैंडेशन की जा सकती है । अगर वह इजाज़त दें तो purview से निकाल सकते हैं ।

(*At this stage, Mr. Speaker occupied the Chair.*)

इस लिये जब लाहौल और स्पीती के इलाके में ऐसे आदमियों को मुकर्रर करने की ज़रूरत पड़ी जो उन के रहन सहन के तरीके को जानते हों, उन की ज़बान जानते हों तो इस ज़रूरत को सामने रखते हुये इन पोस्ट्स को उसी इलाके के रहने वाले लोगों को देने के लिये कमिशन के purview से निकाल लिया गया । और यह अपने आप ही नहीं कर लिया गया बल्कि कमिशन को खत लिखा गया कि इस बात की इस लिये ज़रूरत है :

"The areas of Lahaul and Spiti are far flung and backward, with a low standard of education. The residents of this area find themselves handicapped in the matter of educational facilities as compared with the residents of other parts of the State with the result that candidates from this area cannot compete with the candidates from the plains. Moreover, the dialect of the area being different and the climate highly unsuitable for persons hailing from the plains, the latter do not relish being posted in this area and if posted, do not put their best in their work and frequently try to get themselves transferred from there. In order to help the people of this area by taking them into various services under the State Government, as also to ensure that work in this area is done effectively, it was decided to take all posts in the are a out of the purview of the Public Service Commission. The Commission who were consulted in the matter agreed to the proposal. Accordingly, all posts created or to be created in the Lahaul and Spiti area were taken out of P. S. C.'s purview with the approval of Council of Ministers."

दूसरी post जिस के लिये कहा गया है वह है staff officer in the civil (Home) Defence Department. इस के मुतअल्लिक मैं सिर्फ note ही पढ़ कर सुना देता हूँ इस से ज्यादा मुझे इस के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं और न ही मैं मुनासिब समझता हूँ ।

The post of Staff Officer in the Civil (Home) Defence Department was taken out of the purview of the Public Service Commission as the activities of this Department are of a secret nature and do not require publicity. The Commission who were consulted in the matter agreed to this post being taken out of their purview. The post was, therefore, excluded from Commission's purview with the approval of Council of Ministers."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

इस लिये आप देखेंगे कि जिस Resolution पर mover साहिब ने ज़ोर दिया है और जिन posts को strong समझा उन के बारे में एतराज़ किया है वह Public Service Commission के agreement से उन से लिख कर पूछ कर और उन के मशवरे से उनके purview से निकाला गया। इस लिये यह कह देना कि हम मनमानी करते हैं, हम democracy के खिलाफ चलते हैं हम Constitution के खिलाफ जाते हैं ठीक नहीं। मुझे France और America की Constitution का हवाला दिया गया। मैं इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ कि फ्रांस और अमेरिका की Constitutions को पढ़ूं। हम तो India की Constitution को जानते हैं और उस के मुताबिक काम करते हैं। Public Service Commission के मैम्बरान को Governor ने appoint किया है और Governor को ही इख्तियार है यहां पर President के पास जाने की ज़रूरत नहीं appointments के लिए। इस लिये, जनाबेवाला, एतराज़ करना कि Governor साहिब को मेम्बरान की appointment का इख्तियार नहीं और फिर यह कहना कि Public Service Commission के मेम्बरान को Chief Minister ने appoint किया है और मनमानी की है और कायदे के मुताबिक नहीं किया, यह इस हाउस के मैम्बरान की शान के खिलाफ है कि वह Public Service Commission के मैम्बरान के खिलाफ इस तरह के एतराज़ करें। जब कि वह constitution के मुताबिक appoint किए गए हों।. हमें इस बात का एहताम है कि जो कायदे हैं उन के मुताबिक काम हो। हम कायदे के खिलाफ नहीं जाते।

जनाबेवाला, Public Service Commission ने report तैयार की है और उस schedule में दर्ज है कि 187 posts हैं और उन के आगे remarks लिखे हुये हैं उस में कोई भी ऐसी post नहीं जहां पर Government ने उनकी recommendation को न माना हो। सिर्फ तीन posts में delay हुई वह इस में लिखा है। इस Resolution को पेश करने वाले मेम्बर साहिब ने इस report को पढ़ने की कोशिश नहीं की। अगर उन्हों ने इस report को पढ़ा होता तो इस को refer करते लेकिन उन्होंने इस point को refer नहीं किया। इस लिये मेरे लिये यह ज़रूरी नहीं कि इस को refer करूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किन posts को इन के purview से निकाला गया है वह पूरे agreement से निकाला गया है।. Public Service Commission ने अपनी concurrence दी है जहां तक कि Lahaul और Spiti में काम करने का ताल्लुक है। और दूसरी जो post है Staff Officer in Civil (Home) Defence Department की, यह इस लिये निकाली गई कि इस को publicise करने से हमारी State को ही नहीं, हमारी country को नुकसान होने वाला था और इस लिये ज़रूरी था कि इस post को उन के purview से निकाल कर appointment की जाये। इस में किसी nepotism या favouritism की बात नहीं।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

इसी तरह जो Lahaul और Spiti Area की posts हैं वह भी निकाली गई हैं। वहां पर Advisory Committee भी बनी हुई है। उन से मशवरा कर के और पूछ कर posts को पुर करने की कोशिश की जाती है।

जनाबेवाला, मेरे पास Development का Department था और जब Lahaul and Spiti में Development block खोलने का फैसला किया गया तो सवाल यह पेश आया कि किस को वहां पर भेजा जाए। जो वहां के रहन सहन को जानता हो वहां की जबान को जानता हो। इस तरह का आदमी तलाश किया गया और दूसरी जगह से निकाल कर B.D.O. बना कर उसे भेजा गया। इस में Public Service Commission को न पूछने का सवाल नहीं पैदा होता। हम ने इन posts की नौइयत को देख कर उन की रजामंदी से उन के purview से निकाला और Rules and Regulations बनें हैं उन के मुताबिक काम किया। Exception की लेकिन concurrence के साथ। अंग्रेजी में कहावत है exception proves the rule इस के साथ 187 posts हैं जो उन्हों ने लगाई हैं। उन को नहीं देखते।

इस के इलावा, मैं एक और बात का जिक्र कर दूं इस report में examinations के बारे में दर्ज किया गया है और बताया गया है कि examiners बहुत interesting जवाब देते हैं। सवाल था कि —

What are the reasons for the moon being cold
और जवाब दिया गया —It is an embodiment of love.

किसी से पूछा गया कि देश की food का मसला कब हल होगा तो जवाब दिया गया कि जब नहर स्वेज के blockade को अपने हाथ में लिया जाये गा। इस तरह के और दो तीन सवाल दिये हुए हैं। इन्हें देखकर दुःख होता है कि यह जो राए Public Service Commission ने हमारे graduates के बारे में दी है इस से पता लगता है कि हमारा standard of education low है। इसे सोचने की जरूरत है। Standard low होने के कारण desirable candidate नहीं मिलते फिर जो qualifications Government service के लिये चाहिये वह हम suggest करते हैं। जब हम posts के बारे में requisition इन्हें भेजते हैं तो हम लिखते हैं कि ऐसी qualification का आदमी चाहिए। पर ऐसा भी होता है कि Public Service Commission इन qualifications में amendment पेश करता है और इन्हें मान लिया जाता है। Block Development Officers के बारे में यह मुकर्रर करना था कि वह कौन सी language जानता हो। इस पर बहुत देर तक correspondence चलती रही। आखिर में, इन के मशवरे से यह मुकर्रर किया गया कि इस तरह के आदमी लिए जाएँ। इन सब बातों के बारे में तो किसी भी मेम्बर ने जिक्र नहीं किया और न ही Public Service Commission की report को पढ़ा है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

जनाबेवाला, यहां पर कोशिश की गई Cabinet के मेम्बरान में कुछ इख्तलाफ डालने की । कि B.D.O.s जब बनाने थे तो 50 प्रति शत तक Department की मर्ज़ी से रखे गए और यह सिर्फ एक मिनिस्टर के वक्त किया गया और जब दूसरा मिनिस्टर आया तो 25 प्रति शत कर दिया और 75 प्रति शत Public Service Commission के through लिये जाने लगे । जब वह चला गया तो फिर इस percentage को कम कर दिया कि उस के आदमियों को chance न मिले । जनाबेवाला, मैं इस के बारे में अर्ज़ करूँ कि जब Development Department का charge मेरे पास था तो फैसला हुआ कि B.D.O.s मुकर्रर करने हैं वह किस तरीके से किये जाएं और यह तह पाया कि Departments से लिए जाएँ जिस की 5 साल की service हो और Beneficiary Departments की service हो या social service की हो । और फिर 75 प्रतिशत तो Public Service Commission पुर करता है और बाकी 25 प्रतिशत से । 12½ per cent political workers से और 12½ per cent social workers से लिए जाएँ । इस में कोई ऐसी बात नहीं कि Cabinet के Member अपनी मर्ज़ी से इन आसामियों को पुर करना चाहते थे और एक के पास महकमा गया तो उस ने अपने आदमी भर लिये और दूसरे के पास Department गया तो उस ने अपने आदमी ले लिये । इस तरह की कोई बात नहीं । जब मेरे पास यह महकमा था मैं ने एक कमेटी मुकर्रर की हुई थी कि वह select करें । मैं खुद नहीं appoint करना चाहता । अब भी इस तरह की posts खाली पड़ी हैं। इस तरह की कोई बात नहीं जो मेरे साथियों को Cabinet के खिलाफ नज़र आई हो । जितनी भी posts Public Service Commission के purview से निकाली जाती हैं वह Cabinet के decision के बगैर नहीं निकाली जातीं और decision Cabinet करता है । न चीफ मिनिस्टर साहिब posts को purview से निकाल सकते हैं न चीफ Secretary के note से posts purview से निकाली जाती हैं । Cabinet में काम rules के मुताबिक होता है और Constitution के मुताबिक काम होता है जो ज़रूरी था मैं ने अर्ज़ कर दिया है इस लिये इस Resolution को throw out करना चाहिये अगर इस के mover साहिब इसे वापिस न लें तो ।

Mr. Speaker : Question is—

That the order of the Governor relating to the additions made to Schedule 'A' of the Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955, namely—

'26. All posts in all departments with initial salary of Rs 160 per mensem and above, created or to be created for the Lahaul and Spiti area :

Provided a resident of that area is appointed thereto.

28. Staff Officer in the Civil (Home) Defence Department.' be replealed.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Mr. Speaker]

was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

---

*OBSERVATION BY THE SPEAKER REGARDING BEHAVIOUR OF A MEMBER

श्री अध्यक्ष : मेरे पास मौलवी अब्दुल गनी डार की तरफ से एक letter आया है जिस में उन्होंने मुझ से मुआफी चाही है । आप लिखते हैं कि यह अलफाज़ उन के मुंह से निकल गये थे जो मेरी शान के शायां नहीं थे । वह इन अलफाज़ को वापस लेते हैं और मैं भी उन के ऊपर जो बैन लगाया गया है उस को वापस लेता हूं । (I have received a letter from Maulvi Abdul Ghani Dar in which he has tendered an unqualified apology. He has stated that the derogatory words used by him just escaped his lips inadvertently. He has now withdrawn those words. I, too, withdraw the ban imposed on him).

RESOLUTION UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION 61 OF THE ELECTRICITY (SUPPLY) ACT, 1948

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana—'General') : I beg to move—

> That the Annual Financial Statement (II Supplementary Budget Estimates) for the year 1959-60 and the Annual Financial Statement (Budget Estimates) for the year 1960-61 of the Punjab State Electricity Board laid on the Table of the Vidhan Sabha on the 18th March, 1960, be taken into consideration.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜਟ series Electricity Board ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਾਉਸ ਦੇ Table ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਇਸ ਹਾਉਸ ਦੀ Table ਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ discussion ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ discussion ਲਈ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਤੇ ਵੀ ਉਚੇਚਿਆਂ ਇਸ ਰੇਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ certain rules ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ House ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਿਕ discuss ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ Minister Incharge ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਇਸ

---

*Note.—For reference please see proceedings at pages 77—79 *ante*.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਦੇ ਮੁਤੱਲਅਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ । ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁਅਜ਼ਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

Electricity Supply Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ:—

"61. *Annual Financial Statement.*—(1) In February, of each year the Board shall submit to the State Government a statement in the prescribed form of the estimated capital and revenue receipts and expenditure for the ensuing year.

(2) The said statement shall include a statement of the salaries of members, officers and servants of the Board and of such other particulars as may be prescribed.

(3) The State Government shall as soon as may be, after the receipt of the said statement cause it to be laid on the Table of the House or as the case may be, Houses of the State Legislature ; and the said statement shall be open to discussion therein, but shall not be subject to vote.

(4) The Board shall take into consideration any comments made on the said statement in the State Legislature...."

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ Statement ਨੂੰ ਏਥੇ Table ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ ਔਰ discussion ਲਈ ਦਾਅਵਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ disregard ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਏਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:-Board shall take into consideration any comments made on the said statement in the Legislature. ਇਹ note ਏਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਸਮਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : A representative of the Board has now come in the official gallery.

Sardar Bhupinder Singh Mann : I am glad, Sir. I want that this sort of scant regard for the House born out of absolutely fallacious arguments and notions should crumble down.

Mr. Speaker : Order please. It is 3.30 p. m. Now the House will adjourn.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Will I be permitted to continue my speech.

Mr. Speaker : Yes.

3.30 p.m. | (*The Sabha then adjourned till* 12 *noon on Thursday the* 31*st March,* 1960).

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha Debates

31st March, 1960

VOL. I—No. 30

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 31st March, 1960.

P.T.O.

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1960

Price : Rs. 4.45 nP.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Original with:
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by:
Panjab Digital Library

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 30, DATED THE 31ST MARCH, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
Add the word 'Dhillon'	before the word 'in'	(30)1	4
Goswami	Goshwami	(30)9	4th from below
Sein	Sain	(30)14	14
अर्ज़ियां	अर्ज़ीयां	(30)16	23
withdrawal	withdrawn	(30)16	3rd from below
encyclopaedia	encylopaedia	(30)18	13
complaint	complainant	(30)18	32
certificates	cortificates	(30)22	22
Serial	Seria	(30)26	First
issued	issue	(30)31	23
II	IInd	(30)34	30
Read 'ਜੀ' after the word 'ਜਾਂ'		(30)35	29
Department	Arepartment	(30)37	last but one
real	rea	(30)37	Last but one
brothers	others	(30)37	Last
Sahib's	Sahibs'	(30)47	6th from below
मर्दों	मर्दी	(30)49	First
गया	गय	(30)49	15
हैवानी	है वानी	(30)50	3
succession	successions	(30)53	8
वेटी	वेमी	(30)65	3
शास्त्री	शर्मा	(30)66	First

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Read	*for*	*on page*	*line*
Add the word 'ਦਲ' after the word 'ਅਕਾਲੀ'		(30)70	20
ਮੈਂ	ਮੈਂ	(30)74	3
बना	बनी	(30)75	First
ਕੇ ਪਿਛੇ	ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛੇ	(30)82	:
ਉਥੋਂ ਨਾਲ	ਉਥੇ ਨਾਲ	(30)82	21
ਸਹੁਰੇ	ਸਹਰੇ	(30)85	4th from below
किया	कि या	(30)87	13
अपनी	अपना	30)91	19
बनाए	बानए	(30)92	9
हमें	हम	(30)92	12
रोको	रोकी	(30)92	last
तहज़ीबोतमद्दन	तहज़ीबोतमछम	(30)93	First
General	Ghneral	(30)93	3rd from below

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 31st March, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, at* 12.00 *noon of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SETTING UP OF A CO-OPERATIVE SUGAR MILL AT HAMIRA

***5471. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a Co operative Sugar Mill at Hamira;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether Government intend to purchase the machinery of the existing Hamira Sugar Mills; if so, on what terms together with the reasons therefor;

(c) whether any representation has been received asking the Government not to purchase the machinery referred to in part (b) above; if so, the decision, if any, taken in this respect?

Shri Mohan Lal : (a) Yes.

(b) No.

(c) Question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੀਰਾ ਵਿਚ Co-operative Sugar Mills ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਇਹ Co-operative Sugar Mills ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਲ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

Part (b) of the question is—

Whether there is any proposal under the consideration of Government.

ਮੈਂ ਤਾਂ proposal ਦੇ ਮੁਤੱਅਲਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਪੁਛਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ proposal ਨੂੰ finalize ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Proposal ਜ਼ੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮੀਰਾ ਮਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਵਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਛੱਡੋ ਇਸ ਨੂੰ । (Leave it please.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ information ਮੰਗਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ contribution ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ।

WATERLOGGING ON ACCOUNT OF SEEPAGE IN OLD CANALS

***5133. Shri Ram Piara** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government are aware of the fact that much of the waterlogging in the State is due to the seepage from the old canals;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether there is any proposal under the consideration of Government to start some seepage drains in the State; if so, their details canalwise and districtwise?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Yes. Seepage from canals is considered to be one of the main causes.

(b) Yes. All the surface drains, where sufficient outfall may be available, are proposed to be deepened in the affected areas so as to act seepage-cum-storm water drains. Detailed proposals are under investigation and formulation.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : जनाब डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि proposal under consideration है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह proposal कब से शुरु हुई और कब तक खत्म हो जाएगी ?

उपमंत्री : शुरु तो बहुत देर से है लेकिन अब जल्दी ही complete होने वाली है ।

श्री राम प्यारा : उस के लिए क्या सरकार ने कोई date मुकर्रर की ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : इस के लिए गवर्नमैंट ने 6 Pilot Projects लिए हैं जिन में anti-waterlogging measure adopt किए जाएंगे । उस के लिए काफी रकम भी रखी है लेकिन deep drains वगैरह ऐसी किस्म के काम 3rd Five-Year Plan में करने का इरादा है ।

श्री राम प्यारा : अगर Pilot Projects वगैरह शुरु हो गए हैं तो क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि कहां कहां पर शुरु हुए हैं ? मैं district-wise पूछना चाहता हूं ।

उपमंत्री : हांसी, district हिसार में शुरु हो गया है ।

श्री राम प्यारा : जनाब उन्होंने फरमाया है कि 6 Pilot Projects शुरु हो गए हैं तो क्या सिर्फ हांसी में ही हुआ है या कि और जगहों पर भी ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : हांसी में शुरु किया है अभी ।

श्री राम प्यारा : और जगहों पर कब तक शुरु हो जाएगा ?

मन्त्री : जल्दी ही ।

KHALASIS RETRENCHED AT NANGAL

***5169. Pandit Ram Krishan Bharolian :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Khalasis recently retrenched at Nangal;

(b) the number of Khalasis referred to in part (a) above who have been given some relief or subsidy or provided with alternative jobs?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Nil.

(b) Does not arise.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PROJECTS TO BE EXECUTED TO END THE MENACE OF WATER-LOGGING IN THE STATE

*5251. **Pandit Ram Krishan Bharolian :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal to construct any projects in the State to end the menace of waterlogging; if; so the details thereof and the estimated expenditure likely to be incurred thereon together with the time within which the said projects are likely to be completed?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : In order to combat the menace of waterlogging Government proposes to carry out works in respect of drains, lining of canals etc., seepage drains, shallow tubewells, anti-water-logging seepage - cum-pumping stations and reclamation of "thur" and Kallar areas. Master plans for the purpose have been prepared which are under the consideration of Government. To make a beginning anti-water-logging Pilot Schemes for the areas of Amritsar, Hansi, Sangrur, Sunam, Fazilka and Zira have been prepared. Out of these Schemes for Hansi area is under execution and it is proposed to start work on the other schemes in the year 1960-61, at a cost of Rs 40 lakhs. According to the Master Plans an expenditure of Rs 89 crores may be necessary to complete all anti-water-logging, drainage and flood protection schemes spread over a number of Plan periods, depending on the availability of funds. A provision of Rs 35 crores has been proposed in the Draft III Plan.

VACANCIES IN CLASS I AND II OF P. S. E.

*5561. 1. **Sardar Gurmit Singh 'Mit'**
2. **Shri Parbodh Chandra** } Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of vacancies in the P.S.E. Class I and in Class II at present;

(b) the total number of posts in Class I and in Class II of the said service which have been recommended by the Cadre Committee to be made permanent;

(c) whether any action on the recommendation mentioned in part(b) above has been taken; if so, what;

(d) the steps, if any, taken to fill the vacancies mentioned in part (a) above?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Twenty-three P.S.E. I and 20 in P.S.E. II.

(b) One hundred and fifty-two in P.S.E. I and 199 in P.S.E. II.

(c) The recommendations of the Cadre Committee have been accepted by Government. Steps are now being taken to issue the formal sanction.

(d) Seniority of officers for making promotion to P.S.E. I and P.S.E. II is being determined. Promotions will be made as soon as the seniority is finalised.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ Deputy Minister ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ vacancies ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ?

उप मंत्री : कोई vacancy नहीं है । उन posts पर officiating capacity में लोग लगे हुए हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ posts ਨੂੰ permanently fill ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ?

उप मंत्री : Pepsu की integration के बाद उन की seniority के case finalise नहीं हो सके । इस लिए उन vacancies को permanently fill नहीं किया गया ।

FREE LEGAL ASSISTANCE TO HARIJANS AND OTHER POOR PERSONS IN THE STATE

***5281. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any scheme for providing free legal assistance to Harijans and other poor persons in the State has been under the consideration of Government for some time past; if so, the details thereof and the date when it is likely to be implemented?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister) : Yes. The details of the schemes are laid on the Table of the House.

LEGAL AID TO HARIJANS

Under the State Sector Scheme "Legal Assistance" included in the Second Five-Year Plan, the deserving litigants belonging to scheduled Castes are given Legal assistance in cases of ejectments. This Scheme which was started for the first time during the year 1958-59 has been entrusted to the Deputy Commissioners who engage part time counsels for the purpose on payment of suitable monthly allowance fixed according to the nature and circumstances of cases in their respective districts. All such cases are referred by District Welfare Officers to the Deputy Commissioners for orders. The State Government and the Government of India feed this scheme on 50:50 basis.

LEGAL AID TO POOR PERSON;

The State Government have recognised that it is the duty of the State that it should come to the assistance of such persons who are in need of it. Further, it has been held that there should, be a suitable provision of giving adequate assistance in the form of Legal Aid to those who are in need of it. In pursuance of these objectives, the State Government have framed Rules entitled 'Legal Aid to the Poor (Punjab Rules, 1959). The Rules have come into force with effect from the 22nd January, 1960.

2. These Rules aim at giving Legal Aid to the Poor persons who are victims of Criminal assault or who are relations of the victims of the crime of murder to enable them to obtain compensation through the process of Legal Aid. Under these Rules, any poor person whose income does not exceed Rs 100 per month is entitled to receive Aid.

For getting Legal Aid, the poor person concerned has to submit an application to the Tahsildar. The Tahsildar is the certifying Authority whether a particular person is a poor man or not for receiving Aid under the provisions of the said Rules. The Tahsildar then has to forward the application to the Deputy Commissioner concerned who after satisfying himself that the demand for Legal Aid, is, in the circumstances of the case' justified, makes an order specifying the nature and extent of the Legal Aid which the applicant is entitled to receive. The Deputy Commissioner is also the appellate authority against the decisions of the Tahsildar. The State Government are also authorised to direct the Deputy Commissioners to grant Legal Aid to any person whatsoever and such persons for the purposes of the said Rules are to be deemed to be persons entitled to the Legal Aid.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

3. In cases where Legal Aid is to be granted by providing a Counsel, the Legal Remembrancer has to arrange for a Government Pleader or to engage a Counsel on the State List maintained for the District in which action or suit is to be instituted or pursued. Where Legal Aid is to be granted in cash for defraying court-fee and other expenses, the Deputy Commissioner arranges payment of the amount to the poor person concerned. F.D. has already accorded their concurrence to the provisions of funds to the tune of Rs 2 lakhs for this purpose.

4. Before a poor person is granted Legal Aid, he is required to enter into an agreement with the State Government with two sureties for repayment of the expenses incurred by the State Government in providing Legal Aid in the event the action or suit brought by him is declared in his favour. The provisions of these Rules also apply to appeals, reviews and revisions.

5. Orders of the Deputy Commissioner relating to the grant of Legal Aid may be revoked on any of the following grounds :—

(a) The poor persons is guilty of vaxatious or improper conduct in the cour se of the proceedings; or

(b) when it is known that the means of the person concerned are such which do not entitle him to receive such Aid; or

(c) that he has entered into an agreement with reference to the subject matter of the proceedings under which any person has obtained an inte rest in such subject-matter.

CASES REGISTERED AGAINST SECRETARIES OR OFFICE BEARERS OF CO-OPERATIVE SOCIETIES IN MODEL TOWN, LUDHIANA

*5570. **Sardar Bhag Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any cases of embezzlement were registered against the Secretaries or other office bearers of Co-operative Societies in Model Town, Ludhiana; if so, the names of the persons concerned and the dates when each of these cases were registered and the dates when each of these cases is expected to be put up for trial?

Shri Mohan Lal : Yes. A case was registered against Sarvshri Mohinder Singh Kalyan and Ranjit Singh Mastana on 7th June, 1956. The matter is still under enquiry of the Police.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਹ case 1956 ਦਾ register ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ enquiry ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

मंत्री : Days बताना तो मुश्किल है । लेकिन मेरे ख्याल में यह जल्दी ही होना चाहिए क्योंकि investigation काफी देर की हो रही है ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨੇ ਦਾ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਇਹ case register ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Government service ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ information ਨਹੀਂ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

DIRECTORS, ASSISTANT DIRECTORS AND DEPUTY DIRECTORS OF INDUSTRIES DEPARTMENT FROM 1955—1959

***5160. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of persons who have served as Assistant-Directors, Deputy Directors, Joint Directors and Directors of Industries in the State during the period from April, 1955 to April, 1959 and the names of those among them who have been promoted to higher posts in the Department during this period;

(b) whether any of the persons referred to in part (a) above resigned his post during the period from April, 1955 upto now; if so, their names and the reasons for their resignations;

(c) whether any of these promoted, referred to in part (a) above had earned bad reports for their work; if so, the number of such bad reporters each; and the number of bad reports of those who were not promoted?

Shri Mohan Lal : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) No.

(c) The annual reports on the performance of officers are confidental documents and it would not be in public interest to supply the information.

STATEMENT

Serial No.	Name of the post	Name of the officer	REMARKS
	(*i*) April, 1955		
1	Director Of Industries ..	Shri H. D. Shourie	
2	Deputy Director (Tech.)	Shri J. D. Aggarwal	
3	Deputy Director (Dev.) ..	Shri G. R. Bhai	
4	Deputy Director (Reh.) ..	Shri S. L. Kapur	
5	Deputy Director (Gen.) ..	*Vacant*	
6	Assistant Director (Dev.)..	Shri Chuni Lal	
7	Assistant Director (I.B.) ..	*Vacant*	
8	Assistant Director (I.A.) ..	Shri H. L. Mehta	
9	Assistant Director (Tex.)	Shri N. Kaul	
	(*ii*) January, 1956		
1	Director of Industries ..	Shri H. D. Shourie	
2	Deputy Director (Tech.)	Shri J. D. Aggarwal	
3	Deputy Director (Dev.) ...	Shri G. R. Bhai	
4	Deputy Director (Reh.) ..	Shri S. L. Kapur	
5	Deputy Director (Gen.) ..	*Vacant*	
6	Assistant Director (Dev.)..	Shri H. L. Mehta	
7	Assistant Director (I.A.) ..	Shri Chuni Lal	
8	Assistant Director (I.B.) ..	Shri S. N. Tuli	Appointed on 5th May, 1955 and reverted on 16th October, 1956
9	Assistant Director (Tex.)	Shri N. Kaul	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Industries]

Serial No.	Name of the post	Name of the Officer	REMARKS
		(iii) **January, 1957**	
1	Director of Industries ..	Shri G. R. Bhai ..	He held the current charge of the post of Director of Industries during the absence of Shri Shourie on foreign tour with the productivity Council Team
2	Joint Director of Industries	Shri G. R. Bhai ..	He was promoted as such with effect from the 10th January, 1957
3	Joint Director-cum-Joint Registrar, Village Industries	Shri Paramjit Singh ..	He was promoted as such with effect from 10th January, 1957
4	Deputy Director (Tech.)	Shri J. D. Aggarwal ..	Shri M. S. Khanna, was appointed as Deputy Director (T) with effect from the 7th March, 1957 vice Shri Aggarwal proceeded on leave
5	Deputy Director (V.I.) ..	*Vacant* ..	Maj. Devinder Singh was appointed as such with effect from the 6th July, 1957
6	Deputy Director (Reh.) ..	Shri S. L. Kapur ..	This post was abolished with effect from the 31st March, 1957
7	Deputy Director (Dev.) ..	*Vacant* ..	From 1st April, 1957, Shri S. L. Kapur was appointed against this post
8	Deputy Director (E) ..	Shri B. M. Gupta ..	These posts were inherited from the earstwhile Pepsu and the designations were given by Director of Industries
9	Deputy Director (Small Scale Industries)	Shri O. P. Sikand	
10	Deputy Director (I.S.) ..	Shri A. C. Kohli	
11	Deputy Director (Admn.)	*Vacant* ..	Shri L. Isa Dass was appointed against this post from 8th May, 1957

Note.—The posts of Deputy Directors from serial No. 8 to 10 are in P.I.S. Class II Service, and that of at Serial No. 11 in P.C.S. cadre.

Serial No.	Name of the post	Name of the Officer	REMARKS
12	Assistant Director (Tech.) I	Shri L. R. Khosla	These posts were also inherited from the erstwhile Pepsu as a result of integration.
13	Assistant Director (Tech.)II	Shri M. L. Bhandari	
14	Assistant Director (I.S.) ..	Shri O. P. Jain	
15	Assistant Director (Dev.)..	Shri H. L. Mehta ..	
16	Assistant Director (I.B.) ..	Shri M. C. Mehra ..	Was appointed as such from 1st June, 1957
17	Assistant Director (Admn.)	Shri Chuni Lal ..	Retired from Government service from 10th October, 1957
18	Assistant Director (Loan)	Shri Chandgi Ram ..	Was appointed as such from 1st June, 1957
19	Assistant Director (V.I.)	Shri Kirpal Singh ..	Ditto
20	Assistant Director (Khadi)	Shri N. Kaul	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of the post	Name of the Officer	REMARKS
		(iv) **January, 1958**	
1	Director of Industries ..	Shri J. N. Thadani ..	Appointed with effect from 1st December, 1957
2	Joint Director of Industries	Shri G. R. Bhai	
3	Joint Director-cum-Joint Registrar, Village Industries	Shri Paramjit Singh	
4	Deputy Director (Tech) ..	Shri M. S. Khanna	
5	Deputy Director (Dev.) ..	Shri S. L. Kapur ..	was reverted and proceeded on leave
6	Deputy Director (V.I.) ..	Shri Devinder Singh ..	
7	Deputy Director (Loan) (P.I.S. Class II)	Shri B. M. Gupta	
8	Deputy Director (P) (P.I.S. Class II)	Shri O. P. Sikand	
9	Deputy Director (I.S.) (P.I.S. Class II)	Shri A. C. Kohli ..	Appointed as Deputy Director from 5th May, 1958
10	Deputy Director (Admn.)	Shri L. Isa Dass	
11	Assistant Director (Dev.)	Shri H. L. Mehta	
12	Assistant Director (I.B.) ..	Shri M. C. Mehra	
13	Assistant Director (Tex.)	Shri N. Goswami	Appointed as such from 25th June, 1958
14	Assistant Director (Tech.)	Shri L. R. Khosla	
15	Assistant Director (Tech.)	Shri M. L. Bhandari	
16	Assistant Director (I.S.)	Shri O. P. Jain	
17	Assistant Director (Admn.)	Shri Chandgi Ram	
18	Assistant Director (V.I.)	Shri Kirpal Singh	
19	Assistant Director (Khadi)	Shri N. Kaul	
		(v) **January, 1959**	
1	Director of Industries ..	Dr. J. N. Thadani	
2	Joint Director of Industries	Shri G. R. Bhai	
3	Joint Director (V.) ..	Shri Paramjit Singh ..	In consequence of his selection to the I.A.S. cadre; he relinquished the charge of the post on 7th March, 1959
4	Joint Director (V.I.) ..	Shri D. S. Dang ..	Appointed as such on 16th March, 1959
5	Deputy Director (Tech.)	Shri M. S. Khanna	
6	Deputy Director (Dev.) ..	Shri A. C. Kohli	
7	Deputy Director (Loan) (P.I.S. II)	Shri B. M. Gupta	
8	Deputy Director (P.) P.I.S. II	Shri O. P. Sikand	
9	Deputy Director (I.S.) P.I.S. II	Shri D. C. Kochhar ..	Appointed as such from 19th May, 1958
10	Deputy Director (Admn.)	Shri L. Isa Dass	
11	Assistant Director (D) ..	Shri H. L. Mehta	
12	Assistant Director (Admn.)	Shri Chandgi Ram	
13	Assistant Director (V.I.)	Shri Kirpal Singh	
14	Assistant Director (Tech.)	Shri L. R. Khosla	
15	Assistant Director (Tech.) II	Shri M. L. Bhandari	
16	Assistant Director (Tex.)	Shri N. Goshwami	
17	Assistant Director (I.S.) ..	Shri O. P. Jain	
18	Assistant Director (I.B.) ..	Shri M. C. Mehra	
19	Assistant Director (Reh.) ..	Shri B. Kundan ..	Appointed as such from 10th April, 1958

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : No. 2 पर Shri J. D. Aggarwal का नाम है जो Deputy Director, Technical, थे । लेकिन 1958 में उन का नाम नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने असतीफा दे दिया था या उन का नाम वैसे ही omit हो गया है ?

मन्त्री : इस के लिए separate notice की ज़रुरत है । लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उस की retirement में थोड़ा वक्त था और वह leave preparatory to retirement ले कर चले गये थे।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि उन की compulsory retirement की गई थी या उन्हें वक्त पर retire किया है ?

मन्त्री : इस के लिए separate notice दें। वैसे जितनी information मुझे थी वह मैं ने अर्ज़ कर दी है।

श्री राम प्यारा : पहले page पर बताया गया है 1957 में एक साहिब को Assistant Director appoint किया गया लेकिन 1958 में वह Joint Director हो गए। क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि उन को revert क्यों किया गया था ?

मन्त्री : Reversion का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने पहले current charge लिया हुआ था Director का, लेकिन थे वह Deputy Director, फिर उन को upgrade कर के Joint Director बना दिया गया था।

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, जो entries किसी director या joint director के हक में या खिलाफ हैं उनके बताने में क्या एतराज़ है

श्री अध्यक्ष : यह administrative मामला है और यह बातें यहां नहीं बताई जा सकतीं। (This is an administrative matter and such matters cannot be disclosed here.)

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि उस को Director बनाने के लिए जो revert किया गया तो क्या वह bad entries की बिना पर किया गया है ?

मन्त्री : मैं ने पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि उस के पास सिर्फ current charge था और कोई reversion नहीं हुई है।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जब यह साहिब Director थे तो Central गवर्नमैंट ने कोई चिट्ठी पंजाब गवर्नमैंट को लिखी कि..........

Mr. Speaker : This is not relevant.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

QUOTA OF SUGAR FOR DISTRICT KANGRA

*5441. **Shri Rup Singh 'Phul'**: Will the Minister for Industries be pleased to state whether it has come to his notice that the quota of sugar allotted to Kangra District is inadequate ; if so, action, if any, proposed to be taken in the matter?

Shri Banarsi Dass Gupta (Deputy Minister): No complaints have been received about the inadequacy of sugar quota allotted to Kangra District.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 6, 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ supply ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ । (The hon. Deputy Minister says that no complaint has been received in this connection.)

SITE FOR BUS STAND IN KARNAL CITY

*5135. **Shri Ram Piara**: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some site has been selected in Karnal City for the Bus Stand; if so, the area of the proposed site;

(b) the date when the site was selected and the time by which the bus stand is expected to be ready?

Rao Birendar Singh: (a) Yes. The area of the proposed site is 5.44 acres.

(b) It was selected on 4th April, 1957, but the land has not so far been released by the Ministry of Defence. The bus stand is expected to be ready during the financial year 1960-61.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि वह ज़मीन release करने में पंजाब गवर्नमैंट को कौनसी दिक्कतें आ रही हैं ?

मन्त्री : पंजाब गवर्नमैंट को तो कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं लेकिन वह ज़मीन release करनी है Government of India की Defence Ministry ने ।

श्री राम प्यारा : मैं पूछना चाहता हूं कि Government of India की Defence Ministry से ज़मीन release कराने में पंजाब गवर्नमैंट क्या steps ले रही है ?

माल मन्त्री : हमने बहुत से steps लिए हैं । कई बार अफसरों को भी भेजा है, मैं ने भी Defence Minister साहिब को चिट्ठी लिखी है और उसके बाद फिर अफसर भेजा है । उम्मीद करते हैं कि जल्दी ज़मीन मिल जाएगी ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि आखरी चिट्ठी उन्होंने कब लिखी है ? (हंसी)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

GOVERNMENT POULTRY FARMS AND POULTRY TRAINING

***5159. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the number of Government Poultry Farms in the State where training in Poultry is imparted and the number of persons who are admitted for training at any one time;

(b) the date when admissions for the said training take place, the qualifications prescribed for such admissions and the length of the training course;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to increase the number of Centres for the said training;

(d) the number of poultry farms in the State where the said training is not imparted ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) One Poultry Farm and four sub-stations. Number of persons not fixed.

(b) Minimum qualification is Middle pass. Other information is laid on the Table of the House.

(c) No.

(d) Four Poultry Extension Centres.

Information in respect of part (b) of Starred Vidhan Sabha Question No. 5159 by Shri Ram Piara, M.L.A.

The dates of admission and the length of training courses are as follows :—

(1) Six-week course for public at the Government Poultry Farm, Gurdaspur.	Ist October, to 12th November.
(2) Two-week course for field staff and public at the Government Poultry Farm, Gurdaspur.	15th November to 29th November
(3) Two-week course at the Poultry Sub-station-cum-Extension Centre, Jullundur.	Ist October to 15th October. Ist January to 15th January. Ist April to 15th April. 16th August to 30th August.
(4) Two-week course at the Poultry Sub-station-cum-Extension Centre, Ambala.	16th October to 30th October. 16th January to 30th January. 16th April to 30th April. Is t September to 15th September.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(5) Two-week course at the Poultry-Sub-station-cum-Extension Centre, Malerkotla.	1st November to 15th November
	1st February to 15th February.
	1st April to 15th April.
	15th August to 20th August.
(6) Two-week course at the Poultry Sub-station-cum-Extension Centre, Ludhiana.	1st January to 15th January.
	1st April to 15th April.
	15th August to 29th August.
	1st October to 15th October.

श्री राम प्यारा : जो statement मुझे दी गई है उस में item No. 1 पर 6 हफ्ते का course लिखा है और सारे items पर 2 हफ्ते लिखा है । मैं पूछना चाहता हूं कि जो trainee training लेना चाहता है उसके लिए दो हफ्ते का course काफी है या 6 हफ्ते का काफी है ?

उप मंत्री : इस वक्त तो मैं specifically नहीं बता सकता लेकिन अंदाज़ा यह है कि दो courses होंगे । एक short-term course और दूसरा long-term होगा और उसके मुताबिक training मिल जाती होगी ।

श्री राम प्यारा : उन्होंने बताया है कि short-term और long-term courses हैं । यह जो training centres हैं यह गुरदासपुर के अलावा तीन चार जगह और हैं । तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदमी इन तीन चार जगहों पर दो हफ्ते का course करेगा उसे दोबारा गुरदासपुर में जा कर चार हफ्ते का course और करना पड़ेगा या छ : हफ्ते का करना पड़ेगा ?

Mr. Speaker : Please get this information by writing a letter to the Hon'ble Minister.

UPGRADING OF GOVERNMENT GIRLS MIDDLE SCHOOL, VILLAGE LEHLI KALAN, DISTRICT HOSHIARPUR

*5552. **Chaudhri Karam Chand Sidhu** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether he has recently received a representation from the villagers of Lehli Kalan, district Hoshiarpur, to raise the standard of Government Girls Middle School of that village to High School; if so, the action, if any, taken thereon?

Shri Amar Nath Vidyalankar : No. The school has, however, been recommended for upgrading by the Inspecting Staff and its claim will receive consideration in due course.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PROJECTS PROPOSED TO OVERCOME THE MENACE OF CHOES IN HOSHIARPUR AND AMBALA DISTRICTS IN THE STATE

***5254. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any project under the consideration of Government to combat the menace of Choes in the State; if so, the estimated expenditure on the Project and the time within which it is expected to be completed ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): Yes. About Rs. 2.75 crores are provided in the Master Plan to be spent on controlling and training Choes in the State. The work on Nasrala Choe is in progress and other projects are under investigation and formulation. These will be executed during Second, Third and subsequent Plans according to the availability of funds.

WATER STANDING AROUND CERTAIN VILLAGES IN TEHSIL JHAJJAR

***5495. Shri Mangal Sain:** (Put by Shri Balram Dass Tandon): Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether he is aware of the fact that water remains standing throughout the year around villages Balaspura, Maula Kashin, Suketi, Chhuchak Chak in tehsil Jhajjar, district Rohtak; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to drain out this water ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): Yes. The villages are Biloch Pura, Kasni, Surahti and Chhuchak-was. Two schemes namely Drainage-cum-Lift Irrigation Scheme and Diversion or Drain No. 8 into River Yamuna are contemplated for draining out the water from this area, Rs. 50,000 will be spent on Drainage-cum-Lift Irrigation Scheme during the II Plan period. The Scheme would be completed in the III Plan. The second scheme is still under investigation.

LAND ACQUIRED FOR BIST DOAB CANAL DISTRICT JULLUNDUR

***5569. Sardar Harguranad Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state

(a) the total area of land acquired by Government for the Bist Doab Canal in each of the village Soeta, Asmanpur, Rasulpur Then, Ottal, Kang, Garcha, Sheikhupur Bag, in Jullundur District;

(b) whether compensation for the land mentioned in part (a) above has been paid; if so, the names of persons to whom such compensation has been paid village-wise; and the amount thereof in each case;

(c) whether Government have received any representation from the residents of the villages referred to in part (a) for payment of compensation; if so, the action, if any, taken thereon.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Rao Birendar Singh : Reply is placed on the Table of the House.

(a)

S. No.	*Name of Village*	*Area acquired in acres*
1.	Soeta	.. 11.56
2.	Usmanpur	.. 23.38
3.	Rasulpur Theh	.. 11.17
4.	Utal	.. 7.22
5.	Kang	.. 1.25 Under Malpur Minor 2.37 Under Nawanshahr Br.
6.	Garcha	.. 31.32 Under Nawanshahr Br.
7.	Sheikhupur Bag.	.. 13.28

(b) The awards of all the villages noted above have since been announced and paid, details of which are as under:—

		Rs.
1.	Soeta	.. 23,055 Under Bist Doab Canal
2.	Usmanpur	.. 33,751 Under Bist Doab Canal
3.	Rasulpur Theh	.. 9,275 Under Bist Doab Canal
4.	Uttal	.. 11,620 Under Jullundur Branch
5.	Kang	.. 1,396 Under Nawanshahar Branch 1,551 Under Malpur Minor.
6.	Garcha	.. 32,562 Under Nawanshahar Branch
7.	Sheikhupur Bag	.. 18,953 Under Bist Doab Canal.

With regard to the names of the persons to whom this compensation has been paid, it is stated that this number runs into thousands and the information cannot be collected at short notice. The labour involved will, in any case , not be commensurate with the object desired.

(c) No.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਏ ਦੀ payment ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਲਗਾ ਹੈ ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : इस statement में सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ लें।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਟ ਗਈ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਭਾਗ (c) ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਹੈ :

"(c) Whether Government have received any representation from the residents of the villages referred to in part (a) for payment of compensation; if so, the action, if any taken thereon."

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ?

Mr. Speaker : His answer is 'No.'

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CHANDIGARH CAPITAL PROJECT

5282. Pandit Ram Kishan Bharolian : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred on the Chandigarh Capital Project so far, and the expenditure estimated to be incurred for its completion;

(b) the total area of land in the Capital sold so far, and the amount realised therefor, together with the total amount estimated to be realised by the sale of plots ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister)

(a) A total expenditure of Rs.1908.63 lakhs has been incurred on the Chandigarh Capital Project upto the end of December, 1959, and a gross provision of Rs. 2537.37 lakhs stands approved for expenditure on the Project upto the end of the Second Plan period.

(b) It is not easily possible to indicate the area of land sold in Chandigarh. In all, 11,400 plots of various sizes have so far been sold and a sum of Rs. 4,71,77,953 has been realised upto January 1960. A further sum of Rs. 88,66,000.00 is expected to be realised by the end of the Second Plan period.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਜਗਾਹ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਦ ਤਕ ਵਸੇਗਾ ?

उप मंत्री : हमारे पास लोगों की अर्ज़ीयां आती हैं लेकिन हमारे पास उन्हें देने के लिए प्लाट नहीं हैं।

CASES REGISTERED UNDER SECTION 420 I.P.C.,P.S. SADAR KARNAL

5161. Shri Ram Piara: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases registered under section 420, IPC in PS Sadar, district Karnal during the year, 1959, the names of those against whom these cases were registered and the date of registration in each case;

(b) whether any enquiries into the said cases have been made; if so, with what result in each case;

(c) whether it is a fact that some of the documents connected with the said cases have been referred to experts for verification of handwriting or thumb impressions; if so, the number of such cases and the expenditure likely to be incurred by Government on such verifications;

(d) whether any of the said cases has been withdrawn on the orders of the D.C., Karnal or Government; if so, their number and the reasons for withdrawn in each case?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): (a), (b), (c), and (d). A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Cases registered under Section 420 IPC in Police Station Sadar Karnal

	Name of those against whom registered	Date of registration of the case	Whether any enquiries into the said cases made	If so, result thereof	Whether documents sent to Hand-writing Expert	Expenditure likely to be involved	Whether any of the cases has been withdrawn on the orders of the D. C., Karnal or Government, if so their number and the reasons for withdrawal in each case
	(a)			(b)		(c)	(d)
1.	1. Sham Lal 2. Brahm Datt Tayagi 3. Ved Parkash 4. Mull Singh 5. Dharam Singh 6. Sat Pall 7. Tika Singh ..	21-1-59	Yes ..	The case is still under investigation	Yes ..	Rs 880.00	No
2.	A general case registrered aginst unknown persons	17-3-59	Yes ..	Yes Ditto	Yes ..	25.00	No
3.	1. Gurnam Singh 2. Lall Singh 3. Ranjit Singh ..	8-5-59	Yes ..	The investigation having been finalised, the case is being put in court	Yes (The documents were examined at Finger Print Bureau, Phillaur	Nil	No
4.	1. Piara Singh 2. Nilam Singh ..	29-6-59	Yes ..	Challan has been put in court	Yes ..	25.00	No
5	1. Daulat Ram ..	18-11-59	Yes ..	Case has been cancelled, as it was not that of cheating	No ..	Nil	No

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : आइटम No. 6 के statement में लिखा है कि सात आदमियों के खिलाफ 420 का मुकद्दमा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये सातों एक ही केस में involved हैं या उन के खिलाफ अलहदा अलहदा केस हैं ?

Mr. Speaker: This is not admissible.

श्री राम प्यारा : इन्हों ने item wise दिया है मैं पूछना चाहता हूं कि सातों एक ही केस में involved हैं या अलहदा अलहदा केस में ?

Mr. Speaker: They must be involved in one case.

श्री राम प्यारा : इन्हों ने expenditure दिया है जिस में पहले 880 है, फिर 25, फिर nil, फिर 25, फिर nil । मैं पूछता हूं कि जहां nil है क्या वहां पर गवर्नमैंट ने अपने department की मारफत inquiry करवाई और जहां 880 रु. खर्च किया वहां सूबा से बाहर inquiry के लिए भेजना पड़ा ?

Mr. Speaker: Please give a separate notice for this question. After all the Deputy Minister is not a moving encylopaedia.

SUSPENSION OF SHRI R. P. KAPUR

***5557. Shri Balram Das Tandon:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the place where the offence in respect of which the former Commissioner of Patiala Division, Shri R.P. Kapur was suspended took place;

(b) whether the complaint in respect of the offence referred to in part (a) above was received by the I.G. Police directly from the complainant or from the Government;

(c) whether any assurance was given to the former Commissioner by the Chief Secretary that he would be given an opportunity for explanation before the said case was taken up against him; if so, when;

(d) if the answer to part (c) be in the affirmative whether the said opportunity was given; if not, the reasons therefor?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister):

(a) The transaction and the alleged misrepresentation by the accused was completed in the house of the complainant at Chandigarh.

(b) The complainant was received by the Inspector-General of Police directly from the complainant.

(c) No.

(d) Does not arise.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री प्रबोध चंद्र : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि यह जो I. G. Police ने directly complaint receive की इस से पहले Chief Minister ने कोई I. G. को telephone किया था कि मैं फलां ग्रादमी को ग्राप के पास भेज रहा हूं ?

Mr. Speaker: The hon. Member is passing information.

Shri Prabodh Chandra: Sir, I want to be sure about the thing which is being talked about in the streets.

Mr. Speaker: This is not supplementary.

श्री प्रबोध चंद्र : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि I. G. को मिलने से पहले यह complainant चीफ मिनिस्टर को उन के office में मिला ?

उपमंत्री (श्री हरबंस लाल) : स्पीकर साहिब , इस सिलसिले में बहुत से सवाल ग्रा चुके हैं ग्रौर बहुत supplementaries पूछे जा चुके हैं ग्रौर क्योंकि यह *Sub-judice* मामला है इसलिए इस की details नहीं दी जा सकती।

Shri Prabodh Chandra: I would not go into the merits of the case. I just want to know whether the complainant saw the Chief Minister in his office before going to the Inspector General of Police for lodging his report?

श्री ग्रध्यक्ष : इस सवाल के बारे में मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि specific question करें तो बता सकता हूं, इस लिए ग्रब जब कि specific question ग्राया है तो उन्हें बताना चाहिये। (The hon. Minister concerned had stated in this connection that if a specific question was put, he would reply. Now that a specific question has been put, the Deputy Minister may supply the requisite information.)

उपमन्त्री : ग्रर्ज़ यह है कि ग्राप को याद होगा कि मौलवी ग्रब्दुल गनी साहिब को Supplementary करने की इजाज़त दी थी दूसरे दिन..................

Mr. Speaker: The Government wanted a specific question to be put in this connection. Now when that has been done, the Government should reply to the supplementary questions as well.

उपमंत्री : मैं ने ग्रर्ज़ किया है कि directly I.G. के पास गई।

Mr. Speaker : Since this matter is *Sub judice*, no such spplementary question should be asked which may reflection this case.

श्री बलराम दास टंडन : मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या उपमंत्री महोदय बताएंगे कि कमिश्नर को यह assurance Chief Secretary ने दी थी कि ग्राप के ऊपर case चलाने से पहले explanation ली जायेगी ।

उपमंत्री : मैं ने (c) में कहा है कि 'no'

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या यह ठीक है कि assurance को by-pass करने के खिलाफ श्री ग्रार. पी. कपूर ने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि मेरे साथ यह वायदा किया गया था ग्रौर यह वायदा पूरा नहीं हुग्रा ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मौलवी अब्दुल गनी डार : जो शिकायत सीधी आई. जी . के पास दी गई, अदालत में उसकी कारबन कापी भेजी गई या असल भेजी गई ?

श्री अध्यक्ष : मैं भी law पढ़ा हूं । अदालत में तो सिर्फ चालान जाता है । (I have also read law and I know that only chalan is produced before the court.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि I.G. Police की रिपोर्ट के अलावा गवर्नमैण्ट ने F.I.R. से पहले और बाद में I.G. Police को कुछ कहा। यह बताया गया है कि शिकायत करने वाले ने I.G. के पास सीधी शिकायत की। मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि I.G. के पास सीधी शिकायत होने से पहले कोई बात गवर्नमैण्ट ने I.G. को कही?

श्री अध्यक्ष : गवर्नमैण्ट का इस से क्या ताल्लुक हुआ। (How is the Government concerned with it.)

पंडित श्री राम शर्मा: I.G. Police के पास शिकायत हुई। तो क्या इन के अलावा और भी किसी को शिकायत हुई यानी मिनिस्टरी को । मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि I.G. Police को Minister concerned ने भी इस सिलसिले में कुछ कहा ?

श्री अध्यक्ष : यह relevant सवाल नहीं है । (This is not a relevant question)

श्री बलराम दास टंडन : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि case register करने से पहले चीफ सेक्रेटरी के अलावा किसी और अफसर ने पूछताछ की ?

उपमन्त्री : इस का मौजूदा सवाल से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई specific question हो तो जवाब दिया जा सकता है।

श्री बलराम दास टंडन : डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि अगर कोई specific question हो तो जवाब देंगें। मैं जानना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष : यह मामला sub-judice है। इसे छोड़ दीजिए (This matter is sub-judice. The hon. Member may please leave it.)

श्री बलराम दास टंडन : Supplementary, Sir.

Mr. Speaker : I will not allow any more supplementary question on it.

PRIMARY HEALTH CENTRE AT BEGOWAL DISTRICT KAPURTHALA

*5577. **Sardar Narain Singh** (Put by Bawa Harnam Singh) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether a Primary Health Centre, has been started at Bagowal in District Kapurthala.

(b) whether it is a fact that there is no arrangement for accommodation for the staff employed in the said Centre; if so, whether Government propose to construct staff quarters for the said employees if so, when?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shrimati Parkash Kaur (Deputy Minister):

(a) Yes. By the Development Department.

(b) Government have not received any specific reference about the shortage of residential accommodation for the staff of this Centre. The Development Department have sanctioned Rs. 16,000 for the construction of the extension to the dispensary building.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਥਾਂ Primary Health Centres ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ staff ਵਾਸਤੇ quarters ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ duty ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ accommodation ਦੇਣ ।

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ accommodation ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਕੋਈ instance ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Health Centre ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ undertaking ਲਈ ਸੀ ਕਿ staff ਵਾਸਤੇ quarters ਬਣਾ ਦਿਉਗੇ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : Development Blocks ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੇਠ Health Centres ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ । Development Blocks ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ dispensary ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ extend ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤਕ specific case ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि staff की accommodation का प्रबंध कर के Primary Health Centres खोले जा रहे हैं या Health Centres खोलने के बाद सरकार accommodation का प्रबन्ध करेगी ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਥੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ । ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ residential quarters ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ।

ਬਾਵਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ accommodation Health Department provide ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ Development Blocks ਵਾਲੇ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਹਾਲੇ ਤਕ Development Blocks ਦੇ ਥਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

GRANT FROM CENTRAL GOVERNMENT FOR LAND RECLAMATION IN THE STATE

*5554. **Sardar Harguranad Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) Whether a grant of approximately Rs. 3 lakhs has been placed at the disposal of the Government by the Central Government for Land Reclamation in the State during the year 1959-60.

(b) If the answer to part (a) above is in the affirmative whether the said amount has been utilized; if not the reasons therefor?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister):

(a), No Sir.

(b) The question does not arise.

SETTING UP A NEW FACTORY IN ROHTAK DISTRICT

*5162 **Shri Ram Piara:** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) Whether Government or the Industries Department have recommended any cases for the import of machinery or raw material for setting up some new factory in district Rohtak during the period from 1st April, 1959 to date; if so, the names of the persons who have been recommended for the grant of import licences or who have been given essentiality certificates during this period ;

(b) the date/dates when the undertaking for starting the factory by the person/persons mentioned in part (a) above was given to the Government and the articles proposed to be manufactured.

Shri Mohan Lal:

(a) Yes; The information is laid on the table of the House

(b) No undertaking for starting the factories was given, nor it was required.

As regards articles proposed to be manufactured, the information is given in the statement laid on the Table of the House in reply to (a) above.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

STATEMENT

Serial No.	Name and address of parties who have been given Essentiality Certificates or recommended for Import Licence	Granted for	Date/Dates for starting the factory undertaking given by parties	Articles proposed to be manufactured
	Period, April—September, 1959			
1	M/s Delite Rubber Works, Rohtak ..	For raw material	Already in production ..	Rubber patches
2	M/s Sukhdeo Baksh Industries, Bahadurgarh	Roller Flour Milling Machinery	..	Flour Mills
3	M/s Seth Ram Narain and Sons, Bahadurgarh, Rohtak	Ditto	..	Ditto
4	M/s General Electrical and Machinery ..	Raw Material ..	Machinery installed ..	Iron clad switches
5	M/s Om Parkash and Brothers, Bahadurgarh	Ditto	Machinery was under installation	Wire netting, windows and door fittings and chain, etc.
6	M/s Hanuman Paper Co., Bahadurgarh ..	Ditto	Placed orders for Machinery ..	Flint Paper, leatherate paper, etc.
7	Punjab Electrical and General Industries, Bahadurgarh	Ditto	Ditto	Electrical Cables and Wires
8	M/s Eastern Traders, Private Limited, Bahadurgarh	Tools and Dies	Applied for machinery also ..	Cycle spokes, Nipples and Washers for Bicycles
9	M/s Indian Wire Netting Works, Murthal	Raw Material ..	The party is in possession of machinery	Wire netting. The party is in production
	October, 1959—March, 1960			
1	M/s Skylark Industries, Industrial Area, Bahadurgarh	Raw Material ..	Already in production of few items	Wire netting, chains, utensils, tins spring, agricultural implements and hospital equipment

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Industries]

Serial No.	Name and address of parties who have been given Essentiality Certificates or recommended for Import Licence	Granted for	Date/Dates for starting the factory undertaking given by parties	Articles proposed to be manufactured
2	M/s Parkash Industries, Bahadurgarh ..	Raw Materials	The party was in production while E. C. was issued ..	Wire netting
3	M/s Industrial Corporation of India, Bahadurgarh	Ditto	Ditto ..	Wire netting
4	M/s Purvodya Industries, Industrial Area, Bahadurgarh	Ditto	The party was in production while E. C. was issued ..	Buckets, drums and rivets
5	M/s Metalite Industries, Bahadurgarh ..	Ditto	Ditto	Sanitary fittings
6	M/s Aggarwal Metal Works, Bahadurgarh	Ditto	Ditto	Chains
7	M/s Chaitanya Engineering Works, Bahadurgarh	Ditto	The party was already in production	Lathes and live centres
8	M/s Kiran Industries, Industrial Area, Bahadurgarh	Ditto	The Party was in production while E. C. was issued	Wire netting, buckets, taslas, pans, tin containers and other hard ware items
9	M/s Sunrise Potteries, Industrial Area, Bahadurgarh	Ditto	A part of the machinery under installation when E. C. was recommended	Pottery
10	M/s Rai Chemical Industries, Industrial Area, Bahadurgarh	Machinery ..	..	Printing Ink
11	M/s Rashitrya Steel and Metal Products, Industrial Area, Bahadurgarh	Raw Material ..	The party was already in production of few items	Wire netting, tin containers, hooks, agricultural implements and other hardware items
12	M/s Darshan Industries, Industrial Area, Bahadurgarh	Ditto	The party has placed confirmed orders for machinery	Rivets and nails

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

13	M/s Gitgobind Industrial Corporation, Industrial Area, Bahadurgarh	Ditto	Ditto	Tin containers
14	M/s Quality Office Appliances, Bahadurgarh	Tools and Jigs	The building was under construction. On its completion they will shift their machinery from Delhi	Portable Typewriters
15	M/s Hindustan Industries, Rohtak ..	Raw material and machinery	..	Cycle Saddles
16	M/s Jain Brothers, Rohtak ..	Raw Material ..	The party was in production while E. C. was given	Chaff-cutter blades
17	M/s United Wire Netting Works, Rohtak	Ditto	Ditto	Wire netting
18	M/s Elite Industries, Rohtak ..	Ditto	Ditto	Ditto
19	M/s Rai Netting Works, Rohtak ..	Ditto	Ditto	Ditto
20	M/s Rohtak Industries, Rohtak ..	Ditto	Ditto	Wire netting and nails
21	M/s Chamar Khaddi Factory, Rohtak ..	Ditto	Ditto	Wire Netting Ditto
22	M/s Ganesh Wire Netting Works, Rohtak	Ditto	Ditto	Ditto
23	M/s Rohtas Industries, Rohtak ..	Ditto	Ditto	Ditto
24	M/s Shiv Wire Netting Works, Rohtak ..	Raw Material ..	The party was in production while E. C. was issued	Wire, netting and chains
25	M/s Roshan Mills, Nai Mandi, Rohtak ..	Ditto	The party has placed confirmed orders for machinery and was possessing one machine while E. C. was given	Wire, nails and rivets
26	M/s Mittle Industries, Gohana ..	Ditto	The party has installed handlooms while E. C. was issued	Wire netting
27	M/s Badlu Ram-Suraj Mal, Rohtak ..	Ditto	The party was in production while E. C. was issued	Ditto
28	M/s Aggarwal Wire Netting Industries, Rohtak	Ditto	Ditto	Ditto

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Industries]

Seria No.	Name and address of parties who have been given Essentiality Certificates or recommended for Import Licence	Granted for	Date/Dates for starting the factory undertaking given by parties	Articles proposed to be manufactured
29	M/s Motex Products, Rohtak ..	Machinery ..	..	Automobile Valve core pins
30	M/s Industrial Corporation, 21-D. L. F. Colony, Rohtak	Raw Material ..	The party was already in production	Radio Assembling
31	M/s Mahesh Hosiery Factory, Rohtak ..	Ditto	The party was already in production	Socks
32	M/s Arora Brothers, Model Town, Rohtak	Ditto	Ditto	Rubber patches
33	M/s Naval Steel Wire and Metal Industries, Rohtak	Ditto	Ditto	Wire netting
34	M/s Bawa Brothers, Rohtak ..	Ditto	The party possessed machinery while E. C. was issued	Chaff-cutter blades, tin containers
35	M/s Delite Metal Products, Rohtak ..	Machinery ..	..	Shoe Tacks and nails
36	M/s Shri Naraynee Industries, Rohtak ..	Ditto	..	Loco-auto-cycle, sewing machine parts
37	M/s Indian Metal and General Industries, Rohtak	Raw Material ..	The party possess machinery ..	Tin containers
38	M/s Attar Chand, Industrial Area, Sonepat	Ditto	Ditto	Chaff-cutter blades
39	M/s The Gram Udyog Industries, Murthal	Ditto	Ditto	Ditto
40	M/s Paragon Steel Industries, Sonepat ..	Machinery and Raw material	..	Cycle and Sewing Machine parts
41	M/s Karori Mal Wire Netting Works, Sonepat	Raw Material ..	The party possessed machinery ..	Wire-netting
42	M/s Dayton Industries, I. A., Sonepat ..	Ditto	The party possessed machinery while E. C. was given	Wire nails and rivets

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

43	M/s United Aniline Works, Sonepat ..	Ditto	The party was in possession of machinery	Paints and vessels (containers)
44	M/s Parkash Wire-netting Works, Sonepat	Ditto	The party had installed handlooms while the E. C. was issued	Wire-netting
45	M/s Kul Purza Industries, Sonepat ..	Ditto	The party was in possession of machinery	Ditto
46	M/s Jain Metal Works, Mohana ..	Ditto	Ditto	Ditto
47	M/s Panna Lal Wire-netting Works, Murthal	Ditto	Ditto	Ditto
48	M/s Golden Aero Spring Industries, Sonepat	Machinery ..	..	Springs—sofa sets
49	M/s R. L. Bhalla and Sons, Sonepat ..	Ditto	..	Cycle, sewing machine and motor parts
50	M/s B. L. and Sons, Sonepat ..	Ditto	..	Ditto
51	M/s National Engineering and Metal Works, Sonepat ..	Ditto	..	Ditto
52	M/s Ramji Dass Sikka and Sons, Sonepat	Machinery and raw-material	..	Thermometers
53	M/s Aggarwal Navin Industries, Sonepat	Machinery	..	Wood, Wools and Allied Products
54	M/s Niranjan Singh-Kartar Singh, Sonepat	Ditto	..	Nickle plant
55	M/s Punjab Wire-netting Works, Ganaur	Raw Material ..	The party possessed machinery, while E. C. was issued	Wire-netting
56	Shri Tara Chand, son of L. Sis Ram, village and post office Khewra, tehsil Sonepat	Ditto	The party had installed handlooms while E. C. was issued	Ditto

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : एक दो सवालात के जवाब में बताया गया था कि essentiality certificates की details बताई नहीं जा सकती लेकिन इस जवाब में details बताई गई है?

श्री अध्यक्ष : अब हम ने यह procedure बनाया है कि ऐसी list हाउस की मेज पर रख दी जायेगी। यह खुफिया नहीं तसव्वर की जाएगी (We have now adopted this procedure that such lists will be placed on the Table of the House and will not be treated as confidential.)

श्री राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि उन्हों ने कोई undertaking नहीं दी कि वह फैक्टरी कब start करनी है। जो statement मुझे दिया गया है उस से पता लगता है कि उन को essentiality certificate दे दिया गया है। क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि essentiality certificate देने से पहले कोई जांच पड़ताल की जाती है ?।

उद्योग मन्त्री : सवाल के part (b) में पूछा गया है the date/dates when the undertaking for starting the factory by the person/persons mentioned in part (a) above was given .....
मेरा जवाब था कि date मुकर्रर नहीं होती और न ही date मुकर्रर करने का कोई provision है। Essentiality certificate issue करने से पहले फैक्ट्रियों की machinery और building के मुतअल्लिक बाकायदा verification होती है।

श्री राम प्यारा : इस के बारे में मेरा supplementary तो सिर्फ यह है कि जिन को essentiality certificate दिया है उनकी factories चालू नहीं हुई; उन्हों ने गवर्नमैंट को undertaking दी थी, उसका क्या बनेगा ?

मन्त्री : Essentiality certificate देने से पहले गवर्नमैंण्ट दो बातों को देखती है ; पहली तो यह कि क्या कोई आगे machinery वगैरह का काम करता है। दूसरे अगर नई machinery लगानी है तो उसकी क्या building वगैरह है। उसकी verification कर के फिर essentiality certificate issue किया जाता है ।

श्री राम प्यारा : क्या गवर्नमैंट के notice में इस किस्म के cases आए जिन में कि माल तो import कर लिया लेकिन factory वजूद में नहीं आई ?

TRANSFERS OF DIRECTORS OF CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT, PUNJAB

***5163. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether it is a fact that during a period of one year from April, 1958 to April, 1959 three/four Directors of Civil Supplies each of whom belonged to the I.A.S., have been transferred, if so, the duration of stay of each and the reasons for these frequent transfers.

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): Three Directors of Food and Supplies Department were transferred during the period from April, 1958 to April, 1959, one of them belonged to the I.A.S. while the other two were P.C.S. officers borne on the Select List for making officiating appointments to senior scale I.A.S. posts. A statement giving the duration of stay of each of the three officers and reasons for transfer is laid on the Table.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Statement showing duration of stay of the incumbents of the post of Director, Food and Supplies, transferred during the period from April 1958 to April 1959

Serial No.	Name	Duration	Reasons for transfer
1	2	3	4
1	Harkishan Singh Achreja, I. A. S. ..	6th August, 1956 to 14th September, 1958	H. S. Achreja was selected for the post of Secretary to the Governor, Punjab, and transferred as such in the normal course after he had worked in the post of Director, Food and Supplies for about two years. The transfers of the other two Directors were made in the public interest on administrative grounds. During the period policy changed and the decision to start State Trading in food was decided on.
2	V. P. Malhotra, P.C.S. (Officiating in a senior scale I.A.S. post)	28th October, 1958 to 2nd March, 1959	
3	P. C. Suri, P.C.S. (Officiating in a senior-scale I.A.S. post)	3rd March, 1959 to 15th April, 1959	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : यह जो statement दी गई है इस में लिखा है कि कोई एक महीना रहा और कोई दो महीने रहा। उन्हों ने फरमाया है कि administrative grounds पर transfers की गईं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी administrative grounds थीं जिन की वजह से उन्हें एक या दो महीने के बाद बदलने की जरुरत पड़ी ?

श्री अध्यक्ष : यह बात छोड़िए। (The hon. Member may please leave this point.)

श्री राम प्यारा : Rules यह हैं कि जो appointment होती है वह तीन साल के लिए होती है। मगर इन्हें 4 महीने के बाद ही बदल दिया गया।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ submission ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ simple ਜਿਹਾ question ਹੈ fertilizers ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਏਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਏਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਾਰੇ postponed questions next week ਆਉਣਗੇ। (All postponed questions will come up during the next week.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਰਹੇਗਾ। (The session will continue till the next week.)

SCHOOL AT VILLAGE KHARKARA, TEHSIL GOHANA, DISTRICT ROHTAK

***5498. Shri Mangal Sein [Put by Shri Balram Dass Tandon]** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of students in the school in village Kharkara, tehsil Gohana, District Rohtak at present;

(b) the standard up to which education is being imparted in the said school, the names of the teachers therein and their academic qualifications;

(c) the name of the present Headmaster of the said school and his academic qualifications ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Amar Nath Vidyalankar : The required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Two hundred and forty-one.

(b) Education in the School is being imparted up to Middle standard and the names of the teachers with their academic qualifications are as under:—

1. Sh. Chet Ram, Headmaster, B. A. B. T.
2. Sh. Nihal Chand, Middle Weaving Trained.
3. Sh. Rohtan Singh, Middle, P. T. I. Trained.
4. Sh. Chandan Ram, Middle, Carpenter trained.
5. Sh. Ram Pal, Middle, Shastri.
6. Sh. Ji Kishan Das, Middle, J. V.
7. Sh. Hoshiar Singh, F. A. Basic.
8. Sh. Sukhdev Singh, Middle, J. V.
9. Sh. Shiv Charan, Matric Basic
10. Sh. Chhotu Ram, Matric Basic

(c) Shri Chet Ram, B. A. B. T.

EXEMPTION OF WINE SHOPS FROM THE PROVISIONS OF PUNJAB SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS ACT, 1958

***5556. Shri Balram Das Tandon** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Government have issue any orders exempting the wine shops from the provisions of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958; if so, from which date and the reasons therefor;

(b) a copy of the orders so issued be laid on the Table ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (*a*) *Part* I. Yes. The exemption has been granted with effect from 1st April, 1960.

Part II. Had the exemption not been granted, it would have adversely affected the revenue of the State .

(b) A copy of the notification issued is laid on the Table of the House.

(TO BE PUBLISHED IN PUNJAB GOVERNMENT GAZETTE EXTRA ORDINARY)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated Chandigarh the 19th February, 1960

No. 740-Lab-I-60/3988.—In continuation of Punjab Government Notification No. 5211-Lab-I-59/5195, dated the 11th July, 1959, and in exercise of the powers conferred by section 28 of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Punjab Act No. 15 of 1958), the Governor of Punjab is pleased to exempt the establishments licensed under the Punjab Excise Act, 1914(1 of 1914), in the State of Punjab, from the operation of all the provisions of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958, from 1st April, 1961 to 31st March, 1960 subject to the condition that the persons required to work in excess of the hours fixed by sub-section

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

(1) of section 7 of the said Act, shall be paid remuneration at twice the rate of their normal wages calculated by the hour.

HARDEV SINGH CHHINA,
Secretary to Government, Punjab,
Labour Department.

No. 740-Lab-I-60/3989, dated Chandigarh the 19th February, 1960.

A copy is forwarded for information and necessary action to :—

(1) The Labour Commissioner, Punjab.
(2) The Chief Inspector of Shops, Punjab.
(3) The Deputy Chief Inspector of Shops, Ambala/Patiala/Jullundur.
(4) All Inspectors of Shops in the State.
(5) All District Magistrates in the State.
(6) The Director of Public Relations, Punjab, for favour of wide publicity.
(7) The Deputy Secretary to Government, Punjab, Revenue Department.
(8) The Excise and Taxation Commissioner, Punjab, Patiala.

By order,

SANTOKH SINGH,
SUPERINTENDENT, LABOUR (I),
for Secretary to Government, Punjab
Labour Department.

No. 740-Lab-I-60/3990, dated Chandigarh the 19th February, 1960.

A COPY, with 25 spare copies, is forwarded to the Secretary to the Punjab Vidhan Sabha Secretariat, for use of the Committee on Subordinate Legislation.

By order,

SANTOKH SINGH
SUPERINTENDENT, LABOUR (I),
for Secretary to Government, Punjab,
Labour Department.

TWO COPIES are forwarded to the Private Secretary to Education and Labour Minister for inclusion in Education and Labour Minister's collection.

SANTOKH SINGH,
SUPERINTENDENT, LABOUR (I),
for Secretary to Government, Punjab,
Labour Department.

To

The Private Secretary to Education and Labour Minister.

U.O. No. 740-Lab-I-60, dated Chandigarh the 19th February, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री बलराम दास टंडन : मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि चूंकि revenue adversely affect होता है इस लिए यह exemption दी गई है। दूसरी तरफ गवर्नमैंट की यह scheme है कि wine shops बंद कर देनी हैं। इसकी क्या वजह है ?

शिक्षा तथा श्रम मन्त्री : जिस चीज़ का मुझ से ताल्लुक है वह सवाल करें। आप तो general सवाल कर रहे हैं। गवर्नमैंट ने कोई शराबबंदी की स्कीम बनाई हुई है वह अलहदा सवाल है।

श्री बलराम दास टंडन ; ऐसी दूसरी दुकानें भी हैं जिन से गवर्नमैंट का revenue affect होता है; sales tax न आने की वजह से गवर्नमैंट को नुकसान होता है, क्या गवर्नमैंट उसके मुताल्लिक सोचेगी ?

मन्त्री : सवाल limited है; सारा sales tax वगैरह का मामला तो इसमें नहीं आ सकता।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाएंगे कि सरकार ने जो यह कदम उठाया है क्या यह उनकी prohibition की policy के विरुद्ध नहीं है ?

वित्त मन्त्री : नहीं है।

Sardar Umrao Singh : May I know whether the wine shops have been totally exempted from the operation of the Punjab Shops and Commercial Establishments Act or only the restrictions have been relaxed ?

शिक्षा तथा श्रम मन्त्री : मैं ने Notification की copy House के Table पर रखी है; उसमें लिखा है कि किन बातों से exemption दी गई है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि क्या गवर्नमैंट की यह policy है कि यहां revenue में फर्क पड़ता है वहां वक्त की पाबंदी ऐसे बदली जाए ?

मन्त्री : जहां जरूरत होती है वहां किया जाता है हर एक case merits पर consider होता है।

———

AUDITING OF ACCOUNTS OF THE PANCHAYATS IN SANGRUR DISTRICT DURING 1959

***5574. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) the total number of Panchayats in Sangrur District whose accounts were audited during the year 1959 (from April 1, 1959 to date);

(b) the names of Panchayats referred to above whose accounts have been found faulty and the action, if any, taken against them separately village-wise ?

Shri Dalbir Singh(Deputy Minister) : (a) 308.

(b) Annotated copies of the audit notes in respect of 182 Panchayats only have been received so far. The points raised in these audit objections are under examination. At present, it cannot be said definitely how many Panchayats were found maintaining faulty accounts.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ amount audit ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਕਿਸ agency ਰਾਹੀਂ audit ਕਰਵਾਈ ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : It is altogether a separate question. The hon. Member should give a separate notice.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ accounts audit ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Agency from which they were got audited ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਲਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ । (There was a separate question regarding the agency from which these accounts were got audited.)

MILITARY PERSONNEL ENGAGED AT BHAKRA DAM FOR REPAIRS

***5283. Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the strength of the Military personnel, which worked at Bhakra Dam in connection with the recent mishap to the Dam:

(b) whether the salaries etc. of the personnel referred to in part (a) above for the period of their stay and work at the Dam will be paid by the Government;

(c) the total expenditure other than that referred to in part (b) above incurred by Government on the said personnel ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): (a) The strength of military personnel which worked at Bhakra Dam in connection with recent mishap varied from one field company at the beginning to four field companies during the peak period. Altogether there were 700 military personnel working at the peak time.

(b) No.

(c) The expenditure incurred by Bhakra Dam Administration directly on providing facilities to the Military Personnel at Nangal is about Rs 30,000. This does not include the expenditure incurred by the Military authorities on account of incidental expenditure for which the debit has not so far been raised by them.

TUBEWELLS INSTALLED IN THE STATE DURING THE IIND FIVE-YEAR PLAN

***5284. Pandit Ram Kishan Bharolian.** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of tubewells for irrigation installed in the State so far during the Second Five-Year Plan period and the number, if any, installed in Sub-division Una, separately ;

(b) if the answer to the latter part of (a) above be in the negative, whether there is any scheme under the consideration of Government to provide Irrigation facilities in the said area by other means ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) No new State Tubewells have been sanctioned under the 2nd Five Year Plan However, out of spillover Tubewells from the Ist Five-Year Plan 361 were completed and 895 energised during the 2nd Plan. None of them is installed in Una Tehsil..

(b) Lift Irrigation has been provided for irrigating 625 acres of land in Una Tehsil between the River Sutlej and Nangal Hydel Canal. There is another scheme under investigation for irrigating approximately 8,000 acres of land in Una Tehsil between the River Sutlej and Nangal Hydel Canal.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ tubewells ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : ऊना तहसील पहाड़ी इलाका है । वहां tube-wells की नालियां ठीक नहीं बनतीं । वहां बारशें काफी होती हैं, लोगों को tubewells की ज़रूरत नहीं ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਊਨਾ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Second Five-Year Plan ਵਿਚ ਕੋਈ tubewell sanction ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ discontinue ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

मन्त्री : बहुत से tubewells ऐसे हैं जहां से ज़मीनों के मालकों ने पानी नहीं लिया । बजाए इस के कि सरकार बगैर ज़रूरत के अपने tubewells और लगाती चली जाए बेहतर यह होगा कि Agriculture Department वह रुपया लोगों को कर्ज़े के तौर पर अपने private tubewells लगाने के लिए दे । वह कर्ज़ा लिया जाता है । लोग वहां से कर्ज़ा ले सकते है ।

Mr. Speaker: Question hour is over please.

ਪੰਡਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਏਸ ਸਵਾਲ ਤੇ Supplementaries ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਹਾਂ । (Yes, please.)

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CONNECTING FARIDKOT SADIQ ROAD WITH GURDWARA JAND SAHIB BY A PACCA ROAD

2475. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government connecting Gurdwara Jand Sahib in Bhatinda District, with Faridkot-Sadiq Road during the Second or the Third Five-Years Plan period ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Sardar Atma Singh]

(b) the length of the road link mentioned in part (a) above ;

(c) whether the Government received any representation in this respect from any quarter ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Chaudhri Suraj Mal : (a) Yes, During the 3rd Five-Year Plan.

(b) 3 miles.

(c) Yes.

SCALES OF PAY OF ASSISTANT SUPERINTENDENTS OF JAILS IN THE STATE

2476. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the grades of pay and other allowances paid to the Assistant Superintendents of Jails in the State in 1954-55 ;

(b) whether it is a fact that the salaries of Jail Officers were reduced in 1957; if so, to what extent, with reasons for this reduction, if any ?

Shri Mohan Lal : (a) (i) *Grade in* 1954-55—

Rs. 120—$7\frac{1}{2}$—180/$7\frac{1}{2}$—240 (with special pay of Rs. 25 per mensem for Senior Assistant Superintendents at Central Jails).

(ii) *Dearness Allowance*—

Pay exceeding Rs 100 but not exceeding Rs 150	..	Rs 40
Pay exceeding Rs 150 but not exceeding Rs 200	..	Rs 45
Pay exceeding Rs 200 but not exceeding Rs 250	..	Rs 50

(iii) *Temporary Allowance*—

Pay exceeding Rs 100 but not exceeding Rs 250 per mensem	An allowance equal to the amount of the last two increments with a minimum of Rs. 6 and subject to a maximum of Rs. 25 per mensem

(b) No. The grade has, however, been revised with effect from 1st May, 1957, from Rs 120 —240 to Rs 100—10—200—300, with special pay of Rs 25 per mensem for Senior Assistant Superintendents of Central Jails. There has been no change in the rate of Dearness Allowance/Temporary Allowance.

DECLARATION OF AREA SITUATED WITHIN THE JURISDICTION OF POLICE STATION, BANUR, IN PATIALA DISTRICT AS BACKWARD AREA

2477. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether Government received any representation for declaring the area situated within the jurisdiction of Police Station Banur, in Patiala District, as backward area ; if so, the action taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : No.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

BAND OF JULLUNDUR P. A. P. (POLICE)

2478. **Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Band of the Jullundur P.A.P. (Police) is allowed to attend private functions ; if so, on what terms ;

(b) the details of the functions attended by the said Band during the years 1955-56, 1956-57 and 1957-58 and the total amount earned by the Band on each occasion ;

(c) the total amount deposited in the State Exchequer during this period on account of the earnings of the Band ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. The terms are as follows :—

(i) Band should not march alongwith the marriage parties or other processions.

(ii) The engagement charges are to be taken in advance as far as possible, and are as follows :—

	Present rates	Old rates
Brass Band	Rs.	Rs.
For the first hour or a part thereof ..	100	100
For every subsequent hour or a part thereof ..	50	30
Pipe Band		
For the first hour or a part thereof ..	150	200
For every subsequent hour or a part thereof ..	75	60
Dance Band		
For the first two hours or a part thereof ..	50	100
For every subsequent hour or a part thereof ..	20	300 per month for Jullundur Club

Note.—When the band is engaged by the serving officers and men of the Police Drepartment in connection with their own marriages and those of their children, rea others and sisters they are required to pay half the charges.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Chief Minister]

(iii) The institutions like boy scouts, Y. M. C. A. etc., can be supplied band free or on concessional basis for functions sponsored by them for charitable purposes.

(iv) In case of the band going outside headquarters the transport charges of the bandsmen and their instruments are borne by the person engaging the band. If the bandsmen travel by a police vehicle, the transport charges at the rate 75 n.P. per mile for outward and return journeys are to be made.

(b) The statement is enclosed.

(c) No amount was deposited with the State Exchequer. The income is deposited in the State Bank of India, Jullundur to the credit of the Band Fund which is meant to meet sundry charges like purchase and repair of band instrument, etc. etc.

BRASS BAND ENGAGED BY PRIVATE PERSONS FROM 1ST APRIL, 1955 TO 31ST MARCH, 1956

Serial No.	Date	Name of person who booked the band	Amount earned
1	2	3	4
			Rs
1	11th April, 1955	Lt. Khanna, Ludhiana ..	190.00
2	12th April, 1955	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
3	13th April, 1955	Manager, National Bank, Jullundur ..	100.00
4	13th April, 1955	Dr. Jiwa Singh, Jullundur Cantt. ..	130.00
5	14th April, 1955	Shri Parkash Chand Bharti, Jullundur ..	100.00
6	20th/21st April, 1955	Shri Jagdish Lal, Kapurthala ..	410.00
7	22nd April, 1955	Shri Prem Chand Bhari, Jullundur ..	100.00
8	24th April, 1955	Shri Piara Lal, Ludhiana ..	130.00
9	27th April, 1955	Shri A. Deird, Jullundur ..	130.00
10	30th April, 1955	Shri S. C. Behl, Jullundur ..	100.00
11	9th/16th/23rd/ 30th April, 1955	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
12	5th/6th May, 1955	Shri Balbir Krishan, Phagwara ..	260.00
13	3rd May, 1955 ..	Shri V. S. Mital, Ludhiana ..	100.00
14	6th May, 1955	Shri Ram Rakha, Jullundur ..	100.00
15	11th May, 1955	Superintendent Jail, Jullundur ..	100.00
16	7th May, 1955 ..	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
17	21st/18th May, 1955	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
18	17th May, 1955	Shri Parlad Parkash, Jullundur Cantt. ..	130.00
19	25th May, 1955	Sessions Judge, Jullundur ..	100.00
20	31st May, 1955	Shri Gurdut Sehgal, Jullundur ..	230.00
21	11th/18th/25th June, 1955	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
22	31st May, 1955	Shri Telu Ram Jain, Jullundur Cantt. ..	100.00
23	21st May, 1955	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
24	5th June, 1955	Shri Baisakhi Ram Sood, Moga ..	220.00
25	6th June, 1955	Shri Tarloki Nath, Jullundur Cantt. ..	130.00
26	12th-13th June, 1955	Shri Ram Krishan, Jullundur Cantt. ..	290.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Date	Name of person who booked the band	Amount earned
1	2	3	4
			Rs
27	18th June, 1955	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
28	24th June, 1955	Shri Lajpat Rai, Jullundur Cantt. ..	130.00
29	29th June, 1955	Shri Suresh Chander, Jullundur Cantt. ..	100.00
30	29th June, 1955	Shri Hari Dass, Jullundur Cantt. ..	100.00
31	1st July, 1955 ..	Shri Brijinder Singh, Jullundur ..	130.00
32	3rd July, 1955 ..	Civil Surgeon, Jullundur ..	100.00
33	5th July, 1955 ..	Shri S. P. Khanna, Jullundur ..	130.00
34	10th July, 1955	Shri Jaswant Singh, Kapurthala ..	100.00
35	11th July, 1955 ..	Shri J. D. Sharma, Jullundur ..	100.00
36	17th July, 1955	Shri Kewal Krishan, Moga ..	290.00
37	23rd July, 1955 ..	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
38	2nd—9th—16th—23rd 30th July, 1955	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
39	31st August, 1955	Artilary men, Jullundur Cantt. ..	100.00
40	23rd September, 1955	Government Agriculture College, Ludhiana	130.00
41	6th—14th—20th—27th August, 1955	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
42	14th August, 1955	Pakistan Deputy High Commission, Jullundur	130.00
43	26th August, 1955	Nursary Men, Jullundur Cantt. ..	100.00
44	3rd—10th—17th—24th September, 1955	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
45	10th October, 1955	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
46	25th October, 1955	Shri Lekh Raj, Jullundur ..	100.00
47	17th September, 1955	Secretary, Ferozepore Club ..	100.00
48	16th October, 1955	Shri Rangi Ram, Ludhiana ..	130.00
49	25th October, 1955	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
50	16th October, 1955	Shri P. L. Khanna, State Bank, Jullundur	130.00
51	1st—8th—15th—22nd 29th October, 1955	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
52	17th October, 1955	Shri Shiv Nath Khanna, Jullundur ..	130.00
53	18th October, 1955	Shri K. L. Vij Medical College, Amritsar	100.00
54	21st October, 1955	Shri P. S. Vijay, Jullundur Cantt. ..	100.00
55	12th November, 1955	Secretary, Amritsar Club	100.00
56	11th November, 1955	Shri Sain Dass, Amritsar ..	130.00
57	5th, 14th, 19th, 26th November, 1955	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
58	16th November, 1955	Pt. Ajudhya Nath, Jullundur ..	160.00
59	19th November, 1955	Divisional Excise Section, Jullundur ..	100.00
60	24th November, 1955	Shri Madan Gopal, Jullundur ..	130.00
61	December, 1955..	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
62	1st December, 1955	Shri C. D. Tiwari, Jullundur ..	100.00
63	5th December, 1955	Shri Shiv Parshad, Ludhiana	130.00
64	8th/9th December, 1955	Shri Rangi Ram Sood, Ludhiana ..	360.00
65	7th December, 1955	Shri Madan Gopal, Jullundur ..	190.00
66	1st January, 1956	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
67	24th, 31st December, 1955	Secretary, Amritsar Club ..	200.00
68	18th January, 1956	Shri Vishwa Nath, Ludhiana ..	260.00
69	25th January, 1956	Secretary, Pathankot Office Institute ..	100.00
70	21st January, 1956	Dr. Hait Ram, Amritsar ..	100.00
71	22nd January, 1956	Shri Dev Raj, Jullundur ..	100.00
72	26th January, 1956	Deputy Commissioner, Ludhiana ..	100.00
73	27th January, 1956	Shri Prem Sagar, Phillaur ..	100.00
74	28th January, 1956	Shri Jagan Nath, Jullundur ..	220.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Chief Minister]

Serial No	Date	Name of person who booked the band	Amount earned
1	2	3	4
			Rs
75	30th January, 1956	Shri Dewan Chand, Jullundur Cantt. ..	130.00
76	31st January, 1956	Shri Nika Mall Babu Ram, Ludhiana ..	260.00
77	7th, 14th, 22nd, 25th January, 1956	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
78	5th February, 1956	S. Latha Singh, Jullundur ..	160.00
79	8th February, 1956	Shri Telu Ram Jain, Jullundur Cantt. ..	190.00
80	14th February, 1956	Shri Sohan Lal, Jullundur Cantt. ..	190.00
81	15th February, 1956	S. Dharam Singh, Jullundur ..	100.00
82	15th February, 1956	Manager, Rekhi Cinema, Ludhiana ..	130.00
83	16th February, 1956	S. Dharam Singh, Jullundur ..	100.00
84	17th February, 1956	S. Dharam Singh, Jullundur ..	100.00
85	18th February, 1956	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
86	20th February, 1956	Shri Dharam Singh, Jullundur ..	130.00
87	20th February, 1956	Sh. Nika Mal Babu Ram, Ludhiana ..	130.00
88	21st February, 1956	S. Dharam Singh, Jullundur ..	130.00
89	25th February, 1956	Secretary, Ferozepore Club ..	100.00
90	18th, 19th, 25th, 29th February, 1956	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
91	3rd March, 1956	Shri Kassi Ram, Sita Ram, Ludhiana ..	160.00
92	17th March, 1956	S. Daljit Singh, Jullundur ..	160.00
93	25th March, 1956	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
94	4th, 10th, 17th, 18th March, 1956	Secretary, Jullundur Club ..	300.00

Brass Band Engaged by Private Persons
From 1st April, 1956 to 31st March, 1957

1	2.4.56	Principal Engineering, College, Ludhiana ..	100.00
2	8.4.56	Deputy Commissioner, Ludhiana ..	100.00
3	12.4.56	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
4	19.4.56	Shri Basanta Mal, Tilak Ram, Ludhiana ..	130.00
5	21.4.56	Shri Prithi Chand, Phillaur ..	190.00
6	28.4.56	Shri Sadhu Ram, Moga ..	160.00
7	27.4.56	Shri Daulat Ram, Moga ..	130.00
8	29.4.56	Shri Sardari Lal Gupa, Jullundur Cantt ..	160.00
9	1,13,21 28.4.56	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
10	5.5.56	Secretary, Ferozpore Club ..	100.00
11	16.5.56	Shri Madan Lal Sagar, Ludhiana ..	220.00
12	7.5.56	Sardar Kishore , Ludhiana. ..	130.00
13	11.5.56	Shri Gurbax Rai, Jullundur City ..	160.00
14	12,13.5. 56.	Secretary, Hockey Champion, Punjab ..	200.00
15	17,18,5. 56.	Shri Telu Ram Jain, Jullundur Cantt ..	200.00
16	20.5.56	Deputy Commissioner, Ludhiana ..	100.00
17	23.5.56	Secretary, Ferozepur Club ..	100.00
18	12,19,26-30.5.56	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
19	23.6.56	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
20	2,16,23. 30/6/56	Secretary, Jullundur Club ..	300.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Sl. No.	Date	Name of person who booked the band		Amount earned
1	2	3		4
				Rs
21	30.6.56	Sardar Gurbax Rai, Jullundur	..	100.00
22	5.7.56	Shri Devi Dass Gopal Krishan, Moga	..	130.00
23	10.7.56	Shri Hans Raj, Jullundur Cantt	..	160.00
24	8.14.18 22,28/7. 56.	Secretary, Jullundur Club	..	300.00
25	21.7.56	Secretary, Amritsar Club	..	100.00
26	12.8.56	Manager Globe Motor, Jullundur	..	130.00
27	14.8.56	Secretary, Amritsar Club	..	100.00
28	1,5,14,20 /8/56	Secretary, Jullundur Club	..	300.00
29	16,18-9/ 56.	S. Rehal Sondhu, Jullundur	..	200.00
30	5,15,19, 29/9/56	Secretary, Jullundur Club	..	300.00
31	22.9.56	Secretary, Amritsar Club	..	100.00
32	2.10.56	Manager, Jain Motor, Jullundur	..	130.00
33	9.10.56	Shri Chaman Sondhi, Jullundur	..	130.00
34	9.10.56	Sardar Kesar Singh, Sher Singh, Amritsar	..	130.00
35	10.10.56	Rajender Mohan Sondhu, Jullundur	..	160.00
36	10.10.56	Shri Jainti Parshad, Jullundur	..	100.00
37	11.10.56	Shri Harbansh Lal, Jullundur	..	100.00
38	12.10.56	Shri Dharam Paul, Jullundur	..	130.00
39	13.10.56	Secretary, Ferozepur Club	..	100.00
40	3,12,14, 21/10/56	Secretary, Jullundur Club	..	300.00
41	24.11.56	Secretary, Amritsar Club	..	100.00
42	11,17,18, /11/56	Secretary, Jullundur Club	..	300.00
43	24.11.56	Secretary, Ferozepur Club	..	100.00
44	14.11.56	Shri Yash , Jullundur	..	100.00
45	24.12.56	Manager, Mount View Hotel, Chandigarh.	..	100.00
46	1,8,12,23 25-31/121 56.	Secretary, Jullundur Club	..	300.00
47	24.12.56	Secretary, Ferozepur Club	..	100.00
48	31,12,56	Secretary, Amritsar Club	..	100.00
49	18.11.56	Session Judge, Jullundur	..	130.00
50	23.11.56	Shri O.P. Kapoor, Jullundur	..	100.00
51	26.11.56	Shri Telu Ram Jain, Jullundur Cantt	..	100.00
52	27.11.56	Shri Moti Ram, Jullundur	..	130.00
53	28.11.56	Shri Gopal Sahai, Jullundur Cantt.	..	130.00
54	29.11.56	M/s Madan Service, Jullundur Cantt	..	130.00
55	4,5,12-56.	Kulwant Singh, Ludhiana	..	230.00
56	5.12.56	Shri Vidya Sagar, Jagraon, Ludhiana	..	100.00
57	5.12.56	D.S.P., Ambala	..	100.00
58	7-12-56	Shri Palda Ram , Jullundur Cantt	..	160.00
59	10.12.56	Shri Jagdish Ram , Jullundur Cantt	..	100.00
60	10.12.56	Shri Bishamber Dass, Jullundur Cantt	..	130.00
61	12.12.56	Shri Amir Chand, Jullundur Cantt	..	130.00
62	14.12.56	Commandant, III Punjab NCC.		100.00
63	16.12.56	Commandant VII Punjab, I.A.F.	..	130.00
64	30.12.56	Commandant, III Punjab NCC	..	130.00
65	5.1.57	Shri Harcharn Singh, Jullundur	..	130.00
66	12,13/1 57.	Sardar Sant Singh, Kapurthala	..	260.00
67	19.1.57	Sardar Bhag Singh, Amritsar	..	130.00
68	19-1-57	Sardar Ajaipaul Singh, D.S.P.	..	100.00
69	4.2.57	Shri Bishamber Dass, Kapurthala	..	130.00
70	16.2.57	Sardar Surjit Singh, Jullundur	..	100.00
71	15.1.57	Secretary Artl. Mers, Ferozepur	..	100.00
72	25.1.57	Manager, Mount View Hotel, Chandigarh	..	100.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Chief Minister]

Sl. No.	Date	Name of person who booked the band	Amount earned
1	2	3	4
			Rs
73	12,20,30/ /1/57	Secretary, Jullundur Club	300.00
74	27.1.57	Shri K.L. Nayyar, of P.A.P. ..	100.00
75	23.2.57	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
76	2,5,9,16, 26-27/2/57	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
77	27.1.57	Sardar Sameshar Singh, Secretary, Tenis Club, Amritsar. ..	100.00
78	10.2.57	Shri C.D. Tehan, Jullundur ..	100.00
79	16.2.57	Shri Yash Paul, Jullundur ..	100.00
80	16.2.57	Shri Kirti Ram, Jullundur Cantt. ..	130.00
81	17.2.57	Shri Bishamber Dass, Jullundur Cantt. ..	130.00
82	17-2-57	Dr. Verma , Assistant Surgeon, Jullundur ..	130.00
83	18.2.57	Captain Nanda, Jullundur ..	100.00
84	25.2.57	Shri Krishan Gopal, Ludhiana ..	130.00
85	12,13/2/ 57/	Shri K.C. Sood, Phagwara ..	450.00
86	13,14/2/57	Shri Karam Chand Moga ..	320.00
87	16.3,57.	Secretary, Ferozepur Club ..	100.00
88	23.3.57	Secretary, Amritsar Club	100.00
89	20.2.57	Shri Moti Ram, Jullundur Cantt. ..	100.00
90	22.2.57	Shri Jatinder Singh, Jullundur ..	100.00
91	3.3.57	Shri Bansi Dhar, Jullundur ..	100.00
92	8.3.57	Sardar Basant Singh , Moga ..	190.00
93	11.3.57	Secretary, Sarhind Club, Ambala Cantt. ..	100.00
94	25.3.57	Principal, C.M.C., Ludhiana ..	130.00
95	5,15,20-24 3-57.	Secretary, Jullundur Club ..	300.00

Brass Band Engaged by Private Persons
From 1st April 1957 to 31st March, 1958.

Sl. No.	Date	Name of person who booked the band	Amount earned
1	14.4.57	Mission Compound, Jullundur ..	100.00
2	12.4.57	Secretary, Ferozepur Club ..	100.00
3	6.4.57	S.S. Singh, C.M.C., Officer Mess, Air Force, Ambala Cantt ..	100.00
4	8,13,19. 20/4/57	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
5	8.5.57	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
6	25.5.57	Secretary, Ferozepur Club ..	100.00
7	2,11,21. 25/5/57	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
8	10.5.57	Shri Sikandar Lal, Ludhiana ..	160.00
9	18.5.57	S.S. Seghal, Jullundur ..	100.00
10	4.5.57	Sardarni Prem Parkash Kaur, Ludhiana ..	100.00
11	12.5.57	S. Kuldip Singh Nayyar, Jullundur ..	100.00
12	25.5.57	Lt. Col. K.D.P.A. Chanda, Jullundur Cantt ..	100.00
13	9.6.57	Shri Moti Lal, Jullundur Cantt ..	130.00
14	8.6.57	Major Jaswant Rai, Kapurthala ..	100.00
15	1,8,15,22, 29/6/57	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
16	15.6.57	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
17	22.6.57	Secretary, Ferozepur Club ..	100.00
18	20.7.57	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
19	6,13,23 30/7/57	Secretary, Jullundur Club ..	300.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Date	Name of person who booked the band	Amount earned
1	2	3	4
			Rs
20	1.7.57	Shri Kewal Krishan, Jullundur ..	100.00
21	5.7.57	Shri Bishamber Dass, Jullundur Cantt ..	130.00
22	8.7.57	Shri Om Parkash, Jullundur ..	130.00
23	16.7.57	Shri Amin Chand, Pyare Lala, Jullundur ..	100.00
24	23.7.57	Rajesh Kapoor Jullundur ..	130.00
25	12.7.57	Shri Gopal Dass, Jullundur Cantt ..	130.00
26	25.7.57	Shri J.K. Mehta, Jullundur ..	100.00
27	6.13.23. 30/7/57	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
28	14.8.57	Secretary, Sirhind Club, Ambala Cantt ..	100.00
29	2.9.57	Shri S.P. Mehta, Chhabil Dass, Jullundur ..	130.00
30	17.8.57	Secretary, Ferozepur Club ..	100.00
31	3.6.15.24 27/8/57	Secretary, Jullundur Club ..	300.00
32	24.8.57	Secretary, Amritsar Club ..	100.00
33	14.9.47	Secretary Sirhind Club, Ambala Cantt ..	100.00
34	21.9.57	Secretary, Amritsar, Club	90.00
35	24.9.57	Shri Amar Nath, Jullundur ..	100.00
36	28.9.57	Sardar Amrik Singh, Ludhiana ..	100.00
37	29.9.57	Shri Telu Ram Jain, Jullundur Cantt ..	100.00
38	30.9.57	Shri Ram Lal, Jullundur ..	100.00
39	3.7.17 24/9/57	Secretary Jullundur Club ..	300.00
40	1.10.57	Shri Sohan Lal, Jullundur ..	150.00
41	2.10.57	Secretary, Ferozepur Club ..	90.00
42	12.10.57	S. Bodha Singh, Jullundur ..	150.00
43	7.10.57	Sardar Sadhu Singh, A.S.I./P.A.P.	50.00
44	26.10.57	Secretary, Nangal Club ..	90.00
45	2.12.19.22 23/10/57	Secretary, Jullundur Club ..	350.00
46	6.11.57	S. Amar Singh , S.H.O. Jullundur Cantt	50.00
47	16.11.57	Secretary Amritsar Club ..	70.00
48	16.11.57	Heque St. Links Church Jullundur Cantt ..	50.00
49	19.11.57	Sardar Hardip Singh Inspector C.I.D ..	150.00
50	20.11.57	Sardar Nanak Singh, Jullundur ..	100.00
51	23.11.57	J & Dh and Ju llundur ..	150.00
52	29.11.57	Secretary, Amritsar Club ..	90.00
53	30.11.57	Secretary, 2nd Lancer Officer Mess, Sangrur ..	110.00
54	9.17.24. 30/11/57	Secretary, Jullundur Club ..	200.00
55	1.12.57	Shri Amin Chand Bhola Nath, Jullundur ..	100.00
56	1.12.57	Shri Ram Lal Bharat Iron Merchant, Jullundur ..	100.00
57	1.12.57	Sardar Natha Singh, Jullundur Cantt ..	100.00
58	9.12.57	Shri Mohan Lal, Jullundur ..	100.00
59	7.12.57	Secretary, Ferozepur Club ..	90.00
60	14.12.57	Manager, Raj Mahal Hotel, Jullundur ..	200.00
61	21.12.57	Punjab University, Chandigarh ..	100.00
62	30.12.57	Commandent, N.C.C., Kapoorthala ..	150.00
63	8.15.24. 31/12/57	Secretary , Jullundur Club ..	300.00
64	31.12.57	Secretary , Amritsar Club ..	70.00
65	1-1-58	Nursing Officer, Office Mess. Jullundur Cantt.	70.00
66	17-1-58	J.P. Gupta, Jullundur ..	150.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Chief Minister]

Serial No.	Date	Name of person who booked the band	Amount earned
1	2	3	4
			Rs
67	17-1-58	L.C.L. Seghal, Jullundur Cantt ..	100.00
68	18-1-58	Secretary, Amritsar Club ..	70.00
69	19.158	Shri Thakari Dass, Jullundur ..	50.00
70	20-1-58	Shri Om Parkash, Jullundur ..	150.00
71	26-1-58	Shri Nadu Shab, Jullundur ..	150.00
72	5.11.19. 25-1-58	Secretary, Jullundur Club ..	24000.
73	1-2-58	Secretary, Ferozepur Club ..	90.00
74	2-2-58	S.P. Singh, Jullundur ..	100.00
75	8-2-58	S. Vidya Rattan, Jullundur ..	100.00
76	9-2-58	S. Iqbal Nath, Jullundur ..	200.00
77	15-2-58	Secretary, Ferozepur Club ..	110.00
78	15-2-58	Secretary, Amritsar Club ..	50.00
79	18-19-2 58.	Sardar Prithipal Singh, SI/P.A.P. Jullundur ..	100.00
80	20-2-58	V.K. Lorai, Jullundur ..	100.00
81	20-2-58	Shri Chand Narain Raina, Jullundur ..	250.00
82	21-2-58	Shri Gopal Sehai, Jullundur ..	150.00
83	22-2-58	Shri Chand , Jullundur ..	100.00
84	2-11-56 25-2-58	Secretary, Jullundur Club ..	240.00
85	1-3-58	Manager Mount View Hotel Chandigarh ..	90.00
86	22-2-58	Shri Madan Lal, Jullundur ..	100.00
87	26-2-58	Shri Joti Ram-Moti Ram, Jullundur ..	150.00
88	5-3-58	Principal Punjab Engineering College, Jullundur ..	150.00
89	8-3-58	Sardar Bachan Singh, Rupar ..	200.00
90	15-3-58	Secretary, Amritsar Club ..	70.00
91	22-3-58	Sardar Harbant Singh, S.I., Jullundur ..	100.00
92	9-15-23 29	Secretary, Jullundur Club ..	240.00
93	29-3-58	B.D.O.S. Surjit Singh, Goraya ..	100.00

Pipe Band engaged by Private persons from 1*st April,* 1955 *to* 31*st March,* 1956

1	20-4-55	Lt. Col. P. R. Dhawan, Jullundur Cantt ..	260.00
2	24-4-55	Shri M. L. Tarhan, Jullundur City ..	200.00
3	2-5-55	S. Gurbax Singh, Jullundur Cantt ..	200.00
4	5-5-55	Shri Om Parkash, Datta Jullundur ..	200.00
5	30-5-55	Shri Guran Ditta Sehgal ..	260.00
6	12-6-55	Principal, Law College, Jullundur. ..	200.00
7	24-6-55	M/s. Mohan Lal, Suraj Bhan, Jullundur ..	200.00
8	10-7-55	S. R. D. Chaudhary, Jullundur ..	200.00
9	28-8-55	Gurdawara Nanaksar ..	200.00
10	28-8-55	Joginderpaul Singh, Jullundur Cantt. ...	200.00
11	11-11-55	S. Sain Dass, Amritsar ..	200.00
12	17-12-55	Manager Hamira Mill ..	260.00
13	1-1-56	Officer Commanding, N.C.C., Ludhiana ..	320.00
14	15-1-56	Shri Talwar, Jullundur ..	200.00
15	24-1-56	Shri Kishore Chand Ludhiana ..	260.00
16	24-1-56	Shri P. C. Bandari, Jullundur ..	200.00
17	8-3-56	Deputy Commissioner, Ludhiana ..	200.00
18	10-3-56	Deputy Commissioner, Ludhiana ..	200.00
19	23-3-56	Deputy High Commissiner, Jullundur ..	260.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Date	Name of person who booked the band		Amount earned
1	2	3		4
		Pipe Band engaged by Private persons from 1st April, 1956 to 31st March, 1957		Rs
1	8-4-56	Guru Nanak Engineering College, Ludhiana	..	200.00
2	29-4-56	Kishore Lal Chand Ram, Jullundur	..	200.00
3	28-4-56	S. N. H. A. Punjab	..	200.00
4	11-5-56	Pritam Singh Jain, Ludhiana	..	200.00
5	12-5-56	R. K. Bhandari, Jullundur	..	200.00
6	17-5-56	Shri Telu Ram Jain, Jullundur	..	200.00
7	30-6-56	S. Harjit Singh, Jullundur	..	200.00
8	30-6-56	Shri Prem Nath Gupta, Jullundur	...	200.00
9	27-8-56	Gurudwara, Nanaksar	..	200.00
10	10-10-56	Shri Harbans Lal Khanna	..	260.00
11	21-10-56	Shri Kuldip Singh, Ludhiana	..	400.00
12	22-10-56	S. Kuldip Singh, Ludhiana	..	200.00
13	17/18-11-56	S. Samsher Singh, Mukatsar	..	460.00
14	27-11-56	Shri Moti Ram, Jullundur	..	200.00
15	29-11-56	Shri Prithi Chand Ludhiana	..	260.00
16	5-12-56	Shri Chuni Lal, Jullundur	..	260.00
17	19-12-56 20-12-56 21-12-56 22-12-56	Deputy Commissioner, Ambala	..	600.00
18	28-1-57	S. P. Kapurthala	..	200.00
19	30-1-57	Amin Chand, Pyare Lal, Jullundur	..	260.0υ
20	4-2-57	S. Harbans Singh, Jullundur	..	260.00
21	10-2-57	Randhir Singh, Bhagwara	..	260.00
22	12-2-57	K. C. Sood, Bhagwara	..	400.00
23	17-2-57	Basti Budhala Nakodar Road, Jullundur City	..	200.00
24	25-2-57	S. Randhir Singh, Jullundur	..	260.00
25	2-3-57	S. Raghbir Singh I.A.S., Jullundur	..	200.00
26	18-3-57	S. Pyara Singh, Moga	..	200.00
		Pipe Band engaged by Private persons from 1st April, 1957 to 31st March, 1957		
1	20-4-57	Jawala Mukhi N.G. and Co. Jullundur City	..	320.00
2	7-6-57	Shri Jagan Nath Talwar, Jullundur	..	260.00
3	27-8-57	Shri Chander Bhan, Kapurthala	..	200.00
4	22-11-57	Shri Hari Ram Fazilka	..	225.00
5	23-11-57	Shri Hari Ram Fazilka	..	150.00
6	23-11-57	Shri Hari Ram, Fazilka	..	150.00
7	1-12-57	Amin Chand Bhola Nath, Jullundur City	..	200.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

QUESTION OF PRIVILEGE

Khan Abdul Ghaffar Khan : Sir, I seek your permission to raise a question of privilege, namely, the misleading and incorrect report of the proceedings of the House, dated 24th March, 1960 published in the Hind Samachar, Jullundur, dated 25th March, 1960 under the caption "PUNJAB ASSEMBLY MAI CONGRESSI MEMBER ABDUL GHAFFAR KA HINDUOUN PER DILAZAR HAMLA. HINDU APNI LARKIAN FAROKHAT KARTE HAIN". By reporting in the manner in which the said paper has done, it has committed a breach of privilege of the House.

1 00 p.m.

Sir, I have got a copy of the speech that I delivered on the floor of the House on the 24th March, 1960. It has been supplied by your office and it is authentic. There is nothing of that sort in my speech. I have not said any such thing as written by the paper.

Secondly, even if something was said and you, as Speaker, very kindly ordered that that thing would be expunged from my speech or the speech of Chaudhri Sri Chand then the Press could not publish it. In spite of that, this Paper had the courage to write it.Now I seek your protection and request you to take suitable action against the Paper.

I have got with me a copy of the Paper as also a copy of my speech.

श्री अध्यक्ष : आप मुझे कागज़ात दे दीजिए । यह जो Privilege Motion खान साहिब की तरफ से आई है इस के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि उस दिन जो हाऊस में आपस में जो तलखी या बदमज़गी हुई, उस के बारे में मैं ने खास तौर पर कह दिया था कि जो हिस्सा proceedings का काबिले एतराज़ है उस को expunge कर दिया जाये । ताहम अब यह कागज़ात, मैं examination के लिये Privilege Committee के पास भेज देता हूं । Privilege Committee इस मामले को examine करेगी और दो महीने के अरसे में say by the end of May इस बात पर रिपोर्ट भेज देगी । (The hon. Member may send these papers to me. As regards the Question of Privilege raised by the hon. Member Khan Sahib, I have not to say much at present. However, I would like to say only this much that with regard to the bitterness and unpleasantness created in the House the other day, I had specifically stated that any part of the proceedings of that day which was objectionable, should be expunged. Anyhow, I am referring this matter to the Privileges Committee and passing on these papers to it for examination. The Committee will thoroughly examine the matter and submit its report on this issue in two months time say by the end of May, 1960.)

खान अबदुल गफ्फार खान : जनाबेआला, मैं अर्ज़ करना चाहता हुं कि यह मामला बड़ा serious है । मैं आप से और हाऊस से उम्मीद करता हुं कि इस मामले की seriousness को appreciate करें । आपने दो महीने का जो वक्फा डाल दिया है यह बहुत लम्बा अर्सा

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

है। मेरे पास तो चिटिठयां आनी शुरु हो गई हैं। आर्य समाज की तरफ से एक चिटठी मुझे आई है। If any fanatic does me any harm or kills me who will be responsible for this ?)

श्री अध्यक्ष : मैं यह मामला आज ही Privileges Committee के सुपुर्द कर दूगां। दो महीने का अर्सा मैंने मुकर्रर कर दिया है अब कमेटी की मर्ज़ी है कि वह चाहे दो दिन के बाद meeting fix कर ले या कुछ अरसे के बाद फिक्स कर ले। मैं कमेटी की मीटिंग मुकर्रर नहीं कर सकता। (I will refer this matter to the Privileges Committee today. I have fixed the period of 2 months for submission of the report and now it is up to the Committee to fix a meeting after two days or after some time. I cannot fix a date for the meeting of the Committee.)

PRESENTATION OF PRELIMINARY REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Shri Harbhagwan Maudgil (Member, Privileges Committee) : Sir, I beg to present the Preliminary Report of the Committee of Privileges on the alleged breach of privilege committed by the Editor of the 'People's Gaurdian', Chandigarh in publishing an article under the caption "Odious Characters of Punjab Politics' in its issue dated the 19th December, 1959.

EXTENSION OF TIME FOR THE PRESENTATION OF THE FINAL REPORT OF THE PRIVILEGES COMMITTEE

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, I beg to move—

That the time fixed for the presentation of the Final Report be extended up to the end of May, 1960.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time fixed for the presentation of the Final Report be extended up to the end of May, 1960.

Mr. Speaker : Question is—

That the time fixed for the presentation of the Final Report be extended up to the end of May, 1960.

The motion was carried

श्री अध्यक्ष : अगर हो सके तो इसी सेशन में इस बात का फैसला कर दें, और साथ ही खान साहिब का काम भी खत्म कर दें। (Laughter)

(If possible the Committee may take a decision in this matter during the current Session and also put an end to Khan Sahibs' apprehensions.)

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order, Sir. खान साहिब का काम खत्म करने का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : उन का काम खत्म करने से मेरा मतलब है कि उन को जो खतरा है उस खतरे को खत्म कर दिया जाए। (What I mean to say is that an end should be put to the danger that he feels for his life.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

Shri Nihal Singh (Member, Subordinate Legislation Committee) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1959-60.

RESOLUTION
REG. AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT 1956 ETC. (RESUMPTION OF DISCUSSION)

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the *resolution regarding amendment of the Hindu Sucession Act, 1956 etc. Shri Ram Piara who was in possession of the House, when it adjourned on the 24th March 1960 may resume his speech.

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, मैं उस दिन अर्ज़ कर रहा था कि जहां तक औरतों या लड़कियों के मसले का सम्बन्ध है वह तीन बातों पर depend करता है वे तीन बातें यह हैं। पहली बात तो economic पहलू से ताल्लुक रखती है। मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा मत नहीं है जो इस बात को न मानता हो कि हमारी society में औरत को इकतसादी तौर पर बहुत पीछे रखा गया है और इसी वजह से औरत को depressed and oppressed जुमरे में शामिल रखा गया है। इस हाऊस में औरतों का reperesentation भी ज़ाहिर करता है कि यहां पर भी बहुत थोड़ी औरतें चुन कर आई हैं और बाकी सब मर्द ही आए हैं। इस तरह से माली तौर पर भी उन को पीछे रखा गया और social तौर पर भी उन को कम representation दी गई। अगर मेरे दोस्त मुझ से नाराज़ न हो जाएं तो मैं हकीकत ब्यान करूंगा कि हमारे समाज में औरत के बारे में यह ख्याल किया गया है कि woman is a toy for leisure and pleasure. यह कितनी बुरी बात है जब कि हर एक मर्द को भी और लड़की को भी मां ही जन्म देती है जो कि एक औरत ही होती है। हर एक कुनबे में लड़कियां होती हैं लेकिन फिर भी मर्द ने औरत को अपनी जूती की नोक के बराबर बनाए रखा और leisure और pleasure का सामान तजवीज़ किए रखा।

इसी तरह religion के अन्दर भी औरत के लिए यह बन्धन रखा हुआ है कि मर्द उसका पतिदेव है, परमात्मा से बढ़कर उसे मर्द की इज्ज़त करनी चाहिए, अगर वह पतिव्रता स्त्री होकर मर्द की सेवा करेगी तो उसे परमात्मा प्राप्त हो जाए-गा। लेकिन मर्द के ऊपर इस तरह की कोई पाबन्दी नहीं लगाई गई। हमारे

Note.—The Resolution moved by S. Bhupinder Singh Mann on 17th March, 1960 was to the effect :—

> "This Assembly recommends to the Government to approach the Union Government with the request that the Hindu Succession Act, 1956, may be amended in such a way that the daughter instead of becoming a shareholder in the property of her father, be a shareholder in the property of her father-in-law after her marriage to save the social and economic structure of the State".

For reference please debate Vol I, No. 21, dated 17th March, 1960, and Volume I, No. 27, dated the 24th March, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

शहरों के अन्दर , जहां तक मर्दों का ताल्लुक है, बहुत सी तादाद ऐसे आदमियों की है जो बुरी २ जगहों पर भी जाते हैं और अगर चकलों पर भी हो आएं तो उन्हें कोई नहीं पूछता लेकिन औरतों को economic religious और दूसरी किस्म की जन्जीरों में जकड़ा हुआ है । ठीक है कि समाज में औरतों का भी कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो defective होता है जिस की वजह से उन्हें बदनाम किया जाता है लेकिन अगर आदमी ऐसी गलती करें उस को उस तरह बुरी नज़र से नहीं देखा जाता ।

बहरहाल, स्पीकर साहब, लड़कियों को बाप की ज़मीन और जायदाद में हिस्सा न देने के खिलाफ़ एक दलील यह भी दी गई है कि इस तरह से जायदाद की fragmentation होगी, जमीन की fragmentation होगी । उस दिन भी मैं यह दलील दे रहा था कि अगर एक बाप के 6 बच्चे हों—3 लड़के हों और 3 लड़कियां हों—और उसके पास 42 एकड़ जमीन हो तो हरएक के हिस्से में सात सात एकड़ जमीन आएगी । अगर लड़कियों का हिस्सा न भी माना जाय तो भी बाप के बाद उस जमीन की बांट होगी ही और उस सूरत में हर लड़के को 14–14 एकड़ ज़मीन मिलेगी । यानी लड़कियों को हिस्सा न भी मिला तो भी उस ज़मीन की fragmentation तो होगी ही । वह तो किसी हालत में रुक नहीं सकती । इस के बारे में एक यह हल तजवीज किया गय है कि जैसे England में रिवाज है वह जमीन बाप के सब से बड़े लड़के को दे दी जाय । लेकिन उसके खिलाफ भी एक दलील partition के पहले की हमारे सामने आती है । सरगोधा और लायलपुर जिलों में अंग्रेजों ने एक एक मरब्बा जमीन कुछ आदमियों को इस शर्त पर दिया हुआ था कि वह घोड़ी पाला करें और इस तरह वह घोड़ी पालां मरब्बा कहलाता था । उस में एक शर्त यह थी कि जिसको वह मरब्बा मिला वह उसे आगे तकसीम नहीं कर सकता था । इस तरह जिन २ को मरब्बे मिले उनका वक्त तो अच्छा कटता रहा । लेकिन जब वह मर गए और उनके बड़े लड़के उनपर काबज़ हो गए तो उसके दूसरे लड़को में आपसमें झगड़े और लड़ाइयों होने लगी और वाक्यात बताते हैं कि उन लड़ाइयों की वजह से कई कत्ल हुए । इस resolution के हक में बोलते हुए यह दलील दी गई और बीबी हर प्रकाश कौर ने भी कहा कि अगर बाप की जायदाद में लड़की को हिस्सा मिल गया तो कत्ल होंगें । मैं बताना चाहता हुं कि यह कत्ल तो पहले ही होते रहे हैं और होते रहेंगे । खेती करने वाले किसान को अपनी जमीन से बहुत प्यार होता है इस चीज़ से मैं इनकार नहीं करता । वह उसपर मेहनत करता है, खून पसीना एक करके उस पर अनाज पैदा करता है । लेकिन देखा गया है कि कई दफा पानी की तकसीम पर भी कत्ल हो जाते हैं । इसलिए जब कत्ल और लड़ाई झगड़ों की दलील दी जाती है तो देखना यह है कि क्या उस वक्त कत्ल नहीं होते थे जब कि जायदाद में लड़कियों का हिस्सा नहीं था । इसलिए सवाल कत्लोखून का नहीं । सवाल तो सोसाइटी के अन्दर औरत के दर्जे का है । जब से दुनिया वजूद में आई है तब से औरत को पांव तले रौंदा जाता रहा है, पिछड़ा रखा गया है और आबादी के इतने बड़े हिस्से को—आधे हिस्से को दबाए रखा है । इसलिए अब जब कि उसको कानूनी तौर पर कुछ दलासा मिला है, हौसला मिला है, हक मिला है तो society के दूसरे हिस्से को थोड़ी बहुत तकलीफ बर्दाशत करनी पड़े तो करनी ही चाहिए । स्पीकर साहब, आप कोई भी कानून बना लें । वह सौ फीसदी आबादी को तो satisfy कर नहीं सकेगा, थोड़ों को तो dis-satisfy भी करेगा । इसलिए यह

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम प्यारा]

दलील कि कत्ल होगें या लड़ाई झगड़े होंगें, इसमें कोई खास वज़न नहीं। हां ,यह चीज़ ज़रुर सोचने वाली है कि लड़की को जायदाद में हिस्सा मिलने से जो कत्ल हों उनको रोका कैसे जाए ? इसके लिए कई बार इन्सानी जिन्दगी है वानी जिन्दगी में तबदील हो जाती है। तो सोचना यह है कि वह तरीका निकाला जाए जिससे वह इन्सानी जिन्दगी खत्म न हो; न कि यह कि हकूक जो उनको दिए जा रहे हैं उन्हीं को वापस ले लिया जाए। यह समस्या को सुलझाने का गलत हल है।

एक दलील और दी जाती है कि अगर दामाद पास ही आकर बस जाए तो गोतें बदल जाती हैं और दो गोतों में लड़ाई होती है। मैं समझता हुं कि यह भी एक छोटी सी बात है --तंग नज़रिए वाली बात है। इसको काटने के लिए मैं भी एक दलील देता हुं। आप जानते हैं, स्पीकर साहब, कि पंजाब की तकसीम हुई। लाखों की तादाद में लोग उधर से इधर आए।जो लोग उधर गांव में रहते थे, हर गांव में लोगों की अपनी अपनी बरादरी के लोग रहते थे, अपनी अपनी गोत के लोग रहते थे। लेकिन partition के बाद कोई भाई कहीं बस गया और कोई कहीं बस गया। इस तरह आज अगर आप गावों के अन्दर जाकर देखें तो वहां पर मुख्तलिफ बरादरियों और मुख्तलिफ गोतों के लोग बसे हुए हैं। उनका वक्त आखिर कट ही रहा है। मैं मानता हुं कि थोड़ी बहुत तकलीफ ज़रुर होगी। लेकिन मैं पूछता हुं कि जिन देहातों में एक ही गोत के लोग बैठे हुए हैं, उनमें कभी लड़ाई नहीं हुई ? मुझे बताया जाय कि कितने गांव ऐसे हैं जहां इस तरह से लड़ाइयां नहीं होती ? इसलिए यह जो कहा गया है कि अगर गांव के अन्दर ही दामाद आकर बस गया तो कशीदगी पैदा होगी, ठीक है इसका कोई हल सोचना चाहिए जिससे आपस में मेल मिलाप बना रहे। लेकिन इस resolution को मान लेने से तो वह हल नहीं निकलता। वह तकलीफ तो बदस्तूर जारी ही रहेगी।

एक शक और जाहिर किया गया कि यह रेजोल्यूशन सिर्फ देहाती जमीनों पर लागू होता है या कि शहरी जायदादों पर भी। यह बात नहीं। इसका असर हर property पर पड़ता है चाहे वह दिहात की जमीन हो या शहरी जायदाद। शहरों में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन के पास जमीन नहीं लेकिन चार, पांच या आठ लाख रुपए का माल उनकी दुकानों में भरा है--busines चलता है, काम और व्यापार चलता है। तो इस तरह से लड़की को जो हक मिलेगा या मिला हुआ है वह तो सारी property पर है। इस तरह अगर हम एक एक consideration को लेकर यह कहें कि फलां चीज़ करने से फलां होती है और फलां बात करने से फलां बात होती है तो तकलीफों का हल करते करते 50 प्रतिशत आबादी को झटका दें तो किसी हालत में वह मुनासब और इनसाफ पर मबनी न होगा। इसका कोई हल सोचना ही है तो ऐसा सोचा जाए जिससे society के कम से कम तबके को तकलीफ हो।

स्पीकर साहब, partition के वक्त उधर से बहुत सी बेवा औरतें भी इधर आईं। चाहे वह इधर आकर बेवा हुईं या उधर से ही ऐसी हालत में आईं, उन्हे widow homes में रखा गया। आठ दस साल का तजरुबा इस बात की गवाही देता है कि उन homes में ऐसी widows भी मौजुद हैं जिन की जायदाद थी और अब भी जायदाद है लेकिन वह उन ज़मीनों या मकानों से कोई फायदा नहीं उठा सकीं। इसकी वजह यही है कि औरत में एक कमजोरी है जिसकी बिना पर society के हर कोने में उसे रौंदा जा रहा है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

फिर भी जिन तकालीफ़ का जिक्र किया गया है मैं समझता हूं कि वह तकालीफ कुछ दिमाग़ी तौर पर भी हो रहीं हैं, इसी कारण उन को exploit किया जा रहा है। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब जब ऐसे कानून बनाए जाएंगें तब तब ऐसी तकालीफें हमारे सामने रुनुमा होंगी। कोई आदमी अगर पुराने मकान से नए मकान में चला जाए तब भी उसको दुःख होता है। जब लड़की का विवाह होता है तो लड़की रोती है, उसके मां बाप रोते हैं, भाई-बन्धु रोते हैं। चाहे वह उसको अपनी मर्ज़ी से दूसरे घर में भेजते हैं लेकिन चूंकि वह एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, सब को खुशी के साथ रोना भी आ जाता है। आंखों से आंसू बह निकलते हैं। इसलिए इसी तरह से अगर जायदाद में लड़की को हिस्सेदार बनाने से थोड़ा बहुत दुःख हो, तकलीफ हो तो उसे बरदाश्त करना ही पड़ेगा। अगर routine में कोई तकलीफ आ जाती है तो major interest को सामने रख कर उसे बरदाश्त करना चाहिए। (*interruptions*) औरतों को vote का हक देने से ही उनकी खुददारी कायम नहीं रह सकती। पांच सालों में एक बार ही तो मौका आता है जब कि वोट का अधिकार इस्तेमाल किया जाता है और वह भी 95 percent औरतें अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि जिस तरह उनके आदमी कहते हैं उस तरह करती हैं। पांच या सात फीसदी औरतें ही अपनी मर्ज़ी से vote का right exercise करती हैं। वोटों की कीमत का एहसास तो औरतों को तब होगा जब इस एवान के अन्दर आधी गिनती औरतों की होगी और उनको हर तरफ पूरी representation मिलेगी। लेकिन आज हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। इसलिए यह ख्याल करके कि ऐसा करने से फलां तकलीफें होंगीं; औरतों के rights को ignore कर देना society के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी।

इसलिए इन सभी बातों की background को सामने रखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जहां तक लड़कियों को in-laws की जायदाद में हक देने का ताल्लुक है, वह एक feasible proposition नहीं होगी। क्यों? फर्ज़ कीजिए कि वहां उसके सुसराल में बाप के चार बेटे हैं। दो लड़कों की शादी हो जाती है। तो क्या उन दो लड़कों की औरतें उस वक्त तक इन्तजार करती रहेंगी जब तक छोटे दो लड़कों की शादियां नहीं होतीं ? अगर उस औरत को उस जायदाद में हिस्सा दे भी दिया जाए और खुदा नखास्ता वह मर जाती है– उस जायदाद को इस्तेमाल करके मर जाती है तो जो उस लड़के की दूसरी बीबी आएगी उसको क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा ? (*Interruptions*) इसी तरह तलाक का बिल हमारे सामने है। जब तलाक का बिल बना तो उस वक्त बड़ा शोर मचा कि society दरहमबरहम हो जाएगी, अमन भंग हो जाएगा। Social structure टूट जाएगा। मैं कहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ वहां होगा जब औरत बहुत निकम्मी होगी और मरद को मजबूर हो जाना पड़ेगा कि वह उसे तलाक दे या मरद निकम्मा होगा और औरत को तलाक देने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। सवाल अब यह है कि जब पहली औरत को उस जायदाद से हिस्सा मिल जाएगा तो उस के बाद जो दूसरी शादी में औरत आएगी उसे क्या मिलेगा ?

अगर उस के पास 50 एकड़ ज़मीन है तो वह 25 एकड़ अपनी औरत को दे देगा लेकिन अगर उस की वह औरत मर जाये और वह दूसरी शादी कर ले तो वह अपनी दूसरी बीबी को अपने 25 एकड़ में से $12\frac{1}{2}$ एकड़ ज़मीन दे देगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ज़मीन की fragmentation तो इस तरह से भी हो जाएगी।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम प्यारा]

यह ठीक बात है कि ज़मींदार को इस में मुश्किल होती है और ज़मीदार जिस को ज़मीन से बहुत प्यार है वह किसी हालत में भी उस से अलग नहीं होना चाहता। इसलिए वह कहता है कि उस के गांव में उस का दामाद आयेगा तो उस के लिए मुश्किल पैदा होगी । तो इस मुश्किल का कोई हल ढूंढना चाहिये । मैं यह मानता हूं कि मैं बहुत सोचने के बावजूद भी इस का हल अभी ढूंढ नहीं पाया । हमें इस के हल ढूंढने के लिए और कोशिश करनी होगी । इस के लिए यह कहना कि लड़की को बाप की जायदाद की बजाये उस के father-in-law की जायदाद में से हिस्सा दे दिया जाये, यह इस का कोई ठीक हल नहीं ।

तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक इस resolution का ताल्लुक है इस को या तो drop कर दिया जाये या इसे वापस ले लिया जाये । इस मुश्किल को दूर करने के लिए कोई हल सोचा जा सकता है और यह हो भी सकता है कि कोई ऐसा हल निकल आए जिस से अब जो 20 फीसदी cases में तकलीफ महसूस हो रही है , इस से यह दस फीसदी cases में रह जाये।

चौधरी बारू राम (राजौंद) : स्पीकर साहिब, मान साहिब ने यह जो resolution हाउस के सामने रखा था उस पर आज तीसरा दिन है जो बहस हो रही है। और इस resolution के हक में और खिलाफ भी काफी कुछ दलीलें दे कर बातें कही गई हैं। मैं समझता हूं कि जो मैम्बर अभी तक बोले हैं उन में से जो इस resolution के खिलाफ बोलने वाले सज्जन थे वे तकरीबन सारे के सारे ग़ैर काश्तकार लोग थे और जो इस के हक में बोलने वाले थे वे काश्तकार थे (श्री राम प्यारा : भाई, मेरी ज़मीन तो है ।)

तो जनाबेवाला, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस Hindu Succession Act के पास हो जाने से हिन्दू सोसायटी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है और यह बात भी सब मानते हैं कि स्त्री जाति को property में ज़रूर हिस्सा मिलना चाहिये ताकि वह economically आज़ाद रह सके । यहां पर यह भी बहुत कुछ कहा गया है कि पिछले ज़माने में स्त्री जाति पर बहुत अत्याचार होते थे और जुल्म होते थे और इसे economically दबा कर रखा हुआ था, इस लिए भी उन को हक दिया जाना बहुत ज़रूरी है । यह सब बातें यह सारे मानते हैं।

स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर पिछले ज़माने में स्त्री जाति के साथ कुछ ऐसी बातें हुईं तो वह किसी धर्म की वजह से नहीं हुईं या किसी खास बात की वजह से नहीं हुईं । इस के लिए सिर्फ यह कहा जा सकता था कि पीछे जो कुछ ज़माना आया वह अंधकार का ज़माना था और केवल स्त्री जाति को ही उस की वजह से कष्ट नहीं सहने पड़े बल्कि बाकियों को भी बहुत कष्ट उठाने पड़े थे । इस बिना पर किसी धर्म पर हमला करना कोई अच्छी बात नहीं है । यहां पर इस बहस के दौरान कई बातें धर्म के बारे में भी कही गईं, कई मज़ाकिया तौर पर कही गईं और कई संजीदगी की बातें

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

भी हुई । मैं उन बातों की तरफ नहीं पड़ता और यह अर्ज़ करता हूं कि इस Hindu Succession Act में एक बहुत बड़ी भारी discrimination की गई है, और उस discrimination को दूर करने के लिए यह जो resolution है यह पास करना बड़ा ज़रूरी है । स्पीकर साहिब, यह discrimination यह है कि जो property inherit करनी होती है यह दो तरह के कानूनों से govern होती है । कुछ तो जो पुराना Hindu Law succession का है उस से govern होती है और कुछ Customary Law के तहत होती हैं जो successions के लिए अलग रखा गया है । यह चीज़ समझने वाली है कि यह दो तरीके क्या हैं । यह काश्तकार के लिए बड़ी भयानक चीज़ है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो पुराना Hindu Law है उस में जो properties govern होती हैं उन की तकसीम करने का तरीका कुछ अजीब सा है और जो Customary Law से govern होती हैं उन की तकसीम करने का तरीका दूसरा है । मैं यह चीज़ ठीक तरह से समझाने के लिए एक मिसाल पेश करना चाहता हूं ताकि सब मैम्बर साहिबान इसे अच्छी तरह से समझ सकें । फर्ज़ करो कि एक property Hindu Law से govern होती है और उसे वारिसान में तकसीम करना है । और फर्ज़ किया कि एक बाप के वारिस चार लड़के और एक लड़की हैं । और उस की जायदाद उन में Hindu Law के तहत इस तरीका से तकसीम की जाएगी कि पहले उस जायदाद को पांच हिस्सों में तकसीम किया जायेगा । चार हिस्से लड़कों के और पांचवां उन के बाप का । फिर बाप के हिस्से को further पांच हिस्सों में तकसीम किया जाएगा यानी चार हिस्से फिर उस के चार लड़कों को मिलेंग और पांचवां हिस्सा उस की लड़की को मिलेगा । तो इस का मतलब यह है कि Hindu Law से जो property govern होती है उस में बाप की जायदाद का उस लड़की को 1/25 हिस्सा मिलता है । इसी तरह आप दूसरी तरफ भी नज़र डालिये । जो property Customary Law से govern होती है उस की तकसीम का और भी अजीब तरीका है और इस से काश्तकारों को बड़ा नुकसान पहुंचता है । इस के लिए भी मैं वही मिसाल लेता हूं कि एक बाप की जायदाद को चार लड़कों और एक लड़की में बांटना है । वहां जो हिस्सा लड़की को मिलेगा वह लड़कों के बराबर मिलेगा यानी लड़की को Customary Law के तहत तो 1/5 हिस्सा मिलेगा लेकिन Hindu Law के तहत 1/25 हिस्सा मिलेगा । Customary Law से जो property govern होती है उस में लड़की को लड़के के बराबर हिस्सा क्यों रखा गया है यह मैं नहीं बता सकता । यह तो कानून बनाने वाले ही जानते हैं लेकिन इस में मैं एक चीज़ ज़रूर समझता हूं कि वहां पर काश्तकारों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा । यह इस लिए है कि पुराने Hindu Law के मुताबिक लड़के का by birth ही हिस्सा बन जाता है और लड़की का बाप की death के बाद बनता है और Customary Law में लड़के या लड़की का by birth हिस्सा नहीं बनता है । फर्ज़ करो कि मेरी ज़मीन आगे तकसीम होनी है तो वह जो तकसीम

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी बारू राम]

होगी वह Customary Law के मुताबिक होगी क्योंकि पंजाब में जितने काश्तकार हैं चाहे वह जाट हैं, चाहे वह गुज्जर हैं, या अहीर वगैरह हैं, ग़र्ज़ेके जितने भी यहां काश्त का काम करते हैं उन की जायदादों में से उन की बहनें हिस्सा ले जाती हैं क्योंकि वह तमाम Customary Law से govern होती हैं लेकिन जो property Hindu Law से govern होती हैं उन में उन का हिस्सा बराबर नहीं होता । इसलिए मैं समझता हूं कि काश्तकारों के साथ यह बहुत बड़ी ज्यादती हुई है । जहां तक इस Act का ताल्लुक है यह हमारी समाज का जो social और economic structure है उस में बड़ी तबदीली लाता है । इस लिये इस Act में तरमीम लानी बहुत ज़रूरी है।

स्पीकर साहिब, यहां मेरी एक बहन बोली तो उन्होंने कहा कि गुरबत की वजह से कुछ स्त्रीयां भटक जाती हैं । और गंदे रास्ते इख्तियार कर लेती हैं । मैं ज्यादा इस बात की बहस में नहीं पढ़ना चाहता सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिलविया की मिसाल आप के सामने है । वह तो ग़रीब नहीं थी और उस ने गंदा रास्ता इख्तियार किया । इस लिए गुरवत या अमीरी की बात नहीं है, बात character की है और यह गरीब अमीर सब का खराब हो सकता है । यह दलील तो कोई वज़नदार नहीं है ।

अब मैं जनाब fragmentation की बात करना चाहता हूं अभी मेरे दोस्त राम प्यारा जी ने कहा कि यह तो होती रही है और होती रहेगी । ठीक है होती रही है और होती रहेगी । आज हिंदुस्तान की आबादी में स्त्रीयों और पुरुषों का तनासब 50 : 50 का है । आज तक जायदाद सिर्फ मरदों में तकसीम होती रही यानी 50 हिस्से होते रहे मगर अब अगर स्त्रीयों में भी हिस्सा बटने लगा तो जायदाद 100 हिस्सों में बटने लगेगी । इस लिये यह कहना कि जायदाद की fragmentation नहीं होती और पहले से ज़्यादा नहीं होती, यह बोदी दलील है ।

जैसा कि मैं ने शुरू में कहा था कि इस सदन का कोई मैम्बर स्त्रीयों को जायदाद देने के खिलाफ नहीं हो सकता मगर यह हिस्सा जिस ढंग से दिया जाता है यह ग़लत है । कान अगर सीधे तरीके से पकड़ लिया जाए तो तकलीफ कम होती है मगर उलटे रास्ते से पकड़ने में तकलीफ ज्यादा होती है । यह सीधी सी बात है कि अगर लड़की को बाप की जायदाद में हिस्सा न दे कर ससुर की जायदाद में हिस्सा दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है । खाविंद की जायदाद के साथ अगर उसे हिस्सा मिले तो fragmentation तो होगी, मगर इतना नुकसान न होगा । जायदाद एक ही घर में रहेगी और इकट्ठी रहेगी । ऐसी मिसालें देखने में नहीं आईं कि अगर मियां और बीवी आपस में राज़ी हैं तो जायदाद का अलग २ इंतज़ाम करें। हां अगर झगड़ा हो जाए तो बात दूसरी है । अगर उस को बाप की जायदाद में हिस्सा मिले तो मियां से झगड़ा होने पर तो न कोई वहां से मददगार होगा और न ही मैके से । यह तो रोज देखने में आता है कि ऐसे झगड़ों की सूरत में भाई भी

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मदद नहीं करते । बाकी जो नई रोशनी की बात कही गई तो इस का हर जगह फायदा नहीं हो सकता । अगर यह कहा जाए कि नए ज़माने की नई चालों से बहुत फायदा होता है तो ऐटम बम्ब भी तो नए ज़माने की ही चाल है । इस को भी दवा के इस्तेमाल करना चाहिये। इस लिए नए ज़माने की सारी नई चीज़ें ही अच्छी नहीं होतीं ।

इस लिए, मैं मान साहिब को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह प्रस्ताव पेश कर के इस सदन पर एहसान किया है और यह इस लिए पेश किया है कि काश्तकारों का भला हो सके । अंत में, मैं इस प्रस्ताव की पुरज़ोर ताईद करते हुए यह कहूंगा कि इस को पास कर देने से स्त्री जाति को धक्का नहीं पहुंचेगा । इस लिए इस को पास कर देना चाहिए ।

(श्री अध्यक्ष ने राओ गजराज सिंह से बोलने को कहा।)

वित्त मन्त्री (डा० गोपी चन्द भार्गव) : जनाब इस में कोई आफिश्यल चीज़ नहीं है और मैम्बरों को बोलने का हक है। मैं कोई जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैं ने समझा आप जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं । राओ साहिब ज़रा डाक्टर साहिब को बोल लेने दें । (I thought that the Minister for Finance had risen to give a reply to the debate. Rao Gajraj Singh may please let him speak.)

वित्त मंत्री : मैं कुछ कहने से पहले यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि चूंकि इस में कोई Executive मामला नहीं है कोई official या non official का सवाल नहीं है और हाउस के एक मैम्बर का रैज़ोल्यूशन है इस लिए मैम्बर जिस तरीके से चाहें राय दे सकते हैं । मुझे सिर्फ इस पर अपनी राय के इज़हार करने का हक है वोट करने का नहीं है, क्योंकि मैं इस एवान का मैम्बर होने का फख्र नहीं रखता ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं कहीं भी कोई जायदाद नहीं रखता । मेरे भाई अभी जो बोले चाहे हक में बोले चाहे खिलाफ बोलें, उन के पास जायदाद है ज़रई ज़मीन वग़ैरह है । मैं मानता हूं कि मेरे पास न कोई ज़रई ज़मीन है और न ही कोई शहरी जायदाद है । इस लिए मैं समझता हूं कि मैं इस सिलसिले में अच्छी राय दे सकता हूं क्योंकि मेरा कोई vested interest नहीं है, न इधर न उधर । मुझे अपने पिता जी की जायदाद का बटवारा भी नहीं करना क्योंकि उन के पास भी कोई जायदाद नहीं थी और उन का देहांत हुए भी मुद्दत हो गई है । तो चूंकि मेरे पास जायदाद नहीं है, इस लिए मेरे लड़के लड़कियां जायदाद बांटें न बांटें मुझे इस का भी मोह नहीं है । इस लिए, मैं अच्छी पोज़ीशन में हूं कि अपनी राय आप के सामने पेश कर सकूं ।

हमारे समाज में जायदाद के लिए प्रेम इतना बढ़ गया कि हम इस बात की बहुत चिंता करने लगे कि उस जायदाद का बटवारा हमारे लड़के, लड़कियों और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]
नूह में कैसे हो । इसी वजह से जो पहले Joint Family System था जिस में सब मिल कर चलते थे, एक दूसरे की मुसीबत में और सुख में शामिल होना अपना फर्ज़ समझते थे उस सब को भूल कर और जायदाद के बटवारे में अपने स्वार्थ को सामने रखने की वजह से वह Joint Family System टूट गया, जिस में कि हम सब के भले की बात सर्वत्त दे भले की बात सोचते थे । इस बात की वजह से कि हम ने यह सोचना शुरु कर दिया कि जायदाद किस को जाय उस वक्त तक ही नहीं जब कि हम ज़िंदा हैं बल्कि हमारे मरने के बाद भी यह किस को जाए और न जाए इस वजह से कानून आने लगे और फिर उन को अमैंड करने के लिए रैज़ोल्यूशन भी आने लगे । इस लिए समाज की इस भावना को बदलने की ज़रुरत है, हम individualism में आ कर जायदाद के मोह में आ कर समाज के अन्दर झगड़े खड़े करते हैं । इस से इनकार नहीं कर सकते कि जब लड़का जवान हो जाता है तो वह जायदाद और रुपया वगैरह में अपने माता पिता से अलग हो कर काम करना चाहता है और होता है बल्कि उन के ही मुकाबिले में काम करना चाहता है । यह सारी चीज़ सिर्फ individualism और जायदाद के मोह की वजह से आई ।

इस वजह से झगड़े बढ़ते हैं और जिस के पास जायदाद हो तो वह झगड़े आगे बढ़ते हैं मुल्क में चलते हैं और दूसरे मुल्कों में चलते हैं । ऐसी लड़ाईयों और झगड़ों को मिटाने का एक ही तरीका है और वह यह कि हम इस विचार को सामने रखें कि जो जायदाद है जो ज़मीन और पैसा है वह हमारा नहीं समाज का है जो कुछ हमारे पास है समाज का है। हमारे पास काम करने की ताकत है और हम ने काम करना है मगर हमारे पास जो जायदाद है वह सब की सब समाज की है । इस लिए हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करें । इसी में सब का भला है और समाज सारे को फायदा देने वाला है । (प्रशंसा) अगर हम इस तरह के विचार को सामने नहीं रखेंगे तो इस तरह के झगड़े आगे बढ़ेंगे । हमें तो इस नुकते को सामने रखकर इस resolution पर विचार करना चाहिए । अगर हम इस विचार को सामने नहीं रखेंगे तो individualism को लाएंगें। Individual को लेकर आगे चलें तो फिर खानदान आएगा और फिर आगे चल कर बिरादरियां आएंगी और फिर शहर और दिहात का सवाल और फिर खत्रियों का सवाल आएगा और यह पंजाबी है और यह ऊंची जाति का है और यह नीची जाति का है तो इस तरह का एक लम्बा सिलसिला बंध जाएगा जिस से यह झगड़े खत्म नहीं होंगे । अगर मेरे भाई बुरा न मानें तो मैं अर्ज़ करुंगा कि जिस तरीके से वह इस विरास्त के सवाल को ले रहे हैं यह सवाल coparcener जायदाद का नहीं यह मोह का सवाल है । और इस तरह यह जायदाद का मोह बढ़ाने का सवाल है । यह पंजाबी सूबा है, यह हरियाणे का सूबा है फिर यह कोई खास ज़िला है फिर ज़िले से आगे चल कर तहसील है और तहसील के साथ गांव आ जाता है और फिर झगड़े आगे चलने का सवाल है । तो इस तरीके से इस सवाल को सोचने से झगड़े बढ़ेंगे और नए नए झगड़े पैदा हो जायेंगे।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

इस लिए इन झगड़ों को खत्म करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। हम यह कहें कि जायदाद समाज की है और तमाम के तमाम को बराबर का हक है। हरेक काम करे और दूसरों को काम करने में मदद दे। इसी से इस सवाल का फैसला हो सकता है वरना नहीं हो सकता।

यहां पर यह कहा गया है कि लड़कियों को इस कानून के अन्दर जायदाद का हक दिया जाए या जो लड़कियां शादी शुदा हों वह जब सुसराल में शादी के बाद जाएँ तो वहां पर हक मिले। फिर कहा गया है कि यह औरतों के हकूक पर छापा होगा, औरतों को हक मिलना चाहिए लेकिन हम इस पर दूसरे ढंग से विचार करें तो यह देखेंगे कि जिस तरह से समाज बना हुआ है और कानून है जायदाद का हक लड़कियों को मिलता है औरत को मिलता है। सुसराल में जाए तो वहां हक मिले इस तरह से झगड़े चलते हैं। अगर जायदाद भाई के पास हो तो भी झगड़े चलते हैं और अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाए तो सुसराल में भी इस तरह के झगड़े चलते रहेंगे। जिस लड़की के पास जायदाद हो वह चाहे सुसराल में हो हर वक्त झगड़े का कारण बनी रहती है क्योंकि हर वक्त यह सोचा जाता है कि यह किस तरीके से मिल सकती है। अव्वल तो यह कि जायदाद एक घराने में रहती है और फिर अगर एक घराने में चार लड़के हैं और वह शादी कर लें तो आठ हिस्से बन गए और फिर भाई भाई के साथ नहीं रहता भाई भाई से अलहदा हो जाता है। और हरेक भाई के दो हिस्से हो गए और अगर बीवी का हिस्सा है तो कोशिश यह होती है कि वह किस तरह हमारे पास आ जाए। इस तरह के विचार आने लगते हैं और जायदाद में मोह पैदा हो गया है। जायदाद के सिलसिले में झगड़े अब भी मौजूद हैं। इस लिए मैं आप की विसातत से माननीय मैम्बरान की खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि वह इस विचार को अपने सामने रख कर यह फैसला करें कि लड़की को हक कहां पर दिया जाए। राए तो हरेक ने अपनी मर्ज़ी से देनी है और उस के बाद ही फैसला होगा आप ने फैसला करना होगा कि इतने भाई इस हाउस के थे और इतने भाइयों ने हक में राए दी और इतने इस resolution के खिलाफ थे और फिर Government के पास हाउस की recommendation जाएगी और वह Central Government को भेज देगी। और Parliament इस बात का आखरी फैसला करेगी। मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है।

राओ गजराज सिंह (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहिब, इस resolution में आज तीसरे दिन से बहस चली आ रही है। इस के बारे में मैं अर्ज़ करूंगा कि इसके बारे में बहस करते समय तलखी और बदमज़गी पैदा कर दी गई थी। कुछ derogatory remarks कहे गए और मज़हबो मिल्लत का नाम लिया गया जिन की यहां पर चन्दां ज़रूरत नहीं थी और न ही कोई ऐसी बातें करने का ताल्लुक था कानून जो है वह यह है कि inheritance और succession किस तरह से हो। Society के ख्याल को सामने रख

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[राम्रो गजराज सिंह]
कर Hindu Succession Act बना है। अब सोचना यह है कि आया यह पंजाब के रस्मोरिवाज और पंजाब के लोगों के रहन-सहन के बमूजब है या नहीं। इस को संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है कि आया इस तरीके से जबरी तौर पर लड़कियों को हक देना ठीक है या नहीं। औरतों का हक सुसराल में हो या मां बाप की जायदाद में हो। मैं किसी तरह का challenge नहीं करता लेकिन इतनी अर्ज कर दूं कि इस Act को पास करते समय rural areas का ध्यान नहीं रखा गया। हम रिवाज के पाबन्द थे। दिहातों में रिवाज के मुताबिक, औरतों की इज्ज़त ज्यादा थी हालांकि शहर वाले उन्हें आदमियों में भी नहीं गिनते। और लामे दावे करने वाले और अखबारों में लिखने वाले आज लड़कियों के हकूक के पासबान अपने आप को समझते हैं। और इनके हकूक की हिफाज़त करना चाहते हैं। Hindu Succession Act पास हो जाने से आज अगर आप किसी तरफ भी निगाह दौड़ा कर देखें नाराज़गी की लहर नज़र आएगी। और यह समझा गया कि custom कुछ भी नहीं था इस लिये इस Act को पास कर दिया गया और यह समझा गया कि पहले बुरे रास्ते पर हम चलने वाले थे। और यह तसवर कर लिया गया कि पंजाब के लोग गलत सोचते हैं और सही बात पर भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन मैं इस के बरअक्स कहूंगा कि हमारा जो custom है वह आज का नहीं। मनुस्मृति के अनुसार custom शुरु हुए। और custom is the essence of law.

कानून इस तरीके से शुरु हुआ। custom is the transcedent law और यह customary law आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। हमारे पास 1849 का और सन 40 का बंदोबस्त मौजूद है। इस तरह लोगों को समझ कर सोच कर इलाकावार जो फर्क था। हरियाना के area को तो दूसरा area ही समझा जाता है। बावजूद इस के हरेक आदमी रस्मे रिवाज के पाबन्द थे। लोग custom के पाबन्द थे। शहरों में रहने वाले भाई भी जिस जगह के हां उस जगह के custom के पाबन्द थे। Bombay High Court ने फैसला किया था कि खालस हिन्दुओं पर Hindu Law applicable होगा गांव के रहने वाले वहां के रिवाज के पाबन्द थे। यहां पर पंजाब के रहने वाले अपने custom के पाबन्द थे और दूसरे इलाकों से आए हुए अपने इलाके के कानून को मानते थे मुझे 32-33 साल का तजरुबा है कि जो हरियाना के रहने वाले हैं वह अपने रिवाज के पाबन्द हैं। और फिर High Court की reported judgement है और बावजूद ऐसे कानून के वहां पर पंडितों के custom के अनुसार किये फैसलों को और मौलवियों के फैसलों को माना गया। इन लोगों के फैसले मौजूद हैं और लड़कियों ने plead किया है कि जो रिवाज है हम उस के पाबन्द हैं शराह के नहीं। और यह आज के नहीं 100 साल से कानून चला आ रहा था। High Courts के फैसले मौजूद हैं जो custom के आधार पर किये गये। हिंदू फिरका में सब से ज्यादा गौड़ ब्राह्मण ही हैं जो कि हिंदू कानूनों को मानने वाले हैं। वह हिंदू रिवाजों को मानते हैं और हिंदू शास्त्रों को मानते हैं। इन के शुरू से लेकर आखीर तक तमाम फैसले हिंदू शास्त्रों के मुताबिक होते हैं। इन में से एक फीसदी

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

भी इन के इस असूल को मानने के लिये तैयार नहीं होगा। आज जो लोग कहते हैं कि हम बड़े progressive हैं, दर असल वह progressive ख्याल के नहीं हैं। बल्कि एक घटिया चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। आज यह progressive उसी को मानते हैं जो रूस में रायज हो या जो England में रायज हो। मगर अगर कोई हिंदुस्तानी हो कर पुराने रस्मो रिवाज से काम करता है तो वह progressive नहीं है। इस तरह का ख्याल है जो हमारे अंदर बैठ गया है। अगर वह आदमी जिस ने अंग्रेज़ों की गुलामी के दिनों में, अंग्रेज़ों की सारी चीजें adopt कर ली हैं उन का लिबास पहन लिया है और बातें सीख ली हैं। अगर वह चाहें कि इस तरह से property में भी कोई ऐसी बात ले आयेंगे यह कभी नहीं हो सकता। यह चीज़ भी नहीं होगी कि जायदाद बड़े लड़के को मिले। यह बात ग़लत है कि दूसरे मुल्कों में जो तरक्कीयाफता तरीके हैं उन के इस तरह के कानून भी तरक्कीयाफता हैं। आज हिंदुस्तान के एक एक गांव में उस के अपने अपने रस्मो रिवाज हैं। खास तौर पर पंजाब के जो गांव हैं इन में अपनी किस्म के रसमो रिवाज हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत फर्क हो मगर सभी एक दूसरे से मिलते हैं। शहरों के अंदर चूंकि बड़े बड़े आदमी होते हैं इसलिये उन की culture में फर्क आ गया है वहां पर कुछ घराने हैं जहां कि ऐसा हुआ है। इस के इलावा स्पीकर साहिब, Aryan culture के बाद हमारे मुल्क पर मुसलम culture का असर पड़ा। यह शरियत को मानने वाले लोग थे और आज तक वह शराह के मुताबिक विवाह शादियां करते हैं। आज भी 60—70 % मुसलमानों के यहां शरह के मुताबिक शादियां होती हैं। स्पीकर साहिब, तो मेरा अर्ज़ करने का मतलब यह है कि Hindu marriages sacred basis पर होती है और भी जातियां हैं जिन की अपने मज़हब की शरह है, मगर और कोई तरीका, जैसे के love marriage वगैरह अख्तियार नहीं किया जाता, सब मजहब, धर्म और ईमान पर base करती है। हिंदू marriage में लड़के पर शादी हो जाने के बाद इस किस्म की पाबन्दियां या जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं जो उसे ताउम्र प्यार और मुहब्बत में जकड़े रखती हैं इस तरह से लड़की की भी अपने पति के लिये ज़िम्मेदारियां हैं आज अगर इस तरह indoor games की तरह की शादियां होंगी तो इस से झगड़े बढ़ने के सिवाये और कोई बात नहीं होगी, मलकियत के झगड़े होंगे, बाप का बेटे से और लड़की से, भाई का बाप से और वहन से और बहन का बाप से और भाई से। यह एक दिहाती कहावत है कि खेती खस्म सेती। एक एक टुकड़े के कई कई मालक होंगे जो आपस में झगड़े का कारण होंगे। ज़मीन 2-2, 3-3 बीघा में बट जायेगी, इसी तरह से घरों के हिस्से बनेंगे। जैसे आज हम रोज़ मर्रा litigation के cases को देखते हैं, इसी तरह के cases होंगे। सिवाये इस के कि आपसी झगड़े हों fragmentation हो और कुछ नहीं हो सकेगा। आज आप ज्यादा तर लोगों को हिंदू society ना समझें बल्कि दिहाती Society ही समझें जिन पर common sense की तरह हिंदू तहज़ीब और तमद्दन छाया हुआ है। जो किसी कानूनी तबदीली से दूर हट जाने वाला नहीं है। मुझे Christian families का भी पता है जिन्होंने यह तसलीम किया है कि हम हिंदू रस्मोरिवाज के मुताबिक रहना चाहते हैं। हम किसी

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[राम्रो गजराज सिंह]
दूसरे कानून का पाबन्द नहीं रहना चाहते। यह तरीका रूस और अमरीका के लिये तो बढ़िया हो सकता है मगर अगर पंजाब जैसे सूबे में यह रायज हो तो यह बढ़ेगा नहीं बल्कि यह तो घटेगा। शहरों म बेशक शादियां हर मुहल्ले में हो जायें मगर दिहाती ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो भी जाये तो लोग किसी कायदे कानून के पाबन्द नहीं रहेंगे, street to street शादियां होंगी घर घर में बटवारे होंगे और घर घर में झगड़े होंगे जैसा कि मैं ने पहले अर्ज़ किया। इस लिये decendant लड़के को ही होना चाहिए लड़की को नहीं, जैसा कि conservative society का तरीका है। हर हालत में हक मरद को मिलेगा औरत को नहीं। लड़की जब पहले अपने मां बाप के पास रहती है तो वह वहां अपने भाइयों से बराबर का हिस्सा लेती है मगर अगर उस की marriage हो जाती है तो दूसरी जगह जाकर घर संभालेगी। इस प्रस्ताव से जिस तरह से यह पेश किया गया है मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। आज जो भी पक्के से पक्का हिंदू है वह भी मानता है कि यह जल्दबाज़ी में पास किया गया है, यह गलत कानून है। आप इस को कानूनी नुकता निगाह से ही मुलाहज़ा फरमायें। मैं इस में किसी party या मजहबी झगड़े में आना नहीं चाहता मैं 2-3 मिनट में ही अपनी बात को खत्म कर दूंगा। यह एक नई term निकली है कि the women would be the absolute owner चाहे औरत कैसी भी हो, यह एक नई चीज़ है। इस Act के नाफिज़ होने से पंजाब में prosecution भी हुई, लेकिन आप इस का अंदाज़ा लगायें कि यह सारी की सारी चीज़ें चल नहीं सकी हैं यह खत्म हो गईं। क्यों? इस लिये कि यह जल्दबाज़ी में कानून बना हुआ है। यह सिर्फ अहसास के तौर पर चीज़ें बना दी हैं वरना यह सारा हाल तो वही जानते हैं जिन्होंने गांव के हालात देखे हों मगर पंजाब के सही नुमायदों को तो कुछ कहने ही नहीं दिया गया। तो मैं अर्ज़

2 p.m.

करूंगा कि हमें Hindu Succession Act में तरमीम करनी चाहिए और सही मायनों में पंजाब के लोगों की भावना को सैण्टर के सामने represent करके यह request करनी चाहिए कि इसमें सही तौर पर तरमीम की जाए।

POINT OF ORDER REG. WHETHER A MINISTER, BEING A MEMBER OF LEGISLATIVE COUNCIL COULD TAKE PART IN THE PROCEDING OF VIDHAN SABHA

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order, Sir. जनाब स्पीकर साहिब, क्या अपर हाउस के आनरेबल मैम्बर जो कैबिनेट के मैम्बर भी हैं वह इस हाउस में एक मैम्बर की हैसियत से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष : इस के मुताल्लिक rules के मुताबिक position यह है।

"Member" means a member of the Assembly :—

Provided that a Minister who is not a member and the Advocate-General shall be deemed to be member for the purpose of speaking in, moving motions and otherwise taking part in the proceedings of the Assembly, but shall not be deemed to be members for the purposes of quorum or voting.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

इस से यह clear है कि वह इस House की debate में हिस्सा ले सकते हैं।

(The position regarding this point under the rules is this :—

"Member means a member of the Assembly.

Provided that a Minister who is not a Member and the Advocate General shall be deemed to be members for the purpose of speaking in moving motions and otherwise taking part in the proceedings of the Assembly but shall not be deemed to be members for the purposes of quorum or voting". It is clear that a Minister being a Member of the Upper House can take part in the deliberations of this House.)

Shri Harbhagwan Maudgil : On a point of information, Sir. I want to know whether a time limit has been fixed to day.

श्री अध्यक्ष : इसके अलावा आपका एक बिल भी है, मैं उसके लिये भी टाइम अलाट करना चाहता हूं। (Besides this resolution, there is a Bill of the hon. Member for which I want to allot some time.)

श्री हरभगवान मौदगिल : मैं जनाब यह चाहता हूं कि इस डिस्कशन में सभी आनरेबल मैम्बर हिस्सा ले सकें, इसके लिये क्या कोई टाइम अलाट किया है ?

श्री अध्यक्ष : मैं किसी को ज्यादा टाइम नहीं देता। जब कोई लिमिट तक पहुंचता है तो मैं वाइंड अप करा देता हूं। (I do not allow any body more time than is necessary. As and when a member reaches that limit I ask him to wind up.)

RESOLUTION REG. AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956 (RESUMPTION OF DISCUSSION—CONTD)

श्री रामचन्द्र कामरेड (नूरपुर): स्पीकर साहिब, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के एक विशेष लेखक और विचारक ने कहा था कि मनुष्य इस संसार में आज़ाद पैदा हुआ था लेकिन आज वह हर जगह जंजीरों में है। और आज का यह रैज़ोल्यूशन उस महापुरुष के विचारों का लफज़-ब-लफज़ समर्थन करता है। जैसा कि हमारे नेता डाक्टर जी ने आपके सामने बताया कि असल में संसार के तमाम झगड़ों की वजह ही यह है कि इनसान ने हक मिलकियत का ऐलान किया। और जिस शख्स ने खड़े हो कर जब यह कहा कि फलां ज़मीन का टुकड़ा मेरा है वह सबसे पहला मुजरिम था।

स्पीकर साहिब, दरअसल बात यह है कि हम एक antiquated में एक सोशल शैल में बन्द हैं और यह शैल हमारी सामाजिक देह में कभी कहीं कभी कहीं चुभने लगता है और उस वक्त हम यह सोचते हैं कि इसको इस तरह से amend कर दिया जाए कि यह उस जगह न चुभे। लेकिन जब तक समाज उस शैल से बाहर नहीं होगा तब तक यह झगड़े, यह चुभन दूर नहीं होगी। और हम असल मसले का हल नहीं कर सकते। जो हमारे सामने असल मसला है, वह है हके मिलिकयत

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम चन्द्र कामरेड]
का सवाल। दूसरे समाजवादी मुल्कों में जहां रातों रात क्रान्ति हुई उन्होंने एक ही चोट में मलकियत का हक खत्म कर दिया। मगर हम यह तबदीली जमहूरी तरीके से करने के इच्छुक हैं, इस लिए लम्बा समय लग रहा है और रोज़रोज़ यह झगड़े हमारे सामने आते हैं उन मुल्कों में लड़की जहां पर रहेगी उसको वहां पर ही हक होगा। और वहां उन मुल्कों में जायदाद का हक किसी को नहीं मिलता; वहां right of property नहीं है, right of work है। यही राइट आफ वर्क अगर यहां हो जाए और राइट आफ प्रापरटी न रहे तो फिर यह झगड़ा नहीं हो सकता कि फलां जायदाद हमें मिल जाए या फलां उसे मिल जाए। आज जो यह सरमाएदारी समाज है उसकी वजह से ही सब मसले सामने आ रहे हैं और हर शख्स अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है खासकर औरतें, हरिजन और मुज़ारे वगैरह। और हमारी हालत यह है कि हम कहीं यहां पर टांका तो कहीं दूसरी जगह लगाते हैं लेकिन मसला वहीं का वहीं ही पड़ा हुआ है उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। मेरे भाई मान साहब ने जो यह रेज़ोल्यूशन पेश किया है कि लड़की बाप की जायदाद में हिस्सेदार न हो और ससुर की जायदाद में हिस्सेदार हो तो इस बारे में तो मेरी राय बहुत साफ है कि मैं तो विरासत में यकीन ही नहीं रखता। मैं तो यही कहूंगा कि जब विरासत का मसला तय होगा तो लड़कियों का भी मसला तय हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हालत है, स्पीकर साहब आप तो दिहाती मसलों से वाकिफ हैं, वह यह है कि हमारे यहां छोटी small holdings हैं वह इकानामिक होल्डिंग्ज़ नहीं हैं। किसी के पास एक एकड़ ज़मीन है, किसी के पास आधा एकड़ ज़मीन है। इसलिए गांव के लोग उस वक्त तिलमिला जाते हैं जब वह देखते हैं कि इसमें से भी कई हिस्से हो जाएंगे क्योंकि लड़कियों का भी हिस्सा चला जाएगा तो उनके पास क्या बचेगा। और अगर बचे भी तो उस थोड़ी सी ज़मीन में कितना पैदा होगा? यह सोच कर लोग तिलमिला जाते हैं और तरमीम चाहते हैं। स्पीकर साहब, जो आज यह complexities आती है वह सोशल शैल की वजह से आती है क्योंकि हम उसमें बन्द हैं। लेकिन मैं लड़कियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आज हमारे समाज में लड़कियों की काफी रक्षा होती है। जब किसी लड़की का बाप मर जाता है तो भाई अपना फर्ज़ समझता है कि लड़की को यानी अपनी बहन को उसने पालना है उसकी रक्षा करनी है। और जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका इंट्रेस्ट उस नए घर में हो जाता है और लड़की की कोई ज़िम्मेदारी इस घर में यानि बाप के घर में नहीं रहती चाहे कुन्बा पर कर्ज़ा हो या चाहे और कोई चीज़ हो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लड़की को नए घर में रहने के लिए जगह नहीं मिलती तो फिर वह देखती है कि मैं अपने वालदैन के पास जा कर रहूं। सो यह सब चीज़ें आज इस तरह से चल रही हैं। मैं समझता हूं कि जब तक right of property कायम है तब तक यह right सब को हासिल होना चाहिए और आदमी और औरतों के साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। लड़की अगर बाप की जायदाद में हिस्सा लेती है तो वह बाप का कर्ज़ा भी अदा करे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह हिस्सा ले ले और कर्ज़ा भाई अदा करे। इस वक्त लड़की को हिस्सा देने के लिए जो difficulty या fears पैदा हुए हैं वह इसलिए हैं कि लड़की की शादी दूर कहीं दूसरे खानदान में की जाती है और मामे या चाचे के घर नहीं की जाती। इसलिए लोगों को यह डर मालूम होता है कि वह दूसरा खानदान है पता नहीं वह हमारे

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

साथ कैसे रहे । इसलिए कई लोग इस की मुखालफित करते हैं कि लड़कियों का बाप की ज़मीन जायदाद में हिस्सा नहीं होना चाहिए । मैं कहता हूं कि अगर उस को कोई ज़मीन में से हिस्सा नहीं देना चाहता तो लड़की को ज़मीन की कीमत के बराबर पैसे दे दिए जाएं । मैं यह नहीं कहता कि उसे जरूर ज़मीन में से ही हिस्सा दिया जाए, आप ज़मीन की कीमत का अंदाज़ा लगा कर लड़की को पैसे दे दें । लेकिन आखरी चीज़ जो है, जिस हद तक हम ने पहुंचना है वह यह है कि हमें right of property खत्म करना पड़ेगा । Right of property की बजाए सब को right of work होना चाहिए । इन अलफाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਲੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸ੍ਰੀ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹਕ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਉਹ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ upset ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਘਟਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਕ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ right of property ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਹਕ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਤਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ 75% ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ 25% ਕੇਸ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6" ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ । (ਹਾਸਾ)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਔਰ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ divided opinion ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਝਗੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਈਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਘਟ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਅਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰਕੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ satisfy ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਮਨ, ਸੁਖ ਤੇ ਸ਼ਾਨਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਨਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸ਼ਾਨਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਕਸਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆ ਦੇ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਹਿਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਬਗੈਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ 85 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗੇ ਦੇ ਸਕਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕ ਕੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਨ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਜੋ ਨਾਨਕੀਛਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। *(At this stage Shri Lal Chand, a Member of the Panel of Chairmen occupied the Chair)* ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦਿਉਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿਚ ਆਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਛੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

पंडित भगीरथ लाल शास्त्री (पठानकोट): चेयरमैन साहिब, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है जिस पर कि पिछले दो-तीन हफ्तों से वादविवाद चल रहा है। इस के अन्दर दो बातें हैं और सदस्यगण को इस हाउस में इन दो बातों को ध्यान में रख कर इस प्रस्ताव पर अपना मत प्रगट करना चाहिए। एक तरफ तो स्त्रियों को अधिकार देने का प्रश्न है कि उनके साथ हमारे देश में क्या क्या हुआ और क्या क्या अत्याचार हुए और दूसरे क्या क्या सहानुभूति हुई। यह दो ही बातें हमारे यहां हैं। यहां पर मनु जी का भी जिक्र हुआ है। तो हमारे देश में मनु जी ने स्त्री के बारे में यह लिखा है कि—

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"

मनु जी कहते हैं कि जिस घर में या देश में स्त्री की पूजा होती है, उसका मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। आगे वह कहते हैं कि जिस घर में या देश में स्त्री का अपमान होता है वह घर शमशान के बराबर होता है। एक तरफ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[पंडित भगीरथ लाल शर्मा]

तो हमारे सामने यह दृष्टि है कि स्त्रियों की मान-मर्यादा कैसे हो और हम उनका कैसे मान रख सकते हैं। दूसरी तरफ आपत्ति यह आ रही है कि जो धन है, जायदाद है वह स्त्रियों को कैसे दी जाए और स्त्रियों का अधिकार कहां पर हो। क्या लफ्ज़ों से ही ज़बानी उस का मान हो या समाज में भी उसे कोई अधिकार दिया जाए या न दिया जाए इन बातों पर विचार करके कोई बात करनी चाहिए तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बारे में दो तीन बातें विचारणीय हैं। यह ठीक बात है कि जब तक स्त्री को किसी तरफ़ सम्पत्ति या जायदाद का अधिकार नहीं होगा तो वह football की तरह होगी। अब यह हाल है कि वह कहते हैं कि जायदाद का अधिकार इधर हो और यह कहते हैं कि उधर हो। यहां पर दो बातें discuss हो रही हैं। एक कहते हैं जायदाद जो है वह लड़की को पिता की मिले और दूसरी तरफ से यह बात चलती है नहीं पति या ससुर की सम्पत्ति का ही अधिकार हो। इस बात को मैं भी मानता हूं कि कानून के कारण झगड़े जरूर बढ़े हैं। घरों के अन्दर भाई और बहन में झगड़े हुए हैं और अदालतों तक नौबत गई है। लेकिन ऐसे हालात होते हुए भी हमें यह सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ससुर की तरफ जायदाद देगें तो इस में एक दिक्कत यह पैदा होती है कि अगर एक पिता के पांच बेटे हैं, दो की शादी हो गई हुई है और बाकी तीन कवांरे हैं और अगर पिता मर जाता है तो जो शादीशुदा दो बेटे हैं उनको तो दो-दो हिस्से एक पति का और दूसरा पत्नी का मिल जाएगा लेकिन जो तीन कंवारे हैं उनका क्या बनेगा ? फिर एक बात और है। जो लड़की आजीवन शादी नहीं करना चाहती उसे जायदाद कहां से मिलेगी ? इन बातों की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पीछे हमारे देश में ऐसी ऐसी देवियां हुई हैं जिन्हों ने आजीवन शादी नहीं की और अपने तपोबल से सत्व को प्राप्त किया है। यह जो चीज़ें हैं इनको भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर यहां यह बात चलती है कि यह जो resolution है इस पर अपना मतदान किस तरह से दें। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त हाउस में पुरुष मैम्बरों की अधिकता है लेकिन अगर इस हाउस में स्त्रियों की अधिकता होती है तो आप बताएं कि क्या मत देते। यहां पर सिर्फ पांच-सात स्त्री मैम्बर हैं और बाकी पुरुष मैम्बर हैं लेकिन अगर यहां पांच-सात पुरुष मैम्बर होते और बाकी स्त्रियां होती तो फिर आप क्या वोट देते ?

हमारे देश में परम्परा से एक प्रथा चली आ रही है उस को दूसरे मुल्कों का उदाहरण दे कर बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि इस विषय में दूसरे देशों का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं लेकिन खेद का विषय तो यह है कि आज हम पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग चुके हैं और हमारी जिन्दगी के हर पहलू में मग़रबी जिन्दगी का ही रंग दिखाई देता है। हम खाने, पहनने और बोलने में मग़रबी तहज़ीब की नकल करते हैं। इस हाउस के अन्दर कौन पंजाबी नहीं जानता लेकिन कुछ भाई अंग्रेज़ी बोलने में अपनी शान समझते हैं। इसी तरह से हम स्त्री समाज को अधिकार देने के लिए भी दूसरे मुल्कों को ही आदर्श मानते हैं। मैं कहता हूं कि आप अपनी संस्कृति का अध्ययन करें और पढ़ें कि मनु महाराज और ऋषि याज्ञवल्कय ने मिताक्षरा और दयाभागा के अन्दर कितने अधिकार स्त्री समाज को दिए हैं। उन्हों ने कहा है कि स्त्रियां देवियां हैं और उन के चलने से धरती पवित्र बन जाती है।

सभापति महोदय, मेरे भाई इस युग में उस युग की बात करते हैं और चण्डीगढ़ की buildings को देखते हुए औरतों के लिए तो मनु महाराज का युग लाना चाहते हैं और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

अपने लिए यह आधुनिक युग रखना चाहते हैं। यह विचित्र बात मुझे समझ नहीं आती। मैं दिल से चाहता हूं कि स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। हमारे सदन में कुछ देवियों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया है लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें यह बात अपने स्वतन्त्र विचारों से नहीं बल्कि किसी दूसरे से प्रभावित हो कर की है वरना इस प्रस्ताव में कोई ऐसी बात नहीं जो न मानने के काबल हो। एक तरफ वाले कहते हैं कि श्वसुर की सम्पत्ति में औरत को जायदाद का अधिकार होना चाहिए और दूसरी तरफ वाले कहते हैं कि बाप की जायदाद में से अधिकार होना चाहिए। मैं कहता हूं कि कोई ठिकाना तो रखो। अगर आप लोगों की सही राय जानना चाहते हैं तो जो बाहर की सभाएं हैं स्त्रियों की संस्थाएं हैं उन का मत प्राप्त करें। इस हाउस के अन्दर भी जो सदस्य बैठे हैं उन्हें स्त्रियों के वोट मिलें हैं अगर वे उन बहनों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो मैं समझता हूं कि वे अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करते। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का इस ढंग से समर्थन नहीं करता बल्कि मैं कहता हूं कि स्त्रियों के अधिकारों की पूर्णतया रक्षा होनीं चाहिए।

श्री मुलतान सिंह (घरौंडा) : चेयरमैन साहब, जो रेज़ोल्यूशन हाउस में पेश किया गया है मैं उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं मौजूदा हिन्दू सक्सैशन एक्ट को imperfect, unsound, undemocratic और uneconomic समझता हूं। इस की वजह यह है कि हमारी society और खास तौर पर पंजाब के देहात की जो सोसायटी है वह रिवाजे आमा से govern होती है जो रिवाज कि अब से नहीं हजारों सालों से चले आ रहे हैं और हमारी बहुत सी conventions और usages हज़ारों सालों से चली आ रही हैं। चेयरमैन साहब, मैं पंजाब के मुताल्लिक कह सकता हूं कि पंजाब के 95 % लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा के नहीं हैं वे हिन्दू सक्सैशन एक्ट के खिलाफ हैं। वह इस लिये कि जब यह बिल पास हुआ तो पब्लिक की आवाज़ को नहीं सुना गया। अगर आप आम लोगों से इस बिल पर राय लें तो वे कहेंगे कि यह बिल undemocratic है। अगर आप गांव के लोगों से पूछें तो आप को पता चलेगा कि उन के sentiments इस एक्ट के खिलाफ हैं। कुछ भाई कहते हैं कि ये स्त्री जाति को अधिकार नहीं देना चाहते ये progressive नहीं हैं। मैं कहता हूं कि स्त्री जाति की जितनी रक्षा देहात में करते रहे हैं उतनी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स किसी लड़की के साथ बलात्कार करता है तो उस की हिम्मत नहीं होती कि वह सोसायटी के सामने आ सके।

श्री चेयरमेन : कुछ भाई हाउस में बैठ कर अख़बार का मुताल्या करते हैं वह इस मुताल्या को बन्द कर दें क्योंकि rules के मुताबिक वह ऐसा नहीं कर सकते। (Some hon. Members are reading newspapers in the House. They should refrain from doing so as under the rules they cannot do so.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir; ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗੇ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਜਾਉ। ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਇਹ ਹਾਉਸ ਦੀ disrespect ਹੈ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : डिप्टी मिनिस्टर साहिबा, notes ले रहे हैं ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਤਾਂ ਅਧੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ।

श्री मुलतान सिंह : हमारे देहात के अन्दर पुलिस नहीं होती । पंजाब के अन्दर दो किस्म के गांव हैं। एक homogeneous और एक heterogeneous । Heterogeneous जगहों में जो झगड़े होते हैं, क्योंकि वहां पर पुलिस नहीं होती इस लिये वे पंचायती तरीके से सुलझाये जाते हैं । मैं समझता हूं कि अपनी तहज़ीबो तमद्दुन और विचारधारा को छोड़ कर यह कहना कि औरतों को हक न दिया जाय कोई अपील करने वाली बात नहीं । अगर आप progressive views की बात करते हैं तो England और अमरीका में देखें कि कितनी औरतें M.P.s हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर कितनी हैं । सिर्फ progressive का लफज़ सुन कर शानदार पुराने रिवाजों को यह कह कर बदल देना ठीक नहीं कि ये uneconomic हैं । हमारे यहां अगर एक लड़की की शादी दूसरे सूबे के अन्दर हो जाती है तो उस वक्त भाई के अटूट प्रेम के दर्शन होते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि जो हमारे पुराने रिवाज और conventions हैं वह बहुत शानदार हैं । इस लिये उन के हकूक का खास ख्याल रखते हुए उन्हें उन के husband की property का हक दिया जाना चाहिये । हमारी स्टेट में consolidation of holdings हो रही है । करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन Hindu Succession Act से ज़मीन एक uneconomic unit हो जाएगा और इस तरह से fragmentation of holdings हो जाएगी । घर में आपस में तकसीम हो तो आदमियों में काफी मुखालफत का जज़बा पैदा हो जाता है । इस तरह से homogeneity खत्म हो जाएगी और एक दूसरे के Sentiments को ठेस पहुंचेगी । हमारी बहनें अपने घर में दामाद को रखना भी पसंद नहीं करती । हम सारे यही चाहते हैं कि दामाद अपने घर में ही रहे । ब्याही हुई लड़की अगर अपने घर में रहे तो हमारे दिल को बहुत ठेस लगती है । हमारे दोस्त जो progressive views रखते हैं वे तो यह कहेंगे कि एक ही गोत में लड़की की शादी कर दी जाए । हमारे पंजाब की जनता अभी इस विचारधारा की नहीं हुई कि एक ही गोत में शादियां की जाएं । वे पिछली शानदार रिवायात के दिलदादा हैं और उन्हें बरकरार रखने के लिये अपनी जानें भी देने के लिये तैयार हैं । मैं ने देखा था कि सैयदों के अंदर ऐसा रिवाज था । वे कभी अच्छे काश्तकार नहीं हुए । पंजाब के ज़मींदार बहुत अच्छे काश्तकार हैं । हम ने तो सूबे को आगे ले जाना है और हम ऐसे progressive views में यकीन नहीं रखते । हमें यह resolution उसी form में पास करना चाहिये जैसे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश ने पास किया है ताकि जनता के एहसासात पर ज़बर्दस्त चोट न लगे ।

श्री राम प्रकाश (जगाधरी, रिजर्वड) : चेयरमैन साहिब, मैं इस resolution की मुखालफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे हिन्दुस्तान में दो तबके ऐसे हैं जो बहुत पसमांदा हैं—एक हरिजन और दूसरे स्त्री जाति । इन दोनों को जितनी भी मुराआत मिलें उतनी थोड़ी हैं । मुझे हैरानी होती है कि जब कभी कोई progressive measure हाउस में पेश किया जाता है तो पुराने ज़माने के आदमी उस की मुखालफत करने लग जाते

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

हैं। ऐसी चीज़ों की मुखालफत वे लोग करते हैं जो जायदाद वाले हैं धन वाले हैं और बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक हैं। जब कोई reactionary Bill आता है तो यह लोग उस को support करने में सब से आगे होते हैं। मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि जब यह बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिया है तो कांग्रेसी मेम्बर यहां इस की क्यों मुखालफत करते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यह कोई नई बात नहीं। जब इस असैम्बली में कोई progressive measure लाया जाता है तो यह लोग उस की मुखालफत करते हैं। मेरी बहन कंवराणी साहिबा ने भी इस की मुखालफत की हालांकि यह रैज़ोल्यूशन उन के हक में था। मैं तो स्त्री जाति की ताज़ीम करता हूं इस लिये उन के हक में बात कहता हूं।

श्री चेयरमैन : मैं देखता हूं कि हाउस में मैम्बर साहिबान आपस में बातें करते रहते हैं। इस किस्म का atmosphere हाउस में अच्छा नहीं लगता (I find that the hon. Members keep talking among themselves here. This sort of atmosphere in the House does not appear to be proper.)

श्री राम प्रकाश : चेयरमैन साहिब मैं अर्ज़ कर रहा था कि स्त्री जाति पर पुराने वक्तों से जुल्म होता चला आ रहा है। आप इस से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे हिन्दुस्तान में इस वक्त दो तबके हैं––एक अमीर आदमियों का और दूसरा गरीब आदमियों का। गरीब आदमी की पार्टी है जो इस issue पर हिन्दुस्तान में election लड़ना चाहते हैं। जब यह Hindu Succession Bill पार्लियामेंट में पेश हुआ तो लोगों में गलत फहमी पैदा की गई कि सरकार लोगों को जायदाद को खत्म करना चाहती है। देहात में इस issue पर बहुत मुखालफत पाई जाती है। जो reactionary spirit के आदमी हैं वे नहीं चाहते कि गरीब लोगों और स्त्री जाति को फायदा हो। मर्द जितनी तादाद में आज कल हैं वह स्त्री जाति से पैदा हुए हैं लेकिन फिर भी स्त्रियों की मुखालफत करते हैं। अगर किसी खानदान का male member मर जाता है और उस के घर कोई लड़का नहीं तो जायदाद लड़कियों को ही मिलनी चाहिये। कई भाइयों का कहना है कि Hindu Succession Act से पंजाब की जायदाद यू. पी. में चली जायगी। लेकिन जायदाद तो मुंतकिल नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि अमीरों की जितनी जायदाद है उस में लड़कियों का हक होना चाहिये। जो आदमी इस resolution की हिमायत करते हैं मैं समझता हूं कि उन्हें दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। अगर हमारे भाई अपने देश को दूसरे बदेशी मुल्कों के बराबर ऊंचा ले जाना चाहते हैं तो उन्हें स्त्रियों को यहां ज्यादा हकूक देने चाहियें। लेकिन हम देखते हैं कि यहां स्त्रियों की तादाद काफी होने के बावजूद भी उन के हकूक आटे में नमक के बराबर हैं। सोसाइटी में उन की कोई आवाज़ नहीं, कोई इज्ज़त नहीं। अगर हमारे भाई स्त्री जाति को इज्ज़त और वकार को ऊंचा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हकूक दिये जायें तो उन्हें इस रैजोल्यूशन को रद्द कर देना चाहिये।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ Hindu Succession Act ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]

ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਬਲਕਿ ਤਾਈਦ ਮਜੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ background ਹੈ । 1956 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ । 1956 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ । ਅਜ ਤਕ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । 1957 ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ । 1957 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਏ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਤਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਟਾਇਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੈਲਟ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1960 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ : On a point of Order. ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ hon. Member ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ political propaganda ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ?

Mr. Chairman : This is no point of Order.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ । ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ । ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ, ਤਮਾਮ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਨ ਸੰਘ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਏ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ, ਪਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਦੋ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਦੋ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਦੋ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ sensible ਹਰੀਜਨ, sensible ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ "ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਿਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ" । ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਵੇ । ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ । (ਵਿਘਨ)

Mr. Chairman : No interruptions please.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਥੇ ਖਾਵੰਦ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਣ ਬਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੀ । ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਅਣ ਬਣ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਅਗਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ consolidation ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ consolidation ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ fragmentation ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ consolidation ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਦੀ ਤਮਾਮ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]
ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ।

ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ (ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਹਾਏ) : ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮਗਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਦਾ ਤਅਲੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟ ਦੀ amendment ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਪਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ । ਧਾਰਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :—

'ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤੈ ਭਗਤ ਜਨ ਕੈ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੁ ਕਾਹਿ ਗਵਾਵੈ ਨੂਰ ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਜਗਾਹ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਗਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।

3 p.m.

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛੜੀ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਅਜ ਚੰਦ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ research ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, offer ਇਕ ਦੇਵੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਰਦ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਜੇ ਕਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦ ਜੇ ਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਔਰਤ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ atom bomb ਸੁਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ atom ਦੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਕਿਥੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਉ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਚੂੰਕਿ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੀਬੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਆਖਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ originally ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ "ਬੀਬੀ" ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉਪਰ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਰੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ Hindu Succession Act ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚਾਰ ਲੜਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਰ ਪੰਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਪ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ amendment ਉਸ Act ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ratio ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੀ education ਦਾ ਖਰਚ, ਦਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਢ ਕੇ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ amendment ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇਕ agricultural ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ੇ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਘਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ M. P.s ਇਹ amendment ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਦਸੇ ਹੋਏ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਗਿਆਨੀ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ]

ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆਗਿਆ ਹੈ—

ਗੁਲਾਮੀ ਮੈਂ ਹੁਏ ਪੈਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਮੈਂ ਹੁਏ ਰੁਖਸਤ,
ਰਹਾ ਦੌਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਅਵੱਲ ਸੇ ਆਖਰ ਤਕ । (ਤਾਲੀਆਂ)

ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੱਕ ਸ਼ੁਫੇ ਦਾ right ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ । Tenancy Act ਵਿਚ ਇਹ provision ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ।

ਜੇਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੋਈ security ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਐਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਭਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਣੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਉ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : चेयरमैन साहिब, जो प्रस्ताव हाउस के सामने इस समय है मैं इस का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज तीसरा दिन है कि हाउस में इस प्रस्ताव पर बहस हो रही है और जिन माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है अगर इन के दलायल को देखें, उन की arguments को गहरीनज़र से देखें तो मालूम होगा कि उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि शायद इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि लड़कियों को या औरतों को उन के rights से महरूम किया जाए । परन्तु इस प्रस्ताव का आशय यह नहीं है । जहां तक स्त्री जाति या लड़कियों की या महिलाओं की security का सम्बन्ध है, उन की सुरक्षा का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि किसी भी मैम्बर की इस विषय पर दो रायें नहीं हो सकतीं । लेकिन प्रश्न इस बात का है कि उन की security किस property में हो बाप की property में हो या ससुर और पति की property में हो। जहां तक security का सम्बन्ध है इस पर House में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । हरेक को अपनी लड़की से उतना ही प्यार होता है जितना कि लड़के के साथ होता है । लेकिन अगर हम आज पिता की property में लड़की की security का प्रबन्ध करेंगे तो वर्तमान आर्थिक ढांचा यानी economic structure जो हमारे

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

समाज के अन्दर बनी हुआ है उस में इस कदर तबदीलियां आजाएंगी जिन से इस सामाजिक ढांचे के तहस-नहस हो जाने का डर है। इस के विपरीत अगर सुसर की जायदाद में लड़कियों का हिस्सा रखा जाए तो उस economic security से सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन आने की संभावना नहीं। इस बात पर अगर हम गहराई से सोचें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हिंदुस्तान के अन्दर आज जो समाज का एक unit है, जो इकाई है वह एक individual नहीं बल्कि एक परिवार है। योरुप या western countries के अन्दर बेशक एक individual को समाज का unit अर्थात् इकाई समझा जाता हो लेकिन हमारे देश में अब भी पूरे परिवार को सामाजिक इकाई माना जाता है। यहां पर लड़की की economic security का सवाल तभी पैदा होता है जब कि वह विवाह के बाद ससुराल या पति के घर चली जाती है। और वह भी विशेष कर ऐसी अवस्था में जब कि पति के साथ उस के सम्बन्ध खराब हो जाएं। साधारण हालात में हमारी मर्यादाएं ही ऐसी बनी हुई हैं कि जो भी ससुर की आमदन हो, जो भी पति की आमदन हो वह पति-पत्नी के सलाह मशविरे से बच्चों की खुशहाली के लिये इस्तेमाल की जाती है। हर मामले में पत्नी को उतनी ही कुर्बानी करनी पड़ती है कि जितना त्याग पति को करना पड़ता है। इस लिये दोनों में property का किसी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं होता मेरी इतनी property है और तुम्हारी इतनी property है। इस लिये security की समस्या तभी उत्पन्न होती है जब दोनों के दरम्यान कोई खलीज़ पैदा हो जाए, उन के आपसी सम्बन्ध खराब हो जाएं और पत्नी पति से अलग हो जाए। चेयरमैन साहिब, ऐसी हालत में ही हमें सोचना है कि उस की सुरक्षा का हल क्या हो और कहां हो। ऐसी अवस्था में मैं यह ज़्यादा अच्छा समझता हूं कि उस की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी उस के पति या ससुर पर डाली जाए और उन्हीं की जायदाद में उस को हिस्सा मिले। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब तक तो भारतवर्ष के अन्दर पति पत्नी का प्रेम बना रहता है तब तक property की division का झगड़ा ही पैदा नहीं होता। इस लिये सिर्फ इसी लिये यह अधिकार रख लेना कि चूंकि Western countries में ऐसी व्यवस्था है, इस लिये यहां भी होनी चाहिए यह गलत बात है। चेयरमैन साहब, एक बात को तो सभी मेम्बर साहिबान अच्छी तरह महसूस करते हैं कि चाहे आप इसे progressive कहें या कुछ और, हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जिस में विश्व के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में सुख और शान्ति ज़्यादा है। Western मुल्कों में बेशक औरतों को इतने अधिकार हैं कि वह मरदों को तलाक भी दे सकती हों और हो सकता है कि वहां पर जितनी औरतों की संख्या है उस की 50-60 प्रतिशत औरतें ऐसी हों जिन्होंने अपने जीवन में तीन-तीन चार-चार बार तलाक दे दिया हो लेकिन हमारे देश के अन्दर ऐसी संस्कृति नहीं, वह ऐसी progressive नहीं हैं, हां कहीं कोई ऐसा individual case हो जहां औरत और मर्द सुख और शान्ति से अपना गृहस्थ जीवन न बिता रहे हों तो अलग बात है। मेरे दोस्त अगर statistics को देखें, मैं उन्हें किताबें दिखा सकता हूं, जिन से पता चलता है कि विदेशों के अन्दर जो व्यक्ति गत जीवन है उस में कितनी अशान्ति है जब कि हमारे देश की समाज के अन्दर किस कदर सुख और शान्ति है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

चेयरमैन साहिब, एक दलील यह दी गई है कि जिस परिवार में चार भाई और एक बहन हो तो बाप अपनी उस जायदाद को बेच कर उन को बराबर २ हिस्सों में बांट दे। यह दलील मुझ से पहले बोलने वाले साथी ने भी दी। कैसी अजीब दलील है। इस से तो आप पारिवारिक सुख को, उस परिवार की economy को ही shatter कर देंगे। एक परिवार के अन्दर चार लड़के हैं, वह सभी मिल कर दुकान पर या खेत पर काम करते हैं। उन की joint family है, सब के इकट्ठे परिश्रम से घर के सदस्यों का जीवन निर्वाह होता है। यह दुकान इतनी चली होती है कि वह दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक joint चल सकती है। अब आप क्या करना चाहते हैं ? यह कि पिता उस दुकान को, उस firm को, उस business को, कारखाने या concern को wind up कर दे। उस को बेच दे और उस के पांच, छः या सात जितने भी हिस्सेदार हों उन में बांट दे और उन्हें कहे कि अब तुम नए सिरे से अपना २ काम शुरु कर लो। यह सब इस लिये किया जाए क्योंकि लड़की की शादी हो गई है और उस को जायदाद का हिस्सा देना है। इस से क्या होगा। फ़र्ज़ कीजिये कि एक लड़की की शादी लुध्याना में हो जाती है। वहां पर उस के पति की भी दुकान है, वहां वह अपने पति की दुकान की आमदन से अपने परिवार का गुज़ारा चलाती है। लेकिन चूंकि जालंधर में जहां पर कि उस के चार या पांच भाई दुकान करते हैं, वहां से भी उस ने हिस्सा लेना है, इस लिये वह अपनी business को, firm को तोड़ दें। आप स्वयं अन्दाज़ा लगाएं कि यह कितनी अव्यवहारिक बात है। किस तरह से यह सारी व्यवस्था चलेगी। उन की economic अवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा इसका आसानी से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। किस तरीके से यह गाड़ी चलेगी ? इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून बना है इस से हमारे social और economic pattern पर बहुत भारी असर होने वाला है (*Interruptions*) Share holders की दलील दी जाती है। आप अन्दाज़ा लगाएं कि एक ही परिवार में share holders की प्रथा कहां तक सफल हो सकती है। इस से परिवार में खाई पैदा होगी। पैदा ही नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। इस का एक ही हल है और वह हल यह है कि या तो लड़की की शादी के पहले अगर उस की economic security का सवाल पैदा हो या शादी न हुई हो फिर तो पिता की जायदाद में उस को पूरा २ हक मिलना चाहिए क्योंकि उस हालात में उस की आमदन का कोई साधन नहीं होगा लेकिन जब लड़की की शादी हो जाए, दूसरे परिवार में चली जाए तो उस अवस्था में ससुर या पति की property में ही उसे यह हक मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की भी भारतीय समाज में तभी आवश्यकता पड़ेगी जब कि पति पत्नी के सम्बन्ध खराब हों। इस लिये मैं समझता हूं कि जैसा मैं ने अनुरोध किया है, इस किस्म का resolution पास करके हमें केन्द्रीय सरकार के पास भेजना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस समस्या का इस से अच्छा हल और कोई नहीं हो सकता।

Shri Balram Das Tandon : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Voices : No, Sir.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ—ਦਖੱਣ) : ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ resolution ਉਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ House ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ important resolution ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ Members ਹਨ local bodies ਦੀਆਂ Members ਹਨ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ Members ਹਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ property ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ property ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (cheers) ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵਾਜਬ ਕਿਥੇ ਹੈ। Society ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ society ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ discord ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ resolution ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ।

ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ house ਵਿਚ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ resolution ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ resolution ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ important ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ, ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਔਰ ਬੀਬੀ ਹਰਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ represent ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ problems ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਮੰਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ house ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ arguments ਨੂੰ support ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ dowry ਦੀ ਇਥੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। Dowry ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ accept ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਇਸ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਕਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ posts ਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ business ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕਿਤਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਸੁਹਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ Succession Act ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ Consideration ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ Consideration ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਦੇ chances ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। (*Noise*)

ਸ੍ਰੀ ਚੇਯਰਮੈਨ : Order, please. चौधरी साहिब आप एक जगह पर तो बैठते नहीं जगह जगह पर बैठ कर शोर करते हैं। (Addressing Chaudhri Sunder Singh : The hon. Member does not stick to one seat. He is creating disturbance by moving from one place to another.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਹੁਣੇ ਇਥੋਂ ਮੇਰੀ ਇਕ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ resolution ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ—ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ kitchen ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਨ, ਇਹ cultured ਹਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ means ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ kitchens ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸੂਏ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਬਾਬਤ ਦਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਈ minority ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ number ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜੇ ਬਾਪ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ of their own accord ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ! ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ litigation ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ husband ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ husband ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ widow ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ father-in-law

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ brother-in-law ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ property ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ dark picture ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ widow ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। Widow ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਈ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ arguments ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛਡ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ widow ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ] ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ widow ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ widow ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਝੇ ਐ ਨਾਖੁਦਾ ਰੋਕੇਗਾ ਕਿਆ ਗਰਕ ਹੋਨੇ ਸੇ,
ਜਿਨੋਂ ਨੇ ਡੂਬਨਾ ਹੋ ਡੂਬ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਸਫੀਨੋਂ ਮੇਂ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਚੰਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਵੇਚ ਜਾਣ।

ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ scheduled castes ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਤਾਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ resolution reactionary ਹੈ ਤੇ ਇਹ society ਵਿਚ anti-social element ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ.....

चौधरी जगत राम : On a point of order, Sir. मेरा point of order यह है कि जब कोई हरिजन मैंबर यहां बात करता है तो वह एक मैंबर के नाते करता है न कि हरिजन होने के नाते करता है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री सभापति : Order, please: यह कोई point of order नहीं है। (Order please. This is no point af order.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ resolutions ਨੂੰ reactionary ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ question ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ resolution ਹੀ question ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ resolution anti-social element ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ society ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ reactionary ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ reactionary ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਇਸ resolution ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ food ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Food ਵਿਚ self-sufficiency ਤਦ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ consolidation ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ consolidation ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਕ family ਵਿਚ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਭੈਣ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ consolidation ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਭਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ consolidate ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਟੁਕੜਾ ਉਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਉਹ ਵਿਹਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। Consolidation ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ cosolidation ਨੂੰ effect ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ food ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ effectively ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਲੇ ਤੇ ਭਣੋਈਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲਾ ਭਣੋਈਆ ਆਪੋ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੋ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਰਫੜ ਪੈਣ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜਬੂਰ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ (ਘੰਟੀ) ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਾਕੀ ਰਹੀ management ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਿਥੇ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਉ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਜ਼ਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੈਣੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿਚ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਫਸਾਦ ਹੋਣਗੇ, complications ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਦਾ ਇਹ Act ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ constituency ਦਾ ਹਾਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਯਕ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਲਿਉਂ ਲਾਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਮਤ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲਹੇਗੀ ? ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛਡ ਲਉ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁਲੋ ਕਿ ਜਿਸ 85% ਵਸੋਂ ਤੇ ਇਸ Hindu Succssion Act ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪਰਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ resolution ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਵਿਚ seat ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, seat ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ seat ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ true representatives ਹੋਵਾਂਗੇ। (Hear, hear) ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : अगर आप की इजाजत हो तो मैं इन से एक point clarify करना चाहता हुं। यह उस का जवाब दें .... इन्हों ने गलत बात उठाई है। (*interruption*)

श्री चैयर मैन ; ऐसा कोई procedure नहीं है। (There is no such procedure) (*interruption*)

ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ (ਮਲੋਟ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : Chairman ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ time ਦਿਤਾ ਹੈ।। ਮੈਂ ਇਸ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ]

resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ (ਤਾੜੀਆਂ) Chairman ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਹਕ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ । (ਤਾੜੀਆਂ) ਜਨਾਬ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਹੱਕ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਉ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੇਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਲੜਦੀ ਝਗੜਦੀ ਵੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬਾਪ ਪਾਸ ਭਾਵੇਂ 3 ਘੁਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੇ, ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੇ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਉੜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ programme ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਘੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੇ । ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਬਚਪਨ ਕਟਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੀ, ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇਕ ਦਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿ ਲਵੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆ ਤੋਂ ਰੋ ਕੇ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ stage ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਬਚੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕਿਨ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹੀ ਇਸ resolution ਦੀ spirit ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇ । (ਤਾੜੀਆਂ) ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਜਾਤ ਗੰਵਾਈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਗੰਵਾਈ।' ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਈ ਸਹੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਹੀ ਹਾਲ ਭਰਾ ਦਾ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ resolution ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਸਣ ਲਗਾ ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ U. P. ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆਂ 'ਤੁਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਕਿਆ ਦੇਖਾ' ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ 'ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਚਣੋਂ ਕੇ ਪੇੜ ਬਹੁਤ ਹੈਂ'। ਉਹ ਛੋਲੀਏ ਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਛੋਲੀਏ ਨੂੰ 'ਚਣੋਂ ਕੇ ਪੇੜ' ਦਸਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆਂ 'ਕਹਾਂ ਦੇਖੇ ਹੈ?' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 10,20 ਚਾਰਪਾਈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪੜੇ ਹੈਂ, (ਹਾਸਾ)

ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਲਕਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਜ਼ਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

(At this Stage, Mr. Speaker occupied the Chair)

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਨਾਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਚਣਿਆਂ ਦੇ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

श्री अध्यक्ष : आप के सामने Public Accounts Committee और Estimates Committee के जो मेम्बर elect हुए हैं उन की list आ चुकी है। अब मैं सरदार राजेंद्र सिंह को Public Accounts Committee का और श्री हरभगवान मौदगिल को Estimates Committee का chairman appoint करता हूं।

(The hon. Members have already been supplied with the lists of the hon. Members who have been duly

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री अध्यक्ष]
elected to the Public Accounts Committee and Estimates Committee respectively. I, now nominate Sardar Rajinder Singh as Chairman of the Public Accounts Committee and Shri Harbhagwan Maudgil, as Chairman of the Estimates Committee.)

RESOLUTION
REGARDING AMENDMENT OF HINDU SUCCESSION ACT, 1956 (RESUMPTION OF DISCUSSION)—(CONTD)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ) : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਵਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜੋ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬਰਾਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਨ ਮਨੌਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੰਠੇ ਘੋੜੀਆਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਾਜ ਦਿਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ [illegible] ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਿਸੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਪ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਜਦ ਕਦੇ ਉਹ ਦੇਵਰ ਜੇਠ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਡ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਾਪੇ ਭਾਂਡੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕ ਸੁਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੌਹਰਾ ਜਾਂ ਸੱਸ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੇ, ਪਿਤਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਨਕੀ ਛੱਕ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਖਰਚ ਨਾਨਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਗੋਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਨਿਉਂਦਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha.
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਲੜਕੀ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਜੁਤੀ ਭੋਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕਫਣ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਕੜੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਫੁਲ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਰਸਮ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਭ ਰਿਵਾਜ ਦਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਗੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਵੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਸਦਾਵੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੱਕ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਘਰ ਆਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜੁਤੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਭਾਈ ਜਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁਤੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਪਤੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ]

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਝਗੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ, ਮੈਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਤ ਅੱਠ ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਫਰਵਾਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਇਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਮਾਦਾਰ । ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤਿੰਨ ਲੜਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਿਆ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ । ਅਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾ ਆਦੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਵਿਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ । ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

श्री लाल चंद (जालन्धर शहर, उत्तर पूर्व) : स्पीकर साहिब, यह जो मेरे भाई मान साहिब ने Resolution पेश किया है, वैसे तो मुझे मान साहिब का पूरा पूरा अहतराम है, मगर इस Resolution के आ जाने से मुझे थोड़ा शक नजर आता है कि उन के हालात शायद ऐसे ना हों जैसा कि कुछ आदमियों की हालत ऐसी होती है, कि जो कुछ उन के दिल में होता है वही उन की ज़बां पर होता है, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कुछ उन की ज़बां से निकलता है उस के मुताबिक दिल में यह खयाल होता है कि यह पूरा तो होगा ही नहीं कहने में क्या हर्ज़ है। (हंसी) इस तरह से मान साहिब यह Resolution ले आये हैं। वह जो कुछ कहते हैं इस के मुताल्लिक दिल से भी जानते हैं कि अगर यह यहां पास भी हो जायें तो इस की position ऐसी बनी हुई है कि इस को High Command ने नहीं मानना। हमारा कहने में हर्ज ही क्या

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

है। यह to catch the vote के लिये एक तरीका है, वरना इस Resolution के पेश करने का और कोई मकसद नहीं है। अगर इन का यह मकसद होता कि यह Constitution के मुताबिक लाना है तो मैं एक चीज अर्ज़ कर दूं कि यहां पर Concurrent list में यह चीज़ Number 5 पर दर्ज है। Article 254 के तहत पंजाब Assembly इसे कानूनी शक्ल दे सकती है, यह बिल की शक्ल में भी लाया जा सकता है मगर यहां पर यह Resolution की शक्ल में पेश किया गया है जिस से उन का मकसद साफ जाहर होता है कि हम ने तो कर दिया था मगर इस को High Command ने ही नहीं माना। इस लिये जो बहस हम करते हैं इस के लिये अमली जामा पहनाने के लिये यह Resolution नहीं है इस के लिये बेहतर तो यह था कि कोई कानून बन कर आता तो हम अपनी राये देते।

इस के इलावा इस बिल पर बहस करते हुए मेरे दोस्त मौलवी साहिब और कुछ मौलाना साहिब ने फरमाया। उन्होंने कहा कि जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है और बहनों की शादी का सवाल है इस के मुतअल्लिक जो कुछ भी कहा, यह अच्छा नहीं किया। यहां तक कि इस बात से भी तलाफी की कि कुराने पाक में क्या लिखा हुआ है। इस में लिखा है कि लड़की को हिस्सा मिलना चाहिये और Males को उन से दुगना हिस्सा मिलना चाहिये। आदमी की जायदाद यानी बाप की बेटे को और उस के भाइयों को और फिर उन के लड़कों को $\frac{1}{8}$ मिलनी चाहिये और हिस्सा ज़कात में दिया जाना चाहिये। जो कि यतीमों और गरीबों को दिया जाये। मुस्लिम असूलों में यह शकल है लड़के की विरासत की यानी लड़की को कोई हिस्सा नहीं दिया। जो मौलवी साहिब और मौलाना साहिब कहते हैं पता नहीं किस आधार पर कहते हैं। आज हम Constitutional Law के पाबन्द हैं किसी शरियत के पाबन्द नहीं हैं, Mohammedan Law के पाबन्द नहीं हैं और वहां पर लड़कियों को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। Secular State में अगर किसी एक फिर्का की बात करते हैं या उस का कानून lay करते हैं तो यह कैसे चल सकता है ? इस के साथ ही स्पीकर साहिब इस कानून को बनाते वक्त कुछ ऐसे भी ख्याल रखा गया है कि लड़की को उस के बाप की जायदाद से हिस्सा दिया जायेगा। मगर इस में सब से बड़ा सवाल यह है कि जो आज की हमारी Society है जिस में आज हम रहते हैं इस में Jurisprudence का सवाल है। कानून वहां बनाने चाहियें जहां पर इन की कदर हो और यह practical शक्ल अखत्यार कर सकें। हम ने Child Smoking Act बनाया और Sharda Act भी बनाया मगर इस पर अमल नहीं हुआ। यह policy जो हम अख्त्यार कर रहे हैं कि जो बातें की जाती हैं और जिन की इतनी वज़ाहत की जाती है वह अमली शक्ल अख्त्यार नहीं करतीं यह ठीक नहीं है। आज इस तरह के कानून बना कर हमें घबराहट में डाला जा रहा है कि अगर चाहूं कि मैं अपनी लड़की को हक दे दूं तो मैं नहीं दे सकता और अगर मेरा इरादा देने का नहीं है तो यह मुझे कानूनी तरीकों से देने पर मजबूर करते हैं। यह जो लड़की को हक देने की बात है अगर Society में आप जाते तो यह बाप और बच्चों में झगड़ा पैदा करते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि जायदाद के सवाल पर बेटा बाप को कत्ल तक कर देता है और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री लाल चन्द]

अगर बेटे को पता हो कि उस से मुझे जायदाद मिलनी है तो वह उस की सेवा करेगा। लेकिन अगर उसे पता हो कि नहीं मिलनी तो वह बुड्ढे की परवाह नहीं करेगा। लड़की भी बाप की परवाह नहीं करेगी अगर उसे हिस्सा नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो वह उसे अपने सुसराल ले जायेगी उस की खातर करेगी और मरते दम तक अपने पास रखेगी। ऐसी कार्रवाई से रिश्तेदारी में भी फर्क आ जायेगा और भाई बहन के भी झगड़े बढ़ेंगे

4-00 p.m.

कम नहीं होंगे। और इस के साथ साथ हमारे सामने एक सवाल यह खड़ा हो जाएगा कि भाई यह समझेगा कि जब हम ने लड़की की शादी करनी है और यह जायदाद की शरीक है तो शादी करने के बाद जो प्रेम और ताल्लुकात अभी भाई का बहिन के साथ परम्परा से चला आता है वह ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि आम तौर पर यह देखने में आता है कि चचाज़ाद भाई वगैरह जो होते हैं उन को शरीके के कहा जाता है और उन के लिए वह बात नहीं होती जो कि अपने भाई बहिन के लिए होती है। तो यही बात भाई बहिन के लिए जब लागू हो जाए गी और बहिन शरीके की कहलाने लगेगी। आज बहिन भाई की लाज होती है लेकिन इस हक से और जायदाद में शरीक होने के बाद वह रिश्ता खत्म हो जाएगा।

आज जो लोग यह कहते हैं कि लड़कियां अपने लिए लड़का आप ढूंढने लगीं और भाइयों के ऊपर उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तो मैं कहता हूं कि ऐसी लड़कियां जो दिल्ली जा कर नौकरी कर लेंगी और लड़का ढूंढ लेंगी या किसी अस्पताल में नौकरी करके अपनी शादी कर लेंगी, ऐसी लड़कियां पंजाब में कितनी हो सकती हैं ? सिर्फ एक फी सदी। बाकी 99 फी सदी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने आप लड़का नहीं ढूंढ सकतीं। तो इस कानून का इन लड़कियों के शादियों के ऊपर असर पड़ेगा क्योंकि भाई के ताल्लुकात वैसे नहीं रह जाएंगे जैसे कि आज कल चले आते हैं। क्योंकि भाई यह सोचेगा कि अगर मैं ने बहिन के लिए इतना होशियार लड़का ढूंढ दिया जो वकील है या इस काबिल है कि वह शादी के बाद कोर्ट से या और कई किस्म के झगड़े करके या वैसे ही फौरन जायदाद ले लेगा तो उस का नुकसान होगा और property बंट जाएगी व उस का गुज़ारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसलिए ऐसा लड़का नहीं ढूंढना चाहिए। तो वह क्या करेगा कि बहिन के लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढेगा जो बिलकुल बुद्धू होगा जो कुछ नहीं कर सकेगा बल्कि उल्टी भाई की चिलम भरता रहेगा। तो इस तरह से लड़कियों की शादियों पर इस कानून का असर पड़ेगा और बहिनों के लिए अच्छे वर नहीं तलाशे जाएंगे ; और तलाशे जाएंगे तो mala fide intentions से।

कुछ बहिनें इस बात की बड़ी ज़ोर से मुखालिफत करती हैं कि dowry system नहीं होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं जब लड़की ससुराल में जाएगी तो उस के ससुराल वाले ऐसी लड़की को पसन्द करेंगे कि जिस के पास जमीन जायदाद, ज्यादा हो तो इस का यह मतलब हुआ कि dowry system इस

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

form में आ जाएगा और वह बहिनें जो मुखालिफत करती हैं वही इस कानून के ज़रिए डावरी सिस्टम को फिर से लाएंगी वह रोक नहीं सकती। क्योंकि अब कानून की dowry होगी। इसका एक नतीजा और होगा और वह यह कि गरीब लड़कियां फिर बड़े घर में नहीं जा सकेंगी क्योंकि बड़े घर वाले यह सोचेंगे कि हम वही लड़की पसन्द करेंगे कि जिसके पास ज़मीन जायदाद हो। तो फिर इस के बाद छोटी लड़कियां छोटे २ घरों में ही रह जाएंगी जो कि ठीक नहीं होगा। इस सिलसिले में मैं कम्युनिस्ट भाइयों से यह कह दूं कि उनका नज़रिया जो यह है कि छोटे घर की लड़की बड़े घर में न चली जाए वह नज़रिया reactionery है। मैं अब हरिजन भाइयों को भी यह बतलाता हूं कि उन्हें इस लिए खुश नहीं होना चाहिए कि इस का असर ज़मींनदारों पर पड़ेगा या उन पर पड़ेगा कि जिन के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें या जायदादें हैं। मैं कहता हूं कि इस का असर हर एक पर पड़ेगा और हरिजनों पर ज्यादा असर होगा। हमारे भाई सुन्दर सिंह जी बड़े उत्साह में थे मैं उन को भी बतलाना चाहता हूं कि जिन हरिजनों के पास एक ही घर है या एक ही कमरा है या कोई कोठा है तो लड़कियों की शादी होने के बाद एक कोठे में कई कई लोग रहेंगे जिस के कारण बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इस तरह से हरिजनों को बहुत घाटा रहेगा। यह हरिजन भाई न सोचें कि इस कानून के ज़रिए अगर ज़मीनें बंटी तो उन के पास आ जाएंगी। यह ज़मीनें उन के पास नहीं आ सकतीं। यह इसलिए यह सोच कर खुश होना कि चलो यह कानून ज़मींनदार को hit करता है, अच्छा है। मैं समझता हूं कि उन का इस तरह से खुश होना ठीक नहीं है।

एक बात जो आज हमारी बहिनों में पाई जाती है चाहे वह ईश्वर की एक बड़ी देन है कि उन के अन्दर सहनशीलता बहुत होती है और वह लड़भिड़ कर इस तरह के खून खराबे नहीं करतीं जिस तरह से आदमी करता है। वह बरदाश्त करना जानती हैं लेकिन अगर यह कानून उन पर लागू रखा गया तो इस का यह नतीजा होगा कि उन की सहनशीलता खत्म हो जाएगी क्योंकि जब वह अपने ससुराल में जाएगी तो उनका ससुर यह समझेगा कि यह लड़की तो अपनी हो गई लेकिन ज़मीन जो यह पीछे छोड़ कर आई है वह हमारी नहीं हुई तो वह उस लड़की से कहना शुरू करेंगे कि तुम्हारा भाई ज़मीन खा रहा है और हमें कुछ नहीं देता, वह बेशर्म है, कमीना है, निकम्मा है, उस ने पिछले साल भी कुछ नहीं दिया और इस साल भी कुछ नहीं आया। जाओ, भाई से पैसे ले कर आओ। इस प्रकार लड़की के अन्दर एक विद्रोह होगा और क्रोध उत्पन्न होगा। उनके बरदाश्त का गुण खत्म हो जाएगा। और क्या होगा ? जो लड़की एम. ए. पास होगी या बी० टी० पास होगी वह तो जा कर कहीं नौकरी कर लेगी लेकिन जो साधारण लड़की होगी, बेकस होगी उसे अपने भाई के घर जाना पड़ेगा और लड़ाई-झगड़ा करना पड़ेगा। और यह भी देखने में आएगा कि जो लड़की इतने पर भी नहीं जा सकेगी तो कहेंगे कि मुख्तारनामा पर दस्तखत कर दो मैं खुद ही जा कर ले लूंगा। और यहीं बस नहीं हो जाएगी। लड़की से कहा जाएगा कि चूंकि तुम्हारे देवर को पढ़ने के लिए इंगलैंड भेजना है

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री लाल चंद]
और हमा रे पास इतना पैसा नहीं है तुम्हारी ज़मीन से कोई फायदा नहीं हो रहा इस लिए उस ज़मीन को बेच कर पांच सात हज़ार रुपया बना लिया जाए और इस लड़के को इंगलैंड पढ़ने भेज दिया जाए । ऐसी हालत में बड़ी मुश्किल हो जाएगी उस बहिन के लिए ।

जब ज़मीन बिकेगी तो, स्पीकर साहिब, क्या होगा ? उस वक्त fragmentation होगी । वह ज़मीन वहां पर नहीं रह सकती । आज चौधरी साहिब इस के लिए बिल लाते हैं लेकिन मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि वह ज़मीन ज़रूर टुकड़ों में बंट जाएगी । और एक इस का असर जो होगा वह यह होगा कि जब लड़की की ज़मीन बिक गई रुपया ससुर के घर पहुंच गया तो फिर उस लड़की को अगर kick out भी कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं । फिर देखिए कि उस लड़की को कौन देखने वाला बचता है । तो उस लड़की को यह भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी हालत में उस की कैसे रक्षा होगी क्योंकि अभी तक जो भाई भाई रहा है वह भाई नहीं रह जाएगा ।

दूसरा तरीका यह है कि अगर वह लड़की ससुराल वालों को ज़मीन नहीं देती तो ससुराल के उस लड़की के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे और झगड़ा होगा । फिर उस का नतीजा यह होगा कि जितने तलाक आज हो रहे हैं उस से कई गुना ज्यादा हुआ करेंगे और लोगों के घर तबाह होंगे । इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि ऐसे कानून का होना ठीक नहीं है जिस से उन के ससुराल और भाइयों के साथ ताल्लुकात खराब हों । इस नुक्स को देखते हुए मैं Hindu Succession Act की मुखालिफत करता हूं और इस resolution की support करता हूं । हमारी जो lady member बहनें हैं वह कहती हैं कि England, America और Germany में लड़कियां हवाई जहाज़ चलातीं हैं, tank चलाती हैं, और इसी तरह के कई काम करती हैं । मैं इस बात को मानता हूं । लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारा पंजाब न England है, न America है और न ही Germany है । आज यह पंजाब, पंजाब है । जब यह England की तरह बन जाएगा तब वैसे कानून भी बनेंगे । Society के साथ साथ कानून बनते हैं । यह बात ग़लत है कि कानून पहले बना दिया जाए और society बाद में बने । यहां पर यह हालत है कि अगर बदकिस्मती से किसी बहिन का खाविंद मर जाए और उस का बच्चा भी न हो तो वह अपनी ज़मीन की खबरदारी नहीं कर सकती । आज आप देखें Courts में सैंकड़ों cases उन औरतों के चल रहे हैं जिन के देवर और ससुर उन को अपनी ज़मीन का हिस्सा नहीं लेने देते और गिरदावरियां अपने नामों पर करवा लेते हैं । आज सरदार भूपिंदर सिंह मान जैसे और दीवाना साहिब जैसे बड़े बड़े ज़मींदार चिल्ला रहे हैं कि मुज़ारे हमें कुछ नहीं देते । जहां बड़े बड़े ज़मीदारों की यह हालत हो वहां हमारी बहनें क्या कर सकती हैं ? वह किस तरह पैदावार का हिस्सा वसूल कर सकती हैं ? आज vote लेने के लिए

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

कई साहिब देहातों में जा कर कहते हैं कि बहनों को बड़ा सुख होगा उन को ज़मीनें मिलेंगी मैं बहनों को कहूंगा कि वह अपना फतवा देने से पहले वह इस बात को गौर से सोचें कि उन्हों ने अपने बाप और भाइयों को छोड़ कर ज़मीन ले कर landlord बनना है और खुश होना है । इस बात को आप ने बड़ी समझदारी के साथ तोलना होगा कि आप अपनी society के पुराने रिवाज को कायम रखना चाहती हैं या उसे तोड़ना चाहती हैं । अगर बहनें पुराने sacred रिवाज को तोड़ना चाहें तो उस से बहुत से झगड़े पैदा होंगे । मैं कहता हूं कि लड़की का हक सुसराल की जायदाद में है । वह एक घर से जाती है और दूसरे घर की मालिक बनती है। इस लिए उन्हें in laws की जायदाद में से हक मिलना चाहिए । उस के जो बच्चे होंगे वह उस के सुसराल और उस के मुशतरका होंगे । इसलिए मैं समझता हूं कि लड़की को सुसर की जायदाद में से हक मिलना चाहिए इस बात में हम उन के साथ हैं। जब ससुर की जायदाद में औरतों का हक होगा तो सुसराल लड़कियों से अच्छा बरताव करेंगे । इन अलफाज़ के साथ मैं इस resolution की हिमायत करता हूं ।

चौधरी साधू राम (नारायणगढ़): स्पीकर साहिब, यह जो resolution House में पेश हुआ है मैं इस की हमायत नहीं कर सकता । मैं क्यों इस की हमायत नहीं करता उस के लिए मैं कुछ दलीलें पेश करूंगा । इस House में मेरे इर्द गिर्द के Members ने कहा कि इस resolution की मुखालफत वह लोग करते हैं जिन के पास जायदाद नहीं हैं, जिन के पास ज़मीन नहीं है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं उस category में से नही हूं । मेरे पास अपना ज़मीन है और खेती के सिवाए मेरा और कोई ज़रिया नहीं है । मैं इस resolution की हमायत नहीं कर सकता। स्पीकर साहिब, 16 साल तक यह resolution Parliament के सामने पेश होता रहा बल्कि यह 1914 से ले कर Central Government के सामने किसी शक्ल में पेश होता रहा और इस के ज़रिए कुछ amendments होती रहीं । आखिरकार 1956 में यह Hindu Succession Act की शक्ल में पास हुआ । अगर Parliament की debate को देखा जाए तो उस से मालूम होगा कि social justice और economic equality के असूलों को मद्देनज़र रख कर इस कानून को पास किया गया है। इसलिए इस resolution को पास करने से पहले हम ने देखना है कि आया यह उन दो असूलों पर पूरा उतरता है या नहीं । स्पीकर साहिब ज़ाहिरा तौर पर यह resolution बड़ा innocent सा मालूम होता है क्योंकि यह कहा जाता है कि बाप की जायदाद में हक देने की बजाए लड़की को ससुर को जायदाद में हक दे दिया जाए तो social justice पूरा हो जाता है । लेकिन मैं इस बात के साथ agree नहीं करता । श्रीमती ओं प्रभा जैन ने भी मिसाल दे कर बताया था कि अगर एक लड़की अपनी शादी के 10 साल बाद मर जाती है और अपने शादी और मौत के दौरान के period में अपनी नई ज़मीन जायदाद को खुरद-बुरद कर जाती है । उसका खावद जब दूसरी शादी करेगा तो उस नई शादी वाली लड़की को सुसराल के हां से कैसे जायदाद मिलेगी । इस लिए लड़की का हक बाप की जायदाद में ही होना चाहिए । अब मैं दूसरी मिसाल पेश करता हूं कि सुसर की जायदाद में हक देने से क्या नुकस पैदा होगा

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी साधू राम]

वह यह है कि फर्ज़ करो एक बाप के चार बेटे हैं। दो उन में से शादी शुदा हैं और दो unmarried हैं। वह बाप मर जाता है। उस के बाद ज़मीन के इन्तकाल उस के चार लड़कों और दो daughter in-laws के नाम हो जाता है। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई हुई उन की जब शादी होगी तो उन लड़कीयों का ज़मीन कहां से मिलेगी। मुझे समझ नहीं आती कि social justice किस तरह हो सकेगा। हमारे constitution का fundamental असूल यह है कि सब को social justice मिले और economic equality हो। हमारी Central Government और State Governments जितने भी कानून बनाती है उन में under lying idea यही होता है। Economic equality लाने के लिए duties और income-tax वगैरह लगाए जाते हैं। गर्ज़ कि जितनी भी कानून बानए जाते हैं वह इस लिए बनाए जाते हैं कि economic उंच नीच जो है वह खत्म हो जाए। Hindu Succession Act के ज़रिए भी social justice दिया गया है। Economic equality लाने के लिए हम ज़मीन चाहिएं। स्पीकर साहिब फर्ज़ करो मैं गरीब आदमी हूं और कल को मेरे लड़के ज्यादा लिख पढ़ जाते हैं। जब वह लायक होंगें तो उन की शादी लाज़मी तौर पर किसी अमीर बाप की बेटी के साथ होगी। अगर लड़की का हक बाप की जायदाद में होगा तो उसे बाप से जायदाद मिल जाएगी और अगर सुसर की जायदाद में हक होगा तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा क्यों कि मेरे पास जब जायदाद होगी ही नहीं तो मैं दूगा कहां से। इस लिए लड़कियों का हिस्सा बाप की जायदाद में होना चाहिए।

जिस घर में जायदाद बहुत ज़यादा है वह ज़रा कम हो जाएगी और जिस घर में थोड़ी है या नहीं है उस में आ जाए गी और वहां addition हो जाएगी। इस तरीके से समाज में economic equality आएगी .... (*interruptions*) इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह resolution जो है यह इन दो fundamental असूलों यानी social justice और economic equality को पूरा नहीं करता है बल्कि इन के खिलाफ जाता है फिर एक बात और कही जाती है कि इस से जायदाद तकसीम हो जाएगी, यह कानून से consolidation of holdings का मकसद फौत हो जाएगा, ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इस तरह production पर असर पड़ेगा वगैरह वगैरह। मैं ने जहां तक इस कानून को पढ़ा है और समझने की कोशिश की है उसके मुताबिक मैं अर्ज़ करुंगा कि इस Hindu Succession Act का तकसीम अराज़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो सिर्फ ownership पैदा करता है। जायदाद को आगे तकसीम होने देना है या नहीं और ज़मीन की आगे fragmentation या division या sub-division रोकनी है या नहीं, यह State Government का काम है और वह fully empowered है कि बगैर Parliament को refer किए President को refer कए इस बारें में कानून बना सकती है कि आज की तारीख के बाद ज़मीन की further division, sub-division नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब है कि State Government इस बात पर पाबंदी कर सकतीं है और यह एकट कोई मनाही नहीं करता है कि ज़मीन को further fragmentation से न रोकी। फिर कहा जाता है कि इस से भाई और बहिन के प्यार और ताल्लुकात पर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

असर पड़ेगा और इस से हमारी तहज़ीबोतमद्दुन पर बुरा असर पड़ेगा । मैं इन अपने दोस्तों से जो ऐसी बातें करते हैं पूछना चाहता हुं कि क्या यह बात भारत की संस्कृति के खिलाफ है या यह हक में है कि हिन्दुस्तान की 50 फीसदी आबादी को बगैर किसी खून खराबे और agitation के हक दे दिया है । हिन्दुस्तान अगर आज़ाद हूआ तो इस आज़ादी को लाने में बहनों का भी उतना ही हिस्सा है जितना कि आदमियों का है । उन बहिनों ने आज़ादी की लड़ाई में किसी से कम कुरबानी नहीं की है और कम खून नहीं बहाया है । समाज के एक तबका के साथ जो इतनी देरीना बेइन्साफी हुई थी उसे हमारे देश के नेताओं ने पुलीटीकल ताकत हाथ में आते ही दूर किया । दुनिया की तारीख के अन्दर ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि. . . .

श्री अध्यक्ष आप इस तरह बोल रहे हैं जैसे कि किसी पब्लिक जलसा में तकरीर कर रहें हों । आप को मालूम होना चाहिए कि आप हाउस में बोल रहे हैं इस लिए parliamentary तरीका से अहिस्ता अहिस्ता नीची आवाज़ में बोलें या माइक को ज़रा पीछे हटा लें । (The hon. Member is speaking in such a way as if he were making a speech in some public meeting. He should know that he is addressing this House. He should speak in a parliamentary way slowly and in a low tone or he may keep the mike a little away.)

चौधरी साधू राम : जहां तक संस्कृति और तहज़ीब का सवाल है मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि हिन्दुस्तान बल्कि दुनिया की तारीख में यह पहली मिसाल है कि किसी पार्टी ने ताकत ले कर adult franchise सब को बिना किसी distinction के दे दिया है । यह भी पहली मिसाल है कि समाज के आधे हिस्से को बगैर किसी agitation के हिस्सा दे दिया है । मैं समझता हुं कि यह चीज़ ही भारतीय संस्कृति के मुताबिक है (घंटी) अच्छा स्पीकर साहिब, मैं बाकी चीज़ों को छोड़ कर आखिर में यही कहना चाहता हूं कि यह ठीक है और मैं मानता हुं कि इस कानून से बेचैनी है और शायद यह पहला कानून है जिस ने हर घर के अन्दर बेचैनी पैदा की है । लेकिन इस बेचैनी का इलाज यह नहीं जो इस resolution में बताया गया है । इस का इलाज तो यह है कि हम एक बात तो यह करें जैसा कि मैं ने पहले कहा है कि State Government fully empowered है कि वह ज़मीन की further fragmentation बंद कर सकती है । इस लिए आप इस बारे में कानून बना सकते हैं कि अब ज़मीन की आगे division और sub-division नहीं होगी । दूसरी बात यह करें कि co-operative farming system को ज्यादा से ज़्यादा लागू करें। किसी कानून से नहीं बल्कि इस तरीके से कि जिस के पास uneconomic holdings हैं उनको ज्यादा से ज्यादा रियातें दें, मालिया माफ करें, grants दें ताकि लोगों को कुछ encouragement मिले और वह uneconomic holdings को एक जगह इकटठा करके production बढ़ाएं । इन शब्दों के साथ मैं इस resolution की मुखालिफत करता हूं ।

GHNERAL PURPOSES COMMITTEE

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहिबान, आप जानते हैं कि हाउस के सामने अकसर ऐसे मामलात भी आ जाते हैं जो किसी कमेटी के scope में नहीं आते और वे किसी कमेटी को refer नहीं

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री अध्यक्ष]

किए जा सकते। इसी लिए मैं ने अब यह फैसला किया है कि लोक सभा के pattern पर हाउस की एक एसी कमेटी बना दी जाए जिस के सामने ऐसी बातें जो किसी कमेटी के scope में नहीं आती हैं, लाई जाएं। इस कमेटी का अभी gazette notification करना है लेकिन मैं ने आपकी information के लिए इस कमेटी की formation के बारे में announcement कर दी है। इस कमेटी का नाम लोक सभा की तरह General Purposes Committee होगा।

"There shall be a General Purposes Committee consisting of the Speaker, the Deputy Speaker, members of the Panel of Chairmen, Chairmen of all Committees of the Assembly, Leaders of recognised parties and groups in the Assembly and such other members as may be nominated by the Speaker.

The Speaker shall be the *ex officio* Chairman of the Committee.

The functions of the Committee shall be to consider and advise on such matters concerning the affairs of the House as may be referred to it by the Speaker from time to time.

In other respects, the general rules applicable to the Committees of the Assembly as given under Part I of this Chapter shall apply with such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as the Speaker may consider necessary or convenient."

यह कमेटी बड़ी powerful होगी क्योंकि इस के सामने तमाम ऐसे मामले आ जाएंगे जो किसी कमेटी के scope में नहीं आते हैं। इस कमेटी का gazette notification एक दो दिन में हो रहा है और इस कमेटी पर जो दूसरे मैम्बर साहिबान लिए जाएं गे उनके बारे में बाद में एलान कर दूगां।

(The hon. Members are aware that often such matters come before the House as do not fall within the scope of any of the existing Committees of the House and, therefore, cannot be referred to any Committee for consideration. I have now decided to form another Committee of the House on the Lok Sabha pattern to consider such matters as do not come within the purview of any other Committee. Although gazette notification of this Committee is yet to be issued, I have announced about its formation for the information of the hon. Members. This Committee will be known as the General Purposes Committee like that of the Lok Sabha.

"There shall be a General Purposes Committee consisting of the Speaker, the Deputy Speaker, Members of the Panel of Chairmen, Chairmen of all Committees of the Assembly, Leader of recognised parties and groups in the Assembly and such other Members as may be nominated by the Speaker.

The Speaker shall be the *ex officio* Chairman of the Committee.

The functions of the Committee shall be to consider and advise on such matters concerning the affairs of the House as may be referred to it by the Speaker from time to time.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

In other respects, the general rules applicable to the Committees of the Assembly as given under Part I of this Chapter shall apply with such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as the Speaker may consider necessary or convenient".

It will be a very powerful Committee because as I have already stated, all such matters would come before it as fall outside the scope of the other Committees of the House. The gazette notification of this Committee is being issued within a day or two. As regards other Members to be associated with this Committee I will make an announcement later on.)

RESOLUTION REGARDING AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956. ETC (RESUMPTION OF DISCUSSION—contd)

ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ (ਫਿਲੌਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੜੇ ਅਹਿਮ resolution ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਇਹ resolution ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਭਾਵੇਂ 10, 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਚਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ burning topic ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.......

(The hon. Member was still on his legs when the House adjourned.)

4.30 p.m.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Friday, the 1st April, 1960.)

8616 PVS—349—14-6-60—C.P. & S., Pb., Chandigarh

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha Debates

1st April, 1960.

Vol. 1. No. 31

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 1st April, 1960.

CHANDIGARH :

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab

1960

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I No. 31, DATED THE 1ST APRIL, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
अर्ज़	अज़	(31)2	13

Add the word "and" after the word Harijans, lines 4 and 5 in column 4 of the statement on pages 4 to 12.

Read	*for*	*on page*	*line*
whether	whethor	(31)9	1
which	wich	(31)10	2
Power	Pewer	(31)14	Left side margin
ਉਸ	ਉਨ੍ਹਾਂ	(31)25	13th from below
पूछ	पुछ	(31)32	15th from below
ਭੜੋਲੀਆਂ	ਭੜਲੀਅੰਅ	(31)35	12
Sein	S in	(31)39	9
reported	reparted	(31)62	7
is	i	(31)62	last line
other	others	(31)64	10th from below
अब	जब	(31)65	4th from below
की	के	(31)66	last line
ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ	ਖੁਦਖਮੁਤਾਰੀ	(31)70	13th from below
ਚਿੱਠੀ	ਚਿੱਟੀ	(31)72	4
ਵੇਲੇ	ਵੇਲ	(31)72	5
broad	board	(31)72	7th from below
panel	penal	(31)73	23
ਉਹ ਸੁਕ	ਉਸ ਸਬ	(31)74	7th from below
ਦੇ	ਤਂ	(31)74	4th from below

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Read	*for*	*on page*	*line*
suggestions	sug estions	(31)77	16th from below
discussion	discussio	(31)77	17th from below
ਸਾਡਾ	ਸਾਡੇ	(31)79	3
विद्युत	विधुत	(31)79	4th from below
"(" before the word 'सिंचाई' and ")" after the word 'हुए'		(31)79	4th from below
विद्युत	उद्योग	(31)80	4
पेशा	पशा	(31)82	16th from below
Add the word "ਨਹੀਂ" after the word "ਵਰੁਸਤ"		(31)84	13th from below
statement	tatement	(31)84	4th fr below
Delete the words "minimum consumption guarantee" after the word "ਅਮਲ"		(31)85	11
Minimum	Minisum	(31)85	14
areas	a eas	(31)89	21
Add the word "Cambridge" after the word "Senior"		(31)91	9th from below
Delete the word "Cambridge" after the word "ਚੀਫ਼"		(31)91	8th from below
से	में	(31)96	5
old	fold	(31)96	6
It	If	(31)107	41

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 1st April, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 9.30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

POINT OF ORDER

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅਜ ਦਾ business ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ Assembly adjourn ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ sitting ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੈ ?

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि मेरी भी यही सलाह है कि आज non-stop sitting होनी चाहिये और मैं ने फैसला किया है कि जितना business है वह खत्म किया जायेगा चाहे रात के २ बज जाएँ । (The thing is that I am also of the view that we should have a non-stop sitting to-day and I have decided that whatever business is with us may be finished even if we may have to sit late till 2 o' clock in the small hours of the night.)

पंडित श्री राम शर्मा : आप गवर्नमैंट से तो पूछ लें ।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमैंट ने तो मुझे बताया नहीं । (Government have not informed me anything about it.)

वित्त मंत्री : मैं समझता हूँ कि मेम्बरान ने undue advantage उठाना शुरू कर दिया है । इस लिये आज सारी कार्रवाई खत्म कर दें क्योंकि मेम्बर साहिबान भी तंग आए हुए हैं और घरों को जाना चाहते हैं । अगर आप आज खत्म नहीं करेंगे तो फिर हम 19 तारीख को फिर sitting करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मेरी सलाह है कि खत्म करें आज ही । (I think we should finish all the business to-day.)

(*Mixed voices of resentment and surprise.*)

Sardar Bhupinder Singh Mann: Sir, I rise on a Point of Order. It has been specifically provided in the Rules of Procedure of this House that the Assembly may be adjourned from time to time by its own order through a specific motion moved by a Minister, preferably by the Leader of the House when he should assure the House that valid reasons exist for its adjournment otherwise I would consider it to be a disrespect for the House as well as the Leader of the House, if it is decided to have a non-stop sitting today and then to adjourn all of a sudden.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬਿਲ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ agenda ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਨਾ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ discussion ਕਰਨਾ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਲਗਾਤਾਰ 2 ਬਜੇ ਤਕ session ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ।

डाक्टर बल्देव प्रकाश : रात को दो बजे तक sitting खत्म करने की policy ग़लत है ।

वित्त मंत्री : जनाब मैं ने तो अर्ज़ कर दिया कि आज ही adjourn कर दें तो सारा काम आज ही खत्म हो जाये लेकिन 4 तारीख की adjournment के लिये अगर हाउस की मर्ज़ी हो तो मैं हाउस के लीडर साहिब से अर्ज़ करूँगा कि वह motion लाएँ ।

Mr. Speaker: Today is the 1st of April I had to say all this and I have said. (Laughter)

(सरदार भूपेन्द्र सिंह मान से) आप के point of order की ruling आ गई । (Today is the 1st April. I had to say all this and I have said. (*Addressing Sardar Bhupinder Singh Mann*) I hope the hon. Member is satisfied with my ruling on his point of order.)

Sardar Bhupinder Singh Mann: Very convincing ,Sir.

***Supplementaries to Starred Question No. 5284.**

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ irrigation facility ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ?

Deputy Minister (Shri Dalbir Singh): I read out the relevant portion of the reply again:

"Lift irrigation has been provided for irrigating 625 acres of land in Una Tehsil between the River Sutlej and Nangal Hydel Canal. There is another scheme under investigation for irrigating approximately 8,000 acres of land in Una Tehsil between the River Sutlej and Nangal Hydel Canal."

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆ . ਜੋ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਦ ਤਕ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ?

उप मन्त्री : Under consideration है। जब स्कीम finalize हो जायेगी तो उस के बाद अमल किया जायेगा ।

---

*Note—Starred question No. 5284 alongwith its reply appears in the Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. I No. 30 dated 31st March, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਹੈ ?

उप मन्त्री : जी हां ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जो राम पुरा सीड फार्म के लिए दस हज़ार रुपया रखा था उस का क्या बना ?

उप मन्त्री : इस का Irrigation Department के tube-wells से कोई ताल्लुक नहीं ।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

AREA TO BE IRRIGATED BY BHARAN MINOR

***5499. Shri Mangal Sain:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date when Bharan Minor of Bhiwani Branch was dug and the date when water was let into it; (b) the area of land likely to be irrigated by the said minoı ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister): There is no Bharan Minor. There is , however, Bharam Minor, information in respect of which is as under:—

(a) This minor was dug in 1957-58. It has not so far been opened for irrigation as this is meant for Post-Bhakra stage, when Rabi waters for Sirsa Branch will be available from Bhakra and corresponding Rabi discharge will be available for converting non-perennial areas to perennial.

(b) 2641 acres on full development.

श्री मंगल सेन : मेरे सवाल के जवाब में उप मंत्री महोदय ने कहा कि minor 1957-58 में खोदा । मैं पूछता हूँ कि पानी न लाने के क्या कारण हैं ?

उप मन्त्री : इसी में बताया है कि जब पानी available होगा दिया जायेगा ।

श्री मंगल सेन : कब तक available हो जायेगा ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : जब reservoir में पानी होगा तो हम non-perennial को perennial बना सकेंगे ।

श्री मंगल सेन ; क्या कोई approximate date बताई जा सकती है ?

मन्त्री : approximate date नहीं बताई जा सकती ।

मुख्य मंत्री : जब बारिशें बहुत ज्यादा हो जायेंगी ।

CONSOLIDATION OF LAND HOLDINGS IN VILLAGES IN DISTRICT SANGRUR

***5573. Sardar Rajinder Singh:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of those villages tahsilwise, in district Sangrur where the consolidation of land holdings has been completed;

(b) whether any land was reserved for the Harijans and other Community purposes in the villages referred to in part (a) above at the time of consolidation;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Sardar Rajinder Singh]

(c) if the answer to part (b) above be in the affirmative whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayats, separately, in each of the said villages?

Rao Birendar Singh:

(a) Lists enclosed.

(b) Yes.

(c) The requisite information is embodied in the enclosed statement at annexure 'A'.

Statement regarding Consolidation of Holdings tahsil-wise in villages in respect of Settlement Office, Circle Sangrur, District Sangrur.

TAHSIL MALERKOTLA

Serial No.	Name of Tahsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayat	REMARKS
1	Malerkotla	Bhalwan	Yes	Yes	
2	Do	Chunda	Do	Do	
3	Do	Dheromajra	Do	Do	
4	Do	Gowara	Do	Do	
5	Do	Manwala	Do	Do	
6	Do	Balian	Do	Do	
7	Do	Kumbarwal	Do	Do	
8	Do	Kanjla	Do	Do	
9	Do	Bugra	Do	Do	
10	Do	Niamatpur	Do	Do	
11	Do	Jahall	Do	Do	
12	Do	Amargarh	Do	Do	
13	Do	Dialpura	Do	Do	
14	Do	Junda	Do	Do	
15	Do	Sehke	Do	Do	
16	Do	Chandigarh	Do	Do	
17	Do	Hanssanpura	Do	Do	
18	Do	Jagowal	Do	Do	
19	Do	Bhumsi	Do	Do	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Tahsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchyat	REMARKS
20	Malerkotla	Jalagarh ..	Yes ..	Yes	
21	Do	Bhatian Kalan ..	Do ..	Do	
22	Do	Giga Majra ..	Do ..	Do	
23	Do	Bhatian Khurd ..	Do ..	Do	
24	Do	Dault Pure ..	Do ..	Do	
25	Do	Bagrian ..	Do ..	Do	
26	Do	Mahala ..	Do ..	Do	
27	Do	Mahali ..	Do ..	Do	
28	Do	Rurki Kalan ..	Do ..	Do	
29	Do	Gajjan Majra ..	Do ..	Do	
30	Do	Jabomajra ..	Do ..	Do	
31	Do	Mahorana ..	Do ..	Do	
32	Do	Tolewal ..	Do	Do	
33	Do	Rurki Khurd ..	Do ..	Do	
34	Do	Ladewal ..	Do ..	Do	
35	Do	Jatuan ..	Do ..	Do	
36	Do	Narike ..	Do ..	Do	
37	Do	Badla ..	Do ..	Do	
38	Do	Salar ..	Do ..	Do	
39	Do	Banbora ..	Do ..	Do	
40	Do	Bhularan ..	Do ..	Do	
41	Do	Bhari Mansa ..	Do ..	Do	
42	Do	Togaheri ..	Do ..	Do	
43	Do	Tampur Bhindran	Do ..	Do	
44	Do	Chatriwala ..	Do	Do	
45	Do	Kandargarh ..	Do ..	Do	
46	Do	Rampur Chanan ..	Do ..	Do	
47	Do	Kheri Sodian ..	Do ..	Do	
48	Do	Rai pur ..	Do ..	Do	
49	Do	Alipur ..	Do ..	Do	
50	Do	Mula Badha ..	Do	Do	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for irrigation and Power]

Serial No.	Name of Tahsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchyat	REMARKS
51	Malerkotla	Bhathan ..	Yes ..	Yes	
52	Do	Burj Bagal Singh ..	Do ..	Do	
53	Do	Mohd Pur ..	Do ..	Do	
54	Do	Chaproda ..	Do ..	Do	
55	Do	Nagal ..	Do ..	Do	
56	Do	Hadargarh ..	Do ..	Do	
57	Do	Sarwar Pure ..	Do ..	Do	
58	Do	Binjoke Kalan ..	Do ..	Do	
59	Do	Malu Majra ..	Do ..	Do	
60	Do	Kheri. Jathan ..	Do ..	Do	
61	Do	Lohar Majra ..	Do ..	Do	
62	Do	Baban Pure ..	Do ..	Do	
63	Do	Burj Gowra ..	Do	Do	
64	Do	Issi ..	Do ..	Do	
65	Do	Tatogal	Do ..	Do	
66	Do	Jain Pure ..	Do ..	Do	
67	Do	Sammld Garh ..	Do ..	Do	
68	Do	Bhuller Heri ..	Do ..	Do	
69	Do	Dhandra ..	Do ..	Do	
70	Do	Badhal Badh ..	Do ..	Do	
71	Do	Kaulsari ..	Do	Do	
72	Do	Ruldu Singh Wala	Do ..	Do	
73	Do	Barwar wal ..	Do ..	Do	
74	Do	Chieman ..	Do ..	Do	
75	Do	Mimsa ..	Do	Do	
76	Do	Isra ..	Do ..	Do	
77	Do	Banbori ..	Do ..	Do	
78	Do	Balewal ..	Do ..	Do	
79	Do	Plasur ..	Do ..	Do	
80	Do	Rijindra Puri ..	Do ..	Do	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Tahsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayat	REMARKS
81	Malerkotla	Bhojowali ..	Yes ..	Yes	
82	Do	Bhasure ..	Do ..	Do	
83	Do	Sherpure Sodian ..	Do ..	Do	
84	Do	Banganwali ..	Do ..	Do	
85	Do	Manan ..	Do ..	Do	
86	Do	Bamal ..	Do ..	Do	
87	Do	Jatimajra ..	Do ..	Do	
88	Do	Balamgarh ..	Do ..	Do	
89	Do	Jahagir ..	Do ..	Do	
90	Do	Kehru ..	Do ..	Do	
91	Do	Harchandpura ..	Do ..	Do	
92	Do	Dhulwan ..	Do ..	Do	
93	Do	Heri Ke ..	Do ..	Possession has not been transferred so far in this village. The possession of land reserved for Harjans and other community purposes will be given to the Harijans and the Village Panchayat, separately, when the possessions of other land will be transferred.	
94	Do	Benra ..	Do ..	Ditto	
95	Do	Budhra Heri ..	No	No	Being Bechiragh village
96	Do	Kanjla ..	Yes ..	Yes	
97	Do	Rajomajra ..	Do ..	Do	
98	Do	Kakarwal ..	Do ..	Do	
99	Do	Guram ..	Do ..	Do	
100	Do	Adamwal ..	Do ..	Do	
101	Do	Bijoki Khurd ..	Do ..	Do	
102	Do	Manvi ..	Do ..	Do	
103	Do	Bhula Pure ..	Do ..	Do	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for irrigation and Power]

Serial No.	Name of Tahsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayat	REMARKS
104	Malerkotla	Salampure ..	Yes ..	Yes	
105	Do	Langrian ..	Do ..	Do	
106	Do	Daulawal ..	Do ..	Do	
107	Do	Ratolan ..	Do ..	Do	
108	Do	Mankmajra ..	Do	Do	
109	Do	Upal Kheri ..	Do ..	Do	
110	Do	Dhura ..	Do ..	Do	
111	Do	Mirheri ..	Do ..	Do	
112	Do	Deohla ..	Do ..	Do	
113	Do	Dedargarh ..	Do ..	Do	
114	Do	Ranikey ..	Do ..	Do	
115	Do	Ladda ..	Do ..	Do	
116	Do	Kalbula ..	Do ..	Do	
117	Do	Ganuari Khurd ..	Do ..	Do	
118	Do	Sultan Pure ..	Do ..	Do	
119	Do	Dandiwal ..	Do ..	Do	
120	Do	Mulowal ..	Do ..	Do	
121	Do	Hasanpure ..	Do ..	Do	
122	Do	Natt ..	Do ..	Do	
123	Do	Pedni Kalan	Do ..	Do	
124	Do	Badsha Pure ..	Do ..	Do	
125	Do	Punawal ..	Do ..	Do	
126	Do	Allal ..	Do ..	Do	
127	Do	Jaklan ..	Do ..	Do	
		Tehsil Sangrur			
1	Sangrur	Bald Kalan ..	Yes	Yes	
2	Do	Aloark ..	Do ..	Do	
3	Do	Bhatiwal Kalan ..	Do ..	Do	
4	Do	Bald Khurd ..	Do ..	Do	
5	Do	Bhatiwal Khurd ..	Do ..	Possessions have not been transferred so far in this village.	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Tehsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans other community purpose	Whethor the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayat	REMARKS
6	Sangrur	Nidampure ..	Yes ..	Yes	
7	Do	Chano ..	Do ..	Do	
8	Do	Phamalwal ..	Do ..	Do	
9	Do	Surgeri ..	Do ..	Do	
10	Do	Akberpore ..	Do ..	Do	
11	Do	Kapail ..	Do ..	Do	
12	Do	Batriana ..	Do ..	Do	
13	Do	Chanari ..	Do ..	Do	
14	Do	Basiark ..	Do ..	Do	
15	Do	Matran ..	Do ..	Do	
16	Do	Kaljhar ..	Do ..	Do	
17	Do	Shahpur ..	Do	Do	
18	Do	Baktra ..	Do ..	Do	
19	Do	Majhi ..	Do ..	Do	
20	Do	Tura ..	Do ..	Do	
21	Do	Kakra ..	Do ..	Do	
22	Do	Noorpura ..	Do	Do	
23	Do	Nandgarh ..	Do ..	Do	
24	Do	Rampura ..	Do ..	Do	
25	Do	Majha ..	Do ..	Do	
26	Do	Sakrodi ..	Do ..	Do	
27	Do	Baktra ..	Do ..	Do	
28	Do	Gabdan ..	Do ..	Do	
29	Do	Phaguwala ..	Do ..	Do	
30	Do	Hardt Pura ..	No	No	Being sole ownership
31	Do	Jahlian ..	Yes ..	Yes	
32	Do	Kheri Gillan ..	Do	Do	
33	Do	Parsiwan ..	Do ..	Do	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of Tahsil	Name of village in wich C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayat	REMARKS
34	Sangrur	Munsiwala ..	Yes ..	Yes	
35	Do	Dailgarh ..	Do	Do	
36	Do	Sangatpura ..	Do ..	Do	
37	Do	Fatehgarh Sadson	Do ..	Do	
38	Do	Bemsi ..	Do ..	Do	
39	Do	Rajpura ..	Do ..	Do	
40	Do	Ditupure ..	Do ..	Do	
41	Do	Lekewal ..	Do ..	Do	
42	Do	Massani ..	Do ..	Do	
43	Do	Rai Singh wala ..	Do ..	Do	
44	Do	Johlian ..	Do ..	Do	
45	Do	Bakepir ..	Do ..	Do	
46	Do	Bimber ..	Do ..	Do	
47	Do	Delewal ..	Do ..	Do	
48	Do	Nakta	Do ..	Do	
49	Do	Bijalpure ..	Do ..	Do	
50	Do	Ram Nagar ..	Do ..	Do	
51	Do	Mangwal ..	Do ..	Do	
52	Do	Tung ..	Do ..	Do	
53	Do	Ghabdan ..	Do ..	Do	
54	Do	Ram Nagar Siban	Do ..	Do	
55	Do	Kanoi ..	Do ..	Do	
56	Do	Nanak Pura ..	No	No	Being sole ownership
57	Do	Naniakiana Sahib	Do ..	Do	
58	Do	Rasul Pura ..	Yes ..	Yes	
59	Do	Nandgarh ..	Do ..	Do	
60	Do	Baganwali ..	Do ..	Do	
61	Do	Fatehgarh Channa	Do ..	Do	
62	Do	Thelas ..	Do ..	Do	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Tehsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayat	REMARKS
63	Sangrur	Sangrur ..	Yes ..	Yes	
64	Do	Laddi ..	Do ..	Do	
65	Do	Kheri Chanduan ..	Do	Do	
66	Do	Harkishan Pura ..	No ..	No	Being Becharagh village.
67	Do	Kaludi ..	Yes	Yes	
68	Do	Deh Kalan ..	Do ..	Do	
69	Do	Kamomajra Kalan ..	Do ..	Do	
70	Do	Gurdas Pura ..	No ..	No	Being sole ownership
71	Do	Balwar Kalan ..	Yes ..	Yes	
72	Do	Sajuma ..	Do ..	Do	
73	Do	Ramgarh ..	Do ..	Do	
74	Do	Santokh Pura ..	No ..	No	These villages have been consolidated under the co-operative Act.
75	Do	Bharaj ..	No	No	
76	Do	Mehsem Pure ..	No ..	No	
77	Do	Roshan Wala ..	Yes ..	Yes	
78	Do	Uppli ..	Do ..	Do	
79	Do	Khurana ..	Do ..	Do	
80	Do	Khurani ..	Do ..	Do	
81	Do	Rupaheri ..	Do ..	Do	
82	Do	Gagar Pure ..	Do ..	Do	
83	Do	Kamomajra Khurd	Do ..	Do	
84	Do	Kular Khurd ..	Do ..	Do	
85	Do	Balian ..	Do ..	Do	
86	Do	Bhinran ..	Do ..	Do	
87	Do	Nagra ..	Do	Do	
88	Do	Illwal ..	Do ..	Do	
89	Do	Ratoke ..	Do ..	Do	
90	Do	Takipure ..	Do ..	Do	
91	Do	Sheoke ..	Do	Do	
92	Do	Loha Khera ..	Do ..	Do	
93	Do	Mander Kalan ..	Do ..	Do	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of Tahsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayat	REMARKS
94	Sangrur	Mander Khurd ..	Yes ..	Yes	
95	Do	Dhdrian ..	Do ..	Do	
96	Do	Lidra ..	Do ..	Do	
97	Do	Khlirian ..	Do ..	Do	
98	Do	Anderi ..	Do ..	Do	
99	Do	Bhamabadi ..	Do ..	Do	
100	Do	Bhadar Pure ..	Do ..	Joint Possession has been given to the village Panchayat for the land reserved for Harijans for their extension of Abadi.	
101	Do	Khurana ..	Do ..	Yes	
102	Do	Kila Bhrian ..	Do ..	Do	
103	Do	Changal ..	Do ..	Do	
104	Do	Duggan ..	Do	Do	
105	Do	Jarsraon ..	Do ..	Do	
106	Do	Tolewal ..	Do ..	Do	
107	Do	Satuj ..	Do ..	Do	
108	Do	Phelra ..	Do ..	Do	
109	Do	Fetgarh ..	Do ..	Do	
110	Do	Shafi Khurd ..	Do ..	Do	
111	Do	Ghasiwala ..	Do ..	Do	
112	Do	Sansar Pura ..	Do ..	Do	
113	Do	Bhrur ...	Do ..	Do	
114	Do	Jakhepal bas ..	Do ..	Do	
115	Do	Nilowal ..	Do ..	Do	
116	Do	Dhaliwal was ..	Do ..	Do	
117	Do	Rattan garh ..	Do ..	Do	
118	Do	Baksiwala ..	Do ..	Do	
119	Do	Kotra Amru ..	Do ..	Do	
120	Do	Ugrahan ..	Do ..	Do	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Tehsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans/other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayat	REMARKS
		TEHSIL SANGRUR—*contd*			
121	Sangrur	Chau bas	Yes	Yes	
122	Do	Humbal bas	Do	Do	
123	Do	Dula Singhwala	Do	Do	
124	Do	Nagla	Do	Do	
125	Do	Khokhar	Do	Do	
126	Do	Ramgarh Sinduan	Do	Do	
127	Do	Sant Pura	Do	Do	
128	Do	Khangarh	Do	Do	
129	Do	Khanpure Faqiran	Do	Do	
130	Do	Sular	Do	Do	
131	Do	Gobindpura Nagri	Do	Do	
132	Do	Ghanur Jettan	Do	Do	
133	Do	Ganur Rajputan	Do	Do	
134	Do	Dhandoli Kalan	Do	Do	
135	Do	Janal	Do	Do	
136	Do	Gujjran	Do	Do	
137	Do	Shafipure Khurd	Do	Do	
138	Do	Munsiwala	Do	Do	
139	Do	Shial	Do	Do	
140	Do	Khanal Khurd	Do	Do	
141	Do	Kaim Pure	Do	Do	
142	Do	Toorbanjara	Do	Do	
143	Do	Dialgarh Jajian	Do	Do	
144	Do	Kamal Pure	Do	Do	
145	Do	Samuran	Do	Do	
146	Do	Begrual	Do	Do	
147	Do	Ladbanjara Kalan	Do	Do	
148	Do	Dandial	Do	Do	
149	Do	Rattan garh Sindran	Do	Do	
150	Do	Ram pure Gujjran	Do	Do	
151	Do	Dharam garh Chanan	Do	Do	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for irrigation and Pewer]

Serial No.	Name of Tehsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans/ other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayat	REMARKS
		TEHSIL SANGRUR—*concld*			
152	Sangrur	Kaku Wala ..	Yes	Yes	
153	Do	Rogla ..	Do	Do	
154	Do	Harigarh ..	Do	Do	
155	Do	Kahrian ..	Do	Do	
156	Do	Karial ..	Do	Do	
157	Do	Ladbanjara Kalan ..	Do	Do	
158	Do	Shadi Heri ..	Do	Do	
159	Do	Mard Khera ..	Do	Do	
160	Do	Akal Garh ..	Do	Do	
161	Do	Ramgarh Jabandan	Do	Do	
162	Do	Biggerwal ..	Do	Do	
163	Do	Sangtiwala ..	Do	Do	
164	Do	Rotolan ..	Do	Do	
165	Do	Chatta Nakta ..	Do	Do	
166	Do	Khai ..	Do	Do	
167	Do	Laddal ..	Do	Do	
168	Do	Bhani ..	Do	Do	
169	Do	Chajla ..	Do	Do	
170	Do	Pahaur Bhaikey ..	Do	Do	
171	Do	Madewas ..	Do	Do	
172	Do	Mojowal ..	Do	Do	
173	Do	Changaliwala ..	Do	Do	
174	Do	Chatha Sakhwan ..	Do	Do	
175	Do	Soian ..	Do	Do	
176	Do	Mohamdpur Rasaldarwala	Do	Do	
177	Do	Bakhaura Khurd ..	Do	Possessions have not been transferred so far in these villages The possession of land reserved for Harijans and other community purposes will be given to the Harijans and village Panchayats separately when the possession of the other land will be transferred.	
178	Do	Rampur Jwaharwala	Do		
179	Do	Ali Sher ..	Do		
180	Do	Kalia ..	Do		
181	Do	Alampur ..	Do		
182	Do	Togewal ..	Do		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Tehsil	Name of village in which C/H work has been completed	Whether any land was reserved for Harijans/ other community purposes	Whether the possession of the said land has been given to the Harijans and the village Panchayat	REMARKS
183	Sangrur	Akoi ..	Yes	Yes	
		TEHSIL JIND			
1	Jind	Ram Rai ..	Yes	As serial No. 177 to 182 of Tehsil Sangrur	
2	Do	Julani ..	Do		
3	Do	Intal Kalan ..	Do		
4	Do	Gun Kali ..	Do	Yes	
5	Do	Jalalpura Kalan ..	Do	Do	
6	Do	Hathwala ..	Do	Do	
7	Do	Deorar ..	Do	Do	
8	Do	Pokharkheri ..	Do	Do	
9	Do	Baganwal ..	Do	Do	
10	Do	Jalalpura Khurd ..	Do	Do	
11	Do	Ahirka ..	Do	Do	
12	Do	Amarheri ..	Do	Do	
13	Do	Akalgarh ..	Do	Do	
14	Do	Qilla Zafargarh ..	Do	Do	
15	Do	Pauli ..	Do	Do	

Statement in respect of S.O C/H Circle, Barnala

Serial No.	Name of village	Area reserved for Harijans	Whether the possessions have been transferred or not	Area reserved for other community purposes	Whether the possessions have been transferred or not
	TEHSIL BARNALA				
1	Mohd Pura ..	Yes	Yes	Yes	Yes
2	Bahmnian ..	Do	Do	Do	Do
3	Rajgarh ..	Do	Do	Do	Do
4	Khili ..	Do	Do	Do	Do
5	Kutba ..	Do	Do	Do	Do
6	Kasba Bhural ..	Do	Do	Do	Do
7	Gobindgarh ..	Do	Do	Do	Do

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of village		Area reserved for Harijans	Whether the possessions have been transferred or not	Area reserved for other community purposes	Whether the possessions have been transferred or not
	TEHSIL BARNALA—contd					
8	Naraingarh	..	Yes	Yes	Yes	Yes
9	Sadowala	..	Do	Do	Do	Do
10	Chhiniwal Khurd	..	Do	Do	Do	Do
11	Dewana	..	Do	Do	Do	Do
12	Moom	..	Do	Do	Do	Do
13	Gehal	..	Do	Do	Do	Do
14	Mahal Khurd	..	Do	Do	Do	Do
15	Mahal Kalan	..	Do	Do	Do	Do
16	Kalal Majra	..	Do	Do	Do	Do
17	Gangohar	..	Do	Do	Do	Do
18	Dhaner	..	Do	Do	Do	Do
19	Kalas	..	Do	Do	Do	Do
20	Jalaldiwal	..	Do	Do	Do	Do
21	Chak Bhaika	..	Do	Do	Do	Do
22	Raiser	..	Do	Do	Do	Do
23	Chohanke Kalan	..	Do	Do	Do	Do
24	Dhurkote	..	Do	Do	Do	Do
25	Chak Rohi	..	No	..	Do	Do
26	Gagewal	..	Yes	Yes	Do	Do
27	Chung	..	Do	Do	Do	Do
28	Kurar	..	Do	Do	Do	Do
29	Bhadal Wadh	..	Do	Do	Do	Do
30	Sahaur	..	Do	Do	Do	Do
31	Bazidke Kalan	..	Do	Do	Do	Do
32	Bazidke Khurd	..	Do	Do	Do	Do
33	Amla Singhwala	..	No	..	Do	Do
34	Chuhanke Khurd	..	Yes	Yes	Do	Do
35	Sehjra	..	Do	Do	Do	Do
36	Naiwala	..	Do	Do	Do	Do

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of village		Area reserved for Harijans	Whether the possessions have been transferred or not	Area reserved for other community purposes	Whether the possessions have been transferred or not
	TEHSIL BARNALA—*contd*					
37	Patti Sekhwan	..	Yes	Yes	Yes	Yes
38	Kera	..	Do	Do	Do	Do
39	Malian	..	Do	Do	Do	Do
40	Harbanspura	..	No	..	Do	Do
41	Sekha	..	Yes	Yes	Do	Do
42	Kalala	..	Do	Do	Do	Do
43	Bhotna	..	Do	Do	Do	Do
44	Bhidhata	..	Do	Do	Do	Do
45	Raisar Punjab	..	Do	Do	Do	Do
46	Bakhatgarh	..	Do	Do	Do	Do
47	Phulewala	..	Do	Do	Do	Do
48	Nainewala	..	Do	Do	Do	Do
49	Sandhu Kalan	..	Do	Do	Do	Do
50	Sandhu Khurd	..	Do	Do	Do	Do
51	Chhana Gulab Singh	..	Do	Do	Do	Do
52	Khark Singhwala	..	Do	Do	Do	Do
53	Deepgarh	..	Do	Do	Do	Do
54	Majoke	..	Do	Do	Do	Do
55	Alkra	..	Do	Do	Do	Do
56	Ramgarh	..	Do	Do	Do	Do
57	Kattu	..	Do	Do	Do	Do
58	Upli	..	Do	Do	Do	Do
59	Harigarh	..	Do	Do	Do	Do
60	Bhaini Jassa	..	Do	No	Do	No
61	Bhaini Maharaj	..	Do	Yes	Do	Yes
62	Kahneke	..	Do	Do	Do	Do
63	Dangarh	..	Do	Do	Do	Do
64	Fategarh Chhana	..	Do	Do	Do	Do
65	Tajoke	..	Do	Do	Do	Do
66	Balloke	..	Do	Do	Do	Do

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for irrigation and Power]

Serial No.	Name of village		Area reserved for Harijans	Whether the possessions have been transferred or not	Area reserved for other community purposes	Whether the possessions have been transferred or not
	TEHSIL BARNALA—*contd*					
67	Khudi Khurd	..	Yes	Yes	Yes	Yes
68	Rura Khurd	..	Do	No	Do	No
69	Alike	..	Do	Do	Do	Do
70	Ghunas	..	Do	Do	Do	Do
71	Tappa	..	Do	Do	Do	Do
72	Draj	..	..	..	Do	Yes
73	Patti Khatar	..	..	..	Do	No
74	Mehta	..	..	..	Do	Yes
75	Dhingar	..	..	..	Do	Do
76	Burj Fatehgarh	..	..	..	Do	Do
77	Jamal Singhwala	..	..	..	Do	Do
78	Bhure	..	..	..	Do	Do
79	Pandher	..	..	..	Do	Do
80	Rajia	..	..	..	Do	Do
81	Bhaini Fatta	..	Yes	Yes	Do	Do
82	Kuba	..	..	..	Do	Do
83	Badhar	..	Yes	Yes	Do	Do
84	Badra	..	..	..	Do	Do
85	Aspalkalan	..	Yes	No	Do	No
86	Aspal Khurd	..	..	..	Do	Do
87	Kaleke	..	Yes	No	Do	Do
88	Daraka	..	Do	Yes	Do	Yes
89	Bapla	..	Do	Do	..	..
90	Lohgar	..	Do	Do	..	..
91	Chhpa	..	Do	Do	..	..
92	Mithowal	..	Do	Do	..	..
93	Nehaluwal	..	Do	Do	..	..
94	Hardaspura	..	Do	Do	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of village	Area reserved for Harijans	Whether the possessions have been transferred or not	Area reserved for other community purposes	Whether the possessions have been transferred or not
		TEHSIL BARNALA—*concld*			
95	Pandori ..	Yes	Yes	..	..
96	Rajgarh ..	Do	Do	..	..
97	Bhathla ..	Do	Do	..	..
98	Attargarh ..	..	..	Yes	Yes
99	Karamgarh ..	Yes	Yes	Do	Do
100	Dhilwan Patiala ..	Do	Do	Do	Do
101	Dhilwan Nabha ..	Do	Do	Do	Do
102	Khudi Kalan ..	Do	Do	Do	Do
103	Jodhpura ..	Do	Do	Do	Do
104	Chima ..	Do	Do	Do	Do
105	Mauram Patiala ..	Do	Do	Do	Do
106	Pakho ..	Do	Do	Do	Do
107	Ugoke ..	Do	Do	Do	Do
108	Pharwahi ..	Do	Do	Do	Do
109	Dhanaula Khurd ..	Do	Do	Do	Do
110	Patti Sohlan ..	..	..	..	..
111	Harigarh ..	..	..	..	..
112	Rasulpur ..	..	..	..	..
113	Patti Daraka ..	..	..	..	..
		TEHSIL MALERKOTLA			
1	Hamidi ..	Yes	Yes	Yes	Yes
2	Mangwal ..	Do	Do	Do	Do
3	Kheri Chahla ..	Do	Do	Do	Do
4	Tibba ..	Do	Do	Do	Do
5	Jalur ..	Do	Do	Do	Do
6	Sherpur ..	Do	Do	Do	Do
7	Ghanauri Kalan ..	Do	Do	..	..
8	Kuthala ..	Do	Do	..	..
9	Panjgraiyan ..	Do	Do	..	..
10	Hathan ..	Do	Do	..	..
11	Buraj ..	Do	Do	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of village		Area reserved for Harijans	Whether the possessions have been transferred or not	Area reserved for other community purposes	Whether the possessions have been transferred or not
	TEHSIL MALERKOTLA—*contd*					
12	Rurgarh	..	Yes	Yes	..	..
13	Gobindgarh	..	..	..	Yes	Yes
14	Gumti	..	Yes	Yes	Do	Do
15	Thuliwal	..	Do	Do	..	..
16	Katron	..	Do	Do	..	..
17	Chhokran	..	..	..	..	..
18	Chandu Rayan	..	..	..	..	..
19	Nangal	..	Yes	Yes	..	..
20	Changli	..	Do	Do	..	..
21	Minal	..	Do	Do	..	..
22	Mohdpur	..	Do	Do	..	..
23	Bari	..	Do	Do	..	..
24	Mubarakpur	..	..	..	..	..
25	Keri Khurd	..	Yes	Yes	..	..
26	Bhagwanpura	..	Do	Do	..	..
27	Thulewal	..	Do	Do	..	..
28	Takhar Kalan	..	..	..	..	..
30	Bazidpur	..	Yes	Yes	..	..
31	Saddopur	..	..	..	..	..
32	Amamgarh	..	..	..	..	..
33	Phawahi	..	Yes	Yes	..	..
34	Bhodan	..	Do	Do	..	..
35	Sakanderpura	..	Do	Do	..	..
36	Himtana	..	..	..	..	..
37	Issapur	..	Yes	Yes	..	..
38	Khurd	..	Do	Do	..	..
39	Kelon	..	..	..	..	..
40	Hussainpura	..	..	..	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of village	Area reserved for Harijans	Whether the possessions have been transferred or not	Area reserved for other community purposes	Whether the possessions have been transferred or not
41	Sherwani Kot ..	..	..	..	..
42	Ahan Kehri ..	..	..	..	..
43	Kanganpur ..	..	..	..	..
44	Patti Khalil ..	Yes	Yes	..	..
45	Kuram ..	..	..	..	..
46	Ataulapur ..	..	..	..	..
47	Rurka ..	..	..	..	..
48	Mahbubpura ..	..	..	..	..
49	Alipur Khalsa ..	Yes	Yes	..	..
50	Ramgarh ..	..	..	..	..
51	Jitwala Kalan ..	..	..	..	..
52	Jalwana ..	..	..	..	..
53	Jatiwal ..	..	..	..	..
54	Mitoi ..	..	..	..	..
55	Rasulpur ..	..	..	..	..
56	Bazidgarh ..	..	..	..	..
57	Nathu Heri ..	..	..	..	..
58	Albelpura ..	..	..	..	..
59	Ibrahimpura ..	..	..	..	..
60	Azimabad ..	..	..	..	..
61	Man Kheri ..	..	..	..	..
62	Abdulapur ..	..	..	..	..
63	Manki ..	..	..	..	..
64	Faujewala ..	..	..	..	..
65	Dulwan Kalan ..	..	..	..	..
66	Shekhupur Kalan ..	..	..	..	..
67	Dhano ..	..	..	..	..
68	Daria Pur ..	..	..	..	..
69	Ahmed Pur ..	..	..	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of village	Area reserved for Harijans	Whether the possessions have been transferred or not	Area reserved for other community purposes	Whether the possessions have been transferred or not
70	Chaner	..	..	..	..
71	Jitwala Khurd	..	..	..	..
72	Moholi Khurd	..	..	..	..
73	Sandaur	..	..	..	..
74	Meholi Kalan	..	..	..	..
75	Pharwali	..	..	..	..
76	Kishangarh	..	..	..	..
77	Kalian	..	..	..	..
78	Kalsian	..	..	..	..
79	Lohatbadi	..	..	..	..
80	Faridpur	..	..	..	..
81	Mohd Nagar	..	..	..	..
82	Shekhupur Khurd	..	..	..	..
83	Sultanpur	..	..	..	..
84	Dhadewari	..	..	..	..
85	Iltfaqpura	..	..	..	..
86	Mohad Garh	..	..	..	..
87	Dalelgarh	..	..	..	..
88	Bir Shiwani Kot	..	..	..	..
89	Bahadur Garh	..	..	..	..
90	Bhaini Kalan	..	..	..	..
91	Rustamgarh	..	..	..	..
92	Sangala	..	..	..	..
93	Sangali	..	..	..	..
94	Bukan Wal	..	..	..	..
95	Khan Pur	..	..	..	..
96	Hakim Pura	..	..	..	..
97	Alipur Jagir	..	...	..	..
98	Faizgarh	..	..	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of village		Area reserved for Harijans	Whether the possessions have been transferred or not	Area reserved for other community purposes	Whether the possessions have been transferred or not
			TEHSIL MALERKOTLA—*contd*			
99	Ghanaur Khurd	..	Yes	Yes	..	..
100	Ghanaur Kalan	..	Do	Do	..	..
101	Kaleran	..	Do	Do	..	..
102	Tathoa	..	..	..	..	..
103	Dugni	..	..	..	..	..
104	Dugri	..	..	..	..	..
105	Bonga	..	..	..	..	..
106	Delanwal	..	..	..	..	..
107	Mandian	..	..	..	..	..
108	Budheshan	..	..	..	..	..
109	Chima	..	..	..	..	..
110	Kasimpur	..	..	..	..	..
111	Ghonspura	..	..	..	..	..
112	Abaspura	..	..	..	..	..
113	Mamodabad	..	..	..	..	..
114	Ahmadabad	..	..	..	..	..
115	Bir Ahmadabad	..	..	..	..	..
116	Kila Rehmadgarh	..	..	..	..	..
117	Moshehra	..	..	..	..	..
118	Damam Mehll	..	..	..	..	..
119	Jamalpura	..	..	..	..	..
120	Bhain Kamo	..	..	..	..	..
121	Ranwan	..	..	..	..	..
122	Chupka	..	..	..	..	..
123	Mehdevi	..	..	..	..	..
124	Japhrabad	..	..	..	..	..
125	Saraud	..	..	..	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

Serial No.	Name of village	Area reserved for Harijans	Whether the possessions have been transferred or not	Area reserved for other community purposes	Whether the possessions have been transferred or not
	TEHSIL MALERKOTLA—*concld*				
126	Badshahpur ..	..	..	..	..
127	Balweal ..	..	..	..	..
128	Phalond Kalan ..	..	..	..	..
129	Phalond Khurd ..	..	..	..	..
130	Rehira ..	..	..	..	..
131	Asdulapur ..	..	..	..	..
132	Bhikhampur ..	..	..	..	..
133	Baur High Kalan ..	..	..	..	..
134	Dehliz Kalan ..	..	..	..	..
135	Ahmadgarh ..	..	..	..	..
136	Mandi Ahmadgarh ..	..	..	..	..
137	Nautrani ..	..	..	..	..
138	Umarpura ..	..	..	..	..
139	Jandli khurd ..	..	..	..	..
140	Akbar Chhna ..	..	..	..	..
141	Naro Majra ..	..	..	..	..
142	Bathan ..	..	..	..	..
143	Kup Khurd ..	..	..	..	..
144	Bhogiwal ..	..	..	..	..
145	Nath Majra ..	..	..	..	..
146	Talewal ..	..	..	..	..
147	Kup Kalan ..	..	..	..	..
148	Momnabad ..	..	..	..	..
149	Dahli Khurd ..	..	..	..	..
150	Man Majra ..	..	..	..	..
151	Meharna Khurd ..	..	..	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Annexure 'A'

Statement showing tehsil-wise lists of Villages consolidated in district Sangrur

Serial No.	Tehsil		No. of villages consolidated	No. of villages where land has been reserved for Harijans and community purposes	No. of villages where possessions have been transferred	No. of villages where possessions have not been transferred due to non-completion of repartitions.
			I—S. O. CIRCLE SANGRUR			
1	Malerkotla	..	127	126	125	1
2	Sangrur	..	183	175	168	7
3	Jind	..	15	15	12	3
	Total	..	325	316	305	11
			II—S. O. CIRCLE BARNALA			
1	Barnala	..	113	(For Harijans 93	86	7
				(For C. purposes 100	100	..
2	Malerkotla	..	151	For Harijans 34	34	..
				For C. purposes 8	8	..
	Total	..	264			

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗਲ ਦੀ enquiry ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛਡੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ?

मन्त्री : जिन cases में कब्ज़ा नहीं मिला उन गावों में consolidation proceedings पूरी नहीं हुई । इस लिये कब्ज़ा तबदील नहीं हुआ ।

CONSTRUCTION OF DADRI-JIND ROAD

***5500. Shri Mangel Sein** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total mileage of the Dadri-Jind Road ; the mileage constructed so far and the date by which this road was scheduled to be completed ;

(b) whether any proposal to connect the said road with a pacca road leading to Rohtak is under the consideration of Government ; if so, the time by which it is likely to be finalized ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Sardar Narinjan Singh Talib (Deputy Minister) : The total mileage (via Bhiwani) is 55 miles. Section Dadri to Bhiwani (17 miles) is included in our Second Five-Year Plan. 13 miles have already been metalled and the remaining portion is likely to be completed in another six months. Sub-section Bhiwani to Jind which measures 30 miles, is a second class District Board Road. First 8 miles (from Bhiwani side) are already Kankar Metalled. Further length upto miles 15 is under construction by the District Board. Mile 15 to Hissar District Boundary (15 miles in length) work of metalling is being started by this Department as deposit work on behalf of the District Board.

There is no proposal under consideration of Public Works Department regarding the metalling of the remaining length of 7 miles (from the Boundary of Hissar District to Jind).

श्री मंगल सेन : मैं ने इस सवाल के पार्ट (b) में दरियाफत किया था कि रोहतक को पक्की सड़क से link करने की सरकार की कोई योजना है। उस का जवाब नहीं दिया गया ?

Deputy Minister: There is no proposal under the consideration of Government.

ROAD FROM MUKANDPUR TO APRA IN DISTRICT JULLUNDUR

*5555. **Sardar Harguranad Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state the time within which the road from Mukandpur to Apra in District Jullundur is likely to be completed ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : The road from Mukandpur to Apra in District Jullundur is not included in any approved scheme of the Second Five-Year Plan. The question of its completion does not arise.

WATER CHARGES UNDER LAJPAT RAI WATER WORKS SCHEME IN UNA AND GARHSHANKAR TEHSILS

*5285 **Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether Government have received any complaints from the residents of Una and Garhshankar Tehsils regarding the high rate of Water Charges under the Lajpat Rai Water Works Scheme, if so, the action, if any, taken in the matter ?

Sardar Narinjan Singh Talib (Deputy Minister) : Yes. To economise in the maintenance expenses, an estimate for installation of electrically operated pumping plants has been framed. On installation of such plants, maintenance cost will be reduced, resulting in reduction in water charges rates.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : Electric power ਕਦੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸੈਂਟਰ ਨੇ finance ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ Water rates ਦੇ arrears ਵੀ ਹਨ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : Arrears ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਦਿਆਂਗੇ।

MOTI BAGH PALACE, PATIALA

*5580. **Sardar Rajinder Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government have taken over the possession of the building known as the Motibagh Palace in Patiala which was purchased some time ago ;

(b) the amount so far paid as price to the previous owner of the said building ;

(c) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the purpose for which the building is being used at present ;

(d) whether any portion of the said building is still in possession of its previous owner ; if so, the reasons therefor and the period for which he has been in occupation thereof since the date of the purchase?

Sardar Narinjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) Part possession has been taken.

(b) 14,11,723 (including Rs 7,11,723 to be recovered from His Highness, the Maharaja of Patiala) .

(c) Partly as a State Museum.

(d) Yes. According to the agreement entered into between the Government and His Highness the Maharaja of Patiala, the complete possession of the building is to be given to Government by the 31st of March, 1960. The Maharaja is in possession of a part of the building for the last two years.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪੈਲੇਸ ਦਾ complete possession 31 March, 1960 ਤਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦਾ complete possession ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਲ 31 ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਰਾਤੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ possession ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲੋਂ recover ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ price ਵਿਚੋਂ deduct ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : Deduct ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਕੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ contract ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਗੇ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : Contract ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਪੈਲੇਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਲਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਮਹਲ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ inventory ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ : ਕੀ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਮਹਲ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ agreement ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ ਕਾਇਮ ਸੀ ਤੇ ਮਹਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤ ਘਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

Mr. Speaker: This question does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 31 ਤਾਰੀਖ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੈਲੇਸ ਦਾ complete possession ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਜ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ?

Mr. Speaker: This question cannot be answered now.

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या गवर्नमैंट के पास इस किस्म की शिकायतें पहुँची हैं कि महल में से कीमती चीज़ें उखाड़ ली गई हैं ?

Mr. Speaker: This question has already been answered.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 31 March, 1960 ਨੂੰ ਉਸ ਪੈਲੇਸ ਦਾ complete possession ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Its possession could rot be taken during night.

RELIEF TO FAMILIES OF VILLAGE MOHABTABAD PAOTA, TEHSIL BALLABGARH

***5592. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a sum of Rs 5,000 was given to 20 families of village Mohabtabad Paota, tehsil Ballabgarh, district Gurgaon whose property had been damaged by the outbreak of fire in March, 1958 ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the names of the said families along with the amount given to each ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A sum of Rs 4,565.00 nP., out of the Chief Minister's Relief fund has been sanctioned for disbursement to 23 families of villages Mohabatabad Paota, tehsil Ballabgarh, district Gurgaon, whose property was damaged due to an outbreak of fire in that village in March, 1958.

(b) A list is laid on the Table.

Statement showing the loss suffered by the fire sufferers of village Mohabatabad and relief proposed by office.

Serial No.	Name		Amount sanctioned (in Rupees)
1	**Arjan, son of Tofa, Gujar**	..	45
2	**Mangat son of Ganga Ram, Gujjar**	..	20
3	**Niad, son of Bharte, Gujar**	..	25
4	**Khera, son of Thana, Gujar**	..	120
5	**Peroo, son of Bharta, Gujar**	..	100
6	**Niadar, son of Bharat, Gujar**	..	50
7	**Rajbir, son of Jiwan, Gujar**	..	150
8	**Khunti, son of Ranmal, Gujar**	..	35
9	**Ved Parkash' son of Brja Lal' Minor through his mother Vidya**		150
10	**Babu Ram son of Dalu Ram, Mahajan**	..	100
11	**Badam, son of Kishan Lal Mahajan**	..	50

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Chief Minister]

Serial No.	Name		Amount sanctioned (in Rupees)
12	Nanak, son of Kalia, Mahajan	..	30
13	Kishori, son of Ludha, Gujar	..	400
14	Pilloo, son of Bhatia, Gujar	..	200
15	Bis Ram, Sarpanch	..	2,000
16	Ramal, son of Roshan, Gujar	..	200
17	Makand, son of Birbal, Gujar	..	150
18	Dongar, son of Ganeshi, Gujar	..	250
19	Lakhi, son of Jai Narain, Gujar	..	130
20	Ghasi, son of Sikindar, Gujar	..	100
21	Shia Lal, son of Hakram Singh	..	150
22	Gharta, son of Dal Singh, Gujar	..	80
23	Budha, son of Dhopala, Gujar	..	30
			4,565

पंडित श्री राम शर्मा : इस list के मुताबिक कुल 4,565 रुपए दिये गए हैं। उन में से एक सरपंच को 2,000 रुपये दिये गये, उस की क्या वजह है ?

मुख्य मंत्री : फैसला यह हुआ था कि जितना नुकसान हुआ उस का 10 प्रतिशत दिया जाए। उस सरपंच ने अपना नुकसान ज्यादा बताया इस लिये उस को ज्यादा रुपया देना पड़ता था। मेरे दफ़तर से इत्तलाह आई है कि उस रुपये की payment रोक दी गई है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस अकेले आदमी की payment रोकी गई है या सब की रोक दी गई है ?

मुख्य मंत्री : Deputy Commissioner की तरफ से दफतर में जो इत्तलाह आई है उस के मुताबिक इस आदमी के इलावा बाकियों को payment दे दी गई है।

MURDER CASES OF VILLAGE GANDHA SINGH WALA
INCHAK POLICE STATION, TEHSIL MUKTSAR

*5287. **Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names of persons alleged to have been murdered in village Gandha Singh Wala in Chak Police Station, tehsil Muktsar during the last three years;

(b) the number of cases in respect of the murders mentioned in part (a) above registered and investigated by the Police;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(c) whether any challans in respect of the cases referred to in part (a) above have been put up to Courts; if so, their number; if not the reasons therefor?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : The reply to the question is as under :—

(a) Two persons, named, Mahant Ganga Singh, Chela Bhadur Singh and Bhadur Singh, son of Surmukh Singh Mazhbi, both of village Chak Gandha Singh Wala, were murdered during the last three years.

(b) Two cases (F.I.R. No. 247, dated 3rd August, 1959 under section 302 IPC, police station Muktsar and F.I.R. No. 358, dated 26th November, 1959, under section 304, IPC, police station Muktsar).

(c) Yes. The accused concerned in the murder of Mahant Ganga Singh have since been sent up for judicial trial. The second case is pending investigation with the Police.

PUNITIVE POLICE POST TAX FROM CERTAIN VILLAGES OF TEHSIL SONEPAT

***5591. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Punitive Police Post tax from village Bhadana and eleven other adjacent villages of tehsil Sonepat, district Rohtak is pending realisation for the last several years;

(b) whether any recommendation from the local authorities of the said district for the remission of the said tax has been received by Government; if so, the action so far taken or proposed to be taken by Government in the matter?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) Yes. It is proposed to collect the cost of the additional (Punitive) Police Post and to spend the amount so collected on the very villages on development works.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि यह punitive police post कितने सालों से कायम की गई है और किस बिना पर उसे कायम किया गया है ?

मुख्य मंत्री : मैं आप को एक आध दिन में बतला दूंगा ।

LAND ACQUIRED FOR THE CONSTRUCTION OF NANGAL FERTILIZER FACTORY AT NANGAL

***5304. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total number of persons who were served with notices under section 4 of the Land Acquisition Act when the construction of the Nangal Fertilizer Factory at Nangal was started;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Pandit Ram Kishan Bharolian]

(b) the total number of persons whose lands have actually been acquired;

(c) whether it is a fact that all the land in respect of which the said notices were served has not been acquired; if so, whether the notices in respect of land which has not been acquired have been cancelled;

(d) whether he is aware of the fact that the owner of the land in respect of which notice for acquisition has been issued cannot construct on it or develop it; if so, the manner in which the owners of the land whose land was not acquired and in respect of which notices have not been cancelled are proposed to be compensated?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Nil. It is not necessary to serve such notices on individuals.

(b) Approximately 6,500.

(c) (i) Yes.

(ii) No, it is not necessary to cancel notifications under section 4 of the Land Acquisition Act.

(d) The owners of the land in respect of which notifications under section 4 were issued, and which were not actually acquired by notifications under section 6, are free to construct on it or develop it. In fact, they are actually cultivating such lands without any restriction whatsoever. As such, no compensation can be claimed by such owners. The land which is not required by the Factory Management has since been distinctly demarcated.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਦਫ਼ਾ 4 ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ?

उप मंत्री : यह पूछ कर बताऊंगा मुझे पता नहीं । Act में provided है, उस में से देख लें।

REPRESENTATION FROM MODEL TOWN SOCIETY (REGISTERED)

***5179. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Government Rehabilitation Department, and the District Authorities, Karnal have received any representations from the Model Town Society (Regd.) Model Town, Karnal for the delivery of the possession of the site for the Club in the said Town; if so, the number of representations so received together with their dates and the action taken so far thereon;

(b) whether the site for the club is to be given free of cost or with cost?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Giani Kartar Singh : (a) Yes. Six representations were received by the Deputy Commissioner, Karnal and action taken on each is reported below :—

Serial No.	Date of the representation	Action taken
1	18-1-1952	The Deputy Commissioner referred the matter to Government. It was inquired from the Model Town Society whether it would be prepared to construct the Club building at its own expense, and the Society agreed to do so.
2	19-2-1952	Government agreed to the allotment of the site earmarked for the Club to a registered body. No such body, however, turned up to take possession of the site.
3	14-1-1953	The Deputy Commissioner convened a meeting of the residents of the township to finalise the matter.
4	20-12-1958	After a lapse of about six years, this Society submitted another application and the Executive Engineer, P. W. D. was addressed by the Deputy Commissioner, Karnal to intimate the particulars of the site earmarked for the Club.
5	16-3-1959	A reminder was issued by the Deputy Commissioner to the Executive Engineer.
6	9-7-1959	It was reported by the Executive Engineer that part of the site originally earmarked for the Club had been utilized by the P. W. D., Public Health Branch for erecting a water tower. Some more area had been converted into a children park by the Municipal Committee, Karnal. The Society was thereupon addressed to select another site to which they agreed. The Officer Incharge, Urban Branch and the Secretary of the Society accodingly inspected a site but the latter's views regarding the suitability thereof are still awaited.

(b) The site is to be given free of cost.

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ Registered body ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ । ਫੇਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ society ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ allotment ਵਾਸਤੇ apply ਕੀਤਾ । ਆਇਆ ਉਹ society registered ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ apply ਕੀਤਾ ? ਜੇ registered ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ site ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ registered society ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ site ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਗਾ ਲੱਭਣ ਲਈ Executive Engineer P. W. D. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਜਗਾ Society ਦੇ Secretary ਨੇ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ Urban Branch ਦਾ Officer Incharge ਵੀ ਸੀ। Secretary ਨੇ ਅਜ ਤਕ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ application ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ pending ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ Society ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ?

ਮੰਤਰੀ: ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਯਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਸ point ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ fresh notice ਦਿਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਆਖਰੀ representation ਉਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ society ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ site ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ select ਕਰਨ ਯਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ site select ਕਰਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੋ site ਜ਼ਿਆਦਾ suitable ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਗਾ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ site pending ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ allotment ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਉਸ site ਨਾਲ। Site ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਲਈ society ਦੇ Secretary ਨੇ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।

10 a.m.

ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ application ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ site ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ site ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

OPENING OF GOVERNMENT DEGREE COLLEGE IN TEHSIL UNA

***5286. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the total number of Government High Schools and privately managed High Schools in tehsil Una, district Hoshiarpur;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to open a Degree College at Una; if so, when?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Number of Government High Schools—6.

Number of Privatlely managed High Schools..24.

(b) No.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜਲੀਆਂ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ Third Five-Year Plan ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ ।

उप मंत्री : अभी Plan बनाई जा रही है जब finalise हो जाएगी तो इस बात का जवाब दिया जा सकता है ?

SCHOOLS IN KAPURTHALA CONSTITUENCY

***5579. Bawa Harnam Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of High Schools for Boys and Girls, separately, in the rural areas of Kapurthala Assembly Constituency, at present;

(b) whether Government propose to start Middle or High Schools for Girls at Bholath, Nadala and Begowal in district Kapurthala?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Eleven Government and 4 Private-aided Boys' High Schools. Girls Nil.

(b) No.

CONSTITUTION OF PUNJAB HILLS ADVISORY COMMITTEE

***5582. Shri Rup Singh Phul :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to constitute a Punjab Hills Advisory Committee; if so, when?

Dr. Gopi Chand Bhargava : Yes Sir. The matter is under consideration and the final decision will take some time.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री रूप सिंह फूल : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह कमेटी कब तक constitute हो जायगी ?

मन्त्री : जब material तैयार हो जायेगा तो कमेटी constitute कर दी जाएगी ।

श्री रूप सिंह फूल : इस कमेटी का function क्या होगा ?

मन्त्री : यह कमेटी planning committee की advisory committee होगी ।

WESTERN JUMNA CANAL

***5501. Shri Mangal S in :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of days for which water flowed in the Western Jumna Canal during the months of November , December, 1959, January and the first 15 days of February, 1960;

(b) whether Government have received any complaint from the residents of any village in district Rohtak regarding the non-supply of water?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) —

November, 1959	..	27 days
December, 1959	..	31 days
January, 1960	..	27 days
1—15 February, 1960	..	3 days

(b) No complaints about non-supply were received. Some representations regarding short-supply at the tails of certain minors in Western Jumna Canal, West Circle, were however, received. The short supply was due to:—

(i) short-supply in Jumna river which feeds W. J. C..

(ii) Channels requiring berm cutting and silting clearance.

Berm cutting and silt clearance has since been done during canal closure.

CONSTRUCTION OF KAHNAUR MINOR (DISTRICT ROHTAK)

***5502. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the extent to which Kahnaur Minor (district Rohtak) has been completed so far, and the time by which the supply of water is expected to be started from it?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : There is no minor known as Kahnaur Minor. There is , however, Kahnaur Distributary already running. Its present tail is at R. D. 165,652. It is being extended upto R. D. 188,400. The remodelling of Kahnaur Distributary and its extension

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

which is a lift channel is in hand at present. 50 per cent earth work in connection with remodelling and almost all earth work in connection with its extension has been completed. The pumping station is however, yet to be constructed. The Kahnaur extension is expected to run during Kharif, 1961.

ROUTE PERMITS FOR PASSENGER SERVICE

***5302. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the number of route permits for passenger services issued district-wise in the State during the period from 1st April, 1958 to date together with the names of the societies or individuals in whose favour these permits were issued and the head quarters of each such individual society;

(b) the details of roads on which the above said passenger services were required to be plied together with the mileage thereof in each case;

(c) whether buses have started plying on the routes referred to in part (b) above; if not, the reasons therefor?

Rao Birendar Singh : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) The buses have started plying on all the routes mentioned in the statement except the following routes :—

1. Patiala-Devigarh
2. Hissar-Tohana (Portion of Patiala-Hissar route under approved scheme)
3. Miani-Alampur-Dasuya-Rampur
4. Talwara-Hajipur-Budhawar-Harsar Mansar
5. Mukerian-Jawalamukhi
6. Abohar-Sadhuwala-Ganganagar-Hindu malkot
7. Pathankot-Jawali-Harsar-Mangewal-Dela-Dehra
8. Dabwali-Jhuthi
9. Dabwali-Chautala
10. Barwala-Jind
11. Jhajjar-Farukhnagar-Shripura

} The vehicles have not been purchased and permits not yet taken out.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

STATEMENT

[Minister for Irrigation and Power]

Name of Company/Society individual with its Head-quarter	Name of route	No. of permits	Length
1. Puniab Roadways, Jullundur	1. Jullundur-Chandigarh Via Nawansher.	4	91
	2. Jullundur-Batala	5	47
	3. Jullundur-Hoshiarpur-Nangal	2	61
	4. Jnllundur-Chandigarh-via Ludhiana-Samrala	1	95
	5. Pathankot-Chandigarh	2	166
	6. Jullundur-Batala-Qadian	2	58
	7. Kapurthala-Chandigarh	2	106
	8. M. Town-Jullundur-Hans Raj K. Vidyala	1	
	9. M-Town-Jullundur-Lyallpur-Khalsa College (Local)	1	
2. New Sutlej Transport Company Ltd., Jullundur	10. Ludhiana-Phillaur	1	9
	AMRITSAR DISTRICT		
1. Punjab Roadways, Amritsar	1. Amritsar-Faridkot ..	2	79
	2. Amritsar-Chandigarh	2	144
	3. Ferozepore-Chandigarh	2	136
	4. Amritsar-Ferozepore	4	79.3
	5. Amritsar-Moga	2	66
	6. Tarn Taran- Jandiala	1	11
	7. Amritsar-Chogawan	1	14.5
	8. Amritsar-Fatehgarh Churian	1	17
	9. Tarn Taran-Chandigarh via Moga-Patti	2	160.7
	10. Amritsar-Chandigarh via Moga Tarn Taran	2	166
	11. Amritsar-Gurdaspur via D. B. Nanak	1	62
	12. Chandigarh-Delhi ..	2	152
	HOSHIARPUR DISTRICT		
1. Victory Public Hill Motor Transport Co., Ltd.,Hoshiarpur	1. Una-Nurpur-Abiana	1	32
	2. Garhshanker-Raipur..	1	20
	3. Hoshiarpur-Jaijon - Nangal	1	37
2. Parbat Roadways Co-operative Transport Society Ltd., Hoshiar-pur	1. Hoshiarpur-Nadaun	1	43
	2. Nangal-Sujanpur-Tira	1	64
	3. Mukerian-Jawalamukhi	1	51
3. Hoshiarpur Express Transport Company Ltd., Hoshiarpur	1. Hoshiarpur-Jaijon-Nangal	1	37
4. Shiwalik Transport Company, Ltd., Hoshiarpur	1. Hoshiarpur-Jawalamukhi	1	48
5. Harsa Mansar Parbat Co-operative Transport Society Ltd., Harsamansa, district Hoshiarpur	1. Talwara-Hajipur-Budhawar-Harsa Mansar	1	40
6. Onkar Bus Service (P) Ltd., Jullundur	1. Garhshanker-Nurpur-Abiana	1	31

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Name of Company/Society/individual with its Headquarter	Name of route	No. of permits	Length
Hoshiarpur District—concld			
7. Jullundur-Mahalakhshmi Transport, Co-operative Society Ltd., Jullundur	1. Hoshiarpur-Nadaun 2. Miani-Alampur-Dassuya-Rampur	1 1	43 21.9
8. The Hindustan Fertilizers and Chemical Ltd., Naya Nangal	Six miles radius from Nangal	1	6
	KANGRA DISTRICT		
1. Palampur Dhar Co-operative Transport Society Ltd., Palampur	1. Palampur-Dhar-Dharamsala 2. Palampur-Holta-Chandhiar	1 1	24 23
2. Hamirpur Co-operative Transport Society Ltd., Hamirpur	1. Nangal-Sujanpur-Tira 2. Hamirpur-Jahu 3. Jawalamukhi road-Awa-Devi 4. Galoor-Bijhar	1 1 1 1	64 18 51 14
3. New Valley view Transport Company, (P) Ltd., Pathankot	1. Pathankot-Jaisinghpur	1 Temporary	101
4. New Snow View Transport Co (P) Ltd., Pathankot	Ditto	1	101
5. Jublee Highways Transport Company (P) Ltd., Pathankot	Ditto	1	101
6. Murree Hill Transport Company, (P) Ltd., Pathankot	1. Ditto	1	101
7. New Bir Transport Company (P) Ltd., Pathankot	1. Baijnath-Jaisinghpur 2. Nurpur-Gangat	1 1	62 25
8. New Chiniot Transport Company (P) Ltd., Pathankot	1. Baijnath-Jaisinghpura	1	62
9. New Valley View Transport (P) Ltd., Pathankot	1. Pathankot-Jawali-Harsar Mangewal-Dela-Dehra	1	50
10. Jubilee Highways Transport (P) Ltd., Pathankot	1. Ditto	1	50
	GURDASPUR DISTRICT		
1. Shri Maha-Raj Dwarka Dass Ji Mahant Darbar Sahib, village Dhianpur, district Gurdaspur	1. Batala-Dhianpur	1	10

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

Name of Company/Society/individual with its Headquarters	Name of route	No. of permits	Length
	FEROZEPORE DISTRICT		
1. State Transport Co-operative Society Ltd., Kapurthala	1. Abohar-Sadhuwala-Ganganagar-Hindumalkot	4	53
2. Bodiwala Beganwali Transport Co-operative Society Ltd., Beganwali, district Ferozepore	Ditto	1	53
3. Abohar Pursharthi Goods Transport Co-operative Society, Ltd., Abohar	Ditto	1	53
4. Jai Transport Co-operative Society Ltd., Kabarwal, district Ferozepore	Ditto	1	53
5. Fazilka Dabawali Transport Company (P) Ltd., Abohar	1. Ditto	1	53
	2. Fazilka-Abohar-Hanumangarh	1 Temporary	65
6. Punjab Roadways, Amritsar	1. Fazilka-Sirsa	4	99
	2. Fazilka-Hanumangarh	1	65
	LUDHIANA DISTRICT		
1. Khalsa Nirbhai Transport Company (P) Ltd., Ludhiana	1. Ludhiana-Khanna	2	27
	2. Ludhiana City-Model Town	1	4.34
	3. Model Town-Guru-Nanak Engineering College, Ludhiana	1	10.88
2. Punjab Roadways, Amritsar	1. Ludhiana-Sidhwan-Bet	1	33
	AMBALA DISTRICT		
1. Punjab Roadways, Ambala	1. Nangal-Una	1	10
2. Ambala, Punjab Roadways	Rohtak-Delhi	2	44
	Loharu-Rohtak	2	136
	Karnal-Delhi	1	74
	Chandigarh-Rewari	1	204
	Ambala-Dehradun	1	120
	Loharu-Pilani	1	14
	Pehowa-Hardwar	1	117
	Delhi-Jaipur	1	198
	Chandigarh-Hodel	4	115
	Ambala-Delhi	1	123
	Nangal-Bhakra	1	14
	Simla-Local	1	17
	Dehli-Alwar	2	104
	Delhi-Sonepat	1	58
	Ambala-Ismailabad	4	21

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Name of Company/Society individual with its Headquarters	Name of route	No. of permits	Length
	AMBALA DISTRICT		
3. Surjan Singh Uppal, Ambala City	Shahbad-Barara-Sadhauara-Nahan	1	48
	Shahbad-Barara	1	14
4. Chrindra Transport Society, Ambala	Barwala-Jind	1 sanctioned but not yet issued.	22
	KARNAL DISTRICT		
1. Haryana Co-operative Transport Ltd., Kaithal	Kaithal-Naguran	2	30
	Kaithal-Tohana	2 (sanctioned 2. issued one only so far)	30
	Kaithal-Thanesar	1	34
2. Kaithal-Nagraon Co-operative Transport Society, Kaithal	Karnal-Habri via Pundri	1	34
3. The Dehati Janta Co-operative Transport Society, Kurukshetra	Karnal-Habri via Pundri	1	34
	ROHTAK DISTRICT		
1. The Matendail Ex-Servicemen Transport Co-operatove Society, Matenhail	Rohtak-Sonepat	1	20
2. Bahu Janta Co-operative Transport Society, Bahu	Rohtak-Sonepat	1	20
3. The Haryana Backward Classes Co-operative Transport Society Ltd., Rohtak	Jhajjar-Farukhnagar Shujipura	1	14
	HISSAR DISTRICT		
1. The Chautala Workers Co-operative Transport Society, Chautala	Dabwali-Jhuthi	1	20½
	Dabwali-Chautala	1 (sanctioned but not yet issued)	18½
2. The Harijan Balmiki Friends Co-operative Transport Society, Hissar	Dabwali-Jhuthi	1	20
3. Haryana Transport Co-operative Society, Mandi Dabwali	Barwala-Jind	1 (sanctioned but not yet issued)	22
	GURGAON DISTRICT		
1. The Kund National Co-operative Transport Society, Gurgaon	Jhajjar-Farukhnagar-Shujipura	1 (sanctioned but not yet issued)	14

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

	Name of Company Society individual with its Headquarters	Name of route	No. of permits	Length
	PATIALA DISTRICT			
1.	Pepsu Road Transport Corporation, Patiala	Patiala-Jakhal	2 via Samana Patran	52
2.	Ditto	Patiala- Budhlada	4 via Sunam-Bhikhi	72
3.	Ditto	Patiala-Hissar	4 Via Samana-Narwana, Patran	132
4.	Ditto	Patiala-Chandigarh	2 via Rajpura-Banur	40
5.	Ditto	Patiala-Kapurthala	1 Rajpura-Ludhiana,	122
6.	Ditto	Patiala-Nabha	4 Kalyan	16
7.	Ditto	Patiala-Malerkotla	3 Nabha	36
8.	Ditto	Patiala-Ahmedgarh	4 Nabha	70
9.	Ditto	Patiala-Ludhiana	3 Nabha-Ahmedgarh	70
10.	Ditto	Patiala-Kalka	1 Rajpura-Panchkula	50
11.	Ditto	Patiala-Devigarh	1 Not in operation, stay orders passed by the High Court and as such no mileage is operated	14.5
12.	Ditto	Hissar-Tohana (portion of Patiala-Hissar route under approved scheme)	1 The General Manager, P. R. T. C., has not yet started the operation	51
	SANGRUR DISTRICT			
1.	P. R. T. C., Patiala	Sangrur-Chandigarh	2 Patiala-Rajpura-Banur	80
2.	Ditto	Jind-Ludhiana	1 Narwana-Sangrur-Dhuri	124
3.	M/s Joginder Singh-Pavitter Singh, Dugal	Sangrur-Patran	1 Mehlan	24
4.	Jem. Kartar Singh, son of Sarwan Singh of Faridkot	Sangrur-Patran	1 Mehlan	24
5.	Multipurpose Co-operative Transport Society, Moonak	Patran-Jakhal	1 Moonak	20
6.	People Bus Service, Private Ltd., Nabha	Barnala-Faridkot	7 Bhadaur-Bajekhana-Kotkapura	33
7.	Shri Beant Singh, son of Khushal Singh, Patiala	Narwana-Batta	1 Hathu-Kalyat	16

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

	Name of Company/ Society/ individual with its headquarters	Name of route	No. of permits	Length
8.	P. R. T. C., Patiala	Sunam-Mansa	1 Bhikhi	60
9.	Malerkotla Bus Servioe Private Ltd., Malerkotla	Barnala-Bhatinda	9 Hadiya-Rampura-Bhucho	43
10.	Premier Bus Service Regd., Patiala	Sangrur-Mansa	3 Barnala-Aklia	53
		BHATINDA DISTRICT		
1.	Friends Transport Service, Regd., Bhatinda	Bhatinda-Talwandi	1 Kot Shamir-Bhagi Bandir	20
2.	S. R. Singla, Ramputaphul	Rampura-Talwandi	1 Kasaiwara-Maur	40
3.	P. R. T. C., Patiala	Bhatinda-Malout	4 Gidderbaha	28
4.	Ditto	Bhatinda-Dudhlada	2 Bhikhi	52
5.	Premier Bus Service	Mansa-Sardulgarh	3	23

श्री राम प्यारा : मैं ने पूछा था कि इस की वजूहात क्या हैं ?

Minister : It has already been stated that the vehicles have not been purchased and permits not yet taken out.

LOANS UNDER LOW-INCOME GROUP HOUSING SCHEME IN DISTRICT ROHTAK

*5503. **Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names of persons in district Rohtak ,who have been advanced loans during the current year under the low-Income Group Housing Scheme and the amount of loan given in each case;

(b) the amount of further loans if any, likely to be advanced to those referred to in part (a) above by the end of the current year ?

Sardar Narinjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) and (b) . A statement is laid on the Table.

Serial No.	Name of loanees who have been given loan from 1st April, 1959 to 31st March, 1960	Amount of loan disbursed	Amount of further loan to be advanced before 31-3-60	REMARKS
1	Shri Ram, son of Nek Raj Jat B/Garh ..	450	2,00,000	
2	Mange Ram, son of Nathu Singh of Shadipur Lowa	600	..	
3	Shri Ghasi Ram, son of Chhotu Ram, village Mehmud pur	600	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of loanees who have been given loan from Ist April, 1959 to 31st March, 1960	Amount of loan disbursed	Amount of further loan to be advanced before 31-3-60	Remarks
4	Shri Mul Chand, son of Sudhan Chamar Dighal	300	..	
5	Shri Siri Kishan and Raj Rikhi Brahman of Beri	600	..	
6	Shri Maya Chand, son of Phul Singh Professor Jat College, Rohtak	2,400	..	
7	Shri Risal Singh, Bhuru Singh, son of Phul Singh, village Bambalia	2,000	..	
8	Shri Ram Singh, son of Jhabar Jat of Barhawa	1,000	..	
9	Sarup Singh, son of Mange Ram of Bhaproda	450	..	
10	Hari Prem, son of Suraj Bhan of Sonepat ..	900	..	
11	Banwari Lal, son of Milu Ram Kiloi ..	600	..	
12	Phulu, son of Parbhu, village Singhpur ..	1,600	..	
13	Hari Shankar Gupta, son of Ram Bhagat, State Bank of India, Rohtak	2,100	..	
14	Girdhari Lal, son of Bali Ram of Rohtak ..	2,100	..	
15	Shri Kundan Lal, Assistant Deputy Commissioner's Office, Rohtak	2,100	..	
16	Shri Parkash Chand Jain, A.D.I. of School Rohtak	2,200	..	
17	Shri Narsingh Sarup, Assistant Deputy Commissioner's Office Rohtak	2,100	..	
18	Shri Maman Singh, son of Angan Lal, Sainipura, Rohtak	2,100	..	
19	Shri Daya Kishan, son of Daya Parshad of Rohtak	2,100	..	
20	Shri Lachman Dass, son of Pyare Lal of Rohtak	900	..	
21	Shri Dewan Singh, son of Ram Ditta, Sainipura, Rohtak	600	..	
22	Sukhdev Singh, son of Bhudhu Ram of Brahain	1,600	..	
23	Shri Sultan Singh, son of Durga parshad of Rohtak	900	..	
24	Shri Devi Chand son of Des Raj, Sonepat	2,	..	
25	Shri Ram Lal, son of Ganpat Rai of , Rohtak	2,100		
26	Shri Hazari Lal, son of Ram Chand Sonepat..	1,600	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Names of loanees who have been given loans from 1st April, 1959 to 31st March, 1960	Amount of loan disbursed	Amount of further loan to be advanced before 31-3-60	Remarks
27	Shri Kashmirir Lal, son of Chander Bhan, Ganaur	2,400	..	
28	The Jhajjer Education Society Jhajjar.	32000	..	
29	Shri Harbans Lal, son of Duni Chand, Sonepat	2,400	..	
30	Shri Ude Ram, son of Kundan, Kath Mandi, Rohtak	1,600	..	
31	Shri Sheo Narain, son of Khem Chand of Kuhunda	2,100	..	
32	Shri Perma Nand, son of Bharat Singh, Kharkhouda	600	..	
33	Shri Madan Mohan Lal, Assistant Deputy Commissioner's Office	2,100	..	
34	Fateh Singh, son of Godha Ram, Gohana ..	1,600	..	
35	Shri Jai Gopal, son of Chandi Ram, Gohana	1,600	..	
36	Hari Chand, son of Khushal Chand, Rohtak	2,400	..	
37	Shri Phul Singh, son of Nahna Ram, Rohtak	1,600	..	
38	Gurbux Singh, son of Ganga Singh, Rohtak ..	1,600	..	
39	Ram Singh, son of Lakhi Ram, Kharanti ..	1,600	..	
40	Gordhan, son of Kura Saini, Sukhpura ..	1,600	..	
41	Shri Matu Ram, son of Rikhi Sen Meham ..	1,600	..	
42	Shri Jugal Kishore, son of Hem Ram, Rohtak	1,600	..	
43	Shri Babu Ram, peon, Deputy Commissioner's Office, Rohtak	1,600	..	
44	Shri Chaman Lal, son of Jowala Singh, Rohtak	1,600	..	
45	Shri Lal Chand, son of Jail Lal Jat, Khanpur Kalan	1,600	..	
46	Shri Sher Singh, peon, D.O.R.O., Rohtak ..	1,600	..	
47	Shri Manohar Lal, son of Ram Sarup, Sonepat	3,200	..	
48	Shri Mukand Lal, son of Sudershan Singh, Kharkhoda	2,100	..	
49	Shmt. Kapur Devi, w/o Risal Singh, Rohtak	1,600	..	
50	Shri Gurdas, son of Amir Chand, Rohtak ..	600	..	
51	Shri Raj Singh, son of Net Ram of Jhajjar ..	1,600	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of loanees who have been given loan from 1st April, to 31st March, 1960	Amount of loan disbursed	Amount of further loan to be advanced before 31-3-60	Remarks
52	Shri Khan Chand, son of Lalji of Jasia ..	1,600	..	
53	Shri Ranjit Singh, son of Chandgi Ram, Hassangarh	2,400	..	
54	Shri Ramji Dass, son of Rod Chand, Rohtak	600	..	
55	Shri Tej Singh, son of Sardar Singh, Rohtak ..	1,600	..	
56	Shri Om Parkash Rohna ..	2,400	..	
57	Shri Mai Ram, son of Ganga Ram, Rohtak	600	..	
58	Shri Kalu Ram, son of Bhari Ram, Rohtak	1,600	..	
59	Shri Nahnu Ram, son of Chet Ram, Silana ..	1,600	..	
60	Shri Bhishan Ram, son of Kanshi Ram, Rohtak	1,000	..	
61	Shri Kalu Ram, son of Bhaju Ram, Rohtak	1,600	..	
62	Shri Atma Ram, son of Ladhu Ram of Rohtak	1,600	..	
63	Suraj Mal, son of Maru Singh, Rohtak ..	2,400	..	..
64	Shri Babu Ram, son of Sheo Ram Dass of Rohtak	1,600	..	..
65	Rawat Singh, son of Sarup Singh of Rohtak ..	1,600	..	..
66	Shri Rati Ram, son of Ganga Datt of Rohtak	1,600	..	..
67	Shri Misri Lal, son of Rattan Singh of Mandori	900	..	..
68	Shri Hazari Lal, son of Lalji Dass Bhu, Jamalpur	1,600	..	..
69	Shri Jhanam, son of Chhote Lal Khanpur Kalan	1,600	..	..
70	Shri Jai Lal, son of Raja Ram, Khanpur Kalan	1,600	..	..
71	Shri Piare Lal, son of Ghasi Ram of Khanpur klan	1,600	..	..
72	Shri Chhatar Singh, son of Phul Singh, Bhupania	800	..	..
73	Shri Joginder Singh, son of Amrik Singh, Rohtak	2,400	..	..
74	Shri Ram Chander, son of Harnam, Jat, Khanpur Kalan	1,600	..	..
75	Shri Chhaju Ram, son of Shankar, Rohtak ..	1,600	..	..
76	Shri Jagdish Lal, son of Nehal Chand, Sonepat	1,600	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Names of loanees who have been given loan from 1st April, 1959 to 31st March, 1960.	Amount of loan disbursed	Amount of further loan to be advanced before 31-3-60	REMARKS
		Rs		
77	Shri Hari Singh, son of of Lajwa Bahu Akbar Pur	1,600	..	
78	Shri Ram Bhaj, son of Kanshi Ram of Rohtak	1,600	..	
79	Shri Dalip Singh, son of Laji Ram of Sonepat	2,400	..	
80	Shri Sube Singh, son of Atma Ram, Rohtak ..	1,600	..	
81	Shri Jodha Ram, son of Lakhi Ram of Rohtak	1,600	..	
82	Shri Mange Ram, son of Hira Ram, Khanpur	1,600	..	
83	Shri Hari Singh, son of Kundan Singh of Rohtak	1,600	..	
84	Shri Mai Chand, son of Giani Ram of Rohtak	2,400	..	
85	Shri Bhole Ram, son of Devi Sagar of Rohtak	600	..	
86	Shri Dhanu Ram, son of Mai Ram of Rohtak		..	
87	Shri Bhajan Singh, son of Ranji Lal of Rohtak	1,600	..	
88	Shri Parbhu Dayal ,son of Atma Ram of Rohtak	1,600	..	
89	Shri Sewa Ram, son of Dharma Ram of Rohtak	1,600	..	
90	Shri Ram Karan, son of Hari Ram of Nizampur	1,600	..	
91	Shri Faqir Chand, son of Lakhi Ram, Sonepat	1,600	..	
92	Shri Ramji Dass, son of Gobind Singh of Rohtak	1,000	..	
93	Shri Girdhari Lal, son of Ladha Ram of Rohtak	1,600	..	
94	Shri Naresh Chand, son of Are Dass of Rohtak	1,600	..	
95	Shri Raghbir Singh, son of Giani Ram of Rohtak	1,600	..	
96	Shri Ram Singh, son of Mal Raj, Rohtak ..	2,400	..	
97	Shri Balbir Singh,son of Raje Ram, Rohtak	1,600	..	
98	Shri Amar Lal, son of Chetan Dass of Rohtak	1,600	..	
99	Shri Sohan Lal, son of Piare Lal of Rohtak ..	1,600	..	
100	Shri Munshi Ram, son of Arjan of Rohtak ..	1,600	..	
101	Shri Lakshmi Narain, son of Parma Nand Khundu	2,100	..	
102	Shri Har Singh, Election Kanungo, Rohtak ..	600	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of loanees who have been given loan from Ist April, 1959 to 31st March, 1960	Amount of loan disbursed	Amount of further loan to be advanced before 31-3-60	REMARKS
103	Ranji Lal, son of Niamat Singh of Rohtak ..	1,400	..	
104	Shri Hans Ram, son of Ram Lal of Rohtak ..	1,400	..	
105	Shri Nehal Chand, son of Mool Chand of Rohtak	1,400	..	
106	Shri Kalu Ram, son of Nehal Chand of Rohtak	1,400	..	
107	Shri Sham Lal, son of Jindu Ram, Rohtak ..	1,400	..	
108	Shri Dharam Chand, son of Jindu Ram, Rohtak	1,400	..	
109	Shri Loku Ram, son of Jindu Ram, Rohtak	1,400	..	
110	Shri Har Parshad, son of Kundan of Sampla	2,100	..	
111	Shri Ram Parshad, son of Kundan Lal ..	1,400	..	
112	Shri Hari Chand, son of Gobind Ram of Rohtak	1,400	..	
113	Shri Mauji Ram, son of Jai Lal of Rohtak ..	1,400	..	
114	Shri Baldev Singh, son of Neki Ram Khadwali	1,400	..	
115	Shri Shiv Dhan, son of Harya Chamar, Khidwali..	1,400	..	
116	Shri Deep Chand, son of Ramji of Khadwali ..	1,400	..	
117	Shri Mahadev Giri son of Mangal Giri, Basana	400	..	
118	Shri Pera Ram, son of Bhag Ram of Rohtak	400	..	
119	Shri Rai Singh, son of Gugan Ram, Silana ..	400	..	
120	Shri Parbhati Ram, son of Gugan of Silana	400	..	
121	Shri Kewal Krishan Shama, son of Makhan Lal of Rohtak	2,100	..	
122	Shri Mange Ram, son of Jug Lal, Barhana ..	1,400	..	
123	Shri Banarsi Dass, son of Mukand Lal, Rohtak	1,400	..	
124	Shri Mohan Lal, son of Maya Dass, Rohtak	400	..	
125	Shri Dharma, son of Kanhya of Silana ..	1,400	..	
126	Shri Nahnu Ram, son of Shiv Lal Mahajan of Bohar	1,400	..	
127	Shri Bansi, son of Kanhaya Harijan, Silana	1,400	..	
128	Shri Jyanedra Singh Verma, son of Matu Ram of Rohtak	2,100	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Names of loanees who have been given loan from 1st April, 1959 to 21st March, 19560	Amount of loan disbursed	Amonnt of further loan to be advanced before 31-3-60	REMARKS
		Rs		
129	Shri Dalip Singh, son of Ramji Lal Jat, Bohar	1,400	..	
130	Shri Vir Bhan, son of Harnam Dass of Rohtak	1,400	..	
131	Shri Brij Lal, son of Nahna Jat, Bahu Akbar pur	400	..	
132	Shri Akram, son of Dhira of Dobh ..	400	..	
133	Shmt. Dasso, w/o Shib Lal Ranakpura ..	1,400	..	
134	Shmt. Viran Devi, daughter of Ishwar Dass, Rohtak	1,400	..	
135	Shri Ram Narain Gupta, son of Ram Sarup, Rohtak	1,200	..	
136	Shri Gela Ram, son of Behari Ram of Rohtak	1,400	..	
137	Shri Zile Singh, son of Indraj of Rohtak ..	1,400	..	
13 8	Shri Kund anLal, son of Bihari Lal of Rohtak	1,400	..	
139	Shri Bahadar Singh, son of Ram Ditta Mal of Rohtak	1,400	..	
140	Shri Panu Ram, son of Para Ram of Rohtak ..	1,400	..	
141	Shri Sham Dass, son of Udmi Dass, Kath Mandi, Rohtak	1,400	..	
142	Shri Jai Parkash,son of Neki Ram of Balyana ..	1,400	..	
143	Shri Rattan Singh, son of Chet Ram of Bhamanwas	1,400	..	
144	Shri Daulat Ram, son of Ram Parshad, Rohtak	2,100	..	
145	Shri Balbir Singh, Head Clerk, D.B., Rohtak ..	1,500	..	
146	Shri Hukam Singh, son of Kirpal Singh, Rohtak	1,400	..	
147	Shri Khan Chand, son of Lakhmi Dass of Rohtak	1,400	..	
148	Shri Sunder Singh, son of Kura Ram, Rohtak	1,400	..	
149	Shri Raghbar Dayal, son of Sham Lal of Rohtak	400	..	
150	Shri Sohan Lal, son of Bhura Mal of Rohtak	1,400	..	
151	Shri Naginder Kumar, son of Jati Parshad of Rohtak	1,400	..	
152	Shri Umed Singh, son of Pokhar, Silana ..	1,400	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Names of loanees who have been given loan from 1st April, 1959 to 31st March, 1960	Amount of loan disbursed	Amount of further loan to be advanced before 31-3-60	REMARKS
153	Shri Sardar Singh, son of Bichha Singh, Rohtak	14,00	..	
154	Shri Raj Singh, son of Dani Ram of Rohtak	2,100	..	
155	Shri Ram Singh, son of Jhabar Singh, Silana ..	1,400	..	
156	Shri Amar Singh, son of Phul Singh of Halapur	2,100	..	
157	Shri Mandora, son of Udami, Ahulana ..	1,050	..	
158	Shri Hari Singh, son of Girdhu, Ahulana ..	2,100	..	
159	Shri Tek Ram, son of Jai Dayal, village Ahir Majra	2,100	..	
160	Shri Risal Singh, son of Makahan Lal, Sonepat	2,100	..	
161	Shri Bhagwana, son of Kheman of Khejarpur	2,100	..	
162	Shri Mer Chand, son of Amin Lal Ahir, Khejarpur	2,100	..	
163	Shri Partap Singh, son of Rup Chand, Ladain	400	..	
164	Shri Bhayan Ram, son of Charan Singh, Ladaina	1,400	..	
165	Shri Chotu Lal, son of Behari Lal, Bahadargarh	1,400	..	
166	Shri Munshi Ram, son of Chandgi of Bahadargarh	..	..	
167	Shri Abhe Ram, son of Dewa Ram Jat, Ladain	1,400	..	
168	Shri Raj Singh, son of Rup Chand Mohd Pur Majra	600	..	
169	Shri Shera, son of Niadar of Rabra ..	1,400	..	
170	Shri Maha Singh, son of Nandu of Rabra ..	1,400	..	
171	Shri Sohan, son of Mai Dhan, Baroda ..	1,400	..	
172	Shri Kanshi Ram, son of Ditta Ram, Khanpur	1,400	..	
173	Shri Surat Singh, son of Bikhu Harijan, village Rewara	1,400	..	
174	Shri Hoshiara son of Jage of Rewra ..	1,4000	..	
175	Shri Ramji Lal, son of Bhuru of Rabra ..	1,400	..	
176	Shri Maman Singh, son of Kundan of Butana	1,400	..	
177	Shri Giani Ram, son of Dava Ram, village Puthee	1,400	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of loanees who have been given loan from 1st April, 1959 to 21st March, 1960	Amount of loan disbursed	Amount of further loan to be advanced before 31-3-60	Remarks
178	Shri Hukam Chand, son of Hamit Rai of Puthee	1,400	..	..
179	Shri Nihala, son of Ji Sukh, Bhaini Chander Pal	1,400	..	..
180	Shri Banarsi Dass, son of Kanhya Lal, Gohana	1,400	..	..
181	Shri Arjan Singh, son of Kahna Ram of Gohana	1,400	..	..
182	Shri Hardhan, son of Udmi of Rabra ..	1,400	..	..
183	Shri Daya Singh, son of Sohba Jat of Gangana	1,400	..	..
184	Shri Jamna Singh, son of Giani Ram of Rabra	1,400	..	..
185	Shri Hem Chand, son of Jug Lal of Rabra ..	1,400	..	..
186	Shri Jage Ram, son of Khema of Rabra	1,400	..	..
187	Shri Bhupinder Singh, Clerk, Deputy Commissioner's Office, Rohtak	1,400	..	..

श्री मंगल सेन : क्या यह ठीक बात है कि सरकार ने जो loans इस साल देने थे, वह महकमे की ग़फलत की वजह से उन को नहीं दे सकी ?

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : Deputy Commissioner ਨੇ commitment ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, funds ਥੋੜੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ loans ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

CASES OF COW SLAUGHTER REGISTERED IN TAHSIL FEROZEPUR JHIRKA

***5504. Shri Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state the number of cases of cow slaughter registered in tehsil Ferozepur Jhirka, district Gurgaon during the years 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 and 1960 respectively, and the number of cases in which the culprits were awarded punishment ?

Bakshi Partap Singh (Deputy Minister) : The information is placed on the Table of the House.

STATEMENT

Year	Number of cases of cow slaughter registered	Number of cases in which defaulters were punished
1955 ..	..	..
1956 ..	1	..
1957 ..	4	3
1958 ..	3	3
1959 ..	8	6
1960 ..	4	1

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

COMPLAINTS AGAINST THE HEAD CONSTABLE INCHARGE HANSI BARRIER

***5594. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the authorities concerned and the Vigilance Department have received any complaints from the tractor owners of Hansi Tehsil, district Hissar, against the Head Constable Incharge of the Hansi barrier; if so, the details thereof and the action, if any, taken thereon ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : Yes; a complaint from seven tractor owners making allegations of corruption was received by the Assistant Inspector General of Police, Traffic, and not by the Vigilance Department, against Head Constable I/C Hansi Barrier. Enquiries are in progress.

COMPLAINTS REGARDING IMPORT OF COPPER ETC., IN REWARI

***5505. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government have received any complaints from the inhabitants of Rewari , who are engaged in small scale industries about the supply to them of copper and brass; if so, the action, if any, taken thereon?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : Government had received representation regarding supply of copper to the utensil making industry in Rewari, sometime back. Steps are being taken to ensure proper distribution of raw material to all consuming units. Government of India was also approached to enhance the allocation of copper to the Punjab State but they have shown their inability to accede to this request due to foreign exchange difficulties.

श्री राम प्यारा : क्या Deputy Minister साहिब बताएँगे कि यह शिकायत कब आई थी ?

उप मन्त्री : तारीख मेरे पास नहीं है !

श्री मंगल सेन : क्या उप मंत्री महोदय बताएँगे कि copper की shortage को कैसे meet किया जायेगा ?

LOAN FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES IN ROHTAK

***5506. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries be pleased to state :—

(a) whether the District Industries officer, Rohtak, has received any applications from persons engaged in small-scale industry in connection with the grant of loans; if so, the number received; the number disposed of and the number pending, respectively;

(b) the time by which the applications which are pending as mentioned in part (a) above, are likely to be disposed of ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a)(i) Yes.

(ii) Number of applications received .. 1,278

Number of applications disposed of .. 862

Number of applications pending .. 416

(b) The applications have to be properly investigated and certain formalities have to be completed by the applicants themselves before sanctioned loans can be disbursed and the cases finally disposed of. No time limit, can, therefore, be laid down for disposal of the pending cases, but every effort will be made to decide them expeditiously.

श्री मंगल सैन : क्या उप मंत्री जी बताएँगे कि licenses के लिए जो applications pending पड़ी हैं वह कब तक dispose of हो जाएँगी ?

उप मन्त्री : बता तो दिया है, जल्दी ही हो जाएँगी ।

श्री मंगल सैन : जल्दी कब तक ? 6 महीनों में, 9 महीनों में या इस से भी ज्यादा देर में ? (*Interruptions*) 9 महीने तो आप को भी लग गए थे ।

श्री अध्यक्ष : Order please. ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें (Order please. No such remarks please.)

ALLOTMENT OF COAL DEPOTS IN DISTRICT GURGAON

***5595. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Industries be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that few coal depots have recently been allotted in district Gurgaon ; if so, the names of persons to whom these depots have been allotted and their respective qualifications ;

(b) whether any of the persons mentioned in part (a) above have been allotted coal depots on the ground of their being political sufferers, if so, their number and the details of their political sufferings ?

Shri Banarsi Das Gupta (Deputy Minister) : (a) Yes. Two coal depots have been allotted to the persons mentioned below in district Gurgaon, during the current year :—

(1) Shri Raghbir Singh Gupta, village Tauru, Village Tauru tehsil Nuh, district Gurgaon.

(2) Shri Arya Muni, son of Mukhi Narain Dass, Village Sohna village Sohna, tehsil and district Gurgaon

They were considered eligible for allotment under Government instructions on the subject.

(b) No.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री मंगल सेन : क्या डिप्टी वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन को coal-depots दिए गए थे उन की क्या योग्यताएं थीं ?

उप मन्त्री : यह कई बार बता दिया गया हुआ है । आम तौर पर co-operative societies को, पहले coal depot holders को, हरिजनों को, political sufferers को या और इसी तरह deserving इशखास को दिए जाते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : मेरे सवाल के part 'b' में लिखा था "whether any of the persons mentioned in part (a) above have been allotted a coal-depot on the ground of their being political sufferers, if so, their number and the details of their political sufferings" इस का जवाब में कोई ज़िक्र नहीं किया गया ।

उप मन्त्री : जो मुस्तहक है उनको दिए जाते हैं । ज़रूरी नहीं political sufferers को ही मिलें ।

पंडित श्री राम शर्मा : मेरा सवाल यह है कि उन की political sufferings क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : Qualifications की बाबत तो उन्हों ने पहले ही details बता दी हैं (The hon. Minister has already given details of the qualifications)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या बताया जा सकता है कि इन में कोई political sufferers हैं भी ?

उप मन्त्री : इन में कोई political sufferers नहीं हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : **ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ** political sufferers **ਨੂੰ ਇਹ** coal depots **ਔਰ** permit **ਵਗੈਰਾ** apart from grants and lands **ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ** coal depot **ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ?**

उप मंत्री : काफी रियायतें दी गई हों तो नहीं मिलते ।

APPOINTMENT OF LAMBARDAR IN VILLAGE BARKATABAD, DISTRICT ROHTAK

***5307. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) with reference to the reply to starred question No. 4120, printed in the list of questions for 29th June, 1959, whether the case regarding the appointment of Lambardar in village Barkatabad, tehsil Jhajjar, district Rohtak, has been decided; if so, the name of the person so appointed ;

(b) whether before making the said appointment, any surety for good conduct, etc., was obtained by Government from the person appointed as Lambardar ; if so, in what manner ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Giani Kartar Singh : (a) First Part .. Yes

Second Part .. Shri Bije Singh

(b) The antecedents and Character of the incumbent were enquired from the local police.

श्री राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएँगे कि उसे local police की verification के बाद लम्बरदार मुकर्रर किया गया था या उसके character की तसदीक किसी M.L.A. ने कर दी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Notice ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ M.L.A. ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । Police ਔਰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ reports ਤੇ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

श्री राम प्यारा : वह तो clear है कि किसने certificate issue किया ।

श्री अध्यक्ष : वह तो जवाब से clear है कि character verification के बाद ही appointment की गई (It is clear from the reply that the appointment was made after verification of his character.

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएँगे कि जिस शख्स को लम्बरदार appoint किया गया वह excise के case में convicted है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਨਹੀਂ । Notice ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਰਿਆਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ convict ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

COMPLAINTS AGAINST HEADMASTER GOVERNMENT HIGH SCHOOL BHATGAON, TEHSIL SONEPAT

***5593. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state :—

(a) whether Government have received any complaints against the Headmaster of the Government High School, Bhatgaon, tehsil Sonepat, district Rohtak ;

(b) whether any printed appeal addressed to the Administrators and Legislators against the said Headmaster has come to the notice of Government ;

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in affirmative, the nature of complaints against the said Headmaster and the action, if any, taken by Government thereon ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) There are charges of corruption, inefficiency and official misconduct against him.

Instruction had been issued to transfer the Headmaster and an enquiry against him ordered.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या बताया जा सकता है कि यह enquiry किस के जिम्मे लगाई गई है ?

उप मंत्री : Divisional Inspector of Schools के जिम्मे ।

ENQUIRY REPORT INTO AFFAIRS OF PANIPAT CO-OPERATIVE SUGAR MILLS, PANIPAT

***5306. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) whether the Deputy Registrar, Co-operative Societies, has submitted his report to Government in respect of the enquiry conducted by him into the complaints regarding the Panipat Co-operative Sugar Mills, Panipat; if so, a copy of the report be laid on the Table ;

(b) the dates when the Deputy Registrar during his investigation visited the Panipat Sugar Mills or other places connected with the enquiry, together with the names of such places ;

(c) the names of the employees of the said mill and of the public who joined in the enquiry.

(d) the nature of the complaints about which enquiry has been made, together with the names of the persons who had lodged the complaints ;

(c) whether the persons who had lodged the complaints were called to substantiate their complaints ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes ; the report is under consideration of Government.

(b) The Deputy Registrar visited the Panipat Co-operative Sugar Mills, Ltd., Panipat on 28th October, 1959, and no other places during the course of his investigation into the complaints.

(c) Since it was not considered necessary to hold a public enquiry and most of the complaints had already been enquired into, neither the public nor the employees of the said Mill, except its General manager, were associated with the enquiry.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(d) Since the matter is still under consideration, it is not in public interest to make any disclosure at this stage.

(e) No.

श्री राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएँगे कि Deputy Registrar ने गवर्नमैंट को report कब submit की ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : 16 ਅਕਤੂਬਰ, 1959 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

श्री राम प्यारा : क्या मंत्री महोदय बताएँगे कि 16 अक्तूबर, 1959 से ले कर आज तक यानी पहली अप्रैल, 1960 तक गवर्नमैंट उस पर ग़ौर क्यों नहीं कर सकी ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

श्री राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएँगे कि गवर्नमैंट को वह report हाउस की Table पर रखने पर क्या एतराज़ है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

श्री अध्यक्ष : क्या आप यह चाहते हैं कि अफसरान जो भी enquiry करें उसकी रिपोर्ट Table of the House पर रखी जाए ? यह नहीं हो सकता। (Does the hon. Member want that the report of every enquiry that is held by the officers, should be placed on the Table of the House. That is not possible.)

श्री राम प्यारा : जनाब, उन्हों ने public में statement दी थी। यह एक co-operative अदारा है ।

श्री अध्यक्ष : तो क्या आप यह चाहते हैं कि हर छोटी मोटी बात की report आप के सामने पेश की जाए ? मेरी यह opinion है कि जब तक वह मामला खास तौर से important न हो तब तक ऐसी reports Table of the House पर नहीं आनी चाहिए (Does the hon. Member want that the reports pertaining to all such enquiries of routine nature should be placed before the House. I am of the opinion that no such report should be laid on the Table unless it is of exceptional importance.)

श्री राम प्यारा : जनाब यह बड़ा important मामला है । गवर्नर साहिब ने order किया । Enquiry हुई । यह public property है । It is not the property of the Government alone.

Mr. Speaker: No, no.

श्री राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बताएँगे कि गवर्नमैंट कब तक ग़ौर कर के इस का फैसला करेगी ?

मंत्री : तारीख तो बता नहीं सकता लेकिन जल्दी ही करेंगे ।

श्री राम प्यारा : क्या बताया जा सकता है कि जिन लोगों ने complaints कीं उन को enquiry के दौरान in confidence क्यों नहीं लिया गया ? इस की क्या वजूहात हैं ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਦੋ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ enquiry ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰੀ D.C. ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਗਲਾਂ ਪੁਛੀਆਂ ਜਾਣ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि enquiry करते वक्त जो लोग शिकायत करते हैं उन को मौका दिया जाता है कि वे बतलायें कि उन की शिकायत क्या थी ?

श्री अध्यक्ष : यह तो जवाब में बता दिया गया है कि Deputy Commissioner ने पहले enquiry की थी । (It has been stated in the reply that the Deputy Commissioner had first made an enquiry in this matter.)

पंडित श्री राम शर्मा : इसी मामले की तहकीकात जब Deputy Commissioner ने की थी तो क्या उन लोगों को मौका दिया गया था ?

REPRESENTATION AGAINST SARPANCH VILLAGE BUNDALA, DISTRICT JULLUNDUR

***5431. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Community Development be pleased to state :—

(a) whether the Director of Panchayats, Punjab has received any representation signed by more than two hundred persons of village Bundala, district Jullundur, against the Sarpanch of the said village; if so, when, together with the main allegations levelled against him ;

(b) whether any enquiry into the said allegations has been held ; if so, with what results ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. It was received on the 4th November, 1959. The main allegations are about Shamlat land in the village.

(b) Yes. The enquiry has not been completed yet. The final action will be taken after its completion.

ਪੰਡਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ enquiry ਕਦ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : 6 January ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਦ ਇਹ enquiry ਮੁਕੱਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ।

CONSTRUCTION OF BRIDGE OVER RIVER JAMUNA NEAR PANIPAT, DISTRICT KARNAL

***5305. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Public Works Department be pleased to state whether it is a fact that the site already proposed

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

and selected for the construction of the bridge over River Jamuna, near Panipat, district Karnal, has been changed and a further survey in this connection near Karnal has been made; if so, the details thereof, together with the final decision, if any, taken for the construction of the bridge ?

Chaudhri Suraj Mal : No.

श्री राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि वह site change नहीं किया गया । तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस site के इलावा P.W.D. ने किसी और site का survey किया है या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : इस का जवाब तो 'no' में दे दिया गया है । (The reply to this question has already been given in the negative.)

श्री राम प्यारा : 'No' तो इन्हों ने पहले हिस्से के जवाब में कहा था । दूसरे हिस्से में मैं ने यह पूछा था कि आया किसी और site का survey कराया गया है ?

Minister : No.

ROUTE PERMITS FOR TRUCKS ISSUED DURING THE LAST THREE YEARS IN THE STATE

*5331. **Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of route permits for trucks issued in the State during the period from April, 1957 to 31st December, 1959 ;

(b) the total number of persons recommended for the grant of such route permits apart from the grantees ;

(c) the total number of persons to whom route permits mentioned in part (a) have been given who possess trucks of their own ?

Rao Birendar Singh : (a) 957
(b) 325.

(c) 957.

ROUTE PERMITS FOR CO-OPERATIVE SOCIETIES IN TOSHAM CONSTITUENCY

*5587 **Chaudhri Chander Bhan** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of co-operative societies of Tosham Constituency in district Hissar which applied for the grant of route permits and the number of those which were granted such permits ?

Rao Birendar Singh : Part A.—None of the Co-operative Transport Societies of Tosham Constituency in district Hissar applied for the grant of any route permits.

Part B.—Question does not arise.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

LEGISLATORS' HOSTEL AT CHANDIGARH

*5432. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether Legislators' Hostel has been leased out; if so, the party to whom it has been leased out and the amount realised from the lessee ?

Sardar Narinjan Singh Talib (Deputy Minister) : The Legislators' Hostel at Chandigarh could not be leased out as the party whose tender was the highest has refused to take up the contract. His earnest money has been forfeited. The question of regulating the use of the Legislators' Hostels is under the consideration of Government.

ਪੰਡਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : On a point of privilege, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਘਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ list ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਘਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ.....

Mr. Speaker : The Legislators, Hostel has not been leased out.

जो irrelevant portion आप के सवाल में होगा वह इस में नहीं आया होगा । (The Legislators Hostel has not been leased out. Possibly the irrelevant portion in the question may have been deleted.)

ਪੰਡਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿਧਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ hostel ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Sometimes, the questions, as given notice of by Members are given proper shape by the Vidhan Sabha Secretariat.

Legislators, Hostel का जो control है वह तो स्पीकर के पास है और इस की management को House Committee regulate करती है । हाउस कमेटी के पास एक आदमी की offer ज़रूर आई थी लेकिन उस को यह दिया नहीं गया । Sometimes the questions as given notico of by Members are given proper shape by the Vidhan Sabha Secretariate The (Legislators Hostel is under the control of the Speaker and its management is regulated by the House Committee. One person, of course, had made an offer to the House Committee for its lease but it has not been leased out to him.)

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, इस hostel में आगे के लिये satisfactory catering arrangement के बारे में क्या सोचा जा रहा है ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : यह सवाल ही पैदा नहीं होता । इस के लिये House Committee बनी हुई है, आप उस से पूछें । (This question does not arise. The hon. Member may enquire it from the House Committee which deals with such matters.)

श्री लाल चन्द : स्पीकर साहिब, यह मैंम्बर जो hostel के बारे में सवाल कर रहे हैं यह तो सब M.L.A.s flats में रहते हैं और hostel में रहते ही नहीं ।

CONSTRUCTION OF TOSHAM-BAHAL ROAD

*5586. **Chaudhri Chander Bhan :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government for the construction of Tosham-Bahal Road in district Hissar ?

Sardar Naranjan Singh Talib (Deputy Minister) : Yes.

चौधरी चन्द्र भान : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह काम कब तक शुरू हो जायेगा ?

लोक-कार्य मंत्री : अभी यह under consideration है ।

चौधरी चन्द्र भान : यह कब तक under consideration रहेगा ?

मंत्री : मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकता ।

TRUCK AND BUS ACCIDENTS IN DISTRICT ROHTAK

*5507. **Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of bus and truck accidents which took place in Rohtak District during the years 1959 and 1960 and the number of accidents in which the accused have been punished, respectively ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : The reply to the question is as under :—

Year	No. of bus accidents	No. of truck accidents	NO. OF ACCUSED PUNISHED	
			In bus accidents	In truck accidents
1959 ..	5	49	1	17
1960 ..	2	5	..	..

APPOINTMENT OF PUBLIC PROSECUTORS IN THE STATE

*5509. **Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of Public Prosecutors appointed in the State during the years 1959 and 1960, respectively, and the qualifications generally kept in view while making such appointments ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Sardar Partap Singh Kairon :

1959 .. 18 (Cases of extension in service 11 plus fresh temporary appointments 7)

1960 .. 11 (Cases of extension in service 7 plus fresh temporary appointments 4)

Qualifications.—In appointing the Public Prosecutors their work as repated on by the district authorities is kept in view. (Temporary hands are engaged from the State lists of the districts which are prepared by the Legal Remembrancer on the recommendations of the district authorities and the district Bar Associations.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

GRANT-IN-AID PROVIDED TO INSTITUTIONS IMPARTING INSTRUCTIONS IN HINDI, PUNJABI AND SANSKRIT

2482. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state :

(a) whether there was any scheme for providing grant-in-aid to the institutions imparting instructions in Hindi, Punjabi and Sanskrit during the First and the Second Five Year Plan period; if so, the amount provided for the purpose during this period :

(b) the total amount of grant-in-aid given to the institutions referred to in part (a) above separately during the said period ;

(c) the details of the work done by each of the institutions to which the grant-in-aid was paid ;

(d) the criterion kept in view while sanctioning the grant-in-aid to the various institutions ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) The scheme was introduced during the Second Five-Year Plan and a sum of Rs 50,000 per annum was provided.

			Rs
(b)	1956-57	..	49,000
	1957-58	..	50,000
	1958-59	..	50,000
	1959-60	.	50,000

An additional grant-in-aid during 1959-60 amounting to Rs 25,000 is in the course of issue.

(c) Each one of these institutions prepares students for the M. I. L. and O. T. Examinations of the Punjab University and similar other examinations and the State Government provides encouragement by giving financial assistance.

(d) The grants are sanctioned according to the grants-in-aid rules framed for the purpose by Government.

Reply to unstarred Question No. 2481 having been received late from the Government i printed as an annexure at the end of this debate.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PROVIDING ALTERNATIVE SITES TO RESIDENTS OF VILLAGES BUREWAL AND SUJOKALIA IN KAPURTHALA DISTRICT

2483. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether villages Burewal and Sujokalia in Kapurthala District have fallen between the Dhusi Bund on one side and the river on the other side ; if so, whether the residents of these villages have been provided any alternative sites for the construction of houses ;

(b) the names of those residents of the villages referred to above who have been given the possession of the new sites and the names of those whose cases are still pending ;

(c) whether Government or the Deputy Commissioner, Kapurthala received any representation from the residents of the above-mentioned villages in this respect ; if so, when and the action taken thereon ?

Giani Kartar Singh : (a) Yes.

(b) No.

However the residents had been asked to shift temporarily in rainy season in the year 1959, as there was always danger to the abadi by the river. Some families shifted temporarily on the other side of Dhusi Bund, on the evacuee lands and some lived there. At present all are living in their original houses.

(b) Does not arise.

(c) (i) Yes.

(ii) In February, 1960.

(iii) Villagers intend to shift to two different sites. Efforts are being made to settle the case as early as possible.

ANNOUNCEMENTS BY THE SPEAKER

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Mr. Speaker: Under Rule 33 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Business Advisory Committee—

(1) The Speaker, *Ex-officio* Chairman
(2) Dr. Gopi Chand Bhargava, Minister for Finance.
(3) Shri Mohan Lal, Minister for Industries.
(4) Shri Hans Raj Sharma, Chief Parliamentary Secretary.
(5) Pandit Shri Ram Sharma.
(6) Sardar Achhar Singh Chhina.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

LIBRARY COMMITTEE

Mr. Speaker : Under Rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members of the Assembly to serve on the Library Committee for the financial year 1960-61.

(1) Shri Rala Ram, Chairman.
(2) Sardar Jasdev Singh Sandhu.
(3) Maulvi Abdul Ghani Dar.
(4) Sardar Harguranad Singh.
(5) Shrimati Sneh Lata.
(6) Sardar Sohan Singh (Baghapurana).

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

Mr. Speaker: Under Rule 265-B (1) of the Assembly Rules, I nominate the following Members of the Assembly to serve on the Committee on Subordinate Legislation—

(1) Sardar Umrao Singh.
(2) Shri Mohan Lal.
(3) Sardar Gurmit Singh Mit.
(4) Sardar Bhupinder Singh Mann.
(5) Chaudhri Sumer Singh
(6) Shri Lal Chand Sabharwal
(7) Shri Baru Ram
(8) Advocate-General

Sardar Umrao Singh will act as Chairman of the Committee.

इस में मैं ने उस फैसले से एक departure किया है कि कोई मैंम्बर दो कमेटियों में नहीं आ सकते । मान साहिब और दो तीन और पुराने मैंम्बर्ज़ को इस में इस लिये रखा है कि इस कमेटी का जो इन का पुराना experience है वह continued रहे । मैं मान साहिब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्हों ने पहली कमेटी निहायत ही अच्छे ढंग से चलाई । इसलिये मैं चाहता हूँ कि वह इस को attend करते रहें गो चन्द महीनों के लिए वह ग़ैर हाज़िर ही होंगे । (विघ्न) यह कहां जाने वाले हैं, यह मैं अभी नहीं बता सकता । (In this case, I have made a departure from an earlier decision that no Member can serve on two committees. I have nominated Sardar Bhupinder Singh Mann and a couple of others old members on this Committee in order to make their experience available to this committee. I am deeply grateful to Sardar Bhupinder Singh Mann for his so very ably steering the old Committee. I, therefore, want him to continue to attend its meetings, although for a few months he will remain absent. (*Interruptions*) I cannot disclose where he will be going.)

COMMITTEE OF PRIVILEGES

Mr. Speaker: Under Rule 274 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Members of the Punjab Legislative Assembly to serve on the Committee of Privileges for the year 1960-61—

(1) Chaudhri Sarup Singh (Deputy Speaker) *Ex-officio* Chairman.
(2) Sardar Gurbachan Singh Bajwa.
(3) Sardar Ajmer Singh.
(4) Rao Gajraj Singh.
(5) Shri Nihal Singh .
(6) Sardar Harcharan Singh (Mansa).
(7) Shrimati Om Prabha Jain.
(8) Chaudhri Inder Singh.
(9) Sardar Sarup Singh.
(10) Dr. Baldev Parkash.

Excepting one Member who is a Doctor, all are lawyers. (Laughter)

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

Mr. Speaker: Under Rule 161 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members of the Punjab Legislative Assembly to serve on the Committee on Government Assurances for the year 1960-61.

(1) Pandit Shri Ram Sharma.
(2) Shri Amar Nath Sharma.
(3) Sardar Atma Singh.
(4) Sardar Mehar Singh.
(5) Shri Muni Lal.
(6) Shri Ram Piara.
(7) Shri Ran Singh
(8) Sardar Prem Singh 'Prem.'
(9) Shri Ram Parkash.

Pandit Shri Ram Sharma will act as Chairman of the Committee.

HOUSE COMMITTEE

Mr. Speaker: Under Rule 267 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members of the Assembly to serve on the House Committee for the financial year 1960-61.

(1) Chaurdhri Sarup Singh (Deputy Speaker) *Ex-officio* Chairman.
(2) Shri Mangal Sein.
(3) Sardar Dhanna Singh Gulshan.
(4) Sardar Kirpal Singh 'Shant.'
(5) Shri Kesra Ram.

COMMITTEE ON PETITIONS

श्री अध्यक्ष : यह जो पहली Petitions कमेटी थी उस में एक technical ग़लती हो गई थी। उस में एक मैंम्बर Panel of Chairmen में से भी आना चाहिये था। जब चूंकि वह कमेटी dissolve हो गई है और उसकी जगह नई कमेटी बनाई गई है तो उसके मेम्बर ये होंगे :—

(1) Deputy Speaker.
(2) Shri Lal Chand.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Mr. Speaker]

(3) Sardar Charan Singh.

(4) Shri Kundan Lal Bhandari.

(5) Sardar Jagir Singh Dard.

(A technical mistake had been committed in the constitution of the previous Committee on Petitions. It should have included one Member from the Panel of Chairmen also. Now that Committee has been dissolved and instead a new one has been constituted, the following Members are nominated to serve on it :—

(1) Chaudhri Sarup Singh (Deputy Speaker), *Ex officio* Chairman.

(2) Shri Lal Chand.

(3) Sardar Charan Singh.

(4) Shri Kundan Lal Bhandari.

(5) Sardar Jagir Singh Dard.)

PANEL OF CHAIRMEN

Mr. Speaker: I nominate these Members to form the Panel of Chairmen:

(1) Khan Abdul Ghafar Khan
(2) Chaudhri Sri Chand
(3) Sardar Ajmer Singh
(4) Shri Lal Chand

OBSERVATIONS BY THE SPEAKER

हमारी दो Parliamentary Associations बनी हुई हैं, एक Commonwealth Group और दूसरी Indian Parliamentary Association. इस का एक साल तो झगड़ा ही चलता रहा कि Executive पर Council और Assembly के मैम्बर्ज़ बराबर २ हों या कितने २ हों । हम ने तो Chairman साहिब, पर छोड़ दिया था कि जो आप करेंगे ठीक है । तो इस बारे में centre को reference की गई और यह माना गया कि मैम्बर्ज़ percentage के हिसाब से हों। इस तरह हमारे 5 और Council के 3 बनते हैं । हमारी तरफ से Treasurer तालिब साहिब हैं और इन के इलावा Commonwealth Parliamentary Association की Executive में यह चार साहिबान होंगे—चौधरी सरूप सिंह, सरदार भूपिन्द्र सिंह मान, सरदार उमराओ सिंह, और डाक्टर बलदेव प्रकाश । जो Indian Parliamentary Association है, उस में चार मेम्बर यह हैं—सरदार दरबारा सिंह, श्री हर भगवान मौदगिल, सरदार प्रेम सिंह प्रेम और डाक्टर भाग सिंह । और जो General Purposes Committee या एक-आध जो और कमेटी है उस की announcement मैंने अभी pending रखी है । एक बात मैं यह चाहता हूँ कि unofficially और बिना rules में provide किए हुए ही एक-दो मैम्बर्ज़ Press और Assembly में liaison और co-ordination के लिए मुकर्रर कर दिए जाएँ ताकि आए दिन की मैम्बर्ज़ की Press के खिलाफ और Press के

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मैम्बर्ज़ के खिलाफ जो शिकायतें हों, उन को अच्छी तरह से examine कर के उन की reports मुझे दे दिया करें । अकसर जब हर छोटी-मोटी बात पर Privilege Motion आती है तो उस में lapses भी हो जाते हैं । इसलिये मैं ने सोचा कि यह दो मैम्बर Press से राबता रखें । अपनी suggestions उन को दे दिया करें और उन की मुश्किलात हमारे पास पहुँचा दिया करें ताकि किसी तरह की heart burning न जारी रहे कि Press इस तरह करती है या मैम्बर्ज़ इस तरह करते हैं । इस चीज़ को rules में provide करने की ज़रूरत नहीं । तो वज़ीर साहिबान से सलाह कर के मैं इन को मुकर्रर कर दूंगा । बाकी फिर देखा जायेगा ।

रह गई वह बात जो सुबह उठी थी और जिस पर सरदार भूपिन्द्र सिंह मान जोश से उठे थे और मैं ने अपना ruling भी दे दिया था कि House को कुछ देर के लिए adjourn कर देना चाहिये या अभी जारी रखना चाहिये । इस बारे जैसे Leader of the House कहेंगे उस पर मुझे इतराज़ न होगा । कल तमाम groups के नुमायंदे मुझे मिले थे और उन्हों ने खाहिश ज़ाहिर की थी कि House को कुछ अर्सा के लिये मुल्तवी कर देना चाहिये । अगर यह accept करते हों तो कर दें और कर ही देना चाहिये । (We have formed two parliamentary associations; one is known as the Commonwealth Parliamentary Association and the other as Indian Parliamentary Association. For full one year the dispute has been going on whether the number of members to be taken on its executive from the Council and the Assembly should be in equal proportion ; and if not, in what proportion. We left the matter entirely to the discretion of the Chairman of the Punjab Legislative Council that his decision whatever it may be would be acceptable. But after a reference had been made to the Centre, it was decided to fix this number on percentage basis. In this way 5 members from the Assembly and 3 from the Council are to be appointed. From our side in addition to Sardar Naranjan Singh Talib, Treasurer, four Members, namely, Chaudhri Sarup Singh, Sardar Bhupinder Singh Mann, Sardar Umrao Singh and Dr. Baldev Parkash will serve on the executive of the Commonwealth Parliamentary Association. On the Indian Parliamentary Association side, these will be the four Members, namely, Sardar Darbara Singh, Shri Harbhagwan Maudgil, Sardar Prem Singh 'Prem' and Dr. Bhag Singh. I have kept pending similar announcements about the nomination of Members to the General Purposes Committee and one or two other committees. One thing that I want is that one or two members should be appointed unofficially and without making any provision in the rules, to maintain liaison and co-ordination between the

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Mr. Speaker]

Press and the Assembly so that they may submit to me after thorough examination the reports of all the complaints made every now and then by the Press or the members against each other. It may be mentioned that lapses are likely to occur when a question of privilege is raised on every petty issue. That is why I thought that these two members should serve as a liaison between the Press and the Sabha. They should convey their suggestions to the Press and communicate the difficulties of the latter to me, so that any heart burning existing in the Members or the Press against one another due to their respective activities may not continue . This need not be provided for in the rules. I will nominate these members after consulting the Ministry. Rest of the matter will be seen later on.

As regards the matter raised earlier, and on which Sardar Bhupinder Singh Mann spoke excitedly, I advised about the adjournment or otherwise of the House for some time. I will have no objection to whatever the leader of the House decides about it. Yesterday, representatives of all sections in the House met me and expressed their desire for the adjournment of the Sabha for some time. The House will be adjourned if the Leader of the House agrees to this proposal which he should.)

ADJOURNMENT OF THE ASSEMBLY

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday the 19th April, 1960.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday; the 19th April, 1960.

श्री लाल चन्द (जालंधर शहर, उत्तर-पूर्व) : जनाब स्पीकर साहिब, यहां पर 19 अप्रैल को फिर meet करने की proposal रखी गई है यह ठीक है लेकिन मैं Leader of the House से यह कहना चाहता हूँ कि पंजाब में hill-station के रहने वाले बहुत देर से इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन की importance को कायम रखा जाये और अगर आठ-दस दिन के लिये session शिमले में कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा ।

Mr. Speaker: Question is—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday, the 19th April, 1960.

The motion was carried.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

RESOLUTION UNDER SUB-SECTION (3) OF SECTION 61 OF THE ELECTRICITY (SUPPLY) ACT, 1948 (RESUMPTION OF DISCUSSION)

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana General) Mr. Speaker, Sir, before I resume my observation on the Financial statement of the State Electricity Board which was laid on the Table of the House......

(Voices : Punjabi please)

ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ correct ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ Electricity Board ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਲਗੀ ਹੈ ਤਾਂ Electricity Board ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ Electricity Board ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜਟ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।

Mr. Speaker: ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ (The hon. Member is right in saying this.)

Sardar Bhupinder Singh Mann: Sir, I stand corrected. It would have been unfair on my part if I had not corrected my earlier statement.

ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੜੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! Electricity Board ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਇਸ ਈਵਾਨ ਦੇ prestige ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ working ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਏ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Board autonomous ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ Central Act ਦੀ relevant clause ਅਤੇ Amending ਕਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Board ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਕਿਥੇ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਮਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਹਾਊਸ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ Finance Department ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ Finance Department ਦਾ ਤਆਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ develop ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Finance Department ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

Note: On 30th March, 1960, Sardar Bhupinder Singh Mann moved the resolution—

"That the Annual Financial Statement (II Supplementary Budget Estimates) for the year 1959-60, and the Annual Financial Statement (Budget Estimates, for the year 1960-61 of the Punjab State Electricity Board laid on the Table of the Vidhan Sabha on the 18th March, 1960, be taken into consideration.'

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਦੇਰ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ House ਵਿਚ ਬਜਟ ਇਸ Board ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਖਰਚ ਬੋਰਡ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਿਸੇ item ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇ ਹਰ ਪਖ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਮਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕ ਪੈਂਮਫਲਿਟ ਕਢਿਆ ਸੀ। "From power to prosperity". ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਨਿਕੀ ਤੋਂ ਨਿਕੀ ਤੇ ਵਡੀ ਤੋਂ ਵਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। Tube-wells ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Industry ਅਤੇ commercial concerns ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵ ਕੀ ਅਸਾਡਾ economic structure ਬਿਜਲੀ ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ corporation ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ Road Transport Corporation ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਖਮੁਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ Bhakra Control Board ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਾ fallacious argument ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ departments ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Control Government ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ departments ਨਾਲ ਕਬਾਹਿਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀੜੀਆਂ ਹਨ। S.D.O. ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ connections ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਡਬੀਤੀ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਆਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ priority ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੇ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਕੋਈ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਢਾਈ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ S.D.O.s ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ connections ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਨੂੰ connection ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ S.D.O.s ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ।

ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ embezzlement ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਰੀਹਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ shortfall ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਥਾਂ store keeper ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲ audit ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ xen ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੈ ਗਿਆ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਉ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਏਥੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਗਵਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰਹਿਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ Vigilance Department ਹੈ, Anti-Corruption Department ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ corruption ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ Secretariat level ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਖਿਰ Government can issue any directive from time to time. ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 4, 5 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰਾਤ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਐਸ. ਈ. ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰਚ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ store purchase ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ S.D.O. ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ switches ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ reminder ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ 60 dozen switches 189 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਸੀ । ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਟੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 60 dozen switches 489 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]

ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ commercial business ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ profit ਦਾ Management ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਤੇ seen and file ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਛਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਤੇ action ਲੈਣ ਵੇਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 189 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਮਾਲ 425 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ efficiency ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਉ। ਫੇਰ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ mistake ਦਾ ਫੈਸਲਾ Board of Directors ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦੇਉ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ private firm ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ public ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ spend ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਕਿਮੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ Punjab Government ਦੇ Codes ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵਾਸਤੇ contract ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ case to sue and to be sued ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਇਹ separate entity ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ Punjab ਦੇ Boards ਹਨ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ Electricity Board ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker: The question is the vigilance of the Government over the working of the State Electricity Board. The Board is an autonomous body.

Sardar Bhupinder Singh Mann: I understand that, Sir. But, what constitutional propriety has been observed by the Board? I want to know that.

Mr. Speaker: The Annual Financial Statement of the Board has been placed before the House, and the Board will come to know of its views. The putting up of different name plates, the change in designations, etc., are, however, matters which are not within the scope of this House to discuss.

Sardar Bhupinder Singh Mann: I can understand the independence of the Board from the Finance Department, but it is certainly responsible to the House.

Mr. Speaker: The honourable Member should avoid making any reference to the day-to-day administration of the Board. The board matters of policy can, however, be discussed.

Sardar Bhupinder Singh Mann: I want that this House should exercise its vigilance over the Board through its three different Committees, i.e., the Public Accounts Committee, the Estimates Committee and the Committee on Subordinate Legislation. The accounts and the estimates of the Board should be subject to the scrutiny of the Financial Committees. So far as

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

the Committee on Subordinate Legislation is concerned, of which I have been the Chairman, it has not surrendered its rights to examine the rules etc., because they have been framed under a delegated authority.

Mr. Speaker: Authority of the Government and consequently of the House, extends over policy matters, but reference to day-to-day activities of the Board should be avoided.

Sardar Bhupinder Singh Mann: I would not go into minor matters, Sir, I would, however, suggest that, in future ,the Minister concerned should bring in a motion to discuss the Budget of the Board, and this thing should not be left to the sweet will of a private Member. In fact, it should be obligatory on the Minister-in-Charge to come forward with such a motion every year.

There are one or two more suggestions which I want to make. During this Session, I have been looking forward that some relief in the duty imposed on the power supplied to irrigation tube-wells, would be announced. This, has, unfortunately, not been done. If food production is to be increased, the electricity duty on the power supplied to irrigation tube-wells should not be levied. The private owners of these tube-wells had invested a lot of money and it was in the fitness of things that they should be given some relief. Electricity is also supplied cheaper to the Government tube-wells. Hence I consider that the private owners of the tube-wells, who are engaged in the production of food, should be given immediate relief.

11 .a m. (At this stage Shri Lal Chand, a member of the penal of Chairmen, occupied the Chair.)

Another point which I want to emphasize is that although the Government have announced from time to time that they would supply more electricity to the rural areas including the backward and hilly areas, no concrete steps have so far been taken by it in that direction. To say that only such and such project could be sanctioned, or an electric line taken to a particular area, if there was a stipulated return, was a fallacious argument. So I want to point out that the same yardstick should not be used in the matter of supply of electricity to the urban as well as rural areas. I know for certain that so far as the hilly areas are concerned, they are going to starve. I feel where the development of a hilly or a backward area is concerned, the return should not be the criterion. The Government should, therefore, change its policy in this regard and lay down two schedules, one for the urban areas and the other for the rural areas, including backward and hilly tracts.

श्री मंगल सैन : चेयरमैन साहिब टाइम fix कर दीजिए।

श्री चेयरमैन 10, 10 मिनट किए देता हूँ। (I fix 10 minutes for a speech.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ department ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ-

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]

ਮੁਖਤਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ producers ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਕੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ industry ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ producer ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ etiquette ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਥਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ producers ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਥੇ ਇਸ department ਵਿਚ ਬੜੀ ਥਰਥਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ Board ਦੀ Service ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਹਾਈ ਰਾਮ ਦੀ ! ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ Agricultural ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਉ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਉ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ producer ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੋਡੀਊਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੇ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਨੇਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Subordinate Services Selection Board ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਕਲਰਕ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂਬਰ ਰਖੇਗਾ ਔਰ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਰਖੇਗਾ । ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ producer ਦਾ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ producers ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਟੀਊਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ । ਟੀਊਲਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚ producers ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ majority ਦੇ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ dismiss ਕਰਨ ਦੀ ਹਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ condemn ਔਰ warn ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : चेयरमैन साहिब, आज इस House में Punjab Electricity Board के supplementary budget और annual budget पर विचार हो रहा है । हमारा पंजाब border State होने की वजह से हिन्दुस्तान में एक important स्थान रखता है। इस के इलावा Chairman साहिब, आज़ादी मिलने के बाद हमारे प्रान्त ने जो तरक्की की है उस के नाते भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। Chairman साहिब, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सरकार ने हमेशा इस House से करोड़ों रूपया पास करवाया और कहा कि हम ने बांध बांधा है, उस से हम उन इलाकों को पानी देना चाहते हैं जहां पर ज़मीदारों की खेती सूख जाती थी और वह मेहनत करने के बावजूद भी ज़मीन से कुछ हासिल नहीं कर सकता था और साथ ही यह कहते थे कि उस पानी से बिजली भी पैदा करेंगे और सारे पंजाब को रोशन कर देंगे । यहां तक भी कहा गया कि लोगों को लकड़ी और कोयले की भी ज़रूरत नहीं रहेगी । सब काम बिजली से ही लोग किया करेंगे । यह तो extreme की बातें कहीं । इस के इलावा यह कहा कि हमारा सूबा Agricultural Province है । सब लोग खेती पर निर्भर हैं लेकिन ज़मीन यहां पर कम है और आबादी ज्यादा है जिस की वजह से बेकारी फैली हुई है, उस बेकारी को दूर करने के लिये लोगों को कारखाने लगाने के लिमे बिजली देंगे जिस से लोगों को रोज़गार मिल सकेगा । लेकिन अब देखते हैं तो कुछ और ही नज़र आता है । हमारी Government ने

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री मंगल सेन]
Electricity Department को corporation की शकल दे कर इस को एक commercial concern बना दिया है ताकि इस से ज़्यादा पैसा पैदा किया जा सके। इसी House में एक Bill पास कर के उन को सब अख्तियारात दे दिए गए हैं। लेकिन इस Electricity Board ने जिस भद्दे तरीके से काम किया है उस को देख कर हमें बड़ी निराशा होती है। अगर उन Board के अधिकारियों को कुछ कहें तो वह कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का control नहीं इस लिये हम जो कुछ चाहें कर सकते हैं। चेयरमैन साहिब, पंजाब की जनता को कहा गया कि तुम कारखाने लगाओ हम तुम्हें बिजली देंगे। लोगों ने अपनी पूंजी लगा कर कारखाने लगाये लेकिन इस सरकार की नाअहलियत का यह हाल है कि यह उन को बिजली भी नहीं दे सकी। नए कारखानों को तो बिजली देना दरकिनार उन्हों नें पुराने कारखानों की भी बिजली बंद कर दी। जिस की वजह से न सिर्फ कारखानेदारों को ही चोट लगी बल्कि उन factories में जो काम करने वाले मज़दूर थे वह बेकार हो गये और भूखे मर रहे हैं। जब Electricity Board को और Government को इस का हल करने के लिये कहा जाए तो जवाब दिया जाता है कि चूंकि बारिश नहीं हुई और दरिया में पानी कम हो गया है इसलिये हम मजबूर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह उन की ज़िम्मेदारी नहीं है कि बिजली supply करने का कोई और इन्तज़ाम करे। सरकार का सिर्फ यही काम नहीं होता कि वह आए दिन taxes बढ़ा दे इस के साथ ही Government की यह भी responsibility है कि वह लोगों को बेकारी से निजात दिलाने के साधन निकाले। अगर वर्षा नहीं हुई तो Government को कोई और बिजली supply करने का प्रबंध करना चाहिये था ताकि कारखानेदारों को धक्का न लगता और मज़दूर बेकार न होते। आज हम देख रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। लोगों को पहले कह दिया जाता है कि कारखाने लगा लो, जब वह खर्च कर के machinery वगैरह लगा लेते हैं तो उन को बिजली नहीं दी जाती। मैं आप को रोहतक की मिसाल देता हूँ। वहां पर एक नौजवान ने B.A. पास किया। उस ने कहा कि मैं 80 या 100 रुपये की नौकरी करने की बजाये कारखाना लगाऊंगा क्योंकि मेरे पिता के पास पूंजी है। उसे कारखाना लगाए साल भर हो गया है। उस के जूते घिस गए हैं Electricity Board की authorities के पास जा जा कर मगर उस को बिजली नहीं मिली। सोनीपत में भी बहुत से small scale पर कारखाने हैं जिन को Electricity Board की तरफ से बिजली नहीं दी जा रही। लापरवाही के इलावा Electricity Board में रिश्वतखोरी इतनी ज़्यादा है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे ज़िले में कलानौर एक जगह है वहां पर एक line superintendent ने अंधेर मचा रखा है। उस ने लोगों से applications ले लीं और कहा कि चिंता न करो। तुम को बिजली देंगे।

उन लोगों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर और जिस ने रिश्वत दे दी और जिस नें सौ सौ के नोट जेब में डाल दिए उनका काम कर दिया लेकिन जो genuine cases

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

थे और जिनको बिजली मिलनी चाहिये थी उन को नहीं दी गई । चेयरमैन साहिब, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर संसार ने चलना, घर गृहस्थ ने चलना है, समाज ने चलना है इस लिये ब्याह शादियां होती हैं । लोगों की इच्छा रहती है कि शादी के मौकों पर जब बारात ने घर पर आना है तो उन के स्वागत के लिये रोशनी का प्रबंध किया जाये और आज कल की सब प्रकार की सुविधाएँ इस्तेमाल करते हुए आने वाले महमानों की आओ-भगत की जाए लेकिन उन को बिजली के temporary connections नहीं दिए जाते हैं। शादियों के लिए बिजली न इस्तेमाल करके तो लोग दिल को तसल्ली दे सकते हैं लेकिन सब से मुख्य बात यह है कि अगर पंजाब ने फलना-फूलना है और इक्तसादी तौर पर अपने पांव पर खड़ा होना है, पंजाब के किसानों, छोटे दुकानदारों, कारखानेदारों और मजदूरों को सुखी बनाना है तो चेयरमैन साहिब Electricity Board को कम rate पर बिजली देने का बंदोबस्त करना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि मिनिस्टर यहां पर खड़े हो कर झूठे वादे कर दें कि हम घर घर में बिजली दे देंगे लेकिन आलम यह है कि जहां जरूरत है वहां भी बिजली नहीं मिलती । इन अलफाज़ के साथ समय का ध्यान करते हुए यह कहूँगा कि यह जो उन का बजट है पास नहीं होना चाहिये ।

ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ (ਫਿਲੌਰ): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਂ ਬੋਰਡ under discussion ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆਮ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ, sug es ions ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ discussio ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ supply ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸੇਕ ਲਗਾ ਹੈ । ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿਚ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਲਾਊਂਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ]

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਤ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਵਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਉਥੇ ਵੀ ਘਟ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ supply ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਲ ਜਿਥੇ ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਪੁਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਖੂਹ ਲਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਵਧ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਲ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਲਸਾੜ੍ਹਾ ਪਰੋਜੈਕਟ sanction ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ return ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ-ਬਖਸ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 5 ਮੀਲ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਬੇ ਲਗੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ supply ਹੋਣ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦਾ ਜੋ ਟੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਖੂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ । ਉਥੇ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ tube-wells ਚਲਾਓ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਉ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਗੱਲ ਹੈ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਜੋ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਸਾਡੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ S. D. O. ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ S. D. O. ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦਾ incharge ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ S. E. ਤੇ X.E.N. ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹਾਂ । ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ S. D. O. ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ producers ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : चेयरमैन साहिब, यह मामला जो मान साहिब ने उठाया है काफी अहम है और उसके कई पहलू हैं । एक यह है कि State का करोड़हा रुपया हो तो उस की सारी ज़िम्मेदारी बोर्ड के सिर्फ चन्द बुज़र्गों के सिर पर ही क्यों लगे । अगर credit कुछ आता है तो वह शायद सरकार को ही जाता है और उनको नहीं जाएगा क्योंकि वह मुलाज़िम कहलाएँगे । उन में पब्लिक के भी एक दो नुमायंदे हैं । जो बुराई होती है चाहे उस पर उनका कोई control न हो क्योंकि जितने मुलाज़िम हैं वह उन के नहीं हैं बल्कि सरकार के हैं लेकिन वह बुराई अगर सारी उनको दी जाए तो चेयरमैन साहिब यह इनसाफ की बात नहीं होगी । मैं यह कहूँगा कि बोर्ड के मैम्बरान के interest में यह है कि वह खुश न हो कि हम आज़ाद हो गए, खुद मुख़तार बाडी बन गए इस लिए "सय्यां भए कोतवाल अब डर काहे का" । (हंसी)

चेयरमैन साहिब, यह जो गद्दी है यह कांटों का ताज है । इस सिलसिले में कोई दो अरब के करीब सेंट्रल गवर्नमैंट से क़र्ज़ लिया गया लेकिन करोड़ों रुपये का काम बिना मंज़ूरी लिये चलता रहा ।

श्री चेयरमैन : यह तो आप के सोचने की बात है । (It is a matter of opinion.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : चेयरमैन साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि दस बरस तक बिना मंज़ूरी लिए काम चलता रहा और मान साहिब से कहना चाहता हूँ कि board तो आज क्याम में आया है लेकिन आप जानते हैं इस से पहले भी बिना मंज़ूरी लिए Switches ख़रीदे गए ।

श्री चेयरमैन : सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री को सम्बोधित करते हुए राओ साहिब, जब आप के महकमे पर debate हो रही हो तो या आप खुद बैठा करें या कृपया डिप्टी मिनिस्टर साहिब को बिठा जाया करें । (*Addressing the Minister for Irrigation and Power*) I would request Rao Sahib

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री चेयरमैन]

that when his department is under discussion, he should either himself remain present in the House or ask his Deputy Minister to remain here.)

सिंचाई तथा उद्योग मंत्री : लाला बनारसी दास जी हाउस में मौजूद थे । वह मुझे बता सकते हैं । मैं इन्हीं के लिये गया था ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : चेयरमैन साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि भूपेन्द्र सिंह जी ने स्विचों का मामला उठाया कि जब पहले 179 रुपये में स्विच खरीदे गये थे तो फिर बाद में 400 रुपये में क्यों खरीद किये गए ।

मैं मान साहिब के साथ इस बात में मुकम्मल तौर पर इत्तिफाक रखता हूँ कि इसकी जितनी कड़ी सज़ा दी जाए मुनासब है । लेकिन चेयरमैन साहिब, भाखड़ा में करोड़ों रुपये का गोलमाल हुआ जिस की सज़ा शायद मान साहिब भी न दिला सकें । चेयरमैन साहिब, यह तो वही बात है :

मरज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की ।

ग़रीबों को सज़ा मिलती है लेकिन बड़े बड़े आदमियों को कौन पूछता है । इस लिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि ग़लती किसी और की हो और condemn बोर्ड वालों को किया जाय यह बात खूबसूरत मालूम नहीं होती । चेयरमैन साहिब, बदकिस्मती देखिए कि बाज़ लोगों की किस्मत में नेकी नहीं होती । राड़े वाला साहिब, बिजली के महकमा के वज़ीर थे । उन्हें हटा दिया गया, वह महकमा उन्होंने छोड़ दिया या उन से ले लिया गया मैं इस बात में नहीं जाना चाहता । खैर वह महकमा चीफ मिनिस्टर साहिब के पास आ गया । बदनसीबी यह कि यह महकमा उन के पास आने की देर थी कि भाखड़ा का हादसा पेश आया जिस की वजह से न सिर्फ चन्द जानें ही गई लेकिन करोड़ों रुपये का नुकसान भी हुआ । बज़ाहर देखने पर मालूम होता है कि चन्द लाख रुपया इधर से उधर हुआ लेकिन हकीकत यह है कि करोड़ों से ऊपर तो नुकसान हुआ और बिजली के न मिलने से इंडस्ट्री और फसलों को जो नुकसान हुआ उस पर निगह डाले तो इस नतीजा पर पहुँचते हैं कि नुकसान की gravity कितना ज्यादा है । यह अपनी बदकिस्मती की बात है कि चीफ मिनिस्टर को ऐसा ही सेहरा मिलना था । अब यह कहा जाता है कि बोर्ड वालों ने बिजली नहीं दी, फलां जगह पर यह शिकायत है वह शिकायत है । मैं अर्ज़ करता हूँ कि शिकायतें पहले भी थीं ; अब भी हैं । उनकी नोइयत पहले भी खतरनाक थी अब भी खतरनाक है लेकिन आखिर बोर्ड वाले एक ही दिन में जादू का डंडा चला कर उन तमाम बुराइयों को जो बारह बरस से चली आ रही हैं दूर नहीं कर सकते । मैं समझता हूँ कि यह बोर्ड वालों से बे इन्साफी है । बोर्ड के अफसर honest हैं । उन की काबलियत पर किसी को शक नहीं हो सकता लेकिन यह उन के interest में है कि जो ज़िम्मेदारी उन के ऊपर आई है उसे खुशअसलूबी से सरअंजाम दें । इसके साथ मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस हाउस का अधिकार उन पर रहना चाहिये कि वह न सिर्फ गवर्नमैंट को जवाब देह हों बल्कि हाउस के साथ पंजाब की जनता को

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

जवाब देह हों ताकि जो करोड़ों रुपये का खर्च होता है, आए दिन चर्चा चलती है, शिकायतें होती हैं कि वहां यहां ग़बन हुआ, वहां ग़बन हुआ उन पर गवर्नमैंट के नुमायंदे विचार कर सकें। ट्रैक्टरों के cases की पिछले दिनों चर्चा रही। उस सिलसिला में एच के. दास को सर्टिफिकेट दिया गया . . . . . .

Mr. Chairman: How is it relevant to the debate.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : चेयरमैन साहिब, मुझे तो हैरानी होती है कि यह जानते हुये भी कि वह हवालात में रहा। उसकी जायदाद और तमाम कारोबार अंबाला में था . . . . .

Mr. Chairman : The hon. Member knows full well that this matter is *sub-judice*, still he wants to import it in his speech. It is not relevant.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं अर्ज़ कर रहा था कि आज भूपेन्द्र सिंह जी मान ने न सिर्फ स्टेट की और न सिर्फ इस हाउस की बल्कि बोर्ड के मैम्बरों की भी बहुत सीखिदमत की है। इस लिये कि वह देखते हैं कि आखर एस्टीमेट्स कमेटी जो होती है वह छोटी छोटी बातों को देखती है। वह इन बातों को क्यों न देखे? पब्लिक एकाऊंट्स कमेटी को क्यों अधिकार न हो? हाउस को क्यों अधिकार न हो कि वह इन बातों पर अपने ख्यालात का अज़हार करे।

बोर्ड के मैम्बरान को मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज सारी स्टेट के अंदर बिजली की थुड़ होने के कारण जो कई वजूहात से हुई हाहाकार मचा हुआ है और एक तूफान उठ खड़ा हुआ है। (घंटी)

जनाब मैं अभी खत्म किये देता हूँ। हमारे यहां कुछ भाइयों ने pumping sets लगाए हैं उन्हें बिजली नहीं मिली, उन के लिये बहुत मुशिकल पैदा हो गई है। पसमांदा लोगों ने रुपया भी लगाया मेहनत भी की लेकिन उन्हें फल नहीं मिला। कई जगह पर नई लाइनें लगी हैं लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिली। इन अलफाज़ के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि बोर्ड के मैम्बर साहिबान के साथ ताल मेल रखें ताकि जितनी खराबियां मान साहिब, दीवाना साहिब और श्री मंगल सेन जी ने रखी हैं उन को दूर किया जा सके।

श्री मुनी लाल कामरेड (शिमला) : जनाब चेयरमैन साहिब, Electricity Board के बारे में जिस को कि autonomous body बनाया गया है कोई एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं क्योंकि मैं समझता हूँ कि Electricity का महकमा बहुत अहमियत रखता है और इस का industrial development के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। पंजाब ने industrial development करनी है और day-to-day administranion में मदाखलत को रोकने के लिये बेहतरीन ज़रिया यही था और जम्हूरी ढंग यही था जो महकमे ज्यादा अहमियत के हों उन्हें खुदमुख्तारी का दर्जा दे दिया जाय।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री मुनी लाल कामरेड]

लिहाज़ा इस बात पर ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं, लेकिन इस के साथ मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मान साहिब ने जो नुकता उठाया है वह काबले गौर है और इस की ताईद करनी ज़रूरी है । इस वक्त सारे सूबे में electricity की मांग बढ़ती जा रही है । जहां supply और demand का सवाल हो यानी पैदावार कम हो और मांग ज्यादा हो तो खदशात पैदा हो जाते हैं कि छोटे दर्जे के अफसरान corruption न करने लग जाएँ । वे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक connection देना शुरू करेंगे जिस से corruption के chances में इज़ाफा हो सकता है । जहां connection देने का सम्बन्ध rural electrification से हो, जब इस का ताल्लुक Grow-More-Food Campaign से हो, जब इस का ताल्लुक industrial activities के साथ हो तो ज़रूरी बात है कि लोगों को anxiety का सामना करना पड़ेगा । जो लोग connections लेने की demand करते हैं उन्हें खुशी होती है अगर connection जल्दी मिल जाये और दूसरी तरफ कोशिश करते हैं कि यह connection जल्दी हासिल करने के लिये किसी अफसर को रिश्वत दी जाए । हो सकता है कि इस तरह से Electricity Board के कुछ मुलाजम रिश्वत का शिकार हों जाएँ और सारे हाउस के पास इस बारे में शिकायतें जाएँ । यह भी हो सकता है कि power होते हुए भी connections कम दिये जाएँ, लोगों की दरखास्तों के अंबार लगे रहें । हालांकि इन हालात में बिजली के महकमे को निहायत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है लेकिन फिर भी sanction में देरी की वजह से लोगों के कामों में रुकावट पैदा होती है । दूसरे बिजली की बढ़ती हुई demand को मद्दे नज़र रखते हुए मैं महसूस करता हूँ कि बोर्ड की खुदमुख्तारी के दर्जे को curtail करना ज़रूरी है । मान साहिब ने यह तजवीज़ पश की है कि Electricity Board के Accounts Estimates Committee और Public Accounts Committee के सामने आने चाहियें । इस तरह से मान साहिब ने Electricity Board के मैम्बर साहिबान को बरीयत हासिल करने का मौका दिया है । अगर हाउस के पास अख्तियार रहेंगे तो बोर्ड के मैम्बरान को भी अपने subordinates के Accounts check करने का हक हासिल होगा । मैं समझता हूँ कि वहां हम इन हालात में policy की बात चीत कर सकते हैं वहां पर हम चाहते हैं कि day-to-day administration में मदाखलत न हो । Accounts के बारे में जो serious allegations लगाए गये हैं कि switches की prices में variations थीं—यह तो जनता के पैसे को misuse करने की बात है । इस लिये हाऊस को बोर्ड की खुदमुख्तारी को ध्यान में रखते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि इस के काम में day-to-day interference न हो । इस बात का भी ख्याल रखना लाज़मी है कि स्टेट का पैसा misuse न हो । अगर Electricity Board के Accounts हमारी Estimates या Public Accounts Committee के सामने आएँ तो इस तरीके से यह check हो सकेंगे और बोर्ड की खुदमुखतारी का जज़बा कम हो जायेगा ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

अब मैं पालिसी के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ । यह बात justifiable है कि शहरों में commercial line पर बिजली supply की जाये क्योंकि electric connections की मांग दिन-ब-दिन बढ़ रही है । लेकिन इस के साथ २ मैं यह भी अर्ज़ करूंगा कि अगर ज्यादा तवज्जुह शहरों की तरफ दी गई तो देहात को electrify करने का काम पीछे पड़ जायेगा । मान साहिब ने गवर्नमेंट का ध्यान rural areas और इस के अलावा hilly and backward areas की तरफ भी दिलाया है । इन इलाकों की development के लिये ज्यादा तर सड़कों की ज़रूरत है । जो काम मौजूदा वक्त में सुस्त रफतारी से हो रहा है । बिजली के महकमे को चाहिये कि वह इन इलाकों को बिजली मुहैया करने की तरफ़ भी ध्यान दे ताकि इन इलाकों के लोग cottage industries की development की तरफ ध्यान दें और Lift Irrigation की बात सोच सकें । मैं समझता हूँ कि Electricity Board के बन जाने से हमारे Irrigation and Power Minister powerless minister हो गये हैं । इन के अख्तियारात सब छीन लिये गये हैं । मान साहिब ने कोशिश की है कि इन के अख्तियारात पर कुछ इस तरीके से पाबंदी लगा दी जाए कि यह बोर्ड अपनी मन मानी कार्वाइयां न कर सके जिस से corruption का इमकान हो । इस लिये मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा कि इसे Estimates या Public Accounts Committee के दायरा-ए-इख्तियार में लाया जाए ताकि वह इस की administration पर कड़ी निगरानी रख सके ।

(*At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ electricity board ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ autonomous ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ functions ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਅੰਜਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ autonomous ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ premature ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਸ ਸਕੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ commercial ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ autonomous ਬੋਰਡ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਕਿ Commercial ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ state trading ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਪਏਗਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ luxuries ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ necessities of life ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । Electricity ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ luxury ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ necessity ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Necessities ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਹਟਾਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ electricity ਇਕ necessity ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਥੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ blackout ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਨਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ ਇਕ necessity of life ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ regular supply ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਆਖਣੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ supply ਇਸ ਲਈ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ।

ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ । ਇਹ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਏਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੱਲਤ ਹੈ । ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਘਟਾਇਆ ਜੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ hoist chamber ਵਾਲੇ mishap ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਏਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਅਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ hoist chamber ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਸੀ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਸੀ । ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰੁਸਤ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਤਨਾ ਮਸਾਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ । ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ necessity of life ਬਨਣ ਪਿਛੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇ । ਭਾਵੇਂ diesel sets ਹੀ ਹੋਣ । ਇਹ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਪਰ ਖਵਾਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ complaint ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ financial tatement ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ autonomous body ਹੈ । ਏਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ ਇਸ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦੀ financial statement ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੀਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ compare ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਨਾ ਰੁਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨਾ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕ ਜਾਂਦੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ financial statement ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੀ ਜਾਏ । ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ minium consumption guarantee ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ minimum consumption guarantee ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੇਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਸ Minisum Consumption Guarantee ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ discrimination ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ,14 15 ਮੀਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ line ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਉਸ ਤੇ ੧੪, ੧੫ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਕੋਈ M.C.G. ਦਾ ਉਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ connection ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ । ਏਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਨਹੀਂ ਏਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਥੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ approach ਕਰਨਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਕਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਛਣ । ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁਛਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ । ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲਾਹ ਕੇ ਅਲਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਖੜੇ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]
ਸੀ । ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ commercial ਤੌਰ ਤੇ ਰਖਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਬੇਸ਼ਕ ਬਾਹਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਏਥੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਗਲਤੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨੀ percentage agricultural purpose ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੀ percentage industries ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ lighting purpose ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਫੇਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ (ਘੰਟੀ) ਕਈ ਜਗਾਹ tubewells ਲਗਾਏ ਹਨ । Agricultural purpose ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । Producer ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਰਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ industry ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ produce ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, unemployment ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ material ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਿੰਨਾ ਉਸ material ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ material ਬਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 10 ਘੁਮਾਂ ਪੈਲੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ agricultural purpose ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । Rates revise ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ assure ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ । ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ assure ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ efficiency ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Financial Statement ਵਿਚ ਵਾਜ਼ੇਹ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ (ਘੰਟੀ) ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ percent ਬਿਜਲੀ agriculture ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ percent industries ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ percent lighting ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ agricultural purpose ਵਾਸਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ diesel sets ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸ ਪਏ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ tubewells ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, production ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਡੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਰਾਹੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ । (ਘੰਟੀ)

श्री अध्यक्ष : इस Resolution पर 12 बज कर 10 मिनट पर बहस खत्म होनी थी । जो मैम्बरज़ बोलना चाहें मैं उन को दो दो तीन तीन मिनट देना चाहता हूँ । इस लिये यह time 15 मिनट और extend किया जाता है । (The discussion on this resolution was to terminate at 10 minutes past 12 o'clock. I want to accommodate every member by allowing him to speak for two or three minutes. Therefore the time of this sitting is extended by 15 minutes.)

12 noon

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੱਖਣ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗ ਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ revenue receipts ਅਤੇ capital receipts ਹਨ ਅਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ expenditure ਦਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ details ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਡ ਅਡ items ਦੀਆਂ details ਦਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਵੀ details ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿਸ item ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ autonomous Board ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ autonomous Boards ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ function ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ Constitutions ਵੀ different ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, Government ਦਾ working ਵੀ different ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ sense of responsibility ਵੀ different ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ experience ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਐਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ working ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ position deteriorate ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਦੀ shortage ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ difficulty ਮੈਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਬਿਜਲੀ ਦੀ supply ਦੇ hours fixed ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨੇ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ supply ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ । ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ hours ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ supply ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ break ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ foundry ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ supply hours ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ break ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਾ ਢਲਿਆ ਲੋਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]

ਹੈ ਉਹ ਭੱਠੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ unexpected break downs ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ oil engines ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ connection ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ Industrial Estates ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਟਟੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ allot ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, workshops allot ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟ connection ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ oil engines ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ connection ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ connection ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ agriculture ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਅਤੇ food ਵਿਚ self-sufficiency ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ top priority ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ foodgrains ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ foreign countries ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ agriculture ਲਈ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਨਮਾਰਕ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਥੇ agriculture ਨੂੰ encourage ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਪੈਸੇ per unit ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ industry ਲਈ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਰ ਆਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਆਨੇ per unit ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ industry ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ agriculture ਲਈ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਅੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ agriculture ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ agriculturists ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ demands ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ rural area ਨੂੰ electrify ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ mockery ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸਾਲ electrify ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 263 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੇਵਲ 112 ਪਿੰਡ ਹੀ electrify ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। Position ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਅਧੇ ਪਿੰਡ ਵੀ electrify ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਪਰ percentage of return ਪੂਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ lines ਖਿਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, sub-station ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ return ਦੀ percentage ਐਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ commercial ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ step motherly treatment ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ Switzerland ਵਿਚ ਜਿਥੇ hydro-electric power ਨਾਲ development ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ rural areas ਨੂੰ ignore ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ step motherly treatment ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

श्री राम चंद्र कामरेड़ (नूरपुर) : स्पीकर साहिब, मैं महसूस करता हूँ कि हम ने यह autonomous board बना कर एक अच्छा कदम उठाया है लेकिन मेरी राय यह भी है कि जहां पर ऐसे autonomous boards बने हुए होते हैं वहां पर Estimates Commitee को हक हासिल होता है कि वह इन को examine भी कर लें पिछले साल हमारी Estimates Committee के सामने यह मामला पेश हुआ था हम ने यह फैसला किया था कि स्पीकर साहिब के साथ मशविरा किया जाए । Centre में Estimates Committee जो भी मांग करती है वह हर information Board उन को supply करता है और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो इस पर कमेटी को satisfy भी किया जाता है । इस सम्बंध में मैं यह suggestion देना चाहता हूँ कि अगर financial statement की details दी जाया करें तो हम बेहतर समझ सकेंगे ।

दूसरी चीज़ जिस की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और आपके द्वारा इस महकमे की तवज्जुह इस तरफ दिलाना चाहता हूँ । वह यह है कि हमारी असैम्बली ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया हुआ है कि backward a eas की development के लिये कुछ preference दी जाये । लेकिन मालूम होता है कि Department को इस बात का न तो इल्म है और न ही उस की तरफ़ से इस प्रस्ताव पर अमल ही किया जाता है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिन इलाकों से बिजली आती है उन के बीच वाले इलाकों को ज़रूर बिजली मिलनी चाहिये । जोगिन्द्र नगर से बिजली आती है लेकिन कांगड़ा ज़िला के देहात को बिजली नहीं दी गई । हमीरपुर में कहीं एक आध जगह पर बिजलो दी गई है और नूरपुर का भी यही हाल है । इस लिये मैं महकमे की तवज्जह इस तरफ़ दिलाता हुआ यह कहना चाहता हूँ कि उन को कांगड़े के पहाड़ी इलाके की तरफ़ खास ध्यान देना चाहिये । बिजली को देहात में पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिये । शहरों में बिजली देने की बजाए rural areas में उन को अपना ध्यान concentrate करने की ज़रूरत है । इस के बाद मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस में कोई शक नहीं है कि हमारी जो agriculture की industry है उस की तरफ भी तवज्जुह दी जानी चाहिये और थोड़ी बहुत सस्ती भी बिजलो दी जाए तो अच्छा हो होगा लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अगर शहरों के industrial areas को ignore कर दिया

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

जाए तो state को बहुत नुकसान होगा। इस वास्ते हमें यह करना पड़ेगा कि जब कि मुल्क में बिजली की इतनी ज़्यादा मांग हो गई है हमें ऐसे ज़राए अख्तियार करने चाहियें जिन के द्वारा और ज़्यादा बिजली पैदा की जा सके ताकि बिजली की इस बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा किया जा सके। बहर हाल जब तक कोई ऐसी सूरत नहीं बन जाती उस वक्त तक हमें देश की industrialization पर किसी किस्म की रोक नहीं लगानी चाहिये। संसार में जो देश तरक्की करते हैं वे industry के सिर पर ही ज़्यादा निर्भर करते हैं। अगर हम अपनी industry को develop कर लेंगे तो military के लिहाज़ से भी और दूसरे लिहाज़ से भी अपने देश को आगे ले जा सकेंगे और अपने पांव पर खड़े हो सकेंगे। इस के उलट अगर हम अपनी industry को ignore करेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। इस लिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि industry के interest को ignore कर के किसी और तरफ बिजली दी जाए तो वह ठीक नहीं होगा। पहली ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस बढ़ती हुई demand को पूरा करने के लिये और ज़राए बिजली पैदा करने के निकाले जाएँ ताकि देहात और backward areas में भी बिजली दी जा सके। स्पीकर साहिब, वक्त थोड़ा होने के कारण मैं ज़्यादा नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा महकमा कांगड़े और दूसरे backward areas की development की तरफ पूरा ध्यान देंगे और यह ख्याल नहीं करेंगे कि वहां से आमदन कितनी होती है। जैसे कि सरदार राम दयाल सिंह जी ने कहा है पहले पहल देहात में बिजली पहुँचाने का ज़्यादा खर्च होगा और आमदन कम होगी। देहात से percentage of return पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये। पहले पहल जब शहरों में बिजली दी गई थी तो उस वक्त शहरों में भी तो लाइनें वगैरह खेंचने पर बहुत ज़्यादा खर्च आया था लेकिन बाद में आमदन ज़्यादा होने की वजह से वह खर्च पूरा हो गया। इसी तरह से जब देहात में भी बिजली पहुँच जायेगी और लोग ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वहां से भी काफ़ी आमदनी हुआ करेगी।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੂੰਕਿ time ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ hints ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ details ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ।

Agriculture ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ points ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। Agricultural purposes ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੌਣਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੋ ਰੌਣ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰੌਣ ਟੁਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ agricultural purposes ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 7-8 ਵਜੇ ਤਕ ਬਿਜਲੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਪਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Industries ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ minimum consumption ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਤਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਤੀਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਤਨੀ ਜਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ consumers ਉਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ tax ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ rates ਘਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ agencies ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ private ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ offices ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ banks ਨਾਲ arrangements ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਵੀ apply ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ private electric supply companies ਨੇ banks ਨਾਲ arrangements ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ offices ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। Board ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ redtapsim ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦਬਾਦਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ Board ਦੇ members ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਣੀਏ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣੀਏ ਵਾਲੇ methods ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਨ।

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ (ਜੈਤੋ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ Board ਬਾਰੇ resolution ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ B. A. ਔਰ Senior ਯਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਆਦਿ ਯਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ Cambridge ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ study ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ luxury ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾ ਦਿਉ ਜਿਥੇ ਜਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚਮਕ ਧਮਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਇਸ debates ਨਾਲ relevant ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ Centre ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਬ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष: दिल्ली का ज़िक्र यहां कैसे relevant है। (How is reference to Delhi relevant here ?)

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ relevant ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇ ਹੀ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋਣ ਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ, ਬਿਲਵਾਂ ਕਲਾਂ, ਪੰਜ ਗਿਰਾਨ-ਬਰਗਾੜੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਧਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। (*interruptions*) ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ, tube-wells ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਸ request ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ supply ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਭੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਯਾ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟਾਣੀ ਪਏਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। (They will do it next year.)

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ request ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर–पश्चिम) : स्पीकर साहिब, यह जो Electricity Board है, इस की constitution बड़ी अजीब है। कहा तो यह जाता है कि University की तरह यह भी एक autonomous body है। लेकिन जहां University के कार्यों के अन्दर गवर्नमेंट की कोई interference नहीं, वहां Board को हर उस मद के लिये गवर्नमेंट से sanction लेनी पड़ती है जिस पर 25,000 रुपये से ज्यादा खर्च आता हो। गर्जेकि Board तो नाममात्र ही है, virtually हर power गवर्नमेंट के अपने हाथों में ही है। इस लिये जब यह कहा जाता है कि Board एक autonomous body है तो इस का मतलब यही है कि legislature के अन्दर इस की गतिविधियों और बजट पर बहस नहीं हो सकती, Members अपनी suggestions और राए नहीं दे सकते, वह कोई गलती करे तो उस को criticise नहीं कर सकते। वैसे जो कुछ गवर्नमेंट चाहे वही होगा।

श्री अध्यक्ष : जो फैसले House में पहले हो चुके हैं, आप उन्हें criticise नहीं कर सकते। (The hon. Member cannot criticise the decisions taken by the House previously.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस महकमा के अफसरान अपनी responsibility को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से महसूस नहीं करते। जब भाखड़ा के hoist chamber की दुर्घटना हुई तो बावजूद इस बात के कि वहां पर कई S.E. और X E. N. लगे हुए हैं सिवाए एक S.D.O. के और कोई भी मौके पर हाज़िर नहीं था। कागज़ात में बेशक वह हाज़िर दिखाई देते हों लेकिन उस वक्त सिवाए एक S.D.O. के और कोई X.E.N. या S.E. मौके पर present नहीं था और उन्होंने स्थिति को सम्भालने की कोशिश नहीं की।

कहा जाता है कि agricultural और industrial purposes के लिये बिजली के connections दिये जाते हैं। लेकिन, स्पीकर साहब, सवाल यह है कि कितनी जल्दी या कितनी देर में इन connections की sanctions दी जाती हैं। इस के अलावा गवर्नमेंट ने यह नीति बनाई है कि जहां agriculture को बढ़ाना है, industries को बढ़ाना है वहां बिजली की production को भी बढ़ाना है। इस के लिये सरकार बहुत ज्यादा खर्च कर के बिजली की पैदावार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कोटला पावर हाऊस की capacity बढ़ेगी, गंगूवाल पावर हाऊस की capacity बढ़ेगी, 4½ लाख k.W. की production Left Bank Power House से होगी और इसी तरह Right Bank Power House भी बिजली में वृद्धि करेगा। इस तरह से बिजली की पैदावार बढ़ रही है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि industries को और agricultural farms को जो बिजली दी जाए वह सस्ते भाव की हो। इस लिये मेरी यह suggestion है कि सरकार हर प्रकार से पूरी तरह कोशिश करे कि बिजली की कीमत कम से कम कर दी जाए ताकि industrialists और agriculturists का रजूह इस बात की तरफ हो कि वह ज्यादा से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल कर के सूबे की उपज को बढ़ा सकें।

अगली बात मैं electric connections के लिये sanctions की बाबत करना चाहता हूं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमूमन sanctions में बहुत देरी लग जाती है। एक दो cases खुद मेरे जिला अमृतसर में देखने को मिले हैं जहां कि industries के लिये लोगों ने कारखाने लगाए हुए हैं लेकिन साल साल का वक्त हो गया है उन को बिजली नहीं मिली। यहां तक कि D.C. को चिट्ठी लिखी गई लेकिन उसके बावजूद छः सात महीनों के बाद Board की तरफ से फरवरी या मार्च में उस की sanction आती है। जब amount की sanction ही फरवरी या मार्च में यानी financial year के close पर आती है तो local officers किस तरह lining वगैरा कर सकते हैं। S.E. और X.E.N. साल भर कोई काम नहीं कर सकते और फरवरी मार्च में sanction आने पर काम शुरू होता है। साफ ज़ाहिर है कि ऊपर के अफसरान आराम से बैठे रहते हैं और लोगों की ज़रूरियात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री बलराम दास टंडन]

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि इस department वालों को internal telephone मिला हुआ है जो कि बिजली के department को जर्मनी की तरफ से मिला था और यह उस के ज़रिये काम कर रहे हैं लेकिन स्पीकर साहिब इस telephone का misuse होता है। अगर यह थोड़े दिनों के बाद खराब हो गया तो इस महकमा में काम करने वाले लोगों के कहने के मुताबिक यह फिर मिलने वाली चीज़ नहीं। इस के ज़रिये अमृतसर और दिल्ली के दरमियान फौरन connection मिलता है लेकिन इस पर कोई checking नहीं है और इस का बहुत misuse होता है जिस को रोकना बहुत ज़रूरी है!

आज कल इस बात पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है कि D.C. बिजली को A.C. बिजली में बदल दिया जाये। लेकिन इन को यह ज़रूरत महसूस नहीं होती कि इस की internal working कैसी है और किस तरीके से काम हो रहा है। Abruptly D.C. बिजली को बन्द कर के A.C. को उस की जगह पर लाया जा रहा है हालांकि घरों में A.C. बिजली के आ जाने के कारण कई deaths हुई हैं और इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। (घंटी की आवाज़)

स्पीकर साहिब, एक और बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि पंजाब के अन्दर जितने भी industries के centres हैं वहां पर बिजली की supply करने का alternative प्रबन्ध जरूर करना चाहिये। इस मतलब के लिये अमृतसर, लुधियाना और बटाला जैसी तमाम जगहों पर बिजली की alternative supply के लिये thermal plants लगाने का इंतज़ाम करना चाहिये।

एक बात मैं bills के बारे में कहना चाहता हूं। इस वक्त बिजली के बिलों की payment S.D.O. के दफतर में या Overseers के centres में जा कर करनी पड़ती है और गांव वालों को बहुत दूर २ जा कर यह payment करनी पड़ती है जिस से लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इस के लिये होना यह चाहिये कि जो बिल वसूल करने वाले हों वे by rotation एक २ गांव के अन्दर जायें और वहां जा कर उन की payment वसूल करें। बिलिंग के बारे में जो चीज़ें इस वक्त इस department में हो रही हैं वह शायद ही किसी और department में होती हों। इस की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिये।

एक बात और है और वह यह है कि हजारों रुपये खर्च कर के जो बहुत बड़ी बड़ी lines गांवों में पहुंचाई जाती हैं इन के अन्दर एक अजीब बात यह हो रही है कि इतने रुपये खर्च कर के यह बड़ी २ lines किसी खास गांव को बिजली देने के लिये खींच कर ले जाई जातीं हैं लेकिन जो गांव रास्ते में पड़ते हैं उन को बिजली उन lines से नहीं दी जाती। सिर्फ यह उस गांव को दी जाती है जिस में मिनिस्टर साहिब interested हों या अब बोर्ड बन जाने से इन के अफसर किसी में interested हों लेकिन

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

दूसरे गांव को नहीं दी जाती चाहे वह रास्ते में ही क्यों न पड़ते हों। इस लिये इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये ।

इस लिये मैं फिर इन बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस department के अन्दर फजूलखर्ची हो रही है, जिस तरीके से इस department की चीज़ों का misuse हो रहा है और lack of duty हो रही है और इस की चीज़ों का जिस तरीके से प्रयोग होना चाहिये वह नहीं हो रहा। इतने शब्द कह कर मैं आशा करता हूं कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री जगदीश चन्द्र (पिहोवा) : स्पीकर साहिब, क्योंकि time थोड़ा है इस लिये मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा और सिर्फ सुझाव ही दूंगा ।

एक सुझाव मैं M.C.G. के बारे में देना चाहता हूं । यह minimum consumption guarantee agriculture में जो tube-wells लगाये जाते हैं उन्हें देनी पड़ती है और कई जगह पर जहां industries हैं उन्हें भी देनी पड़ती है। इसका rate (भाव) tube-wells के लिये 60 रुपये per power है। लेकिन मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि अब यह कुछ घटा कर 40 या 30 रुपये तक कर दी गई है। इस बारे में मैं एक suggestion देना चाहता हूं कि जो water logged areas हैं या जो पहाड़ की तराई के इलाके हैं जहां बारिश बहुत होती है जैसा कि जिला करनाल की तहसील थानेसर और ज़िला अम्बाला में पहाड़ का मुलहका इलाका है जहां ज्यादा बारिश के हो जाने से खेतों में पानी खड़ा हो जाने के कारण tube-wells नहीं चलते, उन इलाकों के tube-wells को M.C.G. से छूट देने के लिये बोर्ड को विचार करना चाहिये। जिन इलाकों में बारिश ज़्यादा हो, खेतों में पानी खड़ा हो जाये और इस वजह से उन के tube-wells चलाये नहीं जा सकते लेकिन फिर भी उन्हें M.C.G. के रुपये ेने पड़ते हैं हालांकि बारिश का ज्यादा होना एक कुदरती बात है और कुदरत के साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पहाड़ी की तराई के इलाके में बारिश बहुत होती है और कई दफा वहां के लोगों के tube-wells चलते ही नहीं और फिर भी उन के लिये यह जो guarantee के 60 या 40 रुपये देने कर रखे हैं इस में उन्हें ज़रूर कुछ सहूलत दी जानी चाहिये ।

दूसरी अर्ज़ मैं ने billing के बारे में करनी है। इस बारे में अभी एक मैम्बर साहिब ने पहले कहा भी है। यह वाकई ही सोचने की बात है। बिजली के बिल एक तो बड़े गलत बनाये जाते हैं और दूसरा लोगों को बहुत दूर २ से आकर लाईन सुपरिन्टैंडैन्ट के head quarter में बिलों की payment करनी पड़ती है। इस के लिये ज़रूर कोई इंतज़ाम करना चाहिये । जैसा कि उन्होंने suggestion दिया है कि इन बिलों की payment लोगों के पास जा कर ली जाये, यह बिल्कुल ठीक बात है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[श्री जगदीश चन्द्र]

दूसरा जो बिल बनते हैं वे घर पर बैठ कर बनाये जाते हैं और meters की reading लेने वाले मीटर को देखने मौके पर जाते नहीं और घर पर ही बैठ कर bill बना देते हैं। पिछले साल इसी तरह से मेरे tube-well का बिल घर पर बैठ कर ही बना दिया गया था। क्योंकि मेरे tube-well का पंखा खराब हो गया हुआ था और motor चली ही नहीं थी लेकिन जो बिल मेरे पास आया उस में यह जाहर होता था कि बिजली खर्च की गई है। बिल में दो खाने बने हुए होते हैं एक में fold reading दी होती है और दूसरे में new reading दी हुई होती है। तो उस बिल में old reading तो दी हुई नहीं थी लेकिन new के सामने शायद 42,500 लिखा हुआ था। वह बिल लेकर मैं जब उस दफतर में गया और बताया कि मेरे तो tube well का तो पंखा ही खराब हो गया हुआ है और इसी वजह से वह बन्द पड़ा हुआ है तो यह बिल कैसा। तो वह कहने लगे कि गलती हो गई है। मैं ने कहा कि गलती क्या हुई है यह तो घर पर बैठ कर बना लिया गया है। इस लिये मैं सुझाव दूंगा कि बिजली के मीटरों की reading मौके पर जाकर लेना निहायत लाज़मी है और जिस तरह से reading note करने के लिये शहरों में card system जारी किया हुआ है इसी तरह से rural areas में भी यह system जारी करना चाहिये। जैसे शहरों में meters के बक्से के बाहर एक plate लगी हुई होती है और जब meter की reading ली जाती है तो उस में दर्ज की जाती है और reading लेने वाला उस पर अपने sign करता है। इसी तरह से rural areas में भी किया जाना चाहिये। लेकिन इस वक्त rural areas में ऐसा नहीं किया जा रहा और न ही कोई plates या cards meters के बक्सों के बाहर लगाये हुए हैं। अगर आप ने इस बात की तसल्ली करनी हो तो आप मेरे गांव में जो कि अम्बाला से 15 मील के फासले पर वाक्या है, जा कर देख सकते हैं। मेरा गांव थोल इसमैलाबाद Project के अन्दर है। आप वहां जाकर आप देख सकते हैं कि न वहां पर पलेटें ही लगी हुई हैं और न ही card लगे हुए हैं और बिल घरों में बैठ कर बनाये जाते हैं। इस लिये मैं सुझाव दूंगा कि वहां पर plates और cards का बन्दोबस्त करना चाहिये।

तीसरा सुझाव मैं Board के मैम्बरों को यह दूंगा के जिन २ देहात में बिजली गई हुई है, यह वहां surprise visits किया करें और जा कर देखें कि rural areas में काम ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं। आज कल rural areas में जो मीटरों के बक्से लगे हुए हैं वे निहायत खराब हैं। मेरे tube well के motor का वक्सा ख़राब है और मैं दो साल से Line Superintendent से इस बारे में कह रहा हूं लेकिन अभी तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरे कई बार complaint करने के बावजूद भी वह इसी तरह पड़ा हुआ है और इसी तरह से लोगों के घरों में लगे बक्सों की हालत है हालांकि बक्सों की seal के मुताल्लिक जो rules बने हुए हैं वह यह हैं कि अगर वे खुले पड़े हों तो उन लोगों पर बिजली की चोरी के लिये मुकदमे चलाये जा सकते हैं। इस तरफ भी ज़रूर ध्यान देना चाहिये।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : अब क्योंकि $12\frac{1}{2}$ बज चुके हैं, और अभी मिनिस्टर साहिब ने भी जवाब देना है इस लिये मैं ऐसा करता हूं कि जो मैम्बर साहिबान suggestions देना चाहते हैं वे लिख कर अपने suggestions दे दें। मैं वे suggestions बोर्ड को on behalf of this House भेज दूंगा। इस से ज्यादा और हो ही क्या सकता है। (Now it is 12.30 p.m. and the hon. Minister has yet to reply to the debate on this resolution. What I, therefore, do is that I allow those hon. Members who want to give their suggestions to send them in writing and I shall forward the same to the Electricity Board on behalf of this House. This is the maximum that I can do for them.)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (राम्रो बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहिब, Electricity Board के financial accounts पर discussion करने के लिये सरदार भूपेन्द्र सिंह मान ने resolution हाउस के सामने रखा और इस के साथ उन्होंने यह शिकायत की कि यह सरकार का काम था कि यह खुद इस पर discussion invite करती जैसा कि आम तौर पर कायदा है कि जिन autonomous bodies की report हाउस में पेश होती है उन के मुताल्लिक कोई discussion raise करने के लिये कोई motion दें, इस बात की मैम्बर्ज़ को इजाज़त होती है। यह जो financial accounts हैं बोर्ड ऐक्ट के तहत फरवरी तक सरकार के पास भेजता है और फिर जितनी जल्दी मुमकिन हो हाउस के मेज़ पर रख दिये जाते हैं। उस के बाद अगर मैम्बर्ज़ चाहें कि बहस हो तो वह रैज़ोल्यूशन लाते हैं जैसे कि यह आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह सब इस बहस से काफी फायदा उठा चुके हैं और सरकार और बोर्ड ने भी उन की तकरीरों में आए नुक्तों को नोट किया है। अगर हाउस चाहे कि ऐसी मोशन आयंदा सरकार की तरफ से आया करे तो इस में सरकार को क्या एतराज़ हो सकता है। (तालियां) मगर फिर मान साहिब को ऐसे रैज़ोल्यूशन लाने का मौका नहीं मिलेगा।

सरदार करतार सिंह दीवाना : यह सर्विसिज़ को जिस तरह भर्ती कर रहे हैं उस बारे भी कहें।

श्री अध्यक्ष : दीवाना साहिब आराम से सुनो। (Addressing Sardar Kartar Singh Dewana) (Please listen calmly.)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : तो जनाब मैं कह रहा था कि बहस के दौरान काफी मुफीद सजैशन्ज़ आई हैं। बोर्ड के काम के मुताल्लिक कुछ शुबहात ज़ाहिर किये गये हैं और कहा गया कि यह तो बहुत ही ज्यादा independent बोर्ड है और कि इस हाउस का इस पर कोई इख्तयार नहीं रहा। हाउस की P.A.C. और Estimates Committee का इस पर कोई इख्तयार नहीं है। मैं समझता हूं कि यह सारी बात गलतफहमी पर मबनी है। जहां तक बोर्ड का ताल्लुक है यह autonomous होता हुआ भी सरकार के सामने ज़िम्मेदार है और सरकार इस हाउस के सामने ज़िम्मेदार है तो भला बोर्ड क्यों इस के सामने ज़िम्मेदार नहीं। (तालियां) । इस के Finance Accounts बारे एक खास तरीका है। यह बजट ऐस्टीमेट्स Finance Department के सामने भी आते

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा बिजली मन्त्री]
हैं, सरकार के सामने भी रखे जाते हैं, और Electricity Advisory Council के सामने भी यह पेश होते हैं। वहां भी बहस होती है। उस के बाद हाउस में भी इस पर बहस हो सकती है जैसी कि अब हुई है। मैं यह नहीं समझ सका कि P.A.C. का इस पर कन्ट्रोल कैसे नहीं है। इस के सामने बोर्ड के accounts आयेंगे और वह जो चाहें information मांग सकता है जैसा कि दूसरे महकमों के सिलसिले में करता है। इस बहस में जितनी suggestions आई हैं मैं समझता हूं कि बोर्ड की तरफ से उन पर पूरा २ अमल करने की कोशिश की जायेगी। अगर कोई दूसरे महकमों और इस बोर्ड के accounts में फर्क है तो वह यह है कि इस बोर्ड के accounts subject to vote नहीं होते। बाकी बहस तो हो सकती है और हुई है। इस में एक बड़ी useful suggestion आई और वह यह है कि Finance Accounts के साथ जो memoranda होता है उस में कुछ ज्यादा तफसील होनी चाहिए और नई और पुरानी स्कीमज़ के मुताल्लिक ज्यादा सूचना होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सही चीज़ है और हाउस के सामने आयंदा जो स्टेटमैंट आए उस में ज्यादा तफसील आनी चाहिए ताकि यहां पर उस के मुताल्लिक ज्यादा बहस हो सके।

फिर कहा गया कि यह बोर्ड तो बिल्कुल independent है जिस की वजह से इस के मुलाज़मीन में discipline lax हो गया है। परवाह नहीं करते और दरखास्तें गुम कर देते हैं, connections देने में हेरा फेरी करते हैं। मुझे समझ नहीं आई कि यह कैसे कहा जाता है कि बोर्ड के independent बन जाने की वजह से यह सारी खराबियां आईं। जब सरकार की तरफ से यह बोर्ड बनाया जाता है और जैसा कि टंडन साहिब ने कहा कि इस के मैम्बर्ज़ को हम nominate करते हैं तो निकाल भी सकते हैं, बोर्ड को बना सकते हैं और नए मैम्बर्ज भी बना सकते हैं, (तालियां) तब इस सारी चीज की ज़िम्मेदार तो सरकार हुई और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती नहीं। मैंने इस का जितना काम देखा है और अभी तो इसे बने हुए ही बहुत थोड़ी देर हुई है, इस दौरान मैं नहीं समझता कि उन के काम में कोई ढील हुई है बल्कि जिस मतलब के लिये यह बनाया गया था उस के मुताबिक काम smoothly कर रहा है। जहां तक बोर्ड को कन्ट्रोल करने और चैक करने का ताल्लुक है तो सरकार पालिसी बारे बोर्ड को directive दे सकती है। जब कोई 15 लाख रुपये से ऊपर की लागत की स्कीम आएगी तो बोर्ड को सरकार की approval लेनी पड़ेगी। सरकार हर वक्त देख सकती है कि यह जनता के फायदे के लिये काम कर रहा है या नहीं।

कहा गया कि बोर्ड में निचली सतह पर करप्शन बहुत है और सरकार vigilance का काम करे। मैं समझता हूं कि अगर इस बात को मान लिया जाये तो यह बात गलत होगी। आखिर जब हम ने एक खुद मुख्त्यार बोर्ड बनाया है तो इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी उन पर छोड़नी ही चाहिये। Dual control ठीक नहीं रहेगा। इस के मुलाज़म अपने अफसरों के सामने जवाब देह हैं। अगर इन पर भी सरकार का कन्ट्रोल हो जाए तो यह खराबी वाली बात होगी। इस लिये मैं इन ख्यालात से सहमत नहीं हो सकता।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

कुछ खास छोटी २ बातें कही गईं कि वहां पर 400 रुपए का स्विच खरीदा गया। इस किस्म की बात जहां सरकार के नोटिस में आए तो उस का फर्ज़ होता है कि वह उस को बोर्ड के नोटिस में लाए। पब्लिक की तरफ से सीधे ही बोर्ड को यह बातें बताई जा सकती हैं। जहां तक मुझे मालूम हुआ है इस केस के मुताल्लिक पड़ताल हो रही है। उन के नोटिस में यह बात है। अगर किसी अफसर ने अपने हकूक से तजावज़ किया होगा तो उस को मुनासिब सज़ा मिलेगी। इस में किसी को शक नहीं होना चाहिए।

बहुत कुछ कहा गया कि बिजली देते वक्त खेती-बाड़ी का ख्याल नहीं रखा जाता कि इस की क्या अहमियत है और शहरों में सनअतों को कनैक्शन दिये जाते हैं। बाजवा साहिब ने कहा कि इस बारे सही, position मालूम होनी चाहिए। मेरा ख्याल था कि शायद इस चीज़ का हिसाब बोर्ड के पास न हो मगर उन्होंने मुझे बहुत जल्दी figures तैयार कर के भेज दीं और वह मैं हाउस को बताना चाहता हूं। Agriculture के लिये 12 फीसदी है, सनअत के लिये 46 फीसदी है।

सरदार करतार सिंह दीवाना : बहुत अच्छा।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री : दीवाना साहिब को शायद इस से तसल्ली नहीं है मगर वह इस बात को सामने रखें कि agriculture के लिये बिजली की supply को priority दी जाती है। दूसरे कामों के लिये connections खास रूल्ज़ के मुताबिक दिये जाते हैं। सरकार ने बोर्ड को कहा है कि सरकार को यह criteria भेजिये जो वह इस सिलसिले में अपनाते हैं।

लेकिन जहां तक tube-wells और agricultural purposes के लिए बिजली देने का ताल्लुक है पहले ही इख्तियार इन्हें दिया जा चुका है और हमारे नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं कि कहीं पर pumping set के लिये या tube-well के लिये बिजली न दी गई हो। (*interruptions*) हो सकता है कि कुछ बिजली की lines पूरी न हुई हों और दरखास्तें आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहां पर connection दिये जायेंगे। और liberally दिये जायेंगे। इस बात का सरकार को अहसास है और बोर्ड को भी अहसास है कि agriculture के लिये बिजली liberally दी जाए। इस तरफ बिजली की खपत कम है। बिजली की development हो रही है और इस field के अन्दर हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन खेती के काम में बिजली का इस्तेमाल करने में लोग आगे नहीं आते रहे हैं। वह नहर से चरसे से काम चला लेते हैं और बिजली की खपत कम करते हैं। जहां तक स्पीकर साहिब private tube-wells को connection देने का ताल्लुक है और जहां तक सरकार की पालिसी का ताल्लुक है यह वाज़ह है कि agriculture के लिये बिजली दी जाए। Board की policy यही है कि इस तरह के connection liberally दिए जाएं। अगर कोई specific cases देखने में आएं कि जहां अर्से से connections नहीं दिये गये और lines energize हो गई है तो उन्हें देख लिया जाएगा मैं hon. Members से दरखास्त करूंगा कि जहां कहीं वह अपने हलकों में

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा बिजली मन्त्री]
इस तरह के cases देखें तो वह Board को लिख कर भेजें या हमें लिख कर भेज दें। उस की छानबीन Board की तरफ से की जाएगी।

यह कहा गया कि commercial basis पर power की supply नहीं होनी चाहिए और agriculture के लिये और rural areas में ज्यादा बिजली दी जाए। इस के बारे में मैं अर्ज़ करूं कि कोई इस तरह की सख्त condition नहीं रखी गई। यह ठीक है कि यह commercial department है और इस में productivity का ख्याल रखा जाता है लेकिन इस के बावजूद भी पालिसी तय शुदा है कि agricultural purposes के लिये बिजली liberally दी जाए।

फिर Electricity Duty का सवाल है। इस को relax करने का सवाल है। यह मैं बता दूं कि industry के लिये Electricity Duty में कम कमी की गई है। Medium industry के लिये 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कमी की है और बड़ी industry के लिये इस से भी कम है इस के मुकाबले में agriculture के लिये प्रतिशत 25 से 15 प्रतिशत तक कमी की है। फिर इस के साथ ही और भी सहूलियतें agricultural purposes के लिये दी हैं। Minimum consumption की guarantee का सवाल है और जिस का ज़िक्र श्री जगदीश चन्द्र ने किया है उस में भी हम ने agriculture को सहूलियत देने के लिये कमी की है। जहां पर water logged area है या shallow tube-wells है और पानी का स्तर नीचा है वहां पर इस minimum guarantee को कम कर दिया है और इस के साथ ही जहां पर इस तरह के इलाके हैं वहां पर Electricity Duty में कमी करने पर भी गौर करेंगे। Hilly areas के लिये भी गवर्नमेंट को अहसास है और वहां पर वही standards apply नहीं किए जा सकते जो मैदानी इलाके में apply किये जाते हैं। वहां पर poductivity का ख्याल नहीं रखा जा सकता। इस के लिये rules बने हुए हैं। और एक पालिसी के मुताबिक काम होता है। और हर तरह से hilly area का ख्याल रखा जा रहा है।

यहां पर power shortage का ज़िक्र किया गया। और कहा गया कि पंजाब में तो बिजली की shortage है और हम राजस्थान और दिल्ली को बिजली दिये जा रहे हैं। जबकि State में कम है तो फिर बाकी States को supply क्यों जारी है। लेकिन मेरे दोस्त यह भूल जाते हैं कि हमारा Rajasthan और Delhi के साथ agreement है और Hydro Project में वह States हिस्सेदार हैं, और उन का हक बनता है कि उन्हें बिजली supply की जाए। मैं इस के बारे में अर्ज़ करूं कि जहां पर 4 हज़ार k.W. बिजली जाती थी वहां पर 1 हज़ार k.W. बिजली दी जा रही है और वह चार हज़ार की जगह 1 हज़ार k.W. इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरह दिल्ली का है। और अगर हम बिजली न दें तो यह मुनासिब नहीं। बड़े

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

बड़े projects इसी लिये बनाए जाते हैं और इसी लिये Central Government से help मिलती है। हम यह नहीं कह सकते कि पंजाब की needs पूरी नहीं हो सकतीं इस लिये हम Delhi या Rajasthan को supply नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा agreement Governments से हुआ है। हम ने power shortage को meet करने के लिये cut लगाई थी। 30 प्रतिशत cut थी इस में से 8 प्रतिशत restore तो कर दी है इस से पहले 10 प्रतिशत restore कर दी गई है बाकी 17 प्रतिशत cut अब भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कुदरत ने हमारा साथ दिया और पानी बारिश से बढ़ गया तो एक दो हफ्ते के अन्दर अन्दर सारी cut को restore कर दिया जाएगा। पहले industrial concerns हफ्ते में तीन दिन चलते थे अब छः दिन चल सकते हैं। और उम्मीद है कि किसी लंबे अर्से तक यह shortage of power नहीं रहेगी। गवर्नमेंट को इस बात की तरफ ध्यान है और बावजूद 12 प्रतिशत cut के छः दिन तक industrial concern चल सकते हैं और इस से labour की जो आजकल मुश्किल है वह नहीं रहेगी। इस में किसी खतरे की या परेशानी की बात नहीं रहेगी।

आइन्दा के लिये emergency को meet करने के लिये भी बहुत सी schemes हमारे पास हैं। और बड़े बड़े projects की scheme है जिस को पूरा कर लेने से बिजली की shortage नहीं रहेगी। और इस तरह के emergency के हालात पैदा नहीं होंगे और संकट नहीं रहेगा। Bhakra left bank का power-house बन रहा है और दो units लग गए हैं और अगले साल तक और 2 units लग जायेंगे इस तरह 5 units तैयार हो जायेंगे। इसी तरह Kotla और गंगूवाल में भी 25 प्रतिशत बिजली ज्यादा पैदा होगी। इस तरीके से न सिर्फ यही कि हम सब projects से emergency को meet कर सकेंगे बल्कि किसी आयन्दा की कमी को पूरा करने के लिये भी तैयार हो जायेंगे। इस के इलावा 50 हज़ार kilowatt के लिये thermal plants दिल्ली में लगाये जायेंगे और 30 हज़ार k.W. के लिए diesel plants लगाने की तजवीज़ है

Sardar Bhupinder Singh Mann : On a point of information, Sir. Will it be in the Public Sector or will it be in the Private Sector ?

Minister for irrigation and power: It will be under the Board, in the Public Sector.

यह plant भी Board के तहत होंगे और बिजली सब जगह distribute होगी। जहां तक agriculture के लिये facilities का ताल्लुक है मैं यह अर्ज़ करूंगा कि Government हमेशा इस बात का ध्यान रखेगी कि इन्हें facilities ज्यादा दी जाएं। और Board का काम इस से भी बेहतर चल सके। सरकार का मकसद यह था कि इस बोर्ड को बनाए और काम बेहतर हो सके। इस सरकार की भी जिम्मेदारी है और होगी और अगर Board के मैम्बर ढीले रहे और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा बिजली मन्त्री]

पब्लिक की शिकायत बढ़ीं तो उस की रोक थाम करने के लिये सरकार की भी ज़िम्मेदारी है और बोर्ड की भी। मैं मैम्बर साहिबान से यह अर्ज करना चाहता हूं कि उन की सारी बातों का ध्यान रखते हुए आयंदा को इस Board की working को बेहतर बनाने के लिये पूरी कोशिश की जायेगी। यह जो House के सामने financial statement रखा गया है यह जब अगले साल आयेगा तो इस पर बाकायदा आप discussion भी कर सकें मैं इस बात का House को यकीन दिलाता हूं।

SPEAKER'S REPORT ON A PRIVILEGE ISSUE REGARDING REGIONAL COMMITTEES REFERRED TO HIM BY THE PUNJAB VIDHAN SABHA

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to move—

That the Speaker's *Report on a Privilege Issue regarding Regional Committees referred to him by the Punjab Vidhan Sabha on the 18th December, 1959, be taken into consideration.

जनाब यह रिपोर्ट जो आप ने पेश की है, गालबन सब मैम्बरों ने पढ़ी होगी। यह बड़ी detailed report है और जनाब ने बड़ी तकलीफ उठाई है, इसे मुरत्तब करने में। मैं उम्मीद करता हूं कि House इसे consideration के बाद पास करेगा।

श्री अध्यक्ष : House के सामने consideration के लिये report पेश की जाती है। अब Members साहिबान इस पर अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं। (The report is placed before the House for consideration. The hon. Members can express their views on it.)

Sardar Bhupinder Singh Mann: Mr. Speaker, Sir, without meaning any disrespect to you, I want to submit that this is a Report which has got far-reaching consequences. We have to study the report thoroughly so that we may be able to understand its implications, form our views and participate in the discussion on it. I would, therefore, request that the discussion on this Report may be postponed to the next sitting.

श्री अध्यक्ष : मुझे अफसोस है कि मैं इस की consideration मुल्तवी नहीं कर सकता। क्योंकि 24 मार्च से यह report already present हो चुकी हुई है और तब से यह आप के सामने है। (I am sorry I cannot postpone its consideration as the report was presented on the 24th March, 1960, and the House has been seized of the matter since then.)

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, it is a fundamental matter and at least some time may be given to grasp the consequences of the Report. The Regional Committees enjoy certain constitutional rights. If we say that henceforward these Committees will merely be the Committees of the House, we would be taking a very great responsiblity upon ourselves.

This is a constitutional matter and I do want that some time should be given to us to study it.

Note—*For reference on this subject please see the proceedings of the Sabha in the Debate, Volume III, No. 5, dated 18th December, 1959.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : मान साहिब, अगली तारीख को मुमकिन है आप यहां पर हों ही नहीं तो फिर इसे postpone कराने का क्या फायदा । (What is the use of postponing it to the next sitting when the hon. Member may not be here?)

Sardar Sarup Singh : Sir, it would be appropriate if the discussion on the Report is postponed to the next meeting of the Assembly because so many members want to participate in it.

वित्त मंत्री : मैं जनाब, इस पर एतराज़ तो नहीं करता मगर इतना ज़रूर कहूंगा कि इस बारे में तैयार होने के लिये बहुत वक्त मिल चुका है । इन को पहले तैयार हो कर आना चाहिये था ।

Mr. Speaker : So it will be considered today.

Motion moved—

> That the Speaker's Report on a Privilege Issue regarding the Regional Committees referred to him by the Punjab Vidhan Sabha on the 18th December, 1959, be taken into consideration.

चौधरी साधु राम (नारायण गढ़) : स्पीकर साहिब, House में parliamentary issues तो वक्तन-फवक्तन आते रहते हैं । मगर यह issue कुछ काफी मुखतलिफ है । अब सवाल तो यह पैदा होता है कि आया breach of privilege हुई, अगर हुई तो इस पर क्या action होना चाहिये था । जिस के बारे में आप ने फैसला दिया है जो कि आज discuss किया जा रहा है । अब देखने वाली बात यह है कि नई Regional Committee के issues का और इस issue का क्या ताल्लुक है । अगर उन का ताल्लुक इस वक्त यह है कि वह एक simplicity है तो फिर इस की और position होती है । जैसा कि मैं समझता हूं कि special reference और special power का यह एक अलहदा case बन जाता है । यह report इस से खास ज़रूरी और अहम बन जाती है । यह privilege issue से भी ज़्यादा अहम बन जाता है । इस के मुताल्लिक मैं पहले इस Report का आखरी page का पहले para No. 2 पढ़ता हूं—

> "I have, in examining this preliminary question and answering the reference, confined myself exclusively to the legal aspect of the matter, as indeed I should have done. I have not taken into account the political aspect of the matter because I feel that these two aspects, without the necessary legal provisions, cannot be merged. What may be politically desired, is not necessarily legally sustainable, as in this particular case; and legal interpretation, when it is sought to be subordinated to political wishes, is bound to cause confusion."

तो इस चीज को मैं सब से पहले लेता हूं । अब पहला सवाल तो यह है कि इन Committees का legally क्या दर्जा है जिसे मैं एक अहम चीज़ समझता हूं । इस के साथ साथ एक चीज़ और आती है वह यह है (see first para of last page.)

> "Taking all these matters into consideration the conclusion seems irresistible that the Regional Committees are Committees of the Assembly with a special statutory position assigned to them but not Sub-Legislatures or in any sense law-making bodies independent of the Assembly."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौ० साधु राम]

इस में एक चीज़ और आ जाती है कि इन Committees की इस तरह से special statutory powers को मान लिया गया। अब सवाल पैदा होता है कि आया यह Committee of the House है भी या नहीं। तो मैं इस के मुताल्लिक अपना point develop करने के लिये सब से पहले page 2 का Article 371 (I) पढ़ना चाहता हूं—

"371(1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may by order made with respect to the State of Andhra Pradesh or Punjab, provide for the constitution and functions of regional committees of the Legislative Assembly of the State, for the modifications to be made in the rules of business of the Government and in the rules of procedure of the Legislative Assembly of the State and for any special responsibility of the Governor in order to secure the proper functioning of the regional committees."

तो जनाब यह आर्टीकल है, जहां से यह सारी चीज़ originate होती है।

1.00 p.m.

और इस आर्टीकल के अन्दर साफ तौर पर यह बात कह दी गई है कि रीजनल कमेटीज़ जो हैं वह Committees of the House हैं। इस के बाद जनाब आता है Presidential Order जिसके सबसे पहले क्लाज़ में यह है—

"There will be one legislature for the whole of the reorganised State of the Punjab, which will be the sole law-making body for the entire State and there will be one Governor for the State, aided and advised by a Council of Ministers responsible to the State Assembly for the entire field of administration."

तो इस से जनाब यह ज़ाहिर होता है कि जहां तक law-making का सवाल है वह सिर्फ हमारी State Legislature की responsibility है जो कि sovereign body है।

फिर उसके बाद क्लाज़ तीन में साफ ज़ाहिर है कि—

"For each region there will be a regional committee of the State Assembly consisting of the members of the State Assembly belonging to each region including the Ministers from that region but not including the Chief Minister."

जनाब, यहां पर साफ तौर से यह चीज़ आती है कि Regional Committees जो हैं Committees of the Assembly हैं। इस के बाद Chapter II के अन्दर क्लाज़ 3 (1) आता है, उसमें फिर यह जिक्र है—

"There shall be two regional committees of the Assembly, one for the Punjabi region and the other for the Hindi region, consisting respectively of the members of the Assembly who for the time being represent the constituencies within that region..."

यहीं पर भी जनाब यह चीज़ साफ तौर से आ जाती है कि यह जो कमेटीज़ हैं वह Committees of the Assembly हैं। इस के बाद जनाब, मैं एक दो चीजें और आप के सामने रखना चाहता हूं। इस से आगे क्लाज़ 4 आता है उसमें दिया हुआ है—

"Legislation relating to specified matters will be referred to the Regional Committees. In respect of specified matters proposals may also be made by the Regional Committees to the State Government for legislation or with regard to questions of general policy not involving any financial commitments other than expenditure of a routine and incidental character."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

तो जनाब, इस में भी यह चीज़ साबित हो जाती है कि कोई भी sovereign body जो है उस में बिल पास हो सकता है लेकिन इन रीजनल Regional Bodies में ऐसी बात नहीं हो सकती। क्योंकि पहले असैम्बली में बिल introduce होगा फिर रीजनल कमेटीज़ को refer होगा। और यह कमेटीज़ उसे पास नहीं कर सकती सिर्फ रिपोर्ट कर सकती है। इससे साबित होता है कि इन का असैम्बली के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है और यह कमेटी आफ दी असैम्बली है। (घंटी) जनाब, मैं एक-दो बातें कह कर खत्म करता हूं। Presidential Order के पेज 7 पर क्लाज़ 3 आता है जिसमें है कि—

"(3) When a Bill is referred to both the regional committees under Rule 157B and the Bill as reported by one regional committee is different from the Bill as reported by the other regional committee, the Bill may be passed with such variations as may be necessary in its application to the two regions."

जनाब, असैम्बली यहां पर supreme हो जाती है क्योंकि किसी बात पर रीजनल कमेटीज़ में variation हो और दोनों कमेटियां न मिलती हों तो असैम्बली को अख्तियार है कि वह जिस तरह से भी करना चाहे बिल पास कर सकती है। इस के आगे जनाब यह शक पैदा हो सकता है और यह कहा जा सकता है कि इनकी पौज़ीशन अलग है। इसी पेज पर 171 ए० है उस में है कि—

"171-A. Special provisions regarding regional Bills. (1) When a Bill as reported by a regional committee is not passed by the Assembly in the form in which it has been reported but is passed in a form which, in the opinion of the Speaker, is substantially different from that as reported by the regional committee, or is rejected by the Assembly, the Speaker shall submit to the Governor—

(a) in any case where the Bill has been passed by the Assembly in a substantially different form, the Bill as passed by the Assembly together with the Bill as reported by the regional committee;

(b) in any case where the Bill is rejected by the Assembly, the Bill as reported by the regional committee................"

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ support ਵਿਚ ਦਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ quote ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ repetition ਹੀ ਹੈ।

चौधरी साधु राम : मैंने कुछ ऐसे रूलज़ पढ़े हैं जो अभी तक कोट नहीं किए। 171 ए० ऐसा है जिस पर आनरेबल मैंबर ज़ोर देकर कहेंगे कि यह Committees of the Assembly नहीं है। तो मैं 171 का 2 बी पढ़ रहा हूँ। आप के सामने—

"(2) The Governor shall as soon as possible after the submission to him of the Bill, return the Bill to the Assembly with a message recommending either that the Bill be withdrawn or that it be passed in the form in which it has been reported by the regional committee or in the form in which it has been passed by the Assembly and the message received from the Governor shall be reported by the Speaker to the Assembly accordingly, and the Bill shall be deemed to have been withdrawn, or as the case may be, be deemed to have been passed by the Assembly in the form recommended by the Governor."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी साधु राम]

तो इस सिलसिले में जनाब, मैं एक बात कह के बैठ जाता हूँ कि जब असैम्बली और कमेटीज़ के दरम्यान कोई फर्क होगा तो बिल ऐसी सूरत में गवर्नर के पास जाएगा तब उस की final recommendation होगी लेकिन उस सूरत में उन का फैसला असैम्बली के सामने आएगा और असैम्बली ही आखिरी शक्ल देकर पास करेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी बिल जो असैम्बली पास करती है उस की final मंजूरी गवर्नर साहब से या प्रेज़ीडेंट से लेनी पड़ती है तो जो background मैंने दी है उस को सामने रखते हुए हमें यह concede कर लेना चाहिए कि यह कमेटीज़ जो हैं वह Committees of the Assembly हैं।

Sardar Sarup Singh (Amritsar City, Civil Lines) : Mr. Speaker Sir, I have had the privilege of serving on the Committee of Privileges which thoroughly considered the issue at present before the House, i.e., whether the Regional Committees were Committees of the House or whether they had a special character of their own. I am very glad, Sir, that you have appreciated the labours put in by the Members of the Committee of Privileges. It was rather the difficult nature of the work and the issues involved that compelled you to take the onus on yourself to answer this issue yourself rather than leaving it to the Committee. But, Sir, I am constrained to differ from the findings of this Report issued on your behalf and my reasons are very valid.

One of the reasons that I will give, Sir, is that the conception of Regional Committees was evolved after much agitation and much statesmanship was expended on the evolution of these Committees. The result of the deliberations was that the problem of the Punjab tangle was solved and the Regional Formula came about. If the Government to-day sponsors a motion whereby the Regional Formula Scheme is buried, it is for the Government to realize the consequences. It is not for me to worry about it. Sir, my objections to this Report are as follows:—

It has been very much contended that these are Committees of the House. What are the Committees of the House? Sir, they are Committees which are either elected by the House or nominated by the Speaker or the Presiding Officer of the House. The Regional Committees do not answer this description at all. These Committees are entirely different from the other Committees of the House. The Regional Committees owe their birth to the Presidential Order and, thus, their parentage is different from that of the other Committees of the House. I think it is doing violence to the very conception of these Committees to call them as Committees of the House. They are certainly not.

Secondly, Sir, I fail to understand how a part of the House can be called a Committee of the House. A Member of the Punjabi Regional Committee or the Hindi Regional Committee is a Member thereof on the basis of the area he represents. There is no other basis. The Punjab has been divided into two regions and the Members falling within one region form the corpus of the Committee for that region and the Members falling in the areas of the other region form the corpus of the other Committee Representing, as I do, a constituency in the Punjabi Regional Committee

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

I cannot become a Member of the Hindi Regional Committee. Therefore, I, as a Member of the Punjabi Regional Committee, cannot be considered to be a Member of a Committee of the whole House because I do not represent the other part of the House. As I have already said, the House has been divided into two parts and a part cannot be a Committee of the whole House. For example, I do not represent any interests of the Hindi Regional Committee. Therefore, I am not a Member of the Committee representing the whole House and for that matter the whole House. This House is a House of the whole of the State of Punjab and if the Punjabi Regional Committee is perforce called a Committee of the House, it will not represent the interests of the entire State but only of the region for which it has been constituted. I put this question to the learned Advocate-General and he said that since they are described as Committees of the House, therefore, they are Committees of the House. Sir, I beg to differ from him on this point with due deference to his learning and lucidity. Whenever a Statute has to be interpreted, it is the judiciary which decides the issue. If the interpretations given by the Government were to be accepted as authoritative then all the litigation going on in the High Courts and the Supreme Court about the *intra-vires* and *ultra-vires* of the various Statutes would become unnecessary. If the Government chooses to call these Committees as merely Committees of the House when the nature and the genesis of their functioning is totally different, then it is for the judiciary to determine the issue and not the Government. If we were to rely on Government Notifications and Government letters, then that would be the end.

Sir, the other objection which I take to the Regional Committees being called the Committees of the House is this. I raised this objection even in one of the meetings of the Committee of Privileges. I asked the Advocate-General whether the Regional Committees had any legislative character; and if so, what would be the position if a Bill on a Scheduled matter was not referred to the Regional Committees and was passed by the Assembly without seeking the advice of the Committees. The learned Advocate-General was pleased to remark that this was a very debatable issue. Though he pointed out that it was not very relevant but since I had put a question to him, he said that this was a very debatable issue. He could not state the answer either in the negative or in the positive.

Sir, I beg to submit that so far as a Bill on a Scheduled matter is concerned it has got to be referred to the Regional Committees and if it is not referred to these Committees and if any legal lacuna arises about the competence of the Act based on that Bill by its not having been referred to the Regional Committees to that extent, the Regional Committees derogate from the sovereignty of the Legislature. If is clear from Rule 171-A which has been read out by my learned friend for my benefit. To that extent, Sir, to which the Regional Committees have derogated from the legislative competence of the Assembly, they have a legislative character in the regional set up of the State. It is inconceivable, Sir, that a Committee having a legislative character should be called merely a Committee of the House.

Now, Sir, for the benefit of my Honourable Friends, I also want to quote a para from the Outline of the Scheme of Regional Formula.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Sardar Sarup Singh]

Sir, Para 2 of the Outline of the Scheme for Regional Committees reads—

"For the more convenient transaction of the business of Government with regard to some specified matters............"

These words are very significant. This Regional Formula was adopted as a half-way house between the demand for a uni-lingual State and the conception of the United Punjab and this Scheme sought to give a regional bias to the functioning of this State. These Regional Committees sought to satisfy that bias. That is why, the words "For the more convenient transaction of the business of Government" were incorporated in the Scheme.

Sir, the Government does not merely bring forward Bills in the House but also administers the State. It is also concerned with various other matters. Instead of giving some flesh, life and blood to the skeleton of the Regional Scheme, this skeleton is being un-ceremoniously destroyed. It is for the Government to choose its own course.

श्री लाल चंद (जालन्धर, शहर उत्तर) स्पीकर साहिब, आप ने जो मेहरबानी करके अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले कर report लिखी है मैं ने इस को जब पढ़ा तो मुझे ऐसा अहसास हुआ जैसे यह एक बड़े well versed constitutionalist और बहुत अच्छे lawyer की लिखी हुई report है। यह दोनों खसूसियात उस report में ज़ाहिर हुईं। मेरे दोस्त सरदार सरूप सिंह ने जो कुछ कहा उन को मैं दोहराता नहीं क्योंकि आप ने अपनी Report में भी उन arguments को deal किया है। मैं चंद एक छोटे २ points इस House के सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि Regional Committee की conception बिल्कुल अलहदा है, बनिसबत दूसरी committees की conception के। उन का view है कि यह एक subordinate या दूसरी legislative body बन गई है। उन्होंने दरअसल Article 371 जो है Constitution का उस को नहीं पढ़ा। उस में साफ लिखा गया है कि इस तरह के पंजाब और आंध्र प्रदेश में committees बनेंगी और constitution के मुताबिक वह House की sub-committees होंगी। इस के बाद अगर कोई सोचे कि यह House की committees नहीं हैं तो वह एक बेमानी सी बात है। Constitution में दर्ज है कि वह Committees of the House हैं। इस में किसी किस्म का कोई guess-work करने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि Constitution में सब कुछ साफ तौर पर लिखा है कि यह दो कमेटियां इस तरह बनेंगी। एक और दलील उन्होंने यह दी कि यह Committees of the House नहीं हैं बल्कि यह Constitution की पैदावार हैं, इन की parentage different है और वह President ने बनाई हैं। मैं उन से कहूंगा कि दूसरी कमेटियां भी Constitution की पैदावार ही हैं और उन के मुताल्लिक भी Constitution में सब कुछ दिया हुआ है कि कौन कौन सी कैसे २ committees होंगी। इस

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

तरह वह legislative bodies तो नहीं बन जाती हैं क्योंकि Constitution में उन का ज़िक्र है। उसी तरह से Constitution में इन रीजनल कमेटियों के बारे में भी दिया गया है कि वह क्या होंगी और उस के तहत President ने इन दो रीजनल कमेटियों को बनाया और फिर अपने Presidential Order में लिखा कि Assembly के Rules of Business को accordingly amend कर दिया जाए। तो इस तरह से जिस तरह से दूसरी कमेटियां हैं यह दो भी उन में शामिल हो गई हैं। यह कहना कि parentage different हो गई है सही बात नहीं। Parentage तो सब की एक है और Constitution में सब का ज़िक है कि कौनसी committees बनेंगी। इस लिये यह parentage वाली दलील दे कर यह कहना कि यह sub-legislatures हैं इस से कोई बात बनती नहीं है। इस के साथ ही उन्होंने यह कहा कि इन दोनों कमेटियों का area जुदा जुदा है इस लिए भी ये legislative bodies बन जाती हैं। यह एक ऐसी दलील है जो Constitution से बाहर निकल कर और Presidential order से बाहर निकल कर दी गई हैं। चूंकि area जुदा है इस से तो कोई बात नहीं बनती है। लाहौल-स्पिति और कांगड़ा का hilly area बहुत backward है और अगर उस की development के लिये वहां के मैम्बरों की कोई कमेटी बना दी जाये और हो सकता है कि बन भी जाए क्योंकि कांगड़ा के मैम्बर्ज़ ऐसा महसूस करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि वह कोई sub-legislature बन जाएगी? क्या कोई यह कह सकता है कि चूंकि वह कमेटी सिर्फ कांगड़े के मेम्बरान की है इसलिये उस का area जुदा है और वह legislative body बन गई है। यह कोई दलील नहीं है जिसे कोई सूझ-बूझ वाला आदमी मान सके। फिर यही नहीं Constitution में भी दिया हुआ है कि development purposes के लिये विदर्भ, मराठावाडा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात वगैरह के लिये जुदा जुदा Boards बना दिये जाएं। तो क्या जितने वह Boards हैं वह सारी sub-legislatures बन गए हैं? इसलिये यह जो area वाली दलील दी गई है यह किसी की समझ में नहीं आती है। फिर उन्होंने कहा कि इन कमेटियों का सिर्फ अपने २ एक ही रिजन का interest है इस लिये यह sub-legislatures बन जाती हैं। मैं उन से कहूंगा कि interest से ही यह बात नहीं बनती है। रूल 225 (j) में साफ तौर पर दिया गया है कि इस लिये कि दोनों तरफ एक ही तरीके का कानून बने और एक ही तरीके की पालिसी रहे दोनों रिजन्ज़ की jont sub-committees भी होंगी जो कि jointly दोनों तरफ के interest की बात consider करेंगी। इस लिये यह कहना कि एक ही रिजन के interest की बात होगी और वह दूसरे रिजन के मुताल्लिक सोच ही नहीं सकती हैं गलत बात है और इस से कोई बात नहीं बनती है। इस के बाद वह कहते हैं कि गवर्नर को reference करने की special powers दी हैं इस लिये यह sovereign bodies बन गई हैं। यह कहना कि गवर्नर को ही reference करने की powers है और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Assembly कुछ नहीं कर सकती इस लिये वह supreme bodies बन गई हैं, गलत है। मैं कहूंगा कि Assembly हर कानून पास करके गवर्नर साहिब को भेज देती है और गवर्नर साहिब यह कह सकते हैं कि यह बिल वापस जाए और मेरी यह recommendations हैं। उस के साथ उस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नर साहिब को इस में वही powers हैं और वह reference को वापस भेज सकता है। फिर आप Constitution के Article 371(A) को देखें उस में लिखा है कि गवर्नर की यह special responsibility है कि इन कमेटियों की functioning proper है या नहीं। तो यह गवर्नर साहिब की special responsibility है और वह उन को देखनी पड़ती है इस लिये.....

श्री अध्यक्ष : एक बात इस में और है कि अगर गवर्नर असैम्बली का बिल reject कर दे और रीजनल कमेटी का accept कर दे तो उस सूरत में भी rules में यह है कि that Bill shall be deemed to have been passed by the Assembly. (There is one thing more in it that if the Governor rejects the Bill passed by the Assembly and accepts that of the Regional Committee even then, it is provided in the rules, that Bill shall be deemed to have been passed by the Assembly.)

श्री लाल चन्द : इस के इलावा, स्पीकर साहिब, यह साफ लिखा है The Governor shall have special responsibility for securing the proper functioning of the Regional Committees. तो यह जो special responsibility उसे दी गई है उस के तहत reference तो होनी होती है। लेकिन इस का मतलब यह नहीं जैसा उन्होंने कहा है। फिर यह Regional Committees के बारे में Presidential Order है उस में उन्होंने Assembly की साफ तौर पर definition दी हुई है कि Assembly means the Legislative Assembly of the State. इसी तरह रीजनल कमेटी की definition यह की है कि the Regional Committee means a Regional Committee constituted by Paragraph 3 of this Order. यह बड़ी साफ definition है। यह कहना कि यह legislative bodies बन गई हैं मैं नहीं समझता कि किस तरह यह ऐसा बन सकती हैं। अगर Constitution का या Regional Formula का यह मकसद होता कि इन को Legislative Assemblies का रूप देना है तो यहां Regional Committees के बजाए Regional Legislative Assembly लिखा जा सकता था। आखिर में मैं यही कहूंगा कि इस legal बात में जो आपने political मसला छेड़ दिया है इस से कोई बात बनती नहीं है। यह जो कुछ Constitution में आ चुका है और यह जो Presidential order है इस की legal position को अगर इमानदारी से देखा जाए तो जो मतलब यह निकालते

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

हैं और निकालने की कोशिश करते हैं वह निकलता नहीं है। यह बात अलहदा है कि आप इन कमेटियों के ज़रिए एक गलत किस्म की interpretation दे कर political power हासिल करना चाहते हैं लेकिन political बातों से किसी चीज़ की legal position नहीं बदल सकती है । हां अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो उस का ढंग और है। अगर आप मुलक की तकसीम ही चाहते हैं तो जो चीज़ आपने यह चलाई है यह ओछा हथियार है और यह पीछे से आने वाला चोर दरवाज़ा है। अगर आप पंजाबी सूबा और हरियाणा प्रान्त चाहते हैं तो सीधे तौर पर मांगें मगर यह जो आप गलत interpretation दे कर कुछ लेना चाहते हैं यह चोर दरवाज़ा है और ओछी बात है। किसी चीज़ की legality नहीं बदली जा सकता।

Sardar Bhupinder Singh Mann: Sir, I won't make a speech. I would say only one thing. I would make a last appeal to Dr. Sahib (the Finance Minister). I would request him that so far as voting is concerned, it may be deferred to the next sitting.

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : स्पीकर साहिब, मान साहिब ने जो फरमाया है वह मेरे अख्तियार में नहीं है। आपने rules के मुताबिक जो वक्त मुकर्रर किया है उस के मुताबिक it must be disposed of within half an hour.

जनाबे आली, जो आपने रिपोर्ट में लिखा है और जिस का ज़िक्र श्री साधू राम जी ने भी किया है वह ठीक है कि political चीज और है और legal चीज़ और होती है और political बातों से किसी चीज़ की legal position नहीं बदल सकती है। कायदा है कि जब कोई बिल पेश होता है तो Minister Incharge तो उसके aims and objects बता देते हैं लेकिन बाद में जैसा कानून पास होगा और बनेगा उसकी interpretation उसी के मुताबिक होगी । इसी तरीके से रीजनल कमेटियों के बारे में जो Presidential Order जारी हुआ है उस की legal position वही रहेगी और यह कहने से उस की legality नहीं हट सकती क्योंकि हम तो और चीज चाहते थे और हमारी इस के पीछे यह खाहिश थी लेकिन यह चीज़ हमें satisfy नहीं करती। जैसा यह Order है और जो उस में लिखा है उस की legal position वही रहेगी। फिर किसी मैम्बर साहिब ने कोई amendment भी नहीं दी और अपनी राय का इज़हार ही किया है। मैं अर्ज करूंगा कि या तो वह कोई amendment देते लेकिन जहां तक उन्होंने अपनी राए का इज़हार किया है उसका उसी तरीके से जवाब भी मिल गया है इसलिये मैं move करता हूं कि इस रिपोर्ट को adopt किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That this House having considered the Speaker's Report on a Privilege Issue regarding Regional Committees adopts it.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it" This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

(*The Sabha then adjourned till* 2.00 *P.M. on Tuesday, the* 19*th April,* 1960.

8731 PVS—349—22-6-60 C. P. & S., Pb., Chandigarh

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ANNEXURE

(*See* foot-note at page (31)62 of this debate, dated 1st April, 1960)

HARIJAN COAL AND BRICK KILN CO-OPERATIVE SOCIETIES

2481. Chaudhri Dasondha Singh : Will the Minister for Community Development be pleased to state the total number of Harijan Coal and Brick Kiln Co-operative Societies in the State at present together with the names of places where these are established ?

Sardar Gurbanta Singh : There is no Harijan Coal Co-operative Society in the State. However, the membership of the following two Co-operative Brick Kiln Societies consists wholly of Harijans.

1. The Rupar Harijan Co-operative Brick Kiln Society, Ltd., Rupar

2. The Barwala Sayyadan Harijan Co-operative Brick Kiln Society, Ltd., village Barwala, district Hissar.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha Debates

19th April, 1960

Vol. I No. 32

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 19th April, 1960

Price : Rs. 4.73 n.P.

Original with
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by
Panjab Digital Library

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 32 DATED THE 19TH APRIL, 1960.

Read	*for*	*on page*	*line*
के	का	(32)7	last
factual	factnal	(32)35	26
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ	ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ	(32)60	9
should	shauld	(32)60	19
ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ	श्री अध्यक्ष	(32)62	13
कलाज़	कालज	(32)68	16th from below
साहिबान	साहिब न	(32)73	19
सभ्भरवाल	सभ्भराबल	(32)76	18
करे	कर कर	(32)77	last
तादाद	तादाक	(32)90	31
भी	भो	(32)91	13
इज़ाफा	इज़ फा	(32)93	18
ਦੀ	ਦਾ	(32)98	last but one
ਸਰਦਾਰ	ਸਰਆਰ	(32)99	6th from below
हैं, हां	हां हैं	(32)101	12th from below
कैरों	केरों	(32)101	4th from below
channel	chennel	(32)101	2nd from below
हैं	ह	(32)104	2

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 19th April, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh at 2.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

LAND TAKEN OVER BY GOVERNMENT UNDER THE EAST PUNJAB UTILISATION OF LANDS ACT, 1949

*4645. **Dr. Bhag Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) total area of land so far taken over by Government in the State under the East Punjab Utilisation of Lands Act, 1949 and the area of such land leased out for cultivation to Harijans and others;

(b) whether Government intend to set up a high-powered body to suggest ways and means to bring the area referred to in part (a) above under cultivation?

Giani Kartar Singh : (a)

Area acquired	*Area leased out*
1,39,756 acres	1,09,711½ acres

(b) Yes. The Government of India have set up a Waste Lands Survey and Reclamation Committee, in order to survey waste lands and assess possibility of bringing them under cultivation where there are big junks of waste lands.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਲਈ notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

FALLOW LAND BROUGHT UNDER CULTIVATION IN THE STATE

*5335. **Sardar Ramdayal Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the area of Government Land lying fallow in the State at present together with the steps taken by Government so far to bring it under cultivation;

(b) the area of land referred to in part (a) above which has been brought under cultivation since 1st April, 1957 and the number of families of landless tenants or of scheduled castes settled thereon;

(c) the terms on which the said land has been given to the families mentioned in part (b);

(d) whether any applications of landless tenants or of scheduled caste families for the allotment of the said land are still pending with Government; if so, their number?

Giani Kartar Singh : (a) The area of land lying fallow is 28,220 acres. Out of this area 9,411 acres are uncultivable. Efforts are being made to allot the area to Co-operative Societies of Scheduled Castes to bring it under cultivation.

(b) 3,102 acres. 1,618 families of Scheduled Castes have been settled thereon.

(c) The land has been allotted on price equal to ninety times the land revenue under provisions of the Nazool Lands (Transfer) Rules, 1956, recoverable in 20 equal half-yearly instalments.

(d) Yes, Seven.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ applications pending ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : Due course ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ co-operative societies ਬਣਾ ਕੇ allotment ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਇਆ ਉਹ co-operative societies ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ individuals ਨੂੰ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ individuals ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ co-operative societies ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ evacuee area ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ included ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਵਖ notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN THE IMPROVED SEED FARMS

*5292. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state the amounts for which contracts for the construction of buildings in the Improved Seed Farm in the State were given during the years 1958-59 and 1959-60 separately, together with the purposes for which the said buildings were constructed?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : Contracts for the following amounts for construction of buildings in the Improved Seed Farms in the State were given :—

(i) 1958-59 .. Rs 85,739.28

(ii) 1959-60 .. Rs 1,30,632.00

The buildings are constructed for the following purposes :—

(i) Residence for Chowkidars and tenants.

(ii) Storing implements of the farms.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि चार हज़ार की रकम जो रीवाड़ी सीड फार्म के लिए रखी गई है वह इस रकम में included है या नहीं ?

उप मंत्री : इस के लिए अलहदा नोटिस दें ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि एक लाख रुपए की रकम में सब buildings जो seed farms में बनाई गई included हैं या इस के अलावा भी कोई रकम है ?

उप मंत्री : आनरेबल मेम्बर जवाब देख लें उस में सब detail दी गई है ।

PERSONS EMPLOYED IN THE IMPROVED SEED FARMING DURING 1958-59 AND 1959-60

*5293. **Maulvi Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether any persons were employed in the Improved Seed Farms in the State during the years 1958-59 and 1959-60, respectively; if so, number thereof in the case of each farm and the amount of expenditure incurred thereon during the said period?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : The requisite information is laid on the table of the House.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

STATEMENT

Serial No.	Name of Farm	No. of persons employed during		Expenditure incurred on the employment of persons mentioned in columns 3 and 4	
		1958-59	1959-60		
1	2	3	4	5	6
				Rs nP	Rs nP
1	Hansi ..	1	1	281.71	802.00
2	Hissar ..	..	3	..	230.17
3	Rampura ..	1	1	181.50	726.00
4	Sarurpur ..	1	1	121.00	726.00
5	Bhupani ..	..	1	..	122.00
6	Dulehra Kalan ..	1	1	121.00	731.00
7	Tehna ..	..	1	..	726.00
8	Ferozepore Jhirka ..	..	1	..	282.58
9	Hayatnagar ..	..	1	..	670.00
10	Dakhla ..	1	1	302.50	853.80
11	Bahadurpur ..	1	2	288.85	853.80
12	Talwandi Lal Singh ..	1	1	288.85	853.80
13	Ghanike Banjar ..	1	1	302.50	670.00
14	Kishankot ..	1	1	302.50	670.00
15	Shamgarh ..	1	1	302.58	1,369.13
16	Kabulpurkhera ..	..	1	..	361.94
17	Sheikhpura Manchuri ..	..	1	..	354.00
18	Bir Chrik ..	..	1	..	360.00
19	Daroli Bhai ..	..	1	..	120.00
20	Gobindgarh ..	..	1	..	346.44
21	Saleemshah ..	..	1	..	180.30
22	Mehatpur ..	1	1	398.00	420.00
23	Kartarpur ..	2	2	1,097.00	2,208.00
24	Lesriwala ..	1	1	232.00	420.00
25	Jallowal ..	..	1	..	562.00
26	Bir Phillaur ..	..	1	..	588.00
27	Uppal Jagir ..	..	1	..	120.00
28	Tarain ..	1	1	242.00	788.00
29	Dhingi ..	1	1	375.00	900.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name of Farm	No. of persons employed during		Expenditure incurred on the employment of persons mentioned in columns 3 and 4	
		1958-59	1959-60		
1	2	3	4	5	6
30	Shambu ..	1	1	242.00	730.00
31	Bara ..	..	1	..	574.00
32	Bassi ..	..	1	..	475.00
33	Manawala Khurd ..	3	3	181.50	2,193.00
34	Meharbanpura ..	1	1	60.00	791.00
35	Khabe Dogran ..	1	1	55.50	731.00
36	Fatehabad ..	1	1	60.50	731.00
37	Dayal Bharang ..	2	2	..	1,502.00
38	Ajnala ..	1	1	60.50	791.00
39	Bahmniwala ..	1	1	..	791.00
40	Kullah ..	2	2	..	1,462.00
41	Nasirpur ..	..	1	..	575.22
42	Fatehpur ..	1	1	423.50	670.00
43	Nabipur ..	1	1	423.50	670.00
44	Sarhana ..	..	1	..	549.00
45	Chhachhrauli ..	1	1	423.50	670.00
46	Manjholi ..	..	1	..	244.00
47	Panchhi Gujran ..	..	1	..	701.00
48	Kharkhauda ..	1	1	342.00	721.00
49	Nayabas ..	1	1	296.00	720.00
50	Bir Sunawala ..	1	1	162.00	722.00
51	Deviwala ..	1	1	60.00	660.00
52	Talwandi Sabo ..	1	1	60.50	630.36
53	Ruldusingh Wala ..	..	1	..	278.95
54	Harnamsinghwala ..	1	1	60.00	600.00
55	Chakan ..	..	1	..	61.00
56	Potato Seed Farm, Dhogri	6	6	10,267.13	8922.00
57	Potato Seed Farm, Manali	1	3	312.31	2,780.00
58	Mutton ..	..	1	..	260.00
59	Papraudi-Mutton ..	..	1	..	780.00

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister[

Serial No.	Name of Farm	No. of persons employed during		Expenditure incurred on the employment of persons mentioned in columns 3 and 4	
		1958-59	1959-60		
1	2	3	4	5	6
60	Bhimipura	..	1	..	200.00
61	Gopalpur	..	1	.	200.00
62	Kapurthala	..	1	..	1,249.38
63	Nurpur Dona	..	1	..	439.36
64	Hajipur	..	1	..	540.00
65	Sohian				
66	Kheri		3		
67	Kishanpura				
68	Amritsar	6	6	1,573.00	3,974.57
69	Bugra				
70	Karamgarh				
71	Rampur BhinMran				
72	Jachh	2	2	..	1,462.00
73	Abohar	17	16	13,949.16	16,618.79
74	Chhauni	1	1	61.00	671.00
75	Gangian	1	1	61.00	671.00
76	Khanaura	1	1	61.00	671.00

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या वजह है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ payments हुई हैं ?

उप मंत्री : हो सकता है कि कुछ payments total period के मुताल्लिक हों और कुछ कम period के मुताल्लिक ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि कई जगहों पर पन्द्रह सौ और कई जगहों पर चौदह सौ रुपए खर्च आया । इस फर्क की क्या वजह है ?

उप मंत्री : इस की वजह यह है कि कई जगह सिर्फ एक चौकीदार रखा गया है और कई जगह tube-well चलाने के लिए एक Engine Driver भी रखा गया है ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : इन्हों ने फरमाया है कि हो सकता है driver रखा गया हो । मैं पूछता हूं कि इन में से कितनी जगहों पर tube-wells लगे हुए हैं ?

Mr. Speaker: Please put some specific question.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : अबोहर में 1958-59 में 13949.16 रु० खर्च हुए और 1959-60 में 16618.79 । क्या मैं पूछ सकता हूं कि दूसरों के मुकाबले में यहां पर इतना फर्क क्यों है ?

उप मंत्री : यह काफी बड़ा seed farm है ordinary 25 एकड़ का seed farm नहीं है ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : बड़ा seed farm कितने एकड़ का रखा है । कई जगह 400 खर्च हुआ है कई जगह 500 लेकिन यहां पर हज़ारों रुपए खर्च हो गए हैं । इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि बड़े seed farm की कितनी acreage रखी गई है ?

उप मंत्री : आप पूछना चाहते हैं तो notice दे दें ।

MISUSE OF FERTILIZERS IN AMRITSAR AND BATALA

***5571. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) whether any cases of misuse of fertilizers have recently been unearthed in Amritsar and Batala; if so, when, the details thereof and the total amount involved therein;

(b) whether any enquiry has been held into the cases referred to in part (a) above; if so, when, by whom and the detail of the findings of the said enquiry;

(c) whether any action has been taken on the findings of the said enquiry; if so, what?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) and (b) No. However, necessary investigations in doubtful cases are being made by the Vigilance Department results of which are still awaited.

(c) Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ part (a), ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੋਈ case misuse of fertilizers ਦਾ ਲਭਾ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ No. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Vigilance Department enquiry ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ case ਲਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ Vigilance Department investigation ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Doubtful cases are being enquired into.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : Doubt ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

उप मंत्री : Doubt कई चीज़ों से पैदा हो सकता है, complaint हो सकती है, supervising authority को inspection के दौरान पता

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[उप मंत्री]
लग सकता है । Enquiry से पता लगा है कि misuse of fertilizers हुआ है अब further investigation के लिये case Vigilance Department को भेजा गया है ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ enquiry ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ complaint ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ inspection ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ?

उप मंत्री : इस के मुतअल्लिक अलहदा नोटिस दें ।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि Vigilance Department कब से enquiry कर रहा है ? क्या उस ने कोई preliminary report गवर्नमैण्ट को दी है ?

उप मंत्री : इस के लिए अलहदा नोटिस दें ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : जो enquiry की जा रही है क्या उस से कोई *prima-facie* case establish हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : Enquiry चल रही है । (The enquiry is still going on.)

श्री प्रबोध चन्द्र: इसी तरह के एक सवाल का जवाब देते हुए फरमाया था कि बटाला में कोई ऐसा case नहीं हुआ । मैं personal knowledge से बता सकता हूं कि ऐसा case एक मैजिस्ट्रेट की अदालत में pending है ?

Mr. Speaker : There is no question of personal knowlegde. The hon. Member should ask supplementary questions.

Shri Prabodh Chandra : Is it a fact that the Government have sent for challans of some cases of fertilizer scandals in Batala?

Mr. Speaker : The question is every specific about Amritsar and Batala and the reply is also very specific.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I want to know, is the Government very sure that there are no fertilizer scandal cases being tried by a Magistrate in Batala City?

उप मंत्री : सरदार आत्मा सिंह जी का सवाल बिल्कुल specific है misuse of fertilizers के मुतअल्लिक । अगर मेरे माननीय मित्र श्री प्रबोध चन्द्र जी भी कोई specific सवाल पूछना चाहते हैं तो उस के लिए नोटिस चाहिए ।

Shri Prabodh Chandra : Sir, definitely there has been misuse of the fertilizers. Is the Deputy Minister very sure...........

Mr. Speaker : The question has already been answered.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : जिस case के मुतग्रल्लिक Vigilance Department enquiry कर रहा है उस में कितनी amount का fertilizer involved है ?

श्री ग्रध्यक्ष : Case doubtful है ।(The case is doubtful)

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : "Misuse" ਅੌਰ "recently" ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ । ਜੇ ਕੋਈ specific ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

BENEFIT OF WAR SERVICES TO EMPLOYEES OF CO-OPERATIVE DEPARTMENT

*5590. **Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Community Development be pleased to state —

(a) whether there are any employees in the Co-operative Department who have war services at their credit ;

(b) whether any benefit of the said war service has been granted to the said employees during the last three years; if so, their number ;

(c) whether any cases in which the benefit of war service is claimed are still pending for disposal ; if so, their number and the approximate time within which these are expected to be finalised ?

Sardar Gurbanta Singh :

(a) Yes

(b) 6

(c) One case of Shri Banwari Lal Sub-Inspector, Narnaul, District Mohindergarh, is pending with the Accountant-General and is expected to be finalized shortly.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस तरह के cases जो pending हैं वह account की गलती की वजह से pending हैं या महकमा फैसला नहीं कर सका ?

मंत्री : फैसला Accountant General ने करना होता है कि ग्राया इन को रियायत दी जाए या न दी जाए ?

पंडित श्री राम शर्मा : War Service को गवर्नमेंट determine करती है या Accountant General?

मुख्य मंत्री : फैसला तो गवर्नमेंट करती है लेकिन Accountant-General इस बात को देखता है whether we observe the rules or not. इस तरह से Accountant-General बीच में ग्रा जाता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : गवर्नमेंट ने ग्रभी तक फैसला क्यों नहीं किया ?

मुख्य मंत्री : जब हमारी राये इस बारे में Accountant-General के पास चली जाती है तो फिर वह देखते हैं कि जो conclusion हम ने draw किया है वह according to the rules है, according to the procedure है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PAYMENT OF COMPENSATION FOR LAND ACQUIRED FOR SHAH CANAL IN TEHSIL MUKERIAN, DISTRICT HOSHIARPUR

***5387. Shri Balram Dass Tandon** (asked by Dr. Baldev Parkash) : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names and full addresses of the persons whose lands were acquired by Government for digging Shah Canal in Sub-tehsil Mukerian, district Hoshiarpur together with the dates when these were acquired;

(b) the names of the persons to whom compensation for the lands has been paid so far and of those to whom it has not yet been paid together with the reasons if any for non-payment;

(c) the time by which the outstanding payment is likely to be made in each case?

Rao Birendar Singh : The possible benefit to be derived from the reply to the question will not be commensurate with the amount of time and labour involved in collecting the information.

CHARGE SHEETS GIVEN TO OFFICERS IN THE P.W.D. (B&R)

***5548. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the list of officers of the P.W.D. (B&R), if any, to whom charge sheets were given during the years 1957-58, 1958-59 and the current year;

(b) the dates when charge sheets referred to in para (a) above were given to each of the said officers, and the reasons for delay in deciding their cases;

(c) the date by which the said cases are expected to be disposed of?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a), (b) and (c) The requisite information is given in the Annexure laid on the Table.

ANNEXURE

Serial No.	Name and rank of officer who was charge sheeted	Date when charge sheet was given to the officer	Reasons for delay in deciding the case	Date by which the case is expected to be disposed of
1	2	3	4	5
		1957-58		
1	Shri J. P. Singh, Superintending Engineer	16-11-57	..	Since the officer is already dead the Government decided to consider both the cases as closed

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Name and rank of officer who was charge-sheeted	Date when charge sheet was given to the officer	Reasons for delay in deciding the case	Date by which the case is expected to be disposed of
1	2	3	4	5
2	Shri J. P. Singh, Superintending Engineer	21-8-57	..	Since the officer is already dead the Government decided to consider both the cases as closed
3	Shri T. L. Tandon, Executive Engineer	16-11-57	..	Exonerated with a displeasure of Government
4	Shri D. S. Bedi, Executive Engineer	4-9-57	..	Censured and orders issued on 13th June, 1958
5	Shri Harbans Singh, S. D. O.	4-9-57	..	Ditto
6	Shri T. L. Tandon, Executive Engineer	31-12-57	Some connected papers of C. E.'s office in this connection have been called for as these were not received in the first instance	The case will be finalized by Government on receipt of the required papers
7	Shri O. P. Sublok, Executive Engineer	31-12-57	Ditto	Ditto
8	Shri Kulbir Singh, Executive Engineer	31-10-57	..	Warning issued on 4th March, 1958
9	Shri B. S. Bedi, S. D. O.	20-8-57	..	Has since been reinstated after issue of Government censure a copy of which has been placed on his R. R. File
10	Shri R. B. L. Bedi, S. D. O.	21-8-57	..	As a result of enquiry his services were terminated
11	Shri S. P. Grover, S. D. O.	24-2-58	..	Has since been reinstated after administration of censure a copy of which has been placed on his R. R. File
12	Shri M. G. Uppal, S. D. O.	16-11-57	..	Has been exonerated with displeasure of the Government
		1958-59		
13	Shri Des Raj, S. D. O.	9-8-58	The cases are of complicated nature and lot of material had to be collected before final disposal of the case. It has now been received by Government for decision	Under active consideration of Government at present

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Name and rank of officer who was charge sheeted	Date when charge sheet was given to the officer	Reasons for delay in deciding the case	Date by which the case is expected to be disposed of
14	Shri M. L. Malhotra, Executive Engineer	9-8-58 (ii) 11-10-58 (iii) 12-12-58	The cases are of complicated nature and lot of material had to be collected before final disposal of the case It has now been recieved by Government for decision.	Under active consideration of Government at present
15	Shri B. S. Sidhu, S. D. O.	11-10-58		
16	Shri Gurbax Singh, Executive Engineer	18-8-58	The explanation of the officer charge sheeted has been received but original files made available to him are still awaited	The matter is being pursued by Government
17	Shri J. S. Chadda, S. D. O.	18-10-58	The case has been received incomplete from C. E. B&R who has been asked to send certain original documents	The matter is being pursued by the Government
		1959-60		
18	Shri D. S. Bedi, Executive Engineer	25-1-60	Complete explanation of the Executive Engineer, has not been received so far	The matter is being pursued by the Government
19	Shri Kailash Nath, S. D. O. (since retired)	January, 1960	Reply to charge sheet has been received in the office of C.E. B& R and his comments are still awaited	Ditto
20	Shri Madan Mohan, S. D. O. (under suspension)	9-6-59	Reply has been received and the case is under consideration with the Government	The matter is under consideration with the Government

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : Annexure ਦੇ item No. 6 ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Shri T. L. Tandon, Executive Engineer was charge-sheeted on 31st December, 1957. Some connected papers of C. E.'s office in this connection have been called for as these were not received in the first instance. ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ 31-12-57 ਨੂੰ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

charge-sheet ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ papers ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਚ delay ਐਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : Procedure ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ । Show cause notice ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या procedure आम तौर पर लम्बा है या इस case में लम्बा हुआ है ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਚਾਰ ਪੰਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ cases ਹਨ ਬਾਕੀ settle ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : I want to know why all the connected papers were not sent in the first instance and whether those papers have been called for again?

Deputy Minister : It has already been stated that the connected papers have been called for.

Sardar Bhupinder Singh Mann : It has been stated in the reply that some of the connected papers were not sent by the Chief Engineer in the first instance. May I know why they were not sent and since when they have been called for?

Deputy Minister : Some connected papers were not received and they have been called for.

Sardar Bhupinder Singh Mann : May I know why were they not sent by the Chief Engineer in the first instance.?

Deputy Minister : We have asked for those papers and also the explanation for not sending those papers in the first instance.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ finalise ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਗੇਗਾ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

Mr. Speaker : Now supplementaries to Starred Question No. 5509 are to be asked.

No member rose to put.

SUPPLEMENTARY QUESTIONS

Mr. Speaker : Next question please.

FAMILY PLANNING CLINICS IN THE STATE

***5599. Shrimati Sneh Lata :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of Family Planning Centres in the rural and urban areas of the State at present;

(b) the average attendance at the said Centres per annum ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : (a) 6

Family Planning Clinics being run by Punjab Government		*Family Planning Clinics being run by Indian Red Cross Society, Punjab, State Branch and other Voluntary Organisations*	
Rural	Urban	Rural	Urban
16	8	14	13

(b) *Average annual attendance per clinic in Urban Family Planning Centres*	*Average annual attendance per clinic in Rural Family Planning Centres*
4,864	2,790

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या सरकार ने यह बात भी जानने की कभी कोशिश की है कि जिस area में ये family planning centres चल रहे हैं उस में birth rate कुछ कम हुआ है कि नहीं ?

श्रीमती स्नेह लता : गवर्नमेंट तो इतना रुपया family planning पर waste कर रही है लेकिन population फिर भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है इस का क्या फायदा है ?

श्री अध्यक्ष : इस का पता तो कुछ देर के बाद लगेगा । (The result of these efforts will be known after some time)

BRICK KILN IN DISTRICT ROHTAK

***5508. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total number of Brick Kilns in Rohtak District, at present and the names of their owners;

(b) whether any proposal to issue licences for new Brick Kilns in the said district is under the consideration of Government, if so, the basis on which such licences are intended to be issued?

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister) : (a) One hundred and sixty-six; details of the parties holding these licences is given in the list which is placed on the Table of the House.

(b) Government have recently sanctioned three more brick klin licences for Rohtak District after taking into consideration the recommendations made by the District Magistrate, Rohtak. The selection of the parties for granting these licences will now be made by the District Magistrate from amongst the Political Sufferers, Former Brick Kiln Licencees from the areas now in Pakistan, Co-operative Societies, Harijans and other deserving persons without any interse priorities to the best advantage of the area.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

List of Holders of Brick Kiln Licencees in Rohtak districts

Serial No.	Licence No.	Name of the party	Site of Kiln
1	13 BR	Shri Narain Dass, son of Shri Ganda Ram, Rohtak	Village Baland
2	22 BR	Shri Kali Ram ..	Brahai (Jhajjar)
3	23 BR	Shri Samunder Singh, son of Shri Piarye Lal	Village and post office Bhalaut
4	24 BR	Shri Samunder Singh, son of Shri Piarya Lal, Bhalaut	Kaloi
5	25 BR	Shri Hari Mohan, Mohalla Babra, Rohtak	Rohtak
6	28 BR	Shri Ratti Ram	Village Gorar
7	33 BR	Shri Harbans Lal, Civil Lines, Rohtak	Sonepat Stand, Rohtak
8	37 BR	Shri Shri Kishan Dass, Mohalla Babra, Rohtak	Gohana Road, Rohtak
9	38 BR	Shri Gurdas Singh, son of Prass Ram, Rohtak	Jhajjar Road Rohtak
10	56 BR	M/s Prass Ram-Surat Singh ..	Ismila
11	63 BR	M/s Mehar Singh-Sohan Lal, Sampla	Village Bohu Jawal Pur
12	65 BR	M/s Chikra Brothers ..	Village Lohar Heri
13	74 BR	M/s Siri Ram-Jai Narain ..	Village Datur
14	87 BR	Shri Bera Singh ..	Village Basana
15	90 BR	Shri Subh Ram Aggarwal, Sampla	Sampla
16	98 BR	Shri Net Ram,V. Ruski ..	Village Baghpur (Jhajjar)
17	100 BR	Shri Dewan Chand, Government Contractor, Rohtak	Bhiwani Road, Rohtak
18	101 BR	Shri Bharat Singh, village Sisana	Sisana
19	102 BR	Shri Debi Singh, village Sanghi ..	Village Jassia
20	103 BR	M/s Sant Ram-Beldew Raj ..	Village Tatoli
21	104 BR	M/s Salig Ram-Dewan Chand ..	Near Jat College, Boh
22	105 BR	M/s Lakhi Ram- and Sons near Jat College, Rohtak	Rohtak
23	107 BR	Shri Bhagwan Singh, son of Har Kesh Jat, Kharkhoda	Kharkhoda
24	108 BR	Shri Harbans Lal, son of Amlok Ram, Civil Lines, Rohtak	Village Kehrawar

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Shri Banarsi Dass Gupta]

Serial No.	Licence No.	Name of the party	Site of Kiln
25	110 BR	Shri Des Ram, Vazirpur ..	Chulana
26	111 BR	M/s Mehar Singh, Sampla ..	Sampla
27	112 BR	Rohtak M. P. Co-operative Society, Rohtak	Rohtak, Gohana
28	115 BR	Shri Preya Varat, son of Shri Lakhi Ram	Kharkhoda
29	118 BR	M/s Harish Chander and Co., ..	?
30	119 BR	M/s Birbal-Manji Ram ..	Himujpur
31	120 BR	Shri Madan Mohan Lal ..	Village Asthal Bohar
32	121 BR	Shri Kali Ram ..	Village Garahi Sampla
33	122 BR	Shri Mehar Singh ..	Village Hanan Garh
34	123 BR	Shri Dewan Singh, son of Shri Prem Sukh	Village Bahu Akbarpur
35	125 BR	M/s Shanti Parkash-Parkash Chand	Rohtak
36	127 BR	M/s Banwari Lal and Co., ..	Village Mongain
37	128 BR	M/s Ramditta Mal-Amar Nath ..	Village Gadekheri
38	133 BR	The Bidhlan Co-operative M. P. Society, Khanda	Khanda
39	135 BR	Shri Lurinda Ram, son of Tilla Ram, Rohtak	Rohtak
40	136 BR	M/s Sita Ram-Ram Narain ..	Village Silani
41	137 BR	Shri Parkash Chander Batra B. VI 880, Rohtak	Kalanaur
42	138 BR	Shri Maya Singh, son of Khazan Singh	Kalanaur
43	139 BR	Shri Chandgi Ram, son of Shri Lakhan Singh	Dhamar
44	140 BR	M/s Chhotu Ram-Ghar Singh ..	Kharak Kalan
45	134 BR	Shri Partap Singh ..	Makrauli Kalan
46	141 BR	Shri Paras Ram ..	Rohtak
		SONEPAT	
1	6 BS	Shri Attar Singh, son of Chandgi Ram	Village Chatya Ahulya
2	7 BS	Shri Mange Ram ..	Village Pipli Khera

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Licence No.	Name of the party	Site of Kiln
		SONEPAT—*contd*	
3	21 BS	M/s Jagan Nath-Parma Nand and Company	Sonepat
4	28 BS	Shri Inder Singh ..	Village Halalpur
5	33 BS	M/s Vak and Sons, Sonepat ..	Jamalpur
6	34 BS	Shri Surrinder Nath Goel, son of B. Pirthe Nath Advocate	Kalupur
7	40 BS	Shri Chet Ram, son of Data Ram, Murthal	Ganaur
8	46 BS	Shri Risal Singh ..	Pinana
9	49 BS	M/s Ram Sarup and Sons, Murthal	Mauza Hassan Pur
10	59 BS	M/s Umar Singh-Daya Nand ..	Khaleru
11	64 BS	Shri Karan Singh, son of Shri Risal Singh	Village Datali
12	65 BS	M/s Jai Lal-Jogi Ram ..	Village Jagdishpur
13	72 BS	M/s Ram Kishan-Hira Lal ..	Kameshpur
14	78 BS	Shri Nand Kishore, Contractor ..	Village Tajpur (Sonepat)
15	80 BS	M/s Bir Bal-Mouji Ram ..	Village Sheikhupur
16	81 BS	Shri Amrit Singh, son of Shri Lachhman Singh	Asherfpur
17	82 BS	Shri Lakhi Ram ..	Village Fazilpur
18	84 BS	M/s Suresh Kumar and Co. ..	Sonepat
19	86 BS	M/s Shambhu Singh-Rattan Singh	Village Asan
20	87 BS	M/s Sher Singh and Sons ..	Village Shezadpur
21	95 BS	M/s Parkash Bhotta and Co. ..	Bao Kulabpur
22	98 BS	M/s Jai Chand and Co. ..	Village Barh Maliak
23	100 BS	M/s Chandan Singh and Co. ..	Badhona
24	102 BS	M/s Ahgwurpur, Co-operative Society, Aggwarpur	Village Udin Pur
25	103 BS	M/s Banwari Lal and Co. ..	Aterna
26	104 BS	M/s Chandgi Ram ..	Village Rolid Latifpur
27	105 BS	M/s Ghamandi Lal-Baij Nath ..	Murthal
28	107 BS	The Murthal M. P. Co-operative Society, Murthal	Murthal

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Licence No.	Name of the party	Site of Kiln
		SONEPAT—*concld*	
29	110 BS	Shri Mahabir Parshad Jain, Manohar Bhan	Roh (Sonepat)
30	112 BS	M/s Chandgi Ram-Shejan Lal ..	Sonepat
31	114 BS	M/s Khozarpur, Jat Co-operative Society	Khozarpur
32	116 BS	Shri S. P. Sachdev, New Colony	Khewra
33	117 BS	Mohana M. P. Co-operative Society	Mohana
34	118 BS	The Aghwarpur Co-operative Society	Village Rajpur
35	119 BS	Shri S. P. Sachdeva, son of L. Ram Sahaimal, Model Sonepat	Village Tehal
36	120 BS	M/s Parkash Bhotta and Co. ..	Pugthala
37	123 BS	M/s Jit Singh and Co.	Village Purkhas
38	124 BS	Shri Ram Sarup, son of Mangee Ram, Pipli Khora	Fazil Pur
39	127 BS	Shri Lakhi Ram and Sons ..	Rewali
40	128 BS	Shri Bharat Singh ..	Ram Pur Kudal
41	131 BS	Pandit Ram Kishan, son of Chandu Lal	Mandara
42	134 BS	Ch. Chet Ram, Murthal ..	Bohalgarh
43	136 BS	Shri Nand Kishore, Contractor ..	Garhi Brahuman
44	137 BS	M/s Lal Singh-Chandgi Ram ..	Village Bhowarpur
45	138 BS	Shri Lal Chand, son of Shri Lachhman Singh	Village Ram Nagar (Sonepat)
46	139 BS	M/s Chuni Lal-Kishor Lal, 139, Model Town	Sonepat
47	140 BS	Shri Mange Ram and Sons, village Pipli Khera	Bhadoro
48	141 BS	Shri Bihari Lal Batra ..	Village Sultan Pur (Sonepat)
49	142 BS	M/s Rissal Singh and Sons ..	Village Guhna(Sonepat)
50	143 BS	Shri Chandgi Ram and Sons, village Bhatana Jafarabad, post office Mahra (Sonepat)	Village Garhi Rajlu
51	144 BS	Shri Behari Lal Batra, 21-B, Sector 18 A, Chandigarh	Jamal Pur Khurd (Mandi Sonepat)
52	15 BS	M/s Sunil Lal-Atma Parkash ..	Bhatgaon

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Licence No.	Name of the Party	Site of Kiln
		GOHANA	
1	BG	M/s Ram Sarup-Nand Ram, village Cheri	Village Lakhan Majra
2	4 BG	Shri Sodhi Arjan Singh and Sons	Village Khandrai
3	18 BG	Shri Dharam Singh ..	Village Nazampur
4	28 BG	Co-operative M. P. Society, Kheri	Kasandi
5	39 BG	Shri Shispaul Singh ..	Bhansawal
6	43 BG	M/s Lehari Singh and Co. ..	Mundlana
7	44 BG	Shri Sanwlia, Village Cheri ..	Cheri
8	55 BG	M/s Deep Chand-Mange Ram, village Mohhra	Village Girawar
9	57 BG	M/s Risal Singh and Co., Rindhun	Village Ajaib (Gohana)
10	68 BG	M/s Nathu Mal Kila and Co., village Farmana	Chhetera
11	73 BG	M/s Yujinder Singh and Sons village Riwara	Moi
12	95 BG	M/s Gian Chand and Co., 1 ..	Chirana
13	87 BG	Shri Risal Singh, village Isopur Kheri	Isopur Kheri
14	92 BG	M/s Rattan Singh-Phool Singh ..	Village Mosi Kheri
15	96 BG	Shri Udhi Ram, son of Risal Singh	Village Gudha (Jhajjar)
16	98 BG	M/s Mangat Rai-Risal Singh, Baroda	Baroda
17	101 BG	M/s Hariayana Trading and Co.	Khanpurkalan
18	102 BG	M/s Birkha Ram-Harish Chander	Village Farmana
19	104 BG	Shri Mehar Singh, son of Udmi Ram	Mohrana
20	106 BG	M/s Jai Singh, V. and P. O. Modhana	Sunderpur
21	107 BG	M/s Dehali Bhatta and Co. ..	Bhanderi
22	108 BG	M/s Hazari Lal-Jai Lal ..	Dulehra
23	109 BG	Shri Nand Kishore ..	Khandra
24	110 BG	Shri Birkha Ram, village Joli (Gohana)	Modana
25	111 BG	Shri Tirath Ram, son of Ram Rattan	Bahlebha

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deyuty Minister]

Serial No.	Licence No.	Name of the Party	Site of Kiln
		GOHANA—*concld,*	
26	112 BG	Shri Harish Chander ..	Saman
27	113 BG	Shri Munshi Ram , son of Shadi Ram	Madiana
28	118 BG	M/s Modren Brick and Tiles Manufacture	Matan Hail (Jhajjar)
29	119 BG	Shri Parbgu Dayal, son of Nik Ram	Village Bhansawan Khurd
30	120 BG	M/s Hazari Lal-Dhan Paul ..	Kridwali
31	122 BG	M/s Om Parkash ..	Barhana
32	124 BG	M/s Partap Singh and Co. ..	Kuthura
33	125 BG	M/s Lekh Ram and Sons ..	Rithal
34	126 BG	Shri Munshi Ram ..	Bharan
35	129 BG	M/s Lehari Singh and Co. ..	Village Kheri Asra
36	130 BG	M/s Ram Narain-Ram Sarup ..	Dhurana
37	135 BG	Shri Raminder Singh, son of Joginder Singh	Bidhal
38	137 BG	M/s Ram Dhan-Sukhbir Singh ..	Village Nizampur
39	139 BG	Shri Bharat Singh, son of Giani Ram	Ahulana
40	140 BG	M/s Yojinder Singh and Co. ..	Anwali
41	141 BG	Shri Net Ram, son of Neke Ram	Village Karanthi
42	142 BG	Shri Kali Ram, B. K. O. Jagsi	Jagsi
43	143 BG	Shri Preyararat Dehli Road, Rohtak	Kharkhara
44	144 BG	Shri Harbans Lal, Civil Lines, Rohtak	Chandi
45	117 BG	Shri Bhagwan Singh ..	Lakhan Majra
46	145 BG	Shri Kidar Singh ..	Bhawar
		JHAJJAR	
1	2 BJ	Shri Salig Ram, village Rohad	Mehmudpur
2	4 BJ	M/s Kalu Singh and Sons ..	Mandothi
3	5 BJ	M/s Nand Ram-Paras Ram ..	Village Dighal
4	6 BJ	Shri Gojan Singh ..	Daboda
5	7 BJ	Shri Dharam Singh ..	Karauntha

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Licence No.	Name of the Party	Site of Kiln
		JHAJJAR—*concld.*	
6	14 BJ	Shri Mohar Singh ..	Bahadurgarh
7	16 BJ	M/s Lakhi Ram and Sons, Saraj Mal, Sonepat Road, Rohtak	Jhajjar
8	19 BJ	Shri Ram Lal, son of Sobha Ram	Bahadurgarh
9	22 BJ	M/s Gowardhan Dass-Dharam Paul, Sampla	Village Chhara
10	34 BJ	Shri Samunder Singh ..	Village Asoda (Jhajjar)
11	36 BJ	Shri Jagdish Rai, Bhapraoda ..	Behrana
12	38 BJ	M/s Bhoru Singh and Co. ..	Village Badlu
13	50 BJ	M/s Murari Lal and Co. ..	Bahadurgarh
14	51 BJ	M/s Siri Gopal and Co. ..	Beri
15	52 BJ	Shri Bhog Singh ..	Village Kheri Jasawan
16	57 BJ	Shri Dharam Singh, village and post office Bhaporuda	Bhaporuda
17	58 BJ	Rohtak M. P. Co-operative Society	Beri
18	61 BJ	M/s Mange Ram and Co. ..	Dubal Dhar
19	63 BJ	The Haryana Harijan Co-operative Brick-Kiln Society, Bahadurgarh	Bahadurgarh
20	64 BJ	Shri Jai Lal, son of Jhanda Ram Jat	Akheri Modupur
21	65 BJ	M/s Brick-Kiln Co-operative Society, Ltd., Kosli	Kosli
22	66 BJ	Shri Nanar Singh ..	Kanhli

श्री मंगल सेन : डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे दिया है कि तीन भट्ठों के licences दे दिये गए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वे कौन से महानुभाव हैं जो कि सरकार के कृपापात्र हैं ?

उद्योग मंत्री : आप के समझने में फर्क है उन्होंने यह नहीं कहा कि तीन भट्ठों के लाइसेंस दे दिये गए हैं। उन्होंने यह जवाब दिया है कि तीन brick kilns और मंज़ूर किए गए हैं। यह बात District Magistrate examine करेगा कि किस पार्टी को उन का लाइसेंस देना है ।

श्री अध्यक्ष : तीन भट्ठों का इज़ाफा कर दिया गया है लेकिन उन के लिए लाइसेंस देना डिप्टी कमिश्नर का काम है ? (Three more brick kilns have been sanctioned but the issue of licences is the business of the Deputy Commissioner.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री मंगल सेन : इन भट्ठों का लाइसेंस देने के लिए कोई विज्ञापन वगैरह दिये गए हैं कि किस को दिये जाएंगे ?

उद्योग मंत्री : ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है । डिप्टी कमिश्नर को मुख्तलिफ इलाकों की ज़रूरत का पता होता है । वह जिस ढंग से मुनासिब समझें और जिस को मुनासिब समझें भट्ठों का लाइसेंस दे देगा । इस बात की कोई पाबन्दी नहीं है कि ज़रूरी ही अखबारों में इश्तहार दिया जाए ।

श्री प्रबोध चन्द्र : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि इस बात का फैसला डिप्टी कमिश्नर पर छोड़ दिया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सिलसिले में कभी कभी कोई हिदायत भी गवर्नमेंट देती है कि इन भट्ठों के लाइसेंस फलां आदमी को दिये जाएं या ना दिये जाएं ?

मंत्री : यह सवाल तो रोहतक के जिले के बारे में है । यह एक general सवाल नहीं है।

पंडित **श्री राम** शर्मा : क्या ये तीनों भट्ठे political sufferers को ही दिये जाएंगे या कि कोई और भी इस के लिए eligible है ?

मंत्री : यह बात तो पालिसी के तौर पर अर्ज़ की थी, *inter se* priority मुकर्रर नहीं की लेकिन classification कर दी है कि इन में से selection कर ली जाए। कौन deserve करता है यह बात डिप्टी कमिश्नर पर ही छोड़ दी गई है ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह समझ लूं कि political sufferers को भी लाइसेंस दिये गए हैं ?

उप मंत्री : अभी तो propose ही किया गया है । लाइसेंस अभी नहीं दिए गए, जब दिए जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस के बारे में डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की हुई है ?

उप मंत्री : इन तीन चार बातों का ज़रूर ख्याल रखा जाएगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : Political sufferers के लिये क्या criterion रखा हुआ है ?

उप मंत्री : Political sufferers के मायनी वही हैं जो political sufferers होते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : जिस ने एक दिन की सज़ा भी काटी हो क्या उस का नाम भी इस के लिए consider किया जाएगा ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश: जिस ज़िले में भट्ठों के लाइसेंस देने होते हैं वहां पर डिप्टी कमिश्नर applications कैसे invite करता है, क्या वह खुद जा कर लोगों को बुला कर लाता है या कि गवर्नमेंट advertise करती है ?

उद्योग मंत्री : इस के बारे में गवर्नमेंट की खास rigid हिदायात नहीं हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर मुनासिब समझे वह कर लेता है ।

श्री राम प्यारा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिन लोगों ने 1947 के बाद सज़ा भोगी है क्या वे भी political sufferers के ज़ुमरे में शुमार किये जाते हैं ?

Mr. Speaker: Next question please.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

APPOINTMENT OF A DISMISSED EMPLOYEE OF THE STATE GOVERNMENT IN THE IMPROVEMENT TRUST, AMRITSAR

*5600. **Shri Balram Dass Tandon :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether it is a fact that any dismissed employee of the State Government has been appointed within the last ten years in the Improvement Trust, Amritsar; if so, his name, the post on which he has been employed and the date of his employment;

(b) the post which the said employee was holding in the Government before his dismissal, the reasons why he was dismissed and when he was dismissed;

(c) whether the said Improvement Trust was informed about the dismissal of the said employee before he was employed by them?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) :

(a) No.

(b) and (c) Does not arise.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या Improvement Trust ने किसी ऐसे आदमी को भरती किया है जो कि पहले Government service में था लेकिन उस की services terminate कर दी गई थीं ?

उद्योग मंत्री : इसी बात का तो जवाब दिया गया है ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : यहां जो जवाब दिया गया है यह गलत दिया गया है । वहां पर ऐसे आदमी नौकर रखे गये हैं जिन की services terminate की हुई हैं । यहां पर इन्होंने "dismiss" शब्द की आड़ ले कर यह जवाब दे दिया है ।

मंत्री : अगर आप "dismiss' के बारे में पूछेंगे तो उस का जवाब दिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : Dismiss और terminate में बड़ा फर्क है । (There is a great difference between the meanings of the words 'dismiss' and 'terminate'.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : अगर फर्क है तो इन को कहना चाहिए था कि फर्क है । The hon. Minister should have answered the question like that.

'B' CLASS TO PRISONERS IN THE CENTRAL JAIL PATIALA

*5601. **Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether it is a fact that every prisoner who has passed the Intermediate Examination is entitled to be treated as a 'B' Class prisoner in the Jails in the State;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the number and names of prisoners who have passed the Intermediate Examination in the Patiala Central Jail at present and who have been given 'B' Class and who have not been given 'B' Class separately and the reasons for not giving 'B' Class to the latter?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) No prisoner has appeared in the Intermediate Examination while undergoing sentence in Central Jail, Patiala.

STATE TRADING IN SUGAR

***5605. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the date from which Government started State Trading in Sugar;

(b) the rate per maund, at which sugar is being sold by Government to wholesale dealers and Co-operative Societies at present for distribution in the urban and rural areas of the State; and the reasons for the difference in the said rates, if any;

(c) the total amount of profit earned by Government so far out of State Trading in Sugar and the manner in which the profit in question is being utilized?

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister) : (a) There is no State Trading in Sugar in the State, in its literal sense; it is only a controlled distribution.

(b) Sugar is not sold to any wholesale dealers and Co-operative Societies by the State Government. The authorized wholesalers, both for urban and rural areas, purchase sugar from the mills at uniform rates fixed by the Government of India.

(c) Does not arise in view of answers given against (a) and (b) above.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Societies ਨੂੰ ਖੰਡ supply ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖੰਡ Government of India ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ supply ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੇ dealers ਨੂੰ issue ਕਰਦੀ ਹੈ ?

उद्योग मंत्री : Allocation पंजाब सरकार करती है ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ dealers ਕਰਦੇ ਹਨ ?

मंत्री : भाव सरकार मुकर्रर करती है ।

COMPLAINT AGAINST HONORARY SUB-REGISTRAR, TEHSIL LUDHIANA

***5602. Dr. Bhag Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to State :—

(a) whether he has received any complaint dated 24th February, 1960, from Shri Harbans Singh Ghuman, G.L.F. Industrial Area, A, near Plot No. 1, Ludhiana, against the Hony. Sub-Registrar, tehsil Ludhiana, regarding compulsory sale of Small Saving Certificates ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(b) if answer to part (a) above be in the affirmative whether any enquiry into the allegations has been held; if so, with what result ;

Giani Kartar Singh :

(a) No.

(b) Does not arise.

PROMOTION OF AGRICULTURAL INSPECTORS AS DISTRICT AGRICULTURAL OFFICERS IN THE STATE

***5596. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state ?

(a) whether it is a fact that Government have decided that after 1964 no Inspector of Agriculture in the State will be promoted to the post of District Agricultural Officer who has not passed the M. Sc. Examination ;

(b) if the answer to part (a) be in the affirmative the number of Inspectors who have applied this year for being permitted to appear for the M. Sc. Examination from the Punjabi and Hindi Regions, respectively, and the number of those permitted from each region ;

(c) the total number of applications for permission to take the M. Sc. Examination received from Agricultural Inspectors in the State during the last five years from each of the two regions respectively ;

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) :

(a) Yes.

(b)	(i)	*Hindi Region* 15	*Punjabi Region* 42
	(ii)	*Hindi Region* 2	*Punjabi Region* 16
(c)		*Hindi Region* 34	*Punjabi Region* 130

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि यह permission देने वाला अफसर कौन है और किस तरीके से वह permission देता है ?

उप मंत्री : जहां तक इस वक्त मुझे इल्म है वह applications कालेज के Principal को दी जाती है । इस के लिए कुछ set qualifications हैं । पहली शर्त तो यह है कि जो candidate M.Sc. के लिए दरखास्त देना चाहे उस ने B.Sc. में कम से कम 50 % नम्बर हासिल किए हों । दूसरे यह कि department में उसकी कम से कम पांच साल की service हो। तीसरे उस ने इस study के लिए ऐसा subject चुना हो जो agriculture को advance ले जाए । चौथे यह कि जब उसने इम्तहान की तैयारी करनी

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[उप मंत्री]

हो तो उस हालत में उसकी official duties में मदाखलत न होती हो। इस के अलावा जिस farm पर वह research करेगा वह पंजाब यूनिवर्सिटी से approved होना चाहिए। छटी शर्त यह है कि जिस supervisor के under वह काम करेगा उसके पास तीन से ज्यादा उम्मीदवार नहीं होने चाहिए।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूं कि जो Hindi Region से proportionately कम आदमी लिए गए, इस का यही कारण है कि वह इन शर्तों पर पूरे नहीं उतरे ?

उप मंत्री : जो दरखास्तें आती हैं उन पर merit से विचार किया जाता है और इसी लिहाज़ से उन पर फैसला किया जाता है।

पंडित श्री राम शर्मा : इन शर्तों के अलावा जो कि merit तय करने के लिए रखी गई हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि officers को भी कोई discretionary powers दी गई हैं कि जिसको चाहें ले लें, जिसको चाहें न लें ?

उप मंत्री : ये जो बातें मैं ने बताई, इन्हीं की रोशनी में candidates को लिया जाता है। इन के अलावा कोई discretionary powers किसी को नहीं हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह हकीकत नहीं कि हिन्दी रिजन के लोगों को जानबूझ कर ignore किया गया ?

उप मंत्री : अगर आप कोई specific केस लाएं तो enquiry की जा सकती है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या general तौर पर इस शिकायत पर सरकार enquiry नहीं कर सकती कि सारे के सारे हिन्दी रिजन को इस मामले में ignore किया गया ?

उप मंत्री : आप की यह presumption बिल्कुल गलत है कि किसी खास region को ignore किया गया। हर बात का फैसला merit पर किया जाता है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि public की तरफ से कोई ऐसी शिकायत मिली है कि इस में अफसरान की तरफ से तरफदारी की गई ?

उप मंत्री : कोई शिकायत नहीं आई। अगर आएगी तो enquiry की जाएगी ?

SUSPENSION OF GAZETTED OFFICERS OF EDUCATION DEPARTMENT

***5312 Shri Ram Piara** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of Gazetted Officers of the Education Department suspended by Government during the period from January, 1956 to date together with the date of suspension in each case;

(b) the amount of subsistence allowance paid to each of those referred to in part (a) above from the date of suspension up to the date of reinstatement or dismissal, as the case may be;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(c) the names of those officers who were reinstated and the names of those who have not so far been reinstated together with the reasons for the delay in the case of the latter?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): (a) and (b)

	Names of Gazetted Officer		Date of suspension	Amount of subsistence allowance paid
	1		2	3
				Rs
1.	Shri K. S. Malik	..	28-12-56	6,626.86
2.	Shri Bhagat Ram	..	29-10-57	4,323.35
3.	Shri Hans Raj Gakhar	..	3-10-58	5,035.62
4.	Shri Gurdev Singh	..	23-4-58	Nil

(c) Shri K. S. Malik has been permitted to retire from Government service with effect from the 11th March, 1960. The other officers are still under suspension and their cases are under consideration.

श्री राम प्यारा: वजीर साहिब ने बताया है कि 56 के अन्दर suspend हुए, 57 के अन्दर हुए और सन 58 के अन्दर हुए और उन्हें छः छः और चार २ हज़ार रुपया subsistence allowance का देना पड़ा। इस के पेशेनज़र क्या मैं पूछ सकता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन की बिना पर चार चार साल तक भी suspension के cases का फैसला न किया गया? (*Interruptions*)

उप मंत्री : किसी अफसर के खिलाफ कोई action लेने से पहले मुनासिब enquiry करनी पड़ती है—उसे सफाई वगैरह पेश करने का मौका दिया जाता है। अगर जल्दबाज़ी से काम लिया जाए तो नाइन्साफी होने का इमकान रह जाता है। इस के बावजूद कोशिश यही की जाती है कि ऐसे cases का फैसला करने में कम से कम वक्त लगे और उस पर गवर्नमेंट का कम से कम खर्चा हो।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन officers का फैसला हो चुका है, उन के suspension के period का सारे का सारा subsistence allowance दिया गया यानी मुकम्मल दिया गया ?

उप मंत्री : नहीं।

श्री राम प्यारा : कितना दिया गया ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जवाब में बता तो दिया है। (He has stated it in the reply).

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या डिप्टी वजीर साहिब बताएंगे कि आया इन officers के खिलाफ action लेने से पहले इन के cases को Public Service Commission के सामने भेजा गया था या नहीं ?

उप मंत्री : इस के मुतअल्लिक अलग अलग positions हैं। अगर आप तफसीलात जानना चाहते हैं तो एक मुफस्सल सवाल करें, तफसील के साथ जवाब दे दिया जाएगा।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या बताया जा सकता है कि श्री के ऐस. मलिक को retire होने की इजाज़त देने से पहले गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई फैसला कर लिया था और क्या Public Service Commission से भी इस के मुतअल्लिक मशविरा ले लिया था?

उप मंत्री : जो गवर्नमेंट ने फैसला किया वह आप के सामने है। Public Service Commission की क्या राए है, यदि आप यह जानना चाहते हैं तो इस के लिए अलग notice दें पता कर के बता दिया जाएगा।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस अफसर को retire करने से पहले गवर्नमेंट ने किसी level पर उसके मुतअल्लिक कोई फैसला कर लिया था ?

शिक्षा तथा श्रम मन्त्री : इस बारे में Public Service Commission का मशविरा हम ने लिया था। उन्होंने उसे कसूरवार ठहराया था मुनासिब सज़ा का आखरी फैसला गवर्नमेंट ने करना था। उस अफसर ने retirement के लिए दरखास्त दी and we permitted him to retire.

पंडित श्री राम शर्मा : जब आप ने उसे कहा कि अगर तुम retire होना चाहते तो हो जाओ, क्या उस वक्त उसे यह भी कहा गया था, इस तरह की कोई शर्त भी लगाई गई थी कि तुम retirement मांग लो वरना....

मंत्री : वह अपनी मर्जी से retire हुआ। उस ने retirement की दरखास्त दी and we permitted him to retire.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि उस अफसर की अर्ज़ी आने से पहले गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई announcement की थी कि उसे dismiss कर दिया जाएगा ?

मंत्री : नहीं, कोई announcement नहीं की गई थी।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं definitely यह जानना चाहता हूँ कि उस अफसर को यह बात convey करने से पहले कि अगर तुम retire होना चाहो तो retire हो जाओ; यह तय कर लिया था कि अगर वह retire न होना चाहे तो उस हालत में गवर्नमेंट क्या करेगी ?

मंत्री : मैंने बताया है कि जब उन के case को देखा गया और Public Service Commission ने उन्हें कसूरवार ठहरा दिया और यह राए दी कि उस को सजा मिलनी चाहिये तो अभी सरकार के हुकम जारी होने से पहिले उन की दरखास्त आई कि मुझे retire किया जाए; उस हालत में हमने retirement की इजाज़त दे दी।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

पंडित श्री राम शर्मा : लेकिन यह दरखास्त आने से पहले क्या गवर्नमेंट ने उस officer को convey कर दिया था कि गवर्नमेंट का उसके मुतअल्लिक क्या इरादा है ?

Minister for Education and Labour : His case at that time , was still under consideration. He applied for retirement and we permitted him to do so.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूं कि उस अफसर के retire हो जाने से पहले क्या Cabinet ने यह फैसला नहीं कर लिया हुआ था कि उस को dismiss करेंगे अगर वह अपनी retirement नहीं मांगेगा ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਆਪ ਨੂੰ Cabinet ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ retire ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ?

HIGH SCHOOLS CONVERTED INTO HIGHER SECONDARY SCHOOLS

***5598. Shrimati Sneh Lata :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the total number of High Schools in the State at present;

(b) the number of High Schools referred to in para (a) above so far converted to Higher Secondary Schools?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) 1,294.

(b) 168.

श्रीमती स्नेह लता : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि Higher Secondary स्कूलों के सामने जो मुश्किलात आ रही हैं उन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या steps उठा रही है ?

उप मंत्री : पहले आप उन की मुश्किलातें तो बतायें तब ही मैं इस बारे में जवाब दे सकूंगा ।

श्रीमती स्नेह लता : उन की मुश्किलें तो यही हैं कि qualified teachers नहीं हैं और Higher Secondary को किताबें नहीं मिल रही हैं या मुनासिब सामान नहीं है. . . .

श्री अध्यक्ष : यह सवाल पैदा ही नहीं होता । (This question does not arise.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जो स्कूल upgrade कर के Higher Secondary स्कूल बनाये जा रहे हैं तो जब कि उन में न तो qualified teachers ही हैं, न मुनासिब किताबें ही दस्तयाब हो रही हैं और न ही बाकी ज़रूरी सामान ही उन स्कूलों में है तो उन को क्यों upgrade किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल पैदा ही नहीं होता । (This question does not arise.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

श्री राम चन्द्र कामरेड : स्पीकर साहिब, सवाल तो यह है कि जब qualified teachers नहीं हैं और किताबें नहीं मिल रहीं तो....

Mr. Speaker : No, no. This does not arise.

शिक्षा तथा श्रम मंत्री : नहीं स्पीकर साहिब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ इस बारे में बता दूं ताकि कोई गलतफहमी न रहे मैं यह बताना चाहता हूं कि जो किताबें हैं वह University prescribe करती है और यह University ही supply करेगी।

श्री मंगल सेन : मैं आप के द्वारा शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिन स्कूलों को इन्होंने upgrade किया है क्या उन के बारे में उन्हें यह शिकायत मिली है कि वहां बच्चों के बैठने के लिए जगह कम है ?

श्री अध्यक्ष : यह कैसे पैदा होता है ? सवाल तो Higher Secondary education के बारे में है आप स्थान और संख्या के बारे में इधर उधर घूम रहे हैं ? (How does this arise. The question relates to Higher Secondary education but the hon. Member is beating about the bush and asking supplementary about the number of students and the seating space in the schools.)

REPRESENTATION FROM PUNJAB GOVERNMENT PRESS LABOUR UNION, CHANDIGARH

***5606. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether he received any representation from the Punjab Government Press Labour Union, Chandigarh during the current year regarding their grievances ; if so, when, the contents thereof and the action, if any, taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : *Ist Part.*—Yes, two representations were received through the office Secretary, I.N.T.U.C.O. *2nd Part.*—8th December 1959 and 16th December, 1959.

3rd Part.—Promotions in the Reading Branch, Machine Room and Bindry were not made on the basis of seniority and favouritism was shown to certain employees and that promotions should be made purely on seniority and no test should be conducted.

4th Part.—The allegations ard grievances are being looked into.

PERSONS REGISTERED WITH EMPLOYMENT EXCHANGES IN THE STATE

***5607. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) total number of persons (men and women), whether they are graduates, matriculates under-matric and illiterate, whose names are registered at present with each of the Employment Exchanges in the State ;

(b) the total number of those referred to in part (a) above who were provided employment during the current year through the said exchanges ;

(c) other steps being taken by Government to provide employment to the unemployed in the State ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a). The reply is laid on the Table of the House.

(b) As the registration of a person is cancelled when he is placed in employment, the number given in (a) above is in respect of those who had not been found employment. However, 30,399 persons found employment in 1959 and 5,547 in January and February, 1960.

(c) The encouragements given by Government for industrial development, both large-scale, and small-scale, the various construction, road building, irrigation and other plans of the Government, together with the remaining schemes under the Second Five-Year Plan are all calculated to generate employment.

Statement showing the total number of persons registered on 29th February, 1960 with each of the Employment Exchanges in the State is as follows :—

(1) Ambala	..	7,059
(2) Karnal	..	3,037
(3) Yamunanagar	..	832
(4) Hissar	..	1,355
(5) Simla	..	2,281
(6) Patiala	..	2,489
(7) Narnaul	..	859
(8) Nangal	..	895
(9) Rajpura	..	504
(10) Sangrur	..	1,265
(11) Amritsar	..	5,269
(12) Gurdaspur	..	2,481
(13) Dharhmsala	..	4,407
(14) Pathankot	..	1,508
(15) Ferozepur	..	3,844
(16) Rohtak	..	3,207
(17) Gurgaon	..	3,566
(18) Bhatinda	..	1,582
(19) Faridabad	..	1,516
(20) Jullundur	..	56,41
(21) Hoshiarpur	..	2,952
(22) Ludhiana	..	3,197
(23) Phagwara	..	697
Total	..	60,543

CO-OPERATIVE SUGAR MILL AT SHAHABAD

*5603. **Doctor Bhag Singh :** Will the Minister for Community Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a Co-operative Sugar Mill at Shahabad was proposed to be started in the 2nd Five-Year Plan and an office for the sale of its shares was opened in 1956 at Shahabad ;

(b) whether it is also a fact that after the sale of shares the said office was closed in 1957 ;

(c) whether it is also a fact that the proposal to start the said mill has been dropped ; if so, the reasons there for?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes.

(b) No.

(c) No.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह proposal drop करने की वजूहात क्या हैं ?

मंत्री : मैं ने तो जवाब में कहा है कि यह proposal drop नहीं की ।

CONSTRUCTION OF BRIDGES ON DRAINS SEPARATING THE VILLAGES AND THEIR LANDS

***5309. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to construct bridges on the drains which have separated the villages from its lands if so the time by which it is proposed to be finalised;

(b) the number of bridges the construction of which has been sanctioned, district-wise ?

Rao Birendar Singh : (a) There is no proposal under the consideration of Government to construct bridges on the drains purely on account of separation of the villages from their lands, but there are proposals to provide bridges where village roads are crossed by the drains. Some of the village road bridges have already been constructed and some are in progress. All the village road bridges are proposed to be constructed during the 3rd Fiver-Year Plan depending on the availability of funds from Government of India.

(b) Amritsar District	..	4 (already completed)
Rohtak District	..	5 in addition to 4 already completed
Karnal District	..	4
Sangrur District	..	2

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या गवर्नमेंट के पास कोई इस किस्म की अर्ज़ी या शिकायत पहुंची है कि लोगों की ज़मीन तो एक तरफ रह गई है और गांव एक तरफ रह गये हैं, इस वजह से उन्हें वहां आने जाने में दिक्कत महसूस हो रही है ?

मंत्री : इस किस्म की शिकायतें तो आती ही रहती हैं ।

PREFERENCE GIVEN TO VILLAGERS RESIDING IN KHADDAR AND WATER-LOGGED AREAS IN THE MATTER OF HOUSING LOANS

***5308. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether Government have issued any instructions for giving preference to villagers residing in Khaddar areas, water logged areas and flood affected areas in the matter of distribution of loans under the Low-Income Group Housing Scheme ; if so, when?

Sardar Narinjan Singh Talib (Deputy Minister) : No specific instructions have been issued for giving preference to villagers residing in Khaddar areas, water logged areas and flood-affected areas in the matter

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

of distribution of loans under the Low-Income Group Housing Scheme. However, Deputy Commissioners have been given a free hand in sanctioning loans under the scheme to eligible persons.

STAFF IN THE CAPITAL PROJECT, CHANDIGARH

***5433. Pandit Ram Kishan Bharolian** : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the number of 'work-charged' employees in the different sectors of the Capital Project Organisation of Chandigarh at present; and

(b) the total number of employess in the said Project who are still temporary and who were temporary but have been confirmed, separately, and the reasons, if any, why the former have not yet been confirmed ?

Sardar Narinjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) 1681.

(b) There are in all 868 temporary employees (excluding 1681 work-charged staff) and 115 confirmed employees in the Capital Project Organisation. 58 permanent employees of other departments are temporarily serving in the Capital Project Organisation on deputation. Capital Project is a temporary organisation and only 12½% of the temporary posts were made permanent in September, 1956, and, therefore, all temporary employees could not be made permanent.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤਕ temporary ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ department ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਜਦੋਂ ਇਹ department ਟੁਟੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ department ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ service ਨੂੰ consider ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? (How does this supplementary arise?)

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ question ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ department ਦੇ ਟੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ employees ਦੀ services continue ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਜੇਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ departments ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ service continue ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ । 12½% posts ਇਸ department ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ permanent ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PUNJAB PAVILION IN THE WORLD AGRICULTURAL FAIR, DELHI

***5612. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) with reference to the reply to starred question No. 4966 printed in the list of questions for 22nd February, 1960, whether Government have received any complaint or report from the Agriculture Department on the subject of construction of the punjab Pavilion at the Agricultural Fair in Delhi and wastage of Public funds thereon ; if so, the details thereof and the action taken thereon ;

(b) whether any enquiry into the said complaint/report was held ; if so, by whom and with what result ;

(c) the total amount spent on the said Pavilion and the reasons why a permanent structure therefor has been made ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) (i) Expenditure to the extent of Rs. 9,79,318 has been actually incurred so far. A number of bills are still to be paid.

(ii) The structure of the Pavilion is not permanent.

ARMS LICENCES IN ROHTAK DISTRICT

***5510. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of persons holding licences for arms during the years 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 and 1960 in Rohtak District ;

(b) whether the licences of any of the said licensees were first withdrawn and subsequently restored to them during the said period ; if so, the names of such licensees and the reasons ; if any, for the withdrawal and subsequent restoration of the said licenses ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) and (b) It is not in public interest to disclose the information asked for. However, any specific case brought to the notice of Government will be duly looked into.

SETTING UP A DOG SQUAD IN THE STATE

***5608. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a Dog Squad to investigate the criminal cases in the State, if so, when, the details of the scheme ;

(b) the amount proposed to be spent on this squad?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes. A proposal for the entertainment of Dog Squad comprising 1 S.I., 3 A.S.I.s, 2 Kennelmen and 4 Dogs has been approved by the Government for inclusion in the Scheduled of New Expenditure, New Schemes, 1950-61. It is proposed to entertain the staff with effect from 1st April, 1960 subject to the availability of dogs.

(b) Rs. 20,000 during 1960-61.

Sardar Atma Singh : Details of the scheme ? (*Interruption*)

श्री अध्यक्ष : आप का supplementary telegraphically आया है । (हंसी) (The hon. Member's supplementary question has been received telegraphically.) (*Laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਜਵਾਬ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

चौधरी निहाल सिंह : जनाब, इन्होंने फरमाया है कि यह जो Dog Squad होगा इस में इतने ASIs होंगे और इतने Head Constables होंगे । क्या यह बतायेंगे कि इस Dog Squad में यह A.S.Is dogs ही होंगे या आदमी होंगे ? (हंसी) ।

FUNDS EARMARKED FOR INDUSTRIES IN DISTRICT ROHTAK

***5511. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries be pleased to state the amount of funds earmarked for being advanced to the industries in district Rohtak during the current year and the amount actually advanced to them so far respectively ?

Shri Mohan Lal : (a) Amount earmarked .. Rs. 2,50,000.

(b) Amount advanced .. Rs. 2,15,700.

श्री मंगल सेन : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बाकी रुपया क्यों नहीं दिया गया?

मंत्री : पूछने पर पाबन्दी तो नहीं है मगर यह मुझे पूछना पड़ेगा तब बता सकूंगा ।

श्री मंगल सेन : यह तो पहले ही पूछ रखा है ।

मंत्री : मैं ने factnal information दे दी है ।

DECLARING ROHTAK AS AN INDUSTRIAL AREA

***5512. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government have received any representation for declaring Rohtak as an industrial area, if so, the action, if any, taken by Government in this connection ?

Shri Mohan Lal : Representations have been received from time to time for taking steps to develop industries in Rohtak town. The question of declaring Rohtak town as such, as an industrial area, does not, however, arise.

श्री मंगल सेन : जब इन के पास बारम्बार representations आए तो इन्होंने विश्वास दिलाया कि आप एक association बनाएं तो हम यह declare कर देंगे । अब Association बन गई है, पैसे भी ले लिए हैं, और representations भी हैं तो क्यों नहीं उसे industrial area declare करते ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मंत्री : Declaration का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ने अर्ज़ किया कि rehabilitation की 1949 में एक scheme जिस के तहत industrial areas declare किए जाते थे अब यह चालू नहीं है। अब तो industrial colony या estate होती है। यह technical terms हैं। Industrial areas अब नहीं declare किए जाते।

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या इस को industrial colony declare करने पर गौर हो रहा है या नहीं ?

मंत्री : हां जी।

पंडित श्री राम शर्मा: इस का ताल्लुक Improvement Trust से होगा या बराहे रास्त सरकार से ?

मंत्री : Industries Department और Improvement Trust मिल कर इस scheme को चलाने के लिए देख रहे हैं।

RELEASE OF CONVICTS FROM JAILS BEFORE EXPIRY OF SENTENCES

***5324. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the number of convicts who have been released under the orders of the Government from different Jails in the State before the expiry of their terms of sentence during the period from 1st April, 1958 to date, and the reasons for the release in each case ;

(b) the period for which each of the convicts mentioned in part (a) above was sentenced, the offence for which he was convicted, the district to which he belonged, and the period of imprisonment undergone by him before his release ?

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister) : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

श्री राम प्यारा : जनाब सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप को चौकन्ने बैठना चाहिए। (The hon. Member should be attentive.)

श्री राम प्यारा : इन्हें कहें कि repeat कर दें।

श्री अध्यक्ष : वह कहते हैं कि इस में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वक्त जाया करना पड़ेगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इस का कोई फायदा नहीं। (He says that the time and labour involved in the collection of this information will not be commensurate with the benefit to be derived from this information.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : तो हमें कैसे पता लगे कि चोरों और बदमाशों को छोड़ा गया है या नहीं ?

CONSTRUCTION OF COLONIES IN URBAN AREAS FOR SETTLING HARIJANS RESIDING IN MUNICIPAL AREAS

***5325. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether at any time during the period from January, 1958 up to now Government decided to construct some colonies in urban areas in collaboration with the Municipal Committees concerned for settling Harijans living in Municipal areas ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the names of the locality selected for the purpose and the number of houses built or proposed to be built in each ;

(c) whether the construction of any of the said colonies has been started, if so, since when and where ;

(d) the details of expenditure proposed to be incurred by Government and each of the local bodies concerned on the construction of the said colonies ?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) : (a) No.

(b), (c) and (d) Does not arise.

PROMOTION OF NAIB-TEHSILDARS AND TEHSILDARS AS E.A.C.S

***5609. Chaudhri Sunder Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the number of Tehsildars and Naib-Tehsildars promoted as E.A.Cs, since 1950 to date and the number and names of Harijans amongst them ;

(b) if no Harijan has been promoted, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 49. None of them is a Harijan.

(b) The reservation of percentage of appointment for Harijans applies in the cases of new appointments and not in the case of promotions.

NAIB-TEHSILDAR CANDIDATES

***5610. Chaudhri Sunder Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there are any Naib-Tehasildar candidates in the State who have been working as such for the last 12 years without having been confirmed ; if so, their names ; and the time by which they are expected to be confirmed ?

Giani Kartar Singh : (i) Yes Sir, there are thirty-two.

(ii) Statement is laid on the Table.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Revenue]

(iii) As and when vacancies may arise in the cadre of Naib-Tehsildars.

STATEMENT

1. Shri Arjan Singh
2. Shri Gopal Singh.
3. Shri Joginder Singh Randhawa.
4. Shri Basant Ram
5. Shri Gopal Singh Garewal.
6. Shri Lal Singh.
7. Shri Darbara Singh.
8. Shri Bhagat Ram.
9. Shri Surjit Singh.
10. Shri Sant Singh.
11. Shri Dalip Singh.
12. Shri Anirudh Chand.
13. Shri Bakhshish Singh.
14. Shri)Jaswant Singh.
15. Shri Narsher Singh.
16. Shri Harbhagat Singh.
17. Shri Dalip Chard.
18. Shri Brij Mohan Singh.
19. Shri Krishan Gopal Handa.
20. Shri Raja Ram.
21. Shri Baij Nath.
22. Shri Narinjan Singh Thandi.
23. Shri Amar Nath.
24. Shri Buta Singh.
25. Shri Jai Kishan.
26. Shri Jagrup Singh.
27. Shri Gulbadan Singh.
28. Shri Vir Bhan Charnalia.
29. Shri Hoshiar Singh.
30. Shri Kartar Chand.
31. Shri Amar Singh Bedi.
32. Shri Notan Dass.

PROVIDING FREE EDUCATION UP TO MATRIC IN FLOOD-AFFECTED AREAS OF KAPURTHALA DISTRICT

***5611. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) the steps so far taken by Government to implement the decision of the Emergency Flood Relief Committee, dated 21st September, 1957 on the subject of providing free education up to the Matriculation in the flood affected areas of Kapurthala District ;

(b) the total amount earmarked for the said purpose during 1959-60 ; if no allocation for this purpose was made, the reason therefor ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Sanction to implement the decision has already been accorded.

(b) Nil, as the decision involves only loss in income to Government.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

SANCTION OF QUOTA OF MILK POWDER TO THE DISTRICT AMRITSAR WHOLE-SALE CO-OPERATIVE SOCIETY

*5604. **Dr. Bhag Singh** : Will •the Minister for Community Development be pleased to state —

(a) whether it is a fact that District Amritsar Whole sale Co-operative Society was given milk powder worth Rs. 28,000 for sale ; if so, the rate fixed per pound for the purpose ;

(b) whether the said society was required to keep records of sales of the said powder ; if so, the designation of the official required to check such records ;

(c) whether any checking, referred to in part (b) above has been done so far ; if so, the result thereof ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Milk powder to the value of Rs. 22,000 was supplied to the District Amritsar whole sale Co-operative Society. Rates for wholesale and retail are 73 nP. and 80 nP. per pound respectively.

(b) Yes. The Director of Food and Supplies, Punjab, or his nominee.

(c) The stock of the milk powder was inspectd by the Inspector of the Civil Supplies twice i.e. in January, 1960, when no sale was affected and another inspection was made on 24th February, 1960, when 460 bags were sold. 420 bags are still lying unsold.

DIVISION SET UP FOR THE SUPPLY OF WATER TO DELHI

*5323. **Shri Ram Piara** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any Division for the supply of water to Delhi was opened by Government either independently or jointly with the Delhi State Administration during 1957-58 ; if so, the amount of expenditure incurred thereon ;

(b) whether the Division mentioned in part (a) above is still in existence or has been abolished, if the latter, the reasons therefor ;

(c) whether any canal has been dug from Munak or some other village along the Delhi Branch ; if so, when, and the cost thereof ;

(d) the quantity of water for drinking purposes supplied to Delhi from the Munak escape in 1958-59 and 1959-60 and demand of the Delhi State in this connection separately ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. A Division was opened at the cost of Delhi Corporation and an expenditure of Rs. 13,430 was incurred thereon.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

(b) The Division referred to above was closed on 29th March, 1959. This Division was created for preparing Project Estimate for installing 100 tube-wells in Sonepat area for stabilizing Delhi water-supply and it was closed after the Project had been prepared.

(c) Yes, a canal is being dug, not exclusively for supplying drinking water to Delhi, but also for additional supplies on account of extension of irrigation in new areas and increase in water allowance. It will be used for passing 200 cusecs drinking water supplies for augmenting future requirements of Delhi City.

(d)

1958-59	615,942,000 cft	615,942,000 cft
1959-60	283,118,400 cft	283,118,400 cft

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि इस नहर की खुदाई हो जाने के बाद दिल्ली को पानी इस नहर से मिला करेगा या Moonak Escape से ही मिला करेगा जहां से आज कल मिलता है ?

मंत्री : जो 200 cusecs पानी दिया जायगा वह उस में से दिया जायगा ।

श्री राम प्यारा : सवाल यह था कि जहां से आज कल पानी दिया जाता है वहीं से चालू रहेगा या बन्द कर दिया जाएगा ?

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

REPARTITION OF CONSOLIDATION OF VILLAGE LIDDER DISTRICT AMRITSAR

2484. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any scheme for the repartition of the consolidation of village Lidder district Amritsar, has been approved by Government ; if so, when ?

Rao Birendar Singh : The scheme of repartition of village Lidder was not to be approved by Government. It was confirmed by the Settlement Officer, Amritsar, on the 9th April, 1959.

COAL ALLOTTED TO BRICK-KILNS

2486. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Industries be pleased to state the quota of coal allotted to each Brick-Kiln, district-wise, in the state during the years 1958-59 and 1959-60 ?

Shri Mohan Lal : The time and labour involved in collecting this information is likely to be incommensurate with the result.

RE-EMPLOYMENT OF STAFF RETRENCHED FROM THE REHABILITATION DEPARTMENT

2487. Pandit Shri Ram Sharma: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of those Gazetted and non-Gazetted Officers, who joined the Rehabilitation Department of the State Government temporarily but whose services were later placed at the disposal of the Union Government ?

Note: —Replies to unstarred questions Nos. 2485 and 2499 having been received late from the Government appear at the end of this debate in annexare 'A'.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(b) whether any of the officers/officials referred to in part (1) above have been absorbed or re-employed by the Government after their release by the Union Government?

Giani Kartar Singh: (a) Ten. In addition to this, when Government of India took over the control of the Custodian's Organization, with effect from 1st October, 1956 (prior to which this Organization functioned under the control of the State Government) 707 officials—both gazetted and non-Gazetted, borne on the strength of this Organization, were integrated with the Settlement Organization of Government of India;

(b) Yes; one non-gazetted official.

LAND TAKEN ON LEASES BY GOVERNMENT IN NASIRPUR VILLAGE IN PATIALA DISTRICT

2488. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) with reference to the reply to starred question No.5156 printed in the list of questions for 1st March, 1960 whether any land belonging to the landlords now residing in village Nasirpur has been taken by Government on lease; if so, when the area thereof and the terms on which it has been taken on lease;

(b) whether before taking the said land on lease any tenders or quotations were invited ; if so, from whom, if not, the reasons therefor and the rates of lease prevalent in the neighbouring villages;

(c) the circumstances under which the lease in question was finalized?

Sardar Gian Singh Rarewala: (a) No.

(b) and (c) Question does not arise.

INTEGRATION OF J.A.V. TEACHERS OF ERSTWHILE PEPSU WITH B.T. TEACHERS

2490. Sardar Atma Singh: Will the Minister for Education and Labour be pleased to state:—

(a) the total number of J.A.V. teachers of the erstwhile Pepsu State who are working in the State at present;

(b) whether the teachers mentioned in part (a) above have been integrated with B.T. teachers as has been done in the case of similar teachers of erstwhile Punjab and given the grade of Rs. 80—250; if not, the reasons therefor and the steps now being taken in this respect;

(c) whether the names of the teachers mentioned in part (a) above have been included in the list prepared after the integration of the two States : if not, the reasons therefor?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Amar Nath Vidyalankar:

(a) Men .. 138 } 180
Women .. 42 }

(b) No. Since they are not double graduates, the question of their integration with B.T. masters does not arise.

Men teachers have not been awarded the grade of Rs. 80—250 because at the time of merger there was no J.A.V. cadre on men side in the erstwhile Punjab State to which they could be equated. Their posts were thus kept as isolated posts and the incumbents had to carry their own scales of pay which are as follows:—

(i) Rs. 50—3—80/4—120;
(ii) Rs. 105—7—140;
(iii) Rs. 140—10—220.

Women teachers have been awarded the grade of Rs 80/250 with effect from 16th July, 1958 because their counterparts in the erstwhile Punjab State were enjoying this grade and to which posts they were equated.

(c) In view of the position explained above, the question of preparing the joint seniority list of J.A.V. men does not arise.

As regards women, the reply is in the affirmative.

DAMAGE BY RECENT HAIL-STORMS IN THE STATE

2491. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether any part of the State has been affected by hail-storms during the current year; if so, the names of the villages thus affected in each district and the extent of damage caused therein;

(b) whether Government have received any representations from the affected people; if so, the details thereof;

(c) the relief measures taken so far and the amount earmarked for disbursement as relief?

Giani Kartar Singh: (a) *Part I.*—Yes.

Part II.—(i) A statement showing the names of villages affected in each district is enclosed as Annexure 'A'.

(ii) A statement showing extent of damage district-wise is enclosed as Annexure 'B'.

(b) (i) Yes.

(ii) The Zamindars have prayed for the remission of land revenue and water-rates and have also requested for grants, Taccavi Loans and other relief fund. Postponement of Taccavi loans has also been requested by the affected people.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(c) It has been decided that wherever the damage to the Rabi crops caused by hail-storms is above 25 per cent—

(i) the land revenue, Abiana and other such dues should be remitted in full.

(ii) recovery of all kinds of Taccavi/Departmental loans should be postponed for a period of one year.

(iii) where the damage is less than 25 per cent, recovery of Taccavi loans may be postponed for a period of one year by the Deputy Commissioner himself, only in deserving cases.

(iv) It has also been decided that taccavi loans up to Rs. 100 for food and up to Rs. 100 for the purchase of fodder for cattle, per family, be given to landless persons, who own cattle other than goats and sheep.

(v) Fair price shops are also being opened, if necessary, in the areas affected by hail-storms, for a period of three months. The Deputy Commissioners have been asked to mobilize veterinary and health staff to attend to the affected areas. Relief works are also being started to provide work to the affected persons.

2. The following amounts have been earmarked for the disbursement to the affected people:—

		Rs.
(i) Taccavi Loans	..	22,50,000
(ii) Grants	..	13,20,000

ANNEXURE 'A'

Statement showing the names of the villages affected by hails-storms in each district

S. No.	Name of District	Name of affected villages
1	7	3
1	Amritsar ..	Ftah Pur Bharariwal Amritsar (Urban & Suburban) Kot Khalsa Moole Chack Wadali Guru Sultanwind Iban Kalan Basirke Qhanapur Thanda Multan Behram Khapir Kheri Ekal Gadda Jati Umara Kuriwalah Malah Dinewal Mahal Chak Ghasitapur Kang Kallah Sangar Rakh Dinewal Jahangir Thakhtu Chack Malowal

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Revenue]

S. No.	Name of District	Name of affected villages
1	2	3
1—	Amritsar—*concld*	Bhakhna Kalan Jhathoul Chicha Hair Manak Pura Prag Pura
2	Jullundur ..	*Nil*
3	Ferozepur ..	*Nil*
4	Ludhiana ..	*Nil*
5	Gurdaspur ..	Malukchak Dhobri Hemrajpur Naharpur Varsola Chak Manda Chor Sidhwan Parsonka Pind Sidhwan Jamita Salimpur Aryian Gurdaspur Nangal Sangar Babri Nangal Rattowal Bayian Tibber Mustfabad Jattan Adhi Karal Meghian Bhaini Milwan Sheikhupura Thanewal Tibri Chhaurian Bangar Man Chopra Kotli Sainian Gunnopura Babihali Pahra Gorhala Bhulechak Sohal Aujla Singhowala Rania Nabipur Khokhar Kotli Shahpur Chak Aryian Hayat Nagar Jiwan Nagar Jiwan Wal Talwani Dugri
6	Simla ..	*Nil*
7	Kapurthala ..	*Nil*
8	Ambala ..	*Nil*
9	Bhatinda ..	*Nil*

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

S. No.	Name of District	Name of affected villages
1	2	3
10	Rohtak ..	Guddha
		Bhadhana
		Bhadani
		Surkh Pur
		Tatar Pur
		Garaway
		Bardhana
		Dubal Dhan
		Jahaz Garh
		Bhutian
		Wazir Pur
		Basain
		Beri Khas
		Dujana
		Dhurana
		Mahrana
		Chamanpura
		Palra
		Bakra
		Kamal Garh
		Beri Sunar Wala
		Rampura
		Jhijjar
		Nangli
		Shekh Pura
		Kheri Kumar
		Dhaur
		Khatewas
		Badli
		Darya Pur
		Jhangir Pur
		Kheri Jat
		Dighal
		Dhandlan
		Gochhi
		Seria
		Lakria
		Kablana
		Khera Gujrar
		Dulekra
		Chhudani
		Daboda
		Kheri Asra
		Goila Kalan
		Gubhana
		Majri
		Bhupania
		Luksar
		Jardak Pur
		Gangrwara
		Karandha
		Kahnaru
		Sundana
		Nigana
		Masuad Pur
		Ritoli
		Qabul Pur
11	Karnal	Thamalbore
		Urnaicha
		Rooan
		Sarsa

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Revenue]

Sr. No.	Name of District	Name of affected villages
1	2	3
11—	Karnal—*concld*	Bathri
		Salimpur Mahdud
		Gumthalgarhu
		Kheri Shish Garan
		Mangna
		Dholgarh
		Guldahra
		Nawach
		Kakor
		Ramgarh alias Rohd
		Pabsar
		Machharberi
		Bichhian
		Bai-naval
		Rohar Jagir
		Kavarta
		Mastgarh
		Bhuna
		The-makairan
		Sultania
		Kakairi
		Kasaur
		Dhundwa
		Kharoodi
		The-buttana
		Kang-thali
		Hansoo Mazra
		Agond
		Mazii
		Kharkhra
		Dhundwa
		Daseer Pur
		Peedle
		Chan Chak
		Taranwali
		Kheri Daman
12	Sangrur ..	Kakuwala
		Ladhunjara
		Kalan
		Ladbanjar-Khurd
		Rogla
		Khetla
		Rattangarh
		Sindwal
		Kheri Naga
		Chahar
		Ubha
		Pishori Bhaike
		Sangtiwala
		Karian
13	Hoshiarpur ..	Tanda Ram Sahai
		Dogri Rajpurtan
		Salehrian Khurd
		Barota
		Abdulahpur
		Mauli
		Mahandipur
		Mohindripur Dalel
14	Gurgaon ..	Lalpur
		Dalilpur
		Dadsia
		Sherpur Khurd
		Dhadar

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Sr. No.	Name of District	Name of affected villages
1	2	3
14	Gurgaon—*concld*	Sadoka
		Kantlaka
		Kairaka
		Goalpur
		Naushera
		Karamchand pur
		Jaising pur
		Untka
		Murad Bas
		Baroji
		Gabar
		Nalhar
		Bai
		Kurthla
		Bighooli
		Mirka
		Durchi
		Chainsa
		Mardnaka
		Kherli Brahman
		Janacholi
		Zainpur
		Aluka
15	Kangra ..	Sidhpur
		Haranda Kot
		Khaniyara Khas
		Barol Ghikli
		Uprali
		Gabli Tar
		Kand
		Upari Dhar
		Jaol
		Hodel
		Tehar
		Mohadi Harandi
		Sekanida Kot
		Mohli Loharandi
		Dhar Jhikli
		Kharola
		Diarah
		Gamru
		Dharamsala Khas
		Barnot
		Mant Khas
		Chelian
		Dhar
		Dangula
		Raru
		Sadher Khas
		Chachrota
		Baghni
		Sidhbari Khas
		Rakkar
		Chatter
		Charoh Khas
		Upahu
		Sukar Khas
		Uperla Sukkar
		Rajpura
		Saliana
		Ustehr

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Revenue]

Sr. No.	Name of District	Name of affected villages
1	2	3
15—	Karnal—*concld*	Dargol
		Bahan
		Manlichak
		Ghudrehra
		Banuri Khas
		Matar
		Jhaler
		Bharmat Uperli
		Bharmat Buhli
		Baleru
		Baban
		Gahbar
		Dohal
		Barari
		Badehar
		Palahu
		Chandropa
		Chakwan
		Khayan
		Sa
		Gandher
		Gadiara
		Gadiara
		Kholi
		Kathi
		Chharona
		Mater
		Hola
		Bamial
		Chandar
		Borkar
		Loler
		Khaner
		Paler
		Malker
		Kharuhi
		Longni
		Baghun
		Torida Beru
		Sikridar Beru
		Siulabeda Beru
		Chahanchari
		Bankarslua
		Galiala
		Lanod
		Kaniarkar
		Rit
		Gungain
		Panta
		Gadiara
		Chhagiala
		Nian
		Sarnoon
		Kamler
		Rachhiara
		Goalthana
		Kothialahr
		Ramchehr
		Kathan
		Kapain

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

Sr. No.	Name of District	Name of affected villages
1	2	3
15—	Kangra—*concld*	Barikhas
		Rajehr
		Thnahar
		Sungal Khas
		Padiarkhar Khas
		Padiarkhar Khas
		Sarswa
		Dharaman
		Odar
		Barmar Uparli
		Barmar Burli
		Dehar
		Bagh
		Taida
		Mohrranda Khas
		Jamalu Kaler
		Roda
		Chah
16	Mohindergarh ..	Bhalkhi
		Nihalwas
		Palh
		Bairawas
		Rathiwas
		Devrali
		Rajwas
		Kurahwta
		Janjariawas
		Khatiwas
		Kothal Khurd
		Bhandur Nichi
		Bhandur Unchi
		Jasawas
		Devawas
		Beri
17	Hissar ..	Chak Arayan
		Chak Jiwan
		Ottu
		Ferozabad
		Chak Kasaban
		Mangala
		Alla Noor
18	Patiala ..	Badsapur
		Ugoke
		Kalbanoo
		Brass
		Buta Singh Wala
		Nanhera
		Herchandpura
		Ghagga
		Dedhanan
		Daftriwala
		Atalan
		Dhur
		Burar
		Bakraha
		Jalalpur
		Ganeshpura
		Sadharanpura
		Rampura Parta
		Rampura Duggal
		Duggal Kalan

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[Minisste for Revenue]

S. No.	Name of District	Name of affected village
1	2	3
18—	Patiala—*concld*	Duggal Khurd Dwarka Pure Tamboowala Gadhu Majra Janshua Janshui Paher Kalan Niamatpure Fatehpur Gadi Jansla

ANNEXURE 'B'

Statement showing the extent of damage districtwise

S. No.	Name of District		Areas affected in acres	Value in Rs
1	Amritsar	..	7,264	Being a sse ssed
2	Jullundur	..	*Nil*	*Nil*
3	Ferozepur	..	*Nil*	*Nil*
4	Ludhiana	..	*Nil*	*Nil*
5	Gurdaspur	..	6,200	7,08,373
6	Simla	..	*Nil*	*Nil*
7	Kapurthala	..	*Nil*	*Nil*
8	Ambala	..	*Nil*	*Nil*
9	Bhatinda	..	*Nil*	*Nil*
10	Rohtak	..	21,389	Being assessed
11	Karnal	..	20,201	44,94,499
12	Sangrur	..	8,658	12,94,620
13	Hoshiarpur	..	2,032	2,69,149
14	Gurgaon	..	2,550	2,54,902
15	Kangra	..	115 tikas	Being assessed
16	Mohindergarh	..	Not assessed	33,812
17	Hissar	..	2,415	3,61,014
18	Patiala	..	16,875	24,01,193

PRINCIPAL, AYURVEDIC COLLEGE, PATIALA

2492. Shri Shri Krishan Shastri Vaid : Will the Chief Minister be pleased to state the date since which the present Principal of the Ayurvedic College, Patiala, has been working as such, and his age at the time of his appointment?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Sardar Partap Singh Kairon : (i) 1st November, 1960.

(ii) 24 years and 8 months.

TRANSACTION OF OFFICE BUSINESS IN THE REGIONAL LANGUAGE BY THE LOCAL BODIES IN THE PUNJABI REGION

2493. Sardar Atma Singh : Will the Minister of Industries be pleased to state —

(a) the names of local bodies in the Punjabi Region of the State which have so far started transacting their day-to-day office routine in the Regional Language (Punjabi) of the region ;

(b) the steps being taken or proposed to be taken to implement the decision of the Government in this respect in full and the period within which it is expected to be done ?

Shri Mohan Lal : (a) A statement is enclosed.

(b) So far as Municipal Committees are concerned Government have decided that they should conduct their business in the regional languages in place of Urdu subject to the proviso —

(i) that in the case of the Municipal Committee, Malerkotla, notices, notifications, etc., shall be issued in Urdu, simultaneously with the regional language ; and

(ii) that the Government may relax the order in suitable cases.

Rule 3 of the general rules framed under section 240 of the Punjab Municipal Act, 1911, has been amended accordingly. Relaxation has so far been asked for by two Municipal Committees, namely, Jullundur and Budhlada for a specified period and the matter is under consideration of Government.

As regards District Boards, the matter is under consideration of Government. 11 out of 12 District Boards, the exception being Kangra, have resolved to replace Urdu by the regional language. As soon as the the Rules of Business of the District Boards are amended, they will switch over to the regional language.

Statement showing the names of Local Bodies in the Punjabi Region which have so far started transacting their day-to-day office routine in the Regional Language (Punjabi) of the Region

Gurdaspur District

Municipal Committee, Qadian	.. It has started transacting its business of Octroi Department in the Regional Language to a great extent.
District Board, Gurdaspur	.. It has also engaged a Punjabi Typist and has purchased Punjabi Typewriter for the purpose.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Industries].

Hoshiarpur District

District Board, Hoshiarpur

Municipal Committee, Hariana.

Patiala District

1. Municipal Committee, Patiala
2. Municipal Committee, Rajpura
3. Municipal Committee, Doraha
4. Municipal Committee, Sirhind
5. Municipal Committee, Payal
6. Municipal Committee, Gobindgarh
7. Municipal Committee, Bassi
8. Municipal Committee, Banur
9. *Municipal Committee, Nabha .. *The entire routine work of Nabha Municipality except correspondence with Government offices and firms is expected to be done in Regional Language, i.e., Punjabi, by the end of 1960.

Sangrur District

1. Municipal Committee, Lehragaga
2. Municipal Committee, Dhuri
3. Municipal Committee, Tapa
4. Municipal Committee, Dhanaula
5. Municipal Committee, Barnala
6. Municipal Committee, Bhadaur
7. Municipal Committee, Sangrur
8. Municipal Committee, Sunam
9. Municipal Committee, Bhiwanigarh
10. Municipal Committee, Longowal
11. *Municipal Committee, Ahmedgarh .. *The day-to-day business of the Committee is transacted in English, Hindi, Punjabi and Urdu.
12. Municipal Committee, Malerkotla .. *Most of the office routine is transacted in Urdu and English as allowed by Government.

Bhatinda District

1. Municipal Committee, Budhlada
2. Municipal Committee, Sangat
3. Municipal Committee, Mansa

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

4. Municipal Committee, Faridkot
5. Municipal Committee, Jaitu
6. Municipal Committee, Kot Fatta
7. Municipal Committee, Goniana
8. Municipal Committee, Raman .. The Committees are recruiting all Punjabi knowing persons for its staff.

Kapurthala District

The-day-to day business of the local bodies of this district is partly transacted in regional language (Punjabi) and partly in English. As far as issue of notices and other routine work is concerned, these are done in the Regional Language. The accounts work and replies to Government reference are done in English.

Note.—The information is still awaited from the Deputy Commissioner, Ferozepore.

STATE WELFARE BOARD

2494. Pandit Shri Ram Sharma : Will the Chief Minister, Punjab, be pleased to state whether the State Welfare Board, Punjab, is recognised and financially helped by Government ; if so, in what manner and to what extent ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes Grants-in-aid are released to the Board regularly every year for meeting (a) half the cost of head-quarters establishment and one-third share of the cost of Welfare Extension Projects of the old pattern and 6/23rd share of the cost of those of the revised pattern in the State. The State Social Welfare Advisory Board were given Rs 3,40,000 as grant-in-aid during the financial year ending March, 1960.

RECOVERY OF MARLA TAX FROM VILLAGE JINW-WAL, DISTRICT JULLUNDUR

2495. Sardar Harguranad Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the amount of special assessment tax (Marla tax) outstanding at present in village Jinw-wal, tehsil Nawanshehr, district Jullundur, together with the names of the persons against whom this tax is outstanding ;

(b) the amount of the said tax which has been recovered from the village referred to in part (a) above and the names of the persons from whom it has been recovered ?

Giani Kartar Singh : (a) Nil.

(b) (i) Rs. 656.64 as special assessment under Act No. 6 of 1956.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Revenue]

	Rs
(ii) The Managing Committee, Gurdwara Shri Charan Kanwal	466.87
Sarvshri Mathra Singh, Rattan Singh, sons of Ghaia Singh, Shri Charan Singh, Malkiat Singh, sons of Dewan	28.76
Shri Batna, son of Mangata, Shrimati Puna, daughter of Batna, Puna, Inder, sons of Jawala	2.84
Shri Naranjan Singh, Sarwan Singh, Bakhshish Singh, Hazara Singh, sons of Hari Singh, Shri Karnail Singh, son of Partap Singh	158.17

LAND ACQUIRED FOR BUILDINGS AND ROADS

2496. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the acreage of land acquired by Government for purposes of buildings and roads in the State during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-60 up-to-date yearwise ;

(b) the acreage of land referred to in part (a) above in respect of which compensation has been paid to the landowners concerned ?

Chaudhry Suraj Mal : Area acquired yearwise is as under :—

(a)	*1957-58*	*1958-59*	*1959-60*
	2,847.31	4,388.89	3,546.963

(b) Payments have been made to the landowners regarding the area mentioned at (a) above who were present at the time of announcement of awards. Remaining amounts have been deposited into the Treasury under head "Revenue Deposit".

LAND ACQUIRED FOR CANALS AND KUHLS

2497. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the acreage of land acquired by Government for the construction of canals and Kuhls in the State during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-60 uptodate, yearwise ;

(b) the acreage of land referred to in part (a) above in respect of which compensation has been paid to the land owners concerned ?

Rao Birendar Singh : The possible benefit to be derived from the reply to the question will not be commensurate with the amount of time and labour involved in collecting the information.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PAYMENT OF SCHOLARSHIPS TO STUDENTS OF KAMBOJ COMMUNITY

2500. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether any applications of students of the Kamboj community for the grant of scholarships meant for the backward classes to meet their expenses of technical education are pending, if so, since when and their number ;

(b) whether scholarships have been sanctioned to the said students and paid so far, if so, when ; if not, the reasons thereof ;

(c) if the scholarships have been sanctioned and payment thereof not yet made the steps being taken to expedite the payment ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

REPRESENTATION AGAINST THE WORKING OF CO-OPERATIVE SOCIETY, RATTON SHARKI, DISTRICT AMBALA

2501. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Community Development be pleased to state whether the Co-operative Department has recently received any representation, complaint or request against the working of the Co-operative Society, Ratton Sharki, tehsil Rupar, district Ambala, from any of its share-holders or the public, if so, the details thereof, the date when it was received and the action, if any, taken thereon ?

Sardar Gurbanta Singh : Yes. Three complaints were received on 4th, 23rd and 28th March, 1960. These related to advance of loan, exercise of absolute authority by the President, holding of general meeting and the payment of deposit. Amount of loan and deposit has been paid to the complainant and allegations of exercising absolute authority by President and holding of general meeting have been found baseless.

FINANCIAL ASSISTANCE FOR PROPAGATION OF HINDI AND PUNJABI

2502. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) with reference to the reply to starred question No. 5272, printed in the list of questions for 3rd March, 1960, the target date fixed for each grantee to complete the work ;

(b) whether the accounts of the grantees are open to audit, if not, the reasons therefor ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Sardar Atma Singh]

(c) the procedure adopted or proposed to be adopted to scrutinize the accounts of each grantee for the amount disbursed to him ;

(d) a copy of the bond executed by the parties or the grantees at the time of the disbursement of the financial aid be laid on the Table ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) The grantee is expected to complete the work during the financial year following that in which he receives the grant.

(b) The grantee is required to keep separate accounts relating to the grant and he is required, according to the terms and conditions of the grant-in-aid, to allow any duly authorized representative of the Government to inspect the accounts so maintained.

(c) Each recipient of the grant is required to submit the details of the expenditure on the completion of the work which are subsequently scrutinised by the Department.

(d) A copy of the bond is placed on the Table of the House.

KNOW all men by these presents that we (i)——————————, son of——————————,resident of——————————,or

——————a society registered under the Societies Registration Act, 1960 (hereinafter called the principal and (ii)——————————, son of——————————, resident of——————————(hereinafter, called the surety), are jointly and severally bound unto the Governor of Punjab (hereinafter called the Government) in the sum of Rs——————to be paid to the Government for which payment to be well and truly made we hereby bind ourselves, and each of us in the whole, our and where the context so admits each of our heirs, executors, administrators successors, representatives jointly and severally by these presents.

Signed this——————day of——————, at——————————.

1.——————Principal (for and on behalf of——————————).

2. —————— *(Surety).

*Delete where not necessary.

WHEREAS the above-bounden principal has applied for the grant of sum of Rs.—————— as grant-in-aid for the purpose of——————————;

AND WHEREAS the Government has agreed to grant the sum of Rs.—————— (hereinafter called the grant amount) on the condition of the principal executing in favour of the Government a bond with surety for the amount of Rs—————— for the purpose of ensuring that the principal shall properly utilize the grant amount in accordance with the terms and conditions hereinafter contained ;

AND WHEREAS the principal and surety have agreed to execute the above-written bond.

Now the condition of the above-written bond is such that if the above-bounden principal :

(1) shall utilize the grant amount for the purpose of—————— and for no other purpose.

(2) shall keep separate accounts relating to the grant amount

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(3) shall allow any duly authorised representative/s of the Government to inspect the accounts so maintained.

*(4) shall supply ten copies each of the books published with the help of grant amount to the Director, Language Department.

*Delete where unnecessary.

(ii) shall not bring out a second edition of such books without the prior permission of the Director of Language Department, Punjab.

or if on default or breach of any of the above mentioned conditions by the principal the above bounden principal and surety or the either of them shall well and truly pay to the Government the said sum of Rs——————or such lesser sum as may be fixed by——————above-written bond shall be void, otherwise the same shall remain in full force and effect.

It is hereby further agreed between the parties that in the event of any question or dispute arising between the parties with respect to the meaning or effect of any clause in this bond or the rights and liabilities of the parties hereto respectively hereunder or the due compliance of the conditions of this bond or amount to be paid by the above bounden parties or any of them then such question or dispute shall be referred to the arbitration of——————acting as such at the time of reference and his decision shall be final and binding on the parties.

Signed by the above.named in the——————year of the Republic of India in the presence of—

1. Signature
for and on behalf of

1. Witness. 2. Signature. ——————

2. Witness. Surety.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

REALISATION/POSTPONEMENT OF TACCAVI LOANS

***5742. (1) Sardar Umrao Singh and (2) Sardar Harguranad Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether recently Government issued any instructions to the Deputy Commissioners for the realisation/postponement of Taccavi loans in the State ; if so, what and the date when these instructions were issued ;

(b) the number and names of cases in which the recovery of taccavi loans has so far been relaxed or postponed tehsilwise in Jullundur District, since the issue of the said instructions ;

(c) the amount of Taccavi loans recovered in Jullundur District after the issue of the said instructions tehsilwise uptodate along with the total amount of loan recovered this year and in the month of March separately ?

Giani Kartar Singh : (a) Yes. On 15th January, 1960, the Government issued instructions to the Deputy Commissioners/Commissioners in the State to launch a special drive for realisation of heavy arrears of Taccavi loans for one month starting from 1st February, 1960, in order to liquidate

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Revenue]
the arrears to the maximum and to leave the balance to the minimum. On 14th March, 1960, the Government directed all the Deputy Commissioners in the State to postpone the recovery of taccavis in deserving cases till the new Rabi harvest comes in.

(b) *Tehsil Nawanshahr*

(1) Shri Parduman Singh, son of Shri Hazara Singh, village Gujjarpur Khurd.

(2) Shri Gurcharan Singh, son of Shri Hazara Singh, village Gujjarpur Khurd.

(3) Shri Kirpal Singh, son of Shri Hazara Singh, village Gujjarpur Khurd.

(4) Shri Buttan Singh, son of Shri Jawahar Singh, village Pathlawa.

(5) Whole of the village Behram.

(6) Whole of the village Mirpur Jattan, etc.

Tehsil Phillaur

(7) Whole of the Achanchak Village.

Tehsil Nakodar

(8) Shri N. N. Kapur, village Sheikhwal.

(9) Shri P. N. Khanna, village Khanpur.

(10) Shri Hazara Singh, Lal Singh, sons of Hakam Singh, village Tandaura.

(11) Whole of the village Yusafpur Darewal.

(c) Name of Tehsil		Amount recovered from 1st April, 1959 to 29th February, 1960	Amount recovered in March, 1960
		Rs	Rs
Nawanshahr	..	8,42,938	2,39,572
Jullundur	..	5,96,341	1,20,935
Nakodar	..	4,09,090	4,11,875
Phillaur	..	4,56,194	2,21,557
Total	..	23,04,563	9,93,939

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਸਿਰਫ 11 cases ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ district ਦੀ ਤਕਾਵੀ ਦੀ recovery postpone ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ deserving case treat ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Deserving case ਬਾਰੇ judgement ਦੇਣੀ Deputy Commissioner ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹੀ deserving case ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਉਸਦੀ ਤਕਾਵੀ postpone ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : Deserving cases ਤੋਂ Government ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Deserving case, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ Member ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਏਥੇ deserving case ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ deserving case (ਹਾਸਾ) ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ Government ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ deserving case ਬਾਰੇ Deputy Commissioner ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : Order please, this is no supplementary.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ recovery deserving case ਵੇਖ ਕੇ individual ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ case postpone ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ; ਕੀ ਉਥੇ ਕੋਈ case ਨਹੀਂ ਸੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ Deputy Commissioner ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ deserving cases ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ : ਕੀ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਇਤਨੇ ਲੋਕੀਂ ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ? (Interruption.)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕੋਈ case ਉਦੋਂ ਤਕ deserving case ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ individual ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

Mr. Speaker : No more supplementaries please.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ Recovery ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : No please, this is no supplementary.

ADJOURNMENT MOTION

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਕ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ

3 P. M.

ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ U. P. ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਧੱਕਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ Government ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ protection ਦੇਣ ਵਿਚ fail ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਬਰ ਉਥੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ, 13, 14, 15 ਅਪਰੈਲ, 1960 ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ Statement ਦੇਣ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸਖਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ programme ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ adjournment motion out of order ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ chamber ਵਿਚ ਮਿਲੋ House ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । (The adjournment motion is out of order. The hon. Member shauld see me in my Chamber in this connection.)

QUESTION OF PRIVILEGE

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): जनाब, मेरी एक Privilege Motion है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ Members ने जो यहां पर speeches की है उन की बिना पर Chief Minister साहिब ने उन्हें notice दिया है कि वह ऐसी तकरीरें करने के मुताल्लिक अपनी position explain करें। इस तरह से, जनाब, जो हमारा आजादी से बोलने का privilege है उस की breach होती है । (*Interruptions*).

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं । चौधरी धर्म सिंह राठी ने question of privilege raise करने का जो नोटिस दिया है वह यह है कि Congress Legislature Party के कुछ मेम्बरों ने Party Legislation की policy की परवाह न करते हुए जो तकरीरें कीं उन के बारे में party की तरफ से उन का explanation तलब किया गया है और चौधरी साहिब इसे breach of privilege समझते हैं । यह सही position नहीं है । यह मामला party से सम्बन्ध रखता है और purely पार्टी का अन्दरूनी मामला है । मैं हैरान हूं कि वह इस को किस तरह privilege का मामला समझ कर House में ले आये हैं । I refuse to give consent to this question being raised. (The hon. Member may please resume

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

his seat. The question of privilege sought to be raised by Chaudhri Dharam Singh Rathi is that certain Members of the Congress Party who made speeches in disregard of the policy of the party legislation have been called upon by their party to submit explanation for that. Chaudhri Sahib considers it a breach of privilege. That is not the correct position. The matter relates to the party and is purely its internal affair. I fail to see what has led the hon. Member to treat it as a matter of privilege and raise it here as such. I refuse to give consent to this question being raised.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब हमें अपने ख्यालात के इज़हार करने का democratic right है, जो Constitution की तरफ से दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : जिन Members के right की encroachment हुई है वह तो एतराज नहीं उठाते। (The members whose rights have been encroached upon have not taken objection to it.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : एतराज़ तो जनाब, हर कोई उठा सकता है।

Mr. Speaker : No please.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। (ਹਾਸਾ)

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to lay on the Table the notification issued under section 20(2) of the Punjab Entertainments Duty Act, 1955, as required under Section 20(3) *ibid.*

BILL(S) (LEAVE TO INTRODUCE)

THE PUNJAB MUNICIPAL BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Municipal Bill, 1960.

Mr. Speaker : Motion moved.

That leave be granted to introduce the Punjab Municipal Bill, 1960.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Municipal Bill, 1960.

The leave was granted

Minister for Industries : Sir, I introduce the Punjab Municipal Bill, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

REFERENCE OF THE PUNJAB MUNICIPAL BILL, 1960 TO THE REGIONAL COMMITTEE

Minister for Industries : Sir, I beg to move :—

> That the Punjab Municipal Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th of September, 1960.

Mr. Speaker : Motion moved :—

> That the Punjab Municipal Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th of September, 1960.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ; ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਮ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਨ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ।

श्री अध्यक्ष : ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ । ਜਿਹੜੇ scheduled matters ਹਨ ਉਹ Regional Committees ਨੂੰ refer ਹੁੰਦੇ ਹਨ । (The hon. Member may resume his seat. The scheduled matters are referred to the Regional Committees.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ Regional Committees ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ?

श्री अध्यक्ष : Regional Committees के बारे में Presidential order जो कि एक constitutional order है मौजूद है । लेकिन इस से आपने कोई political advantage उठाना है तो और बात है । (The Presidential order regarding the Regional Committees, which is a Constitutional order is there but if the hon. Member wants to take any political advantage of it then that is altogether a different thing.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਜਨਾਬ, ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਉਂ ਜਾਏ ?

Mr. Speaker : Question is :—

> That the Punjab Municipal Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th of September, 1960.

The motion was carried

BILL(S)—LEAVE TO INTRODUCE

THE INDIAN TREASURE-TROVE (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment) Bill, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Motion moved :—

That leave be granted to introduce the Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment) Bill, 1960.

Mr. Speaker : Question is :—

That leave be granted to introduce the Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment) Bill, 1960.

The leave was granted

Minister for Industries : Sir, I introduce the Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment) Bill, 1960.

BILLS

THE PUNJAB LAWS (EXTENSION NO. 7) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move :—

That the Punjab Laws (Extension No. 7) Bill be taken into consideration at-once.

Mr. Speaker : Motion moved :—

That the Punjab Laws (Extension No. 7) Bill be taken into consideration at-once.

Mr. Speaker : Question is :—

That the Punjab Laws (Extension No. 7) Bill be taken into consideration at-once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause. Since no notice of any amendment to the clauses has been received, I shall put all the clauses together to the vote of the House.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1, CLAUSES 2 TO 9, SCHEDULES I TO III AND SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is :—

That Sub-clause (2) of Clause 1, Clauses 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 Schedules I, II and III and Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker : Question is :—

That the title be the title of the Bill.

The motion was carried

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move :—

That the Punjab Laws (Extension No. 7) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved :—

That the Punjab Laws (Extension No. 7) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is :—

That the Punjab Laws (Extension No. 7) Bill be passed.

The motion was carried

THE PUNJAB REPEALING BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move :—

That the Punjab repealing Bill be taken into consideration at-once.

Mr. Speaker : Motion moved :—

That the Punjab Repealing Bill be taken into consideration at-once.

Mr. Speaker : Question is :—

That the Punjab Repealing Bill be taken into consideration at-once.

The motion was carried

Mr. Speaker : The House will now proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSES 2 AND 3, THE SCHEDULE AND CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is :—

That Clauses 2 and 3, the Schedule and Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker : Question is :—

That the title be the title of the Bill.

The motion was carried

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move :—

That the Punjab Repealing Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved:—

That the Punjab Repealing Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is :—

That the Punjab Repealing Bill be passed.

The motion was carried

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

THE PUNJAB NON-TRADING COMPANIES BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move :—

That the Punjab Non-Trading Companies Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, जहां तक Companies का question है, centre का एक बिल है, जिस के मातहत तमाम companies register होती है व govern होती हैं । Non Trading Companies जो हैं उनके मुताल्लिक Constitution में यह provision है कि उन के लिए बिल या कानून पास करना यह State Government का ताल्लुक है लेकिन आज तक कोई कानून नहीं बना और काम चलता रहा पर अब यह जरूरत महसूस हुई कि centre के कानून के आधार पर ही non-trading Companies के लिए यह ल लागू कर दिया जाए ता कि State Government को अख्तियार मिले कि Companies को किस तरह से govern करे या register करे या de-register करे । इस वक्त जो Indian Companies Act है उस के मुताबिक ही यह बिल लाया गया है । यह non-controversial measure है, इस लिए मैं आशा करूँगा कि हाउस इस को इसी शकल में मंजूर करे ।

Mr. Speaker : Motion moved :—

That the Punjab Non-Trading Companies Bill be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ Non-Trading Companies ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀਆਂ complications ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ :—

"3 (1) (c). The State Government shall have power by a like notification to relax, omit, add to or vary any provision of the aforesaid Central Act hereby made applicable to companies to which this Act applies;"

ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ relax, omit, add ਅਤੇ ਕਿਸੇ provision ਨਾਲ vary ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬੜਾ innocent ਜਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੈਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ complications ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ consolidate ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ complications ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ । ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੇ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਭਾਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ purpose serve ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ complicated ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ prosecution ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ business involved ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸਫੇ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਏਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ socialistic pattern of society ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ ਔਰ ਇਕ comprehensive ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ non-trading ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਏਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਏਸ ਹਾਊਸ ਦੇ rights ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ comprehensive form ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ relax ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ omit ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਕਢ ਕੇ ਏਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਕਿ ਸਾਰੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਤਸਵੀਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ । ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇ ਇਹ convention ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਇੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇਗੀ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਹੋਇਆ । ਐਵੇਂ vague ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲਫਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਕਲਾਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

3(b) the State Government shall be competent, by notification to delegate all or any of such powers or functions to such subordinate officer or authority, and subject to such conditions, restrictions and limitations, as may be specified in the notification ;

ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਇਹ clause ਆਉਂਦੀ ਹੈ—

(c) the State Government shall have power by a like notification to relax, omit, add to or vary any provision of the aforesaid Central Act hereby made applicable to companies to which this Act applies ; and

(d) the powers, duties and functions of the Registrar under the said provisions shall be exercised, discharged and performed by such person as appointed by the State Government, by name or by virtue of office, to be the Registrar, in relation to companies to which this Act applies.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ wide powers ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਛਡ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਏ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ comprehensive ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਣਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ignorance of law ਦਾ benefit ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਅਜ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਛੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਉ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਿਤਿਆਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਿਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ । ਇਹ ਬੜੀ vague ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ comprehensive ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ Indian companies Act ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਛਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ add ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜਾ vague ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਜੋ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ੨ ਕਲਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ।

चौधरी सुमेर सिंह (हसनपुर) : स्पीकर साहिब, यह बिल जो यहां हाऊस में पेश किया है इस से निकम्मा और धोका देने वाला बिल आज तक पेश नहीं किया गया है क्योंकि इस में कोई definite बात नहीं और सारा बिल vague है । जब तक non-trading companies को यह न बताया जाए कि Companies Act की फलां कलाज़ लागू होगी और फलां नहीं होगी तब तक वह कैसे अपना काम कर सकती हैं और उनको किस तरह पता लग सकता है कि कौनसी बात उन्होंने नहीं करनी है । इस से difference of opinion रहेगा और हर कोई अपनी अपनी interpretation करेगा । आप कहेंगे कि यह कलाज़ लागू है और वह कहेंगे कि यह कलाज़ लागू नहीं है । इस तरह interpretation का झगड़ा रहेगा । इस लिए मैं मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि Act की जिस जिस कालज को लागू करना है उसको बाकायदा specify कर दें कि इन के मुताबिक non-trading companies को अमल करना पड़ेगा वरना जो लोग public को deal करते हैं वह दुःखी हो जाएंगे और खाहमखाह के झगड़े बढ़ेंगे । वह कहेंगे कि फलां कलाज़ लागू नहीं होती और आप कहेंगे कि नहीं यह कलाज़ लागू होती है और इस पर अमल करना चाहिए था । । इस तरह मुकदमेबाज़ी बढ़ेगी और लोगों के काम में बजाए सहूलत के रुकावट पड़ेगी । इस लिए मैं दरखास्त करता हूं कि इस बिल को वापस ले कर एक comprehensive बिल लाएं और जो जो क्लाज़ें लागू करनी हैं उन को लोगों को बताएं । यह न करें कि सारी चीज़ indefinite तौर पर अपनी मर्ज़ी पर ही रखें कि जिस कलाज को जी चाहा लागू कर देंगे । Law हमेशा definite होना चाहिए और vague नहीं होना चाहिए । हमें खुद यह पता नहीं कि हम कौनसी क्लाज़ की मुखालिफत करें कि यह लागू नहीं होनी चाहिए और कौनसी क्लाज़ की ताईद करें कि यह लागू की जाए । इतना vague कानून नहीं बनाना चाहिए कि लोगों को यह समझ न लगे कि कौनसी क्लाज़ लागू है और कौन सी नहीं है । इस लिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं और अर्ज़ करता हूं कि इस बिल को वापस ले कर comprehensive form में बिल लाया जाए ताकि लोगों को पता लग जाए कि फलां लागू है और फलां क्लाज़ लागू नहीं है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उद्योग मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, जिन मैम्बर साहिबान की तरफ से नुक्ताचीनी की गई है मैं तो उसे समझ नहीं पाया हूं कि आखिर वह किस बात की नुक्ताचीनी थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद उन मैम्बर साहिबान को इतना वक्त नहीं मिला है कि वह इसे पढ़ सकें या उन्होंने अभी तक इस बात की कोशिश नहीं की है कि वह इस को समझ सकें कि इस में क्या provided है। Companies दो किस्म की हैं एक trade करने वाली और दूसरी non-trading। इन दोनों में विधान में फर्क रखा गया है और हम कोई नया फर्क इस बिल के ज़रिए पैदा नहीं करने चले हैं। विधान में यह बात रखी गई है कि जहां तक non-trading companies का सवाल है यह जो list No. 2 में entry No.32 है उसके मुताबिक State Governments का ताल्लुक होगा कि उसके मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर कानून वगैरह बनाएं और उसको regulate करें। जो दूसरी किस्म की companies है वह centre के दायरा अख्तियार में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि Parliament ने 1956 में बड़े गौरोखौज के बाद Indian Companies Act बनाया और काफी सोच विचार के बाद बनाया। उसके साथ ही अब यह ज़रूरी है कि हम non-trading companies जिनके बारे में हमें कानून बनाने का अख्तियार है बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी है वह हम बनाएं। यह बात हमारे विधान के मुताबिक है और इस बिल के ज़रिए कोई नई बात नहीं की जा रही है। सिर्फ इतना किया जा रहा है कि जो non trading companies हैं उन पर वह Act बजिन्स ही लागू कर दिया जाए। Parliament ने Indian Companies Act पहिले ही बड़े सोच विचार के बाद बनाया है। अगर यह ऐसा बिल न बनाया जाए तो मैम्बर साहिबान इस बात को नहीं समझते हैं कि वह companies जो non-trading हैं वह अपने आपको उस Act के मातहत register नहीं करा सकेंगी। मैम्बर साहिबान तो शायद इस बिल की अहमियत को नहीं समझते हैं लेकिन बहुत सी ऐसी non-trading companies हैं जो अगर अपने आप को उस Act के मातहत register न कराएं तो उनको नुकसान होता है। कई companies, social organisations और clubs ऐसी होती हैं जो trade तो नहीं करतीं लेकिन उन के लिए अपने आप को register कराना ज़रूरी होता है क्योंकि उनको इस से कई privileges वगैरह मिलती हैं। इस लिए हम ने यह provision किया है कि ऐसी non-trading companies अगर companies Act के मातहत अपने आप को register कराना चाहें तो करा लें। जो इस बिल की operative clause 3 की sub-clause 1 है उसकी तरफ मैम्बर साहिबान ने ध्यान नहीं दिया है। उस में यह है—

> "The provisions of the Companies Act, 1956 (Central Act I of 1956), shall so far as may be, apply to the incorporations, regulation and winding up of companies to which this Act applies."

इस का मतलब सिर्फ यह है कि Indian companies Act 1956 को हम ने non-trading companies के लिए adopt करना है और इस बिल के ज़रिए adopt कर रहे हैं। जब यह बिल Act की

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[उद्योग मंत्री]

शकल ले लेगा तो इस का मतलब यह हो जाएगा कि वह Act इन non-trading companies की registration के सिलसिले में लागू हो जाएगा । आगे यह provision रखा है कि जो अख्तियारात उस कानून के तहत सैंट्रल गवर्नमेंट को हैं वह non-trading companies के सिलसिले में State Government को होंगे । फिर यह किया है कि State Government को यह अख्तियार होगा कि वह अपनी authority को जो उसे इस कानून के बन जाने के बाद मिलनी है अपने किसी अफसर को delegate कर दे। एक मैम्बर साहिब ने अपोज़ीशन की तरफ से बड़े जोर से फरमाया कि देखो कितनी vagueness है कि हमको पता नहीं कि किसे यह authority delegate करनी है। मुझे हैरानी इस बात की है कि उनको इस छोटी सी बात को समझने में भी दिक्कत महसूस हुई। Indian Companies Act के मातहत आगे भी सैंट्रल गवर्नमेंट ने इन कामों के लिए अपना अफसर मुकर्रर किया हुआ है और उसी तरह से State Government भी अपनी authority जो उसे इस बिल के ज़रिए registration वगैरह की मिलनी है वह अपने किसी एक अफसर को delegate कर देगी । यह मुनासिब और ज़रूरी है । इस में कौनसी vagueness आ गई है और हम कौनसी नई बात करने जा रहे हैं जिस से इन को इतनी घबराहट हो गई है। इस लिए मैं समझता हूं कि यह एक ज़रूरी बिल है । कहते हैं कि नया बिल लाया जाए और गवर्नमेंट के दिमाग़ में जो चीज़ है वह साफ तौर पर आनी चाहिए । मैं कहता हूं कि जो चीज़ थी वह साफ तौर पर आ गई अगर फिर भी वह न समझें तो गवर्नमेंट का क्या कसूर है। उन्हें चाहिए था कि वह खुद समझने का यत्न करते । लेकिन मैं तो फिर भी उन की हिम्मत की दाद देता हूं कि उन्होंने इतनी भी नुक्ताचीनी कर दी शायद उन्होंने बिल पढ़ा है या नहीं लेकिन इस के बावजूद भी उन्होंने जो हिम्मत की उस की मैं दाद देता हूं । यह कह दिया कि हाउस के साथ मज़ाक है मेम्बर साहिबान से मज़ाक है । लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वह खुद अपने आप से मज़ाक करें और बग़ैर बिल को समझे ऐसी बातें करें तो मैं क्या इलाज कर सकता हूँ, स्पीकर साहिब, आप के हाथ में तो है, आप इलाज कर सकते हैं । एक ज़िम्मेदार ऐडवोकेट मेम्बर ने कहा कि हाउस के rights की violation है मेम्बर साहिबान के साथ मज़ाक है इन epithets की मुझे समझ नहीं लगी कि किस तरह से violation होती है मैं फिर दुहरा कर अर्ज़ करता हूं कि यह बहुत ज़रूरी बिल है और पार्लियामेंट की मेहनत का फायदा उठाते हुए बिजन्सही हम ने हाउस के सामने रख दिया है क्योंकि तीन सौ क्लाज़िज़ पर मुश्तमिल कोई नया बिल लाते तो उस का कोई फायदा नहीं था । इसलिए मुनासिब यह है कि इसकी consideration की मंज़ूरी दी जाय ।

Mr. Speaker : Question is :—

That the Punjab Non-Trading Companies Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

SUB-CLAUSES (2), (3) AND (4) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is :—

That Sub-clauses (2), (3), and (4) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is :—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਦਲੱਲ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ parliament ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਜਿੰਸਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਲੇਕਿਨ ਅਗੇ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ—

"The State Government shall have power by a like notification to relax, omit, add to or vary any provision of the aforesaid Central Act........"

ਇਹ ਗਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਈ ਹੈ । ਯਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਯਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਈ ਆਲਾ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮਲੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬਹੁਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਜ਼ ਚਾਹਣ ਕਢ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

उद्योग मन्त्री (पंडित मोहन लाल) : स्पीकर साहिब बात यह है कि जहां बात समझ में न आए तो वह फर्ज़ अदा करने के लिए मैं तैयार हूं । स्पीकर साहिब, वह सीधी बात है कि जो Indian Companies Act है उस की हर दफा non-trading companies पर लागू नहीं हो सकती इस लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि जो superfluous clauses हैं उन्हें निकाल दिया जाए लेकिन फिर भी अगर समझ में न आए तो एक मौका समझाने का हम और देंगे और जो notification करेंगे वह हाऊस में लाएँगे और इनकी समझ में लाने की पूरी मदद करेंगे । चूंकि इस वक्त इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं इस लिए समझाने की कोशिश मैं छोड़ता हूँ ।

Mr. Speaker : Question is :—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is :—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5, SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is :—

That Clause 5, Sub-clause (1) of Clause 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move —

That the Punjab Non-Trading Companies Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved :—

That the Punjab Non-Trading Companies Bill be passed.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ superfluous ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਢ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹ ਹੁਣੇ ਇਕ comprehensive bill ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ unlimited ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਂ ਪੈਂਦੀ । ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ।

मौलवी अब्दुल गनी डार (नूह): स्पीकर साहिब, इन्होंने फरमाया कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल है कि हम तीन सौ दफात को या जितनी भी हों उन्हें इस हाउस के सामने लाएं और पार्लियामेंट की उस बड़ी खिदमत का जो उन्होंने इस Bill के बनाने में की है उस का फायदा न उठाएं तो मुझे ख्याल आया कि गैर सरकारी काम करने के लिए हमें मुश्किल से तीन-चार दिन मिलते हैं इस के बावजूद मेरे मुअज़िज़ दोस्त मान साहिब ने यहां बेटियों के विरसा के मुतल्लिक एक resolution पेश कर दिया यह कह कर कि 14 वर्ष तक इस मामले पर विचार कर के इस कानून को parliament में पेश किया गया । Parliament ने इस पर सोच विचार किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि इस का निहायत अहम दर्जा है । इस के बावजूद भी जनाब ने बड़ी मेहरबानी फरमा कर मेम्बर साहिबान को पूरा मौका दिया कि जितना भी वह चाहें उस पर खुले तौर पर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं । यह resolution अभी तक House में ज़ेरे बहस है और पता नहीं कि कितने हफते इस पर बहस मुबाहसे पर और लगेंगे। लेकिन इस Bill को पेश करते वक्त Minister साहिब ने छुटकारा हासिल करने के लिए यह कह दिया कि अगर सारी दफात

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

इस Bill की House के सामने लाई जाएं तो यह Bill बहुत लम्बा हो जाएगा । मैं पण्डित जी से अर्ज करूंगा कि यह दलील कोई ज्यादा वज़न नही रखती क्योंकि जब भी कोई legislative measure State के लिए इस House में लाया जाता है तो अगर उस पर वक्त लग भी जाए तो यह कोई गैरवाजिब बात नहीं हुआ करती । इस पर मुनासिब वक्त ज़रूर लगना चाहिए आज यहां पर समझ और बेसमझी की बातें काफी देर चलती रहीं। स्पीकर साहिब मैं अर्ज़ करूंगा कि आखिर सरकार को यह देखना है कि जो Bill वह यहां लाती है वह साफ और गैर मुबहम होना चाहिए । महज़ अकसरियत के बलबोते पर उसे पास करवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । अकेले बलबीर सिंह साहिब ने ही इस की मुखालफत नहीं की बल्कि हमारे बजुर्ग जो पुराने parliamentarian हैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारे काबिल दोस्त सरदार उमराओ सिंह सब की समझ अगर खराब हो गई है तो पण्डित जी का फर्ज़ है कि इस के मुताल्लिक सब member साहिबान को समझाएं । मेरे मुअज़िज़ दोस्त चौधरी सुमेर सिंह ने कहा कि यह अधूरा सा Bill है और वाज़ेह तसवीर पेश नहीं करता । जिस मकसद को Government हासिल करना चाहती है वह मकसद House के सामने नहीं ला रही । मैं समझता हूं कि चौधरी सुमेर सिंह यह कहने में बिल्कुल हक बजानब हैं कि यह Bill vague है और मैं यह भी समझता हूं कि अगर लम्बा चौड़ा Bill House के सामने आए तो बड़ी दिक्कतें दरपेश आएंगी । स्पीकर साहिब, आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि जब कभी भी कोई vague Bill House के सामने आता है तो हमें उस को बार बार amend करना पड़ता है । कई Bill बिल्कुल साधारण से होते हैं और उन के मुताल्लिक Member साहिबन को Government के साथ इत्तफाक करना ही चाहिए । मैं खुश हुआ हूं कि ऐसे बिलों में House ने सहयोग दिया है और वह आसानी के साथ पास हो गए । लेकिन इस बिल के ज़रिए व्यापारियों को बहुत सी complications का सामना करना पड़ेगा । ऐसे हालात में स्पीकर साहिब, ज़रूरी है कि पण्डित जी बड़ी मेहरबानी फरमाएंगे अगर वह देखें कि जो measure वह State में लागू करना चाहते हैं वह बिल्कुल वाजह होना चाहिए । लेकिन अगर वह खफा हो कर यह कह दें कि किसी Member साहिब को समझ नहीं तो उन का इरशाद कबूल तो होगा लेकिन इस में State का मुफाद नहीं कि हमारी सरकार किसी Bill को जल्दी में पास कर दे । इस से State की सही खिदमत नहीं होती बल्कि ज्यादा उलझन पैदा हो सकती है। जब हमारी बात उन को अच्छी नहीं लगती तो वह कह देते हैं कि यह समझ और बेसमझी की बात है । स्पीकर साहिब, आप तो बखूबी समझते हैं कि धुंधली तसवीर House में लाना किसी हालत में भी State के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकता ।

श्री लाल चन्द (जालंधर शहर, उत्तर पूर्व) : स्पीकर साहिब, मैं ने पंडित जी की तकरीर तो सुनी लेकिन उन से पहले जो मेरे साथियों ने तकरीरें की वे मैं ने नहीं सुनीं । हम तो यही समझते हैं कि अच्छे वकील की खसूसियत यही है कि अगर हाकिम का मिज़ाज किसी वक्त तलख या तुरश हो जाये तो फिर भी वह हलीमी से पेश आये क्योंकि इस तरह से वह हाकिम के ख्यालात को ठीक रास्ते पर ला सकता है और उस की तबीयत को नर्म कर सकता है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ।

श्री लाल चन्द : मैं आपका ध्यान बिल के इन इलफाज़ की ओर दिलाना चाहता हूं

"which is a non-trading corporation within the meaning of entries 43 and 44 in List I of the Seventh Schedule to the Constitution of India".

"clause 2 (1) reads—
which is confined in the scope of its objects to the State of Punjab".

मैं पंडित जी की तवज्जोह इस तरफ दिलाना चाहता हूं । 44 clause की list I के मुताबिक यह Central subject है । इन्होंने इसे Provincial subject समझा है ।

"Incorporation, regulation and winding up of corporations, whether trading or not".

कोई corporation non-trading है इस वजह से भी यह State list में नहीं आ सकते । मुझे समझ में नहीं आ सका कि यह कैसे इसे State list में ले आये हैं । दूसरे स्पीकर साहिब, Schedule 7, list II के item No. 32 में जो State list है उस में लिखा है—

"Incorporation, regulation and winding up of corporations, other than those specified in List I, and Universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations ; co-operative societies."

तो स्पीकर साहिब, religious and other societies, associations, Co-operative Societies यह सारी की सारी regional subjects हैं और इन के मुतअल्लिक इन्होंने law तजवीज़ किया है मैं समझता हूं कि regional subject होने के नाते यह बिल Regional Committees के पास जाना चाहिए ।

Mr. Speaker : This objection ought to have been taken at the initial stage.

श्री लाल चन्द : मैं इस लिए objection कर रहा हूं ताकि यह अब भी समझ जाएं । यह बातें इस बिल में हैं ।

श्री सुमेर सिंह : On a point of order, Sir. Legal point तो हर वक्त पेश किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : कौन इन्कार करता है ? (But who denies it ?)

Sardar Umrao Singh : A motion withdrawing the Bill from the Assembly and referring it to the Regional Committees can be made by the Minister.

श्री लाल चन्द : स्पीकर साहिब, यह आप के नोटिस में आ रहा है कि यह regional Bill है। इस के अलावा मैं कहूंगा कि इस बिल ने religious societies पर, associations पर चाहे वह political या दूसरी हों उन सब पर असर अंदाज़ होना है । Centre ने आज तक इस किस्म का कानून बनाने की कोशिश नहीं की । मैं इस को ज्यादा अहमियत देते हुए फिर मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि उन्हें इस बिल को Regional Committees के पास भिजवाना चाहिए ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

इस से पहले कि गवर्नर साहिब के पास reference चला जाए कि यह एक Regional Bill था लेकिन इस के बारे में Regional Committees से पूछा नहीं गया। मैं चाहता हूं कि यह गैर कानूनी बात न की जाए। इस लिये यह बात मैं आप के नोटिस में लाना चाहता हूं.........

4.00 p.m.

श्री अध्यक्ष : जब बिल की कई clauses पास हो चुकी हों तो इस वक्त यह एतराज नहीं उठाया जा सकता। (This is not the stage to raise this point when already a number of clauses of the Bill have been passed.)

श्री लाल चन्द : जब तक third reading हो कर बिल पास न हो जाए तो पोज़ीशन वही रहती है जो first reading के वक्त थी।

श्री अध्यक्ष : इस stage पर बिल की implementation के लिए suggestions दी जा सकती हैं। (Only the suggestion regarding the implementation of the Bill can be given at the third reading stage.)

श्री लाल चन्द : Rules में ऐसी कोई Provision नहीं है कि second reading के बाद बिल पास हो जाए।

श्री अध्यक्ष : हाउस पहले इस को consider कर चुका है और उस वक्त consideration के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं थी। अब हाउस की मर्ज़ी है कि इस को accept करे या reject करे। (The House has already considered it and there was no dissenting voice from any quarter at the consideration stage. Now it is for the House to accept it or reject it.

श्री लाल चन्द : मैं आप से भी कह रहा हूं और हाउस से भी कह रहा हूं।

Mr. Speaker : Even the Minister-in-charge cannot, at this stage, withdraw the Bill. It is now at the third reading stage.

आप बगैर previous नोटिस दिये अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और एतराज़ कर देते हैं लेकिन मेरी भी कुछ responsibility है। (The hon. Member rises in his seat to raise some important point without giving any previous notice. After all I have also some responsibility to discharge in this connection.)

श्री लाल चन्द : आप की ज़िम्मेदारी तो शुरू से ही हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : जब वज़ीर साहिब की स्पीच हुई तो उस वक्त तो आप ने मौजूद रहने का ख्याल नहीं किया लेकिन अब एतराज़ कर दिया है। (The hon. Member did not take care to be present in the House when the hon. Minister delivered his speech but now he has got up to raise this objection.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री लाल चन्द : आप की जिम्मेदारी तो जब बिल हाउस में आता है उसी वक्त से शुरू हो जाती है ।

Mr. Speaker : It is a common parliamentary procedure that all objections for sending the Bills to the Regional Committees must be taken at the initial stage.

उद्योग मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, सिर्फ एक चीज का ही मैं जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं । सम्भरवाल साहिब ने यह जो Constitution के बारे में एतराज़ उठाए हैं दरहकीकत उन्होंने relevant entry को नहीं पढ़ा । इस बिल की statement of objects and reasons शुरू ही इस तरह से हुई है—According to entry 32 in list II of the Seventh Schedule to the Constitution of India Legislation in regard to incorporation regulation and winding up of non-trading companies, corporations associations and other bodies with objects confined to the State of Punjab is within the exclusive competence of the State Legislatures and the provisions of the Companies Act 1956 (Central Act I of 1956), do not apply there to.

अब सम्भरावल साहिब ने वह entry पढ़ दी है जो कि लिस्ट नम्बर 1 में है, जो list No. I है वह सब Centre से ताल्लुक रखती है और List No. II में वह entries हैं जोकि exclusive jurisdiction State Legislature की है उस में relevant entry है 32 जिस का हवाला मैं ने दिया है वह है—

> "Incorporation, regulation and winding up of corporations, other than those specified in List I, and Universities ; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations ; co-operative societies".

यानि उस में specifically लिखा हुआ है :

"Other than those made mention of in list No. I "

इन्होंने क्या किया, लिस्ट नम्बर एक की entry No. 44 जो थी उस को पढ़ दिया । उस को तो exclude किया गया है उस में incorporations and regulations exclusive subjects हैं । लिस्ट नम्बर दो में State subjects हैं । स्टेट के वाहिद अख्तियार में हैं इस लिए यह जो बिल बनाया गया है यह entry No. II, list No. II के मुताबिक बनाया गया है इस लिए यह स्टेट legislature के अख्तियार की बात है । इस के इलावा और कोई चीज नहीं है जिस का जवाब देने की ज़रूरत मैं महसूस करता हूं । इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए ।

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Non-Trading Companies Bill be passed.

The motion was carried

THE COURT FEES (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to introduce the Court Fees (Punjab Amendment) Bill.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Minister for Revenue : Sir, I beg to move—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, हमारा देश एक democratic republic है । ऐसे देशों के अंदर judiciary को supreme समझा जाता है ।

(*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.*)

हमारे राष्ट्र पिता जो महात्मा गांधी थे वह भी कहा करते थे कि जब देश में हमारा अपना राज्य कायम हो जाएगा तो लोगों को इनसाफ बहुत सस्ता मिलेगा । हर एक देश जिस में जमहूरी तरीके की सरकार होती है उस की जमहूरियत को जज करने की यही एक कसौटी है कि यह देखा जाए कि वहां पर इनसाफ लोगों को सस्ता मिलता है या कि नहीं । अंग्रेजों की हकूमत के वक्त तो जब एसी writ कोई आदमी करता था तो उस को सिर्फ 2·65 रुपये खर्च करना पड़ता था लेकिन अब जबकि हमारी अपनी गवर्नमेंट है तो हमारे मोहतरिम वज़ीर साहिब फरमाते हैं कि writ पर पचास रुपए की फीस लगेगी । अंग्रेज़ों के वक्त से पचासगुना खर्च ज्यादा कर दिया गया है । सरकार चाहती है कि कोई आदमी हाई कोर्ट में जा कर writ न कर सके । आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ दावा नहीं हो सकता जब कि दफा 80 के मातहत नोटिस न दिया जाए । दफा 26 जो Constitution का है उस के मातहत भी civil writ किया जा सकता था उस के लिए 2·65 रुपये फीस थी। लेकिन अब ये कहते हैं कि इस को पच्चीस चौबीस गुना और बढ़ा दो । मुझे हिसाब तो कम आता है कि मैं ठीक बता सकूं कि आया यह पच्चीस गुना बनता है या चौबीस गुना बनता है । कितनी हैरानी की बात है कि दो रुपये से एक दम पच्चास रुपये कर दिये जाएं । इतनी ज्यादा फीस बढ़ाने की क्या वजह है ? मैं बताता हूं कि इस की क्या वजह है । इस की वजह यह है कि अगर court-fee को इस कदर बढ़ा दिया जाए तो कोई गरीब आदमी High Court में writ कर ही न सके । डिप्टी स्पीकर साहिब, आपने सुना होगा रोज़ अखबारों में इन की काबलियत के मुजाहरे होते हैं । पंडित मोहन लाल जी बहुत काबिल हैं । यह local bodies के वज़ीर हैं । इन्होंने election rules बनवाए । ऐसे rules बनवाए कि पंजाब में कोई भी ऐसी Municipal Committee नहीं है जिसकी High Court में writ न हुई हो । 90 per cent cases में writs High Courts के अन्दर मंजूर हुईं। तो जनाब, इस तरह से rules बनाए जाते हैं । मैं ने खुद वज़ीर साहिब को लिखा कि यह बात आप गलत कर रहे हैं लेकिन यह किसी सही बात को मानते ही कब हैं फिर कहते हैं कि राठी को तो समझ नहीं । जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, यह खुद तो समझने की कोशिश नहीं करते दूसरों को क्या समझाएंगे । इसलिए इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूं कि अव्वल तो इन के राज में इन्साफ मिलना ही मुश्किल है और अगर कोई लेना भी चाहे तो कहते हैं कि 50 रुपए की court fee लगाओ तब writ कर सकते हो । जनाब आए दिन कभी किसी चपड़ासी

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

को हटा दिया जाए, कोई वज़ीर अपने चपड़ासी से नाराज़ हो जाए तो उसे dismiss कर दे, किसी पटवारी को हटा दिया जाए, किसी क्लर्क को बरखास्त कर दिया जाए तो उस बेचारे से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह 50 रुपए की court fee लगा कर writ के लिए जाए ? बड़ों को तो यह हटा नहीं सकते, उनसे तो ये डरते हैं। छोटों को हटाते हैं और उस पर इलाज यह करते हैं कि 2.65 रुपए को बढ़ा कर writ के लिए court fee 50 रुपए कर दी जनाब, दीवानी दावों के अन्दर 80 दिन का notice होता है, इस दौरान अगर वह बेचारा 50 रुपए का इन्तज़ाम न कर सके फिर तो उसे बिस्तरा गोल करके दर दर के धक्के ही खाने पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह गरीब मुलाज़मों पर गरीब शहरियों पर बड़ा भारी हमला है। अगर हम जैसे मालदार लोगों के लिए ही यह रकम बढ़ाई जाए फिर तो कोई बात नहीं लेकिन गरीबों पर यह बिल्कुल नाजायज़ धक्का है। अगर पंडित मोहन लाल यह बिल लाते फिर तो अलग बात थी मगर मैं हैरान हूं कि क्यों ज्ञानी जी के हाथों यह यहां पर पेश किया गया है जो गरीबों के हमदर्द हैं और खुद भी गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। पर वह भी क्या करें, मजबूर हैं। Cabinet ने जो फैसला दे दिया उस पर उनको अमल करना ही है। लेकिन मैं बता दूं कि ज्ञानी जी गरीबों पर जुल्म करने चले हैं। मुझे ज्ञानी जी का पूरा एतराम है उनके लिए मेरे दिल में इज्ज़त है लेकिन मैं भी यह कहने पर मजबूर हूँ कि जो बिल उन्होंने पेश किया है इस से गरीबी लोगों पर भारी बोझ पड़ेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिब, चाहिए तो यह था कि प्रजातन्त्र के राज्य में अगर कोई High Court में जाकर इन्साफ हासिल करना चाहे तो उसे बगैर court fee के दरखास्त देने की इजाज़त हो। आप दूसरे मुल्कों की हिस्ट्री देख लें—खुद England की मिसाल ले लें। वहां आठ आने मे writ हो सकती है। यहां Statement of Objects and Reasons में बस Supreme Court और U.P. की मिसालों को लेकर कह दिया गया कि चूंकि वहां पर writ के लिए 50 रुपए की court fee लगती है इसलिए पंजाब में भी यही fee होनी चाहिए लेकिन दूसरी States के साथ मुकाबला नहीं किया गया। मद्रास को आप लें—वहां यह फीस 1·50 रुपए है। इसी तरह बिहार में 1.75 रुपए है। आंध्र, बम्बई, बंगाल और बाकी की 12 States के अन्दर भी यह फीस बहुत कम है। लेकिन इन्होंने U.P. की मिसाल ले ली जहां के मुख्य मंत्री सिर्फ ऊपर ही ऊपर देखते हैं। वहां की मिसाल नहीं लेनी चाहिए, मिसाल लेनी चाहिए दूसरी States की जहां कि court fee की दर कम है। इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि बजाए महंगा करने के लोगों के लिए इन्साफ सस्ता करो। हाई court में तो लोगों को दरखास्त करने के लिए कोई फीस होनी ही नहीं चाहिए। Citizen से कोई court fee नहीं लेनी चाहिए। आखिर आजाद मुल्क में इन्साफ तो सस्ता मिलना चाहिए। अगर कोई फीस लगानी ही है तो इतनी कम होनी चाहिए कि हर गरीब आदमी दे सके। 50 रुपए कोई गरीब आदमी नहीं दे सकता। यह तो कोई इलाज नहीं (इस वक्त वित्त मन्त्री माल मन्त्री के साथ सलाह कर रहे थे) दूसरा इलाज क्या होना चाहिए यह डाक्टर साहब ज्ञानी जी को समझा रहे हैं। उनको इस बात की बड़ी तकलीफ हुई है। मुझे पता है क्यों? डाक्टर साहब गरीबों की मानने वाले हैं। इसलिए जहां तक डाक्टर साहब का ताल्लुक है; वह ठीक फरमा रहे हैं।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

फिर जनाब, एक तरफ तो court fee बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ जो litigants court fee अदा करते हैं उनको किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं दी जाती। Litigants के लिए बैठने के लिए sheds नहीं। आप सोनीपत चले जाएं, पानीपत चले जाएं झजर चले जाएं, सब जगह यही हाल है। कितनी मिसालें दूं। Litigant public को बारिश में भी सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती, वह बाहर खड़े २ भीगते रहते हैं। इस चीज़ की तो कोई परवाह नहीं मगर court फीस बढ़ाई जा रही है। यहां तक court fees के लिए कई २ जगह stamp vendors की भी सहूलत नहीं। मैं बीसियों मिसालें दे सकता हूँ जहां S.D O., Sub-Judge, R.M. की अदालत के बाहर stamp vendors कोई नहीं मिलते। लोगों को दो २ तीन २ मील दूर जा कर लानी पड़ती हैं। लेकिन गरीबों का इस कांग्रेसी हकूमत को कोई ख्याल नहीं। इनको तो ख्याल सिर्फ इस बात का है कि किस तरह से tax बढ़ाया जाए किस तरह से fees बढ़ाई जाए ताकि खजाने में पैसा आए क्योंकि इन का खजाना ही खाली हो चुका है। कर्ज़ा यह मांगते हैं चन्दा यह मांगते हैं। किस लिए ? इसलिए कि खजाने में पैसा नही रहा। उसको भरना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से खजाने को नहीं भरा जाता। डाक्टर साहिब ने मेरी बात की ताईद की है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ताईद करने के साथ २ आप उन को भी समझाएं कि ऐसे तरीकों से गवर्नमेंट नहीं चलती। यह डिक्टेटराना अख्तियारात हैं। इस तरीके से इस House में बिलों को लाकर पास करवाना नहीं चाहिए। ठीक है आपकी majority है जो बात आप चाहेंगे, हो जाएगी लेकिन साथ २ आपको यह भी सोचना चाहिए कि reasonable बात क्या है। कोई समझ की बात हो, कोई अक्ल की बात हो। दो रुपए 65 नए पैसे से बढ़ा कर 50 रुपए तक बढ़ा देना कहां तक जायज़ है ? ऐसी बातें बहुत देर तक नहीं चल सकेंगी। लोगों के बरदाश्त करने की भी कोई हद होती है। इसलिए ज्यादा वक्त न लेता हुआ मैं वज़ीर साहिब से अर्ज करूँगा कि वह इस बिल को वापस ले लें, इसका आम जनता को कोई फायदा नहीं है, इसके बरखिलाफ लोगों को—खासकर निचले दर्जे के गरीब लोगों को नुक्सान ही होने वाला है।

ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ Amending Bill ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ civil liberties ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਵਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੋ amendment ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ national movement ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦੀ ਔਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ੨ ਕੇ ਦਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਚਿਹਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ High Court ਵਿਚ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

writ ਕਰਨ ਲਈ 2.65 ਰੁਪਏ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਦਮ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ—ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ time ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ loud ਸਪੀਕਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ਼ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਖਤਲਿਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਖਤਲਿਫ cases ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ High Court ਵਿਚ writ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ High court ਵਲੋਂ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ loud-speakers ਤੇ ਜਾਂ ਜਲਸਿਆਂ ਅਤੇ ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ writ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ cases ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ writ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ amending ਬਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ amending ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Writ ਕਰਨ ਲਈ court fees ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਥੇ ਵਾਧੂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ court ਫੀਸ writ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ 'ਜਨਰਲ') : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ writ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ court fees 2.65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ writs ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ control ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ measure ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ State ਦੇ revenues ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ development ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜੋ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

excessive expenditure ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ meet ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ revenues ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, State ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ court fees ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ speech ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ writs ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ writs ਘਟ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ High Court ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚੋਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਕੇ writ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ writ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ promotion ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਕ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ fundamental right ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ aggrieved ਆਦਮੀ High Court ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ High Court ਵਿਚ writs ਘਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ writs ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ court fees ਵਧਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਕਿ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪਰਚਲਿਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ High Court ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੰਗ ਆਮਦ ਬਜੰਗ ਆਮਦ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ appeal ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ 2.65 ਰੁਪੈ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ court fees ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ fundamental rights ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Constitution ਵਿਚੋਂ guaranteed ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ Constitution ਵਿਚ ਇਹ ਬੜਾ sacred Chapter ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ fundamental rights ਦੀ respect ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ Constitution ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਪਰਚਲਿਤ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ respect ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ fundamental rights ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ Constitution ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮਿਨਿਸਟਰ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਕਈ writ ਕਰਨ ਦੀ court fee 2 ਰੁਪਏ 65 ਨਵੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸ਼ਕ ਵਧਾ ਲੈਣ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ 65 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣ । ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਤਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Constitution ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ fundamental right ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ।

श्री राम प्यारा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जो बिल हमारे सामने पेश है इस में writ करने की court fee को 2·65 रुपये से बढ़ा कर 50 रुपये करना मतलब है । यह ठीक है कि इस तरह से गवर्नमेंट के revenues बढ़ जायेंगे और यह भी मुमकिन है कि इस से High Court में जो writs होती हैं उन की तादाद में कमी हो जाये । लेकिन सोचना यह है कि जिस बुनियादी मकसद के लिए हमारा Constitution बना है और जिस मकसद के लिए हम यह गवर्नमेंट चला रहे हैं क्या वह मकसद इस से पूरा होता है या नहीं । High Court में writ करने के लिए कोई जाता है तो वह High Court की building देखने के लिए नहीं जाता या हाई कोर्ट के judges को देखने के लिए नहीं जाता बल्कि वह वहां इस लिए जाता है क्योंकि वह दुःखी होता है और वह इस लिये दुःखी होता है क्योंकि उसे नीचे से इनसाफ नहीं मिला होता । यह ठीक है कि दुःखी एक अमीर भी हो सकता है और एक गरीब भी हो सकता है लेकिन एक अमीर आदमी के लिए वहां जाने के लिए खर्च करना कोई मुश्किल बात नहीं होती लेकिन गरीब के लिए यह मुश्किल होता है ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, अगर आप Districts में देखें तो आप को पता चलेगा कि वहां जो tax लगे हुए हैं उन की वसूली नहीं होती मगर आज यह हमारी आम tendency सी बनी हुई है कि हम नये नये tax लगा देते हैं लेकिन पिछले लगे हुए taxes की वसूली की तरफ ध्यान नहीं देते । यह बात हमारी गवर्नमेंट को शोभा नहीं देती कि वह पिछले लगे हुए taxes की वसूली में तो ढीली हो और नये taxes लगाती जाये । अगर हम Revenue को बढ़ाना चाहते हैं तो उस के लिए District Courts को control करें । वहां से लाखों रुपए की आमदनी बढ़ सकती है । अगर यह मकसद हो कि writs कम हों तो यह मकसद फीस बढ़ा देने से ही हल न हो जायगा । यह कम तो तब होंगे जब injustice कम होंगी । गवर्नमेंट खुद गलतियां करती है, ज्यादतियां करती है । Municipalities के elections हुए । शायद ही कोई ऐसी कमेटी elections में रही हो जिस में writ न हुई हो । कहीं oath नहीं दिलाई जा सकी तो कहीं किसी और वजह से elections void हो गई और चूंकि गलती थी सरकार की इस लिए writs हुई । जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं Justice delayed is justice denied? जब आगे आगे चलता हुआ गरीब aggrieved exhaust हो जाता है तो point बेशक वह जीत जाए मगर तब तक वह थक कर बैठ चुका होता है और उस के

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

resources जवाब दे चुके होते हैं । इस तरह injustice बढ़ती है, कम नहीं होती । इस लिए यह फीस बढ़ाई नहीं जानी चाहिए । writ petitions कम करने के लिए सरकार को अपने ऊपर पाबन्दी लगानी चाहिए, अपने अफसरों पर पाबन्दी लगानी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर writs पेश करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है । जो High Court में आता है वह aggrieved होता है, उसे किसी ने तकलीफ दी होती है । उसे दण्ड मिलता है जब कि जरूरत इस बात की है कि दण्ड उस को मिले जो तकलीफ देने वाला है फिर वह चाहे सरकार हो, अफसर हो या पब्लिक का कोई बड़ा आदमी । सरकार को सोचना चाहिए कि क्या वह इनसाफ सस्ता कर रही है । शायद वह दिन भी कभी आ जाए जब गरीबों के लिए सरकार वकीलों का भी इन्तजाम करने लगे । एक तरफ तो ऐसी बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ इस तरह से tax लगाया जाता है । इस लिए सरकार को सोचना चाहिए कि दण्ड दुःख देने वालों को मिलना चाहिए या कि इन्साफ मांगने वालों को ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਕ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ । ਲੋਕ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬਧੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਚਲ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੁਨਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਹੁਣ ਉਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ amendment ਲਿਆ ਕੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ tax ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ 2.65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ । ਇਹ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ruling party ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ । ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ High Court ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ writ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ free ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਜੋ aggrieved ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਲਟੇ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁੱਸ਼ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ । Writ High Court ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ D.C. ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ । Writ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਹੁਣ 2.65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਗੇਗਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ aggrieved ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਲਈ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਕੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। Supreme Court ਦੀ building ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣੇ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਲਿਆ ਕਰੇਗੀ।

ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ : कैरों साहिब का इन्साफ मशहूर है।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ! ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। Democratic Countries ਵਿਚ ਇਹ move ਹੈ ਕਿ legal aid ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, judges ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ Opposition ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ proposal ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ legal aid ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤਕ 2.65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਂਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ tax ਵਧਾਉਣਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ Bill ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

श्री लाल चन्द (जालन्धर शहर उत्तर पूर्व) : जनाब Deputy स्पीकर साहिब, इन्होंने Statement of Objects and Reasons के अंदर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी Court fees को बढ़ा कर 50 रुपए तक कर दिया गया है इस लिये हम बढ़ा रहे हैं इस तरह से जो कुछ Supreme Court ने किया है वही कुछ हम कर रहे हैं। यह Democracy के भक्त हैं कि चूंकि Supreme Court ने ऐसा किया है इस लिये हम भी वही कुछ कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि Supreme Court से पहली अदालत High Court है। Writs की जितनी power High Court को है उतनी ही Supreme Court को भी है। हर कोई Supreme Court में जाने से पहले High Court में जाता है ताकि उसे काबिल Judges से इनसाफ मिले। जब उस की तसल्ली नहीं होती, तब उसे मजबूरन Supreme Court में जाना पड़ता है। वहां पर Judges का फैसला कानून पर होता है। मगर यह एक पाबन्दी लग जाती है कि इनसाफ हासिल करने के लिए इतना पैसा देना पड़े। किसी और जगह ऐसी पाबन्दी लगे तो और बात है मगर इस तरह की पाबन्दी High Court या Supreme Court में लगानी किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। इस के इलावा इस मे जो तशरीह की गई है Habeas Corpus writs and Criminal writs की, खास तौर पर मैं कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा case हो जो Criminal नौईयत का हो और उस का कोई writ आया हो सारे civil writs होते हैं। सिवाय Habeas Corpus के और कोई writ बनता ही नहीं। बड़ी मुश्किल से एक दो cases ऐसे हो सकते हैं। बाकी सब के सब civil writs ही होते हैं। आज अगर एक मुलाज़म को हटाया जाता है तो वह भी civil writ है। पंचायत के पंचों को हटाया जाता है वह भी civil writ है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Municipal Commissioner को हटाया जाता है उस की तरफ से भी civil writ ही होता है। किसी service में किसी को नाजायज़ तरक्की दी जाती है वह भी civil writ है। पंजाब के जितने writs चलते हैं वह सब के सब civil writs ही होते हैं। अगर High Court में 1,000 writs होते हैं तो उन में 990 writs civil के ही होते हैं। फिर यह कहना कि Court fees बढ़ा कर 50 रुपये कर दी जाये यह कितनी मज़हका खेज़ बात है। High Court में जितने writs जाते हैं वह सब Miscellaneous में आते हैं और इस की नौइयत यह है कि यह सारे के सारे civil list में ही आते हैं। इस का मतलब यह है कि अगर High Court में किसी का writ जाता है तो उसे वकीलों को पैसा देने के इलावा, court fee की शक्ल में भी बड़ी भारी तादाद में और रुपया देना पड़ता है। आज अगर इतनी court fees बढ़ सकती है तो हो सकता है कि यह बढ़ कर 100 या 500 तक पहुंच जाये। Central Government ने जो Democratic rights का ढोंग रचा रखा है फिर इसे क्यों न खत्म किया जाये, या जहां पर rights देने का ज़िक्र Constitution में किया गया है वह वरक ही फाड़ क्यों न दिया जाये। इस तरह से इनसाफ हासिल करने के लिये खर्चों का बढ़ाना जायज नज़र नहीं आता। यह तरीका भी ग़लत है कि किसी को यह कहा जाये कि वह 2 की बजाये 50 दे क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इतनी ही court fees है। मगर मैं यह अर्ज़ कर दूं कि पंजाब की निसबत वहां पर बड़े बड़े लोग बसते हैं, गरीब लोग नहीं हैं, यहां की तरह वहां पर छोटे छोटे किसान नहीं हैं बल्कि वहां पर अमीर ज़मींदार हैं उन के लिये 50 रुपये का court fees देना कोई बड़ी बात नहीं है। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि किसी की civil liberties पर छापा मारा जाये या उसके Fundamental Rights को कुचला जाये। इस तरह के कानून को वापस लेना चाहिये।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जब मैं यह देखता हूं कि यह सुझाव ज्ञानी करतार सिंह जी की तरफ से आया है तो दिमाग़ मानता है कि इस में ज़रूर कुछ न कुछ वज़न की बात है। लेकिन जब मैं इस के objects and reasons को देखता हूं तो यह शक पैदा हो जाता है कि यह बिल इन की मर्ज़ी के खिलाफ है और यह ज्ञानी जी पर मजबूरन लादा गया है कि वह इसे House में पास करायें। अपनी बात को साबत करने के लिये वह उत्तर प्रदेश की पैरवी करते हैं। मगर वह सूबा हम से चार गुना बड़ा है वहां के लोगों के ज़राय आमदनी हम से कहीं ज्यादा हैं। डिपटी स्पीकर साहिब मैं यह नहीं कहता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं तो सहे की बजाए पहे को कोस्ता हूं। खरगोश निकल जाये तो कोई बात नहीं लेकिन अगर यह रास्ता ही बना लिया जाये तो मुझे सख्त एतराज़ है। कौन नहीं जानता कि आबयाने की शरह उत्तर प्रदेश से दुगनी है, हम से दुगनी है। जब यहां पर भी यह शरह दुगनी हो गई तो फिर पता चलेगा। House के मेम्बरान को और किसानों के लीडर साहिबान को कि वह क्या करने जा रहे हैं। आज House को इस बात के लिये मनाया जा रहा है कि वहां भी किसान भाई आबाद हैं पंजाब के किसानों से क्यों न वह tax वसूल किया जाये जो वहां के किसान देते हैं। यह भी 50 रुपये का court fees क्यों न दें। मगर जहां उत्तर प्रदेश ने इतने मुज़ारों को आबाद किया वहां पर पंजाब में 4,000 मुज़ारान में से 4 को भी पूरी तरह से आबाद नहीं कर पाये हैं।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से तो आप एक State का दूसरी से 2-3 घंटे तक मुकाबला ही करते रहेंगे। यह relevant नहीं है। (In this way the hon. Member will continue to compare one State with the other for two or three hours. This is not relevant.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब के हुकम को मानता हुआ मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि यह जहां taxes में उत्तर प्रदेश का मुकाबला करते हैं और वहाँ बातों को भी देखें और अगर copy ही करनी है तो उन को हर बात में follow करें। आज administration में इतनी खराबियां हैं कि इनसाफ मिलता ही नहीं और फिर आये दिन यहां पर डाके पड़ते हैं। अभी चार दिन की बात है डिप्टी स्पीकर साहिब आप को जान कर यह दुःख होगा कि हमारे हलके में कहते हैं कि डाकू आ गये। गोलियां चलनी शुरू हुईं। दो गरीब मासूम बच्चे जंगल से आ रहे थे कि एक को तो गोली लगी वह वहां पर ही शहीद हो गया और दूसरा ज़ख्मी हो गया जिस के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि वे डाकू थे या नहीं थे। मगर यह कहते हैं कि वे भी मुकाबले में मारे गये। (*Interruptions*)

श्री उपाध्यक्ष : Order please, आप क्या कह रहे हैं? यह relevant नहीं है। Bill तो कुछ और है। (Order please, what is the hon. Member saying? It is not relevant. The Bill aims at something else.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं इस पर आगे चल कर आऊंगा। जनाब मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि Justice की बाबत यह फरमा रहे हैं वह है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : Order please आप relevant बोल सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। (Order please. The hon. Member may speak to the motion. He cannot say irrelevant things.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब मैं अर्ज़ करता हूँ कि सवाल यह पैदा होता है कि इनसाफ सस्ता हो या इनसाफ के दरवाज़े कुछ तंग कर दिए जाएँ? अगर इनसाफ का दरवाज़ा किसी ऐसे मिनिस्टर के हाथों तंग हो जो ग़रीबों की या किसानों की परवाह न करता हो तो और बात थी लेकिन ज्ञानी जी जो गरीबों के काम करने के लिए मशहूर हैं और वह इनसाफ महंगा करें तो मुझे हैरत होती है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी नेकनामी की शोहरत कम होती है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आपके ज़रिए वज़ीर साहिब से बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि यह जो 50 रुपये court fees writ की रखी जा रही है, यह बहुत ज़्यादा है, और इससे इनसाफ महंगा होता है, इसलिए इसे कम किया जाए। अगर कम न किया गया तो नतीजा यह होगा कि इन्हें पैसा तो कम मिलेगा लेकिन ज्ञानी जी का नाम ज़्यादा बदनाम होगा। मैं फिर अर्ज़ करता हूँ कि चूंकि ज्ञानी जी का माथा चमकदार है, इस लिए वह अपने माथे यह टीका न लगवाएँ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟਮਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਸਲਿਹਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ,

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ central idea ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2.65 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ Constitution ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ writ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ right ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਫਿਰ High Court ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ 50 ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ writ ਦਾ right ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ citizen ਸਿੱਧਾ High Court ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਘੰਟੀ ਖੜਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਵਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਐਸਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ........

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ historical fact ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ writ ਦਾ right ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੇ High Court ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ cases ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ Jugdes ਹੋਰ ਰਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ cases ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਲਈ High court ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ High Court ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 50 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ writ ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਏ ਤਾਕਿ cases ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ intact ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ High Court ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਆਦਮੀ High Court ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ Municipal Committees ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੈ ?

ਅੱਜ ਕਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ writ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਏ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Bombay ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਥੇ ਤਕ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ

5.00 p.m.

50 ਰੁਪਏ writ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਬੋਝ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਦਮੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਅਜਿਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਦਮੇ ਬਾਜ਼ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration.

The Assembly then divided :

Ayes : 50.
Noes 13.

The motion was declared carried.

AYES

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan
2. Abdul Ghani Dar, Maulvi.
3. Ajmer Singh, Sardar.
4. Baloo Ram, Shri.
5. Balwant Singh, Sardar.
6. Bhagirth Lall Shastri, Pandit
7. Bakhtawar Singh Rai, Gyani.
8. Bhule Ram, Chaudhry.
9. Charan Singh, Sardar.
10. Dasondha Singh, Chaudhri.
11. Dev Dutt Puri, Shri.
12. Gian Singh Rarewala, Sardar.
13. Guran Dass Hans, Bhagat
14. Gurdit Singh, Sardar.
15. Gurmit Singh "Mit", Sardar.
16. Harbhagwan Maudgil, Shri.
17. Harchand Singh, Sardar.
18. Jagat Ram, Shri.
19. Jagdish Chand, Shri.
20. Jagir Singh 'Dard', Sardar.
21. Jasdev Singh Sandhu, Sardar.
22. Joginder Singh, Sardar.
23. Jit Ram, Shri.
24. Karam Singh "Kirti", Sardar.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

25. Kartar Singh, Gyani.
26. Kesara Ram, Shri.
27. Kundan Lal, Shri.
28. Mehar Singh, Sardar.
29. Mehar Singh, Thakur.
30. Multan Singh, Shri.
31. Om Prabha Jain, Shrimati.
32. Parkash Kaur, Shrimati.
33. Pritam Singh, Sahoke, Sardar.
34. Paul Singh, Sardar.
35. Radha Krishan, Chaudhri.
36. Rala Ram, Shri.
37. Ram Parkash, Shri.
38. Ran Singh, Shri.
39. Rup Singh "Phul", Shri.
40. Sadhu Singh, Sant.
41. Sant Ram, Shri.
42. Saneh Lata, Shrimati.
43. Shri Krishan Shastri, Shri.
44. Sohan Singh, Sardar.
45. Sri Chand, Chaudhri.
46. Sumer Singh, Shri.
47. Sumitra Devi, Shrimati.
48. Suraj Mal, Chaudhri.
49. Teja Singh, Subedar.
50. Umrao Singh, Shri.

NOES

1. Atma Singh, Sardar.
2. Balbir Singh, Chaudhri.
3. Baldev Prakash, Dr.
4. Bhag Singh, Dr.
5. Dharam Singh Rathi, Chaudhri.
6. Gurwarayam Singh, Sardar.
7. Inder Singh, Chaudhri.
8. Karam Chand, Shri.
9. Lal Chand, Shri.
10. Mangal Sain, Shri.
11. Ram Kishan Bharolian, Pandit.
12. Sahi Ram Bishnoi, Chaudhri.
13. Udham Singh, Sardar.

Mr. Deputy Speaker : The House will now proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Sardar Umrao Singh (Nakodar 'General') : Sir, I beg to move—

In the proposed sub-clause "(ii-A)", column 3, for "Fifty Rupees" substitute "Twenty Rupees".

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ consideration motion ਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ income ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ State revenue ਨੂੰ ਕੋਈ substantial ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ]

ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਘਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਵਧਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ burden ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਨ, ਕੁਝ income ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ number of writs ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ number of writs ਘਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ revenue ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ additional revenue ਤਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੇਕਰ number of writs ਉਤਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੀਸ 2.65 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ number of writs ਇਤਨਾ ਘਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ 1/10 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ revenue ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ amendment ਮੰਨ ਲਉ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ number of writs ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, revenue ਵਿਚ increase ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 15, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਅਤੇ Supreme Court ਵਿਚ ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ Supreme Court ਵਿਚ ਤਾਂ rare cases ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

In the poposed sub-clause " (ii-A)", column 3, for "Fifty Rupees" substitute "Twenty Rupees".

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, ज्ञानी जी ने जो दलीलें अपनी तकरीर में इस बिल के हक में दी हैं उन को सुन कर बड़ी हैरानी हुई है। उन्होंने एक दलील यह दी है कि writs की तादाद ज्यादा हो गई है इस लिए judges ज्यादा रखने पड़ गए और जब Judges ज्यादा हो गए तो खर्च बढ़ गया। इस लिए फीस 2.65 रुपये से बड़ा कर 50 रुपये कर दी है। बड़े कमाल की दलील दी और यह है इन की democracy का हाल Democracy के अन्दर हम कहते हैं कि हर एक को इन्साफ मिलना चाहिये और Constitution ने हमें writ का right दिया है लेकिन हमारे वज़ीर साहिब फरमाते हैं कि बड़ी खराबी हो गई जो writs की तादाक ज़ियादा हो गई और लोग इन्साफ लेने लग पड़े लेकिन इस का तरीका यह नहीं है जो आप कह रहे है बल्कि इस का सीधा और आसान तरीका यही है कि पंडित नेहरू जी के पास जाओ कि यह जो Constitution के Article 226 के तहत writ का हक लोगों को मिला है इसे उड़ा दो ताकि कोई आदमी writ ही न कर सके। आप सीधी बात यह करो कि Article 226 को उड़ा दो क्योंकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी (हंसी) इस से आप को कोई

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

तकलीफ न होगी । आप अपनी ऊपर वाली गवर्नमेंट को लिख कर भेज दो कि यह जो आपने Article 226 बना कर गलती कर दी है इस को उड़ा दो ताकि यह writs खत्म हो जाए । यही इस का सीधा तरीका है । ज्ञानी जी ने कहा कि.......

माल मंत्री : On a point, of information, Sir. मुझे यह पता नहीं लगा कि यह किस चीज़ पर बोल रहे हैं, आया ताईद में हैं या अपोज़ीशन में हैं ....

चौधरी धर्म सिंह राठी : I dont give way. मैं यही अर्ज़ कर रहा हूं कि यह फीस 50 रुपए नहीं होनी चाहिए और वजीर साहिब ने इस schedule के हक में जो दलीलें दी थीं मैं उन का जवाब दे रहा था।। आप किसी democratic country का constitution उठा कर देख लो हर जगह writ का right लोगों को मिला हुआ है। लेकिन यह कहते हैं कि ऐसा तरीका अख्तियार करो कि कोई गरीब आदमी writ ही न कर सके और उस का तरीका उन्होंने यह निकाला है कि दो रुपए की जगह फीस 50 रुपए कर दो क्योंकि न किसी गरीब के पास 50 रुपए होंगे न वह writ कर सकेगा। एक दलील उन्होंने यह दी कि वकील की फीस भी है । कौन कहता कि आप सरकारी वकील मुकर्रर करो। जो writ करता है वह करे। अव्वल तो गवर्नमेंट का वकील होना चाहिए और गवर्नमेंट गरीबों के लिए वकील का इन्तज़ाम करे और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वकील की writ फीस मुकर्रर कर दो। मैं कहता हूं कि कम से कम फीस मुकर्रर करो । अभी मेरे फाज़िल दोस्त उमराओ सिंह ने कहा कि इस से सरकार की बड़ी बदनामी हो जाएगी । लेकिन में उन से पूछता हूं कि अब कौन सी सरकार की नेकनामी हो रही है। इस सरकार की तरफ से जितने कारनामे हो रहे हैं वह सभी बदनामी के हैं और इस सरकार ने एक भी काम नेकनामी का नहीं किया है। इन का अपना दिल यह गवाही देता है। यह 50 रुपये की क्या बात है यहां तो चारों तरफ scandals ही scandals हैं । कहीं जमीन का scandal, कहीं fertilizers का scandal और कहीं किसी वज़ीर के बेटे का scandal..... (*noise and interruption*)

Mr. Deputy Speaker : Order, order. Now you are discussing clause 3 Please be relevant.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं जनाब बदनामी और नेकनामी की बात बता रहा हूं। मैं कहता हूं कि यह नेकनामी की बातें नहीं हैं सारी की सारी बदनामी की बातें हैं। मैं ज्ञानी जी से कहता हूं कि अभी तक तो आप बदनामी से बचे हुए हैं इस लिए अब बदनामी में मत फंसो। सरदार उमराओ सिंह का कहना भी यही है कि अभी तक नेकनामी में हैं और बदनामी से बचे हुए हैं इस-लिए अब 50 रुपए वाली बात कर के बदनामी मत लो। वैसे तो मैं सरदार उमराओ सिंह की तजवीज़ के हक में नहीं हूं जो वह कहते हैं कि 20 रुपए कर दो लेकिन अगर मेरी बात नहीं माननी है और 50 रुपए नहीं उड़ाने हैं तो कम से कम वह तो ज्ञानी जी के पुराने साथी हैं इस लिए उन की बात ही चलो मान लो। मैं ज्ञानी जी से कहता हूं कि सरदार उमराओ सिंह आपके पुराने साथी हैं, आपके दुःख दर्द में शरीक रहते हैं इसलिए अगर मेरी बात नहीं माननी है तो चलो उन की ही मान लो। मास्टर जी का साथ तो नहीं निभाया और वह बात तो अब पुरानी हो गई मगर अब इन का साथ ही निभाओ जो आप के साथ रहेंगे और रहे हैं ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : Order, order. No repetition please. Be relevant.

चौधरी धर्म सिंह राठी : इन अलफाज़ के साथ मैं इस क्लाज़ की मुखालिफत करता हूँ और अर्ज़ करता हूं कि अगर मेरी नहीं तो कम से कम सरदार उमराओ सिंह की बात मान लो।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਜੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ litigants ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ dispensation of justice ਲਈ ਇਹ ਅਸੂਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ fundamental rights ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ right seek ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ highest court ਨੂੰ approach ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ right ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਸਾਫ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Ultimately ਜੇ ਉਹ writ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਲਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ People are becoming conscious of their rights. This should be encouraged and not discouraged.

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ writs ਨੂੰ revenue ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ Judges ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ writs ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ essentially this argument is wrong ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ writ ਦੀ ਫੀਸ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਾ it is a sort of penalizing justice. Justice ਤੇ ਇਹ demand ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਖਰਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ secure ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

After all there should be some scope somewhere to enable the weakest people to approach the highest Court to get justice if at any time their rights are invaded.

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲਾਓ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ rights ਨੂੰ protect ਕਰਨ ਲਈ fight ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਦੀ amendment ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ let us not increase the fee from Rs 2 to Rs 50. ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੇਰ second time ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਲਗਣ ਔਰ ਇਥੇ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਲਗਣ ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਦੀ amendment ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री मंगल सेन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बिल के विषय में काफी कुछ कहा जा चुका है । मैं भी इस का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जैसा कि कुछेक मैम्बरों का ख्याल है मैं भी समझता हूं कि ज्ञानी जी जो बात करते हैं बड़ी समझ से करते हैं लेकिन इस विधेयक को देख कर मुझे भी बहुत निराशा हुई कि जिन लोगों के साथ उन की सहानुभूति होनी चाहिए थी उन पर उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जम्हूरी तर्ज़े निज़ाम में न्याय करने वाली एजेंसी quick होती है, prompt होती है। जम्हूरियत के अन्दर सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह देखे कि यहां के नागरिक को अपने देश में सुविधा के साथ रहने के सारे साधन प्राप्त हो रहे हैं । लेकिन आज अकस्मात 2 रु० 65 नए पैसे से बढ़ा कर 50 रुपए writ की जो फीस मुकर्रर की जा रही है इस से बढ़ कर कोई बेइनसाफी नहीं हो सकती । ज्ञानी जी जिस पार्टी के नुमायंदा हैं उस की अक्सरियत है वे जो मर्ज़ी कर लें और हमारी वज़नदार युक्तियुक्त बातें वह अपने बहुमत के बल से ignore कर के इस बिल को पास कर देंगे । ज्ञानी जी ने कहा कि हाई कोर्ट के Judges को तनखाहें देनी पड़ती हैं. Buildings बनानी पड़ती हैं लेकिन मैं ज्ञानी जी से कहना चाहता हूं कि यह Police State नहीं है Welfare State है और यह ज़रूरी नहीं कि जिस महकमा पर खर्च करना हो उसी महकमा से वह खर्च पूरा किया जाए । इसलिए उन की यह दलील कोई वज़न नहीं रखती । मैं समझता हूं कि भारत के संविधान ने इस देश के नागरिक को जो अधिकार प्रदान किए हैं उन के रास्ते में इस विधेयक द्वारा एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है । हमारे सूबा में ज़ुल्म सितम की इन्तहा हो चुकी है । और बेगुनाह लोग यहां पर पकड़े जाते हैं । जब विचारों का इख्तलाफ होता है और हुकमरान पार्टी लोगों की दलीलों को नहीं मानती तो लोगों को मजबूर होकर सत्याग्रह करना पड़ता है जिस में बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है । हमारे मुख्य मन्त्री साहिब ने फरमाया था कि मेरे अन्दर औरंगज़ेब की रूह आ गई है । जिस सूबा के मुख्य मंत्री के अन्दर औरंगज़ेब की रूह आ गई हो और उसे मालूम हो तो उस सूबा में ज़ुल्मोसितम न हो यह कैसे हो सकता है । यह ठीक है कि जेल में जाने वालों को writ के पैसे नहीं देने पड़ते लेकिन जो दूसरे लोग writ करेंगे उन्हें 50 रुपए देने पड़ेंगे जिस का नतीजा यह होगा कि जो लोग अदालत का सहारा लेना चाहते हैं उन के साथ बेइनसाफी होगी ज़ुल्म होगा अत्याचार होगा । *(At this stage the Chief Parliamentary Secretary was seen reading a newspaper.)*

Mr. Deputy Speaker : If the hon. Member wants to read newspaper he may kindly move to the lobbies.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री मंगल सेन : इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह राज हठ छोड़ कर जनता की आवाज़ की तरजमानी करें ।

Mr. Deputy Speaker : Debate on Clause 3 of the Bill is going on. It is a single clause Bill and Clause 3 is the operative Clause. I don't think the hon. Members will have to say more at the third reading stage of the Bill.

श्री मंगल सेन : मैं अर्ज़ कर रहा था कि मन्त्री महोदय एक मिसाल कायम करें कि उन्होंने जनता की आवाज को पहचानते हुए अपोजीशन की ओर से आई हुई एक चीज़ को स्वीकार किया था । वह असेम्बली में ऐसी मिसाल कायम करें कि सचाई के सामने एक वज़ीर झुक गया था और उन्होंने जनता की आवाज का सत्कार किया था । इन शब्द के साथ मैं बैठता हूं ।

खान अब्दुल गफ्फार खां (अम्बाला शहर) : जनाब सदर मैं सरदार उमराओ सिंह साहब की अमेंडमेंट की ताईद में खड़ा हुआ हूं। जनाब वाला writ की फीस को इस कदर बढ़ा देना 20 गुणा या दस गुणा कर देना इस बात का इज़हार करता है कि हकूमत इस बात पर तुली हुई है कि लोगों को इनसाफ हासल न हो सके । (विरोधी दल की तरफ से तालियां ।)

(एक आवाज़ : आप से यही उम्मीद थी ।) अब आप हंस रहे हो फिर रोइयेगा मत । तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि गरीब आदमी के लिए अजीब सूरते हालात पैदा हो जाते हैं जब उसे नीचे से इन्साफ नहीं मिलता । मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करता हूं जो मेरे नोटिस में आई है । एक शख्स का पुलिस ने चालान अदालत में पेश किया तो जब उसे ज़मानत पर रिहा करने का सवाल पैदा हुआ तो पुलिस कहने लगी कि जनाब इसके खिलाफ बहुत कुछ है इसे ज़मानत पर रिहा न किया जाए लेकिन जब अगले रोज़ उस मुलज़म का वकील मैजिस्ट्रेट साहिब की अदालत में पहुंचा तो उसे फौरन ज़मानत पर रिहा कर दिया गया । कुछ लोग इस सिलसिले में मेरे पास आये और कहने लगे कि writ petition हाई कोर्ट में दायर कर दो तो writ का नाम लेते ही वह अपने घर आ गया । मेरे कहने का मुद्दा, डिप्टी स्पीकर साहिब यह है कि सिवाए writ petitions दायर करने के गरीब को इन्साफ नहीं मल सकता । Writ से तो हकूमत भी कांपती है । दरअसल यह सब कुछ इस मकसद के लिए किया जा रहा है कि writ petitions ज्यादा न दायर की जा सकें । अगर यह मुद्दा है तो इस के मुतअल्लिक खातर खाह इतज़ाम कीजिए ताकि writ petitions दायर करने की नौबत न आये । लोगों को क्या मुसीबत पड़ी है कि हाई कोर्ट में दौड़े दौड़े जाएं और वकीलों को फीसें दें । उन्हें तो मजबूरी की हालत में जाना पड़ता है । वज़ीर मुतअल्लिका ने फरमाया कि writ petitions ज्यादा होने लग पड़ी हैं । और वकील अपनी फीसें लिए जाते हैं । जो लोग वकालत का पेशा अख्तियार किये बैठे हैं वे तो अपना काम ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही लेकिन अगर सरकार समझती है कि यह नाकारा फिरका है तो इस नाकारा फिर्के को अलग कर दीजिए और कह दीजिए कि वकील न रहें । म्युनिसिपल कमेटियों की मिसाल आप के सामने है और आप जानते हैं कि जो writ petitions लोगों की तरफसे हाई कोर्ट में दार की गई वह मंजूर हुई हैं । उन्होंने यह writ petitions मजबूर होकर कीं जब उन के पास कोई और चारा-ए-कार बाकी न था ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन्होंने writ petitions पर court fees में इज़ाफा कर के 50 रुपये कर दिया है। यह writ petitions अमूमन स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होती हैं इस तरह से जो खर्चा पड़ेगा वह भी 50 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट को अदा करना पड़ेगा। यह वह बात हुई कि चले थे रोज़े बख्शवाने लेकिन नमाज़ गले पड़ी। Writ petitions ज्यादा मंजूर होने से यह सारा खर्चा भी गवर्नमेंट को बरदाश्त करना पड़ेगा और इस खर्चे में 50 रुपये कोर्ट फीस के भी शामिल कर लिए जाएंगे। मैं तो डिप्टी स्पीकर साहिब गवर्नमेंट को यह कहता हूं कि क्यों वह लोगों को इनसाफ हासिल करने के रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहती है एक तरफ तो हमारी गवर्नमेंट सस्ते इनसाफ की बातें करती है दूसरी तरफ यह दावा करती है कि ऐसा कानून पहले ही दूसरी स्टेटों में मौजूद है। डिप्टी स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि इस साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया हालांकि दूसरी स्टेटों ने कई टैक्सों का इज़ाफा किया है। तो क्या इस वजह से कि दूसरी स्टेटों ने नये टैक्स लगाए हैं इसलिए यह भी ज़रूर लगाने चाहिएं। इस ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर यहां नए टैक्स भी लोगों पर ठोंस देने चाहिएं थे। हम इस बात के कतअन ज़िम्मेदार नहीं हैं कि दूसरी स्टेटों में क्या हो रहा है। हमें तो अपनी स्टेट से वास्ता है। हम नहीं चाहते कि हमारी स्टेट में इस तरह का कानून पास किया जाए जिस की वजह से लोग सस्ता इनसाफ हासिल न कर सकें। पांच रुपये का कोर्ट फीस निहायत मुनासिब था और इस हिसाब से 40 करोड़ रुपये के बजट में 65 हज़ार रुपये के करीब गवर्नमेंट को आमदन हुई है। ज्ञानी जी खुदा के फिज़ले-कर्म से वज़ीर इंचार्ज हैं और उन का दायरा एहबाब बहुत वसीह है। फर्ज़ कीजिए कि मैं म्युनिसिपल कमेटी की election के लिए खड़ा होता हूं और मेरे मुकाबले में एक ऐसा शख्स होता है जिसे ज्ञानी जी की support हासिल है। यह अपना वसीह असरो रसूख इस्तेमाल करते हैं जिस के नतीजे के तौर पर मुझे नाकामयाबी हासिल होती है। मेरे पास तो पैसा नहीं होता कि मैं writ दायर कर सकूं। चन्दे वगैरह तो ज्ञानी जी को ही मिल सकते हैं। हमें तो मिलते नहीं। हां मजबूरी की हालत में अगर कोई मदद कर दे तो अलहदा बात है। अगर मेरे पास writ दायर करने के लिए पैसे नहीं तो मुझे इनसाफ कैसे हासिल हो सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप बिल की क्लाज़ पर बोल रहे हैं [Is the hon. Member speaking on the clause of the Bill.]

खान अब्दुल गफ्फार खां : मैं जनाब वाला सरदार उमराओ सिंह साहिब की amendment पर बोल रहा हूं और कहना चाहता हूं कि जो दलीलें मिनिस्टर साहिब ने दी हैं वह ग़लत हैं। This is what I am saying.

Mr. Deputy Speaker : Are you Speaking against the clause or in favour of it ?

Khan Abdul Ghaffar Khan : I am supporting the amendment moved by my hon. friend Sardar Umrao Singh. डिप्टी स्पीकर साहिब, त्वारीख में अदले जहांगीर का ज़िक्र आता है हमारे बुज़ुर्ग नेता महात्मा गांधी जी भी अदले

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[खान अब्दुल गफ्फार खां]

जहांगीर का ज़िक्र किया करते थे और कहते थे कि उस की मिसाल यहां भी कायम होनी चाहिए । क्या यह History की बातें तमाम की तमाम ग़लत हैं । क्या यह इनसाफ के चर्चे ग़लत हैं कि घड़ियाल की चोट सुनने से ही बादशाह सलामत खुद फरयाद की पुकार सुनने पर आमादा हो जाते थे और लोगों को पूरा इनसाफ मिलता था । इस लिए यहां पर ज्ञानी जी को वही मिसाल पैदा करनी चाहिए लेकिन हम आज क्या देख रहे हैं । ज्ञानी जी आज एक बड़ा भारी पत्थर पब्लिक पर फेंक रहे हैं । अगर हमारी गवर्नमेंट इस हरकत से बाज नहीं आना चाहती या किसी वजह से adamant है तो खुदारा उसे सरदार उमराओ सिंह की amendment को मान लेना चाहिए । 20 रुपये का कोर्ट फीस भी मुश्किल से लोग चस्पां कर सकेंगे । हमारी गवर्नमेंट इनसाफ को ज्यादा से ज्यादा महंगा बनाने की कोशिश कर रही है । ये बीस रुपये भी लोग नहीं दे सकते । कहां हैं पहली सी बातें ? लोग राजाओं के पास जाते थे, बादशाहों के पास जाते थे तो उन को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था । लेकिन उनको इनसाफ मिलता था । क्या हिस्टरी की ये बातें गलत हैं ? महाराजाओं के पास जाते थे और उन का धेला खर्च नहीं होता था जनाब वाला, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरदार उमराओ सिंह की amendment को मान लें । मैं तो चाहता था कि सरदार उमराओ सिंह की amendment में भी कोई amendment पेश करता लेकिन at this stage नहीं कर सकता । उस वक्त मैं हाज़िर नहीं था । मजबूरन most reluctantly उस को मानता हूं और वज़ीर साहिब ने जो भारी पत्थर फेंका है तोबह ! तोबह !! अगर आप individually लोगों से पूछें तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पच्चास रुपये के हक में राए दें । इन अल्फाज़ के साथ मैं सरदार उमराओ सिंह की amendment की ताईद करता हूं ।

चौधरी श्री चन्द (बहादुर गढ़) : डिप्टी स्पीकर साहिब, सब से बड़ी argument यह दी जाती है कि इन्साफ महंगा हो जाएगा और जिन लोगों को इनसाफ मिलना चाहिए उन को इन्साफ नहीं मिलेगा । जहां तक criminal writ का सवाल है उस के लिए तो कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया । जो लोग civil writ कर के अपना right लेना चाहते हैं उन को 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे । लेकिन जब कोई writ कर के अपना right लेना चाहता है तो उस के लिए उस को वकील भी करना पड़ता है । हिन्दोस्तान में कोई ऐसी individual court नहीं मेरा ख्याल है दूसरे मुल्कों में भी जो ज़रूरी समझे कि civil writ करने के लिये टेक्स देना चाहिये । इस बिल में नहीं, कहीं नहीं लिखा कि किसी आदमी के खिलाफ कोई criminal case में writ करना है तो ज्यादा tax देना पड़ेगा यह कहीं नहीं लिखा । अब सवाल यह है कि Municipal Committee का मेम्बर न बने या वहां से हटा दिया गया है तो वह civil writ करेगा । कोई Assembly का मेम्बर नहीं बना तो उस को writ करना है इस के इलावा और कोई civil writ है तो उस के लिए पैसे बढ़ा दिए गए हैं । मैं इत्तफाक नहीं करता कि इतना ज्यादा रुपया बढ़ा दिया जाए । दो रुपये से बढ़ा कर पचास रुपये कर देना बहुत ज्यादा मालूम होता है । सरदार उमराओ सिंह की amendment से मैं इत्तफाक करता हूं लोगों को मुफ्त में writ करना होता है तो वह खाहमखाह कर देते हैं । कई लोगों को सलाह

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

देने की मर्जी होती है वे कहते हैं कि कौन से पैसे लगते हैं कर दो writ हाई कोर्ट में, दे दो अर्ज़ी चण्डीगढ़ में आए हो; मिनिस्टर साहिब से भी मिल लो और अर्ज़ी भी डालते जाओ कौनसा खर्च करना है। अगर इस तरह से दो रुपये से 50 रुपये तक टैक्स बढ़ने लगे तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं तो वैसे भी इसे गुनाह बेलज्जत समझता हूं क्योंकि इस से कौन सा revenue आने वाला है साल भर में कहीं पंजाब में हज़ार या 800 writ हो जाएंगे। इस रकम से तो मिनिस्टर साहिब की एक मोटर भी नहीं आ सकेगी। इसलिये मेरा ख्याल है कि दोनो पार्टियों की ज़िद्द रह जाएगी अगर 20 रुपये पर फैसला हो जाए।

श्री सुमेर सिंह (हसनपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जो amendment सरदार उमराओ-सिंह ने पेश की है मैं उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो grounds ज्ञानी जी ने पेश किये हैं मैं उन में कोई वज़न नहीं देखता हूं। writ वहां करने की ज़रूरत होती है जहां पर और कोई remedy बाकी न हो, दीवानी दावा न हो सकता हो। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग हाई कोर्ट में writ करने के लिए न जाएं क्योंकि 50 प्रतिशत मंजूर Writ हो जाती है और फैसले गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज़, वज़ीर साहिबान के और दूसरे कर्मचारियों के फैसलों के खिलाफ होते हैं। जहां पर कोई और remedy न हो वहां पर writ किया जाता है। अगर ज्ञानी जी यह कहते हैं कि 50 रुपये court fee लगेगी तो फिर साथ ही साथ उन को यह भी कहना चाहिये कि जो आदमी writ करेगा उस को वकील सरकारी तौर पर मुफत मिलेगा। सरकार ने यह कदम इस लिए उठाया है कि सरकार की जो कमज़ोरियां हैं वे ज़ाहिर न हों। Justice cheap होना चाहिये और ठीक होना चाहिए यह तभी हो सकता है जब कि जो अदालत इनसाफ करने वाली हैं उन को डर हो कि हमारे फैसलों के खिलाफ writ हो जाएगी इस लिये सोच समझ कर फैसला करें। अगर उन को डर नहीं होगा और वे यह ख्याल करेंगे कि गरीब आदमी है यह इतना खर्चा कर के हाई कोर्ट में नहीं जा सकेगा तो वह जो मर्ज़ी होगी करेंगी। जैसा चाहेगी हुकम दे देंगी। इस लिए मैं इल्तजा करूंगा कि अगर ज्ञानी जी इसे वापस नहीं लेना चाहते तो जो amendment सरदार उमराओ सिंह ने पेश की है इस को मंजूर कर लें। वरना ग़रीबों को इनसाफ नहीं मिलेगा। पैसे वाला आदमी तो हर जगह इनसाफ खरीद लेता है अगर गरीब लोगों को भी इनसाफ देना चाहते हो तो court fee कम से कम लगाओ ताकि वे हकूमत के अफसरों के खिलाफ writ high court में कर सकें। इस से नेक नामी आप मिलेगी अगर आप ने नेकनामी लेनी है तो जल्दी से जल्दी उन को सस्ता इनसाफ देने का प्रबन्ध करें। इन अल्फाज़ के साथ मैं सरदार उमराओ सिंह की amendment की ताईद करता हूं।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ court fee ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ court-fee ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ argue ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਪਰ ਕੁਝ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]
ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ buildings ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਡੇ ਵਡੇ ਜੱਜ ਰਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਐਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਇਕ ਫੀਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਨਸਾਫ ਤਦ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ system ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ maintain ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗਾਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਨ 1957 ਦੇ Calander Year ਵਿਚ 1,300 ਦੇ ਕਰੀਬ writ petitions ਹੋਈਆਂ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਹਰੀਜਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ writ petitions ਕੀਤੀਆਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ (ਆਵਾਜ਼ਾਂ: 500 ਹਨ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਬਹਿਸ ਚਲੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਕਿਥੇ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਲ ਚਲੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸਨ । ਇਕ ਜਣਾਂ ਦੋ ਕਦਮ ਇਧਰ, ਦੋ ਕਦਮ ਓਧਰ, ਦੋ ਕਦਮ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਕੇ ਇਕ ਜਗਾਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਮਿਣ ਲਓ । ਇਹ ਉਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 500 ਅਜਿਹੀਆਂ writs ਹੋਈਆਂ । ਸੋ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰੀਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ writs ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ । ਹਾਂ, ਇਕ ਅੱਧਾ ਐਸਾ case ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ ।

श्री लाल चन्द : तो फिर हरिजनों को इस में से छोड़ दो ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਸਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਓ । ਕਿਉਂ ? ਹਰੀਜਨ ਇਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ? ਇਹ writ petitions ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਵਧੇਰੇ ਅਸਰੋ ਰਸੂਖ ਔਰ ਵਧੇਰੇ means ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਕੇ ਖੁਦ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ arguments ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ sections ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸ argument ਨੂੰ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

cut ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸੀ ਉਸ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ High Court ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ process ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ High Court ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਹ system ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ High Court ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਅਲੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ—ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ remedies ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਦ ਹੀ writ petition ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ High Court ਦੇ ਜਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ remedy open ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Writ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ High Court ਦੇ ਜਜ ਵੇਖਣ ਕਿ ਹੋਰ remedies open ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ writ ਨੂੰ reject ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ writs ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ writ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ remedies open ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ High Court ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ।

ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਗਲ ਕਹੀ ਗੁਨਾਹ ਬੇ ਲੱਜ਼ਤ ਦੀ। ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ writ ਦੀ fees 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਇਤਨੀ ਹੀ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਥੋੜੇ ਅਜਿਹੇ cases ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ Court Fee 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮਨਣ ਲਗ ਪਵੀਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ proposal ਹੈ ਕਿ writ ਵਾਸਤੇ Court fee 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਖੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਆਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਦੀ amendment ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਸਬ ਫੀਸ ਦੀ ਮੈਂ proposal ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

Sardar Umrao Singh Sir, I withdraw my amendment.

Mr. Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon' Member be allowed to withdraw his amendment ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Voices : No. No.

Voices : Yes. Yes.

The leave was refused

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

In the proposed sub-clause "(ii-A)", column 3, for "Fifty Rupees" substitute "Twenty Rupees."

(*After ascertaining the votes of the Members present by voices, Mr. Deputy Speaker said, "I think the Noes have it." This opinion was challenged. Mr. Deputy Speaker called upon those Members who challenged his opinion to rise in their places, and declared that the motion was lost*).

The motion was declared lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1 AND TITLE

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That Clause 1 and Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move :—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill be passed

ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ motion ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved :—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill, be passed.

डाक्टर बल्देव प्रकाश (अमृतसर शहर पूर्व) : डिप्टी स्पीकर साहिब, यह बिल जो पास किया जा रहा है, और इस के बारे में हाउस के सभी मैम्बरान ने अपनी राये पेश की है, मैं समझता हूं कि अगर हमारे वज़ीर साहिब को इस हाउस के मैम्बरों की राये के बारे में थोड़ा सा भी आदर होता है तो यह समझ सकते थे कि इस बारे में हाउस की राए क्या है। आखिर किसी भी बिल को हाउस के अन्दर लाने और पास कराने का यह मकसद होता है कि उस बिल के बारे में हाउस के मैम्बरों की क्या राये है और उन की भावना क्या है। सिर्फ अपनी brute majority से कोई बिल पास करवा लेना इस का नाम democracy नहीं है। Democracy का मतलब तो यह होता है कि किसी बात पर हाउस के मैम्बरों की राये

6.00 p.m.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

जाननी चाहिये और उन की भावनाओं का आदर किया जाये और जिस तरह का हाउस का मत हो उसी के मुताबिक उस को पास किया जाये । इस हाउस में सभी मेम्बरों ने चाहे वे Opposition के बैंचिस के हैं या Treasury benches के हैं जितने भी इस amending Bill पर बोले हैं उन तमाम ने इस की मुखालिफत की है। इस बिल के बारे में यदि यह कहा जाये कि इस के पास हो जाने से जनता का न्याय के लिए अदालतों की तरफ जाने का रास्ता बन्द हो जायेगा तो इस में कोई सन्देह वाली बात न होगी। इस के पास हो जाने से वाकई ही यह रास्ता बन्द हो जायेगा । हमारे मन्त्री जी ने दलील दी है कि 1957 में 1,300 writs हाई कोर्ट में हुई हैं जोकि बहुत ज्यादा हैं और इन में ऐसी writs भी हैं जिन को हाई कोर्ट के judges ने केवल इस आधार पर reject किया है कि उन के लिए अभी नीचे की अदालतों में इन्साफ के लिए जाना था लेकिन वे नहीं गये थे। लेकिन वह यह बात भूल जाते हैं कि हाई कोर्ट ने इन 1,300 cases में से बहुत से cases में यह फैसला दिया है कि writ करने की उन की बात ठीक थी और उन cases में High court ने गवर्नमेंट के विरुद्ध फैसला दिया है । तो मैं समझता हूं कि writ ही एक ऐसा रास्ता है जिस के ज़रिये जनता न्याय प्राप्त करने के लिये हाई कोर्ट में जा सकती है। इसलिये यह कह देना कि एक साल में 1,300 writs हुए यह किसी बात की पुष्टि नहीं करता। हो सकता है कि 1,300 writs जो वहां हुए हैं उन में से एक हज़ार आदमी ऐसे हों जो वहां से इन्साफ ले आये हों। इस लिए अगर हम यह बिल पास कर देते हैं तो हम उन के इस रास्ते को बन्द कर देंगे ।

दूसरी बात जो मंत्री महोदय ने कही है वह यह है कि केवल अमीर लोग ही writs का फायदा उठाते हैं। यह गलत बात है। यह बात आम देखने में आई है कि सभी लोग writs का फायदा उठाते हैं। चपड़ासी उठाते हैं, Head Constable उठाते हैं और गरीब क्लर्क उठाते हैं। इस का फायदा या Municipal कमेटियों के मेम्बरान उठा सकते हैं क्योंकि कई ऐसी 2 कमेटियां भी हैं जिन की आबादी कुल पांच हज़ार होती है और यह ज़रूरी नहीं कि उन के सारे मेम्बरान लखपति हों। वे इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं । गर्ज़ कि यह जो civil writ का right जिन लोगों को हमारे विधान द्वारा मिला हुआ है वे सब इस का फायदा उठा सकते हां हैं या तो मंत्री महोदय इस बात की सारी figures सदन के सामने रखते कि यह जो 1,300 writs 1957 में हुए इन में से lower तबका के लोगों के कितने हुए और पूंजीपतियों जिन को capitalists कहा जाता है जिन की एक हज़ार या दो हज़ार या इस से ज़्यादा रुपये मासिक आमदनी हो उन के कितने हुए हैं। लेकिन केवल number of writs बता देने से और यह कहने से कि writs का नम्बर क्योंकि बहुत ज्यादा है इस लिये इस right का misuse होता है कोई ठीक बात नहीं । केवल नम्बर इस के misuse की indication नहीं है। जब तक यहां कैरों शाही चलती है और लोगों के साथ अत्याचार होंगे और उन को और कहीं भी न्याय के मिलने की आशा नहीं हो सकती तो आम लोगों के लिए सिवाये writ के और कौनसा chennel रह जाता है जहां उन्हें इन्साफ मिल सकता हो। आज हाई कोर्ट के सिवाये उन्हें और कहीं भी इन्साफ नहीं मिल सकता।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

यदि writ करने के लिए लोगों को हाई कोर्ट में वकीलों की बड़ी २ फीसें न देनी पड़तीं तो जिस तरह की हकूमत आज पंजाब के अन्दर चल रही है यह writs की गिनती 13 सौ की बजाये कहीं ज्यादा होती। लेकिन फिर भी अब पंजाब सरकार की यह कोशिश है कि यह 1,300 की गुंजायश भी न रह सके। डिप्टी स्पीकर साहिब, मंत्री महोदय ने कहा है कि हाई कोर्ट की इतनी बड़ी इमारत बनी हुई है और हाई कोर्ट के जजों को इतनी बड़ी तनखाहें देनी पड़ती हैं और जिस प्रकार का यह सारा ढांचा बना हुआ है और वकील वहां जिस प्रकार के सूट-बूट पहन कर आते हैं और लोग वहां इन्साफ हासिल करने के लिए आते हैं यह तरीका बहुत देर से चला आ रहा है। इस चीज़ को justify करने के लिए यह कोई दलील नहीं है। जिस पार्टी की हमारी गवर्नमेंट है वह चाहती है कि लोगों को इन्साफ सस्ता मिले। पण्डित जवाहर लाल नेहरू public meetings में बार बार कह चुके हैं कि देश के नागरिकों को न्याय सस्ता मिलना चाहिये। इसी तरह से जनता के सारे नुमायंदे यही कहते हैं तो उन सब का मतलब यही है कि किसी न किसी तरीके से जनता को न्याय प्राप्त करने के लिए सुविधा दी जाये। लेकिन इस की आड़ में यह बात कहना कि यह तरीका पुराना चल रहा है इसी लिए इन्होंने यह रु० 2.65 नये पैसे की जगह पर 50 रुपये कर दिये हैं। सुविधा देने के स्थान पर इस तरह से उन पर और ज्यादा बोझ डाल दिया है और यह इस लिए क्योंकि हाईकोर्ट की इमारत बहुत बड़ी खड़ी की हुई है, इस पर लाखों रुपये खर्च किये गए हैं, बड़े २ पानी के tank वहां बनाये गये हैं और जजों के कमरों में बड़े २ कीमती पर्दे लटकाये गये हैं। इस लिए जो गरीब किसान हैं और जो गरीब चपड़ासी हैं उन को writ द्वारा न्याय प्राप्त करने के लिए रु० 2.65 की बजाये 50 रुपये देने चाहियें। यह कोई दलील नहीं है। यह कोई logical बात नहीं है। हालांकि चाहिए तो यह कि हम इस सारे ढांचे को बदलें। लेकिन ढांचे को बदलने का काम Opposition का तो नहीं है। यह तो सरकार का काम है। यदि हाई कोर्ट की building पर ज्यादा खर्च कर दिया गया है तो इस का मतलब यह नहीं हो जाता कि जनता को इन्साफ सस्ता न दिया जाये। अगर इस चीज़ को सरकार नहीं दे सकती तो यह किस तरह की सरकार है। हमारे प्रधान मंत्री बार बार कहते हैं कि जनता को इन्साफ सस्ता मिले और यह बात वह public meetings में कहते हैं लेकिन हमारी यह सरकार Stamp Act को amend कर के stamp duty को बढ़ा रही है....

श्री उपाध्यक्ष : आप relevant नहीं हैं। यह Stamp Act नहीं है जो amend हो रहा है। यह तो Court Fees Bill है। (The hon. Member is not relevant. It is the Court Fees (Punjab Amendment) Bill and not the Stamp Act which is being amended.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिब, Stamp Act गलती से मेरे मुंह से निकल गया है। मेरा मतलब court fees बिल से था। मैं एक बात और कह कर अपनी जगह ले लूंगा।

हमारी सरकार एक बात को लेकर आज खड़ी हुई है कि इस ने देश के अन्दर जमहूरियत का तजरुबा करना है और इस के लिये सब से ज़रूरी बात यह है कि देश के अन्दर हरेक नागरिक को इन्साफ सस्ता मिलना चाहिए और यह इस लिए ज़रूरी है क्योंकि democracy के

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

अन्दर power का misuse होता है और देश का नागरिक इसके misuse की constitutional remedies seek करनी चाहता है। इस के रास्ते में कोई दीवार खड़ी नहीं होनी चाहिये। अगर सरकार इन्साफ का नाम लेकर इस के रास्ते में दीवार खड़ी करती है तो यह जम्हूरियत को develop नहीं कर रही। यह तो एक ऐसी अवस्था पैदा कर रही है जिस से यह जम्हूरियत चल ही नहीं सकती। मंत्री महोदय को इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि democracy में power के misuse को रोकने का अगर कोई तरीका है तो वह केवल writ का ही तरीका है क्या सरकार यह court fees बढ़ा कर एक ऐसा तरीका बना रही है जिस को देख कर एक छोटे से छोटा आदमी भी यह महसूस करे कि अगर उस के साथ इन्साफ नहीं हो रहा तो वह हाई कोर्ट में जा कर न्याय की मांग कर ले ? नहीं इस से ऐसी बात नहीं होगी। फिर तो सरकार का सब से पहला फर्ज़ हो जाता है कि अगर जम्हूरियत में किसी के साथ अत्याचार होता है तो यह उस के लिए न्याय प्राप्त करने के लिये हाई कोर्ट का रास्ता खुला रखे ताकि वह वहां के जजों से इन्साफ हासिल कर सके। अगर यह जम्हूरियत को ऊंचा उठाये रखना चाहती है तो इसे यह रास्ता खुला रखना होगा। मगर इस ने तो यह court fees बढ़ा कर अदालतों के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर दी है क्योंकि अब एक व्यक्ति को High Court में writ दायर करने के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे। फिर डिप्टी स्पीकर साहिब, जब हम हिन्दुस्तान के अन्दर democracy कायम करने जा रहे हैं तो यह चीज़ उस के विरुद्ध जाती है। यह चीज़ तो dictatorship की तरफ ले जायेगी क्योंकि जब ऐसे rule में जनता जब तंग आयेगी, उसे constitutional remedies नहीं मिलेंगी क्योंकि उस के लिये अदालतों के दरवाज़े बन्द हो जायेंगे तो फिर जनता चुप नहीं बैठेगी। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि इस के इन तरीकों पर जनता चुप नहीं बैठेगी। इस लिये अगर आप सारे हिन्दुस्तान के अन्दर democratic तरीका की हकूमत कायम रखना चाहते हैं तो आप जनता के हकूक से खेलने की कोशिश न करें और उन के हकूक को दबायें नहीं, नहीं तो सरकार के लिए democracy को चलाना भी मुश्किल हो जायेगा।

चौधरी इन्द्र सिंह (जींद जनरल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो दलायल पहले यहां दिए जा चुके हैं वह मैं दुहराऊंगा नहीं। ज्ञानी जी ने अभी एक बात कही जिस का कि जवाब नहीं दिया गया। इन्हों ने कहा कि writ वह ज़रिया है जो किसी शख्स को तमाम civil remedies exhaust करने के बाद मिलता है। मैं कहता हूं यही दलील आप के खिलाफ जाती है। जो आदमी तमाम civil remedies पर अपना रुपया खर्च कर के जेब खाली कर बैठा है उस को इन्साफ हासिल करने के इस आखरी हथियार पर ज़्यादा फीस लगाने के लिए कहना उस के लिए इन्साफ का दरवाज़ा बन्द करने के बराबर है। इन्साफ तो सस्ता होना चाहिए। फिर आप की इस दलील में कुछ वज़न होता अगर यह पहला ही हथियार होता मगर writ तो तब किया जाता है जब तमाम civil remedies exhaust हो चुकी हों। इस लिए मैं समझता हूं कि इस फीस को $2\frac{1}{2}$ रुपये से बढ़ा कर 50 रुपए करने पर जितनी नुक्ताचीनी House में सरकार की हुई है वह दुरुस्त हुई है। यह मैं इस लिए कहता हूं कि जब कोई civil servant writ करता है तो उसे अपना case defend करने के लिए सैंकड़ों हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, वकीलों को फीस देनी होती है, नकूल हासिल करनी होती

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[चौधरी इन्द्र सिंह]

ह, circulars वगैरह इकट्ठे करने होते हैं। इस तरह case complete होने पर writ होता है। इसी तरह अगर किसी का salary का मामला हो तो वह court में जाता है। वहां पर सारी किस्म का खर्च करने के बावजूद जब उस को इन्साफ नहीं मिलता तब writ करता है। ऐसे cases अक्सर देखने में आते हैं कि उन के writ करने के लिए पैसा ही नहीं रहता। इन हालात में इस फीस को 50 रु० कर देना बहुत ज्यादती है। इन्होंने 1957 में writs की तादाद 1,300 बताई है। मैं कहता हूं यह कोई ज्यादा गिनती नहीं है। लोग तो खुद ही महसूस करते हैं कि चूंकि इस की फीस $2\frac{1}{2}$ रुपए है इस लिए इस का misuse नहीं होना चाहिए और बड़े ही sensible तरीके से इस को इस्तेमाल करते हैं जब देखते हैं कि इन्साफ के और दरवाजे बन्द हो गए हैं। इस बात की दलील देना कि $2\frac{1}{2}$ रुपए से 50 रुपए कर देने से writ कम हो जायेंगे गलत बात है। Writ petitions की यह तादाद तो पहले ही ज़ाहिर करतीहै कि लोग इन्साफ-पसन्द हैं और इस का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करते। इस लिए वज़ीर साहिब की दोनों ही दलीलें इस Bill के खिलाफ जाती हैं। फिर इस फीस को बढ़ाने की justification देते हैं कि High Court की building खड़ी की, पर्दे लगाए हैं, जजों की तनखाहें हैं, furniture हैं वगैरह २। हमारी Constitution में यह directive principles दिए हैं कि इन्साफ सस्ता हो, speedy हो, सब की approach में हो। अगर आप इन को अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो इतनी बड़ी २ कोठियों की ज़रूरत नहीं। पुराने ज़माने में लोगों को इन्साफ दरख्तों और कुटियों की छतों के नीचे मिला करता था। यह क्या justification है? पर्दे भी तो खुद इन्होंने ही लटकाएहैं। जजों की तादाद पिछले दो सालों में अगर दुगनी से भी ज्यादा हो गई है तो यह किस की ज़िम्मेदारी है। इस के बावजूद लोगों को इन्साफ नहीं मिलता और जल्दी नहीं मिलता, सस्ता नहीं मिलता। अगर सस्ता कुछ मिल सकता था तो उस को अब महंगा किया जा रहा है। अगर यह दलील देते कि लोग frivolous litigation करते हैं, उस को check करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तब तो माना जा सकता था मगर ऐसी बात तो ज़ाहिर नहीं होती figures से। यह इन्साफ हासिल करने की extreme form है। मिसाल के तौर पर जनाब Legislature में you are the highest authority। अगर आप के सामने तजवीज़ पेश करने के लिए 100 रुपए फीस लगा दी जाए तो हर मेम्बर के लिए नामुमकिन होगा कि 100 रुपए अदा कर सके। जो आखिरी stage है, that should be the cheapest. यह बात हमेशा रही है, मुगल बादशाहों के राज में भी और राजाओं के राज में भी जिन को कि हम feudal कहते हैं। Viceroys और Council of Regency के वक्त में भी इन्साफ सस्ता था। यहां सिर्फ $2\frac{1}{2}$ रुपए की ही बात नहीं थी। Typing Section हैं, कागज़ात हैं और दूसरे लवाज़मात और खर्च भी हैं, वकीलों की फीस भी है। इस तरह priliminaries पर ही सैंकड़ों रुपया खर्च हो जाता है। इस लिए $2\frac{1}{2}$ रुपये की बजाए 50 रुपए के टिकट का बोझ डालना नामुनासब है। और जो 50,000 रुपए की आमदनी बताई गई है, उस में तो आप की एक feast भी नहीं होती, साल भर का T.A. भी नहीं होता। यह revenue इकट्ठा करने का तरीका गलत है। अगर आप को State की तामीर के लिए रुपया चाहिए तो ऐसे ज़रिए इस्तेमाल

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

करें कि वसूली भी हो जाए और लोगों को महसूस भी न हो। उस पर हमें एतराज नहीं। मगर this has no justification at all कि 1,300 writs हुई हैं इस लिए फीस बढ़ा रहे हैं। इस को वापस ही ले लें तो बेहतर होगा। वरना इसका उल्टा असर होगा चाहे limited पैमाने पर ही पड़े। मगर इस का psychological असर लोगों पर यह होगा कि Constitution में जो directive drinciples हैं सरकार उन के against जाती है और उन को अमली जामा पहनाने की कोशिश नहीं करती। इस लिए मैं इस की मुखालिफत करता हूं।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिब, यह जो बिल पेश किया जा रहा है इस के जरिये से court fee जहां पर पहले 2 रुपये थी अब यह लग भग 50 कर दी गयी है। एक तरफ तो यह हो रहा है मगर अजीब बात है कि दूसरी तरफ, रोजमर्रा Ministers और Deputy Ministers और इस party से सम्बन्ध रखने वाले देश के प्रधान मंत्री वह भी जगह जगह पर यही कहते हैं कि इन्साफ सस्ता होना चाहिये। यह जो आपस की contradiction है इस का अंत कहां पर है यह ज़रा समझने की बात है। इस के मुताल्लिक मैं एक और वज़ाहत कर दूं कि एक बार एक कारटून छपा था कि जब पंडित जी House के Leader होते हैं तो वह इस किसम की बातें करते हैं कि हमारी यह schemes हैं और हम ने यह करना है। (*Interruption*)

Mr. Deputy Speaker : Order please. This is the 3rd reading of the Bill and the hon. Member should advance arguments only for or against the Bill.

श्री बलराम दास टंडन : जनाब मैं भी उसी बात पर आ रहा हूं। साथ ही दूसरी यह photo भी दिखाई गई है कि वह जो कुछ बोलते हैं वह opposition की भाषा बोलते हैं। यह होना चाहिये वह होना चाहिये। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आखिर यह पूछते हैं किस को। आप के हाथ में Assemblies हैं, Parliaments हैं आप जो चाहें कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता। वह चाहें तो इस में कोई संशोधन ला सकते हैं या अगर कोई ठीक रास्ता निकलता हो तो वह इसे ला सकते हैं मगर अजीब बात है कि वह ऐसा नहीं करते बल्कि opposition की भाषा बोलते हैं। यही हाल Ministers का है, यहां पर खड़े हो कर वे कहते हैं कि इन्साफ सस्ता होना चाहिए मगर इनसाफ महंगा और दिन बदिन महंगा किया जा रहा है। सरकार जनता के अंदर जाकर कहती है कि Government यह काम करना चाहती है मगर जो काम होता है वह उस के खिलाफ ही होता है। आखिर यह opposition की भाषा बोलते क्यों हैं? जबकि यह कोई भी बात करना चाहें वे कर सकते हैं। कोई ठीक बात न हो तो Legislation ला कर Amendment भी ला सकते हैं। अगर वह Court फीस बढ़ाते हैं इस से तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता मगर सवाल तो असूल का है कि Government कहती क्या है और करती क्या है। इस की इस तरह की बातों से धोखा नज़र आता है। चाहिये तो यह था कि हम इन्साफ सस्ता करने के लिए जो कुछ भी बन पड़े करें मगर हम करते इस के उलट हैं। जहां fees देने का सवाल

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री बलराम दास टंडन]
आता है हमें चाहिये तो यह था कि हम जहां कम से कम fees charge करने की सोचें वहां हम वकीलों पर भी कोई पाबन्दी लगाने की सोचें कि कम से कम fees लगाई जायें, वह भी ज्यादा fees न charge कर सकें। आखिर जितने अखराजात गरीब आदमी के कम होंगे इस से ही उन की भलाई हो सकती है। सरकार के हाथ में इतनी Administrative power होने के बावजूद अगर वह कोई काम नहीं कर पाये हैं तो इस की भी अगर कोई जिम्मेदारी आती है तो सरकार पर ही है। अंग्रेज़ों के वक्त में हम जनता से कहा करते थे कि हम इन्साफ सस्ता करेंगे मगर आज सस्ते की बजाये यह महंगा होता जा रहा है। आज भी हम यही कहते हैं मगर कोशिश महंगाई को बढ़ाये जाने की की जा रही है। Court fee बढ़ा कर 2 से 50 रुपये कर दी गई है जोकि सरकार के हाथ की बात है, यह कम भी की जा सकती थी, अगर यह इन्साफ सस्ता करना चाहते।

इस के इलावा अजीब बात यह है कि यह कहते हैं कि इस से 50—60 हज़ार की आमदन होगी। एक तरफ तो इतनी थोड़ी सी आमदन पर इतनी public पर बोझ डाला जा रहा है दूसरी तरफ सेठी जैसे वकील को 60,000 रुपये बतौर fees के दे दिया जाता है। अगर आमदन करने का सवाल है तो खर्च पर control हो या आमदन के भी और साधन हो सकते हैं। मगर यह तो एक गुनाह बे लज्ज़त है जो किया जा रहा है। (*Interruption*)

श्री उपाध्यक्ष : तरीका यह है कि आप किसी Hon'ble Member की argument को contradict करें। आप अपनी बात को ही repeat करते जाते हैं। This is against the rules and I draw your attention to the relevant rules. (The procedure is that the hon. Member should contradict the arguments of other Members. But he continues to repeat his own arguments. This is against the rules and I draw his attention to the relevant rules)

श्री बलराम दास टंडन : मैं तो जो कुछ Minister साहिब ने कहा है उस का जवाब दे रहा हूँ।

Chaudhri Dharam Singh Rathi : He is meeting out the argument, Sir.

श्री बलराम दास टंडन : यह तो, जनाब, जो बातें Ministers और Members ने कीं उन का जवाब है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बात को ध्यान में रखें कि इस वक्त 3rd reading हो रही है। Rules यह हैं कि आप अपनी arguments repeat नहीं करेंगे, हां दूसरे की argument को contradict कर सकते हैं। (The hon. Member may bear this in mind that this is the third reading of the Bill. The rules do not permit him to repeat his arguments. He can, however, rebut others arguments.)

श्री बलराम दास टंडन : दर असल असूल की बात यह है कि अगर जितनी आमदन करने को यह कहते हैं अगर यह इन को मिल भी जाये तो दूसरी तरफ यह इतनी फज़ूल खर्ची करते हैं

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

कि इस का कोई लाभ ही नहीं होता। हाल ही में हम ने 1,30,00,00,000 का खर्च का बजट पास किया है। आप ही अंदाज़ा लगायें कि यह आमदन इस खर्च का कितना हिस्सा होगी जिस के लिए यह बिल लाया गया है। यह हम समझ नहीं सके हैं कि हम किस तरीके से इस देश का प्रबन्ध करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इन्साफ मिले मगर इस की बजाये हमें तो रुकावटें नज़र आती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बातें तो बिल की 1st reading के अंदर आनी चाहियें थीं। यह अब नहीं आनी चाहियें। (These facts should have been mentioned at the first reading of the Bill. These should be avoided at this stage.)

श्री बलराम दास टंडन : मैं, जनाब एक point है जो आप के गोश गुज़ार करना चाहता हूं। आज जो कानून बनते हैं इन में बहुत से कानून ऐसे हैं जिन में jurisdiction of court is barred। जो कचहरियों के रास्ते बन्द करते हैं। यह अजीब बात है कि Administration जो आज हम run कर रहे हैं इस में बड़ी रुकावटें आ रही हैं और जब किसी से बेइनसाफी होती है तो उस के लिए सिवाय writ के और कोई रास्ता नहीं रह जाता। अवाम इन्साफ की मांग करते हैं High Court के दरवाज़े खटखटाते हैं। मगर आज जो हम कहते थे कि इन्साफ सस्ता मिलेगा हम उस के उलट करना चाहते हैं, इन्साफ महंगा बना रहे हैं। इस लिए डिप्टी स्पीकर साहिब मैं आप की मारफत Minister साहिब से यह कहना चाहता हूँ कि वह अगर democracy को चलाना चाहते हैं तो वह दूसरे मुल्कों की तरफ देखें जहां democracy को run करने के लिये इनसाफ को democracy का pillar समझा जाता है। आज हम democracy को dictatorship के तराज़ू पर तोलना चाहते हैं। हमें चाहिए कि इन्साफ के रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाये या उन्हें कम से कम किया जाये। मगर इस तरह के तरीके अख्तियार कर के समझ नहीं आता कि हिन्दुस्तान की सरकार किधर जाना चाहती है।

Mr. Deputy Speaker: Minister for Revenue will now reply to the debate.

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, democracy ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਖੇ ਹਨ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : On a point of order, Sir. अब $6\frac{1}{2}$ बजे का time हो गया है। यह चीज़ कल भी discuss हो सकती है। इस लिए अब House adjourn होना चाहिए। क्योंकि इस समय तक की तो extension भी नहीं मांगी गई थी।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । (*Interruptions*)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : यह extension जनाब इन्हें 6½ बजे से पहले मांगनी चाहिए थी अब तो टाइम हो गया है ।

Mr. Deputy Speaker Very well. The House stands adjourned till 2 p. m. tomorrow.

(*The Sabha then adjourned till 2 p. m. on Wednesday, the 20th April, 1960.*)

8968 PVS—349—3-10-60—C.,P. & S., Pb., Chandigarh.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ANNEXURE A

(*See foot note on page (32)40 of this debate, dated 19th April, 1960*)

SALES TAX PAID BY BRICK-KILN OWNERS IN THE STATE

2485. Shri Ram Chandra Comrade : Will the Minister for Finance be pleased to state the amount of sales tax paid by each brick-kiln owner in the State during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-60 up-to-date?

Dr. Gopi Chand Bhargave : It is regretted that the above information asked for cannot be supplied because it will divulge the business secrets of the brick-kiln owners and the benefit to be achieved by supplying it will not be commensurate with the time and labour involved in collecting it. If the hon. Member wants information about any particular individual, it will be supplied but it will be implied that he will keep it confidential.

BANJAR LAND GIVEN TO HARIJAN FAMILIES on 20 YEAR'S LEASES IN HISSAR DISTRICT

2499. Shri Kesara Ram. Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of Harijan families who have been given Banjar Lands in Hissar District on 20 years' leases but which have become waste due to non-cultivation during the last 4/6 crops;

(b) whether any of the leases referred to in part (a) above were cancelled by the Commissioner, Ambala Division, during the period from 1957 to 1960; if so, the reasons therefor;

(c) the number of appeals against the said cancellations which are pending at present?

Giani Kartar Singh;

(a) 31 families.

(b) Nil

(c) Nil

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha Debates

20th April, 1960

VOL. I—No. 33

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 20th April, 1960

Price: Rs. 4.80 nP.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 33. DATED THE 20TH APRIL, 1960.

Read	*for*	*on Page*	*line*
January	Kanuary	(33)7	6
from	frrom	(33)7	22, col. 4
wilful	willful	(33)10	8, col. 5
Latrines	Laterines	(33)37	27
selection	sel ction.	(33)42	36
payment	paymcnt	(33)50	12th from below
Regarding	regardng	(33)50	5th from below
Answers	Ansers	(33)51	Heading
given	give	(33)51	6
However	Howefer	(33)53	11th from below
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ	ਮਾਲ ਮੰਤੀ	(33)60	14
Remembrancer	Remembrencer	(33)61	2nd from below
ascertain	a certain	(33)62	9
Mr. Deputy Speaker	Mr. Deputy Speaher	(33)65	15th from below
approval	approva	(33)73	Last
ਤਾਂ	ਤ	(33)82	19
बड़े	बड़ी	(33)89	17
discretionary	discretionery	(33)96	27
the	thec	(33)98	33
which	whi h	(33)98	34
preferential	preceding	(33)101	30
ਲੇਣੀ	ਲਣੀ	(33)102	16
clause	clausc	(33)102	28
मुखालिफत	मुकालिफत	(33)110	12

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 20th April, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh at* 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CASES REGISTERED AND ARRESTS MADE IN KARNAL DURING 1ST JULY,, 1959 TO 31ST JULY, 1959

***5451. Shri Ram Piara:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases registered in the City Police Station, Karnal during the month of July, 1959 (from 1st July, 1959 to 31st July, 1959) the names of persons against whom these were registered and the details of offences in each case;

(b) the number and names of persons arrested in connection with cases referred to in part (a) above, and the date of each arrest;

(c) the number and names of persons mentioned above who were convicted/acquitted;

(d) whether before the decisions were given in the said cases any persons involved were released on bail; if so, their names and the date of such release?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a, b, c and d.) A statement containing the requisite information is laid on the table.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

STATEMENT

Serial No.	The number of cases registered in Police Station City Karnal from 1st July, 1959 to 31st July, 1959 and the offences under which the cases were registered	Names of persons against whom the cases were registered	Names of persons arrested and the date of arrest in each case	Names of persons convicted	Names of persons discharged or acquitted	Names of persons released on bail with date whether by the Police or by the Court
	(a)		(b)	(c)		(d)
1	F.I.R. No. 122, dated 1st July, 1959, under section 363, I.P.C.	..	..	..	..	..
2	F.I.R. No. 123, dated 3rd July, 1959, under section 457/380, I.P.C.	..	..	..	..	..
3	F.I.R. No. 124, dated 9th July, 1959, under section 379, I.P.C.	Hari Singh alias Haria	Hari Singh alias Haria, on 9th July, 1959	Hari Singh alias Haria	..	..
4	F.I.R. No. 125, dated 11th July, 1959, under section 379, I.P.C.	Dalip Singh alias Muni	Dalip Singh alias Muni, on 11th 1959	..	..	Dalip Singh alias Muni (accused) released on bail by the court on 21st July, 1959
5	F.I.R. No. 126, dated 12th July, 1959 under, section 9/1/78, Opium Act	Durga Dass	Durga Dass, on 12th July, 1959	..	..	Durga Dass (accused) was released on bail from the court on 13th July, 1959
6	F.I.R. No. 127, dated 17th July, 1959, under section 379/411, I.P.C.	Hari Singh alias Haria	i. Hari Singh alias Hariaon 17th July, 1959 ii. Pehru, on 10th August, 1959	Hari Singh alias Haria		Pehru (accused) released on bail by court on 10th August, 1959

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

7	F.I.R. No. 128, dated 17th July, 1959, under section 324, I.P.C.	Autar Singh		Autar Singh, on 18th July, 1959		Autar Singh released on bail by the police on 18th July, 1959
8	F.I.R. No. 129, dated 27th July, 1959, under section, 380, I.P.C.	1. Om Parkash Lineman 2. Jaggu Ram Meter-Clerk 3. Ram Singh Mate 4. Deep Chand 5. Shiv Dayal 6. Pawan Kumar 7. Chatar Sain 8. Phul Chand 9. Ugar Sain 10. Hukam Chand 11. Brij Bhushan 12. Ram Kishan 13. Ram Singh 14. Gian Chand 15. Rajeshwar Lal 16. Rajinder Singh 17. Sukhbir Singh 18. Harbans Singh 19. Baru Mal	1. Om Parkash, on 15th August, 1959 2. Jaggu Ram, on 14th August, 1959 3. Ram Singh, Mate on, 15th August, 1959	..	..	1. Om Parkash on 29th August, 1959 by court 2. Ram Singh, on 29th August, 1959 by court 3. Deep Chand 4. Shiv Dayal 5. Pawan Kumar 6. Chatar Sain 7. Phul Chand 8. Ugar Sain 9. Hukam Chand } were granted anticipatory bail by the court on 25th September, 1959 10. Brij Bhushan 11. Ram Kishan 12. Ram Singh 13. Rajeshwar Lal, on 5th October, 1959 14. Gian Chand, on 28th September, 1959 15. Rajinder Singh, on 30th September, 1959 16. Sukhbir Singh, on 19th November, 1959 17. Harbans Singh on 5th November, 195 18. Baru Mal, on 25th September, 1959 (The accused from Sl. Nos. 13 to 18 were granted anticipatory bail by the court on the dates shown against each)
9	F.I.R. No. 130, dated 28th July, 1959, under section 379/328, I.P.C.	..	..	..	..	..
10	F.I.R. No. 131, dated 28th July, 1959, under section 9/1/78, Opium Act.	Pritam Singh	Pritam Singh on 28th July, 1959	..	..	Pritam Singh released on bail by the court on 29th July, 1959
11	F.I.R. No. 132, dated 30th July, 1959, under section 380, I.P.C.	Jagdish	Jagdish, on 30th July, 1959	..	Jagdish	Jagdish, released on bail by the court on 31st July, 1959

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : इस statement के नम्बर 8 पर जो बताया गया है कि 19 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और 18 release किए गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जो एक आदमी release नहीं किए गया उसकी क्या वजूहात हैं ?

उपमंत्री : यह case court ने deal किया है, उन्होंने ही जमानत पर रिहा किया है इस लिये गवर्नमैंट इस बारे कुछ नहीं कह सकती ।

श्री राम प्यारा : जनाब इस में 18 हजार रुपया गबन होता रहा है, यह बड़ा important सवाल है ......

Mr. Speaker: No details on it please.

CLOSING OF HOSPITAL ATTACHED TO WIDOW'S HOME, KARNAL

*5375. **Shri Ram Piara**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Hospital meant for the Widows' Home, Karnal (Mahillas Ashram Karnal) has been closed; if so, the reasons therefor;

(b) the number of inmates together with the number of their children at present in the said home?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minisrer): (a) It is not correct that the hospital attached to Women Home at Karnal, has been closed. It is, however, proposed to convert this hospital into a dispensary as is being done in the case of other Homes/Infirmaries in the State, because of a sharp decline in the number of inmates.

(b) Adults: 259; and children : 505 Total: 764.

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिबा बताएंगे कि रोहतक का Widows' Home तोड़ कर करनाल में shift किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आप wishful question न किया करें । (The hon. Member may avoid asking wishful questions)

Shri Ram Piara: Sir, I am more well-informed than the Minister.

Mr. Speaker: You may be well-informed, but actually it does not appear to be so.

DRAFT MODEL BILL FOR REGISTRATION OF PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS

*5622. **Shri Balram Dass Tandon**: Will the Chief Minister be pleased to state whether Government have received a copy of a Draft Model Bill, from the Union Government for the registration of private medical practitioners, if so,when;, and the action proposed to be taken thereon?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : Yes, a copy of the Draft Model Bill entitled 'Medical Practitioners Act' was received from the Central Government in April, 1959. The question of framing a similar legislation for the State of Punjab is under consideration of the Government.

श्री बलराम दास टंडन: क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि यह बिल कब तक final हो कर आ जाएगा ?

उपमंत्री : जितना जल्दी फैसला हो जाएगा आ जाएगा। यह अभी under consideration है ।

श्री बलराम दास टंडन : आखिर कितना टाइम लगेगा ?

Chief Minister : Sir, what time suits the hon. Member ?

Shri Balram Dass Tandon: I have asked by what time, it will be brought before the House ?

Chief Minister: The question has been answered. I would, however, like to know what time is in view of the hon. Member ?

Shri Balram Das Tandon: I have nothing in view. I am asking from the hon. Chief Minister whether he is bringing legislation before the House; and if so, by what date ?

TERMINATION OF SERVICES OF JAILS WARDERS IN THE STATE

***5449. Shri Ram Piara:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the Jail Department terminated the services of some Warders in the Jails in the State during the period from 1st January, 1958 to 31st January, 1960, if so, their number and the reasons for terminating their services;

(b) the names of the jails in which the said Warders were employed, and the period of service each one of them had at his credit before his services were terminated;

(c) whether he or the jail authority have received any representations from any of the Warders referred to in part (a) above, if so, the content thereof and the action; if any, taken thereon ?

Shri Benarsi Das Gupta (Deputy Minister): A Statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Statement showing names of Jails Warders whose services were terminated during the period from January, 1958 to January, 1960 in the Punjab State

Serial No.	No. of Warders discharged from service	Name of Jail	Period of service rendered by them before discharge	Reasons for discharge	Names of Warders whose representations have been received against their discharge	Contents of the representations	Action taken on the representations
1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	District Jail, Sangrur	4 months each in respect of 6 warders 1 month respecting one warder 2½ months respecting one warder 8 months respecting one warder 9 months respecting one warder 19 months respecting one warder	On account of the appointment of permanent warders	Shri Jagjit Singh	He pleaded not guilty to the Charge	Appeal was rejected
			24 months respecting one warder	On account of gross negligence of duty			
2	1	Sub-Jail, Patti	7 months and 21 days	Due to shortness of Physical standards	Nil	Nil	Nil
3	31	District Jail, Ludhiana	1 5 days	Replaced by a permanent Warder			
			1 from 1st May, 1957 to 14th April, 1958 1 from 17th July, 1957 to 14th April, 1958	Retrenched on the completion of construction work			

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

			1 from 15th March, 1958 to 10th April, 1958 3 from 5th January, 1958 to 10th April, 1958 1 from 20th Kanuary, 1958 to 10th April, 1958	Retrenched on the release of agitation prisoners			
			1 from 1st June, 1958 to 19th June, 1958	Replaced by permanent Warder			
			2 from 2nd July, 1958 to 10th July, 1958 1 from 25th May, 1958 to 10th July, 1958	Retrenched on account of the reduction of condemned prisoners			
			1 from 15th July, 1958 to 15th October, 1958 1 from 16th February, 1958, to 15th October 1958	Retrenched on the arrival of permanent warders			
			2 from 14th August, 1958 to 23rd September 1958 1 frrom 14th August, 1958 to 23rd August, 1958	Retrenched due to reduction of condemned prisoners			
			2 from 3rd March, 1959 to 27th March, 1959	Retrenched on completion of construction work			
			8 from 4th March, 1959 to 26th March, 1959	Retrenched on the decrease of population			
			1 from 4th March, 1959 to 23rd April, 1959	Retrenched on arrival of permanent warder			
			1 from 27th November, 1959 to 27th January, 1960	Retrenched on arrival of permanent warder			
4	2 (1 temporary and 1 permanent	District Jail, Gurdaspur	Temporary, 1 year 8 months Permanent, about 7 years	On charge of corruption On being declared medically unfit	Nil	Nil	Nil
5	2	Sub-Jail, Kapurthala	1 from 17th September, to 25th November, 1959 1 from 8th August, 1959 to 9th January, 1960	Being medically unfit	Nil	Nil	Nil

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	No. of Wards discharged from service	Names of Jail	Period of service rendered by them before discharge	Reasons for discharge	Names of Warders whose representations have been received against their discharge	Contents of the repesentations	Action taken on the representations
1	2	3	4	5	6	7	8
6	16 (including one permanent)	Central Jail, Patiala	14 Warders with less than 4 months service	on account of wilfully absenting from duty	Shri Om Parkash	He had contended that his discharge was based on prejudice	Matter under consideration
			1 Warder with two years' service				
			1 Warder with five years' Service				
				Ditto	Shri Harbhajan Singh		
				Ditto	Shri Sant Singh		
				Ditto	Shri Ishwer Singh		
				Ditto	Shri Chater Singh		
				On account of wilfully neglegence of duty	Shri Saroop Singh		
				Wilful absence from duty	Shri Niranjan Nath		
				Wilful absence and showing disrespect to Superintendents	Shri Bachan Singh		
				On medical grounds	Shri Ran Singh		
				Ditto	Shri Karnail Singh		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

				Ditto	Shri Nichattar Singh		
				Ditto	Shri Teja Singh		
				Ditto	Shri Roshan Lal		
				Ditto	Shri Sital Singh		
				Wilful absence from duty	Shri Gurchand Singh		
				On charges of curruption	Shri Bachan Singh		
7	2	Sub-Jail, Mohindergarh	From 14th February, 1958 to 1st November, 1958	Due to conversion of the Jail to a lower status	Nil	Nil	Nil
8	14	Central Jail, Ferozepore	1 from 11th March, 1958 to 20th April, 1958	Due to lack of vacancy	Nil	Nil	Nil
			1 from 18th April, 1958 to 21st July, 1958	Posting of permanent hand	Nil	Nil	Nil
			1 from 13th December, 1957, to 9th October, 1958	Ditto			
			1 from 24th October, 1957 to 5th May, 1958	Ditto			
			1 from 20th December, 1957 to 31st July, 1958	Ditto			
			1 from 7th October, 1955 to 16th October, 1958	Due to lack of vacancy			
			1 from 4th October, 1959 to 20th January, 1960	Posting of permanent hand			
			1 from 28th February, 1959 to 22nd January, 1960	Ditto			
			1 from 7th April, 1956 to to 18th April, 1958	Due to lack of vancay			
			2 from 2nd April, 1958 to to 17th February, 1959	Due to closure of Camp Jail			
			1 from 18th April, 1958 to to 8th August, 1958	Ditto			
			1 from 17th January, 1958 to 8th August, 1958	Posting of permanent hand			
			1 from 11th March, 1958 to 8th August, 1958	Ditto			
			1 from 18th April, 1958 to 8th August, 1958	Ditto			

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister for Jails, Food and Supplies]

Serial No.	No. of Warders discharged from service	Name of Jail	Period of service rendered by them before discharge	Reasons for discharge	Names of Warders whose representations have been received against their discharge	Contents of the representations	Action taken on the representation
1	2	8	4	5	6	7	8
9	8	District Jail, Faridkot	1 from 5th July, 1957 to 23rd June, 1958 1 from 5th September, 1958 to 4th December, 1958 1 from 6th September, 1958 to 4th December, 1958 1 from 4th February, 1958 to 3rd January, 1959 1 from 5th September, 1958 to 16th December, 1958	Due to reduction in the number of condemned prisoners	Nil	Nil	Nil
			1 from 27th October, 1958 to 4th December, 1958 1 from 4th October, 1958 to 10th November, 1959 1 from 19th July, 1958 to 26th July, 1959	Due to acceptance of resignation Due to shortness of physical standard Due to willful absence from duty			
10	2	District Jail Hissar	One year each	I on account of wilful absence from duty 1 due to shortness of physical standards	Nil	Nil	Nil
11	6	District Jail, Jullundur	1 up to 2 months 1 up to 6 months 1 up to, years 3 months 1 up to 6 months 1 up to 12 years 1 up to 6 months	1. due to negligence of duty 1. due to unsatisfactory antecedents 4. due to arrival of permanent hands	Nil	Nil	Nil

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

12	33	B.I. & J, Jail, Hissar	1 from 1st to 3rd April, 1959 1 from 1st to 6th April 1959 1 from 15th March, 1959 to 6th April, 1959 6th April, 1959 1 from 1st to 3rd April, 1959 1 from 1st to 3rd April, 1959 1 from 1st October, 1958 to 14th April, 1959 1 from 3rd October, 1958 to 24th January, 1959 1 from 1st October, 1958, to 5th May, 1959 1 from 5th November, 1958 to 9th November, 1958 1 from 26th November, 1958 to 7th January, 1959 1 from 5th November, 1958to 8th January, 1959	Retrenched on termination of anti-Betterment Levy Agitation	Nil	Nil	Nil
			1 from 1st November, 1958 to 8th April, 1959 1 from 5th October, 1957 to 27th January, 1958 1 from 14th September, 1957 to 28th January, 1958 1 from 8th September, 1957 to 28th January, 1958 1 from 8th September, 1957 to 6th February, 1958	Retrenched on arrival of permanent hands			

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	No. of Warders discharged from service	Name of Jail	Period of service rendered by them before discharge	Reasons for discharge	Name of Warders whose representations have been received against their dicharge	Contents of the representations	Action taken on the representations
1	2	3	4	5	6	7	8
			1 from 1st October, 1957 to 30th March, 1958				
			1 from 19th October, 1957, to 26th August, 1958				
			1 from 4th September, 1957 to 6th February, 1958				
			1 from 28th September, 1959 to 16th December, 1959	Retreached on arrival of permanant hands	Nil	Nil	Nil
			1 from 9th June, 1959 to 21st June, 1959				
			1 from 11th May, 1956 to 23rd January, 1958				
			1 from 4th November, 1957 to 6th February,1958				
			1 from 4th September, 1957 to 17th September, 1958				
			1 from 1st September, 1957 to 17th October, 1958	Resigned			
			1 from 28th January, 1959 to 25th April, 1959	Do			
			1 from 10th July, 1958 to 1st September, 1959	Do			
			1 from 15th July, 1956 to 4th August, 1959	Proceeded on extraordinary leave and not returned			

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

			1 from 9th January, 1950 to 3rd June, 1959	Discharged being overage			
			1 from 13th July, 1952 to 3rd February, 1959	Medically unfit			
			1 from 6th June, 1959 to 16th December, 1959	Ditto			
			1 from 28th June, 1956 to 25th September, 1958	Discharged for misconduct			
			1 from 1949 to 25th May, 1958	Declared Medically unfit. Re-instated on appeal and posted at District Jail, Hissar			
13	21	Sub-Jail, Gurgaon	1 from 10th February, 1954 to 27th April, 1959	On medical grounds	Nil	Nil	Nil
			1 from 25th December, 1957 to 1st October, 1958	Ditto			
			1 from 6th February, 1958 to 30th September, 1958	Ditto			
			1 from 19th September, 1957 to 23rd May, 1958	Resigned			
			1 from 25th December, 1957 to 2nd January, 1958	Do			
			1 from 15th March, 1958 to 3rd June, 1958	Do			
			1 from 22nd March, 1958 to to 8th May, 1958	Do			
			1 from 13th October, 1958 to 10th February, 1959	Do			
			1 from 9th August, 1959 to 6th October, 1959	Do			
			1 from 15th August, 1959 to 1st October, 1959	Do			
			1 from 1st September, 1959 to 30th November, 1959	Do			
			1 from 29th August, 1959 to 31st October, 1959	Do			
			1 from 3rd October, 1959 to 30th November, 1959	Do			
			1 from 30th July, 1953 to to 2nd January, 1958	Retrenched on disposal of prisoners, for which kept			
			1 from 22nd March, 1956 to 2nd January, 1958	Ditto			

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	No. of Warders discharged from service	Name of Jail	Period of service rendered by them befor discharge	Reasons for discharge	Names of Warders whose representations have been received against their discharge	Content of the represen tations	Action taken on the representations
1	2	3	4	5	6	7	8
13—*coucld*			1 from 21st March, 1958 to 17th June, 1958	Retranche on disposal of prisoners, foɹ which kəpt			
			1 from 18th January, 1959 to 19th April, 1959	Ditto			
			1 from 6th February, 1958 to 21st June, 1958	On arrival of permanent hands			
			1 from 26th October, 1958 to 27th May, 1959	On Medical grounds			
			1 from 20th January, 1959 to 21st March, 1959	For absence from duty			
			1 from 20th January, 1959 to 11th May, 1959	On grounds of corruption			
14	10	Sub-Jail, Karnal	3 up to 1 month and 28 days each 2 up to 1 month and 14 days each 1 up to 2 months and 17 days 1 up to 1 year, 1 month and 13 days	On expiry of terms for which they were appointed	Shri Kundan Lal Shri Dina Nath Shri Alguran	They had contented against the medical reports of unfitness stating that at the time of their actual appointment and thereafter they have been found medically fit	The matter is under correspondence with the I.G.
			1 up to 3 years, 11 months and 5 days 1 up to 7 years, 4 months and 25 days 1 up to 11 years, 11 months and 15 days	On the Medical grounds			

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

15	3	Sub-Jail Kaithal	2 up to 9 years, 9 months, 24 dyas 1 up to 6 years, 4 months and 7 days 1 up to less one year	On account of resignation	Shri Jiwan Singh	He had requested Government for absorption in a better place, due to his long service as Turnkey	Shri Jiwan Singh did not attend the I.G., Prison inspite of repeated reminders to explain his case personally. No consideration on his request was possible
16	1	Sub-Jail, Hoshiarpur	from 27th February, 1950 to 29th April, 1958	On account of unstaisfactory antecedents	Nil	Nil	Nil
17	35	Central-Jail, Ambala	11 from 1st Februray, 1958 to 9th April, 1958	Retrenched after the release of Patwari Agitation. (Prisoners)			
			6 from 1956 to 5th August, 1958	Retrenched on expiry of their terms			
			1 from 24th October, 1958 to 7th November, 1958	Ditto			
			13 from 5th March, 1959 to 26th March, 1959	On release of anti-Betterment Levy Agitation prisoners			
			1 from 1st June, 1955 to 23rd October, 1959 1 from 19th June, 1958 to 6th October, 1959 1 from 1st August, 1958 to 20th October, 1959	Relieved on acceptance of their resignations			
			1 from 21st June, 1952 to 1st September, 1959	Retrenched on being absent from duty without permission	Shri Sewa Singh, Temporary warders from 21st June, 1952 to 1st September, 1959	He has represented against the charge of absence from duty without permission. He says that he was ill	The representation is still being considered by the I.G., Prisons

*Date of entry into service being verified

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ELECTION FOR PRESIDENTSHIP OF MUNICIPAL COMMITTEES, PANIPAT

***5620. Shri Balram Das Tandon:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether election of the President, Municipal Committee, Panipat, district Karnal, has been held; if so, when, and the name of the person elected;

(b) the name and designation of the officer, under whose supervision the said election was held;

(c) whether the name of the person elected has been gazetted, if so, when; if not, the reasons for the same?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) (i) Yes;
(ii) 1st January, 1960;
(iii) Shri Jagdish Mitter;

(b) Shri Om Parkash Sardana, Senior Vice-President, Municipal Committee, Panipat;
(c) (i) No;
(ii) The election has not been confirmed in the subsequent meeting of the Committee and complaints that the election was not held at the scheduled time, are being enquired into.

श्री बलराम दास टंडन : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि वह inquiry complete हो कर आ गई है या नहीं ?

उप मंत्री : यह under consideration है ।

LAND DONATED TO SHRI VINOBA BHAVE

***5613. Sardar Atma Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of land so far donated to Shri Vinoba Bhave in the State and the number of persons to whom it was distributed;

(b) whether in respect of any area of land which was donated, any litigation is pending; if so, the total area under litigation with the names of villages or places where such land is situated;

(c) the area of land out of the total area donated which is under plough and which is waste land, separately?

Giani Kartar Singh:

(a) (i) Total area of land .. 19929 acres

(ii) Number of persons to whom it was distributed .. Out of 1,9929 acres, 5,653 acres have been given to more than 1,000 families

(b) No.

(c) Information is not readily available and will be supplied later on.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

RECOVERY OF ARREARS OF LAND REVENUE, WATER-RATES AND TACCAVIES IN THE STATE

*5616. **Sardar Jasdev Singh Sandhu:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total amount of arrears of land revenue, water rates and taccavies in each district of the State recovered as arrears of land revenue during the year 1959 and the amount still outstanding for recovery under each head?

Giani Kartar Singh: The requisite information is given in the statements placed on the Table of the House.

Statement showing the total amount of arrears of land revenue in each district of the State, recovered as arrears of land revenue during the year 1959 and the amount still outstanding for recovery

Sr No.	District		Total amount recovered during the year 1959	Amount still outstanding for recovery on 31st January, 1960
			Rs	Rs
1.	Hissar	..	34,44,218	7,89,075
2.	Rohtak	..	13,46,184	2,63,290
3.	Gurgaon	..	12,63,006	1,76,336
4.	Karnal	..	20,83,951	4,95,841
5.	Ambala	..	23,19,088	8,33,293
6.	Simla	..	56,558	61,423
7.	Kangra	..	8,43,805	3,60,768
8.	Hoshiarpur	..	26,22,586	9,48,939
9.	Jullundur	..	25,49,953	11,19,554
10.	Ludhiana	..	13,09,832	10,05,566
11.	Ferozepur	..	28,80,487	14,13,852
12.	Amritsar	..	23,52,658	20,86,975
13.	Gurdaspur	..	18,34,851	20,83,347
14.	Kapurthala	..	9,96,484	10,52,618
15.	Patiala	..	31,97,017	11,86,006
16.	Bhatinda	..	19,44,493	12,09,401
17.	Sangrur	..	30,36,706	24,43,996
18.	Mohindergarh	..	8,54,010	4,38,616
	Total	..	3,49,35,887	1,79,68,896

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[Minister for Revenue]

Statement showing the total amount of arrears of Water-rates, in each district of the State, recovered as arrears of land revenue during the year 1959 and the amount still outstanding for recovery

Sr. No.	District		Total amount recovered during the year, 1959	Amount still outstanding for recovery on 31st January, 1960
			Rs	Rs
1.	Hissar	..	52,38,135	23,15,060
2.	Rohtak	..	25,56,138	5,80,627
3.	Gurgaon	..	2,93,863	4,02,033
4.	Karnal	..	31,38,348	21,71,748
5.	Ambala	..	2,81,046	2,67,921
6.	Simla	..	Nil	Nil
7.	Kangra	..	3,429	5,859
8.	Hoshiarpur	..	4,13,019	3,23,152
9.	Jullundur	..	2,85,876	2,98,588
10.	Ludhiana	..	4,93,418	2,52,055
11.	Ferozepur	..	63,76,699	50,80,327
12.	Amritsar	..	31,06,809	46,45,406
13.	Gurdaspur	..	9,60,156	17,62,798
14.	Kapurthala	..	2,55,316	1,65,965
15.	Patiala	..	9,90,101	14,62,762
16.	Bhatinda	..	45,03,890	29,44,027
17.	Sangrur	..	39,01,376	33,75,025
18.	Mohindergarh	..	63,557	12,550
	Total	..	3,28,41,176	2,60,65,893

Statement showing the total amount of arrears of taccavies in each district of the State, recovered as arrears of land revenue during the year 1959 and the amount still outstanding for recovery

District		Amount recovered during the year, 1959	Amount still outstanding for recovery on 31st January, 1960
		Rs	Rs
Hissar	..	14,39,535.00	8,50,976.00
Rohtak	..	15,98,749.94	2,73,695.09
Gurgaon	..	39,95,873.52	21,82,535.03
Karnal	..	15,82,899.00	19,86,552.00
Ambala	..	18,07,806.28	7,94,861.45
Simla	..	25,910.98	4,643.01
Total	..	10,04,50,774.72	60,93,262.58

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

District		Amount recovered during the year 1959	Amount still outstandig for recovery on 31st Jannary 1960
		Rs	Rs
Kangra	..	2,35,912.32	2,24,076.99
Hoshiarpur	..	9,29,990.36	16,63,186.42
Jullundur	..	22,15,396.63	42,78,832.40
Ludhiana	..	20,63,048.17	19,74,620.59
Ferozepur	..	22,24,457.20	67,49,923.93
Amritsar	..	14,84,075.17	57,02,558.32
Gurdaspur	..	14,34,107.94	61,45,417.87
Kapurthala	..	8,60,051.48	17,28,151.89
Total	..	1,14,47,039.27	2,84,66,768·41
Patiala	..	19,16,980.00	25,61,307.00
Bhatinda	..	17,66,784.31	19,87,513.15
Sangrur	..	32,60,986.55	26,45,734.32
Mohindergarh	..	2,05,786.16	81,257.07
Total	..	71,90,537.02	72,75,811.54
GRAND TOTAL	..	2,90,48,351.01	4,18,35,842.53

POSTING OF SENIOR NAIB-TEHSILDARS

***5617. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Revenue Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that senior Naib-Tehsildars have been posted out of the Revenue line and juniors have been posted as Naib-Tehsildars, Revenue, in different tehsils in Patiala Division; if so, the reasons therefor?

Giani Kartar Singh : (i) Yes.

(ii) Some of the senior Naib-Tehsildars hailing from the covenanting States forming Pepsu, have not yet fully qualified themselves for the post of Naib-Tehsildars by passing the prescribed departmental examination. They have, therefore, for the present been posted out of the Revenue line. Similarly, some senior Naib-Tehsildars who were not enjoying good reputation 'Mahal' side, have also been transferred to the post in the side-line. Thus posting are purely and strictly governed by administrative exigencies.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Revenue side ਵਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ departmental examination ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Revenue side ਵਲ ਆਉਣ ਦਾ ਹਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ condition Pepsu ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ areas ਲਈ ਹੀ ਹੈ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ notice ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ areas ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

OPENING OF COLLEGE IN VILLAGE SAMPLA

*5514. **Shri Mangal Sein** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal to open a College in village Sampla, district Rohtak, under the consideration of Government; if so, the time by which the said college is likely to be opened?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : No such proposal is under the consideration of Government.

श्री मंगल सेन : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि सांपला के लोगों ने जो ज़मीन और रुपया College खोलने के लिए दिया था Government ने अपने वादे के मुताबिक वहां पर College खोल दिया है ।

उप मंत्री : Government ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था ।

श्री मंगल सेन : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बताएंगे कि उन्होंने सांपला के लोगों के साथ वादा नहीं किया था कि आप रुपया इकट्ठा करें Government की तरफ से वहां पर College खोल दिया जाएगा ?

मुख्य मंत्री : मैं ने बिल्कुल वादा नहीं किया था । मैं ने उन को कहां था कि अगर कोई technical school बनाना हो तो उस के बारे में सोचा जा सकता है । लेकिन उन्होंने कहा था कि हम technical school नहीं चाहते । वह स्कूल झज्जर में खोल दिया जाए । चुनाचि हम ने झज्जर में एक technical school खोल दिया है ।

BIFURCATION OF LANGUAGE DEPARTMENT

*5618. **Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether Government have received any representation from the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar for bifurcation of the Language Department of the State Government into Hindi and Punjabi Departments; if so, when and the action, if any, taken thereon?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : Yes, in 1958 a representation was received from the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, Amritsar, in the form of a Memorandum which inter alia referred to the setting up of separate Departments for the Punjabi and Hindi languages.

As regards the action taken on this demand, the Honourable Member is requested to refer to the answers given to almost similar questions *4678 Nos. **1381 and 3936 during the last Winter Session and the Budget Sessions of 1958 and 1959, respectively, copies of which are attached.

DEPARTMENT OF PUNJABI LANGUAGE IN THE STATE

***4678. Sardar Ramdayal Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether any decision was taken by Government to establish a separate department for the development of the Punjabi Language in the State;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the year in which the said decision was taken and the reasons, if any, for not implementing it so far?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) & (b) The member may kindly refer to the answers given to almost similar questions Nos. *1381 and *3936 during the Budget sessions of 1958 and 1959, copies of which are attached.

GROWTH OF PUNJABI LANGUAGE

***1381. Sardar Rajinder Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to establish a separate department for the growth of the Punjabi Language in the State; if so, the time by which it is likely to be established?

Shri Amar Nath Vidyalankar : In the Language Department already two sections for the development of Hindi and Punjabi are functioning. But in order that both the departments should co-ordinate their efforts and function in a co-operative spirit and should be able to assist each other, they are placed under a single language director who co-ordinates the activities of both these departments. There is further scope for reorganisation of these departments, and this question is receiving close attention.

DEVELOPMENT OF PUNJABI LANGUAGE

***3936. Sardar Rajender Singh** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) the steps, if any, taken by the Government to develop the Punjabi Language during 1958-59;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a separate department for the Punjabi Language, if so, the time by which it is likely to be set up?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) The Statement showing the steps taken by the Language Department during 1958-59, is laid on the table of the House ;

(b) the member may kindly refer to the answer given to almost the same question *1381 during the last budget session.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि मौजूदा हालात में language Department की bifurcation करने से Government को क्या फर्क पड़ता है ।

---

*Starred Question No. 4678 along with its reply appears in an annexure to Vol. III No. 8, dated 23rd December, 1959.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उप मंत्री : इस महकमे के अलग अलग दो sections हैं जो कि ठीक तरह से काम चला रहे हैं। इस लिए bifurcation करने की जरूरत नहीं महसूस होती।

GRIEVANCES OF PRIVATELY MANAGED AND RECOGNISED SCHOOLS OF PATIALA DIVISION

*5623. **Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether Government have recently received any memorandum from the Association of managements of privately-managed and recognised schools in Patiala Division about their grievances ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the contents of the same and action taken or proposed to be taken by the Government thereon ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) The reply in the form of a statement is laid on the table.

STATEMENT

(b) The memorandum contains the following:—

(1) Disparity in the rates of fees in the areas of erstwhile States of Punjab and Pepsu.

(2) Disparity in the rates of grant-in-aid to schools in both the areas.

(3) Hardships to the teachers and the taught on account of change in the system of holidays.

(4) The hardships faced by the privately-managed schools on account of "Free Education" Policy of the Government.

The action taken on each point is given below seriatim —

(1) & (2) The cases are already under the consideration of Government.

(3) The working of the new system is being reviewed.

(4) "Free Education" is a great boon to people in the low-income groups. The non-Government schools which have undergone loss by this policy of the Government, were paid *ad-hoc* grants to the tune of 4 lakhs during 1958-59. Grants amounting to Rs. 6 lakhs will be paid during the current year.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि free Education करने से schools को जो घाटा पड़ा था उस कमी को पूरा करने के लिए पिछले साल जो छः लाख रुपया रखा गया था वह रकम काफी थी ?

उप मंत्री : हां जी काफी हद तक वह कमी दूर हो गई थी।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि Government ने यह अंदाजा लगाया है कि free education करने से private schools को कितना घाटा पड़ता है ।

उप मंत्री : हम ने उन schools के figures मांगे थे कि कितना घाटा पड़ा है। उस घाटे का हम ने काफी हिस्सा उन को दे दिया था। बाकी Government की यह जिम्मेदारी नहीं है कि उन का घाटा पूरा करे।

DISTRICT EMPLOYMENT ADVISORY COMMITTEES

***5621. Shri Balram Das Tandon** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether any District Employment Advisory Committee for Amritsar has recently been formed ; if so, when together with the names and full addresses of the persons appointed and the basis on which those were apppointed as such ;

(b) whether any such committees have been formed in other district also; if so, the names of persons appointed thereon in Gurdaspur, Jullundur, Ludhiana and Rohtak Districts, their addressess and the basis on which they were appointed as such ?

Shri Amar Nath Vidyalankar: (a) Yes. The District Employment Advisory Committee, Amritsar was set up on the 5th October, 1959, on the basis of the policy laid down by the State Government for the constitution of such committees. The names and full addressess of the persons appointed as members of the District Employment Advisory Committee, Amritsar, are laid on the table of the House.

(b) Committees have so far been formed in (1) Jullundur, (2) Dharamsala, (3) Amritsar, (4) Hoshiarpur. (5) Ferozepur. (6) Gurgaon, (7) Karnal, and (8) Rohtak. The information in respect of Committees at Jullundur and Rohtak is placed on the table of the House. Committees in Gurdaspur and Ludhiana have not so far been set up.

DISTRICT EMPLOYMENT ADVISORY COMMITTEE, AMRITSAR

(1) The Deputy Commissioner, Amritsar	Chairman
(2) Secretary, Indian National Trade Union, Congress, Amritsar	workers' representatives
(3) Secretary, All-India Trade Union, Congress, Amritsar	
(4) Shri Gurdial Singh, President Punjab Federation of Industry and Commerce, Amritsar	Employer's representatives
(5) Shri G.R.Sethi, Rai Bahadur Rattan Chand Road, Amritsar	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

(6) Secretary, District Board, Amritsar	Members
(7) President, Municipal Committee, Amritsar	
(8) The District Inspector of Schools, Amritsar	
(9) Labour Officer, Amritsar	
(10) Shri Sarup Singh, M.L.A., Haveli R.B.S. Basant Singh, Cheel Mandi, Amritsar	
(11) Bibi Balwant Kaur, M.L.C.Hussainpura, Amritsar	
(12) Giani Gurmukh Singh Musaffir, M.P., Ranjitpura, Post Office Khalsa College, Amritsar	
(13) Dr. Sant Ram Seth, Harijan Sewak Sangh, Amritsar	
(14) Secretary, District Sailors, Soldiers and Airmen's Board, Amritsar	
(15) The District Public Relation Officer, Amritsar	
(16) Sub-Regional Employment Officer, Amritsar	Member Secretary

DISTRICT EMPLOYMENT ADVISORY COMMITTEE, JULLUNDUR

(1) The Deputy Commissioner, Jullundur	Chairman
(2) President, M.E.S.Workers Union, C/o Garrison Engineer, M.E.S. Jullundur Cantt.	Workers' representatives
(3) General Secretary, Motor Transport Workers Federation, Jullundur	
(4) Administrative Commandant Station Headquarters, Jullundur Cantt.	Employer's representatives
(5) Shri Brij Nath Chadha, Prop. Devco Industries, Phagwara Gate, Jullundur	
(6) Secretary, District Board, Jullundur	Members
(7) President, Municipal Committee, Jullundur	
(8) Executive Officer, Cantonment Board, Jullundur	
(9) District Inspector of Schools, Jullundur	
(10) Labour Inspector, Jullundur	
(11) Shri Amrao Singh, M.L.A., Jullundur	
(12) Secretary, District Soldiers. Sailors and Airmen's Board, Jullundur	
(13) Sub Regional Employment Officer, Jullundur	Member Secretary

DISTRICT EMPLOYMENT ADVISORY COMMITTEE, ROHTAK

(1) The Deputy Commissioner	Chairman
(2) Ch. Ude Singh, Secretary,Rohtak-Delhi Transport Workers' Union, Rohtak	Workers representatives
(3) Shri Gurbax Singh, Representative of Municipal Sweeper's Union, Rohtak	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(4)	General Manager, Haryana Sugar Mills, Rohtak	Employers' representatives
(5)	District Inspector of Schools, Rohtak	
(6)	Administrator, Municipal Committee, Rohtak	
(7)	Secretary District Board, Rohtak	Members
(8)	Secrctary Soldiers, Sailors, and Airmen's Board, District Rohtak	
(9)	Labour Inspector, Rohtak	
(10)	Ch. Nahnu Ram, M.L.A., Rohtak	
(11)	Ch. Shri Chand, M.L.A., Rohtak	
(12)	Shri Dev Raj Sethi, Ex-M.L.A., Rohtak	
(13)	Shri Dewan Chand, Proprietor, House-hold and General Mills Ltd., Sonepat (Rohtak)	
(14)	District Employment Officer, Rohtak	Member Secretary

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो Amritsar में District Employment Advisory Committees के member appoint किए गए हैं वह किस basis पर किए गए हैं ?

मंत्री : District Employment Officer ने Deputy Commissioner से सलाह कर के जिन लोगों को recommend किया था उनको member appoint किया गया था । Deputy Commissioner उन Committees का Chariman होता है, District Employment Officer Secretary होता है । दो representatives Employees के और दो Employers के होते हैं । इस के इलावा local M.L.A.s और M.L.C.s में से members होते हैं । इस के इलावा हम ने फैसला किया है कि military के जो officers वहां पर हों तो उन में से भी किसी को लिया जाए ताकि जो ex-service men हैं उन का interest भी safeguard रहे ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ Patiala Division ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ Committees ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ?

मंत्री : इस का notice दें तो मैं पता कर के बता दूंगा । वैसे मेरा ख्याल है कि Patiala Division में कुछ Committees बनी हैं ।

———

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

SUB DIVISIONAL ADVISORY COMMITTEES IN THE DISTRICTS OF PATIALA AND SANGRUR

*5615. **Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for community Development be pleased to state the names of the non-official members other than the legislators included in different sub-divisional Advisory Committees formed in the districts of Patiala and Sangrur for Development purposes, together with the special qualifications and reasons, if any, for the inclusion of the said members in the said committees?

Sardar Gurbanta Singh : No such committees have been formed at the instance of the Development Department, hence the information asked for cannot be supplied.

REDUCTION OF WATER RATES

*5619. **Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to decrease the existing water rates in the State in view of the water logging menace, if so, the details thereof;

(b) whether any steps have so far been taken to reduce the said water rates; if so, what?

Giani Kartar Singh : (a) No.

(b) Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਥੇ Government water rate ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Government land revenue ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸੇਮ ਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ।

FEES CHARGES BY SPECIALIST IN V.J. HOSPITAL, AMRITSAR

*5657. **Dr. Baldev Parkash :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any account of the fees charged by the specialist Doctors from the patients of private and family wards in the V.J. Hospital, Amritsar. is kept; if so, the amount of fees charged by the following specialists during the year 1958-59—

(1) Professor of Surgery;

(2) Professor of Clinical Surgery;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(3) Professor of Medicine ;

(4) Professor of Clinical Medicine ;

(5) Professor of Mid wifery; and

(6) Professor of Orthopaedic Surgery?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : Yes.

A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

Statement showing the Fees Charges by the Specialists from the paying patients of the V.J. Hospital Amritsar, during the year 1958-59

S.No.	Designation	Amount
		Rs
1	Professor of Surgery, Medical College, Amritsar ..	21,581.00
2	Professor of Clinical Surgery, Medical College, Amritsar	26,898.00
3	Professor of Medicine, Medical College, Amritsar	13,002.00
4	Professor of Clinical Medicine, Medical College, Amritsar	11,051.20
5	Professor of Midwifery, Medical College, Amritsar ..	16,818.00
6.	Professor of Orthopeadics, Medical College, Amritsar	22,630.0

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या उप मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो फीस private patients से charge की जाती है उस में से गवर्नमैंट को भी कुछ हिस्सा मिलता है या नहीं ?

उप मंत्री : हां मिलता है। गवर्नमैंट को 40 फीसदी और बाकी 60 फीसदी डाक्टर को जाता है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : यह जो figures मुझे दी गई हैं वह 60 फीसदी है या total figures दी गई हैं ?

उप मंत्री : यह total figures हैं ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या उप मन्त्री जी यह बताएंगे कि क्या private patients और general wards के लिए कोई time fixed है या यह डाक्टर की मर्ज़ी पर है कि कितना time private patients के लिए देना है और कितना general ward के लिए ?

उप मंत्री : Time fixed नहीं है। डाक्टर supposed हैं कि वह general wards में भी जाएं और private wards में भी जाएं ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁਣ ਕਰਨ ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ round ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ।

श्री बलराम दास टंडन : क्या उप मन्त्री महोदय बताएंगे कि क्या उन्होंने इस बात का जायजा लिया है कि डाक्टर ज्यादा time Private patients को देते हैं या general wards के patients को देते हैं ?

मुख्य मंत्री : General wards के लिए ज्यादा देते हैं ।

श्री बलराम दास टंडन : यह गलत बात है । Private patients को ज्यादा time देते हैं क्योंकि वहां से उनको ज्यादा आमदनी होती है ।

Chief Minister : No. no. This is not correct.

FEES CHARGED BY SPECIALIST DOCTORS IN AMRITSAR

***5658. Dr. Baldev Parkash :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether Government have prescribed the consultation fees which the specialist doctors of the V.J. Hospital Amritsar, may charge from patients whom they examine at their own residences; if so, what ;

(b) whether Government have received any complaint to the effect that the specialists are charging higher fees than those mentioned in part (a) above; if so, the action taken or proposed to be taken thereon ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : (a) Yes. A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

(b) No complaint has been received—

The rates of fee prescribed are as under —

(i) Professors of Medical College attached to V.J. Hospital, Amritsar .. Rs 32 per visit

(ii) Assistant Professors of Medical College attached to V.J. Hospital, Amritsar .. Rs 16 per visit

(iii) For night visits from 10.00 p.m. to 6.00 A.M. the fees in case of all Government Medical Officers, Professors, etc., shall be 50 per cent extra of the ordinary fees i.e., $1\frac{1}{2}$ times, of the fee for the day visits

(iv) Where Government Medical Officers, etc., are required to attend patients at longer distances fees are mutually settled between the patient and the Medical Officer concerned

---

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

OPENING OF MEDICAL COLLEGE AT ROHTAK

***5659. Shrimati Sneh Lata :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the proposed new Medical College for Haryana was first intended to be opened in Hissar; if so, the reasons why the place for the location for the College has now been changed to Rohtak?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : Yes. It has now been decided to locate the new Medical College at Rohtak for the following reasons :—

(a) Rohtak is the only town in the Hariana Prant with a population of more than one lakh.

It is the only city which is showing the maximum rapidity of growth.

(c) Rohtak is well connected with rail as well as road with all the important districts of Hariana Prant.

(d) The number of Arts Colleges in Rohtak and the surrounding area are the largest and, therefore, the students with the requisite qualifications will be easily available.

(e) The right quality and quantity of clinical material will only be available at Rohtak.

(f) Rohtak has an upgraded Civil Hospital which is the first pre-requisite for the opening of a teacning institution.

श्री मंगल सैन : क्या मन्त्री जी बातएंगे कि यह कालिज कब तक start हो जाएगा ?

मुख्य मंत्री : यह कोई मदारी का खेल थोड़ा है कि एक मिन्ट में सब कुछ हो जाएगा (हंसी) It will take sometime. Just wait.

श्री मंगल सैन : अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए कि मैं ने सवाल किया है और मुख्य मंत्री जी मदारी के खेल की बात कर रहें हैं। क्या यही जवाब है......

Mr. Speaker : He has said so just to create humour.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मन्त्री जी बताएंगे कि मदारी के खेल में और चीफ मिनिस्टर के खेल में क्या फर्क है ?

मुख्य मंत्री : उतना ही जितना कि अपोजीशन और इधर बैठने वालों में। (हंसी)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह ठीक है जो पिछले दिनों अखबारात में छपा था कि centre ने इसके लिए इमदाद देने से इनकार कर दिया है ?

मुख्य मंत्री : अखबार वालों को कौन लगाम डाल सकता है। जो दिल चाहता है कह देते हैं।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

RAID BY POLICE IN THE OFFICE OF DISTRICT FOOD CONTROLLER, JULLUNDUR

***5636. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether the office of the District Food and Supplies Controller, Jullundur was raided by the Police during the current year; if so, when and for what purpose;

(b) the details of the alleged irregularities which led to the said raids;

(c) whether any officials of the said office applied for leave after the said raids; if so, whether leave was granted to them;

(d) the names of the officers, depot-holders and others involved in the alleged irregularities referred to in part (b) above;

(e) the action taken so far against those found responsible for the irregularties;

Shri Benarsi Dass Gupta (Deputy Minister) : (a) Officers of C.I.D. and Vigilance Department visited District Food and Supplies Controller's Office, Jullundur on 29th February, 1960 to check some cases of issue of Sugar permits, allotments and cancellations of depots and registration of cards.

(b) Details are under investigation.

(c) No official has applied for long leave after the above incident.

(d) Investigations are still in progress.

(e) Not so far in view of (d) above.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ part (b) ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੇਕਾਇਦਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹਨ ।

श्री अध्यक्ष : बेकायदगियों का पता तभी लगेगा जब investigation पूरी हो जाएगी । (The irregularities will be found out after the completion of the investigation only.)

उद्योग मंत्री : पार्ट (ए) के जवाब में बता दिया गया है कि "to check some cases of issue of sugar permits, allotments and cancellations of depots and registration of cards" की बिना पर raid किया गया है तो जवाब तो आ गया है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

COMPLAINT REGARDING SHORTAGE OF DRINKING WATER IN ROHTAK CITY

*5468. **Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government have recently received any complaint about the shortage of drinking water in Rohtak City; if so, the steps Government propose to take to remove this shortage?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) : A complaint was received in May, 1959. The P.W.D. (Public Health), are executing schemes for enhancing water supply in the town and the same are expected to be completed in about one and a half years.

ABOLITION OF CYCLE TAX BY MUNICIPAL COMMITTEE, AMRITSAR

*5633. **Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether it is a fact that the Municipal Committee, Amritsar recommended the abolition of Cycle Tax in Amritsar to Government, if so, when and with what result?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) : (i) Yes, on the 20th February, 1957. The proposal was rejected.

श्री बल राम दास टंडन: क्या उप मन्त्री जी बताएंगे कि उस proposal को reject करने का क्या कारण था ?

उप मंत्री : जो reasons उन्होंने दिए थे वह sound नहीं थे ।

श्री बल राम दास टंडन : उन्होंने क्या क्या reasons दिए थे और किन किन को sound नहीं समझा गया था ?

उप मंत्री : इस के लिए नोटिस दें ।

REVISION OF HOUSE TAX BY MUNICIPAL COMMITTEE, AMRITSAR

*5634. **Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government received any recommendation from the Municipal Committee, Amritsar at any time within the last five years on the subject of revision of House Tax in Amritsar; if so, the decision taken by Government thereon?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) : A statement containing the requisite information is laid on the table of the House,

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

STATEMENT

Part (*I*) Yes.
Part (*II*) —The information is tabulated below—

S. No. Proposal of the M.C., Amritsar	Date of receipt from the Committee	Decision taken by Government
(i) The general taxable limit be raised from Rs. 20 to Rs. 30 per mensem	30-6-1955	Government rejected the proposal as it would have affected the income of the Committee considerably
(ii) The taxable limit for a widow be raised from Rs. 35 to Rs. 50 per mensem	30-6-1955	Government rejected theproposal
(iii) Minor orphans owning property the annual value of which does not exceed Rs. 600 be also exempted	30-6-1955	Government rejected the proposal
(iv) New Constructions completed between the Ist April, 1954 to the 31st August 1956 be exempted for three years only	30-6-1955	Government accepted this proposal as a special case
(v) The tax be recovered on consolidated rental value of all buildings of one owner within the rating area from Ist April, 1955	30-6-1955	Government did not agree to the proposal as this is not contemplated in the Punjab Municipal Act, 1911, or the rules made thereunder

ELECTIONS TO MUNICIPAL COMMITTEES, JAGADHRI AND JAMUNA NAGAR

***5656. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the date when election to the Municipal Committee Jagadhri were held last ;

(b) whether Government have received a copy of a resolution passed by the Jagadhri Municipal Committee to the effect that the Municipal Committee of Jagadhri and Jamuna Nagar be merged into one; if so, the action, if any, taken by Government thereon ;

(c) whether delimitation of the above mentioned two Committees has been completed; if so, the number of seats fixed for each Committee and the time by which elections thereto are likely tobe held ;

(d) whether any seats fell vacant in either of the said Committees within the last three months; if so, whether seats are intended to be filled and when?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Mohan Lal ; (a) In 1947.

(b) No.

(c) (i) Jagadhri......No.

Yamuna Nagar..Yes.

(ii) Jagadhri.... Question does not arise;
Yamuna Nagar....12

(iii) No date has been fixed as yet.

(d) (i) No seat fell vacant during the last three months, but Shri Gajinder Parshad Jain, who is already a member of another Committee, was removed from membership on 11th January, 1960 and Shri Chaman Lal Juneja was appointed in his place.

(ii) The third and the last round of elections is expected to take place in the near future, it is not considered desirable to hold any bye-election for the purpose during the interregnum.

श्री बलराम दास टंडन : पार्ट बी के जवाब में बताया गया है कि हम ने फैसला किया है कि उनको merge नहीं करना है । क्या मन्त्री जी बताएंगे कि इस की क्या वजह है ?

मंत्री : पार्ट बी में तो आपने पूछा है कि whether government have received a copy of a resolution passed by. the Jagadhri Municipal Committee to the effect that the Municipal Committee of Jagadhri and Jamuna Nagar be merged into one.

और उस का जवाब दे दिया गया है कि No. कोई ऐसा resolution नहीं आया है ।

श्री बलराम दास टंडन : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि क्या गवर्नमैंट के अज़खुद ऐसी proposal ज़ेरे गौर है कि दोनों को एक कर दिया जाए ?

मंत्री : जहां तक मेरा ख्याल है इस वक्त ऐसी कोई proposal नहीं है ।

श्री बलराम दास टंडन : पार्ट डी का जवाब देते हुए डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने बताया कि एक आदमी appoint किया गया है। क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि आज कल के rules के मुताबिक किस तरीके से appointment हुई ?

मंत्री : वह कानूनी अख्तियार गवर्नमैंट को हैं ।

SUPERVISORS FOR MIDDLE EXAMINATION IN DISTRICT ROHTAK, ETC.

***5641. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) the number of teachers employed by the Education Department for supervising the Middle Standard Examination last year in districts Rohtak, Gurgaon, Hissar, Karnal and Mahendragarh separately

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Pandit Shri Ram Sharma]

(b) the rates of remuneration for the said supervision and the amount so far paid to the teachers referred to in part (a) above ;

(c) the number of teachers referred to in part (a) above, if any, who have not so far been paid any remuneration and the reasons therefor?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : ———

(a) Rohtak .. 325

Gurgaon .. 238

Hissar .. 190

Karnal .. 226

Mahendargarh .. 78

(b) The rate of remuneration for the Superintendent is Rs. 35/- and for the Supervisor Rs. 15/- for the entire Examination. The amount paid on account of remuneration in each District is as under —

	Rs nP.
Rohtak	.. 4,070.00
Gurgaon	.. 41,32.00
Hissar	.. 3,381.57
Karnal	.. 4,128.31
Mahendargarh	.. 1,325.00

(c) Rohtak .. 97

Gurgaon .. 7

Hissar .. 13

Karnal .. Nil

Mahendargarh .. 7

The payment could not be made partly due to lack of funds and partly due to the non-receipt of bills from the claimants.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि रोहतक में इतनी तादाद क्यों हो गई जिन को अभी तक payment नहीं हुई ?

उप मंत्री : कोई बिल नहीं आए होंगे ।

पंडित श्री राम शर्मा : बिल न आने में ज़िम्मेदारी teachers की है या महकमा वालों की ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उप मंत्री : Teachers भी हमारे महकमे के हैं इस लिए जिम्मेदारी हमारी ही होनी चाहिए ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वही teachers जिम्मेदार हैं जिन को payment होनी थी या महकमा वाले ?

उप मंत्री : अलग अलग केस के मुताबिक पूछें तो दरियाफ्त करके बताया जा सकता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : एक साल से payment नहीं हुई। मैं कहता हूं कि बिल न आने के लिए कौन जिम्मेदार है, गवर्नमैंट की मशीनरी या teachers ?

उप मंत्री : जब तक बिल ही submit न करें further action नहीं लिया जा सकता ।

पंडित श्री राम शर्मा : 97 cases में अभी तक payment नहीं हुई इसकी क्या वजह है ?

उप मंत्री : किसी particular case के मुताल्लिक पूछें तो मैं बता सकता हूं ।

REDUCTION IN WAGES OF MILL WORKERS DUE TO SHORTAGE OF ELECTRICITY?

***5625. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether Government have recently received any representation or a copy of a resolution passed by the General Council of Textile Mazdoor Ekta Union, Registered, Amritsar in connection with the reduction of wages of mill workers due to shortage in the supply of electricity; if so, the action taken thereon?

(b) whether any reduction in the wages of mill workers has been effected due to the said shortage in the supply of electricity; if so, to what extent ;

(c) whether any workers referred to in part (b) above have been given lay off compensation; if so, their percentage?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) Yes. Government have sanctioned a sum of Rs. 10 lacs for the grant of interest free loan to the affected, workers.

(b) Yes. The earnings of the workers in the State had fallen about 30 to 40 per cent.

(c) Yes. Nearly 30 to 35 per cent of the workers affected by shortage of electricity and entitled to lay off compensation have so far been paid the compensation.

पंडित श्री राम शर्मा : जिन को compensation नहीं मिली उसके लिए गवर्नमैंट क्या कर रही है ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मंत्री : इस के लिए दस लाख रुपया रखा है जिस में से loan लिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया loan लिया जा सकता है।

पंडित श्री राम शर्मा : जो रुपया गवर्नमैंट ने रखा है इस में कहां तक लोगों को फायदा पहुंचा है ?

मंत्री : अभी तक loans की दरखास्तें आ रही हैं जब loans दे चुकेंगे फिर सारी position का पता चलेगा।

OPENING OF NATIONAL EXTENSION SERVICE BLOCK IN VILLAGE P. S. MAHAL KALAN

*5646. **Sardar Kartar Singh Diwana** : Will the Minister for Community Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of Government to open a National Extension service block in the village of P. S. Mahal Kalan tehsil Barnala, District Sangrur during the next financial year, if not the time by which it is likely to be opened?

Sardar Gurbanta Singh : There is no such proposal under consideration of the Government for the present.

COMPENSATION TO THE ZAMINDARS OF VILLAGE BEHRAM DISTRICT JULLUNDUR

*5648. **Sardar Harguranad Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any compensation has so far been given to the Zamindars of village Behram, district Jullundur whose 'Sawni' crops got damaged due to the digging of the Phagwara minor, if not by which it is likely to be given?

Rao Birendar Singh : According to the records maintained by the Irrigation Department, no crop was damaged in village Behram, district Jullundur due to the digging of Phagwara Minor. Hence the question of payment does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਅਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪਾਸ ਦਰਖਾਸਤ ਆਇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ?

Minister : It is a request for action.

CONSOLIDATION OPERATIONS IN VILLAGE TOGAWAL, DISTRICT SANGRUR

*5654. **Sardar Pritam Singh Sahoke** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether Government have received any complaints regarding the defective consolidation operations in village Togawal, district Sangrur;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether Government propose to hold any enquiry into the said complaints?

Rao Birendra Singh : (a) Yes.

(b) The complaint is being enquired into.

COMPLAINT AGAINST THE ASSISTANT CONSOLIDATION OFFICER, MAHLAN, DISTRICT SANGRUR

***5655. Sardar Pritam Singh Sahoke :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have received any complaint against the Assistant Consolidation Officer, Mahlan, district Sangrur ; if so, whether any enquiry has been held into the said complaint ; if not, whether Government propose to hold any inquiry ?

Rao Birendar Singh : Yes. A complaint dated the 6th January, 1960, is under enquiry through the Consolidation Officer, Flying Squad.

SANITARY ARRANGEMENT AT AMBALA BUS STANDS

***5538. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have received any complaints about there being no sanitary arrangements like latrines, etc., at the Bus-Stands of the Punjab Roadways at Ambala Cantt. and Ambala City ; if so, the action, if any, taken there ?

Rao Birendar Singh : No. Temporary latrines exist both at Ambala Cantonment and Ambala City Bus Stands. With the Completion of construction of Ambala Cantonment permanent bus stand in June, 1960, sanitary fitted latrines will be available for the passengers.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब को पता है कि मोटर बस के अड्डे पर इतनी ज्यादा गन्दगी है कि आने जाने वालों को सख्त मुश्किल पेश आती है ?

मंत्री : इस वक्त वहां पर temporary laterines हैं, नई बन जाएंगी ।

REPRESENTATION FROM TRANSPORT WORKERS' UNION, GURGAON

***5642. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any representation was received by Government from the Transport Workers Union, Gurgaon, about the sale of the Model Transport Co-operative Society, Limited, Gurgaon ; if so, the action, if any, taken thereon ?

Rao Birendar Singh : Yes. Dispute being in respect of sale of shares in a transport concern, no action was called for by the Transport Department.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमैंट की यह policy है कि transport concerns के shares की sale में transport concerns को preference दी जाय ?

मंत्री : ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट का इस से कोई ताल्लुक नहीं है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ABOHAR-SITOGANA-DABWALI AND ABOHAR-USMAN KHERA ROADS

***5631. Shri Sahi Ram Bishnoi :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the time by which the Abohar-Sitogana-Dabwali and Abohar-Usman Khera Roads will be completed ;

(b) the total mileage of the said roads and the details of the work done on them so far ;

(c) whether any contractor who had to do earthwork on the Abohar-Sitogana-Dabwali Road failed to do his work ; if so, the action, if any, taken against him ?

Chaudhri Suraj Mal : The answer is laid on the Table of the House.

a (I) Abohar-Sitogana-Dabwali Road

Section Abohar to Sitogana by March, 1962 and that from Sitogana to Dabwali in the 3rd Plan subject to availability of funds;

a (2) Abohar Usman Khera Road

Miles I to 13.25 during Second Five Year Plan; and the remaining in 3rd Five Year Plan subject to availability of funds.

b (I) Abohar Sitogana Dabwali Road

Total mileage is 33 and details of work done in Section Abohar to Sitogana are as under —

(i) Earthwork	..	7 miles
(ii) Collection of soling coat	..	3 miles
(iii) Construction of bridges and culverts	..	2 miles
(iv) Laying of soling coat	..	5 Furlongs

b (2) Abohar Usman Khera Road

Total mileage is 19.42 miles and details of work done in Section Mile I to 13. 25 are as under —

(i) Earth work	..	Complete except 2 furlongs in mile 2
(ii) Construction of new bridges and culverts	..	11 miles
(iii) Collection of soling coat	..	11 miles
(iv) Collection of wearing coat	..	10 miles
(v) Consolidation of soaling coat	..	10½ miles
(vi) Consolidation of wearing coat	..	6¾ miles
(vii) Collection of bajri for Ist Coat	..	6 miles
(viii) Collection of bajri for 2nd Coat	..	3½ miles
(ix) Surfacing Ist coat	..	5 miles

c. Abohar-Sitogana-Dabwali, Road

Yes; one Co-operative Society has been black-listed and notice served on the other.

———

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CONSTRUCTION OF RESIDENTIAL QUARTERS FOR MAGISTRATES IN FAZILKA CITY

*5632. **Shri Sahi Ram Bishnoi :** Wil' the Minister for Pubiic Works be pleased to state —

(a) whether some residential quarters for the Magistrates were built by Government in Fazilka City, in the year 1958 or 1959 ;

(b) the date when these quarters were complete ; along with the total amount spent thereon ;

(c) whether these quarters have since been occupied ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) Two residences for the Resident Magistrates were completed on 31st May, 1959. A total amount of Rs 40,000 was spent.

(c) The Magistrates did not occupy the houses as neither the boundary walls nor electricity has been provided.

VOLUNTARY EARTH-WORK ON CERTAIN ROADS IN DISTRICTS, BHATINDA AND SANGRUR

*5645. **Sardar Kartar Singh Diwana :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that earthwork on the following roads has been done voluntarily :—

(i) Bhikhi-Dhanaula Road in tehsil Mansa, district Bhatinda ;

(ii) Thikriwala-Reisas Channanwala-Behal Road in tehsil Barnala, district Sangrur, and

(iii) Pakhoke-Tapa Pakho Roads in tehsil Barnala, district Sangrur ;

(b) if the answer to part (a) above is in the affirmative, whether the said roads are proposed to be completed in the 3rd Five-Year Plan ;

(c) whether there is any proposal under the consideration of Government to extend the road mentioned in part (a) (ii) to Ramgarh so that it meets the Pakhoke-Ramgarh Road at that point ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) Yes ; but partly.

(b) No. But 4 miles of Bhikhi-Dhanaula Road (Bhatinda District) are proposed to be constructed during the 2nd Five-Year Plan period subject **to** the funds being made available.

(c) No.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਪੇ ਤਕ ਮਿਟੀ ਪੈ ਚੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡ ਦਿਤੀ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : Partly ਪਈ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : Executive Engineer ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।

THEFT CASES REGISTERED IN POLICE STATION JIND, DISTRICT SANGRUR

***5644. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of cases of theft registered in Police Station Jind, district Sangrur, during 1959, which remained untraced ;

(b) the value of property which was the subject of cases mentioned in part (a) above as per F.I.Rs ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) 10 cases.

(b) Rs 2,477.

CONCESSION IN PURCHASE TAX ON SARSON

***5643. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether Government have received any representation on behalf of the owners of power driven *Kolhus* in the State about the concession proposed to be given in purchase tax on Sarson as hinted in the Budget Speech 1960-61; if so, the action, if any, taken thereon?

Dr. Gopi Chand Bhargava :—
First part—Yes sir.
Second part—The representation was rejected.

पंडित श्री राम शर्मा : इस representation को reject करने की क्या वजह थी। क्या उस में कोई माकूल बात नहीं थी।

मंत्री : उस में कोई basis नहीं था इस लिये उसे accept नहीं किया गया ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Purchase Tax में concession लेने के लिये उन्होंने representation किया था ?

मंत्री : उन्होंने लिखा और हम ने उस पर गौर किया था। 1958-59 में जब यह टैक्स लगा था तो सब चीज़ हमारे सामने थी। जिस basis पर लगाया गया था उस पर उन्होंने एतराज़ किया था कि वसूल नहीं होगा। वह ख्याल उन का गलत था और इकरार नहीं किया गया था।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Central Government और पंजाब गवर्नमैंट दोनों ने Excise Duty लगाई हुई है ?

मंत्री : मुमकीन है कि ऐसा हो लेकिन जिन चीज़ों पर मश्विरे से Excise Duty लगाई जाती है उन चीजों पर sales tax charge नहीं किया जाता। लेकिन जो Central Government की Excise Duty है उस के लिये जरूरी नहीं कि Sales Tax charge न किया जाए ।

पंडित श्री राम शर्मा : बजट स्पीच में वायदा किया गया था कि जहां पक मुमकिन होगा रियायत की जाएगी । क्या वह मामला इस में नहीं आ गया ?

मंत्री : जी नहीं, यह नहीं आता है ।

KORAR DRAIN IN DISTRICT SANGRUR

*5627. **Sardar Kartar Singh Diwana:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the time by which Korar Drain in Tehsil Barnala district Sangrur is expected to be completed ?

Rao Birendar Singh : This drain is expected to be executed in the 3rd Plan, as the Lissara Nala where this drain will outfall will be completed during the next plan period. A cunette in the length of about 10 miles has, however, been dug with voluntary labour.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਇਸ Drain ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਸਰਕਾਰ alignment ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ voluntary ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ drain ਨੂੰ ਪੁਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਪੁਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਪਰ ਉਥੇ alignment ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : Alignment ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਫੇਰ ਪੁਟ ਲੈਣਾ ।

PAKHOKE-RAMGARH ROAD IN TEHSIL BARNALA, DISTRICT SANGRUR

*5626. **Sardar Kartar Singh Diwana :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the time by which Pakhoke-Ramgarh Road in tehsil Barnala, district Sangrur, is expected to be completed ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : In the 3rd Five-Year Plan subject to the availability of funds.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

DOCTOR INCHARGE, CIVIL HOSPITAL SULTANPUR, DISTRICT KAPURTHALA

***5670. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Doctor Incharge of the Civil Hospital, Sultanpur, district Kapurthala, is on leave ; if so, since when and for how long ;

(b) the arrangements made in the absence of the said doctor for the running of the said Hospital work ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : (a) Yes. He is on 4 months' leave since 23rd December, 1959 (forenoon).

(b) Lady Doctor J. Surrinder, Civil Assistant Surgeon, Class II (Non-Gazetted), is working in his place.

BUILDING OF A HARIJAN COLONY WITHIN THE MUNICIPAL LIMITS OF PALWAL (GURGAON).

***5676. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether any proposal to construct a Harijan Colony within the Municipal limits of Palwal (Gurgaon) is at present under the consideration of the Municipal authorities ;

(b) if the answer to part (a) be in the affirmative, whether Government have suggested to the Committee to acquire a particular piece of land for the purpose ; if so, the stage at which the matter stands at present ?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Question does not arise.

APPOINTMENT OF B.A.,B.T. TEACHERS

***5672. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) the total number of B.A., B.T. teachers who were interviewed by the Subordinate Services Selection Board, Punjab, during the current year and the number of those among them who have been appointed as teachers so far ;

(b) whether those who were appointed as teachers were at the top in the selection list as recommended by the said Board ?

Shri Yash Paul (Deputy Minister) : (a) 684 candidates were recommended by the Subordinate Services Selection Board. Out of them, 650 have been offered appointments. The total number of B.A., B.T. teachers, who were interviewed by the Subordinate Services Selection Board, during the current year, is not readily available.

(b) Yes.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CONSTRUCTION OF WAITING SHEDS AT BUS STAND IN BARNALA, DISTRICT SANGRUR

***5629. Sardar Kartar Singh Diwana :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether he is aware of the fact that there is no waiting hall at the Bus-stand in Barnala Town, District Sangrur ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether Government propose to construct waiting sheds there to provide relief to the passengers ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes.

(b) Steps are being taken to set up modern Bus Stands at all the District Headquarters and other important places.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿਚ waiting shed ਬਣਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ?

मंत्री : आप ने पूछा है कि क्या यह बात गवर्नमैंट के इल्म में हैं कि बरनाले में waiting shed नहीं है तो मैं ने जवाब दिया है कि मालूम है।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

मंत्री : आप ने यह तो पूछा नहीं।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਹ waiting shed ਬਣ ਜਾਏਗਾ ?

मंत्री : सब जगह बनाने हैं, जल्दी बन जाएंगे।

PLYING OF BUSES FROM BHADAUR (SANGRUR) TO CHANDIGARH AND BACK

***5630. Sardar Kartar Singh Diwana :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to ply Buses from Bhadaur in tehsil Barnala, district Sangrur, to Chandigarh and back ?

Rao Birendar Singh : No, Sir.

NUMBER AND MAKES OF BUSES AND TRUCKS PLY ON ROADS

***5677. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state separately the numbers and makes private, semi Government and Government buses and trucks which are registered in the State and which were plying on the roads in the years 1958-59 and 1960 (up to date) ?

Rao Birender Singh : A statement is laid on the table of the House.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

STATEMENT

Years 1958, 1959/1960

Class of vehicles	Total No. of vehicles registered and plying during the year	Dodge	Chevt.	Ford.	Mercedoz Benz.	Bedford	Leyland	Desoto	Studebaker	International	G.M.C.	Comer	Auto	Ownership of Vehicles		
														Private	Semi Government	Government
1	2	3												4		
Trucks																
1958	849	66	58	8	611	35	19	14	1	25	..	5	7	812	20	17
1959	766	54	65	21	440	29	118	6	..	18	2	9	14	747	2	17
1960	290	11	20	15	162	17	53	4	..	5	1	2	..	279	2	9
Buses																
1958	400	39	13	2	190	33	3	118	..	2	..	..	..	316	18	66
1959	391	56	27	4	123	40	17	114	4	5	1	..	..	297	18	76
1960	148	30	9	..	59	24	3	19	3	..	1	..	..	96	18	34

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री बलराम दास टंडन : जो statement दी गई है उस में बताया गया है कि 1960 में 30 buses Dodge make की खरीदी गईं। क्या यह सारी की सारी गवर्नमैंट ने खरीदी है ?

मंत्री : Statement जो दिया गया है उस में सारी information वाजेह तौर पर दी गई हैं।

श्री बलराम दास टंडन : इस में बताया गया है कि गवर्नमैंट ने कुल 34 buses खरीद कीं। लेकिन इस में यह clear नहीं कि गवर्नमैंट ने किसकिस make की खरीदीं।

Semi-Government	..	18
Private	..	96
Government	...	34

34 में से 30 Dodge make की खरीदी गई। क्या यह Dodge make की गाड़ियां सारी गवर्नमैंट ने खरीदीं —

Mr. Speaker: The hon. Member has asked for information separately about the numbers and makes of private, Semi Government and Government buses to which the Minister has given the reply as contained in the statement.

श्री बलराम दास टंडन : इस में बताया गया है कि 1960 में 34 buses गवर्नमैंट ने खरीदी। इस में से 30 Dodge make की खरीदीं। क्या बाकी के makes को अच्छा नहीं समझा गया ?

मंत्री : यह कहां है कि गवर्नमैंट ने 30 buses Dodge make की खरीदीं। इस के मुताल्लिक अगर अलहदा नोटिस दें तो बताया जा सकता है।

DRINKING WATER AND W.C. FACILITIES AT VARIOUS BUS STANDS

***5678. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether Government have provided facilities of drinking water and W.C.s for men and for women separately at the bus stands of Rayya, Phagwara, Ambala City, Ambala Cantt., Karnal, Rohtak, Gurgaon, Harike, Fazilka, Mukherian, Nangal and Jind ; if so, when; if not, the reason therefor ?

Rao Birendar Singh : (i) Yes, drinking water facilities are provided by the Punjab Roadways during summer at all these places.

(ii) W.Cs of modern design are being provided in the permanent bus stands being constructed at Ambala Cantonment and Gurgaon. Temporary W.Cs facilities for men and women separately exist on Roadways stands at Ambala City, Ambala Cantonment and Karnal. At other places, these facilities will be provided when pucca stands have been constructed.

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि पक्के बस सटैंड कब तक बन जाएंगे और W. C. facilities कब तक provide कर दी जाएंगी ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मंत्री : यह तो हर साल बनते रहते हैं । अलबत्ता किसी खास जगह के बारे में पूछा जाए तो जवाब दिया जा सकता है ।

श्री मंगल सेन : रोहतक ज़िले के बारे में बता दीजिए ?

मंत्री : इस के लिए नोटिस चाहिए ।

श्रीमती कृष्णा सेठी : अगर पक्के बस स्टैंड बनने में अभी काफी अरसा लगना है तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ आप के सामने है जिस से कि उस वक्त तक drinking water के लिये और W.C. facilities temporarily provide कर दी जाएं ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि जब पक्के बस स्टैंड बन जाएंगे तो इन चीज़ों के लिये भी इन्तज़ाम कर दिया जाएगा । (The hon. Minister has stated that when the Pacca bus-stands are constructed facilities for these things will also be provided.)

COMPLAINTS AGAINST MISBEHAVIOUR OF CONDUCTORS ETC. OF PUNJAB ROADWAYS

***5679. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of complaints received by Government against the misbehaviour of the conductors and of other officials of Punjab Roadways, Depotwise, during the last two years and action if any, taken thereon .

Rao Birendar Singh : The information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Year	*No. of complaints received*	*Action taken*	
1958			
1. Punjab Roadways, Amritsar.	7	Services terminated	5
2. Punjab Roadways, Jullundur	6	Officials warned	16
3. Punjab Roadways, Ambala	11	Complaints withdrawn by the complainants.	22
	24		
1959		Conductors not found at fault.	7
1. Punjab Roadways, Amritsar	4		
2. Punjab Roadways, Amritsar		Complaints filed for inadequacy of complainants address.	3
3. Punjab Roadways, Ambala	17		
4. Punjab Roadways, Gurgaon	3	Under enquiry.	8
	37		61

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

BOAT TRAGEDY IN SUTLEJ RIVER AT RUPAR HEADWORKS

***5675. Sant Sadhu Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government have made any enquiry into the Boat Tragedy which took place on 14th June, 1959 in Sutlej river at Rupar Head works ; if so, the result of the enquiry and the person found responsible for the incident ;

(b) the action taken against the officer responsible for the tragedy ;

(c) whether Government propose to pay any compensation to the families of the deceased ; if so, what ?

Shri Partap Singh Kairon : (a) and (b) (i) Yes..
(ii) A case is being registered under Section 304 (A) of the I.P.C., against the Driver of the boat.
(c) No.

SINKING DOWN OF VILLAGE HADIAYA IN DISTRICT SANGRUR

***5683. Sardar Rajinder Singh :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) whether it is a fact that village Hadiaya, tehsil Barnala, district Sangrur : has been sinking for the last several years;

(b) whether it is a fact that a fresh case about the sinking of a house has occurred in the village referred to above during the second week of February, 1960 ; if so, the details of this incident ;

(c) the steps, if any, being taken by Government to shift the inhabitants of the said village to safe place and to remove the daily anxiety of the villagers about the sudden sinking of their houses ;

(d) whether Government received any representation from the affected persons during the last three years about making some arrangements for their safety ; if so, when and action taken thereon ?

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) : (a) There has been no general sinking of the Village Hadiaya but cases of occasional sinking onfined to a part of the village have come to the notice of Government.

(b) Yes. It occurred on 12th February, 1960. An area of about 2 feet had sunk almost vertically in the house belonging to Shri Telu Ram of Dhanaula. None had been injured or rendered homeless.

(c) The matter was dropped as there was very little response from the villagers to go elsewhere but on a further representation, the matter is again under consideration of Government.

(d) Many representations have been received from time to time and matter is still under consideration.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ consider ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਣਗੇ ?

उद्योग मंत्री : इस में साल लगने का सावल नहीं है। गांव में रहने वालों की मुख्तलिफ राएं थीं। कुछ लोग तो गांव को shift करना चाहते थे और कुछ नहीं shift करना चाहते थे। उन लोगों की तादाद भी तकरीबन एक जैसी ही थी। इस लिए लोकल अफसरों को हिदायत की गई कि वे पता लगाएं कि ज्यादा लोगों की राए किस तरफ है। अब मेरा ख्याल है कि फाइल सेक्रेटेरिएट में पहुंच गई है, मेरे पास तो अभी तक नहीं आई, जल्दी ही फैसला हो जाएगा।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰ majority ਚਾਹੇਗੀ shift ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ shift ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ?

मंत्री : मैं इस बात के लिये अपने आप को commit तो नहीं कर सकता लेकिन अगर majority चाहेगी तो उन को shift करने का यत्न किया जाएगा। इस में दूसरी बहुत सी बातों का भी ख्याल रखना पड़ता है।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਹੈ ?

मंत्री : लोकल अफसरों की रिपोर्ट देख कर उन बातों पर विचार करना पड़ेगा। इस में सरकार को खर्च भी बहुत सा करना पड़ेगा।

पंडित श्री राम शर्मा : जब गांव sink कर रहा है तो क्या उन को shift करना सरकार की responsibility नहीं है, इस में भी majority और minority को देखना पड़ता है ?

मंत्री : ऐसी बात नहीं है कि सारा गांव sink कर रहा हो। मुझे सारी situation का पता है वहां पर कुछ houses के portion sink हुए हैं और वह भी occasional तौर पर sinking हुई है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को खतरे में नहीं समझते और वे shift नहीं करना चाहते लेकिन काफी तादाद ऐसी भी है जो कि shift करना चाहते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : जिस हिस्से के अन्दर sinking हो रही है उस को क्यों नहीं shift किया जाता ?

मुख्य मंत्री : जिन लोगों के घर sink हो रहे हैं अगर वे चाहें तो हम उन की मदद करने को तैयार हैं। वे अपने घरों को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सारे गांव को shift करना है तो और बात है, वह तब करें अगर ज्यादा लोग कहें तो जिन लोगों को खतरा नहीं है या जिन के घर sink नहीं कर रहे वे दूसरी जगह पर नहीं जाना चाहते। जिन लोगों को खतरा है उन को हम कहते हैं कि यहां नहीं तो वहां ले लो।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

पंडित श्री राम शर्मा : जो लोग shift करना चाहते हैं क्या सरकार उन की मदद करेगी ?

मुख्य मंत्री : वे अपने घरों को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सारा गांव दूसरी जगह जाना चाहता है तो उस के लिये सड़कें वगैरह बनानी पड़ती हैं वह तभी हो सकता है जब कि सारा गांव चाहे।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ Survey Government of India ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ caves ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ caves ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥਲੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ caves ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ sink ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾ sink ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹੋ ਗਲ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। (This is what the hon. Minister has already stated.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਮੈਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।

उद्योग मंत्री : मैं दोबारा बताने के लिये तैयार हूं। उनकी information सही नहीं है। वहां पर दो balanced parties हैं जिस की वजह से इस बात का फैसला करना कि सही तौर पर तादाद उन की ज्यादा है या उन की ज्यादा है off hand मुश्किल था इस लिये लोकल अफसरों को हिदायत की गई कि वे तफतीश कर के लोगों की majority क्या चाहती है उन की रिपोर्ट आने पर मुनासिब कार्यवाही की जाएगी।

पंडित श्री राम शर्मा : आप ने majority और minority की कैद क्यों लगा रखी है ?

मुख्य मंत्री : जिन का नुक्सान हो रहा है या जिन को खतरा है उन को मदद देने के लिये तैयार हैं अगर वे चाहें तो सौ गज के एरिया में उन को और जमीन दी जा सकती है। लेकिन अगर सारे गांव ने कहीं और जगह पर जा कर बसना है तो उस में सड़कें वगैरह बनानी पड़ती हैं और बहुत दिक्कत पैदा होती है। लोगों के कच्चे और पक्के घर बने हुए हैं वे और जगह पर जा कर कैसे बनाएंगे इतना पैसा कहां से लगाएंगे ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने कहा है कि दो बराबर की पार्टियां हैं, आधे चाहते हैं और आधे नहीं चाहते ।

उद्योग मंत्री : मालूम होता है कि कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है । जो लोग नहीं shift करना चाहते उन को जबरदस्ती तो उठाया नहीं जा सकता । जो लोग shift करना चाहते हैं और इस काम के लिये सहूलतें चाहते हैं गवर्नमैंट से कि उन को अलहदा ज़मीन दी जाए उन के ख्याल के मुताबिक और वहां पर development के लिये यह कर दिया जाए और वह कर दिया जाए । इस के लिये गवर्नमैंट को सोचने की जरूरत है । फिर वहां पर ऐसा खतरा तो है नहीं कि सारे गांव को बरबाद करके और जगह पर आबाद किया जाए । लोगों को मर्ज़ी को देखना पड़ता है ।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

COMMANDED AREA OF LAND IN VILLAGE JALLANVIRAN, DISTRICT KARNAL

2503. Shri Ram Piara : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total area, in acres of village Jallanviran near Naidak monor, in tehsil Karnal which is commanded ;

(b) the names of the persons in the said village who are regular shareholders in the Canal water meant for that village ;

(c) The area referred to in part (a) above which was under irrigation during the years 1956, 1957, 1958 and 1959 together with the water rate charged by the Irrigation Department from this village with the details of persons who have paid the water rate and the amount paid by each ;

(d) whether the water supply in the said village has been increased during the years 1957 and 1958 ; if so, how much and in respect of what lands with the names of the owners hereof ;

(e) the dates when the Ist and 2nd Chak Bandi of the said village took place ;

(f) whether any owners of the land in village Jallanviran were exempted from the paymcnt of water-rate due to the damage to their crops during the years from 1955 to 1959 ; if so, their names , the amount due from each, and the area in respect of which exemption was claimed by each ?

Rao Birendar Singh : (a) 678 acres ;

(b) Since there is no approved warabandi, the details of correct share-holders are not available in Irrigation Branch.

(c) Information regardng area irrigated and water rates charged during the years 1956 to 59 is enclosed. As regards details of persons who have paid the water rate and the amount paid by each, the possible benefit to be derived will not be commensurate with athe amount of time and labour involved in collecting the information.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(d) No supply has been increased permanently for this village. However temporary extra supply as given in the form] of temporary shoots during Kharif, 1957, 1958, and 1959. The details of area, discharge and names of persons are enclosed .

(e) Chakbandi of this village was sanctioned only once viz. in 1912.

(f) Yes. Required information is give in the statement enclosed.

Statement showing area irrigated and water rates charged, during the year 1956 to 1959, in village Jallanviran

Name of Crop		Area irrigat-ted	Amount of water rates charged
		Acres	Rupees
Kharif, 1956	..	188.01	1,643.31
Rabi, 1956-57	..	74.92	405.06
Kharif, 1957	..	224.26	1,924.56
Rabi, 1957-58	..	85.24	469.62
Kharif, 1958	..	215.96	2,020.18
Rabi, 1958-59	..	77.28	280.94
Kharif, 1959	..	178.67	1,842.31

Statement showing Temporary Shoots sanctioned for village Jallanviran

			R.D. of temporary shoot	Area in acres	Discharge (Cusecs)
1957	..	Shri Iqbal Nath ..	42,245 Right	100	1.66
1958	..	Shri Iqbal Nath	42,245 Right 48,500 Right	40 60	0.67 1.00
1959	..	Shri Iqbal Nath ..	48,320 Right	60	1.00
		Shri Kundan etc.	42,280 Right	40	0.67

Details of damage with names of persons who have been exempted from payment of water rates

Item No.	Names of persons	Names of Crops	AREA Bighas	Biswas	Amount Rupees
1	Dewan Iqbal Nath ..	Kharif, 1955	11	14	16-7-0
		Rabi, 1955-56	..	..	..
		Kharif, 1956	37	8	52-11-0
		Rabi, 1956-57	..	..	..
		Kharif, 1957	..	..	..
		Rabi, 1957-58	..	..	..
		Kharif, 1958	2.01 acres	..	19.63
		Rabi, 1958-59	..	..	..
		Kharif, 1959	..	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

REALISATION OF LAND REVENUE IN VILLAGE JALLANVIRAN, DISTRICT KARNAL

2504. Shri Ram Piara : Will the Minister for Revenue be pleased to state the total amount of land revenue collected by the Revenue Authorities from the villagers (Land owners and tenants) of village Jallanviran in tehsil and district Karnal during the period from 1954 to 1959, yearwise, together with their names ?

Gyani Kartar Singh : The requisite information is as follows—

Year	Total demand due	Name of the Land owners from whom due	Total amount recovered	Balance outstanding
	Rs.		Rs.	Rs.
1954-55	279	Sunder Dass, Shrimati Kesar Kaur, Chanan Singh, Harbans Singh and Iqbal Nath	279	..
1955-56	279	Ditto	279	..
1956-57	279	Ditto	279	..
1957-58	279	Ditto	279	..
1958-59	279	Ditto	279	..
1959-60 (Kharif 1959 only)	140	Ditto	140	..
Total	1,535		1,535	..

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

ALLEGED SALE OF BOGUS TICKETS BY CONDUCTORS OF PUNJAB ROADWAYS

***5780. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

3. 00 p.m.

(a) whether any case relating to the sale of forged tickets by the conductors of the Punjab Roadways has come to the notice of Government recently ; if so, when and the details thereof ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(b) the names of the conductors, inspectors and others involved in the case referred to above ;

(c) whether any estimate has been made of the loss to the State Exchequer as a result of the sales of the said forged tickects ; if so, what ;

(d) the name of the officer who detected and caught the culprits referred to in part (b) above red-handed ;

(e) whether any enquiry into the said case is being held ; if so, by whom and the result thereof ;

Rao Birendar Singh : (a) Yes. On the 8th of April, 1960.

During P.T.C's visit to Jullundur from 5th to 7th April, 1960, he was informed that some conductors were indulging in corrupt practices and depriving Government of its legitimate revenues by sale of duplicate counter feit tickets. General Manager was taken into confidence and a plan was prepared for lying a trap. Accordingly, on the 8th April, 1960, raids were conducted on several conductors who were suspected of indulging in this practice, and about five conductors were caught red handed and duplicated tickets were recovered from them. As a result of this raid the following officials, who were suspected of indulging in this practice were suspended forthwih —

1. Shri Ajit Singh, Conductor.
2. Shri Manjit Singh, Conductor.
3. Shri Hardip Singh, Conductor.
4. Shri K.P. Sharbati, Conductor.
5. Shri Tirlok Chand, Conductor.
6. Shri Nachhatar Singh, Conductor.
7. Shri Om Parkash, Conductor.
8. Shri K.K. Puri, Inspector.
9. Shri Pritam Singh, Conductor.

(b) The names of the officials are as mentioned already in part (a)

(c) No estimate can be made, as from the existing statements of the conductors the practice started only recently, but it is possible it may have been there in a lesser degree earlier. Therefore, no definite answer can be given to this query at this stage. Howefer, overall receipts per mile in Punjab Roadways, Jullundur, have shown a rise rather than a fall.

(d) Shri J.N. Durani, Works Manager, Punjab Roadways, Jullundur, who was specially deputed by the General Manager for this raid.

(e) The case has been reported to the Police. Simultaneously, departmental enquiry is being held and officials mentioned in part (a) have been suspended as a result of departmental action. The enquiry is being conducted by the General Manager, Punjab Roadways, Jullundur.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ enquiry ਇਸ case ਤੇ ਚਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ date ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਲ੍ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मंत्री : Enquiry अभी जारी है, case पुलिस के पास है।

श्री बलराम दास टंडन : मिनिस्टर साहिब ने जवाब में बताया है कि enquiry अभी शुरू हुई है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार ने कैसे इस बात का जायज़ा लिया कि यह scandal अभी recently शुरू हुआ है, और पहले नहीं था ?

मंत्री : जवाब में बता दिया जा चुका है कि उन की statements से ही यह मालूम होता है। लेकिन possibility है कि यह सिलसिला पहले भी होता रहा हो। मैं definitely अभी कुछ नहीं बता सकता।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ notice ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ duplicate tickets ਕਿਹੜੀ press ਵਿਚ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ?

मंत्री : अभी मेरे पास कोई information नहीं। जब तक enquiry मुकम्मल न हो जाए यह कैसे बताया जा सकता है ?

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ during this enquiry ਕਿਸੇ press ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

श्री बल राम दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहब बताएँगे कि पुलिस नें कोई arrest भी की है ?

मंत्री : इससे ज्यादा information इस वक्त मेरे पास नहीं है बहर हाल case police को दिया जा चुका है। Up to this minute यही information मेरे पास है।

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to lay on the Table the Notification publishing the draft amendment of tne Punjab Land Revenue (Assessment) Rules, 1929, as required under section 60A of the Punjab Land Revenue Act, 1887.

Mr. Speaker : The Secretary will now make an announcement.

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table a statement showing the Bills wnich were passed by the Punjab State Legislature, during its Eighth (December) Session, 1959/current Ninth (Budget) Session, 1960, and which have since been assented to by the President/Governor.

Statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during its Eighth (December) Session, 1959, and current (Budget) Session, 1960, and assented to by the President/Governor

1. The Punjab Resumption of Jagirs (Amendment) Bill, 1959.
2. The East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation (Third Amendment) Bill, 1959.
3. The Punjab Appropriation (No. 4) Bill, 1960.
4. The Punjab Appropriation (No. 5) Bill, 1960.—

THE COURT FEES (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1960 (RESUMPTION OF DISCUSSION) CONCLD

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. जनाब, कल court fees वाले बिल पर बहस हो रही थी। अभी 3rd reading

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

stage पर चार पांच मैम्बर साहिबान बोलना चाहते थे। बावजूद इस बात के कि कोई closure motion move नहीं की गई थी, डिप्टी स्पीकर साहिब ने साढ़े छ: बजे ज्ञानी जी को बोलने के लिए call upon किया। दर असल उस वक्त साढ़े छ: बज चुके थे। कोई closure motion move नहीं हुआ था।

श्री अध्यक्ष: जरूरी नहीं कि हर बार closure motion move की जाए। (It is not necessary that every time a closure should be moved)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਗੋਂ High Court ਵਿਚ writ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਨ 1958-59 ਵਿਚ Administration of Justice ਤੋਂ 79,03,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਕੜਾ ਖਰਚ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ—1,00,45,160 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ 1959-60 ਵਿਚ income ਹੋਈ 88,93,680 ਰੁਪਏ ਅਤੇ Administration of Justice ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ 1,04,83,400 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ 20,00,000 ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣ ਲਈ।

Law Commission ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ writ petitions ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ High Court ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ writ petitions ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ High Court ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ writ petitions ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਲਈ High Court ਦੇ ਜਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚਿ ਪੰਜਾਬ High Court ਵਿਚ 1956 ਵਿਚ 12 ਜਜ ਸਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ..(ਇਕ ਆਵਾਜ਼: ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ) ਸਿਰਫ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ writ petitions ਇਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਕ ਅਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਹਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਇਹ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ writ petitions ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਹਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਕੇ ਇਥੇ ਆਮ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲ ਵਾਰ ਜੋ ਰਿਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 1957 ਵਿਚ 1,169 ਕੁਲ writ petitions ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 243 ਤਾਂ ਕਚੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ 516 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਲ 1,169 ਰਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 793 ਰਿਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਰਿਟਾਂ High Court ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। 1958 ਵਿਚ 1.338 ਰਿਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 359 ਤਾਂ ਕਚੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉੜ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ 854 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 114 ਰਿਟਾਂ High Court ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ। 1959 ਵਿਚ 1335 ਰਿਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 451 ਕਚੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉੜ ਗਈਆਂ ਔਰ 1,060 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ 1,591 ਰਿਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 1,591 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 80 ਰਿਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਆਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਨੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ....

श्री लाल चन्द : On a point of order, Sir. इस हाउस के जितने भी lawyer मैम्बर साहिबान हैं इन में से कोई भी मैम्बर High Court में practice नहीं करता। तो मैं ज्ञानी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इन

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मैम्बर्ज़ पर ही aspersion कर रहे हैं या इन्हें High Court की Bar Association के मैम्बरों के बारे में गिला है ?

Mr. Speaker : When you are sitting here in the House, you are sitting as a Member of the House and not a Member of the Profession.

Shri Balram Das Tandon : Sir, he is casting aspersions on the whole community of lawyers.

चौधरी धर्म सिंह राठी : वज़ीर साहिब को तो उन का मशकूर होना चाहिये क्योंकि उन्हों ने contempt of court वाले case में इन की मदद की थी ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, contempt ਵਾਲੇ case ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪ interested ਸਨ । ਬਾਕੀ ਇਹ ਗਲ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ High Court ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੋ ਹੀ ਗਲ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੋ profession ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ । ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ profession ਵਿਚ ਲਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਭਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇ High Court ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਲ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

Shri Lal Chand : On a point of information, Sir.

Mr. Speaker : He is not giving way.

Shri Lal Chand : Sir, he has now given way.

Minister for Revenue : No Sir, I have not.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ writs ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਫ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋਣ ਔਰ writs ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਖਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ public ਦੇ good ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਇਥੇ ਰਿਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਚੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ । 1,591 ਰਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 80 ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ court fees ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ figures ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 500 ਵੀ court fees ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Question is—

That the Court Fees (Punjab) (Amendment) Bill be passed.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it". This opinion was challenged. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried

THE INDIAN STAMP (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ stamps ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਕਮ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀ decimal coinage ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री लाल चन्द (जालन्धर शहर, उत्तर पूर्व) : स्पीकर साहिब, इन्होंने कहा है कि clauses 44 और 60 को amend कर दिया जाय और वहां जो 'as in scheduled one है' उस की जगह '10 नए पैसे' लिख दिया जाए। जनाब, ऐसा मालूम होता है कि Centre से जितना एतराज़ आ जाता है उसी को पढ़ कर Law Department लिख देता है कि इतना amend कर दिया जाए। और कुछ देखने की कोशिश नहीं करते। नतीजा यह होता है कि हर session में Amending Bill लाए जाते हैं। मैं आप का ध्यान Entries Nos. 9, 11, 47, 49, 51, 52 और 53 की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह जो तब्दीली 44 और 60 नम्बर की entries में कर रहे हैं वही लफ्ज़ इन entries में भी लिखे हुए हैं 'as in schedule one' मगर उन को amend नहीं कराया जा रहा। वहां पर पहले की तरह 'one anna' या 'two annas' के लफ्ज़ रहेंगे जब कि entry 44 और 60 में इन्हीं लफ्ज़ों की जगह नए पैसे करा रहे हैं। आज तो उन सारी entries को amend नहीं करा रहे मगर कल को ही यहां amending Bill आ जायगा कि 'दो आने' की जगह '12 नए पैसे' कर दिए जाएं। यह गलत तरीका है। सरकार का और लोगों का लाखों रुपया खर्च होता है, मैम्बर्ज़ का वक्त ज़ाया होता है। जहां Centre ने एतराज़ कर दिया वही सामने ले आते हैं,

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उससे आगे बढ़ कर कुछ नहीं सोचते । मैं वज़ीर साहिब से पूछता हूं कि क्या वह इन entries को भी amend करना चाहेंगे या नहीं ?

माल मंत्री : इस वक्त तो कोई इरादा नहीं।

श्री लाल चन्द : तो क्या उन को फिर लाओगे ?

माल मंत्री : अगर ज़रूरत पड़ी तो लाएंगे।

श्री लाल चन्द : ज़रूर सरकार का और लोगों का पैसा ज़ाया करवाना है ?

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, हाउस के मुअज़िज़ मैम्बर श्री लाल चन्द सभ्भरवाल ने जो एतराज़ उठाया वह बिल्कुल ठीक है। सरकार कभी इन चीज़ों को अच्छी तरह देखने की कोशिश नहीं करती। बार बार यहां amending Bills लाती है। मैंने एक वज़ीर साहिब से पूछा कि आखिर आप यह क्या कर रहे हैं क्या यहां decimal coinage ला रहे हैं, कहीं सम्वत् बदल रहे हैं, कहीं किलोमीटर्ज़ का सिलसिला चला रहे हैं। यह सब क्या बात है ? तो उन्होंने कहा कि हम यह सब कुछ इस लिए कर रहे हैं कि कोई समझ न सके कि यहां क्या हो रहा है। इन्होंने सम्वत् तब्दील किया हुआ है। यहां इस House में आप बैठे हैं, वज़ीर साहिबान बैठे हैं, वकील साहिबान भी हैं, क्या इन में से कोई बता सकता है कि सरकारी सम्वत् की आज कौन सी तारीख है और कौन सा महीना है। यही हाल नाप तोल का भी है। मैं एक रोज़ petrol लेने गया वहां अब गैलन नहीं litre हो गया है। कुछ पता नहीं चलता यह कितना दे रहे हैं और क्या कीमत दी जाए। मीलों की जगह पता नहीं metre वगैरह, क्या लिख दिया है ? अब अक्तूबर से फर्लांग वगैरह नहीं रहेंगे। यह सब ऐसे काम कर रहे हैं कि कुछ किसी को समझ न आए। पता नहीं इन को क्या तकलीफ हुई है।

श्री अध्यक्ष : आप को आगे बढ़ा रहे हैं, पीछे नहीं हटा रहे। (They are taking the country forward and not backward.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह बहुत पीछे ले जा रहे हैं। पढ़े लिखों को ही यह बातें समझ नहीं आ रहीं तो अनपढ़ लोगों को तो 10 साल नहीं समझ आएंगी। मैं सच कहता हूं और आप को भी तजरुबा होगा कि अगर कोई चीज़ लें और रुपया दें तो जितने वह पैसे बाकी दे देता है उतने ही बिना कुछ कहे जेब में डालकर चल देता है क्योंकि वह इस का हिसाब ही नहीं लगा सकता। उन से पूछें तो वह यही कहता है कि कुछ समझ नहीं आता। यह कहते हैं कि ऐसे काम करो कि किसी को पता न रहे कि क्या हो रहा है। अन्धेर खाता चलाओ (घंटी) अन्धेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। मैं एक मिनट और लूंगा। मैं ने history पढ़ी है। अगर कभी इतनी गड़बड़ थी तो वह बच्चा सक्का के राज में थी। सुना था कि अफगानिस्तान म उस का ऐसा ही राज था जैसा कि यहां कैरों का राज है ......

श्री अध्यक्ष : छोड़िए आप। (Please leave this topic alone.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी धर्म सिंह राठी : बार बार एक ही चीज़ को लाते हैं। साफ देख रहे हैं कि इस को और भी amend करने की ज़रूरत है मगर कहते हैं फिर लाएंगे। हम कहते हैं कि एक ही बार जो तब्दीली करने वाली है कर लो, बार बार पेश करने का कोई फायदा नहीं।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ Bill ਕਈ ਵੇਰੀ ਇਸ House ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ point out ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਮੁਕੰਮਲ bill ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਰ ੨ ਇਕੋ ਹੀ amendment ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ amendment ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਸਿਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰ ੨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਈ ਗਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) State ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ੨ ਮਸਲੇ ਉਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਇਥੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਤਰਮੀਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਜਦ ਜਦ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮਰਿਤੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਝਟ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Indian Stamp (Punjab)(Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : The House will now proceed to consider the Bill, clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 2

ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ (ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਤਰ ਪੂਰਬ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ । Centre ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹਨ 'as in schedule one' ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ । ਇਹੀ ਲਫਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ 5 clauses ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਪਰ Law Department ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕੇ ਉਲਟਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ । ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ far sighted ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਨੇ ਵਾਂਗ ਜੇ ਬਟੇਰ ਹਥ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ । ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ amendment ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ tax payer ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ No. 2 ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਕ ਆਨਾ ਉਹਦਾ translation ਕੀਤਾ ਹੈ 10 ਨਏ ਪੈਸੇ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਛਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਇਕ ਆਨੇ ਦੇ ਤਾਂ 6 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਏਥੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 10 ਨਏ ਪੈਸੇ ਇਹ ਦੇ parent act ਵਿਚ ਵੀ ਕਿ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ । (Let the hon. Member please speak with composure.)

ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ : ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ aims and objects ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ Act ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਤਰਕੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ Law Department ਵਲ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ Legal Remembrencer ਨੂੰ ਵੀ point out ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਜ ਉਹ ਏਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर-पश्चिम) : यह जो statement of objects and reasons दिया है इस में साफ तौर पर एक आना दरज किया गया है जिस का मतलब 6 नये पैसे है। आज हम इसे बढ़ा कर 10 नये पैसे करना चाहते हैं। जनाब इस पर मैं आपका ruling चाहता हूं। जब इस के statement of objects and reasons में यह mention किया गया है that they are only converting the rates of stamp duty into decimal coinage and nothing else. I want to know whether the Bill being faulty can be introduced and then passed.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ acertain ਕਰ ਲਉ ਕਿ ਏਥੇ; ਇਕ ਆਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । Then I think you should have a certificate. It is a money Bill. (Addressing the Minister for Revenue) Giani ji may first ascertain whether he wants to retain here one anna or something more than this amount. Then I think he should have a certificate because it is a money Bill.)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਨਏ ਪੈਸੇ substitute ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ amendment ਦੁਆਰਾ ਕਰਾ ਲਉ ਕਿ 10 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਇ 6 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਰਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਲਵੋ । (If the hon. Minister wants to substitute 6 naye paise for 10 naye paise by an amendment, then I am prepared to accept it.)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ amend ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 6 ਨਏ ਪੈਸੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇ ਵਿਚ figures ਜੋ ਹਨ ਉਹ 5-10-50 ਅਤੇ 100 ਨਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਏਥੇ ਇਹ 5 ਨਏ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

चौधरी इन्द्र सिंह : On a point of order, Sir, अगर 6 नये पैसे की बजाये 5 या 10 नए पैसे कर देते हैं तो इस की financial implications होंगी। जिस का मतलब है कि यह money Bill है और इस के लिए certificate की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : ज्ञानी जी, जब भी हमें constitution के मुताबिक कोई Financial Bill या Money Bill लाना हो जिसके ज़रिये revenue में कोई कमी या बढौती करनी हो तो उस के लिये एक regular procedure है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

आज मैं इस बिल को postpone करता हूं आप इसे फिर ला सकते हैं। कल ले आयें या परसों ले आयें। (The hon. Minister may know that there is a regular procedure to be observed whenever under the constitution a financial or Money Bill seeking an increase or decrease in the revenue, is to be brought forward. To-day I postpone the consideration of this Bill and he may bring it on the agenda tomorrow or day after.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।

THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) (SECOND AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1960

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once.

(*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair*)

डिप्टी स्पीकर साहिब, consolidation करते वक्त, गांव की communities के लिये और बहुत सारे common purposes के लिये ज़मीनें निकाली जाती हैं। यह schools के लिये और बहुत सारे common purposes के लिये होती हैं। इस के इलावा पंचायतों के लिये भी अलहदा ज़मीन रखी जाती है, जहां पर पंचायतें गांव का काम कर सकें। पंचायतों की आमदन बहुत कम होती है और ज़्यादा Tax लगाने की गांव की community पर गुंजायश नहीं होती इस लिये यह ज़रूरी है कि consolidation के दौरान में ही गांव की पंचायतों की आमदनी के लिये कोई ज़मीन रखी जाये। आज कल High Court से ऐसे फैसले हुए हैं जिन की रू से यह चीज़ *ultra vires* करार दी गई है। इस लिये यह बिल लाया गया है कि पंचायतों की आमदनी के लिये कोई अलहदा ज़मीन रखी जाये ताकि पंचायतों के काम में तरक्की हो। इस के इलावा यह बिल लाने की एक और ज़रूरत यह भी पड़ी है कि अगर Government कोई तरमीम दफा 42 की रू से करना चाहे या scheme को ठीक करने के लिये कोई तरमीम करना चाहे उस के लिये भी High Court की तरफ से इस चीज़ को नाजायज़ करार दिया गया है। अल्फाज़ order के हैं कि किसी order को गवर्नमैंट revise कर सकती है या amend कर सकती है। तो इस दफा 42 से पूरा फायदा उठाने के लिए और कम से कम खर्च करके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तसल्ली देने के लिए यह जरूरी हो गया कि Consolidation के लिए जो ceiling के order pass हों उनको भी पास किया जाय इस लिए यह बिल लाया गया।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

एक और बात थी कि जहां पर surplus ज़मीनों पर मुज़ारे हैं और ज़मीनों की जहां पर लम्बी लम्बी lease होती है वहां पर मुजारे चाहते हैं कि उनकी ज़मीनों को इकट्ठा कर दिया जाए। तो उनको इस बात की facility दी जाती है, इस लिए यह जरूरी है कि उनसे फीस ली जाए। इस लिए बिल में यह clause रक्खी गई है। उधर मालकान इस बात में दिलचस्पी नहीं लेते कि holdings मुजारों की इकट्ठी हो जाए। तो लम्बी lease holders को जिस चीज़ से फायदा पहुंचता हो उस मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए यह provision रखी जा रही है कि उनसे fees वहां वसूल कर ली जाए जहां उनको फायदा पहुंचता है। और अब तक ऐसा होता रहा है कि जहां उनको फायदा पहुंचता रहा है वह fees अदा करते रहें, और बड़ी खुशी से अदा करते रहे हैं। अब इसको legal form देने के लिए यह बिल लाया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको पास करेगा।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once.

Shri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, 1960, be circulated for eliciting the opinion of the landowners of the Punjab by 30th June, 1960.

डिप्टी स्पीकर साहिब, Consolidation Act के Rule 16 के तहत दो हिस्से हैं जिनके बारे में हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। पहिला हिस्सा यह है कि गांव के अन्दर non-proprietors के बसाने के लिए ज़मीन दे दी जाए। इस के लिए तो High Court ने कह दिया है कि यह ठीक है। और यह बात भी ठीक है। लेकिन जहां पंचायत को ज़मीन देने का ताल्लुक है उसके लिए High Court ने कह दिया कि यह ठीक नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिब, हैरानगी की बात है कि पंजाब के अन्दर इतने साल से इस्तेमाल हो रहा है और न जाने कितनी कितनी नाजायज़ कार्रवाइयां की गई हैं। इनको कोई हक नहीं था कि मालकान की ज़मीन में से छीन कर पंचायत को ज़मीन दी जाये।

डिप्टी स्पीकर साहिब, अगर आप असैम्बली की कार्रवाई उठा कर देखें तो पता चलेगा कि जो भी कानून यहां पर आया है उसमें यही बात रही है कि किस तरह से मालकान से ज़मीन छीनी जाए। इस कानून का भी मतलब यही है। एक बात और देखने की है कि इस बिल के यहां पास हो कर जाने के बाद गवर्नर साहिब फौरन मंजूरी दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने वाली बात है कि इसी हाउस से Village Common Land Bill pass हो कर गया लेकिन उसका आज तक पता नहीं कि कहां गया क्योंकि उसमें ज़मीन की लोगों को सहूलत मिलती थी। मैं समझता हूं कि उस बिल का पता लगेगा भी नहीं। लेकिन यह, यह फौरन मंजूर हो जाएगा।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मैं, जनाब, आपकी बिसातत से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी Municipal Committees के अन्दर यह कानून पास किया कि वहां पर आस पास की ज़मीनों को common purpose के लिए ले लिया जाय ? नहीं किया, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े आदमी हैं इस लिए उन्हें कोई नहीं छूता। लेकिन यहां पर जो लोग देहात में छोटे-छोटे ज़मीन के मालिक हैं उनकी ज़मीनें छीनने की कोशिश होती है। फिर पंजाब के अन्दर जो Consolidation Rules हैं उनको मैंने पढ़ा है, वहां पर छोटे ज़मीदार या बड़े ज़मीदार से कितनी कितनी ज़मीन लेनी है इस की कोई तमीज़ नहीं है। सब यकसां हैं। यह एक ज्यादती है। यह पंजाब के अन्दर 11 साल से खिलाफकायदा काम करते रहे हैं, लेकिन आज उसको validate कर रहे हैं और गैरकानूनी कार्रवाइयों को legalise कर रहे हैं। और जब High Court ने यह फैसला दे दिया कि यह नाजायज़ है तो फिर Judiciary का independent होने का क्या फायदा क्योंकि आप फिर भी उस फैसले की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। पंजाब में यह हो रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना जाता। अगर नहीं तो, कोई भी मुझे बता दे कि High Court के एक फैसले को जिसको 9 महीने हो गये हैं किसी ने माना ? इस से ज्यादा तौहीन और क्या हो सकती है हाई कोर्ट के फैसले की ? डिप्टी स्पीकर साहिब, इस राज में, और खास तौर पर कांग्रेस के राज में न Constitution की परवाह है न High Court के फैसले की, यहां तो सिर्फ अगर परवाह है तो एक आदमी के हुक्म की, वह है सरदार प्रताप सिंह कैरों का हुक्म। वही सब कुछ है, वही विधान है, वही Constitution है फिर कहते हैं कि पंजाब में democracy है।

Mr. Deputy Speaher ; Order please.

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब यह तब्दीली करने वाले भी Chief Minister हैं मैं ज़ोर से कहना चाहता हूं कि जो छोटे मालकान हैं उन को मत मारो। राओ साहिब मुझे पता है आप बड़े आदमी हैं। मैं आप से कहूंगा कि आप को कम अज़ कम छोटे आदमियों से हमदर्दी करनी चाहिए। मैं कांग्रेस की बैंचों पर बैठे हुए दोस्तों को कहता हूं कि आप को उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आप को अपने वोट दे कर M.L.A. बनाया है। अगर आप उन से हमदर्दी नहीं करेंगे तो फिर आप M.L.A. नहीं बन सकते M.L.C. बेशक यहां से बना दिए जाओ। मैं कहता हूं कि आप उन गरीबों का जरा ख्याल करो जिन को आप इस Bill के ज़रिए मारना चाहते हैं। इस Government ने तो खेती करने वालों की ज़मीन को ऐसे समझ रखा है जैसे लूट का माल हो। स्कूल बनाना हो तो ले लो किसानों की ज़मीन, नहर खोदनी हो तो ले लो ज़मीदारों की ज़मीन, सड़क बनानी हो तो ले लो किसान की ज़मीन। कोई भी काम करना हो किसान की ज़मीन पर छापा मारने के बाद किया जाता है। उन को न कुछ मुआवज़ा दिया जाता है और न ही उन का कोई और फायदा किया जाता है। जो भी कानून बनाते हैं, वह किसानों की

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

जमीन छीनने के लिए बनाते हैं जैसे वह लूट का माल होता है। मैं बताना चाहता हूं कि इस किस्म की बात पंजाब में ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर आप खेती करने वालों और मुज़ारों को मारने की बात सोचेंगे तो समझ लो कि कांग्रेस Government का वक्त करीब आ गया है। अगर आप ऐसा कानून पास करेंगे तो कांग्रेस Government का खात्मा जल्दी ही हो जाएगा। मैं इस Bill की सख्त मुखालफित करता हूं और Clause 3 के अन्दर जो common purposes की definition की है उस में लिखा है—

"(i) extension of the village Abadi ; and

(ii) providing income for the Panchayat of the village concerned for the benefit of the village community".

यह दो चीज़ें Principal Act में शामिल करना चाहते है। यह कहते हैं कि मालकान की ज़मीन ले कर villages की तरक्की करनी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो revenue collect किया जाता है उस का 10 फीसदी Panchayats को देने की बजाए आप उन्हें 25 फीसदी क्यों नहीं दे देते। यह जो उन की ज़मीन छीनने वाली बात है यह बिल्कुल नामुनासिब है। जितनी ज़मीन जिस की है वह उतनी ही लेना चाहेगा और अगर किसी को उस से कम मिलेगी तो उस से झगड़े पैदा होंगे।

Mr. Deputy Speaker : This is not relevant please.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस Bill के अन्दर फलां फलां खामियां हैं और यह Bill चूंकि मालकान से ताल्लुक रखता है इस लिए ज़रूरी है कि इस को मालकान की राए लेने के लिए circulate किया जाए। मैंने देखा है America के अन्दर जब कोई Bill बनता है तो उस को पहले उन लोगों में circulate किया जाता है जिन से उस का ताल्लुक होता है और उन की opinion ली जाती है। आप को भी चाहिए कि इस Bill को 30 June तक circulate किया जाए और land owners की राए ली जाए ताकि यह पता लग सके कि वह लोग क्या चाहते हैं। आया वह अपनी जमीन देना चाहते हैं या नहीं। अगर वह जमीन देना चाहें तो बेशक यह Bill पास कर दो और अगर वह न देना चाहें तो इस को न पास किया जाए। आप जबरदस्ती डंडे के ज़रिए उन की ज़मीन छीनने जा रहे है और उन की राए भी नहीं लेना चाहते। आप को पहले उन से दरियाफ्त करना चाहिए कि इस के बारे में आप की क्या राए है। आप यह एक नई चीज कर रहे हैं कि फीस tenants से recover की जाएगी और मलकियत मालिक की रहेगी। आप गरीबों पर बोझ डालना चाहते हैं। यह बात बिल्कुल नामुनासिब है। इस लिए ज़रूरी है कि आप उन की राए लें और इस Bill को circulate करें। अगर इस Bill को circulate

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

न किया गया तो यह बड़ी भारी ज़्यादती होगी। यहां से अब चौधरी सूरज मल उठ कर चले गए हैं क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे खरी खरी बातें सुननी पड़ेंगी। वह जब जलसे में तकरीर करते हैं तो कहते हैं कि यह ज़मीदारों का राज है और सर छोटू राम के बाद मैं ही एक आदमी हूं जो कि उन के programme को पूरा कर सकता हूं। पता नहीं वह किस तरह और कब उस programme को पूरा करेंगे। वह फायदा यह कर रहे हैं कि ज़मीदारों को खत्म करने के लिए कानून पास करवा रहे हैं। वह इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं। राओ साहिब भी शायद यहां पर न बैठते मगर उन को इस लिए बैठना पड़ा क्योंकि यह Bill उन की तरफ से आया है। मैं उन से निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि कम अज़ कम आप के ज़रिए यह Bill नहीं पास होना चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : दीवाना साहिब को गांव की तरक्की का फिक्र हो रहा है। मैं कहता हूं कि जो land revenue लिया जाता है उस में से आधा पंचायतों को दे दिया जाए इस के इलावा जो blocks का रुपया होता है उस से गांवों की development हो सकती है लेकिन लोगों की ज़मीन छीनना ठीक नहीं है। एक तरफ तो Government चाहती है production बढ़े फसलें अच्छी हो और दूसरी तरफ उन की ज़मीनें छीन रही है। जब आप लोगों की ज़मीनें छीन लेंगे तो बताओ उनकी तरक्की कैसे होगी। शायद दीवाना साहिब समझते हैं कि अगर खेती करने वालों की ज़मीन छीन लो तो तरक्की हो जाए गी। दीवाना साहिब इस तरह तरक्की नहीं होगी .....

4 p.m.

एक आवाज़ : चौधरी सूरज मल भी आ गए हैं।

चौधरी धर्म सिंह राठी : अच्छा हुआ चौधरी साहिब आ गए हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि क्या यही बिल है जो ज़मीदारों की भलाई का है? क्या यही प्रोग्राम चौधरी छोटू राम का बाकी रह गया था जिसे अब आप पूरा कर रहें हैं कि ज़मीदारों कीं ज़मीनें छीन लो। चौधरी सूरज मल को बस सड़कों का महकमा दे रखा है और कोई महकमा ही उनको नहीं मिल सका (हंसी) लेकिन मैं उन से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह बिल ज़मीदारों की भलाई का नहीं है। मैं चौधरी साहिब की बड़ी इज्जत करता हूं और वह मेरे बज़ुर्ग हैं लेकिन मैं कहता हूं कि यह जो कानून आपकी सरकार लाई है कि ज़मीदारों की ज़मीनें छीन कर पंचायतों को दे दो यह ज़्यादती है और ज़मीदारों के हित के खिलाफ है। अगर यही हित की बात आप समझते हैं तो मैं कहता हूं कि चौधरी सूरज मल का दिल अब बदल चुका है। आखिर में मैं ज़्यादा न कहता हुआ यही कहूंगा कि इस बिल को public opinion के लिए 30 जून तक circulate किया जाए और land owners की राए ली जाए और उसके बाद उस राए के मुताबिक इसे यहां पेश किया जाए।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, 1960, be circulated for eliciting the opinion of the landowners of the Punjab, by 30th June, 1960.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ, ਜਨਰਲ) ; ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ amending ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ legality ਅਤੇ constitutional position ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ full bench ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ Act ਦੇ ਕੁਝ ਹਿਸਿਆਂ ਅਤੇ ਰੂਲ 16 ਨੂੰ invalid ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ validate ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ constitutional flaws ਹਨ । ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ legality ਵੀ doubtfull ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ stand ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਿਲ-ਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਾਂਗਾ । ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ Act ਦਾ scope change ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਂ । ਇਹ Act 1948 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ scope consolidation of land and prevention of fragmentation of holdings ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ scope ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ statement of objects and reasons ਵਿਚ ਅਤੇ preamble ਵਿਚ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ holdings ਦੀ fragmentation ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ common purposes ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ common purposes ਦੀ ਕੋਈ defintion ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸਦੇ scope ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ common purposes ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਣ । ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਫੇਰ 1954 ਵਿਚ amend ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ amendment ਰਾਹੀਂ common purpose ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ reserve ਕਰਨ ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । Mansha Singh and others ਵਲੋਂ letters patent appeal ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ full Bench ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਰੂਲ 16 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ultra vires of the constitution ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ । ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ title change

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ sutherland statutory constructions ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ study ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ title ਵਿਚ ਦੋ subject-matters ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ original Act ਦਾ ਜੋ scope ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ consolidation of land and prevention of fragmentation of holdings ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ common purpose ਲਈ ਕੋਈ scope ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ amendment ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੇ scope ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੇ title ਨੂੰ change ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । Sutherland statutory consolidations ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ clearly ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ

"No statute shall embrace more than one subject, which subject shall be expressed in the title. Variations in phraseology are frequent".

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ title ਨੂੰ amend ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ subject matter ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ—

"The provision in almost all state constitutions that no act shall contain more than one subject, which shall be expressed in its title, is applicable to an amendatory act with the same force as it is to an original act".

ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਐਕਟ ਦਾ ਜੋ subject-matter ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੋਰ subject-matter ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ title change ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਜ਼ 2 ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :

"In the long title of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (hereinafter referred to as the principal Act), the words "and for the assignment or reservation of land for common purposes of the village" shall be, and shall be deemed always to have been, added at the end".

ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ subject-matter ਹੀ add ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ retrospective effect ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । Constitutional law ਦਾ ਇਹ principle ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ right vest ਜਾਂ divest ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ retrospective effect ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ title ਹੀ change ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ retrospective effect ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ property vest ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ legalise ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ safe ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ validation constitutional law ਦੇ fundamental principles ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ purpose ਤੇ scope change ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੋ subject-matters

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ authority ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦੋ subject-matters ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ amending ਬਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ retrospective effect ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ right vest ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ common purpose ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ reserve ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ legality ਵੀ doubtful ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ruling ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ point ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। Punjab Law Reporter ਦੀ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਦੀ issue ਸ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ learned judges ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ Constitution ਦੀ ਦਫਾ 31 ਨੂੰ offend ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ touch ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ right of ownership ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ change ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ right of ownership ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। Fundamental Rights ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ right of ownership ਤੋਂ deprive ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ compensation ਨਾ ਦਿਉ। Ownership ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ conditions ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (1) Possession (2) Enjoyment ਔਰ (3) Disposition, ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲ virtually possession ਨਾ ਹੋਵੇ, enjoyment ਦਾ ਹਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ sell ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ hood wink ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। Learned Judges ਨੇ clearly ਕਿਹਾ ਹੈ।

> In view of what has been stated above, it is not necessary to examine the alternative argument advanced at the Bar that section 18(c) contemplates acquisition or requisition of property and unless compensation is paid to the right holder, his property can neither be acquired nor requisitioned under the Constitution.

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member cannot read the judgment.

Sardar Umrao Singh : I am not reading the whole judgment. I am only referring to certain portions of the judgment.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ point ਫੇਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ *ultra vires* of the Constitution declare ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ Education Bill ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ President ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ President ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ legal authority ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਉ ਕਿ ਆਇਆ ਵਾਕਈ ਇਹ *ultra vires* of the Constitution ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ intravires ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ *ultra vires* ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ High Court ਦਾ time waste ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ form ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ Constitutional legality

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

doubtful ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ extension of abadi ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ Judgement ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ doubtful position ਹੈ । ਕਾਬਲ ਜਜ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ :

> In substance this is a case of total expropriation of the right-holders.
>
> But even if their right is deemed to have been substantially abridged but not completely lost.

ਇਸ observation ਦੀ light ਵਿਚ ਇਹ *ultra vires* ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ legal ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ retrospective effect ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ validate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

श्री शेर सिंह (झज्झर, जनरल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन में पेश हुआ है उस पर चौधरी धर्म सिंह राठी ने जो एतराज़ किया है और सरदार उमराओ सिंह ने जो बात कही है वह बहुत जायज़ है। क्योंकि ज़मींदार कागज़ात में मालक रहेगा और लगान भी उसे दुगना देना पड़ेगा लेकिन आमदनी पर उसका कोई हक नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि आमदनी को खर्च करने का अधिकार किसी दूसरी संस्था को देना जायज़ नहीं क्योंकि इस तरह से पंचायत उस ज़मीन की trustee बन जाती है। इस का नतीजा यह होगा कि धड़ा धड़ writs होंगी। इस लिए मैं समझता हूं कि यह नाजायज़ बात है। इसी तरह से गांव में कुछ गरीब आदमी भी बसते हैं। अगर उन का कुनबा बड़ा हो जाय तो उन को अपने परिवार का प्रबन्ध चलाने के लिए ज़मीन और मिल जाए तो इस में किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। यह दुरुस्त बात है क्योंकि गांव में बसने वाले गरीब आदमी को ज़मीन देनी चाहिए। तो वहां तक तो जायज़ है कि ज़मीन काट कर भी दे दें। यह ऐसा purpose है कि ज़मीन देने में कोई हर्ज़ नहीं क्योंकि उन्हें भी गांव में बसने का हक है। लेकिन ज़मीन छीन कर पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिये काम करें तो इस से लाभ नहीं होगा। पंच और सरपंच lease पर ज़मीनें लोगों को खुश करने के लिये दे देते हैं उन से आमदनी तो होती नहीं, फसाद हो जाते हैं गांव वालों से वैसे भी दान के तौर पर पैसे मांगे जाएं तो वे कभी इन्कार नहीं करते। पंजाब के अन्दर किसी गांव की मिसाल ले लीजिए, अगर किसी स्कूल की बिल्डिंग बनानी हो, गलियां पुखता करनी हों या कोई और common purpose हो तो गांव वाले हजारों बल्कि लाखों रुपये हृदय से दान देते हैं। कई संस्थाओं के लिये लोग पैसे मांगने आते हैं और गांव वाले खुशी से दान देते हैं। मैं ने कभी नहीं देखा कि common purpose के लिये किसी किसान ने दान देने में resent किया हो लेकिन इस तरह

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री शेर सिंह)
से बहाना बना कर के ज़मीन छीनना ठीक नहीं । Settlement Officers सब जगह कहते हैं कि हाई कोर्ट ने ज़रूर पास कर दिया है लेकिन महकमे का circular आया है कि ज़मीन काट लो। नाजायज बातों को जायज़ बनाने के लिये यह बिल लाये हैं। इस बिल का मकसद ठीक नहीं है । इसे circulate करने की ज़रूरत नहीं। इस के अन्दर common purpose के लिये ज़मीदार से जबरदस्ती ज़मीन लेने के अधिकार हैं और उसे अख्तियार नहीं कि वह उस ज़मीन से आमदनी प्राप्त कर सके। यह चीज़ नाजायज़ है। अगर यह बिल इस तरह से पास कर दिया गया तो stand नहीं कर सकेगा । इसे वापस ले लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

चौधरी इन्द्र सिंह (जींद, जनरल) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस गवर्नमैंट की आदत सी बन गई है कि जब कभी हाई कोर्ट इस के सिर पर जूती लगाती है तो फिर इसे होश आती है । यह Amending Bill इस लिये लाया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने कायदा 16 (2) *ultra vires* of the Act करार दिया है । General Sales Tax Bill भी इसी वजह से लाया जा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट ने करार दिया है कि multi points sales tax नहीं लग सकता । कई मिसालें ऐसी हैं कि हाई कोर्ट ने यहां के बनाये हुए कानूनों को किसी न किसी शक्ल में करार दे दिया है कि यह ठीक नही या *ultra vires* of the Constitution हैं । उस के बाद यह सरकार Amending Bill लाती है। इस बिल के मुतअल्लिक High Court ने करार दिया है कि कायदा 16(2) जो Consolidation of Land Holdings का है वह *ultra vires* of the Act है, वह ऐक्ट के scope से बाहर है जैसे फरमाया गया है कि Constitutional position discuss नहीं की गई । बज़ाते खुद कानून के अन्दर दो बातें नहीं,—आबादी की extension का ज़िक्र नहीं था, ज़मीन की reservation यानी land for community purpose का ज़िक्र नहीं। कायदा 16(2) को validate करने के लिये यह बिल लाया गया है। पहला जो एतराज है वह sound एतराज़ है कि rules connot be validated इस बिल के aims and objects को अदालत के अन्दर refer किया जा सकता है। यह ठीक है कि यह बिल पास हो जाने के बाद यह ऐक्ट का हिस्सा नहीं रहेगा लेकिन discussion के दौरान इसे refer किया जा सकता है।

> Rule 16(ii) of the rules framed under the Act, provides for reservation of land for the benefit of the village community. This Bill intends to give legal cover to this rule and......

यह जो बिल है इस rule को validate करने के लिये है। मैं समझता हूं कि कोई भी rule जो किसी ऐक्ट के मातहत बनता है cannot

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

be vali dated. Rules are framed after the Act is passed. बिल के aims and objects में यह बात कहनी कि कायदा 16(2) को legal cover दे रहे हैं बजाते खुद एक बड़ी भारी illegality है। गवर्नमैंट इस मामले में हाउस की support चाहती है ताकि जो ग़लती हो गई है उसे दुरुस्त कर लिया जाए।

एक माननीय सदस्य : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, हाउस में बातें हो रही हैं।

Mr. Deputy Speaker : Order please. Such hon. Members who want to talk should go to the lobbies

चौधरी इन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह बात हाउस में इस लिये stress करता हूं कि जब rule *ultra vires* of the Act करार दिया जा चुका है तो फिर यह exist ही नहीं करता। और exist न करते हुए उसे legal cover देने की ज़रूरत पेश नहीं आ सकती। Statement of Objects and Reasons के जो contents हैं वह amended bill के contrary हैं। सरदार उमरावों सिंह ने भी इस बात पर ज़ोर दिया है। मैं कहता हूं कि इस पर सौ दफा सरकार को सोचना चाहिये। एक bill के title में अगर दो purpose हों तो वह नहीं आ सकता। Definitely नहीं आ सकता। शायद महकमे वालों ने इस बात पर गौर नहीं किया—अगर गौर किया है तो शायद जान बूझ कर High Court का मूंह बंद करने के लिये ऐसा किया है। कोइ भी कानून जो दो subjects से deal करता है एक ही title के तहत नहीं आ सकता। आप देखें कि यह कितना लम्बा चौड़ा title बनता है।

> **"The East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) and for the Assignment or Reservation of Land for Common Purposes of the Village Act".**

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस का इतना बड़ा title बनेगा जो किसी तरह से अच्छा नहीं लगेगा। इस का शानदार title बनता है लेकिन इन्होंने ऐसा करने की कोई प्रवाह नहीं की। एक बात काबिले गौर है। पंचायत को अगर आप community purpose के लिये ज़मीन देते हैं इसलिये कि उस की income बढ़े तो डिप्टी स्पीकर साहिब, हमें उस की Gram Panchayat Act के मुताबिक definition करनी है। इस ऐक्ट के मुताबिक कोई ऐसा provision नहीं है जिस में इस किस्म की income provide हो या इस के खर्च करने का तरीका हो। मुझे वज़ीर साहिब बता दें कि वह इस का audit बतौर trustee करेंगे या इसे बतौर पंचायत के treat करना है। क्योंकि पंचायत की income पर Government का Control है और इसकी बाकायदा auditing होती है। अगर इस fund में से कुछ खर्च करना हो तो direct approva

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(चौधरी इन्द्र सिंह)
गवर्नमैंट की लेनी पड़ती है। और उस के बाद महकमा Audit देखता है कि वह खर्च जायज़ है या नाजायज़। Gram Panchayat Act के मुताबिक कोई ऐसा provision नहीं है कि जिस में इस किस्म की आमदनी provide हो। अगर कोई ऐसा provision न हो तो मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट की Sub-section (2) valid नहीं। इस की legality इस बिना पर challenge हो सकती है कि किस तरह से income derive होगी और उसे किस तरह से खर्च करना होगा।

तीसरी चीज़, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करूंगा कि एक पहलू जिस पर ज़ोर दिया गया है वह पहलू बड़ा दुरुस्त है। Ownership जुमला मालिकान हकदारान बकदर हिस्सा जो खेवट में आता है उस का खाना मलकियत के अन्दर इदंराज होता है तो virtually इसे dispose करने के rights पंचायत को चले जाते हैं। पंचायत को अख्तियार होता है कि आमदनी हासिल करने के लिये ज़मीन को lease पर दे दें, ठेके पर दे दे। यह भी हो सकता है कि यह ज़मीन अपने रिश्तेदारों को दे दी जाए क्योंकि पंचायत ने तो आमदनी हासिल करनी है। कितनी आमदन हासिल करनी है इस के बारे में कोई limit नहीं। और आमदनी किस तरह से खर्च होगी इस के बारे में कुछ entry नहीं है। कौन से common purposes हैं जिन के लिये ज़रूरत है इस के बारे में भी कुछ दर्ज नहीं है। Rules में provide होना चाहिये था कि कौन से common purposes हैं जिन पर यह income खर्च होगी लेकिन इस के बावजूद भी disposition के जो rights हैं वे जुमला मालिकान हकदारान के पास चले जाएंगे, ऐसी सूरत में यह challenge किया जाएगा। ownership as entered in Khana Milkiat covers the definition of ownership वह definitely नहीं करता है इस बात को क्योंकि ownership का इन्द्राज होना ownership को पूरा नहीं करता है। यह जो ज़मीन हासिल करनी है यह कहां से आएगी। शामलात ज़मीन पहले से ही पंचायत के पास मौजूद है। आबादी की income के लिये जो ज़मीन ली जाएगी वह छोटे छोटे proprietors की अपनी मलकियत होगी उस पर असर पड़ेगा और reserve करने के लिये और ज़मीन बाकी नहीं रह जाती क्योंकि Village Common Land Act के तहत पहले ही vest हो चुकी है। कानूनी तौर पर आबादी की जो ज़मीन है वह ज़मीन extension के लिये इस्तेमाल हो सकती है। दूसरी तरफ जो ज़मीन बाकी रह जाएगी वह मलकियत की ज़मीन है। हम शोर मचाते हैं कि देहाती आबादी की तरक्की होनी चाहिये। पहले ही uneconomic holdings हैं जिन को सामने रखते हुए लैंड पर ceiling लगाने पर हम मजबूर हो गए। इस तरह से तो छोटे छोटे peasants पर असर अच्छा नहीं पड़ेगा। Common purposes के नाम पर अपने रिश्तेदारों को ज़मीन lease पर दी जाएगी। Common

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

purposes के लिये जो ज़मीन है वह school buildings के लिये है, hospitals के लिये है और इस के लिये पहले ही provision की गई है । और कौन से common purposes हैं जिन के लिये ज़मीन छोटे छोटे peasants से छीन कर उन को देना चाहते हैं? वे अपने रिश्तेदारों को देंगे, भाई बहनो को देंगे, धांधली मचेगी। इस से कोई income नहीं होती। सरकार पंचायतों को मज़बूत बनाना चाहती है, यह ठीक है मैं भी चाहता हूं कि पंचायतें मज़बूत हों। ये democratic institutions हैं, इसलिय मजबूत होने चाहिये, उन को काम मिलना चाहिये और उन की development होनी चाहिये । उन की financial position मज़बूत होनी चाहिये । लेकिन उनके resources बढ़ाने के लिये यह अजीब तरीका निकाला जा रहा है। हम कहते हैं कि मालिये के दस फीसदी की बजाए पच्चास फी सदी पंचायतों को दो, हम कहते हैं कि पंचायतों को आबयाने का हिस्सा मिलना चाहिये क्योंकि गांव की ज़मीन पंचायत की jurisdiction के अंदर आती है। लकिन यह इनकार करते हैं। इस तरह की बातें करते हैं जिन से लोगों को दुख पहुंचता है। इन के measures खास तौर पर ऐसे तबके को hit करते हैं जो कि पहले ही economically backward है। मैं नहीं कहता कि सरकार उन के income के sources बढ़ाने में ढील करे लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि उन की income इस तरह से बढ़ाई जाए कि जिस से directly गरीब जनता पर बोझ पड़े। उन को मजबूत करने के दूसरे तीसरे तरीके और बहुत से हैं। मैं देखता हूं कि अगर पंचायतों को थोड़े से रुपये की भी ज़रूरत पड़ती है तो तीन तीन साल तक उन के केस घूमते फिरते रहते हैं। फिर कहते हैं कि टैक्स लगाने की बजाए ज़मीन उन को मिल जाएगी। मैं पूछता हूं कि कौनसा ऐसा टैक्स है जो कि पहले ही गांव में नहीं लगा रखा। चूल्हा टैक्स और professional tax से ले कर तमाम टैक्स गांव में लगा रखे हैं। छोटे छोटे peasants की ज़मीन छीन ली जाए गी और common purposes के नाम पर छीनी जाएगी। इस लिये मैं इस की जबरदस्त मुखालिफत करता हूं। गांव के अन्दर पहले ही uneconomic holdings मौजूद हैं फिर इस की constitutional legality पर भी doubt है जैसे कि अभी अभी कई मैम्बरों ने कहा है। मैं खुद भी कहता हूं कि आइनी तौर पर इस की पोज़ीशन बड़ी कमज़ोर है । Tenants और lessees के बारे में कहा गया है कि वे बाद में उन से ज़मीन खरीद लेंगे। मैं पूछता हूं कि tenants और lessees किस तरह से ज़मीन खरीद लेंगे । Betterment Levy tenants से ली जाती है । अगर वे नहीं देते तो उन की ज़मीन कुर्क होती है। हमें पूरा खदशा है कि landowners से burden shift करने के लिये tenants और lessees पर burden डाला जा रहा है। जो main Act है वह provide करता है कि fees shall be charged from the landowners मगर tenants and lessees

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी इन्द्र सिंह]
are not landowners. जो tenants और lessees हैं वे कानूनी तौर पर landowners नहीं है। आप एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिस की कानून इजाज़त नहीं देता, उस को main Act support नहीं करता। आप कहते हैं कि tenants बड़ी खुशी से एक जगह ज़मीन ले जाना चाहते हैं इस लिये वे खुशी से देते हैं। यह बात ठीक नहीं है। यह चीज़ इखलाकी तौर पर और कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है। Tenants और lessees से कोई फीस वसूल नहीं होनी चाहिये, मालिकों से वसूल होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि यह बिल वापस लिया जाना चाहिये। मुझे पता चला है कि इन्होंने Supreme Court में अपील कर रखी है। उस के फैसले के बाद बिल लाया जाना चाहिये। इस तरह से हाउस का वक्त ज़ाया नहीं किया जाना चाहिये। इस तरह से हेरा फेरी ज्यादा होती है, corruption ज्यादा होती है इसी लिये इन को लाया जाता है। ऐसे कानून लाने की ज़रूरत नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ (ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ 'ਰਿਜ਼ਰਵਡ') : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Amending Bill ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ Minister Incharge ਨੇ ਇਹ amendment ਲਿਆ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਿਹ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਨ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਢੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਛਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਬਾਜਾ ਖ਼ਾਨਾ, ਲੰਬਵਾਲੀ ਰੋੜ ਆਦਕ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛਡੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡ ਕੇ tube well ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ agricultural ਦਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਉਸਰੇ ਹਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ consolidation ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛਡਣ ਲਈ ਜਗਾਹ ਨਹੀਂ ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਹਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ; ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂੜ੍ਹੀ ਸੁਟ ਸਕਣ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ । ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਰੇਹ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਬੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ; ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਉੱਤਰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਐਨੀ ਜਗਾਹ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਰੇਹ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਹੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਖ ਪੱਠੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ : ਇਸ ਲਈ ਰੂੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਢੇਰ ਕਰ ਲਉ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ amendment ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ buildings ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, Health Centres ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਚਿਆਂ ਲਈ park ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਛਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘਟ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੱਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ । ਉਹ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ । ਉਸ ਉਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰੀਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦਵਾਦਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਜਣਾ ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ amending bill ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਹ ਕਦਮ ਚੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀ, ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਡਿਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਕਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੋਗ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜਾ ਅਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਔਰ ਜਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ]

ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਾਕੇ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਕੌਤੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੁਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੀਮਤ ਦਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਜਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੰਡ ਵਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ development ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਿੰਡ ਦੀ development ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ development ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਲਈ ਨਾਲੀਆਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤ fund ਵਿਚੋਂ ਪਾਉ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਦੋ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ । ਉਹ Panchayat fund ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ amendment ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ incharge ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ amending Bill House ਦੇ ਅਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਪਦੇ ਅਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ development ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਕੁਝ ਪੈਸਾ development ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ funds ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇ—ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ development ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ play grounds ਨਾ ਹੋਣ । ਰਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ? ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ—ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ nation ਬਣੇਗੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ development ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਕਢਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਐਨਾ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ development ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਰਾਠੀ ਜੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਢਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਤਹੱਕ ਹੈ । ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ buildings ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ--ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬੋ ਮਿਲਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਖ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਦਰਦ ਸੀ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛਡਣੀ ਹੈ. . (ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼)

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

श्री हरभगवान मोदगिल : On a point of order, Sir. इस वक्त हाउस के सामने Consolidation of Holdings का बिल है । इस का किसान के साथ क्या तालुक है ?

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ. .

श्री हरभगवान मोदगिल : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं दिवाना साहिब को बताना चाहता हूं कि मेरे पास इन से भी ज्यादा जमीन है ।

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਣੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਿਸਵਾ ਜਾਂ ਇਕ ਬਿਸਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਇਕ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਛਡਣੀ ਪਵੇਗੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ । ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਥੇ ਅਗੇ ਹੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ park ਬਣਦੇ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]
ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖੇਲਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ demonstration agricultural farms ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 30,30 ਏਕੜ ਇਕ ੨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਛਡ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ farm ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਮਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਸਿੱਟੇ ਵਿਚੋਂ 80,80 ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ farms ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਕ ੨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ common land 30 ਜਾਂ 50 ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਹੀ ਛਡਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛਡਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਝ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ parks ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣੇ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਵਡੇ ੨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡ ਕੇ ਅਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ development ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिल को तो पढ़ें। यह ज़मीन तो गांव में पहिले छोड़ी हुई है। यह उस के बारे में ही amending बिल है। (Let the hon. Member first read the Bill. This land has already been set apart in the villages for common purposes and this amending Bill relates to that land.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਦੋਂ High Court ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 30 ਜਾਂ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜ 54 per cent ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਜਨਰਲ') : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ legal ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ amending ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜੋ scope ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ scope ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਜੋ discussion ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਪਰ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹਿਆ ਹੈ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕਟੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ cut ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਇਹ cut ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗੇਗੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਆਪਣਾ scope ਹੈ—

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : On a point of personal explanation, Sir.—

Mr. Deputy Speaker : No personal explanation. Order, please. (Addressing Chaudhri Balbir Singh) (How can the hon. Member bring under discussion the speech of another hon. Member ?)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ—..

Mr. Deputy Speaker : Order, order, please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ..

श्री उपाध्यक्ष : जब किसी आनरेबल मैम्बर ने कोई बात कही ही न हो और दूसरा मैम्बर कहे कि उस ने यह कहा है that is unfair. (When an hon. Member has not said a certain thing and the other hon. Member persists in saying that the former has said so, then it is unfair.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ clear ਹੈ..

श्री उपाध्यक्ष : किसी मैम्बर को किसी दूसरे मैम्बर का नाम लेकर कोई बात नहीं करनी चाहिये। (No Member should refer to another hon. Member by name while speaking.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ aspersion ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਕੀਲ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ interest ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ profession ਇਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਉਸ hon. Member ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ hold ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ class ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ class ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ:]
ਬਿਲਕੁਲ clear ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ 20 per cent ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦੋ ਜਾਂ 2½,2½ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ cut ਲੱਗੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ cut ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਦ ਇਸ ਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਹਦ ਤੋਂ ਥਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਗਦੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ refugees ਤੇ rehabilitation ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ allot ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ cut ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਲਗੇਗੀ ।

5 p.m.

उपाध्यक्ष महोदय : इस में cut का कहां जिकर है (Where is this cut mentioned in the Bill ?) (Interruptions by Sardar Dhanna Singh Gulshan)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ cut ਲੱਗੀ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker : The hon. Members should always address the Chair.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜਦ ਬੈਠੇ interrupt ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ ਆਪ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ । ਆਪ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ cut ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ..

उपाध्यक्ष : मैं ने यह नहीं पूछा कि कैसे cut लगता है । (I never enquired about the way a cut is applied.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਆਪ record ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ । ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ common purposes—

Mr. Deputy Speaker : No this is quite wrong. मैं ने कहा कि यह relevent कैसे है । (No, this is quite wrong. I wanted to know the relevancy of this argument.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Village common purposes ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ..

Mr. Deputy Speaker : Please try to be relevant.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ irrelevant ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : Order, please. I hold your speech to be irrelevant ज़मीन already छोड़ी हुई है Section 18 के तहत । इस की management और control इस amendment के through पंचायतों को देनी है । (Order, please. I hold the speech of the hon. Member to be irrelevant. The land has already been reserved under Section 18. Its management and control is now to be vested in the Panchayats through this Bill.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਗੇ ਨੂੰ ਜੋ consolidation ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ apply ਹੋਣਾ ਹੈ...

Mr. Deputy Speaker : I say this is irrelevant.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ consolidation ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

Mr. Deputy Speaker : There should be no such arguments. Try to be relevant.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ argue ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ convince ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਦੋਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ :

> "In the long title of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (hereinafter referred to as the principal Act), the words, "and for the assignment or reservation of land for common purposes of the village"......".

Common purposes ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ relevant ਹਾਂ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ । ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

Mr. Deputy Speaker : I have already ruled that that portion of your speech is quite irrelevant. Your attention is drawn to the proposed Section 23-A which reads —

> "The management and control of all lands assigned or reserved for common purposes of the village under section 18 shall vest in the Panchayat of that village which shall also be entitled to appropriate the income accruing therefrom for the benefit of the village community".

Section 18 is not being amended. Land is already reserved and the manage-

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ :]

ment and control of lands for common purposes will vest in Panchayats through this Bill.

(Interruption by Shri Harbhagwan Moudgil)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Would be Minister ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਇ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ Bill ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ।

ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । Services ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਿਆਇਤ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ High Court ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । High Court ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ । ਭਰਤੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲਾਇਕ ਹਨ । Karnal case ਵਿਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ । ਆਪਣੇ Advocate-General ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ Bill ਤੇ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ *ultra vires* declare ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ amendment ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ Law Department ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨਾਸਮਝੀ ਵਿਚ rules ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ *ultra vires* declare ਹੋਏ । ਇਸ amendment ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ । Clause 3 ਦੀ sub-clause ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ।

> "Providing income for the panchayat of the village concerned for the benefit of the village community."

ਇਸ ਦਾ title ਹੈ : East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment) Bill, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ add ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : 'and for the assignment or reservation of land for common purposes of the village' ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ । ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ । ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਮਾਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ provide ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ *ultra vires* ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ house ਦਾ ਵਕਤ ਅਤੇ tax-payer ਦਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ consolidation ਦਾ ਖਰਚ tenant ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ । ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਹ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ Bill ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ bill ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਤਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਜਿਨੀਆਂ ਵੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ scope ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ irrelevant ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦਾ village community ਨੂੰ concern ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਏਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਅਸੀਂ decentralisation of power ਤੇ believe ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ common purpose ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛਡ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਾ 42 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗੇ ਇਸ਼ਤਮਾਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ scheme ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ code ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ Government ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮ Government ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। Long lease ਅਤੇ small lease ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 2nd reading ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ development ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਤਆਲੁਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ clause ਦਾ ਤਆਲੁਕ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ clause ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ provision ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ development ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਥੇ consolidation ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ schemes ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿਕੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ community ਲਈ ਅਤੇ common purposes ਲਈ development ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ control ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਤਆਲੁਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ community ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਲ ਨਿਹਾਇਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ]

ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ state ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੁਖ socialism ਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) ; ਜਨਾਬ ਆਲੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਤ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੋ development ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।

ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਈਆਂ ਜਾਣ ਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤਆਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਖੋਹਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਅੱਜ Government decentralisation ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ । ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨਤੀ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਮੁਤਅਲਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । (*interruption*)

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਖੋਹਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ । ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਏਥੇ ਚੌਧਰੀ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਉਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ । ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ consolidation ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਨਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤੱਅਲਕਾ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਅਾਲੁਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਹਕੂਕ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ landless tenants ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Shri Hans Raj Sharma (Chief Parliamentary Secretary) : Sir, I beg to move—

That the question be now put

(*Interruptions*)

Mr. Deputy Speaker : Let Shri Sumer Singh speak for a few minutes.

श्री सुमेर सिंह (हसन पुर) : डिप्टी स्पीकर साहिब इस बिल के बारे में बड़ी चर्चा हुई और मेरे कई दोस्तों ने इस पर ऐतराज़ात किये लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इस बिल के बारे में यह कहना चाहता हूं कि अगर इस हाउस में आज तक कोई काम का बिल आया है तो यही बिल है। अगर यह बिल न आया होता तो देहात के अन्दर village community को बहुत difficulty पेश आनी थी। क्योंकि जहां पर common purpose के लिए पंचायत घर, स्कूल वगैरह बन चुके हैं,— अगर यह बिल न आता तो उनका क्या होता। इस बिल के ज़रिए पंचायतों को हरिजनों को हक मिलता है कि वह अदारे बने रहें व हरिजनों के मकान भी ज्यों के त्यों खड़े रहें। डिप्टी स्पीकर साहिब, गांवों में बहुत सी communities ऐसी होती हैं जिनके ज़रिए गांव का अधिकतर काम चलता है जैसे बढ़ई, लुहार, तेली, मोची, वगैरह। इन लोगों ने जहां-जहां पर मकान बनाए हैं वह मकान—अगर इस कानून की validation न होती तो ढह जाते। लेकिन इस कानून से village community को बहुत फायदा हुआ है और जो चकबन्दी हो चुकी है, अगर इस कानून को पास न किया जाएगा तो ज़मीन तितर-बितर हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि दफा 42 में जो provision की जा रही है वह बहुत ज़रूरी है। और जो मुज़ारे चक अलहदा बनाना चाहते हैं, उनसे फीस भी ली जानी चाहिये क्योंकि उनको सहूलत मिलती है। उनका अपना हक हो जाता है ज़मीन पर इसलिए उनसे पैसा ज़रूर लिया जाना चाहिए। मैं डिप्टी स्पीकर साहिब, फिर यह कहना चाहता हूं कि अगर इस session में कोई बेहतर बिल आया है तो वह यही बिल है। मैं इसकी ताईद करता हूं।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बिल पर जितनी बहस हुई उसको मैंने बड़े गौर से सुना। ऐसी कोई argument इस के बारे में नहीं आई कि जिसकी बिना पर बिल पर दुबारा गौर करने की ज़रूरत

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

हो। इस ऐक्ट के तहत बेशुमार लोगों को फायदा हुआ है, और पैदावार बढ़ी है, ज़मीन भी काश्त के नीचे बढ़ी है । और non-proprietors को ज़मीनें मिली हैं। मकान बनाए गए हैं, स्कूल बने हैं, खेल के लिए मैदान निकले हैं। गर्ज़ कि जिन कामों पर ऐतराज़ उठाया गया है वह इस Act के तहत इससे पेश्तर भी होते रहे हैं और आधे से ज़्यादा पंजाब के हिस्से में ज़मीनें पंचायत को reserve हो चुकी हैं। जैसा कि श्री सुमेर सिंह जी ने कहा अगर इस को validate न किया जाए तो बहुत दिक्कत बढ़ जाएगी। हाई कोर्ट ने पंचायतों के लिए एक आर्डर किया है। इसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई लेकिन गवर्नमैंट का मंशा यह रहा है कि पंचायतों के लिए reservation की जाये । High Court के फैसले के बावजूद भी उस मंशा को पूरा करने के लिए इस Act को तरमीम करने की ज़रूरत पड़ रही है। इस बारे में मैं हाउस की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि Act में यह दिया हुआ है—

"Common purpose means any purpose in relation to any common need, convenience or benefit of the village."

अब इन चीज़ों के लिए जैसे convenience, common need, benefit of the village वगैरह के लिए पंचायत को ज़मीन reserve की जाती है। अब अगर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि पंचायतों के हाथ में ज़मीन देना इस के scope से बाहिर है तो क्या गवर्नमैंट तरमीम न करे? गवर्नमैंट को पूरा हक है कि वह हर वक्त तरमीम कर सके। क्या हाई कोर्ट के फैसले से Legislature के क्या अख्तियारात खत्म हो जाएंगे ? यह नहीं होते । Legislature का जो मंशा है वह हर वक्त पूरा किया जा सकता है। इसी गरज़ से इस बिल को हाउस में पेश किया गया है।

चौधरी बलबीर सिंह ने कहा कि बड़े-बड़े ज़मीदारों से ज़मीनें ले ली जाएं, और छोटों से नहीं । तो मैं कहता हूं कि जब दोनों एक village community के हैं, और दोनों एक साथ काम करते हैं और उस unit में बढ़ई, लुहार, धोबी, आदि रहते हैं जो सबका काम करते हैं तो इन लोगों को बसाने के लिए हर एक का फर्ज़ है कि वह ज़मीन दें। इस लिए किसी को ignore नहीं किया जा सकता । हां यह फर्क ज़रूर पड़ जाता है कि छोटे मालिक की थोड़ी ज़मीन ली जाती है और बड़े की ज्यादा कट जाती है। तो मैं इस सिलसिले में यही कहना चाहता हूं कि जैसा चौधरी बलबीर सिंह कहते हैं, इस में discrimination नहीं किया जा सकता और न यह मुनासिब है मालकान का बहुत बड़ा दिल होता है। आप जानते हैं कि पहले से भी शामलात की ज़मीनें चली आ रही हैं और वह village के लोगों के लिए इस्तेमाल होती रही हैं। अब उन की ownership भी पंचायत को दे दी गई है। मैं House को बताना चाहता हूं कि जब तक देहातों में common land मिल सकती है तब तक मज़ीद कटौती नहीं की जाती। अगर किसी गांव

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

में 50 या 100 एकड़ common land मौजूद है तो उसी ज़मीन से common purposes पूरे किए जाएंगे। अगर school खोलने के लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी, या पंचायतघर के लिए या किसी और common purpose के लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी तो वह village common land से ली जाएंगी। उस ज़मीन की ownership पंचायत के नाम है। इस लिए मैं समझता हूं कि जो एतराज़ात उठाए गए हैं वह बेबुनियाद हैं। Common lands पहले ही पंचायतों के नाम हैं। इस लिए बहुत ही कम ज़मीन और लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस लिए जो खदशात मेरे दोस्तों ने ज़ाहिर किए हैं वैसी कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी।

दूसरी बात रह गई Constitution की। सरदार उमराओ सिंह जी ने कहा है कि यह बात *ultra vires* of the Constitution हो सकती है। मैं उन की वाकफियत के लिए बताना चाहता हूं कि Government ने सब कुछ देख भाल कर के इस Bill को बनाया है और इस House में पेश किया है। हम ने बेशक Supreme Court में अपील दायर की हुई है लेकिन जब यह Bill पास हो जाएगा तो उस के बाद हम उस अपील को withdraw कर सकते हैं। जो नुक्स High Court ने बताया था वह अगर ठीक हो जाएगा तो फिर अपील की ज़रूरत नहीं रहती। हम ने बड़ी गौर से इस Bill को देख भाल कर बनाया है और जब यह पास होकर Act की शक्ल में आएगा तो फिर उम्मीद नहीं कि कोई दिक्कत पैदा हो। इस लिए मैं समझता हूं कि जो एतराज़ात आज उठाए गए हैं वह खास अहमियत नहीं रखते। कुछ hon. Members ने ज़िद की बिना पर नुक्ताचीनी की है और उन्होंने कहा है कि देहातों में यह तरीका बना लिया गया है कि Government हर काम के लिए लोगों की ज़मीन छीनती है और उन्हें कोई compensation नहीं दिया जाता। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि देहातों के अन्दर लोग खुशी से ज़मीन देना चाहते हैं और अपनी development करना चाहते हैं। गांव के अन्दर ऐसा एक रवाज पड़ा हुआ है। मैं वसूक से कह सकता हूं कि आज तक किसी भी गांव में scheme बनाते वक्त कोई झगड़ा पैदा नहीं हुआ। किसी ने भी एतराज नहीं किया कि हम school के लिए या किसी और काम के लिए ज़मीन नहीं देते। हां चंद एक आदमी ऐसे होते हैं जिन के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता है वह ज़रूर इन schemes के अन्दर रुकावटें डालते हैं और वही लोग High Court और Supreme Court में जाते हैं। जहां तक छोटे मालकों का ताल्लुक होता है उन को कोई एतराज़ नहीं होता। बड़े बड़े ज़मीदार चौधरी धर्म सिंह राठी जैसे होते हैं जो एतराज करते हैं। वह अपने ज़ाती interest को सामने रखते हुए ऐसा करते हैं। एक individual की खातिर हम गांव की development के काम को नहीं रोक सकते। इस लिए इस Bill को पास करना ज़रूरी है और आयंदा जिन गांव में consolidation होनी है वहां पर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]
पंचायतों की income बढ़ाने के लिए ज़मीन की reservation की जाएगी। दफा 42 को जहां तक amend करने का ताल्लुक है इस के बारे में House में कोई खास एतराज़ नहीं हुआ। Government का यह इरादा होता है कि हरेक को इन्साफ मिले। Consolidation में अगर किसी stage पर किसी आदमी से बेइन्साफी हुई हो तो वह दफा 42 के तहत दरखास्त दे कर उस नाइन्साफी को दूर करवा सकता है। लेकिन अगर यह चीज़ orders तक महदूद रहे जैसे High Court नें फैसला किया है तो फिर सारी scheme रद करनी पड़ती है। इस से बहुत सा नुक्सान होता है वक्त का और पैसे का। इस लिए अगर authorities को scheme को revise करने का अख्तियार दे दिया जाए और repartition के वक्त scheme को दरूस्त कर लिया जाए, तो उस से काफी time और पैसा बच सकता है। इन बातों को सुनने के बाद जो मैं ने बयान की हैं मैं समझता हूं कि कोई शक की गुंजायश नहीं रहती।

मौदगिल साहिब की तरफ से यह एतराज उठाया गया है कि जो tenants हैं उन से fees की वसूली नहीं होनी चाहिए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि tenants से fees की वसूली इस लिए की जा रही है कि उन के उन ज़मीनों पर हकूक पक्के हो जाएं। उन को पता लग जाएगा कि हमारे भी हकूक हैं। लेकिन अगर वसूली मालकान से ही करनी है तो मालकान का ही उस ज़मीन पर हक तसव्वर होगा। जो लम्बे lease holders हैं जिन को eject नहीं किया जा सकता उन से अगर fees ली जाएं तो उन का हक establish हो जाता है और वह ज़मीन को खरीद सकते हैं। जब वह हकदार हो जाएंगे तो वह कह सकेंगे कि हमारे अलग कुर्रे बनाए जाएं इस ख्याल को मद्देनज़र रखते हुए उन की बेहतरी के लिए हम ने यह चीज़ इस Bill में provide की है। लेकिन अगर कोई hon. Member इस बात को नामुनासब समझता है तो सरकार को कोई ज़िद नहीं है हम इस clause को drop कर सकते हैं दूसरी reading के वक्त पर। Government का नुक्तानिगाह मैं ने House के सामने रख दिया है। इस पर अगर किसी को एतराज़ हों तो उस पर सोचा जा सकता है।

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, 1960 be circulated for eliciting the opinion of the landowners of the Punjab by 30th June, 1960".

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, 1960 be taken into consideration atonce.

The motion was carried.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : The House will now consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Dr. Bhag Singh (Garhshankar General) : Sir, I beg to move —

After proposed part (ii), the following proviso be added :—

"Provided that for the purpose of section 3 (ii) landowners upto 10 standard acres shall be exempted.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ 2 ਮਦਾਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਮਦ ਦੇ ਮੁਤੱਅਲਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤੌਸੀਹ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਮਦ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

"(ii) Providing income for the Panchayat of the village concerned for the benefit of the village community.'

ਇਸ ਉਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇਤਨੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ income ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ drainage ਦਾ ਕੋਈ system ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ । Common purposes ਵਿਚ ਸਕੂਲ, dispensaries, ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਦੂਸਰੀ ਮਦ ਜੋ ਹੋਰ income provide ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ clear ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਗੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਥੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ clear ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ income ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਹੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਿਲ ਇਥੇ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ income ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ clear ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਹੈ ਉਥੇ income ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਹਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, dispensaries ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਉਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਡਾ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ]
ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਥੇ ਅਗੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਟ ਲਗੇਗੀ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ ਇਥੇ ਇਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਟ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗੇਗੀ ਪਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਲਗੇਗੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ uneconomic ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਜਿੱਥੇ uneconomic holdings ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ exempt ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਵਿਚ ਫਸਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰ ਬੇਟਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਕੇ uneconomic ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਗੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਢਾਈ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ resent ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ amendment ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ exemption ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

After proposed part (*ii*), the following proviso be added —

"Provided that for the purpose of section 3 (*ii*) landowners upto 10 standard acres shall be exempted."

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालखा) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस कलाज 3 के दूसरे पार्ट का जहां तक ताल्लुक है यह unconstitutional है। यह तो हो सकता है कि ज़मीन common purposes के लिए ले लें लेकिन उसके अन्दर यह income वाली बात provide करना विधान की खिलाफवर्ज़ी करना है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो income का provision है उस में कुछ नहीं बताया गया कि कैसे यह income होगी, कितनी होगी, क्या बात होगी और कितनी income तक रखेंगे! इस से कोई limit नहीं रखी और एक बड़ा लम्बा चौड़ा लफ़ज़ income का रख दिया यह नहीं बताया कि कितनी आमदनी तक रखेंगे और कितनी ज़मीन इस काम के लिए चाहेंगे। यह कुछ नहीं बताया कि किस तरीके से आमदनी होगी और कितनी आमदनी होगी। यह तो सब कुछ अफसरान के हाथ में दे दिया कि जिस तरह चाहो करो और जितनी मर्ज़ी रखो। इस तरह का बगैर limit

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

का कानून बना देना और यह कह देना कि कितना भी चाहो उतनी income के लिए provision करो यह ज़्यादती है और unconstitutional है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक शामलात के कामों का ताल्लुक है ज़मीदारों ने ज़मीन देने से आज तक कभी इन्कार नहीं किया। जब कभी सकूल के लिए dispensary के लिए और दूसरे ऐसे कामों के लिए ज़रूरत पड़ी ज़मीदारों ने खुशी से ज़मीन दे दी। अभी एक मैम्बर साहिब बोले कि गांव की तरक्की के लिए ज़मीन देनें की ज़रूरत है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जहां तक तरक्की का सवाल है लोग सब कुछ देने के लिए तैयार हैं और देते रहे हैं। लोगों ने एक एक लाख रुपया इकट्ठा करके दिया है और buildings बनाई हैं। अभी मेरे दोस्त चौधरी सुन्द्र सिंह बोले और कहने लगे कि यह चीज़ बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनको ख्याल है कि यह पंचायतों की ज़मीनें हरिजनों को मिल जाएंगी। कहीं चीफ मिनिस्टर साहिब ने कह दिया कि यह ज़मीनें जो पंचायतों के नाम जाएंगी यह हरिजनों को मिल जाएंगी इस लिए वह समझते हैं कि बस यह हमारे भले की ही बात है। चौधरी साहिब इस वक्त यहां बैठे नहीं हैं लेकिन उनके साथी सुन लें और उनको जा कर बता दें कि एक बिस्वा ज़मीन उनको पंचायतों की नहीं मिलेगी यह वहम निकाल दो। यह पंचायत ऐक्ट पास हुए और कैरों साहिब के ऐलान हुए कई साल हो चुके हैं एक बिस्वा ज़मीन आज तक तो मिली नहीं आगे का पता नहीं। अगर कोई हरिजन भाई इस वजह से इस चीज की हिमायत करता है तो वह यह बात अपने दिमाग से निकाल दे। जहां तक आबादी का ताल्लुक है हरिजनों के पास मकान नहीं हैं और आबादी के लिए ज़मीन नहीं है और मैं खुद इस बात के हक में हूं कि उनको मकानों के लिए ज़मीन देनी चाहिए। यह कानून बनाना चाहिए कि जो गैर मालिकान हैं उनको आबादी के लिए ज़मीन दी जाए। इस बात की मैं मुखालिफत नहीं करता हूं। लेकिन यह कहना कि यह ज़मीन उठा कर पंचायतों को दे दो मैं इस के हक में नहीं हूं। अगर चौधरी सुन्द्र सिंह और उनके हरिजन साथी यह कहते कि यह ज़मीन हरिजनों की आबादी के लिए reserve कर दो तो मैं हिमायत करता लेकिन इनकी बात तो यह है कि मेरी एक आंख बेशक फूट जाए लेकिन दूसरे की दो ज़रूर फूटें (हंसी) यह कहना कि मालक से छीन लो और किसी और को दे दो......

Mr. Deputy Speaker : Are you moving your amendment ?

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं अपनी तरमीम नहीं move करता। मैं तो इस बलाज़ की मुखालिफत करता हूं। राओ साहिब ने कहा है कि हम इश्तमाल के खिलाफ हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने किसी को नहीं कहा कि हम इश्तमाल के खिलाफ हैं। हम तो इश्तमाल चाहते हैं, इश्तमाल को तो यह सरकार खराब कर रही है। दो दो तीन तीन जगह ज़मीनें कर रहे हैं। लड़कियों को हक दे रहे हैं और इश्तमाल के काम को बढ़ा रहे हैं।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

तीसरी बात राम्रो साहिब ने कही कि इस से बड़े ज़मीदारों को नुक्सान पहुंचेगा। जिस के पास एक हजार बीघा ज़मीन हो उस की 50 बीघे चली जाय तो उसे क्या फर्क पड़ता है लेकिन अगर किसी की $1\frac{1}{2}$ बीघे ज़मीन में से $\frac{1}{2}$ बीघा ले लिया जाय तो यह उस के साथ जुल्म है। इस लिए बड़े ज़मीदार की हिमायत मैं नहीं करता राम्रो बीरेन्द्र सिंह खुद करते हैं। मैं तो 8 एकड़ का मालिक हूं। इस लिए मैं छोटे ज़मीदार की हिमायत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह जवाब दे रहे हैं? (Is the hon. Member giving reply ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : बिल में लिखा है—

"(ii) providing income for the Panchayat of the village concerned for the benefit of the village community".

इस लिए मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस क्लाज़ का जो second part है उस पर मुझे एतराज़ है। इन्होंने कहा है कि इस से सारी provisions upset हो जाएंगी। यह बिल्कुल गलत बात है। क्लाज़ 2 की मैं मुखालिफत करता हूं क्योंकि यह vague है, किसी बात के बारे में clearly नहीं बताती कि कितनी income होगी, कितनी limitations होंगी।

दूसरी वजह यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अन्दर इस की अपील चल रही है। हम कानूनी तौर पर इस को contempt नहीं बनाते लेकिन कम से कम सोचना चाहिए कि जब तक सुप्रिम कोर्ट के अन्दर अपील है तब तक कोई इस किस्म का कानून नहीं लाना चाहिए। कम से कम Government को सुप्रीम कोर्ट की कदर करनी चाहिए।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहिब East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, 1960 की धारा 3 पर इस समय सदन में विचार हो रहा है, इस के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार की कोशिशों के बावजूद गांव की आबादी बढ़ रही है। उन के लिए रिहायशी मकानों की ज़रूरत है। इस लिए common purposes के लिए और रिहायशी मकानों के लिए जगह लेने को provision इस में की गई है लेकिन अगली बात यह लिखी है :

"providing income for the Panchayat of the village concerned for the benefit of the village community".

यह बात समझ में नहीं आई, मन्त्री महोदय ने मैम्बरान के doubts का जवाब देते हुए कहा कि हम गांव वालों के common purposes के लिए ज़मीन लेंगे और वह भी थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, ज्यादा ज़मीन नहीं लेनी पड़ेगी और परेशानी नहीं करनी पड़ेगी लेकिन हमें समझ नहीं आया कि गांव में और कौन सा धन्दा शुरू किया जायगा जिस से उन की आमदनी बढ़ जाय। इस के लिए आवश्यक है कि गांव वालों की आमदन बढ़ाने का साधन ढूंढा जाय। सरकार ने वहां पर अनेकों टैक्स लगा रक्खे हैं, चूल्हा टैक्स, खुश हैसियती टैक्स इत्यादि, इत्यादि। एक तरफ गवर्नमैंट

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

कहती है कि हम power को decentralise करना चाहते हैं और lowest limit अर्थात पंचायत के द्वारा प्रजातन्त्र को चलाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बेतहाशा अनेक प्रकार के टैक्सों के भार तले गांव की जनता को दबा रखा है। एक तरफ जहां मन्त्रियों की फौज खड़ी कर रखी है, अनेक स्केंडल खड़े कर रखे हैं, वहां दूसरी तरफ क्या यह सम्भव नहीं है कि राज्य कोष में से आय का कुछ भाग पंचायतों के लिए निर्धारित कर दिया जाय। इन्होंने यह argument दी है कि जिन की ज़मीन ज्यादा है उन से ली जायेगी थोड़ी ज़मीन वालों से कम ली जायगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इस से थोड़ी ज़मीन वालों के साथ बेइनसाफी होगी, एक तरफ हमारी सरकार सोशिलस्ट सोसायटी बनाने का दम भरती है और common man को सब प्रकार की सुखसुविधाएं देने का नारा लगाती है लेकिन दूसरी तरफ यह बात समझ में नहीं आती कि हमारी हकूमत इस तरह के गलत कानून क्यों पास करवाती है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मिनिस्टर साहिब की समझ में हमारी युक्ति युक्त बातें भी नहीं आतीं तो इस से हमें आश्चर्य होता है कि एक आदमी की समझ कैसी है। मैं समझता हूं कि इन की अक्ल का दोष नहीं, इन्होंने तो न समझने की ठान रखी है। क्योंकि मौदगिल साहिब ने एक बात कही है और वह आगे पीछे फिरने वाले आदमी हैं इसलिये डिप्टी स्पीकर साहिब, उन की बात को तो वह मानने के लिये तैयार हैं और बाकी के मैम्बरान की बात मानने के लिये तैयार नहीं। मैं उन्हें कहूंगा कि कम से कम इस मामले पर जो एतराज़ात हैं उन्हें मन्त्री महोदय मान लें। आप की income गांव की इन ज़मीनों से नहीं बढ़ने वाली। मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार कई प्रकार के टैक्स लगा कर गरीब शहरियों का खून चूसती है। इन टैक्सों द्वारा गांव की पंचायत को सम्पन्न किया जा सकता है। मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो small land holders हैं उन से ज़मीन का हिस्सा न लिया जाए। अगर अब भी हमारी गवर्नमैंट की समझ में बात नहीं आई तो इस में मेरा कोई दोष नहीं।

6.00 p.m.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : जनाब, डिप्टी स्पीकर साहिब,

(*At this stage Ch. Balbir Singh also rose to speak.*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. डिप्टी स्पीकर साहिब, वह कौन सा rule है जिस के तहत अगर कोई मैम्बर इस बिल पर अपने ख्यालात ज़ाहिर करना चाहे तो उसे रोका जा सकता है। जो मैम्बर साहिबान अभी इस बिल पर बोले नहीं वे इस बिल को oppose करना चाहते हैं। वह कौन सा rule है जिस के तहत उन्हें बोलने से मना किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : इस क्लाज़ पर बहुत से मैम्बर बोल चुके हैं। (Many hon. Members have already spoken on this clause)

चौधरी धर्म सिंह राठी : अभी तक इस तरफ से सिर्फ तीन मैम्बर बोले हैं।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy speaker : I have called the hon. Minister to speak.

चौधरी धर्म सिंह राठी : कोई ऐसा rule नहीं जिस के तहत कि आप पाबंदी लगा दें कि इस से ज्यादा मैम्बर किसी बिल पर बोल नहीं सकेंगे। अगर आप के ख्याल में कोई ऐसा rule है तो हमें बता दें तो हम चुप हो जायेंगे। आप ने मिनिस्टर साहिब को खड़ा कर दिया है।

Mr. Deputy Speaker : I have heard your objection and have given my ruling.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ पर जो एतराज़ात हुए उन में मुझे कोई खास बात नज़र नहीं आई जिस का जवाब दिया जाना ज़रूरी हो। कुछ बातें चौधरी धर्म सिंह राठी ने कहीं और कुछ एतराज़ात डाक्टर भाग सिंह और श्री मंगल सेन की तरफ से उठाये गये कि छोटे मालिकों से किसी हद तक यह कटौती न की जाए। कोई बात इस क्लाज़ में नई नहीं है। जो मकसद इस क्लाज़ के ज़रिये achieve किया जाना मकसूद है वह हमेशा गवर्नमैंट के सामने रहा है। जब से यह ऐक्ट बना है इसी मकसद को पूरा करने के लिये काम होता रहा है। अब यह क्लाज़ बिल में इस लिये लाई गई है ताकि common purpose की definition को clear कर दिया जाए। और इस तरह से आयंदा कोई दिक्कत किसी अदालत में पेश न आये। इसी मतलब के लिये इस बिल का long title रखा ताकि common purpose के लिये ज़मीन reserve करने का अख्तियार इस ऐक्ट में हो। डाक्टर भाग सिंह ने कहा कि 10 एकड़ के मालिकान से ज़मीन पंचायत के वास्ते न ली जाए अव्वल तो इस ऐक्ट में कोई ऐसा section नहीं है जिस के तहत इस किस्म की कोई हद मुकर्रर की जाए। यह चीज़ें rules में provide की जाती हैं। Rules मुकम्मल बने हुए हैं। अगर डाक्टर भाग सिंह की तजवीज़ को मान लिया जाए तो शायद बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। पंजाब में कितने ही गांव ऐसे होंगे जहां 10/10 एकड़ के कई मालिकान होंगे अगर उन मालिकान से ज़मीन न ली जाए तो किसी गांव में ज़मीन मिल ही नहीं सकेगी। चौधरी धर्म सिंह राठी ने यह एतराज़ उठाया कि इस बिल में यह नहीं बताया गया कि किस तरीके से पंचायत की आमदनी बढ़ेगी। और अफसरों के पास discretionery अख्तियारात हो जाएंगे और पता नहीं कि वे कितनी कितनी ज़मीन काट लेंगे। इस में कोई हद मुकर्रर नहीं की गई, । Rules में यह सारी चीज़ें provided हैं। अफसरान की कोई discretion नहीं पहले ही बताया जा चुका है कि किस तरीके से पंचायत की आमदन बढ़ाई जाएगी। Rules बहुत clear हैं। अगर 150 acres तक ज़मीन किसी गांव में हो वहां कोई reservation नहीं की जाएगी। चौधरी बलबीर सिंह ने कहा कि 250 एकड़ ज़मीन में से 15 percent या 20 per cent ज़मीन काटी गई है। इस बात की enquiry कराई जाए। मैं कहूंगा कि किस बात की enquiry कराई जाए। 250 एकड़ ज़मीन से reservation हुई है। पांच एकड़ ज़मीन पंचायत के लिये काटी होगी अगर किसी गांव में 150

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

एकड़ से 300 एकड़ तक ज़मीन है तो वहां 5 एकड़ ज़मीन reserve की जाती है पंचायत के लिये। अगर पांच एकड़ ज़मीन reserve की जाये तो शोर बरपा किया जाता है कि हम मारे गये, इस से चौधरी बलबीर सिंह साहिब को बहुत तकलीफ हो जाती है। 150 से 300 एकड़ तक की ज़मीन में से पंचायत के लिये पांच एकड़ ज़मीन reserve की जाती है, 300 से 500 एकड़ तक ज़मीन हो तो 10 एकड़ ज़मीन काटी जाती है इस किस्म का scale मुकर्रर है जिस के मुताबिक ज़मीन ली जाती है। इस तरह से किसी बिस्वेदार को दिक्कत पेश नहीं आती। जो छोटे छोटे गांव हैं वहां reservation नहीं होती, या यूं कहीये कि जितने बेचराग गांव हैं वहां कोई ज़मीन नहीं ली जाती। यह एतराज़ात जो hon. Members ने उठाये हैं उन्हें वापस ले लेने चाहियें क्योंकि न इस से कोई hardship होती है, न किसी अफसर को discretion मिलती है बल्कि गांव के benefit के लिये 15-15 एकड़ ज़मीन का रक्बा reserve किया जाता है। पंचायत को खासी आमदन नहीं होती। अगर पंचायत अच्छे ढंग से cultivate करे तो 500 या 1,000 रुपया साल की आमदन होती है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

After proposed part (ii), the following proviso be added—

"Provided that for the purpose of section 3(ii) landowners upto 10 standard acres shall be exempted."

The motion was lost.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : On a point of personal explanation, Sir. ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ personal ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ enquiry ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਏ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ 15 per cent ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

Mr. Deputy Speaker : Is this a personal explanation ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Shri Sumer Singh (Hassanpur) : Sir, I beg to move—

For clause 4, substitute the following—

"Insertion of new section 23 A in East Punjab Act L of 1948—

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Shri Sumer Singh]

4. After section 23 of the principal Act, the following new section shall be inserted and, as from the twenty-sixth January, 1950, shall be deemed always to have been inserted, namely:—

'Management and control of lands for common purposes to vest in Panchayats:

23-A. As soon as a scheme comes into force, the management and control of all lands assigned or reserved for common purposes of the village under section 18 shall vest in the Panchayat of that village which shall also be entitled to appropriate the income accruing therefrom for the benefit of the village community, and the rights and interest of the owners of such lands shall stand modified and extinguished accordingly."

डिप्टी स्पीकर साहिब, जिस गांव में चक बन्दी होती है वहां पहले पैमायश होती है और उस के बाद स्कीम लिखी जाती है। फिर वह मंजूर होती है और enforce होती है जब स्कीम enforce हो जाए उस के बाद पंचायत को उस ज़मीन का कबज़ा कर लेना चाहिये जो कि पंचायत के लिये रिज़र्व की गई है और उसी दिन से फायदा उठाना शुरू कर देना चाहिये यह नहीं कि जब तक के सारे गांव की पार्टीशन न हो जाए उस वक्त तक पंचायत wait करती रहे। पंचायत को उस का कंट्रोल कर लेना चाहिये ताकि intervening period में loss न हो, । Rights and interests दोनों पंचायतों में vest हुए हैं वे उसी हद तक extinguish और modify हो जाने चाहिये जिस हद तक कि किसी rightholder का उस में हिस्सा है। इस लिये मैं वज़ीर साहिब से request करूंगा कि मेरी amendment मंजूर कर ली जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved:—

For clause 4, substitute the following:—

"Insertion of new section 23 A in East Punjab Act L of 1948:—

4. After section 23 of the principal Act, the following new section shall be inserted and, as from the twenty-sixth January, 1950, shall be deemed always to have been inserted, namely :—

'Management and control of lands for common purposes to vest in Panchayats.

23-A. As soon as a scheme comes into force, the management and control of all lands assigned or reserved for common purposes of thec village under section 18 shall vest in the Panchayat of that village whi h shall also be entitled to appropriate the income accruing there from for the benefit of the village community, and the rights and interest of the owners of such lands shall stand modified and extinguished accordingly."

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, जहां तक clause 4 का ताल्लुक है मैं इस के बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में यह तो लिख दिया है कि—

"The management and control of all lands assigned or reserved for common purposes of the village under section 18 shall vest in the Panchayat of that village which shall also be entitled to appropriate the income accruing therefrom for the benefit of the village community."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

यह तो ठीक है लेकिन इस का मतलब clear नहीं है। वज़ीर साहिब ने दलील दी थी कि हमने rules के अन्दर यह provide कर दिया है कि फलां percentage limit की मुकर्रर है। मैं ने देखा है कि rule 16(2) को हाई court ने *ultra vires* करार दिया है और उस की बिना पर यह कहते हैं कि limit मुकर्रर कर दी है। उस को तो पहले ही हाई court ने नाजायज करार दिया है इन को उस का सहारा नहीं लेना चाहिये अगर उस का सहारा लेते हैं तो ठीक नहीं है। Rule 16 के सिवाए कोई scale नहीं है। उस को हाई कोर्ट ने खिलाफे कानून करार दिया है। जहां तक management और control का ताल्लुक है मैं यह कहना चाहता हूं कि वज़ीर साहिब ने यह नहीं बताया कि जो ज़मीन न देंगे आया वह management के लिये काफी होगी, control के लिये काफी होगी, income के लिये काफी होगी, आबादी के लिये काफी होगी या कि नहीं, इस के बारे में कुछ नहीं लिखा। कितनी percentage होगी, क्या management होगी, तरीका क्या रखेंगे, आया बतौर मालिक के management होगी या किस तरह से होगी-- यह clear नहीं है। कहीं पर यह provide नहीं किया गया कि rules बना सकते हैं। Rules तभी बनाए जा सकते हैं जब कि main Act में provision हो कि इस के बारे में rules बनाए जाएंगे। अगर यह provision नहीं की गई prescribed नहीं है तो rules नहीं बना सकते Principal Act मैं ने पढ़ा है उस में कोई provision नहीं है । High Court में यही बात होगी कि Act के अन्दर तो ऐसी कोई provision नहीं है इस लिये rules नहीं बना सकते। इस लिये यह कहना कि rules बना लेंगे ठीक नहीं है, बना नहीं सकते । Main Act में इस किस्म की कोई power इन को नहीं दी गई। यह बात जो इन्होंने की है यह *ultra vires* है । अगर इस किस्म का कोई rule यह बनाएंगे तो वह *ultra vires* होगा नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो दिक्कत पेश आएगी । इन अल्फाज़ के साथ मैं इस Clause की मुखालिफत करता हूं।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : चौधरी धर्म सिंह ने जो बातें की हैं उनका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं पहले जवाब देने की कोशिश कर चुका हूं वह मेरी कोशिश बेकार साबित हुई है। ये तो कहते हैं कि State Government को rules बनाने का अख्तियार ही नहीं है और rules 16 *ultra vires* हो चुका है वह कुछ मतलब ही नहीं रखता । Scale अगर provided है तो वह scale ही नहीं रहा । Act को इस लिये तबदील किया जा रहा है अगर rules *ultra vires* हो जाएं तो rule 16 के अन्दर provided है कि State Government rules बना सकती है इस Act के purposes carry out करने के लिये, अगर वकील होते हुए उन को यह भी पता नहीं है तो मैं क्या जवाब दे सकता हूं उन की बातों का . .

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

(*interruptions*) जो amendment चौधरी सुमेर सिंह ने पेश की है, मैं समझता हूं कि वह बड़े अच्छे तरीके से drafted है । जो पहले original clause थी यह उस से बेहतर है । इस को मैं मंजूर करता हूं और हाउस इस को मंजूर कर ले। इस के इलावा मैं ने कुछ और नहीं कहना ।

Mr. Deputy Speaker : Question is —

For clause 4, substitute the following —

"Insertion of new section 23A in East Punjab Act L of 1948 —

4. After section 23 of the principal Act, the following new section shall be inserted and, as from the twenty-sixth January, 1950, shall be deemed always to have been inserted, namely:—

'Management and control of lands for common purposes to vest in Panchayats

23-A. As soon as a scheme comes into force, the management and control of all lands assigned or reserved for common purposes of the village under section 18 shall vest in the Panchayat of that village which shall also be entitled to appropriate the income accruing therefrom for the benefit of the village community,, and the rights and interest of the owners of such lands shall stand modified and extinguished accordingly."

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That clause 4, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Shri Harbhagwan Maudgil (Ludhiana, North): Mr. Deputy Speaker Sir, I have to move an amendment for deleting this clause.

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member's amendment will have the negative effect. Therefore there is no need of moving the amendment. The hon. Member can otherwise oppose the clause.

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, in this clause it has been provided that the lessee or the tenant, as the case may be, shall have to pay the fee. Unless and until it is decided as to whether the tenant or the lessee will ultimately become the owner of the land for which he will be required to pay the consolidation fee, it will cause a great hardship on those lessee or tenants.

Therefore I submit that this clause should be omitted and the rest of the Bill should be passed.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' (ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ Punjab Security of Land Tenure Act ਰਾਹੀਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

tenants ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਜਾਰਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 12 ਆਨੇ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ compensation ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ clause 5 ਦੀ ਰਾਹੀਂ tenants ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ 6, 7, 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਵਿਚ disinterested ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ proprietary right ਮਿਲ ਸਕੇ । ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹੋ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ interest ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ cases ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਵਿਚ ਜੇ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਕਿਉਂਕਿ provision ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ambiguity ਜਿਹੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ–ਮਾਲਕ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ select ਕਰਨ ਦਾ right ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੁਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਤਾ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15, 20 ਜਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ lease ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ surplus area ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ tenants ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ allot ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ–ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ Security of Land Tenure Act ਰਾਹੀਂ ਇਹ provided ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਾ 12 ਆਨੇ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ compensation ਦੇਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ purchase ਦਾ ਇਹ ਹਕ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ultimately ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕ ਨਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇਸ provision ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਕੇ consolidation operations ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੁੱਰਾ ਵਖਰਾ ਕਢਵਾ ਸਕੇ । ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਕਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਮਾਲਕ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ vindictiveness ਦੀ spirit ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਔਛਾ ਕੁੱਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ preceding right ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤਕ ਝਗੜੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹ argument ਦਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਸ clause 5 ਨੂੰ delete ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ']

ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਾਤਰ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ clause ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਤਾਕਿ tenants ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਦੇਕੇ ਚੰਗਾਂ ਕੁੱਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ । ਫੀਸ ਨਾ ਦੇਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਨ ਲਈ disqualification incur ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ clause ਨੂੰ delete ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ (ਸਮਾਨਾ--ਰੀਜ਼ਰਵਡ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ clause ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, Consolidation Department ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ Consolidation ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ 10 ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੋਣਗੇ । ਉਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜਦ ਤਕ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੇ Compensation ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਦਰ ਅਸਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੋਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਤੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਸ request ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ clause ਨੂੰ ਉਕਾ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਲਗ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ । ਜੋ Consolidation ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਫ਼ੀਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਲਹਿਦਾ provision ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ leases ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰੇ । ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ clause ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ।

Minister for Irrigation and Power : Sir, I would request that the sitting of the House may be extended by 15 minutes.

श्री उपाध्यक्ष: तो हाउस की राए क्या है ? क्या इस Sitting को extend कर दिया जाए ? (What is the sense of the House? should the time of this sitting be extended ?)

आवाजें । जी हां, कर दीजिए ।

कुछ आवाजें : नहीं, इसे extend नहीं किया जाना चाहिए ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उद्योग मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरा ख्याल है कि इस sitting को आध घंटा के लिए बढ़ा दिया जाए :

Mr. Deputy Speaker : The time of the sitting is extended by half an hour.

श्री मंगलसेन : On a point of order, Sir. श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहिब, हम सब ने No कहा था। आप ने बाकायदा तौर पर sense नहीं ली।

उपाध्यक्ष : Sense तो हाउस की यही है कि आज की Sitting का समय बढ़ा दिया जाए। (The sense of the House is that today's sitting be extended).

चौधरी बलवीर सिंह : जनाब, आप ने कोई मोशन हाऊस के सामने पेश नहीं की। आप का वह मोशन हाउस के सामने पेश करनी चाहिए थी। हम ने उस पर अपने ख्यालात का इज़हार करना था।

चौधरी धर्म सिंह राठी : on a point of order, Sir. मेरा एतराज़ यह है कि क्या आप बगैर कोई मोशन put किए वोट ले सकते हैं? इस सिलसिले में कोई मोशन यहां पर पेश नहीं हुई कि कौन इस के हक में है और कौन इस के खिलाफ हैं।

उद्योग मंत्री : इस के लिए बाकायदा मोशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।

The Speaker or the Deputy Speaker, as the case may be, after taking the sense of the House can extend the time of the sitting.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : That is a different thing. But the motion was never put to the vote of the House. We wanted to oppose it.

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member rose to object after I had extended the time.

श्री बलराम दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिब, दर असल बात यह है कि हाउस की sense लेने के लिए ठीक तरीका से पूछा जाना चाहिए था और वह नहीं पूछा गया। आप ने कहा कि क्या वक्त बढ़ा दिया जाए तो हमारी तरफ से यह जवाब दिया गया कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने 'Yes' भी कहा होगा। लेकिन clear verdict नहीं मिला। अब आप देख लें। आप इस को consider कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ने पहले sense ली और उसके बाद वक्त को बढ़ाया। (I first took the sense of the House and then extended the time of the sitting.)

उद्योग मंत्री : मैं मैम्बर साहिबान से अपील करूंगा कि जब Chair अपने अख्तियार से हाउस के वक्त को extend करती हैं तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[उद्योग मंत्री]

करना चाहिए। उन्होंने Sense ली और उसके बाद वक्त बढ़ा दिया। इस के लिए ज़रूरी नहीं होता कि कोई बाकायदा मोशन हाउस के सामने पेश की जाए। इस लिए जब एक फैसला हो गया है तो उस पर एतराज़ नहीं किया जाना चाहिए। यह कोई अच्छा नहीं लगता।

श्री रण सिंह (थानेसर-रिजर्वड) : डिप्टी सपीकर साहिब, Clause 5 में यह provision किया गया है कि वह ज़मीन जो consolidation की scheme के तहत आ चुकी हो और जिसे पट्टेदारान को पटे पर दिया हुआ हो उस को काशत करने वाले tenant या lessee के अगर अभी सात साल बाकी रहते हों तो उस ज़मीन की consolidation फीस वह lessee देगा और जो surplus ज़मीन मुजारों के पास ज़ेर काशत है उस की फीस मालिक की बजाए मुज़ारा देगा । यही दो points हैं जो कि इस clause में लिखे हैं। इस विषय पर कई साथियों का ख्याल है कि क्योंकि जो बड़े ज़मीदार हैं, वह Surplus Land के मुताल्लिक सरकार की मौजूदा Policy के तहत उस ज़मीन के मालिक नहीं रहेंगे और उस पर बसे tenants या पट्टेदार ही उसके मालिक बनने वाले हैं, इस लिए उस ज़मीन की consolidation fee उन्हीं tenants या पट्टेदारों को देनी चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उसी हालत में जायज़ होता जब वह मुज़ारे या पट्टेदार उस ज़मीन के मालिक बन जाते। जब मालिक ही नहीं हैं तो वे tenants या पट्टेदार क्यों वह फीस अदा करें? यह एक मोटी सी बात है । Consolidation fee मालिकों को देनी चाहिये न कि मुज़ारों या पट्टेदारों को अगर हम democracy में उन पर कुछ नाजायज़ fee ठोंसना चाहेंगे तो यह democratic spirit के खिलाफ होगा । जब वह मालिक ही नहीं तो क्यों उन्हें फीस देने के लिए मजबूर किया जाए? मैं इस clause की मुखालफत करता हूं और मुअज़िज़ वज़ीर साहिब से दरखास्त करता हूं कि वह इस clause को वापस ले लें।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ-ਜਨਰਲ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ clause 5 ਵਿਚ proviso ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ Principal Act ਦੀ Section 28 ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ cost of consolidation operation ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ apportion ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਯਾਨੀ ਇਸ clause ਰਾਹੀਂ ਇਹ provide ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ tenants surplus area ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ lessees ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ period 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ Consolidation ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ landlords ਔਰ tenants ਦੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਇਸ clause ਦੀ application ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਔਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ separate ਕੁੱਠੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ tenant ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ tenants

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾਏ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਰੇ ਅਲਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਰੇ landholders ਦੇ ਕੁੱਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ clause superfluous ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ । ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ । ਉਹ tenants ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਉ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : डिपटी स्पीकर साहिब, मैं इस की मुखालफत करने के लिए खडा हुआ हुं । यह clause फजूल सी है और इस से किसी को कोई फायदा नहीं पहुँचना । इस की वजह यह है जब चौधरी रण सिंह जो कि खुद हरीजन है, इस की मुखालफत करते हों तो मुज़ारों को कैसे फायदा होने की उम्मींद हो सकती है । मोदगिल साहिब ने भी इसकी मुखालफत की । इसके साथियों ने भी की । इसलिए यह क्लाज़ नही रहनी चाहिए । क्योंकि इस के consequences को मैं जानता हूँ । मैं consolidation की सारी proceedings को जानता हूँ कि इस से किन को क्या right मिलता है जो आम आदमी इस चीज़ को नहीं जान सकता और चौधरी रण सिंह को इस बारे में ख्याल भी नहीं आ सकता । मैं यह कहता हूँ कि यह clause बिल्कुल इस बिल में नहीं रहनी चाहिये और delete होनी चाहिए क्योंकि यह tenants के नुकसान के लिये है, गरीब आदमियों से पैसा लेने की बात नहीं होनी चाहिये ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ tenants ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਰਾ ਜਿਥੇ ਪਵੇ ਉਹ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Principal Act ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ amending ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾ ਵਖਰਾ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ tenants ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਰਾ ਜਿਥੇ ਪਵੇ ਪਵਾ ਲੈਣ । ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਦਸ ਦੇਣਗੇ । Tenants ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ consolidation fees ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਲੜਕੇ ਹਨ ਔਰ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਉਸ ਦੀ 35 ਜਾਂ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 5 ਜਾਂ 10 ਏਕੜ surplus area ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ surplus area ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾ ਜਿਥੇ ਪਏ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ Principal Act ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ amending ਬਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੁਰਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Consolidation Fee ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (राओ बीरेन्द्र सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिब, इस में कोई शक नहीं है कि यह Act सिर्फ मालिकान को recognise करता है लेकिन हदायात के ज़रिये इस बात का ख्याल रखा गया है कि मुज़ारों के हकूक को मालिकान की वजह से खराब न होना पड़े और जहां तक हो सके मुज़ारे के कुरे को मालिक के कुरे के साथ एक तरफ बना दिया जाये। मुजारों से fees लेने में ख्याल यह था कि उन को कुछ और moral strength मिले। उन के मफाद में यह बात की गई है। मैं ने अर्ज़ किया है कि यह दरुस्त बात है कि यह कानून मुजारों के हकूक को अलग recoginse नहीं करता। बहुत से hon. मैम्बर साहिबान ने इस clause पर एतराज़ किया है, जैसा कि मैं ने शुरू में अर्ज़ किया है कि गवर्नमैंट को इस बात की ज़िद नहीं है कि वह इस clause को ज़रूर लाये। House की sense को देख कर मैं इसे वापस लेने के लिये तैयार हूं और खास कर जब कि चौधरी धर्म सिंह राठी ने भी इस बात से इतेफाक ज़ाहिर किया है।

उद्योग मंत्री: अगर उन्हें इस बात का पहले पता होता कि आप ने इस clause को वापस लेने के लिये मान जाना है तब तो वह कभी भी यह न कहते।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री: मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर इस clause को delete कर दिया जाये।

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was lost.

Clause 6

चौधरी धर्म सिंह राठी : (सम्भालका) : जनाब, इस में और बातें तो हैं मगर जो यह बात है कि सरकार को इख्तयार दे दिया जाए कि वह scheme तब्दील कर दे यह बड़ी अजीब है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह scheme जो ज़मीन के मालिकान बनाते हैं वह सारे के सारे एक कानून के तहत इकट्ठे हो कर इस को

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

बनाते हैं सारी बातों को ख्याल में रख कर कि गांव में ज़मीन कितने किस्म की है, कितने कुरे बनने चाहिएं वगैरह वगैरह पहले इस scheme को तब्दील करने का किसी को इख्तयार नहीं था। मैं सरदार उमराओ सिंह को बताना चाहता हूं कि यह इख्तयार अब चंद एक सरकारी अफसरों के हाथ में आ रहे हैं। पहले तो इन की थोड़ी बहुत मर्जी चलती थी मगर अब तो इन को scheme बनाने और repartition करने का इख्तयार मिल रहा है । नतीजा यह होगा कि इस का misuse political तौर पर होगा । ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि स्कीम बनी मगर वज़ीर साहिब के चन्द दोस्तों ने इस को upset करा दिया । तो इस लिए यह amendment लाए हैं कि अपने दोस्तों, कांग्रेसी साथियों या अपने रिश्तेदारों के कहने के मुताबिक scheme बना सकें । यह बात जितनी ज्यादा अफसरान के हाथ में रहेगी उतना ही इस का Politically mis-use होगा। इस लिए मैं इस amendment की मुखालिफत करता हूं । scheme को तब्दील करने का इख्तयार सिवाए Landlords के और किसी को नहीं होना चाहिए।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ clause ਤਾਂ ਸਾਰੇ Act ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । Act ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ provided ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ clause nullify ਕਰਦੀ ਹੈ । Scheme ਭਾਵੇਂ final stage ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੁਰੇ ਚੁਕੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਬਸ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਫਾ 42 ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ politically mis-use ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੇਗਾ । Final stage ਤੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ scheme ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री मंगल सैन (रोहतक) इस बिल की धारा 6 बारे निवेदन है कि सरकार ने यह इस लिए रखी है कि सरकार इस बात में दखल दे सके जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते है कि यह हर बात में करता है......

Mr. Deputy Speaker : Please confine yourself to the clause.

श्री मंगल सैन : clause तक ही confine करूंगा । मगर जो सम्बन्धित बातें होती हैं वह तो करनी ही पड़ती हैं। इस धारा में सरकार यह अधिकार चाहती है कि कमेटी की बनाई हुई स्कीम को यह upset कर सके । अगर किसी Land lord के साथ कोई बेइन्साफी हो जाए तो अपने मुलाज़मीन के खिलाफ शिकायतें सुनने के लिए सरकार कोई agency कायम कर सकती है मगर यह अधिकार सरकार को देना और खास तौर पर पंजाब की हकूमत के हाथ में देना खतरे से खाली नहीं है। आप को इस दिशा में मेरे से ज्यादा जानकारी है कि और तो और यह सरकार न्यायालयों के काम में भी हस्ताक्षेप करने से बाज़ नहीं आती.....

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कर रहे हैं ? (The hon. Member is not relevant).

श्री मंगल सैन : मुझे शुबह है कि ऐसे अधिकार सरकार को देने से पक्ष-पात शुरू हो जाएगा। इन की तो मजबूरी होती है। अगर यह अपने साथियों की नाजायज़ बातें न माने तो यह गद्दियां कायम नहीं रह सकतीं। यह एक हकीकत है और हमें कहनी पड़ती है ......

Mr. Deputy Speaker : Order please. Is that a speech on the clause?

(*Interruption*)

श्री मंगल सैन : इस में तो बिल्कुल नए सिरे से सारी चीज़ करने की बात है। इस लिए हमें एतराज़ करना पड़ता है। सरकार को इतने अधिकार देने से इन का mis-use होगा, यह बात Opposition वाले तो क्या, न्याय करने वाले भी कहते हैं कि यह हमारे पास सिफारिशें लाने से नहीं झिजकते.....

Mr. Deputy Speaker : How is all this relevant here. (*Interruption*)

श्री मंगल सैन: आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। सत्य बातें कटू होती हैं। इतनी अर्ज़ ज़रूर करूंगा कि सरकार को इस तरह empower नहीं करना चाहिए। आप मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस clause के खिलाफ जो बातें चौधरी धर्म सिंह और चौधरी बलबीर सिंह ने कहीं हैं और जो कुछ श्री मंगल सेन जी ने कहा है इसे सुन कर मुझे हैरानी हुई है। इन की बातों से मुझे वह मालूम होता है कि इन्होंने इस Act को देखा तक नहीं। यह कहते हैं कि इस Bill के ज़रिए Government power ले रही है। इस के इलावा यह कहते हैं कि इस से मालिकों की power छिन जायेगी। अगर इन्होंने इस Act को देखा होता तो यह इस तरह की बातें न करते। बहुत सारी schemes को revoke करने का अख्तियार section 36 में दिया हुआ है। इस में लिखा है :

> "A scheme for the Consolidation of Holdings confirmed under this Act may, at any time, be varied or revoked by the authority which confirms it subject to any order of the State Government that may be made in relation thereto and a subsequent scheme may be prepared, published and confirmed in accordance with the provisions of this Act".

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस की दफा 36 में हम तबदीली कर सकते हैं लेकिन जब दफा 42 के तहत amend करने की ज़रूरत हो या अगर कोई ऐसी appeals आती हैं जिन के खिलाफ कोई action लेना हो जैसे बाज़ औकात ऐसा होता है कि किसी के साथ injustice हुआ हो तो इस के पेशेनज़र अगर किसी scheme को partially amend करना मतलूब हो तो ऐसा करने का हक गवर्नमैंट को नहीं है। इस चीज़ के लिये यह amendment लाई गई है। इन सहूलियात को देने के लिये यह Amending Bill लाया गया है। ताकि दफा 36 का हम को कोई सहारा न लेना पड़े और injustice भी दूर किया जा सके। इन के

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

यह शकूक कि कोई order नहीं पास किया जाता, दफा 36 में कोई provision ही नहीं यह अखत्यारात लिये जा रहे हैं, ठीक नहीं हैं। मैं अर्ज करूं कि यह नये नहीं है। इस के मुताल्लिक सरकार के Notification हमेशा होते रहे हैं। इसी मकसद को पूरा करने के लिये ही यह दफा 42 की amendment इस बिल में रखी गई है ताकि injustice दूर किया जा सके। High Court के फैसला के बाद इस order को clear कर दिया गया है। इस लिये मैं समझता हूं कि जो खदशात इन्होंने जाहिर किये हैं यह बिल्कुल बेबुनयाद हैं। इन्होंने इस Act को समझने की कोशिश ही नहीं की। इस लिये मैं कहूंगा कि इस clause को पास किया जाये।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 6, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Shri Sumer Singh (Hassanpur) Sir, I beg to move

For clause 7 substitute the following —

7. Notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, —

(a) where in any scheme, made before the commencement of this Act, land has been reserved for the panchayat of the village concerned for utilizing the income thereof, or

(b) where before such commencement the State Government or any authority to whom it has delegated its powers has passed an order under section 42 of the principal Act revising or rescinding a scheme prepared or confirmed or repartition made by any officer under that Act,

Such reservation of land or such order, as the case may be, shall be deemed to be valid, and any such scheme or order shall not be questioned on the ground that such reservation of land could not be made or, as the case may be, that under section 42 of the principal Act, the State Government or such authority had no power to pass such order."

Mr. Deputy Speaker, मैं ने जो amendment पेश की है वह इस लिये की है कि इस Act के तहत जो कार्यवाही की गई है और जिस court ने इसे invalid करार दिया है वह valid करार दिया जाये। इन अलफाज़ के साथ मैं Minister साहिब से दरखास्त करूंगा कि इस को accept किया जाये।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

For clause 7 substitute the following —

7. Notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, —

(a) where in any scheme, made before the commencement of this Act, land has been reserved for the panchayat of the village concerned for utilizing the income thereof, or

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Mr. Deputy Speaker]

(b) where before such commencement the State Government or any authority to whom it has delegated its powers has passed an order under section 42 of the principal Act revising or rescinding a scheme prepared or confirmed or repartition made by any officer under that Act, —

such reservation of land or such order, as the case may be, shall be deemed to be valid, and any such scheme or order shall not be questioned on the ground that such reservation of land could not be made or, as the case may be, that under sectioh 42 of the principal Act, the State Government or such authority had no power to pass such order".

चौधरी धर्म सिंह राठी (संभालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इस clause की मुकालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह उन पर लागू होती है कि जो schemes या Orders आज से चार पांच साल पहले जारी किये गये। उन को यह कहते हैं कि High Court ने illegal करार दे दिया है और यह उसे regularise करने के लिये पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह clause इस बिल के अन्दर बिल्कुल unconstitutional है। इस तरह से दफा 42 के अन्दर गवर्नमैंट जो यह तरमीम लाना चाहती है यह बिल्कुल कायदे के खिलाफ है। Act के मुद्दा के खिलाफ है। (*Interruption*) इस तरह जो schemes बनी हैं यह चाहते हैं कि उन्हें legalise कर दिया जाये और जो अपीलें Government के पास आती हैं और जिन पर कि दफा 21 की कार्यवाही हो चुकी है यह चाहते हैं उन का कुछ न बने। दफा 42 के तहत हम इस में कोई तबदीली नहीं कर सकते और ऐसी तबदीली का किसी सूरत में कोई अख्तियार नहीं है जो आज यह दफा 42 के तहत अख्तियार ले रहे हैं उस को नहीं देखते कि आया यह practicable भी है या नहीं। हमें यह कहते हैं कि Act को पढ़ा ही नहीं। आज दरअसल यह वह अख्तियार लेना चाहते हैं जो दफा 42 के तहत गवर्नमैंट को नहीं हैं। लोगों को legislation के मुद्दा के खिलाफ और कानूनी orders दिये जाते हैं। पानीपत के अन्दर उन्होंने एक भी scheme को मन्जूर नहीं किया। आज यह पिछले दो दो ढाई ढाई साल से जिन स्कीमों के फैसले किये गये हैं, उन को कहते हैं कि legalise कर दिया जाये, जिन्हें कि High Court ने illegal करार दे दिया है।

Mr. Deputy Speaker : The House stands adjourned till 2 p.m. tomorrow.

7 p.m.

(The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Thursday, the 21st April, 1960)

9037PVS—349—1-10-60 C., P. & S., Chandigarh

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha
Debates

21st April, 1960.

Vol. I—No. 34

OFFICIAL REPORT

CONTENTS.

Thursday, the 21st April, 1960.

Price: Rs 3.35 nP.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, NO. 34, DATED THE 21ST APRIL, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
800	੪00	(34)13	23
ਟੰਡਨ	ਪ੍ਟੰਡਨ	(34)13	36
Categories	Categoriess	(34)16	6
Three	hree	(34)26	2
ਸਰਦਾਰ	ਸਰਦਰ	(34)27	22
Concerned	Sconcerned	(34)30	28
ਨੋਟਿਸ ਦੇਂ	ਕ੍ਰੋਟਿਸ	(34)31	19
ਇਨ੍ਹਾਂ	ਇਨ੍ਹ	(34)36	18
ਸੁਤੰਤਰ	ਸੁਤੰਪਰ	(34)37	4
Delete the word	ਪੇ:	(34)41	14
ਜ਼ਮੀਨ	ਜਨੀਨ	(34)43	18
ਇਹ	ਇਸ	(34)47	11
ਭੈਣਾਂ	ਲੈਣਾ	(34)54	7th from below
ਕਰਦੀ	ਕਹਦੀ	(34)57	6
ਵਸਾਉਣਾ	ਵਸਣਾ	(34)57	16
ਦੀ	ਈ	(34)57	22
ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ	ਖੀਰੋ ਖੀਰੀ	(34)57	7th from below
ਕਹਿਣਾ	ਕਿਹਣਾ	(34)58	9
ਲੈਣ	ਲੋਣ	(34)60	2nd from below
ਨੂੰ	ਨੇ	(34)61	11
ਮਿਲੇ	ਮਿਲੋ	(34)62	12
ਨੂੰ	ਨੇ	(34)64	34
Constitution	Consitution	(34)66	22
ਜੋ	ਜ	(34)71	last

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 21st April, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, at* 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SCHOLARSHIPS OF J.B.T. TRAINEES IN THE STATE

***5684. Sardar Kartar Singh Diwana :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether any amount of scholarship for J.B.T. trainees have been transferred to the State Government by the Union Government ; if so, when ;

(b) the steps, if any, taken by Government for the payment of the scholarships referred to in part (a) above during the current financial year ;

(c) the total amount earmarked by Government for the said purpose ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

FREE QUARTERS, ETC. AND BONUS TO ROADWAYS EMPLOYEES

***5680. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to provide free quarters and free pass concession for the families of the Roadways employees as in the case of the Railways ; if so, the details thereof, and the date by which the same is likely to be implemented ;

(b) whether there is also any proposal under the consideration of Government for the payment of bonus to the Roadways employees, if so, the details thereof and the date by which the same is likely to be implemented ?

Rao Birendar Singh : (a) No.

(b) No.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री बलराम दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएँगे कि इनको facilities न देने की क्या वजह है ?

मंत्री : इसके बारे में ग़ौर किया है लेकिन गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं की क्योंकि इन employees को 25 रुपए से 100 रुपए तक के इनाम दिए जाते हैं और दूसरी facilities काफी मिल जाती हैं ।

श्री बलराम दास टंडन : जहां तक free quarters का ताल्लुक है, उसके बारे में क्या विचार है ?

मंत्री : कोई नहीं ।

PROVISION OF CLOAK ROOMS AT DISTRICT CENTRES OF ROADWAYS

***5681. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to provide cloak rooms at district centres of the Roadways and especially at Chandigarh; if so, when?

Rao Birendar Singh : Yes, at all bus stands under construction or to be constructed.

WAITING-ROOMS FOR THE STAY OF PASSENGERS OVER NIGHT AT ROADWAYS BUS STANDS

***5682. Shri Balram Das Tandon :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to provide waiting-rooms for the stay of passengers over night at Bus Stands of the Roadways ; if so, when ;

(b) whether any waiting-rooms have already been provided any where in the State; if so, when ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes, at all bus stands under construction and to be constructed. The completion is planned to coincide with the end of Third Five-Year Plan period.

(b) Facilities have been provided at —

(i) Ambala City.
(ii) Amritsar.
(iii) Tarn Taran.
(iv) Ferozepur.
(v) Moga.

श्री बलराम दास टंडन : क्या मिनिस्टर साहिब बताएँगे कि जिन जगहों का नाम (b) part में पढ़ा है, उन जगहों के अन्दर facilities बढ़ाने का उनका कोई विचार है ?

मंत्री : तीसरी Five-Year Plan में सब बड़ी-बड़ी जगहों के अन्दर नये बस स्टैंड बन जाएँगे और उस वक्त सब किस्म की facilities provide कर दी जाएँगी ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CUT IN THE SPECIAL ALLOWANCE OF STAFF IN THE OFFICE OF DEPUTY COMMISSIONER, AMRITSAR

***5689. Shri Balram Das Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any cut in the special allowance admissible to the staff employed in the office of the Deputy Commissioner, Amritsar, has been effected within the last four years, if so, the amount of the said cut with the date from which it was effected together with the reasons for which it was effected ;

(b) whether any representation in regard to the said cut has been received by Government ; if so, the contents of the representation and the decision of the Government thereon ?

Giani Kartar Singh : (a) (i) Yes, Sir.

(ii) $\frac{\text{Rs. 3.00 nP.}}{\text{Re. 1.00 nP.}}$ per mensem for $\frac{\text{Class III Government Servants}}{\text{Class IV Government Servants}}$

(iii) 1st May, 1958.

(iv) The allowance was sanctioned in 1921 and the circumstances under which it was sanctioned were not existing.

(b) (i) Yes.

(ii) Copy enclosed.

(iii) Filed.

Copy of the representation

To

The Deputy Commissioner,
Amritsar.

Subject :— Local Compensatory Allowance admissible to the Government servants stationed at Amritsar.

SIR,

Your kind attention is invited to letter No. **801-FR-1-58/7411,** dated 3rd May, 1958 from the Secretary to Government, Punjab, Finance Department, Chandigarh, addressed to all Heads of Departments etc.

2. Government have stopped the payment of compensatory allowance of Rs.3.00 per mensem which was being paid to Government servants stationed at Amritsar, drawing pay less than Rs. 100. on the ground that the circumstances under which this allowance was sanctioned in 1921 do not exist now. This allowance had been granted with a view to remove certain difficulties experienced by Government officials posted at Amritsar in the matter of houses etc. what to speak of easing the housing situation at this Station, it has awfully deteriorated and getting a house at Amritsar has become a problem, because during the riots of 1947 many houses were burnt and there has been no housing activities since after partition on Government or

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Revenue]

at private level. The houses left by evacuees were too small as compared with the number of people settled at Amritsar after partition. The population of Amritsar which was hardly, 250,000 has now increased to 400,000. Most of the evacuee houses have fallen due to floods of 1955 and also due to the policy of the Government not to repair these houses. To get a room for residential purposes is a problem and one has to pay Rs. 20 for a room here. Can one say that the circumstances existing in 1921 have since changed ? It can on the other hand be said that these have worsened since 1947 and the Compensatory Allowance should have been increased by five times by Government than to stop it. The prices of daily needs have considerably increased and it has become an awful task for low-paid employees to make their both ends meet. The employees of the Central Government stationed here get several allowances. Their Dearness Allowance is also Rs. 15 more than that paid to us. In addition to this they get Rs. 7 as House Rent Allowance. We deserve the same facilities and allowances and Government instead of granting the same have stopped our Compensatory Allowance. This stoppage of Compensatory Allowance will greatly effect the efficiency of the offices and will also dishearten the low paid employees. In the circumstances explained above, it is prayed that Government may kindly be apprised of this situation and move not to stop this allowance. Pending final decision Government may stop execution of their this order. It would be much better if this issue is referred to a Civil Court, a Commission for decision as to whether the circumstances have changed or not. Government have already granted 2 advance increments to its officials drawing pay above Rs. 100 while to these low paid employees no such advance increment has been allowed.

We are,
Yours faithfully,

(Employees of D.C's Office,
drawing pay less than Rs. 100 per mensem)
Signed.

श्री बलराम दास टंडन : क्या मंत्री महोदय बताएँगे कि ऐसे कौन से circumstances 1931 के अन्दर थे जो कि अब समाप्त हो गए हैं और जिनके कारण allowance खत्म कर दिया गया है ?

मंत्री : उस वक्त houses के लिए allowance थे क्योंकि houses की तंगी थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं ।

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएँगे कि अमृतसर के अन्दर partition के वक्त एक तिहाई मकान जल गए थे और क्या आज भी houses की वैसी ही shortage नहीं है ?

मंत्री : अब यही ख्याल है कि हालात बदल गए हैं और houses और भी बन गए हैं । पहिले जो मकान जलने से shortage हो गई थी वह मुसलमानों के चले जाने से इतनी नहीं रही थी ।

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बताएँगे कि अमृतसर में अभी भी किराए बहुत ज्यादा हैं ? May I know, Sir whether the Government is prepared to reconsider this proposal in view of this position ?

मंत्री : इसके लिए notice चाहिए ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CASES OF THEFT REGISTERED WITH POLICE POST KURALI, DISTRICT AMBALA

*5685. **Dr. Baldev Prakash :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of cases of theft registered with the Police Post of Kurali, district Ambala during the last two years, together with the date of registration of each case and the value of property involved in each case ;

(b) the value of the property/articles which were the subject of the said theft cases, recovered by the police, together with the dates of recovery in each case ;

(c) the number of persons arrested in the said cases, number of those convicted and the dates when convictions were ordered ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : A statement containing the requisite information is laid on the Table.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Statement showing cases of theft registered with Police Post Kurali during 1958 and 1959

Serial No.	(a) No. of theft cases registered with P.P., Kurali, district Ambala	Date of registration of case	(b) Value of property involved in each case	The value of property/articles which were the subject of the said theft cases recovered by the Police	Date of recovery in each case	Number of persons arrested in the said cases	(c) Number of those convicted	Date when convicted
				1958				
			Rs	Rs				
1	F.I.R. No 42, under section 380, I.P.C.	7-4-58	22.00	22.00	7-4-58	1	1	15-5-58
2	F.I.R. No. 58, under section 380, I.P.C.	20-5-58	80.00	80.00	21-5-58	1	..	..
3	F.I.R. No. 60, under section 379, I.P.C.	22-5-58	80.00	80.00	22-5-58	1	..	..
4	F.I.R. No. 87, under section 380, I.P.C.	15-8-58	600.00	600.00	24-10-58	4	3	29-10-59
5	F.I.R. No. 88, under section 379, I.P.C.	20-8-58	1,734.00	..	..	..	..	..
6	F.I.R. No. 94 under section 379, I.P.C.	14-9-58	1.00	1.00	14-9-58	1	1	28-3-59
7	F.I.R. No. 116, under section 379, I.P.C.	9-11-58	17.50	..	..	..	..	..
8	F.I.R. No. 123, under section, 380 I.P.C.	5-12-58	150.00	150.00	5-12-58	2	..	..
9	F.I.R. No. 124, under section 379, I.P.C.	5-12-58	100.00	100.00	5-12-58	1	1	6-8-59
				1959				
1	F.I.R. No. 5, under section 380, I.P.C.	24-1-59	8.00	8.00	24-1-59	1	1	20-2-59
2	F.I.R. No. 11, under section 390, I.P.C.	11-2-59	179.00	..	..	..	..	..
3	F.I.R. No. 20, under section 379, I.P.C.	6-3-59	18.00	18.00	6-3-59	2	..	..
4	F.I.R. No. 24, under section 380, I.P.C.	10-3-59	15.50	15.50	10-3-59	1	1	24-11-59
5	F.I.R. No. 32, under section 379, I.P.C.	9-4-49	200.00	200.00	10-4-59	1	1	24-11-59
6	F.I.R. No. 34, under section 380, I.P.C.	16-4-59	80.00	..	..	..	..	..
7	F.I.R. No. 136, under section 379, I.P.C.	24-12-59	150.00	..	..	..	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

डा. बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, जवाब मिला तो नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आपको 25 मार्च को मिल चुका है, आपके दस्तखत मौजूद हैं। (The hon. Member received the reply on the 25th March, 1960. His signatures on the receipt are here.)

CHAUKIDARA COLLECTED FROM KURALI TOWN IN DISTRICT AMBALA

***5686. Dr. Baldev Parkash :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total amount of Chaukidara collected from the town of Kurali per year together with the number of Chaukidars in the said town as at present and in the year 1945 ?

Sardar Partap Singh Kairon : (i) Total amount of Chaukidara collected from the Kurali Town per year as in the year 1945. Rs. 696.00

(ii) (a) No. of Chaukidars in the year 1945 — Seven including one Dafedar

(b) No. of Chaukidars at present — Nil. Posts of Chaukidars have since been abolished on the formation of Municipal Committee at Kurali in March, 1959.

श्री बलराम दास टंडन : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएँगे कि जब कि चौकीदार हटा दिए गए हैं तो क्या चौकीदारा खत्म करने का कोई विचार है ?

मुख्य मंत्री : वह तो 1945 की बात है ।

श्री बलराम दास टंडन : अभी भी वैसे ही इकट्ठा होता है जनाब ?

मुख्य मंत्री : नहीं अब नहीं होता ।

CATTLE AND LIVE STOCK INSURANCE SCHEME

***5687. Sardar Parkash Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to introduce the cattle and live stock-insurance scheme in the State; if so, the time by which it is likely to be introduced ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : No. The question regarding time does not arise.

SURVEY REGARDING BOVINE TUBERCULOSIS IN THE STATE

***5688. Sardar Parkash Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state —

(a) whether Government have conducted any survey or collected statistics regarding bovine tuberculosis in the State ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative the estimated number of cattle which suffer from T.B. ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Sardar Parkash Singh]

(c) whether Government have taken any steps to prevent the spread of T.B. from cattle to human beings, especially children ; if so, what ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Question does not arise.

(c) No.

PASSENGER TAX FROM PUNJAB AND PEPSU ROADWAYS

***5710. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Finance be pleased to state the amount of passenger-tax realised from the Punjab Roadways and the Pepsu Roadways separately during the years from 1952-53 to 1959-60, annually ?,

Dr. Gopi Chand Bhargava : A statement containing the information is laid on the Table.

STATEMEMT

Serial No	Year		Punjab Roadways	Pepsu Road Transport Corporation
			Rs	Rs
1	1952-53	..	3,53,660.17	Nil
2	1953-54	..	7,43,324.68	Nil
3	1954-55	..	7,23,106.89	Nil
4	1955-56	..	8,41,060.08	8,218.90
5	1956-57	..	14,45,595.66	2,08,933.55
6	1957-58		19,95,692.24	3,99,407.23
7	1958-59	..	23,45,577.42	4,98,564.08
8	1959-60 (Upto 29th February, 1960).	..	25,11,544.37	5,63,988.79

DISEASES AMONG CATTLE

***5695. Sardar Parkash Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the names of the various cattle diseases that claim a very high mortality every year among cattle and other live-stock in the State

(b) the programme, if any, chalked out by Government to combat the said diseases ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Rinderpest and Haemorrhagic Septicimea.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(b) A scheme to eradicate Rinderpest disease is already under operation. To combat the disease of Haemorrhagic Septicimea, which appears during rainy season, mass scale prophylactic vaccination is carried out before the commencement of rainy season.

DIPLOMA HOLDERS IN CIVIL ENGINEERING

***5697. Shri Bhala Ram :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to allow Diploma-Holders in Civil Engineering to undergo a two years' Course and obtain B.Sc. Degree in Engineering; if so, the time by which it is likely to be implemented ?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : The Government of India has very recently requested the State Board for Technical Education to examine the possibility of giving effect to the recommendations of All-India Council for Technical Education to formulate degree courses or advanced diploma courses of degree standard for the benefit of diploma-holders in Engineering and Technology. The recommendation is also to be considered by the University of Punjab. It is not, therefore, possible to indicate the likely period by which this proposal would be accepted and implemented.

ASSISTANTS IN TREASURIES

***5701. Dr. Bhag Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any posts of Assistants in the Treasuries in the State are lying vacant for want of confirmation ; if so, the number of such posts and the year since which these have been tnus vacant ;

(b) whether the case relating to the confirmation of Assistants in the Treasuries is likely to be finalised soon; if so, when and the stepsbeing taken in this respect ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : (a) Yes, Sir. The number of such posts is 18. The posts have been vacant as under :—

1958	1959	1960
11	6	1

(b) Yes. This will be finalised as soon as representations made by certain treasury officials are decided. The matter has already been referred to the Revenue Department for certain clarifications.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

REPRESENTATION FOR ESTABLISHING A POLICE STATION AT KURALI, DISTRICT AMBALA

***5715. Dr. Baldev Prakash :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether Municipal Committee, Kurali, district Ambala, passed a resolution requesting the Government to increase the strength of the police force of Police Post, Kurali; if so, when ?

(b) whether any representation has also been received by the Government from the public of Kurali, for establishing a Police Station there ; if so, when and the action, if any, taken thereon ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes, on 19th September, 1959.

(b) Yes, on 29th September, 1959. A proposal for the location of a permanent Police Post is being examined by the District authorities. For the present, one Assistant Sub-Inspector and 5 Constables are posted there to control crime, etc.

श्री बलराम दास टंडन : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि यह proposal कब तक finalise हो जाएगी ?

उप मंत्री : District authorities examine कर रही हैं । जब उन की report आ जाएगी तो उस proposal को जल्दी ही finalise कर दिया जाएगा ।

REPORT OF DISTRICT ENQUIRY AGENCY AGAINST S. HARWANT SINGH EX DISTRICT HARIJAN WELFARE OFFICER, FEROZEPUR

***5716. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether Government have received any report from the District Enquiry Agency, Ferozepur through the Vigilance Department regarding allegations of misappropriation of money at several places in Ferozepur District by S. Harwant Singh, Ex District Harijan Welfare Officer, Ferozepur ;

(b) if so; the date of receipt of the said report and the action, if any, taken so far by Government thereon ?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) 8th July, 1958. Shri Harwant Singh was charge-sheeted. His explanation was considered unsatisfactory and the General Assistant, Ferozepore was appointed as an Enquiry Officer to hold a departmental enquiry into the allegations levelled against him. The report of the Enquiry Officer has now been received and is under consideration.

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि enquiry officer की report कब मौसूल हुई थी ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उप मंत्री : 8-7-58 को मिली थी ।

श्री राम चन्द्र कामरेड : अगर यह report 8-7-58 को मिली थी तो दो साल के अर्से में क्या कार्यवाही हुई है ?

उपमंत्री : पहले एक enquiry हुई थी उस के बाद दूसरी enquiry हुई इस लिए देर लग गई है ।

RESOLUTION PASSED BY MUNICIPAL COMMITTEE, KURALI, DISTRICT AMBALA FOR GRANT AND LOAN

5714*Dr. Baldev Prakash : Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government recently received a copy of resolution passed during the year 1959-60 by the Municipal Committee, Kurali, district Ambala, asking for special grant and loan ; if so, when, together with the action, if any, taken thereon ?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister) : Government have not so far received a copy of the said Resolution of Municipal Committee, Kurali, asking for special grant and loan and hence the question of taking any action on it does not arise.

श्री बलराम दास टंडन : क्या यह Deputy Minister साहिब के notice में है कि वहां नई committee बनाई गई है ?

उप मंत्री : जी हां ।

श्री बलराम दास टण्डन : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि जब उस committee के पास resources नहीं हैं तो वह काम कैसे चलाएंगे ?

उप मंत्री : वह अपनी proposal Deputy Commissioner के पास भेजते हैं, । फिर वह Commissioner के पास भेजते हैं । उसके बाद वह हमारे पास भेजते हैं । लेकिन अभी वह हमारे पास नहीं पहुंची ।

श्री मंगल सेन : On a point of order, Sir. क्या मैं पुछ सकता हूँ कि जैसे ज्ञानी जी ने पगड़ी बांधी हुई है वैसे कोई और Member बांध सकता है ? (हँसी)

श्री अध्यक्ष : ज्ञानी जी ज़रा पगड़ी ठीक करके डा० मंगल सन की तसल्ली करवा दें ।
(The hon. Minister may please satisfy Dr. Mangal Sein by tying his turban properly.)

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਲਉ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਟੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । (ਹਾਸਾ)

ARRESTS OF ZAMINDARS OF VILLAGES IN LUDHIANA DISTRICT

***5702. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether he received any telegraphic complaint regarding arrests of some Zamindars of certain villages in Ludhiana District in connection with the recovery of Taccavi loans and their being locked up in a small room in the tehsil Havalat at Ludhiana; if so, when, from whom and the action taken thereupon ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Giani Kartar Singh : Yes.

A telegram was received on 14th March, 1960 from Shri Attar Singh, Member Assembly.

A copy of the telegram was forwarded to the Deputy Commissioner, Ludhiana, for necessary action in the matter in the light of recent instructions of Government to postpone recoveries of Taccavis in deserving cases till the new Rabi harvest comes in. The Deputy Commissioner has issued necessary instructions to the effect in the district.

NUMBER OF LAMBARDARS AUTHORISED TO COLLECT LAND REVENUE IN THE STATE

*5717. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the total number of Lambardars authorised to collect land revenue in the State during 1958-59, district-wise

(b) the number of Lambardars against whom processes for for (a) arrests (b) attachment of property had to be issued for the realisation of (i) land revenue (ii) arrears of land revenue during the period referred to above and the amount of revenue/arrears of revenue due, separately and the amounts under each head actually realised ?

Giani Kartar Singh : The time and trouble involved in collecting the information would not commensurate with any possible benefit to be obtained by the honourable Member.

श्री राम प्यारा : मैं पूछना चाहता था कि कितने लम्बरदार हैं जिन का कुर्कियों के orders हुए हैं ? यह information collect करने में difficulty क्या पेश आती थी ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਤ ਸੌ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ information collect ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ labour ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

APPOINTMENT OF OFFICER-IN-CHARGE, NATIONAL DISCIPLINE SCHEME

*5722. **Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether Government have appointed any person as Incharge of the National Discipline Scheme in the State, if so, his name his qualifications, age, experience in the line, salary and allowances etc ;

(b) the date when the appointment referred to in part (a) above was made ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(c) whether the post referred to above was advertised; if so, when, and the names of persons who applied for the post ; if it was not advertised, the reasons thereof ;

(d) whether the case connected with the said appointment was referred to the Punjab Public Service Commission ; if so, the names of persons selected by the Commission for the post?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Yes. Baba Prithvi Singh Azad has been appointed as Incharge of the National Discipline Scheme in the State. He is a graduate of the Moscow Political College. His age is about 68 years. His salary is Rs. 800.00 (fixed) per month and he has been given free residence. He is expert in physical education and has worked for many years as Director for Physical Education.

(b) 17th December, 1957.

(c) No, the post was not advertised because a person of the qualifications and experience of Baba Prithvi Singh Azad with such brilliant record of public service could not be available for the post.

(d) No, because of the reasons given under (c) , above, the post was taken out of the purview of the Punjab Public Service Commission.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ National Discipline Scheme ਦਾ incharge ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ੮੦੦ ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 68 years ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ P.T. ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ fit ਵੀ ਹਨ ? ਕੀ Government ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ medical examination ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ supervision ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ National Discipline Scheme ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਦਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ "ਨਹਾਉਣਾ, ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸੌਣਾ। (ਹਾਸਾ)

श्री बलराम दास टंडन : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि 'a person of the qualifications and experience of Baba Prithvi Singh Azad with such brilliant record of public service was not available' तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यह बात उन्हों ने किस basis पर कही है ?

मुख्य मंत्री : 25, 30 और 50 साल के तजरुबे की बिना पर।

श्री बलराम दास टंडन : चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि 25, 30, 50 साल के तजरुबा की बिना पर। क्या वह बताएंगे कि बग़ैर post को advertise किए कि इस qualification का आदमी चाहिए और लोगों से applications मांगे उनको कैसे पता लग गया कि इस qualification का कोई आदमी नहीं है ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मुख्य मंत्री : यही तो तजरुबा की बात होती है । (हँसी)

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या उस post के लिए 68 साल का आदमी होना जरूरी था ?

मुख्य मंत्री : जिस आदमी में इतनी कौमियत हो और जिस ने फांसी के तख्ते पर चढ़ कर उसको चूमा हो उस जैसा आदमी अगर हमें 68 साल का भी मिल जाए तो इस से ज़्यादा हमारी क्या खुशकिस्मती हो सकती है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस पंजाब गवर्नमैंट में इस उमर का और भी कोई है ?

मुख्य मंत्री : हां मैं भी हूँ, डाक्टर साहिब हैं और आप हैं । (हँसी)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰੁਬਾ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

Mr. Speaker : Please leave it now.

PARTICIPATION OF LABOUR IN MANAGEMENT OF INDUSTRIES

***5720. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government have taken any steps to secure the participation of labour in the management of industry owned by private owners or the Government in the State ; if so, the details thereof?

Shri Mohan Lal : Yes. The Government approached the private sector for associating the workers in the managerial affairs but the response was negligible. The Joint Management Council has been set up in Government Printing Press, Chandigarh since 15th September, 1958 where it is functioning fairly satisfactorily.

श्री राम चन्द्र कामरेड : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि private sector को management में labour को शरीक करने के लिए approach किया गया लेकिन response negligible हुई । इस negligible के क्या यह मायने हैं कि कुछ भी नहीं हुआ या कुछ लोगों ने इसे मंज़ूर भी किया है ?

मंत्री : कुछ इतनी response नहीं थी जिस के basis पर गवर्नमैंट कुछ action ले सके ।

MODEL VILLAGE COOPERATIVE SOCIETY DUDWINDI DISTRICT KAPURTHALA

***5726. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Community Development be pleased to state —

(a) the total amount advanced as loan to the Model Village Cooperative Society, Dudwindi, district Kapurthala ;

(b) whether the accounts of the said society have since 1953 been inspected and audited ; if so, the details of the objections found, if any ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(c) whether Government,/Deputy Commissioner Kapurthala/ Assistant Registrar, Cooperative Societies, Kapurthala, have received any representation from any share holders of the said society regarding its accounts; if so, when the action taken in this respect ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Rs. 6800.

(b) Accounts of this society have been inspected and audited each year. The objection raised in these audits related to the completion of record.

(c) Yes. An application dated 29th February, 1960, was received from some ex-members of the Society. The accounts were explained to them on the spot and they felt satisfied.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ 6800 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਾਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ: 6800 ਰੁਪਏ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਉ (ਹਾਸਾ) ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ex-members ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁਛਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤੱਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ....

Mr Speaker : No please This is a hypothetical question

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਗਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ enquiry ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ enquiry ਕੀਤੀ ?

ਮੰਤਰੀ : Inspector Cooperative Societies ਨੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ enquiry ਕੀਤੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ enquiry ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ?

Mr. Spaeker: This does not arise.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

NUMBER OF EMPLOYEES AT PRESENT EMPLOYED IN P.W.D. (PUBLIC HEALTH) IN CHANDIGARH

***5723. Dr. Parma Nand:** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total number of different categoriess of employees in the P.W.D. (Public Health) in Chandigarh at present;

(b) the pay scales of each category of the said employees;

(c) the period of service put in by each employee referred to above, and the pay he is drawing at present;

(d) the total number of employees out of those referred to above who are drawing the maximum of their pay?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister): The question involves collection of voluminous and un-important information from the Subordinate Offices; and the time and labour to be spent thereon will not be commensurate with the benefits sought to be derived by the Hon'ble Member concerned.

डाक्टर परमा नन्द : स्पीकर साहिब, गुजारिश यह है कि इस तरह पहले भी कई सवालों का ऐसा ही जवाब आया है कि....

श्री अध्यक्ष : मैं बिल्कुल मिनिस्टर साहिब से agree करता हूँ। (I quite agree with the hon. Minister in this respect.)

डाक्टर परमा नन्द : लेकिन जनाब मैं ने सारे पंजाब की बाबत तो नहीं पूछा है। मैं ने तो सिर्फ चंडीगढ़ के मुताल्लिक ही पूछा है। उन बेचारों की कई साल से तरक्कियां रुकी हुई हैं, ग्रेड revise नहीं हुआ है और बहुत सारे ऐसे मसले हैं....

Mr. Speaker : No speech please.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁਛਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਲੰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਰ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ information ਬਾਦ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ supply ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ time ਤੇ labour ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਦੀ ਹੈ?

श्री अध्यक्ष : अगर सवाल लम्बा, ज्यादा वक्त लेने वाला और खर्च वाला हो तो ऐसा कह सकते हैं। (If the question is a lengthy one and involves much time and expenditure then this sort of reply can be given.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैम्बर साहिब का एतराज़ यह है कि सवाल का जवाब तो महकमा ने दे दिया है और जो खर्च वगैरा होना था वह हो गया है लेकिन मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि time और labour खर्च होगी।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : उनका कहना है कि महकमा ने सारी figures collect कर के भेज दी हुई हैं ।

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, मैम्बर साहिब आपको आपके Chamber में satisfy करने के लिए तैयार हैं कि आया figures आई हुई हैं या नहीं । उनके पास, वह कहते हैं जवाब मौजूद है ।

मंत्री : जवाब नहीं आया है ।

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब को कुछ मालूम नहीं है । जवाब आया हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : जो जवाब महकमा से आता है उसकी कापी मेरे Secretariat को भी आती है । अगर जवाब आया होता तो मुझे भी आता । (A copy of the reply sent by the Department concerned is also received by my Secretariat. Had any reply been issued, it would have also come to me.)

पंडित श्री राम शर्मा : इन्हों ने कहा है कि जवाब मेरे पास है लेकिन मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि कोई जवाब नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : अगर जवाब आया होता तो मुझे भी पता होता । यह कहते हैं कि आना चाहिए था क्यों नहीं आया ? (If the reply had been given it would have come to my notice. The hon. Member ought to have said that the reply should have been given or he should have asked the reasons for not replying the question.)

COMPLAINT AGAINST THE CIVIL SURGEON, SANGRUR

***5733. Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased be state:—

(a) whether any complaint against the Civil Surgeon, Sangrur has been received recently by the Government; if so, the action, if any, taken thereon;

(b) whether it is a fact that an Assistant Surgeon of the Civil Hospital Sangrur, was dismissed from service during the year 1958; if so, the reasons therefor?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes. As the allegations were found to be baseless, the complaint was filed.

(b) No, the question does not arise.

श्री मंगल सेन : क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि Assistant Civil Surgeon, Sangrur को इस लिए नौकरी से छुट्टी दे दी गई कि उन्हों ने Civil Surgeon के खिलाफ शिकायत की थी ?

मुख्य मंत्री : पता नहीं । सवाल करेंगे तो फिर पता लगेगा ।

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सिविल सर्जन के खिलाफ जो शिकायत थी वह किस किस्म की थी ?

मुख्य मंत्री : अगर यह information मांगते तो मैं ले आता ।

पंडित श्री राम शर्मा : इन्हों ने (b) के जवाब में कहा है 'No' मैं पूछना चाहता हूँ कि वह dismiss ही नहीं हुए या 1958 में dismiss न हो कर आगे पीछे किसी और वक्त पर dismiss हुए हैं ?

मुख्य मंत्री : जितना सवाल आया था उतनी information दे दी गई है । आगे पीछे के मुतालिक पूछना चाहते हैं तो उस के लिए और वक्त दीजिए ।

APPOINTMENT OF SOCIAL WORKERS IN WELFARE CENTRE, ROHTAK

***5750. Shri Ram Chandra Comrade:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any social workers were appointed to work in the Harijan Welfare Centre Scheme in district Rohtak during the years 1957-58, 1958-59 and 1959-50; if so, their names and educational qualifications;

(b) the period for which the said social workers worked in the centre and the grounds of their dismissal or discharge from service at the end of that period?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) & (b) There is no Harijan Welfare Centre Scheme. However, Community Centres have been and are being established in various districts to remove untouchability. Requisite information relating to such Centres in Rohtak District is laid on the Table of the House.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Statement showing the appointment of Social Workers in the Community Centres in Rohtak Districk

Sl. No.	Name of Centre	Name of Social Worker	Qualifications	Period of Service From	Period of Service To	Grounds of dismissal or discharge from service
1	2	3	4	5		6
1	Sisana	Shri Anand Singh	Middle	9-2-57	16-5-57	Discharged after 3 months for which period he was appointed
		Shri Lakshmi Narain	Matric	17-5-57	17-8-57	Was suspended and after reinstatement transferred
		Shri Anand Singh	Middle	18-8-57	6-9-57	Being not an approved candidate of the Subordinate Services Selection Board, he was discharged when approved candidates were available
		Shri Jaswant Singh	Matric	7-9-59	todate	
		Shrimati Devi Jain	Middle	16-5-57	13-12-57	Transferred
		Shrimati Ganga Devi	Lower Middle	30-12-57	26-12-58	Discharged being not an approved candidate of the Subordinate Services Selection Board, Chandigarh
		Shrimati Raj Kumari	Middle Prabhakar	27-12-58	20-4-59	Resigned
		Shrimati Asha Rani	Matric	21-4-59	to date	
2	Kundli	Shri Pritam Lal	Matric	17-7-58	31-7-58	Resigned
		Shri Jaswant Singh	Matric	4-9-58	23-7-59	Transferred to Bhawani Garh
		Shri Attar Singh	Matric	24-7-59	to date	
		Shrimati Devi Jain	Middle	13-12-57	to date	
3	Bahu	Shri Augustine Khazan Singh	Matric	2-3-59	to date	
		Shrimati Bhagwanti	Matric	17-5-59	2-6-59	Resigned
		Shrimati Balbiro Devi	Matric	5-10-59	21-1-60	Transferred
		Shrimati Shanta Kumari	Non-Matric	22-1-60	to date	
4	Bichpal	Shri Rameshwar Dayal	Matric	18-2-60	to date	

Post of Lady Social Worker is lying vacant

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

RAISING EMOLUMENTS OF EMPLOYEES OF LOCAL BODIES

*5730. **Pandit Shri Ram Sharma:** Will the Minister for Industries be pleased to State—

(a) whether it is a fact that the Central Government has offered assistance to the State to raise the emoluments of the low paid employees of local bodies; if so, the details thereof;

(b) whether any increase has been effected in the emoluments of the said employees as a result of the said assistance; if so; what;

(c) whether any representation from the employees of the Municipal Committee, Palwal on the subject of increase in their emoluments has been received by Government; if so, the action, if any, taken thereon?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): (a) *Part I.*—Yes.

PartII.—Statement is laid on the table of the House.

(b) No report has reached Government so far but information is being collected from all municipal committees.

(c) Yes. The municipal Committee Palwal has reported that the scale of low paid employees had already been raised with effect from 1st November, 1959. The pay of sweepers has been raised from Rs. 20/- per mensem to Rs. 25—½—30 plus dearness allowance at Government rates with the provident fund benefit at 8 per cent. Their conditions of service have also been improved in as much as uniforms have been allowed to them, Bhainsa allowance has been increased from Rs. 20 to Rs. 30/- /- per mensem with effect from 1st Janaury, 1960, implements will be provided instead of monthly allowance and benefit of leave is being given to them like other class IV employees. Soap is also being supplied. The pay scale of other employees has not been raised primarily for the reason that the Committee shall have to bear the entire increased cost of their pay out of its own resources after the end of II Five Year Plan and their financial condition is not too sound.

STATEMENT

Central Assistance to States for increasing the emoluments of low paid employees of local bodies—Scheme

The Government of India had made an offer to the State Government that Central assistance could be made available to it at the rate of 2/3rd of the additional expenditure that might be incurred by the State Government by way of grants-in-aid paid to the local bodies for increasing the emoluments of their low-paid employees. The assistance is to be given for increase in pay sanctioned on or after the 20th February, 1957 only during the II Five Year Plan. Thereafter the expenditure is to be borne by the local bodies themselves.

The .low paid employees who are covered under the Scheme include a person whose total emoluments inclusive of the increase that may be given by the local body, do not exceed Rs. 100/- per mensem. The maximum increase to be given to a low paid employee is Rs. 12/- per mensem in all.

पंडित श्री राम शर्मा : म्युनिसिपल कमेटी के छोटे मुलाज़मों की तनखाह बढ़ाने के लिए funds का 1/3 हिस्सा कमेटियों को वर्दाश्त करना था या पंजाब गवर्नमैंट को ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उप मंत्री : कमेटियों को ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस से किसी छोटे मुलाज़म को फायदा भी पहुँचा है या नहीं ?

उप मंत्री : कमेटियों को circular भेजा गया है अभी तक जवाब नहीं आया ।

पंडित श्री राम शर्मा : जहां तक पलवल म्युनिसिपल कमेटी का ताल्लुक है यह इस लिए नहीं दे सके कि Third Plan में सारा खर्च उन्हें अपने resources से देना पड़ेगा, यह सवाल के जवाब में बताया है । मैं पूछना चाहता हूँ कि यह फैसला कमेटियों ने कब किया ?

उप मंत्री : कब उन्हों ने फैसला किया हम नहीं कह सकते ।

उद्योग मंत्री : बात यह है कि गवर्नमैंट आफ इण्डिया की तरफ से यह offer आई थी कि जिन मुलाज़मों की तनखाह 100 रुपए तक थी अगर उन की तनखाह को बढ़ाया जाये तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी 12 रु० महीना के हिसाब से Second Five-Year Plan के आखीर तक देने का वायदा किया था । इस तरह से गवर्नमैंट आफ इण्डिया की contribution 2/3 बनती थी । उस के बाद 3rd Plan में जितनी बढ़ोतरी होनी थी वह कमेटियों को देनी पड़ती थी । कमेटियों ने अपने finances देखने थे कि इस वक्त जो बढ़ोतरी करेंगे वह पीछे दे भी सकेंगे या नहीं । क्योंकि कमेटियों के finances ने इजाज़त न दी इस लिए उन्हों ने कई मुलाज़मों की तनखाहें नहीं बढ़ाई ।

पंडित श्री राम शर्मा : पलवल म्युनिसिपल कमेटी ने कब फैसला किया?

मंत्री : 1957 से हुआ होगा । Exact date तो पता नहीं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या कमेटी ने इस वजह से 2/3 हिस्सा contribution लेने से इनकार कर दिया कि 5 साल के बाद उन्हें अपने पल्ले से देना पड़ेगा ?

मंत्री : यही reason होगा ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ Municipal Committees ਦੇ employees ਨੇ representation ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ D. A. ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ?

मंत्री : इस के साथ इस सवाल का सम्बन्ध नहीं । अलग सवाल करें तो जवाब दूंगा ।

ARREARS OF LOCAL TAXES AGAINST GOVERNMENT SERVANTS

***5751. Shri Ram Chandra Comrade:** Will the Minister for Industries be pleased to state whether any arrears of Municipal taxes in the State are pay able by Government servants; if so, the total amount thereof relating to each Municipal Committee as on 29th February, 1960?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister): Time and labour invloved in collecting the information will not be commensurate with the benefit likely to be derived from it.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

TUBE-WELLS INSTALLED IN ERSTWHILE PEPSU STATE

***5739. Sardar Jasdev Singh Sandhu:** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) the number of tube-wells installed by the Agriculture Department of erstwhile Pepsu State in the reclaimed lands together with the names of places where they were located;

(b) the date of installation of each tubewell mentioned in part (a) above and the date when each was energised and put to use;

(c) the area irrigated by each of the said tube-wells and the amount of water charges which accrued to Government from these in 1959?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister): *Parts* (*a*) & (*b*): A list showing the required information is placed on the Table of the House.

Part (c) *Part* (*i*) The information regarding the area irrigated by the tube-wells so far is being collected and will be supplied when ready.

Part (*ii*) No water charges accrued to Government as the tube-wells were not put to use during 1959.

Sl. No.	Place of tubewell	Tehsil	District	Date of completion	Date of energising and put to use
1	2	3	4	5	6
1	Kheri Gujran ..	Patiala	Patiala	14-4-54	Tube-wells No. 1 to 12 were energised during 1955. But the tube-well Nos. 7, 8, 9 and 11 only were put to use during 1955
2	Hajji Majra ..	Do	Do	15-4-54	
3	Sher Majra I	Do	Do	27-4-54	
4	Sher Majra II ..	Do	Do	2-9-54	
5	Chaharpur Marasanian	Do	Do	13-6-54	
6	Barsat ..	Do	Do	13-8-54	
7	Kheri Gorian ..	Do	Do	4-11-54	
8	Dhablan ..	Do	Do	23-11-54	
9	Inderpura ..	Do	Do	8-11-54	
10	Ucha Gaon ..	Do	Do	16-11-54	
11	Mundkhera ..	Do	Do	15-11-54	
12	Sahauli ..	Nabha	Do	12-11-54	
13	Rajinder Nagar ..	Do	Do	9-6-55	Not energised
14	Pandrali ..	Do	Do	3-4-55	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1954 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 tube wells ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦੀ ਚਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ?

COMPLAINT AGAINST THE MANAGER, NANDAL AIDED SCHOOL

*5732. **Shri Mangal Sein:** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether the District Inspector of Schools, Rohtak, has received any complaint from the residents of village Nandal Tehsil, Gohana, district Rohtak, against the Manager, Nandal aided school; if so, the details thereof together with the action; if any, taken thereon ?

Shri Yash Paul (Deputy Minister): No.

UNADJUSTED B.T. AND B..ED. TEACHERS

***5740. Sardar Jasdev Singh Sandhu:** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state whether the unadjusted B.T. or B.ED. teachers in the State have been adjusted in the regular cadre against the quota fixed for them; if so, their number and the date when their last batch was adjusted ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): Not yet. The question of supplying their number and the date does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ posts B.T. teachers ਦੀਆਂ reserve ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : 25 per cent.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ adjust ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਕਰੋਗੇ ?

उप मंत्री : बहुत जल्दी ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ unadjusted B. T. teachers ਕਦੋਂ ਤਕ adjust ਹੋ ਜਾਣਗੇ ?

उप मंत्री : Seniority lists बन रही है । जब यह lists तैयार हो जायेगी तो adjustment हो जायगी ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿਚ formula ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

Mr. Speaker: The question is whether the unadjusted B. T. and B. Ed. teachers in the State have been adjusted in the regular cadre against the quota fixed for them.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਜਿਹੜੇ questions postpone ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

श्री अध्यक्ष : इन का जवाब मंगलवार तक ज़रूर पहुँच जाएगा । (Their replies would definitely reach the hon. Members by Tuesday.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

UPGRADING OF MIDDLE SCHOOLS IN THE STATE

***5757. Shri Ram Chandra Comrade:** Will the Minister for Education and Labour be pleased to lay on the Table of the House the lists of Primary and Middle Schools in the State upgraded, district-wise, during the year 1959-60.

Shri Yash Pal (Deputy Minister): Copies of the list of schools upgraded in the state during 1959-60 district-wise, are laid on the Table of the House.

List of Government Schools (Other than provincialised) upgraded during 1959-60

	Primary Schools (Girls) raised to Middle Standard	*District*
1.	Government Girls Basic Primary School No. 1, Sector 22, Chandigarh	Ambala

	Primary Schools (Boys) upgraded to Middle Standard	*District*
1.	Government Primary School, Kotshamir ..	Bhatinda
2.	Government Primary School, Saranwan ..	Bhatinda
3.	Government Primary School, Sivian ..	Bhatinda
4.	Government Primary School, Bhankar ..	Patiala
5.	Government Primary School, Khera ..	Patiala
6.	Government Primary School, Bhojawas ..	Mohindergarh
7.	Government Primary School, Bailrakha ..	Sangrur
8.	Government Primary School, Badbar ..	Do
9.	Government Primary School, Balian ..	Do
10.	Government Primary School, Malvi ..	Do
11.	Government Primary School, Dhonda ..	Amritsar
12.	Government Primary School, Dhob ..	Rohtak
13.	Government Primary School, Bhanoki ..	Kapurthala
14.	Government Primary School, Fattu Dhinga	Do

	Lower Middle Schools; upgraded to Middle Standard	*District*
1.	Government Lower Middle School, Jandwala ..	Bhatinda
2.	Government Girls Lower Middle School, Bhiki ..	Do
3.	Government Lower Middle School, Maur ..	Do
4.	Government Lower Middle School, Madhak ..	Do
5.	Government Girls Lower Middle School, Dhilwan ..	Kapurthala
6.	Government Lower Middle School, Moheru ..	Do
7.	Government Lower Middle School, Begowal ..	Do
8.	Government Girls Lower Middle School, Shaina ..	Sangrur
9.	Government Girls Lower Middle School, Mehal Kalan ..	Do
10.	Government Lower Middle School, Nandgarh ..	Do
11.	Government Lower Middle School, Manki ..	Do
12.	Government Lower Middle School, Benra ..	Do
13.	Government Lower Middle School, Mauran ..	Do
14.	Government Lower Middle School, Barodwal ..	Do
15.	Government Lower Middle School, Lachhru Kalan ..	Patiala
16.	Government Lower Middle School, Tanda Bada ..	Do
17.	Government Girls Lower Middle School, Nabha ..	Do
18.	Government Lower Middle School, Kakar Hatti (Hilly) ..	Do
19.	Government Lower Middle School, Gajju Majra ..	Do
20.	Government Lower Middle School, Sohlong ..	Mohindergarh
21.	Government Lower Middle School, Nandha ..	Do
22.	Government Lower Middle School, Chhithroli ..	Do
23.	Government Lower Middle School, Gudana ..	Do
24.	Government Lower Middle School, Sajarwas ..	Do
25.	Government Lower Middle School, Tiwala ..	Do
26.	Government Lower Middle School, Aun ..	Do
27.	Government Lower Middle School, Balrod ..	Do
28.	Government Lower Middle School, Neemriwali ..	Do
29.	Government Lower Middle School, Bigowa ..	Do
30.	Government Lower Middle School, Binahari ..	Do
31.	Government Lower Middle School, Chanwas ..	Do

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Middle School (Boys) raised to High Standard	*District*
1. Government Middle School,Kunga Kothi	.. Sangrur
2. Government Middle School, Ujhana	.. Do
3. Government Middle School, Gharachon	Do
4. Government Middle School, Shogi (Hilly)	.. Patiala
5. Government Middle School, Manakpur	.. Do
6. Government Middle School, Tepla	.. Do
7. Government Middle School, Ghanaur	.. Do
8. Government Middle School, Kuti	.. Bhatinda
9. Government Middle School, Kot Fati	.. Do
10. Government Middle School, Bhai Roopa	.. Do
11. Government Middle School, Boha	.. Do
12. Government Middle School, Sangat	.. Do
13. Government Middle School, Dalla	.. Kapurthala
14. Government Middle School, Sur. Khpur	.. Do
15. Government Middle School, Ateli	.. Mohindergarh

Middle Schools (Girls) raised to High Standard	*District*
1. Government Girls Middle School, Goniana Mandi	.. Bhatinda
2. Government Middle School, Mandi Phul	.. Do
3. Government Co-educationalMiddle School, Dhapali	.. Do
4. Government Co-educational Middle School, Bhuslana	.. Sangrur
5. Government Girls Middle School, Munak	.. Do
6. Government Middle School, Dhanaula	.. Do
7. Government Girls Middle School, Narwana	.. Do
8. Government Girls Middle School, Safidon	.. Do
9. Government Girls Middle School, Bhadaur	.. Do
10. Government Girls Middle School, Kaurian	.. Do
11. Government Girls Middle School, Samana	.. Patiala
12. Government Girls Middle School, Ghudani Kalan	.. Do
13. Government Girls Middle School, Jhoju Kalan	.. Mohindergarh
14. Government Girls Middle School, Kanina	.. Do
15. Government Girls Middle School, Sector 22, Chandigarh	.. Ambala

DIGGING OF A MINOR IN VILLAGE KHOT, TEHSIL HANSI, DISTRICT HISSAR

***5734. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any complaint regarding the digging of a minor has recently been received from the residents of village Khot, tehsil Hansi, district Hissar, if so, the action, if any taken thereon?

Rao Birendar Singh : Yes. The Scheme of a new sub Minor from Barsola Minor in which the complainants wanted some amendments has been approved after thorough consideration and no change in it is justified.

श्री मंगल सेन : जो स्कीम approve हो चुकी है वह कब तक चालू की जाएगी ?

मंत्री : इस के लिये अलहदा नोटिस दें ।

CONSOLIDATION OPERATIONS IN VILLAGE SANGATPURA SODHIAN, TAHSIL SIRHIND, DISTRICT PATIALA

***5727. Chaudhri Inder Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state with reference to the reply to starred Assembly Question No. 5420 printed in the list of Questionaire for Ist March, 1960, the result of enquiries held in the case of 4 applications referred to therein and the action, if any, taken by the Government?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Rao Birendar Singh : hree of the four applications referred to in the question were enquired into by the Consolidation Officer, Flying Squad. After a careful examination of his report, the Director Consolidation of Holdings decided that no malafide intentions had been proved on the part of the Consolidation Officer and as such no action was called for. As regards the fourth application the application was rejected under section 21(2) of the Consolidation Act.

CONSOLIDATION FEE DEPOSITED BY CULTIVATORS OF VILLAGE BHABAT KHARAR, DISTRICT AMBALA

***5735. Sardar Dhanna Singh Gulshan :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the year in which the cultivators of village Bhabat Kharar, district Ambala, deposited the consolidation fee etc. together with the amount thereof ;

(b) whether the consoiidation operations have been carried out in the said village, if not, the reasons therefor ;

(c) whether the cultivators referred to above would be paid any interest on the amount deposited by them pending the starting of Consoildation operations ?

Rao Birendar Singh : (a) Rs. 2654/6/- in the year 1954.

(b) No. The consolidation operations could not be carried out because the land of the village was proposed to be acquired for the Aerodrome by the Defence Department.

(c) No such interest is payable on the consolidation fee deposited under the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948.

ਸਰਦਾਰ ਧੱਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ consolidation of holdings ਰੋਕ ਰਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾ ਪਈ ਹੈ ?

मंत्री : वह applications दें वह रकम refund कर दी जायेगी।

ਚੋਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ consolidation ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ procedure ਤੇ adopt ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (Some procedure has to be adopted)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

NATIONALIZATION OF TRANSPORT IN ERSTWHILE PEPSU AREA

*5738. **Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the policy of complete nationlization of road transport in the erstwhile Pepsu area as envisaged in the 2nd Five Year Plan of the said State has been abandoned; if so, the reasons therefor; if not, the time by which nationaiisation is expected to be completed and the steps being taken for the purpose?

Rao Birendar Singh : No. Definite limit of its completion cannot, however, possibly be indicated.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ 2nd Five Year Plan ਵਿਚ provide ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ complete nationalisation ਹੋਣੀ ਹੈ ?

मंत्री : 2nd Five-Year Plan में जितना रकम nationalisation के लिये रखी थी उस में से 21 लाख रुपया तो खर्च हो चुका है और 12 लाख बाकी है वह इस साल में खर्च हो जायेगा । जितना रुपया Plan में मंजूर हुआ था वह सारा खर्च हो चुका है लेकिन इस के बावजूद complete nationalisation नहीं कर सके ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਪੈਪਸੂ area ਵਿਚ complete nationalisation of transport ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

मंत्री : जैसे पंजाब में 50 : 50 basis पर agreement हो चुका है इसी तरह Pepsu में private operators की तरफ से representations आये हुए हैं। इस पर गौर कर रहे हैं कि कितने अर्से में complete nationalisation की जाए ।

ਸਰਦਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੀ Plan ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ Plans ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 3rd Five-Year Plan ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ complete nationalisation of transport ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 50 : 50 basis ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ । ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ।

TRUCK PERMITS

*5743. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Irrigaon and Power be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the conditions and terms of the grant of permits for private motor trucks are different in Jullundur and Ambala Divisions respectively; if so, the details of difference of such terms/conditions and the reasons therefor ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Pandit Shri Ram Sharma]

(b) the number of permits for private trucks in each Division which are in force at present ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes for private-carriers' permits held by brick kiln owners only.

In Ambala Region the operational area is restricted to 10 miles radius from the site of brick-kiln for the carriage of brick-kiln material and kiln products and 25 miles radius for repairs, refuelling and carriage of coal, whereas in Jullundur Region, such permits are allowed an operational area of 10—25 miles radius for the same purpose, as the Regional Transport Authority may decide in each case on merits. Regional Transport Authorities are quasi-judicial bodies and take such decisions which in their view are likely to best serve the road transport requirement of the region concerned.

(b) The number of permits for private trucks in each Division is as under :—

Ambala	*Jullundur*
243	143

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जालन्धर में कौन से खास merits हैं कि वहां 25 मील की हद मुकर्रर कर दी है और अम्बाला में 10 मील ?

मंत्री : इस बात का पता Regional Transport Authiority को होता है।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या इस मामले में गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होता ?

मंत्री : कोई खास शिकायत आये तो गवर्नमेंट देख भाल करती है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या दोनों Divisions में permits की grant के लिए terms and conditions में यही फर्क है या और भी कोई ?

मंत्री : Private carriers के बारे में मैं ने बता दिया है । अगर और कोई बात पूछनी हो तो आप नोटिस दे दें ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यही पूछ रहा हूँ कि दोनों Divisions में private carriers के permit के grant के बारे में सिर्फ यही फर्क है या और भी कोई ?

मंत्री : यही जो मैं ने अर्ज़ किया ।

PLOTS IN THE NEW GRAIN MARKET, CHANDIGARH

***5729. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether there are still any plots in the New Grain Market, Chandigarh, which are to be allotted to grain-dealers who had been doing this business in Bajwara;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(b) whether any representation from the petty shop-keepers of Bajwara has been received by Government to the effect that not a single plot in the said grain market has been given to them at the fixed price ;

(c) whether it is a fact that ten plots in the said market had been reserved for grain milling building, if so, the price fixed for each ;

(d) whether the plots referred to in part (c) above were subsequently auctioned, if so, at what price ;

(e) whether all the plots in the grain market have been sold at the fixed price to the dealers, if not, the number of non-dealers to whom such plots have been sold ;

(f) whether some plots in the grain market are proposed to be reserved for fodder shops?

Sardar Niranjan Singh Talib (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Only one such representation has now been received. It is wrong that no plot has been allotted to petty shop-keepers of Bajwara.

(c) and (d) Three Chakki Sites were created in the grain market. These were to be sold by auction. Two of them were sold in auction on 21st December, 1958 at Rs. 93,000 and Rs. 94,000, respectively. The third site was also sold at Rs. 75,000 but was resumed as the bidder failed to make payment of the 15 per cent of the bid within thirty days. The third site was put to auction on 20th March, 1960, but was not sold as the bid obtained was low.

(e) Out of 70 plots sold 48 were allotted (11 to Bajwara lessees and 37 to others) in the early stages of development at Rs. 6000 each. The remaining 22 plots have been sold by auction. No data is available as to how many of these 70 purchasers were dealing in grain before allotment/ auction.

(f) 4 sites have been reserved for fodder shops, but none has been sold so far.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब फरमाएंगे कि New Grain Market में plots और shops देते वक्त यह भी ख्याल रखा गया है कि किसी खास रिजिन या ज़िले के लोगों को भी कोई दुकान वग़ैरह मिली है या कि नहीं ?

उप मंत्री : जो लोग बजवाड़े मार्किट में बैठे हुए थे उन का ही ख्याल रखा गया है और किसी बात का ख्याल नहीं रखा गया । No question of Region.

पंडित श्री राम शर्मा : उस New Grain Market में कोई भी plot हिन्दी रिजिन में रहने वालों को नहीं दिया गया क्या यह by chance है या इस की कुछ और भी वजह है ?

Deputy Minister: This is not so. This is not correct.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

पंडित श्री राम शर्मा : I challenge it. क्या उन्हों ने verify कर के देख लिया है कि श्राया कोई plot हिन्दी रिजिन वाले किसी श्रादमी को भी दिया गया है ?

उप मंत्री : हां मैं ने verify कर के देख लिया है। उन को plots दिए गए हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : कितने plots दिए गए हैं ?

उप मंत्री : श्राप नोटिस दें मैं पता कर के बता दूंगा।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं जानता हूँ कि कोई plot नहीं दिया।

उप मंत्री : क्या श्रम्बाला हिन्दी रिजिन में श्राता है या कि नहीं ?

पंडित श्री राम शर्मा : श्राप यह बतायें कि क्या गुड़गांव, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक वग़ैरह इलाकों के किसी श्रादमी को दिया है ?

लोक कार्य मंत्री : पंडित जी तो खाहमखाह जोश में श्राए हुए हैं। श्रगर कोई लेने वाला हो तो किसी को दें श्रौर श्रगर लेने वाला ही न हो तो क्यों ही किसी के सिर पर थोप दें ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब, बग़ैर जोश में श्राए हुए शान्ति से बतला सकते हैं कि क्या उस इलाके में से कोई भी श्रादमी इन के लिये दरखास्त देने वाला नहीं था ?

मंत्री : मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों में हिम्मत ही नहीं कि दरखास्त देते। वे तो सोचते रहे कि श्रौर सस्ता हो। ऐसे लोग श्राखिर में नुकसान उठाते हैं।

LAND PURCHASED FOR HARIJANS IN VILLAGE JALLANVIRAN, DISTRICT KARNAL

***5759. Shri Ram Piara** : Will the Chief Minister be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 4917 printed in the list of postponed Starred Questions for 1st March, 1960—

(a) whether the representatives of the beneficiaries visited the land and gave their approval for its purchase; if so when ;

(b) the dates when the land in village Jallanviran was purchased for Harijans together with the dates when payment was made to the land-owner sconcerned ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (i) Yes.

(ii) On 1st July, 1958.

(b) (i) 12th August, 1958.

(ii) 4th July, 1959.

श्री राम प्यारा : चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि 12 श्रगस्त, 1958 को ज़मीन खरीदी गई थी श्रौर 4 जुलाई, 1959 को payment की गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक साल तक पेमैंट न होने का क्या कारण है ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मुख्य मंत्री : शायद कोई न लेने आया हो, कई और भी कारण हो सकते हैं लेकिन आप ने कारण नहीं पूछे ।

श्री राम प्यारा : इन्हों ने फरमाया है कि जो beneficiaries हैं उन्हों ने ज़मीन देखी थी और उस को approve किया था । मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन beneficiaries ने ज़मीन को देख कर approve किया क्या वे ज़मीन पर बैठे हैं ?

उप मंत्री : (श्री यशवन्त राए) : जी हां बैठे हैं ।

श्री राम प्यारा : क्या वे अभी तक ज़मीन पर settled हैं या किसी और जगह भेज दिए गए हैं ?

उप मंत्री : वे अभी तक उसी ज़मीन पर settled हैं ।

श्री राम प्यारा : उन्हों ने फरमाया है कि उन के नुमायंदों ने ज़मीन देख कर approve की, क्या उन के दस्तखत गवर्नमेंट ने लिए या कि बग़ैर दस्तखतों के ही उन्हों ने approval दे दी ?

उप मंत्री : उन के दस्तखत यहां पर नहीं आते । दस्तखत तो Advisory Committee के दफतर मे ही रहते हैं ।

श्री राम प्यारा : क्या उन के दस्तखत नहीं लिये गए क्या यह सारी कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर के दफतर में ही रहनी हैं ?

उप मन्त्री : अगर आप नोटिस दें तो पता करके बताया जा सकता है ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । Beneficiaries ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । Beneficiaries ਦੇ ਆਦਮੀ elect ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ Welfare Officers ਹੁੰਦੇ ਹਨ cooperative society ਦੇ officers ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ District Officers ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ select ਕਰਦੀ ਹੈ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ।

श्री राम प्यारा : मेरा point clear नहीं हुआ ।

Mr. Speker: The question-hour is over.

POINT OF ORDER REGARDING CANTEEN ARRANGEMENTS IN THE LEGISLATORS' HOSTEL

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order Sir, स्पीकर साहिब, होस्टल में रोटी वग़ैरह के इन्तज़ाम की बाबत मुझे आप से कुछ निवेदन करना है । यह मामला इस से पहले भी कई बार यहां हाउस में भी लाया जा चुका है ।

3.00 p.m.

लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई इन्तज़ाम नहीं किया गया । Session के दौरान बाहर से भी लोग मेम्बर साहिबान

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री बलराम दास टंडन]
को मिलने के लिए आते हैं और वह होस्टल में उन से मिलते हैं। कई बार रोटी खाने के वक्त उन्हें रोटी भी खिलानी पड़ती है। इस मामले पर कई बार बातचीत हो चुकी है। इसे कई बार सरकार के नोटिस में भी लाया जा चुका है। लेकिन इस के बावजूद कोई इन्तज़ाम नहीं किया गया। लोग हैरान हैं कि अगर असेम्बली के मेम्बरान के इस तरह बार बार कहने पर होस्टल में खाने का कोई इन्तज़ाम नहीं होता तो एक अजीब सी बात दिखाई देती है। अगर रोटी मांगते हैं तो दाल नहीं मिलती और अगर दाल होती है तो रोटी नहीं होती हालांकि पैसे पूरे वसूल कर लिए जाते हैं। इसलिए मैं आज फिर आप की मार्फत गवर्नमेंट से यह दरखास्त करता हूँ कि इस सम्बन्ध में कोई तसल्लीबख्श इन्तज़ाम किया जाना चाहिए ताकि आगे के लिए किसी को कोई शिकायत का मौका न मिले।

पंडित श्री राम शर्मा : यह तो चौधरी सूरज मल का इन्तज़ाम है।

लोक कार्य मंत्री : नहीं, यह स्पीकर साहिब का इन्तज़ाम है।

At this stage Mr. Speaker rose to make some observation when he was interrupted by Sardar Umrao Singh.

श्री अध्यक्ष : आप को यह मालूम होना चाहिए कि जब स्पीकर बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसे किसी मेम्बर साहिब की तरफ से interrupt नहीं किया जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बार बार इस सिलसिले में जो कायदा है उस को contravene किया जाता है। क्या इस तरह से हाउस की शान कम नहीं होती ? (*Interruptions*) आप फिर interrupt कर रहे हैं। अच्छा अब मैं बात नहीं करता। आप यह मामला हाउस कमेटी में ले जा सकते हैं। Next Item Please. (The hon Members should know that when the Speaker rises to make a observation he should not he interrupted by any Member. I fail to understand why the rule on the subject is so often contravened. Does this not lower the dignity and decorum of the House ? (*Interruptions*) They are again interrupting me. Well I am not going to make any observation now. This matter can be referred to the House Committee. Next item please.)

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब, मैं ने एक specific difficulty आप के नोटिस में पेश की है।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे कमरे में आकर बात कर लीजिए। इस तरह की interruptions मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। (He can discuss this matter with me in my Chamber. I am not going to tolerate such interruption)

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब, मेरी दरखास्त है.....

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : मैं अब नहीं सुनूंगा। मैंने आप को कह दिया है कि आप मेरे कमरे में आकर मुझे मिल सकते हैं। (I will not listen now. I have already told him that he may see me in my Chamber.)

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, जिस मेम्बर साहिब ने आप को बोलते हुए interrupt किया, उन्होंने वाकई निहायत बुरा किया और उसका सब मेम्बर साहिबान को अफसोस है। यह ठीक है कि हर मेम्बर को हाउस का decorum और dignity कायम रखने के लिए maximum contribution करनी चाहिए लेकिन मैंने आप के सामने एक दरखास्त रखी है कि वहां होस्टल के अन्दर खाने पीने का निहायत ही नाकस इन्तज़ाम है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आप को सुन लिया है। आप मेरे चेम्बर में आ कर बात कर लें। (I have listened to the hon. Member He can discuss this matter with me in my Chamber.)

Chief Minister : The hon. Member should obey the hon. Speaker.

Shri Balram Das Tandon : I am obeying the hon. Speaker, Sir.

Mr. Speaker : I have heard what the honourable Member has said.

RESOLUTION
REGARDING AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956

Mr. Speaker : The House will now resume discussion on the resolution Seeking amendment of the Hindu Succession Act, 1956 etc. Sardar Uddham Singh, who was in possession of the House when it adjourned on the 31st March, 1960, may resum his speech.

ਸਰਦਾਰ ਉੱਧਮ ਸਿੰਘ (ਫਿਲੌਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਰ

Note.—A resolution was moved by S. Bhupinder Singh Mann on 17th March, 1960, to the effect that —

> "This Assembly recommends to the Government to approach the Union Government with the request that the Hindu Succession Act, 1956, may be amended in such a way that the daughter instead of becoming a shareholder in the property of her father, be made a share holder in the property of her father-in-law after her marriage to save the social and economic structure of the state."

For reference also please see P.V.S. debates Vol. I Numbers 21, 27 and 30 dated 17th March, 1960, 24th March, 1960 and 31st March, 1960, respectively.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਉਧਮ ਸਿੰਘ]
ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਅਹਿਮ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ realise ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਨਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣੇ ਹੀ—ਗਾਲਬਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਗਦੇਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ Act ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਵਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਕੜੇ ਸਹੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਤੁਅਲੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ point ਉਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕੀ ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਅਲੁਕਾਤ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ਕ, ਸੰਜੀਦਾ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹਨ । ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭੈਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ । ਭੈਣ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਲਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਤਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਤੇ ਬਲਕਿ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਕ—ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਦਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਉਹ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਆਦਰ ਔਰ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਮਰਯਾਦਾ ਬਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ. ਉਹ ਰਸਮੋਰਿਵਾਜ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ- ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਸਮੋਰਿਵਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ । ਯਾਨੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ Act ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕਦਮੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਤਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ।

ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੋ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਉਥੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ । ਇਹ ਕਤਅਨ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ cases ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੇਗੀ । ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ cases ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇੰਤਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ—ਬਾਰ ੨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ—ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਤਾਕਿ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੀ ਰਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ । ਭਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਅਗੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਅਗੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਔਰ ਭਾਈ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਇਥੇ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਖਤਲਾਫ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ]

ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਏਕੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 40 ਜਾਂ 50 ਜਾਂ 60 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘਟ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਹੀ 2 ਜਾਂ 2½ ਏਕੜ ਉਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ Communist ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਪਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ disruption ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਔਰ political ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਨ ਹੋਵੇ ਯਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚੱਲਨ ਔਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਣਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਅਸਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਇਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਭੈਣਾ ਦੇ ਨਾਉਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਉਥੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ facts and figures ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ –

ਧੀਆਂ ਪੁਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ ।

ਮੈ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਔਰ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ belong ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਖਾਂ ਦੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਜਥੇ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨ ਸੰਗ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਕਲ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੜੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ political ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ।

श्री रला राम (मुकेरियां 'जनरल') : अध्यक्ष महोदय, इस बात पर कई दिनों से विचार हो रहा है कि Hindu Succession Act में एक खास प्रकार की तब्दीली की जाये। जहां तक इस दलील का ताल्लुक है जो कि कुछ भाइयों ने दी कि यह तब्दीली इस लिए होनी चाहिए क्योंकि अगर मकान के अन्दर लड़कियां हिस्सेदार बन जायें और ज़मीन में भी वे हिस्सेदार बन जायें तो हर घर के अन्दर हम इस दृश्य को देखेंगे कि एक जगह पर ग्रंथ साहिब खुला हुआ है और उस का पाठ हो रहा है, दूसरी जगह हवन यज्ञ हो रहा है और तीसरी तरफ देवी की पूजा हो रही है। यह जो दृश्य देखने में आयेगा मैं समझता हूँ कि यह तो हिन्दु धर्म की हमेशा विशेषता रही है। यह तो फख्र की बात है और यह आज से ही नहीं और हिन्दू Succession Act के पास होने के बाद से ही नहीं बल्कि यह तो हम बहुत पहले से देख रहे हैं कि अगर पिता सनातन धर्मी है तो पुत्र आर्य्य समाजी है और अगर एक भाई सिख है तो दूसरा भाई केश धारी नहीं है। यह चीज़ तो सैंकड़ों साल पहले से चली आ रही है और यह दृश्य Hindu Succession Act के पास हो जाने से देखने में आया है, ऐसी बात नहीं है, यह कोई नई चीज़ नहीं है। यह तो हमेशा देखने में आया है कि एक हिन्दू घर में एक तरफ ग्रंथ साहिब पढ़ा जाता है और दूसरी तरफ हवन यज्ञ होता है और तीसरी तरफ देवी की पूजा होती है। Hindu Succession Act को ग़लत साबत करने के लिए यह कहना कि यह दृश्य देखने में आयेगा तो इस दलील के अन्दर कोई वज़न नहीं है। जहां तक शास्त्रों का ताल्लुक है यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। शास्त्रों ने नर और नारी दोनों को समान अधिकार दिए हैं और विवाह संस्कार में इस बात पर विशेष तौर पर ज़ोर दिया जाता है। जब शादी की रस्म पूर्ण होती है तो उस समय पिता अपनी पुत्री को यह कहता है—

सखि समः पति भव।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री रला राम]

जिस का मतलब यह है कि पति और पत्नी घर में हर प्रकार से बराबर हों। यह बात शास्त्रों के अन्दर आती है कि जो लड़का और लड़की हैं वे हर तरह से बराबर हैं, इसी लिए उन में यह आया है कि—

बालानाम् रक्षणम् ।

बालिका को वैसे ही अधिकार प्राप्त है जैसे एक बालक को हैं। मनुस्मृति के अन्दर भी यह आया है कि उन के अधिकार समान हैं। शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि लड़के और लड़की दोनों के अधिकार बराबर हैं। फिर यह बात कहना कि लड़के और लड़की के पिता की जायदाद में बराबर के अधिकार, समान अधिकार नहीं, मैं समझता हूँ काफी नहीं है। शास्त्रों के यह सरासर विरुध है। यह ठीक है कि कुछ रिवाज हमारे देश में गलत जारी हो गये जिन की वजह से लड़की को वह अधिकार नहीं दिया गया जो कि लड़के को दिया गया है। इन रिवाजों को examine करना चाहिए। यह ठीक है कि उन के अन्दर जो अच्छी बातें हैं उन को हमें स्वीकार करना चाहिये लेकिन जो बातें हमारे संविधान के खिलाफ जाती हैं उन्हें हमें छोड़ना ही चाहिये। भले ही रिवाज के मुताबिक पैतृक-सम्पत्ति के अन्दर लड़की को वह अधिकार प्राप्त नहीं है जो कि लड़के को है। लेकिन हमारी Constitution का यह कहना है कि असमानता, चाहे वह शिक्षा की शक्ल में हो, चाहे वह धर्म की शक्ल में हो या और किसी भी रूप में हो, नहीं होनी चाहिए। यह असमानता दूर करने का बड़ा भारी बोझ हम ने अपने ऊपर लिया हुआ है और इसी असमानता को दूर करने के लिए जब यह कानून बनाया गया है कि पैतृक-सम्पत्ति में लड़क और लड़की का अधिकार बराबर होगा अगर हम यह चाहें कि इस Succession Act को इस तरह से तब्दील कर दिया जाए कि लड़के के अधिकार वैसे ही बने रहें और लड़की के साथ, जो रिवाज ने अन्याय किया है, वह दूर न हो तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे विधान द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाने वाली बात होगी। यह ठीक है कि रिवाज का बदलना आसान बात नहीं है। इस में कठिनाइयां हैं परन्तु देश के नेताओं ने यह चाहा है कि नर और नारी के समान अधिकार हों। अध्यक्ष महोदय, कोई समाज जो अन्याय पर आधारित है, वह कभी सबल नहीं हो सकता। हम ने यह अपने पिछले इतिहास में स्पष्ट देखा है। हम ने अपने हरिजन भाइयों से सामाजिक तौर पर न्याय नहीं किया। परिणाम यह निकला कि हम सदियों तक कमज़ोर चले आए और अब जब हम महात्मा गांधी और दूसरे नेताओं की कृपा से किसी हद तक असमानता को दूर कर पाए हैं तो आज समाज में कुछ शक्ति दिखाई पड़ती है। यदि समाज में sex के आधार पर अन्याय और असमानता चली आए तो यह समाज को शक्तिहीन बनाने वाली बात है और यह राष्ट्र और देश के लिए भी कल्याणकारी बात नहीं है। इस लिए असमानता को दूर करने के लिये जो कदम उठाया गया है इस का आधार शास्त्रों के आदेश हैं जिन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव जारी नहीं रखा गया। फिर अब अगर दिए गए अधिकारों को छीना जाएगा तो एक और वावेला खड़ा हो जाएगा और यह बात पुलिटीकल नुक्ता निगाह से किसी के लिये कल्याणकारी नहीं हो सकती। जहां तक इस प्रश्न का ताल्लुक है कि घर के अन्दर झगड़ा खड़ा हो जाएगा तो Act के **अन्दर ही** यह

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

provided है कि पिता या सम्पत्ति का मालिक वसीग्रत करके सम्पत्ति जिस को चाहे उस को दे सकता है। एक भाई ने अभी बताया कि कई लड़कियों ने खुद ही कहा है कि हम सम्पत्ति में भाग नहीं चाहतीं यह हमारे भाइयों के पास ही रहे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि प्रेरणा का अधिक इस्तेमाल किया जा ना चाहिए। यह ज़्यादा desirable है और यदि प्रेरणा से काम न चले तो पिता will कर सकता है। इस provision के होते हुए जो भाई पुराने रिवाजों से चिमटे रहना चाहें उन्हें इस Act पर क्या एतराज़ हो सकता है। वह will कर के अपनी जायदाद जिस को चाहें दे जाएं। Law तो intestate property के लिये ही लागू होगा। इस provision के होते हुए इसे amend करने की क्या ज़रूरत है? हां; यह मैं समझता हूँ कि चूंकि रिवाज पुराना चला आ रहा है तो Act को चालू करने में कुछ न कुछ कठिनाई अवश्य होगी। यहां कहा गया कि consolidation हुई है तो फिर से fragmentation नहीं होनी चाहिए। यह ठीक है। इस के लिये कुछ खास provision किया जा सकता है। एक भाई ने कहा था कि जब ज़मीन बेचने का समय आता है तो वह ज़मीन कुल के मुखालिफों के हाथों में ही बेची जाती है। अध्यक्ष महोदय, Pre-emption वाले law में यह मौजूद है कि वह ज़मीन खरीदने का पहला हक लड़की के भाई का बनता है, दूसरे का बाद में बनता है। इस बारे एक भाई ने कहा कि अगर भाई वह ज़मीन लेना भी चाहे तो बाज़ दफा उस के पास इस के लिये पैसा नहीं होता। इस के लिए rules में इस किस्म का provision किया जा सकता है कि यह कीमत किश्तों में अदा की जा सके। यह सहूलत देने के लिये कानून को amend किया जा सकता है बजाए इस के कि हम शास्त्रों के विरुद्ध जाते हुए, विधान के विरुद्ध जाते हुए यह provision करें कि लड़कियों को पैतृक सम्पत्ति से महरूम कर दिया जाए। जो कठिनाइयां पैदा होती है उन का इलाज करना चाहिये।

अभी कहा गया कि एक दो पुश्त तक तो लड़कियों को माली सहायता मिलती रहेगी जो कि आम कुटुम्ब में की जाती है उस के बाद नहीं। मान लो कि मेरा एक भाई है। क्या कभी यह हो सकता है कि अगर उस की लड़की की शादी हो तो मैं अपनी हिम्मत के मुताबिक मिलवरतन के नाते उस को कुछ न दूं? वह तो मैं दूंगा ही। तो क्या वजह है कि जो बहन अपना हिस्सा ले गई है उस के बारे में कहा जाएगा कि चूंकि मेरी बहन जायदाद का हिस्सा ले गई है इस लिये मैं अपनी भानजी की शादी पर क्यों कुछ दूं? जब मैं अपने भाई से इस किस्म की मिलवरतन रखता हूँ तो बहन से क्यों न रखूंगा। इस लिये मैं समझता हूँ कि इस दलील में कोई वज़न नहीं है। अगर सम्पत्ति बांट भी ली जाए तो जो मिलवरतन और भाईचारा है वह तो चलता ही रहेगा। मैं ने कहा है कि यह अवश्य हो सकता है कि भाई वह ज़मीन खरीदना चाहे पर वह न ले सके तो उस हद तक इस law को amend किया जाए और convenient instalments मुकर्रर कर दी जाएं। अगर कीमत बारे झगड़ा हो तो उस बारे सरकार के पास machinery मौजूद है। उस के मुताबिक कीमत determine कर के किश्तों में अदा करने की facility दी जा सकती है। इस लिये मैं समझता हूँ कि जो पुरानी परम्परा है नर और नारी की समानता की उस बिना पर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री रला राम]

ग्रौर हमारे विधान में दिए गए मौलिक ग्रधिकारों की बिना पर, inequality को चाहे वह sex के basis पर हो या किसी ग्रौर वजह से हो, दूर किया जाना चाहिये। इस लिये मैं समझता हूँ कि Hindu Succession Act को कायम रहना चाहिये। हां, जो उस को implement करने में कठिनाइयां ग्राएं उन्हें दूर किया जाना चाहिये। इस के लिये law को amend किया जाए। ग्रौर ग्रगर सरकार किसी ग्रौर प्रकार से भी सहायता करना चाहती है तो करे पर यह नहीं होना चाहिये कि हम लड़की को उस की पैतृक सम्पत्ति के ग्रन्दर जो उस का जन्मज़ात ग्रधिकार है उस से महरूम कर दें। ग्राप का धन्यवाद।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मैं सब से पहले मुग्रज़िज़ मेम्बर सरदार भूपिन्दर सिंह मान को, जिन्हों ने कि यह Resolution पेश किया है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्हों ने यह Resolution पेश कर के न सिर्फ इस House की बल्कि इस पंजाब की बड़ी भारी सेवा की है ग्रौर तमाम पंजाब के लोगों की सही तरजमानी की है। ग्रभी इस बिल पर Principal साहिब बोल रहे थे। वह एक दूसरे की बातें कर रहे थे। मैं इन से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई इन की ऐसी बात भी है जिस पर ग्रमल किया जा सकता हो ? ग्राया इन की बातों में से कोई practicable बात भी है ? क्या कहीं लड़की को, बहन को बाप ने या भाई ने हक भी दिया है ? मैं कहता हूँ यह जो कहते हैं कि लड़के ग्रौर लड़की का बराबर का हक हो, बराबर का हक तो कुदरत ने भी नहीं दिया। ग्रगर प्रिंसिपल रला राम साहिब इस तरह की बातें करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ग्राप को भी तकलीफ उठानी पड़ेगी। फिर वह कहते हैं कि भाई बहन से ज़मीन खरीद लेगा। ग्रगर ऐसा होगा भी तो भाई बहन का रिश्ता रहेगा कहां ? फिर कहते हैं कि ग्रगर इस को accept न किया गया तो बड़ा भारी ग्रान्दोलन खड़ा हो जायेगा। मैं कहता हूँ कि Principal साहिब मेरे साथ चलें ग्रौर गांव गांव में जा कर ग्रौरतों की राय लें, देखें कितनी इन के हक में हैं। उन्हें शायद ग़लत फहमी इस बात की हुई है कि उन्हों ने राय school के लड़कों की ली है। वह किसी गांव में चलकर राये लें तो बड़ी मुश्किल से इस के हक में 1 फीसदी votes पड़ेंगे। ग्राप Hindu Succession Act के पास होने से पहले के ग्रौर ग्राज के हालात मुलाहज़ा करें ग्रौर देखें कि भाई, बहन की पहले कितनी इज़्ज़त करता था। यहां तक कि गांव की लड़की उस की ग्रपनी बहन से कम न होती थी लेकिन जब से यह Act ग्राया है, हालात ही कुछ ग्रौर हो गये हैं। भाई बहन के झगड़े बढ़ गये हैं ग्रौर हद यहां तक पहुँच गई है कि करनाल ज़िला के ग्रन्दर एक भाई ने ग्रपनी बहन को कत्ल कर दिया। स्पीकर साहिब, मैं वकील हूँ ग्रौर मैं कह सकता हूँ कि ग्राज 99.9 प्रतिशत disputes ऐसे हैं जो Hindu Succession Act के तहत ग्राते हैं। Principal साहिब ने तो ग्रपने शहर की बात कर दी मगर देहातियों में तो सख्त खतरा पैदा हो गया है। शहरों में तो पढ़े लिखे लोग हैं मगर देहातियों को तो किसी बात का पता ही नहीं है। 90 प्रतिशत लोग देहातों में ग्रन पढ़ हैं। ग्रगर उन को Principal साहिब की बात समझाई भी जाये तो वह समझ नहीं सकते। यह तो एक

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

तरह की हवाई बातें कर रहे हैं। यह practicable नहीं हैं; यह एक नामुमकिन सी चीज़ है।

स्पीकर साहिब, एक तरफ consolidation हो रही है दूसरी तरफ अगर इस Act के तहत हकूक दे दिये जाते हैं तो आप ही अन्दाज़ा लगायें कि इस consolidation की हालत क्या होगी आज करोड़हा रुपया जो हम इस्तमाल पर खर्च कर रहे हैं वह बे मायनी हो जायेगा। 5—7 साल के बाद इस से कई गुना ज्यादा रक्म खर्च करनी पड़ा करेगी। इस के इलावा गांव में लड़कियों की इज्ज़त इतनी ज्यादा होती है जो कि उन के हक से भी कहीं ज़्यादा होती है मगर अगर उन को जायदाद का हिस्सा दिया जाने लगे तो कोई भाई बहन को पूछेगा तक नहीं। आज अगर लड़की की शादी हो तो इतना खर्च किया जाता है। ब्याह शादियों पर तो यह रिवाज आपस के प्रेम की वजह से है। अगर जायदाद में लड़कियों को हिस्सा दिया जाने लगे तो कोई एक दूसरे को पूछेगा तक नहीं। यह क्या चाहते हैं कि भाई बहन को कभी कुछ न दे और आपस में कोई ताल्लुक दारी न रखे? बातें यह बड़ी अजीब करते हैं, एक तरफ तो यह कहते हैं कि हमारी अलग संस्कृति है; दूसरी तरफ अंग्रेज़ों जैसी संस्कृति पर चलने की कोशिश जारी है। तो ऐसी हालत यें में हमारी संस्कृति का ढाँचा बिलकुल दरहम बरहम हो जायेगा। Hindu Succession Act की वजह से ही भाई बहन के झगड़े होंगे। देहातियों पर इस चीज़ का बहुत बुरा असर हुआ है। स्पीकर साहिब, मुझे एक गांव के घराने का पता है। उस में 3-4 भाई थे और 3 बहनें थीं। अच्छी ज़मीन तो तीनों बहनों की आ गई। लेकिन उन की अपने भाइयों के साथ इतनी दुशमनी हो गई कि जब वह मालगुज़ारी लेने आती थीं तो लम्बरदार साथ चल कर वसूली कराता था। गांव में लड़की मालगुज़ारी लेने नहीं जा सकती। कितनी अजीब हालत हो गई है हमारी संस्कृति की कि एक तरफ तो हम किसी गांव में जाते थे, तो बतौर इज़्ज़त के अपने गांव की लड़की को रुपया दे कर आते थे मगर दूसरी तरफ अब भाई बहन एक दूसरे के गांव नहीं जा सकते। भाई बहन क्या, सारी बरादरी को एक समझा जाता था उन की रिश्तेदारियां बरादरी छोड़ कर की जाती थी। गांव के एक घर का जमाई सारे गांव का जमाई समझा जाता था। हम आज भी अपने बच्चे बच्चियों की शादी तीन गोत छोड़ कर करते हैं। मगर जब गांव में दो दो सौ के करीब कुनबे हो जायेंगे तो क्या हालत होगी हमारी सभ्यता और संस्कृति की और कौन कौन गोत हम छोड़ेंगे। बल्कि Hindu Law के अन्दर तो यह लिखा हुआ है कि जो prohibited जगह पर लड़के या लड़की की शादी करेगा तो जो उनकी औलाद को कोई हक देगा वह बिलकुल नावाजब और illegal होगा। (*Interruption*)

तो यह कहते हैं कि औलाद के बारे में prohibited degree की परवाह ही न करो। इन को जनाब परवाह हो भी कैसे सकती है क्योंकि यह तो शहर के रहने वाले हैं और वहाँ पर कोई संस्कृति या रीति-रिवाज की बात ही नहीं है। इन का तो कहना यह है स्पीकर साहिब, कि हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि कम से कम हमें माफ करो। हमारी संस्कृति शहर की तरह नहीं। हम तो राम कृष्ण के वंशज हैं और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[श्री रला राम]
हमारे रीति-रिवाज तब से चले आ रहे हैं, वह वही रहने दो। जो बात आप पैदा करना चाहते हैं उस में हमें न डालो।

स्पीकर साहिब, सारे पंजाब में सिवाय कम्युनिस्ट पार्टी के और कोई भी पार्टी या आदमी इस मामले में इन के साथ मुतफिक नहीं हो सकता। और स्वतन्त्र पार्टी ने तो एक तरीके से बिगुल ही बजाया है कि हम तो इस बात के लिये पूरा ज़ोर लगाएंगे। इधर जनाब जन-संघियों ने भी कह दिया और उधर मास्टर तारा सिंह की पंथिक पार्टी भी जद्दो जहद कर रही है। अब पंजाब में बाकी कौन सी पार्टी रही? कोई नहीं। और तो और कांग्रेस भी श्री रला राम जी के विचारों के नहीं हैं, इक्के-दुक्कों की बात जाने दीजिए, वह तो अँगुलियों पर गिने जा सकते हैं। वरना लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पंजाब में Hindu Succession Act के खिलाफ है। और अगर किसी को यकीन नहीं आता तो वह पंजाब के अन्दर चाहे तहसीलों में, ज़िलों में या चाहे सारे पंजाब में referendum करा के देख ले, सब इस के खिलाफ ही होंगे। और जो हक में कहता है तो जनाब उस का यही हाल होगा जैसा कि साध-संगत पार्टी का हुआ; इनको 4 से ज़्यादा vote नहीं मिले। और जो हाल देश भक्त पार्टी का हुआ है, उसको भी सब लोग जानते हैं।

स्पीकर साहिब, मैं लड़कियों के हक के खिलाफ नहीं लेकिन उन्हें हक वहाँ मिलना चाहिये जहाँ पर उन की शादी हो चुकी हो। और यही Resolution कहता है। लेकिन मैं इस के खिलाफ हूँ कि लड़कियों को भाई के यहां हक मिले और वह वहीं रहने लगें। इस से तो बहुत गड़बड़ी होगी क्योंकि न तो बहू का पता चलेगा न बेटी का और न भाई का न घर वाले का। लेकिन श्री रलाराम जी तो यही चाहते हैं। स्पीकर साहिब, मैं ज़्यादा न कहते हुए इस रेज़ोल्यूशन की ताईद करता हूँ। मुझे खतरा एक है स्पीकर साहिब, कि कहीं मिनिस्टर साहिब उठ कर यह न कहने लगें जैसा कि हर एक resolution के लिये कहा जाता है कि इसे वापिस ले लो हम कोई न कोई इंतज़ाम करवाएँगे। लेकिन मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि इस resolution को वापस न लिया जाए। इसे सैंट्रल गवर्नमैंट के पास जाना चाहिये और कानून में माकूल amendments होनी चाहिएँ। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को जो हक दिया गया है, यह एक बड़ा भारी ज़ुल्मो सितम है। मैं अधिक न कहते हुए यही कहूँगा कि इस में माकूल तरमीम हो। इतना कह कर मैं इस की बड़े ज़ोर से ताईद करता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ resolution ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਵੀ Private Members Day ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਭਰਾ ਵੀ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਮਖਾਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਅਜਿਹੇ ਭਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । 'ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ' ਜਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ । ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣਾ ਨੇ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹ ਉਥੋਂ 10, 20 ਕੋਹ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਵਾਹੁਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ । Principal ਸਾਹਿਬ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੇਚਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਆਖਣਗੀਆਂ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਇਕ ਬਹੀ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ । Principal ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਕ ਸ਼ਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕ ਸ਼ੁਫਾ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਮੁਨਹੱਸਰ ਹਨ । ਜੇ ਜ਼ਨੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵਜਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਾਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਾਵੇ ? ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਖਾਵਿੰਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਵਿੰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ complications ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਯੂ. ਪੀ. ਔਰ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਮਧਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਏਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਮ ਤੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਗੁਰਨਾਦ ਸਿੰਘ]

ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮਾਨਸਾ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ revolutionary ਕਦਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਣ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਿਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 1865 ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ Indian Succession Act ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾਂ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ customs ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ । ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਅਡ ਅਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ 1946 ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤਾਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1947 ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ consideration ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ । ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 1951 ਤਕ ਉਹ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1956 ਦੇ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਣੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਾਊਸ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਰੇਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਡਾ ਪਰੀਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਹ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ । ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ safeguard ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰ ਦੀ ਸਬਕਲਾਜ਼ (2) ਵਲ ਆਪ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

> 4(2) "For the removal of doubts it is hereby declared that nothing contained in this Act shall be deemed to affect the provisions of any law for the time being in force providing for the prevention of fragmentation of agricultual holding or for the fixation of ceilings or for the devolution of tenancy rights in respect of such holdings."

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ fragmentation ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ provide ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ will ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਐਕਟ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ property ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ will ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ।

4-0-0. p. m.

ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਕੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੀ section 30 ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ :—

> "Any Hindu may dispose of by will or other testamentary disposition any property, which is capable of being so disposed of by him, in accordance with the provisions of the Indian Succession Act, 1925, or any other law for the time being in force and applicable to Hindus."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾਤ ਕਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ property ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝਗੜੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਝਗੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ right of ownership ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ resolution ਵਿਚ suggest ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਖਾਵੰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ? ਉਹ ਝਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ repeal ਕਰ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡਰਦੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਗੁਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਫੇਰ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ Shops Act ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ । ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜੋ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ mover ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ Government of India ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਟ ਵਜੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖੇ ਗਾ । ਇਥੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਕਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ elections ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਐਕਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ sacrifice ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ administration ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਖੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ guide ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਤਵਜੁਹ ਦਿਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਾਂਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਤਾ self-sufficient ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ vague ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ implementation ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ vested interests ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ progressive ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਥੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ resolution ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਕਿ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ ।

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू (होश्यारपुर, रिज़र्वड) : डिप्टी स्पीकर साहिब, आज हाउस के सामने यह resolution पेश किया गया है कि लड़की को अपने बाप के घर की बजाए उस के ससुर की जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिये, । मेरे दोस्त जो कांग्रस पार्टी में बैठे हैं उन में से कुछ तो इस के खिलाफ बोले हैं और कुछ एक ने इस के हक में अपने ख्यालात का इज़हार किया है । इसी तरह अपोज़ीशन की तरफ से भी कुछ पार्टियों की तरफ से इस रेज़ोल्यूशन की मुखालफत और कुछ पार्टियों के लोगों की तरफ से इस के हक में तकरीरें की गई हैं । डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप की विसातत से हाउस का ध्यान उस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि इस एक्ट के बनने से बहन और भाई का प्यार और उन का मुहब्बत भरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और जगह २ पर आपस में मुकद्दमे बाज़ी शुरू हो गई है बहन और भाई का प्यार दुश्मनी की शक्ल में बदल गया है उस को किसी न किसी तरह से कायम करने के लिए इस एक्ट में amendment की जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस वक्त समाज में स्त्री जाति और हरिजन यह दोनों ही बुरी तरह से समाज के ज़ुल्मों सितम से दबाए गए हैं और अब तक भी दबे चले जा रहे हैं । यह जो resolution भूपिन्द्र सिंह मान जी ने पेश किया है मैं यह कहूँगा कि अगर आप इन की असेम्बली में की गई तकरीरें पढ़ें तो आप को ....

Mr. Deputy Speaker : No reflection on any member please

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू : इस लिये मैं यह कहूँगा कि यह जो इस resolution को पेश करने वाले हैं यह reactionary हैं और डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप को बताना चाहता हूँ कि मैं इस बात के हक में हूँ कि अगर आनरेबल मेम्बर इस के मुताल्लिक संजीदा हों तो वह रेज़ोल्यूशन के स्थान पर बिल लाएं । यह लोग जो हाउस में मौजूद हैं इन्हों ने मुख्तलिफ किस्म की तकरीरें ज़मींदारों किसानों, कारखानेदारों और दुकानदारों को खुश करने के लिए की हैं और दर असल यह resolution बराए नाम हाउस में पेश किया गया है । इस पर यह कोई action नहीं ले सकते और न लेने का विचार है । महज़ पब्लिक में प्रापेगंडा करने के लिये यह resolution पेश किया गया है । बाद में यह कह देंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने सैन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा था लेकिन सैन्ट्रल गवर्नमेंट मानती नहीं ।

Mr. Speaker- Order please. No reflection.

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू : डिप्टी स्पीकर साहिब, यह सचाई है इस को मैं कैसे न कहूँ । मैं समझता हूँ कि यह election के लिये प्रापेगंडा है ।

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member can not attribute any motive to any member of the House.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं इस की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। (*laughter*) मैं तो यह बताना चाहता हूँ कि अगर वाकई वे लोगों के खैर खाह हैं और सच्चे मानों में उन की अगवाई करना चाहते हैं और हकूक के लिये लड़ना चाहते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह कौन सी सरकार है जो इस किस्म का कानून नहीं बना सकती। Constitution में इस बात की provision है कि अगर सूबाई सरकार चाहे तो वह लोगों की मर्ज़ी के मुताबक कानून में तबदीली ला सकती है। इस लिये मैं समझता हूँ कि इस resolution का कोई मतलब नहीं है। अगर वाकई लोगों को relief देना है तो इस किस्म का बिल लाएं और उसे असेम्बली से पास करवा कर ऐक्ट की शक्ल दें। मैं वसूक के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग इस रेज़ोल्यूशन को वापस ले लेंगे और इसे महज़ प्रचार के लिए पेश किया गया है। डिप्टी स्पीकर साहिब मैं आप के द्वारा इन को challenge करता हूँ कि अगर इस को पास करना चाहते हैं तो आएं अगर नहीं पास करना चाहते तो मैं इस्तीफा देता हूँ. . . .

Mr. Deputy Speaker: The hon. Members have every right to move and withdraw the resolutions. You should not attribute motives to any body.

श्री लाल चन्द : वह तो withdraw करने जा रहे हैं।

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू : मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये serious हैं तो बिल लाएं और उसे असेम्बली से पास करवाएं। मैं जानता हूँ कि यह पास नहीं करना चाहते क्योंकि जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा यह ऐक्ट पास हुआ है और इन में यह जुरअत नहीं कि ये इस किस्म का resolution पास करके भेज सकें। मैं समझता हूँ कि जितनी तकरीरें हुई हैं महज़ प्रापेगंडा के लिये हुई हैं। और आप कल अखबारों में देखेंगे कि इस resolution को सरदार भूपेन्द्र सिंह मान जी ने इज़्ज़त के साथ वापस ले लिया। इन शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि इस को वापस नहीं लेना चाहिये बल्कि बिल की शक्ल में पास करना चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ (ਸੁਨਾਮ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹਕੂਕ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ resolution ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰਖੇ, ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਖਿਆਲ ਰਖੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਇਸ resolution ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਹਕ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਹੱਕ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਮਿਲੇ। ਸਿਰਫ ਐਨੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਕਰੀਬਨ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ]
ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਔਰ ਹਰੀਜਨ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ....(*laughter.*)

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ! ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ?

Mr. Deputy Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ : ਦੋਨੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਕ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਕ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਰੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ promotion ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ rank ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿਠੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਕਹਿਣ ਲਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਨੇਦਾਰੀ ਦੀ promotion ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥਾਣੇਦਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਵਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹਕ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ promotion ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ retire ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਜਣਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁਟ ਜਾਏਗਾ। ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੀਝਾਂ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ—

ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਕਰਵੇ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣ ਲਗੀਆਂ। ਜਾਇਦਾਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੌਹਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿਉਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਉਰ ਛੜਾ ਹੈ, ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾੜੀ ਵਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੁਲਿਉਂ ਲਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੌਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੜੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਘੁਟਿਆ ਹੈ (*Laughter*) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਛੜਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਛੜਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

श्री बलराम दास टंडन : On a point of information, Sir. स्पीकर साहिब, यह तो बात नहीं है कि दोनों में से किसी एक जगह पर लड़की को हिस्सा न मिले । सवाल यह है कि बजाए बाप की जायदाद के उसे father-in-law की जायदाद का हिस्सा मिले । जो proposal इस वक्त हाउस के सामने है उसे वह नजरअंदाज कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप ने information क्या मांगी है (What information does the hon. Member want to obtain ?

श्री बलराम दास टंडन : मैं डिप्टी स्पीकर साहिब यह चाहता हूं कि उन्हें कम से कम यह information दे दी जाए कि हाउस में यह problem नहीं है ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੇਰੇ ਮਾਨ ਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੁਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿਉ । ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ support ਕਰਦਾ । ਤੇ ਜੇ ਇਕਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾ ਮਿਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ support ਕਰਦਾ । ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਇਕਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ।

Mr. Deputy Speaker : Is the hon. Member speaking on the resolution?

चौधरी इन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं माननीय मैम्बर से कहूंगा कि वह अपनी धर्म पत्नी से पूछ के आयें कि वह क्या चाहती हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ]
ਜਿਥੇ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵੇਂ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ । ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਘਰ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਘਰ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਢਾ ਛੇਤੀ ਮਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਦ ਖੇਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੜ੍ਹਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏਦਾਦ ਉਸ ਗਵਾਂਢੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ।

श्री लाल चन्द : यह कानून तो पहले ही मौजूद है ।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ : ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Shri Balram Das Tandon : Sir, I beg to move —

That the Question be now put.

(*Interruptions*)

Mr. Deputy Speaker : Sardar Umrao Singh.

Shri Lal Chand : On a point of Order, Sir. There is a specific Rule in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly that no Member can speak more than once on any motion. Sardar Umrao Singh has already spoken on the Resolution before the House and he, therefore, cannot speak now.

Mr. Deputy Speaker : He has not so far spoken on this Resolution.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ resolution ਇਸ ਸਮੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਕ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ladies ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ Act ਦੀ provision ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, support ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

inheritance ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੌਜੂਦਾ Hindu Succession Act ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ Customary Law ਲਾਗੂ ਸੀ । Customary Law ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ property ਹੁੰਦੀ ਸੀ—ਇਕ self acquired ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ancestral. Self acquired property ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ heirs ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ancestral property ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਲਈ will ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਸ law ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ defects ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ debar ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਜਿਹੜਾ Hindu Succession Act ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ respect ਵਿਚ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ defect remove ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ । ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ hardship ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ system ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ system ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਪ ਨੂੰ will ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ । Principal Rala Ram ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਜਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ will ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ । । ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਨੂੰਨ ਦੀ retention ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ power ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ । ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਬਾਪ ਧੀ ਦੀ favour ਵਿਚ will ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ । ਹੁਣ ਵਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ will ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ claim ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਚਾਹੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਉਹ ਵਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ challenge ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ family system ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ resolution ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ exhaustive resolution ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੜੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ । ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ interest

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਵੀ watch ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ marriage ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ interest ਨੂੰ ਵੀ protect ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾ ਦੇ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ fatherin-law ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ interest ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਕ ਵਿਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ । Property ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕ Agricultural land ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ property ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ interest ਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ Succession Act ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Agricultural land ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ Non-Agricultural property ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਉਪਰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਖ ਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲਗਣੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ Socialistic Pattern of Society ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਤਪਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਿਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਵਿਆਹ ਵਿਚ common interest ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਗੈਰ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮੀਂਦਾਰ ਗ਼ੈਰ ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ interest ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਮਿਲੇ । ਗ਼ੈਰ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ system ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ Programme ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ Act ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ society ਦੇ system ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾ ਨੂੰ maximum benefit ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ deny ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਸ ਲਈ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ alternative proposal ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਸਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ । ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ accept ਕਰਨ ਨੂੰ willing ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ principle ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ security ਔਰ ਇਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ । ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜਗਾਹ ਇਕ permanent interest ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ family ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ integration ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ position ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ "will" ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ । ਉਹ will ਕਰ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ provision ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਬਗੈਰ ਅਜਿਹੇ provision ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ "will" ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ transfer ਕਰ ਦੇਵੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਰ principle ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਕ ਨੂੰ safeguard ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿ society ਦਰਹਮ ਬਰਹਮ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਉਸ ਦੀ integrity ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ । ਇਹ ਹੀ ਰਾਏ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈ । ਜਨਾਬ, ਕਲ ਰਾਤ—ਇਕ ਜਗ੍ਹਾਂ ਚੰਦ friends ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜੋ ਮੰਗ ਰਖੀ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ interest ਨੂੰ safeguard ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ । ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ । ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਜ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ unsettled ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ policy ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਗੇ clear ਤੌਰ ਤੇ ਰਖ ਸਕੀਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਮਾਨ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਜੋ principal ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ carry out ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਾਕਿ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । Details ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : Sardar Ajmer Singh.

Shri Balram Das Tandon : Sir, I beg to move —

That the question be now put.

Mr. Deputy Speaker : I have already called Sardar Ajmer Singh.

श्री बलराम दास टण्डन : जनाब मेरी दरखास्त यह है कि चार हफ़्तों से इस resolution पर बहस हो रही है । आखिर इस चीज़ का कोई result भी तो निकलना चाहिये ।

Mr. Deputy Speaker : You can move the closure motion after Sardar Ajmer Singh has spoken.

Shri Balram Das Tandon : The debate on this resolution is going on for the last 3-4 days.

Mr. Deputy Speaker : You can move the closure motion before I call any honourable Member to speak. Now, I have already called Sardar Ajmer Singh to speak.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ-ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ resolution ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਰਖਦਾ ਹਾਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ Hindu succession Act ਸੰਨ 1956 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਚਲ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਔਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਔਰ ਖਾਸਾ ਫਿਕਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ resolution ਇਸ House ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ।

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : withdraw ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੱਸਲੀ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਲ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਸ Resolution ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਤ House ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ public ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ—ਅੱਛੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ । ਡਿਪਟੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਇਜ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਤਾਂ succession ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ Hindu Law ਮੁਤਾਬਕ govern ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ succession ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਕ ਦੂਜੀ community ਸੀ—ਮੇਰਾ ਭਾਵ agriculturist community ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਇਸ resolution ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ—ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਲਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ succession ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ Hindu succession Act ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ Schedule ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ female ਦਾ right of succession ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ note ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਉਸ ਨੇ 18 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਅਜਨਬੀ ਔਰਤ ਵਸਦੀ ਹੈ—ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ—ਉਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਅਜਨਬੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਰਵੇ, ਮਗਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ in-laws ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਰਖਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਅਜੀਬ ਗਲ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ practical ਸੂਰਤ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ।

ਪਰਚਲਤ ਰਵਾਜਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ reasons ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਰਿਵਾਜ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਲਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ govern ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਸੀ, substance ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ practicability ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰੋਖੀਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ Hindu Law ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਮਸਲਨ widow ਦੀ re-marriage ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ permissible ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰ ਫੇਰ widow ਦੀ re-marriage ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ welcome ਕੀਤਾ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਰਿਵਾਜ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । Age old traditions ਨੂੰ ਤੇ customs ਨੂੰ over night ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ! ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Hindu Succession Act public ਦੀ ਰਾਏ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁਛੀ ਗਈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਹਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਠੋਂਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ revolution ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਲੋਕ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ Act ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਓਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ elections ਤੇ ਪਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ custom ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ customs ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ । ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ customary laws ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ society ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ tribal system ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ Agnatic theory ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਿਸਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ—

ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ ।
ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ family ਨੂੰ belong ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਅਪਣੇ ਘਰ ਰਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ । ਉਸ ਦਾ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸੌ ਤਿੰਨ ਸੌ ਔਰ ਚਾਰ ਸੌ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਗਾੜ ਲੈਣਗੀਆਂ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ females ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹ ਅਗੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਜਿਥੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਕਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਤਾੜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ । ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

The collaterals should not have an eye on the property of a person who has got a daughter.

ਪਰ ਜਿਥੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਉਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਥੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ । ਮਸਲਨ 5 ਭਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ ਭੈਣ ਹੋਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ 30 ਬਿਘੇ ਹੋਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ agricultural ਜ਼ਮੀਨ 6 ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ 25 ਬਿਘੇ ਤਾ ਪੰਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਬਿਘੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਉਹ ਪੰਜ ਬਿਘੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ (Interruptions by Chaduhri Inder Singh) ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ practical ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ practical ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਸਗੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ political ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਵੇ । ਅਜ ਅਸੀਂ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਇਕ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ Centre ਬਣ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]
ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹੋਣਾ ਨਿਹਾਇਤ ਨਾਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲਾਵਲਦ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਇਕ family ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜ ਤਕ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਗ ਹਾਲੇ ਵੀ ceremonial occasions ਤੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ well known ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ Succession Act ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ fragmentation ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ exception ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ Sub-Section 2, Section 4 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

> "For the removal of doubts it is hereby declared that nothing contained in this Act shall be deemed to affect the provisions of any law for the time being in force providing for the prevention of fragmentation of agricultual holdings or for the fixation of ceilings or for the devolution of tenancy rights in respect of such holdings."

ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ State Legislature ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ fragmentation ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ State ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ one-half population ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ result ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ absentee landlords ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ non-agriculturists ਹਨ। (ਹਾਸਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ cultivate ਕਰਨ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। (*interruption*) Absentee landlords ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। (*interruption*)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : No interruptions please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ right ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ equality ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Deputy Speaker ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਲ sentiments ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਇਹ equality ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ੋਅਬੇ ਵਿਚ equality ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਸਲਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। They are meant for different duties. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ weaker sex ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ fact. (ਹਾਸਾ) (*interruptions*)

Mr. Deputy Speaker : Order please. No interruptions.

Sardar Ajmer Singh : But the fact is that she is tender, soft-hearted and is meant to keep home and to perform such other duties. To expect that women should take all other places everywhere in every shape of life is an impossibility.

ਅਗਰ ਇਸ equality ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਫੌਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫੌਜ ਬਣਾਉ। (ਹਾਸਾ) ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛਾਵੇਂ ਤੇ ਮਰਦ ਕਰਨ ਧੁਪੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ। ਇਥੇ ਵੀ equality ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅਡ ਅਡ ਸੋਚਣਾ Communal approach ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ Communities ਹਨ ਇਕ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ। (ਘੰਟੀ) ਇਹ dependency ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। Man is meant for woman and woman is meant for man. ਇਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗੀ। (interruption) They are inter-dependent for everything. ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹ dependency ਖਤਮ ਕਰਕੇ equality ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। (ਵਿਘਨ) What do I stand for ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਿਲਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ revise ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਜੋ resolution ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ daughter ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Central Government ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ daughter ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਂ, ਔਰਤ, ਭੈਣ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਪਾਸਿਉਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੋ dissatisfaction ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ । ਸਾਰੀ ਗਲ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸਦਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ daughter ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਹਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਰੇ । ਵਸੀਅਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਉ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ cases ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜਾ ਕਰ ਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ daughter ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੰਗੀ ਭੁਖੀ ਸਹੁਰੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਮੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ । Society ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ —(ਘੰਟੀ) ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਰਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ age old traditions ਸਾਡੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ over night change ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ dissatisfaction create ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕੋਈ time ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣ । ਪਰ ਅਜ ਜੋ Acts ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ defects ਹਨ । ਜੋ Hindu Adoption Act ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ । ਸਹੁਰਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਸਹੁਰਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ

Now that you have a right of succession in the property of your father, you can get your maintenance from your father and not from your father-in-law. The father-in-law can exclude you from his property by executing a will in favour of any other near relation.

ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਤਅਲੁਕਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਬੇਵਾ ਨੂੰਹ ਲਈ ਆਪਣੀ property ਛਡ ਦੇਵੇਗਾ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ sentimental ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ law by majority ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ । ਯਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ minorities differently think ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ majority ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ common ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੁਤਅਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ practical ਸ਼ਕਲ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਵਿਚ ਓਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਕਠੀਆਂ families ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਰਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬਿਖਰ ਗਿਆ । ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਤਸ਼ਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ alignment ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੀ । ਮੈਂ ਫਿਰ repeat ਕਰਦਾ ਹਾਂ—

They will become chattles of the market. Under the present law, any girl, who is likely to succeed to sufficient property, will have her own market value more than the one who is not going to succeed to any property of her father.

ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, Deputy Speaker ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ House ਦੇ Member ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ । ਸਾਡੇ ਪਾਸ Constitution ਦੀ 254 Section ਹੈ । ਪੰਜਾਬ Government ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਉਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ Resolution ਦਾ scope ਖਾਸਾ limited ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ scope ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ practical diff culties ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ customs ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, culture ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ present situation ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ safe ਹੋ ਸਕੇ ।

चौधरी इन्द्र सिंह : मेरी एक गुज़ारिश है कि उधर से तकरीबन 4 या 5 आदमी अब तक बोल चुके है लेकिन हमारी तरफ से अभी तक बोलने के लिये कोई time नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष : Oppostion के मैंबरों को भी पहले बोलने का मौका दिया गया है, उन में से कुछ बोल चुके है अब फिर आप को time मिल जायगा ।

(Members of the Opposition have been given an opportunity to speak. Some of them have already spoken. Now they will again get time to express themselves.)

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ,ਉੱਤਰ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ House ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸੱਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ House ਦੇ ਸਾਰੇ Members ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । (interruption)

राजा रघुबीर सिंह ; On a point of personal explanation, Sir.

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ: I do not give way. ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ Succession Act ਵਿਚ male ਅਤੇ female ਦੇ rights ਤੇ ਇਹ debate ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ (*Interruption.*)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Raja Raghubir Singh : On a point of order, Sir. Can an hon. Member speak twice on one Resolution ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप के पास पिछली sitting की कोई list है ? अगर नहीं तो मेरे पास तो है । मैं कह सकता हूं कि यह नहीं बोले । (Has the hon. Member any list of Members who spoke on the last sitting ? If not then I have. I can say that Shri Harbhagwan Maudgil has not so far taken part in the debate.)

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ debate ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਔਰ ਡਰਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ trend ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ Resolution ਦੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ । Practically ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇ minority ਕਿਸੇ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਠੋਂਸੀ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ justify ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ Succession Act ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਸਭਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਿਆਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ 1848 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਏਥੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਏ । ਇਕ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ । ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਮਿਤਾਖਸ਼ਰਾ, ਦਿਆ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਨੂ ਲਾ । ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ laws ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ families ਨੇ Joint Hindu family ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਵੇਲੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਭਰਵਾਲ : On a point of information, Sir. ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹੜਾ Hindu Law ਬਣਾਇਆ ਸੀ ?

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ : ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੇਲੇ ਕਈ Hindu Law ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (*Interruptions*)

ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ chaos ਦੇ reasons ਕੀ ਹਨ ? 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ codify ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਬਣਾਇਆ....

ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਬਣਾਇਆ ?

Mr. Deputy Speaker : No interruption please. He does not give way.

श्री लाल चंद : वह चुप हो गए थे ।

श्री उपाध्यक्ष : जब तक वह seat पर नहीं बैठ जाते तब तक give way नहीं समझना चाहिए । (Unless the hon. Member resumes his seat, it should not be understood that he has given way.)

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਕ ਰਿਵਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ develop ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ agricultural community ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ agriculture ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ female ਦੇ right ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ exclude ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ revolution ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ Rule ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ; ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ view point ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੀਆ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ agricultural ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਦੇ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ]

ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ property ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆਂ ਹੈ ਤਾਂ disruption ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ compactness of the society ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ change ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ revolution ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿਚ revolution ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ Constitution ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਅੱਜ elections ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ development ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Mr. Deputy Speaker: Please wind up, you have taken your time.

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ Constitution ਵਿਚ ਵੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਬਕਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

श्री उपाध्यक्ष : यह Constitution ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। (This is not provided in the Consitution.) (ਘੰਟੀ)

ਸ੍ਰੀ ਹਰਭਗਵਾਨ ਮੌਦਗਿਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ ਕਢੇ।

Shri Balram Das Tandon : Sir, I beg to move —

That the question be now put.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the question be now put.

चौधरी इन्द्र सिंह : Deputy Speaker साहिब हम बार बार request करते रहे हैं कि हमारे group को time मिलना चाहिये। लेकिन आप ने हमें time नहीं दिया।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : I would refer the honourable Member to Rule 89 of the Rules of Procedure and Conduct of Business which lays down —

> (1) At any time after a question has been proposed any member may move, "That the question be now put", and unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these Rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Speaker shall put the question :—
>
> "That the question be now put"

There is neither abuse of the Rules nor any infringement of the right of reasonable debate. Therefore the Chair has no alternative except to put the question.

चौधरी इन्द्र सिंह : हमें तो आप ने time नहीं दिया । आप ने वादा किया था ।

Mr. Deputy Speaker : But how can I anticipate this motion?

Mr. Deputy Speaker : Question is —

> "That the question be now put"

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Deputy Speaker said, " I think the Ayes have it." This opinion was challenged.

श्री भला राम : डिप्टी स्पीकर साहिब आप ने मुझे time नहीं दिया इस लिये मैं as a protest walk out करता हूँ। *(Shri Bhala Ram then staged a walkout)*

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, we cannot agree to the motion. The honourable Minister has yet to speak and the mover has also to reply to the debate.

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : On a point of information Sir, ਜੇ ਇਹ motion ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ Minister ਨੂੰ ਜਾਂ mover of the resolution ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ?

Mr. Deputy Speaker : The Rule is very clear on this point. The mover has got the right of reply and after that the Minister can speak. It is laid down in the relevant Rule that —

> 108 (2) A member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion was moved by a private member, the Minister concerned may, with the permission of the Speaker, speak (whether he has previously spoken in the debate or not) after the mover has replied:

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, before I rise to reply the critics, I would like to know the position of the Government so that I may be relevant and the debate may be as real as possible.

श्री लाल चन्द : Deputy Speaker साहिब जो मान साहिब कहते हैं उस के बाद अगर Minister साहिब फिर बोलना चाहें तो उन को एतराज़ नहीं हो सकता ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir Deputy Speaker साहिब अब Minister साहिब बोल लें। फिर मान साहिब जवाब दे दें। उस के बाद Minister साहिब बोल सकते हैं। यह procedure है।

Mr. Deputy Speaker : I have put the motion to the House. It is now up to the House to accept or reject it.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the question be now put.

The motion was lost.

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ favour ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇਹ ਉਸ ਦਾ reflection ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਧਾ ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਵਾਂ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ opinion ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਇਜ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਖਰਾਪਨ ਜਾਂ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਨ੍ਹਿਆਂ ਤਬਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਨਾਂ ਕਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦਾ preliminary ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ

CHAPTER I

2. (1) This Act applies —

(a) to any person, who is a Hindu by religion in any of its forms or developments, including a Virashaiva, Lingayat or follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj ;

(b) to any person who is a Buddhist, Jaina or Sikh by religion, and

(c) to any other person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu Law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this Act had not been passed.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Explanation.—The following persons are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion, as the case may be —

(a) any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jainas or Sikhs by religion ;

(b) any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged;

(c) any person who is a convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jaina or Sikh religion.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (i) nothing contained in this Act shall apply to the members of any Scheduled Tribe within the meaning of clause (25) of article 366 of the Constitution unless the Central Government, by notification in the Official Gazette, otherwise directs.

(3) The expression "Hindu" in any portion of this Act shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is, nevertheless, a person to whom this Act applies by virtue of the provisions contained in this section.

ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ definition ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ Scheduled Tribes ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ definition ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ special notification ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Scheduled Tribes ਦਾ ਇਕ ਹਦ ਤਕ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਦੱਤ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ Indian society ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਮੁਸਲਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਿਨ ਭੇਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਲਾ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ subject ਦਾ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਹੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਂਨੂੰ ਮੋਟੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ laws ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਿਸੇ ਉਪਰ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੁਸਲਮ case ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਛਡੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ case ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਲਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ tribes ਵਿਚ ਜੋ ਰਿਵਾਜ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰਸੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ tribes ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Hindu Joint Family ਕਾਨੂੰਨ govern ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੰਡ ਤੇ ਵਾਰਸੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਲਾ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਸ ਉਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ background ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰੇ ਅਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ Hindu Succession Act ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਥੇ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤਰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ social justice ਮਿਲੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦਾ ਆਈਨ ਇਥੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੋ weaker ਤਬਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਤਅੱਲਕਾਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਤਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦਬੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਬੈਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਲੜਕੀ ਹੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ resolution ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ request ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ succession ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਗੈਰ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ (*cheers*) ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਨ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿਣੀਆਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਥੇ 40 ਕਰੋੜ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਿਚ ਕੋਈ 32 ਕਰੋੜ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । Parliament ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਤਵਕੁਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਰ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ । ਖੁਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ Hindu Code Bill ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ agricultural land ਨੂੰ exempt ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ Hindu Code ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ piecemeal ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ exemption ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਉੜਾ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਖਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ complication ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੀ । ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ exemption ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਸਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ । ਇਹ ਲੋਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐਨੇ vocal ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ will ਕਰ ਦਿਉ । 'Will' ਨਾਲ ਇਹ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ । ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਜਗਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ । ਇਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਕ candidate ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰਚੀ ਪਾ ਦਿਤੀ । ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ candidate ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ।

ਪੰਡਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ : गुरुद्वारा इलेक्शन की बात याद है अभी तक (*laughter*)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਰ ਜਿਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਜ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਦਤ ਤਕ ਗਲਾਂ ਯਾਦ ਰਖਦੇ ਹਨ । (*Loud Laughter*)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਉ ਬੁਢਾ ਆਦਮੀ ਸੀ । ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ will ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ । ਲੜਕੀ ਦੀ ਇਛਾ ਇਹ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਸ candidate ਦੀ ਮਦਦ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ will ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ will ਮਨਸੂਖ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ will ਕਰਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੀ ਔਰ ਉਹ will ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । Candidate ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੇ vote ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ । ਲੜਕੇ will ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ case ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ । ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ ਯਾ revolutionary character ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ social justice ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ directive principles ਹਨ । ਸਾਡੀ Constitution ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਐਸਾ ਢੰਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਮਨੁਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ; ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦੇ resolution ਦਾ ਮੁਦਆ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਦਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਵਿਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਸਲੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ touchy ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ resolution ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ existing situation ਵਿਚ dissatisfaction ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਦਿਕਤਾਂ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ resolution ਨਾਲ Hindu Succession Act ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਨਿਹਮਲਬਦਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਲ ਉਸ ਨੂੰ substitute ਨਾ ਕਰੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੋਂ ਤਕ resolution ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਚ

6-00 P.M.

ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਲਖ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 99,999 ਲੜਕੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ case ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ suit ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ exception ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ। ਹਿੰਦੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਦ social ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ-ਗੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਵੰਦ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਸਣ ਦਾ ਉਪਾਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਲੀ ਰਹੇ ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਚਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । Ideal ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ । ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 10 ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ consolidation ਰਾਹੀਂ 10 ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ desirable ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ । Hindu Succession Act ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ । ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਊਲਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ । ਕੁਝ ਸਜਣਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ । Father ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁਤਰ ਭਰਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਰਲਾ ਰਾਮ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤੀ ਦੀ ਅਰਧੰਗੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਅਰਧੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹਿਸਾ ਲਏ । ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਤ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈ ਤਬਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਖ ਵਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ social justice ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਵਾ ਨਾ ਦਈਏ । ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । Indian Constitution ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । Indian Constitution ਦੇ section 254 ਵਿਚ Succession ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ list ਇਕ ਤਾਂ State ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ list Centre ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ subject ਤੇ State ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ concurrent list ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ States ਤੇ Centre ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Centre ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ priority ਹੋਵੇ । State ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ Indian Constitution ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ section ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

> "If any provision of a law made by the Legislature of a State is repugnant to any provision of a law made by Parliament which Parliament is competent to enact, or to any provision of an existing law with respect to one of the matters

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

enumerated in the concurrent List, then, subject to the provisions of clause (2) the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by the Legislature of such State, or, as the case may be, the existing law, shall prevail and the law made by the Legislature of the State shall, to the extent of the repugnancy, be void."

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ concurrent list ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ subjects ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ State Legislature ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ Sub clause 2 ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ priority ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ State Legislature ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ null and void ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। । Sub-clause 2 ਵਿਚ exception ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the concurrent List contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State."

ਜੇ Centre ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ State Legislature concurrent subject ਤੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ President ਦੀ consideration ਲਈ reserve ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ President ਆਪਣੀ assent ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Constitution ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸੇ ਬੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ resolution ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ recommendation ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਸਾਸ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਲਗ ਭਗ ਜਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਪਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ Central Government ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਉਥੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ legal ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਥੇ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਭਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। *(interruptions)*

Mr. Deputy Speaker : Order, please

Sardar Umrao Singh : Sir, I beg to move

That the question be now put.

(Interruptions)

श्री भला राम (जींद रिज़र्वड) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रेजोल्यूशन इस हाउस में पेश हुआ है मैं इस की मुख़ालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं इस की मुखालिफत इस वास्ते करता हूँ कि Hindu Succession Act, Parliament में से पास हुआ है जहां पर सारे हिन्दोस्तान के बड़े बड़े educated पांच सौ आदमी बैठते हैं जो कि हिन्दोस्तान के सामाजिक मसलों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। आज जब कि इस बात को तीन चार साल गुज़र चुके हैं हमें कोई कारण नज़र नहीं आता कि हम इस की मुख़ालिफत करें। Parliament के मुकाबले में हमारी विधान सभा बहुत छोटी है हमें यह सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं होती कि उस ने जो Hindu Succession Act पास किया है वह गलती की है और उस में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। यह कोई अच्छी बात नहीं है हमारी गवर्नमैंट छोटे से सूबे की गवर्नमैंट है. . . .

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : Please be relevant.

श्री भला राम : जनाब मैं यह कहना चाहता हूँकि लड़कियों को अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा मिलना चाहिये। जब वे भी अपने भाइयों के साथ ही उसी बाप के घर में पैदा होती हैं तो कोई वजह नहीं है कि उन को उस की जायदाद में से हिस्सा न मिले। यहां कहा गया है कि कत्लोगारत हो जाएगा, यह हो जाएग वह हो जाएगा (*Interruption*) बहनों को धमकियां दी गई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यहां पर कितने कत्लोगारत हो चुके हैं ? (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker : Order please.

श्री भला राम : यह लोग बहनों को डरा कर उन को अपने हक से महरूम रखना चाहते हैं। यह ठीक बात नहीं है। असल बात यह है कि स्वतन्त्र पार्टी का प्रचार शुरू हो गया है। उन के propaganda से बचने के लिये इन्हों ने एक नया स्टंट शुरू कर दिया है। इस तरह से यह election तक टाइम निकाल देंगे। (*Interruptions*) मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ Parliament ने किया वह ठीक किया है। यह रेज़ोल्यूशन नहीं पास होना चाहिये।

Sardar Umrao Singh : Sir, I beg to move —

That the question be now put.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਸਮਾਨਾ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹਿਜ਼ happy chance ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਭਾਰੀ hardship ਵਲ ਦਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ resoluion ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਥੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ resolution ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤਵੱਜੋ ਦਵਾਉਣਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇਕ ਸ਼ਕੂਕ ਰਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]

ਹਨ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਖਿਚੂ ਔਰ reactionary ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ reactionary ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ resolution ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਜ ਪਸੰਦ ਆਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Parliament ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ Act ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ Parliament ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ। ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਇਕ ਮਸਲਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ representatives ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿਖ—ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ Hindu Succession Act ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

श्रीमती कृष्णा सेठी : क्या वह circulate भी किया गया था ?

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ argument ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤਿਰੀਆ ਹਠ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। (ਹਾਸਾ)

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਆਪ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸੀ lady members ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤਿਰੀਆ ਹਠ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਲਉ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ : ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਹੀ Customary Law ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਕਿਆਨੂਸੀ law ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ customs ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗਰਿਹਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ adaptability ਹੈ। ਮੈਂ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ customary law ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਢੰਗਤ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸਦੀ ਬੁਕੱਲ ਔਰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਤਾਈਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਇਹ Customary Law ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ uniform ਸੀ, universal ਸੀ ਔਰ secular lines ਤੇ based ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਪਸੰਦ ਹੈ । ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਨ ? ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ Hindu Succession Act ਵਿਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਤ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਕ ਚੀਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ divorce ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ divorce ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਕਦਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਐਡਾ ਕੋਈ ਹਸਦ ਨਹੀਂ।

You can walk from progress to progress and from divorce, to divorce, I am not jealous of it.

ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਵਸੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਪਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸਦੀ ਮੁਹਬਤ ਪਰਵਾਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਮਗਰ ਧਿਆਨ ਰਵ੍ਹੇ ਉਸਦਾ ਸੌ ਕੋਹ ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮੀਨ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ—ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ (cheers) ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਲ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਲੁਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਲੁਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (Hear, hear) ਮੇਰੇ resolution ਵਿਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ—ਇਕ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਹਾਗ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦਲੀਲ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਭੈਣ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਦੀ ਭਿਣਕ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਘਰ ਵਸਦੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ—ਛੁਟਾਂ (divorces) ਕੋਈ ਇਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ (*Interruptions*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਛੜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ position ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬੜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ]

ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਛੜੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ section ਵਿਚੋਂ ਲੜਕੀ ਪਰਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਮਦਨ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ chances ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ, ਅਜਕਲ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਵੇਖ ਲਉ ਕਿ ਜਿਸ ਛੜੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਪਰਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸ resolution ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ chances ਔਰ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਔਰ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ *(Interruptions)*

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ resolution ਵਿਚ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ Union Government ਪਾਸ ਭੇਜੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ House ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ support ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸ House ਵਿਚ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ Union Government ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਕੀਨ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਰਵਾਣ ਚੜ੍ਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ resolution ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Deputy Speaker : Is it the pleasure of the House that the honourable Member be allowed to withdraw his resolution?

(*Voices : No. No.*)

Mr. Deputy Speaker : Then I will put the resolution to the vote of the House. First I will put the amendments and then the resolution.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

At the end for "and economic structure of the State" substitute "domestic and economic structure of the people of Punjab State".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

In line 5 for "daughter" substitute "female" In lines 7-8 between "father-in-law and "after" insert "husband".

The motion was, by leave, withdrawn

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Sardar Bhupinder Singh Mann : On a point of order, Sir. When I have moved that I may be permitted to withdraw my resolution, amendments need not have been put.

Mr. Deputy Speaker : The House has not permitted you to withdraw the resolution.

When an objection has been raised, the resolution must be put to the vote of the House.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

This Assembly recommends to the Government to approach.....

Sardar Bhupinder Singh Mann : On a point of order, Sir.

Mr. Deputy Speaker : You can only withdraw the resolution with the pleasure of the House. When an objection is raised, the resolution is put to the vote of the House.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I again rise on a point of order. When I have moved that I may be permitted to withdraw the resolution, the Presiding Officer has to put that motion to the vote of the House.

Mr. Deputy Speaker : I have already given my ruling. Since you were not permitted by the House to withdraw the resolution, it will be put to the vote of the House.

Mr. Deputy Speaker : **Question is —**

This Assembly recommends to the Government to approach the Union Government with the request that the Hindu Succession Act, 1956, may be amended in such a way that the daughter instead of becoming a shareholder in the property of her father, be made a shareholder in the property of her father-in law after her marriage to save the social and economic structure of the State.

The motion was carried.

6-30 p.m.

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 22nd April, 1960).

8967 PVS—349—7-9-60—C., P. and S., Pb., Chandigarh

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha
Debates

22nd April, 1960

Vol. 1— No. 35

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 22nd April, 1960.

Price : Rs.2.95 N.P.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 35, DATED THE 22ND APRIL, 1960

(MORNING SITTING)

Read	*for*	*on page*	*line*
ਇਲਜ਼ਾਮ	ਇਲਜ਼ਾ	(35)1	last but one
Inspector	Iuspector	(35)2	23
representation	epresentation	(35)8	13
मैं	म	(35)12	29
?	;	(35)24	20
late	Date	(35)24	Foot note line 1
cannot	canot	(35)28	7th from below
ਸ਼ਰਮਨਾਕ	ਸ਼ਰਮਮਾਕ	(35)46	15
ਕਾਨੂੰਨ	ਕੋਾਨੂੰਨ	(35)46	26
ਪੇਸ਼	ਪੇਜ਼	(35)60	1
Minister	Mini ter	Annexure 'A'	5

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 22nd April, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 9.30 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

Supplementaries to Starred Question No. 5759

श्री राम प्यारा : क्या गवर्नमैंट के पास कोई इस किस्म की representation आई है कि ज़मीन खराब है और ग़लत approve की गई है ?

उप मंत्री (श्री यशवन्त राए) : जी नहीं ।

मुख्य मंत्री : नोटिस दीजिए ।

श्री राम प्यारा : इन दोनों में से कौन सा जवाब ठीक है ?

उप मंत्री : Chief Minister साहिब ने कहा है कि नोटिस दीजिए ।

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

LETTING OF "ELLERSLIE" SIMLA TO HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT

*5761. **Sardar Atma Singh** : Will the Chief Minister be pleased to State whether Government have received any request from the Himachal Pradesh Government for being let the building of the Punjab Civil Secretariat at Simla, known as "Ellerslie" or for selling it to them; if so, when and the action, if any, taken thereon ?

Sardar Partap Singh Kairon : No such request has been received from the Himachal Pradesh Government. The position is that the Punjab Government started correspondence with the Government of India asking them to locate some of their offices to maintain the importance of Simla. A suggestion was received from the Government of India in this correspondence that "Ellerslie" be spared for the use of the Himachal Pradesh Government. It was explained by the Punjab Government that such a step would not meet the end desired by the Punjab Government which was to fill the gap created by the movement of Punjab Government offices by location at Simla of some of the offices of the Government of India. As a result of this persuasion the Government of India have decided to shift the offices of the Railway Board and with them several hundred families and have taken over the entire vacant accommodation in Ellerslie among other buildings.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਅਮਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾ. ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ?

Note—Starred Question No. 5759 with its reply appears in the debate I. I, No. 34, dated 21-4-1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮੁਖ] ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ?

ARREST OF PURE FOOD INSPECTOR, GURGAON, IN CONNECTION WITH CORRUPTION

*5746. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) Whether it is a fact that the Pure Food Inspector, district Gurgaon was arrested in connection with corruption; if so, whether his case has been decided and the result thereof ;

(b) whether Government have received any complaints of corruption against the other employees of the said department who were working with the said Pure Food Inspector; if so, the action taken thereon ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : (a) No. However, a case under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act was registered at Police Station Sadar, Gurgaon, on 31st August, 1959 against Shri Dwarka Nath Duggal, Government Food Inspector, and the case is being enquired into by the Vigilance Department. The Food Inspector is under suspension.

(b) Yes. The matter is under consideration of the Government.

पंडित श्री राम शर्मा : Part (B) में बाकी employees के बारे में भी पूछा गया है ।

उप मंत्री : एक peon जो Food Iuspector से attached था उस के खिलाफ भी शिकायत आई थी मगर साबत नहीं हुई ।

पंडित श्री राम शर्मा : किस अफसर ने enquiry की ?

उप मंत्री : District Health Officer, Gurgaon.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या शिकायत करने वाले को सबूत देने के लिये कहा गया ?

उप मंत्री : Papers वापिस किए थे जब आएंगे तो बताया जा सकेगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या सरकार को पता है कि शिकायत करने वाले हलवाई ने यह कहा है कि यह peon बहुत दिनों से रिश्वत ले रहा था ? क्या उस को बुला कर उस से पूछा गया ? उस को सबूत पेश करने का मौका दिया गया ?

उप मंत्री : मेरे पास तो अभी इतना ही जवाब है कि उस के खिलाफ शिकायत थी मगर साबत नहीं हुई ।

मुख्य मंत्री : मैं इस सिलसिले में एक general policy का ऐलान कर दूंगा कि जब कोई शिकायत करे तो enquiry के वक्त उसे बुला कर पूछा जाना चाहिये ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या ऐसा इस मामले के अन्दर किया गया या नहीं ?

उप मंत्री : मेरे पास जो जवाब है वह मैं ने दे दिया है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CADRES OF CLERKS IN HEALTH AND MEDICAL DEPARTMENTS

***5747. Shri Mangal Sein.— Pandit Shri Ram Sharma** } Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there are separate cadres of clerks in the Subordinate offices of the Punjab Health and Medical Department ;

(b) whether the seniority of clerks referred to in part (a) above is maintained separately in their respective cadres ;

(c) whether a clerk belonging to one cadre is transferred to another cadre without his giving an undertaking for foregoing senority for joining the new cadre as a new entrant ?

Shrimati Dr. Parkash Kaur (Deputy Minister) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No. If the transfer is made on administrative grounds, as a temporary measure.

RECOVERIES OF TACCAVI LOANS BY TAHSILDAR NAKODAR

***5762. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether Government received any complaints against the Tahsildar, Nakodar, district Jullundur, alleging the use of repression for making recoveries of Taccavi loans from the cultivators; if so, the details thereof;

(b) whether he is aware of the fact that a person named Uttam Singh died at Nakodar while in the custody of the Revenue authorities; if so, the circumstances under which the death took place ;

(c) whether any enquiry has been ordered in the case referred to in part (b) above; if so, when and the result thereof;

Giani Kartar Singh : (a) Yes; from Sarvshri Milkha Singh, Amar Singh, Lakha Singh and others of Nakodar Tahsil.

(b) Government are aware that one Uttam Singh died at Nakodar but the exact circumstances under which and where actually, he died, are yet under investigation;

(c) Yes; final result of enquiries is still awaited.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ representation ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Minister for Revenue : A complaint from Sarvshri Milkha Singh and others was received by the Chief Minister wherein certain allegations against Shri Mohinder Singh, Tahsildar, Nakodar, were levelled.

ਇਨੀ ਹੀ information ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ । ਉਤੱਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਵਿਚ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ harsh ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ । ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾਲੇ ਚੁਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ...........

Mr. Speak r : No, no. आप बैठिए । यह subjudice होने वाली बात आप क्यों कर रहे हैं ? (No, no The hon. Member may please resume his seat. He should not bring into discussion this matter which is going to be sub-judice.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : Deserving cases ਵਿਚ ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਵਸੂਲੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ matter is under investigation. ਜਦ ਕਿ D. C. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਉਲਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ D. C. ਦੀ ?

Mr. Speaker : The hon. Member should take the information given by the hon. Minister as correct.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ investigation ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ enquiry ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ report ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ । ਇਕ enquiry police ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਸ ਦੀ report ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : Complete ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਇਹ enquiry ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ enquiry ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ suspend ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ action ਲੈਣ ਦੀ ਮਜਾਜ਼ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਨੂੰ transfer ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ transfer ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਨਾਲੋਂ better ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ transfer ਦੇ order ਕੀਤੇ ਸਨ । ਲਾਇਆ Commissioner ਨੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ।

INTEGRATION OF TEACHERS OF ERSTWHILE PEPSU IN DISTRICT-WISE CADRE

***5741. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for E uca-tion and Labour be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to integrate the teachers of erstwhile Pepsu areas in district-wise cadres ;

(b) whether Government have received any representation against the integration referred to in part (a) above; if so, the action taken thereon ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) No.

(b) Yes. The question does not arise.

PROMOTION OF SECTIONAL OFFICERS IN THE IRRIGATION BRANCH

***5744. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether any criteria for promotion of Sectional Officers in the Irrigation Branch have been fixed; if so, what ;

(b) the number of cases, if any, in which the said criteria was not followed in making the said promotions ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Yes. A Sectional Officer (Civil) becomes eligible for promotion as officiating Sub-Divisional Officer on completing 10 years equated service, worked out as follows :—

(i) Permanent service as Sectional Officer — Counted as full.

(ii) Temporary service as Sectional Officer — Counted as half.

(iii) Credit for passing Departmental Examinations — One year for each of the two such examinations.

(iv) Credit for Engineering Degree — Four years.

The names of officers who become eligible for promotion are considered for appointment as offg. Sub-Divisional Officer on the basis of seniority and merit.

The Mechanical Sectional Officers are considered for promotion as officiating Sub-Divisional Officers after putting in total 8 years' service.

(b) Nil.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि, जैसा कि जवाब दिया गया है कि civil वालों को 10 साल के बाद promotion दी जाती है और Mechanical वालों को 8 साल बाद promotion दी जाती है, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिन को 8 साल के बाद promotion दी जाती है क्या आठ साल के बाद उन को कोई training दी जाती है या वैसे ही लगा दिये जाते हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : जो सवाल पूछा गया था उस का जवाब दे दिया गया है, इस के लिये अलग notice चाहिये ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूँ कि आखिर उन को 8 साल के बाद promote कर दिया जाता है क्या इस 2 साल के अर्से में कोई training भी दी जाती है या नहीं ।

मंत्री : 8 साल काम करने के बाद वह इतने eligible हो जाते हैं कि उन्हें और कोई training की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ।

पंडित श्री राम शर्मा : आखिर eligible होने के कोई ऐसे case मिलते हैं भी. . . . (*Interruption*)

श्री अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं ? आप वकील की तरह cross-examine करने लगे हैं, information आप को चाहिये थी वह दे दी गई है । Minister साहिब 2-3 दफा सारी बात बता चुके हैं । (What does the hon. Member want. He has started cross-examining like a lawyer. He wanted information and that has been given. The hon. Minister has stated the whole position two or three times.)

———

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CONSTRUCTION OF RAMP ON THE DHUSI BUND

***5763. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to construct a ramp on the Dhusi Bund in front of village Sujokalia, district Kapurthala; if so, the time by which it is likely to be finalized ;

(b) whether the department or the district authorities received any representations from the residents of the said village or from any other quarter for expediting the construction of the said ramp; if so, the details thereof and the action taken thereon so far ;

(c) whether any land owner created any obstruction in the construction of the said ramp; if so the steps taken or proposed to be taken by Government to overcome this obstruction ?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) Yes. The construction of ramp will be completed by the end of April, 1960.

(b) Yes. The residents of village Sujokalia sent a representation in this connection. The work of constructing ramp is in progress.

(c) Yes. The matter was referred to the Superintendent of Police, Kapurthala who deputed Station House Officer, Sultanpur to handle the matter. The work is in progress now.

FEROZEPORE MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE SOCIETY, FEROZEPORE

***5748. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Community Development be pleased to state —

(a) whether it is a fact that various complaints have been received by Government against the Ferozepore Multipurpose Co-operative Society, Ferozepore, which was formed in 1956; if so, the action taken thereon ;

(b) whether the society referred to in part (a) above took a loan from the Central Co-operative Bank, Ferozepore; if so, the amount thereof ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes. Two complaints were received. Enquiry against the working of the society has been ordered under section 39 of the Co-operative Societies Act, 1954.

(b) Rs. 6,200/- were taken. Rs. 3,000/- have been repaid. Balance is payable on 10th July, 1960.

पंडित श्री राम शर्मा : यह enquiry कब से हुई है, क्या कुछ याद है ?

मंत्री : जिस वक्त case complete हुआ था उस वक्त enquiry शुरू हुई थी

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

REPRESENTATION AGAINST BAN ON THE EXPORT OF GUR OUTSIDE 15 MILES OF ROHTAK

*5753. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Community Development be pleased to state whether Government have recently received any representations from the zamindars and dealers of Rohtak area against the imposition of ban on the export of Gur beyond 15 miles of Rohtak; if so, the action taken thereon ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) No.
(b) Does not arise.

किसी ने दरखास्त नहीं दी । लेकिन ban उठा लिया गया है ।

श्री मंगल सेन : जनाब, मैं ने representation अपने हाथ से दी थी मगर यह "No" कह रहे हैं । क्या कोई मंत्री ऐसा जवाब House में दे सकतें हैं जब कि मैं ने अपने हाथ से epresentation दी थी ?

श्री अध्यक्ष: कब दी थी, आप ने ? (When did the hon. Member give it?)

श्री मंगल सेन : तीन, चार हफ्ते हो गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : मगर यह सवाल तो पंडित जी का है । (But that question relates to Pandit Ji.)

श्री मंगल सेन : जनाब इन के सवाल के जवाब में मुझे कहना पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : अगर सवाल का जवाब आपकी दरखास्त से पहले आ गया हो तो कौन ग़लत है । (If the reply to the question is found to have been received earlier then the submission of his representation, then who should be considered as wrong ?

श्री मंगल सेन : अगर मैं दरुस्त नहीं हूँ जनाब, तो जो मर्ज़ी सज़ा दें ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा पता कर लेंगे । पहले Minister तो जवाब दें कि ban क्यों लगाया गया था । (Very well. We shall make enquiries but let the hon. Minister first reply as to why the ban was imposed.)

मंत्री : यह इस लिये लगाया गया था कि Co-operative Mill को गन्ने मिलते रहें । मगर अब ban उठा लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष: पंडित जी का सवाल 2-3 April को आ गया था, मगर आप 2 हफ्ते छुट्टी पर रहे, इस लिये उस की तारीख बदल कर अब जवाब के लिये रखा गया है । आप भी दरुस्त हैं, और वह भी दरुस्त हैं । (This question sent by Pandit ji had been received in this office on the 2nd or the 3rd of April, but the hon. Minister being away for 2 weeks its date was changed and fixed for today for reply. Both the hon. Member and the hon. Minister are right.)

श्री राम प्यारा : क्या यह बताया जायेगा कि जैसा कि Minister साहिब ने कहा कि उठा लिया गया है, आखिर बैन उठाने की वजुहात क्या हैं ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मंत्री : यह ban हिंद सरकार की मन्ज़ूरी से लोगों पर लगाया गया था क्योंकि मिल बंद हो गई थी और यह हिदायत की गई थी कि लोग आपनी ज़रूरत से ज़्यादा गुड़ की export न कर सकें । यह पाबन्दी 15 मील के area में लगाई गई थी ।

AUDIT OF ACCOUNTS OF THE PANCHAYATS IN THE STATE

***5765. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Community Development be pleased to state —

(a) the total number of Panchayats in the State district-wise at present ;

(b) whether the accounts of all the said Panchayats have been audited; if not the reasons therefor, and the steps being taken to have the accounts of such Panchayats audited ;

(c) the number of the said Panchayats whose accounts were audited during 1959-60 and the details of the main audit objections found ;

(d) the names of the Sarpanches against whom cases of embezzlement and corruption in Panchayat Funds have been established during the year 1959-60 with the action taken against them so far; in case no action has been taken the reasons therefor ;

(e) the steps the Government propose to take to have the accounts of all the Panchayats in the State audited every year ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) A list giving the desired information is laid on the Table of the House.

(b) The accounts of all the Panchaayts which were subject to audit have been audited. The latter part of the question does not arise.

(c) 3631. The details of main audit objections will be incorporated by the Examiner, Local Fund Accounts, Punjab, in the annual report for 1959-60, which is under compilation.

(c) The information is not yet available, as the cases are still being investigated.

(e) The accounts of all Panchayats in erstwhile Pepsu State area are audited every year. In the erstwhile Punjab area, the accounts of Panchayats having an annual income of Rs. 500/- are audited every year while panchayats having an annual income ranging between Rs. 250/- to Rs. 500/- are audited once in three years.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Community Development]

District-wise list of Number of Panchayats in the State

S.No.	Name of District	No. of Panchayats
1	Patiala	.. 470.
2	Sangrur	.. 511
3	Kapurthala	.. 138
4	Mohindergarh	.. 232
5	Bhatinda	.. 357
6	Amritsar	.. 850
7	Gurdaspur	.. 709
8	Hoshiarpur	.. 1,055
9	Kangra	.. 606
10	Ludhiana	.. 553
11	Ferozepur	.. 1,014
12	Jullundur	.. 778
13	Ambala	.. 784
14	Karnal	.. 723
15	Gurgaon	.. 811
16	Hissar	.. 682
17	Rohtak	.. 634
	Total	.. 10,907

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1959 ਵਿਚ village ਖਾਲੂ ਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਗ਼ਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕੋਈ action ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦਾ separate ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ case ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੇਰੀ correspondence department ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੈਂ Director ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੋ D. O. ਨਵੰਬਰ 1959 ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪਰ ਉਹ acknowledge ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

श्री अध्यक्ष : आप तकरीर न किया करें । (The hon. Member should not start making a speech, while asking supplementaries.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਬਨ ਦਾ case register ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ inquiry ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ case register ਕਰਾਂਗਾ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : Hon. Member ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ C. I. D. ਦੀ inquiry prosecution ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਉਹ inquiry ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

TOUR PROGRAMMES OF THE MINISTERS AND THE DEPUTY MINISTERS.

*5771. **Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Chief Minister be pleased to state the dates spent on tours by all the Ministers and the Deputy Ministers of Punjab during the year 1959-60 with the places visited by them on each date ?

Sardar Partap Singh Kairon : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefit desired to be obtained.

ਚੋਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : I would like this answer to be given on such questions in future also.

(*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਦੀ definite ruling ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ reply ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ time ਤੇ labour involved ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ questions admit ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ Secretariat । ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ questions ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ time and labour involved ਹੈ ।

Mr. Speaker: No, it is not for me to see this.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਜਦ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ question ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ Government machinery ਨੂੰ activate ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ Government ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇ right ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : Speech ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ । (The hon. Member may not make a speech on it.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : जनाब क्या हम मिनिस्टरों के tour के बारे में नहीं पूछ सकते ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि आप के सवाल इस nature के होते हैं कि ऐसे सवालों का जवाब देने के लिये काफी समय लगता है। According to rules I have to admit them. मैं मैम्बर साहिबान को बता दूं कि मैं ने इस बारे में एक committee बनाई थी जिसने अपनी report इस हाउस में circulate की थी। लेकिन मुश्किल यह है कि मैंम्बर साहिबान की memory कुछ weak मालूम होती है वे भूल जाते हैं। I know that the Speaker can not force a Minister to answer a question. मेरा आपसे कहना यह है कि एक ही session में एक तरह का question एक ही बार पूछा जाये तो ठीक है।

(The thing is that the questions asked by the hon. Members are of such nature as require a lot of time for the preparation of a reply. According to the rules I have to admit them. I may tell the hon. Members that I had set up a committee in this connection which duly presented its report to the House. But the difficulty is that the members' memory is somewhat weak and they forget things. I know that the Speaker cannot force a Minister to answer a question. However, I would like to tell them that it would be better if questions of a similar nature are asked once in a Session.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Parliament ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ Minister ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ।

श्री अध्यक्ष : आप एक नए Parliamentarian आ गए। ऐसा कहीं नहीं है। (The Speaker has no authority to force a Minister to answer a question. The hon. Member appears to be a new type of Parliamentarian. No where this is so. The Speaker has no authority to force a Minister to answer the question.)

श्री राम प्यारा : कुछ न कुछ convention तो जनाब इसके लिए बनानी ही पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: आप इस चीज़ को Party म रक्खें हाउस में नहीं। (The hon. Member may raise this matter in the Party meeting not in the House.)

PURCHASE OF LAND IN VILLAGE BANSI, DISTRICT ROHTAK, FOR HARIJAN AGRICULTURAL COLONY

*5770. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total area and quality of land i.e. Nehri and Barani separately purchased in village Bansi, district Rohtak for setting up of a Harijan Agricultural Colony between the years 1956 and 1958, with the price per acre paid in each case ;

(b) whether any complaint has been received against the District Harijan Welfare Officer, Rohtak, in connection with the purchase of the land mentioned above; if so, the details thereof and the action taken by the Government thereon ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Professor Yashwant Rai (Deputy Minister) : (a) ———

(i) 1956-57

Total area purchased	.. 120 acres
Nehri	.. 80 acres
Barani	.. 40 acres
Price paid	.. Rs. 900/- per acre for both Nehri and Barani combined.

(ii) 1957-58

Nil

(b) Yes. Complaints were received from certain members of the Scheduled Castes Agricultural Co-operative Society, Rohtak, to the effect that the land purchased for them was different than the one actually shown to them and that the price paid therefor was also excessive. Following an enquiry, Shri Harwant Singh the then District Welfare Officer was charge-sheeted. His explanation was considered unsatisfactory and the Additional District Magistrate, Rohtak, was appointed as an Enquiry Officer to hold a departmental enquiry into the allegations levelled against him. The report of the Enquiry Officer has since been received and is under consideration.

10. 00 a.m.

श्री राम चन्द कामरेड : क्या Deputy Minister साहिब बताएंगे कि यह सरदार हरवन्त सिंह वही हैं जिन का कल ज़िक्र हुआ था फीरोज़पुर के मुताल्लिक ?

उप मंत्री : जी हां ।

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो ज़्यादा पैसे दे कर नाकस ज़मीन खरीदी गई है उस के सिलसिले में जिस आदमी का कसूर था उस के खिलाफ कुछ action लिया है ।

उप मंत्री : हां जो enquiry हुई थी और हम ने उस welfare officer को charge sheet किया था ।

श्री राम प्यारा : क्या इस के लिए कोई advisory committee भी थी, अगर थी तो उस ने अपनी approval दी थी ।

उप मंत्री : हां जी advisory committee थी । उन्हों ने approval दी थी ।

श्री राम प्यारा: उस advisory committee के कौन कौन members थे।

उप मंत्री : उस के members थे Assistant Registrar, Revenue Assistant, District Agriculture Officer, District Welfare Officer and two representatives of the beneficiaries.)

श्री राम प्यारा : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उस ज़मीन की मिट्टी लेकर test की गई थी ।

उप मंत्री : Test तो ज़रूर किया जाता है । जो ज़मीन पहले देखी थी वह यह ज़मीन नहीं थी । इस लिये हम ने Welfare Officer के खिलाफ action लिया है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि test उस ज़मीन का हुआ था जो खरीदी गई है या किसी और ज़मीन का हुआ ।

उप मंत्री : Welfare Officer ने ज़मीन देते वक्त खराबी की थी । उस को हम ने इसी लिए पकड़ा हुआ है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Deputy Minister साहिब बतायेंगे कि जब Welfare Officer ने ज़मीन दी थी तो कायदे के मुताबिक माल अफसर ने इस बात की तसल्ली कर ली थी कि यह ज़मीन वही है या बदल गई है ।

उप मंत्री : पहले तो यह ख्याल ही नहीं था कि ऐसा भी किया जा सकता है । इस चीज़ का तो बाद में पता लगा था । (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : Order please. अगर hon. Members ने आपस में बातें करनी हैं तो वह बाहिर जा कर करें वर्ना मुझे एक एक को name करना पड़ेगा । जो इस तरह House की कार्यवाई को disturb करते हैं । यह कोई club नहीं है आप House में बैठे हुए हैं । जब आप अन्दर आते हैं तो दरवाज़ा को भी ज़ोर से मारते हैं । यह ठीक नहीं है । (Order please. If the hon. Members have to indulge in talking they can do so outside the Chamber, Otherwise I shall be obliged to name the hon. Members one by one who thus disturb the deliberations of the House in this way. This is not a club. They are sitting in an August House. It is a matter of regret that when they enter the chamber, they bang the door. This is improper.)

INSPECTION OF FACTORIES BY THE JOINT DIRECTOR OF INDUSTRIES IN ROHTAK DISTRICT

***5775. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the names of the places visited and the names of factories inspected by the Joint Director of Industries Punjab, in the District of Rohtak during the period from Ist January to 31st December, 1959.

(b) whether all the recommendations made by the said Joint Director for the grant of essentiality certificates as a result of the inspections mentioned in part (a) above have been accepted; if not the cases in which recommendations have not been accepted ?

Shri Mohan Lal : (a) The Joint Director of Industries, Punjab, visited Rohtak District on six occasions during the year 1959. Two of these visits were to Rohtak town and four to Sonepat. Three of the four visits to Sonepat, and one of the two visits to Rohtak involved visits to factories, but a list of the factories has not been maintained.

(b) None of these visits related to the verification of applications for essentiality certificates, and the question of acceptance or rejection of his recommendations in respect of essentiality certificates as a result ot these visits does not, therefore, arise.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जिन factories को Joint Director ने visit किया था उन को essentiality certificates दिए गए हैं ?

मंत्री : यह सवाल आप कहां से पूछ रहे हैं । मैं ने तो अपने जवाब में ऐसी बात नहीं कही ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जब कोई officer किसी factory को visit करता है तो वह उस की list वग़ैरह maintain करता है या नहीं ।

मंत्री : ऐसे rules तो नहीं कि वह जो factories visit करे उन की list maintain करे । इस case में भी उस ने list maintain नहीं की ।

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जब कोई higher officer factories की inspection के लिये जाता है तो उस के साथ District Industries Officer जाता है या नहीं ?

मंत्री : कोई ज़रूरी नहीं । लेकिन अगर वह चाहे तो उस को साथ ले जा सकता है ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिन छः factories को Joint Director साहिब ने visit किया था उन को essentiality certificates दिए थे या नहीं ।

मंत्री : यह मैम्बर साहिब ने कहां से पढ़ लिया है । मैं ने तो यह अर्ज़ किया था कि उस ने 6 places six occasions पर visit कीं ।

श्री राम प्यारा : रोहतक District के लिये Joint Director साहिब ने जो essentiality certificate issue करने की recommendation की थी उन में से कितने मंज़ूर हुए हैं और कितने reject हुए हैं ।

Mr. Speaker This supplementary question does not arise.

INSPECTION OF INDUSTRIAL CENTRES IN SONEPAT BY THE MINISTER FOR INDUSTRIES

***5776. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the date when he visited Sonepat, district Rohtak, during the period from Ist January to 31st March, 1960, together with the names of the factories inspected or visited by him ;

(b) whether during the said period he visited any Industrial Centre which was previously sold by the Industries Department ; if so, for what purpose ;

(c) whether the case relating to the recovery of the price of the Industrial centre sold to Messers Bharat-Porcelain, Sonepat was referred to arbitration ; if so, the result thereof ?

Shri Mohan Lal : (a) (i) 29th January, 1960.
(ii) No factory was inspected or visited.

(b) No.

(c) Yes, the Arbitrator has given his award in favour of Government allowing the amount due.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि recovery के लिये award दिया जा चुका है। क्या वह बताएंगे कि क्या इस award के दिए जाने के बावजूद गवर्नमैंट ने हिदायतें कर दी हैं कि किश्तों में payment कर दो ?

मंत्री : नहीं कोई ऐसा order नहीं हुआ ।

श्री राम प्यारा : क्या इस पार्टी ने गवर्नमैंट को represent किया कि उनसे instalments में recovery की जाए ?

मंत्री : हां, किया हुआ है ।

श्री राम प्यारा : उस representation पर क्या action लिया जा रहा है ?

मंत्री : अभी फैसला नहीं हुआ है ।

LOANS AND DEBENTURES AGAINST SUGAR MILLS

*5768. **Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Industries be pleased to state —

(a) the total amount of loan and debentures standing against each Sugar Mill in the State at present, the total amount of interest in arrears, in each case, the date since which it has been in arrears and the reasons therefor ;

(b) Whether the interest due from any of the said Mills has been remitted as is proposed to be remitted; if so, how much in each case, the names of such Mills together with the names of those who are on their managements and the reasons for such remission ;

(c) the steps taken or proposed to be taken to effect recoveries of loans and interest, the latter from those in whose cases it has not been remitted and the period within which recoveries are expected to be completed ?

Shri Mohan Lal : It is presumed the question relates to Sugar Mills other than those in the Co-operative Sector. The necessary information in respect thereof is laid on the Table of the House.

(a) (i) No loan is outstanding against any Sugar Mill in this State. The following amounts are, however, outstanding as debentures—

1. Hamira Sugar Factory	..	Rs. 20 lacs
2. M/s. Malwa Sugar Mills, Dhuri	..	Rs. 10 lacs
Total	..	30 lacs

(ii) Amount of interests in areas and since when it is due -

Name of Mill	Amount due.	Since when it is due.
	Rs	
1. Hamira Sugar Factory.	1·15 lacs	31.12.56
	1·20 ,,	31.12.57
	1·20 ,,	31.12.58
	1·20 ,,	31.12.59
Total	Rs.4.75 ,,	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

2. M/s. Malwa Sugar Mills, Dhuri. Rs. 0.30 lacs 31.1. 1960.

(iii) Reasons.

1. Hamira Sugar Factory.

The Sugar factory at Hamira worked for a short period and then it had to close down. This resulted in loss to the factory and they could not pay the interest in spite of persistent efforts made by the Government.

2. Ms. Malwa Sugar Mills, Dhuri.

The arrear is of only a recent origin and it is hoped that these will be cleared by the Company, shortly.

(b) No. The remission of interest to any of the Surgar Mills, has not been allowed as such. However, in the case of Hamira Sugar Mills the total amount recoverable from the Company i.e. amount of debenture plus interest was worked out, and as there were no chances of the recovery of the entire amount from the assets mortgaged in lieu thereof an adhoc decision has been taken to recover Rs 20 lakhs from the sale of these assets subject to specific performance of the terms of sale. It being not possible to recover the balance, it may have to be forgone.

(c) Necessary action to realise interest is being taken.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ debentures ਜਾਂ loans ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ property mortgage ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਨੀ value ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

मंत्री : सपीकर साहिब, यकीन के साथ तो मैं इस वक्त नहीं कह सकता कि कितना amount security का लिया जा सकता है इस के लिये तो नोटिस की ज़रूरत है लेकिन मैं general तौर पर कह सकता हूं कि sufficient security जो loan या debentures को recover करने वाली हो उसको ध्यान में रखा जाता है ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ debentures ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੀਰਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿਤਨੀ property mortgage ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ property ਕੀਤੀ ?

मंत्री : इस के खिलाफ जो property ली थी वह machinery वगैरह थी जो उन्हों नें उस मिल में लगाई थी ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ debentures ਸਰਕਾਰ ਨੇ advance ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ machinery ਨੂੰ purchase ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो पौने पांच लाख रुपया उनको सूद का छोड़ना पड़ रहा है यह मजबूरी क्यों आई है और जो security वगैरह उन्हों ने ली थी उसमें क्या कमी रह गई थी ?

मुख्य मंत्री : एक तो security in sufficient थी दूसरे जो agreement हुआ था उसमें पूरी तरह जो चीजें लानी चाहियें थीं वह नहीं लाई गई इस लिये जो मालिक है उसकी मशीनरी का तो हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन दूसरी चीज़ों का कुछ नहीं कर सकते हैं। यह कमी रही है। जितना रुपया हम उस से निकाल सकते थे वह निकाल लिया है और अगर वह भी न निकालते तो सारा ही रह जाता।

पंडित श्री राम शर्मा : गर्वनमैंट को जो यह नुकसान हो रहा है उस की ज़िम्मेदारी किस पर है और उस के लिये गर्वनमैंट कया कर रही है ?

मुख्य मंत्री : मेरा ख्याल है इस की सारी ज़िम्मेदारी पैपसू के सारे पुराने M. L. As. पर है। (हंसी)

पंडिय श्री राम शर्मा : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या वज़ीरों की कोई ज़िम्मोदरी नहीं है ?

मुख्य मंत्री : वज़ीर भी उस वक्त के M. L. As. में से ही थे।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ debentures ਦਿਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ?

मंत्री : वह बेच दी गई है।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕਿਤਨੇ ਵਿਚ ?

डाक्टर परमा नन्द : चीफ मिनिसटर साहिब ने फरमाया है कि सूद का पोने पांच लाख रुपया इस लिये माफ कर दिया है कि इस की ज़िम्मेदारी पैप्सू के पुराने मैम्बर की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यह उनकी ज़िम्मेदारी है तो क्या यह रुपया उन से वसूल करने का इन्तज़ाम किया जा रहा है। (हँसी)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੌਰਮੇਂਟ ਨੇ ਜੋ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਧੂਰੀ ਦੀ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ . . . .

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਸਪੀਚ ਨ ਕਰੋ (ਹਾਸਾ) (Addressing Sardar Kartar Singh Diwana) (The hon. Member should not start making a speach) (*Laughter*)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मंत्री : चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह बात मज़ाक में कही थी इस लिये मज़ाक को समझना चाहिये ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह मशीनरी कितने की थी और वह कितने में बेची गई ?

मंत्री : जितना हमारा amount due था यानी advance किया था उतने में बेच दी गई ।

श्री बलराम दास टंडन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि पैप्सू के किसी मैम्बर ने या गवर्नमैंट और उसके किसी अफसर ने लिख कर दिया था कि इस कीमत की property security के नाते रख लो ?

श्री राम प्यारा : क्या वह मशीनरी सारी की सारी गवर्नमैंट ने बेच दी या मालिक मिल भी उसमें से कुछ हिस्सा या parts वग़ैरा ले गया है ?

मंत्री : गवर्नमैंट को इस चीज़ को कोई information नहीं है कि हिस्सा ले गया या नहीं लेकिन हम ने जो debentures advance किए थे उनका कुछ interest हम वसूल कर चुके थे और उसके इलावा जो मशीनरी थी वह 20 लाख में transfer कर दी ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਚਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਵੇਚ ਲਏ ਸਨ ?

Mr. Speaker : This is not relevant.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?

Mr. Speaker: No please. This is not relevant.

मौलवी अब्दुल गनी डार : यह मशीनरी नीलाम की गई है या टेंडर मांगे गए ?

मंत्री : जो सेल हुई है वह गवर्नमैंट ने नहीं की वह party concerned ने negotiations के साथ की है ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : अगर आप के पास ज़मानत थी तो क्या उसकी जायदाद से वसूली नहीं हो सकती थी ?

मंत्री : इस पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट श्री मेहर चन्द महाजन ने opinion दी थी कि जिस हद तक गवर्नमैंट pledged है उसी हद तक रुपया वसूल हो सकता है उस के इलावा दूसरी property से वसूली नहीं की जा सकती । यही वजह थी कि गवर्नमैंट ने मुनासब समझा कि litigation को avoid किया जाए और जितनी वसूली negotiation से हो सकती है वह कर ली जाए वरना रुपया खतरा में था ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਮਾਲਵਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?

मंत्री : मैं ने बताया है कि 10 लाख का debenture दिया गया है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?

श्री अध्यक्ष : जब से आप M. L. A. बने हैं उस के बाद । (It was given after the hon. Member became an M.L.A.).

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ?

मंत्री : यह मैं ने बता दिया है ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : Amount ਕਿਤਨੀ ਹੈ ?

मंत्री : 20 लाख रुपया गवर्नमेंट ने recover किया है ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ insufficient security ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ insufficient security ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ inquiry ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਪਾਏਗੀ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ M. L. As ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਕੈਂਡਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ? ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪਿਆ 20 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੂਦ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

REPRESENTATION FROM CITIZENS OF KAPURTHALA

***5767. Sardar Atma Singh** : Will the Minister for Industries be pleased to state whether Government have received any representation from the citizens of Kapurthala against the levy of House Tax; if so, when, and the action; if any, taken thereon ?

Prof. Yashwant Rai (Deputy Minister) : Yes. On the 5th April, 1960 The matter is under consideration.

LOANS ADVANCED TO WORKMEN IN INDUSTRIAL CENTRES

***5769. Shri Ram Chandra Comrade** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) the names of the Industrial Centres in the State where loan has been granted to the workmen thrown out of employment due to recent shortage of electric supply in the State during the period from December, 1959 to 31st March, 1960 ;

(b) the amount of such loan actually advanced to each Centre along with the number of workmen to whom the loan has been advanced ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(c) whether any complaints have been received from workmen against the procedure for advancing loans to in dustrial workers; if so, what, and the act on taken thereon ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) Nil.

(b) Does not arise.

(c) Yes. Some workers' Unions complained that certain employers were not willing to stand sureties for their workmen. The Government have since modified the procedure. The worker is now required to furnish surety of one Municipal Commissioner and of a propertied person or two propertied persons where employer is not prepared to stand surety.

श्री बलराम दास टन्डन : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि 10 लाख में से अभी तक कितना रुपया as loan labourers को दिया गया ?

मंत्री : Up to date information के लिये inquiry करनी पड़ेगी क्योंकि यह जवाब पहले तैयार हो चुका था ।

SUSPENSION OF OFFICERS OF IRRIGATION DEPARTMENT

***5774. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the number and names of Sub-Divisional Officers and other officers, above the rank of Sub-Divisional Officers of the Irrigation Department who were suspended from January, 1956 to date and the names of those who have been reinstated together with the dates when each of them was suspended and reinstated separately ;

(b) the amount paid as arrears of pay etc. to those referred to in part (a) above who have been reinstated and the amount payable to those who have been reinstated but to whom arrears have not yet been paid ;

(c) the number and names of those mentioned in part (a) above who have been dismissed ;

(d) the names of those referred to in part (a) above against whom enquiries are still pending and the names of those who have died during the period of suspension?

Shri Dalbir Singh (Deputy Minister) : (a) The number of such officers is twelve. A statement showing their names and the dates from which they have been under suspension is placed on the Table of the House. None of these officers has so far been reinstated.

(b) Question does not arise.

(c) Nil.

(d) Cases against all the officers except Shri Kapur Chand, S.D.O., are still under enquiry. None of these officers has died.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Statement of Officers of Irrigation Department under suspension since 1st January, 1956

Serial No.	Name	Date of suspension
1	Shri Ram Saran Dass, Officiating Executive Engineer	.. 17th September, 1956
2	Shri K.K. Jaggia, Temporary Engineer (S.D.O.)	.. 16th May, 1956
3	Shri J.R. Tandon, Executive Engineer	.. 13th November, 1956
4	Shri J.S. Gill, Officiating Executive Engineer	.. 22nd May, 1957
5	Shri Suraj Parkash Gupta, Temporary Engineer S.D.O.	.. 22nd December, 1958
6	Shri Maha Ram Verma, Temporary Engineer S.D.O.	.. 2nd October, 1958
7	Shri D.C. Bahl, Officiating Superintending Engineer	.. 21st November, 1959 (after-noon)
8	Shri Ram Lal Anand, S.D.O.	.. 13th November, 1959 (after-noon)
9	Shri R.N. Rawla, Temporary Engineer (S.D.O.)	.. 8th April, 1960
10	Shri Madan Mohan Maini, S.D.O.	.. March, 1960 (Exact date being ascertained from the S.E.)
11	Shri Lekh Raj Shiv, S.D.O.	.. 23rd October, 1957
12	Shri Kapur Chand, S.D.O.	.. 26th June, 1957

श्री राम प्यारा : जो 12 नाम list में दिए गए हैं क्या इन के इलावा S.D.O. से ऊपर का कोई आदमी suspend नहीं किया गया ?

सिचाई तथा बिजली मंत्री : नहीं हुआ । List में साफ जवाब दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : राओ साहिब आप जरा शान्ति से बोला करें । (The hon. Minister may please speak with calmness.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ suspend ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ?

मंत्री : अभी उन की inquiry चल रही है ।

श्री राम प्यारा : वे कौन सी वजूहात हैं कि inquiry अभी तक complete नहीं हुई ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मंत्री : मुख्तलिफ वजूहात हैं। किसी खास केस का पता करें तो बता सकूंगा। Vigilance department inquiry कर रहा है और कुछ notices of dismissal दिए जा चुके हैं।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ cases ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ expedite ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਕਿ suspension ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ।

RATES BEING CHARGED BY BUS OPERATORS AT AMRITSAR-BATALA ETC. ROUTES

*5773. **Shri Balram Das Tandon** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the rates being charged by the Private Bus Operators from the passengers from Amritsar to Batala, Batala to Gurdaspur and from Gurdaspur to Pathankot together with the actual mileage of each of these routes ;

(b) whether the Private Bus Operators referred to above have approached the Government to allow them to charge reduced rate for the Amritsar-Pathankot Route; if so, with what result ?

Rao Birendar Singh : (a) —

Name of the route	*Bus fare including passenger tax*	*Mileage*
Amritsar-Batala	.. 88 nP.	24
Batala-Gurdaspur	.. 88 nP.	20
Gurdaspur-Pathankot	.. 88 nP.	23

(b) No.

श्री बलराम दास टन्डन : क्या कारण है कि एक जगह 20 मील के 88 पैसे चार्ज किए गए और दूसरी जगह पर 24 मील के 88 पैसे ?

मंत्री : Minimum और maximum fare fix किए गए हैं। बटाला से गुरदासपुर 7 पाई फी मील charge करते हैं और दूसरी जगह पर 6 पाई फी मील।

श्री बलराम दास टंडन : पार्ट (b) के जवाब में मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है 'No.' क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अगर operators इस बारे में approach करें तो क्या वह consider करने को तैयार होंगे।

मंत्री : जब कोई ऐसी दरखास्त आएगी तो बात करने को तैयार होंगे।

श्री अध्यक्ष : हम ने questions up to date खत्म कर लिये हैं। (We have finished the questions up to date.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਟ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

P.A.P. BAND, JULLUNDUR

2505. Sardar Atma Singh : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) with reference to the reply to unstarred question No. 2478 printed in the list of questions for 31st March, 1960 the total amount at present lying in the State Bank of India in the name of the authorities of the P.A.P. Band, Jullundur ;

(b) the details of the expenditure incurred by the authorities from Ist April, 1955 to 31st March, 1958 out of the amount deposited in the name of the said Band;

(c) whether the accounts of the Band Fund were audited each year; if so, by whom and the details of the main objections if any, raised by the auditors and the manner in which these have been met ;

(d) whether the salaries of the Band men are paid out of the said fund or from Government revenues ;

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A sum of Rs 89,628.30 nP. is at present lying in the State Bank of India, Jullundur City.

(b) The statement is enclosed.

(c) No.

(d) The salaries of Bands men are being paid from Government revenue.

Statement showing details of expenditure from Ist April, 1955 to 31st March, 1956

		Rs	A.	P.
Bank Charges on cheques received from various persons	..	1	4	0
Honoraria for 2 and 3/55 due to Accounts Branch Clerk for maintaining Accounts	..	20	0	0
Cost of band articles	..	64	12	0
Dry-cleaning of Band Uniform	..	46	14	0
Bank Charges	..	1	4	0
Cost receipt book for band	..	25	0	0
Dyeing charges of pipe band uniform	..	771	8	0
Cost of Band instruments	..	123	12	0
Bank Charges	..	1	8	0
Refund of band Charges	..	130	0	0
Repairs to Brass band instruments	..	394	0	0
Bank Charges	..	0	0	0
Bank Charges	..	0	12	0
Bank Charges	..	0	12	0
Refund of Band Charges	..	530	0	0
Bank Charges	..	2	0	0

Note : Reply to Unstarred Question No. 2506 having been received Date from the Government appears at the end of this debate in annexure 'A'.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

		Rs	A.	P.
Refund of Band Charges	..	130	0	0
Honoraria to Accounts Branch Clerk from 1st April, 1955 to 31st December, 1955	..	90	0	0
Cost of iron chairs, green fodder and cross-belts for deer	..	46	0	0
Repairing Charges of brass band instruments	..	382	0	0
Bank Charges	..	0	12	0
Cost of gram for deer	..	21	4	0
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
Building Charges of band	..	11	8	0
Cost of brass band instruments	..	3,509	14	0
Refund of pipe band charges	..	400	0	0
Bank Charges	..	2	0	0
Dyeing Charges of Brass Band Uniform	..	41	4	0
Bank Charges	..	1	0	0
Cost of pipe band articles	..	310	6	6
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
1956-57				
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
Cost of Nathinal Authern for Indonesia	..	10	5	0
Bank Charges	..	0	8	0
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
Cost of gram for deer	..	11	0	0
Cost of pipe band books	..	23	0	0
Bank Charges	..	2	12	0
Cost of bricks for the construction of a room for bucks	..	71	2	6
Cost of brass band instruments	..	1,180	0	0
Cost of material for photograph copies	..	41	7	0
Honoraria to Accounts Clerk	..	20	0	0
Cost of pipe band articles	..	146	13	0
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
Cost of 40 sets of pipe band uniform	..	8800	0	0
Bank Charges	..	1	12	0
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
Cost of gram for deer	..	11	0	0
Bank Charges	..	1	12	0
Cost of brass band music	..	79	9	0
Cost of wooden table for pipe band practice	..	92	0	0
Cost of uniform articles (Summer) for both bands	..	1487	8	0
Bank Charges	..	1	0	0
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
Cost of brass. etc. for pipe band	..	120	4	0
Refund of brass band	..	100	0	0
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
Bank Charges	..	2	0	0
Refund of brass band	..	130	0	0
Honoraria of Accounts Clerk	..	10	0	0
Cost of Uniform Articles etc. for pipe band	..	111	11	6
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
Cost of gram for deer	..	11	4	0
T.A. of Band	..	70	4	0
Bank Charges	..	2	8	0
Cost of 25 sets of Brass Band	..	5500	0	0
Cost of pipe and brass band instruments		353	8	0
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
Cost of Khaki drill for pipe band	..	59	10	0
Bank Commission	..	1	14	0
Cost of 25 suits of white drill for brass band	..	684	6	0
Repairing charges of brass band instruments	..	432	0	0
Cost of pipe band articles	..	323	4	9
Cost of brass band articles	..	629	7	0
Railway freight of brass band instruments	..	1	2	0
Honoraria to Accounts Clerk	..	10	0	0
Bank Commission	..	0	10	0
Cost of gram for deer	..	11	4	0
Cost of covers for pipe band instruments	..	100	0	0

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Chief Minister]

1957-58

		Rs. nP.
Honoraria to Accounts Clerk	..	10.00
Cost of pipe band articles	..	128.00
Bank Charges	..	6.52
Honoraria to Accounts Clerk	..	10.00
Mending charges of stag horns	..	6.00
Honoraria to Accounts Clerk	..	10.00
Bank Charges	..	0.63
Refund of Band Charges	..	100.00
Honoraria to Accounts Clerk	..	10.00
Dyeing charges of band uniform	..	60.87
Repair charges of brass band instruments	..	264.00
Bank Charges	..	1.61
Honoraria to Accounts Clerk	..	10.00
Refund of band	..	230.00
Bank Charges	..	0.63
Honoraria to Accounts Clerk	..	20.00
Refund of band charges	..	200.00
Bank Charges	..	3.96
Bank Charges	..	1.30
Honoraria to Accounts Clerk	..	10.00
Refund of band charges	..	230.00
Honoraria to Accounts Clerk	..	10.00
Refund charges of band	..	200.00
Cost of music journals	..	158.74
Honoraria to Accounts Clerk	..	10.00
Honoraria to Accounts Clerk	..	10.00
Bank Charges	..	4.00
Bank Charges	..	2.60
Honoraria to Accounts Clerk	..	10.00
Refund of brass band charges	..	26.00

POINT OF ORDER

श्री मंगल सैन : On a point of order, Sir. जनाब कल Hindu Succession Act के प्रस्ताव पर Treasury Benches को lose करना पड़ा और अपोज़ीशन की बात मानी गई इस लिये गवर्नमेंट को अस्तीफा देना चाहिये क्योंकि उन को शिकस्त हो गई है।

श्री अध्यक्ष : इस में point of order कौन सा आ गया और कौन सा procedure break हो गया। (What point of order is involved in it and what is there in it that infringes the procedure?)

THE PUNJAB COMPULSORY SERVICE BILL, 1960 (INTRODUCED)

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to introduce the Punjab Compulsory Service Bill.

REFERENCE OF THE PUNJAB COMPULSORY SERVICE BILL, 1960 TO THE REGIONAL COMMITTEES.

Minister for Irrigation and Power : Sir, I beg to move—

That the Punjab Compulsory Service Bill be referred to the Regional Committees, with a direction to make a report by the 1st August, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Punjab Compulsory Service Bill, be referred to the Regional Committees, with a direction to make a report by the Ist August, 1960.

श्री लाल चन्द : स्पीकर साहिब, आप ने जो Punjab Municipal Bill रीजनल कमेटी के सुपुर्द किया था उस के लिये 15 सितम्बर, 1960, की तारीख मुकर्रर की थी। अगर आप साहिब मुनासिब ख्याल करें तो इस बिल की date भी 15 सितम्बर कर दें।

Mr. Speaker : Question is —

That the Punjab Compulsory Service Bill, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 1st August, 1960.

The motion was carried.

THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) (SECOND AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1960

(RESUMPTION OF CONSIDERATION)

Mr. Speaker : Now the House will proceed with the next item on the Agenda and resume consideration of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Second Amendment and Validation) Bill, 1960. Chaudhri Dharam Singh Rathi was in possession of the House when it adjourned on the 20th April, 1960. He may resume his speech.

CLAUSE 7

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, कलाज़ 7 पर discussion चल रही थी और मैं कल इस पर अपने ख्यालात ज़ाहिर कर रहा था। मैं यह बतलाना चाहता हूँ स्पीकर साहिब, कि यह कलाज़ 7 क्यों लाई गई है। एक तो वह स्कीमें हैं जो पहले बनी हुई हैं —

any scheme in which land has been reserved for the Panchayats.

जो स्कीमें बनाई गई हैं उन स्कीमों के तहत ज़मीनें पंचायतों को दे दी हैं। हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट ने satisfy कर दिया है उन ज़मीनों के मुतअल्लिक जो पंचायतों को दी गई हैं। यह कहते हैं कि उस को validate किया जाए। जो ज़मीनें 1948 के बाद दी गई हैं उन्हें Civil Court ने नाजायज़ करार दे दिया है, High Court ने नाजायज़ करार दे दिया है। इस पर अमल भी हो गया है। वज़ीर साहिब कहते हैं कि जो स्कीमें तोड़ी गई थीं, उन्हें दोबारा शुरु किया जाए तो इस से hardship पैदा होगी। Civil Court के फैसले जो हो चुके हैं उन पर अमल दरामद हो चुका है। दोबारा. रद्दो बदल होगी तो इस से भारी uncertainty पैदा हो गी। लोगों का इस गवर्नमैंट से और गवर्नमैंट की कार्रवाइयों से एतबार उठ जाएगा। मेरे knowledge में है जहां कि

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

Civil Court ने स्कीमों को नाकारा बना दिया है। अब यह कहते हैं कि इस किस्म की स्कीमें थीं जिन से पंचायतों को ज़मीनें मिलनी थीं वे बहाल रखेंगे और अमल दरामद होगा। यह बड़ी hardship की बात है। मैं आप को instances दे सकता हूँ। मेरे अलाके में तीन गांव हैं जो साथ लगते हैं। इन तीनों गांवों के अन्दर लोगों ने अपीलें की हैं और हमारी गवर्नमैंट courts के फैसलों से satisfy हो गई है। आज यह कहते हैं कि सारी की सारी स्कीमें जो पहले बनाई गई हैं रद्द कर दी जाएं। इस का कारण क्या है? वज़ीर साहिब को शायद पता नहीं है इस का दूसरा कारण यह है कि उन के कुछ आदमी ऐसे हैं जो नाजायज़ कार्रवाइयां करते रहे हैं और स्कीमों को तुड़वाने के लिये कुछ लोगों से रुपया हासिल करते रहे हैं। मैं उन से कहना चाहता हूँ कि ऐसे आदमियों के मुफाद को कायम रखने के लिये गवर्नमैंट को बदनाम करते हैं। लोगों से यह लोग कहते हैं कि आठ नौ हज़ार रुपया जमा कर लिया है हम वज़ीर साहिब से कह कर स्कीमें रद्द करा देंगे और जो स्कीमें रद्द की हुई हैं उन्हें बहाल नहीं होने देंगे। इस सिलसिले में एक चिट्ठी भी पकड़ी गई है जिस में एक आदमी ने लिखा है कि चण्डीगढ़ आ जाइये आठ हज़ार रुपया ले कर मैं यह काम वज़ीर साहिब से करवा दूंगा। यह चिट्ठी पकड़ी गई और मैं यह चिट्ठी वज़ीर साहिब को दिखा सकता हूँ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : अब तक यह चिट्ठी क्यों छिपाए रखी है?

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह किस्सा मैं ने पहले सुना था लेकिन यह चिट्ठी मेरे कब्ज़े में परसों आई है।

श्री अध्यक्ष : यह किस के हाथ से लिखवाई है? (By whom it was got written ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : किस के हाथ से लिखी गई है यह तो मैं जानता नहीं। जनाब, उन का नाम अगर वज़ीर साहिब कहेंगे तो मैं बता दूंगा। उन का वकील है अभिमन्यू....

Mr. Speaker : Order please. No such allegations in the House.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें।

Mr. Speaker : I canot permit the hon. Member to make such allegations in the House. Such things can only be brought before the House through a substantive motion.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस किस्म के काम ऐसी चीज़ों के लिए किये जा रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। कानून के अन्दर तबदीली इस लिये लाई जा रही है कि जो सौदे इन्हों ने किये हैं वे सिरे चढ़ जाएं। अगर यह बात है तो मैं इस की पुर ज़ोर मुखालिफत करता हूँ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : यह मामला तो तीन महीने से हाउस के सामने है। (This matter is before the House for the last three months.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : वह चिट्ठी दिसम्बर की है। दिसम्बर की मोहर उस पर लगी हुई है। इस लिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि democratic countries में Judiciary Supreme होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को Supreme माना जाता है। लेकिन यहां पर कई महीने हो गए हैं कि हाई कोर्ट ने एक रूल को *ultra-vires* करार दिया था उस पर फिर भी पहले की तरह ही कार्यवाही की जा रही है। इस से हाई कोर्ट की contempt होती है। अगर हमारी सरकार हाई कोर्ट या सुप्रीम की भी परवाह नहीं करेगी तो क्या बनेगा? यह नहीं होना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो क्लाज़ सात है इस के मुताबिक जो legal rights उस वक्त exist नहीं करते थे उन के बारे में भी गवर्नमैंट ने स्कीम बना दी और provision भी कर दिया। इन को स्कीम बदलने का कोई अख्तियार नहीं था लेकिन फिर भी बारह साल तक यही कार्यवाही चलती रही। अब उन rights को हमारी सरकार validate करना चाहती है। इन को ऐसा करने का बारह साल तक बिलकुल कोई कानूनी हक नहीं था। यह बिल्कुल illegal है। मुनासिब और वाजिब नहीं है कि बारह साल की कार्यवाही को ये अब validate करें। इन को चाहिये था कि इस चीज़ का बहुत पहले ख्याल करते। रूल सोलह *ultra vires* करार दिया गया है। अब अगर यह कानून पास कर दिया गया तो यह फिर *ultra vires* करार दिया जाएगा। मैं कहता हूँ कि इस किस्म की गवर्नमैंट की कार्यवाहियों पर परदा पोशी करने के लिये जो बिल लाया जा रहा है मैं इस की पुरज़ोर मुखालिफत करता हूँ। मैं इन के सौदों की सख्त मुखालिफत करता हूँ। मैं वज़ीर साहिब की इज़्ज़त करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ उन से कहूँगा कि वे इन सौदों में न पड़ें। इस से इन की बदनामी होगी, गवर्नमैंट की बदनामी होगी। मैं इस चीज़ की मुखालिफत करता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ, ਜਨਰਲ) : **ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,** clause 7 ਦੇ ਬਾਰੇ High Court ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦਫਾ 42 ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ scheme ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ change ਕਰ ਦਿਤੀ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ High Court ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਫਾ 42 ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ Scheme ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ । ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ ਸੀ । ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ Rule 16 ਦੇ ਹੇਠਾਂ Consolidation ਵਿਚ common purposes ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Rule 16 ਨੂੰ ਹੀ *ultra vires* ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ cases ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ validate ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦਫਾ 42 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । Common purposes ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ clause VII ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

adopt ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ cases cover ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ *ultra vires* ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਜ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਵੀ High Court ਨੇ ਇਕ Consolidation Officer ਨੂੰ notice ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ amendment ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ subsequent cases ਵੀ cover ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ challenge ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੋਂ *ultra vires* ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ amendment adopt ਕਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

राम्रो गजराज सिंह (गुड़गांव) : स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ सात के बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह चीज़ हाई कोर्ट में भी जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील के तौर पर pending पड़ी हुई है । यह ग़ैर आईनी है और जो Act के aims and objects हैं उन के भी खिलाफ जाती है । इस लिये मैं कहता हूँ कि इस पर ज़िद नहीं करनी चाहिये । अगर आप इस क्लाज़ का मुलाहज़ा फरमाएं तो आप को मालूम होगा कि यह Article 31 के खिलाफ है । हाई कोर्ट ने पहले ही बहादुर गढ़ के केस में एक Consolidation Officer को नोटिस दे रखा है । Article 31 के मातहत substantial compensation ज़रूर दिया जाना चाहिये । उस के लिये कुछ साधन हो सकते थे । बिल में compensation के लिये provision होनी चाहिये थी ।

उसकी compensation किस तरह provide की जाती, स्पीकर साहिब, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, गांव गोरे की ज़मीन सब से बढ़िया होती है । बाज़ दफा गवर्नमैंट का मनशा भी नहीं होता लेकिन पंचायतें ज़िद में आकर दूसरों को नुक्सान पहुँचाने के नज़रिए से उन पर कब्ज़ा कर लेती हैं । इस तरह की बातों को safeguard करने के लिये किसी तरह का provision नहीं किया गया । यह बिल जल्दी में draft किया गया मालूम होता है । तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह से ग़ौर करने की कोशिश नहीं की गई । Rules में अगर "as prescribed" के लफ़ज़ होते फिर तो शायद alternate rules बनाए जा सकते थे । मैं अर्ज़ करता हूँ कि आयनी तौर पर यह दफा 31 के in conflict आता है । इस सिलसिले में आप title पर ही ग़ौर फरमा कर देख लें । सरदार उमराओ सिंह ने इस पर आगे ही काफी रौशनी डाली है । यह amending ही नहीं बल्कि साथ ही validating बिल है । यह चीज consolidation के main Act का मनशा नहीं था । यह तो स्पीकर साहिब, इसका आयनी पहलू है जिस पर मैं ने अपने ख्यालात आप के सामने रखे हैं ।

दूसरी बात मैं ने यह गुज़ारिश करनी है कि House के सामने एक Act है—और भी बहुत सी enactments हैं जो कि executive nature की enactments हैं; वहां पर power of appeal, officers को, revenue office की higher authority को या गवर्नमैंट को होती है, Commissioner या Financial

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Commissioner को होती हैं। लेकिन जहां तक ज़मीन के मसले का ताल्लुक है--जो कि एक अहम मसला है--इसमें Financial Commissioner को अख्तियार है। स्पीकर साहिब, दूसरी States में इस किस्म के मामलात के लिये--चाहे वह ज़मीन से सम्बन्ध रखने वाले हों या tenancies के साथ--revenue boards होते हैं जिन के हाथ में High Court की powers होती हैं यहां तक कि बाज़ स्टेट्स में High Court को भी revision की powers हैं। लेकिन आप देखें कि यहां पर दफा 42 का क्या scope है "Any time"--यानी दस पंद्रह वर्ष--कोई मियाद नहीं। और न ही rules बनाने की कोई assurance House को दी गई है कि इतनी देर के बाद कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। मेरा ख्याल है कि दफा 42 के अख्तियारात और scope को निहायत अहतयात के साथ exercise किया जाना चाहिये था। आज कांग्रेस सरकार है तो कल दूसरी party बर सरे इक्तदार आ सकती है। इसी तरह वह भी कहेगी कि हम तमाम की तमाम scheme को पलट देते हैं परसों तीसरी party भी ऐसा ही कर सकती है। मतलब तो यह हुआ कि गांव वाले politics के खेल और तमाशे में गुनाहगार हो गए। शहर वालों का नहीं बल्कि गांव वालों की property और इक्तसादियात के साथ खिलवाड़ और तमाशा किया जा रहा है। स्कीम में किए गए पहले order की बुराई को रोकने के लिये दफा 42 में delegated powers थीं ताकि गवर्नमैंट को embarrassment में न पड़ना पड़े। इसका मतलब तो यह हुआ कि अगर एक जायज़ शिकायत रफा हुई हो तो कई ऐसे आदमी भी आ जाएंगे जो बिला वजह काम करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिये क्यों न यह अख्तियारात highest revenue authority या High Court को vest हों। और फिर कोई मियाद मुकर्रर होनी चाहिये। High Court की ruling के लिये मियाद 3 महीने से ज्यादा नहीं होती। लेकिन यहां पर किसी वक्त भी हो जाए। मैं genuinely feel करता हूँ कि मैं यह नहीं चाहता कि किसी आदमी के साथ हुई बेइन्साफी को दूर न किया जाए ; बल्कि दफा 42 के provision के scope और revision authority के बारे में सब को एतराज़ है। आप देखें कि scheme के वक्त इतनी अपीलें मौजूद हैं, actual operation के वक्त इतनी अपीलें मौजूद हैं। आखिर किसी चीज़ की guarantee तो दें। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की implication को बिल draft करते वक्त सामने नहीं रखा गया। आप partition के order को set aside करके गांव की स्कीमों को तोड़ेंगे तो कितना रुपया और खर्च होगा ; कितनी मेहनत लोगों की फजूल में जाएगी। एक आदमी को accommodate करने के लिये अगर scheme को तोड़ा गया तो तमाम का तमाम काम फिर करना पड़ेगा।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : On a point of order, Sir. स्पीकर साहिब यह clause validation के सिलसिले में है। Section 42 को amend करने वाली clause तो इससे पहले वाली थी। वह House पास कर चुका है। अब इस clause को discuss करते हुए दफा 42 पर general discussion कहां तक with in the scope of the clause है ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

राओ गजराज सिंह : मैं तो यही बता रहा हूँ कि यह जो validation की जा रही है इन से consolidation के काम में और complications पैदा होंगी, litigation बढ़ेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इसे rules में बांध कर और circumstances के अन्दर circumscribe करके लाएं वरना यह भी valid नहीं होगी।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : **ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ** ਦੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ judicial anthority ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ under ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, Act ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ executive ਦੇ ਹਥ ਬਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ limit ਤਕ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ stage ਦਾ ਦਾਇਰਾ defined ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, revision ਕਿਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ consolidation ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ। ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ Director ਤਕ ਅਪੀਲਾਂ reject ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਦਫਾ 42 ਦੇ ਵਿਚ final stage ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ final stage ਤੇ ਆਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ under political pressure ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲ੍ਹ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਸਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਤਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਨਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ scheme ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਵਸਨੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ—illegal actions ਕਰਨ—ਉਹ acts ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ High Court ਵੀ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। High Court ਨੇ judgment ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ changes ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸਨ,

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਾ 42 ਦੇ under ਇਹ schemes ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਣ । ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, recently ਵੀ High Court ਨੇ ਇਕ judgment ਦਿਤੀ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਕ specific clause ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਕ High Court ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

11.00 a.m.

ਇਕ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ ਦੇ case ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ judgment ਆਈ ਹੈ ਕਿ High Court ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਸ judgment ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ validate ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ clause ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Democracy ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Judiciary ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਬੜੀ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਥੇ democracy ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ phase ਵਿਚ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ faith ਉੜ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ clear head ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਔਰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ । ਜੇ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ High Court ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ clause ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

सिचाई तथा विद्युत मंत्री (राम्रो वीरेन्द्र सिंह) : मोहतरिम स्पीकर साहिब, सारे बिल में जो clauses थीं वे हाउस ने उस दिन मंज़ूर कर दी थीं और clause 7 जो सिर्फ validation की clause है अब उस पर बहस चल रही है । कुछ आनरेबल मेम्बरान ने एतराज़ उठाया है कि इस एक्ट के तहत जो 1948 में पास हुआ था अब तक पिछले 10 या 12 सालों में जो काम हुए वे High Court के किसी फैसले की वजह से इस Act में कुछ नुक्स समझते हुए कुछ कमियां समझते हुए वह ग़लत करार दिये गये हैं, इस लिये सारे पिछले 10 या 12 सालों में किये कराये काम को उलट दिया जाये । यह इन की मनशा मालूम होती है जिन मैम्बरान ने एतराज़ किया है उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि दफा 42 के तहत सरकार ने Director, Consolidation of Holdings, को यह power delegate की हुई थीं और 1948 से जब से यह एकट बना है हुआ है त से इस पर काम हो रहा है और इस अर्से में इतने ज़्यादा लोगों को इस के ज़रिये इंसाफ मिला है जिस का अन्दाज़ा भी नहीं लग सकता । अब भी इस दफा के तहत अगर किसी जगह पर लोगों के लिये रास्ता न छोड़ा गया हो या पगडण्डी न रखी गई हो या और इस किस्म की कोई ग़लती consolidation के काम में रह गई हुई हो तो वह ठीक करवाई जा सकती है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

तो मैं इन के इस एतराज़ को समझ नहीं सका। मुझे अफसोस तो इस बात पर है कि यही मैम्बरान लोगों को साथ लेकर रोज़ मेरे पास आते हैं और इस दफा के तहत दरखास्तें देते रहते हैं। फिर भी इस clause पर एतराज़ कर रहे हैं। चौधरी धर्म सिंह राठी ने तो यहां यह बात कह दी कि एक वकील ने किसी को चिट्ठी लिखी थी कि इस दफा के तहत दरखास्त देने के लिये यहां एक हज़ार रुपया ले कर आ जाओ और उन्हों ने यहां statement दी है कि वह चिट्ठी इन के पास है। मैं ने इन से दरखास्त की है कि वह चिट्ठी पेश की जाये। (चौधरी धर्म सिंह राठी—वह चिट्ठी मेरे पास है और वक्त पर मैं उसे पेश करूंगा।) स्पीकर साहिब, असल बात यह है कि कोई हफ्ता और कोई महीना खाली नहीं जाता जब चौधरी धर्म सिंह राठी दफा 42 के तहत कोई न कोई दरखास्त ले कर मेरे पास न आते हों।

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह बात बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को challenge करता हूँ कि इस में ज़रा भी सचाई नहीं है। मैं एक दरखास्त भी ले कर कभी इन के पास नहीं गया।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : यह रोज़ जिस तरह से दरखास्तें ले कर मेरे पास आ जाते हैं और जिस तरह से यह pressure डालते हैं तो इस से मैं यह कह सकता हूँ कि यह कितने रुपए लोगों से लेकर आते हैं। (*Again interruption by Chaudhri Dharam Singh Rathi*) मेरी बात ज़रा खामोशी से सुनें। आप काम भी निकालते हैं और कीचड़ भी उछालते हैं। यह ठीक बात नहीं।

स्पीकर साहिब, अगर इस clause को यह हाउस नामंज़ूर कर दे तो इस का नतीजा क्या होगा यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है। दफा 42 के अन्दर Director के level पर और गवर्नमैंट के level पर जो पिछले 10 या 12 सालों में हज़ारों cases का फैसला किया गया है तो वह तमाम फैसले रद हो जायेंगे और जो लोग अब आराम से बैठे हुए हैं उन्हें फिर से वहां से उजड़ना पड़ेगा और उन्हें इस में बहुत तक्लीफ उठानी पड़ेगी। यह मेरे भाई जो लोगों की तरक्की का नारा लगाने वाले हैं यह चाहते हैं कि लोग फिर उजड़ें और इन वकीलों को उन से फिर फायदा हो। असल बात तो यह है कि यह उन को फिर से उजाड़ कर आप फायदा उठाना चाहते हैं। अब दफा 42 के तहत जो लोगों की ज़मीनों में रास्ते ठीक से बने हैं, जो उन के खेतों में पगडण्डियां ठीक बनी हैं या कई लोगों के कुएँ ठीक बने हैं, अब अगर इस clause को पास न किया जाये और यह सारी चीज़ें बदल दी जायें तो यह चीज़ सोच कर मेरे तो रौंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस के नतायज क्या होंगे। यह भाई तो यह सारी चीज़ें समझ बूझ कर भी यह बात चाहते हैं कि यह जो फैसले पिछले 10 या 12 सालों में हुए हैं और जितना consolidation का किया कराया पहला काम है वह सब उलट हो जाना चाहिये। स्पीकर साहिब इस clause का मक्सद यही है कि दफा 42 के तहत जो कार्यवाही पिछले 10 या 12 सालों में हुई है वह उसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से जो ज़मीन पंचायतों को common purposes के लिये reserve कर के दी गई है वह पंचायतों के पास रह जाये। अगर अब यह clause पास नहीं की जाती तो यह कहा जायेगा कि लोगों को किस तरह से

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

इस से फायदा होगा और जो लोग ज़मीनों के proprietors हैं उन को consolidation से फायदा कैसे पहुँचेगा ।

कैसी कैसी बातें चौधरी धर्म सिंह राठी ने, स्पीकर साहिब इस बारे में कह दी हैं । उन्हों ने यह भी कह दिया है कि Civis Courts में भी फैसला इस के खिलाफ दिया गया है । लेकिन इन को तो इतना भी पता नहीं कि Civil Courts तो इस में आती ही नहीं । (चौधरी बलबीर सिंह : High Court ने तो अब एक case में judgement दी है) दस साल में इन को यह चीज़ भी समझ में नहीं आई कि Civil Courts इस में आती ही नहीं है ।

इस का rule 16 जो है उस के तहत जो ज़मीन पंचायतों को resume कर के दी गई है उस से पंचायतों को फायदा हो रहा है । लोग इस बात पर खुश हैं कि villages में common purposes के लिये common lands रखी गई हैं । आम तौर पर गांव के अन्दर common lands पहले ही हैं और जहां नहीं थी वहां लोग खुशी से चाहते हैं कि इस्तेमाल कर के यह ली जाय ताकि पंचायतों की उन से आमदनी बढ़ाई जा सके । इस लिये इस clause के पास हो जाने से इस में कोई फर्क नहीं पड़ता । चौधरी धर्म सिंह राठी ने जो कुछ कहा है वह तो मैं समझ भी नहीं सका कि कौन सी Civil Courts का फैसला इस के खिलाफ हो जायेगा । वह तो अपने आप को confuse कर रहे हैं ।

राओ गजराज सिंह जी ने भी कुछ एतराज़ात किये हैं जिन का जवाब मैं ने पहले दे दिया है । इस में कोई ऐसी बात नहीं है कि दफा 42 के अन्दर revision file हुई हो और जहां किसी के साथ बहुत बड़ी बेइन्साफी हुई हो । आम तौर पर यह देखा गया है कि तीन अपीलों के बाद भी कई चीज़ें consolidation में ऐसी रह जाती हैं जहां लोगों को इन्साफ नहीं मिला होता । वहां दफा 42 के तहत गवर्नमैंट ने powers Director को delegate की हुई हैं कि वह judicial फैसला करे । दफा 42 के तहत बाकायदा तौर पर enquiry कर के judicial तौर पर फैसला होता है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि दोनों पार्टियों को न सुन कर यह फैसला कर दिया जाता हो । मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि लोगों को एक revision का हक भी न हो । जिस में लोगों की जायदाद उलट-पुलट की जा सकती हो अगर कोई इस ऐक्ट का mis-use करे तो बहुत तबाही हो सकती है । सब जगह यह बात मानी गई है कि appeals भी हों और revision भी ।

एक बात यह कही गई कि revision का वक्त मुकर्रर होना चाहिये । यह बात सरकार के नोटिस में आई और यह है दफा 42 के तहत कि जब आखिरी appeal हो चुकी हो तो 6 महीने के अन्दर revision की अर्ज़ी दी जानी चाहिये । पिछले Session में frivolous दरखास्तों को discourage करने के लिये amending bill पास किया गया और court fees बढ़ा कर लगाई गई । मगर जहां किसी शख्स से कोई धोका हुआ हो, बेइनसाफी हुई हो और उस को इत्तलाह भी न दी गई हो, जैसा कि ऐसे case में किया जाता है, मियाद ही गुज़र जाने दी जाती है—तो ऐसे special हालात में इस बात पर House को क्या एतराज़ हो सकता है कि वह सरकार के या जिसे इख्तियार delegate

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

किए गए हों—उस के पास दरखास्त दे सके। कहा गया कि इस का नाजायज़ इस्तेमाल, किया जाएगा। अगर ऐसी बात हो तो यह सरकार या House के नोटिस में लाई जा सकती है। मैं तो समझता हूँ कि जो चीज़ House ने 1948 में पास की उस के बारे एतराज़ करना कि revision का जो provision रखा गया है यह नहीं होना चाहिये यह इस बिल के scope से बाहर की चीज़ है। यह निहायत ज़रूरी है कि जो कार्यवाही 10, 12 साल में की गई और ज़मीन reserve कर के पंचायत को दी गई या जो कार्यवाही दफा 42 के तहत की गई उस को validate किया जाए। इस लिये दरखास्त है कि इसे मन्ज़ूर किया जाए। चौधरी सुमेर सिंह जी ने जो amendment दी है वह बहुत अच्छी drafted है और उस से यह सारा मामला clear हो जाता है। उसे मंज़ूर करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं।

Chaudhri Dharam Singh Rathi : On a point of personal explanation.

श्री अध्यक्ष : आप सुनिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब House का एक ज़िम्मेदार मैम्बर lawyer हो कर House में इस तरह से allegations लगाए। एक वकील अपने मुवक्कल को चिट्ठी लिखता है कि आओ और यहां राठी साहिब उठते हैं और allegations लगाते हैं कि वह तो Minister का आदमी था। House में ऐसी बातें करना बहुत बुरा है। अगर ऐसी बातें यहां होने लगें तो पता नहीं यह किस हद तक पहुँचे। जो debate के level को lower करने की बातें यहां कहीं जाती हैं मैं उन्हें condemn करता हूँ। (The hon. Member may please listen. I feel much pained when I find a responsible lawyer member of the House levelling allegations like this. A lawyer writes a letter to his client and sends for him. But here Shri Rathi rises and alleges that the man was connected with the Minister. It is very improper to indulge in such things in the House. Once these things get a start here, there will be no end to them. I deprecate all such things being said here as lower the level of the debate.)

Chaudhri Dharam Singh Rathi : On a point of personal explanation, Sir.

Mr. Speaker : You have done the utmost. There is no need of a personal explanation. I do not allow this.

Mr. Speaker : Question is —

For clause 7, substitute the follwoing —

"Validation. 7. Notwithstanding anything to the contrary contained in any judgement, decree or order of any court,—

(a) where in any scheme, made before the commencement of this Act, Land has been reserved for the Panchayat of the village concerned for utilizing the income thereof, or :

(b) where before such commencement the State Government or any authority to whom it has delegated its powers has passed an order under section

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

42 of the principal Act revising or rescinding a scheme prepared or confirmed or repartition made by any officer under that Act, such reservation of land or such order, as the case may be, shall be deemed to be valid, and any such scheme or order shall not be questioned on the ground that such reservation of land could not be made or, as the case may be, that under section 42 of the Principal Act, the State Government or such authority had no power to pass such order."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 7, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE I.

Mr. Speaker : Question is —

That Clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh) : Sir I beg to move —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, as amended, be passed.

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब, मैं इस Validating Bill की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ ।

इस में कोई शक नहीं कि इश्तमाल का काम बहुत ही अच्छा है मगर जिस ढंग से इस काम को किया है उस में और चाहे कुछ न कहा जाए एक बात तो बिल्कुल ज़ाहर है कि इस में जितनी corruption हुई है और जितने जमींदार लुटे हैं या और खराबियां हुई हैं, उन का अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता । इस की एक वजह तो यह है कि कानून बनाते वक्त सरकार पूरे ग़ौर और समझ से कानून नहीं बनाती और ज्यों ज्यों पता चलता है कि इस में यह खराबियां हैं तो फिर तरमीमों का नम्बर शुरू हो जाता है । जब High Court किसी कानून या उस के हिस्से को खिलाफ कानून करार दे देती है तो बजाए उस का कोई फायदा उठाने के कि आयंदा ऐसी ग़लती न करे, सरकार की यह आदत हो चुकी है कि वह उसे Legislature के सामने ले आती है और कहती है कि जो कुछ हम ने किया, चाहे वह खिलाफ कानून ही किया, उस को ठीक कर दो । और यह अगर एक दो दफा का मामला हो तो चलो दरगुज़र किया जाए मगर यहां तो यह रिवाज ही पड़ गया है ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[पंडित श्री राम शर्मा]

यह बात लोगों के लिये मुसीबत का बायस बनी हुई है। मुझे मालूम है कि अफसरान फर्जी बातें ही कर लेते हैं। यूं ही लिख देते हैं कि गांव इकट्ठा हुआ चाहे एक आदमी भी न आया हो और किसी को भी न पता हो कि हम ने किस बात की रज़ामन्दी दी है। वह आगे बढ़ते जाते हैं चाहे हकूमत को इस का इख्तियार भी न हो। इस बार तो यह एक कदम और भी आगे बढ़ गए। Rule बना लिये और 16(2) rule ऐसा बनाया जिस की कि कानून इजाजत ही नहीं देता। उस के मुताबिक कार्यवाही करते रहे, पंचायतों को ज़मीन देते रहे। जब इन से कहा गया कि यह तो सारी बात ही ग़लत हुई है तो कहते हैं क्या बात है असैम्बली तो है हम अपनी majority के ज़ोर से कानून ही वैसा पास कर लेते हैं। इस तरह भला लोगों में कानून का क्या एहतराम रहेगा। यह तो सभी जानते है कि पंजाब में एक party की majority है। मगर क्या इस वजह से यह कुछ ही ग़लत मलत पास कराते रहें और अगले ही रोज़ कह दें कि चूंकि हम ने ऐसा किया है इस लिए इस को इस तरह कर दो और आयंदा के लिये अख्तियार भी दे दो कि हम ऐसा ही करते रहें। यह असूलन बड़ी खतरनाक बात है। एक तो यह बात है कि इन्होंने वह कार्यवाही की जिस का इन को अख्तियार ही नहीं था। इस तरह के यह कितने Bill लाते हैं, पास करते हैं और जो रूल वग़ैरह बनाते हैं वह यह देखत ही नहीं कि यह हद के अन्दर है भी या नहीं। अगर उन को बतला दिया जाये कि यह काम आप ने नहीं करना क्योंकि कानून ने आप को इजाज़त नहीं दी या Legislature ने आपको यह हक नहीं दिया, तो बजाये इसके कि आप इस पर अफसोस करें, उस पर शरमिन्दा हों, आप यह कहते हैं कि हम ने इस को कायदे के मुताबिक बनाया है। दर असल यह कानून के मुताबिक उस वक्त बनता है जब यह दूसरी बार आता है। मगर अगर इन से पूछा जाता है तो यह कहते हैं कि जो कुछ हम ने किया है वह बिल्कुल ठीक किया है और कायदे के मुताबिक किया है। स्पीकर साहिब, अब आप अन्दाज़ा लगा लें जिस मुल्क के अन्दर इस तरह से कानून चलाये जाते हैं और बड़ी देर तक किसी ग़लत तरीका पर अमल किया जाये, और जब यह पता चल जाये कि 12 साल से कोई Government एक काम को कानून के खिलाफ चलाती चली आ रही है तो मैं समझता हूँ कि Goverment को उस पर अफसोस होना चाहिये। मेरे ख्याल में तो ऐसी Government की, House में जवाब तलबी होनी चाहिये। आज जब Chief Minister साहिब को बतलाया गया कि उन की वजह से 5 लाख का नुक्सान हो गया, तो आप कहने लगे कि सब मुलाज़म इस के ज़िम्मेदार हैं। साफ तौर पर यह क्यों नहीं कहते कि इस ग़लती के ज़िम्मेदार फलां वज़ीर साहिब हैं।

एक माननीय सदस्य : M.L.A. को ही ज़िम्मेदार बनायें।

पंडित श्री राम शर्मा : उन की ज़िम्मेदारी 5 साल के बाद आती है (हँसी) मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि 12 साल पहले वह कहां थे उस वक्त वज़ीर मुताल्लिका ने अपनी काबलियत क्यों न दिखाई? किस कानून के तहत उन को इस तरह की हरकात करने का अख्तियार था। आज तक जो गलतियां इस तरह से हुई हैं इन की ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? जो इस House ने कानून पास किया यह उस की अब तक खिलाफ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

वर्जी करते रहे उन को इस तरह की हरकात करने का अख्तियार ही क्या था ? House ने जब कोई ऐसा Rule बना कर इसे अख्तियार ही नहीं दिया तो क्या मजाल थी कि यह इस तरह की हरकात करते। अगर 12 साल से किसी कानून को यह समझ नहीं पाये हैं तो बजाये इस के कि इन से कोई जवाब तलबी की जाती क्या इन को यह कहा जाये कि जो कुछ आप ने किया है बहुत अच्छा किया है ? आयंदा को भी आप ऐसी हरकात करते जायें। शाबाश आप ने जो कुछ किया है वह बहुत अच्छा किया है। आज जिस हकूमत के खिलाफ High Court में या Supreme Court में या किसी और Judicial Court में कोई फैसला हो जाये और हकूमत पर ऐसे strictures आयें तो सिवाये इस House की position awkward करने के और कोई बात नहीं है। और इस बात के हमारे पास सबूत हैं। आप आज कहते हैं कि हम ने यह Rule निकाल दिया है मगर आपने अपनी गलती को दुरुस्त किया है यह माना जा सकता है। मैं तो यह कहता हूँ कि जो कुछ आप ने किया है यह असूल के खिलाफ है और ऐसा करने का आप को कोई अख्तियार नहीं था। ज़ाती तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो कुछ पहले बिल में था वह consolidation scheme के मुताबिक ही था। मगर जब अपने मफाद के उलटा नज़र आया तो इस को उलटा करके लिख दिया, अब कहते हैं कि हम ने ऐसा फैसला कर दिया है इसे इस तरह से ही रहने दिया जाये। जब यह सारी चीज़ scheme के खिलाफ है आप को इस का कोई अख्तियार नहीं था कि आप एक असूल में कोई तबदीली करते। ऐसा करके आप ने Majority cases से unfair treat किया है। मैं किसी individual case को नहीं ले रहा, आप consolidation के महकमा के मुताल्लिक किसी भी गांव में जा कर दरियाफत कर लें तो वह कहेंगे कि इस महकमा ने तो police का महकमा मात कर दिया है। एक एक पटवारी A.C.O. और महकमे के अफसर जिन का खाना पीना ज़मींदारों के सर पर है इन्हीं ज़मींदारों को ही तंग करते हैं, इस के इलावा यह लोग यहां के दफतरों से साज़ बाज़ रखते हैं, ये वे लोग हैं जो वज़ीर साहिबान को tours में खाने खिलाते हैं और ऐलानिया कहते हैं कि हम तुम्हारा काम करवा देंगे आप हमारे साथ चंडीगढ़ चलें वज़ीर साहिब तो हमारे दोस्त हैं। एक मिनिस्टर के लिये लोगों के दिल में इस तरह से ख्यालात होना मैं समझता हूँ कि यह तो Democracy के लिये एक तरह की लानत है। जितने भी दुनिया भर के काम, जायज़ या नाजायज़ करवाये जाते हैं वह वज़ीर साहिब का नाम लेकर करवाये जाते हैं। यह जो रोज़मर्रा की दावतें और रोज़मर्रा के जो सफरों में खातरदारियां होती हैं कि यह काम करवाये जाते हैं। कभी किसी वज़ीर साहिब के नाम सिफारिशी चिट्ठियां दी जाती हैं और कभी personal messages आते हैं, telephone किये जाते हैं। यह मैं नहीं कहता आप जिस किसी गांव में भी consolidation हुई हो 10, 20, 30 आदमियों का आप बखुशी दरियाफत कर सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाइयां यह करते हैं। किसी को नुक्सान पहुँचाना हो जो कुछ हासल करना हो तो रद्दी ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता है अपने को अच्छी जगह दे दी जाती है। इस तरह का तमाशा बनाया हुआ है इस महकमा में कि बयान से बाहर है। यह सारी ज़िम्मेदारी इस Government की है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[पंडित श्री राम शर्मा]

दूसरी बात मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस में जो दफा 42 है अगर यह पास हो जाती है तो इस में और नुक्ता चीनी की गुंजायश ही नहीं है। लेकिन तजरुबा करने के बाद Government इस बात को देख सकती है कि खास तौर पर इस तरह का Validating Bill भी ला सकती है। यह पंजाब के अन्दर एक पहली मिसाल है इस देश में तो कम अज़ कम कोई ऐसी बात है नहीं अगर किसी foreign country में हो तो बात दीगर है। राये लेने के मामला में वज़ीर साहिब कहते हैं कि Financial Commissioner, Director से पहले पूछ कर राय देगा। वज़ीर साहिब तो consolidation के महकमा के incharge भी रहे हैं। वह बाकायदा अदालतें भी लगाते रहे हैं, मैं ने उन की अदालत में वकील पेश होते भी देखा है। मगर Government उस वक्त तक ही दखल देती है जहां तक इसे power हो। बेशक यह full power रखती है, मगर अगर Government खुद अदालत ही बन जाये एक तरफ फौजदारी फैसले करने शुरू कर दिये जायें और दूसरी तरफ दीवानी फैसले होने लगें या Chief Minister साहिब फौज का काम सम्भाल लें या दूसरे मिनिस्टर बाकी के महकमे सम्भाल लें क्या इस तरह से कोई Government चल सकती है? इन को आखिर इतना तो अहसास होना चाहिये कि दफा 42 जो इन्हों ने रखी है इस का नतीजा क्या होगा। इन का काम देखते देखते स्पीकर साहिब, इस महकमा के अफसरों की हालत यह हो गई है कि सुन कर हैरानी होती है। अभी हाल ही में एक Consolidation Officer को show cause notice दिया है कि क्यों न उसे सज़ा दी जाये क्योंकि वह High Court के फैसले के बावजूद Notice Issue करता रहा है और अपनी मन मानी करता रहा है। यह बात बाकायदा तौर पर आज के ट्रीब्यून के अन्दर छपी है। मैं किसी अफसर की बात नहीं करता लेकिन आज ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि जो चलते-पुर्जे ज़मींदार हैं वह अपने नाम में, अपने हक में ज़मीनें लगवा लेते हैं। लेकिन आम आदमी रोता रहता है। इस लिये यह जो कानून बनाया जा रहा है उससे ग़रीबों का फायदा नहीं हो सकता। यह कानून इस लिहाज़ से Constitution की spirit के खिलाफ है। हमारा Constitution यह कहता है कि आप किसी की ज़मीन compensation के बिना नहीं ली जा सकती। High Court का और Supreme Court का फैसला मौजूद है कि यह जो validating कानून है इसमें यह चीज persist की जा रही है। अगर आज इसे पास कर दिया तो यह definite है कि कल फिर दूसरा बिल लाया जाएगा क्योंकि बग़ैर मुआविज़े के यह किसी की ज़मीन ले नहीं सकते। और यह भी नहीं हो सकता कि 10 हज़ार की ज़मीन के 5 हज़ार दे दें। यह मामला भी Supreme Court देखेगा कि सच्चाई किस में है, या क्या किया गया है।

मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूँ कि पंचायतों को इस तरह से ज़मीनें नहीं दे सकते। और जो चीज़ यहाँ की जा रही है वह हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।

आज उठकर वज़ीर साहिब ने कह दिया कि इस ऐक्ट के तहत 10 साल से काम हो रहा है उस को validate करने के लिये यह कानून ज़रूरी है और दफा 42 को अमैंड करना

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

लाज़मी है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि 10 साल की ग़ैर कानूनी कार्रवाइयों को कानूनी करार देना यह एक नादिरशाही है। और नादरशाही की भी हद होती होगी लेकिन इस गवर्नमैंट ने तो उस हद को भी पार कर लिया है और मनमानी करती जा रही है। इस का नतीजा यह है कि कोई भी अफसर या कोई भी वज़ीर जब चाहे जो order पास कर देता है। इससे लोगों के साथ injustice होती है और बीच में गोलमाल होता रहता है। इसमें स्पीकर साहिब ज़रा भी शक नहीं कि अगर यह कानून पास किया तो इस मुल्क के अन्दर अगर Constitution की spirit को देखने वाले मौजूद हैं तो यह पास होने के बाद भी यह validating कानून नहीं रह सकता, न रहना ही चाहिये, क्योंकि इसमें Constitution की खिलाफवर्ज़ी है। और High Court की disrespect है। जनाब इस तरह से कानून पास करना हिटलरशाही से कम नहीं है। और यह हरकतें इन्हें Dictatorship की तरफ ले जा रही हैं। इनके साथ अगर majority है तो इसका यह मतलब नहीं कि brute majority को ले कर जो चाहें पास कर दें यह जो democracy है इसके कुछ असूल होते हैं और उसको ठीक तरह से चलाने के लिये यह ज़रूरी है कि इन principles को सामने रख कर काम चलाया जाए। इन अलफाज़ का साथ मैं इसकी मुखालिफत करता हूँ।

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब जहां तक consolidation का ताल्लुक है यह हमारे State के लिये एक अच्छी चीज़ है। इस का मकसद यह होना चाहिये कि इस से सूबे के ज़मींदारों का फायदा हो। यह जो Statement of objects and reasons है उस में बताया गया है कि कुछ लोग High Court में पहुँचे वहां यह फैसला हुआ के दफा 42 के तहत scheme तोड़ी नहीं जा सकती इस लिये यह Bill लाना पड़ा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि High Court में कोई उस वक्त जाता है जब officers से उस को इन्साफ नहीं मिलता। High Court ने अपना verdict दे दिया है कि दफा 42 के तहत scheme तोड़ी नहीं जा सकती। अब Government यह Bill इस लिए लाई है कि जिन schemes को तोड़ा गया है उन को legalise कर लें। स्पीकर साहिब अगर साधारण तौर पर कानून में ग़लती होती और उसे legalise करने के लिये यह Bill लाया जाता तो हम को hitch न होती। इस के पीछे कोई और बात छिपी हुई है। पिछले सालों में जो स्कीमें तोड़ी गई हैं उन की तह में कोई न कोई बात है और जो सब से बड़ी बात है वह political pressure ही हो सकता है। अभी जैसा कि पंडित जी ने बताया है एक नायब तहसीलदार या तहसीलदार पर pressure डालना मुश्किल है लेकिन चण्डीगढ़ के Ministers पर pressure डालना आसान हो जाता है। स्पीकर साहिब, अगर Secretariat में जा कर देखें तो वहां ऐसे लोग इकट्ठे हुए होते हैं जैसे बैसाखी का मेला लगा हुआ होता है। हज़ारों की तादाद में वहां daily passes issue होते हैं। वह लोग इस लिये वहां पर आते हैं क्यों कि उन्हें नीचे से इन्साफ नहीं मिलता। इस के इलावा कई लोग नाजायज़ काम करवाने आते हैं। फिर political pressure चलता है। यह तरीका ठीक नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि हर बात में political pressure डाला जाता है। यही वजह है कि officers को अपने

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम प्यारा]

अख्तियारात तजावज़ करने की ज़रूरत हुई। स्पीकर साहिब, इनसाफ न करने वाले लोगों को अगर Government सज़ा देती फिर तो हम इन के इस action को justify करते लेकिन जिन्हों ने ना-इन्साफी की है उन को किसी ने नहीं पूछा। Chief Minister साहिब इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं हैं। अगर वह यहां होते तो मैं उन की खिदमत में अर्ज़ करता कि जिन लोगों को उन्हों ने चिटें दी हुई हैं " that so and so can see me at any time even at midnight" उन का कितना misuse हो रहा है। ऐसी chits वाले जो लोग हैं वह पहले भी बेकायदगियां करवाते रहे हैं और आयंदा भी वह अपना influence डाल कर स्कीमें तुड़वाएंगे। इस तरह से political exploitation होगी और favouritism होगी। इस लिये मैं समझता हूँ कि यह जो amendment लाई गई है यह लोगों को इन्साफ देने के लिये नहीं लाई गई। अगर आप चाहते हैं कि उन ग़रीब किसानों को इन्साफ मिले तो जो officers इनसाफ नहीं देते उन के खिलाफ कुछ न कुछ action लिया जाए। जब दो चार officers के खिलाफ action लिया जाएगा तो दूसरे officers खबरदार हो जाएंगे और वह खुद बखुद इन्साफ करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर ग़लत काम करने वालों को दरगुज़र किया जाता है। Minister साहिब ने जो खुद ग़लती की है उसे legalise करने के लिये अब House को कह रहे हैं। पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं। उन के मुताल्लिक अगर पूछा जाए तो Chief Minister साहिब कह देते हैं कि वह debentures तो किसी और ने खरीदे थे। इसी तरह जब कोई और Government आएगी तो वह भी कह दिया करेंगे कि यह तो पहली Government ने किया था। आप को चाहिये कि आप सारी चीज़ को पहले से ही सोच कर किया करें ताकि वह मज़ाक का मौज़ू न बने। इस के इलावा स्पीकर साहिब, बड़ी बड़ी नौकरियों की आज इतनी बढ़ौतरी हो रही है कि हमारा खर्च बहुत बढ़ता जा रहा है। और जितनी भी powers हैं उन को decentralise करने की बजाए Government इकट्ठा कर के अपने हाथ में ले रही है। यह चीज़ democracy के असूल के खिलाफ है। यह dictatorship वाली policy है जो कि Congress के असूलों के खिलाफ बात है। एक तरफ तो जो गुनाह करने वाले officers हैं उन को कोई पूछता नहीं है दूसरी तरफ जो नीचे के powers हैं उन को छीन कर ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं। यह जो scheme तोड़ने का अख्तियार लिया जा रहा है उस के नतायज बहुत बुरे हो सकते हैं। जो इन्होंने पहले स्कीमें तोड़ी हैं उन को legalise करने का रास्ता ही नहीं अख्तियार कर रहे बल्कि आयंदा के लिए भी वह ताकत अपने हाथ में ले रहे हैं। Government को चाहिए कि आयंदा के लिए यह power अपने हाथ में न ले। Government को चाहिए कि उन officers को खींच कर रखे जो गलत काम करते हैं ताकि Secretariat के सामने जो हजारों की गिनती में लोगों का मेला लगा रहता है वह न लगा रहे। नाइन्साफी करने वाले officers को protection देनी हमारे सूबे के interest के खिलाफ बात है। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम लोग शिकायतें ले कर आएं और अगर कोई आदमी शिकायत ले कर आए कि मेरे साथ फलां officer ने

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

बेइन्साफी की है तो फिर उस officer को सज़ा दी जाए। मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूंगा जो Government ज्यादा powers लेना चाहती हैं वह न ले, जो officers गलतियां करते हैं उन को सज़ा दे और जिन लोगों को Chief Minister साहिब ने चिटें दी हुई हैं उन के misuse को रोका जाए। इन अलफाज़ के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री राम चन्द्र कामरेड (नूरपुर) : स्पीकर साहिब, चाहे Agriculture हो या कोई और industry हो, nationalisation और socialisation ही उस का वाहद हल है। लेकिन मौजूदा हालात में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि consolidation कुछ हद तक हालात को बेहतर बनाने के लिए अच्छा साबित हुआ है। Consolidation के दौरान में यह मौका आया कि कोई common land बनाई जाए जिस को गांव के लोग खुशी से दें और सब लोग उस को सांझे मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकें। यह मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा कदम है जो Government ने उठाया है। Consolidation के दौरान में यह चीज़ होती रही है जो कि काबले तारीफ है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहां जल्दी जल्दी कानून पास होते हैं, उन की फिर तरमीम होती है और उस के बाद तरमीम दर तरमीम होती है यह बायसे फख्रचीज़ नहीं है। मैं हाउस से गुज़ारिश करूंगा कि अगर आप Minister की गलतिया निकालना चाहें तो बेशक निकालें लेकिन जिस चीज़ में लोगों का सांझा मुफाद हो उस की मुखालफित नहीं करनी चाहिए। अगर इतना अर्सा कुछ officers ने socialist pattern के aim को सामने रख कर गलत फहमी में कुछ ज़मीनें joint मफाद के लिए reserve कर दी हैं जो मौजूदा कानून के मुताबिक नहीं तो मैं समझता हूं कि अब मौका ऐसा आया है कि हम उन को जरूर legalise करें। मैं यह नहीं चाहता कि हम कोई कायदा न बनाएं और उस चीज़ को ठीक न करें। हमारी Government ने socialistic pattern of society का उद्देश्य अपनाया हुआ है। इस लिए कानून उस के मुताबिक बनने ही चाहिए। बाज़ दफा ऐसा होता है कि यह ideal तो हमारे सामने रह जाता है कि हम collective use के लिए कोई काम करें लेकिन कानून बनने से रह जाता हैं। जब कानून बनने से रह जाए तो हमारी तरक्की रुकती है। यह कानून बेशक High Court के फैसले के बाद बन रहा है मगर बात सामने आ जाने पर कानूनी गलती का सुधार करने और बुन्यादी उद्देश्य की तरफ बढ़ने के लिये यह कानून बनाना ही चाहिये। आप वज़ीर की नुक्ताचीनी करें क्योंकि उन्होंने पहले कानून बनाते वक्त इस को मुकम्मल नहीं बनाया। मगर उस खामी को दूर करने की opportunity आए तो उस खामी को दूर कर लेना चाहिए।

लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस गलती में यहां नीयत का सवाल भी है। जिस नीयत से यह कानून बनाया गया था वह यह थी कि लोगों के जो common interests हैं उन को तरक्की दी जाए। अगर वज़ीरों ने और गवर्नमैंट अफसरान ने यह common interest में किया है तो हमारा भी यह फर्ज हो जाता है कि जो

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम चन्द्र कामरेड]
कानून वह सुधार की नीयत से लाते हैं उस में उनकी इमदाद करें। तो, स्पीकर साहिब, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि मैं यह मसझता हूं कि as a matter of principle जो कुछ वज़ीर साहिबान ने किया है और अफसरों ने भी जो किया है वह नेकनीयती से किया है और common interests को बढ़ाने के लिए किया है। मैं इस चीज़ को बुन्यादी तौर पर support करता हूं और इच्छुक हूं कि इस फेल को किसी तरीके से cover करना चाहिए और इस को cover करने का तरीका यही है जो इन्होंने इख्तियार किया है कि यह amending बिल लाए हैं।

दूसरी चीज यह है कि हमें यह भी शिकायत है कि बाजऔकात consolidation सकीमों में political pressure की बिना पर भी रद्दोबदल की जाती है। इस संबन्ध में मेरी राय है कि कोई न कोई आखरी authority होनी चाहिए जो इन चीजों को सुनने के लिए आखरी मौका दे। मैं चाहता हूं इस लिये अगर यह आखरी अपील किसी judicial अफसर के हवाले कर दी जाए तो यह बेहतर हो। लेकिन मैं समझता हूं कि जब छोटी सतह पर इन्साफ नहीं होता है तो बुलंद सतह पर लोगों को इन्साफ देने के लिए कोई न कोई मौका लोगों को होना चाहिए। हां इस को judicial channel के द्वारा किया जाये तो लोगों को शिकायत नहीं होगी। मैं इस बिल को अवाम के मफाद का समझता हूं और चाहता हूं कि इस की ताईद की जाए।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੈ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ suggestions ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਬਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਇਸ spirit ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ suggestions ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ uneconomic holdings ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ loophole ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ agree ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ Constitution ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। Constitution ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 31 ਵਿਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ public purchases ਲਈ ਸਰਕਾਰ nominal ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ loophole ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ loophole ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ landowners ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫ਼ਰਾਖ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰਾਇਤ ਪੇਸ਼ਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੇ ਵਧ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਨੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਨਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ majority ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ majority ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ funds ਇਸੇ majority ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜਕਲ development ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ Community Projects ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ maintain ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਅਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਰਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਰਸਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਕੀ ਵਲ ਤਵਜੁਹ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਬੇਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਹੈ ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਫੇਰ ਇਸ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰੁਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਅਲਜ਼ਾਮ-ਤਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

12 noon

ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੇ ਕੱਚੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ note ਕਰੋ ਸਕੀਮ ਕੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਪੱਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ notes ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ peasantry ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਔਰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਸੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰੇ ਜਿਥੇ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ challenge ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ।

Sardar Harchand Singh : Sir, I beg to move that the question be now put.

श्री अध्यक्ष : कल Business Advisory Committee में जो फैसला हुआ था उस के मुताबिक 11-35 तक बहस खत्म हो जानी चाहिए थी लेकिन मैं देखता हूं कि अभी बहुत से साहिबान खड़े हैं। (According to the decision of Business Advisory Committee the discussion on this Bill should have concluded by 11-35 but I find that still so many members have risen to speak on it.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' (ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ-ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ consolidation ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ average 1½ ਏਕੜ ਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ average 3/4 ਏਕੜ ਯਾ 6 ਕਨਾਲ ਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ development ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂਹ ਤੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ, ਚਾਰਪਾਈਆਂ ਡਾਹੁਣ ਤੇ ਰਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਦੇ staff ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦ 5 ਮਰਲੇ ਦੀ provision ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਨਾਲ ਜਾਂ 10 ਮਰਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ playgrounds ਬਨਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਣ। ਕਲਾਜ਼ 3 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—providing income for the Village Panchayat ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਦਿਉ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ 10—15 per cent ਅਗੇ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 20 per cent ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। Article 31-A of the Constitution ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਗੈਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ common purposes ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ drafting ਵੇਲੇ ਸੁਚਜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ equity, good conscience and justice ਤੇ based ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟੇਢ੍ਹੇ ਵਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਦ ਤੇ undo ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। Learned judges ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ proprietors ਦੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕੀ ਦਾ husk ਯਾਨੀ ਛਿਲਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ rules ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ 30 standard acres ਤੋਂ ਘਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲਈ ਜਾਏ ਔਰ ਜੋ surplus ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਜਾਏ, uneconomic holdings ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਜਜਾਂ ਦੇ ਹਥ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ']

ਨਾਲ Amending Bill ਲਿਆਕੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ Constitution ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਅਧੀਕਾਰਾਂ ਦੀ infringement ਕਰਨਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਹਰ level ਤੇ ਭਾਰੇ tax ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, Red Cross ਲਈ ਚੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਦੇ ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਸਾਨ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਅਧਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਐਸੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਕਦ ਰਕਮ ਨਾ ਲਓ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, clause 3 ਤੇ Principal Act ਦੇ section 42 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ provision ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੁਆਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ stage ਤੇ ਵੀ revise ਜਾਂ rescind ਕਰਨ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੋਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ most undemocratic ਹੈ । ਇਹ ਹਕ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹਥ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Local conditions ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਖਰੀਆਂ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ Secretariat ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ officials ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਕ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਗਲ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ, ਕੁਰਪਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਰਮੀਮੀ clause ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬਦਲਨ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦਫਤਰ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ amending bill ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ contribute ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਨ ।

चौधरी सुमेर सिंह (हसनपुर) : स्पीकर साहिब, यह जो पंडित श्री राम शर्मा ने इस बिल की मुखालफत की है उस के मुताल्लिक मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। उन को शायद अपने अख्तियारात का ज़माना भूल गया है। जब रिवाड़ी की म्युनिसिपल कमेटी बनी तो उन्होंने अपने आदमी वहां नामज़द किये । कमेटी में अपनी अक्सरियत होने की

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

वजह से उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवाए। पंडित जी ने फरमाया कि consolidation के काम में corruption होती है। मैं इस सिलसिले में पंडित जी को वाक्यात बयान करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वाक्या बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं आप असल बात पर आइये [There is no necessity of narrating the incident. The hon. Member should come to the point.]

चौधरी सुमेर सिंह : स्पीकर साहिब, मैं सारे वाक्यात बयान नहीं करता। इतना अर्ज़ करूंगा कि कायदा यह है कि गांव की बाकायदा पैमायश होती है। मशावरती कमेटी 10-15 आदमियों की बनती है जो रैज़ोल्यूशन पास करती है कि इस तरीके से ज़मीन तकसीम की जाए। बहुत सी ज़मीन reserve की जाती है कुछ हरिजनों के मकान बनाने के लिये और कुछ पंचायत के लिये जो ज़मीन हरिजनों के मकान बनाने के लिये reserve होती थी वह बाज़ औकात ऐसी inferior type की होती कि वहां ठीक तौर पर मकान नहीं बन सकते थे। वे लोग गवर्नमैंट के पास शिकायत करते थे कि जो ज़मीनें उन्हें दी गई हैं वह कल्लर है और वहां पर मकान ठीक तौर पर नहीं बन सकते। इस के लिये गवर्नमैंट के पास कोई चारा नहीं था, कोई अख्तियार नहीं था कि वह स्कीम को revise or rescind कर सके। रिपोर्ट करने के बाद कार्रवाई की जा सकती थी। इस तरह से तकसीम दोबारा होती थी और दोबारा काम होता था। इस बात से बचने के लिये गवर्नमैंट ने यह तरमीम की है ताकि लोगों को सहूलियत हो। कुछ मेंम्बर साहिबान ने एतराज़ उठाया है कि section 42 में गवर्नमैंट को अख्तियारात नहीं दिये जाने चाहियें कि वह स्कीम में रद्दो बदल कर सके। जब मिनिस्टर साहिब चण्डीगढ़ या किसी ज़िला के headquarter में जा कर फैसला करते हैं या किसी गांव में जाते हैं तो उन के साथ Director होता है, Settlement Officer उन के साथ होता है और गांव की सारी पब्लिक वहां मौजूद होती है। उन सब की मौजूदगी में देखा जाता है कि लोगों को क्या तकलीफ है और उन के साथ क्या बेइनसाफी हुई है। उन लोगों की रज़ामंदी के बगैर स्कीम में कोई तबदीली नहीं की जाती। यह जो कहा गया है कि political pressure या किसी और वजह से नाजायज़ फायदा पहुंचाने की गर्ज़ से ऐसा किया जाता है यह सरासर ग़लत बात है। मौके पर जा कर इस चीज़ का फैसला किया जाता है। Director और Settlement Officer भी देखते हैं और गांव के सब आदमी भी वहां मौजूद होते हैं। वे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि अफसरान ठीक कर रहे हैं या ग़लती कर रहे हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि section 42 के मातहत जो अख्तियार मिले हैं उन के rules बने हुए हैं और settlement officer से मश्विरा करने के बाद स्कीम वगैरह में तबदीली की जाती है। यह कहना सरासर ग़लत है कि पोलिटीकल pressure पड़ने से स्कीमों में रद्दोबदल किया जाता है और section 42 में अफसरान को अख्तियार देने से वे लोगों को नाजायज़ फायदा पहुंचा देंगे। आखिर वज़ीर साहिब भी तो लोगों के नुमायदे हैं, लोगों ने उन्हें elect किया है। वह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। ऐसी सूरत

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी सुमेर सिंह]
में यह कहना कि यह अख्तियारात मिनिस्टर साहिब को नहीं होने चाहियें यह ग़लत बात है। अगर वह ऐसे मामलात में दखल न दें तो अफसरान को डर न रहेगा। इन हालात में यह ज़रूरी है कि section 42 के तहत मिनिस्टर साहिब को अख्तियारात ज़रूर होने चाहियें ताकि वह अफसरान के ऊपर कड़ी निगरानी रख सकें। इस तरह से कोई अफसर भी कायदे के खिलाफ काम नहीं कर सकेगा। और लोगों से बेइनसाफी नहीं होगी।।

उनकी तकलीफ को रफा कर दिया है तो कोई वजह नहीं है कि जो काम किसी आदमी की हकतलफी को दूर करने के लिये किसी अफसर ने कर दिया या किसी वज़ीर ने कर दिया उस को किसी technical objection की बिना पर validate न किया जाए। अब जब हाई कोर्ट ने उस पर एतराज़ किया है तो उस कानून में तबदीली की जा रही है। हाई कोर्ट के फैसले को माना जा रहा है और उस गलती को दूर किया जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को मानते हैं आयंदा कोई खामी नहीं रहेगी। इस लिये इस को पास किया जाना चाहिये।

इस के आगे मेरे एक फाज़ल दोस्त ने फरमाया कि वुज़रा लोग गांव में मौके पर जा कर ज़मीनें देखते फिरते हैं। यह तो और भी अच्छी बात है क्योंकि कोई ज़मीन किसी तरह की होती है कोई कल्लर वाली होती है और कोई सेम वाली होती है तो applicants कहते हैं कि साहिब आप मौके पर जा कर देखें और फिर मेरी दरखास्त पर फैसला दें। इस के दो फायदे हैं एक तो यह कि दरखास्त देने वाले की तसल्ली हो जाती है और दूसरे मौके पर जा कर सही हालात का पता लग जाता है और सही इन्साफ दिया जा सकता है। मैं अर्ज़ करूंगा कि यह बिल बिल्कुल ठीक है इस को पास किया जाना चाहिये।

शर्मा जी ने फरमाया कि यहां पर रेज़ोल्यूशन पास हो जाते हैं लेकिन गांव में किसी को पता नहीं लगता मैं कहता हूं कि यह गलत बात है। जब कोई रेज़ोल्यूशन पास होता है तो उस की बाकायदा मुनादी होती है कि फलां फलां स्कीम तैयार होगी। जिन लोगों की उस में दिलचस्पी होती है वे हाज़िर होते हैं। जिन को दिलचस्पी नहीं होती या जो लोग तवज्जुह नहीं देते वे गैर हाज़िर रहते हैं। जब मुनादी कर दी जाती है तो हर एक इनसान का फर्ज़ है कि वह वहां मौके पर हाज़िर हो। रेज़ोल्यूशन बताए बगैर कोई कार्यवाही नहीं होती। अनपढ़ लोगों के अंगूठे लगाए जाते हैं और पढ़े लिखों के दस्तखत लिये जाते हैं तब कहीं जा कर कार्यवाही होती है। यह कहना कि लोगों को पता ही नहीं लगता, गलत है। सब को मालूम होता है। जो लोग दफा 42 के मातहत अर्ज़ी देते हैं उन का फैसला किया जाता है। इस वक्त कोई 20 से 30 हज़ार तक दफा 42 के मातहत दरखास्तें pending पड़ी हुई हैं। वे सब ज़ेरे गौर हैं। उन का फैसला करने के लिये एक बड़े अफसर की पोस्ट additional मंज़ूर की गई है ताकि जल्दी इन का deal किया जा सके। इस लिये मैं कहता हूं कि इस में बुरी बात कोई नहीं है इस को जल्दी ही पास किया जाना चाहिये।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी बारू राम (राजौंद) : स्पीकर साहिब, इस बिल की अब third reading है। जब इस बिल को ध्यान से देखा जाता है तो मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट ने अहद कर रखा है कि बेज़बान किसान को कुचला जाए। किसी न किसी तरीके से उस की ग़ैरत को challenge किया जाता है। हर एक कदम पर ऐसा होता है। मैं तीन साल से देख रहा हूं कि इस हाउस में जितने भी बिल आए हैं और आयंदा भी जो आने वाले हैं उन में भी देखा है कि किसी न किसी ढंग से किसान की गैरत को challenge किया जाता है। इस बिल के ज़रिए किसान से ज़मीन हासिल कर के सरकार दो purposes के लिये reserve करना चाहती है, एक अबादी के लिये और दूसरे पंचायत की income बढ़ाने के लिये। इस के साथ साथ सरकार ने जो पीछे गुनाह किये हैं उन को कानूनी शक्ल देने के लिये इस बिल के ज़रिए amendment लाई जा रही है। सरकार ने जो गलतियां कीं और गैर कानूनी कार्यवाही की लोगों ने उस के खिलाफ हाई कोर्ट में जा कर चारा जोई की और उन को challenge किया और उन सब को गैर कानूनी करार दिलवाया। नतीजा यह हुआ कि आज इस शक्ल में यह बिल हमारे सामने आया है। यहां पर जो मार पड़ती है उस के खिलाफ न कोई दलील है और न ही कोई अपील है। सिर्फ यह कह दिया जाता है कि पंचायत की income बढ़ाने के लिये ज़मीन की ज़रूरत है। मैं पूछता हूं कि आया पंचायत की आमदनी सिर्फ ज़मीन से ही बढ़ सकती है या कोई और भी तरीका हो सकता है? मालूम तो यह होता है कि उन की नीयत ही बेज़बान किसान पर जुल्म करने की है। जब टैक्स लगाया जाता है तो वह भी दूसरी बरादरी से ज़्यादा किसानों पर लगता है। जब पंचायत में टेक्स लगाया जाता है तो उस वक्त भी भेद भाव से काम लिया जाता है। अब एक चीज़ और आने वाली है, जबरदस्ती लेबर। वह भी किसान पर ही ठोंसी जाएगी। Common Land के नाम पर भी जो ज़मीन ली गई वह भी किसान से ही ली गई। अगर पंचायत की आमदनी बढ़ानी है तो उस के लिये दूसरे ज़राये भी हो सकते हैं। अभी मेरे दोस्त ने फरमाया है कि जो ज़मीन तीस standard acres से ज़्यादा लोगों के पास है वह गवर्नमेंट उन से ले रही है और यह काम अभी चालू है। अगर पंचायत के लिये वाकई सरकार ज़मीनें reserve करना चाहती है तो क्या वह ज़मीन reserve नहीं की जा सकती। सरकार ने जो वायदे हरिजनों से किये थे कि हम तुम्हें ज़मीन देंगे उन को पूरा करने के लिये दिखावे के तौर पर यह तरीका अख्तियार कर रखा है कि इस तरह से थोड़ी थोड़ी कर के किसानों की ज़मीन छीन ली जाए और आगे तकसीम कर दी जाए। इस में कोई दो राए नहीं हो सकतीं कि आबादी के लिये अगर ज़मीन की ज़रूरत है तो वह हर एक community को है चाहे वह काश्तकार है या गैर काश्तकार है लेकिन चूंकि ज़मीन काश्तकार के पास ही है तो मकानात वगैरह बनाने के लिये उस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब पंचायत की income बढ़ाने का सवाल आता है तो मैं पूछता हूं कि क्या यह काम भी सिर्फ किसान के ज़िम्मे ही रह जाता है कि वे पंचायत की आमदनी को बढ़ाएं गांव में दूसरे लोग जो बसते हैं क्या उन का कोई फर्ज़ नहीं रह जाता? ज़मीन के बगैर दूसरा वसीला किसानों के पास है नहीं कि वे अपनी रोटी कमा कर खा सकें।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी बारू राम]

पता नहीं लगता कि इस किस्म के हथियार हमारी सरकार क्यों इस्तेमाल कर रही है। या तो किसान से कह दिया जाए कि देश से तेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, तू यहां रहने का अधिकारी नहीं है या जैसे हम तो झटके में believe करते है। मगर यह हलाल क्यों किया जा रहा है। किसी बहाने कभी हाथ, कभी अंगुल, कभी टांग काटी जाती है और फिर नश्तर गर्दन पर आता है। हमारे विश्वासों का तो कोई किसाई ऐसे नहीं करता। अगर आप का मकसद ultimately ज़मीन को nationalise करने का ही है तो क्यों नहीं एकदम कर लेते? बहाने पर बहाना क्यों बनाया जा रहा है? कहते हैं कि Community की जरूरियात के लिए Consolidation ज़रूरी है। Consolidation ही कोई वाहद जरूरत नहीं जिसके लिए community तड़प रही है। उसकी जरूरियात को पूरा करने के लिए कारखाने भी तो लगाए जा सकते हैं, नई industries खोली जा सकती हैं। और भी कई वसीले किए जा सकते हैं। दर असल मैं समझता हूं कि जिस तरीके से यह consolidation का काम किया जा रहा है उससे किसानों के अन्दर common purposes के लिए काम करने के incentive को ही खत्म किया जा रहा है। किसानों ने बड़े बड़े काम किए है--बगैर सरकार की मदद के। उन्हों ने बड़ी बड़ी buildings खड़ी की हैं, स्कूल बनाए हैं, हस्पताल बनाए हैं। क्या सरकार ने उनमें जाकर प्रचार किया था कि वह ये काम करें वह खुद चाहते हैं कि वहां सड़कें बनें दिहाती आबादी की तरक्की हो वह तरक्की के रासते पर दूसरों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ें। लेकिन इस ढंग से नहीं जिस ढंग से हमारी यह सरकार करना चाहती है। अगर जरूरत है तो मांग करो। हस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिये, और दूसरे purposes के लिए उन से ज़मीन लो लेकिन उन्हें compensation भी तो दो। स्पीकर साहिब, इस से पहले भी सड़कों और नहरों वगैरा के लिए सरकार ने देहातियों की ज़मीनें acquire कीं मगर अभी तक compensation की एक पाई तक उन्हें अदा नहीं की। अगर कोई सड़क गांव में से निकलती है, कोई राजबाहा है तो उस के लिए ज़मीन का compensation किस को दिलाया जा रहा है? Owners को नहीं, स्पीकर साहिब, पंचायतों को। आखिर कहीं तो इन्साफ की बात होनी चाहिए। हमें कोई गिला नहीं अगर हरेक के साथ इन्साफ हो, हरेक के साथ मसावी सलूक हो। लेकिन हम पूछते हैं कि क्यों भारतवर्ष की society के एक अंग को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? स्पीकर साहिब, इस stage पर मैं ज़्यादा बात न करता हुआ यही अर्ज़ करना चाहता हूं कि हर बात पर हमारी सरकार का जो भेद भाव करने का नज़रिया और सलूक है, यह अच्छा नहीं। इस लिए जो सरकार का मन्शा है उस की वजह से मैं इस बिल की मुखालफत करता हूं कि यह बिल हरगिज़ पास नहीं होना चाहिए क्योंकि इस में किसानों की गैरत को challenge किया गया है। स्पीकर साहिब, ये खुद किसानों के नुमायन्दे बन कर उन के interests पर कुल्हाड़ा चला रहे हैं। इस से ज्यादा अफसोस नाक बात और क्या हो सकती है। इस लिए यह बिल पास नहीं होना चाहिए।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Harbhagwan Moudgil : Sir I beg to move —

That the question be now put.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, अभी तो हमने बोलना है। अभी और मौका दिया जाए क्योंकि बिल बड़ा important है।

श्री अध्यक्ष : पहले तीन बार closure move किया जा चुका है लेकिन मैं इस को avoid करता रहा। I am sorry, अब तो मुझे यह put करना ही पड़ेगा। (The closure motion has already been moved thrice but I have been avoiding it. I am sorry, now I will have to put it to the vote of the House.)

Mr. Speaker : Question is —

That the question be now put.

The motion was carried.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (राम्रो बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहिब, इस बिल की तीसरी reading पर आप ने आनरेबल मेम्बरान को बहस करने का काफी मौका दिया और उन्होंने वही बातें फिर दुहराईं जो कि इस बिल की first reading और clause by clause discussion के मौका पर कहीं थीं। उन का जवाब भी मैं उसी वक्त देता रहा हूं। अब जो points फिर उठाए गए हैं, कोशिश करूंगा कि उन के बारे में hon. Members की तसल्ली की जा सके।

(*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the chair*)

मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब कि इस छोटे से बिल की आड़ में general तौर पर consolidation के काम पर हमले किए गए। स्पीकर साहिब, hon. Members इस बात को बखूबी जानते हैं कि consolidation के field में जो काम पंजाब के अन्दर हो रहा है वह बेहतरीन तरीके से हो रहा है और हमें इस बात का फ़ख्र है कि हिन्दुस्तान के अन्दर और कोई भी State कम से कम consolidation के काम में पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकती। यहां पर पिछले दस सालों के अन्दर आधा रकबा consolidate हो चुका है। लोगों के फायदे के लिए गांव की अबादी की तौसीह की जाती है, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए, खेल के मैदानों के लिए और दूसरे common purposes के लिए ज़मीन दी जाती है और पंचायतों के लिए रकबा reserve किया जाता है। यह अपने पंजाब में निराला ही ढंग है, पंजाब के हालात को देखते हुए, लोगों की जरूरियात को देखते हुए यह निहायत ज़रूरी है कि इस तरह के common purposes के लिए—जिन के लिए अब तक ज़मीन छोड़ी जाती है, आयन्दा भी जिन गांवों के अन्दर consolidation होने वाली है, वहां भी छोड़ी जाए ताकि किसी तरह की discrimination न हो और आयन्दा देहातों की तरक्की के रास्ते में इस वजह से कोई रुकावट पैदा न हो।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री]

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं जिस पर एतराज़ की गुंजायश हो। Scope इसका ज्यों का त्यों है। Title ज़रूर बदला गया है लेकिन वह एक technical सी बात है। High Court ने एक view लिया कि "common purposes" जिस तरह से इस बिल के अन्दर defined है, उसके तहत एक बात नहीं आती कि पंचायतों के लिए land reserve की जा सके। उन्होंने यह तो मान लिया कि गांव की तौसीह के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, buildings बनाने के लिए तो common purposes में ज़मीन आ जाती है, वह तो बेशक हो, लेकिन पंचायत के लिए ज़मीन reserve करना common purposes की definition में cover नहीं होता। हालांकि सरकार की intention यह भी है। उसी के तहत rules बनाए गए जो कि इस Act के तहत High Court ने *ultra vires* करार दे दिए। इस लिए इस बिल को लाने का सरकार का मकसद यही है कि चूंकि High Court ने इस खास बात पर एतराज़ किया है, इस लिए उसको कानूनी तौर पर meet किया जा सके।

दफा 42 में यह provided था कि किसी stage पर अगर गवर्मेंट महसूस करे कि किसी के साथ बेइन्साफी हुई है तो कागज़ात मंगवा कर देख लिए जाएं, वह अफसर जिसको powers delegated हों वह उनके तहत कार्यवाही करे और कोई फर्क मालूम हो तो उसे दूर किया जा सके। और लोगों के साथ इन्साफ हो बशर्ते कि पहले parties को सुन लिया जाए। इस तरीके पर पिछले दस सालों से अमल होता रहा है। अब High Court ने करार दिया है कि 'order' का मतलब यह है कि जो file के ऊपर "Judicial order" हो। लेकिन इस सूरत में तो और भी "orders" होते हैं consolidation की स्कीम के मुताल्लिक "order" होता है, partition के वक्त "order" होता है, तब्दील करने का 'order' होता है। तो इस का मतलब यह हुआ कि judicial order के अलावा और कोई 'order' हो नहीं सकता। स्पीकर साहिब, अगर दफा 42 के अन्दर इस तरह के orders न हो सकें तो consolidation के काम में रूकावट आ पड़ती है—जैसा कि बाज़औकात एतराज़ किया गया। इस point का जवाब चौधरी सुमेर सिंह जी ने निहायत अच्छी तरह से दिया है जब कोई स्कीम revoke की जाती है तो आर्डर पास किया जाता है, बाकायदा notice दिया जाता है, parties को बुलाया जाता है, case को examine किया जाता है, S. O. वगैरह की opinion ली जाती है, पिछले फैसले देखे जाते हैं और उसके बाद ज़रूरत महसूस हो तो अगर मनिस्टर interfere करता है और मौके पर जाकर तसल्ली कर लेता है, सब लोगों को मौके पर मिलता और उनकी बात को सुनता है तो इसमें कौन सी ज्यादती आ जाती है? स्पीकर साहिब, उतनी बातों का अदालत के कमरे में बैठकर पता नहीं चल सकता जितना कि मौके पर जाकर हालात का जायज़ा लिया जा सकता है। जब एतराज़ सही हो और जब अफसरान से पूछा जाता है कि क्या तुम ठीक कर सकते हो और वह मजबूरी ज़ाहिर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

करते हैं कि हम तो इस स्कीम के तहत कुछ नहीं कर सकते तो उस हालात में सरकार को इसे revoke करना पड़ता है और बेइन्साफी को दूर करना पड़ता है। अगर सारी scheme को amend किया जाए तो बहुत रुपया खर्च आए, लोगों को तकलीफ हो और गैर ज़रूरी बातें हों। इस लिए उस order के मुताबिक स्कीम को partially amend करके फैसले करवा रहे हैं।

अब अगर वही चीज़ हम अपने उसी तरीके से चलाने के लिये दुरुस्त कर के लायें और High Court की तसल्ली भी करा दें तो मैं समझता हूं कि इस में एतराज़ क्या हो सकता है। दफा 42 के जो लफज़ थे :—

"An order passed by any officer under this Act."

अब इस की बजाए यह कर दिया है :—

"Any order passed, scheme prepared or confirmed or repartition made by any officer under this Act."

इस में वे सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। कहा गया है कि स्कीम तब्दील नहीं हो सकती और सरकार यह नया अख्तियार ले रही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह कोई नया अख्तियार नहीं है। अगर स्कीम तब्दील करनी पड़े तो उस की भी provision पहले से मौजूद है। दफा 36 में जो authority स्कीम को बनाती है वही authority उसे revoke भी कर सकती है लेकिन वह ऐसा State गवर्नमेंट की मंज़ूरी लेने के बाद कर सकती है। दफा 36 में यह provision है कि दफा 42 में जो enquiry होती है उस enquiry के मुताबिक action section 36 के नीचे लिया जाये। तो तकलीफ होती है जब बजाये दफा 42 के ऐसा हो जाये जो दफा 36 में नहीं होता।

इसी तरह से common purposes के लिये common land की बात इस में आती है। जितने एतराज़ चौधरी धर्म सिंह राठी ने और चौधरी बलबीर सिंह ने और दूसरे साथियों ने भी किये हैं मैं नहीं समझता कि किस तरीका से उन्होंने यह चीज़ यहां पर रखी है कि सरकार इस बारे में नये अख्तियार ले रही है। ऐसी बात तो है नहीं। बिल में common purpose की definition यह दी हुई है :

"Common purpose means any purpose in relation to any common need, convenience or benefit of the village".

पर इस मकस्द को पूरा करने के लिये State Government ने rules बनाए हुए हैं। Common purposes के लिये common land लेने के लिये State Government ने जो rules शामिल किये हैं वह एक मुनासिब बात है। बाज़ गांव के अन्दर शामलात ज़मीन होती है और शामलात ज़मीनों की पूरी मिल्कियत गांव की पंचायतों को दे दी गई हुई है और जहां शामलात ज़मीन होती है वहां तो common purposes के लिये और ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं होती और जहां शामलात ज़मीन नहीं होती वहां common purposes के लिये ज़मीन हासिल करनी है। इस पर सरदार गुरमीत सिंह ने और पंडित राम किशन कामरेड ने एतराज़ किया है। मैं समझ नहीं सका कि बावजूद इस बात के कि इस चीज़ पर जब यहां

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

पिछली बार बहस हुई थी तो मैं ने यह चीज़ बयान की थी कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इन्हों ने यह एतराज़ कर दिया है। हालांकि जो छोटे छोटे landowners हैं अगर उन पर भी यह cut लगाई जाये तो उन पर इस का कोई खास असर नहीं पड़ता क्योंकि एक गांव की जितनी ज़मीन होती है उस में से कुल दो per cent या इस से भी कम ज़मीन reserve की जाती है। अगर एक गांव की कुल 150 एकड़ या इस से कम ज़मीन होती है तो उस में common purposes के लिये ज़मीन ली ही नहीं जाती और जिस गांव की 150 एकड़ और 300 एकड़ के दरमियान ज़मीन हो वहां यह कुल पांच एकड़ ज़मीन ली जाती है और जो 300 से 500 एकड़ ज़मीन का गांव हो तो उस में 10 एकड़ ज़मीन इस मतलब के लिये ली जाती है तो यह कुल एक per cent या $\frac{1}{2}$ या 2 दो per cent ही बनतो है इस से ज्यादा नहीं। तो आप ही बताइये कि अगर एक छोटे land owner की कुल दो या तीन एकड़ की uneconomic holding हो उस में इस cut से कितना फर्क पड़ेगा और इस का उस पर कितना असर पड़ेगा। यह आप ही हिसाब लगा कर देख लीजिये, मुझे तो हिसाब लगाना आता ही नहीं। तो इस cut का छोटे landowners पर कोई असर नहीं पड़ता अगर इस का असर पड़ता है तो यह बड़े मालकान पर पड़ता है और जैसा कि मैं ने पहले कहा था कि यह बड़े मालिकान ही हैं जो इस चीज़ से परेशान होते हैं जो High Court और Supreme Court तक जाते हैं और छोटे मालिकान तो इस के लिये एतराज़ ही नहीं करते। आम तौर पर लोग खुश हैं कि पंचायतों के लिये रक्बा रखा जाता है और वे खुशी से पंचायतों को common purposes के लिये ज़मीन देते हैं। और वे कहते हैं कि अगर उन की मर्ज़ी से यह रक्बा पंचायतों के लिये reserve हो जायेगा तो अदालतें इस में क्या करेंगी। इसी लिये जब से High Court ने यह फैसला दिया है उन से उन के बयान ले कर रक्बा लिया गया है।

सरदार गुरमीत सिंह ने कहा है कि यह बेहतर होगा कि इस तरह से छोटे मालिकों का रक्बा काटने की बजाये गांव में जो surplus areas हैं उन में से ज़मीन ले ली जाये। उन्हें यह पता होना चाहिये कि अव्वल तो surplus area सारे गांव में मिलता ही नहीं। Majority of villages ऐसे होंगे जहां surplus area है ही नहीं। दूसरी बात यह कि जिन के surplus areas में से ज़मीन ली जायेगी क्या उन्हें इस की compensation नहीं देनी पड़ेगी? मगर उन्हें compensation नहीं देंगे तो क्या वह High Court और Supreme Court में नहीं जा सकेंगे और अगर अब High Court यह कह सकती है कि जो ज़मीन गांव में common purposes के लिये ली गई है वह नाजायज़ है, यानी जो स्कूल के लिये ली गई है वह नाजायज़ है, रास्तों के लिये ली गई वह नाजायज़ है और इसी तरह खेल के मैदान के लिये जो ली गई है वह नाजायज़ है, तो फिर क्या वह नहीं कह सकेगी। आप ज़रा सोचें कि गांव की जो extension हो गई है जिस ज़मीन पर हरिजनों ने मकान बना लिये हैं और दूसरे लोगों ने मकान बनवा लिये हैं क्या वह तमाम गिरवा दिये

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

जाये ? अगर ऐसा किया जाये तो यह कहां तक वाजब होगा। कहने को तो राठी साहिब ने कह दिया लेकिन इन्हों ने इस के नतायज के बारे में सोचा ही नहीं। पंडित श्री राम शर्मा जी ने भी यही बात कह दी जो बड़े समझदार नज़र आते हैं लेकिन इस का अंजाम सोचा नहीं।

(*Interruption by Chaudhri Dharam Singh Rathi*)

मैं ने कहा है कि वह भी नाजायज़ करार दिया जा सकता है। अगर इस बिल को amend न करें तो यह Supreme Court में भी जा सकते हैं। High Court के आगे Supreme Court भी तो है।

स्पीकर साहिब, इस बिल में हम कोई नई चीज़ नहीं लाये। जो purpose , जो intention इस ऐक्ट के बनाते वक्त सरकार की थी और जिस ढंग से इस ऐक्ट के बन जाने के बाद सरकार सब कुछ करती रही है उसी चीज़ को सरकार इस बिल के द्वारा ज्यों की त्यों रखना चाहती है। सिर्फ इस के लफज़ों का फर्क है। जो उस Act की drafting में कमी रह गई थी अगर हम उस drafting को ठीक करते हैं और इस का मतलब वही बना रहता है तो फिर इस पर एतराज़ करने का क्या मतलब। अगर पिछला Act इन को मन्ज़ूर है तो यह बिल्कुल उसी के मुताबिक बना है इस लिये इस पर अब इन्हें एतराज़ नहीं करना चाहिये और अगर इन को सारा Act ही मन्ज़ूर नहीं है तो यह चीज़ इस के scope में नहीं है। इस clause में सिर्फ common purposes के लिये के शब्दों को ज़रा और clearly define किया गया है। पहली definition के मुकाबले में common purposes की definition को और वसीह कर दिया गया है।

"and include the following purposes —

(i) extension of the village Abadi; and

(ii) providing income for the Panchayat of the village concerned for the benefit of the village community".

इस में ज़रा और ज्यादा clear कर दिया गया है। अब जो पंचायतों को ज़मीन दी जा रही है इस में कोई नई बात नहीं है। Common purposes के लिये villages में common land का रिवाज बहुत पहले से चला आ रहा है और पहले जो शामलात की ज़मीन थी वह अब पंचायतों की property बन गई है और जहां शामलात ज़मीन नहीं थी वहां यह village common land create की गई है। इस की जो income होगी वह सारी village community के लिये utilize होगी। अगर किसी village पंचायत को पांच सौ या एक हज़ार आमदनी इस से हो जाये तो इस में क्या एतराज़ वाली बात है ?

डिप्टी स्पीकर साहिब, पंडित श्री राम शर्मा ने बड़े ज़ोर से कहा कि मुझे मालूम है कि Supreme Court में यह कानून रद्द हो जायगा। हालांकि स्पीकर साहिब, हमारे पास Legal Departments और experts हैं और हम सब ने इस बारे में बड़ा गौर किया है, तो भी हम इतनी तसल्ली से यह चीज़ नहीं कह सकते जितनी कि शर्मा जी ने कही है जिन्होंने यहीं आ कर शायद इस को देखा होगा। हम definitely नहीं कह सकते कि Supreme Court इस बारे क्या view लेगी। हमने इस को हर नुक्ता से

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[सिचाई तथा विधुत मंत्री]

मुबर्रा करने की कोशिश की है और हमारे legal experts का view है कि यह ultra-vires declare नहीं होगा। बहर हाल यह देखना तो Supreme Court का काम है। हम ने इस को पूरे इतमीनान से पास कराया है और उम्मीद है कि House इस को इसी शक्ल में पास कर देगा। (तालियां)

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That the East Punjab Holdings (Consolidation and Preventation of Fragmentation) (Second Amendment and Validation) Bill, 1960, as amended, be passed.

The motion was carried.

THE INDIAN STAMP (PUNJAB AMENDMENT) BILL 1960

(RESUMPTION OF CONSIDERATION)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਜਨਾਬ ਕਲ stamp duty bill ਬਾਰੇ house ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਚਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ....

Mr. Deputy Speaker: I think you are speaking on clause 2.

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਹਾਂ ਜੀ। ਇਕ ਦ points raise ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ decimal coinage ਦਾ provision ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਪੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ money bill ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ recommendation ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ recommendation ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ bill ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ introduction ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ bill ਦੀ consideration ਦੀ stage ਤੇ ਇਸ recommendation ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠ ਦਾ ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ law department ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਲਾਨੀ ੨ entry ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ bill ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ entries ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ...

चौधरी इन्दर सिंह : On a point of order Sir, जब यह इसे Money Bill खुद ही मानते हैं तो इस बारे में certificate बिल के साथ circulate होना चाहिये था। मेरे पास इस की copy है और गवर्नमेंट का certificate इस के साथ नहीं है। ऐसी सूरत से क्या हम इस के साथ proceed with कर सकते हैं

Mr. Deputy Speaker : The certificate is there.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी धर्म सिंह राठी : Financial certificate नहीं है दूसरा है जो पहले दिया जाता है ।

"The Governor has in pursuance of clause (1) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Punjab Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill."

श्री बलराम दास टंडन : यह सब को circulate नहीं हुआ है । यह पहले Bill में नहीं है । यह कैसे move हो सकता है ? हम इस पर आप की ruling चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों circulate हुए हैं । कई मैम्बर पहला ले आए हैं और कई दूसरा । इस से शायद confusion पैदा हो गया हो । (Both types of copies of the bill were circulated. Some of the Members have brought the first copy while others the second one. This has perhaps caused the confusion.)

माल मंत्री : Introduction stage पर जो bill circulate हुआ उस में यह चीज़ दर्ज होनी जरुरी थी । इस वक्त नहीं. . . .

Mr. Speaker: The matter is ruled out. Please proceed.

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ entries ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ bill ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ Indian Stamp Act ਰਾਇਜ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ Act ਬਾਰੇ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ act ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੋ 1922 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ Act ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ Schedule ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ (a) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿਚ entries 13, 14, 37, 47, 49, 52 ਅਤੇ 53 Central Subjects ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ act ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਬਾਕੀ entries 9, 11 ਅਤੇ 51 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤਰਮੀਮ ਉਥੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਰੁਪਿਏ ਤਾਂ ਰੁਪਿਏ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਥਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਿਏ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਜਿਥੇ charge ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ Shipping Stamp Duty ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ note of protest ਜੋ Shipping ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ Shipping Centre ਦਾ Subject ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ State ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅਲੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰ Central Government ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ State ਨਾਲ ਤੁਅਲੱਕ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਜੋ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ Bill ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹ charge ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ charge ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ । ਬਾਕੀ ਕਿ 60 ਪੈਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]
ਟਿਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਿਰਫ Act ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ Bill ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ......

श्री बल राम दास टंडन : जनाब time हो गया है ।

Mr Deputy Speaker: The House stands adjourned till 2 p.m. on Monday.

(*The Minister for Revenue was still in possession of the House when it adjourned.*

1 p. m.

The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Monday the 25th April 1960.

9039PVS—349—26-9-60—CP&S Pb Chandigrrh

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ANNEXURE 'A'

(See foot note on page (35)24 of this debate dated the 22nd April, 1960.)

CHITRA CO-OPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY OF JUGIANA, DISTRICT LUDHIANA

2506. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Community Development be pleased to state:—

(a) with reference to the reply to starred question No. 4965 printed in the list of questions for 22nd February, 1960, the details of business in which the Chitra Co-operative Multipurpose Society of Jugiana district Ludhiana is dealing since its start:

(b) the details of loan advanced to each section of the said society from the date it started functioning;

(c) whether any loan advanced to the said society has been remitted so far or is intended to be remitted; if so, the reasons thereof and the amount remitted or proposed to be remitted?

Sardar Gurbanta Singh :

(a) (i) Farming

(ii) Dairy

(iii) Industry

		Rs
(b)	(i) Farming	25,791.60
	(ii) Dairy	24,209.90
	(iii) Industry	20,157.84

Besides Central Bank loan, it includes share money of members and deposits of members and non-members.

(c) No.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha Debates

25th April, 1960

Vol. I No. 36

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 25th April, 1960.

Price : Rs 4.30 nP.

Original with: Punjab Vidhan Sabha Digitized by: Panjab Digital Library

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. 1 No. 36, DATED THE 25TH APRIL, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
1st April, 1960	1st Aprial, 1960	(36)2	Last but one
was	were	(36)3	2
indirectly	indirecty	(36)5	7
होगी	हागी	(36)5	Last
श्री बलराम दास टंडन	श्रो बलराम दास टंडन	(36)6	First
Government	G vernment	(36)14	Col. 5, 5
pay	ay	(36)15	Last
Education	Educatian	(36)16	First
respective	respsctive	(36)20	Col. 5, 4
stereo-typer	storeo-typer	(36)23	Col. 3, First
be	bc	(36)25	4th from below
Government	Governmet	(36)25	3rd from below
ability to do	ability do	(36)26	Col. 5, 2nd from below
Copy Holder	Copygolder	(36)30	Col. 2, 11
ਰਿਹਾ	ਹਿਹਾ	(36)38	25
amendment	emendment	(36)43	4
ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ	ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਘ	(36)43	14
ਕੁਝ	ਝਕੁ	(36)43	17
ਗੌਰਮਿੰਟ	ਗੈਰਮਿੰਟ	(36)44	27
ਹਾਂ	ਹੈ	(36)45	18
ਵਾਪਸ	ਵਾਜਸ	(36)45	26
ਬੋਲਣ	ਬੋਲਰਣ	(36)46	8

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Read	*for*	*on page*	*line*
ਘਟ	ਘਣ	(36)47	3rd from below
मुझे	मझे	(36)57	26
ਸੀ	ਸੀਰ	(36)61	17
ਉਪਰ	ਉਪ	(36)61	20
Mr. Speaker	Mr. Sp:aker	(36)65	31
under-assessed	underas-sessed	(36)70	8th from below
Mr. Deputy Speaker	Mr. Deputy Speakcr	(36)74	29
नहीं	नहा	(36)77	15
Deputy	D puty	(36)77	6th from below
vote	te	(36)78	8
ਹਾਲਤ	ਗਲਤ	(36)78	6th from below
substitute	sulstitute	(36)81	Last
मुताबिक	मुतानिक	(36)87	13
खुश	खूश	(36)95	7

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 25th April, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh, at* 2.00 *p.m. of the Clock . Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CASES REGISTERED IN SADDAR POLICE STATION, KARNAL, DURING THE PERIOD 15-3-1960 TO 1-4-1960

*5777. **Shri Ram Piara :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of cases registered in the Sadar Police Station, Karnal during the period from 15th March, to 1st April, 1960 and the names of persons against whom these cases were registered ;

(b) the offence under which each of the cases mentioned in part (a) above was registered, and the names of the persons arrested, if any ;

(c) the date of commission of the offence in each of the said cases, the dates when each of the cases was registered, and the reasons for delay, if any in registration ;

(d) the name of the enquiry officer in each of the said cases ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : A statement containing the requisite information is laid on the table.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

(A)		(B)		(C)
THE NUMBER OF CASES REGISTERED IN SADAR POLICE STATION KARNAL DURING THE PERIOD FROM 15TH MARCH TO 1ST APRIL, 1960 AND THE NAMES OF PERSONS AGAINST WHOM THESE CASES WERE REGISTERED		THE OFFENCE UNDER WHICH EACH OF THE CASES MENTIONED IN PART (A) ABOVE WAS REGISTERED AND THE NAMES OF THE PERSONS ARRESTED, IF ANY		THE DATE OF COMMISSION OF THE OFFENCE IN EACH OF THE SAID CASES, THE DATES WHEN EACH OF THE CASES WAS REGISTERED, AND THE REASONS FOR DELAY, IF ANY, IN REGISTRATION
No. of cases registered	Name of person against whom registered	Offence under which registered	Name of person arrested	Date of commission of the offence
1	None	Under section 318, I.P.C.	None	Not known. Perhaps a week prior to registration
2	Hans Raj	Under section 447, I.P.C.	Hans Raj	18th March, 1960
3	None	Under section 338/279, I.P.C.	None	20th March, 1960
4	Naiamat Ram	Changed to 304/A, I.P.C. Under section 61/1/14, Excise Act	Niamat Ram	21st March, 1960
5	Tekam Dass	Under section 279/338, I.P.C.	Tekam Dass	22nd March, 1960
6	Jagan Singh	Under section 9/1/78, Opium Act	Jagan Singh	23rd March, 1960
7	Jagan Singh	Under section 61/1/14, Excise Act	Jagan Singh	Ditto
8	Piara Singh	Ditto	Piara Singh	Ditto
9	None	Under section 380, I.P.C.	None	Night between 21st/22nd March, 1960
10	None	Under section, 379, I.P.C.	None	24th March, 1960
11	(1) Wasso, (2) Kesar (3) Mitha, (4) Bakshi (5) Kesar Chand	Under section 366/363/376/ 148, I.P.C.	(1) Wasso, (2) Kesar (3) Mitha, (4) Bakshi (5) Kesar Chand	About 20/25 days prior to registration
12	None	Under section 457/380, I.P.C.	None	28th March, 1960
13	Gurcharan Singh	Under section 61/1/14, Excise Act	Gurcharan Singh	29th March, 1960
14	Mithoo Ram	Ditto	Mithoo Ram	31st March, 1960
15	None	Under Section 380, I.P.C.	None	Night between 30/31st March, 1960
				Ditto
16	None	Under Section 380, I.P.C.	None	
17	Piara Singh	Under Section 9/1/78, Opium, Act	Piara Singh	1st Aprial 1960

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

THE NUMBER OF CASES REGISTERED IN THE SADAR POLICE STATION, KARNAL DURING THE PERIOD FROM 15TH MARCH TO 1ST APRIL, 1960 AND THE NAMES OF PERSONS AGAINST WHOM THESE CASES WERE REGISTERED		THE DATE OF COMMISSION OF THE OFFENCE IN EACH OF THE SAID CASES THE DATES WHEN EACH OF THE CASES WERE REGISTERED AND THE REASONS FOR DELAY, IF ANY, IN REGISTRATION		THE NAME OF THE ENQUIRY OFEICER IN EACH OF THE SAID CASES
No. of cases registered	Name of person against whom registered	Date on which case was registered	The reasons for delay	The name of the enquiry officer
(A)		(B)	(C)	(D)
1	None	15th March, 1960	There was no delay in registration	1. Head Constable, Vidya Parkash 2. Sub-Inspector, Khiali Ram 3. Sub-Inspector, Gurcharan Singh
2	Hans Raj	19th March, 1960	Ditto	Assistant Sub-Inspector, Brij Lal
3	None	20th March, 1960	Ditto	Sub-Inspector, Khiali Ram
4	Niamat Ram	21st, March, 1960	Ditto	Assistant Sub-Inspector, Balev Kumar
5	Tekam Dass	22nd March, 1960	Ditto	Head Constable, Vidya Parkash
6	Jagan Singh	23rd March, 1960	Ditto	Assistant Sub-Inspector, Baldev Kumar
7	Jagan Singh	Ditto	Ditto	Assistant Sub-Inspector, Balev Kumar
8	Piara Singh	Ditto	Ditto	Assistant Sub-Inspector, Baldev Kumar
9	None	24th, March, 1960	The complainant was away from the village. Matter was reported when he returned and came to know of the theft having taken place.	Assistant Sub-Inspector, Brij Lal
10	None	24th March, 1960	There was no delay.	Sub-Inspector, Khiali Ram
11	(1) Wasso (2) Kesar, (3) Mitha, (4) Bakhsh (5) Kesar Chand	28th March, 1960	Assistant Sub-Inspector, Karnal treated the matter as one of the apprehension of breach of peace in the first instance.	1. Sub-Inspector, Khiali Ram 2. Inspector, C.I.A., Karnal
12	None	28th March, 1960	There was no delay in registration	Head Constable, Vidya Parkash
13	Gurcharan Singh	29th March, 1960	Ditto	Assistant Sub-Inspector, Baldev Kumar
14	Mithoo Ram	31 st March, 1960	Ditto	Head Constable, Harbans Singh
15	None	31st March, 1960	Ditto	Assistant Sub-Inspector, Gurbax Singh
16	None	31st March, 1960	Ditto	Assistant Sub-Inspector, Brij Lal
17	Piara Singh	1st April, 1960	Ditto	Assistant Sub-Inspector, Baldev Kumar

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

श्री राम प्यारा : यह कहते हैं कि जवाब Table पर रख दिया है मगर मुझे नहीं मिला । जो जवाब Table पर रखा गया है उस में यह लिखा हुआ है "That reply has not been received."

श्री अध्यक्ष : आप supplementaries कल पूछ सकते हैं । (The hon. Member may ask supplementaries tomorrow.)

श्री राम प्यारा : बहुत अच्छा जी ।

BLACK-LISTING OF INDUSTRIAL CONCERNS IN JAMUNA NAGAR AND JAGADHRI

***5778. Shri Ram Piara :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of the Industrial concerns in Jamuna Nagar and in Jagadhri which were black-listed during the period from 1956 to date, the date when each of them was black-listed and the reasons for blacklisting in each case ;

(b) whether any of the industrial concerns referred to in part (a) above has been given import licences or essentiality certificates during the period from January, 1958 to date ; if so, the grounds for the same ?

Shri Mohan Lal : (a) It is not in public interest to disclose the names and the particulars of the black-listed firms.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

श्री राम प्यारा : अर्ज़ यह है कि मैं ने यह list मांगी है उन लोगों की जिन को Blacklist किया गया है । मगर जनाब मैं हैरान हूं कि Government चोरों और Black Marketeers की भी इतलाह देने से झिजकती है । मुझे समझ नहीं आती कि कौन से public interest में Government इन के नाम देने से घबराती है ।

उद्योग मंत्री : इस के जवाब में यह मुनासिब होगा कि पहले मैं इस के मुताल्लिक अपनी position वाज़ह कर दूं । जिन को गवर्नमैण्ट blacklist करती है उन के मुताल्लिक Government की policy यह है कि बजाये इस के कि Government उन को कोई सज़ा दे या prosecute किया जाये, Government Departments को यह हिदायत की जाती है कि इन के साथ कोई dealing न की जाये । यह information Government के पास secret रहती है । यहां तक कि firms को भी नहीं बताया जाता कि आप black list किये गये हैं या कि नहीं । हम उन लोगों पर तो कोई पाबन्दी लगा नहीं सकते । हां, अपने Departments को कह सकते हैं कि वह उन से deal न करें । अगर उन के नाम हम publish करते हैं तो इस से काफी complications पैदा होती हैं । यह information Government की ही होती है और Government Departments की ही होती है । इस लिये मुनासिब नहीं कि यह secrecy disclose की जाये ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री राम प्यारा : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि जिन को Black list किया जाता है Government उन के साथ कोई dealings नहीं करती, लेकिन इसी सवाल के part B में मैंने इन से पूछा था कि क्या January 1958 से इन को कोई import license या essentiality certificates दिये गये हैं या कि नहीं, इस का उन्होंने जवाब दिया है कि दिये गये हैं। क्या उन आदमियों के नाम बताये जा सकते हैं ?

मंत्री : इस का मतलब तो यह है जनाब कि indirecty यह वही नाम पूछ रहे हैं जिस के मुताल्लिक मैं पहले कह चुका हूं कि बताये नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष : वैसे इस का broad view क्या है? जब उन को essentiality certificates दिये जाते हैं तो फिर उन के नाम disclose न करने की क्या वजह है ? (That is the broad view of this matter When they are issued essentiality certificates, then what is the hitch in disclosing their names ?)

मंत्री : Government की यह policy है कि उन के साथ prosecution का सलूक न किया जाये इस लिये हम ने उन के मुताल्लिक अपने departments को हिदायत जारी कर दी हैं कि उन के साथ कोई dealings न की जायें। उन्हें कोई facilities न दी जायें ।

श्री राम प्यारा : मेरा कहने का मतलब तो जनाब यह है कि जिन को Black list किया गया क्या उन को import licences और essentiality certificates भी दिये गये या कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष : जब इस का जवाब दे दिया गया है तो आप इसे बार बार repeat क्यों करते हैं ? (Why does the hon. Member repeat this question again and again when it has already been answered .?

पंडित श्री राम शर्मा : जैसा कि मिनिस्टर साहिब ने कहा कि Black list होने के बावजूद भी Government की तरफ से import licenses और essentiality certificates जारी किये गये क्या वह बतायेंगे कि वह कौन कौन हैं जिन्हें ये licenses और certificates issue किए गए ?

मंत्री : हम ने तो Departments को instructions issue की हैं कि वह इन के साथ कोई dealings न करें। वह ऐसे कौन कौन है इन की हमारे पास कोई ऐसी list नहीं है ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस सवाल में पूछा गया था कि जो Black list हुए आया उन को essentiality certificates मिले या कि नहीं ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि वह information अगर होगी तो उस department की होगी ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री बलराम दास टंडन : Black list दो तरह की होती हैं—एक वह जो departments करते हैं दूसरी वह जो centre से होती हैं। क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि इन में से कोई भी list publish नहीं होती ?

मंत्री : जो भी Black list हो कर Central Government से provincial Government को इतलाह आती है या हम अपने province की black list centre को भेजते हैं यह सारी कार्रवाई confidential होती है।

श्री राम प्यारा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जो Black list कर दिये जाते हैं उन के साथ dealings बंद कर दिये जाते हैं। क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि ऐसी कौन कौन सी firms हैं जिन के साथ dealings बन्द की गई हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह तो indirect way में वही question है। (Indirecly it is the same question which has been asked.)

श्री राम प्यारा : जब जनाब यह कहते हैं कि dealings बन्द की जायें, तो इन को यह भी मालूम होगा कि किन किन से इन की dealings बंद हुई हैं।

मंत्री : black list करने का मतलब यह है कि जो भी खरीद का order देना है वह इस का न दिया जाये। इस purpose के लिये यह list Government departments को भेजी जाती है।

श्री राम प्यारा : क्या Government के notice में यह बात आई है कि इस list में नाम होते हुए भी Government Departments से उन की dealing होती है ?

Mr. Speaker : This is not a relevant supplementary question. I disallow it.

डाक्टर परमा नन्द: जिन firms के मुताल्लिक हिदायत दी गई हैं, वह कौन कौन सी है; यह न बतायें मगर उन का number बता दीजिये कि ऐसी कितनी firms हैं।

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया कि यह information देना public interest में नहीं है।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

TECHNICAL POSTS IN PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT

2507. Sardar Atma Singh : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the total number of technical posts in the Printing and Stationery Department which were filled;

(i) on the recommendation of the Subordinate Services Selection Board;

(ii) on the basis of seniority; and

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(iii) on the results of departmental tests during the period from January, 1959 to February, 1960.

(b) the names of persons with their full addresses who were appointed to the posts mentioned in part (a) above during the said period ;

(c) the rules relating to promotions in the matter of technical posts referred to above ; and whether any promotion were made which were contrary to rules, and if so, their number and the reasons therefor ?

Shri Amar Nath Vidyalankar : (a) (i) 11
(ii) 44

(iii) 32

(b) Three lists giving the required information are attached.

(c) A copy of the rules is enclosed herewith. No promotion has been made in contravention of these rules.

List No. 1

Appointments made through the Board during 1-1-59 *to* 29-2-60

Serial No	Name	Designation	Address
1	Shri Santokh Singh	Copy Holder ..	Quarter No. I /13-D, Sector 22-D Chandigarh
2	Shri B.N. Sarkar ..	Section Holder Machine ..	Machine man, Government of India Press, New Delhi
3	Shri Mohinder Singh	Copy Holder ..	c/o Gurbachan Singh, Dead Letter Office, Amritsar
4	Shri Hardip Singh	Lino Operator ..	Quarter No. 12-D/21 , 23-B. Chandigarh
5	Shri Rabinder Nath	Ditto ..	Quarter No. 13-D/7, Sector 22-D Chandigarh
6	Shri Bhagat Ram	Bindery Foreman ..	c/o Government of India Press, Simla
7	Shri Kundan Lal ..	Computor ..	c/o The Great India Press, Mani-majra, district Ambala
8	Shri Kishore Chand	Copy Holder ..	12/JB/ 161, Sector 23-B, Chandigarh
9	Shri Suraj Bhan ..	Computor ..	c/o Punjab Government Press, Chandigarh
10	Shri K.K. Agarwal	Assistant Section-Holder	c/o Punjab Government Press , Chandigarh
11	Shri Rajinder Kumar	Lino Operator ..	Quarter No. 13-J.B /238, Sector 23-C, Chandigarh

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

List No II.

Promotions made by seniority during 1-1-59 *to* 29-2-60.

Serial No	Name		Designation
1	Shri Rajinder Singh	..	Senior Compositor
2	Shri Raj Parkash	..	Reviser
3	Shri Gehal Singh	..	Mounter
4	Shri Labhinder Kumar	..	Reviser
5	Shri Madan Lal	..	Senior Compositor
6	Shri Kewal Krishan II	..	Ditto
7	Shri Braham Dutt	..	Press Daftri
8	Shri Balwant Rai	..	Ditto
9	Shri Dev Krishan	..	Ditto
10	Shri Gurdial Singh	..	Senior Machine Man
11	Shri Jaswant Singh	..	Ditto
12	Shri Hardial Singh	..	Ditto
13	Shri Chuni Lal	..	Inker
14	Shri Narayan Singh	..	Do
15	Shri Bhagwan Dass	..	Do
16	Shri Parkash Chand	..	Do
17	Shri Mohan Lal I	..	Do
18	Shri Dya Ram	..	Ware House Operator
19	Shri Ram Singh	..	Senior Compositor
20	Shri Bhanpati	..	Inker
21	Shri Pritam Singh	..	Section Holder
22	Shri Bal Krishan Pre	..	Computor
23	Shri Prem Nath II	..	Senior Compositor
24	Shri Milkha Singh	..	Ditto
25	Shri Prem Chand	..	Reviser
26	Shri Madan Lal	..	Do
27	Shri Kaka Ram	..	Do
28	Shri Chanan Singh	..	Senior Machine Man
29	Shri Sohan Lal	..	Ditto
30	Shri Mohan Lal	..	Galley Press Man
31	Shri Pooran Chand	..	Inker

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

32	Shri Dalip Chand	.. Inker
33	Shri Ram Labhaya	.. Do
34	Shri Ramjit Dass	.. Do
35	Shri Sham Singh	.. Do
36	Shri Balwant Singh	.. Do
37	Shri Chet Ram	.. Do
38	Shri Prem Chand	.. Do
39	Shri Milkhan Singh	.. Do
40	Shri Sat Pal	.. Galley Press Man
41	Shri Ram Pal	.. Ditto
43	Shri Jagat Bahadur	.. Ditto
43	Shri Sunder Singh	.. L. R. Man
44	Shri Lajpat	.. Litho Machine man

all of the office of the Controller, of Printing and Stationery, Punjab, Chandigarh

List No. III.

Promotions made by departmental test from 1-1-59 *to* 29-2-60

Serial No	Names	Designation
1	Shri Tirlok Nath	.. Junior Compositor
2	Shri Nem Chand	.. Ditto
3	Shri Jugal Singh	.. P. O. Reader
4	Shri Rattan Chand	.. Reader
5	Shri Om Parkash	.. Do
6	Shri Amrit Lal	.. Do
7	Shri Gian Chand	.. Junior Machine Man
8	Shri Harish Kumar	.. Ditto
9	Shri Inder Singh	.. Ditto
10	Shri Charanjeet Lal	.. Treadleman
11	Shri Ladli Parshad	.. Ditto
12	Shri Pritpal Singh	.. Ditto
13	Shri Sher Singh	.. Rotary Inker

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

Serial No	Name		Designation
14	Shri Rikhi Ram	..	Treadleman
15	Shri Mohan Lal	..	Impositor
16	Shri Rishi Dev	..	Junior Compositor
17	Shri Uma Shanker	..	Ditto
18	Shri Des Raj Sharma	..	Ditto
19	Joginder Singh		Ditto
20	Shri Jaswant Singh	..	Ditto
21	Shri Inder Singh Puri	..	Assistant Section-holder
22	Shri Mohinder Singh	..	Junior Machine-man
23	Shri Tulsi Dass	..	Ditto
24	Shri Balwant Singh	..	Ditto
25	Shri Babu Ram	..	Ditto
26	Shri Rikhi Ram	..	Ditto
27	Shri Roora Ram	..	Ditto
28	Shri Jagdish Mittar	..	Treadle-man
29	Shri Mangat Rai	..	Ditto
30	Shri Hans Raj	..	Ditto
31	Shri Sita Ram	..	Ditto
32	Shri Gian Chand	..	Assistant Section-holder

All of the office of the Controller of Printing and Stationery, Punjab, Chandigarh

ELECTRICITY DEPARTMENT

The 20th January, 1944

No. 6990-EI-43/5053.—In exercise of the powers conferred by sub-sections 1(b) and 2(b) of section 241 of the Government of India Act, 1935, the Governor of the Punjab is pleased to make the following rules regulating the appointments to the Punjab Printing Subordinate Service and the conditions of service of persons appointed thereto :—

PART I—*General*

1. *Short Title.*—These rules may be called the Punjab Printing Subordinate Service Rules, 1943.

2. *Definitions.*—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or the context,—

(a) 'Direct appointment' means an appointment made otherwise than by the promotion of a member of the service or transfer of a person already in the service of the Crown,

(b) 'Government' means the Government of the Punjab,

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(c) 'Head of the Department' means the Secretary to Government, Punjab, Electricity and Industries Departments,

(d) 'Member of the service' means the holder of a substantive post,

(e) 'Recognized University' means any university incorporated by law in British India or any other university which may be declared by Government to be a recognized university for the purposes of these rules,

(f) 'Subordinate post' means one of the posts shown in Appendix 'A' to these rules,

(g) 'Superintendent' means the Superintendent, Government Printing, Punjab,

(h) 'Service' means the Punjab Printing Subordinate Service.

PART II—*Recruitment to service*

3. *Number and character of posts.*—The service shall comprise three sections and each section shall be used to fill posts shown in column 3 of Appendix 'A' :

Provided that nothing in this rule shall affect the right of Government to make additions to or reductions in the cadre of the service, either permanently or temporarily.

4. *Appointing authorities.*—Appointments to the service shall be made —

(a) by the Head of the Department in the case of the Manager, Government Book Depot.

(b) by the Superintendent in all other cases.

5. *Method of recruitment.*—Posts may be filled —

(a) by selection from among members of the service ; or

(b) by transfer of a person serving in my any department of Government other than the Printing Department or from any department of any other Provincial Government of the Central Government ; or

(c) by direct appointment.

6. *Nationality , age and other qualifications of candidates.*—No person shall be appointed to any post in the service unless --

(1) A candidate for appointment for any service or post under the Punjab Government must be —

(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Sikkim, or
(c- a subject of Nepal or of a Portuguese or former French Possession In India, or
(d) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan with the intention of permanently settling in India :

Provided that if he belongs to category (c) or (d) he must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been given by the Government of India or of the Punjab:

Provided further that if he belongs to category (d) the certificate of eligibility shall be valid only for a period of one year from the date of his appointment beyond which he may be retained in service only if he has become a citizen of the Punjab.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary, may be admitted to an examination or interview, conducted by the Punjab Public Service Commission, Subordinate Services Selection Board, or other recruiting authority and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

(2) in the case of a person who is not already in Government service he —

(i) produces a certificate or certificates of character from the Principal, academic officer of his university, college or school last attended and also from two responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in private life and unconnected with his university, college or school, and the medical certificates required by Rule 3.1 of the Civil Services Rules, Punjab, Volume I, Part I, and

(ii) is not more than twenty-five years of age :

(3) he possesses such qualifications as are specified against each post in column 5 of Appendix 'A' :

Provided that the appointing authority may in special circumstances and with the previous approval of Government appoint to the service any person who does not possess the qualifcations prescribed under this rule.

PART III—*Conditions of Service*

7. *Probation of members of the service.*—(1) Persons who are appointed against permanent vacancies shall, on appointment to any post specified in Appendix 'A' remain on probation for a period of two years in the case of persons appointed by direct appointment, and of one year in the case of persons appointed otherwise.

(2) Officiating service shall be reckoned as period spent on probation, but the person who is officiating in any appointment shall on the completion of one or two years in the service, as the case may be, be entitled to be confirmed unless he is appointed against a permanent vacancy.

(3) If the work or conduct of any person appointed during his period of probation is, in the opinion of the appointing authority, not satisfactory the appointing authority may dispense with his services or may revert him to his former post if he has been appointed otherwise than by direct recruitment.

(4) On the conclusion of the period of probation, the appointing authority may confirm such person in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of the appointing authority, not been satisfactory, the appointing authority may dispense with his services or may revert him to his former post if he has been appointed otherwise than by direct recruitment, or may extend the period of probation and thereafter pass such orders as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years, in any case.

8. *Degree of responsibility attached to various posts.*—(i) The relative degree of responsibility attached to various posts in the Printing Department for purposes of fixing the initial pay of the incumbents thereof under rules 4.4 and 4.13 of Civil Services Rules (Punjab), Volume I, Part I, shall be determined as shown in Appendix 'C' to these rules.

(ii) The promotions or transfers of officials holding posts shown in column 2 of the corresponding posts shown in column 1 of Appendix 'C' to these rules will be considered promotions or transfer in one's own line

9. *Seniority of members of the service.*—The seniority of holders of subordinate posts shall, in so far as each grade of appointment in the service is concerned be determined by the date of confirmation :

Provided that if two or more members are confirmed on the same date :—

(a) a member who is appointed to the service by promotion, under clause (a) of rule 5, shall be senior to members appointed by any other method and a member appointed to the service by transfer, shall be senior to members appointed by direct appointment ;

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(b) In the case of members—

(i) who were appointed by direct appointment, an older member shall be senior to a younger member, or

(ii) who were appointed by transfer from departments of Government other than the Printing Department, seniority shall be determined accordingly to pay, preference being given to a member drawing a higher rate of pay, and if the pay drawn by them is the same, an older member shall be senior to a younger member ; or

(iii) who were appointed to the service by selection under clause (a) of rule 5 , seniority shall be determined according to seniority in the grade of appointments from which such members have been promoted :

Provided further that if any member is reverted to his former post, and subsequently re-appointed to the post from which he reverted, the date of his appointment for the purposes of this rule shall be such date as the appointing authority concerned may determine.

10. *Pay of members of the service.*—Members of the service shall from the date of joining be entitled to the scale of pay as shown in column 3 of Appendix 'A' against those posts to which they may be appointed :

Provided that nothing in this rule shall effect the right of the Government to increase or to reduce the scale of pay now prescribed in Appendix 'A' either permanently or temporarily for future entrants to the service :

Provided further that in the case of technical men, the appointing authority shall have power to fix their pay during the period they are officiating up to the minimum pay of the post prescribed in column 4 of the Appendix 'A' in accordance with their individual qualifications, or, with the previous approval of Government, at any stage between the minimum and maximum pay of the post.

11. *Leave and Pension.*—In respect of leave, pension and other cognate matters not specifically mentioned in these rules, the members of the service shall be governed by the Civil Services Rules (Punjab), issued by Government from time to time.

Note.—The authority empowered to sanction leave for short duration, other than leave on average pay or half average pay or full pay or half pay to members in Sections II and III, the Secretariat Press in Appendix 'A' will be the Deputy Superintendent.

12. *Liability to transfer.*—Members of the service shall be liable to transfer from one press to another under the Government at the discretion of the appointing authority.

13. *Discipline, penalties and appeals.*—In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by rules in Section III of Chapter XIV of the Civil Services Rules (Punjab), Volume I (Part I) or such rules which may be issued hereafter by competent authority in modification or replacement of these rules or provision of payment of wages act as the case may be, provided that the nature of penalties inflicted, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall be as specified in Appendix 'B' to these rules.

14. *Vaccination.*—Every member of the service shall get himself vaccinated and revaccinated when Government so direct by a special or general order. This rule shall not, however, be applicable to members of the service who were in permanent service on the 8th March, 1926, except with their concurrence.

15. In all matters not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by such general rules as may have been or may hereafter be framed by Government and by the provisions of the Constitution of India.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

APPENDIX A (REFERRED TO IN RULES 3, 6(3), 7(1), 10 AND NOTE UNDER II)

1	2	3	4	5	6
Number of section	Nature of section	Designation of post	Pay	Qualifications	REMARKS
			Rs		
		PERMANENT ESTABLISHMENT SUPERIOR			
I	Superintendents (Secretariat Press)	Manager, Government Book Depot	250—15—400 (a) 190—11—300	Satisfies the appointing authority that he possesses a thorough knowledge of accounts and stock-keeping and is capable of managir g the G vernment Book Depot and conducting all correspondence pertaining thereto	
II	Clerical (Secretariat Press)	Head Accountant ..	150—10—250 (a) 110—7—145—8—185	Satisfy the appointing authority that they possess a thorough knowledge of accounts and press costing system and are capable of performing the duties of those posts	
		Assistant to Head Accountant ..	75—5—125 (a) 60—4—80/4—100		
		Accountant, Ouside Printing ..	50—5—125 (a) 40—4—100	Satisfy the appointing authority that they possess a thorough knowledge of all sizes of type and other technical matter relating to composing, printing, binding, and are able to perform the duties of those posts. In the case of Accountant, Outside Printing, knowledge of Photo-Litho, Litho and Process Block making is also necessary	
		Valuation Clerk ..	40—3—100 (a) 35—2½—85		
		Senior Clerks ..	40—2—90 (a) 35—1½—65/2—75	Intermediate examination of a recognised university for direct recruitment	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Post	Scale of pay	Qualifications
Treasurer ..	60—3—75 (a) 50—3—65	
Junior Clerks ..	30—1½—70 (a) 25—1—35/1½—50/2—60	
Leave Reserve Clerks ..	30—1½—70 (a) 25—1—35/1½—50/2—60	
Senior Publication Clerk ..	75—5—125 (a) 60—4—80/4—100	Intermediate examination of a recognised university for direct recruitment
Senior Clerks ..	40—2—90 (a) 35—1—65/2—75	
Store-keeper, Book Depot ..	40—2—90 (a) 35—1½—65/2—75	
Junior Clerks ..	30—1½—70 (a)25—1—35/1½—50/2—60	
Addressographer Operator ..	15—1—30 (a) 15—1—30	A thorough knowledge of the working of the addressograph machine
CLEARING OFFICE		
Head Assistant ..	75—5—125/6—155 (a) 60—4—100/5—125	Intermediate examination of a recognised university, conversant with Urdu and possessing a practical technical knowledge of all sizes of type and other technical matter relating to composing, form printing, imposition stereotyping, binding, etc.

(a) Revised rates of pay are applicable in accordance with rules 3 to 8 of the Punjab (Subordinate Services) Revised Rates of ay Rules published with Finance Department notification No. 1237, dated the 25th March 1937

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

[Minister for Educatian and Labour]

1	2	3	4	5	6
No. of section	Nature of section	Designation of post	Pay	Qualifications	REMARKS
	Clerical (Secretariat Press)—CONCLD	PERMANENT ESTABLISHMENT—CONTD SUPERIOR—CONTD	Rs		
		Senior Clerk	40—2—90 (a) 35—1½—65/3—75	Intermediate examination of a recognised university for direct recruitment	
		Junior Clerks	30—1½—70 (a) 25—1—35/1⅓—50/2—60	Practical experience of typing by touch system together with a knowledge of the working parts of the typewriter	
		Typist	30—1½—70 (a)25—1—35/1½—50/2—60		
II	Technical (Secretariat Press)	General Foreman	150—10—250 (a)110—7—145—8—185	Satisfy the appointing authority that they possess a practical knowledge of all branches of composing, printing, binding, etc., which they will be required to supervise.	
		Assistant General Foreman	60—4—100 (a)50—3—80		
		Head Reader	200—10—250 (a)150—8—190	Readers, Revisers and Copyholders are required to pass a practical test in their respective grades and duties before appointment to any particular grade, and for promotion from the lower to the higher grade	
		Readers, 1st Grade	110—9—200 (a) 80—7—150		
		Readers, IInd Grade	75—3½—110 (a) 60—3—90		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Post	Pay scale	Qualifications
Readers, IIIrd Grade ..	50—1—60 / (a) 40—1—50	
Copyholders ..	25—1½—40 / (a) 25—1½—40	
Revisers ..	50—1—60 / (a) 40—1—50	
Head Computor ..	100—4—120 / (a) 80—3—96	Satisfy the appointing authority that they possess a thorough knowledge of all sizes of type and other technical matters relating to composing, printing, binding, etc., and are able to pass a test in writing, arithmatic and computing
Computors* ..	40—3—100 / (a) 35—2½—85	
Computors* ..	40—2—90 / (a) 35—1½—65—2—75	
Correction Checkers* ..	40—2—60 / (a) 35—1½—50	
Store-keeper (Paper and Binding Material and Miscellaneous Stores)*	50—5—125 / (a) 40—5—100	Satisfy the appointing authority that they possess a knowledge of the sizes, weights, qualities, prices, etc., of the various papers and other materials which they handle in the course of their duties and are capable of maintaining the sotre account books
Assistant Store-keeper (Paper and Binding Material and Miscellaneous Stores)	30—1½—70 / (a) 25—1—35—1½—50/2—60	

*Present incumbents of these posts will continue to draw Lahore allowance at the rates sanctioned by Government from time to time.

(a) Revised rates of pay are applicable in accordance with rules 3 to 8 of the Punjab (Subordinate Service) Rates of Pay Rules published with Finance Department, notification No. 12137, dated the 25th March, 1937.

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

1	2	3	4	5	6
Number of section	Nature of section	Designation of post	Pay	Qualifications	REMARKS
			Rs		
		PERMANENT ESTABLISHMENT—CONTD SUPERIOR—concld			
III—*contd*	Technical (Secretariat Press)—*contd*	Type Store-keeper*	.. 50—5—125 / (a) 40—4—100	Satisfy the appointing authority that they possess a knowledge of the qualities, sizes, prices, etc., of type metal, type and all other materials which they handle in the course of their duties, and that they are competent to maintain the account books pertaining to their Store Accounts	
		Assistant Type Store-keeper*	.. 30—1½—70 / (a) 25—1—35/1½—50/2—60		
		Section Holders	.. 75—5—100 / (a)60—4—80—5—90		
		Assistant Section Holder	.. 40—2—60 / (a) 35—1½—50	Pass such a practical test as may be prescribed by the appointing authority or when no such test is prescribed, satisfy the appointing authority of their ability to do the work required of them	
		Press Branch Foreman	.. 70—1—80 / (a) 55—1—65		
		Assistant Press Branch Foreman	60—1—65 / (a)50—1—55	—	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Post	Rate of pay	Qualifications
Bindery Branch Foreman	70—1—80 / (a) 55—1—65	
Mechanic, Linotype	85—3—100 / (a) 75—3—90	Satisfy the appointing authority that they possess a thorough knowledge of the working of the Linotype and Monotype Machines and are able to carry out necessary adjustment and minor repairs.
Mechanic, Monotype	65—3—80 / (a) 60—3—75	
Lino type Operator	*(Outturn rates as per schedule in force)*	
Mono type Operators	50—2½—75 / (a) 40—2½—65	Satisfy the appointing authority that they possess the necessary knowledge of the Lino type and Mono type Machines and are capable of operating them. Are required to pass a practical test before appointment.
Mono type Casters	35—2½—50 / (a) 30—2½—45	
Lino type Makers-up (Correctors)	40 / (a) 35	
Monotype Makers up	40 / (a) 35	All technical salaried employees and piece workers are required to pass a practical test in their respective duties before appointment.
Impositors, 1st grade	30—1—40 / (a) 25—1—35	
Impositors, 2nd grade	20—1—30 / (a) 20—1—30	

*Present incumbents of these posts will continue to draw Lahore allowance at the rates sanctioned by Government from time to time.

(a) Revised rates of pay are applicable in accordance with rules 3 to 8 of the Punjab (Subordinate Services) Revised Rates of Pay Rules published with Finance Department notification No. 12137, dated the 25th March, 1937.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

1	2	3	4	5	6
No. of section	Nature of section	Designation of post	Pay	Qualifications	REMARKS
			Rs		
		PERMANENT ESTABLISHMENT—CONTD			
		SUERIOR—concld			
III—concld CONCLD	Technical (Secretariat Press)—	Pressmen	20—1—30 / (a) 20—1—30	All technical salaried employees and piece workers are required to pass a practical test in their respsctive duties before appointment	
		Type Suppliers, 1st grade	20—1—25 / (a) 20—1—25		
		Type Suppliers, 2nd grade	15—1—20 / (a) 15—1—20		
		INFERIOR			
	II Clerical (Secretariat Press)	Office Daftri	15—1—30 / (a) 15—1—30		
		Jamadar Peon	18 / (a) 18		
		Peons	15½ / (a) 15½		
		Peons	14 / (a) 14		

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

Class	Service	Post	Scale of pay	Qualifications
		Government Book Depot		
		Daftries	.. 15—1—30 / (a) 15—1—30	
		Peons	.. 14 / (a) 14	
		Clearing Office		
		Daftri	.. 15—1—30 / (a) 15—1—30	
		Peons	.. 14 / (a) 14	
III	Technical (Secretariat Press)	Distributors	Piece-works rates	are required to pass a practical test in their respective duties before appointment
		Press Daftries	.. 15—1—30 / (a) 15—1—30	
		Lorry Driver*	.. 45—1—50 / (a) 35—1—40	Passes such a test as may be prescribed by the appointing authority
		SUPERIOR		
II	Clercial (Central Jail Press)	Head Accountant	.. 100—10—200 / (a) 80—7—115—8—155	Satisfies the appointing authority that he possesses a thorough knowledge of accounts and press costing system, and is capable of performing the duties of the post

(a) Revised rates of pay are applicable in accordance with rules 3 to 8 of the Punjab (Subordinate Services) Revised Rates of Pay Rules Published with Finance Department notification No. 12137, dated the 25th March, 1937.
*To be treated as "skilled menial."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

1	2	3	4	5	6
No. of section	Nature of section	Designation of post	Pay	Qualifications	REMARKS
			Rs		
		PERMANENT ESTABLISHMENT—CONTD			
		Superior—CONCLD			
II—*concld*	Clerical (Secretariat Press)—*concld*	Record-Keeper	.. 45—3—90 (a) 40—2½—65—3—80		
		Form Store Superviser	.. 100—5—150 (a) 80—4—120	Intermediate Examination of a recognised university for direct recruitment.	
		Form Store Despatchers	.. 40—2—90 (a) 35—1½—65—2—75		
		Assistant/Head Accountant	.. 40—2—90 (a) 35—1½—65—2—75 (Piece-work rates)		
III	Technical (Secretariat Press)	Compositors Machinemen Pressmen Binders	.. .. .. 15—1—40 .. (a) 15—1—40		
		Litho Pressmen	.. 35 (a) 30	All technical salaried employees and piece workers are required to pass a practical test in their respective duties before appointment.	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Post	Rate
Storeo-typer	.. 34 / (a) 30
Assistant Stereo typer	.. 30 / (a) 25
Carpenter	.. 45 / (a) 40
Assistant Carpenter	.. 30 / (a) 25
Blacksmith	.. 45 / (a) 40
Electric Mistry	.. 35—2½—50 / (a) 30—2½—45
Roller Caster	.. 20 / (a) 20
Paper Damper	.. 25—1—30 / (a) 25—1—30
Galley Proof Pressmen	.. 20—1—30 / (a) 20—1—30
Standing Forms Keeper	.. 20—1—25 / (a) 20—1—25

(a) Revised rates of pay are applicable in accordance with rules 3 to 8 of the Punjab (Subordinate Services) Revised Rates of Pay Rules Published with Finance Department notification No. 12137, dated the 25th March, 1937.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

1	2	3	4	5	6
No. of Section	Nature of section	Designation of post	Pay	Qualifications	REMARKS
			Rs		
III—*concld*	Technical (Secretariat Press)—*concld*	PERMANENT ESTABLISHMENT—CONCLD SUPERIOR—CONCLD			
		Assistant Standing Forms Keeper	15—1—20 / (a) 15—1—20		
		Typist ..	30—$1\frac{1}{2}$—70 / (a) 25—1—35/$1\frac{1}{2}$—50/2—80	Practical experience of typing by the touch system together with a knowledge of the working parts of the typewriter. Intermediate Examination of recognized university for direct recruitment.	
		Clearing Office			
		Senior Clerks ..	40—2—90 / (a) 35—$1\frac{1}{2}$—65—2—75		
III—	Technical (Central Jail Press)	Process and Machine Foreman	100—5—150 / (a) 80—4—120	Passes such practical tests as may be prescribed satisfying the appointing authority that he possesses a practical knowledge of the duties which he will have to perform.	
		Store-keeper ..	75—5—150 / (a) 60—4—80/4—120	Satisfy the appointing authority that they possess a knowledge of the sizes, weights prices, etc., of the various papers and other materials which they handle in the course of their duties, and that they are capable of maintaining the Store Account Books.	
		Assistant Store-keepers" ..	40—2—90 / (a) 35—$1\frac{1}{2}$—65—2—75		

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Post	Pay	Qualifications
Computor*	.. 40—4—100 / (a) 35—80	Satisfies the appointing authority that he possesses a thorough knowledge of all sizes of type and other technical matters relating to composing lithography, printing, binding, etc., and is able to pass a test in writing, arithmetic and computing.
Bindery Foreman	.. 60—2—80 / (a) 50—1½—65	Pass such practical test as may be prescribed by the appointing authority or when no such test is prescribed satisfy the appointing authority of their ability to do the work required of them.
Assistant Bindery Foreman	.. 40—1—50 / (a) 35—1—45	
Copy-writer	.. 60—2—80 / (a) 50—1½—65	
Photo Lithographer	.. 60—4—100 / (a) 50—3—80	
Mechanic	.. 50—2—80 / (a) 45—1—50—1½—65	
Assistant Mechanic	.. 40—2—60 / (a) 35—1½—50	
Machine Minders	.. 40—2—70 / (a) 35—1—40—1½—55	
Transferer	.. 40—2—60 / (a) 35—1½—50	

"To bc treated as "skilled menial".

*Present incumbents of these posts will continue to draw Lahore Allowance at the rates sanctioned by Governmet from time to time.

(a) Revised rates of pay are applicable in accordance with rules 3 to 8 of the Punjab (Subordinate Services) Revised Rates of Pay Rules Published with Finance Department notification No. 12137, dated the 25th March, 1937.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

1	2	3	4	5	6
No. of section	Nature of section	Designation of post	Pay	Qualifications	REMARKS
			Rs		
		PERMANENT ESTABLISHMENT—CONTD SUPERIOR—CONCLD			
II *concld*	Technical (Central Jail Press)—*concld*	Electric Mistry	.. 35—2½—50 / (a) 30—2½—45		
		Draftsman	.. 35—1—45 / (a) 30—1—40		
		INFERIOR			
III	Technical (Central Jail Press)	Lorry Driver"	.. 50—1—60 / (a) 40—1—50	Passes such a test as may be prescribed by the appointing authority.	
II	Clerical (Central Jail Press)	Peons	.. 14 / (a) 14		
		SUPERIOR			
	Technical (Borstal Institution Press)	Composing Instructor	.. 100 / (a) 80	Passes such a practical test as may be prescribed by the appointing authority or, when no such test is prescribed, satisfies the appointing authority of his ability do the work required of him.	

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

		Reader	.. 60—4—100 / (a) 50—3—80	Pass a practical test in their respective grades and duties before appointment to any particular post and for promotion from the lower to higher grade.
		Press Instructor	.. 50 / (a) 45	Pass such practical test as may be prescribed by the appointing authority or, when no such test is prescribed satisfy the appointing authority of their ability to do the work required of them
		Binding Instructor	.. 45 / (a) 40	
		Inferior		
I	Clerical (Borstal Institution Press)	Peon	.. 14 / (a) 14	

"'To be treated as "skilled menial".

(a) Revised rates of pay are applicable in accordance with rules 3 to 8 of the Punjab (Subordinate Services) Revised Rates of pay Rules Published with Finance Department notification No. 12137, dated the 25th March, 1937.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

APPENDIX B (REFERRED TO IN RULE 13)

Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	2nd Appellate authority
1	2	3	4
(i) Censure .. (ii) Withholding of increments or promotions, including stoppage at an efficiency bar (iii) Reduction to a lower post or time scale or to a lower stage in a time scale (iv) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders (v) Suspension .. (vi) Removal from the civil service of the Crown which does not disqualify from future employment (vii) Dismissal from the civil service of the Crown, which ordinarily disqualifies from further employment (viii) Reducing the maximum pension admissible to him, under the rules governing pensions (ix) Terminating his appointment otherwise than upon his reaching the age fixed for supperannuation	Head of Department in the case of the Manager, Government Book Depot, and Supdt. in all other cases.	Government in the case of the Manager, Government Book Depot, and Head of Department in all other cases.	Government in all cases, except that of the Manager, Government Book Depot.
(x) Such penalties as are laid down in the Press Manual in case of members in section III of the Secretariat Press.	Deputy Superintendent	Superintendent	Nil

Note.—Items (i) to (vii) are those which can be inflicted under the provisions of rule 4 of the Punjab Services (punishment and Appeal) Rules while those noted at (viii) to (xi) are leviable under other orders.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

APPENDIX C (REFERRED TO IN RULE 8)

The posts in column I carry greater responsibility than those shown opposite to them in column 2

SECRETARIAT PRESS

CLERICAL ESTABLISHMENT

Column 1	Rs	Column 2	Rs
Head Accountant ..	150—10—250 110—7—145/8—185	Head Accountant, Central Jail Press	100—10—200 80—7—115/8—155
Assistant Head Accountant	75—5—125 60—4—80/4—100	(1) Valuation Clerk	40—3—100 35—2½—85
		(2) Senior Clerks ..	40—2—90 35—1½—65/2—75
		(3) Assistant Head Accountant Central Jail Press	40—2—90 35—1½—65/2—85
		(4) Record-keeper, Central Jail Press	45—3—90 40—2½—65/3—80
		(5) Treasurer ..	60—3—75 50—3—65
Accountant, Outside Printing	50—5—125 40—4—100	(1) Valuation Clerk ..	40—3—100 35—2½—85
		(2) Senior Clerks ..	40—2—90 35—1½—65/85
Treasurer ..	60—3—75 50—3—65	(1) Junior Clerks ..	30—1½—70 25—1—35/1½—50/2—60
		(2) Typist, Central Jail Press	30—1½—70 25—1—35/1½—5/2—60
Senior Publication Clerk	75—5—125 60—4—80/4—100	Senior Clerks ..	40—2—90 35—1½—65/2/75

TECHNICAL ESTABLISHMENT

Column 1	Rs	Column 2	Rs
General Foreman ..	150—10—250 110—7—145/8—185	Press and Machine Foreman, Central Jail Press	100—5—150 80—4—120
Assistant General Foreman	60—4—100 50—3—80	(1) Press Branch Foreman	70—1—80 55—1—65

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

Column 1	Rs	Column 2	Rs
		(2) Revisors ..	50—1—60 40—1—50
		(3) Assistant Section Holder	40—2—60 35—1½—50
Head Reader ..	200—10—250 150—8—190	Readers, 1st Grade ..	110—9—200 80—7—150
Readers, 1st Grade ..	110—9—200 80—7—150	Readers, 2nd Grade	75—3½—110 60—3—90
Readers, 2nd Grade	75—3½—110 60—3—90	(1) Readers, Borstal Institution Press	60—4—100 50—3—80
		(2) Readers, 3rd Grade	50—1—60 40—1—60
Readers, 3rd Grade Revisers	50—1—60 40—1—60	(1) Copy-holders ..	50 45
		(2) Copy Golder, Borstal Institution Press	Ditto
Head Computor ..	100—4—120 80—3—95	(1) Computor, Central Jail Press	40—4—100 35—3—80
Computors ..	40—3—100 35—2½—85	(2) Computors ..	40—3—100 35—2½—85
Computor ..	40—2—90 35—2½—65/2—75	Correction Checker	40—2—60 35—1½—50
Computor ..	40—2—90 35—2½—65/2—75	(1) Assistant Store-keeper, Central Jail Press	40—2—90 35—1½—65/2—75
Store-keeper ..	50—5—125 40—4—100	(2) Assistant Store-keeper	30—1½—70 25—1—35/1½—50
Type Store-keeper ..	50—5—125 40—4—100	(1) Section Holders	75—5—110 60—4—80—5—90
		(2) Assistant Section Holders	40—2—60 35—1½—50
		(3) Assistant Type Store-keeper	30—1½—70 25—1—35/1½—50

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Column 1	Rs	Column 2	Rs
Assistant Section Holders	40—2—60 35—1½—50	Lino and Mono Makers-Up	40 35
Assistant Press Branch Foreman	60—1—65 50—1—55	(1) Readers, 3rd Grade	50—1—60 40—1—50
		(2) Revisors ..	50—1—60 40—1—50
		(3) Assistant Section Holders	40—2—60 35—1½—50
Mono Operators ..	50—2½—75 40—2½—65	Mono Casters ..	35—2½—50 30—2½—45
Mono Casters ..	35—2½—50 30—2½—45	Lino and Mono Makers-Up	40 35
Impositors, 1st grade	30—1—40 25—1—35	Impositors, 2nd grade	20—1—30 20—1—30
Type Suppliers ..	20—1—25 20—1—25	Type Suppliers, 2nd grade	15—1—20 15—1—20
Standing Forme ..	20—1—25 20—1—25	Assistant Standing Forme Keeper	15—1—20 15—1—20
CENTRAL JAIL PRESS			
Head Accountant ..	100—10—200 80—7—115/8—155	(1) Form Store Supervisor	100—5—150 80—4—100
		(2) Assistant Head Accountant (Secretariat Press)	75—5—125 60—4—80/4—100
		(3) Accountant, Outside Printing (Secretariat Press) ..	50—5—125 40—4—100
		(4) Valuation Clerk (Secretariat Press)	40—3—100 35—2½—85
Record-keeper ..	45—3—90 40—2½—65/3—80	(1) Form Store Despatcher	40—2—90 35—1½—65/2—75
		(2) Senior Clerks, Secretariat Press	40—2—90 35—1½—65/2—75
		(3) Assistant Head Accountant, Central Jail Press	40—2—90 35—1½—65/2—75
		(4) Typist, Central Jail Press	30—1½—70 25—1—35/1½—50/2—60

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Education and Labour]

Column 1	Rs	*Column* 2	Rs
Form Store Supervisor	100—5—150 80—4—120	(1) Senior Publication Clerk	75—5—125 60-–4—80/4—100
		(2) Assistant Head Accountant (Secretariat Press)	75—5—125 60—4—80—4—100
		(3) Accountant, Outside Printing (Secretariat Press)	50—5—125 40—4—100
		(4) Valuation Clerk (Secretariat Press)	40—3—100 35—2½—85
		(5) Form Stores Despatchers	40—2—90 35—1½—65/2—75
		(6) Senior Clerks (Secretariat Press)	40—2—90 35—1½—65/2—75
Press and Machine Foreman	100—5—150 80—4—120	(1) Photo Lithographer	60—4—100 50—3—80
		(2) Assistant-General Foreman (Secretariat Press)	60—4—100 50—3—80
Store-keeper ..	75—5—150 60—4—80—4—120	(1) Stoe-keeper (Secretariat Press)	50—5—125 40—4—100
		(2) Assistant Store-keepers	40—2—90 35—1½—65/2—75
		(3) Computor ..	40—4—100 35—3—80
Computor ..	40—4—100 35—3—80	Computors (Secretariat Press)	40—3—100 35—2½—85
Assistant Bindery Foreman	40—1—50 35—1—45	Binders (Secretariat Press)	15—1—40 15—1—40
Copy Writer ..	60—2—80 50—1½—65	Transferer ..	40—2—60 35—1½—50
Photo Lithographer ..	60—4—100 50—3—80	Copy Writer	60—2—80 50—1½—65
Mechanic ..	50—2—80 45—1—50/1½—65	Assistant Mechanic ..	40—2—60 35—1½—50

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Column 1	Rs	*Column* 2	Rs
Machine Minders	.. 40—2—70 / 35—1—40/1½—55	(1) Transferer	.. 40—2—60 / 35—1½—50
		(2) Electric Mistry	.. 35—2½—50 / 30—2½—50
Lorry Driver	.. 50—1—60 / 40—1—50	Lorry Driver (Secretariat Press)	45—1—50 / 35—1—40
Transferer	.. 40—2—60 / 35—1½—50	Electricity Mistry	.. 35—2½—50 / 30—2½—45
BORSTAL INSTITUTION PRESS			
Composing Instructor	100 / 80	Assistant Section Holder (Secretariat Press)	40—2—60 / 35—1½—50
Reader	.. 60—4—100 / 50—3—80	(1) Readers, 3rd Grade (Secretariat Press)	50—1—60
		(2) Revisers (Secretariat Press)	40—1—50

STATEMENT MADE BY THE CHIEF MINISTER REGARDING SETTING UP OF OFFICIAL AND NON-OFFICIAL ANTI-CORRUPTION COMMITTEES

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I should like to take a few minutes of the House to announce a further development in our policy and practice in eradicating corruption. I will first briefly mention the main items of work done in this matter.

Before May, 1955, an Anti-corruption Committee, with the Chief Minister as Chairman and the Chief Secretary and I.G. Police as members, were incharge of the subject. In June, 1955, a full-fledged Anti-corruption Department, with a wholetime Secretary under the direct charge of the Chief Minister was established, and I cannot do better in informing you of the work done than by mentioning the statistics of cases. These, for the period 1955 when the Department was set up to the end of 1955, are—

Total number of complaints received	..	7,761
Total number of complaints, which were either filed being baseless or were forwarded to Departments for disposal	..	4,086
Total No. of complaints in which enquiries were held	..	3,675

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[Chief Minister]

Total No. of Government servants punished .. 1,428

Officials dismissed, discharged or removed from service .. 592

Recently, with a view to intensify and invigorate the speed of action of the Vigilance Department, the field staff of the Department has been re-organised and placed under a D.I.G., C.I.D., Vigilance. This should result in better control of the Police Field staff. Government also noticed that certain avoidable delays occurred at the enquiry stage, and to eliminate these five officers, three from the P.C.S. and two from the I.A.S., have been appointed as Enquiry Officers.

I mention these brief facts to bring to the notice of the House once again that my Government has laid the greatest emphasis and given the highest priority to the eradication of corruption in the public services. I believe that we have achieved a fair measure of success, but cannot claim, though this continues to be my object, that corruption has been completely eliminated.

In pursuance of this policy, I am now convinced that it is worthwhile to embark on an experiment of endeavouring to discover and expose corruption amongst non-officials. This is indeed an extension of our present policy, as hon. Members will readily concede that there is a necessary connection between corruption amongst public servants and amongst non-officials. Apart from this, there has been a demand in this State, and indeed throughout the country, for some means of bringing to book corruption amongst non-officials, particularly those in positions of power and influence in and near the Government. There is also the need to put a curb on the irresponsible and wild accusations that are frequently made, I regret, often on the Floor of this House, regarding corruption amongst non-officials. I believe the time has come when the public has a right to be told through the agency of some reliable assessing authority the extent to which accusations are false and malicious or alternatively the extent to which they are correct.

I realise that in attempting to set up any organization for examining cases of corruption amongst non-officials we tread difficult, and possibly even dangerous ground. Non-officials are not paid servants of the public ; they are not bound by defined codes of conduct and discipline applicable to public servants ; it may be difficult to discover adequate sanctions to proceed against them when and if coruption is discovered. Much will depend on the build-up of organised public opinion and of conventions as to what is expected of a non-officials in a position of authority if allegations against him are held to be true. In spite of these difficulties, and they must necessarily be met at least partly by experiment and decisions in individual cases, for the reasons already stated, I believe, this State would be well advised in making an attempt to meet this challenge. I believe that a great deal of damage is done to us as a Government, as well as to our moral as a people, in a situation where the wildest accusations are possible with no speedy efficient means of discovering them to be either incorrect or the extent to which they may be true.

My Government has, therefore, decided to make an experiment of setting up a Committee to look into cases of accusations of corruption or misuse of power by non-officials. I propose that this Committee should

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

be headed by Pt. Shri Ram Sharma, M.L.A. (Cheers), who requires no introduction to this House, and whose views on this subject are well-known. He should be assisted by one or two Members from each Region, selected after consultation with him and other representatives commanding influence and heading organizations in this House. This Committee will be assisted by a senior Police Officer of the rank of a Superintendent of Police of known integrity and character. He will act as Secretary to the Committee and will have a small staff. On the official side, a Committee comprising the Chief Secretary, the Secretary of the Vigilance Department, the I.G. Police and the D.I.G., Vigilance will be formed. Both the Committees mentioned above will, apart from the other work they do, meet as and when necessary under the Chairmanship of the Chief Minister to take final decisions of policy and in important cases. This policy-making Committee may, as a practice,generally consist of the Chief Minister, the Chairman of the non-official Committee, the Chief Secretary, the Secretary Vigilance, the D.I.G., Vigilance and the Secretary of the non-official Committee. In the Districts, an Anti-corruption Committee comprising the D.C., the S.P. and three non-officials, preferably Legislators of known honesty and public spirit, will be set up.

I have described above the frame work of an organization to tackle this most important and delicate task. It would not be appropriate for me at this stage to endeavour to elaborate further as this must necessarily be done in the light of experience and after the fullest consultation with the personnel concerned. It is necessary, however, to state that a great deal of work will have to be done in regard to details and particularly the manner, means and extent of procedure and investigation, as it will be readily appreciated that decision on such matters will largely determine the extent of success we achieve.

I trust the House will fully appreciate the object behind this decision and that hon. Members will give the venture not only their fullest co-operation but also their loyalty, with the determination that we must seek to discover and establish the truth in these matters, and not allow them to become, as they tend to be today, a mass of ill-considered material used, in and out of season, for political ends and group or party purposes (Cheers).

BILL (LEAVE TO INTRODUCE)

THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS BILL, 1960

Minister for Community Development (Sardar Gurbanta Singh) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill.

Mr. Speaker Motion moved—

That leave be granted to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill.

Mr. Speaker Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill.

The leave was granted.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Minister for Community Development : Sir, I beg to introduce the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill.

REFERENCE OF THE PUNJAB PANCHAYAT SAMITIS AND ZILA PARISHADS BILL, 1960 TO THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Community Development (Sardar Gurbanta Singh): Sir, I beg to move—

> That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th September, 1960.

Mr. Speaker Motion moved—

> That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th September, 1960.

Mr. Speaker Question is—

> That the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 15th September, 1960.

The motion was carried.

THE INDIAN STAMP (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1960

RESUMPTION OF CONSIDERATION—CONCLD

Mr. Speaker : The House will now resume discussion on the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill.

CLAUSE 2

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Indian Stamp Bill ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ clause 2 ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਲਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(*No Member rose to speak.*)

Mr. Speaker Question is—

> That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker Question is—

> That Sub-Clause (1) of Clause 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker Motion moved

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill be passed.

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ (ਜਾਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਤੱਰ-ਪੂਰਬ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1958 ਦੇ ਵਿਚ change ਕੀਤਾ ਸੀ । ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ promissory notes ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ change ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ change ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਆਨੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ equivalent ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਸਾ figure ਲਉ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਿੱਕਾ ਹੋਵੇ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ round figure ਲਉ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਨੇ ਦੇ ਸਵਾ ਛੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਉ । ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ province ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ nearest figure ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਅਗਲਾ next coin ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਛੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ recover ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ next coin ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਵਾ ਛੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਤਾਂ ਛੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਔਰ ਜੇ ਪੌਣੇ ਦਸ ਪੈਸੇ ਬਣਨ ਤਾਂ 7 ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਛੇ ਨਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਲ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ statement of objects and Reasons ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿਚ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ', non-judicial ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । 6 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ 12 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ 12 ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ 11 ਪੈਸੇ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ legalise ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ]
ਨੂੰ ਛੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 10 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋ ਇਤਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । (The hon. Member has failed to act up on what he himself objected to against the hon. Minister.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ figure ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਫਿਗਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਅਧੇ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ figure ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) :ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ,Indian Stamp Act ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਧਕੇ ਅਸੀਂ ਡੇਸੀਮਲ coinage ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੂਲ ਇਹ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਾ multiple ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ round figure ਲਏ ਜਾਣ । ਪੰਜ ਦਾ multiple ਹੈ 5, 10, 15, 20, 25 । ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਐਕਟ ਅਸੀਂ 1958 ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਥੀ ਸਾਰਾ ਲੰਘਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਪੂਛ ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਵਾ ਛੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਉਸ ਲਈ ਦਸ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਉਸੇ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ : ਗਿਆਨੀ ਜੀ ! ਪਟਰੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹਨ । ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏ ਹਨ ?

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ 5 ਵਾਲਾ ਕਾਇਦਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਸਵਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਛੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਉਥੇ 10 ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਅਸੀਂ ਉਥੇ 7 ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ 10 ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦਸ ਪੈਸੇ ਰਖੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill, be passed.

After ascertaining the votes of the House by voices' Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it. This opinion was challenged. The division bells were then sounded. Mr. Speaker after ascertaining the votes of Members present, by voices, again declared that the motion was carried.

The motion was declared carried.

THE INDIAN TREASURE-TROVE (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, इस वक्त treasure-trove को govern करने के लिए यहां दो मुख्तलिफ कानून चालू हैं। एक Indian Treasure-trove Act है जो कि साबिका पंजाब के हिस्सों पर लागू है और दूसरा Patiala Treasure-trove Act है जो कि साबिका पैप्सू के हिस्सों पर लागू है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कानूनों को unify करने की जो पालिसी सरकार की चल रही है उस के मुताबिक इस बिल के ज़रिए इन दोनों कानूनों को भी unify किया जा रहा है। इस में सिर्फ एक बात है जिस की वजह से इसे अलैहदा तौर पर लाना पड़ा और पीछे जो Punjab Laws Extension Bill लाया गया था उस में इसे शामिल नहीं किया जा सका। इस का कारण यह है कि हम ने Patiala Treasure Trove Act के कुछ provisions को इस वक्त के Indian Treaure-trove Act में शामिल किया है क्योंकि हमारे ख्याल में वह अच्छे हैं और उन को शामिल करना मुनासिब है। इस लिये मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल में कोई नई बात नहीं है सिवाए इस के कि पुराना जो Act है उस में Patiala Treasure-trove Act की चंद दफात को शामिल किया है क्योंकि वह मुफीद हैं। इस लिये मैं आशा रखता हूं कि इस बिल को इसी शकल में पास किया जाएगा।

Mr. Speaker : Motion moved :

That the Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਪੰਡਤ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਲਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ area ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗੈਰ ਮੌਰੂਸੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ area ਵਿਚ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਇਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਪੈਪਸੂ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਅਲਕ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਖੁਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, mines ਖੁਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਫੀਨੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਕੁੱਜੇ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਔਖੇ ਵਕਤ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਫੀਨਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उद्योग मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, अभी अभी भड़ोलियां साहिब ने जो बात कही है उस में मैं काफी वज़न पाता हूं और मैं समझता हूं कि हमारे कानून का ऐसा मकसद नहीं हो सकता है कि अगर किसी ने अपने हाथ से अपने private मकान में किसी शकल में धन रखा हुआ है और अगर वह मकान गिराने के बाद निकले तो उस पर सरकार का कबज़ा हो जाए। मैं नहीं समझता कि इस कानून का ऐसा मनशा हो सकता है। लेकिन इस के मुताल्लिक दरियाफत किया जा सकता है और मैं इस बारे में इस वक्त यकीनी तौर पर कुछ नहीं कर सकता। हां मैं general तौर पर वज़ाहत के तौर पर यह कह सकता हूं कि इस कानून का यह मनशा नहीं हो सकता है। दूसरी बात उन्होंने यह फरमाई है कि सारे कानून unify होने चाहिएं। मैं उन की इस बात को मानता हूं और गवर्नमैण्ट की भी यही खाहिश थी कि सारे Acts को जल्दी से जल्दी unify कर दिया जाए और एक ही बिल के ज़रिए सारे Acts को unify कर दें लेकिन इस में दिक्कत यह है कि Acts जो हैं वह मुख्तलिफ departments से ताल्लुक रखते हैं और unify करने से पहले हर एक Acts को और उस की हर दफा को देखना होता है। बहुत सारे Acts लम्बे भी हैं और कई छोटे भी हैं और इन के examination में वक्त लग जाता है। इस लिये एक दफा ही उन को unify नहीं किया जा सकता। तो मेरी अर्ज़ है और हम महसूस करते हैं कि अच्छा होता कि आज तक यह सारा काम खत्म हो जाता लेकिन बावजूद हमारी खाहिश के अभी तक यह काम खत्म नहीं हो सका। मैम्बर साहिब ने जो suggestion दी है कि वह कानून unify होने चाहिएं उस की मैं respect करता हूं। जहां तक मुज़ारों के कानून का ताल्लुक है मैं इस वक्त इस position में नहीं हूं कि उस के मुताल्लिक तफसील के साथ कोई बात कर सकूं लेकिन जहां तक मुझे इल्म है वाकई दो कानून हैं, उन में definite बातें हैं और definite commitments हैं। फिर कभी मौका होगा तो Minister-in-charge उस के मुताल्लिक वज़ाहत से बात कहेंगे और मैं इस पोज़ीशन में इस वक्त नहीं हूं कि तफसील से कुछ कह सकूं। जहां तक unification का ताल्लुक है हम यत्न कर रहे हैं कि सारे के सारे Acts जल्दी से जल्दी unify हो जाएं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment) Bill, be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSES 2 AND 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CLAUSE 4

Sardar Gurbachan Singh Bajwa (Sri Gobindpur) : Sir, there appears to be an ambiguity in this clause. In last line after the words "be divided amongst the finder thereof, the Government" the word "and" is required.

उद्योग मंत्री (श्री मोहन लाल) : दरअसल बात यह है कि यह जो amendment कर रहे हैं यह 'principal Act के सैक्शन 10 में सिर्फ इतनी amendment कर रहे हैं कि वहां शब्द be divided amongst the finder thereof, the Government, रखे जाएं इसलिए शब्द and की ज़रूरत नहीं है ।

Mr. Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 5 TO 9, CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 5, 6, 7, 8, 9 and 1, and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Industries (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB GENERALSALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1960 (CLAUSE BY CLAUSE CONSIDERATION)

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Chaudhri Balbir Singh (Hoshiarpur General) : Sir, I beg to move—

Delete sub-clause (6).

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ General Sales Tax Act ਨੂੰ amend ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ laws ਉਪਰ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ preface ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

> This Act has been amended from time to time by as many as ten emendments and two adaptations of Laws Orders. The State Government which is vested with the powers to make Rules for the purpose of carrying out the provisions of the Act has been very generous in the exercise of this power and the Rules have been amended with such rapidity that the Taxation Authorities and the Legal Practitioners have been unable to keep pace with them.

1958 ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਦਫਾ ਫੇਰ amendments ਆਈਆਂ ਹਨ ।

Mr. Speaker : They try to keep pace with the Departments.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀਆਂ judgements ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ hold ਕੀਤਾ । Commissioners ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ambiguities ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ Taxation officers ਝਕੁ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ cloth ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ purchase basis ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ । Central Government ਦੀ excise duty ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ sales tax ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ existing stock ਤੇ tax ਲਗਣਾ ਸੀ । ਉਸ department ਨੇ ਇਕ circular ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ notification ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ dealers ਨੂੰ ਕੁਝ payments departments ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ circular ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ taxation officer ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ against ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ payments ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ reminders ਦਿਤੇ, deputation ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ payments ਕੀਤੀਆਂ ।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ circulars ਦਾ department ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਢਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਢਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਥੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ interpretation ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ implications ਔਰ intricacies ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਇਸ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ clause (੨) ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੈ—

> (2) in Explanation (1) of clause (d), the words "for use in the manufacture of goods for sale" shall be omitted.

ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਜ਼ (b) ਦੀ explanation ਵਿਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਥੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ clause (b) ਵਿਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ amendment ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ sub-clause (6) ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ dealers ਔਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ department ਦੇ through ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ proposal ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ proposal ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ adopt ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ proposal ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ, deputation ਮਿਲੇ, ਕਈ meetings ਹੋਈਆ, ਕਾਫੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਇਕ agreement ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਕ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ proposal ਸੀ।

1952 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ proposal ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ discussion ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ move ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ discuss ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 10, 15 meetings ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਟੁਟ ਗਈ। ਫੇਰ direct action ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇ ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਗਲ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ final ਫੈਸਲਾ 1954 ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ sales tax ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਿਉਪਾਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰਖੇ ਤੇ inspectorate staff ਹਰ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦਾ ਜੇ sales tax ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ purchase basis ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ profit add ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ sale treat ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ corruption ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਡੇ ਵਡੇ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ basis ਨੂੰ accept ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। Retail dealers ਨੂੰ ਇਸ basis ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ in advance ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਮਾਲ ਖਰੀਦਨ ਦੇ ਬਾਅਦ $7\frac{1}{2}$ per cent profit plus 4 per cent incidental charges ਵਧਾ ਕੇ sales tax ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਏ। ਮਾਲ ਵੇਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਉਪਾਰੀ sales tax quarterly ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ tax in advance ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ basis ਨੂੰ adopt ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Department ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ proposal ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ department

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ proposal ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Department ਨੂੰ final 'No' ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ । Final stage ਵਿਚ ਸਚੱਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ oppose ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ in advance ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ? 365 ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ inspectors ਨੇ check ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ clerical mistake ਜਾਂ cash memo ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ best judgement ਨਾਲ assessment ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । Assessing authority ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ I am not satisfied with the accounts.

वित्त मंत्री : On a point of order, Sir मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मेम्बर किस point पर बोल रहे हैं. Purchase tax एक चीज़ है और Sales tax on the purchase system दूसरी चीज । Clause 2 पर कौन सी चीज़ relevant है ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ । ਕਲਾਜ਼ 2 ਦੀ Sub-clause 6 ਉਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : It reads—

"Other than the cost of installation when such cost is separately charged....

Minister for Finance : Sir, I again rise on a point of order. The hon. Member said that there is no explanation of clause (d) where the words "for use in the manufacture of goods for sale" occur. He started his objection from this explanation and now he refers to Sub-clause (6).

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਅਗੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ । ਸਮਝੌਤਾ ਜੋ ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ।

श्री अध्यक्ष : क्लाज़ 2 की over all discussion है, sub-clause (5) और (6) तक आ गये हैं । [The clause 2 is being discussed as a whole but the hon. Member has come to sub-clauses (5) and (6) of that clause.)

Minister for Finance : Sir, I would submit that they should be taken up one by one.

श्री अध्यक्ष : एक क्लाज़ पर मैम्बर दो दफा तो बोल नहीं सकता । अगर वह क्लाज़ पर on the whole बोल रहे हैं तो आप भी ऐसे जवाब दे देना । (A member cannot speak twice on one clause. If he is speaking on the clause as a whole, the hon. Minister may also reply in the same way.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਚ clearly ਦਸਿਆ ਹੈ ।

श्री अध्यक्ष : आप जितना मर्ज़ी आये बोल लें लेकिन मैं आप से बेनती करूंगा कि आप आहिस्ता बोलें । (The hon. Member may speak to his heart's content but should do so at a lower pitch of his voice.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤਾਂ loud speakers ਦੀ ਇਥੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

वित मंत्री : अगर आप आहिसता भी बोलें तो मैं सुन सकता हूं ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Sub-clause (6) ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । 1954 ਵਿਚ discussion ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ direct action ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ President, Beopar Mandal ਨੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ sub-clause (6) ਉਤੇ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ground ਇਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ system ਨੂੰ adopt 1400 ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ dealers ਵਿਚੋਂ ਇਕ whole sellers ਵੀ ਇਸ basis ਨੂੰ adopt ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । Manufacturer ਇਸ basis ਨੂੰ adopt ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

Petty retailer ਉਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ affect ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ manufacturer ਜਾਂ dealer ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਸਾਬਤ ਕਰੇ । IPC ਦਾ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ British Law inherit ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਫਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤਗਾਸਾ establish ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ prosecution ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ establish ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰੀ authority ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ

3—00 p. m.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਅਤੇ simple ਜਿਹਾ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ " I am not satisfied." ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ cash memo ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ sales ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ । ਬਿਨਾ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਉਪਰ charge ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ । Taxation authority ਕਹੇਗੀ ਕਿ I am not satisfied. ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ specific case ਹੈ, ਐਨਾ ਮਾਲ ਇਹ ਲਿਆਏ ਪਰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ entry ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ maximum ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ । ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ checking ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ checking ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਬਿਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Department ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ basis ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਨਾ ਲਵੇ । ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ? ਕਿਉਂਕਿ Central Government ਨੇ ਇਕ circular issue ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ basis ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਐਨੀ ਦੇਰ ਤਕ negotiations ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, discussion ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧ ਗਿਆ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ loop holes ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਘਟ ਗਏ ਹਨ । Railway station ਉਪਰ ਜਿਹੜੀ checking ਹੁੰਦੀ ਹੈ. general checking ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਪਾਰੀ ਉਪਰ psychological ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਬਿਲਟੀ ਨਾ ਪਕੜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ accounts ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ sales tax ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ Unionist Government ਦਸ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 52 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਹ 4 ਆਨੇ ਫੀ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜ Treasury Benches ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ Tax unjustified ਹੈ । ਅਜ dealer ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ tax unjustified ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਕੱਤ ਸਾਨੂੰ Department ਦੀ checking ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੱਚਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਸ system ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ । ਅਜ ਫਿਰ Department ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਉ । ਅਜ ਇਹ ਰਕਮ 5½ ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟ ਹੁੰਦੀ, revenue ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, Budget deficit ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੁਝ justification ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ stage ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜਟ ਵੀ deficit ਨਹੀਂ ਹੈ, surplus ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ clause 1-4-1960 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ connected ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਅਵਾਜ਼ : ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਲਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, consumers ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਵਪਾਰੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ consumer ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ adopt ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ assessing authority ਅਤੇ inspectorate staff ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ । ਹੁਣ Tax ਦੀ amount ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 5½ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਬਜਟ surplus ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ।

Mr. Speaker : Motion moved—

Delete sub-clause (6).

Shri Balram Dass Tandon (Amritsar City West) : Sir, I beg to move—

Delete sub-clause (6).

स्पीकर साहिब, मैंने इस बात के लिए अमैंडमैंट का नोटिस दिया है कि यह जो सब क्लाज़ 6 है इस को delete कर दिया जाए। इस सारी चीज़ का जो पिछला इतिहास है वह चौधरी बलबीर सिंह साहिब ने वजाहत के साथ मिनिस्टर साहिब की खिदमत में अर्ज़ किया है। थोड़े से शब्दों के अन्दर मैं भी इस बात को उन के गोशगुजार करना चाहता हूं। वह यह है कि इस छोटी सी चीज़ को delete कर के आप रिटेल डीलर्ज़ को इस बात के लिये मजबूर कर रहे हैं कि वह छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने ग्राहकों को बिल काट कर दें और उन से टैक्स इकट्ठा कर के उसे सरकार के खजाने

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

में जमा करावें। इस से पहले जो सिलसिला अभी तक चला आ रहा है वह यह है कि अगर कोई रिटेल डीलर in bulk कोई चीज़ खरीदता है तो उस के लिये उस को यह option दी हुई है कि अगर वह चाहे तो freight और octroi duty वगैरा और दूसरे जो अखराजात माल को दुकान तक पहुंचाने में लगते हैं उन को चार फीसदी के हिसाब से assess कर ले और साथ ही साढे सात फीसदी के हिसाब से अपना मुनाफा पहले ही assess करले और उस पर जो सेल्ज़ टैक्स बनता है वह गवर्नमैंट के पास पहले ही जमा करा दे। इस का मतलब यह है कि उस के बाद उस को एक एक चीज़ के लिए ग्राहकों को न बिल देने की जरूरत है और न ही उन बिलों को सरकार के पास ले जाने की जरूरत है। जो टैक्स सरकार के हिसाब का बनता है वह पहले ही खजाने में जमा करवा देता है। लेकिन अब उस concession को वापिस ले कर आप रिटेल डीलर को एक नए झंझट में डाल रहे हैं। अब यह होगा कि जो परचून का काम करता है.... छोटी छोटी चीज़ें बेचता है, स्लेट पैंसिल बेचता है....उसे हर चीज़ के लिये लाज़मी तौर पर बिल काटना पड़ेगा और उस के ऊपर सेल्ज़ टैक्स इकट्ठा कर के देना पड़ेगा। यानी वह सारा झंझट जो कि एक wholesale dealer को करना पड़ता था वह आना-आना दो-दो आने की चीजें बेचने वाले दुकानदारों को करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह एक निहायत ही नामुनासिब बात है। यह चीज पहले सभी पहलुओं की जांच कर के, सभी मुश्किलात को देख कर की गई थी, इस को वापिस लेना उन के साथ बेइनसाफी करने से कम नहीं। आप देखें कि एक आदमी जो कि खुद ही अपनी दुकान पर काम करता है कई बार उसे एक ही वक्त पर दस-दस गाहकों से भुगतना पड़ता है और उस को भी इस काम के लिये वही सिलसिला करना पड़ेगा जैसा कि बड़ी बड़ी दुकानों पर होता है। बड़ी दुकानों पर क्या होता है ? Counter पर एक आदमी बैठा होता है जो कि सिर्फ बिल ही काटता है। अन्दर दुकान में दस बीस आदमी लगे होते हैं जो कि ग्राहकों को चीजें और माल निकाल कर देते हैं। लेकिन छोटी सी दुकान पर तो अकेले आदमी को ही हरेक काम को करना होता है। यानी अब उसे भी इस हिसाब-किताब के लिए एक मुनीम या कलर्क रखना पड़ेगा जो कि उस की हैसियत के बाहर की बात होगी। उस के लिये यह मुश्किल होगा कि हर चीज़ के लिए बिल काटे, उस पर सेल्ज़ टैक्स इकट्ठा करे और फिर किताबें रखे। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल नावाजिब बात है और निहायत नापसन्दीदा बात है। इस से उन लोगों के लिए एक अजीब किस्म की मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि सरकार यह टैक्स इकट्ठा न करे। यह ठीक है कि टैक्स इकट्ठा करने के बगैर सरकार का काम चल ही नहीं सकता। इस बात पर कोई दो राएं नहीं हो सकतीं। टैक्स तो सरकार बखूबी ले। लेकिन इस के साथ दूसरी बात जिस की तरफ ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि टैक्स इकट्ठा करने का जो सिस्टम है वह पेचीदा नहीं होना चाहिए, complicated नहीं होना चाहिए। लेकिन एक एक पैसे की item के लिये भी बिल काटना और टैक्स वसूल करना यह किसी तरह से भी convincing बात नहीं है। इसलिये जो deletion Original Act में डाक्टर साहिब करना चाहते हैं मैं निवेदन करूंगा कि इस से जो नई मुश्किलात व्यापारियों के सामने आएंगी उन का ख्याल रखते हुए, इसे वापस ले लिया जाए और जो option

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री बलराम दास टंडन]
उन को पहले थी वह बदस्तूर जारी रखी जाए। इन अलफाज़ के साथ मैं अपनी तरमीम पेश करता हूं।

Mr. Speaker : Motion moved—

Delete sub-clause (6).

श्री फूल सिंह कटारिया (झज्जर, रिज़र्वड) : स्पीकर साहिब, यह जो original Act में कुछ अलफाज़ delete करने की तजवीज़ सरकार की तरफ से पेश की गई है और उस पर जो विचार चौधरी बलबीर सिंह और टंडन साहिब ने पेश किए हैं मैं उन विचारों के साथ सहमत हूं। इन्होंने एक तीसरे तबके का नाम नहीं लिया जो कि इस चीज़ के साथ बिल्कुल वाबस्ता है। स्पीकर साहिब, बड़े बड़े दुकानदार तो ऐसे हैं जो कि अपनी दुकान पर बैठते ही नहीं, तरह तरह की हेराफेरियां कर के अपने कागज़ात सरकार को दिखा देते हैं लेकिन एक ऐसा तबका है जो कि बिल्कुल अनपढ़ हैं और जो कि अपने हाथ से जूते बनाने का काम करता हैं। उन्होंने कुछ पढ़ा-लिखा नहीं होता और न ही वह अपना कोई हिसाब किताब रख सकते हैं। और फिर उन का कोई इतना फैला हुआ business नहीं होता। कभी कोई उन से जूते बनवा लेता है और कई कई दिन उन को कोई काम ही नहीं होता। ऐसी हालत में वह क्या हिसाब-किताब रख सकते हैं और क्या लोगों को बिल बना कर दे सकते हैं और उन से सेल्ज़ टैक्स वसूल कर सकते हैं। वह तो चार फीसदी की बजाए $11\frac{1}{2}$ फीसदी भी देने को तैयार हैं लेकिन इस तरह से वह हिसाब-किताब के झंझट में नहीं पड़ सकते। यह जो $11\frac{1}{2}$ रुपये बढ़ती देने होते हैं इस तरह से 100 रुपये पर $7\frac{1}{2}$ आने का फर्क पड़ता है। सौ पर वह $7\frac{1}{2}$ आने ज़्यादा होते हैं। और अगर हिसाब किताब में डाला गया तो वह काम इस तरह से नहीं कर सकेंगे। उन के पास एक ही दफा कोई आदमी आता है और 6 महीने के लिये माल बनवा ले जाता है। और फिर जैसा कि मैं ने अर्ज़ किया कितनी कितनी देर दुबारा माल बनवाने का नाम ही नहीं लेता। इस लिये मैं मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि इस चीज़ को ऐसे का ऐसा ही रहने दिया जाए। उन को इस नए झंझट में न डाला जाए।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : स्पीकर साहिब, यह जो आखिरी एतराज़ किया गया कि लोग 11 per cent टैक्स तो देना पसन्द करेंगे लेकिन 4 per cent नहीं देना चाहते, यह बात नहीं है। मैं अर्ज़ करूंगा कि वह उस चीज़ को समझे नहीं। दर असल कीमत का 11 या $11\frac{1}{2}$ per cent छोड़ कर उस का 4 per cent हिसाब लगा कर ही टैक्स देना होता है। 11 per cent टैक्स कोई नहीं मांगता। इस लिए यह कहना कि लोग 11 per cent देना पसन्द करेंगे, कोई दलील नहीं है।

बाकी रहा सवाल purchase system की हिस्ट्री का। इस से पहले दूसरी चीज़ जो चौधरी बलबीर सिंह जी ने कही वह यह कि उन को इस किताब में clause (d) में Explanation (I) और उस में Manufacturer के लफ्ज़ नहीं मिले। इस में लिखा है " for use in the manufacture of goods for sale"

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

वह कहते हैं कि उन को यह लफ्ज़ नहीं मिले। मैं उन को फिर अर्ज़ करूंगा कि जौन सा ऐक्ट वह quote कर रहे हैं और जिस में वह कहते हैं कि नहीं मिला, उस को फिर देखें और गौर से पढ़ें। उस में सैक्शन 2 में क्लाज़ d, मौजूद है और क्लाज़ d के साथ Explanation (I) मौजूद है। मैं खुद भी उस में से पढ़ कर आप को सुनाता हूं। इस में लिखा है.....

> "A co-operative society or a club or any association which sells or supplies goods to its members or purchase goods for use in the manufacture of goods for sale is a dealer within the meaning of this clause."

इस में से हम यह निकालना चाहते हैं जो किसी ऐसी sale के लिये produce हो। अब रहा दूसरी clause की sub-clause (6) . . .

श्री अध्यक्ष: यह किस Sales Tax Act की explanation में दिया हुआ है ? (To which Sales Tax Act and its explanation the hon. Minister is referring ?)

वित्त मंत्री : यह पहला ऐक्ट है। उसी को आप देखें। जो original Act है उस में यह दिया हुआ है।

चौधरी बलबीर सिंह : जो Assembly की library से copy हमें मिली है उस में तो यह चीज़ नहीं। मैं यह copy एक वकील से लाया हूं। इस में भी यह चीज़ नहीं है.....

वित्त मंत्री : यहां पर इस sub-clause 6 की बाबत इस का इतिहास दोहराया गया कि कैसे purchase system पर यह tax वसूल करना माना गया था और इस बारे में partition से पहले का इतिहास बताया गया कि कैसे यह tax लगाया गया था और किस तरह से agitation हुई। मैं इस इतिहास में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मुझे इस में पड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि मेरे मित्र चौधरी साहिब खुद फरमा गये हैं और अब भी उन्होंने फरमाया है कि व्यापारी इस tax के देने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि इस की वसूली का system बदल दिया जाये, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह tax व्यापारी नहीं देते बल्कि वे तो गवर्नमैंट के behalf पर इस tax के collectors हैं। Sales Tax तो purchaser देता है व्यापारी अपने पास से नहीं देते। इस लिये यह कहना कि purchase system पर यह जो कुछ भी आये वे देने के लिये तैयार हैं ठीक बात नहीं है। फिर व्यापारी से हम कोई ज़्यादा चीज़ लेना नहीं चाहते। जब पिछली दफा दो साल पहले यह बिल आया था तब भी इन्होंने फरमाया था कि 2 या 3 per cent की बजाये 4 per cent या इस से भी ज़्यादा अगर हम लगा दें तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। व्यापारी tax वसूल करने के लिये तैयार हैं। स्पीकर साहिब, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि जो आदमी उस की मदद करता हो वह उस के लिये तकलीफ का कारण बन जाये। बाकी रहा यह सवाल कि यह किस ने किया था या किस ने नहीं किया इस के इतिहास में जाने के लिये सबूत पेश करना पड़ता

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

है। गवर्नमेंट का क्या है? इस में चाहे कोई भी बैठा हो, होगी तो वह यही गवर्नमेंट। दो साल हुए जब September या October, 1957, में व्यापारियों की meeting मेरे सामने हुई थी तो मैं ने कहा था कि गवर्नमेंट का यह कहना है कि इस से उन्हें नुकसान होता है क्योंकि उस वक्त वे उस में incidental charges add नहीं करते थे। इस पर इन्होंने कहा था कि वह सब देने को तैयार हैं। लेकिन इन के कहने से और मशिवरे से अगर हम को नुकसान नहीं होता तो हम मानने को तैयार हो गये थे। इस तरह से 4 per cent incidental charges उस में add करने के लिये यह मान गये थे और इस तरह से यह system लगाया गया था। अगर आप पुरानी proceedings निकलवा कर देखेंगे तो यही चीज़ आप को वहां मिलेगी। इस के बाद यह लगा और इस पर खर्चा किया गया। अब सवाल आया officers का कि कैसे हम ने इस को वसूल करना है। हमारे officers ने हमें बताया है कि इस की वसूली पर खर्चा तो ज्यादा होता है और वसूली कम होती है इसलिये इस system से सरकार को कोई फायदा नहीं है। बजाये इस बात के कि गवर्नमेंट को इस tax से कुछ आमदनी हो यहां तो गवर्नमेंट को अपनी जेब से कुछ देना पड़ता है तो यह क्यों इस system को जारी रखे। इस की वसूली के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि जो माल हमारे सूबे में आये उस की बिल्टियों को हम check कर सकते हैं। Railway stations पर गवर्नमेंट के आदमी मौजूद हैं और जो माल railway के ज़रिये आता है उस की बिलटियां वे verify करते हैं। लेकिन जो माल trucks के ज़रिये आता है उस के लिये ट्रकों वाले verification कराने के लिये तैयार नहीं हैं। यहां तक कि कुछ ऐसी बातें हैं जिन के बारे में गो सख्त इलफाज़ मुझे इस्तेमाल करने चाहियें लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता। यह truck वाले यह बात भी मंजूर नहीं करते कि वे माल को verify करा दें। वे क्यों माल को verify नहीं कराते हैं? वे इसलिये नहीं कराते हैं क्योंकि trucks से बहुत सा माल smuggle होता है। मगर बिल्टियां आती हैं लेकिन trucks वाले उन बिल्टियों को दिखलाने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि trucks के ज़रिये बहुत सा माल smuggle होता है। इस तरह से इस tax का evasion होता है। यह evasion अब railway के ज़रिये तो होता नहीं क्योंकि वहां हमारा staff मौजूद है लेकिन यह staff trucks को check करने के लिये नहीं होता। चौधरी बलबीर सिंह ने फरमाया है कि गवर्नमेंट यह साबित करे कि evasion होता है। उन्होंने और यह कहा है कि Taxation Officers के सिर्फ कह देने से ही तो tax का evasion साबित नहीं हो जाता और यह साबित नहीं हो जाता कि trucks वाले बेईमान हैं। स्पीकर साहिब, Taxation Officers जब कहते हैं कि इन की तसल्ली नहीं है तो कैसे इन की तसल्ली की जाये। यह argument यही समझ सकते हैं। मैं नहीं समझ सकता। मेरी तो साफ बात है कि इस की वसूली का पूरी तरह से अन्दाज़ा नहीं लग सकता है। यह हमारी कमज़ोरी समझिये या कुछ समझिये कि हम इस का अन्दाज़ा ठीक तरह से नहीं लगा सकते। दूसरी बात यह कि हमारा खर्चा ज्यादा होता है क्योंकि इस के लिये हम जो staff लगाते

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

हैं उस पर बड़ा खर्च करना पड़ता है। इसलिये मैं ने इस चीज़ को बन्द किया है। हम purchase system से यह tax वसूल नहीं करना चाहते। यह कहा जाये कि purchase system अच्छा है और इस से लोगों को फायदा है और यह उन की तकलीफ को दूर करने के लिये मंजूर किया गया था, इस बारे में मैं अर्ज़ करता हूं कि यह तो चौधरी बलबीर सिंह ने माना है कि यह retailers ही थे जो इस को मंजूर करते थे और whole sellers यह मंजूर नहीं करते थे। यह उन्हें पता है और हम इस बारे में बात कर चुके हैं। यह थोड़ी तकलीफ है मगर ऐसी बात नहीं कि यह लोगों को मालूम नहीं। अगर मालूम न होती तो दो दफा कैसे मेरे पास आते। सब को इतलाह दे दी गई थी कि purchase system से हम यह tax वसूल नहीं करेंगे। यह सब को मालूम है और वह व्यापार मंडल की तरफ से बात कर चुके हैं। जब वह बात कर चुके हैं और तब मैं ने इन्हें बतलाया था कि सारे पंजाब में 48 हज़ार registered dealers हैं और उन में से 1,400 ऐसे हैं जो purchase system से यह tax अदा करना चाहते हैं तो यह खुद मान गये थे। अगर इन को याद है तो अच्छी बात है और अगर याद नहीं तो मैं उन्हें याद दिला देता हूं कि तब इन्होंने फरमाया था कि गवर्नमैंट के आदमियों ने ही dealers को कहा था कि purchase system पर मत tax दो। अगर Taxation Officers के या Inspectors या Sub-Inspectors के कहने की वजह से यह मानते हैं कि purchase system पर यह tax नहीं लगना चाहिये क्योंकि इस में उन का फायदा नहीं है तो मैं समझता हूं कि अब उन्हें कैसे ख्याल आ गया है कि यह system अच्छा है और यह department खराब है। गवर्नमैंट के department के अफसर जब इन्हें बतलाते हैं तो वे ठीक है लेकिन जब उन्होंने कह दिया है कि यह tax हम इस तरह से नहीं ले सकते तो यह department ही खराब हो गया है।

अब मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि एक दफा purchase system आ जाये तो दूसरी दफा वह नहीं जाता है। यह मुद्दा कभी होना ही नहीं चाहिये खास तौर पर तब जब कि वे चाहते हैं कि गवर्नमैंट को tax की ज़रूरत है और यह tax देना चाहते हैं। जब tax collect कर के देते हैं तो ऐसे system पर चलने के लिये यह क्यों कहें जहां खर्चा ज्यादा हो और वसूली कम हो। इस चीज़ को हटाने के लिये हम ने यह चीज़ कही है।

एक दलील उन्होंने और पेश की है कि बजट बड़ा अच्छा है। आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि बजट बहुत अच्छा है। अगर पहले इस को मानते तो इतना criticism न होता। लेकिन वह तो पास होना था और हो ही गया। अब तो relief देने की बात है तो कहते हैं surplus है अब उन arguments को इस जगह पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। (*interruptions*)

चौधरी बलबीर सिंह : On a point of order, Sir. मैं ने यह कहा है कि बजट अच्छा है, मगर मैं ने अपने speech में यह नहीं कहा कि बजट surplus है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

वित्त मंत्री : अगर वह शान्ति से मेरी बात को समझते और सुनते तो मैं भी वही कहता जो यह कहना चाहते हैं। मैं कह रहा था कि जब बजट पेश हुआ था तो यही criticism किया जाता था कि इस पर इतने खर्च की provision नहीं होनी चाहिये यह निकाल देनी चाहिये। मगर आज यह बजट को इतने criticism के बाद भी अच्छा कहते हैं तो यह बजट की तारीफ नहीं तो और क्या है। मैं उन का शुक्रिया अदा करता हूं कि आखिर उन्होंने मान लिया कि बजट भी कोई चीज़ है। मैं ने यह कभी नहीं कहा कि जो हम फज़ूलखर्ची करते हैं यह कभी बंद न हो। अगर 1 लाख या $1\frac{3}{4}$ लाख का किसी मद का बजट है और आप उस के लिये $5\frac{1}{2}$ लाख खर्च कर देते हैं तो इस में तो सरासर नुकसान है। यह बंद करना चाहिये। इजनास काफी बढ़ी हैं इस लिये व्यापार भी बढ़ गया है और अगर व्यापार बढ़ा है तो इस के साथ taxes भी बढ़े हैं। व्यापारियों ने हमारी इमदाद की और उन की मर्ज़ी से 0-4-0 की बजाये 3/2 तक यह लिखा गया है। इस लिये यह कहना कि हम 1 लाख या $1\frac{1}{2}$ लाख चाहते थे, यह कोई घबराने की बात नहीं। इस में से इन पर खर्च भी करना है। अभी से घबराने की क्या बात है 3rd Five-Year Plan आयेगी उस के लिये [और भी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर कोई पैसा इस province के फायदे के लिये खर्च होता है तो यह दलील देना कि Government ने उस वक्त इतना कहा था यह कोई मायने नहीं रखती। अगर आमदन बढ़ जाती है तो अखराजात भी बढ़ जाते हैं, और हमें ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इस के बरअक्स अगर आमदन कम हो तो हमें खर्च कम करना पड़ता है। इसलिये मैं ने तजवीज़ किया है कि इस system को बन्द किया जाये।

Mr. Speaker : Question is—

Delete sub-clause (6).

The motion was lost.

Mr. Speaker: The amendment given notice of by Shri Balram Das Tandon and Dr. Baldev Parkash is identical with that of Chaudhri Balbir Singh, which was put to the vote of the House and lost. There is, therefore no need to put this amendment to the vote of the House. Now, I will put the clause to the vote of the House.

Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker: Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Shri Nihal Singh: Shri Harbhagwan Maudgil, who has given notice asking for the leave of the House for the insertion of a new clause after clause 3, and has also given notice of an amendment to clause 4, is unavoidably absent from the House today. I, therefore, request that I may be allowed to move these amendments.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : These amendments are very important. The hon. Speaker may kindly allow the hon. Member to move these amendments.

Mr. Speaker: These are official amendments. I have already set up a convention about it. The hon. Member is allowed to move these amend ments.

Shri Nihal Singh: (Mohindergarh): Sir, I beg to ask for leave to move the following new clause:—

After clause 3 of the Bill following shall be inserted:—

"4. *Amendment of section 4A of Punjab Act XLVI of* 1948. In section 4A of the principal Act between the words "on any sale" and the words "made by him" the words " or purchase" shall be inserted."

Mr. Speaker: Question is—

That the hon. Member be granted leave to move the following new clause:—

After clause 3 of the Bill the following shall be inserted:—

"4. *Amendment of section 4A of Punjab Act XLVI of* 1948. In section 4A of the principal Act between the words "on any sale" and the words "made by him" the words "or purchase" shall be inserted.

The leave was granted

Shri Nihal Singh: Sir, I beg to move—

After clause 3 of the Bill, add the following new clause:—

"4 *Amendment of section 4A of Punjab Act XLVI of* 1948. In section 4A of the principal Act between the words "on any sale" and the words "made by him" the words "or purchase" shall be inserted."

Mr. Speaker: Motion moved—

After clause 3 of the Bill, add the following new clause:—

"4. *Amendment of section 4A of Punjab Act XLVI of* 1948. In section 4A of the principal Act between the words "on any sale" and the words "made by him" the words "or purchase" shall be inserted."

Question is—

That the clause be considered.

(The question was affirmed)

Mr Speaker : Question is—

After clause 3 of the Bill, add the following new clause:—

"4. *Amendment of section 4A of Punjab Act XLVI of* 1948. In section 4A of the principal Act between the words "on any sale" and the words "made by him" the words "or purchase" shall be inserted.

The motion was carried.

Mr. Speaker: This new clause will be numbered as clause 4, and the existing clause 4 will be re-numbered as clause 4-A.

Now clause 4-A is before the House.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CLAUSE 4-A

Shri Nihal Singh (Mohindergarh): Sir, I beg to move—

For sub-clause (2) (b) substitute—
"(b) for sub-clause (vi) the following sub-clause shall be substituted, namely:—

(vi) The purchase of goods which are sold not later than six months after the close of the year, to a registered dealer, or in the course of inter-state trade or commerce, or in the course of export out of the territory of India:

Provided that in the case of such a sale to a registered dealer, a declaration, in the prescribed form and duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold, is furnished by the dealer claiming deduction."

Mr. Speaker: Motion moved—

For sub-clause (2) (b) substitute—

"(b) for sub-clause (vi) the following sub-clause shall be substituted, namely:—

(vi) The purchase of goods which are sold not later than six months after the close of the year, to a registered dealer, or in the course of inter-state trade or commerce, or in the course of export out of the territory of India:

Provided that in the case of such a sale to a registered dealer, a declaration in the prescribed form and duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold, is furnished by the dealer claiming deduction."

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, अगर कोई unofficial amendment दी जाती है तो क्या इस को भी मान लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैं ने पहले कहा, हमारी पहले ही यह convention set up की गई है जिस के मुताबिक official amendment move करने की इजाज़त दी जा सकती है। (As I have already declared, we have already set up a convention that permission can be granted to move official amendment)

श्री बलराम दास टंडन : अगर Treasury Benches के इलावा दूसरे Benches से आये तो क्या इसे मान लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हां, बशर्ते कि इसे House ने accept करना हो। (Yes, provided the House is to accept it.)

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, अगर वज़ीर साहिब, इस को explain कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : पिछली दफा या अब तक जो purchase tax चलता है on goods for manufacture for sale उस में cotton भी शामिल है। पिछली दफा ginners ने एक writ की थी जिस का High Court ने यह decision दिया कि ginning is not manufacturing लेकिन ginners जब cotton को market

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

में purchase करते थे तो पर्दा डाल कर growers से cotton खरीद लेते थे और tax आप वसूल कर लिया करते थे। और इत्तला मिलने पर यह मालूम हुआ कि जो रुपया ginners से आना चाहिये था वह गवर्नमैंट को नहीं आया। इस से यह ज़ाहिर है कि जो manufacture for sale words हैं उन को define करने में difficulty होती है इस लिये अब हमने अमैंडमट दी है कि purchase की तारीफ में से cotton को manufactured goods में से delete कर दिया है। और इस का मतलब यह होगा कि cotton की purchase पर purchase tax देना होगा। इस में एक बात फिर रह जाती है कि traders कुछ न कुछ हिस्सा growers पर ज़रूर डालते हैं क्योंकि उन का तरीका ऐसा है कि growers उस में से बगैर entangle हुए निकल नहीं सकते। Traders मंडी में मिल कर एक pool बना लेते हैं और वह जो कीमत fix कर देते हैं उसी पर grower को बेचना पड़ता है क्योंकि मुकाबिले में और कोई कीमत देने वाला नहीं रह जाता इस लिये वह अपनी कीमत को growers से वसूल कर लेते हैं। और हम growers से जो चीज़ खरीदी जाती है, उस पर कोई tax नहीं लगाते। लेकिन व्यापारी इस तरीके से काम करता है, जैसा मैं ने अभी बताया। इस लिये अब यह फैसला किया कि purchase tax को last purchase पर लगाएं। पहली stage पर न लगाएं। और इसी लिये यह amendment दी है। अब यह भी होता है कि बाहर का व्यापारी काटन लेता है, तो हम उस पर sales tax नहीं लगा सकते क्योंकि वह inter State sales tax देता है और जहां ले जाता है, वहां की गवर्नमैंट फिर उस से tax 1 प्रतिशत लेती है और अगर कोई यहां से खरीद कर ले जाता है तो purchase tax 2 प्रतिशत उसे देना होगा जिस में 1 प्रतिशत हमें मिलता है।

अब हम इस में यह करना चाहते हैं कि tax growers पर न पड़े और व्यापारी भी indirectly tax उस से न वसूल कर सके इस लिये यह amendment यहां पर ले आए हैं। इस के बाद भी अगर व्यापारी grower को tax करता है तो मझे मजबूर होना पड़ेगा कि मैं इस बात के लिये recommend करूं कि गवर्नमैंट cotton की price sugarcane या foodgrains की तरह, minimum से minimum fix कर दे ताकि उस से कम कीमत grower को न मिल सके। लेकिन फिर भी इस बात पर मैं rely करता हूं कि मुझे मजबूर नहीं होना पड़ेगा इस के लिये और व्यापारी ठीक तरीके से last purchase tax अदा करेंगे— (*Interruptions*) नुकसान दर असल indirectly growers पर पड़ता है। उस indirect चीज को निकालने के लिये जो तरीका मैं ने अर्ज़ किया है वही हो सकता है और हम Government को कह सकते हैं कि growers के interest में वह cotton की minimum price fix करे। जब minimum price fix करने का सवाल आवेगा उस वक्त grower को कोई गिला नहीं होगा क्योंकि Government सब चीज़ को देख

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

कर minimum price fix करेगी। जो manufacturers हैं वह बाहिर की imported cotton भी use करते हैं और cloth तैयार करते हैं। जो कपड़ा बाहिर से यहां आता है उस के साथ भी compete करते हैं और export करके दूसरे मुल्कों के साथ भी cloth markets में compete करते हैं। इसलिये cotton की price international level पर चलती है। इस चीज़ को देखते हुए Government ने यही तरीका सोचा है। पिछली दफा ginners ने जिस तरीके से growers से tax लिया था उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की है। इसलिये मैं House से कहूंगा कि इस amendment को पास किया जाए।

चौधरी बालू राम (आनन्दपुर) : स्पीकर साहिब, यह जो मुदगिल साहिब की तरफ से amendment दी जा रही है जिस को official amendment समझा जा रहा है इस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। डाक्टर साहिब ने स्पष्ट कहा है कि हम ने कोशिश की है कि cotton पर दो दफा tax न लगे। High Court ने भी यह फैसला दिया था कि cotton पर दो दफा tax नहीं लिया जा सकता। सो यह जो amendment है यह इस लिए लाई जा रही है कि cotton पर दो दफा tax न लगे। यह तो अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारा जो sales और purchase tax का Act है इस में बहुत सी amendments आ चुकी है और यह बहुत लम्बा हो गया है। इस को पढ़ कर यह जानना मुश्किल हो जाता है कि इस में से कौन सी clause delete हो चुकी है और कौन सी clause नई add हो चुकी है। मैं ने Bombay के sales and purchase tax का वह हिस्सा जो cotton से सम्बन्ध रखता है डाक्टर साहिब को दिया था। वहां पर भी चाहे cotton Province के अंदर consume हो या बाहर भेजी जाए उस सारी पर sales tax लगता है। उन्होंने एक notification किया हुआ है जिस में लिखा हुआ है कि एक ही stage पर cotton पर tax लगेगा और उस से कोई complication नहीं पैदा होती। इन्होंने (Finance Minister) ने अब यह amendment ला कर कहा है।

> "(vi) The purchase of goods which are sold not later than six months after the close of the year, to a registered dealer, or in the course of inter-state trade or commerce.."

डाक्टर साहिब ने यह समझा है कि रुई year ending से 6 महीने तक बिक ही जाएगी इस लिए उस पर purchase tax नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने इस बात का खयाल नहीं रखा कि अगर किसी ने cotton खरीद ली है और accident से उस को आग लग जाए तो उस की sale का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस पर purchase tax कैसे लगाया जा सकता है। या कई दफा ऐसा होता है कि व्यापारी कपास खरीद कर अपना नफा-नुक्सान देखते हुए दो दो साल रुई स्टाक में रख लेते हैं या वह by chance ग्राहक न लगने

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

के कारण बिकती ही नहीं। छः महीने में जब cotton नहीं बिकेगी तो इस का मतलब यह हुआ कि कपास खरीदी पर उस को tax देना पड़ेगा या छः महीने के अंदर अंदर उसे कपास बेचनी पड़ेगी। मेरी amendment late आई है लेकिन उस में मैं ने propose किया है कि कपास की purchase पर tax न लगे क्योंकि वह direct किसान पर tax लगता है। इस लिये यह जो छः महीने वाली condition है इस को हटा कर यह कर दिया जाए

"The purchase of goods which are sold to a registered dealer."

बाद में जब रूई बिक जाए उस के ऊपर sales tax लगे। यह जो छः महीने की शर्त रखी गई है यह उस में नहीं होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੋਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਫੇਰ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ growers ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਪਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 70 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ growers ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲ. ਆਰ. ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਔਰ ਐਲ.ਆਰ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ cotton growers ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੈਕਸ cotton growers ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਉ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ cotton growers ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ fix ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ fix ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ producers ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ tax growers ਤੇ ਨਾ ਲਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਗਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਣ

4.00 p.m.

ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦੀ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ Cotton growers ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]

cotton ਦੀ fix ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜੇਕਰ price support system ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਘਟੋ ਘਟ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕਪਾਹ ਬੀਜੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਪੁਗੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਪਾਹ ਬੀਜੇਗਾ ਵਰਨਾ ਉਹ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਵੇਗਾ, ਛੋਲੇ ਬੀਜ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਗੰਨਾਂ ਬੀਜ ਲਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੱਦੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਉਤੇ ਬੋਲੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ । ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ । ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ........

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ 22 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ (ਹਾਸਾ) ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿਪਾਰੀਆ ਤੇ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫਾ 2 ਵੀ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਵਿਪਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨਦਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ protest ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਨੇ ਇਹੋ ਨਤੀਜਾ ਕਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ producers ਤੇ ਹੀ ਲਗਣਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਐਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਤਾਂ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ ਜੋ ਵਿਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣੇ ਹਨ । ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ growers ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ, ਜਨਰਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ originally ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਦਰ ਠੀਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਨਵੀਂ amendment ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ Complicated ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਧਰੀ ਬਾਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ complicated ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ opposition ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :

> "The principle which must always be applied in *constructing a taxing Act* is that the Government must show that the tax sought to be recovered has been imposed in language which admits of no reasonable doubt. In the case of reasonable doubt, the duty of the court is to put such a construction upon the taxing statute as is most beneficial to the subject."

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤਾਂ multi stage tax ਦੀ ਬਜਾਏ single stage taxਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ complicated ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ purchase tax ਤੇ sales tax at a time ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ amending ਬਿਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ amendment ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ complicated ਹੋ ਜਾਵੇ, litigation ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ simple ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ amendment ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਜਾਕੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਕੇ interpretation ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ final stage ਤੇ ਫੇਰ amendment ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ interpretation ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। Assessing authority ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਫੇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ litigation ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ 1948 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ explanation (1) of clause (d) ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਢ ਕੇ ਦਸ ਦਿਤੀ ਹੈ।, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨੀਆਂ complications ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ original Act ਦੀ clause 4/A (1) and (2) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ amend ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ amendment ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ position ਹੋਰ ਵੀ complicated ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਝਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਪਾਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ inspectorate staff ਨੂੰ ਤੇ assessing authority ਨੂੰ ਬਹੁਤ wide powers ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ dealers ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ corruption ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲੂ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ complication ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ amendment ਨੇ complication ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ originally ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ sales tax ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ purchase tax ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ purchase tax ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ sales tax ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ruling ਹੈ।

Mr. Speaker: Question is—

For sub-clause (2) (b) substitute—

"(b) for sub-clause (vi) the following sub-clause shall be substituted, namely:—

(vi) The purchase of goods which are sold not later than six months after the close of the year, to a registered dealer, or in the course of inter-state trade or commerce, or in the course of export out of the territory of India:

Provided that in the case of such a sale to a registered dealer, a declaration, in the prescribed form and duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold, is furnished by the dealer claiming deduction."

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is—

That clasue 4-A stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, यह जो clause 5 यहां रखी गई है यह original Act की section 9 को omit करने के लिये रखी गई है। इस के दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि जो original section 9 है उस में यह provision रखा गया था—

"9. The Commissioner shall, as soon as may be after the commencement of this Act, publish in such manner as he deems fit a list of the names and addresses of the registered dealers together with a description of the goods covered by their certificates of registration, and thereafter shall in like manner from time to time publish—"

स्पीकर साहब यह इस लिए रखा गया था कि बहुत से लोग जब मार्किट के अंदर माल खरीदने के लिये आते हैं तो उस वक्त जो खुद registered dealers होते हैं वे उन से टैक्स नहीं लेते उन से उन का registered number ले लेते हैं लेकिन देखना यह होता है कि जिस number का नाम ले रहे हैं आया वह number genuine है, कहीं गलत तो नहीं दे रहे। इसलिये चाहिए तो यह था कि यह list न सिर्फ तैयार

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ही की जाती बल्कि साल हा साल amend होती । Original Act के अन्दर Commissioner को power दी गई थी लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त भी कई लोग ग़लत registered number दे कर माल खरीद करले जाते हैं। इस का नतीजा यह होता है कि सरकार के revenue में कमी आती है, उसे परेशानी होती है, उस की location नहीं हो सकती। इसलिये चाहिए तो यह था कि जो provision original Act के अन्दर रखी थी उस को न सिर्फ तैयार किया जाता बल्कि उसे ठीक तरीके से लागू किया जाता लेकिन इस के बरअक्स यह हो रहा है कि amending Bill के अन्दर उस क्लाज़ को ही खत्म कर रहे हैं । Original Act के अन्दर यह provision थी कि consolidated list assessing authority और dealers के पास रहेगी और उस में word shall use हुआ है । अफसोस की बात यह है कि ज़रूरत इस बात की थी कि यह लिस्ट जल्दी से जल्दी मुहैया की जाती लेकिन हुआ यह कि 10, 12 साल के अन्दर वह list नहीं बनाई गई । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि जो अफसरान इस बात के लिये ज़िम्मेदार हैं उन को prosecute किया जाय। एक तरफ सरकार अपना revenue छोड़ती है, लोगों को दिक्कत हो रही है, taxation authority को दिक्कत है कि कहां से locate करें लेकिन दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि यह बात ही खत्म कर दी जाय। मैं पूछता हूं कि यह लिस्ट तैयार करने से कौन सा संकट आ जाता है, सरकार को इस में आपत्ति क्या है। सिर्फ एक आध आदमी लगाने से यह काम हो सकता है जिस से लोगों को भी फायदा पहुंचता है, सरकार का पैसा बचता है और महकमा को भी bogus dealers detect करने में मदद मिलती है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि principal Act के अन्दर रखी हुई provision को implement किया जाय और amendment को वापस लिया जाय ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ Amending Bill ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਅਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਆਇਦ ਹੋਈ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਬਿਓਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ list ਤਿਆਰ ਕਰੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ wording ਇਹ ਹੈ "Government shall publish......" ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ list 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ publish ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ harassment ਹੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ dealers ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ department ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ certificate ਲੈ ਲਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ firms exist ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ registration ਦੇ ਬਾਅਦ bogus firm ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ tax free goods ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ? ਮਾਲ at

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

par ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ । ਵੇਖਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ registration certificate ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ । ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ tax free ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਫਸਿਆ ਬੇਚਾਰਾ ਉਹ ਬਿਓਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ genuine ਬਿਓਪਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ tax ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ department ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਜਿਹੜੀ Taxing authority ਹੈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ major portion sales tax ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਿਓਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ provision ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ registered dealers ਦੀ ਇਕ list ਮੁਹੈਯਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਉਸ provision ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ list ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ । Excise ਤੇ Taxation ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ bogus dealers ਨੂੰ registration certificates ਦਿਤੇ ਨੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ dealers ਨੇ tax-free goods ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਲਿਸਟ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ certificate ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ tax free goods ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ list ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਦਮੀ registered ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ provision ਹੈ ਕਿ ਜੇ registered dealer ਮਾਲ ਖਰੀਦਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ । ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਇਹ dealer ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਏ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ clause ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ delete ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ Principal Act ਦਾ section 9 ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਿਓਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਜਾ ਸਕੇ ।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ पर एतराज़ करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि 12 साल तक Department ने लिस्ट नहीं छापी । यह बात मैं मानता हूं कि list नहीं छापी गई क्योंकि इस के छापने में कई मुश्किलात का सामना पेश आया और उन का कोई हल दिखाई न दिया । इस के न छपने से जो व्यापारियों को नुक्सान हुआ उस की मिसाल चौधरी साहिब ने दी है । मैं नहीं समझता कि वह चीज list छापने से दूर हो सकती थी बल्कि list छपी होती तो उन के पास एक और सबूत हो जाता कि registration certificates की

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

एक list भी मौजूद है इसलिये उन के पास एक और दलील हो जाती। शुक्र इस बात का है कि चौधरी साहिब ने इस बात को माना है कि यहां ऐसे व्यापारी मौजूद है जो exist नहीं करते लेकिन ग़लत नाम दे कर registration certificate ले लेते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे case आते हैं लेकिन किसी को registered dealer के बग़ैर sales tax charge किया गया है। यह देखना काफी है कि इस के पास registration certificate है या नहीं। वह अपना registration certificate दिखाए, देख कर number लिख कर वह return में लिख सकता है कि मैं ने इस को बेचा है। फर्जी dealers से हमें नुक्सान होता है क्योंकि वह टैक्स हमें नहीं मिलता और न ऐसे cases में enquiry हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात को भूल जाते हैं कि जो आदमी अपने आप को फ़र्जी नाम से register करवाता है वह किसी न किसी व्यापारी से मिला हुआ होता है। मेरे पास अमृतसर का तो नहीं जालंधर का व्यापारी आया। Enquiry होती है तो इस में हमारा क्या कसूर है अगर कोई व्यापारी registration certificate रख ले। बेइमानी होती है तो इस को रोकना सिर्फ list छाप देने से ही मुमकिन नहीं है। व्यापारी न होते हुए भी कोई registration certificate ले सकता है तो भी उस का नाम list में आ जायेगा। अगर व्यापारी जो register होते हैं वे हमारे साथ co-operate करें और इमानदारी से काम करें तो कोई तकलीफ न होगी। हम उस की तकलीफ कैसे बरदाश्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि व्यापारी को कोई तकलीफ न हो। जब यह कानून 1948 में बना था तो व्यापारियों के मश्विरे से बना था। उस समय व्यापारियों ने यकीन दिलाया था कि वे इमानदारी से काम करेंगे और टैक्स की evasion नहीं होगी। जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह कानून बनाया। पैसा ऐसी चीज़ है जिस से temptation होती है और इस temptation को resist करना बहुत मुश्किल काम है। हज़रत मसीह खुद कहा करते थे कि ऐ खुदा मुझे temptation में न डाल। पैसे की temptation हो तो कौन रुक सकता है। इस का इलज़ाम गवर्नमैंट पर लगाते हैं। अपने आप को नहीं कहते कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिये कि bogus dealer register न हो और association का मैम्बर न हो। Association तो on behalf of all the people होती है। एक तरफ तो मेरे भाई कहते हैं कि बेइमानी नहीं होगी लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि सब के लिये कैसे ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि बेइमानी को दूर करने के लिये कोई दूसरा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा जो practicable हो।

Mr. Sp:aker Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think Ayes have it." This opinion was challenged. The division bells were then sounded. Mr. Speaker after ascertaining the votes of the Members present, by voices, again declared that the motion was carried.

The motion was declared carried.

श्री मंगल सेन (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे delete कर देना चाहिये वह इस लिये कि अगर कोई व्यापारी टैक्स नहीं दे सका, return नहीं दे सका और साथ ही sufficient reason भी नहीं बता सका तो

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(श्री मंगल सेन)

इसके ज़रिए उस पर penalty impose की जा सकती है। और वह penalty कितनी होगी? जितना टैक्स बनता है उस से डेढ़ गुना जुर्माना हो सकेगा। स्पीकर साहिब, इस में कोई संदेह नहीं है कि जो आदमी गलती करता है उस को सज़ा मिलनी ही चाहिये लेकिन यह भी साथ ही देखना चाहिये कि उस ने जो जुर्म किया है उस के मुताबिक ही उस पर penalty लगनी चाहिये। इस राज्य में तो हम ने यह देखा है कि लोग मनों के हिसाब से अफीम smuggle करते हैं उन को तो कोई नहीं पकड़ता मगर मैं अपने ज़िले का एक केस बयान करना चाहता हूं कि वहां एक आदमी बद किस्मती से अफीम खाता था। उस की खुराक से कुछ थोड़ी सी ज्यादा अफीम उस के पास होगी। किसी ने मुखबरी कर दी कि वह तो अफीम बेचा भी करता है। उस गरीब को पकड़ लिया गया और अब केस कोर्ट में चल रहा है। स्पीकर साहिब, आप बार्डर ज़िले के रहने वाले हैं आप को जानकारी ही है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, कितनी smuggling होती है। (विघ्न) मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर व्यापारी जुर्म करता है, गलती करता है तो उसे अपने आप को सुधारने का मौका दो आखिर कार आप Gandhian Philosophy ले कर चले हैं जब विनोबा जी भी गांव गांव में पैदल चल कर लोगों में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप का विश्वास Psychological treatment में होना चाहिये। चाहिए तो यह कि अगर उस ने गलती की है, सरकार का पैसा वक्त पर नहीं दिया और sufficient reasons भी नहीं दिए तो उस को एक बार warning दी जाए। अगर फिर भी वह उस गलती को दुहराता है तो उसी हालत में उस पर penalty लगनी चाहिये। हमारे जो वज़ीर साहिब, इस महकमे के incharge हैं न मालूम वे सुन रहे हैं या कि नहीं। अगर वे सुन रहे हैं तो मैं उन से अपील करूंगा कि इस क्लाज़ को बिल से निकाल दें।

Chaudhri Balbir Singh (Hoshiarpur, General) : Sir, I beg to move—

In the proposed sub-section (6) lines 6-7,—
For "one and a half times" *Substitute* "ten per cent'

In the proposed sub-section (6) lines 9—10,—

Delete "and where no tax is payable, a sum not exceeding one hundred rupees.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ amendment ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ department ਨੇ Principal Act ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। section 10 ਨੂੰ adopt ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ fit ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ sub-section 6 ਇਉਂ ਹੈ —

(6) If a dealer fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (3) or sub-section (4), the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay, by way of penalty, a sum not exceeding one and—a-half times of the amount of tax which may be assessed on him under section 11 in addition to the amount of tax assessed, and where no tax is payable, a sum not exceeding one hundred rupees.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Section 10 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ—

"10(1). Tax payable under this Act shall be paid in the manner hereinafter provided at such intervals as may be prescribed."

Sub-section I ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੇ ਨਹੀਂ fit ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11(6) section already ਮੌਜੂਦ ਹੈ—

11(6). "If upon information which has come into his possession, the Assessing Authority is satisfied that any dealer has been liable to pay tax under this Act in respect of any period but has failed to apply for registeration ,the Assessing Authority shall within three years after the expiry of such period, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, proceed to assess, to the best of his judgement ,the amount of tax, if any, due from the dealer in respect of such period and all subsequent periods and, in cases where such dealer has wilfully failed to apply for registration, the Assessing Authority may direct that the dealer shall pay by way of penalty, in addition to the amount so assessed, a sum not exceeding one and a half times that amount."

ਇਹ ਚੀਜ਼ 11-(6) section ਵਿਚ already ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ form ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂ registration ਲਈ apply ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ penalty ਲਗੇਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

........and where no tax is payable a sum not exceeding one hundred rupees..........

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ dealer ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦ ਲਿਆ, accounts ਠੀਕ ਨਿਕਲੇ ਜੋ tax due ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ penalty ਰਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਉ ਮੈਂ House ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ dealer tax ਲਈ liable ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਵੀ penalty ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ action ਦੀ ਕੋਈ Justification ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ due ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ penalty ਲਗਾ ਲਈ ਜਾਵੇ—ਉਸ ਵਾਸਤੇ penalty Act ਦੀ Section (11)6 ਵਿਚ already ਮੌਜੂਦ ਹੈ Assessing authority ਨੂੰ penalty ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ tax ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ penalty ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

श्री अध्यक्ष : "गांधीवादी" का लफज़ बार बार इस तरह से इस्तेमाल करना ठीक नहीं। आप इसे avoid ही किया करें। इस तरह से insinuation नहीं करनी

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री अध्यक्ष]

चाहिए। (It is not desirable to use the word "Gandhiwadi" like this time and again. The hon. Member should avoid this and refrain from making insinuations in this way.)

Mr Speaker : Motions moved—

In the proposed sub-section 6, lines 6-7,—

For "one-and-a-half times *Substitute* "ten per cent."

In the proposed sub-section 6, lines 9-10,—

Delete "and where no tax is payable, a sum not exceeding one hundred rupees".

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, इस clause में लिखा है—'If a dealer fails without sufficient cause...' इस में शक नहीं कि dealers कभी कभी गलतियां करते हैं और गलतियां हो भी जाती हैं। लेकिन आप देखें कि expression "sufficient cause" की कहीं भी definition मौजूद नहीं। इस का साफ मतलब यह है कि एक अफसर की sweet will के ऊपर depend करता है कि जो explanation दिया गया है वह उस को माने या न माने। अभी House में जिक्र आया कि अमृतसर में कुछ licenses ऐसे issue किए गए कि जो आदमी exist ही नहीं करते और अगर करते हैं तो bogus आदमियों के नाम पर licenses लिए गए हैं। अब जो licenses issue किए जाते हैं, उस बात के लिये गवर्नमेंट पर भी हक आयद होता है कि वह इस बात की पूरी तरह verification करे कि जिस आदमी या जिस dealer के नाम license issue किया गया है actually वह businessman है, उस का business premises exist करता है या नहीं, कितना माल उस ने खरीदा है वगैरह वगैरह। क्यों? इस लिए कि जो बेईमान dealer होता है वह अफसरान से, department से मिल जाता है और इस तरह हेराफेरी कर के गलत license ले लेता है। गलत license लेने के बाद वह उस license का misuse करता है, sales tax का रुपया खा जाने के बाद वह भाग जाता है। उस दुकानदार की चालाकी का नज़ला किस पर गिरता है? Whole-seller पर जिस ने उस dealer का license देख कर उस के पास माल बेचा। मैं नहीं कहता कि जो आदमी गलती करता है उस को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यह है कि जिस सरकारी अफसर के साथ मिल कर उस ने license issue कराया उसे भी क्यों न सज़ा दी जाए?

अब आप देखें कि जब आप जुर्माना लगाने की बात करते हैं और जिस आदमी का एक हज़ार रुपया sales tax निकलता है उस पर इस क्लाज़ के ज़रिए डेढ़ हज़ार रुपया penalty लगेगी। उस वक्त जिस दुकानदार ने बेइमानी की हुई हो उस अफसर की तरफ देखता है और अफसर भी ललचाई हुई निगाह से उस की तरफ देखता है कि गवर्नमेंट को तो यह रुपया देना ही है; तुम मुझे इस में से इतना रुपया दे दो और मैं

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

तुम्हारा account ठीक कर दूंगा। इस लिये जहां ऐसे अफसरान को सज़ा दी जानी चाहिए, वहां मैं समझता हूं कि dealer को जुर्माना कम किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जहां कहीं भी कोई बेईमानी करता है—चाहे वह किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो— वह हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं। लेकिन जहां गलती हुई हो उस के लिये इस बात की भी genuineness देखी जानी चाहिए कि जुर्माना कितना हो। इस principle के साथ मैं पंजाब गवर्नमेंट से agree करता हूं। लेकिन जहां तक जुर्माने की limit का ताल्लुक है मैं ने यह amendment दी है जिसे मैं पेश करता हूं—

In the proposed Sub-Clause (6), lines 6-7 for "one and" a half times of the amount substitute "equal to the amount".

मैं उम्मीद करता हूं कि डाक्टर साहिब इस amendment को मंजूर कर लेंगे। वह इस बात पर गौर करेंगे कि अगर किसी पर दो सौ, चार सौ या पांच सौ रुपया sales tax बनता है वही जुर्माने की शकल में ले लें। लेकिन इस हद को cross नहीं करना चाहिए। यानी इतनी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए कि वह corruption की सूरत अख्तियार कर जाए कि जिस से दुकानदार को लालच हो कि मैं रिश्वत देकर खलासी करवा लूं और अफसर को लालच हो कि रिश्वत ले लें।

इस के साथ ही साथ मेरी दूसरी भी amendment है जिसे मैं move करता हूं

In the proposed sub-clause (6), line 10 for "one hundred" substitute "twenty-five".

जिस दुकानदार के ऊपर कोई tax लग नहीं सकता, उस के लिये यह provision आयद करने में कोई justification नहीं है। बल्कि मैं तो यह ख्याल करता हूं कि आप इस के ज़रिए corruption करने का एक और मम्बा खोल रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं आप की मार्फत Finance Minister साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस दुकानदार को सौ रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, क्या वह दुकानदार इन terms में नहीं सोचेगा कि 25 रुपया चढ़ा कर इस जुर्माने से खलासी करवा ले ? क्या इस से अफसर उस को इस बात के लिये प्रेरित नहीं करेगा कि तुम 25 रुपए मुझे दे दो मैं तुम्हारे accounts को छोड़ दूंगा और तुम्हें यह sales tax या जुर्माना नहीं देना पड़ेगा ? बहरहाल मैं महसूस करता हूं कि जो शख्स कानून के purpose को fulfil नहीं करता उसे सजा ज़रूर दी जाए लेकिन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिस से corruption को और फ़रोग न मिले। इसी लिए मैं ने जुर्माने की इस रकम को कम करके 25 रुपए की तजवीज़ की है ताकि जो rules को comply with नहीं करता ऐसे दुकानदार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। और इस तरह से आइन्दा गलती करने से परहेज़ करे। लेकिन जिस हालत में उस का कोई कसूर न हो उस को इतनी ज्यादा सजा देना वाजिब नहीं। जिस ने सिर्फ इतना ही कसूर किया है कि return नहीं भेजी या form नहीं दिया या इसे ठीक तरह से पुर नहीं किया उस पर सौ रुपया जुर्माना लगाना ज्यादती है। ऐसी हालत में इस तरह का rigid provision करना corruption को wide करना है। डाक्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि वह इस बात पर गौर करें। जिस आदमी पर tax नहीं लगता वह कुदरती तौर पर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम प्यारा]
छोटा दुकानदार होगा, गरीब दुकानदार होगा उस की उतनी sale नहीं होगी क्योंकि अगर sale होगी तो उसे खुद बखुद tax देना पड़ेगा। ऐसे दुकानदार पर जुर्माना लगाना justification की बात नहीं लिहाजा मैं डाक्टर साहिब से उम्मीद करता हूं कि वह मेरी दोनों amendments को मान लेंगे।

Mr. Speaker : Motions moved—

> In the proposed sub-clause (6), lines 6-7 For "one-and-a-half times of the amount" substitute" equal to the amount."

> In the proposed sub-clause (6), line 10-for" "one hundred" substitute "twenty-five"

वित्त मंत्री: (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : स्पीकर साहिब, मुझे दोनों hon. Members की speeches को सुन कर कोई नई हैरानगी नहीं हुई क्योंकि हैरानगी तो पहले से ही है। सिवाए इस के कि मौका और बेमौका गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ न कुछ बात कही जाए—वह चाहे आयद होती हो या न होती हो—उन का और कोई काम नहीं। अपनी बात उन्होंने कर देनी है, यही उन का नज़रिया है। खुशकिस्मती से मैं जितनी बातें सुन सकता हूं—चाहे loud-speaker के ज़रिए हो या जो भी मेरे कान सुनते हों; मैं उन की हर दलील को सुन सकता हूं और सुनता हूं। उन्होंने यह कहने की बड़ी कोशिश की कि शायद मैं उन की बातों का जवाब न दे सकूं। लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं जो भी कहूं उन की तसल्ली नहीं होने वाली क्योंकि तसल्ली तो उन की हो सकती है जो open mind से आया हो। जिस का open mind न हो उस की तसल्ली कोई कर ही नहीं सकता।

तो उन्होंने कहा है कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैं ने तो सुना ही नहीं। इस लिये दलील का जवाब कैसे दूंगा।

इस में एक बात आखीर में लिखी है कि अगर किसी से यह tax payable भी नहीं है तो भी 100 रुपये उस पर जुर्माना लगाया जाये। अगर tax payable ही नहीं है तो उस से यह जुर्माना क्यों लें। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर वह इस बिल के section 11 को गौर से पढ़ें तो इन्हें पता लगेगा कि इस में यह लिखा हुआ है कि किन किन हालात में यह explanation ली जा सकती है। इस में दिया हुआ है कि यह explanation उस से ली जा सकती है जिस ने assessment न कराई हो या जो underas-sessed हो और जो tax उस से मांगा गया हो वह न देता हो। फिर हालात के मुताबिक उसे explain करने के लिये reasonable opportunity दी जाती है कि वह आ कर explain करे कि यह उस की गलती है इस के लिये उसे क्यों सज़ा न दी जाये। उसे explain करने के लिये मौका दिया जाता है। तो जिस आदमी ने assessment कराई ही न हो और जिस को मालूम हो कि assessment करानी थी चाहे उस case में tax payable न हो तो ऐसे आदमी के लिये 100 रुपये की penalty क्यों fix की गई है। जिस ने tax देना है और under-assessed हुआ है उस को तो

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

सज़ा मिलेगी one-and-a-half times of the amount of tax in addition to the tax payable. इस लिये यह दलील पेश की गई है कि अगर किसी ने tax देना ही नहीं तो जुर्माना क्यों। अफसोस की बात है कि Act को गौर से तो यह पढ़ते ही नहीं और एतराज़ कर देते हैं। अगर यह इसे गौर से पढ़ते तो इन को मालूम होता और इस का जवाब देने की ज़रूरत ही न रहती। लेकिन क्योंकि यह आप पढ़ते नहीं इस लिये मुझे जवाब देना पड़ता है। क्योंकि जान बूझ कर भी यह इस के खिलाफ बोलते हैं तो जवाब देना ही पड़ता है। श्री राम प्यारा ने यह कहा कि $1\frac{1}{2}$ गुना जुर्माना क्यों करते हैं। उस को थोड़ी सज़ा दी जाये। उन्होंने कहा कि सज़ा ज़रूर दी जाये और उसे मौका दिया जाये लेकिन सज़ा कम दी जाये। इस सिलसिले में एक बात उन्होंने यह कही कि जिस आदमी के case में tax payable नहीं है तो उसे सौ रुपये जुर्माना जो करते हैं इस का नतीजा यह होगा कि वह 100 रुपये जुर्माना देने की बजाये Inspector को ही 25 रुपये रिश्वत दे कर जुर्माने से बच जाने की कोशिश करेगा। अगर उसे पता हो कि ऐसी बात है और उस ने अगर रिश्वत ही देनी है तो वह पहले ही दे सकता है और सज़ा तक नौबत ही नहीं आ सकती। इतना मैं अर्ज़ कर दूं कि जो यह कहते हैं उन को corruption के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिये। जो चीज़ जैसी है उस को उसी perspective से ही देखना चाहिये। इस में लिखा है कि यह 100 रुपया जुर्माना maximum है। इस लिये यह ज़रूरी नहीं कि यह 100 रुपये ही लेंगे। इस में यह दिया हुआ है कि not exceeding that amount यह ज्यादा क्यों करना चाहेंगे ? इसी तरह से जो आदमी जानबूझ कर, deliberately tax नहीं देता या assess नहीं कराता तो उसे one-and-a-half times the amount of tax तक जुर्माना लगा सकता है इस का मतलब यह नहीं कि उस से इतना जुर्माना ज़रूर ले लिया जायेगा। इस में यह दिया हुआ है कि जुर्माना not exceeding the maximum limit तक लिया जा सकता है लेकिन इस में कहीं ऐसा अख्तियार नहीं दिया गया जो कि मर्ज़ी आये उतना जुर्माना लगा दिया जाये। यह limit तो इस लिये लगाई गई है कि अफसर अपनी मर्ज़ी से यह न कर सकें। इस से उन को एक तरह से बांध दिया है। मैं lawyer तो हूं नहीं लेकिन जहां तक मैं ने सुना है इस का मतलब यह होता है कि up to such limit यह सज़ा दे सकते हैं। जहां किसी जुर्म के लिये एक साल या दो साल तक सज़ा मिल सकती हो तो वहां कई बार till the rising of the court सज़ा दी जाती है। इसी तरह यह जुर्माना भी लगाया जायेगा। इस के मायने यह नहीं है कि सज़ा ज़रूर maximum ही मिलेगी। यह तो maximum punishment fix की गई है। यह बात तो दिल में भी नहीं आनी चाहिये कि जितनी maximum punishment fix की गई है हर हालत में यह उतनी ही मिलेगी। स्पीकर साहिब, न मालूम कि जो भाई हमेशा smuggling का ही चर्चा किया करते हैं आज उन के दिल में उन लोगों के लिये दर्द कैसे आ गया है जो deliberately गवर्नमेंट को tax नहीं देते। उन के लिये आज इन के दिल में दर्द आ गया है और आज यह कह रहे हैं

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

कि इन को इतनी सज़ा नहीं मिलनी चाहिये। यह वही लोग कह सकते हैं जो सिवाय smuggling के किसी और चीज़ को देख ही नहीं पाते।

Mr. Speaker: Question is—

In the proposed sub-section(6), lines 6-7, *for* "one -and-a-half times" *substitute* "ten per cent."

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

In the proposed sub-section (6), lines 9-10,—

Delete "and where no tax is payable, a sum not exceeding one hundred rupees."

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

In the proposed sub-clause (6), lines 6-7,—*for* "one-and-a-half times of the amount" *substitute*" equal to the amount".

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

In the proposed sub-clause (6), line 10- *for*" one hundred" *substitute* "twenty five."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : आप देखिये, Business Advisory Committee की जो meeting हुई थी उस में जो फैसला हुआ था उस के मुताबिक इस बिल के लिये Friday रखा गया था जो गुज़र चुका है। उस कमेटी में Treasury Benches और Opposition के Benches यानी दोनों तरफ के मैम्बर साहिबान थे और उन्होंने इस बिल के लिये सिर्फ दो घंटे का time fix किया था। जिस से उस दिन जो time डाक्टर साहिब ने जवाब देने के लिये इस बिल पर लिया था वह भी included था। लेकिन मैं देखता हूं कि आज का सारा दिन भी इस बिल पर जाता नज़र आता है, तो इस तरह यह सारा time fixed limit से बहुत ज्यादा बन जाता है। इस लिये मेरा ख्याल है कि Business Advisory Committee ने जो scheduled time इस session को खत्म करने का रखा था जो कि 26 अप्रैल का था उस में हम यह सारा काम खत्म नहीं कर सकेंगे।

चौधरी धर्म सिंह राठी : शर्मा जी तो कहते थे कि इस से उन्होंने agree नहीं किया था।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : अब मैं जो कह रहा हूं कि उन्होंने agree किया था। उन्होंने चौड़ा सा latitude मुझे दे दिया था कि अगर किसी बिल पर निश्चित किए गए वक्त पर 10 या 15 मिनट इधर उधर हो जायें तो मैं कर लूं। अगर आप चाहते हैं कि कल शाम तक यह session खत्म हो जाये तो जिस speed पर आप जा रहे हैं उस speed से तो यह कल तक मुश्किल खत्म हो सकेगा। (वित्त मंत्री डाक्टर गोपी चंद को address करते हुए) डाक्टर साहिब, यह बड़ा मुश्किल है कि कल तक यह खत्म हो। इस लिये अगर आप चाहें तो हम परसों भी थोड़ी सी देर के लिये meet कर लें। और अगर परसों Council ने बैठना हो फिर तो यह भी मुश्किल होगा और अगर उस ने न बैठना हो तब तो ठीक है। (*Interruptions*) Order, please.

वित्त मंत्री : जो Council के नये मैम्बर चुन कर आये हैं 27 तारीख को उन्होंने oath लेनी है। 26 उन की last date है और 27 तारीख को चाहे वह थोड़ी देर के लिये meet करे वह करेगी जरूर।

श्री अध्यक्ष : अगर उन्होंने 27 तारीख को थोड़ी देर के लिये meet करना है तो चाहे वह सुबह meet कर लें या शाम को कर लें। बेहतर यह होगा कि शाम को वह कर लें और सुबह हम ज़रा जल्दी कर लें। उन का तो सिर्फ एक घंटे का काम होगा। वह शाम को अपना काम खत्म कर लेंगे और अगर हम सुबह कर लें तो हम सुबह 8½ बजे से शुरू कर के जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो sitting को 1½ घंटे के लिये बढ़ा देंगे। वह शाम को 4 बजे कर लें।

वित्त मंत्री: मुझे इस में कोई एतराज़ नहीं है लेकिन चेयरमैन साहिब से तो इस बारे में अर्ज़ करनी होगी।

श्री अध्यक्ष : आप उस हाउस के Leader हैं। आप देख लें। Business Advisory Committee का यह मश्विरा है कि session 26 अप्रैल, 1960 को खत्म करना है।

(The hon. Members may please listen. According to the decision taken in the meeting held by the Business Advisory Committee, Friday was earmarked for the disposal of this Bill and that day has passed. It may be stated that both the Opposition and the Treasury Benches were represented in this Committee and they had fixed only two hours for the discussion of this Bill including the time which was taken by Dr. Sahib (Minister for Finance.) But I find that even the whole of today is going to be taken up by this Bill. Thus the total time spent on the disposal of this Bill far exceeds the time limit fixed by the Committee. I, therefore, think that it may not be possible for us to finish the work within the scheduled time fixed by the Business Advisory Committee, which wanted the session to conclude on the 26th April, 1960.

* * * * * * * * *

Now I am saying this that Pandit Shri Ram Sharma did agree to the scheduled time. He had, however, given me this latitude that I could adjust 10 or 15 minutes here and there spent on the disposal of a Bill in excess of time limit. If they want this session to conclude tomorrow then it may not be possible to do so in view of the slow speed with which the business of the House

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

is being transacted. (Addressing the Minister for Finance) Dr. Sahib, it is difficult to finish the work by tcmorrcw. If he desires, we may meet day after tomorrow also for a short time. If on that day the Council is meeting, then even this arrangement may not be possible. But if the Council is not holding its sitting, then we can meet*(Interruptions)* Order please

* * * * * * * * *

If the Council is meeting on the 27th then it may meet in the morning or in the evening. It makes little difference. But it would be better if they meet in the evening and we may meet a bit earlier in the morning. They have hardly one hour's work to transact. They will finish it in the evening. If we meet in the morning, then we should start at 8.30 a.m. and try to finish as early as possible and if necessary we shall extend the sitting by one and a half hours. The Council may meet at 4.00 p.m.

* * * * * * * * *

The hon. Minister for Finance is the Leader of the House in the Council. He may see to it. The Business Advisory Committee has suggested that the Session be brought to a conclusion on the 26th April, 1960.

CLAUSE 7

Chaudhri Balbir Singh (Hoshiarpur General) : Sir, the proposed sub-section (8) of section 11 of the Principal Act is—

5 p.m.

> "(8) If the tax assessed under this Act or any instalment thereof is not paid by any dealer within the time specified therefor in the notice of assessment or in the order permitting payment in instalments, the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after giving such dealer an opportunity of being heard, impose on him a penalty not exceeding in amount the sum due from him."

To this I move the amendment that—

In the proposed sub-section (8), line 7,—

for "not exceeding in amount the sum due from him", *substitute* "not exceeding ten percentum of the sum due from him".

(At this stage Mr. Deputy Speakcr occupied the Chair).

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਵਕਤ ਸਿਰ tax ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ tax ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਈ ਦਫਾ tax payer ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ taxes ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ taxes ਜਮਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ Commissioner ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ sanction ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ cases ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਨ੍ਹਾਂ taxes ਦੀ ਬੜੀ arbitrary assessment ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ dealer ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ tax ਜਮਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ double ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ Bill ਦੀ next clause 11 B ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇ dealer ਵਕਤ ਸਿਰ tax ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ tax ਦਾ 10% ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ penalty ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

In the proposed sub-section (8), line 7, *for* "not exceeding in amount the sum due from him." substitute "not exceeding ten per centum of the sum due from him."

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, I beg to move—

In the proposed sub-section (8), line 7,—

between "exceeding" and "in", *insert* "one-fourth".

यानी penalty $\frac{1}{4}$ लगनी चाहिये। मैं ने इस के मुताल्लिक clause 6 में भी amendment दी थी मगर इसे डाकटर साहिब ने मन्ज़ूर नहीं किया और इस के जवाब में दलील देते हुए कहा कि up to so so date तक होगा वह अपनी दलील में मेरी ही position की ताईद करते हैं (*Interruption*)

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पिछली clause पर ही बोल रहे हैं। (The hon. Member is still speaking on the previous clause.)

श्री राम प्यारा : नहीं जनाब, मैं इसी पर आता हूं। अगर किसी ने 1000 रुपये tax का देना है और वक्त पर न दे तो maximum Rs 1000 जुर्माना भी लग सकता है और 100 रुपये भी लगाया जा सकता है। इस लिये अगर किसी ने 900 देना हो तो वह कम कराने के लिये आधी रकम बचा सकता है और आधी अफसरों को दे सकता है। Corruption के मुताल्लिक आज ही Chief Minister साहिब ने statement दिया है कि यह कितने corrupt है और कितनों पर मुकदमे चलाये गये हैं। corruption के सिलसिले में सैंकड़ों लोगों को dismiss किया गया है और सैंकड़ों ऐसे हैं जिन पर corruption के सम्बन्ध में मुकदमे चल रहे हैं। इस तरह से इस में भी लाखों रुपये का ग़बन हो सकता है। इस तरह से हम एक temptation दे रहे हैं जिस से कि dealer के मन में बेइमानी पैदा हो। हमें सज़ा इतनी देनी चाहिये जिस से कि corruption दूर हो, न कि उसे और बेईमानी करने का हौसला हो। कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जिस के तहत वह बेईमानी की तरफ लग जाये। इस तरह तो वह कहेगा कि अगर इस महीने मुझे 300 बेईमानी से मिले हैं तो क्यों न अब 500 हासिल करूं। इस तरह की उस की temptation बढ़ेगी ही नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा होती चली जायेगी। Assessing Authority arbitrarily taxes assess करेगी। इस से तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगी। इस तकलीफ को दूर करने के लिये मैं ने लिखा है कि यह 25 % या of the penalty होनी चाहिये। मैं उम्मीद करता हूं जैसा मैं ने अर्ज़ किया कि वज़ीर साहिब इस point of view को सामने रख कर सोचेंगे।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

In the proposed sub-section (8), line 7,—

between "exceeding" and "in", *insert* "one-fourth".

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shri Balram Das Tandon (Amritsar City, West) : Sir, Sub-section (8) of section 11 of the principal Act, reads—

"The amount of tax and penalty imposed which remains unpaid, after the date specified in the said notice shall be recoverable as arrears of land revenue."

इस को replace करने के लिये amendment House के अन्दर रखी गई है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरी गुज़ारिश है कि पहिले ही गवर्नमेंट के पास बड़ी powers मौजूद हैं जिस के अन्दर यह है कि अगर कोई आदमी वक्त के अन्दर tax जमा नहीं करवाता है तो उसे नोटिस दिया जाएगा कि इतने वक्त तक वह रुपया जमा करा दे वरना वह tax as land revenue recover किया जा सकता है।

Mr. Deputy Speaker: This is the next clause.

श्री बलराम दास टंडन : मैं पढ़ के सुना देता हूं—

Clause 7 of the Bill is as follows—

"For sub-section (8) of section 11 of the Principal Act, the following shall be *substituted*, namely. . . .

I have earlier read out sub-section (8) of section 11 of the Principal Act

इस को replace कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, गवर्नमेंट ने पहले ही काफी powers ली हुई हैं कि अगर कोई आदमी वक्त पर pay नहीं करता, और न penalty देता है तो उस से land revenue की तरह वसूल किया जाए लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब, इस के साथ ही एक नई power सरकार ले रही है कि उस को time दे कर जितना tax उस से लेना है उतनी और penalty लगा कर उस से रुपया लिया जा सके। मैं समझता हूं कि यह बड़ी भारी ज़्यादती है और एक hardship है। डाक्टर साहिब ने कहा है कि कानून के अन्दर यह power दी हुई है कि 5 साल तक यह सजा हो सकती है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो उस assessing authority की discretion पर रह जाता है जो वहां पर बैठी है। अगर किसी आदमी से कोई गलती होती है तो क्या यह जायज़ है कि उस पर जितना भी tax लगता है उस के बराबर और realize किया जाए? यहां पर जो अख्तियार Assessing Authority को दिये जा रहे हैं they lead to corruption क्योंकि आम तौर पर देखने में आता है कि जिस की कलम में जितना ज़्यादा रुपया लगाने की या कम करने की ताकत होती है वहीं corrupt हो जाता है। और दुकानदार भी यह सोचता है कि जहां अगर सरकार को 2000 देना पड़ता है वहां 200 से ही काम चल जाए तो इस से ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है और इस लिये corruption शुरू हो जाती है। इस लिये, डिप्टी स्पीकर साहिब, आप के ज़रिये, मैं वज़ीर साहिब से कहना चाहता हूं कि इस को खत्म करें और यह amendment delete कर दी जाए।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : जनाब, जो यह एतराज़ किया गया है कि सरकार के पास land revenue की तरह realize करने की ताकत है फिर यह penalty clause क्यों रखी जा रही है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां penalty रखी गई है वहां appeal करने का जो right है वह नहीं लिया गया है। अगर कोई आदमी यह दरखास्त देता है कि मैं tax फलां-फलां कारणों से नहीं दे सकता तो Excise and Taxation Commissioner को यह अधिकार है कि वह appeal सुनने के लिये exemption भी दे सकता है। और जो वक्त देकर penalty लगाने की बात का एतराज़ किया गया है उस के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस लिये रखा गया है, ताकि उस को एक मौका मिल सके क्योंकि अगर land Revenue authority के पास जब मामला चला जाता है, तो वह फुर्ती से रकम की realization करते हैं इस लिये मैं समझता हूं कि यह तो एक फायदे वाली बात है कि एक मौका तो मिल जाता है। और जो यह बात की गई है कि penalty के तौर पर ज्यादा रुपया realize किया जाएगा तो मैं बतला दूं कि ज्यादा रुपया उन्हीं के ऊपर लगाया जायेगा जो बड़े बड़े व्योपारी हैं और जो कि pay कर सकते हैं। अगर वह अदा नहीं करते, इस के मानी यह हैं कि वह avoid करते हैं, evade करते हैं, जो कि माफ नहीं किया जा सकता है। उन से रुपया बतौर टैक्स ज़रूर वसूल किया जाना चाहिए। इस लिये मैं समझता हूं कि यह clause रहनी चाहिए।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In the proposed sub-section (8), line 7,—

for "not exceeding in amount the sum due from him", *substitute* "not exceeding ten percentum of the sum due from him".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In the proposed sub-section (8), line 7,—

between "exceeding" and "in", *insert* "one-fourth".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Deputy Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged. The division bells were then sounded. Mr. Deputy Speaker after ascertaining the votes of the Members present by voices again declared that the motion was carried.

The motion was declared carried

CLAUSE 8

Mr. Deputy Speaker : There is no amendment to clause 8. I, therefore, put it to the vote of the House.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Question is—

That Clause 8 stand part of the Bill.

चौधरी बलबीर सिंह : On a point of order, Sir. जो clause delete करनी हो उस के लिये amendment की जरूरत नहीं होती । इस लिए इस पर हम बोलना चाहते हैं। आप ने जब clause 8 के बारे motion put की थी उसी वक्त हम बोलने के लिये उठ खड़े हुए थे। (शोर)

Mr. Deputy Speaker: Order please. I have put this clause to the te of the House (शोर) Order please.

Question is—

That Clause 8 stand part of the Bill.

After ascertaining the Votes of the House by voices, Mr. Deputy Speaker said "I think the Ayes have it". The opinion was challenged and division was claimed. Mr. Deputy Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried

CLAUSE 9

Mr. Deputy Speaker : Now Clause 9 is before the House.

Chaudhri Balbir Singh (Hoshiarpur 'General') : Sir, I beg to move—

Delete the proposed sub-section (2A) to sub-clause (b).

Delete sub-clause (c).

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ clause 9 ਦੇ Part (b) ਦੇ sub part 2 (a) ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

"(2A) If the Commissioner has reason to suspect that any dealer is attempting to evade payment of any tax under this Act, he may, for reasons, to be recorded in writing, seize such accounts, registers or documents of the dealers as may be necessary, and shall grant a receipt for the same, and shall retain the same only for so long as may be necessary for examination thereof or for a prosecution".

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ drafting ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ payment evade ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ Register ਵਗੈਰਾ ਸੰਭਾਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । Registers ਉਸ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿਚ seize ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ assessment evade ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਰਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Department ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ drafting ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ payment evade ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ penalty ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ land arrears ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ recovery ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ register ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ opposition ਵਾਲੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ House ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ notice ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ assessment evade ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ there is some sense in it. ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ Registers ਨਹੀਂ seize ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

"(c) in sub-section (3), *after* the words "the Assessing Authority", the words "and for the purposes of sub-section (2A), the Commissioner or any person authorised by him under section 15" shall be inserted.

Government ਇਹ ਇਕ double meaning ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ section 14 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ (iii) ਤੋਂ ਬਾਅਦ provision ਹੈ—

"Provided that these powers shall not be exerciseable by any officer below the rank of an Excise and Taxation Officer".

ਇਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ provide ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Excise and Taxation Officer ਦੇ rank ਤੋਂ ਘਟ rank ਦਾ officer, Register ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ section 15 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

"15. Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, the Commissioner may, by order in writing, delegate any of his powers under this Act, except those under sub-section (1) of section 21 to any person appointed under section 3 to assist him".

Sub-section 3 ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ define ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ proviso ਰਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ not below the rank of excise and taxation officer ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਅਤੇ sales tax Advisory Committee ਵਿਚ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹ Excise and Taxation officer ਤੋਂ ਘਟ rank ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ corruption ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਸ proviso ਨੂੰ delete ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ delete ਕੀਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਫੱਤੂ ਬਾਣੀਏ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਤੂ ਬਾਣੀਆਂ....(*interruptions*) ਫਤੂ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਕ ordinary ਅਣਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ sub-section 3 ਵਿਚ proviso ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ "under section 15" ਨੂੰ ਵਿਚ ਘੁਸੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ amendment ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ sub-section (2A) ਤੇ (C) ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ delete ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ payment of tax

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

evade ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ tax ਵਸੂਲ ਕਰੋ ਨਾਕਿ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜ ਲਉ ਅਤੇ indefinite ਵਕਤ ਲਈ ਰਖ ਲਉ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

Delete the proposed sub section (2A) to sub-clause (b).

Delete SUB-CLAUSE (c)

Shri Balram Dass Tandon (Amritsar city, west) : Sir, I beg to move —

In sub clause (c), line 3, betwen "persons and "authorised insert "not below the rank of senior Excise and Taxation Officer."

डिप्टी स्पीकर साहिब, जो principal Act था उस की sub-section 2 के मुताबिक यह था कि—

"14(2) All accounts, registers and documents relating to the stocks of goods of, or purchase sale and deliveries of goods by, any dealer and all goods kept in any place of business or warehouse of any dealer shall at all reasonable times be open to inspection by the Assessing Authority and that Authority may countersign any or all of such accounts, registers and documents".

डिप्टी स्पीकर साहिब, सरकार ने पहले ही Principal Act के मुताबिक अपने पास यह powers ली हुई थी कि अगर कोई आदमी ऐसा दिखाई देता है जिस ने ठीक तरीके से अपना account पेश नहीं किया और उस के अन्दर जान बूझ कर गलती रखी गई है ताकि वह tax की evasion कर सके तो assessing authority को powers दी गई है कि वह उस आदमी के माल गुदाम, warehouses जहां कि उस ने अपना माल रखा हुआ है, उस की दुकान और किताबें रजिस्टर वगैरा inspect कर सकती है। लेकिन अब जो यह नई amendment लाए हैं उस में एक और power ले रहे हैं और वह यह है—

"(2A) If the Commissioner has reason to suspect that any dealer is attempting to evade payment of any tax under this Act, he may, for reasons to be recorded in writing, seize such accounts, registers or documents of the dealer as may be necessary, and shall grant a receipt for the same, and shall retain the same only for so long as may be necessary for examination thereof or for a prosecution".

यह बहुत बड़ी power है जिसे कि सरकार इस amending बिल के ज़रिए हासिल कर रही है और वह यह है कि इन का अफसर dealer की सारी किताबें रजिस्टर वगैरा ले जाएगा। इस में कोई time limit नहीं रखी है कि कितने अर्से के लिये किताबें ले जाएगा और कितनी किताबें ले जाएगा। इन्होंने तो इतना wide अख्तियार लिया है कि सब की सब किताबें जितने अर्से के लिए मर्जी हो ले जा सकता है और उस की सिर्फ एक रसीद दे जाएगा। यह बड़ी vague चीज है और बहुत बड़ी power है जिस का कि misuse हो सकता है। जो किताबें अफसर अपने पास रखेगा और वह भी वगैर time limit के तो उस में काफी गड़ बड़ हो सकती है। लेकिन सवाल

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

यह है कि जब सरकार के पास पहले ही काफी powers मौजूद है कि किसी की किताबें, दुकानें और warehouses वगैरा check किये जा सकते हैं तो इन powers के लेने की क्या जरूरत है ? यहां तक powers पहले ले चुके हैं कि किसी भी वक्त checking के लिये जा सकते हैं क्योंकि आगे लिखा है—

"(3) For the purposes of sub-section (2) the Assessing Authority may enter any place of business or warehouse of any dealer."

इस का मतलब है कि किसी वक्त और किसी भी जगह अफसर checking के लिये जा सकता है । जब इतनी भारी powers पहले ही मौजूद हैं तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि उस के बाद किस power की जरूरत बाकी रह जाती है । मैं तो कहूंगा कि इस चीज़ का मतलब सिवाए इस बात के और कोई नहीं निकलता कि dealers को harass किया जाए । पहले ही यह provided है कि :

"Provided that these powers shall not be exercis able by any officer below the rank of an Excise and Taxation Officer".

यह जो था उस की जगह अब यह किया जा रहा है कि :

"(c) in sub-section (3), after the words "the Assessing Authority", the words "and for the purposes of sub-section (2A), the Commissioner or any person authorised by him under section 12" shall be inserted."

इस का मतलब है कि कोई भी आदमी जिस को यह authority दी जाती है उसे Commissioner nominate कर सकता है । वह authority हर जगह किसी भी वक्त enter कर के inspection भी कर सकती है और सारी किताबें भी indefinite period के लिये अपने कबज़ा में ले सकती है । यह बहुत वसीह powers हैं और यह किसी भी अफसर को नहीं दी जानी चाहिए । अगर किसी को दी जाएंगी तो इस से corruption फैलने का खतरा है । पहले भी यह समझा जाता है कि corrupt अफसर और दुकानदार आपस में मिल कर corruption करते हैं । उस का असर यह होता है कि उन दोनों parties को तो फायदा पहुंच जाता है और उन की जेबें भर जाती हैं लेकिन State revenue पर इस का बुरा असर पड़ता है और जो रुपया सरकारी खज़ाने में पहुंचना चाहिए वह वहां न पहुंच कर इन की जेबों में चला जाता है । तो मैं अर्ज़ करूंगा कि इन powers का misuse होने का खतरा है और dealers की harassment का खतरा है । इस लिये यह authority नहीं दी जानी चाहिए और यही मेरी amendment का मकसद है ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

In sub-clause (c), line 3, *between* "persons" and "authorised" *insert* "not below the rank of senior Excise and Taxation Officer."

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, I beg to move—

In the proposed sub section (2A), of sub-clause (b), line 6,—

for "only for so long as may be necessary" *substitute* "for one month"

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[श्री राम प्यारा]

डिप्टी स्पीकर साहिब, यहां जितनी भी क्लाज़ें आई हैं उन से साफ ज़ाहिर है कि गवर्नमैंट को पब्लिक में corruption ही corruption नज़र आती है। जब कोई penalty impose की जाती है तो वह उसी पर होनी है जो बेइमान हैं.......

श्री अध्यक्ष : यह बिल की general discussion की stage नहीं है। Please be relevant (This is not stage for the general discussion of the Bill. The hon. Member should be relevant.)

श्री राम प्यारा : मैं जनाब, इसी clause पर बोल रहा हूं। यह ठीक है कि जब कोई penalty impose होनी है तो गलत और corrupt आदमियों पर ही होनी है लेकिन मैं गवर्नमैंट के इस attitude को resent करता हूं जो यह मनशा लिए बैठी है कि जितने भी dealers हैं वह सारे के सारे corrupt हैं और सारे के सारे अफसर देवता हैं और honest हैं। मैं मानता हूं कि कुछ dealers corrupt हैं लेकिन इसी तरह कुछ अफसर भी corrupt हैं। सभी के सभी dealers corrupt नहीं और यह भी ठीक है कि सभी के सभी अफसर भी corrupt नहीं हैं। मैं डाक्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि यह जो उन्होंने लिखा है :

"............he may, for reasons to be recorded in writing seize such accounts, registers or documents of the dealer as may be necessary......"

तो वह किताबें रजिस्टर कितने अर्से के लिये ले जाएगा ? इस का मतलब तो यह है कि जितने अर्से के लिये चाहे ले जा सकता है और रख सकता है। यह तो बड़ी भारी corruption के लिये मसाला है। आगे जो powers हैं उन से ही काफी corruption हो रही है। मैं आप को इस बारे में करनाल की ही एक मिसाल देना चाहता हूं कि कितनी अंधेरगरदी फैली हुई है। करनाल में कुछ dairy वाले दूध से घी और मक्खन बनाते हैं। उन की किताबें अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम एक साल से assessing authority के पास पड़ी हैं मगर कोई फैसला नहीं किया जाता। हर महीने उन को यह हऊआ दिखाया जाता है कि आप की इतनी assessment कर दी जाएगी और यह कर दिया जाएगा वह कर दिया जाएगा । इस तरह वहां से हर महीने पांच सेर घी उस के घर पहुंच जाता है। जब कोई महमान आ जाता है तो मक्खन भी वहां से ले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी वजूहात हैं जिन की वजह से साल भर से उन की किताबें assessing authority के पास पड़ी हैं। मैं यह नहीं कहता कि dealers ने गलती नहीं की होगी और अगर उन्होंने गलती की है तो उन को सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन इस का क्या मतलब है कि वह अफसर नाजायज़ फायदा उठा रहा है। अगर वह बेइमान है तो उन को सज़ा मिलनी चाहिए और sales tax सरकारी खज़ाने में जाना चाहिए लेकिन वह अफसर नाजायज़ तौर पर फायदा उठा रहा है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

कई अफसर ऐसे हैं जो तनखाह तो दो सौ रुपए लेते हैं लेकिन खर्च उन का चार सौ रुपए होता है और उन के assets बहुत ज्यादा होते हैं। इस लिये मैं यह अर्ज करता हूं कि मैंने जो amendment दी है कि एक महीने से ज्यादा कोई अफसर किताब अपने पास न रख सके उसे मंज़ूर किया जाए ताकि जो अफसरान अपनी एक temptation को satisfy करने के लिए किताब रखे बैठे रहते हैं वे ऐसा न कर सकें। मैं दुबारा repeat करता हूं कि सारे अफसर ख़राब नहीं होते। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।

Mr. Deputy Speaker : No repetition please. This is not a public meeting.

श्री राम प्यारा : इन शब्दों के साथ मैं अपनी amendment पेश करता हूं कि किसी assessing authority को ज्यादा अर्सा अपने पास किताबें रखने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा अर्सा किताबें उस के पास रहेंगी तो उस का नतीजा यह होगा कि जिस की किताबें पड़ी होंगी वह सिफारिशें ढूंढ़ता रहेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिब, आप हैरान होंगे कि कुछ आदमियों के पास चिटें हैं कि so and so is authorised to see me even at mid-night.

ये चिटें हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने issue की हुई हैं।

इस तरह के हालात हो रहे हैं और किताबें वापस लेने के लिये सिफारिशें करवानी पड़ती हैं। अगर ऐसे अफसरों को सज़ा दी जाए तो evasion रुक सकती है।

Mr. Deputy Speaker Motion moved—

In the proposed sub-section (2A) of sub-clause (b) line 6,—

For "only for so long as may be neceassary" *substitute* "for one month"

वित्त मंत्री (डा० गोपी चंद भार्गव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरा फर्ज़ है कि जो कुछ यहां कहा जाय उसे शान्ति से सुनूं और बरदाश्त करूं लेकिन एक चीज़ मैं महसूस करता हूं जो कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि हमारे हाउस में कुछ ऐसा वातावरण पैदा हो रहा है कि हर चीज़ में यह कह दिया जाता है कि अफसर बेईमान हैं और उन अफसरान के मुताल्लिक कहा जाता है जो यहां पर अपने आप को defend करने के लिये मौजूद नहीं होते। ऐसा कह कर उन पर pressure डाला जाता है कि मैं रिपोर्ट कर दूंगा। ये जा कर कहते हैं कि जैसा मैं कहता हूं करो अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं करते तो मैं रिपोर्ट कर दूंगा। इस तरह से बार बार अफसरान को approach किया जाता है लेकिन जब वह इन का काम नहीं करता तो उसे बेईमान कह दिया जाता है। इस लिये मैं समझता हूं कि लोग report कर के influence करते हैं। यह बात मुनासब नहीं। कहते हैं corruption है, corruption है। अगर है तो लिख कर दें ताकि सरकार उस को examine करे। लेकिन जब लिख कर देने के लिये कहा जाता है तो कोई टस से मस नहीं होता। दूसरे मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि inspection किसी भी वक्त कर सकते हैं लेकिन किताब ऐसी चीज़ है कि इस की inspection से काम नहीं चल सकता इस लिये किताबों को घर ले जा कर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

seize करने का अख्तियार लेना चाहते हैं। आप ने देखा होगा कि इनकम टैक्स से बचने के लिए कई दफा डबल एकाउंट बुक्स maintain की होती हैं एक तरह की एकाउंट बुक्स घर पर रखते हैं और एक तरह की दुकान पर। बाज़ औकात ये books दुकान पर रह जाती हैं इस लिए किताबों को seize कर के examine करना निहायत ज़रूरी है। Evasion के मुताल्लिक टंडन साहिब जवाब दे चुके हैं। मैं समझता हूं कि legally यह जायज़ बात है कि जो शख्स assessment में रुकावट डालता है वह tax की evasion करता है। इस लिये account books को दिखाना निहायत ज़रूरी है और इस में रिश्वत देने का सवाल पैदा नहीं होता। इन शब्दों के साथ मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि यह ज़रूरी है कि ये अख्तियार दिए जाएं ताकि उन का इस्तेमाल हो सके, assessment ठीक तरह से हो सके और evasion को रोका जा सके।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

Delete the proposed sub-section (2A) to sub-clause (b).

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

Delete sub-clause (c).

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (c), line 3,—

between "person" and "authorised", *insert* "not below the rank of senior Excise and Taxation Officer."

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In the proposed sub-section (2A) of sub-clause (b), line 6,—

for "only for so long as may be necessary", *substitute* "for one month".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 10

श्री मंगल सन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर कोई dealer कोई चीज़ contract पर देने का ठेका लेता है तो इस धारा के आधीन माल नहीं खरीद सकता। मैं समझता हूं कि भारत के संविधान के अधीन जो व्यापार करने का बुनियादी हक प्रदान किया गया है उस पर छापा मारने वाली बात

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

है। मैं ज्यादा न कहता हुआ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो clause है इस में से execution of any contract शब्द omit किए जाएं और contractor को पूरा हक दिया जाय।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 'evading assessment' ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ judgements ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ dictionary meaning ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਲਮੰਦ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ High Court ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ amendment ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।

वित्त मंत्री (डा० गोपी चंद भार्गव) यह consequential amendment है। हम ने contractors को Madras High Court के decision के मुताबिक sales tax से मुबर्रा किया है। Registration certificate में execution of the contract की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि वह तो sales tax के लिये liable ही नहीं।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 11

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਇਹ clause ਐਨੀ derogatory ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ penalty ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਢ ਲਿਆ ਹੈ। Taxing authority ਨੂੰ Civil Courts ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ contempt of court ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ court ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ magisterial powers ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ sales tax ਨੂੰ sales tax ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਉ, Indian Penal Code ਨਾ ਬਣਾਉ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ Taxing Authority ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ contempt of court ਦੇ offence ਹੇਠ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ delete ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ amendment ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

श्री मंगल सेन (रोहतक) : इस बिल की धारा 11 है उस में हमारे बजीर साहिब ने कहा है कि इस के साथ 22-A section जोड दिया जाए। इस में यह अख्तियार मांगा है कि Commissioner or any person appointed to assist him को कोर्ट के अख्तियार दिये जाएं और उन के द्वारा की गई proceedings को judicial proceeding तसव्वर किया जाए जैसा कि sections 193, 228

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

श्रौर 199 of the Indian Penal Code के मातहत समझा जाता है। Taxation Department के श्रफसर को इतनी wide powers दे देना, डिप्टी स्पीकर साहिब, खतरे से खाली नहीं। श्राज हम देखते हैं कि administrative set up पहले ही corruption से खाली नहीं। इस में सब प्रकार की गड़बड़ चलती है। जब इस श्रफसर को पता होगा कि मेरे पास इतनी powers हैं तो वह misuse करेगा डिप्टी स्पीकार साहिब, डाक्टर साहिब ने बड़े गुस्से में श्रा कर कहा--बुढ़ापे में श्रक्सर गुस्सा श्रा ही जाता है, कि लोग tax को evade करते हैं श्रौर हम उन्हें defend करने की कोशिश करते हैं। वह समझते हैं कि machinery बिल्कुल साफ है श्रौर उस में कोई कमजोरी नहीं। उन्हें कोई bribe नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज पर बोलिए (The hon. Member should please speak on the clause.)

श्री मंगल सेन : इन श्रफसरों को powers देना बहुत खतरनाक है। जो लोग corruption का शिकार हो सकते हैं उन्हें powers नहीं देनी चाहिये वह किसी वक्त किसी श्रादमी को force कर सकते हैं कि वह उन की श्रदालत में हाज़र हो श्रौर documents produce करे। किसी witness को examine करने के लिये कमीशन भी मुकर्रर किया जा सकता है श्रौर part (e) में लिखा है such others powers as may be prescribed। इन श्रख्तियारात को define नहीं किया गया श्रौर vague सी बात लिख दी है। इस से इन श्रफसरान को मौका दिया जा रहा है कि उस की श्राड़ में गरीब दुकानदारों को परेशान करें श्रौर श्रपने हाथ रंग सकें। कहने को तो यह कहा जाता है कि Opposition। के मैम्बर सिवाए corruption के श्रौर सरकार की कमज़ोरियां निकालने के श्रौर कोई काम नहीं करते। लेकिन जब हम श्रापस में मिल बैठते हैं तो स्वीकार करते हैं कि क्या करें पार्टी का whip लग जाता है श्रौर सच्ची बात कह नहीं सकते। श्रभी कहा गया कि हम विरोध कर के noble task पूरा कर रहे हैं। जो मित्रों द्वारा amendments श्राई हैं उन्हें मिनिस्टर साहिब नहीं मानते। मैं उन से श्रर्ज़ करूंगा कि वह ज़िद न करें श्रौर जो बात Opposition की तरफ से कही गई है उसे मान लें।

Shri Balram Das Tandon (Amritsar City, West) : Sir, I beg to move—

In the proposed section 22A, line 1,—

between "person" and "appointed", *insert* "not below the rank of senior Excise and Taxation Officer".

डिप्टी स्पीकर साहिब, यह जो 22-A की नई clause इस parent Act में insert की जा रही है उस में बड़ी wide powers दी जा रही हैं। यह Democracy का माना हुश्रा सिद्धांत है कि equality before law यानी कानून के सामने हर व्यक्ति एक जैसा होना चाहिये। जो asessing authority है वह इस बात का जायज़ा लेती है कि किसी के ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिये। दूसरे वह authority

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

है जो defend करती है कि टैक्स ज्यादा लगाया गया है इतना नहीं लगना चाहिये । Constitution के मुताबिक मानी हुई बात है कि judiciary और executive अलग अलग होनी चाहिये । अगर एक ही authority दोनों को control करने वाली हो तो justice नहीं मिल सकती । ठीक ऐसी बात ही यहां पर है । Inspector assessment करता है और डिपार्टमेंट का Assistant Taxation Officer इस बात की judgement करता है । अब Court की सारी की सारी powers उस को दी गई हैं और वह भी होगा महकमे के मातहत । मैं मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि "Equality before law" जिस को democracy की basis कहा जाता है वह यहां पर कहां रहेगी । वह बाद में एक तरफ खड़े हो जायेंगे और दूसरी तरफ इनसाफ देने वाला मुनसिब बन कर बैठ जाएगा वे तो दोनों एक ही डिपार्टमैंट के अंदर काम करते हैं । Excise and Taxation officer के नीचे हैं । वे सब तो एक ही हैं । Assessing authority कहती है कि इन की books के मुतानिक इतना टैक्स लगना चाहिये और दूसरी तरफ defend करने वाला कहता है कि इतना टैक्स नहीं लगना चाहिये । इस लिये अगर इनसाफ देने वाला महकमे के मातहत नहीं होगा तो वह किसी का पक्षपात नहीं करेगा । मगर कितनी wide powers दी जा रही हैं :

6-00 p.m.

(a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation ;

(b) compelling the production of documents and impounding or detaining them ;

यह तो वही बात है जो कि पहले section के अंदर लिखी हुई है । किसी की किताबें ले कर उन को चेक करना तो समझ में आ सकता था अगर यह बात होती कि किताबों को अपने कब्जे में ले कर चेक कर वापस कर दी जातीं । लेकिन यह पावर तो पहले भी दी हुई है कि किताबों को ले कर examine किया जा सकता है । लेकिन अब इस section के ज़रिए जो power ली जा रही है उस की कोई limit नहीं है कि कितनी देर तक वह आदमी किताबें अपने पास रख सकता है । पहले ही civil code के मातहत powers ली गई हैं अब फिर उसी चीज़ को repeat किया जा रहा है कि किताबें रख सकता है, पता नहीं कि कितनी देर के लिये । मालूम नहीं कितने महीने या कितने साल के लिये वह किताबें अपने पास रखेगा । उस के बाद डिपार्टमैंट का आदमी दुकानदार से कहेगा कि हमें फलां चीज़ दो । अगर कोई कपड़े का काम करता है तो वह कहेगा कि मुझे सूट का कपड़ा दो । कोई दूसरा काम करने वाला होगा तो उस से वही चीज़ मांगी जाएगी । इस से डिपार्टमैंट वालों का source of income बन जाएगा । इस के सिवाए इस का मतलब और कुछ नहीं है । हमारे विधान का principal directive यह है कि judiciary को executive से separate किया जाए । लेकिन जब वही आदमी prosecute करेगा और वही आदमी इनसाफ करेगा तो यह चीज़ विधान के मुताबिक नहीं रहती । मैं आप के द्वारा यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो कमिश्नर को

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री बलराम दास टंडन]
ताकत दी जा रही है कि वह किसी आदमी में यह powers vest कर दे। यह powers बहुत wide हैं। हर एक Taxation Officer के पास यह powers नहीं रहनी चाहिएं। जो Senior Excise and Taxation officer है उस के पास यह powers रहनी चाहियें नहीं तो corruption बढ़ेगी, इन powers का misuse होगा। भ्रष्टाचार जो कि पहले ही बहुत फैला हुआ है उस को बढ़ावा मिलेगा। कई बार मिनिस्टर साहिबान जो कि Treasury Benches पर बैठे हुए हैं और उधर बैठे दूसरे मैम्बर साहिबान भी यह बात मानते हैं कि corruption है यह सारी चीज़ें मौजूद हैं, कानून को तोड़ा जाता है लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। जब तक हाथ में कोई खास नुक्ता नहीं आता तब तक prosecute नहीं कर सकते। Powers नहीं हैं, legislation नहीं है under which we may prosecute a person. मैं नहीं समझता कि इस किस्म की powers किसी को देना उचित है। इन से equality before law नहीं रहती। यह नहीं दी जानी चाहिये। अगर नहीं रह सकते तो फिर किसी independent authority को यह powers मिलनी चाहियें जो कि महकमे के मातहत न हो। इन का limited use होना चाहिये वह तभी हो सकता है अगर यह Senior Excise and Taxation Officer को दी जाएं।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

In the proposed section 22A, line 1,—

between "person" and "appointed", *insert* "not below the rank of senior Excise and Taxation Officer".

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸਿਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ sub-section (e) ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ power under the Code of Civil Procedure vest ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ prescribed ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ prescribe ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ provided ਹੈ ਕਿ—those powers shall be under the Code of Civil Procedure. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ powers ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੋਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ambiguity ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। All powers ਜਿਹੜੀਆਂ possible ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। Then why keep this clause, I do not find any reason for it.

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मुझे टंडन साहिब की amendment को देख कर थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। उन्हों ने amendment तो यह की है कि यह ताकत जो है वह Senior Excise and

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Taxation Officer को दी जानी चाहिये लेकिन जब वे बोलने लगे तो सारी चीज़ पर बहस की। अब मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में जितनी powers रखी गई हैं उतनी ही दी जानी चाहियें उस से ज्यादा powers नहीं आती हैं। बाजवा साहिब ने फरमाया है कि यह बात लिखने की क्या ज़रूरत है। अगर समझते हैं कि तमाम powers दी हुई हैं तो फिर section (e) superfluous है। वह तो इस लिये लिखा है कि अगर काम करने में कोई दिक्कत पेश आए तो गवर्नमैंट prescribe कर सकती है। काम करने में जब कोई तकलीफ महसूस हो तो गवर्नमैंट prescribe कर सकती है। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पेश आई। जब कोई चीज़ पास कर चुकते हैं तो उस के बाद कहा जाता है कि इस का फैसला करने का अख्तियार कमिश्नर के पास नहीं है कि यह किताब produce करो, फलां आदमी को पेश करो या और कोई बयान दिलवाओ। बयान देने के अख्तियार को लेने में harassment की बात नहीं है। (विघ्न) उन्होंने seizure के बारे में फिर एतराज़ किया। उस का जवाब मैं दे चुका हूं। वे तशरीफ नहीं रखते थे, इस में मेरा कसूर नहीं है। मैं कह रहा था कि फैसला करने में किसी आदमी की गवाही ले सकते हैं और जल्दी ले सकते हैं। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। वरना किसी को अख्तियार नहीं है। अगर वह आदमी नहीं आता है तो कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता है। नतीजा यह होगा कि वह चीज़ें उस official के खिलाफ जाएंगी कि वह नहीं बुला सका, गवाही पेश नहीं कर सकता। उन्होंने यह फरमाया है कि Senior Excise and Taxation Officer के नीचे किसी को अख्तियार नहीं देना चाहिये। Section 3(1) में लिखा है :—

> 3(1). "For carrying out the purposes of this Act, the State Government may appoint a person to be Excise and Taxation Commissioner, and such other persons to assist him as it thinks fit".

appoint करने का अख्तियार, या किसी आदमी को अख्तियार देना किसी काम के लिये अब भी कानून में मौजूद है। जब assessment करनी है Excise and Taxation Officer ने तो नीचे किसी को अख्तियार देने के मानी नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर है और दूसरे अफसर हैं जो इन चीज़ों को सुनते हैं।

पंजाब में Senior Excise and Taxation Officer एक ही है और वह अमृतसर में है और किसी जिले में Senior Excise and Taxation Officer नहीं है। Excise and Taxation Officers ही हैं और उन्हीं के स्पुर्द districts का काम है। इस लिये इस बात को मानना चाहिए कि Excise and Taxation Officer के नीचे का कोई नहीं होगा। लेकिन जब किसी खास suit को देखना हो या कोई commission बैठाना हो तो उस से बड़ा अफसर ही होगा, छोटा अफ़सर नहीं होगा। इस लिये suit के फैसला करने के interest में यह अख्तियार दिए जाने चाहिएं क्योंकि अख्तियारात के मातहत सबूत ले कर उस चीज़ का ठीक फैसला कर सकें।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In the proposed section 22A, line 1,—

> between "person" and "appointed", *insert* "not below the rank of Senior Excise and Taxation Officer",

The motion was lost.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 11 stand part of the Bill.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Deputy Speaker said, "I think the Ayes have it". This opinion was challenged, and division was claimed. Mr. Deputy Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

CLAUSE 12

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 13

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 14

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Schedule 'B' ਦੀ item 23 newspapers and periodicals ਨੂੰ concern ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ clause ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ articles ਨੂੰ ਵੀ exemption list ਵਿਚੋਂ omit ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। Newspapers ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇਕ notification ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ tax ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Central Government ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ newspapers and periodicals ਉਤੇ tax ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ periodicals ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ exemption list ਵਿਚੋਂ delete ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ list ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर–पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिब यह जो periodical की omission इस schedule में से की जा रही है; मैं समझता हूं कि यह बड़ा गलत step उठाया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ तो हम सब जगह नई २ लाइब्रेरियां खोलना चाहते हैं और अपनी पंच वर्षीय योजना में इस काम को और बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि जितने अधिक से अधिक reading rooms and libraries हो सकें की जाएं, लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके समझ सकें कि सरकार क्या करना चाहती है और अपने राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का क्या फ़र्ज़ है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

इस लिये इस तरह के periodical पर Sales Tax impose करना, मैं समझता हूं कि ठीक बात नहीं। इन शब्दों के साथ मैं डाक्टर साहिब से निवेदन करता हूं कि यह जो clause 14 है, इस को वापस लिया जाएं।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : मैं सिर्फ एक ही गुज़ारिश करना चाहता हूं कि कुछ periodicals जो दर असल newspapers ही होते हैं, जो views देते हैं और weekly या monthly छपते हैं, उन को भी exempt करना है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 15

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ clause ਵਿਚ ਇਹ propose ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Schedule C ਦੀਆਂ items 2, 5, 6 ਔਰ 7 ਨੂੰ delete ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ item 7 ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਜੋ Act ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ Schedule ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ Act Assembly ਦੀ library ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ up-to-date amendments ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਚ item No. 7 ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣ।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर नगर-पश्चिम) : डिमप्टी स्पीकर साहिब यह जो clause है यह कुछ ऐसी items से सम्बन्ध रखती है जिन पर Purchase Tax लागू है। इस सम्बन्ध में तफरकात को दूर करने के लिये पिछले साल सरकार ने Act में amendment करके Schedule 'C' में 7 items को specific तौर पर लिख दिया था वह थी—cotton, iron and steel, oil seeds, resin crude, pine gum, coal, lubricating material and Timber लेकिन अब सरकार यह चाहती है कि items Nos. 2,5,6 और 7 यानी iron and steel, coal, lubricating material and Timber को omit कर दिया जाए। यानी iron and steel, resin or cotton पर tax कायम रहे और बाकी items को इस से मुस्तसना कर दिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिब, अभी अभी हाउस के अन्दर यह बात आई है कि जब से purchase tax लगा है उस से पंजाब की industry को बड़ा धक्का लगा है और अब भी इस नीति से industries पर असर होगा। खास तौर से इस बात को अपनी आंखों के सामने रखते हुए कि आप की neighbouring States के अन्दर इन तीनों items पर tax का provision नहीं, सरकार को अपनी इस नीति पर पूरी संजीदगी के साथ विचार करना चाहिए। बजाए इन industries को तरक्की देने के; उन पर ऐसी बंदिशें लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस से ये industries जो पनप रही हैं—उन के रास्ते में रुकावटें पड़े। यह बिल्कुल न मुनासिब बात है। एक साल के तजरुबे से हमें क्या मालूम हुआ ? जिस वक्त कानून

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री बलराम दास टंडन]
पहले House के सामने आया उस वक्त भी इस बात पर ज़ोर दिया गया था और इस मकसद के लिये एक कमेटी बनाई गई। वह कमेटी बनी और उस ने अपनी report इस के खिलाफ दी।

आज इस से पंजाब के अन्दर industries को भारी धक्का पहुंचा है और आगे भी पहुंचने का ख्याल है और इसी बिना पर यहां सारी बातें की जा रही हैं। मुझे इन की इस बात की समझ नहीं आती कि पंजाब के अन्दर क्यों इस तरह से cotton की purchase पर जो कि आगे production में इस्तेमाल होनी है रुकावट डालने की कोशिश हो रही है जब कि साथ की States में कोई ऐसी रुकावट नहीं डाली जा रही। वहां इस तरीका की कोई provision मौजूद नहीं है। यह पहले भी बताया जा चुका है कि इस तरीका से तो बड़े कारखानेदारों को तो support मिलती है, और छोटे छोटे कारखानेदारों को नुकसान पहुंचता है क्योंकि जो बड़े छोटे कारखानेदार हैं वे इस State से बाहर से माल मंगवा लेते हैं जहां उन्हें यह purchase tax देना नहीं पड़ता लेकिन छोटे छोटे कारखानेदारों को यह माल locally purchase करना पड़ता है और यह tax देना पड़ता है। क्योंकि जो truck load माल बाहर से आता है उस पर तो purchase tax लागू नहीं होता इस लिये जो बड़े बड़े कारखानेदार हैं वे trucks या wagons के ज़रिये अपनी consumption के लिये माल बाहर से मंगवा लेते हैं। दूसरी States से आने वाले माल पर उन्हें सिर्फ 2 percent के हिसाब से Inter States Sales Tax देना पड़ता है लेकिन जो छोटे कारखानेदार हैं जिन्हें माल locally puchase करना पड़ता है उन्हें 4 percent के हिसाब से यह purchase tax देना पड़ता है जिस का नतीजा यह होता है कि उन का produce किया हुआ माल ज्यादा महंगा रहता है जब कि बड़े २ कारखानेदारों का produce किया हुआ माल सस्ता रहता है। इस से साफ ज़ाहिर है कि यह बड़े २ कारखानेदारों को indirectly फायदा पहुंचाने का एक तरीका रखा हुआ है। Purchase tax पंजाब की industry के तरक्की के रास्ते में एक बड़ी भारी रुकावट है क्योंकि यह tax साथ की States में नहीं लगा हुआ जिस की वजह से वे पंजाब की industry के मुकाबिला में सस्ता माल produce करती हैं। मैं यह नहीं चाहता कि tax लगने ही नहीं चाहियें। Tax तो ज़रूर लगने चाहियें। मैं taxes की मुखालिफत नहीं करता लेकिन सवाल यह है कि यह जो tax गवर्नमेंट ने लगाया है आया यह rational है या नहीं है। हमारी State की industries को दूसरी States के मुकाबिले में आमदनी तो कम है लेकिन इस tax की वजह से नुकसान ज्यादा पहुंचता है। इस लिये यह tax rational नहीं समझा जा सकता।

डिप्टी स्पीकर साहिब, cotton के साथ ही मैं ने यह amendment दी है कि इस Schedule में जो बाकी की तीन चीज़ें हैं इन पर से भी यह tax हटा दिया जाये।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ clause ਵਿਚ ਇਹ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ schedule 'C' ਦੇ ਵਿਚੋਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

item Nos. (2), (5,) (6) ਔਰ (7) ਜੋ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ purchase Tax ਨਾ ਲਗੇ ਔਰ ਇਹ ਲਗੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ? ਇਹ ਲਗੇ cotton ਤੇ ਔਰ oil seeds ਤੇ । ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਲਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ produce ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਗੇ । ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਇਸ schedule 'C' ਵਿਚੋਂ item Nos. (2), (5), (6) ਔਰ (7) ਕਢ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ cotton ਔਰ oil seeds ਨੂੰ ਵੀ ਕਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਬਾਕੀ pig iron ਤੇ ਯਾ steel ਤੇ ਇਹ purchase tax ਬੇਸ਼ਕ ਲਗੇ ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप का कोई amendment इस बारे में है (Has the hon. Member given notice of any amendment for this ?)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਜਨਾਬ amendment ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ।

Mr. Deputy Speaker : How can this suggestion be accepted without any amendment ?

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ item Nos. (2), (5), (6) ਔਰ (7) ਨੂੰ ਇਸ schedule ਵਿਚੋਂ delete ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ cotton ਅਤੇ oilseeds ਦੇ items ਨੂੰ ਵੀ delete ਕਰ ਦੇਣ ।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : जनाबे वाला, श्री बलराम दास टंडन अपने speech में क्या चाहते थे उसे मैं समझ नहीं सका क्योंकि यह Schedule 'c' में से कुछ चीजें निकालने की बात है और वह चाहते हैं कि इस Schedule में कोई चीज़ ही न रहे यानी purchase tax तमाम चीज़ों से हट जाये । यह बिल्कुल irrelevent चीज़ है ।

इसी तरह से चौधरी बलबीर सिंह ने चाहा है कि इस Schedule में सिर्फ cotton को रहने दें और बाकी तमाम चीज़ों को निकाल दें । यह चाहते हैं कि item of 2, 5. 6 और 7 के साथ numbers 3 और 4 भी हटा दिये जायें और सिर्फ इस में पहला नम्बर रहने दिया जाये...... (*Interruption by Shri Balram Dass Tandon*) इतनी देर तक डिप्टी स्पीकर साहिब यह बोलते हैं फिर भी इन की तसल्ली नहीं हो पाती । इस तरह से जवाब का जवाब देने से कोई बहस ख़त्म ही नहीं हो सकती ।

(*At this stage Mr. Speaker occupied the chair.*)

इस लिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम ने यह महसूस किया है कि उन ? चीजों को इस Schedule से निकाल दिया जाये जो हमारे हां import होती हैं और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

import होने पर उन्हें Inter-States Sales Tax देना पड़ता है। जिन लोगों को यह Inter-States Sales Tax देना पड़ता है उन्हें हमें Sales Tax से छूट देनी पड़ती है। इस लिये हम ने इन items को इस Schedule में से निकालने के लिये इस clause में provision की है कि इन चीज़ों पर से Purchase Tax हटाया है।

सरदार करतार सिंह दीवाना ने कहा है कि steel पर से यह tax बेशक न हटाया जाये। मैं उन से पूछता हूं कि क्या steel grower को नहीं चाहिये? क्या इस से agricultural implements नहीं बनते? अगर इस tax के लगने से वह ज़्यादा costly बनते हैं तो क्या उस से agriculturists को तकलीफ न होगी? महज़ consumer को देख कर के कि वह कौन किसी चीज़ को consume करता है उस चीज़ पर कोई tax लगाया नहीं जाता। हरेक चीज़ का consumer directly और indirectly agriculturist भी हो सकता है और इस का असर उस पर ज़रूर पड़ेगा। इस को आप रोक नहीं सकते। Tax तो हमें चाहिये क्योंकि taxes के बगैर तो गुज़ारा नहीं। अगर किसी चीज़ पर tax लगता है तो उस से हुई आमदनी भी तो उस काम की तरक्की पर खर्च होगी। अगर tax आता है तभी तो उसे industry की या agriculture की तरक्की पर खर्च किया जा सकेगा औ अगर नहीं आता तो इस काम की तरक्की पर सरकार कहां से खर्च करेगी। यह अजीब बात मालूम होती है कि भाई tax तो मत दो लेकिन तरक्की के लिये खर्च किया जाये

इस लिये, स्पीकर साहिब, जो चीज़ें हम ने मुनासिब समझी है कि इन पर Purchase Tax नहीं लगना चाहिये उन को इस Schedule से हटाने के लिये हम ने इस clause में provision की है। इस लिये इस clause को पास कर देना चाहिये।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष : मैं ने पहले आप से कह दिया है कि कल आप सारा business खत्म नहीं कर सकेंगे। इस लिये Chairman of the Council को हम ने कह दिया है कि 27 तारीख को वह ज़रा पहले meet कर लें। उस दिन Council के नये मैम्बरों ने oath लेनी है। कल हम कुछ time पहले meet कर लेंगे और इसी तरह परसों भी 11 बजे के करीब हम meet कर लेंगे। इस तरह से काम खत्म हो जायेगा।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

दूसरा Leader of the House ने एक motion उस resolution को rescind करने के लिये दी हुई है जो उस दिन हाउस ने पास किया था क्योंकि परसों हाउस *sine die* adjourn हो जाना है इस लिये जब तक मैं अपनी discretion को use न करूं वह motion हाउस के सामने नहीं आ सकेगी। इस के अलावा इस में कुछ political considerations आ जाती है। मैं यह महसूस करता हूं कि जो course भी मैं adopt करूं --चाहे मैं अपनी discretionary powers का इस्तेमाल कर के इस motion को admit कर लूं या न भी करें इस से कोई भी खुश नहीं होगा, बल्कि जो कुछ भी मैं करूंगा उस के लिये मुझे blame ही किया जाएगा। फिर भी मैं ने अपना discretion इस्तेमाल कर के उस के motion को परसों के agenda पर रखने की इजाज़त दे दी है।

[I have already informed the hon. Members that they will not be able to finish the whole work by tomorrow. We have, therefore, requested the Chairman of the Council to hold the meeting of the Council a little earlier on the 27th April, 1960, for administering oath to the new Members. Tomorrow we shall also meet a little earlier than the usual hour of meeting and similarly at 11.00 a.m. on the following day. In this way the work is likely to be finished.

The next thing is that the Leader of the House has given notice of a motion to rescind the resolution passed by the House the other day. Since the House is to adjourn *sine die* on day after tomorrow, this motion cannot be taken up unless I exercise my discretionary powers in this respect. Besides there are political considerations involved in it. My feeling is that whatever course I adopt, whether I admit the motion in due exercise of discretionary powers or not, I would not be able to please anyone and be blamed for whatever I do. Anywhow, I have exercised my discretion and allowed the motion to be placed on the agenda for day after tomorrow.]

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to move—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker Motion moved—

That the Punjab General Sales Tax (amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 12-30 noon to-morrow.

9-30 p. m.

(The Sabha then adjourned till 12-30 p.m. on Tuesday, the 26th April, 1960).

9041 PVS—349—10-10-60—C. P. and S. Pb. Chandigarh

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha Debates

26th April, 1960

Vol. I—No. 37

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 26th April, 1960.

Price Rs 4.65 nP.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by:
Panjab Digital Library

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. I, NO. 37 DATED THE 26TH APRIL, 1960

Read	*for*	*on page*	*line*
proposed	uproposed	(37)6	2
Remarks	Remulks	(37)16	Heading
Conversion	Converstion	(37)18	10
Occurrence	Occurence	(37)18	28
hypothetical	plypothetical	(37)19	2
question	quetion	(37)19	2
writing	writting	(37)24	18
Delete 'मगर'		(37)40	12
जांच	चांच	(37)42	7
सरकार	सरसकार	(37)46	8th from below
ਨੇ	ਨੂੰ	(37)49	8
पुरज़ोर	पूरेज़ोर	(37)52	6
Delete the word 'ਜਿਹੜੇ' between ਨੇ and ਦੇਸ਼		(37)52	23
वित्त मंत्री	वत्ति मंत्री	(37)56	1
read the word 'इस' between 'मैं' and 'स्टेज'		(37)57	20
हटाया गया	हटायाग या	(37)71	7th from below
परे	बरे	(37)73	last
से दूसरे	सेदूस रे	(37)76	20
दोस्तों ने भी	दास्तों में भी	(37)80	15
try to	tryte	(37)83	6th from below
वह	वो	(37)93	3rd from below
26th April, 1960	26th April, 1990	(37)86	top
ही	की	(37)87	12th from below
ਯੂਨੀਅਨ	ੂਨੀਅਨ	(37)91	18
ਜੋ	ਦੋ	(37)92	10
no-confidence	non-confidence	(37)97	1
बगैर भी	बर गैभी	(37)98	11th from below
ਸਮਝਦਾ	ਸਮਸਦਾ	(37)102	last
Delete 'के' after the word देती		(37)103	11th from below
हरेक	हरके	(37)105	14th from below

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 26th April, 1960.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 12.30 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Starred Question No. 5573

Mr. Speaker: Starred question No. 5673 has been postponed.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਕਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ? ਡੇਢ੍ਹ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

श्री अध्यक्ष : जब जवाब आयेगा तो बता दिया जायेगा। (It will be communicated when it is received)

KILLING OF RATS IN SULTANPUR AREA, DISTRICT KAPURTHALA

***5671. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state—

(a) Whether the agriculture authorities at Sultanpur, district Kapurthala received any representation during the current year from any Zamindars of village Tibba or any other village for supplying material for killing the rats ; if so, when and from whom ;

(b) whether any action was taken on the said representation ; if not the reasons therefor ;

(c) whether the rat killing poison was ever out of stock at Sultanpur ; if so, when and the arrangements made for making the supply ;

(d) the steps being taken to kill rats which are now damaging the wheat crops in that area ;

(e) the names of the villages in the said area visited by the Agricultural staff for killing the rats during the current year ?

Shri Harbans Lal (Deputy Minister) : (a) Yes ; an application from Shri Narotam Singh of village Tibba was received during the last week of November, 1959 ;

(b) The applicant was informed that the poison was temporarily out of stock due to difficult supply position of zinc phosphide in the country and efforts were being made to arrange supplies thereof urgently.

(c) Yes ; the rat poison was temporarily out of stock from middle of November, 1959 to the 12th January, 1960. Efforts were made to arrange supplies and the poison was received by this centre on 12th January, 1960.

(d) After the poison had been received, anti-rat campaign was launched in the area to save rabi crops from the ravages of field rats and the village Tibba was visited twice in this connection.

(e) A list showing the names of the villages of Sultanpur area visited by the staff of the Agriculture Department for killing the rats during the year 1959-60 is laid on the table of the house.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

List of villages visited by the Agricultural staff for rat destruction

Serial No.	Date	Name of the village
1	28th May, 1959	.. Machhi Jua
2	4th June, 1959	.. Ugarupur
3	4th June, 1959	.. Rampur Jagir
4	4th June, 1959	.. Tashpur
5	1st July, 1959	.. Sherpur Sadha
6	15th July, 1959	.. Shatabgarh
7	15th July, 1959	.. Jabbowal
8	15th July, 1959	.. Parmjit pur
9	1st August, 1959	.. Bhagorrain
10	1st August, 1959	.. Raman
11	2nd August, 1959	.. Uggupur
12	5th August, 1959	.. Bidhipur
13	6th August, 1959	.. Ghandasinghwala, Tibba
14	7th August, 1959	.. Machhijua
15	8th August, 1959	.. Nathupur
16	8th August, 1959	.. Mangupur
17	10th August, 1959	.. Kalu Bhatia
18	10th August, 1959	.. Saliapur
19	25th August, 1959	.. Kotla
20	30th August, 1959	.. Farid Sarai
21	1st September, 1959	.. Bhagorrain
22	4th September, 1959	.. Mewasinghawala
23	7th September, 1959	.. Saliapur
24	8th September, 1959	.. Bidhipur
25	9th September, 1959	.. Sarai Jattan
26	13th September, 1959	.. Basti Amarkot (Tibba)
27	15th September, 1959	.. Puman
28	15th September, 1959	.. Talwandi Chaudhrian
29	16th September, 1959	.. Sawal
30	17th September, 1959	.. Mothanwala
31	17th September, 1959	.. Wadel Muja
32	17th September, 1959	.. Wadel Quadim
33	17th September, 1959	.. Kalewal
34	18th September, 1959	. Daula
35	18th September, 1959	.. Masit
36	23th September, 1959	.. Manipur
37	24th September, 1959	.. Kalru
38	25th September, 1959	.. Tibba
39	26th September, 11959	.. Nasirpur
40	26th September, 1959	.. Thatta Tibba
41	26th September, 1959	.. Thatta Quadim
42	27th September, 1959	.. Saidpur
43	28th September, 1959	.. Mangupur
44	10th October, 1959	... Sarain Jattan

(B) *During the rabi season*, 1959-60

Serial No.	Date	Name of the village
1	20th January, 1960 .	.. Talwandi Chaudhrian
2	25th January, 1960	.. Bidhipur
3	27th January, 1960	.. Tibba
4	28th January, 1960	.. Tashpur
5	28th January, 1960	.. Basti Amarkot (Tibba)
6	28th January, 1960	.. Sultanpur
7	28th January, 1960	.. Dudwindi
8	28th January, 1960	.. Dariewal
9	30th January, 1960	.. Dadupur
10	2nd February, 1960	.. Jangle (Tibbe)
11	4th February, 1960	.. Saliawal
12	4th February, 1960	.. Puman

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Serial No.	Date		Name of the village
13	6th February, 1960	..	Rampur Jagir
14	6th February, 1960	..	Dulla
15	8th February, 1960	..	Saidpur
16	9th February, 1960	..	Suchatgarh
17	16th February, 1960	..	Sultanpur
18	19th February, 1960	..	Shatabgarh
19	20th February, 1960	..	Jabbowal
20	22nd February, 1960	..	Ahemdpur Dona
21	22nd February, 1960	..	Latianwala
22	22nd February, 1960	..	Sherpur Dona
23	22nd February, 1960	..	Tooti
24	22nd February, 1960	..	Karmjitpur
25	22nd February, 1960	..	Faridsarian
26	22nd February, 1960	..	Jabbowal
27	22th February, 1960	..	Suchatgarh
28	22nd February, 1960	..	Deepawal
29	23rd February, 1960	..	Chanawindi
30	23rd February, 1960	..	Wattunwatali
31	23rd February, 1960	..	Bharowana
32	23rd February, 1960	..	Takia
33	23rd February, 1960	..	Jainpur
34	23rd February. 1960	..	Hadiapur
35	24th February, 1960	..	Bhagorain
36	24th February, 1960	..	Sherpur Sadha
37	24th February, 1960	..	Shahwala
38	24th February, 1960	..	Mewasinghwala
39	24th February, 1960	..	Merepur
40	24th February, 1960	..	Jargepur
41	25th February, 1960	..	Wadel Quadem
42	25th February, 1960	..	Wadel Mujja
43	25th February, 1960	..	Wadel Harnampur
44	25th February, 1960	..	Sawal
45	25th February, 1960	..	Saliapur Bet
46	25th February, 1960	..	Talwandi Chaudhrian
47	29th February, 1960	..	Nullianwah
48	29th February, 1960	..	Sujokalia
49	29th February, 1960	..	Nathupur
50	29th February, 1960	..	Kalu Bhatia

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੂਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਤਕ out of Stock ਰਹੀ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ $2\frac{1}{2}$ ਮਹੀਨੇ out of stock ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ।

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Stock ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਂ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹਨ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ Separate ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ । (It is a separate matter, it has no concern with the question.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

INSPECTOR OF SCHOOLS IN TEHSIL TARN TARAN, DISTRICT AMRITSAR

*5635. **Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether any officer of the Education Department inspected any school in tehsil Tarn-Taran, district Amritsar, during the current year ; if so, for what purpose and the names of the schools inspected by him ;

(b) whether the said officer made any proposal for degrading or upgrading any schools in the said tehsil, if so, the names of such schools and the action so far taken in this respect ?

Shri Yash Pal (Deputy Minister) : (a) Yes. A copy of the list of schools inspected indicating therein the purpose of inspection is laid on the Table of the House.

(b) Yes. Certain schools were recommended for upgrading. The names of such schools are indicated in the statement in reply to part (a) above. These recommendations are under consideration.

No school was recommended for being degraded.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

List of Schools Inspected/visited during the year 1959-60 in Tarn Taran Tehsil, District Amritsar

Serial No.	Designation of the Inspecting Officer	Name of the School inspected/visited	Date of Inspection/Visit	Purpose of Inspection/Visit	Name of the School proposed for degrading	Name of the School Proposed for upgrading	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Inspector of Schools, Jullundur Division	Government Middle School, Chola Sahib	5-1-60	Enquiry	..	..	
2	Ditto	Khalsa High School, Dhotian	6-1-60	Visit	..	..	
3	Deputy Inspector of Schools, Jullundur Division	Ditto	22-1-60	Recognition	..	..	
4	Ditto	Khalsa Higher Secondary School, Agara Pachhara	12-2-60	Do	..	..	
5	Ditto	Government High School, Naushehra Panwan	8-3-60	Do	..	..	
6	Assistant District Inspector of Schools, Tarn-Taran (West)	S.D. High School, Tarn-Taran	12-11-59	Do	..	..	
7	Ditto	Khalsa High School, Tarn-Taran	2-3-60	Co-ordination of Higher Secondary Scheme	..	..	
8	Ditto	Khalsa High School, Agara Pachara	12-3-60	Permanent recognition	..	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Designation of the Inspecting Officer	Name of the School inspected/visited	Date of Inspection/ Visit	Purpose of Inspection/ Visit	Name of the School proposed for de-grading	Name of the School uproposed for Upgrading	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Assistant District Inspector of Schools, Tarn-Taran (West)	Government Primary School, Vein Pooin	22-4-59	Visit	..	..	
10	Ditto	Government Primary School, Jamast Pur	23-4-59	Do	..	..	
11	Ditto	Government Primary School, Dhoonda	24-4-59	Enquiry	..	..	
12	Ditto	Government Primary School, Durgapur	27-4-59	Visit	..	..	
13	Ditto	Government Primary School, Sheikh-Chak	29-4-59	Do	..	..	
14	Ditto	Government Primary School, Khara	3-5-59	Do	.	..	
15	Ditto	Government Primary School, Bhail-Dhariwala	9-5-59	Enquiry	..	Proposed for up-grading to Middle Standard	
16	Ditto	Government Primary School, Naushehra Panwan	11-5-59	Visit	..	..	
17	Ditto	Government Primary School, Nand pur	13-5-59	Do	..	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

18	Ditto	Government Primary School, Tur	17-5-59	Re-upgrading	..	Proposed for upgrading to Middle Standard
19	Ditto	Government Primary School, Johal Raja Singh	19-5-59	Do	..	..
20	Ditto	Government Primary School, Khan Ghhabri	20-5-59	Visit	..	..
21	Ditto	Government Primary School, Dhotian	21-5-59	Enquiry	..	..
22	District Inspector of Schools, Amritsar	Government Middle School, Lalpura	22-5-59	Inspection	..	..
23	Assistant District Inspector of Schools, Tarn-Taran	Government Primary School, Sarhali Kalan	23-5-59	Enquiry	..	..
24	Ditto	Government Primary School, Thathian Mahantan	26-5-59	Visit	..	..
25	Ditto	Government Primary School, Bhathal Chai Ke	27-5-59	Do	..	..
26	Ditto	Government Primary School, Sohawa	28-5-59	Do	..	..
27	Ditto	Government Primary School, Khadur-Sahib	10-7-59	Do	..	..
28	Ditto	Government Primary School, Chola Sahib	16-7-59	Enquiry	..	..
29	Ditto	Government Primary School, Fatehabad	17-7-59	Visit	..	..
30	Ditto	Government Primary School, Kang	24-7-59	Do	..	..
31	Ditto	Government Primary School, Kad Gil	7-8-59	Do	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Designation of the Inspecting Officer	Name of the School inspected/visited	Date of Inspection/ Visit	Purpose of Inspection/ Visit	Name of the School proposed for de-grading	Name of the School proposed for upgrading	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Assistant District Inspector of Schools, Tarn-Taran	Government Primary School, Bagarian	7-8-59	Visit	..	..	
33	Ditto	Government Primary School, Govindwal	8-8-59	Do	..	..	
34	Ditto	Government Primary School, Raishiana	14-8-69	Do	..	..	
35	Ditto	Government Primary School, Kot Dharam Chand	5-9-59	Do	..	..	
36	Ditto	Government Primary School, Pindian	29-8-59	Do	..	..	
37	Ditto	Government Primary School, Manochal	7-9-59	Do	..	..	
38	Ditto	Government Primary School, Thatha	8-9-59	Do	..	..	
39	Ditto	Government Primary School, Basirke	9-9-59	Do	..	..	
40	Ditto	Government Primary School, Gillan	21-9-59	Do	..	..	
41	Ditto	Government Primary School, Agara Pachhara	23-9-59	Do	..	..	
42	Ditto	Government Primary School, Baghiari	26-9-59	Do	..	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

43	Ditto	Government Primary School, Gandiwind	29-9-59	Do	..	..
44	Ditto	Government Primary School, Pandori Ransia	30-9-59	Do	..	..
45	Ditto	Government Primary School, Dasondhi Mal	6-10-59	Do	..	..
46	Ditto	Government Primary School, Pandori Takhet Mal	10-12-59	Do	..	..
47	Ditto	Government Primary School, Mannan	15-10-59	Do	..	..
48	Ditto	Government Primary School, Lalu Ghuman	16-10-59	Do	..	..
49	Ditto	Government Primary School, Khairdinke	20-10-59	Do	..	..
50	Ditto	Government Primary School, Daburji	21-10-59	Do	..	..
51	Ditto	Government Primary School, Chabhal	22-10-59	Do	..	..
52	Ditto	Government Primary School, Sohal	28-10-59	Do	..	..
53	Ditto	Government Primary School, Thathi	28-10-59	Do	..	..
54	Ditto	Government Primary School, Chhina Bidhi-Chand	6-11-59	Inspection	..	..
55	Ditto	Government Primary School, Havelian	7-11-59	Do	..	..
56	Ditto	Government Primary School, Chima Kalan	7-11-59	Do	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Designation of the inspecting Officer	Name of the School Inspected/visited	Date of Inspection/ Visit	Purpose of Inspection/ Visit	Name of the School proposed for de-grading	Name of the School proposed for upgrading	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Assistant District Inspector of Schools, Tarn-Taran	Government Primary School, Nathupur	9-11-59	Inspection	..	..	
58	Ditto	Government Primary School, Chicha	9-11-59	Do	..	..	
59	Ditto	Government Primary School, Ladhewal	10-11-59	Do	..	..	
60	Ditto	Government Primary School, Bhuse	10-11-59	Do	..	..	
61	Ditto	Government Primary School, Kasel	16-11-59	Do	..	..	
62	Ditto	Government Primary School, Jagatpur	17-11-59	Do	..	..	
63	Ditto	Government Primary School, Thathgarh	19-11-59	Visit	..	..	
64	Ditto	Government Primary School, Dode	23-11-59	Inspection	..	..	
65	Ditto	Government Primary School, Chhapan	23-11-59	Do	..	..	
66	Ditto	Government Primary School, Mianpur	25-11-59	Do	..	..	
67	Ditto	Government Primary School, Ammia Kalan	25-11-59	Do	..	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

68	Ditto	Government Primary School, Pandori Rehman	23-11-59	Do	..	..
69	Ditto	Government Primary School, Noordi	27-11-59	Do	..	..
70	Ditto	Government Primary School, Tarn Taran, I	18-11-59	Do	..	..
71	Ditto	D.A.V. Primary School. Tarn-Taran	24-11-59	Do	..	..
72	Ditto	S.D. Primary School, Tarn Taran	30-11-59	Do	..	..
73	Ditto	Government Primary School, Pendori Hussian	10-12-59	Do	..	..
74	Ditto	Government Primary School, Bhaini Matwan	12-12-59	Do	..	..
75	Ditto	Government Primary School, Jeobala	14-12-59	Do	..	..
76	Ditto	Government Primary School, Daleke	14-12-59	Do	..	..
77	Ditto	Government Primary School, Bhajian	17-12-59	Do	..	..
78	Ditto	Government Primary School, Tharoo	18-12-59	Do	..	..
79	Ditto	Government Primary School, Teja Singh Wala	19-12-59	Do	..	..
80	Ditto	Government Primary School, Baqipur	19-12-59	Do	..	..
81	Ditto	Government Primary School, Gil Weaich	19-12-59	Do	..	..
82	Ditto	Government Primary School, Panjwar	21-12-59	Do	..	..

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Designation of the Inspecting Officer	Name of the School inspected/visited	Date of Inspection/Visit	Purpose of Inspection/Visit	Name of the School proposed for de-grading	Name of the School proposed for upgrading	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
83	Assistant Distric Inspector of Schools, Tarn-Taran	Government Primary School, Kaironwal	21-12-59	Inspection	..	..	
84	Ditto	Government Primary School, Burj	22-12-59	Do	..	..	
85	Ditto	Government Primary School, Palasaur	13-2-60	Do	..	..	
86	Ditto	Government Primary School, Bughe	27-11-59	Do	..	..	
87	Ditto	Government Primary School, Fateh Chak	28-11-59	Do	..	..	
88	Ditto	Government Primary School, Thathi Khara	18-12-59	Do	..	..	
89	Ditto	Government Primary School, Bhakna Kalan	9-11-59	Do	..	..	
90	Assistant District Inspector of Schools, Tarn Taran (East)	Government Primary School, Aladinpur	18-2-60	Annual Inspection	..	..	
91	Ditto	Government Primary School, Banwali Pur	13-1-60	Ditto	..	..	
92	Ditto	Government Primary School, Bagrian	4-11-59	Ditto	..	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

93	Ditto	Government Primary School, Bath	15-12-59	Ditto	..	..
94	Ditto	Government Primary School, Bhuller	10-11-59	Ditto	..	..
95	Ditto	Government Primary School, Beggepur	24-11-59	Ditto	..	..
96	Ditto	Government Primary School, Durgapur	18-12-59	Ditto	..	..
97	Ditto	Government Primary School, Chotala	18-2-60	Ditto	..	..
98	Ditto	Government Primary School, Duggalwala	7-12-59	Ditto	..	..
99	Ditto	Government Primary School, Deo	10-11-59	Ditto	..	..
100	Ditto	Government Primary School, Dyal Rajputan	8-12-59	Ditto	..	..
101	Ditto	Government Primary School, Gulabpur	25-11-59	Ditto	..	..
102	Ditto	Government Primary School, Jatta Chambl	21-1-60	Ditto	..	..
103*	Ditto	Government Primary School, Jodhpur	18-2-60	Ditto	..	..
104	Ditto	Government Primary School, Jallianwala	12-11-59	Ditto	..	..
105	Ditto	Government Primary School, Jaura	16-11-59	Ditto	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Designation of the Inspecting Officer	Name of the School inspected/visited	Date of Inspection/ Visit	Purpose of Inspection/ Visit	Name of the School proposed for de-grading	Name of the School proposed for upgrading	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
106	Assistant District Inspector of Schools, Tarn Taran (East)	Government Primary School, Khabha Rajputan	11-11-59	Annual Inspection	..	..	
107	Ditto	Government Primary School, Kakka Kandiala	29-10-59	Surprise Visit	..	..	
108	Ditto	Government Primary School, Kadgil	4-11-59	Ditto	..	..	
109	Ditto	Government Primary School, Khaba Dogran	4-11-59	Ditto	..	..	
110	Ditto	Government Primary School, Kandiala	17-11-59	Annual Inspection	..	..	
111	Ditto	Government Primary School, Kairon	14-1-60	Ditto	..	..	
112	Ditto	Government Primary School, Kohraka	18-11-59	Ditto	..	..	
113	Ditto	Government Primary School, Kamalpur	19-11-59	Ditto	..	..	
114		Government Primary School, Lauhka	11-1-60	Ditto	..	..	
115	Ditto	Government Primary School, Mughal Chak	9-12-59	Ditto	..	..	
116	Ditto	Government Primary School, Muradpur	12-2-60	Ditto	..	..	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

117	Ditto	Government Primary School, Naushehra	23-1-60	Ditto	..	..
118	Ditto	Government Primary School, Nandpur	24-12-59	Ditto	..	..
119	Ditto	Government Primary School, None	6-1-60	Ditto	..	..
120	Ditto	Government Primary School, Naurangabad	16-12-59	Ditto	..	..
121	Ditto	Government Primary School, Nathu Chak	13-11-59	Ditto	..	..
122	Ditto	Government Primary School, Liddi	19-2-60	Ditto	..	..
123	Ditto	Government Primary School , Rasulpur	19-2-60	Ditto	..	..
124	Ditto	Government Primary School, Rura Asal	17-12-59	Ditto	..	..
125	District Inspector of Schools, Amritsar	Government Middle School, Lalpura	23-12-59	Ditto	..	..
126	District Inspectress of Schools, Amritsar	Government Girls Middle School, Sirhali	3-7-59	Visit	..	(i) Government Girls Middle School, Rayya, to High Standard (ii) Government Girls Middle School, Fatehabad to High Standard
127	Ditto	Government Primary School, Golhwar	24-8-59	Ditto	..	..
128	Ditto	Government Girls Middle School, Naushehra Panwan	20-11-59	Block Development Meeting	..	(iii) Government Girls Middle School, Jhabha to high Standard

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Deputy Minister]

Serial No.	Designation of the Inspecting Officer	Name of the School inspected/visited	Date of Inspection/ Visit	Purpose of Inspection/ Visit	Name of the School proposed for de-grading	Name of the School proposed for upgrading	REMARKS
1	2	3	4	5	6	7	8
129	District Inspectress of Schools, Amritsar	Government Girls Middle School, Sarhali (Fateha-bad)	20-11-59	Surprise Visit	..	(iv) Mahna Singh Road, Amritsar, to high standard	
			23-11-59	Visit			
130	Ditto	Government Girls High School, Tarn-Taran	19-2-60	Middle School, Scholar-ship Examination	..	For raisng to Middle Standard :— 1. Government G.P.S., Kathunangal	
131	Assistant District Inspect-ress of Schools, Tarn Taran	Government Girls Primary School, Nagoke	26-8-59	Visit	..	2. Government G.P.S., Chhajal-wadi	
132	Ditto	Government Girls Primary School, Khab Chhabri	26-8-59	Do	..	3. Government G.P.S., Dhotian	
133	Ditto	Government Girls Primary School, Jama Rai	31-8-59	Do	..	4. Government G.P.S., Surwind	
134	Ditto	Government Girls Middle School, Chola Sahib	17-9-50	Do	..	5. Government G.P.S., Matewal	
135	Ditto	Government Girls Primary School, Nurdi Road Tarn Taran	10-9-59	Do	..	6. Government G.P.S., Jalalpura	
136	Ditto	Government Girls Primary School, G.R.,Tarn Taran	19-9-59	Do	..	7 Government G.P.S., Raja Sansi	

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

137	Ditto	Government Girls Primary School, Shahab Pura	13-10-59	Do	..	8. Government G.P.S., Ghariala
138	Ditto	Government Girls Primary School, Kot Mohd Khan	14-10-59	Do	..	9. Government G.P.S., Sultanwind
139	Ditto	Government Girls Primary School, Dhotian	14-10-59	Do	..	10. Government G.P.S., Nagkalan
140	Ditto	Government Girls Middle School, Chola Sahib	4-11-59	Block Development Meeting	..	11. Government G.P.S., Shahbaz-pura
141	Ditto	Government Girls Middle School, N. Panwan	5-11-59	Ditto	..	12. Government G.P.S., Vanienke
142	Ditto	Ditto	20-11-59	Visit	..	..
143	Ditto	Government Girls Primary School, Jalal Abad	19-1-60	Surprise Visit	..	..
144	Ditto	Government Girls Middle School, Mian Wind	19-1-60	Ditto	..	..
145	Ditto	Government Girls Middle School, Fatehabad	10-2-60	Middle School Scholar-ship Examination	..	..
146	Ditto	Government Girls Middle School, Chabhal	15-2-60	Ditto	..	..
147	Ditto	Government Girls Middle School, Naushera Panuan	18-2-60	Ditto	..	..

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ list ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Inspector ਨੇ Jullundur Division ਦੇ ਕੁਝ schools inspect ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਥੇ 5-1-60 ਲਈ ਗਏ ਹਨ purpose ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ enquiry ਦਸਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਉਹ enquiry ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਉਪ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ information ਪੁਛ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ Middle School, ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ convert ਕਰ ਕੇ ਏਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ shift ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

श्री अध्यक्ष: यह सवाल अलैहदा है, यहां पर upgrade या degrade करने का column है, converstion का नहीं । (This is a separate question. There are two columns in the statement indicating upgrading or degrading of schools but not their conversion.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮੈਨੂੰ list ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ No. 15 ਤੇ Government primary school, Bhail Dhariwala ਅਤੇ ਨੰ: 18 ਤੇ Government primary school, Tur, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ up grading ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ।

CONSTRUCTION OF BRIDGE OF BHATINDA BRANCH NEAR VILLAGE SHAINA

*5628. **Sardar Kartar Singh Diwana** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the time by which a bridge on the Bhatinda branch near village Shaina is proposed to be constructed ?

Sardar Narinjan Singh Talib (Deputy Minister) : The bridge is expected to be completed during the current financial year.

*SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No 5777

श्री राम प्यारा : जो statement दिया गया है इस में यह बताया गया है कि occurence के 20-25 दिन बाद case register किया जायेगा हालांकि यह 366—376 जैसे इतने serious charges हैं case इतनी देर register न होने की वजूहात क्या हैं ?

उप मंत्री : जैसे इस statement में ज़ाहिर किया गया है, मैं इस के मुताबिक कह सकता हूं कि A. S. I. जिस ने कि इस के register करने में देरी की उसको line में भेज दिया गया है और उस के खिलाफ enquiry चल रही है।

*Note :—Starred quesiton No. 5777 with its reply. appears in the debate Vol. I, No. 36, dated 25th April, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

श्री राम प्यारा : अगर देरी साबित हो जायेगी तो क्या उस को सज़ा दी जायेगी।

Mr. Speaker : This is a Phypothetical quetion.

पंडित श्री राम शर्मा: जैसा कि बताया गया है कि case 20—25 दिन के बाद register हुआ, आया यह लोग थाने के अन्दर 20—25 दिन पहले आये थे या A. S. I. ने 20-25 दिन के बाद जब मुआमलों की तसल्ली हो गई case दर्ज कर लिया था।

उप मंत्री : मेरे पास इस के मुताल्लिक पूरी इत्तलाह नहीं है मगर ऐसा मालूम होता है कि crises होने के बाद जब breach of peace की apprehension न रही और इस बारे तसल्ली कर ली गई तो case register कर दिया।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या जब crises शुरू हुआ उस के 20—25 दिन बाद case register हुआ था ?

Chief Minister : The reply has already been given.

श्री राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्तर साहिब बताएंगे कि यह case जब 25 दिन के बाद register हुआ तो यह police ने खुद बखुद किया या किसी ने represent किया तब register किया गया ?

मुख्य मंत्री : यह सवाल में पूछ लेते तो जवाब दे दिया जाता ।

श्री अध्यक्ष : आपका तरीका ग़लत है। Question disallowed. (His way of asking the supplementaries is wrong. Question disallowed.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमैंट को यह मालूम है कि occurrence किस date को हुई ? क्या थाने को यह exact पता नहीं है ?

मुख्य मंत्री: जितनी चीज़ मंगवाई गई है, वह यही है, अगर और information मांगेंगे तो वह भी मंगवा देंगे। इस में इस वक्त इतना ही है लेकिन I am not sure whether this is the date of registration or the date of commission of the offence.

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब, कम से कम मुख्य मन्त्री साहिब exact date तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : इस में झगड़ा क्या है ? (What is the trouble?)

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब, यह इतना serious मामला है कि जिसके लिये यह जानना जरूरी है कि occurrence की exact date क्या है ?

मुख्य मंत्री : इस वक्त इत्तला नहीं है। Supply करने में कोई हर्ज़ नहीं।

श्री राम प्यारा : मैं ने तो date पूछी है।

Chief Minister : The honourable Member may take the date as 24th March, 1960, if he does not want to have any further information.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री बलराम दास टंडन: जनाव मेरा question राजासांसी के बारे में postpone हुआ था लेकिन वह postponed list में भी नहीं आया ?

श्री राम प्यारा : मेरे भी दो सवाल हैं।

श्री अध्यक्ष : सारे postponed questions कल आ जाएंगे। (All the postponed questions would come before the House tomorrow.)

ADJOURNMENT MOTION

श्री मंगल सैन : जनाब स्पीकर साहिब, एक बहुत urgent public importance का मामला है -----

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप मुझे इस बारे में मिल चुके हैं। मैंने आप को reason बता दिया है। वह देख लीजिए। (The hon. member may resume his seat. He has already seen me in this conection and I have told him the reason for this. He may consider it.)

PRESENTATION OF THE REPORT ON THE COMMITTEE OF PRIVILEGES REGARDING PUBLICATION FROM ARTICLE IN THE PEOPLE'S GUARDIAN ETC.

Rao Gajraj Singh (Member, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the report of the Committee of Privileges regarding the publication of an article in the 'People's Guardian', Chandigarh, under the caption 'Odious Characters of Punjab Politics' in its issue, dated the 19th December, 1959.

BILL (LEAVE TO INTRODUCE)

THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS BILL, 1960

Minister for Agriculture and Forests (Sardar Gian Singh Rarewala) : Sir, I beg to move for leave to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets Bill, 1960.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That leave be granted to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets Bill, 1960.

Mr. Speaker : Question is —

> That leave be granted to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets Bill, 1960.

The leave was granted.

Minister for Agriculture and Forests : Sir, I introduce the Punjab Agricultural Produce, Markets Bill, 1960.

REFERENCE OF THE PUNJAB AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS BILL, 1960 TO THE REGIONAL COMMITTEES

Minister for Agriculture and Forests : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Agricultural Produce Markets Bill, 1960, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 1st of September, 1960.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Punjab Agricultural Produce Markets Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the Ist of September, 1960.

Mr. Speaker : Question is —

That the Punjab Agricultural Produce Markets Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the Ist of September, 1960.

The motion was carried.

BILL(S)

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1960

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the third reading of the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ 3rd Reading stage ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਸ਼ੁਦਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ T. A. ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ dealer ਟੈਕਸ collect ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ agency ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ tax collecting agencies ਹੋਰ ਹਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ । ਇਕ agency ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ land revenue collect ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਚੋਤਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਢਾਲਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚੋਤਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ trader ਹੈ ਜਿਹੜਾ tax collect ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੀਮ ਰਖਦਾ ਹੈ, Staff ਰਖਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ turn over ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਜੱਦ ਉਹ trader ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਚੋਤਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ honorary ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੋਗਸ ਰਿਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ enquiries ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ । ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੋਗਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਕਹਿਦੇ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਮਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਗਸ ਹੈ । ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ sense ਹੈ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ bogus ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਉਸ tax free ਮਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਮਗਰ ਇਹ ਟਰੇਡਰ ਔਰ ਡੀਲਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ bogus certificate ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਰੇਡਰ ਜੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਟੀਆਂ ਬਗੈਰਾ ਚੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਟਰੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਰੂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ directly ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ smuggle ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਆਇਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉਸ ਦੀ return ਪੇਸ਼ ਕਰਨ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲ smuggle ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ return ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨ । Transport ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਾ route ਚਾਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵਾਂ route ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ cancel ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ checking ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ newspaper ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਲੇ ਜਾਂ magazine news ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ।

Chief Parliamentary Secretary : On a point of Order, Sir. Can the honourable Member repeat his argument again and again.

Mr. Speaker : No, the honourable Member cannot repeat his argument.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ views ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ repetition ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰਖੋ। (The hon. Member is making repetition. He may, therefore, resume his seat.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲ ਦੀ ਸੁਪੀਚ ਕਢਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਉ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਸਾਲੇ ਛਾਪਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Minister for Finance : Sir, I rise on a point of order. The statement being made by the hon. Member is not correct because the clause says that item 23, in Schedule B to the principal Act shall be omitted. This item 23 includes both the newspapers and the periodicals. Therefore both are being removed.

Mr. Speaker : Yes. Quite right.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਡਿਊਲ (B) ਦੇ ਵਿਚ exempted articles ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ news ਤੇ ਨਹੀਂ views ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਹੈ ਇਹ Democracy ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

Minister for Finance : It is wrong, Sir. I never said that. I said that periodicals are views-papers and if we exclude newspapers we exclude views-papers also.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਅਦਾਲਤੀ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਕ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ

1 P. M.

ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ powers ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ corruption ਲਈ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ powers ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ corruption ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋਰ powers ਦੇ ਕੇ corruption ਦਾ ਹੋਰ scope ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ evading of payment of tax includes assessment and other things. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ define ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ

> (2A) If the Commissioner has reason to suspect that any dealer is attempting to evade payment of any tax under this Act, he may, for reasons to be recorded in writting, seize such accounts, registers or documents of the dealer as may be necessary, and shall grant a receipt for the same,..

ਮੈਂ ਕਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ payment of Tax evade ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ record ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ । ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ evasion ਕਰਦਾ ਹੈ । ਬਜਾਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈਣ ਦੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ evading of payment of tax includes assessment ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ definition ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਲਫਜ਼ੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ clear ਹਨ ਅਤੇ definition ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਮਾਇਨੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ courts ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ definition ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਸਦੇ dictionary ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

> When a term is not defined by Statute, the dictionary meaning of it is to be taken as the meaning intended.

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ define ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ evading of payment of tax ਨੂੰ ਕਿਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ define ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ Evading of payment tax ਦੇ ਜੋ dictionary ਮਾਇਨੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ clear ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ । ਜੋ ਆਦਮੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ powers ਹਨ ਕਿ land revenue ਦੇ ਤੌਰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ penality ਵੀ ਲਈ ਜਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਕਦੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਜਾਏ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ record ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ department ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ । ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ powers ਨੂੰ misuse ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, यह जो amending bill इस वक्त हाउस के सामने पेश है इसकी statement of objects and reasons के अन्दर जो बातें कही गई हैं और इस बिल की जो कलाज़ें हैं उनके अन्दर जो बातें दी गई हैं उन में कोई मेल नहीं है और उनमें बहुत बड़ा अन्तर है। मैं चाहता था कि यह बातें मैं इस बिल की introduction stage पर करता और वज़ीर साहिब के नोटिस में लाता लेकिन मैं नहीं कह सका। स्पीकर साहिब, किसी बिल की statement of objects and reasons इस लिए होती है कि कोई at a glance देख सके कि इस बिल के अन्दर क्या है। अगर किसी ने parent Act न भी देखा हो तो भी वह समझ सके कि इस बिल के अन्दर क्या क्या provisions हैं, इस के ज़रिए parent Act में क्या क्या तबदीलियां की जा रही हैं और इनका लोगों पर, State पर क्या असर होने वाला है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस बिल के अन्दर इतनी सारी drastic changes की गई हैं मगर उनका statement of objects and reasons में कोई ज़िक्र नहीं और कोई आदमी उसे पढ़ कर ख्याल तक नहीं कर सकता कि इस बिल के अन्दर यह यह चीज़ें होंगी। इस statement में सिर्फ यह लिखा है कि :

> The Supreme Court have held in "The State of Madras versus Gannon Dunkerley" that a 'contract' is not 'sale' and hence is not leviable to Sales Tax. The Punjab High Court have decided in Civil Writ 359 of 1959 that the purchase and sales tax cannot simultaneoulsy be levied on 'unginned' or ginned'..cotton because both remain the same commodity. It has also been decided to doscontinue the levy of sales tax, on the basis of purchases made by dealers with effect from 1st April, 1960. Following these judgements, and for removing some other minor defects, it is necessary to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948. The proposed Bill is intended to achievet this object.

तो इस में सिर्फ दो तीन बातें कहीं गई हैं लेकिन जो इस बिल के अन्दर इतने बड़े बड़े drastic provisions किए गए हैं उनका एक hint तक नहीं दिया गया है। मैं डाक्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री बलराम दास टंडन]

पिछले Act में जो retail dealers को option दी गई थी कि वह बजाए एक एक आने दो दो आने का सौदा बेच कर bill काटें और गाहक से sales tax वसूल करके सरकार को दें वह इक्टठी कीमत खरीद पर 11½ फीसदी लगा कर sales tax दे दें। लेकिन अब इस बिल के ज़रिए उस option को withdraw किया जा रहा है। इस तरह करके अब retailer को मजबूर किया जा रहा है कि अगर कोई दो आने की pencil लेने आए या एक आने का ब्लेड लेने आए तो उसे एक दो आने का bill काट कर दे दे और इस तरह sales tax वसूल करके सरकारी खज़ाने में जमा कराए। Retail की दुकानों पर लोग छोटी छोटी चीज़ें खरीदने आते हैं और एक वक्त में बीसियों गाहक खड़े होते हैं लेकिन अगर दुकानदार ने सौदा बेचना है तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि वह सब को एक एक आने और दो दो आने का बिल काट कर दे। सरकार यह चाहती है कि इस हाउस के अन्दर जो कानून बना दिया उस पर हर एक को अमल करना चाहिए लेकिन सरकार यह बात देखने की कोशिश नहीं करती कि यह चीज़ practicable कहां तक है। इस का मतलब तो यह है कि हर retailer बिल बनाने के लिए एक एक मुनीम या मुन्शी रखे जो कि हर गाहक को एक एक दो दो आने का बिल काट कर दे वरना मैं वज़ीर से पूछना चाहता हूं कि जो retail dealer है जिस के पास एक वक्त में बीस गाहक छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए खड़े होते हैं उसके लिए कैसे मुमकिन हो सकता है कि सब को आने दो आने का बिल काट कर दे और sales tax वसूल करे। यह बिल्कुल नामुमकिन है। यह जो इतनी बड़ी तबदीली की जा रही है इस का statement of objects and reasons में कोई ज़िक्र नहीं है कि जो option retailer को दी हुई थी कि वह कीमत खरीद पर 11½ फीसदी लगा कर sales tax दे दे वह हम withdraw कर रहे हैं। इस का मतलब है कि यह सारी statement जो पीछे दी हुई है वह बेमाइनी है।

इसके इलावा स्पीकर साहिब, इस के अन्दर और तबदीली की गई है और उसका भी इस statement में कोई ज़िक्र नहीं है, वह तबदीली यह है कि principal Act के मातहत registered dealers की और जो माल है वह registration के मुताबिक cover होता है उसकी list छापने को commissioner को कहा गया था और वह list assessing authority और dealers के पास रहनी थी ताकि बेइमानी को रोका जा सके और dealers भी सारी बात जान सकें ताकि धोके में न फंस सकें। लेकिन इस चीज़ को भी खत्म कर दिया गया है। मैं वज़ीर साहिब से पूछना चाहता हूं कि इस का ज़िक्र भी statement में क्यों नहीं किया गया है? इस के इलावा एक बात और है कि टैक्स की वसूली के साथ साथ 1½ गुना penality भी ली जाएगी। अगर एक शख्स ने 10 हज़ार रुपया टैक्स का देना है तो अगर उस से छोटी सी गलती हो गई है तो वह 10 हज़ार रुपया sales tax का भी दे और 15 हज़ार penality का भी द

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

और इतना ही नहीं उस के साथ साथ जहां पहले power यह थी कि वहां पर replace कर दे दूसरे section के अन्दर वह power वापस ले ली है और यह provision कर दी है कि penalty का सारा रुपया बतौर arrears of land revenue वसूल किया जायगा। उसके बाद इस में यह provision की गई है कि जिन पर वह tax नहीं लगता उन से रुपया लिया जाय। जिन्हों ने late जमा करवाया है उन से double penalty ली जाय। डाक्टर साहिब ने कल कहा था कि हम ने limit रखी है लेकिन इस के दरमियान में जो सब कुछ हो सकता है उस का कोई ज़िक्र नहीं। उस के बारे में statement of objects and reasons के अन्दर भी कुछ नहीं बताया गया। सब से बड़ी बात यह की गई है कि इस Amending Act के ज़रिए taxing authority को Civil Courts की power दी गई है और ऐसी चीज़ इस लेजिस्लेचर की हिस्ट्री के अन्दर पहली बार हुई है लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी यह statement of objects and reasons कोई ऐसी बात वाज़ेह नहीं करती। इन्होंने यह कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह बात की गई उसे ठीक करने के लिए यह Amending Bill ला रहे हैं। स्पीकर साहिब, आवश्यकता तो इस बात की है......

Mr. Speaker : These things should have been mentioned at the first reading stage or you could refer to them when the penalty clause came under discussion. How can you criticize the principle of the Bill now when you have already passed it in your first reading?

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, penalty की clause पर इतनी बातें कैसे कह सकता था। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि statement of objects and reasons ऐसे होने चाहिएं कि उस से first hand information मिल सके।

Mr. Speaker : The statement of objects and reasons is always concise and brief giving the background of the Bill. How could it cover the penalties etc. ?

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मैं penalties की नहीं court की बात कर रहा हूं। और फिर इस में कम से कम main चीज़ें तो आनी चाहिए।

Mr. Speaker : The statement of objects and reasons gives some background of the Bill and not minor details. The minor details of the provisions contained in the Bill will be found in the clauses.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, कम से कम मोटी मोटी बातें तो इस के अन्दर आनी चाहिए थीं।

Mr. Speaker : At the third reading stage, you should either give suggestions that the Bill be thrown out or that the provisions contained in the Bill should be implemtented in this manner or in that manner. There is no third alternative at the third reading stage.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री बलराम दास टंडन: अगर obligatory नहीं तो बात अलग है।

Mr. Speaker: The Statement of Objects and Reasons is not a part of the Bill. You must be aware of it. The Statement of Objects and Reasons, as I have already said, gives a brief background of the Bill.

श्री बलराम दास टंडन : Part तो नहीं है लेकिन information देने के लिए तो है।

Mr. Speaker: The Statement of Objects and Reasons is not a a part and parcel of the Bill.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, आज यह देखने की ज़रूरत है कि जब इस बिल को पेश किया गया तो किस चीज़ को मद्देनज़र रख कर किया गया। ज़ाहर है कि स्टेट को development के काम के लिए पैसे की जरूरत थी लेकिन इस के साथ ही यह देखना भी लाज़मी होता है कि हम जिस तरीके से proceed कर रहे हैं जिस main object को सामने रख कर अग्रसर हो रहे हैं आया उस में हमें सफलता प्राप्त हो रही है या नहीं। जब यह टैक्स लगाया गया तो उस वक्त चार आने सैंकड़ा के हिसाब से लगाया था। लेकिन उस के खिलाफ सारे पंजाब में आवाज़ उठाई गई, महीना भर हड़ताल रही, दुकानदारों ने सब दुकानों की चाबियां इक्ट्ठी कर के रख दीं, हजारों लोग ज़ेलों के अन्दर गए लेकिन आज यह हालत है कि लोगों पर 7-8 फी सदी के हिसाब से टैक्स लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बात पंजाब के credit में नहीं जाती कि इर्द गिर्द की स्टेटों में ज़्यादा काम हो और पंजाब के अन्दर लोगों को bulk tax देना पड़े। चाहिए तो यह था कि independence से पहले अंग्रेज़ की हकूमत में ब्योपारियों के साथ जो वायदे किए गए थे उन्हें fulfil किया जाता लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। मिनिस्टर साहिब को deputation भी मिले कि जो लोग आढ़ती के तौर पर काम करते हैं उन के अन्दर बहुत भारी बेचैनी है। उन्होंने हड़तालें भी की हैं लेकिन उन्हें कहा जाता है कि आप इस के under नहीं आते। अब स्पीकर साहिब, आप अन्दाज़ा लगाएं कि एक आदमी registered dealer है उस की एक ब्रांच बम्बई या देहली में है और वह अपना माल एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में shift करता है तो उसे कहा जाता है कि तुम से sales tax लेंगे। इस का नतीजा यह हो रहा है कि जिन लोगों को यह मालूम नहीं था कि इस की क्या implications होंगी उन्हें माल एक जगह से दूसरी जगह shift करने पर यह हरजाना देना पड़ रहा है। स्पीकर साहिब, हैरानी की बात यह है कि वह sale नहीं थी और न inter-state sales tax में आती थीं लेकिन अब उन्हें यह कहा जाता है कि पिछले दो साल में जितना रुपया जमा करवाया वह sale तसव्वर की जायगी और उस पर inter-state sales tax के हिसाब से 1 फीसदी टैक्स नहीं लगेगा 4 फीसदी tax लगेगा। जिस का मतलब यह है कि अगर किसी दुकानदार ने जिस की Sale मुश्किल से 25,000 की हो तो दूसरे साल २० लाख रुपये का माल एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजता है तो उसे कहा

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

जायेगा कि 4 per cent के हिसाब से sales tax दो। ऐसा कहने का मतलब यह होगा कि अपने business को wind up करो और अपने ज़ेवरात भी बेच कर सरकार के हवाले करो। ऐसा करने से ही वह सरकार की मांग को पूरा कर सकता है। उस के लिये इन हालात में यही मुनासिब होगा कि वह अपना business बंद कर के पंजाब से भाग जाए। आवश्यकता इस बात की थी कि इस amending Bill से पंजाब के लोगों की तकलीफात दूर करने की कोशिश की जाती लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि यह तमाम तकलीफें सरकार के नोटिस में होने के बावजूद इस amending Bill से कोई सहूलियत नहीं दी गई। हर साल Sales tax के कानून में amendment करने के लिये सरकार बिल ले आती है और गवर्नमैंट का रुपया ऐसे कामों में फज़ूल जाया होता है। यह नहीं देखा जाता कि पंजाब में जहां हम सब ने रहना है वहां व्योपार को खत्म नहीं करना चाहिये। हम ने यहां industry को तरक्की देनी है, जनता के काम चलाने हैं इस लिये हमें उन तमाम मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करनी चाहिये जो industry की development के रास्ते में पेश आती है। हम चाहते थे कि इन मुश्किलात को दूर करने के लिये इस बिल में कोई तबदीली की जाती लेकिन अफसोस का मुकाम है कि ऐसा नहीं किया गया। एक बात का मिनिस्टर साहिब ने जवाब देते हुए कहा कि railway के ऊपर हम ने Check posts कायम की हुई हैं। जहां तक ट्रकों का ताल्लुक है हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे मिनिस्टर साहिब से कहना है कि म्युनिसिपल कमेटियों के पास powers हैं कि वह octroi duty को इकट्ठा करें। उन के अफसरान किसी म्युनिसिपल कमेटी को Check कर सकते हैं कि किस किस के नाम बिलटी आई है। इस तरह से वह देखते हैं कि वाकई जिस firm ने माल मंगवाया है उस के मुताबिक 11 per cent raise कर के sales tax लिया गया है जो कि retail dealer से ले सकते थे। Railway के ऊपर तो ऐसा हो सकता है लेकिन ट्रकों के ऊपर नहीं हो सकता। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि म्युनिसिपल कमेटियों को power है कि वह ट्रक कम्पनियों और Transport Companies की checking कर सकते हैं और सब accounts मांग सकते हैं। (घंटी की आवाज़) स्पीकर साहिब, मुझे यह कहना है कि purchase tax जहां पर उन्होंने तीन चार जगहों पर खत्म किया है इसी तरह sales tax के बारे में भी जो दो चार defects हैं उन्हें भी समाप्त कर के पंजाब की business को तरक्की देने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें। Centre ने फैसला किया है कि मिल्लों से जो कपड़ा निकलता है और Sugar Companies से जो खांड निकलती है उन के ऊपर first stage पर ही Sales tax charge कर लेंगे। इन के मुताल्लिक Sales tax State का Subject नहीं रहने दिया। मुझे कहना है कि इस तरीके से ठीक बनाने की कोशिश करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी सरकार इस तरह की amendment ला कर manufacturing stage पर ही Sales tax charge कर ले तो इतना बड़ा paraphernalia

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री बलराम दास टंडन]

जो इस सम्बन्ध में रखा हुआ है और लोगों के दिलो दिमाग पर जो बोझ पड़ा रहता है उसे समाप्त किया जा सकता है । हमारी सरकार को चाहिये कि Central Government के foot-prints पर चल कर एक bold step ले कि sales tax manufacturing stage पर charge किया जाए । इस तरह से sales tax भी प्राप्त हो जाएगा और लोगों की तकलीफों का झंझट भी खत्म हो जाएगा।

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, बिल को और बिल की क्लाज़ों को जब ग़ौर से पढ़ा जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गवर्नमेंट को इस बात का एहसास है कि dealers टैक्स में काफी evasion करते हैं। डाक्टर साहिब ने फरमाया कि dealers टैक्स evade नहीं करते ट्रकों के ज़रिये ज़रूर टैक्स की evasion होती है और इस के साथ साथ वह smuggling भी करते हैं। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट इस टैक्स की evasion को रोकना चाहती है। मैं समझता हूं कि जो टैक्स लगाये गये हैं वह वसूल होने चाहियें क्योंकि अगर टैक्सों की वसूली हो जाती है तो शायद further टैक्स न लगाने पड़ें। टैक्स की evasion को रोकने के लिये इन्होंने किसी जगह penalty 100 फीसदी और किसी जगह 150 फीसदी और किसी जगह अगर नहीं लगती तो उस के ऊपर penalty 100 रुपये तक हो सकती है। किसी जगह यह किया गया है कि किताबें ली जा सकती हैं और जितना अर्सा उन की ज़रूरत महसूस हो वह किताबें रखी जा सकती हैं। यह अर्सा unlimited है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बिल one sided है और unbalanced है। अगर कोई dealer टैक्स की evasion करता है, अगर कोई ट्रक वाला माल नहीं देखता और smuggling करता है तो ऐसी मिसालें शायद एक दो मिलेंगी। जब कोई dealer टैक्स की evasion करता हैं, तो उस में गवर्नमेंट के कुछ आदमियों का हाथ होता है। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट के बहुत सारे आदमी खराब हैं लेकिन टैक्स की evasion या smuggling उस वक्त होती है जब कि उन के साथ मुताअल्लिका सरकारी मुलाज़मीन शामिल हों। मैं इस बात पे खुश हूं कि dealers पर check लगाया गया है कि वे टैक्स evade न करें लेकिन इस बिल में कोई provision नज़र नहीं आता कि जो officials corruption में हिस्सा लेते हैं उन पर पाबंदी लगाई जा सके। डाक्टर साहिब ने फरमाया था कि $1\frac{1}{2}$ गुना तक जुर्माने की limit रखी है। उन की यह limit उन्हें unlimited power for corruption देती है। मिसाल के तौर पर dealer के ऊपर एक हज़ार टैक्स लगना है तो उस को 1,500 रुपया तक का जुर्माना किया जा सकता है । Assessing authority को अख्तियार है कि वह 100 रुपया जुर्माना करे या 1,500 रुपया जुर्माने की सज़ा दे।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

जहां पांच पांच हज़ार और दस दस हज़ार रुपये sales tax का evasion हुआ है और उन के जुर्माने की रकम भी हज़ारों रुपये बनती है तो इस से यकीनन corruption का रास्ता निकलेगा । Assessing authority के पास unlimited powers होंगी । वह यह सोचेगी कि आया मैं पांच सौ रुपया sales tax लगाऊं या पांच हज़ार रुपया sales tax का लगाऊं। Dealer यह सोचने पर मजबूर होगा कि अगर मैं एक हज़ार रुपया रिश्वत का दे दूं तो पांच हज़ार रुपया sales tax देने से बच जाऊंगा । चुनांचि वह एक हज़ार रुपया रिश्वत का सरकारी अफसर को दे कर पांच हज़ार देने से अपनी खलासी करवा लेगा। गवर्नमेंट मानती है कि टैक्स का evasion होता है और उस को रोकने के लिये यह amendment ला रही है। लेकिन जिस आदमी का कोई असूल नहीं है वह ज़रूर रिश्वत दे कर अपनी रिहाई करवा लेगा । इस लिये मैं डाक्टर साहिब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां पर dealers पर पाबंदी लगाई गई है वहां सरकारी अफसर पर भी पाबंदी लगनी चाहिये। कल मैं ने इसी सिलसिले में एक मिसाल quote की थी। अगर काफी अरसा किसी अफसर के पास किताबें पड़ी रहेंगी तो dealers बहुत परेशान होंगे, हैं तो अपनी बेईमानी की वजह से ही परेशान मैं यह मानता हूं लेकिन वह यह सोचेगा कि मैं पांच सौ रुपया रिश्वत का दूं या पांच हज़ार रुपया टैक्स का दूं। वह सिफारिश लड़ाएगा और रिश्वत देने की कोशिश करेगा। इस लिये क्यों न एक तारीख मुकर्रर कर दी जाए कि किताबों को अपने कबज़े में लेने के बाद इतने अरसे के अन्दर अन्दर उन को कोर्ट में जमा करवा दिया जाए । इस से किताबें सरकारी अफसर की jurisdiction में नहीं रहेंगी। ये जो powers ली जा रही हैं penalty impose करने की और जहां पर टैक्स नहीं लग सकता वहां पर भी सौ रुपया जुर्माना करने की, मेरे नुक्ता निगाह से इन से corruption बढ़ेगी। हो सकता है कि गवर्नमेंट का नुक्ता निगाह कुछ और हो लेकिन मेरा ख्याल है कि इस से हम corruption के लिये रास्ता निकाल रहे हैं। इस लिये यह ज़रूरी है कि इस Bill की one sidedness को दूर किया जाए । ट्रकों के ज़रिए smuggling होती है और पिछले सैशन में यह बिल आया था कि अगर कोई ट्रक smuggling करता हुआ पकड़ा जाए गा तो उस का route permit ज़बत कर लिया जाएगा। लेकिन आज तक एक route permit भी cancel नहीं किया गया। इस की वजह क्या है? इस की वजह यह है कि जो लोग चाहे smuggling करते हैं, चाहे Tax की evasion करते हैं उन के बाज़ू बड़े लम्बे होते हैं। वे लोग पैसा दे कर किसी को भी खरीद सकते हैं। इस लिये ज़रूरत इस बात की है कि जहां से यह बुराई शुरू होती है वहां पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देखना यह चाहिये कि जब गवर्नमेंट लोगों को ट्रकों के route permits देती है तो उस वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि फलां आदमी smuggling तो नहीं करता या करेगा तो नहीं। permits तो सरकार ही देती है कोई और तो

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री राम प्यारा]

नहीं देता। इस तरह से तो मालूम होता है कि सरकार खुद smuggling को patronize कर रही है इस लिये ट्रकों के permits देते वक्त सरकार को इस बात का निश्चय कर लेना चाहिये कि वह आदमी smuggling तो नहीं करेगा, tax की evasion तो नहीं करेगा। इस के साथ यह भी पाबंदी लगनी चाहिये ताकि कोई Assessing Authority corruption न करे। इस के इलावा एक बात मैं और अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि आप सरकारी मुलाज़मों को देखें जो लोग बइमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं वे तो बिल्कुल बेफिक्र हैं एक जगह पर डट कर बैठे रहते हैं लेकिन जो लोग इमानदारी से अपना काम करते हैं वे दो महीने एक जगह पर रहते हैं तो तीन महीनों के लिये उन को उठा कर कहीं और फैंक दिया जाता है। करनाल का एक वाक्या है। वहां पर एक थानेदार लगा था। उस ने पांच महीने के अरसे में सब गुंडों को ठीक कर दिया लेकिन उस को जल्दी ही किसी और जगह पर तबदील कर दिया गया। अगर आप देखने की कोशिश करें तो आप को मालूम होगा कि जिन के मुताल्लिक शिकायात हैं वे तो वहीं पर बैठे रहते हैं लेकिन इमानदार लोग आप को परेशान नज़र आएगें। डाक्टर साहिब तो मेहरबान हैं अगर उन को कोई चीज़ बताई जाए तो वे तो नोटिस लेते हैं और ठीक कर देते हैं। लेकिन जहां तक दूसरों का ताल्लुक है वे नहीं सुनते। मैं ने लिख कर दिया है कि फलां आदमी ने माल लिया बीस हज़ार का और दूसरे ने लिया दस हज़ार का। जब टैक्स जमा करवाते हैं तो दस हज़ार वाले ने तो पांच सौ रुपया टैक्स का जमा करवाया लेकिन जिस आदमी ने बीस हज़ार का माल खरीदा था उस ने अढ़ाई सौ रुपया टैक्स का जमा करवाया। लेकिन उस का कुछ नहीं बना। मेरा मतलब है कि यह बड़ी अच्छी बात है कि सरकार evasion को रोकने के लिये यह amendment ला रही है लेकिन corruption को रोकने के लिये भी इस में कोई provision की जानी चाहिये। जैसे कि मैं ने पहले अर्ज़ किया है मुझे उम्मीद है कि डाक्टर साहिब मेरे सुझाव पर गौर करेंगे। खास तौर पर यह कि वह अफसर किताबें अपने पास न रखें कोर्ट में जमा करवा दें ताकि दूकानदार उन की खुशामिद न करते फिरें और अफसरों को रिश्वत लेने का मौका न मिले।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, मुझे डाक्टर साहिब के बहुत से ख्यालात से इत्तफाक है। मैं यह मानता हूं कि सरकार को नेक कामों के लिये रुपये की ज़रूरत है। मैं यह भी मानता हूं कि व्यापार भी कुछ बढ़ रहा है यही वजह है कि हमारे sales tax की रक्म में हर साल इज़ाफा हो जाता है मैं यह भी मानता हूं कि जो नेक कोशिश sales tax की evasion को रोकने के लिये की जाती है उस की वजह से सरकारी खज़ाने में ज़रूर इज़ाफा होता है। यह सब कुछ तसलीम करता हुआ मैं आप के द्वारा बड़ी मुअदबाना अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह मान लिया जाए कि evasion होता है और मुझे हमदर्दी है चौधरी बलबीर सिंह और टंडन जी से जो कि यह तसलीम करेंगे कि कभी व्यापार साख पर चलता था और व्यापारी

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

अपनी साख पर किसी तरह से भी धब्बा नहीं लगने देते थे। यहां उन के सामने बात आई कि तरह तरह से evasion हुआ तभी सरकार को बार बार ऐसी रुकावटें लाने की ज़रूरत पड़ी। बड़ा मशहूर केस था S. K. Dass का। वे ट्रक रखते थे अम्बाला में और माल बिका हुआ दिखाते थे सोलन में। वे technical ground पर बच गए। सरकार को रास्ता ढूंढना पड़ा कि किसी तरह से ऐसे व्यापारियों को काबू किया जाए। इस बात से इतफाक करते हुए मैं अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं . . .

श्री अध्यक्ष : मैं आप को दाद देता हूं। (I appreciate the way in which the hon. Member tries to bring in things.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जहां हमारे डाक्टर साहिब ने बड़ी काबलियत से इस बात का अहसास फरमाया वहां मुझे उन से हमदर्दी है। टैक्स के बारे में जो उन्होंने अपनी बेबसी और लाचारी ज़ाहिर की है उस से मुझे इत्तफाक नहीं है। मैं मानता हूं कि कभी ऐसा सवाल पैदा होता था, Passengers Tax और Goods Tax के बारे में तो उस वक्त कुछ रास्ता निकाला गया। लेकिल मेरी यह समझ में नहीं आया कि यहां उन की क्या बे बसी थी। वह तो इस लिये बनाया गया था कि रेलवे पर ज्यादा दबाव न पड़े और carriers पूरे ज़ोर से काम करें, business भी बढ़ेगा और सरकार के खज़ाने में पैसा भी आएगा। इस लिये उन्होंने समझौता किया था। लेकिन यहां पर मैं नहीं मानता, मेरा इमान नहीं है कि डाक्टर साहिब को लाचारी थी, उन की बे बसी थी। उन्होंने दो बातें की हैं, एक यह कि ट्रक वाले accounts दिखाने से गुरेज़ करते हैं, ट्रक नहीं दिखाते बल्कि वे smuggling भी करते हैं। अगर उन की बात सही है तो उन को चाहिये था कि बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं या छोटी छोटी कम्पनियां हैं जो ऐसी malpractice करती थीं उन के ट्रक जब्त कर लेते। ताकि उन के काम में रुकावट पैदा होती, उन का नुक्सान होता और उन को अहसास होता।

स्पीकर साहिब, मैं आप को बधाई देता हूं कि आखिर इस बजट सैशन में आपने हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब से कल House के अन्दर एलान करवाया कि वह देखते हैं कि बड़ी सतह पर corruption बढ़ रही है, आए दिन tax की evasion होती है और इस सिलसिला में उन्होंने दो कमेटियों का एलान किया। मैं आपको बधाई देता हूं कि आखिर उन्हें House के मुतालबे के सामने एक हद तक झुकना पड़ा और उसके बाद चाहे कोई भी हो—मैं हूं, मिनिस्टर हों, इधर के आदमी हों, उधर के हों, Opposition के हों, या official party के corruption को दूर करने के लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने बड़ी दलेरी से पंडित श्री राम के नाम का एलान किया। मैं मानता हूं कि मुकम्मल तौर पर चाहे दूध का दूध और पानी का पानी न भी हो सके लेकिन काफी हद तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी ख्वाहिश तो यह थी कि किसी दूसरे सूबे के शख्स को, Supreme Court या High Court के जज को तैनात करते . . . .

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष: यह जो कुछ आप फरमा रहे हैं इसका इस मासूम से बिल के साथ क्या ताल्लुक है। आप Bill पर बोलें (How is all this, which the hon. Member has spoken, relevant to this innocent Bill? He should speak to the motion.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: जनाब, मैं तो यह तारीफ कर रहा हूं कि आप के ज़ेरे साया इस House में इस दफा एक निहायत शानदार बात हुई है जो कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने की है। चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि यह हमारे इम्तहान का वक्त है। यह उनके भी इम्तहान का वक्त है। 80,000 और 1½ लाख रुपए वाले मामले का भी अब फैसला हो जाएगा—दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डाक्टर साहिब को भी इसी तरह एलान करना चाहिए। ट्रकों के बारे में उन्होंने जो अपनी बेबसी ज़ाहिर की है वह मेरी समझ में नहीं आ सकी। डाक्टर साहिब को चाहिए कि बजाए इसके कि आने आने दो दो आने का माल बेचने वालों पर पाबन्दियां लगाएं कि वह अपना हिसाब-किताब रखें, बेहतर था कि जो बड़े बड़े companies वाले, ट्रकों वाले बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनके permits ज़ब्त किए होते, बड़े बड़े जुर्माने उन पर किए होते और उन को इस बात के लिए मजबूर किया होता कि पंजाब की तजारत को बरबाद करने की कोशिश न करें।

श्री अध्यक्ष: मौलवी साहिब, मेरी बात सुनिए। जो कुछ आपने कहना था वह तो कह लिया। मेरा खयाल है कि आप बिल पर कुछ कहना नहीं चाहते। (Maulvi Sahib may please listen to me. He has said whatever he wanted to say. I think he does not want to say anything on the Bill itself.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: जनाब इस बिल की पहली stages पर तो मैं आप की eye catch नहीं कर सका। अब 3rd reading stage पर ही मुझे आप से कुछ अर्ज़ करने का मौका मिला है तो मैं अर्ज़ करता हूं कि Passengers Tax गवर्नमेंट वसूल करती है।

श्री अध्यक्ष: Passengers Tax यहां कैसे आ गया? (How is the Passengers Tax relevant here ?)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार: जनाब मैं argument की खातिर बता रहा हूं कि Passengers Tax हम वसूल करते हैं तो हम companies पर भरोसा करते हैं कि वह हर टिकट के साथ जो हमारी सरकारी tickets होती हैं—चाहे वह दो पैसे की हों, चार पैसे की हों, या दस पैसे की हों—वह लगाते हैं। आधी काटी जाती है और आधी उन्हीं के पास रह जाती है जिसे बाद में हमारे inspectors check कर लेते हैं। (*At this stage Pt. Shri Ram Sharma went out of the Chamber.*)

श्री अध्यक्ष: देखिए, पंडित श्री राम शर्मा को भी आप की तकरीर पसन्द नहीं आई, और वह बाहर जा रहे हैं (The hon. Member may please listen.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Pt. Shri Ram Sharma has also not liked his speech and, therefore, he is going out of the Chamber.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : जनाब, मैं पंडित श्री राम शर्मा की बड़ी कदर करता हूं, उनके साथ हमें बड़ी मुहब्बत है। अगर्चि हम समझते हैं कि उन पर भी इम्तहान आ गया है लेकिन उस इम्तहान में हम भी उन की मदद करेंगे।

मैं जानता हूं कि डाक्टर साहिब मुझ से भी ज्यादा छोटे छोटे दुकानदारों के, छोटे तबके के व्यापारियों के बहीखाह हैं। मैं इस बात को मानता हूं और अर्ज़ करता हूं कि जिन जिन छोटे दुकानदारों के पास whole-sellers माल बेचते हैं और जो registered हैं उनसे वह टिक्ट लगा कर बेच दें। जैसे Passengers Tax के सिलसिले में ticket पर ticket लगती है उसी तरह से टिक्ट लगा दी जाए ताकि उस बेचारे को हिसाब किताब न रखना पड़े।

श्री अध्यक्ष : आप relevant रहने की कोशिश करें। (He may please try to be relevant.)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं जनाब यह अर्ज़ कर रहा था कि बजाए इसके कि वह हिसाब-किताब रखें उनको इजाज़त दे दें कि Passengers Tax की तरह ticket लगा दें। जब हम इतने बड़े बड़े private operators पर भरोसा करते हैं तो क्यों न छोटे छोटे दुकानदारों पर भी यकीन करें और उन्हें इस तरह के हिसाब किताब रखने की मुसीबत से बचावें ? मैं पूछता हूं कि आखिर उन गरीबों ने क्या बिगाड़ा है ? बेइमानी तो करते हैं बड़े बड़े, धोका करने वाले तो हैं बड़े बड़े। बेचारा एक एक आने की चीज़ बेचने वाला क्या बेइमानी करेगा ? इस लिए, स्पीकर साहिब, आप के द्वारा डाक्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि इस का ज़रूर कोई न कोई हल निकालें।

दूसरी बात मुझे किताबों के बारे में कहनी है। जैसा कि श्री राम प्यारा जी ने फरमाया, मैं भी डाक्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि अगर एक व्यापारी की किताबें कुछ अर्सा के लिए रखी जाएं, फिर तो बात समझ में आ सकती है लेकिन अगर बहुत लम्बे अरसे के लिए उन को seize कर लिया जाए तो इसमें यकीनन corruption बढ़ेगी। इस लिए मेरी गुज़ारिश यह है कि डाक्टर साहिब इसके लिए कोई मियाद मुकर्रर करें कि सिर्फ इतना अरसा के लिए ही किताबों को सरकार अपने कब्ज़ा में रखेगी और उन व्यापारियों को अख्तियार होना चाहिए कि बवक्त ज़रूरत उन को निकाल सकें ताकि उनके काम में किसी तरह की रुकावट न हो। बहरहाल, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने बड़ी मेहरबानी की जो मुझे बोलने का मौका दिया। आखिर में मैं आप को फिर मुबारकबाद देता हूं कि आप इस बात में कामयाब हुए हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने corruption को दूर करने का एलान किया। इसी तरह मैं डाक्टर साहिब से भी उम्मीद करूंगा कि वह भी trucks वालों को पकड़ने का यत्न करेंगे।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : देखिए, इस बिल पर काफी देर से बहस हो रही है। आज तीसरा दिन जा रहा है। हमने वक्त को इस लिए extend नहीं किया कि तीसरी स्टेज पर भी आप इतना वक्त लगा लें। इस लिए अब मैं दो दो तीन तीन मिनट से ज्यादा वक्त आप को नहीं दूंगा। इसी में आप इस बिल की implementation की बाबत जो कुछ कहना चाहें कह लें। (Please listen. This Bill has been under discussion for a sufficient period—to day being the third day. We had extended the sitting not for this purpose that the hon. Members should take so much time even on its third reading stage. I will, therefore, not give more than two or three minutes to the hon. Members who want to speak. Please confine your remarks to the implementation of this Bill only.

श्री फूल सिंह कटारिया (झज्जर रिज़र्वड) : स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा मिनिस्टर साहिब को बताना चाहता हूं कि जो amending बिल लाया गया है, पहले ही इस असूल पर अमल किया जाता तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत न पड़ती। स्पीकर साहिब, hides, sheepskin, raw wool पर तीन स्टेजिज़ पर टैक्स लगता है। मैं डाक्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि ऐसी बात करनी चाहिए जिस से गरीब आदमियों को भी फायदा पहुंचे। मैं आप को बताना चाहता हूं कि जो लोग hides, skins वगैरह का काम करते हैं वह अनपढ़ लोग होते हैं। उन्होंने exemptions के लिए काफी देर से दरखास्तें दे रखी हैं मगर साल साल हो गया है कि उन को certificates नहीं मिला। स्पीकर साहिब, आप को बताना चाहता हूं कि sheep skin पर तो फीसदी purchase टैक्स था तो अमृतसर में व्यापारियों ने चार फीसदी टैक्स वसूल किया। जितने काम करने वाले थे वह तो अनपढ़ थे। उन से टैक्स वसूल कर लिया। पिछली दफा जब मैं अमृतसर गया तो बड़ी मुश्किल से वह वापिस करवाया। माल तो बड़े बड़े व्यापारी लेते हैं। एक तो चमार और दूसरी कम्यूनिटी खटीक है जो कि असल में यह काम करती है। इस के अलावा कोई भी चमड़े की रंगाई का काम नहीं करता। लेकिन जो रियायतें हैं वह बड़े बड़े मालदार व्यापारियों को दी हुई हैं। उन को आप क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा पहले भी कई दफा अर्ज़ कर चुका हूं कि कुर्म पर चार फीसदी टैक्स लगा रहे हैं लेकिन अभी तक इस बात पर गौर नहीं किया गया।

Minister for Finance : I would like to know from the hon. Member the articles on which he says that the purchase tax is being charged, because in the Schedule only seven commodities are given.

श्री फूल सिंह कटारिया : Raw wool पर 4 per cent टैक्स है।

वित्त मंत्री : कौन सा tax है?

श्री फूल सिंह कटारिया : Crome leather पर purchase tax लगा हुआ है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

वित्त मंत्री: स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करता हूं कि मैम्बर साहिब को वह बात करनी चाहिए जो authentic हो । There is no purchase tax on leather at all.

श्री अध्यक्ष: आप तो अब बैठ जायें क्योंकि आप का मसला तो हल हो गया है (The hon. Member may now resume his seat because the point raised by him has been settled.)

श्री मंगल सैन (रोहतक) : स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह amending बिल जो इस वक्त हाउस के सामने प्रस्तुत है इस के द्वारा हमारे मन्त्री महोदय बड़ी wide powers लेना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि यह इतनी wide powers इन्हें न दी जायें । इस में यह powers ले रहे हैं कि यदि एक व्यापारी return नहीं दे पाता तो उसे उस tax के 1½ गुना के बराबर की रकम जो उस से वसूल की जानी है वह यह penalty लग सकती है। स्पीकर साहिब, यह बात ठीक नहीं है। मैं ने इस बारे में कल भी मन्त्री महोदय से अर्ज़ की थी कि यह नहीं होना चाहिये लेकिन यह कल तो नहीं माने थे। इस लिये मैं आज फिर इन से यही अर्ज़ करता हूं और आशा करता हूं कि आज यह मान जायेंगे।

इस में यह दे रखा है कि यदि कोई व्यापारी tax की instalment नहीं दे पाया तो उस को यह कहते हैं कि जितने पैसे tax के उस की तरफ निकलते हैं उतनी penalty उस पर लगनी चाहिये। यह ठीक बात नहीं है क्यों कि यह आम तौर पर कहते रहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति tax के पैसे न दे पाये तो उस से वह tax और penalty उसी तरीका से वसूल किये जायेंगे जिस तरह से गवर्नमैंट का revenue collect किया जाता है। स्पीकर साहिब, यह तो आप जानते ही हैं कि revenue गवर्नमेंट किस तरीका से वसूल करती है जिस ने revenue देना हो तो उस के न देने पर उस की जायदाद की कुर्की की जाती है और यदि वह इतना गरीब हो चुका है कि उस की कुर्की होने पर भी tax की रकम वसूल नहीं हो पाती तो उसे जेल में भेज दिया जाता है। स्पीकर साहिब, आज जब कि welfare State यहां कायम होने जा रही है तो एक व्यक्ति जो इतना गरीब हो गया है कि वह tax के पैसे नहीं दे सकता तो उसे कैद में डालना ठीक बात नहीं है।

इस के साथ ही इस में यह जो power ली जा रही है कि mercantile community के हिसाब-किताब की किताबें ज़ब्त कर ली जायेंगी यह भी ठीक बात नहीं है। और इस के लिये कोई time limit भी नहीं रखी कि हिसाब-किताब check करने के लिये कितनी देर तक वह किताबें गवर्नमेंट के अफसर रख सकेंगे। हालांकि एक नहीं अनेकों मैम्बरों ने इस बारे में ज़ोर दार शब्दों में कहा है कि इस पर कोई limit होनी चाहिये लेकिन फिर भी यह इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इस का मतलब तो यही हो सकता है कि या तो यह ज़ोर दार बात भी इन को सुनाई नहीं देती या यह समझते हैं कि जो बात मैम्बरों की ओर से ज़ोर दार शब्दों में कही जाती

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री मंगल सैन]
है उस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं मंत्री महोदय से फिर कहता हूं कि किताबों के रखने के लिये time की कुछ limit होनी चाहिये।

इस के साथ ही मिनिस्टर साहिब ने Excise and Taxation कमिशनर को यह अधिकार दे दिया है कि वह अपने किसी assistant को judicial कार्यवाही करने का अधिकार दे सकेगा। यह बहुत ही wide power है। इस से यह अफ़सर किसी व्यक्ति को compel कर सकते हैं कि वह उन के सामने अपने हिसाब-किताब की किताबें पेश करें। यह power define भी नहीं की गई जिस के फल स्वरूप यह लोगों के लिये तकलीफ का कारण भी बन सकती है। मैं समझता हूं कि यह ज़रूर define होनी चाहिये क्योंकि आज तक पंजाब की administration ने इस बात का काफी सबूत दे दिया है कि इस में corruption बहुत ज़्यादा है। यह बात ठीक है कि मुख्य मन्त्री ने बड़े हौसले के साथ और बड़ी दलेरी के साथ इस प्रकार का एक commission बनाया है और एक कमेटी बनाई है जो इस corruption को देखेगी। यह कहा जाता है कि यह भी एक मदारी का खेल होगा और इस से निकलना निकालना कुछ भी नहीं। भगवान् करे कि यह मदारी का खेल बन कर न रह जाये और यह commission और कमेटी पूरी नेक नियती के साथ काम करें।

यह दुरुस्त बात नहीं है कि जितनी पाबन्दियां हों वे तमाम business man पर ही लगाई जायें और सरकार के जो अफसर हैं जो मन मानी करते हैं, उन के ऐसा करने पर कोई रोक थाम न हो। इस तरह का one way traffic ठीक नहीं है। Tax की जितनी चोरी होती है वह अफसरों की और दूसरे सरकारी मुलाज़मीन की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती। भला क्या business man जो बेचारा अनपढ़ होता है वह ऐसी कोई जुरर्त कर सकता है। यह तो Inspector ही उसे बताता है कि इतने पैसे तुम्हारा tax बनता है, इतने पैसे तुम मुझे दे दो और इस तरह कर दो तो तुम tax देने से बच जाओगे। इस के साथ साथ मैं आप की घंटी का ध्यान रखते हुए अपना स्थान लेता हूं।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाब, स्पीकर साहिब, कुछ बातें यहां ऐसी कही गई हैं जिन का इस बिल के साथ ज़रा भी ताल्लुक नहीं था जैसा कि खास तौर पर मौलवी साहिब ने इतनी खींचा तानी भी की तब भी कई चीज़ों को इस बिल के साथ जोड़ नहीं सके या ज़रा सा ताल्लुक पैदा नहीं कर सके। लेकिन मुझे गिला क्या हो क्योंकि अंग्रेज़ी में कहा जाता है—

Every stick is good to beat all.

जब मारना ही हो तो यह नहीं देखा जाता कि stick जिस से मारा गया है वह कैसी है या कैसी नहीं है। ट्रकों का मामला और इसी तरह की कई बातें कही गई हैं। मैं ने trucks की taxation का कहीं भी ज़िक्र नहीं किया। फिर भी वह कह गये हैं। मैं ने कहा था कि purchase system से sales tax जो लिया

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

जाता है हम इस concession को बन्द करना चाहते हैं और बन्द हम ने किया है और इस की वजह यह बतलाई कि एक तो कुछ माल जो बाहर से आता है उस की हम जांच नहीं कर सकते और ऐसा करने का हमें अख्तियार भी नहीं है। यह कहा गया है कि Railway के ज़रिये जो माल आता है उस की जांच तो हम करते हैं तो ट्रकों के माल की क्यों नहीं करते। मैं ने तो ऐसी बात कहीं है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिस से हम ट्रकों के माल की पड़ताल कर सकें। लेकिन अब भी वे इस बात की दलील को नहीं मानते हैं तो मैं इस का क्या इलाज कर सकता हूं।

दूसरी बात यह है कि 48 हज़ार व्योपारी registered हैं जिन में से कुल 1,400 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने sales tax purchase system से देने के लिये opt किया हुआ है। इस के लिये अब जो यह एतराज़ करते हैं कि यह ज़्यादा हो जाते लेकिन department वालों ने उन्हें ऐसे होने नहीं दिया। अगर उस वक्त department ने नहीं होने दिया और यह opt नहीं कर पाए तो अब तो department यह कहता है कि हम यह purchase system पर नहीं लेते तो इन को अब भी यह बात मान लेनी चाहिये। मैं ने यह पहले भी अर्ज़ की है कि इस के अन्दर सरकार को नुक्सान था इस लिये हम ने इस system को बन्द किया है।

एक एतराज़ यह किया गया है कि purchase system की बाबत बहुत कुछ कहा गया है और यह बातें इस बिल की Statement of Objects and Reasons में तो दी ही नहीं गई हैं। स्पीकर साहिब, मुश्किल यह है कि यह खुद तो पढ़ते नहीं। अगर इन्होंने पढ़ने की कोशिश की होती तो इन्होंने इस में यह देखा होता—

> "It has also been decided to discontinue the levy of sales tax, on the basis of purchases made by dealers with effect from 1st April, 1960."

इस से ज़्यादा साफ बात और क्या हो सकती थी कि Statement of Objects and Reasons में यह बात आई है और इस में यह include की गई है। Statement of Objects and Reasons में सब चीज़ें आई हैं जब इस में यह लिखा है—

> "Following these judgements, and for removing some other minor defects, it is necessary to amend the Punjab General Sales Tax Act, 1948."

अब सवाल इतना रह जाता है कि—

Is it a minor defect or a major defect ?

मैं मानता हूं कि यह बात बड़ी major है। वे आदमी समझते हैं कि उन के रास्ते में harassment होगी जो किसी न किसी तरीका से tax की evasion करते थे और कवायद के मुताबिक नहीं चलते थे। उन को इस से ज़रूर harassment होगी जो हम ने tax को काबू में लाने के लिये tax की वसूली के तरीके को बदल दिया है। आखिर 48 हज़ार व्योपारी registered हैं और इन में से 1,400 ऐसे हैं जो tax purchase system से देते हैं, इन 14 सौ आदमियों में से कितने आदमी ऐसे होंगे जो यह समझेंगे कि हमारे लिये मुश्किल हो गई है क्योंकि व्योपारी आम तौर पर ईमानदारी से काम करते हैं।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

एक बात और मैं इस में कह दूं कि व्योपारी कहेंगे कि save us from our friends और इन्होंने fruit sellers और आढ़तियों के मुताल्लिक भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। मगर दिलचस्पी इन्होंने जितनी दिखाई वह भी पता लग गया। Notice देने के लिये तो यह तीन hon. Members थे मगर जब Short Notice Question put करने का वक्त आया तो put करने के लिये एक भी Member साहिब तशरीफ नहीं लाये। Fruit dealer के representatives मुझे मिले थे और मेरी उन से बात चीत भी हुई बल्कि उन की बात से तो मेरी position साफ हो जाती है। मैं ने उन को यह कहा कि जो लोग माल खरीद सकते हैं Registered Dealers को बेचने के लिये बगैर Sales Tax के अदा किये यह un registered आदमी हैं। इस के लिये जरूरी है कि वह Sales Tax वसूल करके हम को दें लेकिन वह arbitrator के तौर पर काम नहीं कर सकते हैं। Arbitrator इस के अलग होते हैं। Registered dealers अलग होते हैं। मगर मगर एक Registered Dealer का काम एक आढ़ती नहीं कर सकता। जो Registered dealer जब Registration Certificate हासिल कर लेता है तो उसे कोई अख्तियार नहीं है कि वह बतौर आढ़ती के भी उस को खरीद सके। जब एक कहे कि यह कायदे के खिलाफ चीज़ है और यह कहे कि यह कायदे के मुताबिक है तो इस में कौनसी खराबी की बात थी अगर थी तो यह कि यह हिसाब किताब नहीं रख पाये हैं। इस के लिये भी मैं ने तो कह दिया था कि पिछले साल की बात तो हुई मगर अब Stay Orders कर दिए हैं और यह भी कह दिया कि हम इस के मुताल्लिक कोई फैसला करने लगे हैं मगर इन की तरफ से यह पता आया कि वह फैसले से पहले हमें मिलना चाहते हैं। अगर कोई किसी बात के लिये मुझे मिलना चाहे तो इस बात में भला मुझे एतराज़ क्या हो सकता है। मुझे भी तो इस बात का जवाब देना होगा कि आप के representatives ने यह बात कही है, इस के जवाब में यह कोई वजह नहीं है कि मैं भी यह बात कहूं कि God save me from my friends. आज यह बार बार एक ही बात को कहे जाते हैं तो ज़रूरी है कि मैं भी उस का जवाब दूं या मैं भी इस के साथ ही सख्त बन जाऊं। मैं सख्त तो बनना नहीं चाहता क्योंकि सख्ती कभी pay नहीं करती। मुझे यह भी पता है कि व्योपारी तब्का झूठ बोलने में बदनाम ज़्यादा है और मैं उन को नाराज़ करना नहीं चाहता। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा facilities मैं उन को दे सकता हूं ज़रूर दूंगा। मगर इस तरह की यहां पर बातें करना मैं समझता हूं उन के लिये ठीक नहीं है। जैसा वह कहते हैं मुझे Amendment Act लाने की ज़रूरत नहीं है मैं इस के मुताल्लिक Notification कर सकता हूं। फिर जनाबे वाला चौधरी बलबीर सिंह जी अपनी बात को मनवाने के लिये बड़ा ज़ोर से बोलते हैं और डराते हैं मैं इन के बोलने से घबराता नहीं लेकिन जब हाथ फैला फैला कर बातें करते हैं फिर मैं डरता हूं। मैं उन को आज से नहीं जानता बल्कि आज से 25—30 साल पहले से जानता हूं, वह मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, मैं उन की बातों

2. 00 p.m.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

से भी डरता हूं और उन के हाथों से भी डरता हूं। (*Interruption*) एक बात उन्होंने और कही कि वह Revenue जमा कराते हैं। मगर जो tax collect करते हैं उन को पंचोतरा (हिस्सा) मिलता है। जब हिस्सा मिलता है इस का तो हिसाब देना ही चाहिये। नम्बरदार ढ़ाल इकट्ठी करते हैं, पटवारी भी करते है उस का उन को पंचोतरा मिलता है। इसी तरह से जो व्योपारी tax collect करते हैं उस का भी उन को पंचोतरा दिया जाता है। मैं इन से लड़ाई नहीं लेना चाहता। हम ने उन को अख्तियार दिया है कि वह उन सारे तरीकों का इस्तेमाल करें। अगर यह वसूल करके कहें कि हम tax नहीं देंगे यह कैसे हो सकता है अगर tax नहीं देना तो इन को चाहिये कि वह वसूल भी ना करें। जब सरकार के लिए tax वसूल हुआ है तो वह तो सरकार की अमानत है। चाहे किसी भी वजूहात से नहीं देते मगर जो वसूल हुआ वह तो सरकार को देने के लिये ही हुआ अगर वह नहीं देना चाहते तो वसूल ही न करें। यह एक कायदे और कानून की बात है कि आखिर वह तो सरकार की अमानत है, जब व्योपार में लेन देन है तो वह भी क्यों न दें, यह हमारा हक हो जाता है। आज सवाल यह आता है कि आप इतनी सख्ती क्यों करते हैं इस सख्ती के लिये मैं पहले जवाब दे चुका हूं और वाजह तौर पर दे चुका हूं। अगर हिसाब किताब ठीक है तो उस के मुताबिक ही tax लगना है उसे क्या डर हो सकता है Taxation Officers या उन के staff से। मुझे यह बात समझ नहीं आई कि इन को इस से क्या डर है और वह क्यों रिशवत देंगे जब कि सारी बात clear है और फिर यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट में writs होंगी यह मैं नहीं समझ सका। अगर कोई आदमी किसी की गवाही देना चाहता है किसी दूसरे आदमी को बुलाकर तो उसे ऐसा करने का पूरा अख्तियार है। वह सारा अख्तियार हम को मिल जाता है हम उसे call भी कर सकते हैं, कैद भी कर सकते है। यह अख्तियार इस लिये लिया कि बहुत सारे cases police के पास पड़े रहते हैं। इन cases को dispose of करने के लिये Assistant Commissioner appoint किया गया है वह अब देर नहीं करेंगे। एक चीज़ और कही गई है कि किताबों के लिये कोई time नहीं रखा गया। और ठीक है, इसमें किताबों के लिए टाइम नहीं रखा। लेकिन यह हिदायत तो मौजूद है कि चीज़ को जल्दी करना है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ मेरी knowledge में आएगी तो मैं inquiry करूंगा और शिकायत करने वालों को मौका दूंगा कि वह साबित करें। साबित होने पर action लूंगा और अगर वह साबित नहीं कर सकते तो उन्हें इस बात के लिये तैयार रहना चाहिए कि उन्होंने जो ग़लत बयानी की है उसकी सज़ा मिले। मैं तो चाहता हूं कि अगर मेरे डिपार्टमैंट में कोई corruption है तो वह मैं दूर कर सकूं। लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप मेरी मदद करें। वैसे मैं समझता हूं कि corruption बढ़ेगी नहीं, अगर बढ़ेगी तो मेरी knowledge में आते ही, मैं बन्द कर दूंगा।

श्री राम प्यारा ने कहा कि trader पर तो सख्ती की जाती है लेकिन अफसर पर सख्ती नहीं की जाती। मेरी समझ में उनकी यह बात आती नहीं। जब एक अफसर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]
कायदे के मुताबिक काम करता जाता है तो हम सख्ती कैसे कर सकते हैं। अगर वह कोई बेकायदगी करता है तो मुझे शिकायत लाओ, और अगर वह बात सच हुई तो मैं, ज़रूर सख्ती करूंगा और उसके खिलाफ suitable action लूंगा। और यह action हम इनके कहे बगैर लेते रहते हैं। हम हर तरीके से चाहते हैं कि फैसले जल्दी हों क्योंकि फैसला न होने की सूरत में large amount arrear में पड़ा रहता है जिससे सरकार को नुक्सान होता है। हमारी कोशिश के बावजूद भी अपील वाले cases में देर ज़रूर लग जाती है क्योंकि हिसाब की चांच करनी पड़ती है। लेकिन हम देर को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं।

एक तजवीज़ टंडन साहिब ने पेश की है कि purchase tax की बजाए excise tax क्यों नहीं लगा देते? मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि excise tax, sales tax की जगह लगता है, purchase tax की जगह नहीं लगता। और जिन चीज़ों पर गवर्नमेंट आफ इंडिया excise duty लगा देती है, States उन पर से sales tax हटा देती हैं। अब भी हमारी Union के Finance Minister इस बात की कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों पर excise duty लगा सकते हैं उन पर लगा दें ताकि sales tax हट जाए। और हमारे लिये यह एक अच्छी बात हो जाती है, अगर excise duty लग जाती है। इससे हमारी सिरदर्दी हट जाती है। अब Union Finance Minister इस बात पर सोच रहे हैं लेकिन उससे sales tax हटेगा Purchase tax नहीं हटेगा। लेकिन टंडन साहिब ने तो पुरानी Unionist Government की बात कह दी कि उस वक्त 4 आना था और अब 4 रुपए सैंकड़ा टैक्स कर दिया (*Interruptions*) अब हम ने जो तीन चीज़ें रक्खी हैं वह इस लिये कि कुछ export होती है उस पर tax ले सकें। और अब तक तो यह महसूस होता है कि यह तीनों चीज़ें रहेंगी जब तक excise duty का फैसला नहीं होता।

अब एक बात रह जाती है कि evasion of payment of tax के जो लफ्ज़ रक्खे हैं, उनके dictionary मायनी क्या हैं? बतलाता हूं कि एक तो evasion वह है जो कि trader हिसाब नहीं देते यानी हिसाब न देना evasion है। एक वह है जो कि collect तो कर लेता है लेकिन उतना हिसाब नहीं देता जितना इकट्ठा करता है। अब मैं समझता हूं कि जितने एतराज़ात उठाए गये हैं, मैं ने उनका सबका जवाब कल भी और आज भी दे दिया है इस लिये स्पीकर साहिब, आपकी विसातत से हाउस से उम्मीद करूंगा कि यह इस बिल को पास करे।

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

"After ascertaining the votes of the House by voices. Mr. Speaker said, I think the Ayes have it." This opinion was challenged. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

THE PUNJAB MOTOR SPIRIT (TAXATION OF SALES) (AMENDMENT) BILL, 1960

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to introduce the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

> That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) *B*ill, be taken into consideration atonce.

जनाब स्पीकर साहिब, तमाम हिन्दुस्तान में metric system जारी हुआ है और यह 1st April 1960 से जारी है। लेकिन petrol में अभी तक हम यह चीज़ नहीं लाए थे। इस लिए मैं यह एक छोटा सा Bill लाया हूं। मैं House को बताना चाहता हूं कि एक gallon में 4.546 लिटर होते हैं जिस पर 30 नए पैसे tax है। 30 नए पैसे के हिसाब से एक लिटर पर 6.59 नए पैसे tax बनता है। लेकिन चूंकि fraction नहीं रह सकती इस लिए हम ने सात नए पैसा का tax तजवीज़ किया है और पंजाब Government ऐसा कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि House इस को पास करेगा।

Mr. Speaker : Motion moved —

> That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill, be taken into consideration atonce.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, यह जो Bill लाया गया है यह बहुत defective है। इस की clause 2 के अन्दर कहा गया है it shall come into force from 1st April, 1960 मैं पूछना चाहता हूं कि यह Bill 1st April, 1960 से कैसे लागू हो सकता है जब कि petrol वालों ने लिटर नहीं रखे और उस के मुताबिक काम नहीं किया। मैं इस बात को मान लेता अगर यह Bill 1st April, 1960 को छपा हुआ होता। यह 21st April, 1960 को छपा था। यह बहुत भारी गलती है। Law Department वालों की तरफ से अगर इस में 'atonce' का लफ्ज़ होता तो फिर यह ठीक था। तो यह इस में बड़ा भारी defect है। जो Punjab Motor Spirit का कानून है उस के अन्दर penal clause है कि अगर कोई rules न माने तो उसे सज़ा हो सकती है। इस लिए मैं समझता हूं कि जो इतने दिन गुज़र चुके हैं इन दिनों में उन के पास लिटर वगैरह कुछ नहीं था और इस बात पर उन को सज़ा हो सकती है।

इस के इलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि कल यहां पर Stamp Act पास हुआ था। उस में वज़ीर साहिब ने 6 नए पैसे की बजाए 10 नए पैसे किया था और कहा था कि वैसे हिसाब ठीक नहीं हो सकता। अब यहां पर इन्होंने सात नए पैसे कर दिया है। अब हिसाब कैसे ठीक रहेगा। यहां पर इन

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]
को पांच नए पैसे करना चाहिए था। यह भी इस में नुक्स है। इस के इलावा उन्होंने कहा है कि सात पैसे करने से थोड़ा सा बढ़ेगा और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं वज़ीर साहिब गरीबों पर tax लगाने के लिए तुले हुए हैं। यह tax ज्यादा तर ठेले चलाने वालों पर लगेगा। ज्यादा न कहता हुआ मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि इस में कुछ limit लगानी चाहिए कि जिन के पास कारें हैं उन को tax लगेगा और दूसरों पर नहीं लगेगा। इन अलफाज़ के साथ मैं बड़े ज़ोर से इस Bill की मुखालिफत करता हूं और वज़ीर साहिब से कहूंगा कि जो इस में defects मैं ने point out किए हैं वह दूर होने चाहिएं।

(*Some hon. Members rose to speak.*)

Mr. Speaker : I think, there is no need of any more discussion on this Bill.

वित्त मंत्री (डा० गोपी चन्द भार्गव) : स्पीकर साहिब, जब तक यह consider नहीं होगा तब तक defects दूर नहीं हो सकते और शायद उन के पास amendment पहुंच चुकी है और लफ्ज़ 'atonce' उस में लिखा हुआ है। इस लिए उन्होंने anticipate कर के कह दिया है कि atonce का लफ्ज़ इस में होना चाहिए। इस के लिए तो पहले ही amendment मौजूद है। चौधरी साहिब को एतराज़ तो नहीं था। लेकिन चूंकि मैं ने यह Bill पेश किया है इस लिए वह बोलने के लिए बोले हैं। दूसरी बात कही है कि 7 नए पैसे क्यों लगाया। उस की reason मैं ने पहले ही बता दी है कि चूंकि 6.59 नए पैसे बनते थे इस लिए हम ने 7 नए पैसे कर दिया है।

Mr. Speaker : Question is –

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1.

Shri Nihal Singh (Mohendargarh): Sir, I beg to move—

In sub-clause (2) for "on the 1st April, 1960" substitute "at once"

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-clause (2) for " on the 1st April, 1960" substitute "at once" .

Mr. Speaker : Question is

In Sub-clause (2) for 'on the 1st April, 1960' substitute "at once"

The motion was carried.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of clause 1, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2, SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1, AND THE TITLE.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, Sub-Clause (1) of Clause 1, and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Motor Spirit (Taxation of Sales) (Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 1960.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to introduce the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once.

जनाबेवाला, इस में मैं ने लिखा भी है कि हम ने cotton पर purchase tax लगाया हुआ था लेकिन High Court ने कह दिया कि purchase and sales tax cannot simultaneously be levied on unginned or ginned cotton तो उन आदमियों ने जिन्हों ने कि जिन से यह टैक्स का रुपया लेना था उनको मालूम था कि हम ने यह रुपया वसूल करना है और उन्होंने उस तरीके से growers से उसे वसूल कर लिया लेकिन जिस वक्त हमें देने का सवाल आया तो हाई कोर्ट के ruling का सहारा लेते हैं। इस लिए मैं समझता हूं कि जब उन्होंने वसूल कर लिया है और इस नजरिए से कि गवर्नमैंट को pay करना था तो वह गवर्नमैंट को मिलना चाहिए। इसी मकसद के लिए यह बिल लाया गया है।

Mr. Spearker : Motion moved—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर, पूर्व) : स्पीकर साहिब, यह जो बिल हाउस के सामने आया है इसे पेश करते हुए मन्त्री जी ने बताया है कि जो टैक्स dealers ने वसूल कर लिया है उसे सरकार उन से वसूल नहीं कर सकी है और अब उसे लेने के लिए सरकार ने यह बिल रखा है। स्पीकर साहिब ज़ाहरा देखने में यह बिल जितना मामूली और innocent दिखाई देता है उतना नहीं है और position दरअसल यह नहीं है जो बताई गई है। जिस वक्त cotton पर purchase tax लगा तो cotton के जो व्योपारी थे उन्होंने उसी वक्त सरकार को बताया कि यह नाजायज़ है, उन्होंने उसी वक्त से इस बारे में सरकार से बातचीत शुरू की और deputation की शक्ल में भी मिले कि यह नहीं होना चाहिए मगर जब बात न सुनी गई तो वह हाई कोर्ट में गए। इस लिए यह कहना कि उन्होंने purchase tax वसूल कर लिया यह गलत है और किसी से कोई purchase tax नहीं लिया क्योंकि वह तो शुरू से ही इसे नाजायज़ बताते आ रहे थे। फिर आप देखें कि एक फैक्ट्री के अन्दर अगर कोई व्योपारी रूई ले कर आता है तो purchase tax factory वाले ने देना है लेना नहीं है। लेकिन सरकार कहती है कि dealer ने purchase tax इक्ट्ठा कर लिया है इस लिए सरकार उस को लेगी मगर उन्होंने लिया ही नहीं है। उन्होंने जब देखा कि यह नाजायज़ टैक्स लगाया गया है तभी उन्होंने सरकार से बातचीत चला दी और उन्होंने purchase tax के नाम से कोई रकम वसूल करके अपने हिसाब में नहीं रखी हुई है। अब जब व्योपारी High Court के अन्दर case जीत जाते हैं कि यह टैक्स नाजायज़ है तो हमारी यह सरकार दूसरा तरीका टैक्स वसूल करने का निकाल लाई है। स्पीकर साहिब, हमारे पास, असैम्बली के पास और हमारी इस सरकार के पास ताक्त है कि जो चाहे पास कर ले लेकिन व्योपारियों के पास कोई ताक्त नहीं है और उनके पास High Court की ही ताक्त थी। वह वहां गए और High Court ने यह फैसला दिया कि purchase tax नहीं लग सकता है। इस फैसले के बाद भी अगर हमारी सरकार purchase tax वसूल करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि यह legislative power का सब से बड़ा misuse है। अगर सरकार ने गलती की और ऐसा टैक्स लगा दिया जो नहीं लगना चाहिए था और व्योपारी High Court में जाकर जीत गए कि सरकार ने गलत चीज़ की है और उस गलती को दरुस्त कराया है तो अब फिर उसी चीज़ को व्योपारियों के नुक्सान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बजाए इस के कि सरसकार यह बात मानती कि हम से गलती हुई है और हम वसूल नहीं करेंगे यह Amending Bill ला कर उसे वसूल करना चाहती है और इस टैक्स को पिछले दो साल से यानी 1st October, 1958 से collect करने का provision किया गया है। इस में एक बात और है। High Court ने यह फैसला भी दिया कि unginned और ginned cotton एक ही चीज़ है और यह दो अलैहदा अलैहदा चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई unginned cotton लेता है और फिर ginned करता है तो वह कोई नई चीज़ पैदा नहीं होती है एक ही रहती है। Purchase tax

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

जो हमारी सरकार लेती है वह उन चीज़ों पर लेती है जो चीज़ें कि raw materials हैं और आगे कोई नई चीज़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जब High Court ने यह फैसला दे दिया है कि जिस से नई चीज़ नहीं बनती है उस पर purchase tax नहीं लग सकता है तो यह clause 2(1) में amendment ला रहे हैं और वसूल करना चाहते हैं। पहले यह बात रखी थी कि " the acquisition of goods" लेकिन उस में अब यह किया जा रहा है कि " the acquisition of unginned cotton for ginning or the acquisition of other goods " यह जो unginned cotton है उसकी acquisition को भी शामिल कर रहे हैं और लफ्ज़ों की हेराफेरी से टैक्स लगा रहे हैं हालांकि ginning से कोई नई चीज़ तैयार नहीं होती है। स्पीकर साहिब, अगर मान लिया जाए कि सरकार ने टैक्स लेना है तो वह आगे से और काशन लागू कर दे लेकिन यह तो पिछले दो साल का भी वसूल कर रहे हैं जो कि नाजायज़ करार हो चुका है और व्योपारियों ने किसी से वसूल नहीं किया है। यह ठीक है कि सरकार के पास power है और वह High Court में हार कर भी amendment करके टैक्स ले सकती है लेकिन सरकार ने जो गलती की है जिसे व्योपारियों ने High Court में जा कर उसे नाजायज़ करार दिलवाया है उस के बाद अब सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं रह जाता कि फिर दोनों चीज़ों पर टैक्स ले ले। यह गलत चीज़ होगी।

श्री अध्यक्ष: जो वह टैक्स के तौर पर वसूल कर चुके हैं वही उन्होंने सरकार को देना है। (They have to pay to the Government what they have already realised by way of tax.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश: आप बताएं कि किस से वसूल किया है। यह गलत कह रहे हैं किसी ने किसी से वसूल नहीं किया है ......

वित्त मंत्री: मैं ठीक कहता हूं।

डाक्टर बलदेव प्रकाश: यह गलत है dealer ने किसी से वसूल नहीं किया है। आप देखें कि फर्ज़ करो मेरे पास रूई की 10 हज़ार गांठें हैं। सरकार मुझ से उनका purchase tax लेगी लेकिन मैं ने तो किसी से purchase tax नहीं लेना है। यह किसी से वसूल नहीं होता है और व्योपारी अपने पास से इसे देता है। इसी चीज़ को लेकर तो वह High Court में गए कि जब हम sales tax देते हैं तो हम पर purchase tax नहीं लगना चाहिए High Court ने भी इस बात को माना कि ठीक है कि purchase tax नहीं लग सकता है ।

वित्त मन्त्री: आपने Judgement नहीं पढ़ी है।

डाक्टर बलदेव प्रकाश। HighCourt ने भी इस बात को माना है और purchase tax हटा दिया है मगर यह सब 1958 से purchase tax वसूल करने लगे हैं। मैं ने Judgement पढ़ी है और आप ही उस Judgement को इस

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]
amendment के ज़रिए over ride कर रहे हैं। यह कलाज़ में साफ लिखा है कि :

"Notwith standing any judgement decree or order of any court......"

इस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि Judgement चाहे जो भी हुई है उसका इस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस का मतलब है कि Judgement हमारी सरकार के विरुद्ध हुई है और उसके मुताबिक यह नहीं ले सकते हैं।

Mr. Speaker : It is given in the statement of objects and reasons that :

"........Since these cotton dealers have actually taken into account the payment of........

डाक्टर बलदेव प्रकाश : जनाब मैं भी तो यही बताता हूं कि यह जो statement है इस में यह लिखा है कि :

"........Since these cotton dealers have actually taken into account the payment of this tax in their own transactions........"

यानी dealers ने अपनी transactions के अन्दर इस tax का account ले लिया है इस लिए यह अब उनसे वसूल करना चाहिए। यह बात गलत है। Dealers तो पहले से कह रहे हैं कि यह टैक्स नाजायज़ है और इसी चीज़ को लेकर तो वह High Court में गए।

Mr. Speaker : They must have kept accounts of those transactions.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, असलियत यह है कि कोई account नहीं रखा और न ही किसी से कुछ वसूल किया बल्कि शुरू से ही सरकार के पास deputations आते रहे कि यह नाजायज़ है। सरकार ने Taxation Advisory Committee बनाई हुई है उसका मैं मैम्बर हूं। उस में भी हम ने डाक्टर साहिब के सामने यह मामला रखा था कि purchase tax जो व्योपारियों पर लगाया हुआ है उसे वह कहते हैं कि हम ने नहीं देना है और यह झगड़ा चल रहा है।

Minister for Finance : On a point of Order, Sir. The hon. Member cannot disclose what is happening in the Advisory Committee. Will you also allow me to disclose what has happened there ?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : असलियत यह है कि यह suspense का period था और इस वक्त में कोई बात गवर्नमैंट की तरफ से definite नहीं थी कि purchase tax लगेगा या हटेगा। इस लिए व्योपारियों ने अपने रजिस्टर में अलग show नहीं किया। इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के decision के बाद सरकार को अपनी हार मान जानी चाहिए थी और एक गलती को छुपाने के लिए उसी तरह के और गलत इकदाम नहीं करने चाहिए। मैं समझता हूं कि हाई

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

कोर्ट के decision के बाद ऐसी बात करना flagrant misuse of Legislative power है और अगर इस तरह से व्योपारियों को कुचलने का प्रयत्न किया जाय और पिछले दो साल की वसूली की जाय तो यह एक गलत और undemocratic बात है।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ Purchase Tax ਜੋ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ producer ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਉਪਾਰੀ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤ, ਸੌਕਾ ਔਰ 2 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1958-59 ਔਰ 1959-60 ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ purchase tax ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢਣ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ welfare ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਉਪਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ proceedings ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Schedule 'C' ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 items purchase tax ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ cotton ਦੂਜੀ oilseeds, ਤੀਜੀ iron. Iron ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤੁਅੱਲਕ cotton ਔਰ oilseeds ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ producers ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫੇਰ move ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਣ।

चौधरी बालू राम बन्थ (आनन्दपुर) : स्पीकर साहिब, डाक्टर साहिब ने यह जो बिल रखा है मेरी समझ में इस से ज्यादा नाजायज़ बिल हो ही नहीं सकता। जब पहिले Sales Tax Amendment बिल पेश हुआ था तो दीवाना साहिब को साथ लेकर हम ने डाक्टर साहिब से बात की थी और फिर डाक्टर साहिब ने इस को consider किया, महकमा वालों ने भी consider किया और कपास पर से purchase tax उस शक्ल में तो हट गया, और दो दफा tax लगने की गुंजायश नहीं रही। यह relief तो ज़मीदारों और व्यापारियों को मिल गया लेकिन यह किसी को मालूम नहीं था कि एक और ऐसा बिल आने वाला है जो व्योपारियों के खिलाफ नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया जायगा। स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि ऐसा

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी बालु राम बन्ध]

offending Bill लाना Constitution के अनुकूल बात नहीं है। इस लिए बिल के statement of objects and reasons में लिखा है.

> "The Punjab High Court have decided in Civil Writ No. 359 of 1959 that the purchase and sales tax cannot simultaneously be levied on unginned or ginned cotton because both remain the same commodity. Since these cotton dealers have actually taken into account the payment of this tax in their own transactions, it is undesirable to let them retain that advantage. The State Exchequer should realise that tax, as it would cause no hardship to the dealers concerned since they knew of their liability and have actually been allowed for it."

इन का object यह है कि व्यापारियों ने यह टैक्स ले लिया और गवर्नमैंट को नहीं दिया। मैं यह समझता हूं कि यह गलती गवर्नमैंट की थी व्यापारियों ने किसी से टैक्स वसूल नहीं किया। यह टैक्स नहीं लगा सकते। व्यापारी जानते थे कि ginned भी cotton रहती है unginned भी cotton ही होती है, ginning होने से manufacturing नहीं होती। इस चीज़ को हरेक समझदार व्यापारी जानता था और समझता था इस लिए व्यापारियों ने writ गवर्नमैंट के खिलाफ कर दी। उस पर हाई कोर्ट ने writ मन्ज़ूर करते हुए 34 page का decision लिखा जो कि माने हुए उच्चकोटि के न्यायाधीश चीफ जस्टिस और जस्टिस श्री टेकचन्ड के bench ने फैसला किया था। जिस में बहुत सी मिसालें देकर यह सिद्ध किया कि ginning manufacture नहीं है और गवर्नमैंट इस पर purchase टैक्स नहीं लगा सकती। मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि यह बिल पास करना गलती है और अगर यह एक्ट बन गया तो यह कायम नहीं रह सकता। मैं ने अफसरान को समझाने की कोशिश की है और डाक्टर साहिब के साथ भी इस बारे में बात की थी लेकिन मुझे अफसोस है कि बातों को समझने की कोशिश नहीं की जाती।

मैं समझता हूं कि व्यापारियों को बेईमान कहते चले जाना और उन के खिलाफ तो बोलते जाना अच्छा नहीं है। यह तो वैसी बात है कि एक आदमी चार पैसे का सौदा लेने गया और दुकानदार ने उसे वह सौदा भी दे दिया और भूल से पैसे भी बीच में डाल दिए। वह शख्स घर आकर कहने लगा कि दुकानदार ने इस में भी कुछ कमाया होगा।

यह ऐसी tendency हो गई है जो मैं समझता हूं कि बड़ी खतरनाक है। हां अगर कोई व्योपारी tax evasion करते हैं तो ज़रूर उन से टैक्स वसूल करना चाहिये। जो व्योपारी बईमानी करते हैं उन का हिसाब किताब ज़रूर check करना चाहिये लेकिन जो कानून के अन्दर रह कर काम करते हैं उन को एक जैसा गिनना ठीक नहीं। यदि किसी ने आपके गलत बनाए हुए कानून का फायदा उठाया है तो उसको अब आप penalise नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का फैसला है कि आप उन से टैक्स नहीं ले सकते। महकमे वालों को यह मालूम नहीं था कि ginned और unginned cotton क्या होती है। वह लोग खुद नहीं समझते थे। उन्होंने सिर्फ यह हिसाब लगाया कि इतना sales tax बन जाएगा। लेकिन उन की गलती में व्योपारी फायदा

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

क्यों न उठाए। लेकिन यह गलत है कि व्योपारियों ने किसी से टैक्स वसूल किया है। यह एक ऐसा बिल है जो Act नहीं बन सकता और न इस में कामयाबी हो सकती है। डाक्टर साहिब से अर्ज़ करूंगा कि आगे वास्ते तो जो बिल बना है उस पर इनसाफ के साथ अमल करें तो टैक्स वसूल कर सकेंगे मगर इस validation Bill को पास करके टैक्स वसूल करना बिल्कुल नाजायज़ है यह तो किसी के व्योपार में से हिस्सा लेने वाली बात है। अगर कोई व्योपार करता है और उस में मुनाफा कमाता है तो उसे income tax देना ही पड़ता है। लेकिन अब sales tax या purchase tax पिछला व्योपारियों से वसूल करना चाहें तो मैं समझता हूं कि नहीं करना चाहिए और न कर सकते हैं। इस लिये मैं डाक्टर साहिब से बेनती करूंगा कि इस बिल को वापस लें।

चौधरी धर्म सिंह राठी (संभालका) : स्पीकर साहिब, कई दिनों से यह बिल हमारे पास आया हुआ है। इस किस्म के बिल हाउस के सामने लाये जा रहे हैं जिन पर हाई कोर्ट ने गवर्नमैंट के बनाए हुए rules *ultra vires* करार दिये हैं। उन्हें validate करने के लिये इस किस्म के बिल हाउस में पेश किये जा रहे हैं। जब किसी बिल पर बहस मुबाहसा होता है तो यहां बार बार कहा जाता है कि यह बिल illegal, *ultra vires* और Constitution के खिलाफ है लेकिन हमारी आवाज़ से गवर्नमैंट के कानों पर जूं तक नहीं रींगती और फिर भी गवर्नमैंट आये दिन हाउस के सामने defective Bills पेश कर देती है। क्या करें गवर्नमैंट Legal Remembrancer को कहती है कि शाम तक bill draft हो जाये और draft होने के बाद सुबह हाउस में introduce कर दिया जाता है। फिर गवर्नमैंट की मन्शा होती है कि उस पर अच्छी तरह से ग़ौर किये बगैर जल्दी से पास कर दिया जाए। जब ऐसे कानून को High Court या Supreme Court में challenge किया जाता है तो उन के फैसलों से गवर्नमैंट के होश ठिकाने आते हैं जब उन के मूंह पर चपत लगती है। अब भी इस बिल के मुताल्लिक कह रहे हैं कि यह बिल illegal है लेकिन हमारी गवर्नमैंट नहीं मान रही। लेकिन जब यह बिल Supreme Court में challenge होगा तो फिर गवर्नमैंट को पता लगेगा और यह फिर कहेंगे कि इसे किसी और तरीके से पास करो। High Court या Supreme Court के फैसलों को गवर्नमैंट को sportsman spirit में लेना चाहिये लेकिन हमारी गवर्नमैंट फिर vindictive attitude अख्तियार करती है और कहती है कि हमारे कानून को High Court में challenge किया गया है इस लिये हम इस के फैसले को रद करवा के छोड़ेंगे। इस कानून को अब validate करके सरकार दोबारा sales tax दुकानदारों से वसूल करना चाहती है। चौधरी बारू राम ने बतलाया है कि इस टैक्स को collect करने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन डाक्टर साहिब ने इस बिल में provision कर दिया है कि 31-3-1960 तक वसूल कर लेंगे। यह बिल्कुल ग़लत बात है और illegal है। इखलाकी तौर पर भी यह गैर मुनासिब बात है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि जम्हूरियत का तकाजा है कि Judiciary की परवाह की

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]
जाए, दूसरी तरफ Judiciary की यह इज़्ज़त की जाती है। यह गवर्नमैंट किसी कोर्ट की कोई परवाह नहीं करती यह बिल में लिखते हैं --

Notwithstanding any Judgement decree or order of any court.

स्पीकर साहिब, इन्हें किसी court की परवाह नहीं। यह गवर्नमैंट ऐसी रिवायात कायम करने चली है। फिर कहते हैं कि Democracy में Judiciary की कदर होनी चाहिये। इन अलफ़ाज के साथ मैं इस बिल की पूरे जोर मुखालिफत करता हूं। मैं हाउस से दरखास्त करूंगा कि इस बिल को validate न किया जाये।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ validating Bill ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Beopari phohia ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ contradiction ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ protest ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

श्री अध्यक्ष : जब डाकटर साहब बोलेंगे तो वह contradict कर देंगे। (When Doctor Sahib rises to speak, he will contradict it.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ landlords ਸਨ Unionist Government ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ।

3 p. m.

Mr. Speaker : The hon. Member should not cast such aspersions on the floor of the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ, British Government ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦੇਹਾਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਘੁੱਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ traders ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਹੈ । ਅਸਾਂ point out ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭੋਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ

वित्त मंत्री : मैं इतना shrewd नहीं हूं जितने कि आप हैं ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ।

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ double taxation ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚਾਰ ਆਨੇ ਤੋਂ 3-2-0 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ।

Minister for Finance : On a point of order, Sir. The hon. Member is not relevant. He should be asked to be relevant.

Mr. Speaker : I will not allow the hon. Member to be irrelevant.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ relevant ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਚਾਰ ਆਨੇ ਤੋਂ 3-2-0 ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ double tax ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ .....

Mr. Speaker: How is it relevant please ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ validate ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ double ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ । Ginned ਅਤੇ unginned cotton ਉਪਰ ਦੋ ਬਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਬਾਲੂ ਰਾਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ affect ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ explain ਕੀਤਾ ਹੈ । High Court ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ purchase tax ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ sales tax ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ validate ਕਰਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਵਪਾਰੀ ਜੇਕਰ 4 ਆਨੇ ਤੋਂ 3-2-0 ਮੰਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ double taxation ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ double taxation ਹੈ । ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਅਤੇ industry ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਾਂ । Manufacture tax ਲਗਣਾ ਸੀ, purchase tax ਲਗਣਾ ਸੀ ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਕੇ, gin ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਸੀ । ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ growers ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

Growers ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ sales tax ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ purchase tax ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਟੈਕਸ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਰਕ ਸਕਦੇ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਏਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈ ਚੁਕੇ ਸਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ process ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸੀ । ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ cotton ਦੀ price ਜਿਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰ ਦਿਉ । ਇਹ international commodity ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਭਾ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਉਪਰ depend ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਭਾ locally affect ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ America ਨਾਲ ਹੈ । ਇਹ international trade ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਕਮ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ। Validate ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । Bill ਦੇ Objects and Reasons ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

> "....the aforesaid amendments were not in force during the aforesaid period or that such taxes could not be validly levied or collected for that period in accordance with law".

ਇਹ amendment ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ validate ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ High Court ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ democracy ਅਤੇ Judiciary ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਜਾਏਗਾ । Majority ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ minority ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ rule ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਪਰ ਠੋਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ validating Bill ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ judgement ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ :

> "A taxing statute must be construed strictly and if an assessee gets an advantage which the legislature may not have intended, the court should not deprive him of that advantage."

ਇਹ High Court ਦੀ judgement ਹੈ । Original ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ । ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ assessee ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ court deprive ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ Opposition ਕੁਝ ਏਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ । ਜਿਹੜੇ ਏਤਰਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ courts ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਤਰਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਸਨ ਅਤੇ ਗੋਰਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਆਇੰਦਾ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : स्पीकर साहिब, मैं ने दो बातें अर्ज़ करनी हैं। एक तो High Court की judgement की बाबत । Judgement को लेकर, हमने जो purchase tax का Act पास किया था, उसको criticise किया गया है। मैं अर्ज़ करता हूँ कि जिस वक्त ginners ने writ petition दाखिल की थी उस वक्त और भी कई manufacturers ने writs दाखिल की थीं। सब की writs नामंजूर हुईं। सिर्फ ginners की मंजूर हुई। वह इस बिना पर हुई कि ginning को manufacturing process नहीं माना गया। Unginned और ginned cotton में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ इसी point पर writ petition मंजूर हुई। दूसरी बात यह है कि High Court की Judgement को House के अन्दर criticise करने का मुझको कोई हक हासिल नहीं है। क्योंकि अगर मुझको उस पर कोई एतराज़ हो तो मैं उसके लिए Supreme Court में अपील कर सकता हूँ। यहां मैं उसको criticise नहीं कर सकता। लेकिन जो facts बयान किए गए हैं वही अर्ज करूंगा। Ginning को manufacturing process नहीं माना, इस लिए यह बिल लाए हैं। यह ठीक है कि उनका हुक्म है, हम को उस पर अमल करना है लेकिन हमको यह अख्तियार है कि हम यह बताएं कि हमारा मुद्दा यह नहीं था। यह भी ठीक है कि वह व्यापारियों की बात लेना चाहें कि उन्होंने यह tax वसूल नहीं किया होगा क्योंकि यह purchase tax लगता manufacturing stage पर है। Manufacturer को अगर manufacturer ही माना जाए और व्यापारी को व्यापारी तो क्या manufacturer उस हिसाब से व्यापारी नहीं है कि जो कपास खरीदी वह ginners ने खरीदी और यह हिसाब लगा कर खरीदी कि उनको कितना चुकता पड़ता है और सारी बातों का हिसाब लगा कर 2 फी सदी tax का हिसाब लगा कर growers से उस कीमत पर खरीद की और इस tax की कटौती करके उनको payment की? इस लिए मैं कहता हूं कि ginners ने उस रुपए को वसूल किया और वसूल करके अपने पास रखा। अब वह High Court के इस फैसला से फायदा उठाना चाहते हैं। और यह कहना चाहते हैं कि हमने tax तो लिया नहीं, आप कैसे इस tax की रकम को मांगेंगे? स्पीकर साहिब, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, उन्होंने वसूल तो किया है, लेकिन अब उसे अपने पास इस बहाने से रखना चाहते हैं। स्पीकर साहिब उनको मालूम था। इस सिलसिले में यह सवाल यहां पर आया। इस House में growers ने, और Opposition वालों ने किया था लेकिन Council के अन्दर जो ginners हैं उन्होंने objection किया था और मैंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि ginning को नहीं लेना चाहिए लेकिन जो दीवाना साहिब ने objection किया कि growers से वसूल करते हैं, उस वक्त नहीं कहा था कि वसूल नहीं करेंगे। बल्कि उन्होंने कहा था कि इस पर लगना नहीं चाहिए।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

बहर हाल जब growers से मंडियों में इन्होंने cotton खरीदी उस वक्त यह हिसाब कर लिया था कि 2 फी सदी tax लगा कर देना पड़ेगा। इस लिए उन्होंने growers को कम पैसे दिए।

अब सवाल यह आया कि क्या हम validating Bill ला सकते हैं या नहीं। मैं मानता हूं कि मैं वकील नहीं हूं लेकिन मैं ने उन वकीलों की राए ली है जो कि इस तरह के cases करते हैं और जो मेरे ख्याल में राठी साहिब से, जिन्होंने एतराज़ उठाया है, ज्यादा काबल हैं, ज्यादा लायक हैं। उन्होंने हम को राए दी है कि हम validating Bill ला सकते हैं, इस लिए मैं यह validating Bill लाया हूँ। मैं file भी अपने साथ लाया हूँ जिस पर Legal Remembrancer ने लिखा है, Advocate General ने मशविरा दिया है कि यह बिल ठीक है और हम इसको ला सकते हैं। वह उनसे ज्यादा लायक हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : इन की लियाकत बुरी नहीं अच्छी है अपने लिहाज़ से यह भी अच्छे हैं। (The ability of Shri Rathi is not inferior. He is also capable at his own level.)

वित्त मंत्री : इस लिए मैं अर्ज़ करता हूं कि उनसे मशविरा करके ही मैं इस बिल को House के सामने लाया हूं। Central Sales Tax का हवाला दिया गया। जनाब उस वक्त यह नहीं था जब कि Central Sales Tax आया। वह पहली अक्तूबर को आया जिसमें यह बात थी कि cotton पर 2 फी सदी से ज्यादा नहीं लगा सकते और सिर्फ एक ही stage पर लगा सकते हो। उसके बाद यह बात आई है। यह हमने पहले ही फैसला कर लिया था। यह 1st October, 1958 को introduce हुआ। जो समझने की कोशिश न करें मैं उन को क्या समझाऊं? जो समझे ही नहीं वह क्या एतराज़ कर सकते हैं। मैं ने, स्पीकर साहिब, पहले ही अर्ज़ किया है कि जो एतराज़ किया गया है उसी सिलसिले में दूसरे industrialists ने भी writs कीं लेकिन उनकी यह writs reject हुईं। सिवाए ginners के और किसी की मंजूर नहीं हुई। और जो दूसरे हैं वह उसी तरह से tax देने के liable हैं। Ginners कहते हैं कि वसूल नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूं उन्होंने वसूल किया और अब इस judgement का सहारा लेकर उसे अपने पास रखना चाहते हैं। स्पीकर साहिब, High Court का मनशा यह कभी नहीं हो सकता कि किसी ने tax की रकम वसूल करके अपने पास रखी हुई हो और उनसे वह ली न जाए। यह writ 1959 में हुई। जिस वक्त writ की गई उस वक्त यह मायने नहीं थे कि वह ज़रुर मंजूर हो जाएगी, इस लिए tax वसूल न किया जाए। इस लिए जो रुपया growers से ginners ने वसूल किया है उसे उन से वसूल करने का अख्तियार लाज़मी तौर पर गवर्नमैंट को होना चाहिए।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSES 2 AND 3

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1 AND TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 and Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, be passed.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) . स्पीकर साहिब, मैं स्टेज पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ यही अर्ज़ करना काहता हूं कि यह किसी कदर भी दुरुस्त कदम नहीं है जो कि हमारी सरकार उठाने जा रही है। वजीर साहिब ने इस का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में Advocate General और Legal Remembrancer से मशविरा लिया था। यह कोई ऐसी बात नहीं है। स्पीकर साहिब, जब यह बिल पिछली बार यहां पर आया तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं ने, चौधरी बलबीर सिंह और दूसरे साहिबान ने कहा था कि यह provision unconstitutional है और इस तरह से यह टैक्स नहीं लगना चाहिए। उस वक्त भी साफ तौर पर यह बात यहां हाउस के अन्दर कही गई थी। लेकिन अब इन्होंने फरमाया है कि हम ने Advocate General से सलाह कर ली है, Legal Remembrancer से पूछ लिया है। जनाब स्पीकर साहिब तीन चार दिनों से जो कुछ हम देख रहे हैं, उन बातों से सब को पता लग गया है कि वह कितने काबिल हैं और कितने efficient हैं।

श्री अध्यक्ष : देखिए, आप ये अलफाज़ वापिस लें। यह आप उन पर reflection कर रहे हैं। (The hon. Member may please listen. He

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Mr. Speaker]
should withdraw these words. He is casting reflection on those officers.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, मैंने उन पर कोई reflection नहीं की। मैंने यही कहा है कि हम को पता है कि वह कितने काबिल हैं और कितने efficient हैं। मैं ने कब कहा है कि वह काबिल नहीं हैं? I have said nothing against him.

श्री अध्यक्ष : आप को पता है कि Advocate General इस हाउस का एक मैम्बर है। (The hon. Member knows that the Advocate-General is a Member of this House.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो कि उन के शान के खिलाफ जाती हो। मैं ने कोई unparliamentary बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष : आप उन पर reflection कर रहे थे। (He was making a reflection on him.)

Shri Dharam Singh Rathi : I assure you, Sir, that I have not made any reflection so far as the Advocate General is concerned.

एक और जवाब, हमारे मिनिस्टर साहिब ने दिया है कि उन्हें पता होना चाहिए था कि यह tax वसूल होना है इस लिये उन्हें यह वसूल करना चाहिये था। स्पीकर साहिब, इन का यह ground ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें तो यह यकीन था कि यह order कतई तौर पर गलत है और इसी वजह से High Court में यह challenge भी किया गया था। इस बिना पर कानून बनाना कि वह यह tax collect कर लें और क्योंकि उन्हों ने यह collect नहीं किया इस लिये वसूल कर लिया जाये यह ठीक नहीं है। इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि यह बिल पास न किया जाये।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ tax ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈਣ । ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ tax ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ Income Tax ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ as a whole ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ contradict ਕਰ ਸਕਣ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : इस बात को छोड़ें । (The hon. Member may leave this matter.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਸੇ class ਨੂੰ as a class ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ blame ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਕਿਸੇ class ਬਾਰੇ class ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ..(ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼)

श्री अध्यक्ष : अब आप तशरीफ रखिये । (The hon. Member should now resume his seat.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ class ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਇਕ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ।

श्री अध्यक्ष : अब आप तशरीफ रखिये । (Now the hon. Member should resume his seat.) (*Addressing Sardar Kartar Singh Dewana.*) दीवाना साहिब जब कोई stage बोलने की आती है तब तो आप उठते ही नहीं हैं और जब बोलने का वक्त नहीं होता है तब आप उठते हैं । मुझे आप पर बड़ा अफसोस है (The hon. Member may now resume his seat. (*Addressing Sardar Kartar Singh Dewana.*) It pains me to point out that he fails to rise to speak when there is an occasion for making a speech but he gets up to speak when the time is not opportune.)

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : On a point of personal explanation, Sir. मैं ने कभी किसी class को as a class blame नहीं किया बल्कि मैं तो कल भी कहता रहा हूं कि पंजाब में 48 हज़ार registered व्योपारी हैं उन में से अकसरीयत ऐसों की है जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं । पिछले बिल पर भी मैं ने यह कहा था कि यह harassment सिर्फ उन को होगी जो बेईमान हैं और तमाम व्योपारियों को यह harassment नहीं होगी ।

स्पीकर साहिब, हर एतराज़ के लिये जवाब देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन में से कुछ relevant होते हैं और कुछ irrelevant होते हैं । जो relevant एतराज़ किये गये हैं मैं ने उन का जवाब तो दे दिया है और जो irrelevant एतराज़ात किये गये हैं उन का जवाब मैं ने नहीं देना है ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ (ਬਰਨਾਲਾ) : On a point of personal explanation, Sir. ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਜਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ State ਵਿਚ ਬਹੁ ਸਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਨੇ । ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ State ਵਿਚ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ]
ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ personal explanation ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੀਸਰੀ reading ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਹੈ। (Is the hon. Member giving his personal explanation or speaking on the Bill? Ordinarily he has the right to make a speech at the 3rd reading of this Bill.)

Chaudhri Balbir Singh : On a point of order, Sir. The hon. Minister for Finance has already replied to the debate. He has stated that he has nothing more to say about the arguments advanced by the Members.

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ injustice ਵਪਾਰੀ ਸਜਨ market ਵਿਚ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬਈਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਜਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 6 ਆਨੇ ਫੀ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੁਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਨੇ 12 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ relevant ਕਰੋ। (If the hon. Member is making a speech, then he should be relevant.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ case register ਹੁੰਦੇ ਹਨ......

श्री अध्यक्ष : Order please. अब आप तशरीफ रखिये। (Now the hon. Member may please resume his seat.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ : ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਕਢ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। 22 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀ ਹੋ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ President ਹੋਣ ਦੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਿਹੇ ਹੋ । ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ grower ਹੋ । ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸੋਨਾ ਵਧ ਤੋਲਦੇ ਹਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 82 per cent ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਕੁਲ 18 per cent ਹੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) BILL, 1960, AS REPORTED BY THE REGIONAL COMMITTEES (RESUMPTION OF CONSIDERATION)

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill as reported by the Regional Committees. Chaudhri Lahri Singh was in possession of the House when it adjourned yesterday while discussing this Bill. He may resume his speech.

चौधरी लहरी सिंह (गनौर) : साहिबे सदर, यह जो पंचायतों का बिल आ रहा है इस को देखने से और पढ़ने से मालूम होता है कि हमारी गवर्नमैंट को और मिनिस्टरों को पंचायतों के असली हालात का पता ही नहीं लगा। आज हम देखते हैं कि गांव की वही हालत है जो अंग्रेज के वक्त थी। गांव की पंचायत का यह फर्ज़ होता है कि वह गांव की सफाई को देखे, वह वहां इस बात का इन्तज़ाम करे कि गांव के रास्तों की encroachment न हो। लेकिन मैं देखता हूं कि कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कूड़े के ढेर उसी तरह से आज भी न पड़े हों जैसे कि पंचायतों के बनने से पहले वहां पड़े रहा करते थे। इसी तरह से गांव में जो public places हैं उन की encroachment भी बाकायदा तौर पर अब भी हो रही है यहां तक कि रास्ते भी ठीक तरह से नहीं रखे जा रहे। आप गांव के तालाबों की हालत को देख लें वह गंदे रखे जा रहे हैं और उन की सफाई का या किसी और किस्म का इन्तज़ाम बिल्कूल नहीं किया जा रहा। उन के चारों तरफ गन्दगी पड़ी रहती है और ऐसा मालूम होता है कि इन चीज़ों को ठीक तरह से रखने की पंचायतों को ज़रूरत भी मालूम नहीं होती।

गांव के ऐसे हालात हैं कि आप जा कर तो देखें कि वह कौनसी दुनिया में रहते हैं न कोई नालियां हैं न गलियां पक्की हैं। आज से 10-11 साल पहले की वह दुनिया नज़र आती है। मिनिस्टर साहिब जब खड़े होते हैं तो यह कहते हैं कि गांव में हम यह करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं। पिछले इतने सालों से तो कोई सुधार हुआ नहीं आयंदा के बारे में कुछ कह नहीं सकता। आप चाहे उन लोगों को कितने अख्तियारात क्यों न दे दें मगर अगर वह लोग अनपढ़ हैं तो कुछ हो नहीं सकेगा। एक तरफ तो आप इस बिल के अन्दर यह पास कर रहे हैं कि उन लोगों को taxes लेने के अख्तियारात हैं, आमदन बढ़ाने के अख्तियारात हैं, इस से उन लोगों में खुशहाली होगी, पंचायत राज

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी लहरी सिंह]

होगा। आज एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हम सड़कें बना रहे हैं, नालियां बना रहे हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा काम दिहाती ही करते हैं। एक बात हो तो मैं कहूं, मगर यहां पर तो लाखों बातें हैं। हम सब पंचायतों पर नज़रें लगाये बैठे हैं। इन्होंने जो पंचायत अफसर लगाये हैं वह इन के खास कारिंदे लगाये गये हैं जो इन की मर्ज़ी में आता है यह वही करते हैं। किसी असूल की परवाह नहीं करते। अंग्रेजी राज में जो कुछ हालात थे आज उस से कहीं ज्यादा हालात खराब हैं। लोगों पर एक तरफ taxes की इतनी भरमार है! अगर पूछते हैं तो कह देते हैं कि तालीम पर खर्च होगा यह tax का पैसा। मगर इस बिल में तालीम के मुताल्लिक एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा गया। कम अज कम यह ही कर दिया जाता कि जो member होगा वह पढ़ लिख सकता हो। तालीम के लिये जगह देनी इस में बड़ी ज़रूरी है मगर मैं इस में एक line भी नहीं देख सका। जहां भी देखो पंचायत के लिये अख्तियारात ही भरे पड़े हैं। मगर Minister साहिब के ख्याल में यह चीज़ बिल्कुल नहीं आई। दरअसल बात यह है कि सरकार एक तरह की corruption इन पंचायतों की मारफत फैला रही है। इन से झूठे मुकद्दमे करवाये जाते हैं। मैं निहायत अदब से इन Minister साहिबान से कहूंगा कि वह मेरी इन बातों को नुक्ता चीनी न समझें यह तो एक आने वाली Government के लिये भी एक मुफीद चीज़ है। यह ज़रूरी नहीं कि जो आज वजारत है कल भी वही वज़ारत रहे। यह वज़ारतें तो आने जाने वाली हैं; जो आज है वह कल नहीं रहनी। आज यह कहते हैं कि गलियां पक्की हो गई हैं, कच्ची-पक्की सड़कें बन गई हैं। मैं कहता हूं कि यह आपकी कोई महरबानी नहीं है यह तो एक नया महकमा बना दिया है इन्होंने Community Development का जिन के रुपये से यह सारा कुछ होता है। आज यह कहते हैं कि पंचायतें हर चीज़ की ज़िम्मेदार हैं। दरअसल बात यह है कि बिल complete भी नहीं होता कि हमारे पास आ जाता है। इस के बाद amendments आती ही रहती हैं कभी कोई दरुस्ती की जाती है और कभी कोई। आप अगर अख्तियार देना चाहते हैं तो पंचायतों को schools चलाने के लिये इन पर control करने के लिये दें School buildings बनाने के लिए दें। Buildings उन की complete नहीं होती, staff पूरा नहीं होता मगर उन में बड़े बड़े Register लगा दिये जाते हैं दिखाने के लिए। तादाद ज़रूर स्कूलों की बढ़ गई है मगर उन की आज बुरी से बुरी हालत है। दिहातों में शायद ही 1-2 High School लड़कियों के होंगे। दिहातों की सफाई का यह हाल है कि जगह जगह गंदगी है। मक्खियां इतनी हैं कि कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर बैठ कर रोटी खानी मुमकिन हो। लेकिन आज इन की development के नाम पर taxes इतने लगाये हुये हैं कि लोगों को इन का हिसाब किताब रखना मुश्किल हो गया है। यह सारा काम पंचायतों का है। और कुछ नहीं कर सकते थे तो कम अज़ कम इस में यह तो होना चाहिए था। कि पंचायत का जो Member हो वह कम अज़ कम पढ़ा लिखा ज़रूर हो। इन्होंने लोगों के फैसले भी करने हैं। इन को educated होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है taxes के मुताल्लिक। मैं अर्ज़ कर दूं कि जो मिसाल महात्मा गांधी जी ने कायम की थी

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

या जैसे विनोबा भावे जी कहते हैं हमें इन के दिखाये रास्ते पर ही अमल करना चाहिये था। आज जो भी चीज़ हम कायम करना चाहते हैं वह सरासर taxes पर ही है। यह ठीक है इन से कुछ न कुछ लोगों का सुधार होगा मगर हमें वह रास्ता अख्तियार करना चाहिये जिन से ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। जहां इस बिल में हम देखते हैं कि वह पंचायतों को इतने अख्तियारात दे रहे हैं कि अगर उन की बात न मानी जाये तो वह action ले सकते हैं अगर किसी के rights की encroachment हुई हो। इन को चाहिये था कि sanitation के बारे में भी मुनासिब अख्तियारात देने के लिये हिदायात दी जातीं। मगर यहां पर कोई ऐसी provision इस में नहीं है। इस में उन को कोई power नहीं है कि सफाई का इन्तज़ाम करवाने के लिये घंटा दो घंटे उन से काम करवा सकें। देहातों में सारी सारी रात black out रहता है और कोई सफाई करवाने का जिम्मेदार ही नहीं है। इस लिये यह चीज देहातों में जबर्दस्ती लाना ज़रूरी है जिस के लिये पंचायतों को power मिलनी चाहिये। Taxes मामूली होने चाहियें और अगर वसूल न हों तो इन को वसूल करने की power तहसीलदार को नहीं होनी चाहिये बल्कि इन के अपने आदमियों के हाथ में यह power हो। इस के लिये और Rules की इस में provision हो सकती है। मुझे हैरानी होती है कि Ruling Party इन पंचायतों को लोगों को लड़ाने भिड़ाने के सिवाये और किसी काम के लिये इस्तेमाल नहीं कर रही। यही वजह है कि इन को इख्तयारात पर इख्तयारात दिये जा रहे हैं। Taxes लगाने के इन को इख्तयारात दिये गये हैं जो कि Legislature लगा सकती है। अगर ऐसा है तो उन को और अख्तियारात भी दिये जा सकते हैं property वगैरह के (*interruptions*)

सरदार उमराओ सिंह : चौधरी साहिब, Municipal Act में भी तो इस तरह की power है।

चौधरी लहरी सिंह : आप Municipal Act कहते हैं मैं आप के सामने यह पढ़ देता हूं कि इस के section 82 में क्या लिखा है :

> "(c) if so authorised by the Government , a duty on transfers of property in the form of a surcharge on the duty imposed by the Indian Stamp Act, 1899, on instruments of sale, gift and mortgage with possession of immovable property situated in the Sabha area.."
>
> "(d) if so authorised by the Government, any other tax, duty or cess which the Legislature of the State has power to impose.."
>
> (iii) " fees for registration of animals sold in the Sabha area."

अगर किसी ने एतराज कर दिया तो writs होंगी और बेशुमार होंगी।

वहां पर कोई बहुत सारी सहूलियात तो दी नहीं सिर्फ दो चौकीदार रख दिये। उनका यह हाल है कि वह काम भी करते हैं और थानेदार की घास भी लाते हैं। भला कौन ऐसा आदमी बावला होगा कि सहूलियतें तो कुछ भी न हों और टैक्स देता रहे. . .

श्री मंगल सैन : क्या स्पीकर साहिब, बावला शब्द parliamentary है ?

चौधरी लहरी सिंह : लाला जी बैठ जाइये। मैं नहीं कहता बावला, withdraw करता हूं लेकिन आप बैठ जाइये।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : मेरी ruling का इन्तज़ार किये बिना आपने उन्हें बिठा दिया। मेरी ruling यह है कि अगर यह लफ्ज़ जनरल तौर पर use किया जाय तो parliamentary है और अगर particularly कहा जाये तो unparliamentary है। (The hon. Member has asked Shri Mangal Sein to resume his seat without waiting for my ruling. Anyhow my ruling is that if this word is used in the general sense then it is parliamentary but if it is used in reference to a particular person then it is unparliamentary.)

चौधरी लहरी सिंह : मैं ने तो जनाब generally ही use किया है। मैं जनाब यह अर्ज़ करना चाहता हूं एक चीज कि यह मिनिस्टर साहिब scheduled caste से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने एक की बजाए दो हरिजन मैम्बर पंचायत यानी पंच कर दिये, इससे मैं बहुत खुश हूं। लेकिन औरतों के लिए कलम चलते चलते रुक गई, यह ठीक नहीं किया। जनाब हरियाना में औरतों के ऊपर हरिजनों से ज्यादा सख्तियां हैं। और यहां तक हैं कि गांव में जो चौपाल होती है उस पर कोई औरत चढ़ नहीं सकती। एक बार एक अंग्रेज़ आया, मैं वहीं था, उसने जब देखा कि एक औरत आई और अपना बयान देने के लिये चौपाल पर न चढ़ के चौपाल के नीचे ही खड़ी रह गई, तो उसने पूछा कि क्या बात है? मैंने कहा कि चौपाल तो पंचायत की जगह है, इस पर औरत नहीं चढ़ सकती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि औरतों को राय देने का हक होना चाहिये। (घंटी) ताकि औरतें ज्यादा तादाद में आ सकें।

गांवों में एक backward class भी होती है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। न ही उन्हें scheduled caste में शामिल किया जाता है। वैसे हालत उनकी बड़ी बदतर है। इस लिये अगर उन्हें भी scheduled class में शामिल कर लिया जाता और उनका भी कोई नुमाइन्दा रख लिया जाता तो ठीक था। (घंटी)

एक बात और आखीर में मैं कहना चाहता हूं कि पंचायतों के पास अव्वल तो हिसाब किताब के लिए prescribed form के रजिस्टर ही नहीं हैं और अगर कोई हिसाब रखती भी है तो वह पूरा नहीं है। और funds को असली मकसद के लिए use नहीं किया जाता। मेरा मतलब यह है कि पंचों को इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वह ठीक से रुपये को संभाल सकें और काम चला सकें। इस लिए मेरी request यह है कि बजाए टैक्स की पावर देने के उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप लोग अगर मुख्तसिर speeches करें तो ठीक रहेगा। (It would be better if the hon. Members make brief speeches.)

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस पंचायत system और अंग्रेज़ी राज्य की पंचायतों में बड़ा भारी अन्तर है। और आज कल पंचायतों में गिरावट आ गई है। पहिले कोई भी आदमी पंचायत के सामने झूठ नहीं बोलता था लेकिन आज कल जितना मर्ज़ी चाहो झूठ बुलवा लो। और इन्हीं पंचायतों

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

की वजह से झगड़ा फसाद, पार्टी बाज़ी, मुकदमे बाज़ी बढ़ गई है। अगर यकीन नहीं है तो चाहे जिस जगह जा कर वज़ीर साहिब देख लें। डिप्टी स्पीकर साहिब यहां पर यह provision रखा गया है कि Chairman की election direct होगी। मैं इसकी मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि इससे बड़ा भारी crisis आ गया है। चूंकि पंच भी direct चुने जाएंगे और Chairman भी direct चुना जाएगा इस लिए इसका नतीजा यह होगा कि पंच अलग हो जाएंगे और सरपंच अलग बैठा रह जाएगा। उन में किसी किस्म की co-ordination नहीं रहेगी। काम पंचायत का चल नहीं सकेगा। पंच कागज़ मांगेगा, सरपंच कागज़ नहीं देगा, रजिस्टर नहीं देगा, और वह इस तरह से काम नहीं कर सकेंगे। चूंकि वह direct चुना जाएगा इस लिए पंचों का उसमें confidence नहीं होगा। और उधर सरपंच न कोई मीटिंग करेगा और न काम करने देगा तो इस तरह से काम नहीं होगा।

यह जो sarpanch का direct election रखा है यह बिल्कुल गलत बात है, इस से सब villages और पंचायतों के अन्दर बड़ा भारी crisis होगा। और उन के अन्दर एक deadlock पैदा हो जाएगा जिस से सारा काम बंद हो जाएगा। इस के इलावा पंचायतों में औरतों को हक देने का provision रखा गया है। मैं ज़ाती तौर पर औरतों को हक मिलने के खिलाफ नहीं हूं लेकिन हमें देखना यह है कि आया मौजूदा हालात में यह चीज़ काबले अमल है। आप ने अभी तक देहातों की औरतों को पढ़ाया नहीं और न ही पुराने रसमो रवाज को बदला है। हमारी हरियाने की औरतें जैसा कि चौधरी लहरी सिंह जी ने कहा है गांव की चौपाल पर नहीं चढ़तीं। उन को आप पंच बनाना चाहते हैं। इस का क्या मतलब है ? मैं समझता हूं कि औरत को पंच बनाने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर किसी पंच को निकालना हुआ तो उस औरत से कहलवा दिया जाएगा कि मुझे इस ने छेड़ा है। इस तरह का बहाना लगा कर यह जिस को चाहें निकलवा दिया करेंगे। इस के इलावा और कोई मतलब नहीं है। Deputy स्पीकर साहिब, इस के अन्दर इन्होंने लिख दिया है कि women members को वोट का हक नहीं होगा। कैसी अजीब बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर आप उन को हक क्या देना चाहते हैं। आप हकीकत से दूर मत जाएं जो facts हैं उन का ख्याल रखें। सिर्फ यही कहना काफी नहीं कि जी बड़ा progressive कदम है। रोजाना जो cultural programmes हो रहे हैं अगर यही progress है तो फिर हम हाथ जोड़ते हैं। अगर इस तरीके से औरतों को cultural programme सिखाना है तो मैं इस की पुरज़ोर मुखालिफत करता हूं। इस से आगे clause चार के अन्दर Harijans का हक रखा है। मैं उन के हक के खिलाफ नहीं हूं। मैं ने amendment दी है कि अब सब पंचायतें हरिजनों की ही होनी चाहिएं। पहले बहुत दिन ब्राह्मनों का, जाटों का और दूसरी कौमों का राज बना रहा है। अब हर पंचायत देहातों में अकेले हरिजनों की बनाओ ताकि उन्हें हौसला तो हो कि हमें भी कुछ मिला है। आप ज़मीन के लिए तो उन्हें लारे ही देते रहे हैं मगर अब कम अज़ कम उन की पंचायतें तो बना दो। मैं वज़ीर साहिब से कहूंगा कि हर वक्त वज़ारत नहीं

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

मिला करती। कभी कभी मिलती है। इस लिए अगर आप फायदा उठा सकते हैं तो उठा लो। Afghanistan में बच्चे सक्के का राज आया था तो उस ने चमड़े का सिक्का चला दिया था। इस लिए मैं वज़ीर साहिब से कहूंगा कि सारी पंचायत हरिजनों की बना दो।

इस के इलावा इस के अन्दर इन्होंने nomination का system रखा है। Congress का राज्य आने से पहले इन कांग्रेसियों के मुंह से मैं यह सुनता आया हूं कि nomination का असूल undemocratic है। लेकिन अब वही बात यह खुद कर रहे हैं और यह हमारे मौजूदा Constitution के खिलाफ है। इन्होंने यहां तक अख्तियार ले लिया है कि अगर कोई जगह खाली होगी तो उस पर जिस को चाहे officer अपनी मर्ज़ी से appoint कर सकता है। कितनी undemocratic बात है। यह लोगों को क्यों न हक हो कि वह जिस को चाहे चुन लें। इस के इलावा इस के अन्दर एक और खामी है। वह यह है कि जो नगर Panchayats बनाने लगे हैं उन को बड़ी enhanced powers होंगी। इस में उन्होंने group of panchayats लिख दिया है और उस को define नहीं किया कि group of panchayats तहसील का होगा या district का होगा या सारे पंजाब का होगा। पता नहीं किस ने इस को draft किया है जिस को इतना भी ख्याल नहीं आया कि इस चीज़ को specify कर दें। तो इस में कम अज़ कम as prescribed under the rules का लफ्ज़ भी लिखा हुआ होता तो कुछ बात बनती। लेकिन इस में गोल मोल किया हुआ है। इस लिए यह बहुत defective clause है। इस को define करना चाहिए। नहीं तो इस में कम अज़ कम "as prescribed under the rules" के अलफाज़ add कर दें, वर्ना group of Panchayats बनाने में दिक्कत आएगी और वह चीज़ challenge होगी और वह आप के खिलाफ हो जाएगी। यह इस में legal flaw है। इस से आगे चल कर एक और अजीब बात की है इन्होंने। डिप्टी स्पीकर साहिब आप को तो तजरुबा है कि जब election petition का फैसला होता है तो जो security की amount होती है वह respondent को मिलती है। मगर इस में यह provide किया गया है कि election petition के लिए जो security होगी वह पंचायत के funds में जाएगी। यह बिल्कुल गलत बात है। इस के इलावा यह कहीं define नहीं किया गया कि किस बिना पर election set aside होगा। यह purely उस officer की मर्ज़ी होगी वह जिस के election को चाहेगा set aside कर देगा और जिसे चाहेगा रहने देगा। वज़ीर साहिब failure of justice की कोई definition नहीं लाए इस में। इस लिए यह बड़ा defective Bill है। आगे चल कर इस के अन्दर section 22 है। उस के अन्दर यह provide किया गया है कि अगर किसी को notice दिया जाता है कि फलां काम फलां तारीख तक होना चाहिए और वह उस

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

तारीख तक नहीं करते तो उन को जुरमाना होगा। दफा 22 के तहत water-logging का प्रबंध करने के लिए notice दिया जा सकेगा।

डिप्टी स्पीकर साहिब, एक गरीब किसान को दफा 22 के तहत water-logging के बारे में नोटिस आएगा कि उस ने यह क्यों बंद नहीं की। यह water-logging तो सरकार के बस की बात नहीं किसान गरीब क्या करेगा। मैं पूछता हूं कि कौन ऐसा किसान हो सकता है जो यह चाहता है कि उसकी ज़मीन waterlogged हो जाए और उसकी खेती जो उसकी रोज़ी का ज़रिया है खराब हो जाए। वह तो पूरी कोशिश करेगा कि water-logging से उसकी खेती बची रहे। लेकिन यह कहते हैं कि उस को नोटिस देंगे कि water-logging को दूर कर वरना अगर नहीं करेगा तो जुरमाना होगा। मैं पूछता हूं कि जब आप एक नया बिल इस काम के लिए compulsory service का ला रहे हैं तो इस चीज़ के रखने की क्या ज़रूरत है। इस के इलावा ऐसे ऐसे अख्तियारात दिए जा रहे हैं कि गांव का कोई काम नहीं चलेगा। एक दफा जिस से पंचायत वाले नाराज़ हो गए तो बस उसके लिए यही बहतर होगा कि वह अपना बोरी बिस्तरा गोल करके गांव छोड़ चला जाए वरना अख्तियारात चलने शुरू हो जाएंगे। फिर आगे चल कर लिखते हैं कि यह भी अख्तियार हैं कि prohibit the sale of harmful eatables यानी जिन खाने पीने की चीज़ों को पंचायत ठीक न समझे उनको बंद कर दे। कौनसी चीज़ अच्छी है और कौनसी बुरी इस को सरपंच ने देखना है। डिप्टी स्पीकर साहिब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि गांव में भी पार्टीबाज़ी की बिना पर बातें होती हैं क्यों कि लोग पढ़े लिखे नहीं है। इस लिए आप ही अंदाज़ा लगा लें कि यह अख्तियार किस तरह अमल में आ सकता है। आगे चल कर कहते हैं कि regulate offensive and dangerous trades and practices यानी .....

श्री उपाध्यक्ष : आपको मालूम होना चाहिए कि यह discussion principles of the Bill पर है, clause by clause नहीं है। (The hon. Member should know that this is not the stage to discuss the Bill clause by clause but to discuss its principles only.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं जनाब principles पर ही बोल रहा हूं और बता रहा हूं कि इन्होंने यह principles गलत रखे हैं। यह कहते हैं कि trades और practices को भी वह regulate करेंगी। इन trades और practices में तो वकील भी आ जाएंगे और यह उसे भी नोटिस दे देंगे कि फलां वकील ठीक काम नहीं करता है (हंसी) जनाब एक बात हो तब तो मैं बताऊं लेकिन यहां पर तो सारी बातें ऐसी ही हैं। इसी तरह आगे चल कर कहते हैं......

पंडित राम किशन भड़ोलियां : On a point of order, Sir. क्या कोई मैम्बर बिल की general discussion पर clause by clause discussion कर सकता है? मैं आपका इस बारे में ruling चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं ने आपके point of order करने से पहले ही उनको कह दिया है कि इस stage पर clause by clause discussion नहीं की जा

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री उपाध्यक्ष]

सकती। [Before the hon. Member rose on a point of order I had already told him that clause-by-clause discussion, could not be held at that stage.]

चौधरी धर्म सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं principles की ही बात कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ तो clauses का ज़िक्र करना होगा या कि मैं हवा में ही बातें करता जाऊं। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो चीज़ इस में रखी गई है कि पंचायतें हुकम कर सकती हैं कि किसी घर के सामने street की name-plate लगाई जाए और हर घर पर नम्बर लगाया जाए यह असूल ठीक नहीं है। फिर यही नहीं बल्कि यह भी आगे जा कर कहा गया है कि जो कोई उन name-plates को खराब कर देगा या इधर उधर कर देगा उसे जुरमाना होगा। आप जानते हैं कि गांव में बच्चों को इतनी civic sense नहीं आई है और न सिखाने का इन्तज़ाम सरकार ने किया है। वह खराब कर सकते हैं। उनको civic sense सिखाने की तरफ तो ध्यान नहीं लेकिन यह बात ज़रूर रख दी है कि सज़ा होगी जुरमाना होगा। यह बात बिल्कुल गलत और नाजायज़ है और नाकाबिले अमल है। इसके इलावा एक और चीज़ है जिस पर मुझे सब से ज्यादा एतराज़ है। इन्होंने यह रखा है कि पंचायतें contributions दे सकेंगी और किन को ? To any charitable or national cause or any work or scheme sponsored or approved by the Government. जनाब यह बड़ी भारी ज़्यादती है। आखिर उसकी वजह क्या है ? इस के करने का कारण यह है कि जितनी भी गवर्नमैंट की स्कीमें हैं उनके लिए दिहात में कोई भी आदमी एक पैसा तक देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता है कि पिछले दिनों पंडित जवाहर लाल नेहरू देहली से 20 मील चल कर सोनीपत आए और वहां पर दो चीज़ें कर गए। एक तो stadium—शायद उसका नाम कमला stadium रखा है—और दूसरे पता नहीं कि लाइबरेरी या पंचायत घर का पत्थर रख गए। इस चीज़ को हुए डेढ़ या दो साल होने को आए हैं मगर अब वहां पत्थर तो ज़रूर लगा हुआ है लेकिन जो ईंटें थीं वह गिर रही हैं। पंजाब के Director, Deputy Director और पंचायत अफसरों ने बहुत ज़ोर लगा लिया लेकिन कोई धेला नहीं देता। धमकियां भी दी गई कि आप को पंची से हटा देंगे लेकिन फिर भी किसी ने एक पैसा नहीं दिया और न कोई देता है। अब गवर्नमैंट कानून के ज़ोर से पैसे लेना चाहती है और पंचायतों से जबरदस्ती लेना चाहती है। और उन चीज़ों के लिए लेना चाहती है जिनके लिए लोग देना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इस तरह ज़बरदस्ती जमहूरियत के अन्दर नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं कि लोगों की मर्ज़ी से हर काम करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात लोगों को देना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ लोगों से जबरदस्ती charitable और national causes के लिए और उन स्कीमों के लिए जिनको गवर्नमैंट चलाए पैसे लेना चाहते हैं क्योंकि वैसे तो लोग इनकी बेहूदा स्कीमों और कामों के लिए पैसे नहीं देना चाहते हैं। यह चीज़ देहात के interest में नहीं है बल्कि इस गर्ज़ के लिए यह चीज़ रखी गई है

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

कि पंचायतों के पास जो पैसे इकट्ठे हों उनको किसी तरह चंडीगढ़ या और जगह ले जाया जाए small savings scheme के लिए ले जाएं। मैं इस सिलसिले में मिसालें दे सकता हूं और अपने जिला व दूसरे ज़िलों की बातें बता सकता हूं जहां कि नाजायज़ तौर पर दबाओ डाल कर लोगों से उनकी मर्ज़ी के खिलाफ पैसे लिए गए हैं। इस लिए मैं इस provision की मुखालिफत करता हूं (घंटी) जनाब मैं सिर्फ दो तीन मिनट ही लूंगा। इस के इलावा taxation के बारे में जो असूल इस में रखा गया है वह बड़ा अजीब है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर कानून में यह बात रखने की बजाए गवर्नमैंट एक ही कानून बना दे कि गवर्नमैंट जिस वक्त चाहे और जो भी कभी टैक्स लगाना चाहे लगा सके ताकि असैम्बली में बार बार बिल पेश करने की ज़रूरत न रहे। इस में यह clause रखी गई है कि पंचायतें वह टैक्स लगा सकती हैं जो असैम्बली के अख्तियार में हैं। यह चीज़ unconstitutional है और नाजायज़ है। यह सारी चीज़ Constitution के खिलाफ है कि पंचायतें असैम्बली की तरह सारे taxes लगा सकती हैं। Money Bill के लिए Constitution में खास procedure रखा गया है और बताया गया है कि जो टैक्स लगेगा वह किस तरह से लगेगा। उसके लिए यह provision रखा गया है कि taxation proposal पहले बिल की शकल में Governor साहिब से certify हो कर आएगी। फिर वह बिल circulate किया जाएगा और उस के बाद उसकी असैम्बली में तीन stages होंगी और यहां पास होने के बाद फिर Governor की मंजूरी होगी। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिब यह कहते हैं कि वह सारे अख्तियारात पंचायतों को दे दो। मैं कहता हूं कि यह कलाज़ विधान के खिलाफ है। फिर कहते हैं कि पंचायतों को आमदनी होनी चाहिए लेकिन इस आमदनी का यह हाल है कि मैं आपको कई मिसालें बता सकता हूं जहां वज़ीर साहिब ने पंचायतों को हुकम दे दिया है कि उन गांव से चूल्हा टैक्स इकट्ठा न करो। एक हथवाला गांव है वहां पर वज़ीर साहिब ने हुकम दे रखा है कि चूल्हा टैक्स इकट्ठा न करो।

वज़ीर साहिब, गवर्नमैंट और खुद डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चूल्हा टैक्स इकट्ठा मत लो। सरपंच इकट्ठा करने को तैयार है लेकिन कोई करने नहीं देता। इस की वजह यह है कि वहां पर एक आदमी की वज़ीर साहिब तक रसाई है और वह सरपंच के खिलाफ है। इसी तरह एक निराना गांव है। वहां के सरपंच के पास पंजाब गवर्नमैंट का auditor जाता है लेकिन वह हिसाब नहीं देता क्योंकि वह कांग्रेस का delegate है इस लिए वह किसी की परवाह नहीं करता। Auditor कई दफा जाता है और वापस आ जाता है। आखरकार डायरेक्टर ने लिखा है कि यह खर्च सरपंच से वसूल किया जाय। उस सरपंच का नाम चूड़ सिंह है और वह हिसाब इस लिए audit नहीं करवाता क्योंकि उन में गड़ बड़ है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो पंचायत unions को खत्म कर रहे हैं मैं इस की मुखालिफत करता हूं। दूसरे 25 कलाज़ की जो सारी power दी गई है यह unconstitutional है। इस के अलावा जो 10 प्रतिशत

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

की भी provision की गई है यह कम है यह 25 प्रतिशत होनी चाहिए । इन अलफाज़ के साथ मैं कहूंगा कि इस को पास करना चाहिए ।

राम्रो गजराज सिंह (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं मिनिस्टर साहिब को इस बिल पर संजीदगी के साथ गौर करने को कहूंगा । अभी अभी दो तीन दिन हुए ज़िला परिषद एक्ट रिजनल कमेटियों के पास गया है । उस का तमाम दारोमदार पंचायत पर होगा इस लिए अभी यह बिल पास न किया जाय क्योंकि इस में कल फिर दुबारा amendment लानी पड़ेगी । इन का जवाब यह होगा कि इन्तखाब नहीं हुए इस लिए ज़रूरी है कि अभी पास किया जाय । मैं कहता हूं कि साल ही साल से देहात को महरूम कर रखा है । Council के मैम्बरों की election होनी थी उस वक्त यह ख्याल नहीं आया लेकिन आज यह कहा जायगा कि एक महीने के अन्दर अन्दर election नहीं होगी तो सारा सिलसिला दरहम बरहम हो जायगा । अगर आप अमली तौर पर देखें तो आप को पता चलेगा कि पंचायतों का किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साथ ताल्लुक है । इस लिए यह चीज़ भी देखनी है कि कहीं वही बात न हो कि चौबे जी छब्बे जी होने गए और दुबे जी रह गए ।

यह कहते हैं कि यह तरमीम इस लिए की जा रही है कि Pepsu भी शामिल हो गया है, इस लिए एक एक्ट होना चाहिए । वहां अदालती पंचायतें होती थीं जो न्याय करती थीं । डिप्टी स्पीकर साहिब, देहात का तरीका यह है कि आपस में गांव के लोग बैठ कर फैसला कभी नहीं करेंगे लेकिन दूसरे गांव के भाई आ जाएं तो फैसला हो जाता है । अब उन्होंने वह पंचायतें हटा दी हैं लेकिन साथ यह भी लिख दिया है कि अगर गांव की मर्ज़ी हो और किसी इलाका की मर्ज़ी हो तो न्याय पंचायत के अख्तियारात भी दे देंगे । मैं समझता हूं कि यह बात clearly defined होनी चाहिए और discretion पर नहीं छोड़नी चाहिए । इसी तरह से आप मुलाहज़ा फरमाएं कि पंचों की removal की जो powers रखी गई हैं ये बहुत vague हैं । आप देखेंगे कि 379 और 411 में तो सज़ा है, moral turpitude की भी सज़ा हो जाती है लेकिन इस के साथ ही आम तौर पर देखने में आया है कि गांव में दो धड़ों के अन्दर पार्टी बाज़ी होने से removal हो जाती है । इस के साथ ही मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि 250 रुपये की हद बहुत ज्यादा रखी गई है । मामूली ज़मीन के झगड़े पर 250 रु० तक की power देना बहुत ज्यादती है । Removal की powers बहुत vague हैं और मैं समझता हूं कि जब तक अदालत का फैसला न हो removal नहीं होनी चाहिए । महज़ डायरेक्टर साहिब के कहने पर पंच को हटा दिया जाय यह गलत बात है । Land Revenue के cases में जो rules हैं उन के मातहत अपील Collector के पास भी हो सकती है और कमिश्नर के पास भी होती है लेकिन यहां न कोई अपील न लेना न देना । झट से पंचायत के फैसले पर हटा दिया जाता है । मेरे ज़िला में जिस तरह से ज़ुल्म और ज्यादती के साथ पंचों को हटाया गया मिनिस्टर साहिब जानते हैं । ऐसी एक दो मिसालें मैं अर्ज़ करना चाहता हूं । एक

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

सरपंच किसी दूसरे group से ताल्लुक रखता था। उस पर यह अलज़ाम लगाया गया कि इसने तीन सौ रुपए ग़बन कर लिए। उस ने B.D.O. की रसीद produce कर दी कि मैंने B.D.O. को दे दिए थे। B.D.O. ने कहा कि मैं ने फलां सरपंच को दे दिए थे। नतीजा यह हुआ कि उस को हवालात में रखा गया लेकिन बाद में वह बरी हो गया। अब यह कहते हैं कि उस के खिलाफ शुबहात हैं इस लिए इसे न रहने दिया जाय। हकीकत यह है कि क्योंकि वह मिनिस्टर के जूते झाड़ने वालों में से नहीं है इस लिए कहते हैं कि इसे न रखो। इसी तरह से एक सरपंच के खिलाफ हाई कोर्ट की जजमेंट है कि उस ने forgery की है, झूठे कागज़ बनाए हैं। लेकिन उस को कैसे हटा दें। यह मामला तो दूसरे लोगों के हाथों में है और साफ तौर पर कहा जाता है कि इस को हटाते हो तो तुम्हें नहीं रहने दिया जायगा। हाई कोर्ट की जजमेंट इस तरह से है।

Mr. Deputy Speaker : How far is it relevant to the Bill under discussion ?

राम्रो गजराज सिंह : इस में removal की बाबत लिखा है। किसी वक्त, किसी judgement या किसी और वजह से सरपंच को हटाया जा सकता है। गुड़गांव ज़िला में इस vague तरीके का इस्तेमाल हुआ है।

Mr. Deputy Speaker : Can original Act be discussed in an amending Bill ?

राम्रो गजराज सिंह : Sub-clause 5 में जो reasons लिखे हैं। यह एक नया chapter amend हुआ है मसलन आप देखिये :—

> " belonging to his own faction—simply to harass the respondent which is evident from the order of the High Court."

चार दफा उसे दीवानी अदालतों में जाना पड़ा। सैंकड़ों दरखास्ते भेजी लेकिन जवाब यही मिला कि इस में हम कुछ नहीं कर सकते। वज़ीर साहिबान को कौन नाराज़ करे। डायरैक्टर साहिब को अख्तियारात दिये जा रहे हैं। उन्हें हिदायत जारी हो जाती है कि फलां फलां पंच को हटा दें। गुड़गांव में सैंकड़ों पंच $1\frac{1}{2}$ साल के अर्से में हटा दिये गये हैं। उन्होंने दरखास्ते भेजीं। किसी को यह कहा गया कि चूंकि वह फलां जुर्म में convicted है इस लिये हिदायत भेजी गई थी। इस सम्बन्ध में जो judgements हैं उन्हें हाउस consider कर ले। मेरे पास 100 आदमियों के नाम हैं जिन को $1\frac{1}{2}$ साल के अन्दर हटायागया। इस सिलसिले में लोगों ने हाई कोर्ट में writs भी दायर की हुई हैं। इस की sub-clauses 5 और 6 vague हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि कम से कम इस बिल में इतना ही प्रबंध कर दो कि इन इन हालात में, अगर इस किस्म की बातें साबित हों तो सरपंच को हटाया जा सकता है। इस में appeal के लिये भी provision कर दीजिये।

स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि किसी वक्त कोई area exclude या include किया जा सकता है। डायरैक्टर को अख्तियार दे दिया कि वहां के लोगों

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[राम्रो गजराज सिंह]

की मर्ज़ी का पंच या सरपंच न आये। कमाल की बात है कि ऐक्ट बन रहा है आज यह गवर्नमैंट है और कल दूसरी हो सकती है। इस तरीके से यह defective enactment लाई जा रही है। स्पीकर साहिब, आप मुलाहज़ा फरमायें कि इस में "moral turpitude or undesirability" के मुताल्लिक दो तीन clauses हैं जिन की बिना पर सरपंच को remove किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इतना vague अंग किसी enactment में नहीं। मिनिस्टर साहिब को अपने कानूनी मशीरों से सलाह मश्विरा कर लेना चाहिये था ताकि इस बिल में किसी किस्म की गलती न रहती। मैं ने इस सिलसिले में मिसालें पेश की हैं और हाई कोर्ट के judgments बताये हैं जिन में लिखा है कि इस किस्म की बहूदगियां इस Act में मौजूद हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि कितने ही मुज़ारे arrears of rent अदा न करने पर बेदखल कर दिये गये। इसी तरह पंचों को भी छोटी सी छोटी बिना पर नोटिस दिया जाएगा कि आप के जिम्मे arrear of tax है इतनी देर तक अदा कर दें वर्ना आप को remove कर दिया जाएगा। इस तरह के provisions इस बिल में incorporate किये जा रहे हैं। मैं गवर्नमैंट से दरखास्त करूंगा कि वह इन बातों पर संजीदगी से गौर फरमायें। यह नहीं होना चाहिये कि तमाम अख्तियारात एक आदमी के हाथ में दे दिये जाएं। मैं समझता हूं कि Pepsu में ठीक दस्तूर था। अदालती पंचायतें गांव के लिये बहतरीन चीज़ थीं और जो झगड़े निपट नहीं सकते थे वह उन्होंने निपटा दिये थे। गांव में लाज़मी तौर पर अदालती पंचायतों की ज़रूरत है। अगर अदालती पंचायतें गांव में कायम की जाएं तो लोगों पर महरबानी होगी। बहुत सारे मैम्बर साहिबान को तजरुबा नहीं हुआ। वह District Boards को इस के साथ tag कर रहे हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि दो महीने के बाद ही इस बिल को उस के साथ ही लाया जाए।

चौधरी श्री चन्द (बहादुर गढ़): डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं दरअसल इस बिल को criticise करने की नियत से नहीं बोल रहा, मैं इस मामले में जो मेरी संजीदा राये है वह देने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर इस पर मिनिस्टर साहिब गौर फरमाएं तो उन की बड़ी महरबानी होगी। राम्रो साहिब ने भी फरमाया है कि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बिल ला रहे हैं। इस का उस बिल के साथ बड़ा भारी सम्बन्ध है।

यह दोनों एक दफा एक जगह सोच कर बनाने चाहियें क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आप बना रहे हैं उन का दारोमदार बहुत सारा इस ऐक्ट पर होगा। उस की जो working है वह depend करेगी इस की working पर। अगर यह वजह दी जाए कि साहिब elections में देरी होती है तो देहात वाले तो इस बात के आदी हैं। उन के elections तो अठारह अठारह और बीस बीस साल तक नहीं होते। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के elections हुए बीस साल के करीब हो गए हैं और अगर पंचायतों के elections दो महीने और न हों तो मेरा ख्याल है कि देहात वालों को कोई शिकायत नहीं होगी। अगर सारी तैयारी करने के बाद, इतना रुपया खर्च करने के

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

बाद और लड़ाई लड़ने के बाद भी शाम के वक्त सरकार यह एलान कर देती है कि अभी elections नहीं होंगें तो अगर एक दो महीने पहले ही बता दे कि अभी election नहीं होंगे तो लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी। अगर यह बिल छः महीने और भी न पास हो तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो बिल हम पास करें वह बहुत सोच समझ कर करना चाहिये। फिर इस की drafting के लिये जो काबलियत इस्तेमाल की गई है वह clause 6 की दफा पांच को पढ़ने से जाहिर हो जाती है। मैं तो इस के मायने नहीं समझ सका अगर वज़ीर साहिब समझे हों तो वे मुझे बता दें। इस में लिखा है:

"No person who is not a Member of the Sabha."

पहली disqualification यह रखी है कि वह सभा का मैम्बर न हो। फिर यह disqualification भी होगी :

"is not qualified to be elected as a Member of the Legislative Assembly"

यह disqualification भी होगी तो नहीं खड़ा हो सकता वरना खड़ा हो सकता है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई। वज़ीर साहिब ने इसे देखा होगा, पढ़ा होगा, उन्हें मालूम होगा कि यह क्या बनता है या यह सब बेमानी चीज़ है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि यह कैसे बनाया गया? संत विनोबा जी और श्री जय प्रकाश नारायण जैसे संत महात्मा, इतने सयाने सियासतदान बार बार कहते हैं कि देहात में पार्टी बाज़ी न बढ़ाओ, देहातियों को आराम से बैठने दो। अगर इन लोगों के अन्दर पार्टी बाज़ी ज्यादा बढ़ जाएगी तो मुल्क तबाह हो जाएगा। विनोबा जी ने कहा है कि अगर पंचायतों के चुनाव करते हो तो वह unanimous हों और नहीं तो करीब करीब unanimous होने चाहियें। देहात को आए दिन elections का अखाड़ा न बनाओ। इसी तरह से श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा है कि अगर हिन्दोस्तान का भला चाहते हो तो देहात में कम से कम पार्टी बाज़ी होने दो। डिप्टी स्पीकर साहिब, आप को तो elections का तजरुबा है। जिस दिन से elections शुरू हुए हैं उसी दिन से देहात पार्टी बाज़ी का अखाड़ा बन गए। मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करूंगा कि अगर उन्हें elections का बहुत शौक है तो कम से कम पार्टी बाज़ी होने दो। Elections दुनिया का रिवाज है। इस बिदअत से हम बच नहीं सकते लेकिन ऐसा तरीका निकालना चाहिये कि जिस से कम से कम पार्टी बाज़ी पैदा हो। जब पहला पंचायत Act बना तो मैं Election Committee का मैम्बर था। पंडित श्री राम शर्मा उस वक्त मिनिस्टर थे। मैं ने इन्हें यह सुझाव दिया कि elections का तरीका ऐसा हो जिससे किसी को यह पता न लगे कि उस को किस ने हराया है ताकि आपस में दुश्मनी किसी से न हो जाए। चूंकि उन को देहात का तजरुबा था वे मान गए। वे जानते थे कि अगर आमने सामने चुनाव होंगे तो और लोगों की आपस में दुश्मनी पड़ जाएगी तो फिर कत्ल से परे निपटारा नहीं होता। महता साहिब की रिपोर्ट

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी श्री चन्द]

को देखें। जहां पर देहात काफी तरक्की कर गए हैं वहां के लिये तो यह ठीक है लेकिन पंजाब में देहात ने अभी इतनी तरक्की नहीं की। देहात वाला जिस से दुश्मनी करता है उस से दुश्मनी ही करता है और जिस से दोस्ती करता है उस से दोस्ती ही करता है। आप को तो इस बात का तजरुबा होगा। पंचायत के चुनाव के बाद तीन तीन और चार चार साल तक लोग आते हैं मुकदमे लड़ने के लिये और कहते हैं कि यह elections के वक्त की बिदअत है। मैं ने इधर राए दे दी या उधर दे दी इस से यह झगड़ा खड़ा हो गया है। Parliament के elections के बारे में तो पांच पांच साल तक केस आप के सामने चलते रहते हैं। इन्होंने कहा है कि सरपंच का election सारा गांव मिल कर करेगा। ठीक है, अमरीका में यह तरीका है वहां पर President का चुनाव इस तरीके से होता है। लेकिन हिन्दोस्तान में देहात पर ऐसा तजरुबा करने की कोशिश नहीं की गई। जिस तरह से अमरीका के President का चुनाव होता है उसी तरह का तजरुबा ये देहात में करने जा रहे हैं। वहां पर President का election indirectly होता है। लेकिन सरपंच को सारा गांव इकट्ठा हो कर चुनेगा। यह सारी दुनिया का असूल है कि जिस आदमी को जो बना सकता है उस को बिगाड़ भी वही सकता है। जो कोई अफसर किसी आदमी को मुकर्रर करता है वही अफसर उस को बरखास्त भी करता है। लेकिन देहात में इन्होंने यह तरीका निकाला है कि सरपंच को चुनेगा तो सारा गांव मिल कर, पर उस को अगर दो तिहाई पंच चाहें तो मिल कर निकाल देंगे। चुनेगा तो सारा गांव मिल कर लेकिन निकाल देंगे दो तिहाई पंच मिल कर यह कितना अजीब तरीका है? हमें तो वही आदमी वापिस कर सकते हैं जिन्होंने हमें चुन कर भेजा है। और कोई हमें नहीं हटा सकता। गांव का सरपंच पैसे खर्च करेगा और election लड़ कर सरपंच बनेगा लेकिन अगर उस के खिलाफ दो-तिहाई पंच आ जाएं तो तीसरे दिन कहेंगे कि तू अपने घर जा भाई। बनाएगा सारा गांव मगर किसी बात पर अगर Director साहिब नाराज़ हो गए तो उस की मूंछ पकड़ कर बाहर निकाल देंगे। इन्होंने यह तरीका कैसा निकाला है? कोई असूल होना चाहिए। Acts इस तरह से तो नहीं बनते कि रात को L. R. साहिब को सुपना आ गया और सुबह सुबह उठ कर उन्होंने बिल बना कर भेज दिया। क्या Acts ऐसे बनते हैं? न कोई फिकरा बनता है और न ही उस के मायने निकलते हैं। अगर सरपंच गांव की तरफ से चुना जाना है तो कौन सी ताकत उस को हटा सकती है? पंचों को क्या अख्तियार है उस को हटाने का? पंचों ने उस को बनाया नहीं। अगर उन्होंने उस को बनाया नहीं तो उन को उसे हटाने का अख्तियार कैसे हो सकता है? यह कोई कायदा नहीं है। अगर एक थानेदार को I. G. मुकर्रर करता है तो उस को बरखास्त भी I. G. ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इस में ऐसी ही कई चीजें हैं। इसी तरह से क्लाज़ 25 के मातहत सरकार ने बहुत भारी अख्तियारात अपने हाथ में रखे हैं। और कोई provision करने की क्या ज़रूरत है सब कुछ क्लाज़ 25 में ही आ जाता है। उस के मातहत सारे अख्तियारात ले लिये गए हैं कि अगर इस कानून के रास्ते में कोई difficulty पेश आ जाए तो वज़ीर साहिब

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

अपनी मर्ज़ी से कायदा बना लेंगे, provision बना लेंगे, उन्हें न असेम्बली से पूछने की ज़रूरत है और न किसी और से।

यह क्या है? क्या डैमाक्रेसी में कभी ऐसा भी कोई ऐक्ट पास हुआ है या हुआ करता है जिसमें मनिस्टर साहिबान को इस कदर अख्तियारात दिए जाएं कि जिस तरह उन की मर्ज़ी आए कर लें; किसी भी क्लाज़ की implementation में कोई difficulty आए तो उसको अपनी कलम से दूर कर लें और अगर चाहें तो उस क्लाज़ को ही उड़ा दें? आखिर यह क्या हो रहा है? डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं वह क्लाज़ 25 आप के सामने पढ़कर सुनाता हूं। इस में लिखा है .... "If any difficulty arises in giving effect to the provisions of the Principal Act as amended by this Act,......" इसमें Principal Act को ही मार दिया।

"....the State Government may, by order notified in the official gezette,"

कोई ज़रूरत नहीं कि असेम्बली में आए। गज़ट में लिख देंगे...

"make such provisions"

यानी रूल्ज़ नहीं, कोई भी such directions....

"or give such directions"

रूल्ज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, हुक्म दे देंगे......

"as appear to it to be necessary or expedient"

यह भी नहीं कि जब ज़रूरी हो, अगर मुनासिब भी समझें तो...

"for the removal of the difficulty"

मुझे बताएं कि आखिर यह क्या है? इसमें आप वज़ीर साहिब को खुली छुट्टी दे रहे हैं कि जब चाहें, जैसा चाहें खुद Principal Act में भी जिस किस्म की तब्दीली चाहें कर लें। कल अगर डाइरेक्टर साहिब ने वज़ीर साहिब को कहा कि दस गांव ऐसे हैं जहां पंचायतें नहीं होनी चाहिएं तो आर्डर दे देंगे कि इन दस गांव में कोई पंचायत नहीं होनी चाहिए। वह मुझे बताएं कि कभी ऐसा भी ऐक्ट कहीं बना है? इस किस्म की मिसाल क्या आगे भी कहीं है? लेकिन जल्दी इतनी है कि यह हरगिज़ मेरी बातों को नहीं मानेंगे क्योंकि यह कहते हैं कि पंचायतों की इलैक्शनें ज़रूर होनी चाहिएं। शायद अगर पंचायतों की इलैक्शनें न हुईं तो असाढ़ में बारिश ही न हो। मुझे बताएं कि इसकी ज़रूरत ही क्या है? आप शान्ति से सोचें, सोच समझकर इस ऐक्ट को बनाएं, दूसरे ऐक्टस को भी देखें। बात यह है कि अगर आप हुक्म देंगे तो हाथ उठाने के लिए हम तैयार हैं और बिल तो पास कर ही देंगे। लेकिन मैं, स्पीकर साहिब, आप के जरिए मनिस्टर साहिब को सलाह दे रहा हूं। इस बिल में कई चीज़ें ऐसी हैं जो मुनासिब मालूम नहीं होतीं। अगर आप उन को देखेंगे तो convince हो जाएंगे कि वाकई यह ठीक नहीं हैं।

डिप्टी स्पीकर साहिब, अगर सैंटर के फाइनैंस मनिस्टर श्री मोरारजी डेसाई कोई टैक्स लगाना चाहें तो पार्लियामैंट की मंजूरी के बगैर नहीं लगा सकते। अगर हमारे

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी श्री चन्द]

डाक्टर गोपी चन्द भार्गव पंजाब में कोई नया टैक्स लगाना चाहें तो असैम्बली की मंजूरी के बगैर नहीं लगा सकते लेकिन हमारे सूबा में पंचायतों को ही वाहिद अख्तियारात हैं कि अपनी मरज़ी से टैक्स लगा सकती हैं. .कोई ऐक्ट लाने की ज़रूरत नहीं। जो उन की मरज़ी में आए करें। क्या ऐसी भी बात कभी दुनिया में हुई है कि पार्लियामैंट के अख्तियारात, असेम्बली के अख्तियारात गांव की पंचायतों को होंगे कि जब चाहें, जैसा चाहें टैक्स लगा दें? अगर पंचायत वाले नहीं लगाना चाहेंगे तो गवर्नमैंट हुक्म देगी कि तुम इस टैक्स को लगाओ। शहर वालों के लिए तो नहीं, गांव वालों के लिए यह हुक्म जारी किया जाएगा। वज़ीर साहिब हुक्म देंगे कि हम कहते हैं, तुम टैक्स को लगाओ। मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान में किसी भी असेम्बली में इस तरह के अख्तियारात वज़ीर साहिब को किसी भी ऐक्ट के तहत नहीं दिए हैं जैसे कि हमारे पंचायत के वज़ीर साहिब को दिए जा रहे हैं। जो हुक्म वह देंगे उस के लिए कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इसी लिए मैं कहता हूं कि जरा देख लें, हम आप के साथ ही हैं और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया जिस तरह चाहोगे हम अपना हाथ खड़ा कर देंगे। एक दफा फिर इस बिल पर सोच विचार कर लो और फिर पास करवा लेना। जो आप कर रहे हैं, यह ठीक नहीं।

यह ठीक है कि आप हरिजनों को अख्तियार दे रहे हैं। जहां पांच हरिजन होंगे वहां भी उन को एक मैम्बर पंचायत का बनाने का अख्तियार होगा। ठीक है कि आप उन को weightage दो। उन को रियायतें दो, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन वह अपनी एक राए से तो एक हरिजन ले आएंगे लेकिन बाद में अपनी वोटों सेदूसरे भी मैम्बरों को चुन कर भेज देंगे। उन को बेशक आप हमारे बराबर बैठाओ। लेकिन जो अधिकार आप उन को दे रहे हैं उन से दूसरे लोगों को रंजश हो सकती है। जिस तरह से आप उन को अख्तियारात दे रहे हैं। इस तरह से 15 या 20 फी सदी हरिजनों की आबादी बाकी 80 फी सदी पर हुकूमत करेगी। क्या यह इनसाफ है? अगर इनसाफ करना है तो सब के साथ बराबर का इनसाफ होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिए कि आप उन को लाकर दूसरों के सर पर बैठा दें और उन का सर इस तरह से दुखने लगे। इस लिए मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करता हूं कि यह न करें क्योंकि उन के कुछ मैम्बर तो अपने प्रतिनिधि भेज देंगे और जो बाकी रह जाएंगे वह दूसरों के साथ मिल कर बाकी पंचों में भी अपने मरजी के पंच भिजवा देंगे। यह एतराज़ वाली बात है।

यही चन्द बातें मैं अर्ज़ करना चाहता था। अगर वज़ीर साहिब मान जाएं तो सूबा की भलाई ही होगी। मैं हर्गिज़ यह नहीं चाहता कि यह बिल पास न हो। मैं यह इस लिए कहता हूं कि यह पहला तजरुबा आप करने जा रहे हैं और देहातियों पर ही यह तजरुबा करना अच्छा साबित नहीं होगा। आप देहातियों की सेवा करना चाहते हैं, उन को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना चाहते हैं। इस लिए अगर इस सम्बन्ध में आप सन्त विनोबा जी और जय प्रकाश नारायण जैसे सियासतदान की राए को नज़र अन्दाज़ करेंगे और महज इस लिए इस बिल को पास कर देंगे कि एक महीना के अन्दर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

अन्दर इलैक्शनें करवानी हैं तो यह दुरुस्त बात न होगी। इस से देहात तबाह हो जाएंगे। इन अलफाज़ के साथ मैं अपनी जगह पर बैठता हूं।

राजा रघुवीर सिंह (कुल्लू, जनरल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो तरमीमी बिल आज हमारे सामने है इस के लाए जाने का main object यह है कि पैप्सू और पंजाब के अन्दर जो दो अलग अलग पंचायत ऐक्ट लागू हैं उन को एक कर दिया जाए...उन को एक ही लाईन पर लाया जाए। इस के साथ इस का मनशा यह भी था कि जो बातें पैप्सू के पंचायत ऐक्ट में अच्छी थीं उन को भी ले लिया जाए और जो चीज़ें पंजाब के ऐक्ट में बढ़िया किस्म की थीं उन को भी ले लिया जाए और एक सुन्दर बिल इस सम्बन्ध में यह असेम्बली पास करे।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो पंजाब का पंचायत ऐक्ट था उसकी सैक्शन 81 थी। उसको अब amend किया गया है इस बिल की क्लाज़ 12 है। उस में जो पहले 81(1)(आई) provide किया गया था जब यह बिल रिजनल कमेटियों से वापिस आया तो वहां पर इस सब क्लाज़ को बिल्कुल ही उड़ा दिया गया है। उसमें था....

"the balances and proceeds of Kothi Fund in Kulu Sub-Division and proceeds of Trini Tax or fee in Kangra District"

Principal Act में जो चीज़ें पंचायतों के हाथ में थीं वे सारी की सारी इस बिल के द्वारा delete कर दी गई हैं। पूछ ताछ करने पर उपाध्यक्ष महोदय यह बताया गया है कि क्योंकि ज़िला पंचायतें बन रही हैं और Local Government का सारा नया ढांचा बन रहा है इस लिये पंचायतों के अख्तियारात में भी कुछ तब्दीली लानी ज़रूरी थी। जो आमदनी के ज़रिये पंचायतों के हाथ में आते हैं उन में यह कोठी fund का रुपया भी आ जाता है। यह फंड उस area की तमाम पंचायतों के पास चला जायेगा जहां से वह collect होता है। होना तो यह चाहिये था कि जो लोग वह tax देते हों जैसे दरख्तों की कीमत या भेड़ बकरी की चराई का मुआवज़ा होता है जो लोग यह देते हों यह उन्हीं के मुफाद के लिये इस्तेमाल में लाया जाना चाहिये। यानी यह उसी गांव की पंचायत इस्तेमाल करे जिसके area से यह आमदनी हो क्योंकि यह हमारी national policy है कि हर sphere में हम ने decentralisation करनी है। जैसा कि हम administration में decentralisation कर रहे हैं इसी प्रकार से हमें यह भी करना चाहिये कि जो देहात के छोटे छोटे ज़रिये आमदनी के मौजूद हैं उन्हें हमें नहीं छेड़ना चाहिये। यदि यह Block Development Advisory Committee के हाथ में चले जायेंगे तो यह ज़रूरी नहीं होगा कि यह उस गांव की पंचायत के काम आये जहां से यह वसूल किये गये हों क्योंकि एक block में 40 या 50 गांव भी हो सकते हैं। अगर यह Block Development Advisory कमेटी के हाथ में दे दिया जायेगा तो इस का नतीजा यह होगा कि क्योंकि उस कमेटी में तमाम पंच या सरपंच तो उन सारी पंचायतों के आयेंगे नहीं। वहां तो सिर्फ उन के दो दो या तीन तीन nominees ही आयेंगे तो क्योंकि backward areas में भी कई areas ज्यादा backward

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[राजा रघुवीर सिंह]
भी होते हैं तो जो कम backward areas के नुमायंदे होते हैं वे B. D. O.s पर और दूसरे अफसरों पर influence रखते हैं इस लिये वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यह funds अपने area में ही इस्तेमाल करा लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर शोक हो रहा है। एक तरफ तो कहते यह थे कि पंचायतों को मज़बूत किया जाये और उन के resources को बढ़ाया जाये और इसी मतलब के लिये सरकार जो मालिया लेती थी उस मालिये का 10 per cent भी गांव की पंचायतों को surrender किया जा रहा है लेकिन कुल्लू की पंचायतों के साथ क्या सलूक हो रहा है कि जो उन के funds पहले थे वह भी उन से लिये जा रहे हैं। और जो real tax payers हैं उन के हाथ से यह छीन कर यह pool किया जा रहा है। यह बड़ी गलत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप द्वारा मिनिस्टर साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। अगर clause 12 को पढ़ा जाये तो आप को पता लगेगा कि इस में साफ तौर पर लिखा हुआ है जो द्रखत पंचायतं area के होंगे तो उस की आमदनी उस पंचायत area को दे दी जायेगी। जो funds वहां से collect होंगे वह उसी पंचायत को मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप को किसी खास clause पर एतराज़ हो तो आप जब clause by clause बहस होगी, तब बोल लेना। (If the hon. Member has any objection to a particular clause then he may raise it when the Bill is discussed clause by clause.)

राजा रघुवीर सिंह : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो Bill की policy पर बोल रहा हूं।

इस के अलावा मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि पंचायतों के resources जो हैं बजाये इस बात के कि इन को और बढ़ाया जाता, इन को घटाया जा रहा है। जहां इस चीज़ की ज़रूरत थी कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा माला माल किया जाये और उन के पास काफी ज्यादा धन आये वहां इन के जो पहले resources थे वह भी इन से छीने जा रहे हैं। कुल्लू का particularly यह case बन जाता है क्योंकि वहां की पंचायतों के पास अगर कोई हक बड़ी देर से चला आता है तो यही है कि वे वहां द्रख्तों की कीमतें लेते हैं। तह ज़मीन में तो उन्हें कोई अधिकार नहीं होता। उन के पास तो यही एक potential आमदन का साधन हो सकता था जो कुदरत ने इस इलाके को इतने कीमती द्रख्त और फल जैसे कि सेब और नाशपाती वगैरह दिये हैं लेकिन फिर भी उस का फायदा नहीं उठाया जा रहा है। अगर पंचायतों के areas में 3rd class forests हैं तो वह सारे के सारे महकमा जंगलात की administration में हैं लेकिन हक्के वरासत पंचायतों के area के बाशिन्दगान का बना हुआ है। वह सारे का सारा हक पंचायतों को क्यों

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

नहीं दिया जाता। इसी तरह से आप वहां बड़ी कीमती estates create कर सकते हैं जिन से पंचायतों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। आप सुन कर हैरान होंगे कि जिसे रक्बे से वहां पहले मुश्किल से पांच रुपये फी कनाल की आमदनी हुआ करती थी वहां अब 5 हज़ार रुपये तक उसी रक्बे से आमदनी हो रही है। यह आमदनी वहां पर सेब वगैरह के पौदे लगा कर की जा रही है। जहां द्रख्त खड़े हों वहां द्रख्त काटने नहीं देने चाहियें। इस तरह से वहां ज़मीन बहुत आमदनी दे सकती है। लेकिन इस के लिये वहां महकमा जंगलात वाले और दूसरी civil authorities को survey तो करानी चाहिये कि क्या क्या साधन वहां आमदनी बढ़ाने के हो सकते है जिन से कि वहां के लोग आपनी हालत को बगैर गवर्नमैंट की मदद के बेहतर कर सकें। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मन्त्री महोदय के notice में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां दस या 15 एकड़ ज़मीन का बेहतर से बेहतर रक्बा हरेक पंचायत को तलाश कर के दिया जा सकता है जिस से उन को हज़ारों रुपये की आमदनी हो सकती है। ऐसे रक्बों में वे अगर फलदार द्रख्त लगवायें तो उन्हें बहुत आमदनी हो सकती। इस बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां जो कोठी fund है वह भी पंचायतों की disposal पर नहीं रखा गया। उस में भी supremacy महकमा जंगलात और दूसरी civil authorities की रखी हुई है। उस रुपये को इस्तेमाल करने के लिये पहले महकमा जंगलात की मंजूरी लेनी पड़ती है और इस के साथ ही civil authorities की concurrence भी हासिल करनी पड़ती है।

एक बात मैं अब elections के बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मिनिस्टर साहिब के notice में लाना चाहता हूं। अगर वह इसी बात पर मुतमयन हों कि पंचायतों के elections खुले होते हैं इस लिये यह ठीक है तो मैं अर्ज़ करता हूं कि जब खुले elections होते हैं तो वहां लोगों में पार्टी बाज़ी बढ़ती है और बाज़ दफा यह पार्टी बाज़ी इस मरहले पर पहुँच जाती है कि वहां कत्ल भी हो जाते हैं। मैं ने देखा है कि पहाड़ी इलाके में जहां लोग बड़े peace loving हैं वहां भी इन elections में कत्ल होते हैं। हालांकि यह मसल्लमा अमर है कि जब तक हमारे देहात educationally तरक्की नहीं कर लेते तब तक वह किसी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकते। इस लिये खुले elections वहां से हटा देने चाहियें। यह ठीक है कि elections का पहला तरीका ठीक नहीं था लेकिन उस में कम अज कम यह बात तो थी कि जब दो चार पंचों में झगड़ा हो जाता था तो पंचायत अफ़सर के बीच में आ जाने पर समझौता तो हो जाया करता था। इस लिये मैं इतनी बात अर्ज़ कर के कि elections के ढंग को जरूर बदलना चाहिये, अपनी speech खत्म करता हूं।

Mr. Deputy Speaker: Maulvi Abdul Ghani Dar.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Hans Raj Sharma): Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : I have already called Maulvi Abdul Ghani Dar.

मौलवी अब्दुलगनी डार (नूह्) Deputy स्पीकर साहिब, मैं अपने Minister साहिब को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बिल के ज़रिये से पंचायतों को अपना काम चलाने के लिये हकूक दिये हैं। यह सही मायनों में राम राज्य के लिये रास्ता है। मुझे इस बात की हैरानी हुई है जो कि मेरे बुजुर्ग चौधरी श्री चन्द और मेरे मोहतरिम दोस्त Mr. Rathi ने बराहे रास्त election की धारा पर objection किया। यह कहते हैं कि क्योंकि पंच elected होंगे और सरपंच elected होंगे तो इन का इतफाक नहीं रहेगा और यह आपस में झगड़ते रहेंगे, Jat और non Jat का सवाल पैदा होगा। यह भी कहा कि हरिजनों की गर्दन इन्होंने हरिजन Minister के हाथों कटाने की कोशिश की है यह कहते हैं कि जहां पर जाटों की majority होगी वहां पर सरपंच हरिजन कैसे बन सकते हैं। मैं अपने दोस्त चौधरी श्री चन्द और राठी साहिब को बता देना चाहता हूं कि ऐसी पंचायतें भी हैं कि जहां जाटों की majority होने के बावजूद भी सरपंच हरिजन बने रहते हैं। एक बात राजा साहिब ने कही है और यह बात मेरे कई एक दोस्तों में भी फरमाई है कि जैसे आचार्य विनोबा भावे जी फरमाते हैं कि अगर पहले progressive कदम उठाये गये तो इस से लड़ाई झगड़े बढ़ जायेंगे यह हो जायगा और वह हो जायेगा एक बात मेरे फाज़िल दोस्त सरदार भूपिंदर सिंह मान ने भी कही कि अमृतसर से लेकर रोहतक तक झगड़े खड़े हो जायेंगे और कत्ले आम हो जायेगा। उन्होंने इस तरह की हैरान कुन बातें की हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इन बातों का इस amendment से कोई ताल्लुक नहीं है। (These things have no concern with this amendment.)

मौलवी अब्दुल गनी डार : मैं जनाब अपने points पर ही आ रहा हूं। वह कहते हैं कि लाठियां चलेंगी कत्ले आम हो जायेगा। एक तरफ तो यह कहते हैं कि ऐसा होगा और दूसरी तरफ कहते हैं पंचायतें इन्तज़ाम करेंगी। मैं अर्ज़ कर दूं कि ऐसी बातें करने से कुछ नहीं बनता जब तक जवाहर लाल जी जिंदा हैं democracy में इस तरह की सहूलतें मिलती ही जायेंगी। और मुल्क का कदम तरक्की की तरफ बढ़ता ही जायेगा। Government उस वक्त तक ही चलनी चाहिये जब तक कि वह अच्छी तरह काम काज चला सकती हो। मगर ज्यूं ज्यूं गांव में तालीम फैलेगी इन्हें मालूम होगा कि पंचाययतें सारा काम किस तरह से चलाती हैं आज हम पंचायतों को ताकत देने पर तुले हुये हैं। मेरे मुहतरिम वज़ीर साहिब जिन्होंने कि मिनिजा मुराम ......
(*Interruption*)

सरदार राजिंदर सिंह : On a point of order, Sir, क्या कोई hon. Member ऐसी भाषा बोल सकता है जिसे कोई समझ ही ना सके।

Mr. Deputy Speaker : Order, order Please.

मौलवी अब्दुल गनी डार : हमारे Minister साहिब कैसे और कितने हर दिल अज़ीज़ हैं कि वह लोगों में धड़े बंदियां और झगड़े पैदा नहीं कराना चाहते लेकिन

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

गुड़गांव में वह भी फेल हो गए। रात्रो गजराज सिंह जी ने फरमाया कि हरिजनों की तादाद में सरपंच हटाये गये हैं जोकि सरकारी धड़े से या political party से ताल्लुक न रखते हों लेकिन इस के यह मायने नहीं है कि अगर लोग ऐसे हैं तो कानून खराब है। अगर कानून में किसी तरह की खामियां या त्रुटियां हैं तो वह दूर भी की जा सकती हैं। मैम्बर साहिबान अब भी अपने वजीर साहिब को मशविरा दे सकते हैं, राठी साहिब और चौधरी लहरी सिंह ऐसे differences के मुताल्लिक जा कर सलाह करें वह बड़े हंसमुख हैं अगर जायज़ बात होगी तो वह ज़रूर मान जायेंगे। एक बात उन्होंने औरतों के मुताल्लिक कही और यह कहा कि वह नामज़दगी तो करेंगी मगर उन को वोट का कोई हक नहीं होगा मैं समझता हूं कि यह तो एक तरह की दो अमली है। जिस तरह शहरी और देहाती का आप सवाल पैदा करना चाहते हैं, Jat और non Jat का सवाल पैदा किया जा रहा है इस तरह से यह एक और differences का चित्र पुरुष और स्त्री जाति में भी पैदा किया जा रहा है।

सरदार करतार सिंह दीवाना: यह तो खादर के इलाके में ही होता होगा।

मौलवी अब्दुल गनी डार: डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह बात कह रहा था कि दूसरी औरतों को मैं बहन और बेटियों के समान समझता हूं। हमें इस बात को भी भूलना नहीं चाहिये कि ज्यूं ज्यूं वह फले फूलेंगी उन की कदर भी गांव में ज्यादा से ज्यादा होगी और वह अपने हकूक की हिफाजत आसानी से कर सकेंगी आखिर यह बात भी है कि अगर वह जरा फराख दिली से सोचें तो चौधरी साहिबान लहरी सिंह और श्री चन्द भी मान ही जायेंगे। देखने वाली बात यह है कि जो पिछड़े हुये हैं उन को सारे हकूक मिलने चाहियें। अगर उन के दिल में ज़रा भी ईर्षा ना हो तो यह बात साफ साफ हो जायेगी कि औरतें मर्दों की इज्जत हैं। अगर उन को पंचायतों में हकूक दिये जायें तो जरूरी है कि सारे काम ठीक तरह से चल सकेंगे अगर कोई कानूनी दिक्कत है तो यह भी दूर की जा सकती है। गो मैं वकील नहीं और Law से भी वाकिफ नहीं मगर इतना जरूर जानता हूं कि जुरमाने की सज़ा जो 100 रखी गई है यह बड़ी थोड़ी है। इस तरह तो लोग 100 रुपया देकर रोज़ाना चोरी की वारदातें करेंगे। जब तक मैं इस हाऊस में ना आया था उस वक्त मुझे यह अहसास था कि अफसरान वज़ारत के साथ जरूर तआवन रखते होंगे मगर अब पता चला है कि अफसरान कोई तआवन नहीं रखते इस तरह के गलत और नाकस कानून बनाये जाते हैं जिन से सरकार का रुपया बरबाद होता है और बार बार कानून लाने पड़ते हैं। इस तरह के in complete बिल इस House में लाना इस House के साथ सरासर अन्याय है। इस से सरकार की बदनामी होती है जो tax लगाये गये हैं यह सूबा को ऊंचा उठाने के लिये लगाये गये हैं लेकिन इस पर भी Members की तरफ से बड़ी नुक्ता चीनी हुई है और टीका टिपनी की गई है इस के साथ ही फजूल खर्ची का भी ज़िक्र किया गया है कि फलां कोई Income tax अदा नहीं करते और फलां को 400 रुपये का वकील किया गया।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[मौलवी अब्दुल ग़नी डार]

जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, यहां लाबी में यह शोर हो रहा था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में Mr. Chatterji को अपना वकील किसी co-operative Bill की arbitration से किया। और करीबन 35 हज़ार दिया ऐन वक्त पर उन्होंने Mr. R. P. Kapur साबक कमिशनर को कह दिया कि मैं जा कर पेश नहीं हूंगा। तो इस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

मौलवी अब्दुल गनी डार : तो मैं कहना चाहता हूं कि वज़ीर साहिब यह देखें कि रुपया बर्बाद तो नहीं होता। एक चीज़ और कह दूं जनाब कि यह direct nomination वाली जो बात है उस से यह होगा कि हरिजन सरपंच नहीं बन सकेगा। इस लिए जो राठी साहिब का suggestion है वह मान लिया जाए।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ग्रामपंचायत बिल जिस मकसद से यहां लाया गया है, उसे सरकार कहां तक पूरा कर सकेगी, इसमें संदेह वाली बात है। डिप्टी स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनता लगभग 80 फी सदी ग्रामों में ही रहती है और इस लिये ग्रामों की उन्नति देश की उन्नति है। जिस प्रकार हम अपने देश में प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त को चलाना चाहते हैं उसी प्रकार हमारी सरकार को चाहिए कि ग्रामों की पंचायतों को भी उसी level पर काम करने के लिये अवसर दे। प्रजातन्त्र में decentralization of power एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। और हमारी सरकार भी इन्हीं सिद्धान्तों पर ग्रामों को कुछ powers देना चाहती है। लेकिन मैं पंचायत के बारे में अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं कि पहले की पंचायतों में और आज कल की पंचायतों में ज़मीन आसमान का अन्तर है। उस वक्त आज की तरह कोई भी व्यक्ति पंचायत के सामने झूठ नहीं बोलता था और पंच को तो लोग परमेश्वर की तरह मानते थे। उसके फैसले को सिर आंखों पर उठाते थे। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, मन्त्री महोदय ने जो Provision Bill में रखी है, वह बड़ी अजीब है। पहली बात तो यह कही है कि ग्राम-सभा के सदस्य सभी ग्रामीण होंगे और एक साथ उस सभा का सरपंच चुना जायेगा। मैं इस provision का स्वागत करता हूं लेकिन अगर उसे ज्यादा powers के साथ empower न किया गया तो उसकी गर्दन पर हरदम तलवार लटकने जैसा खतरा बना रहेगा। इस लिए मैं कहता हूं कि उसको ज्यादा powers मिलनी चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिब पिछड़े हुये लोगों के बारे में यह कहा गया कि उन्हें आबादी के अनुसार नुमाइंदगी मिलनी चाहिये तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा प्रान्त में औरतें भी पिछड़ी हुई हैं जैसा कि अभी चौधरी लहरी सिंह जी ने कहा कि उन्हें चौपाल तक पर नहीं चढ़ने दिया जाता। इस लिये उन्हें भी बाकायदा अधिकार मिलने चाहिए। क्योंकि यदि उन्हें co-opt किये जाने का अधिकार हरिजन मैम्बर की तरह तो मिल गया और vote का अधिकार न मिला तो मैं कहता हूं कि यह सिद्धान्ततः गलत बात है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

और जो औरतें पिछड़ी हुई कहलातीं हैं उनके साथ एक बड़ा भारी अन्याय होगा। मैं मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां औरतों को co-opt होने का अधिकार दिया गया है वहां उन्हें मैम्बर बन जाने पर वोट का अधिकार ज़रूर दिया जाना चाहिए। फिर डिप्टी स्पीकर साहिब, हमारी सरकार कहती है कि हमें गांव की security के लिए voluntary force चाहिए। मुझे इस का मतलब समझ नहीं आया। सारे प्रदेश के law and order को maintain करने के लिए police का department मौजूद है, Security Department मौजूद है और उस के Allied Departments भी मौजूद है। फिर देहात में voluntary force का क्या मतलब है। इस के पीछे अध्यक्ष महोदय, motive है। वह यह है कि Government चाहती है कि इस voluntary force में अपनी party के लोगों को भरती कर के विरोधी दलों के लोगों को कुचला जाए। यह बात ठीक नहीं है। इस के इलावा टैक्सों का बोझ लोगों पर दिन प्रति दिन ज्यादा से ज्यादा डाला जा रहा है और उन का खून निचोड़ा जा रहा है। अब यह देहाती लोगों पर टैक्स लगाने का अधिकार पंचायतों को दे रहे हैं। यह बिल्कुल नाजायज़ चीज़ है। मैं जानता हूं कि वज़ीर साहिब उठ कर कह देंगे कि देहात की development के लिए tax लगाने ज़रूरी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि villages की development करने के लिए और बहुत से साधन मौजूद हैं। हमारी जो सरकार है इस ने और बहुत से tax लगाए हुए हैं। यह House Tax लेती है, Property Tax लेती है और अनेकों प्रकार के tax लेती है। यही नहीं पंजाब के बहुत से ऐसे शहर हैं जिन में दाल रोटी पर भी tax लगाया हुआ है। इस लिए पंजाब सरकार को चाहिए कि ग्रामों के विकास के लिए अपने funds में से पैसे दे और पंचायतों को tax लगाने का अधिकार बिल्कुल न दे इस के इलावा यह कहा गया है कि ग्राम के programme को execute करने के लिए महला मण्डल और Farmers Forum बनाए जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्होंने एक पाखंड बना रखा है। मैं यह लफ्ज़ इस्तेमाल करता हुआ, आप से मुआफी चाहूंगा मगर इस के इलावा और कोई appropriate लफ्ज़ नहीं है जो मैं use करूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर ज़िले में Deputy Commissioner, Public Relations की meeting करते हैं और वहां पर यह कहा जाता है कि Farmers Forum की भरती करनी चाहिए।

Mr. Deputy Speaker: Please tryte be relevant.

श्री मंगल सैन: मैं relevant बोल रहा हूं। आज जो tradition set up की जा रही है वह बिल्कुल गलत है। अगर यह Government ऐसी त्रुटियां करती गई और कल को कोई दूसरी Government यहां पर आ गई तो वोह भी ऐसी ही वातें करेगी। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो farmers forum की जमात बनाई है यह इन्होंने अपने political interests को

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री मंगल सैन]

मुख्य रखते हुए बनाई है। इस के members Block Development Officers, Tahsildar, नायब तहसीलदार, कानूंगो और पटवारी भर्ती करेंगे और इस forum के President हमारे Chief Minister साहिब हैं। यह दिखाने के तौर पर एक non-political जमात बना कर उस से political काम लेंगे जैसे कि पहले भारत सेवक समाज में यह ऐसा कर रहे हैं। भारत सेवक समाज को भी non-political Body दिखा कर सरकारी मुलाज़मों को उस के मैम्बर बना कर अपने political काम करवाने का इन्होंने रास्ता निकाला हुआ है। वह एक semi Government Body है। ठीक इसी तरह से Farmers Forum को अपने political कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं (घंटी) इस के आगे clause 25 में लिखा हुआ है "power to remove difficulty"। Deputy स्पीकर साहिब आज तक किसी Government ने भी ऐसी power नहीं ली जैसी यह Government लेना चाहती है। इस में लिखा हुआ है कि जहां जहां सरकार को difficulty पेश होगी उस को दूर करने के लिए Government इस Act को amend कर लेंगी और उस के लिए एक साधारण तरीके से notification कर देगी। इस से बढ़ कर undemocratic कदम और क्या हो सकता है। यह ठीक है कि जिस party के हाथ में आज हकूमत है उन की brute majority है जैसे चाहे वह कर ले। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उन के अपने साथी जो हैं उन की ज़मीर कुछ और कहती है लेकिन वह बेचारे लाचार हैं पार्टी discipline के डण्डे की वजह से। इस लिए मैं Government से निवेदन करूंगा कि ऐसी clause पास करके बाकी देशों के लोगों को अपनी मूर्खता का documentary सबूत न दें। इन शब्दों के साथ मैं इस Bill की पुरज़ोर मुखालिफत करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

(Minister for Community Development rose to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇ closure motion move ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ Minister ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ members ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ time ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

श्री उपाध्यक्ष : Closure motion move हुई थी मगर मैं ने खुद रोक दिया था ताकि दो तीन members और बोल लें। Closure was moved but I had disallowed it so that an other two or three members might be able to participate in the debate.)

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਅਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਜ਼ 25 ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੇਨ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜ ਤਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਜ਼ 25 ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਸੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਲਾਜ਼ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ provision ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਰਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਨਰਥ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗੇ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲ ਇਸੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ ਬਹੂ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ comma ਤਕ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ 1957 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 1958 ਅਤੇ 1959 ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਦਿਉ।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਲਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਹਨ :—

1. The Punjab Laws (Extension No. 1) Act, 1957.
2. The Punjab Laws (Extension No. 2) Act, 1957.
3. The Punjab Laws (Extension No. 3) Act, 1957.
4. The Punjab Laws (Application) Act, 1957.
5. The Punjab Laws (Extension No. 4) Act, 1958.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਛੇਵਾਂ ਐਕਟ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹੋ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ comma ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। (*Interruptions*) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕਲਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਉ।

चौधरी धर्म सिंह राठीं : उस Act का नाम भी बता दो। हम देखना चाहते हैं कि क्या पारलीमैंट में भी आप जैसे ही बैठे हुए हैं (हंसी)

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ ਵੀ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ "The Opium Revenue Laws (Extension and Application) Act, 1950." ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ Removal of Difficulties ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

> "If any difficulty arises in giving effect to the provisions of any of the Acts, rules or orders now extended to any part of India in which they were not in force before the commencement of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provision or give such direction as appears to it to be necessary for removing the difficulty."

ਇਹ ਐਕਟ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਲਾਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਵਾਕਫੀਅਤ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੇ ਬੜੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਐਨੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨੀ ਵੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਕੇ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ੱਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ drafting ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ election ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਰੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ removal ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੀ 2/3 ਤਾਦਾਦ ਉਸ ਨੂੰ remove ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਇਥੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ remove ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ two-third majority ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਵਾਕਫੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ drafting ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "No person who is not a member of the Sabha." ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ

> (5) No person who is not a member of the Sabha....
> shall be entitled to stand for election as, or continue to be, a Sarpanch or Panch.

ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਰੀਜਨ reserve ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ election ਲੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਉਪਰਲੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਉ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰਲੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਿਰੀ ਚੰਦ ਹੋਰੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਰੀਜਨ reserve seat ਤੇ elect ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੂਜਾ election ਲੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੋ 1952 ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਤੀ ਭਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਜਨ reserve seat ਤੇ ਪੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ election contest ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ 7, 8 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਉਥੇ ਦੋ ਹਰੀਜਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣਾਉ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ prescribed authority ਕਹੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Constitution ਨੇ ਹੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ reserve ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

[ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜੋ ਹਕ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾਂ ਹੈ ਉਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਹਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ election ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁਟਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਰੀਜਨ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ । ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਜਨ ਸਰਪੰਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣੇਗਾ । ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਵਧਾਉ । ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ family planning ਮਗਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ family ਵਧਾਉਣ ਮਗਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਹਾਸਾ) ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉ ।

ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਜਿਥੇ ਹਰੀਜਨ ਸਰਪੰਚ ਬਨਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਨਣਾ ਹੈ । ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਮਨ ਰਹੇ । ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਘਟ ਹੋਣ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਫੈਲੇ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ election ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਰਨ । ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ election ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ election ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ Pepsu ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਗਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ । ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ character ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ provision ਹੈ । ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਿਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਰਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਗਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ provision ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਕਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੁਣੇ । ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਣ । ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੇਰਾਲਾ ਵਿਚ revenue ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ 10 per cent revenue

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਘਟ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਔਰ 60 per cent ਦੀ ਗਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਮੈਸੂਰ ਵਿਚ 12½ per cent ਹੈ ਔਰ ਕੇਰਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 10 per cent ਦੀ provision ਚੰਗੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਆਮਦਨ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ subsidy ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘਟ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਦਬਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਲਈਏ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਇਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਖਤਿਆਰ ਇਨੇ ਘਟ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਣ । ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ । ਦਰਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ । ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਵਰਨਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ । ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸੰਤੋ ਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਢੂੰਗੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਉਥੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker: Order please.

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ provision ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮੇਰੀਆ ਭੈਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ. (ਘੰਟੀ) ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker: Please wind up. The restriction of time is applicable to you as well.

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖ ਸੀ । ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਸੀ ? ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਧ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਵਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ provision ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਸਰਪੰਚ ਬਨਣ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਈਏ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਕੂਲ ਸਨ ਨਾਂ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸਨ । ਦੂਜੇ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ provision ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਉਚਾ ਕਰੀਏ । ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Secretaries ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਖਤਿਆਰ ਹਨ । Secretaries ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ supervision ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ । ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਪੰਜ ਸਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ । ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ provision ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ । ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭੜੋਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਸ਼ਾਮਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀਆਂ । ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਠੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਾਠੀ ਸਾਹਬ ਨੇ Kamla Nehru Stadium ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਥੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ project ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ training ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਆਪਦੀ ਮਾਰਫਤ ਰਾਠੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ project ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, । ਮੈਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਬ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਉ ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਜਨ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ । ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਰਾਉ ਸਾਹਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਜ਼ਤ ਹੈ । ਇਕ ਸਰਪੰਚ ਪੰਜ ਛੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ dismiss ਹੋ ਗਿਆ । ਪੰਜ ਛੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਮੁਕਦਮੇ ਵਿਚ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰਾਉ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਭੈੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ dismiss ਜਾਂ suspend ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ।

ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਚੌਧਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ drafting ਖਰਾਬ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਿਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]

ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਰਾਜਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਲੂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । Trini tax ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ Forest Department ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । Kulu Sub-division ਵਿਚ ਕੂਹਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ ਤੇ development ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਹੈ, ਬਰਫੀ ਵਾਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਤੇ modern Panchayat Act ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ Panchayat Acts ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ । ਇਹ ਬਿਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ discuss ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਬਾਨ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ Panchayat Act ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ । ਪੰਚਾਂ ਔਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ elections ਹੋਣਗੀਆਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ।

6-0-0 p. m.

ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਨ ਰਾਠੀ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਂਗੇ ਤੇ ਤਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਣ, cottage industry ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰਖ ਸਕਣ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਰਖ ਸਕਣ । ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ waterlogging ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਗੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕਚੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਕੀਆਂ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਪਿੰਡ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ । ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

hospitals ਹੋਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ elections ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, as reported by the Regional Committees, be taken into consideration.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause

SUB CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

In sub-clause (2),- for "on such date as the Government may, by notification, appoint in this behalf" substitute "at once".

जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह चाहता हूं कि यहां पर "On such date" जो लफ्ज़ लिखे हैं उन को delete कर दिया जाए और "at once" के लफ्ज़ insert कर दिये जाएं। ये चाहते हैं कि गवर्नमैंट जब चाहे तब notification जारी करे। पता नहीं कि इस तरह से Act पास होने के बाद चार महीने निकाल दें या पांच महीने निकाल दें या कितनी देर लगा दें। मैं कहता हूं कि यह नहीं होना चाहिये। जिस वक्त पास हो उसी वक्त लागू हो जाना चाहिये। जब चाहें तब लागू करें जब न चाहें तब न लागू करें ऐसा नहीं होना चाहिये। ये तो कहते हैं कि देहात का नकशा बदलना है तो फिर जल्दी बदलें देर क्यों करते हैं। पहले मैं समझता था कि नकशा कोई और बनाता है अब मुझे पता लगा है कि नकशे भी यही बनाते हैं और अगर इन्होंने देहात का नकशा पलटना है तो फिर जल्दी पलटें। इस को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिये। ये तो हमें कहते हैं कि हम reactionary हैं लेकिन हम कहते हैं कि at once हो, खराबियों को दूर कर के at once लागू हो जाना चाहिये। Reactionary तो हैं राओ बीरेन्दर सिंह साहिब जो सारी उम्र अंग्रेजों के पैर पकड़ते रहे। हम reactionary नहीं हैं। ये खुद रुकावटें डालते हैं हम नहीं रुकावटें डालते। चौधरी सूरज मल reactionary हैं, सरदार गुरबन्ता सिंह reactionary हैं जिन्होंने सारी उम्र अंग्रेजों की मुलाज़मित की और कहते हैं कि हम अंग्रेजों के पिट्ठू थे। मैं कहता हूं कि यह बिल फौरन लागू होना चाहिये और ये कहते हैं कि नहीं। हम तो 1942 में दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, 1857 में अंग्रेजों को हिन्दोस्तान से निकालने में लगे रहे और सरदार गुरबन्ता सिंह और इन के साथी उन की मदद करते रहे। अगर इस से नकशा पलट जाएगा और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]
और भी फायदा हो जाएगा तो फिर लागू करने में क्यों देर करते हैं। मेरी amendment को मानो और इस को जल्दी लागू करो। लेकिन वज़ीर साहिब कहते हैं कि लोग इन के पीछे फिरें वे इन की खुशामद करें कि Gazette कर दो, notification जारी कर दो। इस तरह से ये लोगों को exploit करना चाहते हैं। ये अख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। मैं वजह नहीं समझा कि क्यों यह बात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जिस रोज़ गवर्नर साहिब से मंजूरी आ जाए उसी रोज़ यह लागू हो जाना चाहिये।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

In sub-clause (2) ,- for " on such date as the Government may, by notification, appoint in this behalf ", substitute "' at once".

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ? ਇਹ ਤਾਂ understood ਹੈ ਜਦੋਂ bill ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ notification ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In sub-clause (2),- for " on such date as the Government may, by notification, appoint in this behalf", substitute "at once".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of Clause 1, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill."

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 2, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 3, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

(*At this stage Chaudhri Dharam Singh Rathi rose to move all his amendments to clause 4.*)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि यह अच्छा रहेगा कि हम इस clause के provisions को sectionwise लेते जाएं। (I think, it will be better if we take up the provisions of this clause sectionwise.)

SECTION 4 OF CLAUSE 4

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Section 4 of Clause 4, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

SECTION 5 OF CLAUSE 4

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Section 5 of Clause, 4, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

SECTION 6 OF CLAUSE 4

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

In proposed section 6 (1) , line 3,- delete " a Chairman of the Sabha and".
In proposed section 6 (1) , line 10, - between " area" and ": "" , insert—

" and the members of the executive committee shall elect its Chairman in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and in the event of equality of votes decision shall take effect by lot".

In proposed section 6 (1), — delete the proviso.

In proposed section 6, —delete sub-section (3).

In part (a) of first Proviso to proposed section 6 (4) , line 3,— for " one panch",, substitute "five panches".

In part (b) of first proviso to proposed section 6(4), line 3,— for "two panches" substitute "seven or more panches".

Delete part (c) of first proviso to proposed section 6 (4).

In part (d) of first proviso to proposed section 6 (4), line 7—

for "nominating " substitute "re-election in the same manner of".

Delete third proviso to proposed section 6 (4).

डिप्टी स्पीकर साहिब, पहली amendment मेरी जो कि मैं ने move की है, यह है कि Chairman का election direct नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत भारी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी सब से बड़ी दिक्कत तो यह है कि छोटी जातियों के लोग, हरिजन भाई सरपंच elect नहीं

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

हो सकेंगे। दूसरे यह कि सरपंच की direct election होने से किसी पंचायत का काम नहीं चल सकेगा। जब पंचायत का काम नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट को हक हासिल होगा कि वह उस को तोड़ सके। डिप्टी स्पीकर साहिब, दरअसल यह सरकार खुद भी यही चाहती है कि पंचायतों की बाग डोर इन के हाथों में ही रहे, पंचायतों को तोड़कर अपने आदमी वहां nominate कर दें। क्योंकि यहां पर इन को यह अख्तियार है कि जो पंचायतें टूट जाएं, वहां पंच nominate करने का इन को या Director को अख्तियार होगा। इसी मकसद को पूरा कराने के लिए इन्हों ने chairman की direct election का provision रखा है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं अब इस के practical aspect को आप के सामने रखना चाहता हूं। फर्ज़ कीजिए कि एक पंचायत के पांच मेम्बर एक ख्यालात के होते हैं और सरपंच किसी दूसरी party का होता है। उस हालत में क्या होगा? जो फैसला panches करेंगे वह सरपंच को मंजूर न होगा और जो कुछ सरपंच कहेगा उस पर उन पांचों को एतराज़ होगा। कागजात सरपंच अपने हाथों में दबाए रखेगा तो लाज़मी तौर पर एक crisis पैदा हो जाएगा। और फिर इस crisis को solve करने के लिए बिल के अन्दर किसी भी clause में इन्होंने सरपंच के लिए किन्हीं executive powers या खास अख्तियारात की provision नहीं की। इस बात का जवाब वज़ीर साहिब ने अपनी इस speech में भी देने की कोशिश नहीं की बल्कि यही कहा है कि यह बहुत अच्छा system है। सीधे यानी direct election में क्या difficulties पेश आएंगी इन को बिल्कुल किसी तरह से भी ख्याल में रखने की तकलीफ गवारा नहीं की गई। इस के बारे में मैं तफसील के साथ आगे भी अर्ज़ करूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस clause No. 4 के section 6(1) में जो यह अल्फाज़ "a chairman of the Sabha and ", हैं इन को delete किया जाये। मैं यह चाहता हूं कि सरपंच या चेयरमैन के चुनने का अख्तियार जो होना चाहिये वह सिर्फ Executive Committee को होना चाहिये। Executive का यहां क्या मतलब है। Executive का मतलब यह है कि इस के अन्दर जो तमाम पंच होंगे उन्हें executive committee define किया गया है। यह मैं इस लिये चाहता हूं क्योंकि इस तरह से जो सरपंच होगा वह तमाम पंचों को अपने confidence में रखेगा। वह चाहेगा कि उन का confidence उस में बना रहे और इस तरह से जो पंचायत का काम होगा वह harmonious ढंग से चलेगा। इस बारे में वज़ीर साहिब ने यह खदशा ज़ाहिर किया है कि इस तरह से वह सरपंच बाकी पंचों के पीछे पीछे भागा फिरेगा और independently काम नहीं कर सकेगा क्योंकि वह उन को हर कीमत पर अपना बना कर रखने की कोशिश करेगा। इन का यह कहना कि ऐसी बात होगी गलत है। यह देखने में आया है कि ऐसी बात नहीं होती है क्योंकि उस के Principal Act में यह provision है कि

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Director Panchyats की मंज़ूरी के बग़ैर पंच सरपंच के खिलाफ non-confidence motion नहीं ला सकते और Director की मंज़ूरी के बगैर किसी valid reason के हासल नहीं हो सकती। क्योंकि Director तो यह देखेगा कि जो no confidence का motion है वह in the interest of the Panchyat है या कि नहीं है। इस लिये पंचायतों के काम को अच्छी तरह से चलाने के लिये इस से बेहतर कोई और दूसरा तरीका नहीं हो सकता।

इस से आगे मैं ने एक और amendment दी है और वह यह है कि इस में यह जो औरतों को हक दिया गया है यह बिल्कुल meaning less है। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं ने पहले भी अर्ज़ किया था और अब फिर करता हूं कि इस clause के section 6(3) के अन्दर औरतों को यह दिया हुआ है।

(3) No woman co-opted as a Panch under the proviso to sub-section (1) shall have the right to vote at a meeting of the Gram Panchayat.

यह है जो Hindi Regional कमेटी की report में दिया हुआ है लेकिन अब हमारे वज़ीर साहिब कहते हैं कि इस sub-clause को तब्दील कर दें और hon. lady Member श्रीमती ओम् प्रभा जी ने एक amendment भी दे दी है। (*Interruption by Shrimati Om Prabha Jain*) मैं कहता हूं कि श्रीमती ओम् प्रभा जैन की amendment in order नहीं है। इन को अब किसी amendment के देने का अख्तियार हासल नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : यह देखना कि किसी की amendment in order है या नहीं यह मेरा काम है आप का काम नहीं है। (To decide whether an amendment given notice of by an hon. Member is in order or not, is the job of the Chair and not that of the hon. Member speaking.)

श्रीमती ओम्प्रभा जैन : On a point of order, Sir. मैं ने जो amendment का notice दिया है ..

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप बैठ जायें। जब आप की amendment आयेगी तब देखा जायेगा। (The hon. Lady Member may resume her seat for the present. It will be examined when her amendment comes before the House.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : तो डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ कर रहा हूं कि Presidential Order में यह साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई मेम्बर किसी Regional Committee की किसी बिल पर जो report होती है, उस पर कोई अपना dissenting note नहीं देगा तो वह बिल जब इस हाउस के सामने आयेगा उस में कोई amendment नहीं दे सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप clause की किस Sub-Section पर बोल रहे हैं? (On which Sub-Section of the clause the hon. Member is speaking?)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं clause 4 के sub-section 6(3) पर बोल रहा हूं। अभी मेरी बहन श्री मती ओम् प्रभा जैन ने point of order..

श्री उपाध्यक्ष : आप इस point of order के जवाब को रहने दें। जब यह raise होगा तब इस का जवाब दे दिया जायेगा। अभी से आप क्यों इस बारे में कह रहे हैं। (The hon. Member need not reply to this point of order. It shall be examined as and when it is raised. Why is he trying to discuss it before hand.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिब, जो probable arguments आने वाले हैं मैं उन का जवाब दे रहा हूं। इस लिये मैं यह बता रहा हूं कि मेरी बहन श्रीमती ओम् प्रभा जैन को इस stage पर amendment move करने का कोई अख्तियार नहीं है। जो amendment कायदे के अन्दर आ ही नहीं सकती वह किस तरह से मेम्बरान को distribute की गई है। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूं कि यह हक औरतों को नहीं मिलना चाहिये और यह के sub-section delete होना चाहिये। अगर मिनिस्टर साहिब चाहते हैं कि इन की जाति में ज्यादा progress हो तो यहां यह लिख दीजिए कि जो औरतें पंचायत की मेम्बर बने वह हरिजन औरत बने। (हंसी) (*Interruptions*)

Mr. Deputy Speaker : Order please.

चौधरी धर्म सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरदार गुरबन्ता सिंह को ज्यादा progress की ज़रूरत है और वह ज्यादा progressive होने की ज़रूरत समझते हैं तो इस का एक यह तरीका है कि जो right यह औरतों को देना चाहते हैं वह यह सिर्फ हरिजन औरतों को दें। हमारी औरतें तो अभी चौपाल में भी नहीं चढ़ने लगीं। मैं यह कहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप mike से ज़रा पीछे हट कर बोलें। आप तो mike के बग़ैर भी अच्छा बोल सकते हैं। (The hon. Member may speak keeping the mike at a little distance. He can do without a mike even.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि अभी हमारी औरतों ने तरक्की नहीं की। अभी हमारी औरतें अनपढ़ हैं। हमारी औरतों में से अभी 99.9 per cent पढ़ी हुई नहीं हैं। और अभी परदा रखती हैं इस लिये वे आगे आ नहीं सकती। अभी तो उन के लिये इन चीज़ों की ज़रूरत है कि एक तो उन का परदा वगैरह दूर किया जाये और दूसरे उन की तालीम का इन्तज़ाम किया जाये। इस के बाद यह चीज़ हो सकती है। इस लिये मैं यह कहता हूं कि यह जो sub-section 6(3) है यह बिल्कुल delete होनी चाहिये। और जैसा कि अब वज़ीर साहिब चाह रहे हैं इस में vote का हक for every woman कर दें, यह

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

नहीं होना चाहिये। जो हिन्दी रिजनल कमेटी की रिपोर्ट है अगर आप इस में कोई amendment करेंगे जिस का आप को कोई अख्तियार नहीं है, तो यह सारे का सारा बिल गवर्नर साहिब के पास जायेगा। अगर आप इस में से एक clause या एक लफ्ज़ भी बदलते हैं तो whole bill will go the Governor और presidential orders के मुताबिक गवर्नर साहिब को यह छूट है कि जैसा उन का जी चाहे वैसा करें। यह उन की मर्ज़ी पर होगा कि वह चाहें तो Hindi Regional Committee की report के मुताबिक इसे रखे या दूसरे को रखें। यह उन की discretion पर है इस लिये आप कोई ऐसी situation पैदा न करें जिस से मुश्किल पैदा हो और जिस से हाउस की बजाये यह खुल गवर्नर को मिल जाये। इस लिये मैं फिर कहता हूं कि कोई ऐसी position पैदा न करें।

इसी तरह से sub-section 6(1) में मैं यह चाहता हूं कि किसी पंचायत के जितने भी पंच बनें अगर वे पांच बने तो भी और 7 बने तो भी यह सारे के सारे पांच या सात जितने भी हों मेरी amendment के मुताबिक हरिजन ही बनें। इस के लिये वजूहात यह हैं कि बहुत पुश्तें गुज़र गई हैं और हज़ारों साल हो गये हैं जब से इन हरिजनों को इतना दबा कर रखा हुआ है कि आज भी इन की यह हालत है कि वे किसी दूसरी जाती वालों के साथ एक खाट पर भी नहीं बैठ सकते और चौपाल पर जब कोई फैसला होता हो तो वह नहीं चढ़ सकते। और जब पंचायत ने फैसला करना हो तब हरिजनों को कोई पूछता ही नहीं।

डिप्टी स्पीकर साहिब, आज यह कहते हैं कि हम 5 पंचों की बात कर रहे हैं, वह जो कि महात्मा गांधी कहा करते थे। आज अगर यह हरिजनों को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो यह क्यों न कर दें कि हरिजन ही हर जगह प्रधान होंगे और अगर यह कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतना ज़रूर कर दें कि हर गांव का प्रधान हरिजन ही हो (*Interrupions*)।

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : On a point of Order, Sir. It is 6-30 p.m.

Mr. Deputy Speaker : The sitting is to continue up to 7-00 p.m.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, could I know when was it decided that the sitting would continue till 7-00 p.m. today and on whose motion was it decided. (*Interruption*) In the list of Business for today [26th April, 1960], that has been circulated to the Members it is stated that the Sabha will meet at 12-30 p.m. but not that it will continue to sit up to 7-00 p.m. Moreover, it could not be decided yesterday. The motion for extending the time of the sitting has not been moved in the House. It will be very unjust to make everybody sit up to 7-00 p.m. more particularly when the sitting commenced at 12-30 p.m. We have been sitting for six hours at a stretch. Instead why is not said, "you will pass the Bill and then only you can go"

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : It is 6-30 p.m. now and the House will sit up to 7-00 p.m. and then it will adjourn to meet tomorrow.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : It is 6-30 p.m. now and the House cannot sit any further today.

Mr. Deputy Speaker : It is the decision that the House will adjourn at 7-00 p.m.

Tomorrow also, the House will meet at 11-00 a.m. and may adjourn at 7-00 p.m.

Sardar Atma Singh : Sir, what about the private Members' day that falls on the 28th April, 1960

Mr. Deputy Speaker : It is up to the House. If the House decides to adjourn *sine die* tomorrow then there is no question of any meeting on day-after-tomorrow.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं जनाब, उसी point पर ही बोलता हूं, repetition नहीं कर रहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में यह जो 5 पंच रखे गये हैं क्या यह इस लिये रखे गये हैं कि सरदार गुरबन्ता सिंह वज़ीर साहिब, पछड़े हुये हरिजनों को ऊपर उठाना चाहते हैं। इन का यह कहना कि देहातों का नकशा उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक कि हरिजन ऊपर न उठाये जायें मैं कहता हूं कि नकशा उस वक्त तक नहीं बदल सकता जब तक इन को पंच और सरपंच न बनाया जाये। अगली clause के अन्दर यह भी दिया गया है कि 7 पंच हों और वह जो 7/7 पंच होंगे उन के लिये भी वही वजूहात दी गई है जो कि इन 5 के लिये कही गई है। मैं इन को repeat नहीं करना चाहता क्योंकि House का वक्त बड़ा कीमती है। आगे चल कर उन्हों ने Nominating clause 4(d) दी है।

> "(d) in case the requisite number given in sub-clauses (a) and (b) of members of Scheduled Castes are not elected in the manner given avove, the prescribed authority shall make up the deficiency by nominating duly qualified person or persons of such castes."

डिप्टी स्पीकर साहिब यह इतना जुल्म है, हरिजनों के साथ अगर वह किसी को elect नहीं कर सकते तो scheduled castes में से किसी को nominate कर दें। मैं ने आज तक इस किस्म की कभी कोई proviso नहीं देखी। वज़ीर साहिबान हमेशा nomination के खिलाफ कहते रहे हैं, मगर आज जब nomination इन के हाथ आ गई है तो यह इस किस्म की बातें करते हैं nomination की बात जुदा रही असूल की कोई बात नहीं की जा रही। बात इतनी कर रहे हैं मगर असूल को चलाने का नाम नहीं लेते। बल्कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। जो विधान में लिखा हुआ है उस की खिलाफ वर्ज़ी की जा रही है। मैं कहता हूं कि इस तरीका से अगर उन्हों ने election करवानी है तो इस का कोई फायदा नहीं होगा बल्कि यह विधान की खिलाफ वर्ज़ी होगी। मैं चाहता हूं कि उस तरीका पर election हो जैसे कि पहले होती थी। इस तरीका से वही लोग गांव के पंच बन सकते हैं जिन को

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

लोग चाहते हैं। अगर कोई भी हरिजन elect नहीं होता तो उस की nomination नहीं होनी चाहिये बल्कि यह जगह खाली ही रहने देनी चाहिये क्योंकि nomination से सही नुमायंदे हरिजनों के नहीं आ सकेंगे। यह हक उस गांव के area का है और उसे ही यह हक मिलना चाहिये। इस लिये मैं इस की सख्त मुखालफत करता हूं। मैं तो कहता हूं कि nomination का system बिल्कुल ही उड़ा देना चाहिये जहां पर कि democracy हो। स्पीकर साहिब, इस के बाद यह जो basis of the population adopted for the purpose of determining the representation of members belonging to the Scheduled castes है यह delete होनी चाहिये। यह इनसाफ पर मबनी नहीं हैं पांच सात हरिजन होंगे इस का वहां पर कोई मतलब ही नहीं है। मुझे हैरानी होती है कि Government में कितने कितने काबिल आदमी बैठे हुये हैं। section 6 चल रही है इस की section 5 के अन्दर (k) add कर दी गई है मैं हैरान हूं कि यह क्या करते हैं या क्या नहीं करते ? इस "k". section के अन्दर यह दर्ज किया गया है —

is an employee of Sabha or Gram Panchayat ; or
is a tenant or lessee holding a tenancy or lease under the Gram Sabha or is in arrears of rent of any lease or tenancy held under the Gram Sabha or is a contractor of the Gram Sabha."

At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.

स्पीकर साहिब, हमारे हरिजन भाइयों ने यह नहीं सोचा कि यह क्या है। हिन्दी रिजनल कमेटी की रिपोर्ट में यह कि कोई भी tenant ,कोई भी contractor या कोई ऐसा आदमी जिसके arrears बाकी हों वह आदमी पंच बनने के लिये खड़ा नहीं हो सकता। यह है गवर्नमैंट की दानिशमंदी का सबूत। और documentary proof इसके अन्दर यह करवाते कि " of the Gram Sabha or Executive" तब तो ठीक है। यह इस को तब्दील नहीं कर सकते। अगर यह तब्दील करते हैं तो गवर्नर साहिब को अधिकार है और वह जो चाहेंगे, कर देंगे। (*Interruptions*) जनाब मैं यह कहता हूं कि यह बड़ी भारी ज्यादती है। और जो गरीब हैं, tenant हैं या जिन्होंने थोड़ी सी जमीन लेकर बोना शुरू कर दिया, उन पर पाबन्दी लग जायेगी। (घंटी) स्पीकर साहिब, मैं ने उस वक्त कह दिया था कि अगर मैं अपनी speech में irrelevant हुआ तो आप बन्द कर दें।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपको unnecessary prolong भी तो नहीं करना चाहिये । You are indeed prolonging the debate unnecessarily. This is unfair to the whole House. (The honourable Member should not prolong his speech unnecessarily. He is indeed unnecessarily prolonging the debate. This is un fair to the whole House.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं irrelevant नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो मैं जज करूंगा । (This I will judge.) The hon. Member may now wind up his speech.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं जनाब इसकी मुखालफत करता हूं कि यह क्लाज़ नहीं होनी चाहिये। और जो amendment मैं नें move की हैं, उनको ज़रूर मंजूर किया जाए क्योंकि इनके add हो जाने से बिल की शक्ल-सूरत अच्छी हो जाएगी। इन अल्फाज़ के साथ मैं इसकी मुखालफत करता हूं ।

Mr. Speaker : Motions moved—

In proposed section 6 (1) , line 10—
delete "a Chairman of the Sabha and".

In proposed section 6 (1), line a 10,—

between "area" and ":", insert—

"and the members of the executive committee shall elect its chairman in inaccordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and in the event of equality of votes decision shall take effect by lot".

In proposed section 6 (1),—
delete the proviso.

In proposed section 6,—

delete sub-section (3).

In part (a) of first Proviso to proposed section 6 (4), line 3,

for "one panch", substitute "five panches".

In part (b) of first proviso to proposed section 6 (4) , line 3,—

for "two panches" substitute "seven or more panches".

Delete part (c) of first proviso to proposed section 6(4).

In part (d) of first proviso to proposed section 6 (4), line 7,—

for "nominating" substitute "re-election in the same manner of".

Delete third proviso to proposed section 6 (4)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ clause ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ tenant ਨੂੰ, ਕਿਸੇ contractor ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ report ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਫ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਹੋਰੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ । ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ report ਸਫਾ 6 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ amendment ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Shrimati Om Prabha Jain (Kaithal) : Sir, I beg to move—

In proposed Section 6 (3), line 1, —

for " No" substitute "every".

Chaudhri Dharam Singh Rathi : On a point of order Sir. Shrimati Om Prabha Jain has not appended a Minute of Dissent to the Report of the Regional Committee. She, therefore, cannot move any amendment according to the Presidential Order.

श्री अध्यक्ष : जब यह बिल under consideration था तब वह unseat हो गई थी और उन्हें opportunity नहीं मिल सकी। इस लिये मैं ने allow कर दिया है। (When this Bill was under consideration, she was unseated and could not get an opportunity to move amendment, I have, therefore, now allowed her to move her amendment.)

श्रीमती ओम प्रभा जैन : मुझे बड़ी खुशी है कि स्पीकर साहिब आप ने चौधरी धर्म सिंह राठी की misunderstanding को remove कर दिया है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस progressive कानून के ज़रिये औरतों को गांव के Administration में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया। स्पीकर साहिब, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश की औरतें पिछड़ी हुई हैं इस लिए जब तक औरतों को ऊपर नहीं उठाया जाएगा उनकी उन्नति नहीं हो सकती। स्पीकर साहिब जो original बिल था उसमें co-opted members औरतों को यह हक दिया था कि vote कर सकती थीं .....

लेकिन पता नहीं किस वजह से जब Regional Committees में discussion हुई तो औरतों के इस हक को खत्म कर दिया गया। जो लोग deserve करते हैं लेकिन election के ज़रिए न आ सकते हों तो उन को nominate करके या co-opt कर के सरकार किसी न किसी तरीके से representation देती के है। यह कायदा हमारे देश के लिए नया नहीं है। Foreign countries की जो parliamentary Bodies हैं वहां पर भी इस प्रकार की representation लोगों को दी जाती है और उन्हें vote देने का right भी होता है। हमारे देश की राज्य सभा में भी nominated members को vote देने का अधिकार है। हमारी council में भी जिन Members को Governor साहिब nominate करते हैं वह vote करते हैं। मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि औरतों को co-opt किया है मगर उन को vote का हक नहीं दिया। हमारे Constitution में औरतों को महज़ औरत होने के नाते ही nominate नहीं किया जा सकता इस लिए Government ने co-option का लफ्ज़ ला कर उस चीज़ को cover कर लिया है और औरतों को representation दी है। यह तो

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री ओम प्रभा जैन]
अच्छी बात है। मगर इस के साथ ही यह भी ज़रूरी है कि जब उन को co-opt किया गया है तो उन को vote करने का हक क्यों न दिया जाए। औरतें तभी गांव की administration में ज़्यादा interest ले सकती हैं अगर उन को vote करने का हक दिया जाए। औरतें अभी इस स्तर पर नहीं हैं कि election के ज़रिए पंचायतों की member बन कर आ सकें। पंजाबी Region के तो बेशक दो चार आ जांए मगर Hindi Region में कोई औरत election में नहीं आ सकती विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब कि स्त्री गांव या पंचायत घर में पैर नहीं रख सकती है इस लिए इस रूढ़ि को तोड़ कर उन को जो हौसला अफ़ज़ाई की गई है उस के लिए मैं वज़ीर साहिब का शुक्रिया अदा करती हूं और साथ ही यह भी request करती हूं कि उन को vote करने का भी अधिकार दिया जाए। ऐसा करने से देहातों की administration पर अच्छा असर पड़ेगा, पंचायतों का काम अच्छा होगा और उन का standard ऊंचा होगा। औरतों के ऊपर आप जो responsibility डाल रहे हैं वह तभी उस को निभाएंगी जब उन को vote का हक दिया जाएगा। मैं चाहूंगी कि जब वज़ीर साहिब जवाब दें तो इस बात को ज़रूर clear कर दें कि जिस Lady member को co-opt किया जाएगा she will be included in the executive committee or she will be an extra member of the executive committee यह इस लिए ज़रूरी है क्योंकि executive committee में आप ने 5, 7 और 9 का odd नम्बर रखा हुआ है। अगर आप co-opted member को " extra " declare कर के रखेंगे तो आप का odd number even हो जाएगा और फिर voting के समय दिक्कत होगी। और यदि executive committee के fixed number में वह included रहेगी तो आप को lady members के लिए special seat रखनी पड़ेगी। इस लिए मैं request करूंगी कि वज़ीर साहिब अपनी speech में यह बात clear कर दें that the lady member will be included in the executive committee as co-opted member ताकि executive committee का number odd ही रहे। इतना कह कर मैं अपनी speech खत्म करती हूं और उम्मीद करती हूं कि Minister साहिब मेरी amendment को मानेंगे।

Mr. Speaker : Motion moved—

In proposed section 6 (3) line 1, —

for " No" substitute "every'.

श्री मंगल सेन (रोहतक) : स्पीकर साहिब clause 4 का जो sub-section (vi) है उस में जो बातें दर्ज हैं उन का विरोध करना और उस के सम्बन्ध में Minister साहिब को suggestions देना ज़रूरी है। सब से पहली बात

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

यह है कि यह बात कह कर इन्होंने credit लिया है कि औरतों को co-opt कर के हम पंचायतों का member बनाएंगे और उन को village administration में हिस्सा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि उन को vote का हक नहीं होगा। यह तो उन के आंसू पूछने वाली बात है। अगर उन्हें vote का हक नहीं होगा तो फिर आप ने उन को दिया क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप ने औरतों को co-opt कर के membership का हक दिया है उस के साथ ही उन्हें vote का भी अधिकार देना चाहिए। जब तक उन को vote का अधिकार नहीं होगा उतनी देर तक वह पंचायत के काम में पूरी तरह हिस्सा नहीं ले सकतीं। हम चाहते हैं कि village administration में हरेक व्यक्ति को election का मौका मिले और जो election के जरिए आने के असमर्थ हो लेकिन deserve करते हो उन को nominate करवाया जाए। लेकिन अगर गांव के लोग एक आदमी की काबलियत पर उस की शराफत पर, उस की इमानदारी पर लोग विश्वास नहीं करते और वह election में हार जाता है तो फिर उस को nominate करने की बजाए वहां पर election करवाना चाहिए ताकि और किसी को मौका मिल जाए। यह provision इस में नहीं है जो कि होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह जिद न करें और हमारी बात मान लें।

चौधरी बारू राम (राजौंद) : स्पीकर साहिब मैं तो इस clause के बारे में सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो उस clause के बारे में कहना चाहता हूं जिस के बारे में श्रीमती ओम्प्रभा जैन ने अपनी amendment दी है। इस को अगर शुरू से देखें तो उस में लिखा हुआ है "every Sabha shall in the prescribed manner। यानी इस तरह से हरके सभा का एक fixed number होगा executive committee का भी fixed number होगा। वह नम्बर घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता जब तक कि खास notification न हो। लेकिन जब co-opt हो गें और उन को right of vote दिया जाएगा तो उस वक्त या तो उस नम्बर को vary करना पड़ेगा। जब भी कोई co-opt हो कर आएगा उसी वक्त notification के जरिए उस में amendment करनी पड़ेगी। स्पीकर साहिब कहा जाता है कि चूंकि nomination करना Constitution के खिलाफ था इस लिए उन को coopt किया गया है और right of vote उन को नहीं दिया गया। मैं कहता हूं कि जब co-option हो गई तो that lady will be as good a member as anybody else. एक तरफ तो कहते हैं कि यह Constitution के खिलाफ है, उन को coopt भी कर रहे हैं और right of vote भी नहीं दे रहे। यह सारी चीज़ meaningless है। इस के साथ साथ आगे जो disqualifications रखी है उस के ऊपर काफी कुछ कहा जा चुका है।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 11 a. m. tomorrow when it will continue to sit till the business on the Order Paper is completed. (Chaudhri Baru Ram was still in possession of the House when it adjourned).

7 p.m. *The Sabha then adjourned till* 11 *a.m. on Wednesday, the* 27*th April,* 1960.

9043 PVS—349—10-10-60—C., P. & S., Pb., Chandigarh

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Punjab Vidhan Sabha Debates

27th April, 1960

Vol. I.—No. 38

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 27th April, 1960

Price: Rs. 6.10 nP.

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. I, No. 38.
DATED THE 27TH APRIL, 1960.

Read	*for*	*on Page*	*line*
inspectresses	inspector-esses	(38)7	3
the	he	(38)14	13
amendment	cmendment	(38)19	19
मामला	मामल	(38)30	6
chaudhri	chudhri	(38)34	Heading
withdrawal	withdrawl	(38)34	9
marginal	merginal	(38)34	16
resolution	resolutions	(38)34	10th from below
मतलब	मतसब	(38)35	3
respect	resptet	(38)35	2nd from below
the	ihe	(38)35	last
ਕਰ	ਕਢ	(38)36	9
separate	saparate	(38)36	3rd from below
बहुत	बह्तइ	(38)38	last
speaker	spaeker	(38)51	9
इस्तेमाल	इह्तेमाल	(38)56	12
मतलब	मलब	(38)62	15
ਕਰਨਗੇ	ਕਨਰਗੇ	(38)71	9
speaker	speakr	(38)72	9
चेयरमैन	चेयरमन	(38)82	16
मह्कमा	मह्कम	(38)83	14
ਸਾਹਿਬ	ਸਾਹਬ	(38)86	14

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Read	*for*	*on page*	*line*
farmers'	formers'	(38)86	23
ਵਾਸਤੇ	ਵਾਸਤੋ	(38)86	29
ਗਈ	ਗਏ	(38)89	24
मैं	म	(38)91	21
omit यह' between 'वह' and 'किसी'		(38)95	14
schemes	sachemes	(38)95	Last
Read 'समझ लेना' between 'को' and 'चाहिए'		(38)96	3rd from below
custom	oustom	(38)105	16
omit 'ਤੇ' between 'ਸੀ' and 'ਤਾਂ'		(38)106	5th from below
implications	emplications	(38)109	7
अवहेलना	अवेहेलना	(38)112	9th from below
निर्णयों	निणनयों	(38)113	16
मसूमियत	मासूनियत	(38)114	16
If	I	(38)121	14
ਠਹਿਰਾਂ	ਠਰਿਰਾਂ	(38)127	6th from below
ਹਜ਼ਾਰਾਂ	ਹਜ਼ਰਾਂ	(38)128	14
शुनवाई	सुनवाई	(38)129	11
force	enforce	(38)135	14
किसी	किस	(38)137	4
आएगी	आएगे	(38)137	12
मामले	मामलों	(38)137	8th from below

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 27th April, 1960

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh, at 11.00 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

INCREASE IN THE QUOTA OF SUGAR FOR THE STATE

***5793. Sardar Atma Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Central Government have recently increased the quota of sugar for the State, if so, since when, the increase in the quantity and the manner in which it is proposed to be distributed;

(b) the total quantity of sugar allotted to the State before the increase referred to in part (a) above and the quantity being distributed in the urban and the rural areas of the State respectively?

Shri Mohan Lal: (a) The monthly quota of 12,000 tons of sugar for the State, has not been increased by the Government of India. An additional quantity of 1,000 tons sugar has, however, been allotted for April,1960, only, for bringing down prices in the open market. This additional sugar and the carry-over from previous quotas have enabled making the following additional supplies to consumers and establishments for the month of April, 1960:—

(i) Rural areas ..	Increase of 500 tons for April, 1960, over the usual monthly quota.
(ii) Consumers ..	Additional supplies at 25 per cent of the normal quota of one seer per head per month.
(iii) Establishments	Additional supplies upto 10 per cent of the consumers normal requirements, subject to the availability of stocks.

(b) A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Industries]

Statement showing allocation of sugar by the Government of India to the Punjab State for the months from July, 1959, to April 1960, and its distribution

Month	Allocations made by the Government of India			Distribution		
	Normal quota	Additional Supplies	Total	Urban	Rural	Total
1	2	3	4	5	6	7
			(Figures in tons)			
1. July, 1959 ..	12,004.60	4.000.00	16,004.60	8,021.00	7,983.60	16,004.60
2. August, 1959 ..	11,969.16	..	11,969.16	8,029.46	3,939.70	11,969.16
3. September, 1959 ..	11,999.40	..	11,999.40	7,995.17	4,004.23	11,999.40
4. October, 1959 ..	11,999.80	..	11,999.80	6,824.37	5,175.43	11,999.80
5. November, 1959 ..	12,011.26	..	12,011.26	5,999.40	6,011.86	12,011.26
6. December, 1959 ..	12,008.59	..	12,008.59	5,971.52	6,037.07	12,008.59
7. January, 1960 ..	11,999.40	..	11,999.40	5,999.40	6,000.00	11,999.40
8. February, 1960 ..	11,999.40	..	11,999.40	6,488.24	5,511.16	11,999.50
9. March, 1960 ..	11,999.40	..	11,999.40	6,977.08	5,022.32	11,999.40
10. April, 1960 ..	12,000.00	1,000.00	13,000.00	6,988.74	6,011.26	13,000.00
Total ..	119,991.01	5,000.00	124,991.01	69,294.38	55,696.63	124,991.01

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜੋ statement ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ July, 1959 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ April, 1960 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 69,294.38 ਟਨ ਖੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 55,696.63 ਟਨ ਖੰਡ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਖੰਡ ਵਧ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ reasons ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਹਾਸਾ) ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਵਧ allocation ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ Marketing Co-operative Society ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ allocation ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 500 ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ over and above the usual quota ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ marketing co-operative society ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੀ action ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ marketing co-operative society ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਗੇ ਤਜਰੁਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖੰਡ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਥੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ distribution ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਤਜਰੁਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖੰਡ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਤੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੰਡ open market ਵਿਚ ਵਿਕੇ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੰਡ ਨੂੰ decontrol ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CELEBRATION OF SILK DAY AT PALAMPUR, DISTRICT KANGRA

***5796. Shri Ram Chandra Comrade:** Will the Minister for Industries be pleased to state the total amount of expenditure incurred on the celebration of Silk Day by Sujanpur Centre at Palampur in district Kangra, during the year 1959-60 alongwith the following details:—

(i) the cost of printing the advertisements;

(ii) the cost of the petrol consumed in the jeeps and cars used on the occasion ;

(iii) the mount paid for hiring loud-speakers;

(iv) the names of the artists invited on the occasion and the details of payments made to them;

(v) the details of other expenses including T.A., D.A., etc., paid on this account?

Shri Mohan Lal: No Silk Day was celebrated at Palampur during the year 1959-60. It was, however, celebrated at eight other places.

श्री राम चन्द्र कामरेड : मेरी अर्ज़ यह है कि सुजानपुर वालों ने यह day पालमपुर में मनाया है और वहां पर शराब वगैरह बांटी गई है इसी लिए मैं ने यह सवाल किया है।

उद्योग मंत्री: मैंने अर्ज़ किया है कि पालमपुर में कोई silk day नहीं बनाया गया और आठ जगहों में यानी अमृतसर, चण्डीगढ़ होशियारपुर, पटियाला, जालंधर, लुध्याना वगैरह में मनाया गया था। पालमपुर में कोई silk day नहीं मनाया गया था। वह और day था जो मनाया गया था जिसे शायद farmer's day कहते हैं।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੂੰਕਿ ਅੱਜ ਹਾਉਸ adjourn ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ question postpone ਹੋਏ ਹਨ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੇ ?

श्री अध्यक्ष : यह जो आज questions postpone हुए हैं इन के जवाबात बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट supply करेगी और फिर वह debates में print करवा दिए जाएंगे।

इसके इलावा कुछ questions पिछली dates के हैं जो postpone हुए हुए हैं क्योंकि उनके बारे में गवर्नमेंट ने extension मांगी है। मगर extension की dates जो हैं वह हाउस के *sine die* adjourn होने के बहुत पीछे आती हैं। तो आपके जो questions postpone हुए हैं और जिन dates तक extension मांगी गई है वह इस तरह हैं —

The replies to the questions which have been postponed today would be duly supplied by the Government and these would be got printed in the debates.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Besides, there are certain other questions pertaining to previous lists also which were postponed because Government had asked for extension of time in regard to them. But the dates till which the extension has been asked for fall much beyond the date on which the house is going to adjourn *sine die*. Now the number of these starred questions and the dates till which the extension has been asked for is as follows :)

No. of Questions		List in which included		Date till which extension has been asked for
1. 5483	..	Postponed Starred Questions for 19th April, 1960	..	26-4-60
2. 5301	..	Ditto	..	1-5-60
3. 5749	..	Starred Questions for 19th April, 1960	..	8-5-60
4. 5754	..	Ditto	..	4-5-60
5. 5745	..	Starred Questions for 20th April, 1960	..	15-5-60
6. 5758	..	Ditto	..	15-5-60
7. 5760	..	Ditto	..	5-5-60
8. 5764	..	Starred Questions for 21st April, 1960	..	6-5-60
9. 5772	..	Starred Questions for 22nd April, 1960	..	15-5-60
10. 5766	..	Ditto	..	5-5-60
11. 5779	..	Starred Questions for 26th April, 1960	..	5-5-60
12. 5712	..	Postponed Starred Questions for 26th April, 1960	..	22-5-60
13. 5673	..	Ditto	..	26-5-60

It means that replies to these questions would come in the month of May. I think, instead of asking for extension of time till the month of May, it would have been better if the Government had simply said that they would not be able to reply to these questions during the current session. Of what use these replies would be if these are received in the month of May when the House would not be in Session.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मेरा सवाल तो सीधा था कि राजा सांसी का जो गांव है वह किस local body में आता है। इस का जवाब तो एक मिनट में ही D. C. से पता कर के दिया जा सकता है कि आया वहां कोई पंचायत काम कर रही है या और कोई body है। इस के लिए extension की क्या ज़रूरत है ?

Mr. Speaker : We cannot force the Government to give reply.

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, यह जो सवाल रह गए हैं क्या यह अगले session में renew कराने पड़ेंगे या इन के जवाब मिल जाएंगे ?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : यह renew कराने पड़ेंगे । (These will have to be got renewed.)

INSPECTORS, ETC., OF SCHOOLS IN THE STATE

***5797. Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) the number of Divisional Inspectors, Divisional Inspect resses, District Inspectors, District Inspectresses and A.D.Is. of Schools in the State during the year 1958-59,

(b) the number of new posts created in the categories mentioned in part (a) above during the years, 1959-60 and 1960-61 (to date, districtwise;

(c) the number of posts mentioned in part (b) above filled upto-date districtwise;

Shri Yash Pal (Deputy Minister): A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

STATEMENT

(a)	(i) No. of Divisional Inspectors	..	4
	(ii) No. of Divisional Inspectresses	..	4
	(iii) No. of District Inspectors	..	17
	(iv) No. of District Inspectresses	..	12
	(v) No. of Assistant District Inspectors including A.D.I.S. for P.T.	..	125
	(vi) No. of Assistant District Inspectresses of schools	..	15
(b)	(i) Divisional Inspector of Schools, Patiala Division	..	1
	(ii) Divisional Inspectress of Schools, Patiala Division	..	1
	(iii) District-wise detail of posts of D.I.S.s. /D.I.S.Ss. and A.D.I.S.s A. D.I.Ss.		

Districts	District Inspector of Schools	District Inspectress of Schools	Assistant District Inspector of Schools	Assistant District Inspectress of Schools
Amritsar ..	..	..	4	4
Jullundur ..	..	..	7	3
Hoshiarpur ..	..	..	4	4
Gurdaspur ..	..	..	3	4
Kangra ..	..	..	2	5
Ferozepur ..		..	8	2
Ludhiana ..	1	..	5	2
Ambala ..	1	..	4	1
Karnal ..	1	..	5	1
Hissar ..	..	..	5	1
Rohtak ..	1	..	3	2
Gurgaon ..	1	..	4	1
Patiala ..	..	1	6	2
Kapurthala ..	(minus 1 abolished)	1	1	1
Sangrur ..	..	..	6	2
Bhatinda ..	..	..	5	2
Mohindergarh ..	..	..	3	2
Total	6 - 1-5	2	75	39

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(c) Divisional Inspector of Schools, Patiala .. 1
Divisional Inspectress of Schools, Patiala .. 1

District wise detail of posts of District Inspectors/Inspectoresses and Assistant District Inspectors/Inspectresses of schools

District	District Inspector of Schools	District Inspector of Schools	Assistant District Inspectress of Schools including A.D.I.S. for P.T.	Assistant District Inspectress of Schools
Amritsar ..	..	..	4	1
Jullundur ..	..	..	7	2
Hoshiarpur ..	..	..	3	1
Gurdaspur ..	..	..	3	2
Kangra ..	..	..	2	..
Ferozepur ..	1	..	8	..
Ludhiana ..	..	..	5	2
Ambala ..	1	..	4	1
Karnal ..	1	..	5	1
Hissar ..	1	..	5	1
Rohtak ..	1	..	3	1
Gurgaon ..	1	..	4	1
Patiala ..	..	1	6	2
Kapurthala ..		1	1	1
Sangrur ..	..	..	6	1
Bhatinda ..	..	..	5	2
Mohinderagarh ..	..	..	3	2

UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

TACCAVI LOANS

2510. Shri Ram Chandra Comrade: Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the different purposes for which taccavi loans are advanced to the agriculturists in the State;

(b) the total amount outstanding as arrears under each head as on March 31, of 1958, 1959 and 1960;

(c) the amount of the taccavis realised during the above-mentioned period?

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Giani Kartar Singh: (a) The different purposes for which taccavi loans are advanced to the agriculturists in the State are given below:—

(1) Repairs to old wells.
(2) Sinking of percolation wells.
(3) Shifting of abadi site of the village.
(4) Repairs and construction of Kuhls.
(5) Purchase of cattle.
(6) Purchase of agricultural implements.
(7) Purchase of fodder.
(8) Purchase of seeds.
(9) Purchase of pumping-sets.
(10) Sinking of tube-wells.
(11) Reclamation of Banjar Lands.
(12) Tractor cultivation charges.
(13) Purchase of tractors.
(14) Chemical fertilizers.
(15) Purchase of fruit plants for garden colonies.
(16) Purchase of insecticides and pesticides.
(17) Reclamation of culturable waste land.
(18) Marketing centres and storage godowns.
(19) Rural Housing.
(20) Repairs to and construction of Jhallars.
(21) Poultry.
(22) Piggery.
(23) Dairy farms.

(b) Year ending on		Ordinary	Grow-More-Food	Community Projects and National Extension Service
		Rs	Rs	Rs
31st March, 1958	..	1,56,25,919	1,22,49,203	20,32,851
31st March, 1959		1,51,99,244	1,66,52,330	24,69,170
31st March, 1960	..	2,00,56,466	1,60,29,934	20,90,585

(c) Year ending on		Amount
		Rs
31st March, 1958	..	2,17,49,132
31st March, 1959	..	1,75,95,472
31st March, 1960	..	3,64,51,993

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

MIDDLE CLASS EXAMINATION

*5804. **Sardar Atma Singh:** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether it is a fact that students who fail in English or Mathematics in the Middle Standard Examination are not allowed readmission in the 8th Class or promotion to the 9th class; if so, the reasons therefor;

(b) whether Government have received any representations in this connection from any quarters; if so, the action taken thereon?

Shri Yash Pal (Deputy Minister): (a) Pass in English and Mathematics having been made compulsory for the Matriculation Examination by the Punjab University previously, it was recommended by the Punjab Advisory Board of Education that the Department should also make similar provision in the Middle Standard Examination for admission to the 9th class. The question of readmitting such students in the 8th class does not arise, as they have passed the 8th class examination.

(b) Yes. After taking an overall view of the whole matter, the Government have since decided to remove the restriction earlier imposed only for this year. The position will be further examined in consultation with the Punjab Advisory Board of Education and the School Board of the Punjab University.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ restrictions ਨੂੰ remove ਕਰਨ ਲਈ decide ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ restrictions ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ impose ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ remove ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : restrictions ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ aggregate ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ English ਔਰ mathematics ਵਿਚ 20 per cent ਤੋਂ ਘਟ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਗੇ admission ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਵਾਲ ਦੇ part (a) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ University ਨੇ 9th class ਵਿਚ English ਤੇ mathematics ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ University ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ consult ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

ਉਪ-ਮੰਤਰੀ : University ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ: ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ University ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

राजा रघुबीर सिंह : डिप्टी मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि अगर कोई 8th class में दो मज़मूनों में फेल हो जाता है तो वह rules के मातहत 9th class में दाखिल नहीं हो सकता। जो सिर्फ English में fail हो तो उसे declare किया जाता है कि वह 8th class में पास है उसे क्यों नहीं 8th class में रोका जाता?

श्री अध्यक्ष : ऐसे लड़कों को 9th class में दाखिला मिल सकता है। कुछ दिन हुए मिनिस्टर साहिब ने बताया था कि फैसला बदल लिया है। अगर 9th class में ऐसे students को दाखिला मिल सके तो वे पीछे क्यों रहें। (Such students can seek admission into the 9th class. A few days ago the Minister had stated that they had changed the policy in this regard. If such students can get admission into the 9th class then why should they lag behind.)

श्री बलराम दास टंडन : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब English आठवीं जमात में optional बना दी गई थी तो अब compulsory क्यों कर दी गई है ?

उप-मंत्री : Advisory Board के सलाह-मश्विरे से किया गया है।

श्री बलराम दास टंडन : मैं कारण जानना चाहता हूं कि 8th class में पहले जबकि English optional subject था तो अब compulsory क्यों करार दिया गया है ?

उप मंत्री : University ने फैसला किया है कि matric में दोनों मज़मूनों में पास होना ज़रूरी है। अगर students अंग्रेज़ी और हिसाब में कमज़ोर रह जाएं तो वे अच्छी तरह से आगे नहीं चल सकते।

GENERAL PURPOSES COMMITTEE

Mr. Speaker: Under Rule 265-N of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I nominate the following Members of the Assembly to serve on the General Purposes Committee:—

(1) The Speaker, *Ex officio* Chairman,
(2) Chaudhri Sarup Singh, Deputy Speaker,
(3) Khan Abdul Ghafar Khan, Member, Panel of Chairmen,
(4) Chaudhri Sri Chand, Member, Panel of Chairmen,
(5) Sardar Ajmer Singh, Member, Panel of Chairmen and Chairman, Punjabi Regional Committee,
(6) Shri Lal Chand Sabharwal, Member, Panel of Chairmen,
(7) Sardar Rajinder Singh, Chairman, Public Accounts Committee,
(8) Shri Harbhagwan Maudgil, Chairman, Estimates Committee,
(9) Pandit Shri Ram Sharma, Chairman Assurances Committee,
(10) Sardar Umrao Singh, Chairman, Subordinate Legislation Committee,
(11) Shri Ralla Ram, Chairman, Library Committee,
(12) Shri Balwant Rai Tayal, Chairman, Hindi Regional Committee.
(13) Shri Ran Singh,
(14) Shri Hari Ram,

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

(15) Sardar Pal Singh Roomi,

(16) Shri Gorakh Nath,

(17) Sardar Jagraj Singh 'Gill',

(18) Rajkumari Sumitra Devi,

subject to further additions,

पंडित श्री राम शर्मा : इस कमेटी का function क्या होता है ?

श्री अध्यक्ष : अगले दिन मैं ने यह announce किया था कि मेरा एक General Purposes Committee कायम करने का ख्याल है और शायद आप उस वक्त मौजूद नहीं थे । आज मैंने इस के मेम्बर नामज़द कर दिए हैं । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि न केवल लोक सभा में बल्कि कई दूसरी State Legislatures में भी ऐसी कमेटी काम कर रही हैं । इस कमेटी के बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आम तौर पर हाउस की मुख्तलिफ कमेटियों में co-ordination नहीं होती और बाज़ औकात यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे मसले जो किसी और कमेटी की scope में नहीं आते उन्हें किस कमेटी के सुपुर्द किया जाए । क्योंकि सब कमेटियों के functions कमोबेश defined होते हैं । इसलिए यह मुनासिब समझा गया है कि ऐसे मामलात को General Purposes Committee की पड़ताल और रिपोर्ट के लिए सुपुर्द किया जाए । यह कमेटी बड़ी useful होगी । इस कमेटी में आयेंगे तमाम Chairmen और Members of the Panel of Chairmen और दो २ मैम्बर दोनों Regional Committees में से । सो ऐसे मसले जो दूसरी कमेटियों के scope में नहीं आते वह इस कमेटी के सुपुर्द किये जायेंगे ।

(The other day, I announced my intention of setting up a General Purposes Committee. Perhaps the Hon. Member was not present at that time. Today, I have nominated the Members who have to serve on it. As stated already on that day, such a Committee is functioning not only in the Lok Sabha but also in some other State Legislatures. The necessity for the formation of this Committee has arisen due to the fact that generally there is a lack of co-ordination in the working of various Committees of the House. Sometimes it becomes difficult for these Committees to take a decision in a matter which falls beyond their purview, because more or less they have defined functions to perform. So it is considered desirable to refer such matters to the General Purposes Committee for examination and report. This will be a useful Committee as all Chairmen of the Committees of the Assembly, Members of the Panel of Chairmen and two Members from each of the two Regional Committees will serve on it. So this Committee will be required to consider all such matters as do not fall within the scope of any of the other Committees.

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY REGADING CERTAIN BILLS

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table a statement showing the Bill which was passed by the Punjab State Legislature during its Eighth (December) Session, 1959, and which has since been assented to by the President.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

STATEMENT

[Secretary]

THE EVACUEE INTEREST (SEPARATION) PUNJAB AMENDMENT BILL, 1959

Also Sir, under rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the following Bills passed by this Sabha on the dates noted against each and transmitted to the Punjab Legislative Council have been agreed to by the said Council without any amendment/recommendation on the dates mentioned below:—

S. No	Title of the Bill	Date on which passed by the the Assembly	Date on which which agreed to by the Council
1	The Punjab Laws (Extension No. 7) Bill, 1960 (Bill No. 7-P.L.A. of 1960)	19th April, 1960	15th April, 1960
2	The Punjab Repealing Bill, 1960 (Bill No. 9-P.L.A. of 1960)	19th April, 1960	25th April, 1960
3	The Punjab Non-Trading Companies Bill, 1960. (Bill No. 3-P.L.A. of 1960)	19th April, 1960	25th April, 1990
4	The Court Fees (Punjab Amendment) Bill, 1960 (Bill No. 15-P.L.A. of 1960)	20th April, 1960	25th April, 1960
5	The East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Second Amendment and Validation) Bill, 1860 (Bill No. 1 P.L.A. of 1960)	22-4-60	26-4-60
6	The Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill, 1960 (Bill No. 4-P.L A. of 1960)	25-4-60	26-4-60
7	The Indian Treasure-Trove (Punjab Amendment Bill, 1960 (Bill No. 16-P.L.A. of 1960)	25-4-60	26-4-60

ADJOURNMENT OF THE ASSEMBLY

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava): Sir, I beg to move

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die*.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ motion ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਲ ਵੀਰ ਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ business transact ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ important resolutions pending ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨੇ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker: The hon. Members had yesterday agreed to the bringing of a *sine die* motion today.

(**Voices** : कल non-official business लिया जाना चाहिये

चौधरी धर्म सिंह राठी (संभालका) : यह motion इसलिए लाई गई है क्योंकि यह Legislative business को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। यह Legislative business 19 तारीख को शुरू हुआ था और अब बाकीमांदा बिलों को गवर्नमेंट rush through करना चाहती है। अब भी हाउस के सामने बड़ा important बिल है उस को ये जल्दी में पास करना चाहते हैं। इस तरह से बिलों में कमियां रह जाती हैं। और फिर amendments लानी पड़ती है। आज जो असेम्बली का सेशन *sine die* खत्म कर रहे हैं इस की भी एक वजह यह है कि कल जो non-official day है वह न आ सके। एक वजह इस की यह है कि मैं ने आज एक मोशन दी है और मेरी मोशन यह है कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहिब रेज़ोल्यूशन को मनसूख करवाने के लिए मोशन ला रहे हैं मैं भी चाहता हूं कि कल जो Sales Tax का बिल पास किया गया है उस को मनसूख किया जाए। Rule 78 के मातहत यह ज़रूरी नहीं है कि मैं सात दिन का नोटिस दूं। जनाब को अख्तियार है कि मुझे इजाज़त दे दें मेरी अर्ज़ यह है कि या तो आज सेशन *sine die* खत्म न हो और अगर होता है तो जिस तरह से आप ने चीफ मिनिस्टर की मोशन allow कर दी है इसी तरह से ही मेरी भी मोशन allow कर दें। यह ज़रूरी नहीं है कि मैं सात दिन का नोटिस दूं। कल जो Sales Tax Bill पास हुआ है उस को rescind करने के लिए मैं ने सब से पहले motion दे दी है।

श्री अध्यक्ष : आप ने कहां से पढ़ा है कि एक रेज़ोल्यूशन की तरह से बिल भी rescind हो सकता है ? (From where has the hon. Member learnt that like a resolution a Bill can also be rescinded ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, Rule 81 बड़ा clear है। यह जो मोशन लाई गई है इस लिए लाई गई है कि कहीं कोई दूसरी मोशन न आ जाए। चीफ मिनिस्टर ने सोचा कि कहीं इस किस्म की कोई मोशन न आ जाए जिस से कि गवर्नमेंट को सरदर्दी उठानी पड़े। इस लिए यह जो डाक्टर साहिब ने मोशन पेश की है कि हाउस *sine die* adjourn होना चाहिए और आज के बाद नहीं बैठना चाहिए मैं इस की मुखालिफत करता हूं और कहता हूं कि अगर दो दिन और हाउस बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं होता। जहां अढ़ाई महीने पहले बैठे हैं वहां दो दिन और बैठ कर, शांति के साथ सोच विचार कर बिलों को पास कर दें तो कोई हर्ज नहीं है।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाब वाला, मैं आप को याद दिलाऊं कि जिस वक्त Business Advisory Committee की बैठक हुई थी तो अगर्चे formally कोई फैसला नहीं हुआ था लेकिन आप की चेयरमैनशिप में informally यह फैसला हुआ था कि इस हाउस के काम को 26 तारीख को खत्म किया जाए। आज 26 की बजाए 27 तारीख है और 27 का सारा दिन ले कर मैं ने यह मोशन

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

move की है। कल भी जब इस बात का ज़िक्र चला तो राठी साहिब को कोई ख्याल नहीं आया कि उन्होंने कोई ऐसी मोशन भी देनी है, इन की मोशन in order है या नहीं यह बात तो बाद में देखी जाएगी। लेकिन यह कहना कि चूंकि मुझे पता था इस बात का इस लिए यह मोशन पेश की गई है, ग़लत बात है। मैं नहीं समझ सकता कि राठी साहिब के दिल में क्या बात है। मैं तो ऐसी कोई बात anticipate नहीं कर सकता, वे anticipate कर सकते हैं। वे कहते हैं कि उन के दिल में ऐसी बात आई इस लिए मैंने कहा कि मैं ऐसी मोशन पेश कर दूं। ऐसी कोई बात नहीं है। यह फैसला Business Advisory Committee ने बैठ कर किया था इस लिए उस फैसले को honour करने के लिए *sine die* की motion पेश की गई है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, I think the Ayes have it. This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

OBSERVATIONS BY THE SPEAKER

श्री अध्यक्ष : इस से पहले कि दूसरी आइटम शुरू की जाए मैं Business Advisory Committee के उस tentative decision के बारे में जो कि उस दिन हुआ कुछ कहना चाहता हूं। कमेटी के tentative decision के मुताबिक हाउस को 26 तारीख को adjourn हो जाना था। Business Advisory Committee ने हाउस की मंजूरी के लिए कोई रिपोर्ट तो नहीं तैयार की थी ता कि इस मामले में rigidity न हो। स्पीकर को कुछ latitude दिया गया था ताकि काम की disposal के बारे में वह खुद ही adjustment कर लें। जो फैसला कमेटी ने किया था उस के अनुसार General Sales Tax Bill के लिये दो घंटे का समय allocate किया गया था। लेकिन उस बिल पर बहुत ज्यादा वक्त लग गया है। इसी तरह से पंजाब ग्राम पंचायत बिल के लिये दो दिन निश्चित किये गये थे। लेकिन अगर इसी रफ्तार से चलते रहे जिस तरह से कि General Sales Tax Bill discuss किया गया था तो मुझे डर है कि जो समय कमेटी ने मुकर्रर किया है उस में बिल पास नहीं हो सकेगा। कल भी और आज भी Question Hour नहीं हुआ और यह वक्त भी इसी बिल पर लग जाएगा। लेकिन फिर भी चौधरी धर्म सिंह राठी की तसल्ली नहीं हुई।

इस से आगे चौधरी धर्म सिंह राठी ने, हाउस में जो General Sales Tax (Amendment) Bill पास किया है, उस को rescind करने के

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

लिए point raise किया है। और अपने point की support में उन्होंने Rules of Procedure का Rule 81 quote किया है क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर की तरफ से, हाउस का फैसला rescind करने के लिए जोकि 21 तारीख की मीटिंग में हुआ था, एक substantive motion आई हुई है और वह आज के agenda पर stand करती है। मैं अर्ज़ कर दूं कि आम तौर पर इस तरह की substantive motion के लिए सात दिन का clear नोटिस ज़रूरी होता है। लेकिन चूंकि हाउस आज *sine die* adjourn हो रहा है और सरकार ने मुझे इस condition को relax करने के लिए approach किया है मैं ने उन की इस request को अपनी discretion इस्तेमाल कर के मान लिया है। राठी साहिब ने General Sales Tax (Amendment) Bill पर जो फैसला हाउस कर चुका है उस को rescind करने के लिए मोशन लाने के लिए मेरी इजाज़त मांगी है। मैं उन्हें यह बता दूं कि उन का मोशन in order नहीं है क्योंकि असेम्बली के पास कर देने के बाद भी बिल की कई stages होती हैं। बिल पास हो कर कौंसिल में जाता है और कई बार दोबारा amendments के साथ असेम्बली में आता है। फिर जो बिल दोनों Houses में पास हो जाते हैं वे गवर्नर और President की ओर से भी मंज़ूर होने होते हैं। इस का मतलब है कि असेम्बली में पास होने के बाद बिलों के लिए और stages भी होती हैं। जब बिल इस House में पास हो जाता है तो वह इस के possession में बिलकुल नहीं रहता। यह खास बिल अब Council के पास है। आप असेम्बली के फैसले को उस वक्त तक rescind नहीं कर सकते जब तक कि यह आखरी फैसला न हो। Resolution का मामला अलग है। लेकिन एक रैज़ोल्यूशन असेम्बली में पास हो जाने के बाद बिल्कुल complete हो जाता है। इस लिए चीफ मिनिस्टर की मोशन में और चौधरी धर्म सिंह राठी की मोशन में कोई similarity नहीं है।

राठी साहिब हैं तो अच्छे वकील मगर उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं की। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जो भी बिल आप पास करते हैं वह finally पास नहीं हो जाता है। उसे फिर आगे कई stages में से गुज़रना पड़ता है। वह अपर हाउस के पास जाता है। और हो सकता है कि वह उसे दुबारा आप के पास भेज दें लेकिन जहां तक resolution का ताल्लुक है इसे यही हाउस finally पास करता है और अगर हाउस चाहे और इस की राय तबदील हो जाए तो जो फैसला resolution में किया होता है उसे खुद बदल सकता है।

[Before the next item on the Agenda is entered upon I would like to make a few observations regarding the informal decisions taken the other day by the Business Advisory Committee. According to the tentative decision taken by the Committee, the House was to adjourn on the 26th April, 1960. However, the Business Advisory Committee did not prepare any report for adoption by the House to avoid any rigidity. The Speaker was given a little latitude to make adjustments himself in the disposal of work. According to the tentative decision taken by the Committee two

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Mr. Speaker]

hours were allocated for the General Sales Tax (Amendment) Bill for all its stages. But quite a long time has been taken on that Bill. Similarly, two days were allocated for the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill. If, however, the Bill continues to be discussed with the same speed as in the case of the Sales Tax (Amendment) Bill, then I am afraid, all the stages will not be covered within two days allocated by the Business Advisory Committee. There has been no Question Hour yesterday and today too, it has been dispensed with. But the time, thus saved, will be taken up in the discussion on this Bill. Yet the hon. Member Chaudhri Dharam Singh Rathi is not satisfied.

Then Chaudhri Dharam Singh Rathi has raised a point that the decision of the House on the General Sales Tax (Amendment) Bill be rescinded. In support of his contention he has quoted Rule 81 of the Rules of Procedure because a substantive motion in the name of the Chief Minister for rescinding the decision of the House taken at its meeting held on the 21st April, 1960, in regard to a resolution on the amendment of the Hindu Succession Act, 1956, stands on today's agenda. I may state that ordinarily seven days' clear notice is needed for such a substantive motion. But since the House is adjourning *sine die* today and the Government approached me to relax the provision in this regard as a special case, I have acceded to their request in my discretion. Shri Rathi has sought my permission to move a motion for the rescission of a decision taken by the House on the General Sales Tax (Amendment) Bill. I may tell him that his motion is not in order because there are other stages of a Bill after it has been passed by the Assembly. It goes to the Council and sometimes again comes back to the Assembly with amendments. Then the Bills passed by the two Houses are assented to by the Governor/President It means that there are other stages after a Bill has been passed by the Assembly. After a Bill has been passed by the Houses it is no longer in its possession. This particular bill is with the Council and you can't rescind a decision, unless it is a final decision. The case of a resolution is different. When it is passed by the Assembly, it is complete in all respects. Therefore, there is no similarity between the motion sought to be moved by Chaudhri Dharam Singh Rathi and the Chief Minister.

Although Shri Rathi is an eminent lawyer, yet he has not tried to understand the position in this regard. As I have already pointed out a Bill passed by this House is not final and has to pass through a number of further stages. It goes up to the Upper House from where it may be referred back to the Assembly. But a resolution is the final act of the House itself and the House may, if it changes its opinion, change the decision taken in a resolution.]

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. जनाब आप ने फरमाया है......

श्री अध्यक्ष : अब छोड़िये इस बात को। Next item please

(Please leave this matter now. Next item please.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

POINT OF ORDER REGARDING RESCISSION OF A RESOLUTION REGARDING AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956 ETC.

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Sir, I again rise on a point of order. Rule 81 lays down —

> "A motion or amendment shall not, except with the permission of the Speaker raise a question substantially identical with one on which the Assembly has given a decision in the same session."

It means that such a motion can be moved with your permission. This Rule further says —

> "Provided that the Assembly shall not be deemed to have given a decision in respect of a Bill unless it has either passed the Bill or has rejected the Bill."

श्री अध्यक्ष : मगर मुझे यह भी तो बताएं कि rescission पर यह कैसे लागू होता है ? (But let the hon. Member tell me how does it apply to the rescission of earlier decision.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप का view यह है कि बिल के बारे में यह substantive motion नहीं लाई जा सकती। इस पर गो आप ने रूलिंग दे दिया है तो भी मैं आप को अपने argument से convince करना चाहता हूं कि यह हो सकता है। अगर जनाब उन को इस तरह की इजाज़त देते हैं तो हमें क्यों नहीं देते। According to Rule 81, it can be moved with your permission.

Mr. Speaker: I am not convinced.

Chaudhri Dharam Singh Rathi: Sir, I still maintain that I can move it with your permission. जनाब ने फरमाया था। कि मैं वकील हूं और मैंने इस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश नहीं की। जनाब, मैं आप को बताना चाहता हूं कि मैं हर चीज़ को बखूबी पढ़कर आता हूं, यह शायद पढ़ कर न आते हों। अगर आप इजाज़त दे दें तो मैं इस मोशन को मूव कर सकता हूं। आप उन को इजाज़त दे रहे हैं लेकिन मुझ को नहीं दे रहे। मैं आप को बताना चाहता हूं कि I am within my rights to move it, of course with your permission and, Sir, I seek your permission in this regard.

Mr. Speaker: I have given my ruling. Please resume your seat.

Sardar Atma Singh : Sir I beg to draw your attention to Rule 207 which deals with resolutions. It says.—

> "When a resolution has been moved and has or has not been withdrawn no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within six months there."

ਜਨਾਬ, ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ rules ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ House ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ motion ਨੂੰ out of order ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।। ਇਹ House ਵਿਚ move ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ move ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ । (let him first move it.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : इस rule के अन्दर आप को किसी तरह की कोई discretion नहीं है ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : On a point of order, Sir. जनाब आप ने जो रूलिंग दी है कि जो बिल होता है वह यहां से पास होकर अप्पर हाउस को जाता है और उसको rescind करने का मोशन नहीं दिया जा सकता । इस सम्बन्ध में हमारे Rules of procedure साफ तौर पर provide करते हैं कि......

श्री अध्यक्ष : वहां से होकर उस बिल ने फिर आप के पास वापिस आना होता है । जो रेज़ोल्यूशन आप पास करते हैं वह final होता है । (From there the Bill may be referred back to the Assembly whereas the resolution is a final act of the Assembly.)

Pandit Shri Ram Sharma : Sir, I invite your attention to Rule 207 which is very clear on the subject—

> "when a resolution has been moved and has or not been withdrawn no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within six months thereof."

तो इस के पेशेनज़र क्या चीफ मिनिस्टर साहिब इस तरह की motion यहां पर move कर सकते हैं ।

(At this stage Mr. Speaker wanted to give his Ruling.)

Chaudhri Inder Singh : Sir, before you give your ruling on this point, I would request you to kindly hear the view points of other hon. Members as well.

My submission is that there is a specific Rule in our Rules of Procedure and Conduct of Business which relates to resolutions. Rule 207 is the relevant Rule. जो rule 81 quote किया जा रहा है that is not relevant here.

This motion is governed by Rule 207 because this specific rule relates to resolution and the substantive motion which stands on the agenda in the name of the Chief Minister.

श्री अध्यक्ष : तो आप का point वही है जोकि पंडित श्री राम शर्मा ने put किया । (The point raised by the hon. Member is identical with the one put forth by Pandit Shri Ram Sharma.)

चौधरी इन्द्र सिंह : मैं इस पर आप की खास तौर पर तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि जहां पर कोई special law मौजूद हो, special rules मौजूद हों, special procedure मौजूद हो then the general procedure should not have precedence over that यही वह बात है जिसकी तरफ मैं आप की pointed attention draw करना चाहता हूं ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

In this case, Sir, we are governed by Rule 207. It is a mandatory Rule and there is no option left with the Chair to ignore this Rule.

Now, Sir, I would like to draw your attention to May's Parliamentary Practice, 16th Edition. At page 417, there is a paragraph with regard to 'Reversal of Decision'—

> "Attempts to reverse or over ride resolutions or orders by proposing new questions which seek to nullify a previous decision may, without actually proposing the same question, amount to an indirect form of rescission. The rejection of a bill by a decision on a reasoned amendment directed against certain of its provisions has been held to prevent the insertion in another bill of the provisions objected to by the reasoned amendment, even though the words of the reasoned amendment had not been added to the question on the rejected bill."

In this connection a specific instance has been quoted—

> "In session 1924, a reasoned amendment, directed against one clause of the Rent and Mortgage Interest Restrictions bill, having been moved on second reading, and the question that the words" be now read a second time" stand part having been negatived without any further proceedings, an amendment seeking to introduce into a second Bill the substance of the clause against which the reasoned cmendment to the earliar bill was directed, was ruled out of order......

Now, Sir, I come to page 415 of May's Parliamentary Practice where there is a paragraph regarding 'Rescission of Resolution' I would read from lines 6 of this paragraph.

श्री अध्यक्ष: एक वकील की तरह आप उन्हीं लाइनों को पढ़ रहे हैं जोकि आप के हक में जाने वाली हों। जरा ऊपर से भी तो पढ़ें। Like a lawyer, he is quoting those very lines which go in his favour. He should read it from above also.)

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब जिस बात की तरफ मैं आप की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं आप उस को देखें। वैसे तो यह किताब आप के भी हाथ में पड़ी हुई है। जिस वक्त आप फैसला देंगे तो आप सब कुछ देख ही लेंगे।

श्री अध्यक्ष : जरा पहले वाली लाइनों को भी देखिए। (But you should also see the preceding lines.)

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब जो latter portion है वही आम तौर पर वज़नदार होता है और वही ज्यादा माना जाता है। That will have the meaning superior to the earlier part. यह interpretation का कायदा है!

Now, Sir, I will read those lines—

> "That a question, being once made and carried in the affirmative or negative, cannot be questioned again, but must stand as a judgment of the House."

Therefore, no motion will be in order which is substantially the same on which a decision has been taken by the House during the current Session.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी इन्द्र सिंह]

जनाब जो रूल नं. 207 है उस में यह दिया हुआ है कि current session में जो फैसला एक दफा हो चुका है वह ६ महीने से पहले दोबारा हाउस के सामने नहीं आ सकता। इस में 6 महीने के time के इल्फाज़ दिये हुए हैं । यह motion हाउस के उस फैसले को जो इस ने current session में किया है reverse करना चाहता है । May's Parliamentary practice में यह दिया हुआ है :

"Technically, indeed, the rescinding of a vote is the matter of a new question".

Here, a decision has been taken by the House. Now, a question has been raised which is identical with the one already decided by the House.

Mr. Speaker : It is not an identical question.

चौधरी इन्द्र सिंह : उस के तो यह भी साथ है कि restrictions on powers of rescission इस की चौथी line में यह दिया हुआ है —

"To do so indirectly, by proposing the negatived question a second time for the decision of the House, would be, as stated earlier, contrary to the established practice of Parliament."

तो जनाब ऐसी सूरत में कोई question ही पैदा नहीं होता कि यह जो motion है इस को पास किया जाये । यह motion जनाब rules के खिलाफ है और parlimentary convention के खिलाफ है और वैसे भी यह common-sense के भी खिलाफ है कि जो फैसला इस हाउस ने अभी तीन-चार दिन हुए किया था उस को आज reverse कर दिया जाये । आप ने फरमाया है कि गवर्नमेंट ने आप को approach किया है कि इस motion को इसी session में हाउस के सामने लाया जाये चाहे इस के notice आये को एक हफ्ता भी पूरा नहीं होता । अगर इस motion को इसी सैशन में न लाया जाता तो इस से गवर्नमेंट को शायद सोचने और समझने का और मौका मिल जाता और शायद इस को इस resolution के नकायस और अच्छाइयों का पता लग जाता तो मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में यह motion बिल्कुल नहीं आनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष: (*Addrssing Chaudhri Dharam Singh Rathi*) आप ने कौन सा rule quote किया था ? (Which rule did the hon. Member, Chaudhari Dharam Singh Rathi quote ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं ने Rule 81 quote किया था । मैं भी कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं ।

Mr. Speaker : Order please.

पंडित श्री राम शर्मा : यह तो बिलों के मुताल्लिक था और वह कौन सा rule था जो resolution के बारे में था ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री अध्यक्ष : इन्होंने तो बिलों के बारे में quote किया था और इसी वजह से मैं ने उन से दुबारा पूछा कि इन्होंने कौन सा rule refer किया था। (He had quoted a rule with regard to the bills and that is why I enquired from him the rule he had referred to.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब मैं ने जो rule quote किया है वह 81 है और वह बिलों को relate करता है और जो resolution को relate करता है वह 207 है।

श्री अध्यक्ष : Relate 207 तो हुआ resolution के बारे में लेकिन चौधरी धर्म सिंह राठी किसी और जगह पर ले जा रहे हैं और यह इस में बिलों को घुसेड़ रहे हैं। मैं तो समझता था कि यह बड़े समझदार lawyer हैं पर इन्होंने अपनी लियाकत का यही सबूत दिया है। फिर यह मानते नहीं थे। इन को तो चौधरी इन्द्र सिंह ने मनाया है।

अब हमारे सामने तीन बातें आई हैं। एक resolution पास हुआ और उस को rescind करने के लिए motion आई है। (दूसरे यह कि rescind करने के लिए 7 दिन गुज़रने चाहियें थे लेकिन मैं बता दूं कि 7 दिन गुज़रने से पहले इस motion को हाउस के सामने लाने के लिए स्पीकर ने अपनी discretion को क्यों इस्तेमाल किया है। इस का reason तो जब मैं पहले खड़ा हुआ था दे दिया था। तीसरी बात यह आ गई है कि जब हाउस ने unanimous vote से एक resolution पास किया तो यही सवाल दोबारा हाउस के सामने क्यों आ जाये। Rule No. 207 में यह provision है कि जब एक resolution move हो चुका है 6 महीने से पहले कोई identical resolution या amendment हाउस के सामने नहीं आ सकती। अब पहला सवाल तो यह है कि आया यह identical motion है या नहीं है? मैं समझता हूं कि it is not an identical motion but a new one जहां किसी मसले पर rules clear न हों तो वहां हम May's Parliamentary Practice House of Commons के procedure and convention से guidance हासिल करते हैं। तो rescind करने का principle House of Commons ने माना हुआ है कि हाउस ने पहले कोई motion पास की हो तो बाद में वह rescind हो सकती है। ऐसा हमारे अपने हाउस में भी हुआ है। 1956 में ही एक amendment जो आई थी...........

(Rule 207 relates to Resolutions but Chaudhri Dharam

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री अध्यक्ष]

Singh Rathi has been referring to something else and trying to bring Bills in its scope. I thought him to be an intelligent lawyer but this is the proof that he has given of his ability. He would not agree to this point. It is Ch. Inder Singh who brought him round.

Now three things have come before us. Firstly, a resolution was passed by the House and now a motion to rescind that is before it. Secondly under the rules this could only be taken up after the period of seven days clear notice had expired. But I may point out that in order to permit this motion before the expiry of 7 days the chair has exercised its discretion. I explained the reason at the very out set when I stood up. The third point before us is that when a resolution has been passed with a unanimous vote why should that come before the House a second time. It has been provided in the Rule 207 that when a resolution has been moved no resolution or amendment raising motions, resolutions and questions substantially the same question can come before the House before the expiry of six months. Now the point before us is to see whether it is an identical motion or not. To my mind this is not an identical motion but a new one. When our rules are not clear on any matter we are guided by May's Parliamentary Practice and the procedure and conventions obtaining in the House of commons. The House of Commons has accepted this principle of rescission of a motion already passed by the House. This thing has happened in our House as well. Recently in 1956 there was an amendment.........)

चौधरी इन्द्र सिंह : क्या यह उसी session में rescind हुआ था ?

श्री अध्यक्ष : यह amendment Punjab खादी एक्ट की एक clause के मुताल्लिक थी और उस के बारे में यह rescission की motion आई थी। (An amendment was made in a clause of the Punjab Khadi Act and later on there was a motion to rescind the decision of the House about it.)

Pandit Shri Ram Sharma : Was it a Bill or a Resolution ? The question now before us relates to a resolution.

श्री अध्यक्ष : मैं बिल की amendment की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर resolution को rescind करना हो तो उस के बारे में भी यह

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चीज लागू होती है। वह amendment पहले पास हो गई थी लेकिन उस की rescission इसी हाउस में बाद में हुई थी। अभी उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ है। वहां भी हाउस ने अपने एक decision को rescind किया है जो May's Parliamentary Practice है उस में यह चीज़ बड़ी clear दी हुई है। (I am talking about an amendment in a Bill. This equally applies to the case of rescission of a resolution. That amendment was first passed but that decision was subsequently rescinded in the House. Recently there has been such a case in the Uttar Pradesh. There also the House has rescinded its own decision.

> "There is nothing in the practice of either House to prevent the rescission of a resolution or discharge of an order of a previous session, when such is held to be of continuing force and validity, or of a standing order., But the rescission of a resolution or discharge of an order of the current session at one time offered great difficulty when Parliament was regarded rather as a court of law than a legislative body ...."

जिन साहिबान ने House of Commons की history को पढ़ा है उन्हें मालूम होगा कि वह कई stages में से गुज़रा है। House of Commons को पहले Court of Law समझा जाता था। चौधरी इन्द्र सिंह ने जो view पेश किया है वह view उस वक्त था जब उस को Court of Law समझा जाता था। अब जब कि इसे एक legislative body समझा जाता है तो यह view बदल गया है जब यह Court of law समझा जाता था तब के बारे में May's Parliamentary Practice में लिखा हुआ है। (Those who have studied the history of the House of Commons might be knowing that it has passed through different stages. Previously the House of Commons enjoyed the status of a court of law. The view expressed by Chaudhri Inder Singh relates to that time when the House of Commons was regarded as a court of law. Now that it is regarded as a legislative body that view has changed. About that time, there is provision in the May's Parliamentary Practice—)

> "That a question, being once made and carried in the affirmative or negative, cannot be questioned again, but must stand as a judgment of the House".

April 1604 में उस का यह view था। लेकिन उस वक्त के बाद अब जब कि सदियां गुज़र चुकी हैं तो चौधरी इन्द्र सिंह जी उस वक्त के rules को यहां quote करने लगे हैं। इस से आगे यह दिया हुआ है—(This view dates back to as late as April 1604 and now that centuries have passed since then Chaudhri Inder Singh has started quoting those rules in this House. Further it is provided that.—)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Mr. Speaker]

"Also by a rule formerly in force, a second bill, at variance with the provisions of a bill passed during the same session, could not be introduced ; and rescission is opposed, certainly, to the spirit of the existing rule that no question shall be offered which is substantially the same as one on which judgment has been expressed during the current session. But the practical inconvenience of a rigid rule of consistency, especially where the House as a whole wishes to change its opinion, has proved too great for a body confronted with the ever-changing problems of Government ; and the rule prohibiting reconsideration of a decided question has come to be interpreted strictly according to the letter so as not to prevent open rescission when it is decided that it is desirable."

The position explained above is quite clear. So the rescinding of a resolution already passed by the House is a new question. The new question is that the decision taken by the House should be annuled. We are not concerned with the affirmative side, but with the negative issue. The House has done something affirmative. Therefore, the question before us is not identical.

Chaudhri Inder Singh : When the resolution was moved in the House, it has either to be withdrawn, rejected or passed by the House.

Mr. Speaker : The House passed the resolution.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : On a point of information, Sir. ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਇਕ ਸਵਾਲ accept ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ House ਵਿਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

Mr. Speaker : That would have been a separate issue.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : जनाब ने कहा है कि यह same question नहीं है । यह एक new question है इस के मुताल्लिक rule 81 clear है इस में यह लिखा है कि :—

"A motion or amendment shall not, except with the permission of the Speaker, raise a question substantially identical with one on which the Assembly has given a decision in respect of a bill unless it has either passed the bill or has rejected the bill."

According to this rule, the question before the House is the same and not a new one.

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब गुज़ारिश यह है कि जब इस में यह clearly लिखा है कि कोई motion substantially identical नहीं आ सकती, तो फिर क्यों लाई जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : यह दोनों different issues हैं अगर बिल लाते हैं यह और बात है और अगर उसे rescind करते हैं तो यह और बात है । (These are two different issues introducing a Bill is one thing and rescinding the the bill is some thing else.)

The question before the House is a separate one having a negative side.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब गुज़ारिश यह है कि इस में substantially same question नहीं आया अगर ऐसा करना हो तो इस में थोड़ी सी तरमीम करनी ज़रूरी है। इस से यह कहीं नहीं कहा गया कि ऐसी सूरत में जब फैसला करना दरकार हो तो वह वहीं हो या किसी court में हो। (*Interruption.*)

श्री अध्यक्ष : आप ऐसी बातें न करें जिन से इस के repeal करने की जरूरत पड़ जाये। (The hon. Member may please avoid saying such things as may necessitate the repealing of this Act)

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब आप दो बातें recommend करते हैं। बजाए इस के कि हमारी position खराब हो। मेरा मतलब यह है कि बराए मेहरबानी आप इस का ऐसा नज़रिया ना लें जोकि इस House का नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ : On a point of order, Sir. ਮੇਰਾ point of order ਇਹ ਹੈ ਕਿ resolution move ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ discussion ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ premature ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ in order ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ materially ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ in order ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ Chief Minister ਵਲੋਂ resolution move ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

श्री अध्यक्ष : यह ज़रूरी है कि पहले कोई definite चीज House के सामने आये। (It is necessary that first there should be something definite before the House.)

Shri Balram Dass Tandon : Sir, I would like to know, how this motion can be moved?

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir. जब कोई Resolution पास हो जाये तो क्या इस House में फिर कोई ऐसा resolution पेश किया जा सकता है जोकि identical हो?

श्री अध्यक्ष : यह बात तो आप के against जाती है। (This thing goes against the hon. Member.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैं निहायत अदब से गुज़ारिश करूंगा कि जो चीज़ हमारे Rules में clear नहीं है, उसको move करने का आप को भी अख्तियार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तब तो यह बात है कि जो कुछ आप ने कहा वही दुरुस्त है मेरी Ruling की कोई ज़रूरत ही नहीं है। I cannot give my ruling unless there is something definite before the House. (It means that whatever the hon. Member has said is correct and there is no need of my giving a ruling. I can not give my ruling unless there is some thing definite before the House.)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

RESCISSION OF THE RESOLUTION REGARDING THE AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956, ETC.

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to move—

That the decision of the House taken at its meeting held on the 21st April, 1960, viz,—

"That this Assembly recommends to the Government to approach the Union Government with the request that the Hindu Succession Act, 1956, may be amended in such a way that the daughter instead of becoming a shareholder in the property of her father, be made a shareholder in the property of her father-in-law after her marriage to save the social and economic structure of the State" be

rescinded.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order Sir, अब जब कि resolution move हो चुका है ....

Mr. Speaker : Let the Chief Minister explain the motion first.

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਜੋ ਮਤਾ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ merits ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ । ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ decision ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ (*Interruption.*)

12.00 Noon

चौधरी इन्द्र सिंह : On a point of order, Sir. जनाब यह कहना कि शोर मच रहा था। It is a reflection on the Chair (*Interruptions*) मैं जनाब यह अर्ज़ करता हूँ कि यह लफ्ज़ withdraw कर लेना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : अगर आप जोश में आएँगे तो आप अपना view point ठीक तरह से express नहीं करेंगे । (If the hon. Member gets excited then he would not be able to express his view point clearly.)

चौधरी इन्द्र सिंह : इसमें जोश का सवाल नहीं है जनाब, मैं अर्ज़ करता हूँ that he should withdraw these words.

Several voices : He must withdraw these words.

(*At this stage several Members rose to speak.*)

श्री अध्यक्ष : जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं तब तक कार्रवाई ठीक तरह से नहीं चल सकती । I want to hear both sides of the House. (Unless the hon. Members resume their seats, It will not be possible to carry on the business properly. I want to hear both sides of the House.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब यह बड़े derogatory remarks हैं

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Let me first listen to the Chief Minister as to what he wants to say. (*Interruptions.*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब वह पहिले अपने लफ्ज़ withdraw करें।

It is a reflection on the whole House, Sir. The Chief Minister must withdraw those words..

Mr. Speaker : If the hon. Member (Chaudhri Dharam Singh Rathi) continues interrupting like this, then I will have to name him.

चौधरी बारू राम : जब स्पीकर साहिब, कोई मेम्बर बोल रहा हो और उसकी स्पीच में कुछ ऐसे लफ्ज़ आ जायें जिन पर Point of order raise किया गया हो, तो क्या Point of order पर रूलिंग दिये बग़ैर वह पहिला मेम्बर अपनी स्पीच जारी कर सकता है ?

Mr. Speaker : The Chair has got the right to see the whole context of the remarks. I must hear the whole context and then give my ruling.

चौधरी बारू राम : मेरी भी अर्ज़ सुन लीजिए।

Mr. Speaker : I cannot give my ruling before I hear the Chief Minister fully on this point.

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਣ ਰਖਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ misunderstanding ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਲ ਦਿਲਾਵਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ Presiding Officer ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ misunderstanding ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।

Shri Sher Singh : It is a reflection on the Chair.

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ reflection ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਹਦ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ misunderstanding ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਣ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ motion ਨੂੰ rescind ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

POINT OF ORDER REGARDING RESCISSION OF A RESOLUTION REGARDING THE AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956 ETC.,

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. इस हाउस के सामने जो motion चीफ मिनिस्टर साहिब ने पेश की है उसके मुताल्लिक मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह हमारे rules के definitely ख़िलाफ है। इसकी वजह

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[पंडित श्री राम शर्मा]

कोई भी हो लेकिन जब हाउस ने decision ले लिया और resolution पास कर दिया तो उस को हम 6 महीने से पहिले इस हाउस में ले आने के मायने यह होंगे कि गैर-कानूनी कार्रवाई हुई । इस के far-reaching effects होंगे । जो रूल्स अब बनाए गये हैं उन में साफ तौर पर लिखा है कि कोई identical motion or the same resolution 6 महीने से पहिले किसी भी सूरत में नहीं आ सकती । अगर Chief Minister चाहें तो पहिले rules बदलें फिर चाहे कुछ करें लेकिन substantially the same resolution or identical motion 6 महीने के अन्दर नहीं आ सकती, न इस में Government of India कुछ कर सकती है , और न गवर्नर ही कुछ कर सकता है । इसलिए जनाब मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बेशक यह resolution गलतफहमी से पास हुआ है या नहीं जब तक यह rule हमारे rules of procedure में मौजूद हैं, जनाब को यह इजाज़त नहीं देना चाहिए क्योंकि यह चीज़ normally rules के खिलाफ है ।

श्री हर भगवान मौदगिल : स्पीकर साहिब, आप की आज्ञा से section 81 जो है—वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं । इस के अन्दर question यह है कि आया यह motion substantially identical है या नहीं । बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि यह motion move हो सकती है या नहीं उस का फैसला आप ने देना है । मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल गलत है कि एक दफा कोई decision किसी resolution के बारे में हो चुका हो तो उस पर दोबारा motion नहीं आ सकती । According to rule 81—

"A motion or amendment shall not, raise a question substantially identical".

but there is a condition that—

"except with the permission of the Speaker"-

i. e. such a motion can be brought if the hon. Speaker permits.

एक चीज़ तो यह है दूसरी चीज़ हमने यह देखनी है कि आया यह substantially identical motion है । कई दफा ऐसा case होता है कि एक ही चीज़ की substance को कुछ इधर उधर कर के motion move की जाती है । मगर इस में वह चीज़ भी नहीं है ; इस लिए इस में substantially identical या formally identical का सवाल ही पैदा नहीं होता । यह motion move हो सकती है and Rule 81 does not debar it.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, इस motion को लाते वक्त Chief Minister साहिब ने जो argument दी वह यह है कि चूंकि Chair ने गलतफहमी में ऐसा फैसला दे दिया है इसलिए उसे revise करने के लिए हम यह motion लाए हैं । उन्होंने House के decision को challenge नहीं किया बल्कि उन्होंने clearly chair के फैसले को challenge किया

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

है जोकि मैं समझता हूं under the rules नहीं किया जा सकता। स्पीकर साहिब, Chair ने उस दिन किसी गलतफहमी में फैसला नहीं दिया था। उस दिन जो Members बोले थे उन में से 90 प्रतिशत Members ने इस resolution की clearly support की थी। लेकिन Chief Minister साहिब कहते हैं कि शोर की वजह से डिप्टी स्पीकर साहिब सुन नहीं सके इस लिए उन्हों ने गलत फैसला दे दिया था। मैं समझता हूं कि यह Chair के decision पर dispute है। इस लिए यह motion House में नहीं लाई जा सकती।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहिब जिस वक्त motion put की गई थी उस वक्त 6.30 बज गए थे। Members ने confusion या कुछ hurry में vote कर दिया था। Rule 81 में साफ तौर पर लिखा है कि :

"A motion or amendment shall not, except with the permission of the Speaker....

Therefore, Sir, it is your discretion to allow it or not.

तो इस से यह चीज़ बिल्कुल साफ है (*Interruptions*)

Mr. Speaker : But, how will you explain this difference between Rule 81 and Rule 207 ?

श्री शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस में दो सवाल बहुत जरूरी हैं। एक तो आप ने फरमाया है कि जब हमारे rules silent हों तो हमें House of Commons की तरफ देखना चाहिए। लेकिन इस मामले में हमारे rules silent नहीं हैं। Rule 207 में साफ लिखा है कि जो Resolution एक दफा आ चुका हो उस को आप छः महीने के अंदर बदल नहीं सकते। अब सवाल रहा कि यह identical motion है या नही है। चीफ मिनिस्टर साहिब जो motion लाए हैं उस में उन्होंने खुद ही यह बात साफ कर दी है कि यह identical motion है। Mover साहिब ने खुद कहा है कि भुलेखे की वजह से जो लोग खड़े नहीं हुए थे उन की आवाज़ Chair को सुनाई नही दी, इस लिए गलत decision हो गया है। अगर उसी वक्त वह कहते कि भुलेखे में गलत decision हो गया है तो फिर ठीक था। लेकिन यह कहना कि जो decision Chair ने दिया था वह ग़लत है, ठीक बात नहीं है। यह बिल्कुल identical motion है इस लिए अब यह House में consider नहीं की जानी चाहिए।

चौधरी लहरी सिंह : इस सिलसिले में स्पीकर साहिब, दो सवाल बड़े अहम हैं। Chief Minister साहिब ने यह दलील दी है कि उस दिन Chair को सुना नहीं और गलत फहमी में फैसला दे दिया गया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात थी तो यह objection उसी रोज़ उठाया जाना चाहिए था। मगर उस वक्त सब चुप रहे और किसी ने protest नहीं किया कि साहिब गड़बड़ हुई है। Voting फिर से होनी चाहिए। अब चार दिन के बाद यह कहना कि उस दिन मुगालते में Chair ने फैसला दे दिया था, ठीक बात मालूम नहीं होती। तो यह एक legal point है। अगर proper time पर objection raise नहीं किया तो बाद में after four days यह objection

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी लहरी सिंह]

नहीं उठाया जा सकता। अब सवाल रहा identical होने का। स्पीकर साहिब, इस से ज्यादा identical चीज़ और क्या हो सकती है। इन्होंने कहा है कि जो resolution पास हुआ है it may be rescinded यह exactly उन्हीं words को लेकर कहते हैं कि उस को rescind करो। स्पीकर साहिब, मैं आप से request करूंगा कि democracy को maintain करने के लिए आप इस मामल पर अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला दें ताकि जब आप की ruling हिन्दुस्तान में जाए तो वह एक मिसाल समझी जाए। इस में भाई चारे का कोई सवाल नहीं है।

खान अब्दुल गफ्फार खां: जनाब स्पीकर साहिब, यह जो motion लाई गई है यह बिल्कुल कायदे और rules के मुताबिक है। यह उस resolution से identical नहीं है। इस में सिर्फ यह कहा गया है कि उस दिन जो गलतफहमी से फैसला दिया गया था वह revise किया जाए। इस में यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि resolution वापिस लिया जाए। इस लिए इस के identical होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे दोस्त ने जो कहा है कि आप सोच समझ कर फैसला दें उस की मुझे समझ नहीं आई। क्या वह समझते हैं कि स्पीकर साहिब कोई बात सोच समझ कर नहीं करते। This is a reflection on the Chair. यह बात Chair की dignity के खिलाफ़ है। किसी भी hon. Member को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। इन अल्फाज़ के साथ मैं Chief Minister की motion की support करता हूं।

Shrimati Om Prabha Jain : Mr. Speaker, Sir, Rule 207 has been referred. This Rule is regarding the effect of withdrawal. It is laid down in this Rule that—

"When a resolution has been moved and has or has not been with drawn no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within six months thereof."

But, Sir, in this Rule no mention to the resolutions that have been passed by the Sabha has been made. This rule prohibits the moving of a resolution when a resolution raising substantially the same question is either pending or has or has not been withdrawn. But in the case of the motion desired to be moved by the hon. Chief Minister, a resolution has already been passed and for such like cases rule 81 applies, which very clearly lays down that—

"A motion or amendment shall not, except with the permission of the Speaker, raise a question substantially identical with one on which the Assembly has given a decision..."

So this is a motion of rescinding regarding the resolution on which a positive decision has been taken. It is not a case of withdrawal. And, therefore, here rule 81 will apply which says as I have mentioned earlier moreover :—

"...........Assembly has given a decision : Provided that the Assembly shall not be deemed to have given a decision in respect of a bill unless it has either passed the bill or has rejected the bill."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Question regarding the withdrawal or non-withdrawal of the resolution does not arise in the present case. It is definite and undisputable that the resolution was passed by the House and not withdrawn. The House gave a definite decision and therefore, this Rule 207 does not apply. But rule 81 will apply which now leaves it to your discretion to allow or not allow the motion. The mover is within his rights to move this motion as he is by no rule prohibited to move it. I hope that this intention of the Chief Minister as he is the Leader of the House and his intention reflects the wish of the whole party will be carried through.

Mr. Speaker: Very good point.

श्री राम चन्द्र कामरेड : स्पीकर साहिब वैसे तो मैं उस resolution के खिलाफ था और मै भी चाहता था कि वह न पास हो। लेकिन अब चूंकि वह पास हो चुका है इस लिए legally उस पर दोबारा voting नहीं होनी चाहिए। अगर यह कहा जाए कि उस दिन शोर की वजह से Chair ने गलत फैसला दे दिया था तो फिर चाहिए था कि उसी दिन Government उस पर दोबारा voting के लिए press करती। उस दिन तो उन्होंने एतराज़ किया नहीं। अब एक हफ्ते के बाद कह रहे हैं कि इस पर दोबारा voting होनी चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इस की मुखालफत करता हूं।

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब House में किसी बात पर voting हो जाती है और Chair अपना फैसला दे देती है तो फिर उसी बात पर चार दिन के बाद voting नहीं हो सकती। यह चीज़ काय दे के खिलाफ है। इस के इलावा rules में provision है कि जो identical बात हो वह छः महीने से पहले House में नहीं लाई जा सकती। यह जो motion चीफ मिनिस्टर साहिब की तरफ से आई है यह उस resolution के बारे में है जोकि चार दिन पहले पास हो चुका है; इस लिए यह identical motion है जोकि छः महीने से पहले House में नहीं लाई जा सकती। मैं आप से request करूंगा कि इसे allow न किया जाए।

Mr. Speaker : A resolution which has been passed by the House cannot be considered to be pending before the House.

So long a resolution is pending before the House no identical motion can be brought before the House, as is laid down in Rule 207, within six months. But here, besides the question whether the resolution moved by the Chief Minister is identical to the one passed by the House earlier, it is very clear that no such like resolution is pending before the House.

चौधरी इन्द्र सिंह : पहली stage यह होती है कि withdraw होता है या नहीं होता और next stage पास होने की है। अगर आप rule 207 को 209 के साथ मिला कर पढ़ें तो rule 209 में लिखा है —

209. "A copy of every resolution which has been passed by the Assembly shall be forwarded to the Government."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी इन्द्र सिंह]

इस का मतलब है कि this can be inferred safely, that the words "has or has not been withdrawn" means either has been passed or, has not been withdrawn and is pending or has been withdrawn.

तो इस चीज़ का मतलब यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। आप देखें कि इस के इलावा Rules में और कोई stage pass करने के लिए provided नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगर यह चीज़ होती तो यहां लिखा होता कि "if the resolution has been passed". आप मुझे बताएं कि इस में passed का लफ्ज़ क्यों नहीं लिखा। (If this was the case then it should have been written here. "if the resolution has been passed. Please tell me as to why the word 'passed' has not been used?)

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब passed का लफ्ज़ इसलिए नहीं लिखा कि withdrawal की कुछ stages हैं। एक stage यह आती है कि mover move करते हुए भी withdraw कर सकता है। फिर............

Mr. Speaker : In my opinion the purpose or meaning of this rule 207 is that so long as the resolution is pending before the House, no resolution raising substantially the same question can be moved within six months. But this resolution on the basis of which the resolution moved by the Chief Minister is being objected to is not pending. It has already been disposed of, i.e., has been passed by the House.

चौधरी इन्द्र सिंह : मगर जनाब इस में यह लफ्ज़ भी नहीं है कि is pending before the House अगर जनाब की दलील को भी मान लिया जाए तो भी मैं अर्ज़ करता हूं.........

Mr. Speaker : A resolution which has been passed by the House cannot be considered to be pending before the House.

So long a resolution is pending before the House no identical motion can be brought before the House, as is laid down in rule 207, within six months. But here, besides the question whether the resolution moved by the Chief Minister is identical with the one passed by the House earlier, it is very clear that no such like resolution is pending before the House.

Chaudhri Inder Singh : Sir, my humble submission is that where a Rule is not specific or express, we have to infer certain things from that rule.

Mr. Speaker : I shall again read out rule 207. It is laid down—

207. When a resolution has been moved and has or has not been withdrawn no resolution or amendment raising substantially the same question shall be moved within six months thereof.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

It means that if a resolution is withdrawn then it is a different matter. If it is not withdrawn and is pending before the House, even then we cannot move an identical resolution. But the word "passed" is not used there, and therefore, I feel this rule does not apply.

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब, दूसरा point मेरा यह है कि आपने भी माना है कि rules में express provision नहीं है। जहां rules में express provision न हो तो we fall back upon conventions and practices followed in different Parliaments of different countries.

Mr. Speaker : I quite agree with what you have quoted from the May's Parliamentary Practice but not on this point.

चौधरी इन्द्र सिंह : Mover of the motion की तरफ से दो arguments दी गई हैं— एक तो यह कि कुछ misunderstanding हुई और दूसरे यह argument दी गई है कि शोर हो रहा था। हमें देखना है कि आया rescission की motion आ सकती है। इसे किसी rule या practice के तहत move नहीं किया गया।

I want to draw your kind attention to page 417 of May's Parliamentary Pratice. I would like to read out the concluding portion of the paragraph regarding 'Reversal of Decision' because these particular lines need your attention.

इस decision से उन के rights पर क्या असर पड़ा। This has not been explained by the hon. mover of this resolution. क्या हाउस के rights पर असर पड़ा है। जब तक कोई substantial असर न पड़ा हो its decision cannot be reversed.

Now, Sir, I read a few lines from page 417 of May's Parliamentary Prcatice—

"With regard to the whole matter it may be stated generally that the reason why motions for open rescission are so rare and why the rules of procedure carefully guard against the indirect rescission of votes........................."

श्री अध्यक्ष : यह तो आप पढ़ चुके हैं (The hon. Member has already quoted its lines).

चौधरी इन्द्र सिंह : Reversal of decision के मुतअल्लिक जो paragraph है उस के बीच का portion है वह मैं ने पढ़ा था—

"With regard to the whole matter it may be stated generally that the reason why motions for open rescission are so rare and why the rules of procedure carefully guard against the indirect rescission of votes is that both Houses instinctively realize, as a precedent referred to above shows, that parliamentary Government requires the majority to abide by a decision regularly come to, however, unexpected, and that it is unfair to resort to methods, whether direct or indirect, to reverse such a decision. The practice, resulting from this feeling, is essentially a safeguard for the rights of the minority, and a contrary practice is not normally resorted to, unless in the circumstances of a particular case those rights are in no way threatened."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Chudhri Inder Singh]

The decision already taken by the House is being rescinded through a motion moved by the Chief Minister. It is a moot point. The House is not competent to rescind its decision.

उद्योग मंत्री : (श्री मोहन लाल) इस resolution के move करने के खिलाफ जो एतराज़ उठाया गया है उस का सारा इनहसार rule 207 के ऊपर किया गया है और Parliamentary procedure पर भी। जहां तक rule का ताल्लुक है यह Bills और resolutions पर हावी नहीं होता—इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूंगा कि अगर आप इस rule का जो marginal title है वह मुलाहज़ा फरमाएं " Effect of withdrawl " जिस का सीधा मतलब यह है कि जो rule बना है वह सिर्फ उन resolutions से ताल्लुक रखता है जो withdraw किये गये हों जिस में direct या indirect withdrawal involved हो। "Effect of withdrawal" का मतलब है effect of decision, effect of the resolutions which are passed. यह rule कतई तौर पर पास-शुदा resolutions पर हावी नहीं होता।

Mr. Speaker : Marginal title is not a part of the rule.

उद्योग मंत्री : मैं इस बात को जानता हूं कि merginal title rule का part नहीं होता। यह rule की intent होती है और rule को interpret करने के लिये relevant and material factor होता है। इसलिए मैंने इसे part of the rule समझते हुए इस पर इनहसार नहीं किया लेकिन rule को interpret करने के लिए marginal title का हवाला दिया है। दूसरी बात मैं यह अर्ज़ करूंगा कि यह बिल्कुल ठीक है कि rule का मतलब यह है कि इस का effect पास हुए हुए resolutions पर भी होता है और reject हुए हुए resolutions पर भी होते हैं। इसका एक direct मतलब यह निकलता है कि यह rule withdraw हुए हुए resolutions के लिए हैं। इस rule का मकसद यह है कि multiplicity of procedure को इस हाउस में avoid किया जाए। आज एक resolutions आता है जिस पर discussion जारी होती है और उस के बाद substantially वही resolution दूसरे अलफाज़ में आ जाता है यह न हो कि simultaneously दो resolutions चलते रहें और दोनों resolutions पर discussion चलती रहे। इसलिये यह जो rule है ऐसे resolutions पर apply नहीं होता।

तीसरी बात यह है कि अगर यह समझा जाए कि इस motion को rule 207 apply करता है तो यह ठीक नहीं है इस लिए जो motion Chief Minister साहिब ने पेश की है यह एक amendment है पिछले resolution को negative करने के लिए यह resolution नहीं है—यह motion है जो insubstance resolution को change नहीं करती। हम ने resolution के merits को

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

change नहीं किया न ही उस को किसी ढंग से touch किया है। resolution substantially वही है और इसे motion तसव्वर किया जा सकता है जैसे अभी २ चीफ मिनिस्टर साहिब ने explain किया कि motion का क्या मतलब है। इस के कारणों में जाना मुनासिब नहीं, न ही मैं जाना चाहता हूं। जो हाउस का decision उस दिन record हुआ वह किसी formal difficulties की वजह से हुआ।

श्री शेर सिंह : स्पीकर साहिब, यह 207 रूल हाथ बांध देता है। इस में लिखा है कि जो resolution withdraw कर लिया हो या withdraw न हो अगर वह एक दफा discuss हो जाए और उसे withdraw कर लिया जाए तो वह हाउस के सामने नहीं रहता। अगर withdraw न किया गया हो तो वह हाउस के सामने होता है।

श्री अध्यक्ष : हमें biased opinion नहीं रखनी चाहिये। Rule हमारे सामने है जो कि बहुत clear है। (We should not hold a biased opinion. The rule is before us which is very clear.)

श्री शेर सिंह : Rule 207 बिलकुल स्पष्ट है। इस का मतलब यह है कि जो resolution एक दफा discuss हो चुका हो, या withdraw हो चुका हो वह हाउस के सामने दोबारा नहीं आ सकता। (*Interruptions*)

Mr Speaker. : I can not accept this. I do not agree with your interpretation.

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, when a resolution has been moved and has or has not been withdrawn का मतलब यह हुआ कि जो resolution पास हुआ है वह हाउस में नहीं आ सकता। इन्होंने अगर उस को witdraw कर लिया होता तो भी वह इस के मुकाबले में substantially the same issue raise करता है इस लिये तो भी नहीं आ सकता अगर withdraw नहीं किया तो उस सूरत में या तो वह पास हो गया, या फेल हो गया या reject हो गया यानी resolution discuss हो गया। तो चाहे वह पास हो गया हो, चाहे फेल हो गया हो, चाहे reject हो गया हो उस के मुताल्लिक यह कहना कि वह resolution pending है और हाउस के सामने 6 महीने के अंदर आ सकता है तो यह गलत बात है क्योंकि इस हालत में the resolution substantially raises the same issue इस का मतलब हुआ कि अगर resolution withdraw हो गया हो और अगर withdraw न हुआ हो तो pending हो या पास हो चुका हो 6 महीने के अंदर अंदर raising substantially the same issue हाउस में नहीं आ सकता।

Mr. Speaker : Rule 207 relates to the withdrawal of resolutions. For the sake of interpretation Rule 81 has been quoted which reads:

> 81. A motion or amendment shall not, except with the permisson of the Speaker, raise a question substantially identical with one on which the Assembly has given a decision in the same session: Provided that the Assembly shall not be deemed to have given a decision in resptct of a bill unless it has either passed the bill or has rejected ihe bill.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Mr. Speaker]

So far as withdrawal or rejection is concerned Rule No. 207 is quite clear. (*Interruptions*)

Mr. Speaker: Order please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਫਜ਼ ਬੜੇ clear ਹਨ ਕਿ—

"When a resolution has been moved.........."

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿਚ move ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ। withdrawal ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ not before the House. This resolution is also not before the House after its having been moved and passed by the House. When it has been passed the question of its coming again before the House does not arise. ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Once it has been moved and is not before the House. That question cannot be raised in the House within 6 months.

ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, rescind ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ withdrawal ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ that it is not before the House.

श्री अध्यक्ष : हाउस इस मामले पर इतना excited है कि पंचायतों में भी इस तरह से काम नहीं होता। (The House is so much excited on this issue that even in Panchayats business is not conducted in this manner.) (*Interruptions*) Order please. Motion regarding the resolution that was passed by the House on 21st April, 1960, was quite separate from the one which has been moved by the Chief Minister to-day. The House took a final decision on the resolution on that day. That decision of the Assembly is sought to be rescinded through the motion which has now been moved by the Chief Minister. It is, therefore, altogether a separate motion.

Some hon. Members from the Opposition Benches : It is the same.

Mr. Speaker : No please.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, आप ने कहा है कि इस रेज़ोल्यूशन को, जिस को हाउस पहले पास कर चुका है, rescind करने के लिए एक saparate motion लाई जा रही है। इस का मतलब यह हुआ कि question same तभी रहता है जब कि पास हुए को फिर से पास करने के लिए हाउस के सामने लाया जाए...... (*Interruptions*).

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : The practice of rescission of earlier decisions on such matter is available to all the Legislatures. The motion now moved by the Chief Minister is not identical with the one which was adopted by the House on 21st April, 1960. This motion seeks to negative a decision already taken. It is altogether a separate motion and being in order it can be moved (*Cheers*). (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Order please. Motion moved—

That the decision of the House taken at its meeting held on the 21st April, 1960, viz,—

"That this Assembly recommends to the Government to approach the Union Government with the request that the Hindu Succession Act, 1956, may be amended in such a way that the daughter instead of becoming a share-holder in the property of her father, be made a share-holder in the property of her father-in-law after her marriage to save the social and economic structure of the State".

be rescinded.

(At this stage Pandit Shri Ram Sharma rose to speak)

Chaudhri Inder Singh : On a point of order, Sir. I had already raised a point of order that the remarks made by the hon. Chief Minister while moving the motion are derogatory to the House. You have not Sir, given your decision on this point.

श्री अध्यक्ष : हां, मैं इस बारे में कहना भूल ही गया था। यह कहना कि जो फैसला हुआ वह गलतफहमी में हो गया या आवाज़ पहुंची या न पहुंची इसलिए गलत फैसला हो गया, यह ठीक बात नहीं। (*Interruptions*) मैं नहीं समझता कि यह कहना कहां तक एक मज़बूत reason है कि यह सबकुछ गलत फहमी में हो गया और यह कि चेयर को हां की या न की आवाज़ ठीक नहीं सुनाई दी। यह एक technical point है। जो रैजोल्यूशन था उस पर बहस हुई और आखिर में वह हाऊस की राए के लिए put किया गया। (*Interruptions*) जब मैंने इस controversy की बाबत सुना तो मैं ने उस कार्यवाही के रिकार्ड को देखा। मैंने पूरी तरह से इस बात की तसल्ली कर ली है कि चेयर की तरफ से जो फैसला दिया गया था वह हाऊस की राए लेने के बाद दिया गया था। इसलिए चेयर की तरफ से Ayes और Noes की आवाज़ों में कोई गलत फहमी हुई, इस बात का सवाल पैदा नहीं होता। ऐसा मालूम होता है कि इन सरकारी बैंचों की तरफ से गलती हो गई जो इन्होंने आखिरी स्टेज पर इस को चैलेंज न किया (*Interruption*)

(Yes, I forgot to give my ruling on this point. I think that to say that whatever decision was taken, was taken due to some misunderstanding or that a wrong decision was taken due to noise in the House, does not appear to be correct (*Interruptions*) I do not know how far it stands to reason to say that it all happened in a misunderstanding or that the Chair could not hear

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Mr. Speaker]

voices of Ayes and Noes properly. It is a technical point. The resolution was discussed and ultimately put to the vote of the House. (*Interruptions*). When I heard about this controversy I examined the relevant record of the proceedings in this connection. I am fully satisfied that the decision on the resolution was given by the Chair after getting the sense of the House and therefore, the question of the Chair having misunderstood the voices of Ayes and Noes does not arise. It appears that the Treasury Benches did a mistake in not challenging the decision of the Deputy Speaker at the last stage) (*Interruptions*).

मौलवी अब्दुल गनी डार : अब तो जनाब चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी और रैविन्यू मिनिस्टर साहिब को इस्तीफा दे देना चाहिए ।

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब चीफ मनिस्टर साहिब ने यह मोशन मूव करते हुए जो derogatory remarks चेयर और हाउस की बाबत किए थे अब तो उन को वह अल्फाज़ वापस ले लेने चाहिएं ।

Mr. Speaker: I hope that the Chief Minister never intended to cast such aspersion. (*Interruptions*.)

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ House ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ।

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE MOTION REG. RESCISSION OF A RESOLUTION REGARDING THE AMENDMENT OF THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956 ETC.

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत): स्पीकर साहिब, जहां तक इस रैज़ोल्यूशन का कायदे और ज़ाबते के साथ ताल्लुक है वह तो खत्म हो गया । अब इस पर on merits बहस की जा सकती है । मुझे अफसोस यह हुआ है कि यह रैज़ोल्यूशन चाहे किसी भी हालत में यहां पर पेश किया गया हो, इस में हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह तजवीज़ किया है कि जो रैज़ोल्यूशन यह हाउस पहिले पास कर चुका है, उस को अब मंसूख किया जाए या मंसूख़ समझा जाए । इस पर मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो रैज़ोल्यूशन अब पेश किया गया है वह पास नहीं होना चाहिए । यह मोशन हाउस को मंजूर नहीं करनी चाहिए । उसकी वजह यह है कि यह धोखे की बात तो तब होती जब कोई ऐसा मामला होता जोकि एक दो मिनट में इधर उधर के आनरेबल मेम्बरों से सुनकर तै कर लिया गया होता या ऐसा मामला होता जोकि इधर उधर के मैम्बरों के सुनने में न आया हो । चीफ मिनिस्टर साहिब को अच्छी तरह से मालूम है कि इस रैज़ोल्यूशन पर चार दिन बहस होती रही..........

Shri Harbhagwan Maudgil : On a point of order, Sir............

Mr. Speaker : No point of order now. Let the hon. Member finish his speech.

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब, मैं यह कहने जा रहा था कि यह बातकह कर कि उस वक्त कोई गलतफहमी लग गई थी, यह तहरीक पेश कर के हाउस के पहले फैसले को रद्द कर देना किसी तरह से भी वाजिब बात नहीं । ग़लतफहमी तो वहां होती अगर वह एक ऐसा मामला होता जोकि बहुत जल्दी में इधर उधर हो गया होता । जो कानून हिन्दुस्तान की पार्लिया-

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मेंट ने पास किया हुआ है कि विरसे में लड़की और लड़के को कहां हक मिले, कैसे मिले, वह इस हाऊस के अन्दर एक घंटे के लिए नहीं, दो घंटे के लिए नहीं बल्कि मुसलसिल तीन चार दिन तक ज़ेरे बहस रहा। जब जब नान आफीशल दिन की बारी आती गई तब तब इस के ऊपर बहस हुई। चाहे उन की तवज्जुह मेरी तरफ हो या न हो, मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से कहना चाहता हूं कि ज़रा इन दिनों का रिकार्ड उठा कर तो देखें कि उन की अपनी पार्टी के मैम्बरों ने कितनी तादाद में, कितनी निस्बत में और कितने लफज़ों में क्या क्या कहा। मैं हैरान हूं कि इस निरन्तर बहस के बाद भी यह मुगालता कैसे हुआ। मैं तो कहता हूं कि आपोज़ीशन के मैम्बरों से भी ज्यादा वक्त लेकर, ज्यादा ज़ोर के साथ, ज्यादा दलायल के साथ और ज्यादा जोशोखरोश के साथ इनकी पार्टी के मैम्बरों ने इस बहस में हिस्सा लिया। रिकार्ड इस बात का गवाह है, अखबारें इस बात की शाहिद हैं कि क्या क्या कहा गया इस हाऊस के अन्दर Treasury Benches के मेम्बरों की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहिब की पार्टी के वफादार और loyal मैम्बरों की तरफ से। मैं उन का भी नाम नहीं लेता जिन के मुताल्लिक यह कहते हैं कि वह dissident हैं या अच्छी तरह से behave नहीं करते। मैं कहता हूं कि आप रिकार्ड निकाल कर देख लीजिए कि जिस रैज़ोल्यूशन के खिलाफ चीफ मिनिस्टर साहिब यह तहरीक लाए हैं उस पर इस की पार्टी के मैम्बरों ने कितने घंटों तक, कितने लफज़ों में और किस हद तक क्या क्या बातें कहीं। मैं पूछता हूं कि क्या वह सब कुछ मुगालते के अन्दर चल रहा था? क्या उन को पता नहीं था कि कानून क्या है और इस के हक में या बरखिलाफ क्या क्या बातें हैं? पूरे एक महीने के अर्सा तक जो जो नान आफिशल दिन आया उस दिन इसी रैज़ोल्यूशन पर बहस हुई। वह रिकार्ड में आई, अखबारों में छपी वह सारे पंजाब को मालूम है। लेकिन उस सिल-सिले में अगर किसी को मुगालता था या धोखा था वह सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहिब को ही रहा होगा। पंजाब में सब को जाहिर हो चुका हुआ है कि इस कानून पर मुसलिस बहस के दौरान, रैज़ोल्यूशन पर जिन जिन मैम्बर साहिबान ने तकरीरें की उन्होंने अपने पूरे होशोहवास में की, जानबूझ कर, कि किसी गलत फहमी में आकर नहीं की। जो भी उन्होंने अपनी राए का इज़हार किया वह उन के दिल, ज़मीर और अन्दरूनी आवाज़ के मुताबिक थी। इन सब बातों को देख कर ही उन्होंने इस रैज़ोल्यूशन को पास किया। मुगालता तो तब होता अगर उन मैम्बरों ने भी तकरीरें तो की होती रैज़ोल्यूशन के खिलाफ और आखिर में जब डिप्टी स्पीकर साहिब ने motion put की तो उस वक्त गलती में Ayes के हक में हाथ खड़ा कर दिया होता। ठीक है, उस हालत में तो गलत फहमी की गुंजायश हो सकती थी। लेकिन बोलते तो रहे उस ऐक्ट के विरसे वाली बात के खिलाफ और इसलिए आखिर में इस रैज़ोल्यूशन के हक में वोट दिए। स्पीकर साहिब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब को मालूम होना चाहिए कि यह जो रैज़ोल्यूशन हाऊस के अन्दर आया था, यह उन्हीं की पार्टी के मैम्बर की तरफ से मूव किया गया था। वह आपोज़ीशन के मैम्बर नहीं हैं। न तो आप उन से नाराज़ हैं और न ही अन्दरूनी या बैरूनी तौर पर आप को उन पर किसी तरह से कोई शक है। इस बात को भी जाने दीजिए। मैं कहता हूं कि जब भी बैलट हुआ इनकी पार्टी के कई मैम्बरों की तरफ से यही रैज़ोल्यूशन दिया गया। अब इत्तफाक से इनकी पार्टी की तरफ से ही यहां पर पेश हुआ, उस पर बहस हुई, इन्हीं की पार्टी के मैम्बरों ने इस के हक में तकरीरें कीं, तीन दिन तक बहस होती रही और अब कहते हैं कि

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[पंडित श्री राम शर्मा]

उस को पास करते वक्त मुगालता लग गया । आखिर मुगालता किस बात का हो गया ? दर-असल मुगालता खुद चीफ मिनिस्टर साहिब को है । वह नहीं समझते कि पंजाब क्या चाहता है, हाऊस क्या चाहता है । इतना ही नहीं । आम लोग इस बात में बिल्कुल clear हैं, किसी को कोई गलत फहमी नहीं । सैंटर को भी अब इस बात में कोई गलतफहमी नहीं और न ही पंडित जवाहर लाल नेहरू को है । उन को पता लग चुका है कि यहां पर किस किस मैम्बर ने इस सम्बन्ध में क्या क्या कहा था । लेकिन अब वह उन को गलत फहमी में डालने की कोशिश कर रहे हैं और जिस बात के मुताल्लिक वह clear हैं उसी सिलसिले में गलत फहमी और मुगालता डालने की कोशिश करना चाहते हैं । स्पीकर साहिब, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया मुगालता उस सूरत में हो सकता है जब कि जल्द बाज़ी में कोई चीज discuss हई हो और मेम्बरान को पता ही न लगा हो कि issue क्या था और उसकी implications क्या थीं । लेकिन इस रैज़ोल्यूशन पर तो बड़ी शद्दोमद के साथ बहस हुई । इसलिए इस पर किसी को मुगालता नहीं हो सकता । मुगालते की कोई गुंजायश नहीं हो सकती बल्कि अब मुगालता डालने की कोशिश की जा रही है । मुगालता देना चाहते हैं प्रधान मंत्री को और भारत सरकार को । अब उन को बताना चाहते हैं कि इस असैम्बली की हरगिज़ यह राए नहीं थी कि इस रैज़ोल्यूशन को पास किया जाए कि लड़की का हिस्सा बाप की जायदाद में नहीं बल्कि ससुर या खाविन्द की जायदाद में हो । अब चूंकि इस फैसले को बदलना है इसलिए तहरीक देते वक्त यह बहाना बना दिया कि साहिब, हम को तो उस वक्त मुगालता लग गया था । मैं तो यह कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहिब यह तहरीक इसलिए लाएं हैं ताकि वह दुनिया को, गवर्नमेंट को और हिन्दुस्तान के लोगों को मुगालते में डाल सकें । लेकिन मैं उन को बता देना चाहता हूं कि वह अब किसी भी तरह से लोगों को और खास कर देहाती लोगों को मुगालते में नहीं डाल सकते जिन का खेती के साथ ताल्लुक है और जिन को पता है कि किस तरह से इस्तेमाल के ज़रिए जमीन को गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है । जमींदारों को पता है कि अगर गांव के अन्दर जमीन बंटनी शुरू हो गई तो खेत एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे और पचास पचास मील की दूरी से नए मालिक आकर उन पर कब्ज़ा कर लेंगे और इस तरह से नित्य नए झगड़े शुरू हो जाएंगे । इसलिए चीफ मिनिस्टर साहिब का यह कहकर मोशन लाना किसी तरह से भी justified नहीं है कि उन को इस सिलसिले में मुगालता हो गया है ।

हां, यह हो सकता है कि मुग़ालता तो किसी को हुआ नही और चीफ मिनिस्टर साहिब का यह इरादा होगा कि भारत सरकार को इस बारे में वह मुगालता ज़ाहिर कर दें । भारत सरकार को यकीन है कि यह बात नहीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात तो छोटी सी है । और सब से बड़ी

1·00 p.m.

बात यह है कि आप देखें कि हाउस के मैम्बर साहिबान क्या कहते हैं । अगर आप उन पर, अपनी पार्टी पर whip न लगायें और यह न कहें कि अगर उन्होंने आने वाली elections में पार्टी के ticket लेने हैं तो उन्हें party whip का ख्याल रखना होगा । अगर आप उन्हें यह डर न दिखायें और party discipline का ख्याल इस मामले में रखने के लिए न कहें तो उन्हें यह motion पास करने के लिए कह कर देख लें । आप को ठीक २ पता लग जायेगा कि यह हाउस क्या कहता है और इन की अपनी पार्टी क्या

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

कहती है और लोग क्या कहते हैं । फिर स्पीकर साहिब, political views पर तो whip हुआ करता है लेकिन गवर्नमेंट को मज़हब के मामले पर, समाज के मामले पर या विवाह और शादी और वरासत जैसे social मामलों पर whip लगाना नहीं चाहिये और आम तौर पर यह लगता भी नहीं है । जो लोगों की इस मामले में खाहिश हैं वह तो जाहिर हो चुकी हैं। फिर क्या चीफ मिनिस्टर साहिब अपनी पार्टी के एक एक मैम्बर को अब यह हुक्म देंगे कि वे तमाम अब यहां यह कहें कि जो तकरीरें उन्होंने यहां पर उस दिन की थीं वह बिल्कुल गलत की थीं और जो २ बातें उस resolution के हक में कही थीं उन का यह कहने का मुद्दा बिल्कुल नहीं था और इस resolution को support करने का मंशा बिल्कुल उन का नहीं था और जो कुछ इन्होंने किया वह इसलिये किया क्योंकि वह Opposition के मैम्बरों की तकरीरें सुन कर बहक गये थे और उन्होंने बहक कर यह बातें की थीं । अब हम जो कहते हैं वह ठीक है और उस दिन जो कुछ कहा था वह तमाम गलत था । स्पीकर साहिब, इस resolution को पहले पास कर देने और अब यह motion यहां पास कराने के लिए यहां लाने से ऐसे हालात पैदा किये जा रहे हैं जो करनाल murder case में किये गये थे । जैसा कि वहां बड़े २ अफसरों ने और magistrates ने कहा था कि जो उन्होंने पहले अदालत में बयान दिये थे या जो पहले reports लिखी थी वह तमाम गलत थीं और अब जो दोबारा बयान दिये हैं यह ठीक हैं । बिल्कुल वही चीज़ यहां legislature में की जा रही है । स्पीकर साहिब, मेरा करनाल murder case के बारे में कुछ और कहने का मतलब नहीं है । यह तो अदालत का काम है और वह हो रहा है । मैं तो सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस तरह से अब मैम्बरों से इस बारे में कराया जा रहा है वही कुछ करनाल murder case में हुआ था । अब यह मैम्बर साहिबान कहेंगे कि हम ने उस दिन ठीक नहीं कहा था और हम तो बहस में बहक गये थे और अब हम जो कुछ कह रहे हैं वह ठीक है । इसलिये मैं कहता हूं कि यह वैसे भी एक गलत और ना मुनासिब चीज़ है । इस से तो हम अपने आप को मज़ाक का मामला बना रहे हैं । वैसे भी यह मज़हबी मामला है और social मामला है और इस का लोगों के साथ विवाह शादी और customs का ताल्लुक है और वरास्त का ताल्लुक है इस लिए इस मामले में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी राय देने का हक होना चाहिए । इस मामले पर हमारे खान साहिब और मौलवी साहिब ने भी अपनी २ राय दी हैं और यहां पर ऐसे मामलों पर हरेक मेम्बर को अपने अपने ख्यालात ज़ाहिर करने का मौका दिया जाता है जैसे गुरद्वारों का मामला आया तो उस पर भी सब ने अपनी रायें ज़ाहिर की । इस में आखिर proporiety ही क्या है कि political parties कहें कि ऐसे social मामलों में यह करो । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि चाहे congress पार्टी हो या और कोई party हो उसे चाहिये कि ऐसे social और मज़हबी मामलों को party whip का मौजू न बनाया जाये । हां यह बनाये न बनायें मुझे इस से ताल्लुक नहीं । वैसे तो यह इन की अपनी पार्टी का मामला है लेकिन मैं इन को कहता ज़रूर हूं और यह इसलिए नहीं कहता कि इस से मेरा कोई ताल्लुक है ।

मैं तो यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज जो motion चीफ मिनिस्टर साहिब ने पेश की है इस हाउस को यह reject कर देनी चाहिये क्योंकि इस के पास करने से इस हाउस

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[पंडित श्री राम शर्मा]

का बाहर मज़ाक उड़ाया जायेगा और सब से ज्यादा यह कांग्रेस पार्टी का होगा और चीफ मिनिस्टर का होगा, लोग कहेंगे कि यह कहते क्या थे और आखिर में इन्होंने किया क्या है।

दूसरी बात यह है कि यह इस मामले को आधा मज़हबी समझ लें और आधा social समझ लें और इस पर whip न लगायें। इस में political चीज तो कोई नहीं है कि जिस पर whip लगाना जायज़ कहा जा सके। फिर जिस तरह Treasury Benches के उन मैम्बरों न और खास तौर पर कैरों साहिब के धड़े के आदमियों ने सब से ज्यादा शदोमद और ज़ोरोशोर के साथ इस resolution के हक में तकरीरें की थीं वह सब पंजाब के सामने और public के सामने आ चुकी हुई हैं। लेकिन यह कहते हैं कि यह मुग़ालिता हो गया है। यह तो सिर्फ इस लिए किया जा रहा है क्योंकि यह भारत सरकार को यह कहने के लिये तैयार नहीं है कि पंजाब की जनता यह चाहती है इस लिये वह इस कानून में तरमीम करे। इस हाउस के सामने मैं बड़े ज़ोरदार लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं कि यह ढंग भी गलत है और तरीका भी गलत है। अब जो resolution पास हो चुका है उसे आज इस stage पर rescind करना ठीक नहीं है। इस लिये स्पीकर साहिब, मैं आप के ज़रिये Treasury Benches पर और Opposition benches पर बैठे हुए तमाम मैम्बरान से यह कहना चाहता हूं कि इस motion के पास करने का अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि भारत सरकार के पास अपनी C.I.D. भी है और अखबारात से भी उसे सब बातों का पता चल जाता है और पंजाब के लोग भी जानते हैं और भारत सरकार भी जानती है कि इस मामले में पंजाब के लोगों की क्या राय है।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ motion ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਾ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਮਾਰਚ, 31,ਮਾਰਚ ਤੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਇਥੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਔਰ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ Treasury Benches ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ motion ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁਛੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1956 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਇਥੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛੋਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ record ਮੰਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸੀ । ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ । ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1958 ਵਿਚ ਇਥੇ ਇਕ hon. ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ । ਚਾਲੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 per cent ਮੈਂਬਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਸ Assembly ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ । ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ।

ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਵ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 140 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਸੀਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ । ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਸੀ 154 ਮੈਂਬਰ 1 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ 1 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਏਥੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਣੀ ਕਰੀਏ । ਅਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ Act ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੁਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ]

ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ whip ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਪਰੋਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । 1962 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਸਜਾ ਲੋਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ elections ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ । ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਜਾਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਨਣ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਅੱਜ ਫੇਰ 1 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਨਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ position ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰੋ ਰਸੂਖ ਵਰਤਣ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਐਸੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ।

वित्त मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाब स्पीकर साहिब, इस बात का मुझे यकीन है कि ग़लत arguments को बार बार repeat करने से वह सही नहीं हो जातीं। किसी चीज़ को बार बार पेश कर के और उस पर ज़ोर देने से वह सही नही हो जातीं । पंडित श्री राम शर्मा जी ने और बहुत से मैम्बर साहिबान ने फरमाया कि यहां पर गलत ब्यानी हुई है। यह भी कहा गया कि Congress Party वाले राय कुछ देते हैं और कहते कुछ हैं। चीफ मिनिस्टर साहिब ने यहां बतलाया है कि जिस वक्त वोटिंग हुई हमारे Revenue Minister साहिब ने इस बात पर जब अपनी राय का इज़हार फरमाया तो Mover साहिब कहने लगे कि मैं अपने Resolution को वापस लेना चाहता हूं। कायदे के मुताबिक अगर एक Member भी एतराज़ कर दे तो वह वापिस हो नहीं सकता इसलिए यह वापस नहीं हुआ इस के बाद voting हुई। चुनांचि स्पीकर साहिब जब तक कोई Member, Chair की eye catch ना कर पाये उस वक्त तक वह अपनी राय का इज़हार नहीं कर सकता। और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

उस पर कोई फैसला भी नहीं हो सकता । मुमकिन हो सकता है कि यही फैसला ठीक होता या कोई और मगर जो भाई challenge करने वाले थे उनका face नही किया गया और वही फैसला दिया गया । उस वक्त House adjourned हो गया था क्योंकि time हो गया था । यह कहना कि डिप्टी स्पीकर साहिब कहते हैं कि उन्होंने ग़लत फैसला दे दिया था, यह नहीं है । जो आदमी Chair पर बैठता है । वह चाहे Speaker हो, Deputy Speaker हो या Panel of Chairmen से हो, जो भी कोई इस कुर्सी पर बैठता है इस में यह शक्ति है कि वह partyman नहीं रहता बल्कि impartial हो जाता है । इस लिए स्पीकर साहिब आवाज़ की वजह से उस वक्त Chair, मान साहिब की आवाज़ को catch नहीं कर पाई यह भी हो सकता है कि वह आहिस्ता बोलें हों जितनी ताकत से opposition के Member साहिबान बोल रहे थे इस लिए ऐसा फैसला हो गया । क्योंकि procedure में गलती हो गई है इस लिए इस की rescind करने के लिए यह motion लाई गई है । इस के merits में मुझे इतना जाने की ज़रूरत ना थी, मगर चूंकि बातें ऐसी कही गईं इस लिये कहना पड़ा है । Member इसलिए नहीं बोले कि वह इस के motive के against हैं बल्कि इस लिये कि वह अपनी बातें सुनाने चाहते थे । सरदार आत्मा सिंह ने ज़ाहिर किया कि गुरद्वारा election में हमारे साथ यह किया गुरद्वारा elections का इस से क्या ताल्लुक था यह तो हिन्दू और सिख सब के लिए एक सांझी बात थी लेकिन उन का तो यह कायदा है कि "Every stick is good to catch every bird." Relevant हो या ना हो उन्होंने तो कहना है । करनाल case का इस से भला क्या ताल्लुक है । मगर यहां यह बात भी की गई इन का Relevancy और irrelevancy से कोई ताल्लुक नहीं इन्होंने तो कहना है । बड़े आदमियों को अपनी राए का इज़हार करने से पहले आखिर कुछ सोच लेना चाहिए । मान साहिब ने उस दिन जब खड़े हो कर कह दिया तो यह एक party का question नहीं है और ना ही Government का question है (*interruptions*) बावजूद इस के कई अखबारात ने लिखा कि यह Resolution Government की मर्ज़ी के खिलाफ पास हो गया । अगर देखा जाये तो यह Government का question नही है । Government ने नहीं कहा कि इसे पास करना है लेकिन Government यह चाहती है कि लोगों की राय का इज़हार हो और इस के मुताल्लिक हम कमेटी बनाने वाले है । श्री लाल चन्द सभरावल ने कहा कि जब यह उन के अख्तियार में है कि वह यह चीज़ कर सकते हैं तो गवर्नमेंट इस मामले को अपने हाथ में ले और चूंकि यह मामला concurrent list में है और State कर सकती है, इसलिए Revenue Minister ने कहा कि हम ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि इस में लोगों का भला है । जहाँ तक Union Government के पास करने या न करने का सवाल है , तो वह तो हर एक provinces के हालात देख कर ही कुछ कर सकती है । तो उस दिन जब यह resolution पास हो गया, उस वक्त डिप्टी स्पीकर साहिब की eye catch नहीं कर पाए, इसलिए यह motion लाए, इसमें whip की बात नहीं । और जो मैम्बर साहिबान यह हमदर्दी दिखाते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[वित्त मंत्री]

यह कदम उठाया तो बदनाम हो जाएगी तो उस के लिए कांग्रेस पार्टी यह जानती है कि उन साहिबन को कितनी हमदर्दी है। अगर बदनाम होगी कांग्रेस पार्टी तो उनको तो और अच्छा हो जाएगा, उनकी स्वतंत्र पार्टी को फायदा हो जाएगा। मैं जानता हूं यह दलीलें जो वह देते हैं वह misrepresent करने के लिए देते हैं। मैं आखिर में यह उम्मीद करता हूँ कि हाऊस इसको पास करे।

चौधरी धर्म सिंह राठी (संभालका) : स्पीकर साहिब, जिस resolution के मान साहिब के ज़रिये पेश होने पर मैंने बधाई पेश की थी, उसी के लिए चीफ मिनिस्टर साहिब ने मुझे अफसोस ज़ाहिर करने पर मजबूर कर दिया। स्पीकर साहिब, किसी भी Parliamentary History में ऐसा नहीं हुआ और यह मोशन लाकर एक ऐसी convention create कर दी गई है कि हमेशा के लिए ऐसी चीज़ें हुआ करेंगी। मैं जनाब इसकी सख्त मुखालफत करता हूँ। मैं डाक्टर साहिब को और गवर्नमेंट को यह कहना चाहता हूँ कि क्या ज्ञानी जी ने जो assurance दिलाई थी वह भी मुगालते की बात थी? नहीं थी। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि हम सोचेंगे और आगे एक बिल इसके पेशेनज़र लायेंगे। एक जगह 19 तारीख के बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब भी कह आए कि हम इस बिल में तरमीम लाएँगे। तो जनाब आज इस सरकार की बात पर कोई विश्वास नहीं रह गया। यह कहना जनाब बिल्कुल गलत है कि voice दी गई और डिप्टी स्पीकर साहिब ने सुना नहीं। आप मुलाहिज़ा कीजिए। वह तो सारे हाउस की राय से पास हुआ। स्पीचें देखी जा सकती हैं। इसलिए डाक्टर साहिब जैसे पुराने Parliamentarian के लिए यह कहना वाजिब नहीं मालूम होता कि मुगालते में पास हो गया है। जनाब, सही बात तो यह है कि इस सरकार के पास श्रीमती ओम प्रभा जैन के ज़रिये Prime Minister की तरफ से order का डंडा आ गया कि ऐसा नहीं होना चाहिये और इसलिए उस हुक्म के पेशेनज़र जो पास शुद्धा resolution है उसे rescind कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिब यह दिखाना चाहते हैं कि वे हाऊस के loyal नहीं, Prime Minister साहिब के loyal हैं। मैं मानता हूँ हमारे Prime Minister एक बड़ी हस्ती हैं लेकिन गल्तियां बड़ों बड़ों से होती हैं। उन्हें हमारे पंजाब के customs का पता नहीं इसलिए वह ऐसा कह सकते हैं लेकिन हमारे Chief Minister साहिब को पंजाब की जनता की भलाई का ख्याल होना चाहिए। लेकिन वह ख्याल क्यों करेंगे? उन्हें तो अपनी गद्दी बरकरार रखना है। और फिर यहां पर whip का डंडा है, वहाँ उनके ऊपर सैंटर का डंडा है। स्पीकर साहिब यह जो मोशन लाए हैं, इस से उस सरकार की कोई शान नहीं बढ़ी है, बल्कि इस से बुरी कोई बेइज़्ज़ती भी नहीं हो सकती। मैं कहना चाहता हूं कि अब इन Treasury Benches के मैम्बरान का इम्तहान है। देखते हैं आया वह एक आदमी के कहने पर लगते हैं या पंजाब के मुफाद का ख्याल रखते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने तमाम Treasury Benches के Members को इम्तहान में डाल दिया है। अब पता चलेगा कौन उस में पास होता है और कौन फेल होता है। अगर यह चीज़ पास हो गई तो इस से पंजाब के अंदर बहुत खराबी होगी और पंजाब के लोगों के जज़-बात पर बड़ी भारी ठेस पहुंचेगी। पहले लोगों को ख्याल था कि लड़कियों को जो मां बाप की जायदाद में हक दिया है वह शायद अब खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वह कल अखबारों में पढ़ेंगे

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने उस resolution के खिलाफ resolution पास करवा दिया है तो वह बहुत परेशान होंगे । मैं ने उस resolution पर बोलते वक्त भी कहा था कि ऐसे cases में ग्राम तौर पर murders होते हैं ग्रौर मुकद्दमेबाज़ी चलती है । इसलिए स्पीकर साहिब मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि ग्रगर चीफ मिनिस्टर साहिब की motion पास हो गई तो पंजाब के देहात बरबाद हो जायेंगे ग्रौर देहातों के ग्रंदर एक गोत के भाई नहीं रह पाएंगे । तमाम किस्म के लोग वहां पर जमा हो जाएंगे ग्रौर fragmentation of holdings फिर से हो जाएगी । ग्राज तक जो consolidation पर रुपया लगाया गया है वह सब का सब ज़ाया जाएगा । नतीजा यह होगा कि पांच सात साल के बाद फिर से consolidation करनी पड़ेगी । इसलिए मैं Government से कहूँगा कि वह इस मामले पर ज़िद न करें क्योंकि इस से बहुत भारी नुक्सान होने वाला है । मैं कहना चाहता हूं कि इसके ग्रन्दर न लोगों की भलाई है, न सूबे की भलाई है ग्रौर न ही इन कांग्रेसी मैम्बरों की भलाई है । मैं जनाब स्वतंत्र पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र पार्टी ग्रगले election इसी बात पर लड़ेगी (*noise and interruptions*)

Mr. Speaker: Order, order. There is no Swatantra Party in the Legislature.

चौधरी धर्म सिंह राठी : तो जहां तक इसका ताल्लुक हमारी पार्टी से है.मैं इस के बारे में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को 1962 के elections में पता लग जाएगा । जो कुछ यह कर रहे हैं............ (*noise and interruptions*)

Mr. Speaker: Order, order. Please be relevaut. Don't discuss parties here.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब इन्होंने जो यह motion पेश कर दी है हम इस का मज़ा इन Treasury Benches को ग्रगले elections में चखा देंगे । इन ग्रलफाज़ के साथ जनाब मैं इस motion की मुखालिफत करता हूं ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਹ motion ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ motion ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ (cheers) ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ resolution ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ । ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੈਹ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਵਕਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਥੇ ਇਸ resolution ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੜੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਲ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਚੀਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਲੱਕ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੋ local issue ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਲਿੱਕ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਲਗੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਲਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ local issue ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ । Indian Constitution ਵਿਚ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ concurrent ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇ local legislature ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ President ਦੀ assent ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ । Indian Constitution ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇਸ Hindu Succession Act ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ceiling ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, tenancy ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ fragmentation ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਜਨ ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਢ ਕੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ propaganda ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਲਭਦੇ ਹਨ । ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਜੱਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਇਸਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ । ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਮਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੌਹਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ । ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਦੋ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੁਆਰਾ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਖਾਵਿੰਦ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਕੁਆਰਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸੇ ਇਕੋ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਵੇਗਾ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ (*interruptions*) ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹਦ ਤਕ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਇਸ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਵਜੁਹ ਮਬਜ਼ੂਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰਾ defect ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮਖਸੂਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀ situation ਤੋਂ alive ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ point of views ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਨਾਸਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ । ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਇਦਾ ਅਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਜੋ ਵਾਇਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, cabinet ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਇਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸਨੂੰ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ (cheers) ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਏਤਮਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ (loud cheers) ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਸਜਨ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੋਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਇਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਵਧ ਫਾਏਦੇਮੰਦ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤੇ ਦੇ ਮੂਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ । ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋ wrong impression ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਸਤੈਫੀ ਹੋਵੇ ਉਸ wrong impression ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ motion ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਏਤਮਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਜ ਜੋ ਹਾਊਸ ਵਿਚ voting ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ resolution ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ withdraw ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਉਤੇ comment ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ruling party ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਉਹ move ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ । ਇਹ ਜੋ ਇਥੇ ਐਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਲ੍ਹੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ resolution ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਟਰੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ merits ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ruling party ਦੀ strategy ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਇਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ elections ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਤਨੀ bungling ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ (*noise and interruptions*) ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਜੇਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ cold storage ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ । ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ retrograde Bill ਇਥੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਸ ਤੇ ਗਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ secret ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਲ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ principle ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ elections ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਤਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ voters ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (*loud noise and interruptions*)।

Mr. Spaeker : Order, order.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਿਲ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਿਲ ਲਿਆਣਗੇ ਉਹ retrograde ਹੋਵੇਗਾ, pro-jagirdar ਹੋਵੇਗਾ, pro-zamindar ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Chief Parliamentary Secretary : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

After acertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it". This opinion was challanged. The division bells were then sounded. Mr. Speaker after ascertaining the votes of the Members present by voices again declared. that the motion was carried.

The motion was declared carried

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਨਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਲ ਬੜੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਿਨ Revenue Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ majority ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਅਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਚ ਮੁਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਅਤੇ confusion ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲ ਹੋਈ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ purpose

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਨੂੰ ਹਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ (*cheers*) ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਸੱਟ ਨਾ ਲਗੇ। ਜੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ resolution ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਹਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ divorce ਦੇ cases ਵਿਚ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੌਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ concurrent Legislation ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਾਲਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਆਦਮੀ ਜੋ ਗਲਤ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਮੁਗ਼ਾਲਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਦੀ ਗਲ ਕਿਸ ਨੇ ਉਠਾਈ ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਦੁਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਸ ਦਏ ਅਸੀਂ unconcerned ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ resolution ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ resolution ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲੇ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ।

Shri Balram Das Tandon : On a point of order, Sir. The Chief Minister was not present in the House when this resolution was declared carried. What he is stating is contrary to the reality.

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order, Sir, एक मैम्बर अगर point of order पर खड़ा हो तो जो मैम्बर बोल रहा हो वह खड़ा रह सकता है ?

Mr. Speaker : Unless I ask him to sit down.

श्री जगत नारायण चोपड़ा : स्पीकर साहिब आप record देख लीजिये फिर चीफ मिनिस्टर साहिब का दोहराना बहुत गैर मुनासिब है।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। Proceedings note ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਤੇ ਨੂੰ deal ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਚ ਮੁਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਟ ਨਾ ਲਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਹਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਕਢਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਏਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਦਾ ਹਲ ਕਢਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣ । ਇਹੋ ਜਿਹੀ progressive legislation ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਲ ਕੋਈ party ਦੇ basis ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਹੀ ਗਈ ਇਕ ਇਕ ਗਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਣ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ । ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਜਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ power ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਲਭਣਾ (*Cheers*)

Mr. Speaker : Question is—

That the decision of the House taken at its meeting held on the 21st April, 1960, viz:—

"That this Assembly recommends to the Government to approach the Union Government with the request that the Hindu Succession Act, 1956, may be amended in such a way that the daughter instead of becoming a share-holder in the property of her father, be made a share-holder in the property of her father-in-law after her marriage to save the social and economic structure of the state

be rescinded.

The House then divided :—

Ayes .. 72

Noes .. 10

The motion was declared carried.

AYES

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan.
2. Abhai Singh, Shri.
3. Amar Nath Sharma, Shri.
4. Baloo Ram, Shri.
5. Balwant Rai Tayal, Shri.
6. Balwant Singh, Sardar.
7. Benarsi Das Gupta, Shri.
8. Bhag Singh, Sardar (Ludhiana.)
9. Bhagirth Lall Shastri, Pandit.
10. Bakhtawar Singh Rai, Gyani.
11. Chambel Singh, Chaudhri.
12. Chanda Singh, Sardar.
13. Chhaju Ram, Chaudhri.
14. Darbara Singh, Sardar.
15. Dasondha Singh, Chaudhri.
16. Dev Raj Anand, Shri.
17. Gajraj Singh, Rao.
18. Gian Singh Rarewala, Sardar.
19. Gurbachan Singh Bajwa, Sardar.
20. Guran Dass Hans, Bhagat.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Mr. Speaker]

21. Gurbanta Singh, Sardar.
22. Gurdatt, Shri.
23. Gurdit Singh, Sardar.
24. Hans Raj Sharma, Shri.
25. Harbans Lal, Shri.
26. Harbhagwan Maudgil , Shri.
27. Harchand Singh, Sardar.
28. Harcharan Singh, Sardar.
29. Harcharan Singh, Sardar (Muktsar).
30. Harnam Singh, Sardar.
31. Harparkash Kaur, Bibi.
32. Jagdish Chand, Shri.
33. Jasdev Singh Sandhu, Sardar.
34. Joginder Singh, Sardar.
35. Kartar Singh Dewana, Sardar.
36. Kartar Singh, Gyani.
37. Kesara Ram, Shri.
38. Kundan Lal, Shri.
39. Lahri Singh, Chaudhri.
40. Mehar Singh, Sardar.
41. Mehar Singh, Thakur.
42. Mihan Singh, Sardar.
43. Narain Singh, Sardar.
44. Niranjan Singh Talib, Sardar.
45. Om Prabha Jain, Shrimati.
46. Parkash Kaur, Shrimati.
47. Parma Nand, Dr.
48. Partap Singh, Bakshi.
49. Partap Singh Kairon, Sardar.
50. Pritam Singh Sahoke, Sardar.
51. Rajinder Singh, Sardar.
52. Rala Ram, Shri.
53. Devi Lal, Chaudhri.
54. Ram Kumar Bidhat, Shri.
55. Ram Piara, Shri.
56. Ram Parkash, Shri.
57. Ran Singh, Shri.
58. Roshan Lal, Shri.
59. Rup Singh, "Phul" Shri.
60. Sadhu Singh, Sant.
61. Sant Ram, Shri.
62. Sarla Devi Sharma, Shrimati.
63. Sarup Singh, Chaudhri.
64. Shri Krishan Shastri, Shri.
65. Sis Ram, Shri.
66. Sohan Singh, Sardar.
67. Sri Chand, Chaudhri.
68. Sumitra Devi, Shrimati.
69. Suraj Mal, Chaudhry.
70. Paul Singh, Sardar.
71. Raja Raghubir Singh.
72. Jit Ram, Shri.

NOES

1. Atma Singh, Sardar.
2. Balram Das Tandon, Shri.
3. Baru Ram, Chaudhri.
4. Dharam Singh Rathi, Chaudhri.
5. Gurwarayam Singh, Sardar.
6. Jagat Narain Chopra, Shri.
7. Mangal Sein, Shri.
8. Partap Singh, Master.
9. Sarup Singh, Sardar.
10. Sher Singh, Shri.

ADOPTION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

2.00 p.m.

Minister for Finance (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move :—

That the Report of the Committee of Privileges on a privilege issue regarding the publication of an article in the "Peoples Guardian", Chandigarh, presented to the House on the 26th April, 1960, be adopted.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

जनाब वाला, इस से पहले कि मैं इस के मुताल्लिक कुछ कहूं इस में एक printing की mistake है उस की तरफ मैं मैम्बर साहिबान की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। पांच सफे पर note की last line है उस में 31 की बजाए 21 अप्रैल तारीख होनी चाहिए।

यह unanimous report है। किसी का कोई dissenting note नहीं है। कमेटी ने तहकीकात करने के बाद कहा है कि Editor की apology को मान लिया जाए और उस के खिलाफ कोई action न लिया जाए। Editor ने अपनी गलती को मान लिया है इस लिये इस रिपोर्ट को adopt कर लेना चाहिये। यह unanimous report है।

Mr. Speaker : Motion moved :—

That the Report of the Committee of Privileges on a privilege issue regarding the publication of an article in the "Peoples Guardian" Chandigarh, presented to the House on the 26th April, 1960, be adopted.

Mr. Speaker : Question is :—

That the Report of the Committee of Privileges on a privilege issue regarding the publication of an article in the "Peoples Guardian," Chandigarh, presented to the House on the 26th April, 1960, be adopted.

The motion was carried.

BILL(S)

THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) BILL, 1960, AS REPORTED BY THE REGIONAL COMMITTEES (RESUMPTION OF COSIDERATION)

चौधरी बारू राम (राजौंद) : में क्लाज़ चार के सैकशन 6 पर बोल रहा था। उस के बारे में.....

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : On a point of order, Sir. ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸ Regional Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। Hindi Regional Committee ਅਤੇ Punjabi Regional Committee ਨੇ ਦੋ different reports ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

श्री अध्यक्ष : दोनों हाउस के सामने हैं। (Both the reports are before the House.)

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Will it be put separately to the vote of the House ?

Mr. Speaker : Yes.

चौधरी बारू राम : मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस की sub-clause 3 में पंचायतों में औरतों की co-option के बारे में लिखा गया है। इस के बारे में हाउस में बहुत कुछ कहा गया। मैं कहना चाहता हूं कि Local Bodies यानी Municipal Committees,

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी बारू राम]

District Boards, Notified Areas और Cantonment Boards किसी में भी co-option नहीं होती। यह बहनों की खुशकिस्मती है कि पंचायतों में उन की co-option के लिए provision किया गया है। अगर कोई औरत elect नहीं हो सकती तो उस वक्त co-option की जाएगी। अब इस के साथ ही उन के लिए right of vote की भी मांग की जा रही है तो फिर फर्क क्या रह जाता है उस मेम्बर में जो by election आया हो और उस मेम्बर में जो by co-option आया हो? ऐसी सूरत में यह जो मांग की गई है यह democracy के असूलों के खिलाफ है। इतना ही नहीं sub-clause (4) की sub-section (c) को अगर देखा जाए तो वह चीज़ आप के सामने आएगी जो मेरे फाज़िल बुज़ुर्गवार चौधरी सरी चन्द ने दुहराई। इसका नतीजा क्या होगा? हरिजन वोटर दूसरों के साथ मिलकर vote दे दिया करेंगे और फिर अगर election में न आ सके तो बज़रिया nomination आ जाया करेंगे। इसलिए यह जो double edged weapon का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आई। यह ठीक है कि आप उन के लिए reservation करना चाहते हैं। और reservation करनी भी चाहिए लेकिन जो vote का उन्हें दो जगह हक दिया जा रहा है यह ऐसी बात है जो democracy के असूल से मेल खाने वाली नहीं है।

इसके अलावा sub-clause (4) की sub section (d) का 2nd proviso है। उसमें यह दर्ज है कि अगर scheduled castes वाले लोग panches न बन सकें और by nomination आएं—उन का basis of representation incorrect हो तो उसमें भी गवर्नमेंट को अख्तियार दिया गया है और ज्यादा मेम्बर, population के मुताबिक, ले सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जब कि सरकार ने section 6 में यह तजवीज़ किया है कि हर पंचायत में एक prescribed number of Panches होगा साथ में दूसरी तरफ additional members का provision रखना कोइ मायेने नहीं रखता। यह दोनों चीजें एक दुसरे के खिलाफ जाती हैं। इस लिए इस चीज़ को सामने रखते हुए यह जो clause है, इसमें मुनासब amendment की ज़रूरत है और जो अपनी amendment में श्रीमती ओम प्रभा जैन ने माँग की है, उसकी मैं पुरज़ोर मुखालिफत करता हूं।

श्री भला राम (जींद, रिजर्वड) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस clause के लिए वज़ीर साहिब को मुबारकबाद देता हूँ। वैसे जहाँ तक इस clause का ताल्लुक है इसके ज़रिए हरिजनों को खास तौर से कोई रियायत नहीं दी जा रही हैं। अगर चौधरी बारू राम को गिला हो या राठी साहिब को गिला हो कि चूंकि मिनिस्टर incharge scheduled castes से ताल्लुक रखते हैं इसलिए उन्होंने अपने लिए खास रियायात रख ली हैं तो यह उनका गलत ख्याल है। जो रियायतें विधान ने इन castes को दी हैं वही इस बिल के अन्दर हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे देहातों को अपनी dignity ऊपर उठाने की, अपना standard of living ऊपर उठाने की दिशा में ज़रूरी facilities नहीं दी जातीं तब तक उनकी तरक्की नहीं हो सकती। चौधरी धर्म सिंह राठी को इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए कि जाटों ने राज कर लिया, राजपूतों ने राज कर लिया, सिखों ने राज कर लिया इस-

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

लिए अब हरिजनों को राज मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दरअसल उन के दिल के अन्दर और बातें हैं––जो चौधरी छोटू राम के जमाने की बातें हैं। उन्हें ऐसी बातें आज प्रजातन्त्र के जमाने में नहीं करनी चाहिएं। मैं यह भी महसूस करता हूँ कि जब तक राठी साहिब ब्राह्मणों, बनियों और हरिजनों के साथ मिलवरतन नहीं करेंगे तब तक वह इस असेम्बली में भी नहीं आ सकेंगे। इसलिए मेरी उनसे निवेदन है कि चाहे आप किसी party के मेम्बर हों, चाहे स्वतन्त्र पार्टी के मेम्बर हों जब तक आप हिन्दुस्तान में बसने वाली सभी कौमों का विश्वास हासिल न करें, आप अपनी election में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हरिजनों और स्त्रिजाति के लिए वजीर साहिब ने provisions किए हैं, वह उन्होंने बड़ी न्याय की बात की है। इन शब्दों के साथ मैं उन्हें हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ।

Sardar Umrao Singh : (Nakodar General) : Sir, I beg to move :—

In the proposed section 6(3), line 1, —

for "No" substitute "every".

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ provision ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ co-opted Lady Members ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ vote ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ hon. Lady Member ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਕ amendment move ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ Hindi Regional Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ Act ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ cover ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ amendment ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ House ਵਿਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ Lady Members ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ Co-opted Women Members ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ vote ਦਾ ਹਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਜੋ Lady Members ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ co-opt ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ contribution ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ right of vote ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹਕ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਉਹ inferiority complex ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ fulfledged ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ Punches ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਸ clause ਦੀ sub-clause 5 ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ Punjabi Regional Committee ਔਰ Hindi Regional Committee ਦੀਆਂ reports ਹਨ ਉਹ different ਹਨ। ਜੇ Hindi Regional Committee ਦੀ report ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ implications ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ Hindi Regional Committee ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ tenants ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ disqualify ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਵਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਜਬੁਲਅਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ totally disqualify ਕਰ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ]

ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਜੋ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੀ interpretation ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ Hindi Regional Committee ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਲ rent ਅਜੇ ਵੀ due ਹੈ ਔਰ ਉਹ contractor ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ disqualify ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ disqualify ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।

ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ Hindi Regional Committee ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ amendment ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। Opposition ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ tenants ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ major ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ election ਤੋਂ disqualify ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ amendment ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਫਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ disqualification ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਸਿਰਫ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ disqualification ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ । ਹਾਂ disqualification ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ offence ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ moral turpitude involve ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ disqualifications ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ disqualifications ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ disqualify ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ Hindi Regional ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

Sub-section (j), (k) and (l) ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ sections add ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਨੋਂ ਇਸ Assembly ਨੂੰ adopt ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਰਕੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ system ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਟ ਲਗ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : Motion moved:—

In the proposed section 6(3), line 1,—
for "No" substitute "Every".

चौधरी इन्द्र सिंह (जींद 'जनरल) : जनाब स्पीकर साहिब, सरदार उमराओ सिंह ने जो amendment पेश की है कि इस clause की sub-section 6(3)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

में 'No' की जगह 'Every' कर दिया जाये मैं इस की मुखालिफत करता हूं। मैं इस लिये यह बात कहता हूं कि क्योंकि इसबिल के अन्दर जो इस वक्त हमारे सामने है इस में यह चीज़ provide की गई हुई है कि एक ग्राम पंचायत के 5 से लेकर 9 तक मैम्बर होंगे और इसमें यह भी provide किया गया हुआ है कि अगर कोई औरत elect नहीं होगी तो औरतों में से जिस ने सब से ज्यादा vote हासिल किये होंगे तो उस को co-opt कर दिया जायेगा या फिर अगर कोई औरत election में खड़ी न हो तो किसी lady को members nominate कर के उस को additional member बना लिया जायेगा। तो इस तरह से अगर एक पंचायत के 9 मैम्बर चुने जाते हैं तो उन में अगर कोई lady नही चुनी जाती तो एक lady को उस पंचायत का मेम्बर co-opt कर लिया जायेगा, तो इस तरह से उस पंचायत के दस मेम्बर हो जायेंगे लेकिन यहां तो ज्यादा से ज्यादा 9 मैम्बरों की provision की गई हुई है और इस बिल के अन्दर कहीं भी यह अख्तियार नहीं दिया गया कि 9 के अलावा कोई और मैम्बर लेना होगा तो वह बाकायदा legalised मैम्बर होगा या इस एक्ट के तहत उस को अख्तियार हासिल होंगे। इसलिए किसी ऐसे मैम्बर को right of vote देना unconstitutional है। मुझे इस बात के पीछे यह खतरा नजर आता है और मैं महसूस करता हूं कि किसी additional member को चाहे किसी lady member को co-opt किया गया हो या nominate किया गया हो तो ऐसे मैम्बर को right of vote constitutional तौर पर नहीं मिल सकता। या तो इन की तादाद मुकर्रर न कीजिये और अगर यह मुकर्रर करते हैं जैसा कि इस में 5 से 9 तक की गई है तो additional members को right of vote न दीजिए।

इसी तरह से स्पीकर साहिब, clause 4 के sub-section 6(5)(k) की मैं मुखालिफत करने के लिये भी कुछ अर्ज़ करूंगा। इस में अलफाज़ यह हैं कि अगर कोई ग्राम पंचायत का मुलाजम होगा या पंचायत की ज़मीन पर मुज़ारा होगा या कोई contractor होगा या किसी के ज़िम्मे बाकी लगान होगा तो वह पंचायत की election contest नहीं कर सकेगा। तो जो villages में common lands होंगी वह या तो उन tenants को दी जाएंगी जो ejected tenants हैं या जो बड़े जमींदारों की जमीन के agricultural labourers हैं या यह हरिजन मुज़ारों को दी जायेगी। तो ऐसी सूरत में यह मतलब हुआ कि tenants को जो शामिलात जमीन पर बैठे हैं पंचायत की election लड़ने से उन्हें इस लिए debar कर दें क्योंकि उन का इस के सिवाये और कोई ज़रिया मुआश नहीं है। यह ठीक बात नहीं है क्योंकि ऐसे मुज़ारों की पंजाब के बहुत सारे देहात के अन्दर 75 per cent तक की आबादी है। मैं आपको करनाल की मिसाल बताता हूं कि वहां बहुत मुद्दत से यह रिवाज चला आता था कि गांव के अन्दर बहुत सारी ज़मीन चरांद के लिए छोड़ दी जाती थी और बाकी मालिकान के पास रहती थी। फिर कुछ देर बाद जो चरान्द की ज़मीन थी वह शामिलात के अन्दर दर्ज हो गई और अब बहुत सारे

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी इन्द्र सिंह]

गांव के अन्दर 75 per cent के करीब ऐसे lessees हैं जो उन जमीनों पर आबाद हैं। तो हम अगर इस clause को इसी तरह से पास कर देते हैं तो हम ऐसी 75 per cent आबादी को पंचायत की election contest करने के हक से महरूम कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि उन के साथ बड़ी भारी बेइन्साफी कर रहे हैं। Contractor को debar करने की बात तो समझ आ सकती है और employee की बात भी समझी जा सकती है लेकिन मुज़ारों को debar करने की बात समझ में नहीं आ सकती खास तौर पर जब कि हम इस बिल के द्वारा पंचायतों को जो democracy की primary institution हैं मज़बूत बनाने जा रहे हैं तो tenants को और मौरूसी tenants को इस right से debar नहीं करना चाहिये। इस के साथ ही मैं यह फिर कहता हूं कि यह जो clause 4 के subsection 6(3) में 'No' की जगह पर 'Every' की substitution मांगी गई है मैं इस की मुखालिफत करता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸਿਰੀਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਤਿਨ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਕ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤੇ scheduled castes ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਜਾਂ 10 per cent ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ representatives ਜੇ election ਵਿਚ ਨਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ co-opt ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ 50 per cent ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੋਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ co-opted ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ co-opt ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ cultural show ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਖਾਸ ਕਰ ਤਦ ਜਦ ਉਹ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ vote ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ provision ਕਰਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ suit ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ clause 4 ਦਾ sub-section 6 (5) ਹੈ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ wording ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ Advocate General ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁਛ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

"No person who is not a Member of the Sabha, and" ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ disqualification ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਦੂਜੀ disqualification ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਲੇਕਿਨ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ that he should not be a Member of the Sabha and in addition to that there should be one other disqualification । ਨੀਅਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ voter ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੰਚ ਵੀ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ and ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ or ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ word "and" ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ qualification ਅਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ disqualification ਅਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਵਰਨਾ ਜਿਸ purpose ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਬੇਸੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਾਰੀ clause redundant ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਐਸੀ provision ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕੇ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ clause ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਇਹ provision parent Act ਵਿਚ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਖਰੀ ਵਖਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ apply ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ Minister ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ clause ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री मुनी लाल कामरेड (शिमला) : स्पीकर साहिब, इस clause में एक बात मेरी समझ में नहीं आई जो कि election of Sarpanch के मुताल्लिक है। हमारी सरकार को इस Bill में प्रबन्ध करते समय कोई एक तरीका अख्तियार करना चाहिए। States के जितने Ministers हैं वह elected हैं और उन की joint responsibility होती है मगर यह पता नहीं, पंचायतों के सिलसिले में क्यों direct election पर ज़ोर दिया जा रहा है। Direct election तो तब हो अगर पंचायतों में difference of opinion रहती हो और सरपंच अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करे या कोई ऐसी पंचायत हो जहां सरपंच ने अपनी मरज़ी से काम किया हो। मैं नहीं समझता कि इस तरह के तरीके अख्तियार करने की सरकार को ज़रूरत है।

औरतों को हकूक देने के मुताल्लिक कई Member साहिबान की बातें सुन कर मुझे हैरानी हुई। आज हम इस बात को सभी महसूस करते हैं कि बीसवीं सदी के जमाने में हम बड़ी बड़ी reactionary बातें सोचते हैं। हम चाहते हैं कि औरत न सिर्फ हमारे बराबर की ही हिस्सेदार बने बल्कि बराबर का सोचे भी, मगर जो seasoned politicians हैं वह इस का कुछ और ही मलब लेते हैं (*Interruptions*) मगर मैं इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता था कि हमारा इलाका बहुत ही backward है। इस की development के लिए एक Committee बने जिस में औरतों को भी Member रखा जाये ताकि मुलक की तरक्की हो। सनअती कामों में यह हमें बराबर की इमदाद दें। यह बात बिलकुल ठीक है कि मैं भी nomination के खिलाफ हूं। दरअसल जमहूरियत में nomination के लिये कोई गुंजायश नहीं है। मैं समझता हूं क्योंकि औरतें backward हैं इसलिए वह पंचायतों में भी पूरी आज़ादी से हिस्सा नहीं ले सकेंगी। इसलिए बावजूद इस बात के कि यह मेरे ख्यालात के खिलाफ बात है मैं co-option की ताईद करता हूँ। इस के साथ ही यह दलीलें दी गई हैं कि co-opted Members को vote का भी हक होना चाहिये। मगर यह बिल्कुल ही असूल के खिलाफ बात है कि Nominated Members को right of vote नहीं होना चाहिए। यह चीज़ कहीं भी नहीं है। मैं समझता हूं कि जिन ख्यालात के तहत यह बिल बना और जिन ख्यालात के तहत यह तजवीज़ पेश की है कि औरतों को right of vote नही होना चाहिये, यह गलतफहमी कि बिना पर हुआ है।

इस के साथ ही मैं स्पीकर साहिब disqualification के मुताल्लिक अर्ज़ करनी चाहता हूं। यह एक confirmed fact है कि इस का यह असर होगा कि गैर-मुसतहिक आदमियों को बनाये रखने की कोशिश की जायेगी, जो लोग आगे आने वाले होंगे या और ख्यालात के होंगे उन्हें महरूम कर दिया जायेगा। मिनिस्टर साहिब इस बात की तरफ ध्यान दें कि क्या इस vague term में यह सारी चीज़ cover भी हो जायेगी या कि नहीं। ऐसा होना चाहिए जिस से किसी की कोई हकतलफी न हो।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੰਗਰੂਰ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ clause ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਵਧ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇਕ ਗੱਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । Discussion ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਕ Members ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ।

चौधरी इंदर सिंह : हम ने तो ऐसा नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष : चौधरी धंम सिंह राठी ने कहा है (Chaudhri Dharam Singh Rathi has said so.)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ law ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ parties ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ sections ਨੂੰ equal rights ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ । ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ states ਦੀਆਂ assemblies ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, Parliament ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਈਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ co-opt ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ vote ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ vote ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ disqualification Hindi Regional Committee ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ tenant ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ reservation ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ Constitution ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਔਰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ co-opt ਕਰਨ ਦੀ provision ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ convinced ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ vote ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ amendment ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ vote ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ । (cheers)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯੇਹ ਕਰ ਦੋ ਵੋਹ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ (ਹਾਸਾ) ਤਾਕਿ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰੇ (ਹਾਸਾ) (*Interruptions*)

ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ direct election ਦਾ provision ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 4, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ election ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ difficulty ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗੀ ।

ਇਕ ਗੱਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਉਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ।

Mr. Speaker : Please do not refer to any hon. Member by name if you do not remember aright. You may say some hon. Member has said so.

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ co-opt ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਿਉਂ ਰਖੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ co-opt ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ । ਬੀਬੀ ਓਮ ਪ੍ਰਭਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ co-opt ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Executive Committee ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ Executive Committee ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ, ਕਿ tenants ਯਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ tax ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ nomination paper ਭਰਨ ਦਾ right ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਆਖਰ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ amendment ਹੈ ਕਿ "no woman" ਦੀ ਬਜਾਏ "every woman" ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी इन्द्र सिंह : On a point of clarification, Sir, जनाब इस Bill में यह कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो co-opted lady Member होगी she shall be an additional Member of the Gram Panchayat. जब तक इस में यह लफ्ज़ न लिखे जाएं वह न executive committee में बैठ सकती है और न ही उसे right of vote हो सकता है। इस लिए मैं वज़ीर साहिब से गुज़ारिश करूंगा कि वह इस चीज़ को clear करें कि वह कौन सी clause है जिस के तहत आप co-opted ladies को executive committee में बैठाएंगे और उसे right of vote देंगे। आप यह कैसे presume करते हैं कि औरतें election में नहीं आएंगी। वह election में आएंगी और कामयाब होंगी। लेकिन अगर किसी जगह पर co-option करनी पड़े तो उस को right of vote देने के लिए इस में provision होनी चाहिए।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। Lady member ਜਿਹੜੀ co-opt ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ vote ਦੇਣ ਦਾ ਹਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ Bill ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ vote ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ vote ਦਾ right exercise ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

SECTION 6 OF CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

In proposed section 6(1), line 3,—

delete "a Chairman of the Sabha and".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In proposed section 6(1), line 10,—
between "area" and " : ", *insert*—

"and the members of the executive committee shall elect its Chairman in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and in the event of equality of votes decision shall take effect by lot".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In proposed section 6(1),—
delete the proviso.

The motion was lost.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Question is—

In proposed section 6,—

delete sub-section (3).

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In part (a) of first proviso to proposed section 6(4), line 3,—

for "one panch", *substitute* "five panches".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In part (b) of first proviso to proposed section 6(4), line 3,—

for "two panches" *substitute* "seven or more panches".

The motion was lost.

चौधरी इन्द्र सिंह : On a point of order, Sir. जनाब स्पीकर साहिब, चौधरी साहिब जब किसी amendment की favour में vote देते हैं तो वह Ayes कहते हैं । क्या वह अकेले ही Ayes कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह अपनी सारी पार्टी के behalf पर Ayes कहते हैं । (The hon. Member says 'Ayes' on behalf of his party.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब कई आवाज़ें थीं । अगर चौधरी साहिब को ठीक तरह सुनाई न दे तो उस में मेरा क्या कसूर है ।

3 p.m.

Mr. Speaker : Question is—

Delete part (c) of first proviso to proposed section 6(4).

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In part (d) of first proviso to proposed section 6(4), line 7,—

for "nominating" *substitute* "re-election in the same manner of".

The motion was lost.

Mr. Speaker: Question is—

Delete third proviso to proposed section 6(4).

The motion was lost.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Question is—

In the proposed section 6(3), line 1,—
for "No" substitute "Every".

The motion was carried.

Mr. Speaker : The amendment moved by Shrimati Om Prabha Jain is identical with the amendment of Sardar Umrao Singh, which has been put to the vote of the House and carried. So the amendment of Shrimati Om Prabha Jain stands automatically disposed of.

Mr. Speaker : Question is—

That proposed section 6 of Clause 4, as amended, and as reported by the Punjabi Regional Committee, stand part of this Bill.

The motion was carried.

PROPOSED SECTION 7

Chaudhri Inder Singh (Jind 'General') : Sir, I beg to move—

In sub-section (3) of proposed section 7, line 3—11,—

for "the Panches of the Panchayat concerned. . . . .in the manner prescribed" substitute "the members of the Sabha concerned shall by direct and secret ballot elect five Adalati Panches to constitute the Adalati Panchayat. The Adalati Panches shall from among themselves elect an Adalati Sarpanch".

जनाब स्पीकर साहिब, इस में बड़ा भारी flaw रह गया है वह यह है कि जहां तक ग्राम पंचायत का ताल्लुक है इस के बारे में तो इसकी Constitution, qualifications और disqualifications के provisions किए गए हैं लेकिन जहां तक अदालती पंचायत का ताल्लुक है जिस को ज्यादा ज़रूरी अख्तियारात दिये जायेंगे इस की बाबत schedule I-B में नहीं बताया गया कि इस की किस तरह Constitution होगी और qualifications और disqualifications क्या होंगी । अदालती पंचायत एक superior किसम की पंचायत होगी । ग्रामीण जनता के लिये सुविधाएं उपलब्ध करना अर्थात् सफाई के मुतअल्लिक, सेहत के मुतअल्लिक, तालीम के मुतअल्लिक, गांव की तरक्की के मुतअल्लिक, यह सारे अख्तियारात तो ग्राम पंचायत को होंगे । जहां तक Judicial functions का ताल्लुक है जिन का ज़िक्र Schedule I-B में किया गया है वह अख्तियारात गवर्नमेंट अदालती पंचायत को confer करेगी । इस अदालती पंचायत की क्या शक्ल होगी इस के मुतअल्लिक बहुत vague तरीके से प्रबन्ध किया गया है । इस से बहुत confusion पैदा होगा । गवर्नमेंट को discretion मिलेगा और यह discretion गवर्नमेंट misuse करेगी । वह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आदमी छांटेगी जिन को अदालती पंचों का दर्जा दिया जा सके । यह जो sub-section 2 है बड़ी गोल मोल सी है । इसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं :—

(2) The Government shall have power to confer upon any Gram Panchayat or elected representatives of a group of Gram Panchayats, enhanced powers. Such Panchayats or representatives shall have jurisdiction over matters laid down in Schedule I-B.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Chaudhri Inder Singh]

(3) When enhanced powers are to be conferred on representatives of a group of Panchayats, the Panches of the Panchayats concerned shall elect five Adalti Panches from amongst themselves by direct voting, the five Panches securing the highest numberof votes being deemed to have been elected.

अगर किसी पंचायत को power confer कर दे जिस में 7 या 9 अदालती पंच हों तो उन के बारे में कोई जिक्र नहीं कि वह कैसे चुने जायेंगे ।

"When enhanced powers are to be conferred on representatives of a group or Panchayats.........."

इस में alternate दिया है कि Group of Gram Panchayats के कुछ representatives को power confer करेंगे । दोनें बातें एक दूसरे के मुतजाद हैं । यह कानून के अंदर नहीं होनी चाहिए । आखिर Gram Panchayats में कौन सी खूबियां हैं । किस तरह election करेंगे । उस की बाबत कुछ दर्ज नहीं है । ग्राम पंचायत में अच्छे मैम्बर होने चाहिएं, उन में अच्छी काबलियत होनी चाहिये ताकि वे Schedule I-B में दिये गये अख्तियारात को अच्छी तरह से निभा सकें लेकिन Group of Panchayats अपने representatives ऐसे छांटेगी जो सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक काम करेंगे । कोई minimum qualification नहीं रखी गई। पैप्सू के अन्दर यह तरीका था कि कोई आदमी जो लिखना पढ़ना नहीं जानता था वह अदालती पंचायत का मैम्बर नहीं बन सकता था । अदालती पंचायत के लिये direct election होता था । यह अफसर की मर्ज़ी की बात होती थी कि secret ballot से हो या hand ballot से हो । यहां पर किसी किस्म की qualification की provision नहीं लगाई गई और न ही कोई disqualification रखी गई है । उन के सामने जाब्ते की बात आएगी कायदे और कानून की बात आएगी वे कम से कम लिख पढ़ सकें ऐसी बात तो होनी चाहिये थी ताकि उन को कुछ न कुछ समझ होती । जो बातें मैंने आप के सामनें रखी हैं उन powers का misuse होने का खतरा है । Round about way के अन्दर यह provision रखी गई है ताकि जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहे उसी तरीके से अपने आदमियों को चुन कर powers confer कर दे । जो लोग सरकार की पालिसी के साथ नहीं चलते उन को नुकसान पहुंचाया जाएगा । इस लिए मैं इस की विरोधता करता हूं । जब आप ग्राम पंचायत के ऊपर enhanced powers दे कर एक अदालती पंचायत कायम करना चाहते हैं तो आप को वाज़ेह होना चाहिये था कि जब अदालती पंचायत के मैम्बरों को अख्तियार दिया जा रहा है तो उन की minimum qualifications क्या होंगी, disqualifications क्या होंगी और क्या दायरा अख्तियार होगा । सारे सूबे के अंदर पांच आदमियों को छांट लिया जाएगा । वे कहां meeting करेंगे ? एक अमृतसर से चुन लिया जाएगा और दूसरे करनाल, हिसार से चुन लिये जायेंगे। लेकिन वे लोग meeting कहां करेंगे उन का सेंट्रल quarter कौनसा होगा जहां बैठ कर वे दूसरे लोगों को summon करेंगे कौन सा process होगा, कौन सा ज़रिया होगा, इन में से कोई चीज़ दर्ज नहीं की गई । अगर अब इस चीज़ को ठीक नहीं किया जाएगा तो इस के गलत नतायज निकलेंगे । मैं ने वज़ीर साहिब से पहले भी कहा था, वे माने नहीं

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

हैं। अब फिर कहूंगा कि यह चीज़ गलत है इस लिये इस को दुरुस्त किया जाना चाहिए ।

(*At this Stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.*)

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

In sub-section (3) of proposed section 7, lines 3—11,

For "the Panches of the Panchayat concerned............in the manner prescribed", substitute "the members of the Sabha concerned shall by direct and secret ballot elect five Adalati Panches to constitute the Adalati Panchayat. The Adalati Panches shall from among themselves elect an Adalati Sarpanch".

Shri Mangal Sein (Rohtak) : Sir, I beg to move—

For sub-section (2) of proposed section 7, substitute—

"(2) The Government shall have power to confer upon every Zail Gram Panchayats, enhanced powers. Such Panchayats or representatives shall have jurisdiction over matters laid down in Schedule I-B".

मेरा निवेदन है कि जहां पर अदालती ग्राम पंचायतें तो कायम की जानी हैं मगर उन के बारे में कोई स्पष्ट provision नहीं किया गया है। सिर्फ यही लिख दिया है कि:—

"The Government shall have power to confer upon any Gram Panchayat or elected representatives of a group of Gram Panchayats, enhanced powers. Such Panchayats or representatives shall have jurisdiction over matters laid down in Schedule I-B".

डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं ने यह संशोधन इस लिए पेश किया है कि बिल की यह जो धारा मंत्री महोदय ने पेश की है यह बिल्कुल vague है, बिल्कुल अस्पष्ट है। इस के मानी कुछ भी नहीं निकलते और गोल मोल बात रह जाने के कारण हमारे लिए शक की गुंजायश रह जाती है। हम ने सरकार के हर काम से अपना अनुमान लगा रखा है कि यह सरकार हेराफेरी से बाज़ नहीं आती। खास तौर पर जब हम ग्राम पंचायतों पर अदालती अधिकार confer करने चले हैं, न्याय करने के अधिकार देने चले हैं, तो ऐसे मौके पर सरकार को हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिये। उस ने जो भी कदम अब तक उठाया है उस ने इसी बात को सोच कर रखा है कि किस तरह से अपनी बात पूरी करवा सकती है। इस provision में यह भी नहीं लिखा कि कितनी पंचायतें मिल कर अदालती पंचायत बनाएंगी। कभी ऐसा भी हुआ है ? कितनी vague बात की जा रही है ? मन्त्री महोदय को इस मामले में बिलकुल साफ कहना चाहिये था कि इतने गांव की एक अदालती पंचायत होगी। मेरा संशोधन मंज़ूर किया जाना चाहिये। कई जैलें ऐसी हैं जिन में आठ गांव हैं कई में नौ गांव हैं और कई में दस गांव हैं। कितने गांव की पंचायतें मिल कर एक अदालती पंचायत बनाएंगी, यह बात साफ की जानी चाहिए थी। यह बात vague रह जाने से इस में शक की गुंजायश रह जाती है। सरकार ताकत अपने हाथ में रख कर उन लोगों को अदालती पंच बनने का अधिकार देगी जोकि उस के supporters हैं उस के अपने विचार के लोग हैं। ऐसे भी गांव हो सकते हैं जोकि उन के कहने के मुताबिक न चलते हों। जहां ये कहते हों वहां वोट न देते हों, इन के विरोधियों को देते हों। ऐसे हालात में बदला निकालने की भावना हो सकती है। सारे प्रदेश में

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री मंगल सेन]

एक जैसी चीज़ बननी चाहिये । इस तरह से तो पंचायत अफसरों की इच्छा की बात होगी और उन की इच्छा मन्त्री महोदय की इच्छा पर चलेगी । जिस पार्टी के हाथों में हकूमत है उस के जो बड़े नेता हैं उन के कहने के मुताबिक सारा काम चलेगा । मेरी यह proposal बहुत वाजिब है, इस को मान लिया जाना चाहिए । इस के साथ ही यह चीज़ भी clear होनी चाहिए कि अदालती पंचायतें कैसे चलेंगी, किस तरह से function करेंगी, उन का हिसाब-किताब कैसे चलेगा । यह सारी चीज़ें मन्त्री महोदय को पहले ही स्पष्ट करनी चाहिये थीं, नहीं की इस लिये अब कर दें ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

For sub-section (2) of proposed section 7, substitute—

"(2) The Government shall have power to confer upon every Zail Gram Panchayats, enhanced powers. Such Panchayats or representatives shall have jurisdiction over matters laid down in Schedule I-B".

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ, ਜਨਰਲ) : ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ Section ਉਪਰ Hindi ਅਤੇ Punjabi Regional Committees ਨੇ 2 different reports ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ report ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ adopt ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं सिर्फ criticism की खातिर ही नहीं बोलना चाहता बल्कि मिनिस्टर साहिब को बताना चाहता हूं कि इस clause के अन्दर बहुत भारी खामी है । इस clause 7 की जो sub-clause (2) है इसके जरिए गवर्नमैंट enhanced powers किस को दे रही है ? एक तो ग्रामपंचायतों को और दूसरे elected representatives of groups of Panchayats को । अब आप आ जाएं sub-clause (3) पर। इसमें लिखा है 'Panches or the Panchayats concerned shall elect five Adalti Panches' । यानी enhanced power तो मिलेगी पंचायतों को और elected representatives को और वह चुनेंगे अदालती पंचों को । यानी दूसरे लफ्ज़ों में बात यूं हुई कि जो enhanced powers हैं वह तो आप confer कर रहे हैं पंचायतों और elected representatives को लेकिन exercise करेंगी Adalti Panchayats । तो आप अन्दाज़ा लगाएं कि यह कितना vague provision है । मेरी इस contention को भी वज़ीर साहिब कहेंगे कि मैं नहीं मानता । लेकिन मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि यह गलत चीज़ कर रहे हैं । अदालती पंचायतें यह powers exercise नहीं कर सकेंगी । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस clause को वापस लेना चाहिए और proper शकल में लाया जाना चाहिए ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਜਨਾਬ, ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ enhanced powers ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਔਰ ਪੰਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ enhanced powers ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਦੂਜੇ enhanced powers ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ elected representatives of a group of Gram Panchayats ਨੂੰ। ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ group ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚ ਚੁਣਨਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਨਰਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ conflict ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ clause ਦੀ ਜਿਹੜੀ sub-clause 3 ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ election ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ clause 7 ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ sub-clause 3 ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ amendment ਨੂੰ accept ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That sub-clause (1) of proposed section 7 (Clause 4), as reported by the Regional Committees stand part of the Bill.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

For sub-section (2) of proposed section 7, substitute "(2). The Government shall have power to confer upon every Zail Gram Panchayat, enhanced powers. Such Panchayats or representatives shall have jurisdiction over matters laid down in Schedule I-B."

The motion was lost

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That sub-section (2) of proposed section 7 (Clause 4), as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

In sub-section (3) of proposed section 7, lines 3—11,—

for "the Panches of the Panchayat concerned......in the manner prescribed" substitute "the members of the Sabha concerned shall by direct and secret ballot elect five Adalati Panches to constitute the Adalati Panchayat. The Adalati Panches shall, from among themselves, elect an Adalati Sarpanch."

The motion was lost.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That sub-section (3) of proposed section 7 (Clause 4), as reported by the Punjabi Regional Committee, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That sub-section (4) of proposed section 7 (Clause 4), as reported by the Regional Committee, stand part of the Bill.

The motion was carried

Mr. Deputy Speakr : Question is :—

That sub-section (5) of proposed section 7 (Clause 4), as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That proposed section 7 of Clause 4, as reported by the Punjabi Regional Committee, stand part of the Bill.

The motion was carried

PROPOSED SECTION 8

Shri Mangal Sein (Rohtak) : Sir, I beg to move :—

For sub-section (2) (b) of proposed section 8, substitute "(b) If it finds that the petition is false, frivolous, or vexatious, dismiss the petition and order the security to be paid to the respondent or may be given back to the appellant".

डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बिल में मन्त्री महोदय ने इस बात को मान लिया है कि यदि किसी पंचायत की election में किसी हारने वाले को यह आपत्ति हो कि चुनाव के समय ठीक ढंग से चुनाव नहीं हुआ तो वह petition करे और न्यायालय इसका निर्णय दे। किन्तु साथ ही यह भी है कि जो security की रकम हो वह पंचायत के fund में चली जाए। डिप्टी स्पीकर साहिब, यह तो बड़ी भारी बेइन्साफी की बात है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि प्रायः आजकल प्रथा यह है कि respondent को नाहक परेशान किया जाता है और उसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर नुक्सान पहुँचाया जाता है। मैं यह चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति के खिलाफ नाहक शरारत करके appeal की गई हो और जिसके खिलाफ कोई अभियोग या objection साबत न हो तो यह security के पैसे उसी को मिलने चाहिए। वज़ीर साहिब की plea यह है कि यह पैसे पंचायत fund में जाने चाहिएं क्योंकि इस से पंचायत कोश की वृद्धि होगी। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत के funds को बढ़ाने के लिए तो और भी अनेकानेक साधन हैं। प्रादेशिक सरकार कई प्रकार के tax लगाती है (*Interruptions*) तो मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय मेरे अनुनय को स्वीकार करेंगे।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : Motion moved :—

For sub-section (2)(b) of proposed section 8, substitute "(b) If it finds that the petition is false, frivolus, or vexatious, dismiss the petition and order the security to be paid to the respondent or may be given back to the appellant."

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move :—

In sub-section (2)(b) of proposed section 8, lines 4-5,—

for "forfeited in the manner prescribed" substitute "paid to the respondent or the respondents against whom petition was made in lieu of the costs".

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो लफ्ज़ है- "forfeited in the manner prescribed" इन को हटा दिया जाये और इन की जगह पर 'respondent' कर दिया जाये। आप कोई भी कानून उठा कर देख लें चाहे अपनी Assembly की elections के कानून को ले लें, चाहे Municipal Committees की elections के कानून को देख लें या कांग्रेस पार्टी की elections के rules को देख लें इन तमाम के अन्दर साफ लिखा हुआ है कि जो election petition करे तो जो ज़मानत का रुपया वह petition करते वक्त जमा कराता है तो उस की petition के खारज हो जाने पर वह रुपया खर्चे के तौर पर respondent को मिलेगा लेकिन यह आज तक कभी नहीं हुआ कि अगर Municipal Committee की election हुई है और अगर कोई petition करे और उस की petition खारज हो जाये तो उस की जमानत का रुपया जो उस ने petition करते वक्त जमा कराया था वह ज़बत कर के उस Municipal Committee को चला जाये। यह हम ने कभी नहीं सुना था कि Assembly की election में petition के खारज हो जाने पर जो security का रुपया हो वह Assembly को चला जाये। यह बात तो सिर्फ आज इस बिल में ही देखी है आज यह सुना है कि इस में जो लिखा है कि "forfeited in the manner prescribed" तो यह prescribed manner भी यही होगा कि वह रुपया पंचायत को चला जाये। यह चीज़ इन्हें मान लेनी चाहिये जिस तरह यह मेरी amendment में suggest की गई है। इसे मानने में इन्हें यह सोच कर कि क्योंकि यह Opposition की तरफ से आई है शरमाना नहीं चाहिये।

इस के अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिब, आप को तो election petition का बहुत बुरा तजुरबा है क्योंकि आप ने election petition खुद देखी है कि कोई election भी failure of justice पर set aside नहीं होती। The peoples Representation Act के अन्दर साफ तौर पर लिखा है कि फलां फलां reasons पर कोई election set aside हो सकेगी मिसाल के तौर पर illegal practices पर कोई election set aside हो सकती है। इसी तरह से Municipal Committees के अन्दर भी petition sound grounds पर set aside हो सकती है और इस बात को

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

limit कर दिया गया है कि किन किन चीज़ों पर यह हो सकती है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब देहात के लिए कोई चीज दरकार होती है तो यह अलग चीज़ बनाते हैं और देहात के लिये जब कोई institution बने, कोई कानून ले आये, उन के लिए अलग चीज है, अलग असूल है और हर बात अलग है और देहात में election set aside होती है failure of justice होने पर। फिर इस failure of justice को कहीं define नही किया गया कि इस में क्या क्या शामल होगा। यह सिर्फ एक ही शख्स समझता है और कोई दूसरा नहीं समझता। यह सिर्फ एक ही आदमी की will पर छोड़ दिया गया है कि जैसा वह समझेगा वैसा ही कर दिया जाएगा। यह बड़ी भारी गलती है और जुल्म है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यह उसी तरीका से करे जैसा कि दूसरे cases के अन्दर यह करती है।

फिर sub-section 8(3) में लिख दिया गया है कि

> "Except as provided in this section, the election of a Sarpanch or Panch shall not be caled in question before any authority or in any court.'

यह पहले नहीं था। Elections Commissioner के पास जब यह report पहुंची कि इस बिना पर कि पिछले People's Representation Act में यही था कि Tribunal जो फैसला कर देगा उस को किसी Court के अन्दर challenge नहीं किया जा सकेगा तो Elections Commissioner ने कहा कि यह गलत बात है। इस में Courts को अख्तियार होना चाहिये। तो उन्होंने यह फैसला कर दिया कि Election Tribunal जो फैसला करेगा उस के खिलाफ appeal सुनने का अख्तियार High Court को होगा। उधर तो Elections Commissioner ने यह फैसला दिया था कि Courts के पास appeal करने का हक न देना गलत बात है और इधर यह अब भी उसी तरह कर रहे हैं। Elections Commissioner की बात तो कम अज़ कम मान लें। किसी Executive authority के हाथ में यह अख्तियार नहीं रहना चाहिये लेकिन यहां पर यह Executive authorities को अख्तियार दे रहे हैं। आप कोई भी कानून उठा कर देखें तो आप को यही पता चलेगा कि judicial अदालत पर पाबन्दी नहीं लग सकती। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं नहीं जानता कि हमारे मिनिस्टर judicial अदालतों से क्यों डरते हैं। अदालतों में तो यकीन रखें। अगर इन्होंने यहां Parliamentary system से गवर्नमेंट चलानी है तो इन्हें judicial अदालतों पर यकीन रखना चाहिये। लेकिन यह सारे अख्तियाररात Executive को देना चाहते हैं और judicial अदालतों से छीनना चाहते हैं। इस लिए इन लफ्ज़ों के साथ मैं इस clause की मुखालिफत करता हूं।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved :—

In sub-section (2)(b) of proposed section 8, lines 4-5,—

for "forfeited in the manner prescribed" substitute "paid to the respondent or the respondents against whom petition was made in lieu of the costs".

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

चौधरी इन्द्र सिंह (जींद 'जनरल') : डिप्टी स्पीकर साहिब, यह जो sub-section है इस में एक बात तो तसलीम की गई है कि अगर election हो तो election petition हो सकती है लेकिन election petition किन grounds पर हो यानी वह कौन कौन से grounds हैं जिन पर कि election को question किया जा सकता है वह इस sub-section के अन्दर दंज नहीं है और डिप्टी स्पीकर साहिब, यह अजीब सी बात है। कुछ बातें होती हैं elections के अन्दर जैसे corruptions का सवाल होता है, मज़हब के अकीदे का सवाल होता है और इसी तरह की और बहुत सी बातें होती हैं जिन पर election petition हो सकती हैं। कोई भी election petition आप देख लीजिए उस के अन्दर specific grounds mentioned होती हैं जिन पर आप election petition कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़रा गौर फरमायें कि sub-section 8 में जो कुछ इन्होंने लिखा है उस के अन्दर कोई grounds इन्होंने नहीं दिये और यह सिर्फ एक आदमी के discretion पर छोड़ दिया गया है। और आप जनाब जानते हैं कि पिछले Act के तहत जो authority थी वह महज़ Collector थी। और आप ने पैप्सू और पंजाब दोनों में देखा होगा कि जो persons in authority थे वह कहते थे कि इस पंचायत की जो election है वह set aside कर दें और इस की न करें और जो लोग बरसरेइक्तदार थे और पहुंच वाले थे या जिन की पहुंच थी और जो असरो रसूख रखते थे उन्होंने Collector के mind को prejudice किया और उन की पहुंच के मुताबिक justice की definition ली गई तो इस के अन्दर कोई grounds की definition नहीं दी गई। यहां लफज़ यह हैं

> "(a) If it finds, after such inquiry as it may deem necessary, that a failure of justice has occurred........"

Failure of justice की तारीफ कौन करेगा ? यह वही करेगा जिस ने election petition सुननी है। फिर आप देखें कि इस में election petition के फैसला के खिलाफ कोई remedy नहीं है। असल बात तो यह है कि यह बहुत हद तक मुमकिन है कि इन अलफाज़ को स्यासी इग़राज़ के लिए इस्तेमाल किया जाये और यह हुआ भी है और मैं साबित कर सकता हूं। पिछले elections जब हुए थे उन में बिलकुल injustice हुई है और सरकार की तरफ से negligence हुई है। That is a gross failure of political justice. Government को बिल्कुल ही सीधे तरीके से आना चाहिये। Government of India जो panel बनाती है petitions सुनने के लिए यह उस के discretion पर छोड़ना चाहिये। अगर discretion इस्तेमाल करनी भी हो तो कुछ specific grades होने चाहिये जो इसके अन्दर दर्ज नही हैं। एक और तरीका adopt हुआ जो unheard in the History है। दुनिया में इस की कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। Civil Procedure Code के अंदर कहीं भी in the manner prescribed नहीं होता। अगर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी इन्द्र सिंह]

election petition file होती है तो इसका सारा खर्चा respondent पर पड़ता है। यह चीज़ कानून के अंदर हमेशा से मखसूस है कि अगर आप manners prescribe करते हैं तो वज़ीर साहिब का मंशा यह है कि.... (*interruption*)

सरदार गुरबचन सिंह बाजवा : On a point of information Sir. यह तो cause के मुताल्लिक कहा गया है।

चौधरी इन्द्र सिंह : अगर बाजवा साहिब में इतनी भी common sense नहीं है तो मैं क्या करूं। (*interruption*)

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : **ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ** challenge **ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ** common sense **ਨਹੀਂ ਹੈ ?**

चौधरी इन्द्र सिंह : जनाब मैंने तो बताया है challenge नहीं किया।

सामूहिक विकास मन्त्री : बहुत definition हो गई है इस की, अब छोड़ें।

चौधरी इन्द्र सिंह : अच्छा जनाब मैं बैठ जाता हूं, शायद वज़ीर साहिब सीधे रास्ते पर आ गये हैं।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ Judiciary **ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ** election petitions **ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਬਾ** procedure **ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ** cases High Court **ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਬੜਾ ਘਟ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ** election petitions **ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ** clause **ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।**

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That sub-section (1) of proposed section 8, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

For sub-section (2)(b) of proposed section 8, substitute "(b) If it finds that the petition is false, frivolous, or vexatious, dismiss the petition and order the security to be paid to the respondent or may be given back to the appellant".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

In sub-section (2)(b) of proposed section 8, lines 4-5,—

for "forfeited in the manner prescribed" substitute "paid to the respondent or the respondents against whom petition was made in lieu of the costs".

The motion was lost

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That sub-section (2) of proposed section 8, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That sub-section (3) of proposed section 8, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That proposed section 8 of Clause 4, as reported by the Regional Committees stand part of the Bill.

The motion was carried.

PROPOSED SECTION 9

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : मैं डिप्टी स्पीकर साहिब यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस के अन्दर जो approval का तरीका है, इसके अन्दर कोई और provision नहीं की गई। जो Rules दिये गये हैं इस में भी यह चीज़ दर्ज नहीं की गई कि यह procedure किस तरह से अख्तियार करेगी । किस तरह meeting call करेंगी और किस तरह से दरखास्तें आयेंगी । जो Rules दिये गये हैं इसके लिए अंदर भी यही चीज़ आई है मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह क्या वज़ीर साहिब यह चाहते हैं कि जिस की मरज़ी हो अपने हक में कर लें और जिस की मरज़ी हो अपने खिलाफ कर लें। इसमें no confidence की provision होनी चाहिये । इस का यह मतलब नहीं कि Government, public के नुमायंदों को जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करे। यह नहीं होना चाहिए इस के मुताल्लिक कोई clear procedure होना चाहिये । जिस के मुताबिक यह exercise किया जा सके ।

Mr. Deputy Speaker : Question is —

That proposed section 9 of Clause 4, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PROPOSED SECTION 10

Mr. Deputy Speaker : Question is :—

That proposed section 10 of Clause 4, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

PROPOESD SECTION 11

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move :—

In the proposed section 11, line 6,—

for "may appoint", substitute "shall hold re-election in the)same manner for".

(*At this stage Chaudhri Sri Chand, a Member of the Panel of Chairmen occupied the Chair*).

4 p.m.

इस क्लाज़ के अन्दर जो मर्ज़ी के मुताबिक appointment रखी गई है, वह नहीं होनी चाहिए। इस के मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूँ कि appointment election से होना चाहिए। जनाब चेयरमैन साहिब, आप को पता है कि Parliamentary democracy में कहीं भी ऐसी nominations की clauses नहीं रखी गई जिस प्रकार की यह सरकार रख रही है। इनके लीडर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जब लड़ते रहे तब तो नोमीनेशन की मुखालफत करते रहे लेकिन जब इनकी सरकार आई तो खुद nomination करने लगे। मैं इसकी मुखालफत करता हूँ और जो मेरी अमेंडमेंट है उसके लिये अर्ज़ करता हूँ कि वह मान ली जाए।

Mr. Chairman : Motion moved —

In the proposed section 11, line 2,—

for "may appoint", substitute "shall hold re-election in the same manner for".

Dr. Bhag Singh (Garhshankar 'General') : Sir, my amendment is identical to the one moved by Chaudhri Dharam Singh Rathi. Therefore, I am not moving my amendment.

ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 'may appoint' ਲਫਜ਼ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ democratic rights ਇਸ set up ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ ਇਹ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ prescribed time ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਟ nomination ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਈ amendment ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ democratic ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ amendment ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' (ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ) : ਜਨਾਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ elections ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ elections ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ step democratic ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਬਰ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵਸੀਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ election ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ late ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ election ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਵਰਨਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ hinderance ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ vacancy ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚ resign ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ appointment ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ election ਨਾਲ ਪੁਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ election ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫਿਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ right ਹੈ ਕਿ ਉਹ vacancy ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ appointment ਕਰ ਦੇਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ democracy ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ।

Mr. Chairman : Question is :—

In the proposed section 11, line 6,—

for "may appoint", substitute "shall hold)re-election in the same manner for".

The motion was lost

Mr. Chairman : Question is :—

That proposed section 11 of Clause 4, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

PROPOSED SECTION 12

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : चेयरमैन साहिब इन्होंने यह तो रख दिया है कि अगर quorum की वजह से हाढ़ी और सावनी की meeting adjourn होगी तो उस पर यह section लागू नहीं होगा। इस के लिए तो आप ने यह चीज़ रख दी है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी और ज़रूरी काम के लिए, निहायत ज़रूरी काम के लिए meeting होगी सभा की और उस में 1/5 th का quorum पूरा नहीं होता और उस की वजह से meeting adjourn हो जाती है तो उस के लिए आप ने क्या provision रखा है। उस के लिए भी कोई न कोई चीज़ इस में provide की जानी चाहिए। वर्ना अगर आप कोई provision नहीं करेंगे तो उस का नतीजा यह होगा कि अगर कोई urgent काम के लिए meeting बुलाई जाएगी और वह quorum पूरा न होने की वजह से adjourn की जाएगी तो next time जब meeting होगी उस में भी हो सकता है quorum पूरा न हो और वह ऐसे ही postpone होती जाए। इस लिए मैं वज़ीर साहिब से कहूंगा कि उन के लिए भी इस बिल में कुछ लिखना चाहिए। इसके अन्दर आप ने specify कर दिया है कि सिर्फ हाढ़ी और सावनी की meetings के लिए यह चीज़ होगी और बाकी meeting के लिए नहीं होगी। आप को कोई सही बात कही जाए तो उसको भी आप नहीं मानते। आप बेशक न मानें लेकिन बताना हमारा फर्ज़ है ताकि कल को जब आपके रास्ते में difficulty आए तो फिर आप महसूस करें कि हमे जो राठी ने बात कही थी व दरुस्त थी। फिर आप सोचेंगे कि अगर राठी की बात को हम उसी वक्त मान लेते तो अच्छा था। इन अल्फाज़ के साथ मैं वज़ीर साहिब से गुज़ारिश करूंगा कि यह provision भी इस बिल में होना चाहिए।

Mr. Chairman : Question is —

That proposed section 12 of Clause 4, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

PROPOSED SECTION 13

Mr. Chairman : Question is :—

That proposed section 13 of Clause 4, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 5

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move

In part (b)—

delete proposed clause (v).

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चेयरमैन साहिब, इस के बारे में मेरी 17 नम्बर पर amendment है । मैं चाहता हूं कि यह जो लिखा है कि :

"the organisation of young farmers club and Mahila Mandal for the organisation of games and sports and execution of developmental social and cultural works in the sabha area."

यह delete होनी चाहिए । यह institution जो है यह बिलकुल useless है जोकि कहीं stand नहीं करती । आप को भी पता है और सब साहिबान जानते हैं कि जो farmers forum है उस में ज़बरदस्ती तहसीलदारों ने मेम्बर बना रखे हैं और actually यह चीज़ exist नहीं करती । जो young farmers club होगी या महिला मण्डल होगा उस को Government ने organise करने का right दिया है ताकि इस बहाने उन को पैसा दिया जा सके । चेयरमैन साहिब, जब ज़मीन का ज़िक्र आए तो हरिजनों का नाम लेते हैं, जब किसी और बात का ज़िक्र आए तो तब हरिजनों के नाम पर आंसू बहाते हैं । लेकिन मैं हैरान हूं कि जो cultural programmes होने हैं जो सेहत और सफाई की बातें होनी हैं उन के अन्दर हरिजनों को क्यों नहीं रखा गया । क्या हरिजनों की सेहत का ख्याल रखना, उन को खेलने कूदने की रियायतें देना ज़रूरी नहीं है । चेयरमैन साहिब औरतों के लिए तो यह रियायत दी जा रही है लेकिन हरिजन जो हैं उनको शायद यह आदमी ही नहीं समझते । उन को कुछ नहीं दिया गया । जहां हरिजन खुद वज़ीर हो वहां अगर हरिजनों को खेलने कूदने का भी हक न मिले तो फिर उन के वज़ीर बनने का क्या फायदा है । चेयरमैन साहिब यह जो इन्होंने young farmers club और महिला मण्डल बनाया है वह अपनी party के आदमियों को patronise करने के लिए और उन को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया है । इसके अन्दर जनाब यह लिखा है कि development of social and cultural works in the Sabha area यानी यह कहते हैं कि Sabha area में cultural programme होंगे, बाजे बजेंगे और लड़कियां नाचें गाएंगी । उसके लिए यह कहते हैं कि पंचायतों को यह हक मिलना चाहिए इस ऐक्ट की section 19 के तहत कि वह गांव में cultural programmes करें और लड़कियां नचाएं और बच्चे घुंघरू पाओं में बांध कर ढोल ढमक्के के साथ नाचें गाएं और कूदें । मैं कहना चाहता हूं कि यह अख्तियारात बिल्कुल नहीं मिलने चाहिएं और इस पर एक पैसा नहीं खर्च होना चाहिए । जनाब मैं कहता हूं कि आपको पता है कि यह cultural programmes की बीमारी क्या है.......

Mr. Chairman : Please be relevant.

चौधरी धर्म सिंह राठी : चेयरमैन साहिब, मैं बिल्कुल relevant हूं और इसलिए relevant हूं कि यह इन्होंने provide किया है कि :

'(v) the organisation of Young Farmers Club and Mahila Mandal........

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

और यह सारे मंडल और club वगैरह किस चीज़ के लिए होंगे ? इस लिए होंगे

"......for organisation of games and sports and execution of development social and cultural work in the Sabha area.

जो इन के cultural और social काम हैं वह इन सब ने दूसरी जगह होते देख लिए हैं। इसमें ड्रामे भी आ जाते हैं, नाचना बजाना कूदना आ जाता है। मैं चाहता हूं कि यह अख्तियार नहीं मिलना चाहिए। इस से देहातों में बिल्कुल खराबी होगी और जिस चीज़ को आगे (x) में बचाने चले हैं वह नहीं बचेगी। अगर यह कह देंगे तो moral खराब हो जाएगा और जिस बीमारी से गांव आज तक बचे हुए हैं वह भी वहां फैल जाएगी। फिर आप देखें आगे (x) में कितनी contradictory बात लिखी है कि :

"(x) measures to promote the moral, social and material well being or....

पहले तो cultural programme ड्रामों नाच गानों से लोगों का moral खराब करने की बात कर रहे हैं और आगे moral और चालचलन बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। इन दोनों में से कौनसी बात मानें और........

श्री चेयरमैन : चलो छोड़ो यह दोनों ठीक हैं। (Please leave it now. Both these provisions are right.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : नहीं जनाब यह तो दोनों बातें contradictory हैं। एक तो चालचलन ठीक करने के लिए है और दूसरा चालचलन खराब करने के लिए है। कौनसी बात इन में से चलेगी। यह दोनों बातें contradictory हैं। इसलिए मैं इस की मुखालिफत करता हूं यह बात हमारी Society के खिलाफ है और यह नाच गाना वहां नहीं होना चाहिए।

Mr. Chairman : Motion moved :—

In par (b),—
delete proposed clause (v).

Chaudhri Inder Singh (Jind 'General') : Sir, I beg to move:—

In sub-clause (b)(v), lines 1—3,—

for "Young Farmers" Club and Mahila Mandal" substitute "Youth Club".

चेयरमैन साहिब, मेरी amendment यह है कि Young Farmers Club और Mahila Mandal की बजाए यहां पर Youth Club लिखा जाए। इसकी वजह यह है कि Young Farmers Club और Mahila Mandal से कुछ ऐसी बू आती है कि दिहाती आबादी में से कुछ को तो यह cultural and social uplift और sports वगैरह का

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

मौका देना चाहते हैं मगर बाकियों को नहीं यानी देहात की जो दूसरी ग्राबादी जो farmer नहीं है उसको यह सहूलियत नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि यह जो भेदभाव वाली बात रखी गई है वह अगर मेरी amendment को मान लिया जाए और उसकी जगह Youth Club कर दिया जाए तो दूर हो जाती है। मैं यह बात मानता हूं कि यह बड़ी समझदारी का provision रखा गया है और मैं भी चाहता हूं कि गांव के लोगों को भी खेलने कूदने का मौका मिलना चाहिए, उनकी social development होनी चाहिए और उनके अन्दर भी यह sense पैदा हो कि यह चीजें भी हमारी ज़िन्दगी का ज़रूरी हिस्सा है और नौजवान और छोटी उम्र के जो बच्चे हैं सन में यह sense जल्दी develop हो सकती है। चेयरमैन साहिब, इस के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि youth में सब आ जाते हैं, लड़के लड़कियां दोनों club में शामिल हो सकते हैं अगर यह कहते हैं कि नहीं महिला मण्डल वाली बात ही रहे तो जनाब आपको पता है कि यह पंचायतों का महकम B.DOs. के नीचे आएगा। B.DOs. की बाबत चेयरमैन साहिब आप भी जानते हैं और सब जानते हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि महिला मण्डल के नाम से क्या कुछ कर रहे हैं। जहां वह इस नाम से और cultural programme करते हैं वहां अब यह भी शुरु कर देंगे और............

ਸਮੁਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ cultural programme ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

श्री चेयरमैन : वह कहते हैं कि नहीं होंगे। चलो उनकी बात मान लो। (The hon. Minister says that there would be no cultural programme. The hon. Member may believe him.)

चौधरी इन्द्र सिंह : अगर मास्टर जी चाहते हैं कि यह बुराई न हो तो फिर मेरी amendment मान लें उस से सारा purpose serve हो जाएगा। यह कहते हैं कि Organisation of Young Farmers' Club लेकिन मैं कहता हूं कि why for one community only और सिर्फ farmers की ही क्यों हो। गांव में और बहुत से लोग रहते हैं, हरिजन हैं, trading community है, backward classes और depressed classes हैं। उन के लिए आप क्या करना चाहते हैं। वह भी गांव के अन्दर रहते हैं और वह भी खेलना कूदना चाहते हैं और अपनी social development चाहते हैं अगर आप इस तरह से ज़मींदार और गैर ज़मींदार में discrimination करेंगे तो यह दुरुस्त बात नहीं होगी। इस लिए मैं कहता हूं और मेरी amendment का मतलब यही है कि गांव के तमाम लोगों और सारी communities के social and cultural welfare का इंतज़ाम होना चाहिए और इस के लिए यहां पर Young Farmers' Club and Mahila Mandal की जगह Youth Club के लफ़ज़ होने चाहिए। इस में सारे गांव

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी इंद्र सिंह]

के रहने वाले लोग आ जाते हैं और सारी communities आ जाती हैं। इस के इलावा महिला मण्डल वाली बात भी cover हो जाती है। इस में लड़के लड़कियां दोनों शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कलाज़ को इसी तरह पास कर देंगे तो मैं यह समझूंगा कि यह जो सरकार है और जो वज़ीर साहिब हैं वह इस के consequences को नहीं समझते हैं। वैसे मैं वज़ीर साहिब की तारीफ करता हूं, वह निहायत अच्छे आदमी हैं, उन्हें गरीबों से हमदर्दी है और उनकी तरक्की चाहते हैं लेकिन यह जो जिस तरह क्लाज़ रखी गई है इस से मालूम होता है कि वह इस के consequences को नहीं समझते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह जिस तरह समझते हैं उस तरह यह क्लाज़ innocent नहीं हैं। इसके consequences बड़े दूररस हैं। इसका नतीजा यह होगा कि जो हम तमाम rural तबकों को एक level पर तरक्की देना चाहते हैं उस में फर्क पड़ जाएगा। पंचायतों और B. D.Os. की तमाम तर तवज्जुह उसी एक खास तबके की तरफ हो जाएगी बाकी तबके रह जाएंगे। आपने तो गांव के बाकी तबके छोड़ दिए हरिजन का लफ्ज़ भी नहीं लिखा और सिर्फ Young Farmers Club and Mahila Mandal लिख दिया कि इन पर खर्च हो। यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा करने का क्या मतलब है। इसीलिए मैंने इस discrimination को दूर करने के लिए यह तजवीज़ रखी है कि Youth Club के लफ्ज़ लिख दें। इस में सारी बातें cover हो जाती हैं और इस के अन्दर किसी किसम की बू नहीं आती है। मुझे उम्मीद है कि वह इस चीज़ को मान लेंगे।

Mr. Chairman : Motion moved :—

In sub-clause (b)(v), lines 1—3,—

for "Young Farmers' Club and Mahila Mandal" substitute "Youth Club".

श्री मंगल सेन (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस धारा का जिस पर वादविवाद चल रहा है विरोध करना चाहता हूं इस में इन का कहना यह है कि गांव में social and cultural programmes को develop करने और execute करने के लिए महिला मण्डल का इन्तज़ाम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि B. D.Os. जिनके नीचे कि इन पंचायतों ने काम करना है कितने बदनाम हैं। मैंने बजट पर चर्चा के समय भी निवेदन किया था कि हमारे ही सदन के एक माननीय सदस्य सरदार राजिन्दर सिंह जी ने B.D.Os, के महकमा की अच्छी प्रकार से छानबीन की है और उन्होंने ६५ सफा की रिपोर्ट दी है। उस में उन्होंने खुद अपनी कलम से लिखा है कि कई B.D.Os. के जीवन चरित्र से लोग इतने परेशान हैं कि उनके नाम से भय भीत हैं (हंसी)। मंत्री जी मेरी बात को गलत समझते हैं तो इस रिपोर्ट को पढ़ लें। मैं कहना चाहता हूं कि Young Farmers' Club and Mahila Mandal की बात करके ग्राम की जनता में फर्क नहीं डालना चाहिए। अगर कोई काम करना है और

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

uplift करना है तो ग्राम की सारी जनता का बगैर किसी भेदभाव के होना चाहिए। इस में सब से बड़ी objectionable बात है

"(zz) organizing of village voluntary force for watch and ward and for assisting the Gram Panchayat in the discharge of its functions".

इस का अभिप्राय यह हुआ कि जो निर्णय ग्राम पंचायत करती हैं उसे execute करने के लिए जो voluntary force raise की जा रही है। यह watch and ward के काम में assist करेगी।

श्री चेयर मैन : जन संघ की तरह (Like that of Jan Sangh.)

श्री मंगल सैन : मैं जानता हूं कि आप भी कभी जनसंघ के दरवाज़ों पर घूमते रहे हैं। हमारी कोई voluntary force नहीं है। किसी पोलीटिकल पार्टी की दरियां बिछाने वाले नौजवानों की होगी। यह मामला बहुत serious है। इस का मतलब यह हुआ कि यह law and order को maintain करने वाली Agency होगी। पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा Law and Order maintain करने के अधिकार पंचायतों को दिये जा रहे हैं। यह खतरनाक बात है।

श्री चेयर मैन : क्या आप Law and Order का मतलब जानते हैं? (Do you know the meanings of Law and Order?)

श्री मंगल सैन : चेयरमैन साहिब, आप का मैम्बर की ओर ऐसा कहना नामुनासिब है। आप ने मेरी जानकारी को challenge किया है इसलिए मैं protest के तौर पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूं और बैठ जाता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਰਲ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾ Youth Club ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੀਜਨ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਸ Youth Club ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Farmers' Club ਜਰਾਇਤ ਦੀ ਉਨਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Farmers' Club ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ Youth Club ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿਚ Farmers' Club ਦੇ ਨਾਲ Youth Club ਦਾ ਲਫਜ਼ add ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Dr. Bhag Singh (Garhshankar—General) : Sir, I beg to move —

After sub-section (b)(zz) to section 19, add,—

"(zzz) maintenance of water courses."

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ maintenance of water courses ਦੇ ਸ਼ਬਦ add ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ । ਜਿਥੇ functions ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ water courses ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ regulate ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਪਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ water courses ਨੂੰ regulate ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਇਕਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕਰਨ, ਪੁਲੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਨੇ water courses ਨੂੰ regulate ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ functions ਵਿਚ add ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

Mr. Chairman : Motion moved —

After sub-section(b) (zz) to section 19, *Add*, —

"(zzz) maintenance of water courses."

ਸਾਮੂਹਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਠੀ ਸਾਂਹਬ ਨੂੰ ਸ਼ਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਕਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ Farmers' Club ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨੇ ਆਦਮੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਰੀਜਨ ਹੋਣ ਸਾਰੇ interested ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ । ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਉਤੇ ਹੈ । ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ । ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ । ਮੈਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਠੀ ਸਾਹਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ surplus ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏ । ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ Young Farmers' Club ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ । ਇਸ Young Formers' Club ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ agricultural improvement ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, cottage industries ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ development ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ mahila mandal ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਰਾਠੀ ਸਾਹਬ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ । Constitution ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ free education ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ educate ਕਰ ਸਕਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਖ ਸਕਣ । ਇਸ ਲਈ mahila mandal ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Chairman : Question is —

In part (b), —

delete proposed clause (v).

The motion was lost.

Mr. Chairman : Question is —

In sub-clause (b)(v), lines 1—3, —

for "Young Farmers' Club and Mahila Mandal" substitute "youth Club".

The motion was lost.

Mr. Chairman : Question is —

After sub-section (b) (zz) to section 19, add, —

"(zzz) maintenance of water courses."

The motion was lost.

Mr. Chairman : Question is —

That Clause 5, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Chaudhri Inder Singh (Jind, General) ; Sir, I beg to move —

Delete the proposed clause (p)

In the proposed clause (s), line 2,—

between "practices" and " . " *Insert* "in the prescribed manner".

चेयरमैन साहिब, मेरी amendment यह है कि क्लाज़ 6 में जो sub-clause (b) है उसे delete कर दिया जाये और sub-clause (s) के आखीर में शब्द " prescribed manner" add कर दिये जाएं । चेयरमैन साहिब मैं ने जो तजवीज़ पेश की है उस का कारण यह है कि बेहद किस्म के फर्ज़ पंचायत के ऊपर आयद कर दिये गये हैं जो पंचायत न execute कर सकती है और न करवा सकती है वैसे भी यह मसला इतना टेढ़ा मसला है जिस को कि पंचायतें combat नहीं कर सकतीं,हल नहीं कर सकतीं, इस को संभाल नहीं सकतीं । एक बात और यह है कि princi-

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी इन्द्र सिंह]

pal Act के sections 23/24 के मातहत waterlogging की prevention के लिए कदम उठाने के लिए ये कहते हैं कि फी कुनबा एक एक आदमी वहां खड़ा हो जाए और अगर न जाए तो ग्राम पंचायत जुर्माना या सज़ा कर सकती है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या एक गांव में इस तरह से नोटिस देने के बाद सेम का मसला हल हो जाएगा ? क्या यह जो रौ बह रही है उस को बंद किया जा सकता है ? क्या पंचायत के पास sources हैं कि इस मसले को हल कर लें ? ऐसी कोई बात नहीं है । ख़ाहमख़ाह यह चीज़ पंचायत पर लाद दी गई है। जो मसला पिछले कई सालों से सरकार के खुद हल करने के बावजूद हल नहीं हो सका, कम नहीं हुआ, बढ़ा है, उस का magnitude बढ़ा है उस को पंचायत कैसे हल कर सकती है। सरकार ने Governor's Address में यह बात तसलीम की है कि आज सारे पंजाब के अंदर कोई 80-90 लाख एकड़ ज़मीन सेम के नीचे आ गई है। सरकार इस को नहीं हटा सकी। चुनांचि सरकार ने Third Five-Year Plan के मातहत एक Master Plan तैयार करने की स्कीम तैयार की है। मैं पूछता हूं कि इतना complicated मसला पंचायत के काबू में कैसे आ सकता है ? यह नामुमकिन बात है, हो नहीं सकती। दरअसल ये चाहते हैं कि देहात में रहने वाली आबादी को तंग किया जाए। पंचायतें इस वक्त initial stage में हैं उन को बड़ा cautiously चलने की ज़रूरत है। उन में आज कल बड़ी धड़ेबाज़ी है, उन में बहुत सी कमियां हैं । Director और दूसरे आदमी interfere करते हैं उन को ऐसे वसीह अख्तियारात दे देना मुनासिब नहीं है। इस का delete हो जाना ठीक है। इस की बड़ी वजह एक यह भी है कि इस हाउस में इसी सैशन के अंदर compulsory Service Bill पेश हुआ। उस बिल का मकसद यह है कि waterlogging को रोकने के लिए कुछ काम किया जाए। मैं उस की वैसे ज़ाती तौर पर मुख़ालिफत करूंगा। इसलिए करूंगा कि compulsory service जो पहले बंद कर दी गई थी अब फिर लागू की जा रही है । लेकिन जब वह बिल आएगा तो उस के merits और demerits पर बहस की जाएगी। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जब एक वाज़ेह कानून इस हाउस के अंदर आ रहा है जो कि अब रिजिनल कमेटियों को जा चुका है उस के रहते हुए यह क्लाज़ unnecessary है। जब वसीह पैमाने पर सोचा जा रहा है कि waterlogging को check करने के लिए लोगों की service कैसे हासिल की जा सकती है तो इस के कुछ मानी नहीं रह जाते। और जहां तक दूसरे तीसरे मुल्कों का ताल्लुक है आप उन को criticise करते हैं। आप कहते हैं कि चीन में compulsory service ली जा रही है जबरी काम लिया जा रहा है तो मैं पूछता हूं कि आप क्यों ले रहे हैं ? आप किसी और को एक काम के लिए गालियां देते हैं लेकिन वही गालियां खाने के लिए खुद तैयार हो रहे हैं। जब एक बिल आ रहा है तो इस क्लाज़ की ज़रूरत नहीं।

जहां तक sub-clause 7 का ताल्लुक है यह offensive and danger-

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ous trades or practices कौन सी हैं ? इन का पता लगना चाहिए और regulate करने का manner prescribed होना चाहिए। साथ ही पता चलना चाहिये कि offensive and dangerous trades or practices कौनसी हैं। यह किस तरह से regulate की जानी चाहियें ? अगर इस तरह से कोई offensive and dangerous trades or practices है तो महज़ हमारे लफज़ लिख देने से वह खत्म नहीं हो सकतीं। यह बिल्कुल बेमानी है। यह बात साफ लिखनी चाहिये थी कि कौनसी वह practices हैं। इस के अंदर कुछ दर्ज नहीं किया गया किस को इलहाम होगा। अगर कोई सरपंच अच्छा है तो उस की निगाह में कोई बुरी बात आ सकती है अगर कोई पंचायत अच्छी है तो उस की निगाह में बुरी बात बुरी हो सकती है। लेकिन अगर पंचायत अच्छी नहीं है, सरपंच अच्छा नहीं है तो किसी भी offensive and dangerous trade or practice का सवाल पैदा नहीं होता। जब से कांग्रेस राज्य आया है तभी से इन trades और practices की हौसला अफज़ाई हो रही है। कांग्रेसी उन के सरदार हैं। इस लिए यह बात बिल्कुल बेमानी है। फलां trade dangerous है, फलां practice dangerous है, यह चीज़ साफ होनी चाहिये थी। Regulate करने का तरीका लिखा होना चाहिये। मेरा ख्याल है कि वज़ीर साहिब इस को ज़रूर मानेंगे।

Mr. Chairman : Motions moved —

Delete the proposed clause (p).

In the proposed clause (s), line 2,

between "practices" and ". " *Insert* "in the prescribed manner".

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰ) : ਜਨਾਬ, ਜੇਕਰ (r) ਅਤੇ (s) sections ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੋਸ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ define ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ harmful ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਅੰਬ ਖਾ ਲਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਠਾ ਦਿਉ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ sale ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਉ। ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ sections (r) and (s) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ define ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, dangerous trades ਵੀ define ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ define ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ dangerous trades ਹਨ। ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਘੂੰ ਘੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ trade ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿਉਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ sections ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

define ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀਆਂ terms ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ define ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਝਗੜੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੀ harmful ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਰਲ) : ਜਨਾਬ ਆਲੀ, ਇਸ clause ਉਪਰ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ for the prevention of waterlogging ਇਕ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ clause ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ implementation ਲਈ ਇਹ clause helpful ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ proper functioning ਲਈ ਵੀ ਇਸ clause ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ direct ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ clause ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ "prohibit the sale of harmful eatables within the Sabha area" ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੀ ਸੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Municipal Committee ਵਾਲੇ ਉਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । Harmful eatables ਵਿਚ ਭੰਗ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਜਿਹੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ prepared ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ sub-clause S ਹੈ ਕਿ "regulate offensive and dangerous trades or practices" । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ scrutinise ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ rules ਬਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । Details ਨੂੰ chalk-out ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ trades ਮਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜੀ caution exercise ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : चेयरमैन साहिब, इस clause के जरिए Principal Act की clause 22 में तरमीम की जा रही है। इस

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

clause के तहत पंचायतें जमीदारों को नोटस देती हैं कि तुम फलां काम करो, अगर न करोगे तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। दर असल चौधरी इन्द्र सिंह को गलती लगी है। Waterlogging को पंचायतों ने खुद दूर नहीं करना, उन्होंने तो आगे जमीदारों को हुकम करना है—उनको notice भेजना है। आप बताएं कि किसान और जमीदार इस waterlogging को कैसे दूर कर सकते हैं। यह उन के साथ सरा सर ज्यादती है कि उनको इस किस्म के notices आएं कि तुम waterlogging को दूर करो। मैं समझता हूं कि पंचायत को इस किस्म के अख्तियारात देना ठीक बात नहीं है।

आगे चलकर, चेयरमैन साहिब, इस clause की sub-clause (q) है। वह है— regulate the flaying and disposal of dead animals यानी मवेशी तो मेरा मरेगा और disposal regulate पंचायत करेगी। आज अगर मैं एक हजार का माल खरीदता हूँ और कल को वह मर जाता है तो उसकी disposal पंचायत करेगी। चेयरमैन साहिब, यह अभी तक सन्तुष्ट नहीं हुए। अब हमारे मरे हुए डंगरों पर भी कब्जा करना चाहते हैं। पहले जमीनों को छीना, दूसरी चीज़ों को छीना और अब मुर्दा डंगरों पर आ झपटे हैं।

इतना ही नहीं, आप sub-clause (r) को भी ले लें। सभा area में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होंगी उनको भी regulate करेंगे और prohibit करेंगे। आखिर क्या मज़ाक बनाया जा रहा है। लोगों की trade पर भी छापा मारा जा रहा है। जिस चीज़ को पंचायत पसंद करेगी वही वह बेच सकेंगे। इसका ज़िक्र (s) में भी किया है कि " regulate offensive and dangerous trades or practices." मैं वज़ीर साहिब से कहना चाहता हूँ कि वह अब हरिजनों को होशियार कर दें। कल को कोई सरपंच या पंच उनको नोटिस दे देगा कि तुम जूते मत बनाओ क्योंकि जूते पहनने वालों के पांव को काटते हैं। (*laughter*) किसी भी trade या practice को बंद करने का हुक्म पँचायत उन को दे सकती है। तब मिनिस्टर साहिब को होश आएगी। फिर आप कहेंगे कि क्या कर दिया। चेयरमैन साहिब, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता लेकिन डाक्टरों, वकीलों को भी पंचायतें इस तरह के notices दे सकती हैं। इस किस्म के अख्तियारात देहातों में पंचायतों को नहीं होने चाहिएं। आगे ही वहां पर बड़ी जबरदस्त पार्टीबाजी चल रही है (घंटी)। आपका हुक्म मानते हुए मैं बैठता हूँ वरना बातें तो मैंने अभी बहुत कहनी थीं। इन अलफाज़ के साथ मैं इस clause की मुखालिफत करता हूँ।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस सम्बन्ध में थोड़ी सी बात का ही निवेदन करूँगा। मैं उन बातों की बिल्कुल पुनरुक्ति यानी repetition नहीं करूँगा जोकि मेरे से पहले बोलने वाले सभासदों ने की है। मैं केवल उसी बात का वर्णन करूँगा जोकि common interest की है। इस clause की sub-clause 's' में लिखा है कि 'regulate offensive and dangerous

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री मंगल सेन]

trades or practices. सभापति महोदय, आप देखें कि गांव के अन्दर कई ऐसे लोग होते हैं जो पंचायत के मेम्बर तो चुन लिए जाते हैं लेकिन होते हैं शरारती type के जो व्यर्थ में गरीबों को परेशान करते हैं—यह उन की आदत ही होती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता ऐसे व्यक्तियों द्वारा इसका mis-use हो सकता है। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को सावधान करना चाहता था।

श्री भला राम (जींद, 'रिज़र्वड') : चेयरमैन साहिब, मैं सिर्फ एक ही बात अर्ज़ करना चाहता हूं। इस clause की sub-clause (q) में लिखा है— regulate the flaying and disposal of dead animals आप जानते हैं कि पिछले दिनों हरियाणा प्रान्त में इस बात के ऊपर बहुत भारी झगड़ा चला। चमारों ने उन्हें उठाना छोड़ दिया और जमीदारों ने कहा कि यह तुम्हारी duty है, तुम्हें लाज़मी तौर पर यह काम करना पड़ेगा वरना वह सड़ जायेंगे और गांव में गन्दगी फैलेगी। बेशक दूसरे जालन्धर division में शायद चमार community चमड़ा उतारती है। कहीं ऐसा न हो कि पंचायत फिर उनकी वहां यह duty लगा दे और यह झगड़ा फिर खड़ा हो जाए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਖੋਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ waterlogging ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢ ਸਕੀਏ। ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਵਡੀ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਣ ਔਰ ਸੇਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ community basis ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ Acts ਅਜਿਹੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੋਈ voluntary service ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਦ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ।

5.00 p.m.

ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ dead animals ਦੀ disposal ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਨੇ ਵਿਚ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਕਰ claim ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ sub-section ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੋ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਕੇ ਉਸਦਾ ਚਮੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਏ ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ clause ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਨ ਲਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਰਖੀ ਜਾਏਗੀ । ਹੁਣ Sanitary Inspectors ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ area ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ । ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਖਖੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ Sanitary Inspectors ਜਾਂ Medical Officers ਉਥੇ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਖੜੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਰਖ ਕੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਉਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Mr. Chairman : Question is —

Delete the proposed clause (p).

The motion was lost.

Mr. Chairman : Question is —

In the proposed clause (s), line 2, —

between "practices" and " . " *Insert* "in the prescribed manner".

The motion was lost.

Mr. Chairman : Question is —

That clause 6, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Mr. Chairman : The amendment given notice of by Chaudhri Dharam Singh Rathi to this clause is out of order because it has a negative effect. The purpose of the amendment can be achieved by voting against it. If he wants, he can speak on the clause.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : चेयरमैन साहिब, यह जो clause 7 का sub-section 2 जो बनाया गया है यह कितने ज़ुल्म की बात है, इस में जो यह दिया है—

"The gram Panchayat may require the owner or occupier of any building to paint there on a number or itself cause such a number to be painted on any building."

यानी अब गांव में एक आदमी को उस के मकान पर नम्बर लगाने पड़ेंगे। यह चीज़ municipal कमेटियों में नहीं होती लेकिन यह देहातियों को कहते हैं कि नम्बर लगाओ और अगर कोई नहीं लगायेगा तो इसी clause के sub-section (3) में यह provide कर दिया गया है कि उसे 10 रुपये तक जुर्माना हो सकेगा। उसे अब अदालत में जाना पड़ेगा और उसे वहां जुर्माना देना पड़ेगा। यह चीज़ नहीं होनी चाहिए।

Mr. Chairman : Question is —

That clause 7, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

Mr. Chairman : Question is —

That clause 8, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 9

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ 'ਜਨਰਲ') : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ amendment ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ sub-section (2) ਨੂੰ delete ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ extra taxes ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ sub-section ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਢ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ taxes ਦੇ funds ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ position ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕਫ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ funds ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਲਫਜ਼ 'may' ਹੈ ਇਹ practice ਵਿਚ must ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ clause ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ defeat ਨਾਂ ਕਰਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਕੱਠਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕਠਾ ਹੋਇਆ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

श्री चेयरमैन : हालांकि यह amendment out of order है लेकिन मैं ने फिर भी आप को इस पर बोलने दिया है। क्योंकि इस amendment में इस sub- section को delete करना चाहा गया है और इस clause में सिर्फ यही sub-section है इस लिये यह out of order है। (Though this amendment is out of order, yet I have permitted the hon. Member to speak on it. It has been sought through this amendment to delete the proposed sub-section from the clause which consists of the very sub-section. His amendment is, therefore, out of order.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : अगर amendment in order न भी हो तब भी तो हम इस पर बोल सकते हैं।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : चेयरमैन साहिब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल के इस sub-section के जरिये यह जो अधिकार मांग रहे हैं इस के बारे में आप realize करेंगे कि ग्राम पंचायतों के पास जो पैसा होगा वह यह किसी national cause के लिए और दूसरी स्कीमों के लिए लिया जा सकेगा। चेयर मैन साहिब, आप जानते हैं कि किस तरह से सरकार की तरफ से small saving schemes के नाम पर ग्राम वासियों से रुपया इन कामों के लिए पहले लिया जा रहा है। मुझे डर है कि वही तरीके इस clause के जरिये फिर न अपनाये जायें क्योंकि इस clause के ज़रिये यह चीज़ करनी इन के लिए और भी सहज हो जायेगी। अब पहले से भी सहज ढंग से राष्ट्रीय कार्यों के लिये पंचायतों का रुपया ले लिया जायेगा। चेयरमैन साहिब मुझे इस बात में कोई शिकवा नहीं यदि राष्ट्रीय कार्यों के लिए और निर्माण कार्यों के लिए लोगों की मर्ज़ी से उन से रुपया ले लिया जाये। लेकिन यहां कोशिश उन की इच्छा के विरुद्ध लेने की की जाती है। इसलिए मैं उस मैम्बर साहिब जो मेरे से पहले बोल गये हैं की इस बात की ताईद करता हूं कि practice में यह 'may' की जगह पर definitely 'must' कर लिया जायेगा। क्योंकि हमारा तजरुबा यही है कि practice में इस किस्म के सारे अधिकार Government खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करती है और पंचायतों को कोई पूछता नहीं है। Deputy Commissioner का पंचायतों के हर काम से दखल है और इन की अपनी independence नहीं है। इसलिए यह जो अधिकार लिए जा रहे हैं इन को Deputy Commissioner इस्तेमाल करेगा पंचायतें बेबस होंगी कि उसका हुक्म मानें। इसलिए मैं कहूंगा कि यह clause बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ discussion ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ small savings schemes, Red Cross ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ sehemes, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਠੇ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ]

ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ funds ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ Small Savings Schemes ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ funds ਇਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ clause ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀ ਪੈਸਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ contribution ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਥਾਨੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਸੇ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ, Small Saving Schemes ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ clause ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਾ ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ clause ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ delete ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਰਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਰੋਹਬ ਪਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੰਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : जहां तक चेयरमैन साहिब इस clause का ताल्लुक है यह पंचायतों पर बड़ा भारी जुलम है । Government कहती है कि हम ने यह ऐसा ग्राम पंचायत बिल लाया है कि इस के ज़रिए गांव का नकशा पलट देना है मगर इस House के सामने एक ऐसा बिल ला कर रख दिया गया है कि इसमें पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया और सारे अधिकार अफसरों को दिए गए हैं । अगर यह clause पास हो जाती है तो इस से देहातों का नकशा बनेगा नहीं बल्कि बिगडेगा । हमारी सरकार इतनी भूखी हो गई है कि वह पंचायतों को भी चंदा मांगने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है । जिस तरह की यह बातें कर रहे हैं इस तरह तो कोई भिखारी भी नहीं करता। इनकी मांगने की schemes इतनी हैं कि कहीं Red Cross को चंदे दो और कहीं कहते हैं कि small savings में जमा कराओ, कहीं कहते हैं इस society को दो और कभी कहते हैं कि उस को दो । वज़ीर साहिब ने कहा है कि कमला नेहरू stadium बन रहा है और पंचायतों की तरफ से भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा है । यह कहते हैं कि 4 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है मगर मैं कह सकता हूं कि इन के पास 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा रकम नहीं है । मुझे पता है कि पंचायतें एक पैसा भी देना नहीं चाहतीं । यह उन से ज़बरदस्ती कैसे वसूल कर सकते हैं । मगर अगर कैरों साहिब किसी के नाम पर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो इन को चाहिये कि यह पंचायतों का सहारा लेकर कोई काम अगर करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं अर्ज़ करूंगा कि यह clause पास नही होनी चाहिए । यह ठीक नहीं है ।

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair)

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ clause ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ । ਕੋਈ ਕਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਕਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ deserving ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ Government ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਨਾਉਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ stadium ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਚਲਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ bank balance ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਇਹ stadium ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ clause ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਕੋਈ school ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ provision ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ clause ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

Mr. Speaker : Question is —

That clause 9, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 10 AND 11

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 10 and 11, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 12

Dr. Bhag Singh (Garhshankar-'General') : Sir, I beg to move —

In sub-section (2) of proposed section 81, line 3, between "revenue" and "not" *insert,* —

"and water rate"

In sub-section (2) of proposed section 81, line 5-6, between "revenue" and "realized" *insert,* —

"and water rate".

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਮੇਰੀ ਅਮੇਂਡਮੇਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੀਸਰੀ ਸਤਰ ਵਿਚ, ਇਕ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 'revenue' ਹੈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 'water rate' add ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ revenue ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਬਿਆਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 'water rate' insert ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ income ਵਧ ਸਕੇ।

Mr. Speaker : Motions moved—

In sub-section (2) of proposed section 81, line 3, *between* "revenue" and "not" *insert*,—

"and water rate".

In sub-section (2) of proposed section 81, lines 5-6, *between* "revenue" and "realized" *insert*, —

"and water rate".

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move —

In sub-section (1)(f) of proposed section 81, lines 4—7, —

delete "bodies of animals not claimed by any person in accordance with any custom or usage".

In sub-section (2) of proposed section 81, line 4,—

for "ten", *substitute* "twenty-five".

In sub-section (1) of proposed section 82,—

delete parts (b), (c) and (d).

In sub-section (2) of proposed section 82,—

delete parts (iii) and (iv).

स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज तक तो सरकार यह कहती रही कि हरिजनों से मवेशी न उठवाए जाएं लेकिन आज, यह clause लेकर आ गए कि

"the sale proceeds of all dust, dirt, dung or refuse collected by the servants of the Panchayats and dead bodies of animals not claimed by any person in accordance with any custom or usage. . . "

तो आज तक तो यह कहते रहे कि हरिजनों से मवेशी नहीं उठवाएंगे लेकिन आज कहते हैं कि उठावें।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਿਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ?

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह मैं बतलाता हूँ। जो code of custom है उसमें लिखा है कि अगर कोई claim करे.......... (*Interruptions*) जनाब इसमें लिखा है कि

"not claimed by any person in accordance with any custom or usage"

इस में साफ लिखा है कि अगर कोई claim नहीं करेगा तो usage और custom के तहत यह सारी income पंचायत को जायेगी। अगर कोई claim कर लेगा तो वह उसको चली जाएगी। इसके मानी हैं कि यह एक नाकारा custom को revive करना चाहते हैं।

आगे चल कर यहां दिया हुआ है—

"income derived from the village fisheries which are under the management of Panchayats;"

जनाब जहाँ तक fisheries का ताल्लुक है, मैं इसके मुताल्लिक यह कहना चाहता हूँ कि वज़ीर साहिब एक जगह गए। वहाँ इनका एक कांग्रेसी दोस्त था, वह इनसे मिला और fisheries की आमदनी वाला जो तालाब वहाँ था, वह अपने नाम करवा लिया। और सारे का सारा अपने नाम करवा लिया। तो जो इनकम होने वाली होती है वह वज़ीर साहिब अपने हाथों खत्म करवा देते हैं।

स्पीकर साहिब, जो सच्ची बात हो वह कहनी ही पड़ती है। एक तरफ वज़ीर साहिब कहते हैं कि fisheries से आमदन हो और दूसरी तरफ खुद ऐसा काम करते हैं जिस से पंचायत की आमदन कम हो। Act के अंदर कुछ होता है मगर अमल उस पर कुछ होता है। यह कहते हैं कि पंचायतों की income बढ़ानी चाहिए। मेरी तजवीज़ है कि मालगुज़ारी का 25 प्रतिशत हिस्सा पंचायतों को मिलना चाहिए। अब यह कहेंगे कि हम इतना क्यों दें। खुद कुछ देना नहीं चाहते मगर लोगों की कमर तोड़ने के लिए हर रोज़ नए नए tax लगाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं कहता हूं कि tax कोई न लगाओ और मालगुज़ारी में से 25 प्रतिशत पंचायतों को दो। आगे चल कर इस के अंदर tax लगाने की जो clause है उस में इतने अख्तियार दे रखे हैं पंचायतों को कि उतने अख्तियार शायद इस Assembly को भी नहीं हैं।

चौधरी इन्द्र सिंह : यह बात इस में कैसे आ गई।

चौधरी धर्म सिंह राठी : वह इसी में ही हैं। कुछ पढ़ कर तो आप आते नहीं। कुछ पढ़ा हो तो पता लगे। (*Interruptions*) स्पीकर साहिब, यह जो interrupt करने वाले साहिबान हैं यह कुछ पढ़ पढ़ा कर आते नहीं। जैसे इन को कोई बता देता है वैसे ही यहां पर आ कर कह देते हैं। इस के अंदर जो clause (d) है उस में लिखा है—

"(d) if so authorised by the Government, any other tax, duty or cess which the Legislature of the State has power to impose."

यह कितने अख्तियारात हैं। यह चीज़ Constitution के खिलाफ है। Constitution के अंदर किसी किस्म का tax लगाने के लिए या कोई Appropriation

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

Bill पास करने के लिए एक definite procedure है। उस में दिया हुआ है कि Money Bill पास करने के लिए इस तरह पहले proposals होंगी और फिर House में पास होगा। बाकायदा Appropriation Bill ला कर वह clause by clause पास होगा। पंचायत cess और duty तो लगा सकती है मगर tax लगाने की उसे powers नहीं हैं। इसलिए यह clause जो है यह unconstitutional है। इसके इलावा, स्पीकर साहिब, वह कहते हैं कि अगर कोई पंचायत tax नहीं लगाएगी तो वहां पर Government खुद tax लगा देगी। यह कौन से democratic असूल की बात है। पंचायतें अगर tax नहीं लगाएंगी तो ऊपर से Government tax ठोंस देगी। यह बात बिल्कुल undemocratic है। इसके इलावा इस में पंचायतों को professional tax लगाने के अख्तियार दिए जा रहे हैं। स्पीकर साहिब आप बताएं कि दो दफा भी कोई professional tax लगाया जा सकता है। पहले तो State Government ने professional tax लगाया हुआ है। अब यह पंचायतों को कहते हैं कि यह tax लगाओ। इस तरह से यह देहाती लोगों को मारना चाहते हैं। आगे चल कर इस में एक यह provision है —

> "Provided that if the Gram Panchayat fails to impose the tax, duty or cess Government may take necessary steps to impose it and the tax, duty or cess so imposed shall be deemed to have been imposed by the Gram Panchayat :"
>
> "(iii) fees for registration of animals sold in the Sabha area ; and
>
> (iv) water rate where water is supplied by the Gram Panchayat."

मैं कहना चाहता हूं कि यह clause नाजायज है। यह नहीं होनी चाहिए। फिर यह जो sub-clauses (iii) और (iv) हैं यह registration of animals और water rate के बारे में हैं। मैं समझता था कि वज़ीर साहिब registration of animals के बारे में कोई अच्छी दलील देंगे। मगर खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात हुई है। उन्होंने ground यह बताई है कि चूंकि मवैशी चोरी हो जाते थे इस लिए उन की registration पंचायतों में होगी ताकि चोरियां बन्द हो जायें। मैं समझता हूं कि इस से चोरी बंद तो नहीं हो सकती, उन्होंने तो उल्टा चोरी करने का तरीका निकाल दिया है। जो भी आदमी चोरी का पशु लाएगा वह उसे register करवा लेगा और कहेगा कि यह मेरा है और बाद में उसे बेच लेगा। इस से तो बहुत सी गड़बड़ होगी। इसलिए वज़ीर साहिब ने जो ground पेश की है वह गलत है कि लोगों में पशु खरीदने और बेचने पर fees लगेगी। अगर register करवाने जाएंगे तब भी fee लगेगी। यह जनता के साथ बड़ी भारी बेइनसाफी और ज़ुल्म वाली बात है। इस के इलावा, स्पीकर साहिब, पंचायतें जो कुएं लगाएंगी उन से जो लोग पानी लेंगे उन के ऊपर water rate लगाया जाएगा। जो पानी लोग पहले मुफ्त भरते थे उस पर अब वज़ीर साहिब की मेहरबानी से tax लगाया जाएगा। यह सब बातें लोगों पर ज़ुल्म करने वाली हैं। मैं वज़ीर साहिब से गुज़ारिश करूंगा कि वह मेरी amendments मान लें इस से जनता का और इनका अपना फायदा होगा।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr Speaker : Motions moved—

In sub-section (1) (f) of proposed section 81, lines 4—7,

delete "bodies of animals not claimed by any person in accordance with any custom or usage"

In sub-section (2) of proposed section 81, line 4,—

for "ten, *substitute* "twenty-five"

In sub-section (1) of proposed section 82,—

delete parts (b), (c) and (d)

In sub-section (2) of proposed section 82,—

delete parts (iii) and (iv).

Chaudhri Inder Singh (Jind, General) : Sir, I beg to move—

In the proposed section 82(1), line 4,—

between "shall" and "impose" *insert* "with the approval of Gram Sabha"

स्पीकर साहिब, मेरी amendment इस proviso को एक तरह से delete करने के बारे में है और मैं यह proviso delete कराना चाहता हूं ।

"Provided that if the Gram Panchayat fails to impose the tax, duty or cess Government may take necessary steps to impose it and the tax, duty or cess so imposed shall be deemed to have been imposed by the Gram Panchayat :"

तो मैं इस proviso को इस लिए delete कराना चाहता हूं कि यह democracy के तमाम canons के खिलाफ है और उल्ट है । Democracy के अन्दर कोई भी टैक्स ऊपर से नहीं आना चाहिए और जो भी टैक्स लगे लोगों की मर्जी से लगना चाहिए। जब एक ग्राम सभा कायम की जा रही है और वह ग्राम सभा सारे सभा area के लिए general body होगी तो फिर जो भी टैक्स लगे उसकी approval से लगना चाहिए । यही democratic तरीका है । अगर हम ऊपर से कोई चीज़ impose करेंगे तो उस के consequences बड़े serious हो सकते हैं । इस लिए मैं यह अर्ज करूंगा कि हमें democratic ढंग से by persuasion, by conviction ग्राम सभा को यानी लोगों को बताना चाहिए कि यह जो cess, fee या टैक्स पंचायत लगाना चाहती है उस का कारण यह है कि हम यह पैसे गांव की बेहतरी के लिए और development के लिए लेना चाहते हैं और उनकी approval के साथ यह सारी बात होनी चाहिए । अगर इस तरह लगाएंगे तब तो बात ठीक है लेकिन अगर बगैर उनकी approval के हम ऊपर से ही कोई चीज़ उन पर लाद देंगे तो इस का कोई फायदा नहीं होगा और हम उनके sentiments को उल्टा bitter करेंगे । इस तरह करने से तो सारी पंचायती democracy फेल हो जाती है और rural self-Government का मकसद फौत हो जाता है । फिर अगर deadlock हो जाए कि पंचायत कहे कि हम टैक्स नहीं लगाते हैं और नहीं लगना चाहिए और गवर्नमेंट कहे कि नहीं ज़रूर लगाएंगे तो उस को किस तरह resolve करेंगे इस का कोई provision नहीं रखा है । इसीलिए मैं कहता हूं कि यह चीज़ ग्राम सभा

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी इन्द्र सिंह]

की approval से होनी चाहिए और यह proviso delete होना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि पंचायतों के resources वसीह हों और उसके लिए cess, levy, fee, taxes वगैरह लगें लेकिन यह ग्राम सभा की approval से लगने चाहिएं। अगर ग्राम सभा की approval से टैक्स लगाएंगे तो उसके ठोस नतायज निकलेंगे और पंचायत और लोगों के दरमियान bitterness पैदा नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस proviso को delete कर दें। वैसे भी कोई बात बनती नहीं है। अगर आप यह अख्तियारात दे दें। अगर Legislature कोई tax का कानून पास न करे लेकिन गवर्नमेंट कहे कि चाहे आप पास करें या न करें हम ज़रूर लगाएंगे और impose करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा तरीका बन जाए चाहे छोटे level पर या बड़े level पर तो उसके नतायज अच्छे नहीं निकल सकते और उस से कशीदगी ही बढ़ेगी। इसलिए मेरी अर्ज़ है कि इस proviso को delete किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved —

In the proposed section 82(1), line 4, —

between "shall" and "impose" *insert* "with the approval of Gram Sabha".

श्री मंगल सैन (रोहतक) : स्पीकर साहिब, इस समय धारा 12 पर विचार चल रहा है और मैं इस सम्बन्ध में दो तीन बातों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात यहां sub-clause (d) में कही गई है कि all donations पंचायत फंड में जाएंगी लेकिन यह नहीं बताया गया कि कौनसी donations पंचायत के अधिकार में रखी गई हैं। आया जो भी चंदे वगैरह वसूल होंगे वह सारे के सारे उनको जाएंगे यह बात समझ में नहीं आती है। फिर sub-clause (f) में कहा गया है कि जितना कूड़ा-किरकट पंचायत के मुलाज़िम इकट्ठा करेंगे और जो मृत पशु होंगे जिनको कोई claim नहीं करेगा उन सब से जो आमदनी होगी वह भी पंचायत फंड में जाएगी। आज तक जो प्रथा चली आती है गांव के अन्दर उसके मुताबिक जो खाद रूड़ी का काम करते हैं उनको ही इस सारे गंद का अधिकार दिया जाता है और वही उसके मालिक बनते हैं लेकिन यह पंचायतों को दे रहे हैं। यह प्रथा उसी तरह रहनी चाहिए। फिर, जनाब, इसी कलाज़ के भाग (g) में यह कहा गया है कि गांव में जितने भी जौहड़ हैं उनमें मछलियां पालने के ठेके दिए जाएंगे और उन से जो आमदनी होगी वह भी पंचायतों को जाएगी। मेरा निवेदन यह है कि मछलियां पालने का अधिकार देने और पालने से पहले ही कानून बना देना कि पंचायतों को आमदनी होगी इस का मतलब है कि हम जनता को मछलियां खाने के लिए direct नहीं तो indirect तौर पर encourage करना चाहते हैं। स्पीकर साहिब, यह चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए (हंसी) यह नहीं होना चाहिए। फिर आगे टैक्स लगाने के अधिकार की व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पहले ही बहुत ज्यादा taxes लगे हुए हैं अब नए नहीं लगने चाहिएं। इस में शक नहीं है कि पंचायतों का काम चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है लेकिन मैं कहूंगा कि सरकार ने जो इतने taxes अर्थात् passengers tax, water

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

tax, sales tax वगैरह वगैरह लगाए हुए हैं उन में से कुछ share पंचायतों को दें ताकि और टैक्स पंचायतों को लगाने की ज़रूरत न पड़े। फिर यह भी कहा गया है कि गांव में कोई चीज़ बेचने पर, gift में देने पर और mortgage करने पर भी उसकी proceeds की कुछ percentage ली जाएगी। इस प्रकार से पंचायतों को गांव की सारी जनता की जेब पर छापा मारने के अधिकार दिए जा रहे हैं। यह बिल्कुल अनुचित है पशुओं के बेचने के सम्बन्ध में भी कहा गया है कि इनको रजिस्टर करना चाहिए और उसकी फीस लेनी चाहिए और वह पंचायतों को मिलनी चाहिए। यह सब मजाक है जो यह करने चली है। आज पशुओं की registration करने लगे हैं तो कल को यह प्राणियों के पैदा होने पर और मरने पर भी टैक्स लगाएंगे और पैसे मांगेंगे। मुझे डर है कि घर से बाहर निकलने पर भी टैक्स न लगा दें। फिर कहा गया है कि मेलों वगैरह में जो दुकानें लगेंगी उन से भी पैसे लिए जाएंगे। आखिर कोई काम तो रहने देना चाहिए जो जनता खुले तौर पर कर सके। मैं कहता हूं कि हर बात में पाबन्दी और रुकावट न डालें यह पुरुष स्वभाव के विरुद्ध है। फिर कहते हैं कि जिन गांव में waterworks का प्रबन्ध होगा वहां पानी पर भी टैक्स लगेगा। मैं अर्ज़ करता हूं कि कोई चीज़ तो गांव में रहने दो जिस पर टैक्स न हो। हमारे गांव में कुओं से लोग आज तक पानी भरते आ रहे हैं मगर किसी सरकार ने टैक्स नहीं लगाया और पानी के पैसे नहीं लिए लेकिन यह सरकार और इस के मंत्री जो welfare State का दावा करते हैं और तालियों की गड़गड़ाहट में, पुष्प मालाएं पहन कर ऊंची एड़ियां कर कर के जयकारों की गूंज में गला फाड़ फाड़ कर कहते हैं कि लोगों की भलाई के लिए हम ने यह पद संभाले हैं लेकिन अब कहते हैं कि आपको पानी तब मिलाएंगे जब आप पानी का टैक्स देंगे। मुझे डर है कि यह लोगों का welfare करने का दावा करने वाली सरकार लोगों के खाने पीने और घरों से बाहर निकलने पर भी टैक्स न लगा दे।

स्पीकर साहिब, मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों को taxation के अधिकार देने उचित नहीं हैं। और कानूनी तौर पर हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि ग्राम पंचायतें टैक्स लगाने वाली agency कैसे हो सकती हैं। स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि जनता पहले ही टैक्स के बोझ से दबी हुई है। उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिये। बेचारे ज़मीदारों और छोटे दुकानदारों की कमर टैक्स के बोझ से पहले दबी हुई है और ऊपर से और टैक्स impose किये जा रहे हैं। हर तरह से जनता को परेशान किया जा रहा है। मैं इस बात की मुखालिफत करता हूं। टैक्स लगाने के अधिकार उन्हें नहीं देने चाहिएं।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੇ ਵਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਡੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਛੀਆਂ ਤੇ ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ programme ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਛਪੜ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ । ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਸਾਂ provision ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ dead animal ਨੂੰ claim ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ । Claim ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ custom ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ । ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ Regional Committee ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ protest ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਕਿਉਂ ਖੋਂਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹੋ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ claim ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਖੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ claim ਕਰੇ ਤਾਂ custom ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ claim ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਉਸ dead animal ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ water works ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਇਤ ਦਸ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ water works ਲਗਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ । ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਮੀਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਕੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ amount ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ । ਤਹਿ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਜਿਥੇ ਮੰਡੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ development ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਏ । ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ development ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ । ਪੁਛ ਗਿਛ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ । ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਟੈਕਸ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

provide ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

Mr. Speaker : Question is —

In sub-section (2) of proposed section 81, line 3, between "revenue" and "not" *insert,* —

"and water rate".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

In sub-section (2) of proposed section 81, lines 5-6, between "revenue" and "realized *insert,* —

"and water rate"

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

In sub-section (1)(f) of proposed section 81, lines 4—7, —

delete "bodies of animals not claimed by any person in accordance with any custom or usage".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In sub-section (2) of proposed Section 81, line 4,—

for "ten", *substitute* "twenty-five".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

In sub-section(1) of proposed section 82, *delete* parts (b), (c) and (d).

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

In sub-section (2) of proposed section 82, *delete* parts (iii) and (iv).

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

In the proposed section 82(1) line 4,—
between "shall" and "impose" *Insert* "with the approval of Gram Sabha"

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —
That Clause 12, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

6 p.m.

The motion was carried.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

CLAUSE 13

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : हमारे Principal Panchayat Act में जो provision की गई थी और जोकि 1952 से चली आ रही है हमारे वज़ीर साहिब उस को उड़ाना चाहते हैं। सन् 1958 की बात है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब बाहर कहींगए, उन्होंने पंचायत देखी और यह कहा कि हम पंचायत की unions को मज़बूत करेंगे, यह बड़ी अच्छी चीज़ है। Unions कामयाब होनी चाहिये। वहां तो यह कह कर आए कि unions को मज़बूत करेंगे लेकिन यहां पर unions को खत्म कर रहे हैं। इस सरकार के नेता public platform पर तो कुछ और कहते हैं लेकिन बाद में कुछ और कहते हैं। पता नहीं चलता कि इस गवर्नमेंट का क्या असूल है, किन असूलों पर कायम है, कौन क्या करता है। किसी वक्त तो चीफ मिनिस्टर साहिब की बात चल जाती है और किसी वक्त मिनिस्टर साहिब की बात चल जाती है । (*interruptions*) मैं joint responsibility को मानता हूं मगर चीफ मिनिस्टर क्यों ऐसी बात कहें अगर उन की बात मानी नहीं जाती तो यह क्लाज़ जमहूरियत के रास्ते में रुकावट डालती है। जो जमहूरी हक पंचायतों को मिला हुआ था इस क्लाज़ के ज़रिये उस हक को यह सरकार छीनना चाहती है। यह बड़ी ज्यादती है ऐसी बात नहीं करनी चाहिये और पंचायत की unions रहनी चाहियें।

चौधरी इन्द्र सिंह(जींद जनरल): अध्यक्ष महोदय, जो कुछ राठी साहिब ने कहा है मैं उस की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आप की मार्फत यह जानना चाहता हूं कि वह कौनसी वजूहात थीं जिन की बिना पर पंचायत यूनियनों के सिलसिले में जो सेकशन था उस को omit करने की ज़रूरत महसूस हुई। मेरा ख्याल है कि वज़ीर साहिब ज़रूर इस बात पर रोशनी डालेंगे। पंचायतों के कर्मचारियों के लिए एक democratic right था और मैं पूछने की जुरअत करूंगा कि वे बताएं कि कौन सी वजूहात थीं जिन की बिना पर पंचायत की यूनियनों को उड़ा दिया गया। चाहिए तो यह था कि इन unions को मज़बूत किया जाता ताकि वे इकट्ठे मिल कर पंचायतों की working के बारे में improvement करने की बात सोचते, जो shortcomings थीं उन को दूर करने की बात सोची जाती। लेकिन उलटा उन unions को उड़ाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं, कि वह कौनसी वजूहात थीं, इस बात पर वज़ीर साहिब रोशनी डालेंगे।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ*(ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ । 1952 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ Act ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ Thana Unions ਅਤੇ Tehsil Unions ਦੀ provision ਸੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ Union ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ Tehsil Union ਜਾਂ Thana Union ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇਕ ਬਿਲ introduce ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ block ਵਿਚ, ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਬਣੇਗੀ । ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਦੀ election ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਪੰਚਾਇਤ Unions ਉਪਰ ਤਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ provision ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ facility ਸੀ । ਉਹ ਫਕਤ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹੀ ਸਨ । ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦਫਤਰ provide ਕੀਤੇ ਹਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ facilities ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ Bill introduce ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ Regional Committees ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ unions ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ union ਦਾ ਲਫਜ਼ ਸੀ ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਰਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 13, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 14 AND 15

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 14 and 15 as reported by the Regional Committees stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 16

Chaudhri Dharam Singh Rathi (Sambhalka) : Sir, I beg to move —

Delete Sub-Clause (2).

मेरी amendment यह है कि क्लाज़ दो जो है उस को delete किया जाए। इस में कोई शक नहीं है कि जब सरपंचों से file मंगवाई जाती है, नकलें मंगवाई जाती हैं तो बाज़ दफा वे late भेजते हैं, यह बात ठीक है। लेकिन इतना सख्त कानून बनाना और इतनी hardship करना कि उन को remove किया जा सकता है ठीक नहीं है। यह बड़ी भारी ज्यादती है। हो सकता है कि मिसल मंगवाई जाए और सरपंच के पास हुक्म ही न पहुँचा हो तो उस सूरत में remove करना बड़ी भारी ज्यादती है। हो सकता है कि नकल की दरखास्त दी जाए और उस के पास पहुंचे ही न तो delete कर देना जुल्म होगा । मेरी amendment यह है कि इस क्लाज़ को किया जाना चाहिए।

Mr. Speaker : Motion moved —

Delete Sub-clause (2).

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਕਲ ਦਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਇਰਾਦਤਨ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ Executive instructions ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਕਲ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is —

Delete Sub-Clause (2).

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That clause 16 as reported by the Regional Committees stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 17

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 17, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 18

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 18, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 19 TO 24

Mr. Speaker : Question is —

That Clauses 19 to 24, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

(*Chaudhri Dharam Singh Rathi rose to speak*).

श्री अध्यक्ष : आप की amendment out of order है, वैसे आप बोल सकते हैं। (His amendment is out of order. However, he can speak on the clause.)

Sardar Umrao Singh (Nakodar 'General') : Sir, I beg to move —

In lines 6-7, —

Delete "make such provisions or"

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ Executive ਨੂੰ authority ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨੀ wide ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ legislature ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ defects ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ remedies ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ Acts ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ provision ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ instances ਵੀ quote ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ Extension Acts ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ emplications ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ Act ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ day-to-day working ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ Act Extension Act ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ clause ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ defeat ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ defects ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹ directions ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ amendment ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗੀ

Mr. Speaker : Motion moved—

In lines 6-7, —

Delete "make such provisions or".

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ amendment ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ (Does the hon. Minister accept this amendment ?)

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ clause 25 ਵਿਚ.........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ amendment official amendment ਹੈ ? (What I want to enquire is whether the amendment moved by Sardar Umrao Singh is an official amendment ?)

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਫਜ਼ ਕਢਣ ਦੀ amendment ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਇਸ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 6 ਐਕਟ ਇਸੇ Legislature ਦੇ ਔਰ ਦੇ Central Parliament ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ Extension Acts ਹਨ......(*Interruptions.*)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। (He may reply after Shri Rathi has spoken.)

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, जो बात clause 25 में दर्ज की गई है, यह एक अजीब सी बात है। आज इस किस्म का provision हमने किसी बिल में नहीं देखा, किसी Act में नहीं देखा। मेरे फाज़िल वज़ीर साहिब ने कल कुल Act का हवाला दिया था। स्पीकर साहिब वह Acts तो Extension Acts थे। उनका scope बिल्कुल limited है। और वह पास भी इस तरह से करवाए गए थे कि इन के पास होने से कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लफज़ कह कर बिल पास करवा लिए। लोक सभा, हिन्दुस्तान की किसी भी State Assembly या कौंसल में इस किस्म का कानून नहीं बना। हमारे वज़ीर साहिब किसी भी जगह की कोई मिसाल नहीं दे सकते। जिन Acts का उन्होंने हवाला दिया है, वह महज़ Extension Acts हैं और इस तरह का कोई उनमें provision नहीं है जैसा कि इस बिल की clause 25 में है। इसलिए, स्पीकर साहिब, यह बिल बिल्कुल unconstitutional है। कोई बिल ऐसे अख्तियारात को अफसरों के हाथ में नहीं देता जोकि सिर्फ Assembly exercise कर सकती हो। बिल को amend करने का खास procedure होता है और वह procedure हमारे rule में defined है। यह clause तो उन सभी rules और कायदों को रद करना चाहती है। गोया कि executive इस असेम्बली से भी supreme है। समझ नहीं आती कि इस किस्म के अख्तियारात गवर्नमेंट कैसे acquire करना चाहती है। स्पीकर साहिब, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम ने decentralisation of power करना है। बाहर जा कर ऐलान किए जाते हैं कि हम बड़ी radically decentralisation of power करना चाहते हैं लेकिन अमल में क्या हो रहा है ? कोई भी ऐक्ट, स्पीकर साहिब, आप उठा कर देख लें—हर किसी में कोई न कोई power किसी न किसी बहाने से सरकार ने अपने हाथों में लेने का यत्न किया। कभी टैक्स लगाने के, कभी जुर्माना करने के और इसी तरह लोगों पर एक के बाद दूसरी ज्यादती करने के अख्तियारात सरकार लेती जा रही है। इस धरती के ऊपर जितने अख्तियारात हो सकते हैं वह सब सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। वह इन्हें किसी दूसरी body को, legislature को, public के, representatives को, पंचायतों को नहीं देना चाहती। एक हाथ से अधिकार देते हैं और दूसरे हाथ से छीन लेते हैं। इस बिल की पहली clauses के अन्दर पंचायतो को कुछ अधिकार दिए गए, मगर clause 25 मे आकर सब को छीन लिया। इसमें आकर कह दिया कि गवर्नमेंट इस ऐक्ट की implementation में जो difficulty देखेगी वह बगैर असेम्बली को refer किए खुद दूर कर लेगी, sections के provision को तबदील कर लेगी और by notification ऐक्ट के अन्दर कोई भी तबदीली कर देगी। तो ऐसी हालत में, स्पीकर साहिब, बताएं कि बिल के अन्दर क्या रह गया जोकि आपने गांव वालों को दिया ? यह पंचायतों को अख्तियार नहीं दिए जा रहे बल्कि लोगों को, देहात वालों को रस्सी के साथ बांधने के अख्तियार गवर्नमेंट खुद अपने हाथों में ले रही है। यह तो सिर्फ एक बहाना है इन अख्तियारात को अपने हाथों में लेने का। लिहाज़ा मैं महसूस करता हूँ कि दफा २५ बिल्कुल

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

unconstitutional है, undemocratic है और यह कभी भी पास नहीं होनी चाहिए ।

ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਕਿਥੇ ਰਿਹਾ ? ਕੋਈ ਰਾਠੀ ਵਰਗਾ ਸਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ? ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਠ ਝੋਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ (*Laughter*) ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭੱਠ ਹੀ ਝੋਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ (*Laughter*) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਲ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 6 ਐਕਟ ਇਸੇ House ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2 ਐਕਟ Parliament ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਖਾਉ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ wording ਪੜ੍ਹਕੇ ਦਸੋ । ਮੈਂ wording ਵੀ ਪੜ੍ਹਕੇ ਸੁਣਾਈ । ਜਿਹੜੇ ਬਿਲ Parliament ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਸੇ ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ । ਜੇਕਰ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਸਲਨ ਉਥੇ ਨਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਿਆਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ instruction ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਪਰਾਪਤ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਕੋਈ unconstitutional clause ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ working ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜੇ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ working ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ amendment ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸ clause ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ delete ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ clause ਨੂੰ use ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਅਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ clause ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਇਹ clause ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ clause ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ clause ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Sardar Umrao Singh : Sir, in view of the assurance given by the hon. Minister, I beg to move for leave to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : No please. It cannot be withdrawn with any condition.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Question is —

In lines 6-7, --

Delete "make such provisions or".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 25, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is —

That Sub-Clause (1) of Clause 1, as reported by the Regional Committees, stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is —
That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Community Development (Sardar Gurbanta Singh) Sir, I beg to move —

That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, as reported by the Regional Committees and as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, as reported by the Regional Committees and as amended, be passed.

श्री मंगल सैन (रोहतक) : स्पीकर साहिब, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस के सामने इस समय यह बिल जो तीसरी stage पर है, इस पर मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मंत्री महोदय ज़िद से काम ले रहे हैं और हमारी सुविधाओं की अवहेलना कर रहे हैं। इस बारेमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर बहुत सी बातें बड़ी ख़तरनाक हैं जिन का परिणाम आगे चल कर बहुत बुरा निकलने वाला है। जैसा कि इस बिल में कहा गया है कि पंचायतों में महिलाओं को co-opt किया जायेगा। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे मंत्री महोदय ने एक संशोधन स्वीकार कर लिया है जिस के अनुसार महिलाओं को vote देने का अधिकार भी दिया जायेगा।

स्पीकर साहिब, मैं ने यह बात पहले भी कही थी और अब फिर कहता हूं कि election petition के सम्बन्ध में जो complainant होगा उस की जब petition fail होगी और जब उस के सारे charges false निकलेंगे

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

तो बजाये इस बात के कि उस की जो security जो उस ने जमा कराई हुई होगी वह पंचायत को मिलने की बजाए respondent को मिलनी चाहिये । मैं ने यह उस समय भी कहा था और इस समय फिर मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपया इस संशोधन को अब भी मान जाये । दूसरा मैं अदालती पंचायतों के बारे में, जिस की कोई भी jurisdiction तय नहीं की गई है कि कितने ग्रामों के लिये एक अदालती पंचायत बनेगी, यह निवेदन करना चाहता हूं । क्या वह एक तहसील के लिए एक बनेगी या एक ज़िला के लिए वह बनेगी ? इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि हमारी सरकार के मुखिया जो हैं उन की administration के कामों में दिन रात दखल देने की आदत सी बनी हुई है और कई लोग या अफसर सदा इन की हां में हां मिलाते हैं । हमें डर है कि वे सारे इन न्याय अदालतों के काम में भी कहीं दखल न देने लग जाएं । स्पीकर साहिब, यह बात कड़वी तो ज़रूर है लेकिन आज तक इस बारे में हमारा तजुरुबा यही है कि दखल दिया जाता है । इसलिये हमारें सन्देह को दूर करने के लिए यह तय करना बड़ा ज़रूरी है कि कितने ग्रामों के लिए एक अदालती पंचायत बनेगी ।

स्पीकर साहिब, जहां तक इस बात का ताल्लुक है जैसा कि इन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतों के निर्णनयों को कार्यान्वित करने के लिये यह voluntary force खड़ी करेंगे, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ी खतरनाक बात है जो इस बिल के अन्दर लाई गई है । जब कि सरकार के पास प्रान्त में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए इस की अपनी दूसरी agency मौजूद है तो पंचायतों के decisions को कार्यान्वित करने के लिए voluntary force के खड़े करने का तो यही मतलब हो सकता है कि यह strength के साथ अपने opponents को दबाना चाहते हैं और जिन लोगों की अवाज़ न हो यह उन्हें और दबाने का प्रयत्न इस बिल में किया गया है ।

इस के अलावा स्पीकर साहिब, सरकार ने एक अधिकार गरीब ग्रामीणों से tax लेने का इस बिल द्वारा और अपने हाथ में ले लिया है । पहले भी यह बहुत taxes उन से ले रही है जिन के कारण जनता पहले भी बड़ा हाहाकार कर रही है । इस के लिए यह और अधिकार लेना मुनासिब नहीं है । इसी तरह से इस में एक और clause देखने को मिलती है जिस के अनुसार सरकार ग्रामीणों से चन्दे इकट्ठे कर सकेगी । पहले भी हम देखते हैं कि हमारे देश निर्माण के नाम पर, उस्सारी के नाम पर और development के नाम पर आज चारों तरफ से सरकारी machinery small savings scheme के certificates के बेचने में लगी हुई है । पिछलें दिनों मेरे चुनाव क्षेत्र में मुख्य मंत्री साहिब एक उदघाटन करने गये थे । यह बड़ी खुशी की बात है कि वह इस समय हाउस में बैठे हुए हैं । उद्घाटन करने के पश्चात् वह एक सरमायेदार के हां जलपान करने गये थे । मुझे इस बात का गिला नहीं है कि वह क्यों किसी के पास चाये पीने गये थे । मेरे कहने का मतलब यह है कि उद्घाटन करना भी इनका रोज़ का काम है । मुझे इन की

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री मंगल सैन]

इस बात पर भी गिला नहीं । मैं ने तो यह निवेदन करना है कि लाखों बल्कि करोड़ों रुपये के ज़िला रोहतक में small savings scheme के तहत certificates जो बेचे गये हैं और इस में ईमानदारी की बात तो यह है कि वहां लोगों ने यह रुपये जो एक बार जमा करा दिये थे बाद में उन्होंने बैंक को सूद छोड़ कर अपने रुपये वापस ले लिये हैं । मैं जानता हूं कि वहां के Additional District Magistrates और B. D. O.s लोगों को बार २ यह कहते रहे हैं कि वह एक बार 50 हज़ार के small savings certificates खरीद लीजिए बाद में बेशक वह रुपये वापस ले लें । मेरे पास इस बात की documentary evidence थी और मैं वह यहां लाना चाहता था लेकिन किसी वजह से नही ला सका । मैं ने देखा है कि वहां के Additional District Magistrate लोगों को कहते रहे हैं कि चाहे पांच दिन के लिए रुपये जमा कर दें, करा ज़रूर दें, फिर बेशक निकलवा कर ले जाना । यहां पर बड़े अन्दाज़ से और बड़े अजीब ढंग के साथ मंत्री महोदय ने कहा कि national cause के लिए यह रुपया लेना है और कहा कि कहीं दो चार या पांच, गांव के बीच सड़क बनानी होती है, कहीं स्कूल बनाने होते हैं वगैरह २ ; जितनी मासूमियत के साथ वह यह कह रहे थे स्पीकर साहिब, इतनी मासूनियत इसके पीछे नहीं है। इसके consequences कुछ और होते हैं। इस तरह से पंचायतों की आमदनी से जबरदस्ती रुपया इन कामों के लिये ले लिया जायेगा । अगर सरकार ने कोई भी तामीर का काम करना हो, development का काम करना हो इस के लिए स्पीकर साहिब यह ज़रूरी है कि जनता के दिल में पहले इस बात की प्रेरणा होनी चाहियें कि वह इसे दिल से चाहती भी है या कि नहीं । यह तो वज़ीर साहिब को चाहिये कि वह देखे कि जनता जनारदन चाहती क्या है ? हम जनता के किसी काम में ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिये । मगर होता क्या है कि लोगों को मजबूर किया जाता है । फिर धारा 25 के अंदर उन्होंने जो अधिकार लिए हैं क्या उन से देश का किसी तरह से भला हो सकता है ? क्या इस तरह से कोई परिवर्तन आ सकता है ? आखिर में जो कुछ यह provide किया गया है क्या इस से महकमा में कोई दिक्कतें नहीं आयेंगी ? यह provision undemocratic है, इस से बढ़कर गलत बात दुनिया में नहीं हो सकती । यह ऐसा बिल है जोकि गलतियों से भरा हुआ है जिसे कि आखरी वक्त में जल्दी से पास करवाने की कोशिश की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष: आप खाह मखाह discussion को prolong न करें । पंचायतों के मुताल्लिक अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें । (The hon. Member should not unnecessarily prolong the discussion. If he wants to say something about the Panchayats he may do so.)

श्री मंगल सैन : मैं स्पीकर साहिब, आप के द्वारा मंत्री महोदय से यह बात अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि वह इसे वापस ले लें क्योंकि इस के अंदर बहुत सारे नुक्स रह गये हैं जो democratic असूलों के खिलाफ हैं । कई बातों की तरफ पहले काफी ध्यान दिलाया

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

जा चुका है और अब मैं दोहराना नहीं चाहता और इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई नेक राय दे तो उसे मान लेना चाहिए, हठ नहीं करना चाहिए। अपने साथियों की बात को मान ही लेना चाहिए। इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहिब, मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय मेरी बात ज़रूर मान जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : कलाज़ 1 की सब-क्लाज़ 1 में Punjab Gram Panchayat (Amendment) Act, 1959 ग़लती से छप गया है, क्या 1959 की बजाये 1960 की इस में दुरुस्ती कर दी जाए। (In Sub-clause 1 of clause I, it has been printed "Punjab Gram Panchayat (Amendment) Act, 1959". If the House agrees it may be corrected as "Punjab Gram Panchayat (Amendment) Act, 1960." (आवाज़ें) कर दें जनाब।

श्री मंगल सैन : On a point of order, Sir. निवेदन यह है कि मैं ने एक privilege motion का नोटिस दिया था मैं जानना चाहता हूं कि इस का क्या बना है? (*Interruptions*)

श्री अध्यक्ष : सारा दिन तो आप चुप रहे, अब ख्याल आया है privilege motion का। It is too late now. (The hon. Member kept silent on the subject through out the day but now he has thought of moving his privilege motion. It is too late now.)

श्री मंगल सैन : यह किसी वक्त भी move की जा सकती है।

Mr. Speaker : No, I cannot allow it now.

चौधरी इन्द्र सिंह (जींद, जनरल) : जनाब स्पीकर साहिब, इस House में clause by clause discussion करते हुए, जो बातें वज़ीर साहिब के notice में आईं, उन का इन्होंने जवाब दिया। इस बात पर मुझे बड़ा अफसोस है कि जो भी जायज़ बातें उन के सामने रखीं उन को इन्होंने नहीं माना है। अब मैं थोड़े से अर्से में, आख़री मरहले पर यह जानते हुए भी कि बिल ने पास तो हो ही जाना है और यह कानूनी शक्ल अख्तियार करेगा ही, जो जो खामियां हैं उन की तरफ आपकी मारफत तवज्जुह दिलाने की आख़री बार कोशिश करूंगा। स्पीकर साहिब, इन का मनशा यह है कि पैप्सू का पंचायत राज खत्म करके पंजाब के ग्राम पंचायत ऐक्ट के अन्दर कुछ अदला बदली करके एक unified law बनाया जाये। हमारे सूबे के अन्दर community development के सिलसिले मे चंद एक development proposals हमारे सामने हैं। वज़ीर साहिब मुताल्लिका ने इस के मुताल्लिक एक Bill इस House में circulate किया। Rural programme के सिलसिले में इस तरह की legislation लाना कोई अच्छी बात नहीं है। राजस्थान और कैरल के अंदर इस तरह के Bill circulate हुए हैं मगर वह कुछ और शक्ल में आये हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि जो कुछ House के सामने पेश करने की कोशिश की है इस का मकसद क्या है। सभा area 500 तक आबादी का होगा और इस के ऊपर

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी इंद्र सिंह]

ग्राम सभा कायम की जायेगी और इस के आगे पंचायत होगी, जो elected होगी जिस के 5 से लेकर 9 मैम्बर होंगे । हरिजनों के लिए reservation होगी और executive की एक औरत मैम्बर भी होगी। हरिजनों की reservation 26 फरवरी 1970 तक है । औरतों का आगे लाना एक बहुत अच्छा feature है और इस के लिये मैं वज़ीर साहिब को मुबारिकबाद देता हूं । मैं समझता हूं कि इस तरह से औरतों को आगे लाने से दर हकीकत लाभ होगा । मैं इस के लिए वज़ीर साहिब को दाद देता हूं । औरतों को आगे लाने से उनका social status बढ़ेगा । समाज के अंदर काम करने की उन में शक्ति बढ़ेगी । आज़ाद हिन्दुस्तान के अन्दर यह एक बहुत ही अच्छी बात है ।

मगर एक और बात जोकि मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल के अंदर पुरानी खामी को बरकरार रखने की कोशिश की गई है । वह है पंच और सरपंच को remove करने का provision । इस में यह है कि removal के वक्त Director of Panchayats की approval लेनी होगी । इस तरह के अगर अख्तियारात दिये गये तो इस से power की decentralisation नहीं होगी यह तरीका power देने का नहीं, बल्कि छीनने का है ।

इस के इलावा अगर हम इस की removal की proviso को लेते हैं, पंच या सरपंच के remove करने की, तो इस का मतलब यह है कि ऐसी तजवीज़ें 2/5 majority, Director की approval के लिये भेजेंगी, अगर किसी का असरो रसूख हो तो हो सकता है कि उस को approval न भी दी जाये। इस तरह ग्राम सभा के अंदर deadlock पैदा होने का अंदेशा हो सकता है । इसी तरीके से सभा की दो meetings हुआ करेंगी । एक तो सावनी के बाद जिसमें बजट proposal consider होगी और एक हाड़ी के बाद जिसमें development के काम और पंचायत की working के बारे में विचार होगा । तो इस clause में बजट की proposal जो है वह director पर छोड़ दी गई है । मैं समझता हूं कि यह चीज़ भी पंचायतों के पास ही रहती । क्योंकि यह un-democratic तरीका हो जाएगा । मैं यह समझता हूँ कि महकमा की तरफ से तो किसी किस्म की opposition नहीं होनी चाहिए और न कोई inter-ference ही होनी चाहिए । क्योंकि interference से पंचायतें flourish नहीं कर सकती । इस में एक और proviso है जिसकी बाबत मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसके तहत जबरी तौर पर tax के बारे में पंचायत को हुक्म मिलेगा कि अगर तुम टैक्स नहीं लगाते तो हम लगाते हैं और यह टैक्स वैसा ही होगा जैसा तुम नहीं चाहते । इसके मानी यह होगा कि पंचायतों के साथ एक बड़ा भारी धक्का होगा । क्योंकि अगर उन्होंने सारे गांव को tax लगाकर displease किया तो वह oust हो जाएँगे और सरकार की मंशा जो पंचायतों के ज़रिये लोगों में initiative पैदा करने की है, वह फौत हो जाएगी । उधर लोगों की displeasure पंचायत incur करेगी,

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

पंचायत और इधर महकमे से टक्कर हो जाएगी। तो फिर काम कैसे चलेगा। इसलिए imposition नहीं होनी चाहिए ।

अगर 1953-54 के figures रक्खूं तो पता चलेगा कि taxation बकाया रह जाता है। और 1953-54 में जो बकाया था वह 19 लाख था। 1954-55 की जो Taxation Committee की report है उसमें लिखा है कि imposition की policy बिल्कुल undemocratic है । उसमें लिखा है :—

> "This is due to the fact that direct taxes are irksome in nature and panches are, therefore, reluctant to enforce recovery of those taxes imposed by Panchayats for fear of becoming unpopular. The arrears of taxes imposed by the Panchayats are, therefore, on the increase."

यह 1954-55 की बात है। 1953 में यह सारे arrears की तादाद बढ़ के 40 लाख हो गई। और उसको recover करने के लिए सन् 1959 में D.P.O.s ने उन्हें recover करने की कोशिश की, फिर भी नताइज उलट निकले। हालांकि गाँव के लोगों की कुड़कियाँ हुईं और तहसीलों में और अदालतों में बुलाया गया। यह सब कुछ तो हुआ लेकिन report ने कोई नतीजे बरामद नहीं किए। वह नतीजे यह हो सकते हैं कि एक तो flat rate के basis पर हाऊस टैक्स न लगे क्योंकि गाँव में अमीर ग़रीब दोनों ही रहते हैं। और इतने depressed लोग भी हैं कि जिनकी paying capacity नहीं होती। इसलिए अगर flat rate पर टैक्स लगता रहा, तो arrears बढ़ते चले जाएंगे। इसमें मेरा कहना यह है कि paying capacity पर टैक्स लगाया जाए। और बजाए इसके कि imposition of tax उनके ऊपर किया जाए उन्हें by persuasion इस बात को सिखाया जाए कि टैक्स उन्ही की बहबूदी के लिए उनसे लेना चाहते हैं।

पिछले साल National Council of Local Self-Government की मीटिंग हैदराबाद में 22—25 October को हुई। और उसमें उन्होंने महसूस किया कि paying capacity पर टैक्स लगना चाहिए। और यही मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि यह चीज़ देखी जानी चाहिए।

मुहतरिम स्पीकर साहिब, अदालती पंचायतों के बारे में Law Department ने कोई विचार नहीं किया और सोचने की कोशिश नहीं की। मैं इसको साफ़ करना चाहता हूं कि Local Self-Government के अन्दर एक ऐसा अदारा है जिसने कुछ ऊँचे level पर इंसाफ देना है। और उस अदारे में कुछ पढे-लिखे लोग होने चाहिएं। उसके लिए न तो कोई Jurisdiction मुकर्रर की गई और न कोई qualifications या disqualifications रखी गई। सिर्फ power दे दी गई। उस group of Panchayats के elected representatives को; लेकिन यह कहीं नहीं दिया गया कि उस group of Panchayats को आप कहाँ से छाँटेंगे।

Original with; Punjab Vidhan Sabha Digitized by; Panjab Digital Library

[चौधरी ईंद्र सिंह]

इस के लिए कोई manner prescribe नहीं, कि ज़िला से, तहसील से या गांव के किसी group से। schedule 'B' में अदालती पंचायतों का jurisdiction मुकर्रर नहीं किया गया सिर्फ group of Panchayats का लफ़ज़ लिखा गया। यह नहीं बताया कि वह कौन सा group होगा। जिले का होगा, तहसील का होगा या कैसा होगा। इस बात को भी clear करना चाहिए। इस के इलावा यह कहा गया है कि group of Panchayats के जो पंच होंगे वह Adalti Panchayats के लिए direct voting से पांच पंच elect कर लेंगे और वह फिर अपना सरपंच चुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वह पांचों ही ग्राम पंचायतों के सरपंच हों और उन में से एक आदमी जो कि ग्राम पंचायत का भी सरपंच हो वहीं Adalti पंचायत का सरपंच बनेगा। यानी वह दोनों पंचायतों का सरपंच बन जाएगा। मैं वज़ीर साहिब से कहूंगा कि वह इस बात को clear करें कि एक ही आदमी दोनों पँचायतों का sarpanch बन सकता है। यह बात सोचने की है। इस के इलावा वज़ीर साहिब ने जवाब देते वक्त यह कहा था कि सड़कें, स्कूल या और इस तरह की चीज़ें जो बनती हैं वह charitable और national cause बन जाता है। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं रखता। स्कूल और सड़कों का provision पहले ही उस में है। इस provision के मुताबिक charitable और national cause वह है, which is sponsored and approved by the Government। मेरी निगाह में तो भूदान योजना और Bharat-Sewak Samaj भी national charitable cause हैं। Bharat Sewak Samaj की किस्म की और कई संस्थाएं हैं जिन्हें national charitable institution कहा जा सकता है। लेकिन अगर पंचायतों से इस नाम पर पैसे लेने हैं तो मैं समझता हूं कि यह उनके साथ बड़ा भारी **धक्का** है। Government को चाहिए कि जो मामला बढ़ाती है या जो आबियाना वसूल करती है उस का हिस्सा पंचायतों को दे ताकि वह development ज्यादा कर सकें। पिछले दिनों जब land consolidation का Bill पास हुआ था तो उस के अंदर यह pass हुआ था कि ज़मीन peasant proprietors की ली जाएगी। जब ज़मीन लोगों की ली जानी है तो फिर आबियाने का हिस्सा irrigators को मिलना चाहिए था ताकि वह अपने मोघे पक्के करवा सके और irrigation के लिए facilities पैदा कर सकें। इस Bill में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन को आबियाने का हिस्सा दिया जाएगा। इस में सिर्फ यही है कि उन को 10 प्रतिशत मामले में से दिया जाएगा। बाकी States के अंदर किसी जगह 50 प्रतिशत पंचायतों को दिया जाता है और किसी जगह 60 प्रतिशत दिया जाता है मगर यहां पर हमारी Government 25 प्रतिशत करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर Government Revenue का 50 प्रतिशत भी पंचायतों को दे देवे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। वह सारी रकम $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपए के करीब बनेगी। यह कोई बहुत बड़ी रकम

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

नहीं है जिस से Government को कोई फर्क पड़ सकता है। स्पीकर साहिब, इस की बजाए Government पंचायतों से national charitable cause के लिए रुपया लेना चाहती है। इस का नतीजा यह होगा कि पंचायतों के funds या भारत सेवक समाज को चले जाएंगे या Red Cross को चले जाएंगे और देहातों की तरक्की रुक जाएगी। इस किस्म की जो खामियां हैं इन को सरकार मानती नहीं। नहीं मानती तो न मानें, लेकिन हमारा यह फर्ज़ है कि हम इन के notice में लाएं।

इस के इलावा स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो पटवारी हैं उन का दिन रात देहातों के लोगों के साथ वास्ता रहता है। सब जानते हैं कि वह कई किस्म की खराबियां भी करते हैं। इस Act में पंचायतों को अख्तियार देना चाहिए था कि अगर कोई पटवारी खराबी करे तो पंचायत उस के खिलाफ कुछ action ले सके। यह चीज़ बहुत ज़रूरी थी जोकि इस Act में नहीं है। पटवारी तो एक तरफ रहे, मैं चौकीदारों की ही मिसाल देता है। वह तनखाह पंचायतों से लेते हैं लेकिन उन पर administrative control Deputy Commissioner का होता है। अगर कोई चौकीदार काम ठीक न करे और पंचायत उस के खिलाफ report करे तो उस की कोई परवाह नहीं की जाती। इसलिए वहां पर काम ठीक नहीं चलता। इसके इलावा जो Canal Drainage का Bill आ रहा है उस में Government ने cuts और breaches वगैरह को देखने के लिए advisory committees बनानी हैं। वह बात तो अच्छी है लेकिन उन का भी misuse हो सकता है। इस लिए मैं suggest करूंगा कि अगर वह अख्तियारात पंचायतों को दे दिए जाएं तो ज्यादा इनसाफ हो सकता है और जल्दी पता लग सकता है कि आया पानी को किसी ने खुद तोड़ा है या वैसे ही breach हुई है। यह power तो Government उन को देती नहीं मगर यह अख्तियार उन को दे दिया है कि water-logging को रोकने के लिए अगर लोगों को बुलाया जाए और वह न आएं तो उन पर जुरमाना लगा दिया जाए। एक यह अख्तियार दिया गया है कि dangerous किस्म के जितने काम हैं पंचायत उन को regulate करे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई rules में provision नहीं है, कोई कायदा नहीं है तो वह किस तरह regulate करेंगे। आखिर में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हरिजनों की बस्तियों की सफाई के लिए या उन की सेहत वगैरह का बन्दोबस्त करने के लिए इस में special provision होना चाहिए था। यह बात मैं हरिजनों को खुश करने के लिए नही कहता। बल्कि इस लिए कहता हूं कि देहातों के अंदर जो हरिजनों की आबादी है वह काबिले रहम और काबिले इमदाद है। उन लोगों की देहातों में कोई परवाह नहीं की जाती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस में यह special provision किया जाए और पंचायतों की duty लगाई जाए कि वह हरिजनों की सफाई और उन की सेहत का बंदोबस्त खास तौर पर करे। इस के इलावा co-option के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि Government के पास वह कौन सा तरीका होगा इस Bill के मुताबिक जिससे यह पता लगाया जा सके कि फलां गांव की औरत जो है

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी इंद्र सिंह]

वह काबिल है और पंचायत के काम को ठीक तरह से कर सकती है। वह कौन सी agency है आप के पास जिस के जरिए आप पता लगा सकें कि फलां फलां औरत co-option के काबिल है। इस के साथ ही अगर हरिजन मुनासब तादाद में न आ सके तो फिर किस agency के ज़रिए यह पता लगाया जा सकेगा कि फलां हरिजन काबिले एतमाद है और काम करने की intelligence भी रखता है। इस चीज को clear करना चाहिए वर्ना executive इस चीज़ को नाजायज़ इस्तेमाल करेगी। इन सब खामियों को मद्देनज़र रखते हुए मैं Government से गुज़ारिश करूंगा कि वह integrated form में इस सारी चीज़ को लाए ताकि सारा काम एक ही तरीके से चल सके। मैं चाहूंगा कि वज़ीर साहिब इन बातों की तरफ ध्यान दें और इन का जवाब दें।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इस में कोई शक की गुंजायश नहीं कि इस की कलाज़ें पास हो चुकी हैं और अब यह पास होने जा रहा है लेकिन मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि इस पर किस तरीके से अमल होना चाहिए और इस में क्या खामियां रह गई हैं। एक तो इन्होंने यह पास कर दिया है कि औरतों को vote देने का हक होगा। इस चीज़ पर अगर आप अच्छी तरह से गौर करें तो आप को पता लगेगा कि जो हक यह समझते हैं दे दिया, वह दरअसल मिला नहीं है क्योंकि इन्होंने number of Panches में कोई तबदीली नहीं की है। अगर तो election में आ जाएंगी तब तो ठीक है उसी number में आ जाएगी, लेकिन नहीं आऐंगी तो फिर किस तरह लेंगे, क्योंकि number of Panches तो वही रहेगा, उसमें तबदीली नहीं की है। जनाब इन्होंने अपनी यह हसरत तो पूरी कर ली है कि हम ने vote का हक दे दिया है लेकिन असल में पूरी नहीं होती है, और उनको कोई हक नहीं मिलता है। दूसरे यह कहते हैं कि चेयरमैन का चुनाव सीधे तरीके से करेंगे। उस के लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि दफा 25 में जो आपने अख्तियार लिया है उसके मुताबिक कोई ऐसा procedure adopt करें और rules में ऐसा provision करें कि जिस से गांव में काम चल सके और पंचायत में जूतोपैज़ार न हो, यानी deadlock न हो। यह न हो कि सरपंच या चेयरमैन कहे कि गांव के अन्दर ऐसा होना चाहिए और पंच कहें कि ऐसा होना चाहिए, पंच कुछ कहें और सरपंच कुछ कहे और दोनों की न बन सके। इस चीज़ को हल करने के लिए और रोकने के लिए rules में कोई provision ज़रूर करें क्योंकि यहां तो कुछ नहीं किया है। स्पीकर साहिब, मैं क्या बताऊं वज़ीर साहिब इन बातों को समझते ही नहीं हैं जो मैं कह रहा हूं (हंसी) मुझे याद है कि जब हमारे यह वजीर साहिब ज़िला कांगड़ा में पंचायतें देखने गए तो वहां कहीं इनकी गाड़ी खराब हो गई इन्होंने D. C. को telephone किया कि मेरी गाड़ी तो खराब हो गई है..........

7 p.m.

श्री अध्यक्ष : इसी लिए ही आपने यह time लिया है कि irrelevant बातें करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो बदमज़गी होगी और मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

दूंगा । आप खाहमखाह discussion को लम्बा कर रहे हैं । (Did the hon. Member get this time merely to say irrelevant things ; If he indulges in such irrelevant talk, it will create unpleasantness and I will not allow him to speak like this. The hon. Member is unnecessarily trying to prolong the discussion.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, मैं सिर्फ दो तीन मिनट लूंगा और मैं कोई लम्बी बात नहीं कहूंगा । मेरी discussion को लम्बा करने की कोई intention नहीं है और मैं यह बात मुख्तसर में बताता हूं । तो यह जब ज़िला कांगड़ा में गए तो इनकी गाड़ी खराब हो गई । वहां इन्होंने D. C. को टैलीफोन किया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है इस लिए मेरी transportation का इन्तज़ाम करो.......

Mr. Speaker : I must say that you are completely irrelevant. Please tell me what relevancy it has got with this Bill, you are totally irrelevant and you should resume your seat now. I' you want to say something relevant you may have twenty minutes instead of two minutes but I will not allow you to speak irrelevant like this.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, मैं बिल्कुल relevant बोलूंगा और अगर आप चाहेंगे तो मैं एक मिनट में ही खत्म कर दूंगा । (आवाज़ें—अभी बैठ जाओ) मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो taxation के अख्तियारात दिए गए हैं, यह बहुत ज्यादा हैं और यह नहीं दिए जाने चाहिए । मैं ने वज़ीर साहिब को बहुतेरा समझाने की कोशिश की, कि यह अख्तियारात ठीक नहीं हैं, लेकिन वह क्या समझें इन बातों को (हंसी) ऐसे अख्तियारात ले रखे हैं जो असैम्बली को हैं । मैं कहता हूं कि यह ठीक चीज़ नहीं है । फिर इन टैक्सों को खर्च करने का कोई procedure नहीं बताया कि कैसे होगा, और क्या तरीका होगा । इन की समझ में यह बात भी नहीं आई कि कोई इसके अन्दर कलाज़ ही बना दी जाए कि इस के लिए rules बनाए जाएंगे, फलां के लिए यह rule होगा funds के लिए यह procedure होगा वज़ीर साहिब भी क्या करें वह बिचारे इन बातों को क्या समझें । उन को तो सिर्फ यही बातें आती हैं कि भाड़ झोंकते रहे और मैंने जो transportation की बात की उसको भी नहीं समझे तो इन बातों को क्या समझेंगे । Removal के बारे में जो अख्तियारात दिए गए हैं वह बहुत ज़्यादा हैं और यह नहीं मिलने चाहिएं क्योंकि यह नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल होंगे । फिर जो हटाने की procedure रखी गई है वह भी गलत है और नाकाबिले अमल है । मैं भी यह बात कहता हूं कि अगर कोई पंच या सरपंच खराबी करता है, misconduct करता है और अगर गांव की majority का उस पर confidence नहीं रहता है तो वह ज़रूर हटना चाहिए, लेकिन उसके लिए इन्होंने यह procedure रखा है कि ग्राम सभा की 2/3 majority remove कर सकती है । अगर यह procedure रखते कि 2/3 majority of the members of the Sabha present हटा सकती है तब तो ठीक था लेकिन मैं यह अर्ज़ करूंगा कि सारी ग्राम सभा की 2/3 majority कभी इकट्ठी नहीं हो सकती है । इस

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

तरह तो वह remove ही नहीं हो सकेगा । मैं कहता हूं कि यह provision redundant है और यह कमी नहीं हो सकेगा । अगर यह लिख देते कि 2/3 majority of the members of the Sabha present", तब तो हो सकता है लेकिन जो इन्होंने provision रखा है उस पर कभी अमल नहीं हो सकेगा । तो आखिर में जनाब मैं एक मिनट में यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो इतनी वसीह powers ली हैं उनको misuse न करे और political basis पर कोई फैसले न हों । यह जो charitable institutions and national causes वाली बात आपने रखी है इस का misuse न हो । इस के बारे में मैं कहूंगा कि अगर national causes से आपका मतलब स्कूलों से है तो उस के लिए आपको यह provision करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग खुदबखुद लाखों रुपए इकटठे करके दे देते हैं और ज़मीनें दे देते हैं और देते आ रहे हैं । लेकिन मेरी अर्ज़ है कि यह जो आप stadiums वगैरह बना रहे हैं इन पर और पंचायत घरों वगैरह पर यह रुपया खर्च न हो । इसलिए मैं कहूंगा कि ज़बरदस्ती किसी से fund न लिया जाए । अगर कोई पंचायत मर्ज़ी से देती है तो लिए जाएंगे । एक तो मैं यह assurance चाहता हूं । दूसरे यह कि किसी भी मामले में चाहे taxation का हो या और हो उस में जबरदस्ती नहीं होगी और सब काम लोगों की मर्ज़ी से होगा । इन अलफाज़ के साथ मैं खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन बातों का ख्याल रखा जाएगा ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ(ਨੂਰ ਮਹਿਲ): ਜੋ ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵੀ ਬਣਨੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ opposition ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਜਣ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2-4 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਕਰ ਕੇ opposition ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ feudalism ਤੇ ਪੂਰਾ control ਰਖ ਸਕਣ । ਇਹ ਸਜਣ rural economy ਨੂੰ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਉਠਣ ਦੇਂਦੇ । ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ democratic decentralisation ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੀਆਂ progressive ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਸ legislation ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ progressive legislation ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ inferiority complex ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਸਜਣ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ confused brain ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 3/4 ਆਦਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ । Decentralisation ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ powers ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਧਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ । ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ inferiority complex ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ social status ਨੂੰ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ complete decentralisation ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ powers ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ vest ਹੋਣਗੀਆਂ—ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ । ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ pattern ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ) : ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ clause by clause ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਤ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ । ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਨੇ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ volunteers ਬਨਾਉਣ ਲਗੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ । ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਇਕਠਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਿਲ ਵਖਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ link ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਮ ਏਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਮ ਏਤਮਾਦ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਕਈ ਦਫਾ ਜਾਹਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ no-confidence motion ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਿਤੇ provide ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ । ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ approval ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ । ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛ ਲਿਆ ਕਰਨ ।

ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ flat rates ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ provide ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]
ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਏ । ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ exempt ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । 1952 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ provision ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ । ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬੜੇ ਸੁਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ drafting ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ drafting ਭੈੜੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਭੈੜੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਕੜੀ ਕੰਧ ਉਤੇ ਕਿਰਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਲੀ ਮਕੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਕੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਛਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਉਣ ਲਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਕੜੀ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਛਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ ।

Mr. Speaker : Question is —

That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, as reported by the Regional Committees and as amended, be passed.

The motion was carried. (*Cheers*)

QUESTION OF PRIVILEGE

श्री अध्यक्ष : श्री मंगल सैन ने एक Privilege* motion दी थी लेकिन वह proper वक्त पर खड़े नहीं हुए। इस के बारे में relevant rule 269 of the Rules of Procedure है जो मैं पढ़ना चाहता हूं।

---

*Shri Mangal Sein, M. L. A., to ask for leave to raise a question of privilege, namely, the Chief Minister while reading a statement in the Punjab Vidhan Sabha yesterday said that while a Committee for investigation corruption charges will be establihsed at the State level, such a Committee at the District level will also be constituted consisting of D.C., S.P., and the Legislators known for integrity.

The Chief Minister has cast an aspersion on the dignity of the Legislators by using the words "Legislators known for integrity'. Therefore, I move this privilege motion.

"A member wishing to raise a question of privilege shall give in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day of the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document".

In this case, the notice given by the Member is not accompanied by the document.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Rule 271(1) is as follows —

"The Speaker if he gives consent under Rule 268 and holds that the matter proposeed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the List of Business is entered upon, call the member concerned who shall raise in his place."

At the proper stage, I looked round but the hon. Member was not present in the House.

Later stage में मैम्बर साहिब ने तकरीरें कीं और यकदम इन्हें ख्याल आया कि उन्होंने एक privilege motion दी हुई है। लेकिन वह serious नहीं थे।

The question was sought to be raised at a very late stage. Besides the notice is not accompanied by a document. Under the circumstances I am sorry, I cannot give my consent to the hon. Member to raise a question of privilege.

(Shri Mangal Sein had raised a question of privilege but he did not rise to move it at a proper time. In this connection there is a relevant rule 269 of the Rules of Procedure which reads this —

"A member wishing to raise a question of privilege shall give in writing to the Secretary before the commencement of the sitting on the day of the question is proposed to be raised. If the question raised is based on a document, the notice shall be accompanied by the document".

In this case, the notice given by the Member is not accompanied by the document.

Rule 271(1) is as follows :—

"The Speaker if he gives consent under Rule 268 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the List of Business is entered upon, call the member concerned who shall rise in his place."

At the proper stage, I looked round but the hon. Member was not present in the House.

At a later stage the hon. Member delivered speeches and all of a sudden he recollected that he had given notice of a privilege motion. But he was not serious about it.

The question was sought to be raised at a very later stage. Besides the notice is not accompanied by a document. Under the circumstances, I am sorry, I cannot give my consent to the hon. Member to raise this question of privilege.)

BILL

THE NORTHERN INDIA CANAL AND DRAINAGE (PUNJAB AMENDNENT) BILL, 1960

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move —

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[Minister for Irrigation and Power]

स्पीकर साहिब, यह एक बड़ा अच्छा बिल है । Northern India Canal and Drainage Act 1873 में इस बिल के ज़रिए एक इन-कलाबी provision लाया गया है। उस ऐक्ट के sections 33–35 के मातहत Divisional Canal Officers को अख्तियारात हैं कि अगर canal में breaches हो जाएं तो उन को cut treat करके उस के पानी के लिए irrigators पर तावान डाल सकते हैं, penalty डाल सकते हैं। देखा यह गया है कि यह powers arbitrary तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। नतीजे के तौर पर irrigators को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। महकमा नहर के अमले से जब कोई ग़लती हो जाती है और उस की वजह से नहर में कोई breach हो जाती है तो उस की जिम्मेदारी अपने ऊपर न डालते हुए Canal के Divisional Officers उस को cut treat करते हैं और उनका खमयाज़ा मासूम irrigators को भुगतना पड़ता है। इस छोटे से बिल के ज़रिये एक advisory committee बनाई जानी मतलूब है जिस के Non-official members की तादाद पांच होगी। यह तजवीज़ किया गया है कि Advisory committee के फैसले के खिलाफ canal officers को किसी breach को cut treat करने का अख्तियार नहीं होगा। अगर उन दोनों की राए में कुछ difference हो तो केस Commissioner के पास जाएगा। अगर advisory Committee की राए के साथ कमिश्नर agree करे तो फैसला कर सकता है वरना फाईल को गवर्नमैंट के पास भेजना पड़ेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस के हर section की तरफ से इस छोटे से बिल को welcome किया जाएगा और बिना किसी लम्बी चौड़ी बहस के इस को पास किया जाएगा।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

ਸਰਦਾਰ ਅਛੱਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ canal officers ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ । ਮੈਂ ਹਰ ਬਜਟ Session ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਈ deputation ਵੀ ਮਿਲੇ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ canal area ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ arbitrary powers ਨੂੰ ਬੜਾ missuse ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ it is better late

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

than never । ਜੇ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ credit ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਜੱਟ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ credit ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ cabinet ਦੀ joint ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ credit ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ amendment ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਬੜਾ perfect ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ powers ਦਾ misuse ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਤਿਬੜੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਟੁਟ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਗਾਹਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਣਕ ਦੇ ਬੋਹਲ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਟੁਟ ਗਈ । ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਖਰਾਸ ਡੁਬ ਗਏ, ਅਨਾਜ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ, । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ । ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਤਾਵਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤਾਵਾਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਤੋੜੀ ਹੈ । ਕੀ ਗਲੀਆਂ ਸਿੰਜਣੀਆਂ ਸਣ ? ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ । ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ amendment ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' (ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ-ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਅਤੇ deputations ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀ Revenue Agency ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਮੁਰਬੇ ਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ignore ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਰ ਬ੍ਰੀਚ ਨੂੰ cut ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ suffer ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਜਿੰਨਾ ਆਬਿਆਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਭਾਂਵੇ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਿਲ ਲਿਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ cut ਜਾਂ breach ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ comprehensive Bill ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ arbitrary powers ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ check ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ]

ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਨਹਿਰ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤਾਵਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਚਿਬੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਬੋਹਰ branch ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਾਵਾਨ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਦਿਨ ਉਥੋਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਰਲਾਂਗ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉਪਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਪਰ ਮਹਿਕਮਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਿਤਾ। ਚਿਬੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਉਪਰ ਤਾਵਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਤਾਵਾਨ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ breach ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ cut treat ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਾਵਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ canal officers ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਲਟੇ ਚੋਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ supervisors ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ cut treat ਕਰਕੇ ਤਾਵਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਉ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Advisory Committee ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ political pressure ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਰਖੇ ਜਾਣ। Political point of view ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਖੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ non-official members ਰਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਹਲਵਾਹਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾ ਰਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਬਲਕਿ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਅਤੇ practical farmers ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਿਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ relief ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਗੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : स्पीकर साहिब, राम्रो साहिब ने जो बिल पेश किया है सचमुच

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

यह स्वागत के काबिल है । लेकिन इस में एक बात का और विचार करना चाहिए । मेरा ख्याल है कि मन्त्री महोदय उस पर विचार करके मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेंगे । स्पीकर साहिब, महकमा नहर हमारे ग्रामीण जीवन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रखता है और उसका वहां पर एक महत्वपूर्ण स्थान है । जिन क्षेत्रों में भगवान की कृपा से वर्षा कम होती है या भगवान की कृपा भलीभांति नहीं होती वहां पर महकमा नहर एक ऐसा जरिया है जिस की सहायता और सहयोग से अनाज पैदा किया जा सकता है और उन क्षेत्रों के निवासियों को खुशहाल किया जा सकता है । यद्यपि उस महकमा की गतिविधियों पर पूरी तरह से दृष्टि रखना सरकार का फर्ज है, लेकिन आज तक यह प्रथा चलती आई है कि कहीं पर यदि नहर टूट जाए--चाहे वह बेलदार की ग़लती से हुआ हो या महकमा नहर की अपनी नालायकी की वजह से हुआ हो--तो उसको breach घोषित कर के पड़ोस के गांव वालों पर तावान लगाया जाता था जो उन्हें हर सूरत में देना पड़ता था और जिस के लिए कोई सुनवाई नही थी । शुक्र है भगवान का कि हमारी सरकार ने इस कठिनाई और अन्याय को महसूस किया है । स्पीकर साहिब, अफसर लोग खुद ग़लतियां करते हैं लेकिन परेशान करते हैं बेगुनाह, दलित और पीड़ित व्यक्तियों को लेकिन जब हम किसी का हवाला देते हैं तो मुख्य मन्त्री महोदय फरमाते हैं कि नाम न लो क्योंकि नाम लेने से उनका महत्व बढ़ता है । स्पीकर साहिब किस का महत्व कम होता है या किस का महत्व अधिक है, इस बात का निर्णय तो आम जनता ने करना है । बहर हाल जो बात मैं कहना चाहता था वह यही है कि महकमा नहर की अपनी ग़लतियों की वजह से जो breaches हो जाते थे उनको cut बनाकर निरापराध लोगों पर तावान लगा दिया जाता था । इस बात को रोकने के लिए इस बिल द्वारा सरकार का जो कदम आगे बढ़ा है, वह निस्सन्देह प्रशसनीय है ।

किन्तु स्पीकर महोदय, मैं एक सुझाव इस सम्बन्ध में अवश्य देना चाहता हूँ । इस सम्बन्ध में मैंने एक संशोधन भी आप के पास भेजा हुआ है । नहर टूट जाने से ग्रामीण जनता पर क्षति-पूर्ति के लिए जो दण्ड लगाया जाता है वह गलत तरीके से लगाया जाता है । इस सम्बन्ध में ज़मीदार और कृषक लोग विनय पर विनय करते हैं । कई जगह पर तो साल साल तक अफसरों के पास चक्कर लगाते लगाते उनके जूते घस जाते हैं लेकिन वह टस से मस नहीं होते । कई लोगों के मोघे लगा जाते हैं; उनके मोघे भी नहीं लगते । वह कहते हैं कि औरों को मोघे लगा दिए हमको मोघा क्यों नहीं दिया । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय की अनुकम्पा, कृपा, दया केवल उन्हीं पर होगी जो उनके जी हजूरी होंगे, जो उनके elections के समय वोट देंगे--मतदान करेंगे स्पीकर साहिब, आप चिन्ता न करें, मैं बिल्कुल relevant बोल रहा हूँ, जब आप ज़रा भी करवट बदलते हैं तो मुझे फिक्र हो जाता है कि कहीं आप मुझे बैठने का हुकम न दे दें *(Laughter)* तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इस बिल का स्वागत करते हुए मन्त्री-महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो इस सम्बन्ध में 5 non-officials members की Advisory Committee बना रहे हैं, हमें सन्देह है कि कहीं उसमें भी राजनैतिक दृष्टिकोण को सामने रखकर ही nominations न की जाए । कहीं उसमें भी यह बात न देखी जाए--जैसा कि इस सरकार का आम रवैया है--कि कौन किस political party का आदमी है और कौन किस का । मुझे निसन्देह

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री मंगल सैन]

ऐसा विश्वास है कि अवश्य वह इसमें अपने विचारों के आदमियों को ही रखेंगे (*Interruptions*) स्पीकर साहिब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय हमें यह विश्वास दें कि इस प्रकार किसी political विचारधारा को मुख्य रखकर ही ये advisory committee नहीं बनाई जाएगी, जो लोग इसमें लिए जाएंगे वह केवल इन्हीं के टोले, केवल इन्हीं की अपनी party या विचारधारा के ही नहीं होंगे बल्कि उन लोगों को भी लिया जाएगा जोकि किसानों की समस्याओं से भलीभान्ति परिचित होंगे। बाकी बातें मैं clause by clause consideration के वक्त निवेदन करूँगा।

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir I beg to move—

That the question be now put.

(*At this stage Chaudhri Dharam Singh Rathi rose to speak.*)

श्री अध्यक्ष : मैंने समझा था कि आप थक टूट कर के चले गए होंगे (I had thought that the hon. Member had gone after having been much tired).

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, मुझे बड़ा अफसोस है कि आप की तरफ से ऐसे sting की बात कही जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं ने तो आप से यह महज़ मज़ाक के तौर पर कहा था। अगर मेरा sting करने का इरादा होता तो मैं आप को खड़े होने की इजाज़त ही न देता और जैसा कि closure move हुआ था मैं उसे House में put कर देता। (I just said so by way of a joke. If I had thought of hurling a sting at him, I would not have allowed him to speak, I would have put the closure motion to the vote of the House.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : आप की तरफ से यह लफ्ज़ कहे जाने पर मुझे निहायत अफसोस है। वैसे हम मजबूर हैं कि आप का हुक्म मानें।

श्री अध्यक्ष : गोया आप ही यहां पर सौ फीसदी मासूम हैं और बाकी सब ग़लत बैठे हैं। (As if only the hon. Member is cent percent innocent and all others sitting in this House are otherwise.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह बात नहीं जनाब। और जो कुछ हो मगर sting नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ कहें हम मानते हैं मगर.........

श्री अध्यक्ष : अगर आप इसी बात पर अड़ते हैं तो चूंकि question put किया जा चुका है इसलिए मैं इसे House की राए के लिए पेश करता हूँ। आप बैठ जाइए (If the hon. Member is still feeling sore over it then I put the question, which has been moved, to the vote of the House. He should resume his seat.)

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, I beg to move —

That the Question be now put.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Punjab Digital Library

Mr. Speaker : Question is —

That the Question be now put.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is —

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE 2 OF CLAUSE 1

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, जिस तरीके से Treasury Benches वाले इस को पास करवाना चाहते हैं, उस तरीके से यह हरगिज़ पास नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : Relevant रहने की कोशिश करें (Please try to be relevant).

चौधरी धर्म सिंह राठी : जहां तक इस कलाज़ का ताल्लुक है मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन लोगों को बहुत difficulties हैं। आप देखें कि दफा 33 और 34 के अन्दर.....

Mr. Speaker : Sub clause 2 of clause 1 and not clause 2 is under consideration.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मुझे गलती लग गई। मैं clause 2 समझा था।

Mr. Speaker : Question is —

That Sub-clause (2) of Clause 1, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Shri Mangal Sein (Rohtak) : Sir, I beg to move —

In sub-clause (2), lines 3—6, —

for "Every Advisory Committee shall consist of not more than five non-official members...........................determined by such rules" substitute "Every Advisory Committee shall consist of not more than eleven non-official members, including chairman, who shall be appointed by the State Government on such terms and condidtions as may be determined by such rules".

स्पीकर साहिब, मेरा सुझाव यह है कि पांच व्यक्तियों की जो सलाहकार समिति बनाई जा रही है इसकी बजाय 11 महानुभावों की समिति बनाई जाए। वह इसलिए कि मुझे पूरा २ सन्देह है कि घूम घुमा कर अपने ही टोले के आदमियों को ले लेंगे। अगर 11 आदमी होंगे तो

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[श्री मंगल सेन]

मजबूर होकर इनको दूसरी parties के लोगों को भी लेना पड़ेगा—चाहे वह लोगों के आंसू पौंछने के लिए ही करते हों जैसा आगे भी किया जाता है। वह हर बात में अपनी स्वार्थ-परता को ही सामने रखते हैं इसलिए जब 11 व्यक्तियों की समिति होगी तो दूसरी राजनैतिक पार्टियों के व्यक्तियों को भी लेना पड़ेगा। इसलिए जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ऐसे लोग इस समिति में लेने चाहिएं जोकि किसानों की समस्याओं को समझते हों, किसानों की बातों को उनकी मुश्किलात को समझते हों और देहाती क्षेत्र की development के सम्बन्ध में भली प्रकार परिचित हों। मेरा विश्वास है कि मन्त्री महोदय मेरे सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

Mr. Speaker : Motion moved —

In sub-clause (2), lines 3—6, —

for "Every Advisory Committee shall consist of not more than five non-official members,......................determined by such rules" substitute "Every Advisory Committee shall consist of not more than eleven non-official members, including chairman, who shall, be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be determined by such rules".

Sardar Achhar Singh Chhina (Ajnala) : Sir, I beg to move —

In the proposed paragraph to sub-clause (2), line 2, —

between "members" and " , " insert "representing Kisan Sabha and other Kisan Organisations".

In the proviso of the proposed paragraph to sub-clause (2), line 1,—

between "where" and "the" insert "the advice of the Advisory Committee is not unanimous".

ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ amendment ਦਾ ਇਹ ਮਨਤਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ political ਢੰਗ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ economic basis ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ represent ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ representatives ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ representatives ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ? ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਸੀ machinery ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ representatives ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ organisations ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹੈ।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ procedure ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ S. D. O. agree ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ Commissioner ਪਾਸ ਉਹ case ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ agree ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ Government ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ clause ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਥੇ S. D. O. ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ agree ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ Commissioner ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ agree ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਗੌਰਮੇਂਟ ਪਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ amendment ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ unanimous ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ S. D. O. ਨੂੰ ਮਨਣਾ ਪਵੇ । ਉਹ ਉਸ ਤੇ binding ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ unanimous ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ S. D. O. ਉਸ ਨੂੰ Commissioner ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ । ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਇਹੋ ਮੰਤਵ ਹੈ ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ unanimous ਹੋਏ ਤੇ S. D. O. ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ agree ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਰਮੇਂਟ ਮਨ ਲਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੌਰਮੇਂਟ ਪਾਸ ਆਏ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮੈਂ ਗੌਰਮੇਂਟ ਤੇ suspicion ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਗੌਰਮੇਂਟ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ unanimous ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ S. D. O. ਤੇ binding ਹੋਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵੀ differ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ S. D. O. ਉਪਰ ਭੇਜ ਸਕੇ । ਇਹ binding ਦੇ ਲਫਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ amendment ਨੂੰ ਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Motions moved —

In the proposed paragraph to sub-clause (2), line 2,—

between "members" and " , " insert "representing Kisan Sabha and other Kisan Organisations".

In the proviso of the proposed paragraph to sub-clause (2), line 1, —

between "where" and "the" insert "the advice of the Advisory Committee is not unanimous".

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, इस बिल में और इस clause में जो यह provision की गई है मैं इस के लिए Minister for Irrigation को मुबारिकबाद देता हूं । इस बिल की यह clause बहुत अच्छी है। इस से पहले किसानों को

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

ग्रौर ज़मीदारों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था । ग्रगर कहीं चूहों की वजह से नहर टूट जाती थी तो उस के लिए भी वहां के ज़मीदारों को जिम्मेदार ठहराया जाता था । यही नहीं, ग्रगर कहीं कोई बेलदार किसी नहर को तुड़वा देता था या कोई ज़िलेदार उसे तोड़ देता था तो भी उस के लिए भी तावान ज़मीदारों को देना पड़ता था । इसी तरह से ग्रगर कहीं कोई नहर overflow कर जाती थी ग्रौर उस पानी से किसी ज़मीदार का खेत भर जाता था तो उस की ज़िम्मेवारी भी उस किसान पर डाल दी जाती थी । यह बड़ी ग्रच्छी बात है कि हमारे Minister for Irrigation and Power ने ग्रपने वक्त में यह इतना ग्रच्छा बिल यहां पेश कर दिया है जिस से किसानों को ग्रौर ज़मीदारों को बड़ा भारी relief मिलेगा । इस से इतना भारी relief मिलेगा कि मैं कह सकता हूं कि हर ज़िले के ग्रन्दर जो तावान पहले पड़ता था उस से लोगों को छुटकारा मिल जायेगा । ग्राज किसान को तो बड़ी ही तकलीफ हो गई है । कुछ ग्रादमियों को तो relief मिला है जो direct वज़ीर साहिब के हां ग्रा जा सकते हैं लेकिन ग्रौर किसी को नहीं । जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इस के ग्रसूल का ताल्लुक है मैं इसकी पूरी पूरी ताईद करता हूं लेकिन जहां तक members की nomination का सवाल है, मेरा मत-भेद है । मुझे इस बारे में एतराज़ है कि Government ग्रपने ग्रादमियों को nominate करेगी । ग्रौर किसी बात का एतराज़ नहीं । जिस तरीके से ग्राजकल nomination होती हैं वह हम से भूला हुग्रा नहीं है । एक दूसरे का favour win over किया जायेगा, जिस ग्रादमी का जिस Department से concern होगा उस को nominate नहीं किया जायेगा । ग्रगर कोई Health का होगा उस का ताल्लुक Health Department से नहीं होगा । मुझे ग्रंदेशा है कि कमेटी तो ज़रूर बन जायेगी मगर ऐसे ग्रादमी nominate नहीं होंगे जिन का खेती से ताल्लुक हो या जिन का ग्राबपाशी से कोई ताल्लुक हो, इसलिए मैं इस के मुताल्लिक 3-4 चीज़ों की assurance चाहता हूं । जो Advisors की appointment हो वह direct election से नहीं होनी चाहिए बल्कि इस तरीके से होनी चाहिये जोकि merit के लिहाज़ से हो । इस के ग्रंदर कोई political consideration से appoint करने का ग्रब कोई वक्त नहीं है इसलिए मैं इस बात की assurance चाहता हूं कि जो भी appoint हो वह ऐसे हों जिन का इस line मे तजरुबा हो । Political consideration के ग्रादमियों को छोड़ते हुए सिर्फ ऐसे हों जिन की पंचायतों से association हो । ऐसे officers appoint ना हों कि जिन के सामने advisors बात ही न कर सकें । ग्रगर मुख्तलिफ parties के ग्रादमी होंगे तो कुछ बात सही ग्रायेगी । जहां तक communist मैम्बर साहिब ने कहा है कि यह किसान सभा में से members लिए जाएं क्योंकि वह कोई political party नहीं है, मैं इस की सख्त मुखालिफत करता हूं । Communist party ग्रौर किसान सभा कोई separate जमायतें नहीं हैं । नाम की किसान सभा है मगर इन का किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है । इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से यह बात कहूंगा कि इन 2-3

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

बातों का ख्याल रखा जाये । इन अलफाज़ के साथ मैं बैठता हूं और उम्मीद करता हूं कि वज़ीर साहिब इन बातों की तरफ जरूर ध्यान देंगे ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (राम्रो बीरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहिब, कुछ दोस्तों ने इस बिल के बारे में कुछ तजवीजें दीं । श्री मंगल सैन जी ने कहा कि इस में 5 की बजाये 11 मैम्बर बनाये जायें । शायद उन को यह उम्मीद हो कि इन 11 में से तो कोई इन की मर्ज़ी का ही आ जाये । मैं नहीं समझता कि 5, आदमी किस तरह से नाकाफी हैं । 11 के इलावा 5 का number भी तो बेहतर ही गिना गया है । 5 आदमी बजाये 11 के बेहतर काम कर सकते हैं । एक ने अगर कहा है इस के 11 Members हों तो दूसरे ने यह कहा है कि कम हों अगर एक की कोई चीज़ मान ली जाती है तो दूसरे की रद्दी हो जाती है ।

छीना साहिब ने कुछ सुझाव दिये हैं इन्होंने कहा है कि अगर कोई unanimous फैसला नहीं होगा वह pending रहेगा । वह उसे Commissioner के पास भेजेंगे । वह देखेगा कि कहां मुखालिफत है और क्या मुश्कलात पेश आ रही है और यह unanimity कैसे बढ़ सकती है । ऐसी हालत **नहीं** होगी कि किसी member को enforce करके कोई काम होगा । जो फैसला होगा unanimously होगा । छीना साहिब ने फरमाया कि अगर मान लिया जाये कि जो Committee बनी हुई है उस से फैसला नहीं होता तो D. C. की राये ली जायेगी । अगर तो किसी Committee में unanimity है तो यह बेहतर तरीका है । वरना वह अपने राये का इस्तेमाल कर सकता है । इसलिये मैं मजबूर हूं कि मैं छीना जी की राय नहीं मान सकता । उन्होंने किसान सभा में से भी मैम्बर लेने के लिए कहा । एक तरफ तो ऐसी बातें हैं दूसरी तरफ से यह भी कहा जाता है कि Political consideration को सामने न रखा जाये । इस मामले में मैं नहीं समझता कि किसी बहस की गुंजायश है । अगर हम Political parties को सामने रख कर कोई बात करेंगे तो बहुत सारे Member साहिबान को मंज़ूर नहीं है ।

राठी साहिब ने भी बहुत सारी बातें कही हैं इन का कोई मकसद नहीं है इन को तो छोड़ देना ही मुनासिब होगा (हंसी) जो spirit या मकसद इस बिल का है इस को देखते हुए मैं तो यह उम्मीद करता हूं कि आप इस की तारीफ ही करेंगे क्योंकि यह एक ऐसा revolutionary step है जो पहली मरतबा उठाया गया है । अफसरान के हाथों से अख्तियारात छीन कर लोगों को दिये जा रहे हैं (तालियां) । अगर यह तजरुबा कामयाब रहा तो आयंदा के लिए और बड़ा कदम उठाया जा सकता है । तो मैं अर्ज़ करता हूं कि इस बिल को इसी शक्ल में पास किया जाये ।

Mr. Speaker : Question is —

In sub-clause (2), lines 3—6, —

for "Every Advisory Committee shall consist of not more than five non-official members,............................determined by such rules" substitute "Every Advisory Committee shall consist of not more than eleven non-official members, including chairman, who shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be determined by such rules".

The motion was lost.

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

Mr. Speaker : Question is —

In the proposed paragraph to sub-clause (2), line 2,—

between "members" and " , " insert "representing Kisan Sabha and other Kisan Organisations".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

In the proviso of the proposed paragraph to sub-clause (2), line 1, —

between "where" and "the" insert "the advice of the Advisory Committee is not unanimous".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is —

That sub-clause (1) of Clause 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Rao Birendar Singh) : Sir, I beg to move —

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, be passed.

चौधरी इन्द्र सिंह (जींद जनरल) : मुहतरिम स्पीकर साहिब, Legislation की history के अंदर यह एक निहायत शानदार और काबिले तारीफ बात है जिस को वज़ीर साहिब इस बिल में include कर रहे हैं। यह एक जमहूरी कदम है जिस से लोगों को statutory powers delegate की जा रही है। मैं इस Government को और खास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिब को मुबारिकबाद देता हूं। अगर इस तरह के और कदम उठाये गये तो मैं पहला आदमी हूंगा जो इन के हक में आवाज़ उठाऊंगा। जहां तक officers की promotion का ताल्लुक है इस के बारे में खास तौर पर मैं चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पिछली दफा जब वह साहिब दौरे पर गये तो चौधरी सूरज मल और चौधरी दलबीर सिंह भी उन के साथ थे। रास्ता में कोई 200 आदमियों ने इन को अर्ज़ियां दीं उन में इस किसम की अर्ज़ियां भी थीं जिन में बड़ी serious किसम के allegations

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

लगाये गये थे। इन के बारे में पूरी enquiry करने की ज़रूरत थी लेकिन जिस ढंग से इन अर्जियों को deal किया गया यह एक unfortunate बात है। अगर इस तरह के ख्यालात का इजहार करना है तो बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ कर हमें कदम उठाने होंगे। मैं किस घबराहट में बात नहीं करता। 1952 में जिस तरह से वहां पर मुज़ाहरा किया मैं इन के नोटिस में लाना चाहता हूं। इन्होंने इन applications का फैसला करने के लिए एक Committee बनाई जिन्होंने कि 15 दिन या महीने में ही ये फैसला करना था। और उस कमेटी में मालूम नहीं 11 आदमी थे या 15 आदमी थे या 7 थे लेकिन तमाम के तमाम खास तौर पर कांग्रेसी M.L.A.s थे। मैंने तब भी Advisory Committee की formation का स्वागत किया। क्योंकि कदम नेक है। और अगर किसी political consideration से कमेटी बनाई है तो consequences अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि निबटारे के वक्त भी political consideration आएगे। इसलिए मेरी गुज़ारिश यह है कि unequivocal terms में यह assurance दिलाई जाए कि कमेटी democratic तरीके पर काम करेगी फिर वह चाहे खालिस कांग्रसी आदमियों की ही क्यों न हो?

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : जनाब, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि इस बात की assurance दिलाई जाए कि Advisory Committee बनाने में political consideration नहीं रखी जाएगी। क्योंकि अगर कोई political consideration रखी गयी तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं कहे देता हूं और यह मेरी पेशीनगोई समझिए कि अगर यह चीफ मिनिस्टर साहिब ऐसा ही करते रहेंगे तो यह गद्दी रहने वाली नहीं है, यह छिन जाएगी। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि appointment के अन्दर political consideration नहीं होनी चाहिए।

श्री मंगल सैन (रोहतक) : सम्मानीय सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बहुत सी बातें कीं और चौधरी इन्दर सिंह ने यह बतलाया कि जब चीफ मिनिस्टर साहिब दौरा करने गए तो 200 आदमियों की applications उनके सामने आईं मगर उनको इंसाफ नहीं मिला। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी समिति बनाई जाती है वह ऐसे लोगों की बनाई जाती है जिन्हें जनता पछाड़ चुकती है लेकिन वे इनकी टोली के आदमी होते हैं। चाहे जनता का उन पर बेशक विश्वास न हो लेकिन उनको जनता की छाती पर लाद दिया जाता है। यह सरकार हर मामलों में मुजरिम पाई जाती है। असली बात यह है कि यह मजबूर हो जाती है कि वह अपने साथियों को खुश रखे। और है भी ठीक। हर एक को तो मुख्य मंत्री बनाया नहीं जा सकता और compensate करना ही होता है तो फिर इस तरह की हेराफेरियाँ करना लाज़िमी हो जाता है। और ग़लत आदमियों को भी स्थान-स्थान पर provide कर दिया जाता है। मैं मानता हूं कि majority के बल से यह जो चाहे करें मगर मेरा आपोज़ीशन के नाते कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं यह बातें point out करूँ। आखीर में फिर सरकार से आपके द्वारा कहना चाहता हूँ कि appointments के अन्दर political consideration न हो।

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (राओ बीरेन्द्र सिंह) : जनाब, Opposition की तरफ से यह बातें कही गई और Treasury Benches की ओर से भी कहा गया कि यह बिल बड़ा beneficial है और यह एक democratic कदम है। सिर्फ यह खतरा ज़ाहिर किया गया कि जो Advisory Committee बनेगी उसमें political considerations होंगी। और इसीलिए यह assurance मांगी है कि इसको बनाते वक्त political consideration नहीं होगी। मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि कमेटियां के बनाते वक्त यही सवाल रखा जाता है कि पब्लिक का फायदा हो और maximum हो और नुमाइंदगी भी maximum, लोगों को मिल सके। मैं यह समझता हूं कि बेहतरीन आदमी पब्लिक में से जाते हैं लेकिन अगर वह किसी खास पार्टी को पसन्द न आएँ तो इसके वास्ते मेरे पास कोई इलाज नहीं।

यह नहर का महकमा जिसे commercial महकमा समझा जाता था, इसको इसी तरह से न रखने के लिए इसमें हमने पब्लिक को नुमाइंदगी दी। और कमेटी बनाई जाएगी उसके नताइज बहुत दूर रस होंगे। पहिले breaches हुआ करती थीं और तावान लोगों पर डाल दिया जाता था। लेकिन अब यह सारी चीज़ देखी जाएगी कि कोई कट तो नहीं हुआ और किसी ने ज़्यादती तो नहीं की। यह सब बातों का ख्याल रखते हुए Committees बनाई हैं और यह बहुत बेहतरीन किस्म की कमेटियां बनाई जाएंगी। जो लोग canals से पानी लेते हैं उन के नुमायंदे लिए जाएंगे इसलिए इस में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं सब साहिबान से request करूंगा कि इस काम को चलाने के लिए वह co-operation दें ताकि लोगों का फायदा हो सके।

Mr. Speaker : Question is —

That the Northern India Canal and Drainage (Punjab Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

OBSERVATIONS BY THE SPEAKER

श्री अध्यक्ष : Gram Panchayat Bill के ऊपर बहस करने पर जितना time लगा है उसे मैंने calculate करवाया है। वह तकरीबन पांच दिन का time बनता है। यह बिल बहुत अहम था। यह बहुत creditable बात है कि इस पर इतनी बहस हुई है। इस Session में Government ने और दूसरे Members ने जो co-operation दी है उस के लिए मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं। कई दफा unpleasant मौकों को ठीक करने के लिए मैं थोड़ा बहुत House का atmosphere बदलने के लिए मज़ाक भी करता रहा हूं। उसे अगर किसी साहिब ने बुरा माना हो तो मैं उस की मुआफी

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

चाहता हूं। वैसे तो कहते हैं कि अगर किसी को मज़ाक की appreciation न हो तो उसे मज़ाक नहीं करना चाहिए ।

(I have got the time calculated that has been spent on the discussion of The Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill. It nearly comes to five days. This Bill was very important and it is indeed very creditable that so much dicscussion has taken place on it. I thank the Government and the other Members who have extended their co-operation during this Session. Several times I have been passing a few humorous remarks just to ease the atmosphere in the House on certain unpleasant occasions. If any hon. Member has taken it ill, I beg to be excused for that, because generally it is said that if one's humour is not appreciated, he should not induldge in it.)

The Sabha then adjourned sine-die.

9283 PVS—349—10-10-60—CP and S., Pb., Chandigarh

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ
ਮਿਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਂ
'A' 'B' or 'C' proceedings
in which the file was
recorded and its
retention period

ਕੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਸ਼ਾਖਾ/
ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟ ਬੁੱਕ
ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜਾਂ ਨਹੀਂ
Whether note regarding
case has been kept in
the Branch/Sectional
Note Book or not

ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
of the concerned
it

ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
of the Recorder

ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲੇ Previous References	ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ Later References

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library

IB-18268

Uniting t
save the
world's

Original with;
Punjab Vidhan Sabha
Digitized by;
Panjab Digital Library